Inspection Report

In compliance of Order dated 28.07.2023 passed in

O.A. No. 42 of 2023 (CZ); "RupeshMansoreVs. Union of India&Ors" by Hon'ble N.G.T., Bhopal.

Dates of Inspection: 22nd August 2023, 01st& 2nd September, 2023

Submitted by:-

Madhya Pradesh Pollution Control Board

Head Office, Bhopal

INDEX

S.N.	CONTENTS	PAGE NO.
1.	Abbreviation	3
2.	Formation of Committee	4-5
3.	Introduction	5
4	The details of declared mining sites	5-9
5	Facts of the case	9
6.	The details of 22 mining sites leased out to M/s Hotel Uma Residency, Chanakyapuri, Satna	9-11
7.	The details of 12 mining sites leased out to M/s National Energy Trading and Services Limited	11-12
8.	Observations	12-13
9.	Compliance verification of the conditions as per Environmental Clearance (EC)	13-15
10.	Compliance Status of EC Conditions on field	16
11.	Details of Consent to Operate (CTO) and its validity	16-17
12.	Compliance Status of Consent conditions on field	17
13.	Status of District urvey Report Replenishment Study	18
14.	Recommendation	18-20
ANNEXURE		
1.	*Annexure-I* Copy of DSR-2022	21-81
2.	*Annexure-II* Copy of DSR-2023	82-215
3.	*Annexure-III*Copy of Lease agreement ofM/s Hotel Uma Residency, Chanakyapuri, Satna	216-311
4.	*Annexure-IV*Copy of Lease agreement of M/s National Energy Trading and Services Limited	312-431
5.	*Annexure-V*Orders related to revision in Mining area	432-451
6.	*Annexure-VI* Copy of mine plan	452-1061
7.	*Annexure-VII* Photograph and map of mines	1062-1076
8.	*Annexure-VIII*Copy of Letter of Intent(LoI)	1077-1081
9.	*Annexure-IX*Copy of challan	1082-1098
10.	*Annexure-X* Copy ofShow cause notice letter	1099-1100
11.	*Annexure-XI*List of cases including latest 17 cases	1101-1105
12.	*Annexure-XII*Copy of letter issued by SDM	1106-1114
13.	*Annexure-XIII* Copy of Environmental clearance (EC)	1115-1189
14.	*Annexure-XIV* Copy of Consent To Operate (CTO)	1190-1254

ABBREVIATION

1. CTO- Consent to operate
2. DSR- District survey report
3. EC- Environmental clearance
4. eTP - Electronic Transit Pass
5. LoI- Letter of intent
6. PUC-Pollution under control
7. PP-Project proponent
8. SEIAA- State environment impact assessment authority
9. SEAC- State level expert appraisal committee
10. STP- Sewage treatment plant
11. NETS-M/s. National Energy Trading Services Ltd.

Inspection Report w.r.t. Order dated 28.07.2023 passed in O.A. No. 42 of 2023 in the matter of "Rupesh Mansore Vs. State of Madhya Pradesh &Ors." by the Hon'ble N.G.T., (C.Z.) Bhopal.

The current matter is related to illegal excavation of sand by using heavy machines and transportation of sand by using heavy trucks in violation of the environmental laws and rules by Respondent No. 10 M/s NationalEnergy Trading & Service Ltd. It was also alleged that the excavation was done at a level which is more than the prescribed limit.

Pursuant to the order dated 30.05.2023, a Report has been submitted by Joint Committeecomprising of Collector, Betul (State of MP) and representative of MPPCB, Sub-Divisional Magistrate, (Revenue), Shahpur, Sub-Divisional Officer, (Forest), Shahpur, and Incharge Mining Officer, Betul. Hon'ble Tribunal rejected the report showing major objections and it was also said that the report was incomplete and inadequate.

In view of the above, the Hon'ble National Green Tribunal has constituted a joint committee for proper investigation, which includes:-

1. Member Secretary, Madhya Pradesh Pollution Control Board
2. Central Pollution Control Board
3. IRO, Ministry of Environment, Forest & Climate Change, Bhopal
4. Representative of Principal Secretary, Mine & Geology, Govt. of Madhya Pradesh and
5. Collector, District Betul (M.P.)

A. Formation of Committee:-

In compliance of the above order dated 28.07.23, a fresh committee has been constituted to investigate and submit the report regarding illegal mining and transportation in the sanctioned sand mines of the district. The details are as follows:-

S. No.	Name & Designation of the Officer	Name of the Office	Remark
1	Sh. Chandra Mohan Thakur (IAS), Member Secretary	M.P. Pollution Control Board, Bhopal	Nodal Officer
3	Smt. SunaynaBramhe	Tehsildaar, Shahpur as Representative of Collector, Betul	Nodal Officer
4	Dr. H. V. C. Chary Guntupalli	Scientist E, Integrated Regional Office,	Member

		MoEF&CC, Bhopal	
5	Sh. Vinod Bagde	Additional Director, Representative of Principal Secretary, Mine & Geology, Govt. of Madhya Pradesh	Member
6	Dr. Poulami C. Patil	Scientist B, Central Pollution Control Board, Regional Directorate, Bhopal	Member

The said joint committee undertook random site visit to the various sand mines(with specific emphasis on the leases which were granted EC and CTO) which are spread across the Betul District in different directions over 3 days, i.e., 22nd August, 2023, 1st& 2nd September, 2023. Alongwith the committee, the following officials also visited the site:

1. Sh. K.N. Katare, Regional Officer, M.P. Pollution Control Board, Chhindwara
2. Sh. Nagwanshi, Incharge Mining Officer (Mining Department), Betul
3. Sh. Naresh Bhumarkar, Assistant Draftsman, Mining Department, Betul
4. Sh. Gangadhar Dhote, Revenue Inspector, Revenue Department, Betul
5. Sh. Sanjay Rajput, Chemist, MPPCB, RO, Chhindwara

During the site visit on 01st& 2nd September, 2023, the presence of representative of National Energy Trading Services Ltd. (NETS) was requested on behalf of the committee to review the EC/CTO compliances at site and accordingly, Shri Mukesh Tiwari furnished the status of EC/CTO compliances submitted to the regulatory authorities and also showed the plantation activity undertaken at site. Further, the presence of the complainant Shri Rupesh Mansore was also requested during the site inspectionson 22nd August, 2023 and 1st& 2nd September, 2023 but neither him nor his representative was present before the joint committee.

B. Introduction:-

Betul District comprisesof 04 sub-divisions namely Betul, Multai, Bainsdehi and Shahpur. Among the total 10 number of Tehsils,Betul comes under sub-division Betul, Multai comes under sub-divisionMultai, Amla&Bainsdehi comes under sub-division Bainsdehi and finally Athner, Shahpur, Ghoradongri, Chichli, Bhimpur& Prabhat Pattan are included under sub-division Shahpur.

As per the District Survey Report (DSR), 2022 of Betul district total47 sand mines were declared/sanctioned by the Office of the Collector (Mining Branch), Betul. Most of the sand quarries are distributed within Ghoradongri, Shahpur, Chichli, Bhainsdehi and Betul Tehsils and on Tawa, Machna, Nandu, Bakud, Tapti, Morand, Bhadanga, Kachlora, Latiya, Dharakhoh, Gandhigram, Khamalpur, Barelipaar, Lohar, Bel rivers and one was identified on Government nala, one on Kudmud nala and one on Chandi nala. **(Copy of DSR, 2022 is attached as *Annexure-I*)**

Table1: The details of declared mining sites:-

S. No.	Village	Tehsil	Name of River	Khasra No.	Area as per old DSR (Ha)	Revised Mines Area As per official Order (Ha)	Total Sand Potential (Pre-Monsoon) (m^3)	Total Sand Potential (Post-Monsoon) (m^3)	Mineable Mineral Potential (m^3)
1.	Loniya	Ghoradongri	Tawa	179	1.115	1.115	5575	25000	15000
2.	Fulberiya	Ghoradongri	Tawa	407	2.5	2.500	7500	12750	7650
3.	Jhadkund	Ghoradongri	Machna	1	0.95	0.950	2850	7200	4320
4.	Naandu	Ghoradongri	Naandu	91	2.9	2.900	8700	22500	13500
5.	Bakud	Ghoradongri	Bakud	35	2.7	2.700	10800	21875	13125
6.	Kumhariya	Betul	Machna	1	0.7	0.700	5600	10800	6480
7.	Ratamati	Bhainsdehi	Tapti	1	2.55	2.550	10200	36000	21600
8.	Sitaljhiri	Shahpur	Machna	1	0.7	0.700	2800	5625	3375
9.	Khapariya	Chichouli	Morand	18	3	3.400	9000	32500	19500
10.	Jholi-1	Ghoradongri	Bhadanga	99	5	2.450	10000	26000	15600
11.	Vishnupur	Ghoradongri	Bhadanga	1	2	3.000	8000	30000	18000
12.	Ballour	Chichouli	Morand	162	3	3.000	12000	35000	21000

13.	Tangnamal	Shahpur	Morand	209	4	4.000	12000	42000	25200
14.	Kachlora-3	Ghoradongri	Kachlora	69	0.34	0.620	580	9500	5700
15.	Chichdol Raiyat	Ghoradongri	Bhadanga	30	8	4.800	16000	25000	15000
16.	Dhamannya	Shahpur	Morand	1	5	5.000	15000	38000	22800
17.	Aamdhana Raiyat-3	Ghoradongri	Latiya	178	0.62	0.340	3720	13750	8250
18.	Chikhli Raiyat	Shahpur	Morand	316	4	4.000	16000	18000	10800
19.	Guwadi	Shahpur	Tawa	10	2.5	2.500	12500	70200	42120
20.	DoudiMaalvar	Ghoradongri/ shahpur	Tawa	1.38	14.05	14.050	98350	210000	126000
21.	Aamdhana Raiyat	Ghoradongri	Latiya	248, 141.130	6.09	6.090	18270	35700	21420
22.	Ghoradongri	Ghoradongri	Dharakhoh	373.1395	7	7.000	14000	20663	12397.8
23.	Gandhi Gram	Ghoradongri	Gandhigram	2	0.55	0.550	1650	13500	8100
24.	ChikhliAamdhana	Ghoradongri	Khamalpur	219.341	7.73	7.730	15460	50000	30000
25.	Barelipaar	Ghoradongri	Barelipaar	63	0.36	0.360	1800	9000	5400
26.	Kachlora-1	Ghoradongri	Kachlora	67	0.1	0.100	500	2000	1200
27.	Kachlora-2	Ghoradongri	Kachlora	98	0.17	0.340	1020	3570	2142
28.	Aamdhana Raiyat-1	Ghoradongri	Latiya	79	0.35	0.170	1750	8050	4830
29.	Aamdhana Raiyat-2	Ghoradongri	Latiya	175	0.34	0.350	2720	6120	3672

30.	Jholi-2	Ghoradongri	Bhadanga	10	4	2.450	8000	12000	7200
31.	Saataldehi	Ghoradongri	Lohar	187.251	8	6.100	16000	38500	23100
32.	Dharampur	Ghoradongri	Bhadanga	309	6	1.480	6000	7500	4500
33.	Batkidoh	Ghoradongri	Bhadanga	112.349	1	2.060	2000	15000	9000
34.	Katangi	Ghoradongri	Govt. Nallah	148	0.621	0.621	1863	4000	2400
35.	Dahargaon / Bhayawadi	Betul	Machna	68.26	6.25	6.250	25000	25750	15450
36.	Kodaroti	Betul	Machna	106	5.45	5.450	16350	7200	4320
37.	Bhilwadi	Betul	Machna	97	0.8	0.800	1600	9100	5460
38.	Maathni	Betul	Machna	78	0.86	0.860	1720	9450	5670
39.	Sontalai	Aamla	Bel	1	9.33	9.330	9330	9000	5400
40.	Barchhi	Aamla	Bel	434.308	5.52	5.520	5520	10300	6180
41.	Janyada (Bujurg)	Aamla	Kudmud Nallah	217	0.7	0.700	1400	2304	1382.4
42.	Banspur/ Shivsagar/ Gounapur	Ghoradongri/ shahpur	Tawa	1, 1, 288, 266	24.97	24.970	49940	272250	163350
43.	Shahpur/ Patouvapura	Shahpur	Machna	1.112	11	11.000	33000	198000	118800
44.	Saangwani	Chichouli	Morand	20	5.08	5.080	15240	30064	18038.4
45.	Haranya	Chichouli	Morand	1.9	5.59	5.590	16770	44000	26400
46	Tendukhed	Shahpur	Morand	119.11	5	4.100	15000	22500	13500

.	a			4					
47.	Sivanpat	Ghoradongri	Chandi Nallah	142	0.42	0.420	840	4200	2520
				Total	**188.906**	**176.746**	**549918**	**1561421**	**936852.6**

In the year 2023, the DSR was revised and the number of declared mines were reduced to 42 from 47 and also area of some mines was revised. Accordingly the mining area was reduced to 132.428 Ha from 188.906 Ha. According to the DSR, 2023 the following mines were discontinued:**(Copy of DSR, 2023 is attached as *Annexure-II*)**

1. Chichdol, Ghoradongri
2. Chikhli Raiyat, Shahpur
3. Dharampur, Ghoradongri
4. Dehergaon, Betul
5. Tendukheda, Shahpur
6. Ghoradongri, Ghoradongri and
7. Siwanpaat, Ghoradongri

C. Facts of the case:-

In the year June 2020, total 22 mines were leased out among all 47 declared mines according to DSR (2022) to M/s Hotel Uma Residency, Chanakyapuri, Satna. The total area of mines under lease was73.37 Ha among the total declared mining area of 188.906 Ha. The 22 sand mines were surrendered by M/s Hotel Uma Residency, Chadkyapuri, Satna to the Mineral Department on 30.06.2022 in the middle of valid lease period. **(Copy of Lease agreement is attached as *Annexure-III*)**

Table:2 The details of 22 mining sites leased out to M/s Hotel Uma Residency, Chadkyapuri, Satna:-

S.No.	Village	Tehsil	Area (Ha)	Mineable Mineral Potential (m^3)	Production Details (m^3)	
					2020-21	2021-22
1.	Loniya	Ghoradongri	1.115	15000	25000	25000
2.	Fulberiya	Ghoradongri	2.50	7650	12750	12750
3.	Jhadkund	Ghoradongri	0.95	4320	7200	7200
4.	Naandu	Ghoradongri	2.90	13500	30460	30460

5.	Bakud	Ghoradongri	2.70	13125	21875	21875
6.	Kumhariya	Betul	0.70	6480	10800	10800
7.	Ratamati	Bhainsdehi	2.55	21600	36000	36000
8.	Khapariya	Chichouli	3.40	19500	37062	37062
9.	Jholi-1	Ghoradongri	2.45	15600	36750	36750
10	Vishnupur	Ghoradongri	3.00	18000	37180	37180
11	Ballour	Chichouli	3.00	21000	54000	54000
12	Tangnamaal	Shahpur	4.00	25200	72000	72000
13	Kachlora-3	Ghoradongri	0.620	5700	9500	9500
14	Chichdol Raiyat	Ghoradongri	4.80	15000	18380	18380
15	Dhamannya	Shahpur	5.00	22800	20000	20000
16	Aamdhana Raiyat-3	Ghoradongri	0.340	8250	6120	6120
17	Chikhli Raiyat	Shahpur	4.00	10800	21000	21000
18	Guwadi	Shahpur	2.50	42120	70182	70200
19	DoudiMaalvar	Ghoradongri/ shahpur	14.05	126000	209931	210000
20	Aamdhana Raiyat	Ghoradongri	6.09	21420	35672.1	35700
21	Ghoradongri	Ghoradongri	7.00	12397.8	18077.5	20663
22	Sitaljhiri	Shahpur	0.700	3375	5625	0
		Total	**74.365**	**448837.8**	**795564.6**	**792640**

After this event, on 17.11.2022 again e-tender was invited by the Collector (Mining Branch), Betul for the auction of 47 sand mines. The sand mines were auctioned on 07.12.2022 and based on the outcome of the auction process, a contract agreement was signed by M/s National Energy Trading and Services Limitedon 09.02.2023 for the period from 09.02.2023 to 30.06.2023. The area of 17 leased mines is

58.616 ha out of total 188.906 Ha (comprising of 47 leases).Approval on mining plan has been given for 17 mines, but due to shortage of time the PP has excavated from 12 mining sites after grant of Environmental Clearance**(Copy of lease agreement is attached as *Annexure-IV*)**

Table:3Details of 12 mining sites leased out to M/s National Energy Trading and Services Limited and were mined:-

S.No.	Village	Tehsil		Area as per new DSR (Ha)	Mineable Mineral Potential (m^3)	Permissible Limit as per EC & CTO (m^3)	Production details after the grant of EC (m^3)
							2022-23
1.	Loniya	Ghoradongri	1.115	1.115	15000	15000	14967.19
2.	Naandu	Ghoradongri	2.9	2.9	13500	13500	13465.93
3.	Ratamati	Bhainsdehi	2.55	2.55	21600	21600	21568.81
4.	Khapariya	Chichouli	3	3.4	19500	19500	19467.89
5.	Jholi-1	Ghoradongri	5	2.45	15600	15600	15568.89
6.	Ballour	Chichouli	3	3	21000	21000	20963.68
7.	Tangnamaal	Shahpur	4	4	25200	25200	25168.97
8.	Dhamannya	Shahpur	5	5	22800	20000	19965.30
9.	Chikhli Raiyat	Shahpur	4	4	10800	10800	10763.11
10.	Guwadi	Shahpur	2.5	2.5	42120	42120	42109.73
11.	Banspur/ Shivsagar/ Gounapur	Ghoradongri/ shahpur	24.97	24.97	163350	163350	45257.80
12.	Shahpur/ Patouvapura	Shahpur	11.00	11.00	118800	118800	118772.93
		Total	**69.035**	**66.885**	**489270**	**486470**	**368040.23**

- The company namely, M/s National Energy Trading and Services Limited started excavation of the mines from 09.02.2023 and continued till 30.06.2023. The area of 12 leased mines is66.885 ha among total 176.746 Ha. According to data available with mining department total 368040.23 m^3sand was excavated from 66.885Ha mine area, whereas as per sanctioned mining plan of the area 486470 m^3 was the permissible mining limit. The ground situation is little different from the data available.**(Copy of orders related to change of mining area is annexed as *Annexure – V* and thecopy of mine planis annexed as *Annexure –VI*)**

D. Site Observations noted by the Joint Committee:-

1. Details of site visit to sand mines on 22.08.2023, 01.09.2023 & 02.09.2023:

The joint committee carried out a detailed inspection of the sand mines at Villages Lonia, Shivsagar, Ratamati, Khapariya, Jholi-1, BallourTangnamaal,Dhamannya,Chikhli Raiyat, Guwadi,Banspur/ Shivsagar/ Gounapur& Shahpur/ Patouvapura among the leased mines, which were operated after the grant of Environment Clearance. Some of the mines for which EC and CTO was not obtained by the Project proponent were also visited such as Daudi Malwar, Sataldehi, Amdoh, Guwadi and Sitaljhiri.(**Photograph and map of mines are attached as *Annexure-VII*)**

- During the site visit, it was observed that all the mines were submerged under water, thus the depth of mine pits could not be judged by the committee.
- No mining activities were taking place as the lease period ended on 30.06.2023 and no mining activity is permissible during the monsoon season.
- As per guidelines and EC conditions, the lease boundary must be clearly demarcated, in all 17 sites visited by the committee, such demarcations were not observed.
- No separate approach road was observed to be constructed by the PP or mining department other than the village roads.
- On-site evidence of illegal mining or mining could not be ascertained due to water logging.
- In the petition, it was mentioned that the lease agreement was issued to the PP in 06 mines prior to the issuance of CTO and EC. Committee while visiting enquired about the fact and it was informed by the Mining officer that a LoI (Letter of Intent) is generally issued to the party for starting operation during the arrangement of other legal documents. Afterwards the final lease agreement is signed with the PP. **(Copy of LoI in this matter is annexed as *Annexure -VIII*)**

2. Action Taken by various Departments on illegal sand mining in Betul District

- While visiting Daudi Malwar villagein Tehsil Ghoradongri, it was informed by the District Mining Department that 17 vehicles were apprehended by the villagers on 14.04.2023 carrying sand from the site but holding eTP of Khapariya site which is situated in other direction and on a different route.Based on the information received from the villages, the revenue department, Ghoradongri and Thana Chopna jointly investigated the matter and imposed a fine of amount of Rs 66,58,125.00 on the transporters for the said illegal transportation.An amount of Rs 66,58,125.00 has been recoveredfrom the vehicle owner through challan. **(Copy of challan is annexed as *Annexure -IX*).** Further, a show cause notice was also issued to M/s National

Energy Trading and Services Limited (NETS) vide letter No. 927 dated 25.05.2023. **(Show cause notice letter is annexed as *Annexure -X*)** and a reply was submitted by NETSvide letter dated 23.06.2023, which is currently under examination by the District Mining Department for deciding the further course of action. Based on the outcome of Mining Department's examination, Environment Compensation recovered under the mining provisions shall be exclusively utilized for the restoration of environment.

- As per the orders of the Collector Betul, investigations are done on the complaints received in the district from time to time. Total 74 such cases of illegal transportation of sand were investigated by various departments (Forest, Revenue, Police) within a period of 01.01.2023 to 30.04.2023 and an amount of 11753971/- (One Crore Seventeen Lakh fifty Three thousands nine Hundred Seventy one only) has been recovered as penalty. **(List of cases are annexed as *Annexure -XI*).**
- During the inspection,it was observed that huge amount of sand was stored near the mining area of Daudi Malwar where EC was not accorded. In this context, local mining officials informed that an illegal storage of 474.5 cubic meters of sand minerals was caught by the joint inspection team on 20.04.2023.The stock was being maintained by Mr. Devendra Singh Parte,son of Mr. Prem Singh Parte and Mr. Bahadur Singh Parte, son of Mr. Prem Singh Parte, at Khasra No. 37, 295/1 and 32 of village Malwar Tehsil Ghoradongri. Taking action against this illegal storage as per the rules, a fine of Rs 17,79,390/- has been proposed on the persons and the case is under progress before the court of Sub-Divisional Officer (Revenue) Shahpur. **(Copy of SDM letter is annexed as *Annexure -XII*).**

E. Compliance verification of the conditions as per Environmental Clearance (EC):-

The status of Compliance of Environment Clearance conditions based on the records furnished during the site visit and the on-field observations thereof is summarized below:

- As per the records furnished during the site visit, following observations were made:
  - The mines department under the District Administration sanctioned the 47 sand leases falling under Betul District through e-auction in favor of M/s. National Energy Trading Services Limited vide letter dated 23.12.2022.
  - In the year 2020, total 22 mines were leased out among all 47 declared mines according to DSR (2022) to M/s Hotel Uma Residency, Chanakyapuri, Satna. The total area of mines under lease was 74.365 Ha among the total declared mining area of 188.906 Ha.
  - The 22 sand mines were surrendered by M/s Hotel Uma Residency, Chadkyapuri, Satna to the Mineral Department on 30.06.2022 in the middle of valid lease period.
  - After this event, on 17.11.2022 again e-tender was invited by the Collector (Mining Branch), Betul for the auction of 47 sand mines. The sand mines were auctioned on 07.12.2022 and based on the outcome of the auction process, a contract agreement was signed by M/s National Energy Trading and Services Limited on 09.02.2023 for the period from 09.02.2023 to 30.06.2023 for 47 leases.

- Out of 47 mining leases, Environmental clearance was obtained for 12 mining leases by M/s. National Energy Trading Services Limited. Out of the said 12 ECs, it may be noted that 7 nos. of Environmental Clearance were initially granted to M/s. Hotel Uma Residency in 2021 but subsequently transferred to M/s. National Energy Trading Services Limited (NETS) in 2023. Besides, 5 nos. of fresh Environmental Clearances were also obtained by NETS from SEIAA in respect of 5 mining leases. All the Environmental clearances were valid upto 30.06.2023 and hence, have a validity period of just less than 6 months.**Copy of EC is annexed as *Annexure- XIII***
- According to the production data available with the mining department, actual mining was done in 12 mines only and hence, site visit was undertaken to the said 12 mines only.
- Based on the records made available by the District Mining Department and NETS, it was noted that cluster approach was adopted in respect of Banspur/ Shivsagar/ Gounapur&Shahpur/ Patouvapura mine leases and accordingly, EIA along with public hearing was undertaken during the grant of Environment Clearance.
- As per records furnished during the site visit, i.e., documents related to date of execution of supplementary lease agreement and date of offer of possession to the lessee, it was noted that mining operations in all the 12 leases (i.e., where ECs were granted) were started only after execution of lease agreement. The details of the date of issuance of EC, subsequent execution of lease agreement and date of offer of possession to the lessee including mine-wise production figures are tabulated below:

S.No.	Name of Mines & Address	Issue Date of EC	Date of execution of supplementary lease agreement	Date of offer of possession to the lessee	Remarks	Mineable Mineral Potential (m^3)	Permissible Limit as per EC & CTO (m^3)	Production Details (m^3) after the grant of EC 2022-23
1	Village-ChikhaliRaiyat,Tehsil-Shahpur,District-Betul (4.00 ha)	19-01-23	14-02-2023	16.02.2023	EC Transfer	10800	10800	10763.11
2	Village Nandu,Tehsil-Ghodadongari,District-Betul (2.90 ha)	19-01-23	14-02-2023	15.02.2023	EC Transfer	13500	13500	13465.93
3	Village Tanganamal,Tehsil-Shahpur,District-Betul (4.00 ha)	19-01-23	14-02-2023	16.02.2023	EC Transfer	25200	25200	25168.97
4	Village-	06-	21-04-2023	22.04.20	Fresh	15000	15000	14966.19

	Loniya,Tehsil-Ghodagogri Distt-Betul (1.115 ha)	04-23		23				
5	Village-Khapariya,Tehsil-Chicholi ,Distt-Betul (3.40 ha)	24-03-23	06-04-2023	08.04.2023	EC Transfer	19500	19500	19466.89
6	Village-Guwadi,Tehsil-Shahpur Distt-Betul (2.50 ha)	06-04-23	21-04-2023	22.04.2023	Fresh	42120	42120	42109.73
7	Village-Damanya, Tehsil-Shahpur, Distt-Betul (5.00 ha)	19-01-23	06-03-2023	08.03.2023	EC Transfer	22800	20000	19965.30
8	Village Ballor,Tehsil-Chicholi,District-Betul (3.00 ha)	19-01-23	14-02-2023	15.02.2023	EC Transfer	21000	21000	20963.68
9	Village-jholi,Tehsil-ghoradongri,District-Betul (2.450 ha)	24-03-23	06-04-2023	07.04.2023	EC Transfer	15600	15600	15568.89
10	Village-Ratamati,Tehsil-bhainsdehi,District-Betul (2.550 ha)	19-05-23	02-06-2023	03.06.2023	Fresh	21600	21,600	21568.81
11	Village-Patawopura/Shahpur, Tehsil-Shahpur,District-Betul (11 ha)	17-05-23	02-06-2023	12.06.2023	Fresh	118800	118800	118772.93
12	Village-Baspur/Shivsagar/gounapur, Tehsil-ghoradongri / shahpur, District-Betul (24.97 ha)	17-06-23	19-06-2023	23.06.2023	Fresh	163350	163350	45,257.80
							4,86,470	3,68,040.23

- As per records furnished during the site visit, the year-wise production details at the end of M/s. National Energy Trading Services Pvt. Ltd. are not exceeding the stipulated EC limits.

- During the site visit, following observations were made in respect of all the 12 ECs accorded to NETS:
    - **Based on the records made available by the District Mining Department and NETS, it was noted that cluster approach was adopted in respect of Banspur/ Shivsagar/ Gounapur& Shahpur/ Patouvapura mine leases and accordingly, EIA along with public hearing was undertaken during the grant of Environment Clearance.**
    - No sand mining is in progress and hence, compliance of all mining related conditions related with working depth, boundary demarcation, mineral transportation, water sprinkling, in-stream mining, valid transporting vehicle PUC /registration details, log books related to water consumption, health records, annual environmental audit, etc. could not be verified at site.
    - As per records furnished during the site visit, the year-wise production details at the end of M/s. National Energy Trading Services Pvt. Ltd. are not exceeding the stipulated EC limits.
    - No social upliftment activities were undertaken by NETS during the EC validity period and NETS cited limited time availability for the shortfall in the compliance.
    - EC Compliance reports were submitted to MoEFCC, Regional Office Bhopal vide e-mail dated 27.08.2023 after the initial site visit on 22.08.2023.
    - Perusal of the expenditure records furnished during the site visit on 01.09.2023 reveals that M/s. National Energy Trading Services Pvt. Ltd. has incurred an expenditure of Rs. 8,50,000/- towards social forestry in the Betul District on behalf of 12 ECs which were made operational. Photographic evidences related to plantation activity along the river bank and nearby school were furnished in this regard. Further, site visit was undertaken on 02.09.2023 to a primary school in Guwadi village where M/s. National Energy Trading Services Pvt. Ltd. has undertaken a plantation activity and it was seen that few plantations were undertaken by NETS. Site photographs enclosed for ready reference.

F. **Compliance Status of Consent Conditions as furnished by MPPCB in respect of all 12 CTOs**

- As per the records furnished during the site visit, the details of CTOs granted by MPPCB **(Copies of CTO is annexed as *Annexure-XIV*)**and their validity for each of the 12 leases for which EC was accorded by SEIAA are as shown below:

S.No.	Name of Mines & Address	Product & Capacity in Cu.M./Year	Date	Validity	Remark
1	Village-ChikhaliRaiyat,Tehsil-Shahpur,District-Betul	Mining of Sand-10800.00	30-01-23	30-06-23	All CTOs were issued in favour of National
2	Village Nandu,Tehsil-Ghodadongari,District-Betul	Mining of Sand-13500.00	27-01-23	30-06-23	

3	Village Tanganamal,Tehsil-Shahpur,District-Betul	Mining of Sand-25200.00	27-01-23	30-06-23	Energy Trading And Services Limited
4	Village-Loniya,Tehsil-Ghodagogri Distt-Betul	Mining of Sand-15000.00	20-04-23	30-06-23	
5	Village-Khapariya,Tehsil-Chicholi ,Distt-Betul	Mining of Sand-19500.00	05-04-23	30-06-23	
6	Village-Guwadi,Tehsil-Shahpur Distt-Betul	Mining of Sand-42120.00	20-04-23	30-06-23	
7	Village-Damanya, Tehsil Shahpur, Distt-Betul	Mining of Sand-20000.00	21-02-23	30-06-23	
8	Village Ballor,Tehsil-Chicholi,District-Betul	Mining of Sand-21000.00	27-01-23	30-06-23	
9	Village-jholi,Tehsil-ghoradongri,District-Betul	Mining of Sand-15600.00	05-04-23	30-06-23	
10	Village-Ratamati,Tehsil-bhainsdehi,District-Betul	Mining of Sand-21600.00	01-06-23	30-06-23	
11	Village-Patawopura/Shahpur, Tehsil-Shahpur,District-Betul	Mining of Sand-118800.00	12-06-23	30-06-23	
12	Village-Baspur/Shivsagar/gounapur, Tehsil-ghoradongri / shahpur, District-Betul	Mining of Sand-163350.00	21-06-23	30-06-23	

- During the site visit, following status of compliance / observations were made in respect of all the 12 CTOs accorded to NETS:
    - No sand mining is in progress and hence, compliance of all mining related conditions related with working depth, boundary demarcation, mineral transportation, water sprinkling, in-stream mining, valid transporting vehicle PUC /registration details, fugitive emission control measures, sewage treatment facilities, etc. could not be verified at site.
    - As per records furnished during the site visit, the year-wise production details at the end of M/s. National Energy Trading Services Pvt. Ltd. are not exceeding the stipulated EC/CTO limits.
    - No trade effluent is generated during the mining activity and hence, no treated effluent monitoring was undertaken.
    - No hazardous waste generation details were furnished by the project proponent.
    - No STP and treated sewage quality details were furnished in the CTO compliance report.
    - Perusal of the air quality monitoring reports (submitted after the initial site visit on 27.08.2023) reveals that all the monitored parameters are well within the stipulated limits.
    - Perusal of the noise monitoring reports (submitted after site visit on 27.08.2023) reveals that noise levelsare well within the stipulated limits.
    - No environmental monitoring data is submitted to MPPCB by the NETS through XGN portal prior to the site visit. However, CTO Compliance reports were submitted to

MoEFCC, Regional Office Bhopal vide e-mail dated 27.08.2023 after the initial site visit on 22.08.2023.

- Perusal of the expenditure records furnished during the site visit on 01.09.2023 reveals that M/s. National Energy Trading Services Pvt. Ltd. has incurred an expenditure of Rs. 8,50,000/- towards social forestry in the Betul District on behalf of 12 ECs/CTOs which were made operational. Photographic evidences related to plantation activity along the river bank and nearby school were furnished in this regard. Further, site visit was undertaken on 02.09.2023 to a primary school in Guwadi village where M/s. National Energy Trading Services Pvt. Ltd. has undertaken a plantation activity and it was seen that few plantations were undertaken by NETS. Site photographs enclosed for ready reference.

G. Status of District Suvey Report and Replenishment study:

As per the records furnished by the District Mining Officer, it was noted that a District Survey report with the quantum of sand that is available for excavation was prepared in October, 2022 before the auction of sand mines. However, replenishment study in accordance with the following EC condition is yet to be undertaken by the District authorities.

District Authority should annually record the deposition of sand in the lease area (at an interval of 100 meters for leases 10 ha or > 10.00 ha and at an interval of 50 meters for leases < 10 ha.) before monsoon & in the last week of September and maintain the records in RL (Reduce Level) Measurement Book. Accordingly authority shall allow lease holder to excavate only the replenished quantity of sand in the subsequent year.

Therefore, District authorities shall ensure the maintenance of such records on a regular basis, particularly w.r.t. Replenishment Study.

H. Recommendations:-

1. No. of check posts may be enhanced at the junctions and at those places where possibility of illegal transportation is suspected so as to have proper check on the illegal mining.CCTV cameras should be installed at the check-posts.
2. Vehicles with GPS tracking facility shall be used for transportation of sand from mining lease to the nearest stock yard and the same shall be randomly monitored by the mining department, for which provision shall be made by the lease holder.
3. CCTV cameras shall be installed at the sand stock yards and footage recording of 2 months shall be maintained at any given point of time for verification by the regulatory authorities.
4. Warning boards intimating the penalty for illegal mining and transportation of sand should be placed by the Mining Department at the places of doubt.
5. CTO must include periodic monitoring of the river prior to mining, during mining and post mining to know the affect of mining on the water body.

6. Abandoned stream channels on the terrace and inactive floodplains be preferred rather than active channels and their deltas and flood plains.
7. Layers of sand and gravel which could be removed from the river bed shall depend on the width of the river and replenishment rate of the river.
8. Sand and gravel shall not be allowed to be extracted where erosion may occur, such as at the concave bank.
9. Sand and gravel mining shall not be extracted upto a distance of 1 km from major bridges and highways on both sides.
10. The distance between two nearby mines in a cluster must be more than 2.5 Kms.
11. While going through the mining plans, it was observed that the sand quarries are sanctioned including the river beds, while as per Sustainable Sand Mining Guidelines 2016, this is not recommended to sanction mines within the river bed particularly within the flowing river. Sand and gravel may be extracted across the entire active channel during the dry season. More clarity on this issue is required while issuing.
12. River bed sand mining shall be restricted within the central 3/4th width of the river/rivulet or 7.5 meters (inward) from river banks but up to 10% of the width of the river.
13. Mining depth should be restricted to 3 meters and distance from the bank should be ¼th or river width and should not be less than 7.5 meters.
14. Use of heavy vehicles and digging ametures strictly be prohibited in the river bed.
15. A buffer distance /un-mined block of 50 meters after every block of 1000 meters over which mining is undertaken
16. All precaution shall be taken to ensure that the water stream flows unhindered and process of Natural river meandering doesn't get affected due to mining activity.
17. River mining from outside shall not affect rivers, no mining shall be permitted in an area up to a width of 100 meters from the active edge of embankments or distance prescribed by the Irrigation department.
18. Based on the outcome of Mining Department's examination of show cause notice issued to NETS, the Environment Compensation recovered under the mining provisions shall be exclusively utilized for the restoration of environment.
19. District authorities shall strengthen the site inspections by the Revenue Department and Mining Department of State Government at regular intervals for the mines as well as the stock yards.
20. Periodic replenishment study must be undertaken by the District Authorities inprescribed manner following the time schedule.
21. The mining department should ensure the compliance of Sustainable Sand Mining Guidelines, 2016 and Enforcement and Monitoring guidelines for sand mining, 2020.

Chandra Mohan Thakur (IAS)
Member Secretary
M.P. Pollution Control Board, Bhopal

Dr. H. V. C. Chary Guntupalli
Scientist E
Regional Office, MoEF&CC, Bhopal

Dr. Poulami C. Patil
Scientist B
CPCB, Bhopal

Vinod Bagdey
Superintending Geologist,
Representative of Principal Secretary, Mineral Resources Department, Govt. of Madhya Pradesh

Smt. Sunayna Bramhe
Tehsildaar, Shahpur
as Representative of Collector, Betul

ANNEXURE-1

DISTRICT SURVEY REPORT FOR SAND

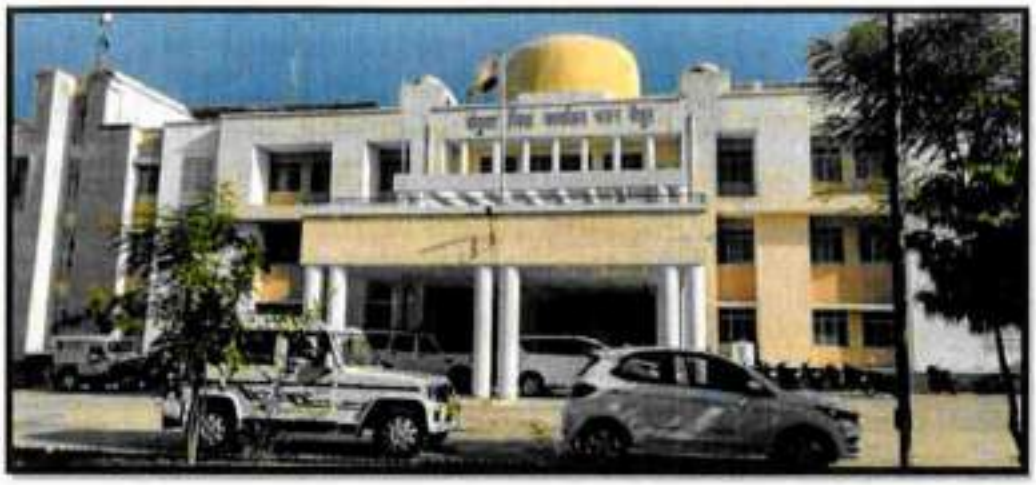

MINERAL RESOURCES DEPARTMENT

YEAR-2022

DISTRICT-BETUL

IN PURSUANCE TO THE GAZATTE NOTIFICATION, MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE (MOEF & CC), THE GOVERNMENT OF INDIA NOTIFICATION Dated, 25 July 2018

State Level Environment Impact Assessment Authority, M.P. (EPCO)
Paryavaran Parisar
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

fine sand

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), बैतूल

क्रमांक/खनिज/2022/ 1379 बैतूल, दिनांक 22/09/2022

प्रति,

सदस्य सचिव,
राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (सेक)
भोपाल (म.प्र.)

विषयः— **रेत खनिज की डी.एस.आर. संशोधित कर प्रस्तुत किये जाने के संबंध में।**

संदर्भः— **संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म म.प्र. भोपाल का पत्र क्र0/12824 दिनांक 21.09.2022**

--00--

उपरोक्त विषयांतर्गत सदर्भित पत्र के परिपालन में जिला बैतूल से संबंधित रेत खनिज की डी.एस.आर. में त्रुटि सुधार कर संशोधित डी.एस.आर. संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्नः— उपरोक्तानुसार।

22/9/2022

प्रभारी अधिकारी
(खनिज शाखा)
जिला—बैतूल

क्रमांक/खनिज/2022/ 1379 बैतूल, दिनांक 22/09/2022

प्रतिलिपि,

संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म म.प्र. भोपाल की ओर संदर्भित पत्र के परिप्रेक्ष्य में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

22/9/2022

प्रभारी अधिकारी
(खनिज शाखा)
जिला—बैतूल

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) बैतूल

जिला-बैतूल मध्यप्रदेश Email- modgmbet@mp.gov.in

क्रमांक/ख.लि.-2/2022/1368 बैतूल, दिनांक 19./09/2022

प्रति,

सदस्य-सचिव
राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC)
पर्यावरण परिसर ई-5, अरेरा कालोनी, भोपाल

विषयः- जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (डी.एस.आर.) प्रस्तुत करने के संबंध में।

संदर्भः- (1) संचालक(प्रशासन एवं खनिकर्म) मध्यप्रदेश भोपाल का पत्र क्रमांक 2981/खनिज/विविध/ न.क./2022 दिनांक 03.03.2022
(2) पत्र क्रमांक 4750/भौमिकी/न.क./2022/दिनांक 08.04.2022
(3) पत्र क्रमांक 5012/भौमिकी/न क./2022/दिनांक 13.04.2022
(4) पत्र क्रमांक 8192/भौमिकी/न.क./2022/दिनांक 16.06.2022

--00--

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रों के संबंध में जिला बैतूल हेतु जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (रेत खनिज एवं अन्य गौण खनिज) जिला स्तरीय गठित समिति द्वारा दिनांक 01.08.2022 से अनुमोदित की जाकर, उक्त अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (रेत खनिज एवं अन्य गौण खनिज) को पब्लिक डोमेन में आमजन के अवलोकन/ सुझाव हेतु जिले की एन.आई.सी. वेबसाईट पर दिनांक 03.08.2022 को अपलोड किया गया था. जिसके 21 दिवस की निर्धारित समयावधि पूर्ण होने तक जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के संबंध में कोई सुझाव/ आपत्ति/ अभिमत प्राप्त नहीं हुआ है।

अतः उपरोक्तानुसार समिति द्वारा जिला बैतूल हेतु अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (रेत खनिज एवं अन्य गौण खनिज) के संबंध में आगामी कार्यवाही करने का कष्ट करें।

कलेक्टर
जिला-बैतूल (म.प्र.)
बैतूल, दिनांक 19./09/2022

पृ0क्रमांक/ख.लि.-2/2022/1368
प्रतिलिपि:-

1- प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, खनिज साधन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2- संचालक, प्रशासन एवं खनिकर्म, म.प्र. 29-ए, खनिज भवन, अरेरा हिल्स भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3- सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (सिया) पर्यावरण परिसर, ई-5 अरेरा कालोनी, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

कलेक्टर
जिला-बैतूल (म.प्र.)

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), बैतूल

क्रमांक / खनिज / 2022 / 1381 बैतूल, दिनांक 22 / 09 / 2022

प्रति,

सदस्य सचिव,
राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (सेक)
भोपाल (म.प्र.)

विषयः– 595 वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ ऑकलन समिति की बैठक दिनांक 22.09.2022 में जिला बैतूल की सर्वेक्षण रिपोर्ट में चाही गई जानकारी के संबंध में।

––00––

उपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि 595 वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ ऑकलन समिति (सेक) की बैठक दिनांक 22.09.2022 में बैतूल जिले की रेत खदानों से विगत तीन वर्षो में खनिज की निकासी नहीं होने की जानकारी चाही गई है। रेत निकासी नहीं होने की बिन्दुवार जानकारी निम्नानुसार है:–

1– विगत वर्षों में कोविड–19 के संक्रमण के कारण उक्त खदानों से रेत खनिज की निकासी नहीं की जा सकी।

2– विगत वर्षों में खनिज की मांग कम होने के कारण उक्त खदानों से रेत खनिज की निकासी नहीं की जा सकी।

सूचनार्थ सादर संप्रेषित है।

22/09/2022
for प्रभारी अधिकारी
(खनिज शाखा)
जिला–बैतूल

क्रमांक / खनिज / 2022 / 1381 बैतूल, दिनांक 22 / 09 / 2022

प्रतिलिपि,

1. सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारिण प्राधिकरण भोपाल म.प्र. की ओर सादर सूचनार्थ।
2. संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, 29–ए, खनिज भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ।

for प्रभारी अधिकारी
(खनिज शाखा)
जिला–बैतूल

CONTENTS

SN	PARTICULARS	PAGE NO.
1.	Introduction	1
2.	Overview of Mining Activity in the District	6
3.	The List of Mining Leases in the District with location, area and period of validity	7
4.	Details of Royalty or Revenue Received in Last Three Years	14
5.	Detail of Production of Sand in last Three Years	15
6.	Process of Deposition of Sediments in the rivers of the district	17
7.	General Profile of the District	25
8.	Land Utilization Pattern in the district: Forest, Agriculture, Horticulture, Mining	29
9.	Physiography of the District	30
10.	Rainfall	33
11.	Geology and Mineral Wealth	34
13.	Conclusion	51
	Reference	52

State Level Environment Impact Assessment Authority, M.P (EPCO)
Paryavaran Parisar
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

CHAPTER - 1

1. Introduction:

In pursuance to the Gazette Nutification, Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MoII & CC), the **Government of India Notification No.S.O. 141 (E) Appendix X. Dated 15.01.2016 & S.O. 3611 (E) New Delhi, 25th July 2018** laid procedure for preparation of District Survey Report of sand mining or river bed mining. The main purpose of preparation of District Survey Report (DSR) is to identify the Sand resources and developing the sand mining actlvitles along with other relevant data of the district.

- The process of making a DSR includes:
- Collection of baseline data from the department
- Understanding River flows and sedlmentation vis-à-vis sand mining
- Tabulation and mapping of existing sand mining locations and yield
- Correlation with satellite data for pre and post monsoon sand yield
- Suggesting new locations for sand mining approvals
- Design and Development of DSR as per MOEF guidelines
- Interaction with line department for data / document ownership

1.1 Guidelines to Monitor Sand Mining

For the first time, the Ministry of Environment, Forests and Climate Change (MoEFCC) has noleused guidelines to monitor and check illegal sand mining in the country.

- Suminable Sand Management Guidelines (SSMG), 2016 focuses on the management of sand mining, but there was a need to have guidelines for effective enforcement of regulatory provisions and their monitoring

- The 2020 guidelines are to be enforced simultaneously with the SSMG, 2016, in case of conflict, the new set will hold legal precedence. The Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 has empowered state governments to mike rules to prevent illegal mining, transportation and storage of minerals.

- However, there were a large number of illegal mining cases in the country and

State Level Environment Impact
Assessment Authority, M.P.
(EPCO)
Paryavaran Parisar
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

in some cases, many of the officers lost their lives while executing their duties to curb illegal mining

•Illegal and uncontrolled illegal mining also leads to loss of revenue to the State and degradation of the environment.

1.2 Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020

The fair and rapid advancement of technology in country has enabled surveillance and remote monitoring in the field of mining for the effective monitoring of the mining activities, particularly, sand mining. States are now utilizing remote sensing to prevent illegal mining. Rules have been made to prevent illegal mining, transportation and storage of minerals but in the recent past, it has been observed that there was large number of illegal mining cases in the country and in some cases, many of the officers lost their lives while executing their duties for curbing illegal mining incidence. The illegal and uncontrolled illegal mining leads to loss of revenue to the State and degradation of the environment. Thus, an effective policy for monitoring of sand mining in the Country has been enforced focusing on the effective monitoring of the sand mining since from the identification of sand mineral sources to its dispatch and end-use by consumers and the general public.

•Source to Destination Monitoring: The new set of guidelines focuses on the effective monitoring of sand mining from the identification of sand mineral sources to its dispatch and end-use by consumers and the general public and look at a uniform protocol for the whole country.

•Constantly monitor mining with drones and night surveillance of mining activity through night-vision drones

•Audits States to carry out river audits and put detailed survey reports of all miningareas in the public domain.

•Transparency: Online sales and purchase of sand and other riverbed materials (RBM) for transparency in the process.

•Enforcement: It gives directions to states to set up dedicated task forces at district levels.

•In cases where rivers become district boundaries or state boundaries, the distr cts or states sharing the boundary shall constitute the combined task force for monitoring of mined materials, mining activity and participate in the

State Level Environment Impact
Assessment Authority, M.P.
(EPCO)
Paryavaran Parisar
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

preparation of District Survey Reports |DSR| by providing appropriate inputs

•Sustainability: Conduct replenishment study for river bed sand in order to nullify the adverse impacts arising due to excessive and extraction

•While the Sustainable Sand Mining Guidelines, 2016, require the preparation of District Survey Reports (DSR), which is an important initial step before grant of mining lease, the government has found that the DSRs carried out by state and district administrations are often not comprehensive enough, allowing space for illegal mining

1.3 District Details & Sarrounding District

District Betul is one of the districts in Madhya Pradesh which is lying on the southern part of the states, almost wholly on the Satpura Plateau.The district extends between 21° 22' and 22° 24' North latitude and 77° 04' and 78° 33' East Longitude and forms a compact shape, almost a squarewith slight projections on the east and west. The district constitutes 10 blocks spread across 5 Tehslls. The greatest length of the district is about 161 kms from east to west and 106 km from north to south. The total areaof the district is 10,078.1 sq.km having a population of 13, 95,175. The average rainfall of the district is 1085mm.

The District is bounded on the north by Hoshangabad district, on the south by Amravatl district of Maharashtra, on the east by Chhindwara district and on the west by the districts of Harda, East Nimarand Amravati. The southern boundary of the district runs almost along the southern foothills of Melaghat range, but excludes Hattighat and Chikaldara hills in Amravati district. The western boundary is marked for some distance by the Ganjal River (southern), a tributary of Tapti, and then with the watershed line between the Morand and Ganjal (northern), the tributaries of the Narmada, the Northern boundary is marked by the course of the Morand River, and by the Tawa River beyond Dhdra mohar Railway station. TheEastern Boundary runs through small streams and hills among which some significant ones are Khurpura and Rotia Nalas.

Betul is apparently a tribal district, where 39.43% of the total population is Gond and Korku tribles. The major languages in the districtare Hindi, Gondl, Korku, and Marathi language is spoken widely In southern part of the district. Among the castes Gonds, Korkus, Kurmis, Kumbls, Bhoyars, Meharas, Chamars,

State Level Environment Impact
Assessment Authority, M.P.
(EPCO)
Paryavaran Parisar
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

Banias, Rajputs are the major ones. Betul iswell connected by road & rail network. It is located on the Delhi – Chennai broad-gauge railway line & National Highway No. 69 also passes throughthis district. The nearest airports are in Nagpur & Bhopal. Main rivers are Tapti, Poorna, Wardha, Machna, Sapna and Tawa.

Pathankheda in Ghoradongri block is famous for its coalfields and finds use at the Satpura thermal power station, Sarni for electricity production. Around 22 villages of Shahpura Block and 32 villages of Ghoradongri block come within the Panchmarhi Biosphere Reserve area. The said area is famous for its rare species of flora and fauna. Northern and western parts comprising of Bhimpur, Ghoradongri, Shahpur and some parts of AthnerBlocks of the district, are the prime source of valuable forest produce. Bhainsdehi and part of Betul block are also rich likewise. Main produce are teak-wood, bamboo and other minor forest produce along with herbs ofimportant medicinal values, as the district is widely spread on the Satpura Mountain plateau. It is covered with the enchanting greenery of forest. Lofty mountains of Satpura Range enhance its charm further.

The district is divided into 8 Tehsils and ten blocks the district is predominantly a rural district there are 1343 villages. The total population of the district of as per 2001 census. The details of administrative units are given in table- 1.

State Level Environment Impact
Assessment Authority, M.P.
(EPCO)
Paryavaran Parisar
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

1.4 Location of the District

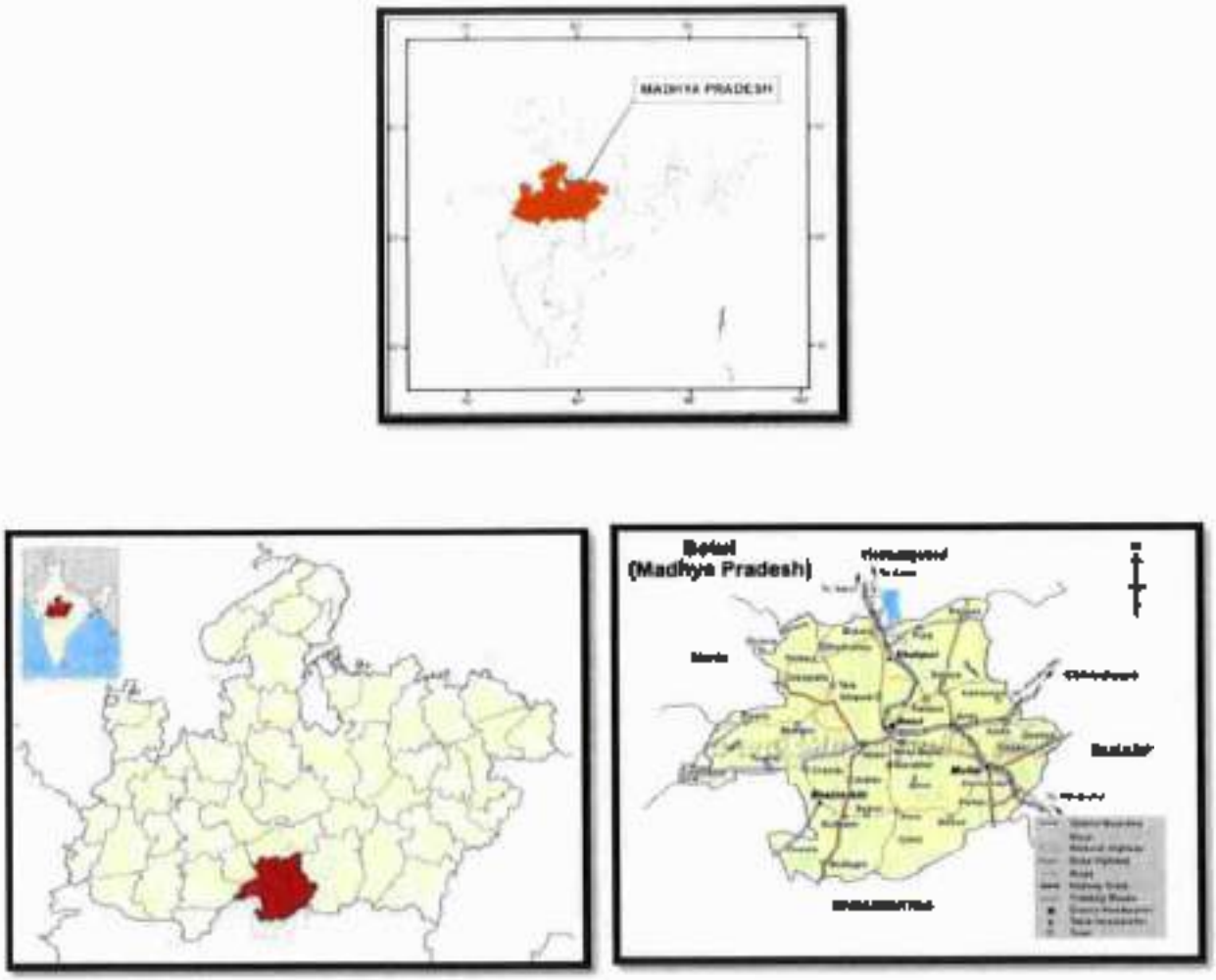

Figure-1 Location Map of the District

State Level Environment Impact Assessment Authority, M.P. (SEIAA) Paryavaran Parisar E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

Administrative Divisions, District Betul M.P. (Census-2011)

DISTRICT	SUB DIVISION	TEHSIL
BETUL	Betul	Betul
	Multai	Multai
	Bhensdehi	Amla
	Shahpur	Bhainsdehi
		Athner
		Shahpur
		Ghoradongri
		Chicholi
		Bhimpur
		Prabhat Pattan

BETUL DISTRICT CENCUS UPTO 2011	
PERTICULARS	2011
ACTUALPOPULATION	1575247
MALE	799721
FEMALE	775526
POPULATION INCREASE	12.91%
POPULATION RATIO OF MP	2.17%
SEX RATIO (IN 1000)	970

CHAPTER - 2

Overview of Mining Activity in the District:

Betul district holds a district place in the state with respect to strategic geographical position in the state and the availability of mineral resources. The presence of stone crusher plants are also installed.

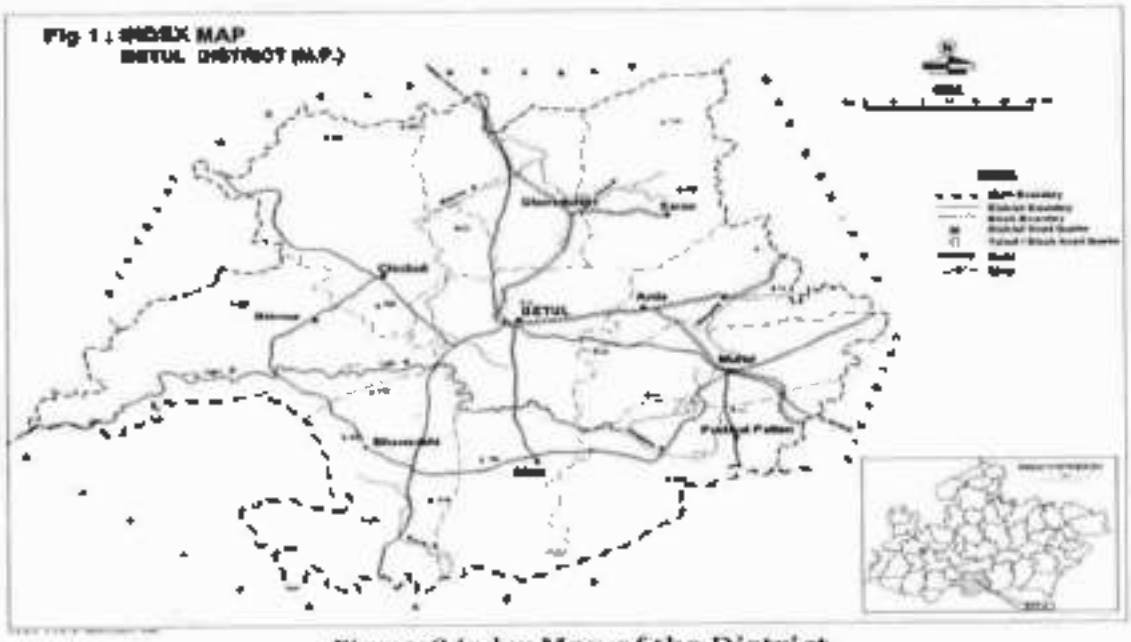

Figure-2 Index Map of the District

State Level Environment Impact Assessment Authority, M.P. (SEIAA)
Paryavaran Parisar
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

CHAPTER -3

The List of Sanctioned Auction Quarry for Sand

	ठेकेदार का नाम	स्वीकृत खसरा	रकबा (हेक्टेयर)	ग्राम	तहसील	पट्टे की अवधि	COORDINATES				कार्यशील / अकार्यशील
1	वसिका कंस्ट्रक्शन कंपनी	179	1.115	लोनिया	घोड़ाडोंगरी	30/06/2023	A	B	C	D	अकार्यशील
							22°07'8.5"N	22°07'8.6"N	22°06'59.3"N	22°06'59.2"N	
							78°14'34.5"E	78°14'35.6"E	78°14'35.6"E	78°14'34.0"E	
2	वसिका कंस्ट्रक्शन कंपनी	407	2.500	फुलबोरिया	घोड़ाडोंगरी	30/06/2023	A	B	C	D	अकार्यशील
							22°10'33.39"N	22°10'27.85"N	22°10'28.57"N	22°10'34.42"N	
							78°05'54.46"E	78°05'51.48"E	78°05'52.52"E	78°05'54.05"E	
3	वसिका कंस्ट्रक्शन कंपनी	1	0.950	झाडकुण्ड	घोड़ाडोंगरी	30/06/2023	A	B	C	D	अकार्यशील
							22°1'55.68"N	22°1'56.11"N	22°2'02.84"N	22°2'02.60"N	
							77°46'13.27"E	77°46'13.76"E	77°46'10.96"E	77°46'09.95"E	
4	वसिका कंस्ट्रक्शन कंपनी	91	2.900	नादू	घोड़ाडोंगरी	30/06/2023	A	B	C	D	अकार्यशील
							22°1'48.90"N	22°1'48.38"N	22°2'12.76"N	22°2'13.14"N	
							77°58'13.65"E	77°58'14.19"E	77°59'21.63"E	77°59'21.16"E	
5	वसिका कंस्ट्रक्शन कंपनी	35	2.700	बकुड	घोड़ाडोंगरी	30/06/2023	A	B	C	D	अकार्यशील
							22°5'28.74"N	22°3'56.86"N	22°3'57.46"N	22°4'01.24"N	
							78°05'14.02"E	78°05'03.83"E	78°07'47.53"E	78°07'38.51"E	
6	वसिका कंस्ट्रक्शन कंपनी	1	0.7	फुम्हरिया	बैतूल	30/06/2023	A	B	C	D	अकार्यशील
							21°57'15.3"N	21°57'15.6"N	21°57'23.8"N	21°57'23.5"N	
							77°45'04.5"E	77°45'04.4"E	77°45'13.5"E	77°45'23.9"E	
7	वसिका कंस्ट्रक्शन कंपनी	1	2.55	रातामाटी	भैंसदेही	30/06/2023	A	B	C	D	अकार्यशील
							21°46'59.54"N	21°46'59.50"N	21°48'52.52"N	21°48'52.21"N	
							77°43'36.38"E	77°43'35.92"E	77°43'14.05"E	77°43'14.32"E	
8	वसिका कंस्ट्रक्शन कंपनी	1	0.7	सितलडिहरी	शाहपुर	30/06/2023	A	B	C	D	अकार्यशील
							22°0'25.14"N	22°0'25.04"N	22°4'33.00"N	22°4'33.90"N	
							77°45'50.36"E	77°45'51.96"E	77°45'52.17"E	77°45'48.08"E	

State Level Environment Impact
Assessment Authority, M.P.
(SEIAA)
Paryavaran Parisar
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

33

क्र.	ठेकेदार का नाम	स्वीकृत खसरा	रकबा (हेक्टेयर)	ग्राम	तहसील	पट्टे की अवधि	COORDINATES				कार्यशील / अकार्यशील
9	वंसिका कंस्ट्रक्शन कंपनी	18	3.000	खपरिया	पिचोरी	30/06/2023	A	B	C	D	अकार्यशील
							22°13'43.77"N	22°13'37.07"N	22°13'35.84"N	22°13'35.84"N	
							77°59'15.44"E	77°59'37.35"E	77°59'29.06"E	77°59'15.72"E	
10	वंसिका कंस्ट्रक्शन कंपनी	99	5.000	झोली–1	घोड़ाडोंगरी	30/06/2023	A	B	C	D	अकार्यशील
							22°14'06.10"N	22°14'53.61"N	22°14'47.31"N	22°14'06.69"N	
							78°4'07.80"E	78°4'23.55"E	78°4'12.52"E	78°4'7.86"E	
11	वंसिका कंस्ट्रक्शन कंपनी	1	2.000	विष्णुपुर	घोड़ाडोंगरी	30/06/2023	A	B	C	D	अकार्यशील
							22°16'1.51"N	22°16'0.12"N	22°15'46.53"N	22°15'46.74"N	
							77°58'47.90"E	77°58'48.05"E	77°58'27.43"E	77°58'25.11"E	
12	वंसिका कंस्ट्रक्शन कंपनी	162	3.000	डल्लोर	चिचोली	30/06/2023	A	B	C	D	अकार्यशील
							22°13'31.16"N	22°13'31.47"N	22°13'31.60"N	22°13'31.97"N	
							77°37'49.09"E	77°37'48.08"E	77°37'50.18"E	77°37'51.72"E	
13	वंसिका कंस्ट्रक्शन कंपनी	209	4.000	टोंगरामाल	शाहपुर	30/06/2023	A	B	C	D	अकार्यशील
							22°10'54.56"N	22°10'59.96"N	22°10'57.66"N	22°10'46.11"N	
							77°39'12.82"E	77°39'12.71"E	77°39'15.68"E	77°39'22.69"E	
14	वंसिका कंस्ट्रक्शन कंपनी	69	0.340	कचलोरा–3	घोड़ाडोंगरी	30/06/2023	A	B	C	D	अकार्यशील
							22°10'36.55"N	22°10'35.69"N	22°10'36.54"N	22°10'37.25"N	
							78°6'56.58"E	78°6'56.66"E	78°6'5.13"E	78°6'5.26"E	
15	वंसिका कंस्ट्रक्शन कंपनी	30	8.000	चिचडोल रैयत	घोड़ाडोंगरी	30/06/2023	A	B	C	D	अकार्यशील
							22°15'59.50"N	22°15'58.16"N	22°15'52.52"N	22°15'47.05"N	
							77°58'32.47"E	77°58'31.96"E	77°58'15.19"E	77°58'24.66"E	
16	वंसिका कंस्ट्रक्शन कंपनी	1	5.000	धामन्या	शाहपुर	30/06/2023	A	B	C	D	अकार्यशील
							22°11'0.39"N	22°11'6.78"N	22°10'56.70"N	22°10'52.97"N	
							77°37'51.96"E	77°37'54.18"E	77°38'10.26"E	77°38'13.21"E	
17	वंसिका कंस्ट्रक्शन कंपनी	178	0.620	आमढाना रैयत–3	घोड़ाडोंगरी	30/06/2023	A	B	C	D	अकार्यशील
							22°10'42.29"N	22°10'42.07"N	22°10'37.76"N	22°10'39.34"N	
							78°7'23.33"E	78°7'24.56"E	78°7'16.00"E	78°7'15.69"E	

Environment Impact
Assessment Authority, M.P.
(SEIAA)
Paryavaran Parisar
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

34

क्र.	ठेकेदार का नाम	स्वीकृत खसरा	रकबा (हेक्टेयर)	ग्राम	तहसील	पट्टे की अवधि	COORDINATES				लार्यशील / अकार्यशील
18	वसिक कंस्ट्रक्शन कंपनी	316	4.000	पिपलरी रैयत	शाहपुर	30/06/2023	A	B	C	D	अकार्यशील
							22°7'31.57"N	22°7'31.42"N	22°6'51.21"N	22°6'51.18"N	
							77°39'54.79"E	77°39'55.84"E	77°39'51.70"E	77°39'50.11"E	
19	वसिका कंस्ट्रक्शन कंपनी	19	2.5	गुवाडी	शाहपुर	30/06/2023	A	B	C	D	अकार्यशील
							22°17'12.22"N	22°17'10.03"N	22°17'9.66"N	22°17'9.29"N	
							77°52'59.47"E	77°53'2.80"E	77°52'59.25"E	77°52'53.98"E	
20	वसिक कंस्ट्रक्शन कंपनी	1, 38	14.05	पौंड़ा / मालवर	घोड़ाडोंगरी / शाहपुर	30/06/2023	A	B	C	D	अकार्यशील
							22°15'4.35"N	22°15'6.93"N	22°14'37.52"N	22°14'36.82"N	
							77°57'34.08"E	77°57'38.58"E	77°57'57.08"E	77°57'52.62"E	
21	वसिक कंस्ट्रक्शन कंपनी	248,14 1 130	6.090	आमडोना रैयत	घोड़ाडोंगरी	30/06/2023	A	B	C	D	अकार्यशील
							22°11'11.21"N	22°11'11.06"N	22°11'16.57"N	22°11'13.40"N	
							78°1'19.65"E	78°2'49.09"E	78°0'48.47"E	78°1'20.15"E	
22	वसिक कंस्ट्रक्शन कंपनी	373, 1395	7.000	घोड़ाडोंगरी	घोड़ाडोंगरी	30/06/2023	A	B	C	D	अकार्यशील
							22°7'55.72"N	22°7'44.48"N	22°7'34.80"N	22°6'50.89"N	
							78°04'45.00"E	78°00'39.62"E	78°00'39.92"E	78°1'11.63"E	
23	वसिक कंस्ट्रक्शन कंपनी	2	0.550	गांधीग्राम	घोड़ाडोंगरी	30/06/2023	A	B	C	D	अकार्यशील
							22°11'0.75"N	22°11'2.80"N	22°11'8.01"N	22°11'7.56"N	
							78°10'2.67"E	78°10'2.90"E	78°10'12.64"E	78°10'12.22"E	
24	वसिक कंस्ट्रक्शन कंपनी	219. 341	7.730	चिखली आम्डोना	घोड़ाडोंगरी	30/06/2023	A	B	C	D	अकार्यशील
							22°1'31"N	22°1'32"N	22°00'59"N	22°00'59"N	
							77°59'43"E	77°59'42"E	77°59'15"E	77°59'13"E	
25	वसिक कंस्ट्रक्शन कंपनी	63	0.360	बरेलीपार / घोड़ाडोंगरी	घोड़ाडोंगरी	30/06/2023	A	B	C	D	अकार्यशील
							22°10'34.75"N	22°10'33.06"N	22°10'34.76"N	22°10'46.58"N	
							78°07'14.90"E	78°07'14.92"E	78°06'18.61"E	78°06'36.17"E	
26	वसिक कंस्ट्रक्शन कंपनी	67	0.100	जमलोरा-1	घोड़ाडोंगरी	30/06/2023	A	B	C	D	अकार्यशील
							22°10'34.46"N	22°10'33.91"N	22°10'26.72"N	22°10'26.35"N	
							78°08'48.93"E	78°08'49.63"E	78°08'49.06"E	78°08'48.13"E	

State Level Environment Impact Assessment Authority M.P.
Bhopal (M.P.)

35

क्र.	ठेकेदार का नाम	स्वीकृत खसरा	रकबा (हेक्टेयर)	ग्राम	तहसील	पट्टे की अवधि	COORDINATES				कार्यशील / अकार्यशील
27	वंसिका कंस्ट्रक्शन कंपनी	98	0.170	लखलोरा–2	घोड़ाडोंगरी	30/06/2023	A	B	C	D	अकार्यशील
							22°10'38.77"N	22°10'39.22"N	22°10'45.84"N	22°10'44.94"N	
							78°09'38.84"E	78°09'39.78"E	78°09'42.65"E	78°09'43.13"E	
28	वंसिका कंस्ट्रक्शन कंपनी	79	0.350	आमढाना रैयत–1	घोड़ाडोंगरी	30/06/2023	A	B	C	D	अकार्यशील
							22°12'0.82"N	22°12'0.88"N	22°11'55.36"N	22°11'55.05"N	
							78°07'30.29"E	78°07'29.62"E	78°07'32.14"E	78°07'32.99"E	
29	वंसिका कंस्ट्रक्शन कंपनी	175	0.340	आमढाना रैयत–2	घोड़ाडोंगरी	30/06/2023	A	B	C	D	अकार्यशील
							22°11'3.9"N	22°11'3.0"N	22°10'54.39"N	22°10'54.97"N	
							78°07'18.15"E	78°07'18.82"E	78°07'19.81"E	78°07'20.62"E	
30	वंसिका कंस्ट्रक्शन कंपनी	10	4.000	झोली–2	घोड़ाडोंगरी	30/06/2023	A	B	C	D	अकार्यशील
							22°14'46.10"N	22°14'46.60"N	22°14'49.47"N	22°14'53.61"N	
							78°04'7.90"E	78°04'13.09"E	78°04'18.93"E	78°04'23.55"E	
31	वंसिका कंस्ट्रक्शन कंपनी	187, 251	8.000	खातलदेही	घोड़ाडोंगरी	30/06/2023	A	B	C	D	अकार्यशील
							22°17'2.13"N	22°17'4.84"N	22°17'2.92"N	22°17'0.97"N	
							77°57'35.76"E	77°57'36.67"E	77°57'44.07"E	77°57'44.19"E	
32	वंसिका कंस्ट्रक्शन कंपनी	309	6.000	धरनपुर	घोड़ाडोंगरी	30/06/2023	A	B	C	D	अकार्यशील
							22°15'47.50"N	22°15'48.06"N	22°15'38.21"N	22°15'38.00"N	
							78°01'46.64"E	78°01'46.73"E	78°02'12.35"E	78°02'12.06"E	
33	वंसिका कंस्ट्रक्शन कंपनी	112, 349	1.000	बटकीढोह	घोड़ाडोंगरी	30/06/2023	A	B	C	D	अकार्यशील
							22°16'10.69"N	22°16'9.66"N	22°16'5.93"N	22°16'04.52"N	
							78°0'44.80"E	78°00'43.93"E	78°00'59.06"E	78°0'58.09"E	

State Level Environment Impact Assessment Authority, M.P. (SEIAA) Paryavaran Parisar E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

36

क्र.	ठेकेदार का नाम	स्वीकृत खसरा	रकबा (हेक्टेयर)	ग्राम	तहसील	पट्टे की अवधि	COORDINATES				कार्यशील / अकार्यशील
34	वंसिका कंस्ट्रक्शन कंपनी	148	0.621	बटगी	घोड़ाडोंगरी	30/06/2023	A	B	C	D	अकार्यशील
							22°13'42.15"N	22°13'05.97"N	22°10'48.88"N	22°10'08.01"N	
							78°04'01.77"E	78°04'3.85"E	78°04'2.38"E	78°4'01.61"E	
35	वंसिका कंस्ट्रक्शन कंपनी	68, 260	6.25	डहरगाय / भयाथाड़ी	बैतूल	30/06/2023	A	B	C	D	अकार्यशील
							21°52'44.54"N	21°52'47.08"N	21°52'46.24"N	21°52'41.28"N	
							77°48'02.65"E	77°48'11.87"E	77°48'38.25"E	77°48'41.41"E	
36	वंसिका कंस्ट्रक्शन कंपनी	106	5.45	कोदारोटी	बैतूल	30/06/2023	A	B	C	D	अकार्यशील
							21°55'10.09"N	21°55'53.16"N	21°55'45.98"N	21°55'27.09"N	
							77°45'42.50"E	77°45'33.66"E	77°45'34.03"E	77°45'35.15"E	
37	वंसिका कंस्ट्रक्शन कंपनी	97	0.8	भीलावाड़ी	बैतूल	30/06/2023	A	B			अकार्यशील
							21°54'34.15"N	21°54'25.82"N			
							78°00'05.14"E	78°0'05.83"E			
38	वंसिका कंस्ट्रक्शन कंपनी	78	0.86	माथनी	बैतूल	30/06/2023	A	B			अकार्यशील
							21°58'3.64"N	21°57'52.32"N			
							77°46'14.32"E	77°46'08.40"E			
39	वंसिका कंस्ट्रक्शन कंपनी	1	9.33	खोन्तलाई	आमला	30/06/2023	A	B	C	D	अकार्यशील
							21°55'47.09"N	21°55'49.06"N	21°56'15.05"N	21°56'16.65"N	
							78°14'27.00"E	78°14'24.87"E	78°15'03.96"E	78°15'01.23"E	
40	वंसिका कंस्ट्रक्शन कंपनी	434, 308	5.52	बारडी	आमला	30/06/2023	A	B	C	D	अकार्यशील
							21°56'21.4"N	21°56'13.7"N	21°56'14.5"N	21°56'36.8"N	
							78°17'52.02"E	78°17'0.53"E	78°18'28.8"E	78°18'28.4"E	

State Level Environment Impact Assessment Authority, M.P.

Partial
E-5, Arera

37

क्र.	ठेकेदार का नाम	स्वीकृत खसरा	रकबा (हेक्टेयर)	ग्राम	तहसील	पट्टे की अवधि	COORDINATES				कार्यशील / अकार्यशील
41	वंसिका कंस्ट्रक्शन कंपनी	217	0.7	जम्बाडा (बुजुर्ग)	आष्टा	30/06/2023	A	B	C	D	अकार्यशील
							21°56'26.73"N	21°56'26.58"N	21°56'30.46"N	21°56'30.47"N	
							78°13'17.72"E	78°13'17.51"E	78°13'11.59"E	78°13'11.59"E	
42	वंसिका कंस्ट्रक्शन कंपनी	1, 1, 288, 266	24.97	कोसपुर / शिवसागर / गौनापुर	घोड़ाडोंगरी / शाहपुर	30/06/2023	A	B	C	D	अकार्यशील
							22°10'19.50"N	22°10'19.62"N	22°09'48.29"N	22°09'44.04"N	
							77°58'48.38"E	77°58'57.61"E	77°59'36.64"E	77°59'35.05"E	
43	वंसिका कंस्ट्रक्शन कंपनी	1, 112	11	शाहपुर / पतीवापुरा	शाहपुर	30/06/2023	A	B	C	D	अकार्यशील
							22°11'24.20"N	22°11'24.68"N	22°11'41.22"N	22°11'48.43"N	
							77°53'32.07"E	77°53'40.2"E	77°54'0.09"E	77°53'58.76"E	
44	वंसिका कंस्ट्रक्शन कंपनी	20	5.08	सांगवानी	चिचोली	30/06/2023	A	B	C	D	अकार्यशील
							22°11'47.05"N	22°11'38.68"N	22°11'31.73"N	22°11'47.30"N	
							77°37'54.01"E	77°37'54.47"E	77°37'59.95"E	77°37'50.59"E	
45	वंसिका कंस्ट्रक्शन कंपनी	1, 9	5.59	हरन्या	चिचोली	30/06/2023	A	B	C	D	अकार्यशील
							22°5'20.02"N	22°5'19.68"N	22°6'03.20"N	22°6'2.62"N	
							77°39'06.19"E	77°39'06.85"E	77°39'44.03"E	77°39'42.76"E	
46	वंसिका कंस्ट्रक्शन कंपनी	119,114	5.000	तेन्दूखेड़ा	शाहपुर	30/06/2023	A	B	C	D	अकार्यशील
							22°7'45.71"N	22°7'45.16"N	22°7'28.08"N	22°7'34.24"N	
							77°40'47.01"E	77°40'47.76"E	77°40'33.46"E	77°40'18.48"E	
47	वंसिका कंस्ट्रक्शन कंपनी	142	0.420	मिलनपाट	घोड़ाडोंगरी	30/06/2023	NA				अघोषित

State Level Environment Impact
Assessment Authority, M.P.
(EPCO)
Paryavaran Parisar
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

38

CHAPTER -4

Details of Royalty or Revenue received in last three years:

For Sand

S.No	Mineral	Royalty or Revenue Received (INR)		
		2019-20	2020-21	2021-22
1	Sand	67510620/-	38779382/-	563735378/-

State Level Environment Impact Assessment Authority, M.P.

CHAPTER -5

Details of Production of Sand in last three years:

Production of Sand

FINANCIAL YEAR	Production of Sand or Bajari In Cum
2019-20	294495.01
2020-21	795564.38
2021-22	792640

State Level Environment Impact Assessment Authority, M.P.

Last three year production of Sand Mines inBetul District

क्र.	नदी का नाम	तहसील	खदान का नाम	खसरा क्र	रकबा (हे.)	Last Three Years Sand Excavation details		
						2019-20	2020-21	2021-22
1	माचना नदी	बैतूल	कुम्हारिया (कुजुर्ग)	1	0.700	0	10800	10800
2	माचना नदी	शाहपुर	शितलझिरी	1	0.007	0	5625	0
3	तवा नदी	घोड़ाडोंगरी	फुलबेरिया	407	7.500	0	12750	12750
4	माचना नदी	घोड़ाडोंगरी	झाड़कुए	1	0.950	0	7200	7200
5	बाकुड़ नदी	घोड़ाडोंगरी	बाकुड़	35	2.700	0	21875	21875
6	नान्दु नदी	घोड़ाडोंगरी	नान्दु	91	2.900	0	30460	30460
7	भड़गा नदी	घोड़ाडोंगरी	चिचडोल रैयत	30	4.800	0	18380	18380
8	मोरंड नदी	शाहपुर	धमन्या	1	5.000	0	20000	20000
9	कचलोरा नदी	घोड़ाडोंगरी	कचलोरा-3	69	0.620	0	9500	9500
10	लछिया नदी	घोड़ाडोंगरी	आमटाना रैयत 3	176	0.340	0	6120	6120
11	तवा नदी	घोड़ाडोंगरी	लोनिया	379	1.115	0	25000	25000
12	ताप्ती नदी	भैंसदेही	खतामादी	1	2.550	0	36000	36000
13	भड़गा नदी	घोड़ाडोंगरी	विष्णुपुर	1	3.000	0	37180	37180
14	भड़गा नदी	घोड़ाडोंगरी	झोरी-1	99	2.450	0	36750	36750
15	मोरड नदी	शिवोली	बल्लोर	162	3.000	0	54000	54000
16	मोरंड नदी	शिवोली	खपरिया	16	3.0	0	37062	37062
17	मोरंड नदी	शाहपुर	टॉगनामल	209	4.000	0	72000	72000
18	मोरंड नदी	शाहपुर	चिकली रैयत	516	4.000	0	21000	21000
19	तवा नदी	घोड़ाडोंगरी	लौंडी भानवर	3.38	14.050	196974.06	209930.7	210000
20	तवा नदी	शाहपुर	गुवाड़ी	19	2.500	65956	70182	70200
21	लछिया नदी	घोड़ाडोंगरी	आमटाना रैयत	248,141,140	6.09	29685.95	35672.14	35700
22	धाराखोह नदी	घोड़ाडोंगरी	घोड़ाडोंगरी	373, 1395	7	1979	19077.54	20663

State Level Environment Impact Assessment Authority, M.P. (SEIAA)
Paryavaran Parisar
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

41

CHAPTER -6

6.1 Process of Deposition of Sediments in the rivers of the District:

The water action is perhaps the only agency responsible for erosion, transportation and deposition of sand and aggregates in the sub continental tropical conditions. The rivers are the most important source of sand in the district. The passage of these rivers is initially through basaltic terrain, where erosion of country rocks and transportation may be high but may not result in the sand formation. It is the Gondwana and Deccan trap terrain and the areas of alluvial plains which produces bulk quantity of sand and associated aggregates. Thus, geology plays a major role. This, coupled with mineral composition (e.g. Gondwana sandstone: being arkosic sandstone and shales being ferruginous and argillaceous and the recent subcompact to loose formations comprising of sandy matter) greatly influence the process of sand formation. Moreover, climatic conditions, water load and velocity of river and rainfall have a vital role in the entire process of transportation and deposition of sand and associated aggregates. Here gradient of land in an important factor. The river usually erodes the river base and the banks by hydraulic action and abrasion (corrosion). Hereto, abrasion is the most important action which involves wearing away of the bank and the bedrock by stram water with the help of sand grains (floating, dragging, pebbles and gravels and all such small particles) that are being carried in it. The floating, dragging and rolling depends upon the size and shape. Cavitation is another method of erosion. Air bubbles trapped in the water get compressed into small spaces like cracks in the river's banks. These bubbles shockwave that weakens the rocks. The shockwaves are very weak but over time the rock will be weakened to the point at which it falls apart.

Energy, environment and time are the three factors which determine the process of deposition by streams. Thus, when energy decreases to transport the load (by reduction in velocity or volume of water), a part of material can no longer be transported and hence deposited. Similarly, the factors of environment influence the deposition through configuration or shape of the channel. Uneven surface of the channel check the velocity and hence cause deposition. The time factor actually operates through the above two factors. Thus, when a stream would perform the act of deposition may be explained by a statement and whenever like its velocity whiz appreciably checked. The deposits that are laid down by running water are called alluvial, fluvial or

State Level Environment Impact Assessment Authority, M.P. (SEIAA)
Paryavaran Parisar
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

Fluviatile deposits. They all vary greatly in size, shape and mode of origin. Amongst these is first are alluvial fans and cones: these are cone shaped accumulations of stream debris that come down from hills or mountains meet a larger streams or valley floor. These are common in hilly terrains and second most important over in the present context is flood plain deposits which are resultant of some periods of high water levels or flood in a stream during which it overflows its banks and overflows on its sides. These flood waters are invariably heavily loaded with sediments of all types which are eventually deposited over inundated areas. Thus a thick layer of such loadsis left after every flood. Another type of flood plain deposits are natural levees, which are broad, low ridges formed along the banks of the streams during floods. They generally slope away from stream edge. They form because of deposition of part of flood water load along the banks during floods. As rivers enters into plains, the gradient decreases suddenly and flowin increasingly wide, gentle sided valleys. The channel increases in size to hold the extra water which the river has to receive from its tributaries. Asthe river gets bigger it can carry larger amounts of material. This material will be small in size, as larger rocks will have broken up on their way from the mountains. Much of the material will be carried in suspension and will erode the river banks by abrasion. When rivers flow over flatter land, they develop large bends called meanders. As a river goes around a bend most of the water is pushed towards the outside causing increased erosion. The riveris now eroding sideways into its banks rather than downwards into its bed,a process called lateral erosion. On the inside of the bend, in contrast, thereis much less water. The river will therefore be shallow and slow- flowing. It cannot carry as much material and so sand and shingle will be deposited. This is called a point bar or slip off slope. Due to erosion on the outside of a bend and deposition on the inside, the shape of a meander will change over a period of time. Notice how erosion narrows the neck of the land within the meander. In time, and usually during a flood, the river will cut right through the neck. The river will then take the new, shorter route. The fastest current, will now trend to be in the center of the river, and so deposition is likely to occur in gentler water next to the banks eventually deposition will block off the old meander to leave an oxbow lake. The oxbow lake will slowly dry up, only refilling after heavy rain or during a flood.

State Level Environment Impact
Assessment Authority M.P.
(SPCB)
Paryavaran Parisar
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

6.2 Sources of sand

Sand is world's second most consumed natural resource after water. Rapid urbanization and global population growth have created unbound demand for this limited natural resource With urbanization as key driving factor, construction industry has expanded considerably over the last few decades leading to overuse of river sand for construction purposes. This increasing discrepancy between the need for aggregates in the society and scarcity of natural sand due to exhaustion of resources and environmental considerations, has urged concrete manufacturers to look for a suitable and sustainable alternative fine aggregate. The economical and ecological alternative is manufactured sand.

6.2.1 Natural Sources

Natural sand is produced by natural forces, such as river sand and sea sand. Generally, sand found at foot of mountains is more weathered, containing more mud, organic impurities and light substances. Sea Sand often contains shells and other impurities, and its components such the chlorine, sulfate and magnesium salts may cause corrosion of steel bars. All the Components will affect the performance of concrete. Sources of sand can be river bed material, de-siltation pits in reservoirs/dams, agricultural land etc. these can be broadly classifies as:

- **Pit Sand**

This sand is found as deposits in soil and it is obtained by forming pits into soils. It is excavated to a depth of about 1'on to 2 m from ground level. The pit sand consists of sharp cular grains which are free from salts and it proves to be excellent material for mortar or concrete work. For making mortar, the clean pit sand free from organic matter and clay should only be used.

- **River Sand**

This sand is obtained from banks or beds of rivers. The river sand consists of fine rounded frais probably due to mutual attrition under the action of water current. The colour of river sand is almost white. As river sand is usually available in clean condition, it is widely used for all purposes.

State Level Environment Impact
Assessment Authority, M.P.
(EP...)
Paryavaran Parisar
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

- **Sea Sand**

This Sand is obtained from sea shores. The sea sand, like river sand, consists fine rounded grain. The colour of sea sand is light brown. The sea sand contains salts. Salts attract the atmosphere. Such absorption causes dampness, efflorescence and work. The sea sand also retards the setting action cement. Due such the general rule avoid the use sea sand for engineering purposes except for basement, etc. can however used a local material after being thoroughly remove the salt.

6.2.2 Manufactured Sand

(M-Sand) artificial sand produced from crushing hard stones small angular shaped particles (rock particles with particle size less than 4.75 mm by artificial crushing sieving after removal treatment), washed and graded used as construction aggregate.It is a superior alternative River Sand construction purpose. main technical indicators artificial sand particle fineness modulus, stone powder content, void apparent density, bulk density, value index, content, light-matter content, etc.

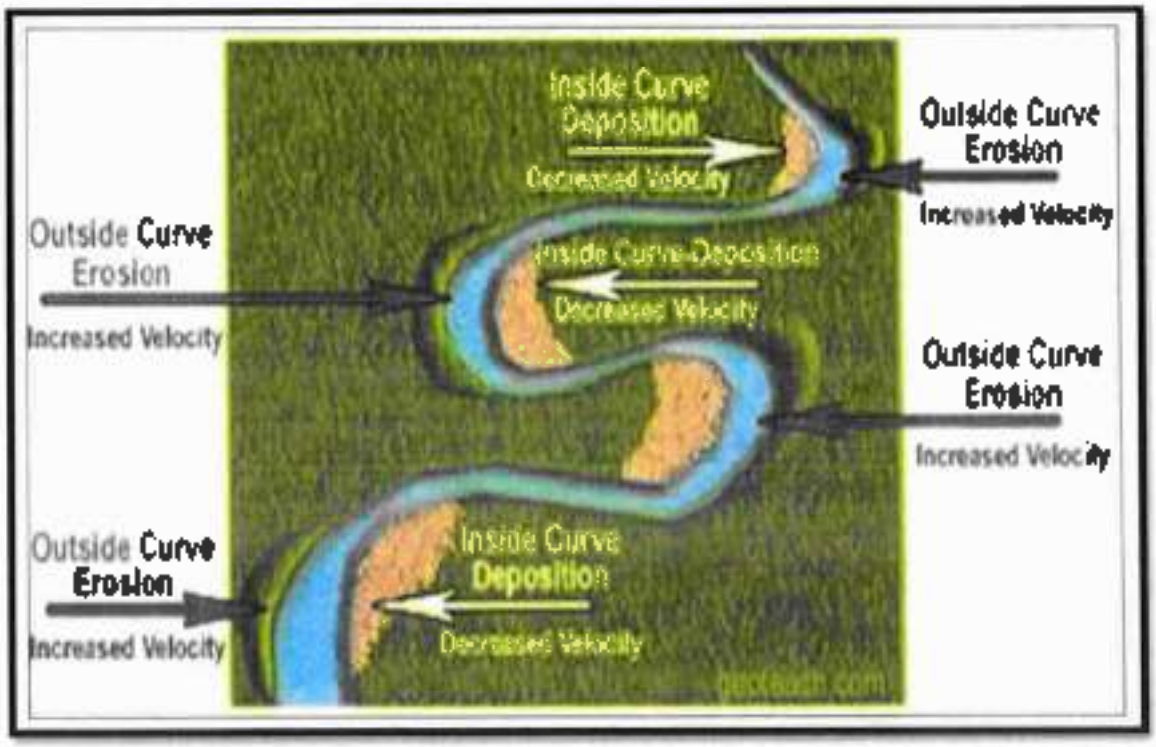

Figure-3 Conductive area for Sand deposition

State Level Environment Impact Assessment Authority, M.P. (EPCO)
Paryavaran Parisar
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

6.2.3 Sand Mining

Sand Mining is an activity referring to the process of the removal of sand from rivers, streams and lakes.

•Sand is mined from beaches and dredged from river beds.

•There are no official figures for the amount of sand mined illegally, but in 2015-16 there were over 19,000 cases of illegal mining of minor minerals, which include sand, in the country,

•To stop illegal mining, the Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MoEF) issued Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand mining.

•These guidelines focus on the effective monitoring of the sand mining.

Following considerations shall be kept in mind for sand mining:

•Parts of the river reach that experience deposition or aggradations shall be identified. The Leaseholder/ Environmental Clearance holder may be allowed to extract the sand and gravel deposit in these locations to manage aggradations problem.

•Sand and gravel may be extracted across the entire active channel during the dry season.

•Abandoned stream damels on the terrace and inactive floodplains are to be preferred rather than active channels and their deltas and flood plains. The stream should not be diverted to form the inactive channel.

•Layers of sund which could be removed from the river bed shall depend on the width of the river and replenishment rate of the river.

•Sand shall not be allowed to be extracted where erosion may occur, such as at the concave bank.

•Segments of the braided river system should be used preferably falling within the lateral migration area of the river regime that enhances the feasibility of sediment replenishment.

•Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometer (1 km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x)

State Level Environment Impact Assessment Authority, M.P. (EPCO)
Paryavaran Parisar
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

of a bridge public civil structure (including water intake points) on up-stream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side, subjected to a minimum of 250 mt on the upstream side and 500 mt on the downstream side.

•Sand and gravel could be extracted from the downstream of the sand bar at river benda. Retaining the upstream one to two-thirds of the bar and riparian vegetation is accepted as a method to promote channel stability.

•The flood discharge capacity of the river could be maintained in areas where there is a significant flood hazard to existing structures or infrastructure, Sand and gravel mining may be allowed to maintain the natural flow capacity based on surveyed cross-section history. Alternatively, off-channel or floodplain extraction in recommended to allow rivers to replenish the quantity taken out during mining.

•Mining depth should be restricted to 3 meters and distance from the bank should be or river width and should not be less than 7.5 meters.

•Demarcation of mining area with pillars and geo-referencing should be done priorto the start of mining.

•A buffer distance/un-mined block of 50 meters after every block of 1000 meter, over which mining is undertaken or at such distance as may be the directed/prescribed by the regulatory authority shall be maintained.

•River bed sand mining shall be restricted within the central 3/4th width of the river/rivulet or 7.5 meters (inward) from river banks but up to 10% of the width of the river, as the case may be and decided by regulatory authority while granting environmental clearance in consultation with irrigation department. Regulating authority while regulating the zone of river bed mining shall ensure that the objective to minimize the effects of riverbank erosion and consequential channel migration are achieved to the extent possible. In general, the area for removal of minerals shall not exceed 60% of the mine lease area, and any deviation or relaxation in this regard shall be adequately supported by the scientific report.

State Level Environment Impact Assessment Authority, M.P. (EPCO)
Paryavaran Parisar
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

6.3 SEDIMENTATION YIELD and PRODUCTION

The Universal Soil Loss Equation (USLE) is a widely used mathematical model to compute sedimentation yield from a river bed. Soil erosion within watersheds results in sedimentation which gets deposited along the river course. The rainfall energy interacts with terrain parameters and results in water induced soil erosion. It comprises of sequential actions viz. detachment of particles from soil mass, transportation of soil particles. The parameters like soil characteristics, terrain slope length & steepness, land-use/land-cover and land management practices are considered as given below in the empirical equation(Source: Auckland Regional Council LandfactsS- 05, "Estimating Sedimentation Yield Using Universal Soil Loss Equation (USLE)".)

A= R x K x LS x C x P x SD x SE
Where,
A= Sedimentation Yield, (tons/annum)
R=Rainfall Erosion Index, (J/ha)
K=Soil Erodibility Factor (tons/unit of R)LS=Slope Length and Steepness Factor C=Ground Cover Factor
P=Roughness Factor
SD= Sediment Delivery Ratio
SE=Sediment Control Efficiency

6.4 Calculation of Sedimentation Yield for Proposed Project Site:

Using USLE, Year-wise Sedimentation Yield is calculated. All the parameters for the USLE and Sedimentation Yield is given below in Table.

Parameters for the USLE and Sedimentation Yield

Parameters
Rainfall Erosion Index, (J/ha)
Soil Erodibility Factor (tons/unit of R)
Slope Length and Steepness Factor
Ground Cover Factor
Roughness Factor
Study Area (ha)
Time (Years)
Sediment Delivery Ratio
Sediment Control Efficiency
Sedimentation Yield, (tons/annum)
Drainage Area(ha)
Lease Area (ha)

State Level Environment Impact Assessment Authority, M.P. (EPCO)
Paryavaran Parisar
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

Sedimentation Yield for the Site

After extraction of the mineral from the Reserve, the remaining Reserve as well as sediment replenishment of that year will be available for extraction every next year. As the sediment control efficiency will gradually increase every year due to increase in mining activity, the sedimentation yield will also increase every year.

State Level Environment Impact Assessment Authority, M.P. (SEIAA) Paryavaran Parisar E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

CHAPTER -7

General Profile of the District:

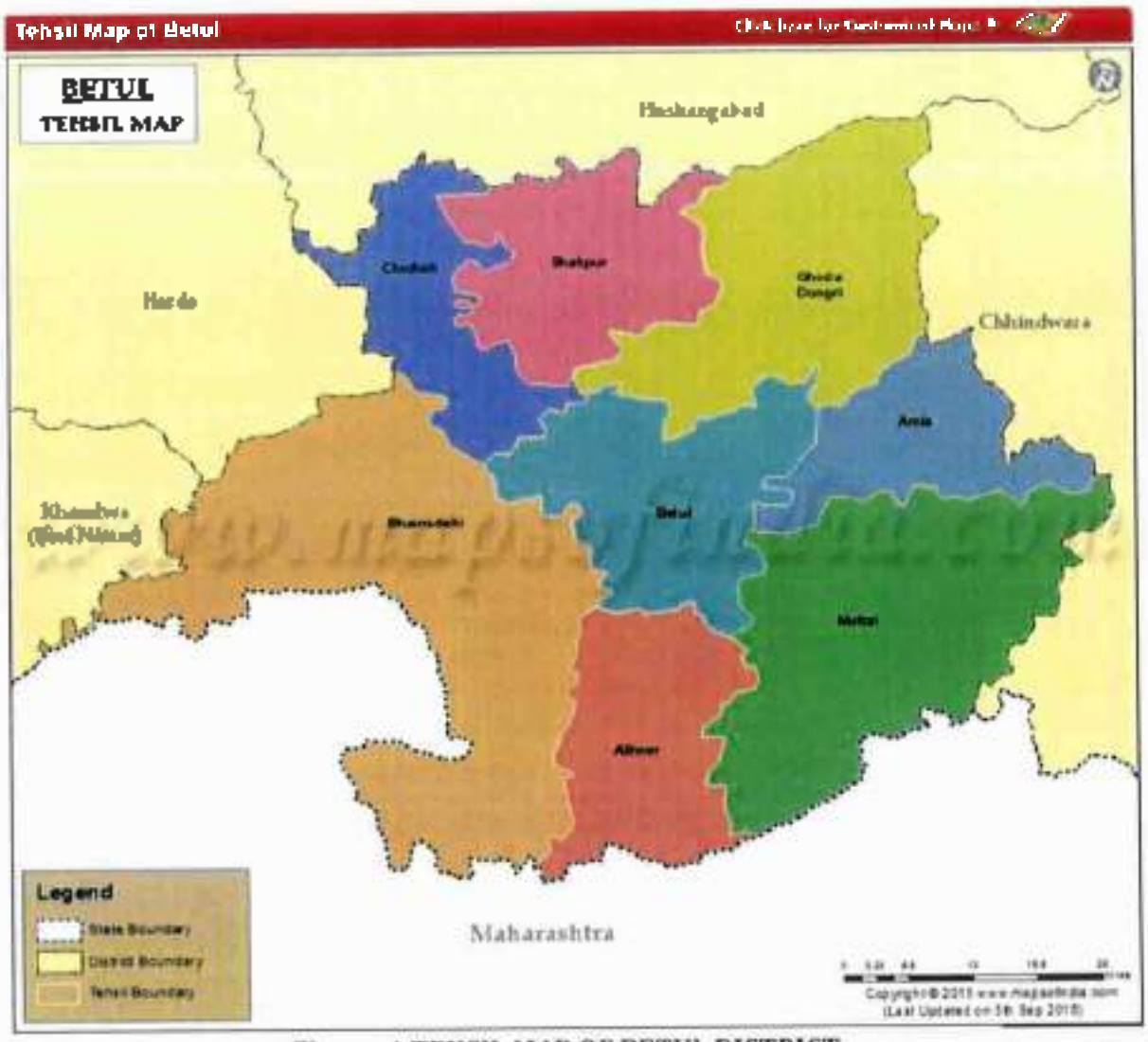

Figure-4 TEHSIL MAP OF BETUL DISTRICT

State Level Environment Impact Assessment Authority, M.P. (EPCO) Paryavaran Parisar E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

BETUL DISTRICT AT A GLANCE

S.No	ITEMS	Statistics	
1.	GENERAL INFORMATION		
S.No	ITEMS	Statistics	
1.	GENERAL INFORMATION		
	i) Geographical area (In Sq. km) ii) Administrative Divisions (As on 2013) Number of Tehsil/ Block , Number of Panchayat /Villages iii) Population (As per Census 2011) iv) Normal Rainfall (mm)	10078 8/10, 553/1409 15,75,247 1129.6	
2.	GEOMORPHOLOGY		
	i) Major Physiographic Units ii) Major Drainage	i. Satpura plateau in the Tawa and Morand valleys ii. Satpura plateau in the central and southern iii. Tapi valley i. Tawa, Morand, Machna and Bhangi of Narmada Basin ii. Wardha and Bel of Wardha basin iii. Tapi, Maru and Tapi of Tapi basin	
3.	LAND USE (sq km)		
	i) Forest area ii) Net area sown: iii) Cultivable area:	3967 4046 4040	
4.	MAJOR SOIL TYPES	Black cotton	
5.	AREA UNDER PRINCIPAL CROPS	Wheat, Rice Jowar, Maize Sugarcane etc.	
6.	IRRIGATION BY DIFFERENT SOURCES	Number of Structures	Area in Sq km
	Dug wells	53150	716
	Tube wells/Bore wells	3427	126
	Tanks/Ponds	15	2
	Canals	92	189
	Other Sources	-	126

State Level Environment Impact Assessment Authority, M.P. (EPCO) Paryavaran Parisar E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

	Net Irrigated Area	-	1159
7.	**NUMBER OF GROUND WATER MONITORING WELLS OF CGWB (As on 31.3.2013)** No. of Dug Wells / No. of Piezometers	23 / 07	
8	**PREDOMINANT GEOLOGICAL FORMATIONS**	Deccan Trap Lava Flows, Lameta beds, Upper and Lower Gondwanas and Archaeans	
9	**HYDROGEOLOGY** **Major Water Bearing Formation** **Pre-monsoon** **Depth to water level during 2012** **Post-monsoon** **Depth to water level during 2012** **Long Term water level trend in 10 years**	Weathered & Fractured basalt Weathered & Fractured sandstone Weathered / Fractured granite, gneiss, amphibolites 2.0 – 16.40 0.51 9.75 Fall Pre 0.02-0.1	
10.	**GROUND WATER EXPLORATION BY CGWB (As on 31-03-2013)**		
	No of wells drilled EW, OW, PZ, SH, Total) **Depth Range (m)** **Discharge (litres per second)** **Storativity (S)** **Transmissviity (m2/day)**	EW-55 PZ-08 Ow-29 10-300, 0.75-20 ips, 1-3 lps 4.7x10-4 to 6.5x10-5 1.8-442.8 m2 /day	
11.	**GROUND WATER QUALITY** **Presence of Chemical constituents more than permissible limit (eg EC, F, As, Fe)** **Type of Water**	EC- 262-1670, Nitrate- 1.3-156, Fluoride - .09-1.9 in phreatic aquifer	
12	**DYNAMIC GROUND WATER**		
	RESOURCES (2009) In MCM		
	Net Ground Water Availability	1139.70	

State Level Environment Impact Assessment Authority, M.P. (EPCO)
Paryavaran Parisar
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

	Gross Annual Ground Water Draft	536.22
	Projected Demand for Domestic and Industrial	
	Uses up to 2033	46.38
	Stage of Ground Water Development	47 %
13.	**AWARENESS AND TRAINING ACTIVITY**	
	Mass Awareness Programs organized 03 Date: Place: No. of Participants **Water Management Training Programmes**	19.09.05, 12.9.06 07 10 06 Betul, Sasundra, Athner 50 150 170 14: 09.05 & 06.10.06 :(Betul)
	Organized No: Date: Place: No. of Participants	Pathakheda 60 to 70
14	**EFFORTS OF ARTIFICIAL RECHARGE & RAINWATER HARVESTING**	
	Projects under technical guidance of CGWB (Numbers)	01 , Central Sector scheme in Bel watershed in Amla block and dug well recharge
15.	**GROUND WATER CONTROL AND REGULATION**	
	Categorization of blocks	All block under Safe category
16	**MAJOR GROUND WATER PROBLEMS AND ISSUES**	Depleting ground water level

State Level Environment Impact Assessment Authority, M.P. (EPCO)
Paryavaran Parisar
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

CHAPTER -8

Land Utilization Pattern in the district: Forest, Agriculture, Horticulture, Mining etc.

Land utilization pattern in ha district is as follows.

Total Area - 10,078 Sq. Km.

Forest Area

1. Betul General Area - 1023.52 Sq. Km.
2. Betul – South - 1505.25 Sq. Km.
3. Betul – West - 1116.28 Sq. Km

Total Area - 3645.53 Sq. Km

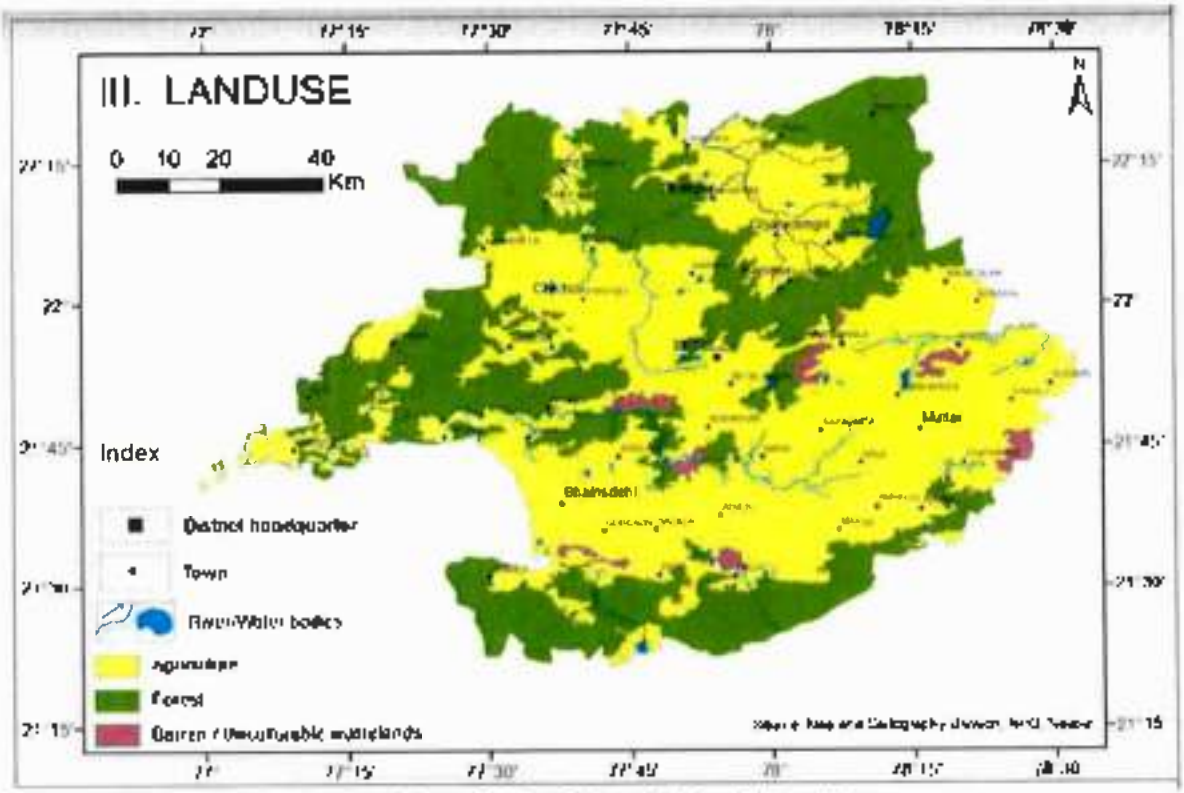

Figure-5 Land Use Map of the District

Land Area	Sq. Km.
Agriculture Land	6076
Irrigated Land	1908
Mining Area	29.48

State Level Environment Assessment Authority, M.P. (EPCO) Paryavaran Parisar E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

CHAPTER -9

Physiography of the District:

The district has four district physiographic division viz (i) Satpura plateau in Tawa and Morand valleys (ii) The Satpura plateau in central and (iii) southern part of the district (iv) and Tapti valley. The whole district lies on Satpura plateau at an elevation of 365m above mean sea level. The general elevation is about 609m at Kilendeo form the highest peak in the northern and central parts of the district. Tawa valleys lies at on elevation of 396m amsl between peaks of Kilandeo and Bhogwangar, the general scope of the valley is towards the North West.

The country is mainly undertaking with presence of few residual hills and is inter sector by large number of stream joining Taw the high land mass of the district sub sides into the fringing ravenous country of Wardha and tributaries of the Kanhan. The west of Khamla is highest point 1137 m amsl in the entire country and forms the part of Gwagarh hills.

Drainage:

The drainage of the district is diverted in all direction from the eastern high mass of Satpura plateau. The northern and central part of the district drains into the Narmada in the north through Tawa, Machna Morand and the Bhange. The Tapti bengh basically consequent river and flowing to the west drain water of the western and southern central part of the Purna, Mam and Wadha occupy small areas of their drainage in the southern part of the district.

Soil:

In the district, there are five types of soils namely kali soil, Morand soil, Matbarra soils, Bardi soil Sihar and retard soils. The southern central and eastern part of the district is covered by black cotton soil.

State Level Environment Impact Assessment Authority, M.P. (EPCO)
Paryavaran Parisar
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

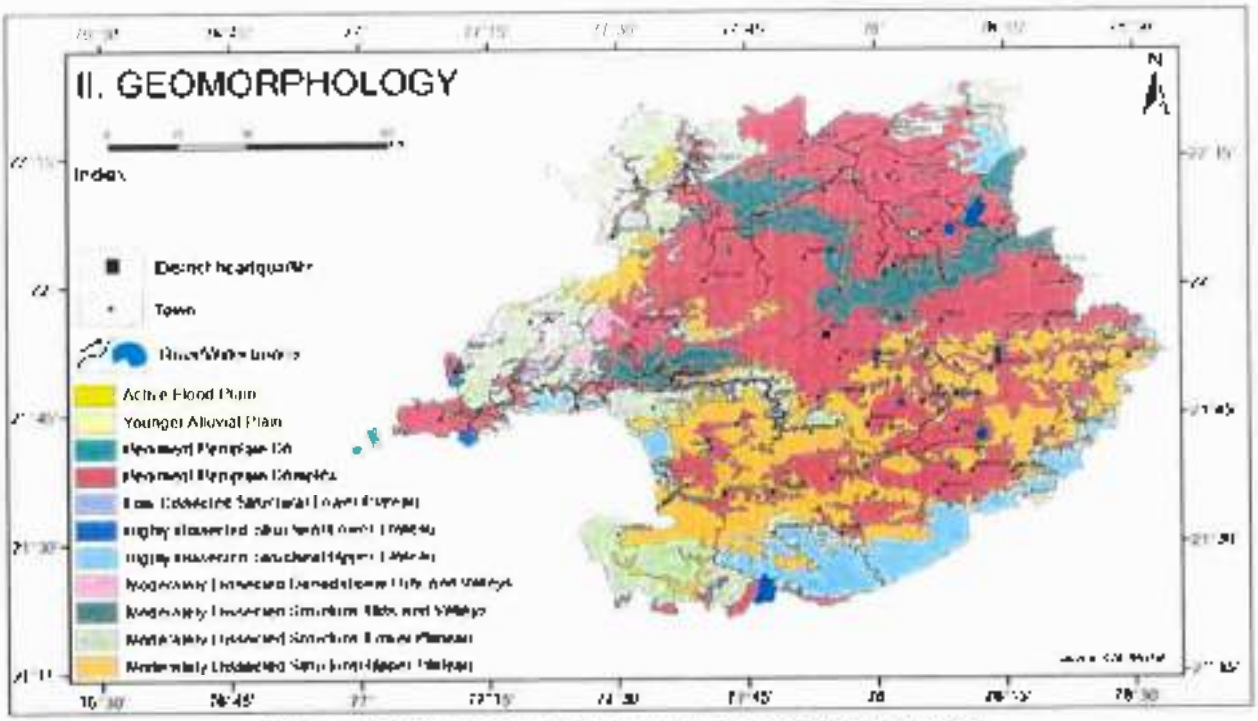

Figure-6 Geomorphological Map of the District

Hydrogeology:

Betul district is underlain by various geological formations, forming different types of the aquifer in the area. Main geological units of the area are, Archaean, Gondwana Lameta, Deccan traps, Laterite and soils. Occurrence and movement of ground water in hard rocks is mainly controlled by secondary porosity through joints and fractures primary porosity in Gondwana sandstone and vesicular basalts. In Deccan traps play an important role in ground water movement ground water is general occurs under unconfined and semi confined to confined conditions.

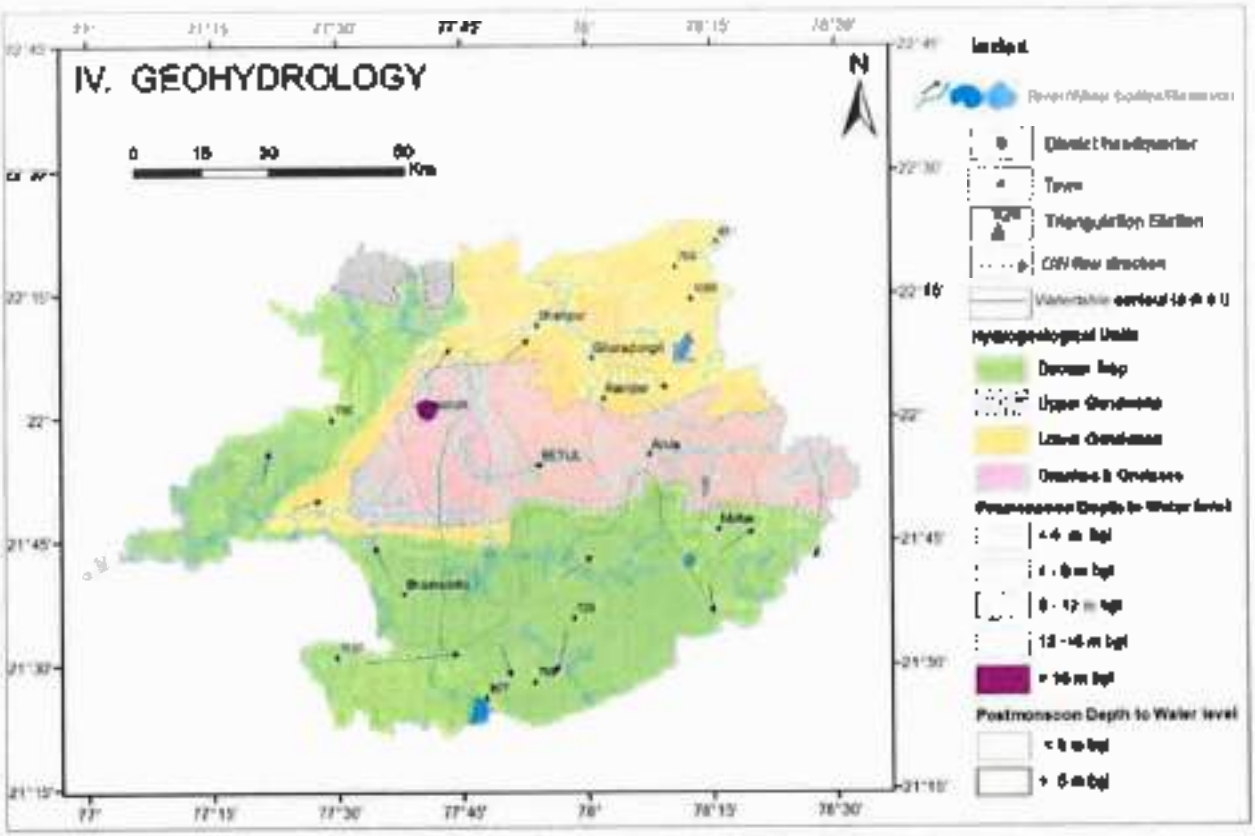

Figure-7 Hydrological Map of the District

State Level Environment Impact Assessment Authority, M.P. (EPCO)
Paryavaran Parisar
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

CHAPTER -10

Rainfall of the district & Climatic Condition:

The climate of Betul is characterized by a hot summer and general dryness except rainfall during the south- west monsoon season. The year can be divided into four seasons. The cold season, December to February is followed by hot season from March to about first week of June is the summer season. The period from the middle June to September is the south-west monsoon season. May is the hottest month of the year with average temperature of 39.3oC. The minimum during the December is 10.3oC. The normal annual mean maximum and minimum temperature is 30.7oC and 17.9oC respectively. The south-west monsoon starts from middle of June and lasts till end of September. October and middle of November constitute the post monsoon or retreating monsoon season. The normal annual rainfall of Betul district is 1129.6 mm. About 86.6% of annual rainfall is received during monsoon season. Only 13.4% of annual rainfall takes place between Octobers to May. The humidity comes down lowest in April. It varies between 31% to 91% at different time in different seasons. The wind velocity is high during the monsoon period as compared to pre and post monsoon. The wind velocity is higher in June around 8.5Km/hr and lowest is 3.8 km/hr in November.

Rainfall: Year-wise:

YEAR	Rainfall (mm)
2019-20	1379.6
2020-21	1237.0
2021-22	1145.8

State Level Environment Impact Assessment Authority, M.P. (SEIAA)
Paryavaran Parisar
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

CHAPTER -11

Geology and Mineral Wealth:

Rock formations ranging in age from Archean to Quarternary are exposed in the district. Betul gneissic complex, volcano- sedimentary sequence, younger Meta- Sediments, Acid and basic intrusive of Archean to Neo Proterozoic age (3500-900 m.y) occupies the northeastern and northern part of the district. Amla Gneiss of Betul Gneissic complex is the oldest litho – unit and is exposed at 16 km south west of Betul town. It comprises various types of gneisses. Golighat group comprises quartzite, schist, and marble and schistose amphibolites. Volcano – Sedimentary sequence comprises green schist belt with bands of marble, calc- silicate, amphibolites and quartzite. Younger Meta- Sediments comprises phyllite with interbands of marble, banded hematite quartzite, dolomite, marble, calc-silicate, quartzitic, arenite, ferrugnous sandstone, felspathic-quartz schist and quartzite. Acid intrusive comprises. granite, pegmatitic, granite, foliated granite, quartz, breccias with pegmatite and quartz veins, basic intrusive comprises gabbro, diorite,pyroxinite and amphibolites.

Archaeans

The crystalline metamorphic and igneous rocks covers approximately 20% of the total district area. The igneous rocks are intensive granite and pegmatite veins intending the metamorphic rocks. Quartz pegmatite views are common features and occurs as broad dykes and thin strings. The ground basins are conterminous with surface drainage sub basin thus ground water flow system are of local types where end system has its recharge area at topographic low. The Archaeans are mainly occupying the Betul, Chichab, Multai and Amla blocks. These rocks do not have primary porosity and hydraulic conductivity. The weathered part of the crystalline rocks are called saprolite, which is of particular interest from the point of view of storage zone for ground water and as an aquifer for open well and shallow tube wells The thickness of this zones in the entire district area ranges from 2.5 to 30.00 m. in this formation, aquifers also occurs where bed rock and quartz pegmatite intensive vein are jointed and fractures. The yield depends upon saturated thickness of the weathered mantle and fracture pattern of the rocks.

Gondwana

The Gondwana rocks are comprising succession of sand stone, shales with seems of coal lying over the metamorphic rocks of crystalline Archaean system with a district unconformity. The beds of Gondwana rocks are distributed in patches and lie in a liner trends coinciding almost with the present river valleys. There rocks show considerable faulting. The Talchir beds

State Level Environment Impact Assessment Authority, M.P.
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

consisting of sandstone and green clays with boulders contain plant fossils. There are bounded by faults. The west and north west of Betul, there are out of Gondwana rocks which separates decant traps from Archaeans rocks. Barkars of Gondwana group contains coal seams.

Deccan Traps

Deccan traps comprising varies types of basaltic lava flows and most extensive rocks in the district. There rocks occupying in Betul, Multai, Bhimpura, Chicholi, Bhainsdehi, Atner and Prabkat pattam blocks. The base of the flow consist of a porons layers of earthy basalt which passes rapidly into the main body. Of flow consisting of great thickness of hard basalt. Generally the Deccan trap in the area occurs in the form of fractures, weathered and vesicular basalts.

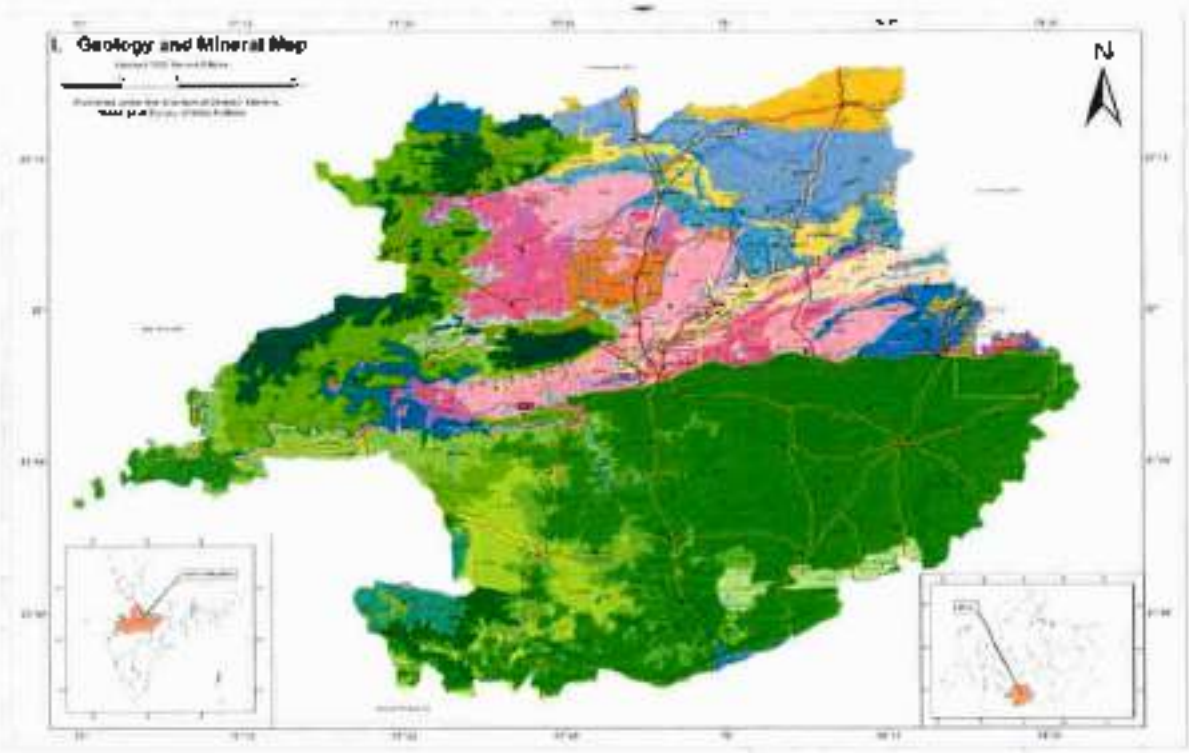

Figure-8 Georological Map of the District

State Level Environment Impact Assessment Authority, M.P. (SEIAA)
Parya... Bhopal
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

Figure-9 Geological Map Index

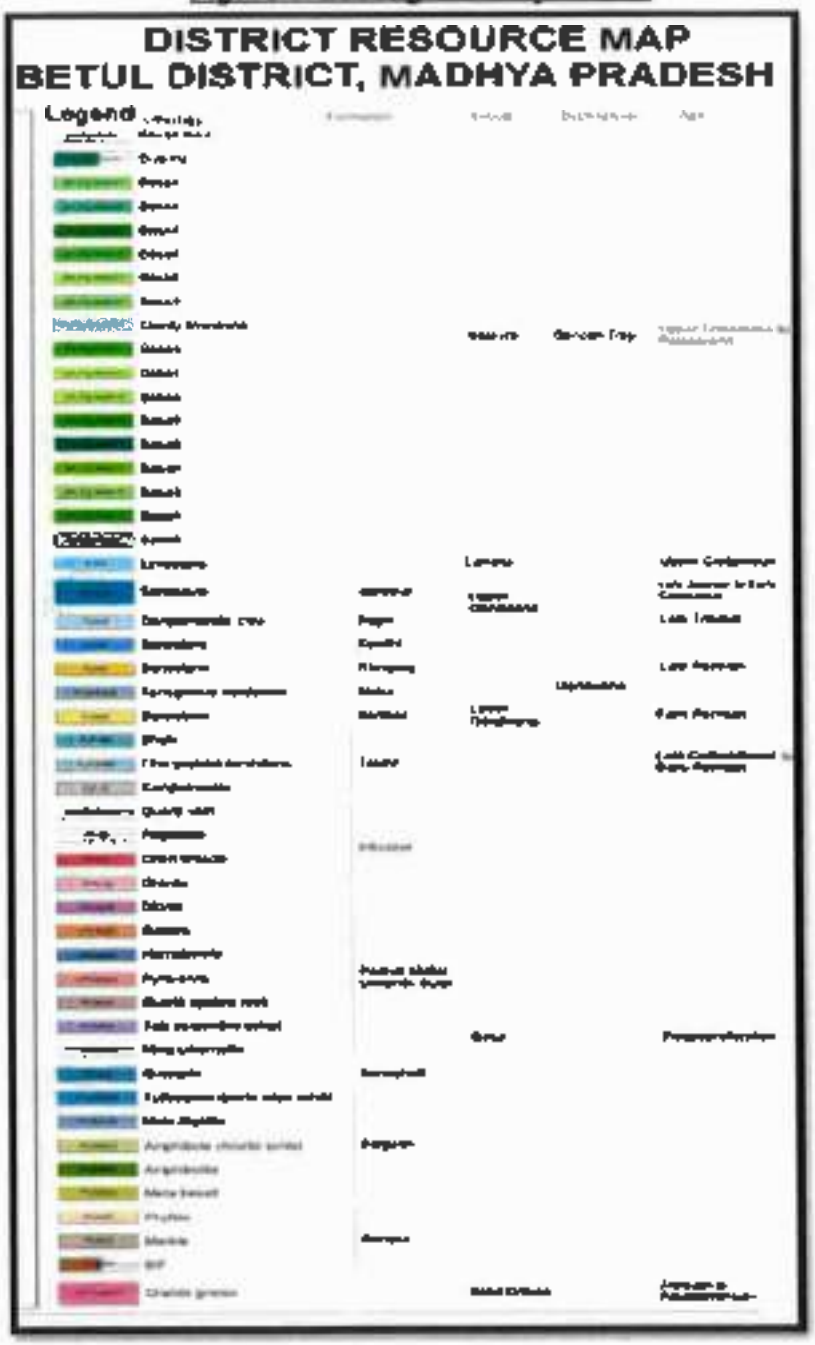

State Level Environment Impact Assessment Authority, M.P.
(SEIAA)
Parivesh Parisar
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

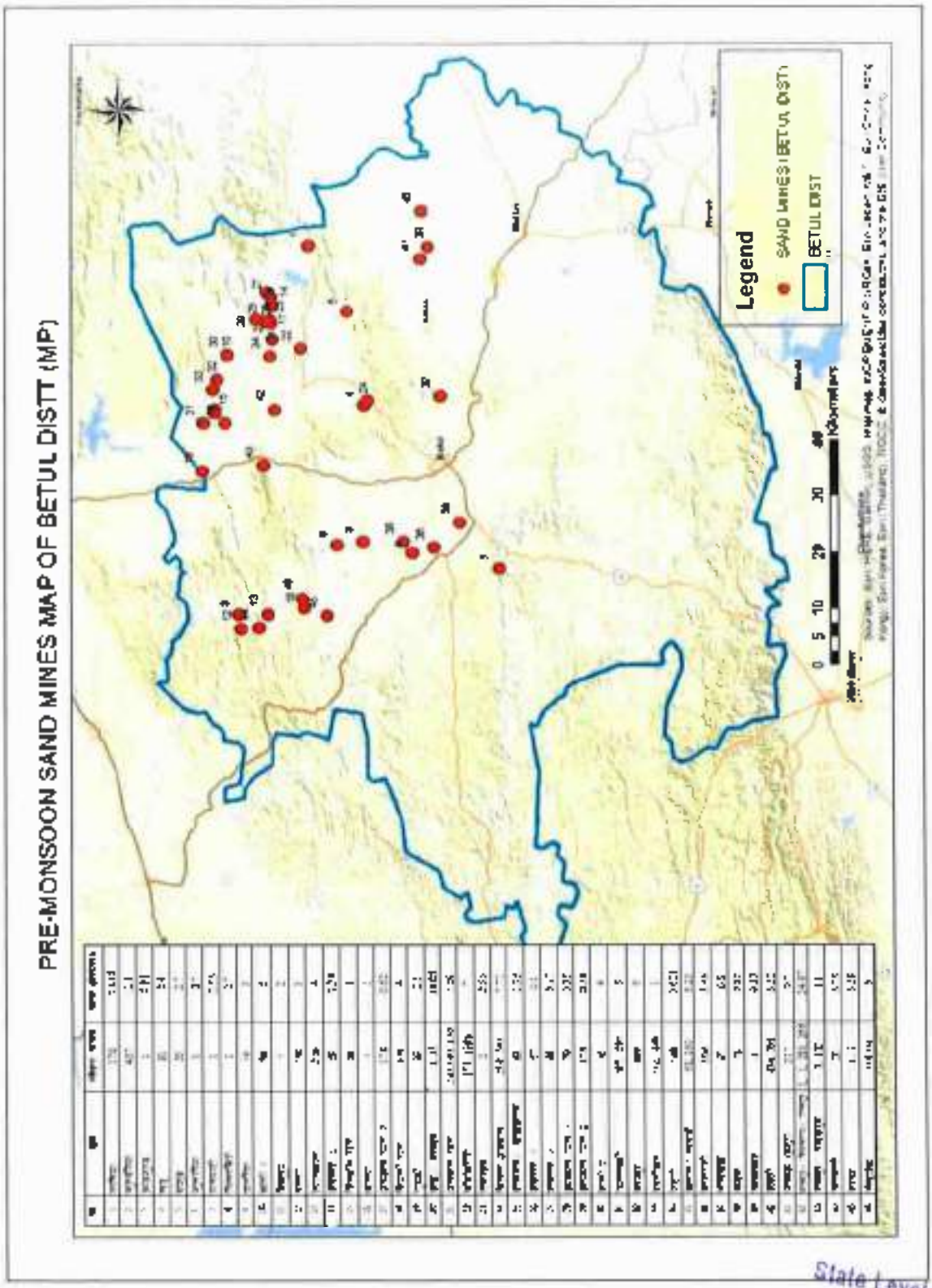

State Level Environment Impact Assessment Authority, M.P.

Sand Mining Area based on Pre-monsoon Map									
Sr. No.	Portion of the River or Stream Recommended for Mineral Concession			Length of area recommended for mineral concession (Km)	Average width of area recommended for mineral concession (m)	Sanctioned Area (Ha.)	Depth (in m)	Total Sand Potential (cum)	Total Sand Potential (in metric tonne) (@ cum x 1.40 mt.)
	River	Village	Khasra No.						
1	तवा नदी	सोनिया	179	0.2788	40	1.115	0.50	5575	7805
2	तवा नदी	फुलमेरिया	407	0.3333	75	2.5	0.30	7500	10500
3	माचना नदी	हालकुण्ड	1	0.1462	65	0.95	0.30	2850	3990
4	नान्दु नदी	नादु	91	1.2609	23	2.9	0.30	8700	12180
5	बाकुड़ नदी	बाकुड	35	0.3000	90	2.7	0.40	10800	15120
6	माचना नदी	कुम्हरिया	1	0.3182	22	0.7	0.80	5600	7840
7	ताप्ती नदी	गागापाटी	1	0.5667	45	2.55	0.40	10200	14280
8	माचना नदी	नितरसिनी	1	0.0972	72	0.7	0.40	2800	3920
9	मोरंड नदी	खपरिया	10	1.3043	23	3	0.30	9000	12600
10	भड़गा नदी	झाली-1	99	1.6129	31	5	0.20	10000	14000
11	भड़गा नदी	सिमुर	-	0.2941	68	2	0.40	8000	11200
12	मोरंड नदी	बन्सोर	162	0.5085	59	3	0.40	12000	16800
13	मोरंड नदी	रागनामात	209	1.0256	39	4	0.30	12000	16800
14	कचलोरा नदी	कचलोरा-3	69	0.1259	27	0.34	0.20	680	952
15	भड़गा नदी	सियरहरा रैयत	30	1.2121	66	8	0.20	16000	22400
16	मोरंड नदी	धानपुरा	1	0.8621	58	5	0.30	15000	21000
17	लहिया नदी	अमकना रैयत-3	178	0.1378	45	0.62	0.60	3720	5208
18	मोरंड नदी	सिवनी रैयत	3-6	1.0000	40	4	0.40	16000	22400

Environment Impact Assessment Authority M.P.

63

Sr. No.	Portion of the River or Stream Recommended for Mineral Concession			Length of area recommended for mineral concession (Km)	Average width of area recommended for mineral concession (m)	Sanctioned Area (Ha.)	Depth (in m)	Total Sand Potential (cum)	Total Sand Potential in metric tonne) (2.5 cum = 1 MT = 1.5 ton)
	River	Village	Khasra No						
19	तवा नदी	गुलावँ	19	0.11786	140	2.5	0.50	32500	47500
20	तवा नदी	बाड़ी / नवलपुर	1, 38	1.6549	87	14.05	0.70	98350	137690
21	लोहिया नदी	अकबाना खुर्द	248/141, 149	2.2356	27	6.49	0.30	18270	25578
22	पारोछेड़ नदी	टेकाखेड़ी	347, 1395	3.4435	23	7	0.20	14000	19600
23	गोमलाल नाला	रघुरिया	2	0.2191	23	0.55	0.30	1650	2310
24	अमावकुर नदी	सिरसी कमलापुर	219/341	0.7736	130	7.75	0.20	15460	21644
25	अरलीपार नदी	अरलीपार / नवलपुरी	63	0.11125	32	0.36	0.50	14800	20720
26	नवलपुरा नदी	अरुकुरा 1	67	0.0833	30	0.1	0.50	500	700
27	अरोहा नदी	अरलीपार-2	98	0.0733	22	0.17	0.60	1020	1428
28	लोहिया नदी	अकबाना खेड़ा-1	70	0.1591	22	0.35	0.50	1750	2450
29	लोहिया नदी	अकबाना खेड़ा-2	175	0.1415	24	0.34	0.80	2720	3808
30	भड़गा नदी	पोलो-2	10	1.7133	30	4	0.20	8030	11200
31	लोहर नाला	रतनखेड़ी	107, 39	3.3333	24	8	0.20	16000	22400
32	भड़गा नदी	रतनपुर	304	2.8571	21	6	0.50	6030	8400
33	भड़गा नदी	अरलीखेड़ा	112, 265	0.4545	22	1	0.20	2090	2800
34	गल्लीय नाला	रतनी	148	0.2700	23	0.621	0.30	1863	2658.2
35	भावना नदी	खुरकाछ / पलाखेड़ी	69, 2041	1.8382	34	6.25	0.40	25000	35000
36	भावना नाला	लोहारखेड़ी	1186	0.7676	71	5.45	0.30	10350	22890
37	भावना नदी	पोलाखेड़ी	97	0.3200	25	8.8	0.20	1600	2240
38	भावना नदी	रसूली	78	0.2324	37	0.846	0.20	1720	2408
39	बेल नदी	सोनलखाड़	1	2.6657	35	9.33	0.10	9330	13062
40	बेल नदी	रतई	434, 308	1.2267	45	5.52	0.10	5520	7728
41	झुरकुड़ नाला	अकबाना (पुर्ण)	2, 7	0.5048	20	0.7	0.20	1400	1960

State Level Environment Impact
Assessment Authority, M.P.
(SEIAA)
Paryavaran Parisar
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.

Sr. No.	Portion of the River or Stream Recommended for Mineral Concession			Length of area recommended for mineral concession (Km)	Average width of area recommended for mineral concession (m)	Sanctioned Area (Ha.)	Depth (in m)	Total Sand Potential (cum)	Total Sand Potential (in metric tonne) (@: cum x 1.40 m.t.)
	River	Village	Khasra No.						
42	तवा नदी	बालपुर / शिवसागर / गोंगापुर	1, 1, 288, 266	9.9880	25	24.97	0.20	49940	69916
43	मालना नदी	साहपुर / पठोपापुरा	1, 112	3.6667	30	11	0.30	33000	46200
44	भारण्ड नदी	सागवानी	20	0.7257	70	5.08	0.30	15240	21336
45	भारण्ड नदी	सरंध	1 , 9	1.2422	45	5.59	0.30	16770	23478
46	भारण्ड नदी	रोन्दखेड़ा	189114	1.1111	45	5	0.30	15000	21000
47	खेड़ी नाला	तिलकपाट	142	0.2100	20	0.42	0.20	840	1176

State Level Environment Impact Assessment Authority, M.P. (EPCO) Paryavas Bhawan E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

65

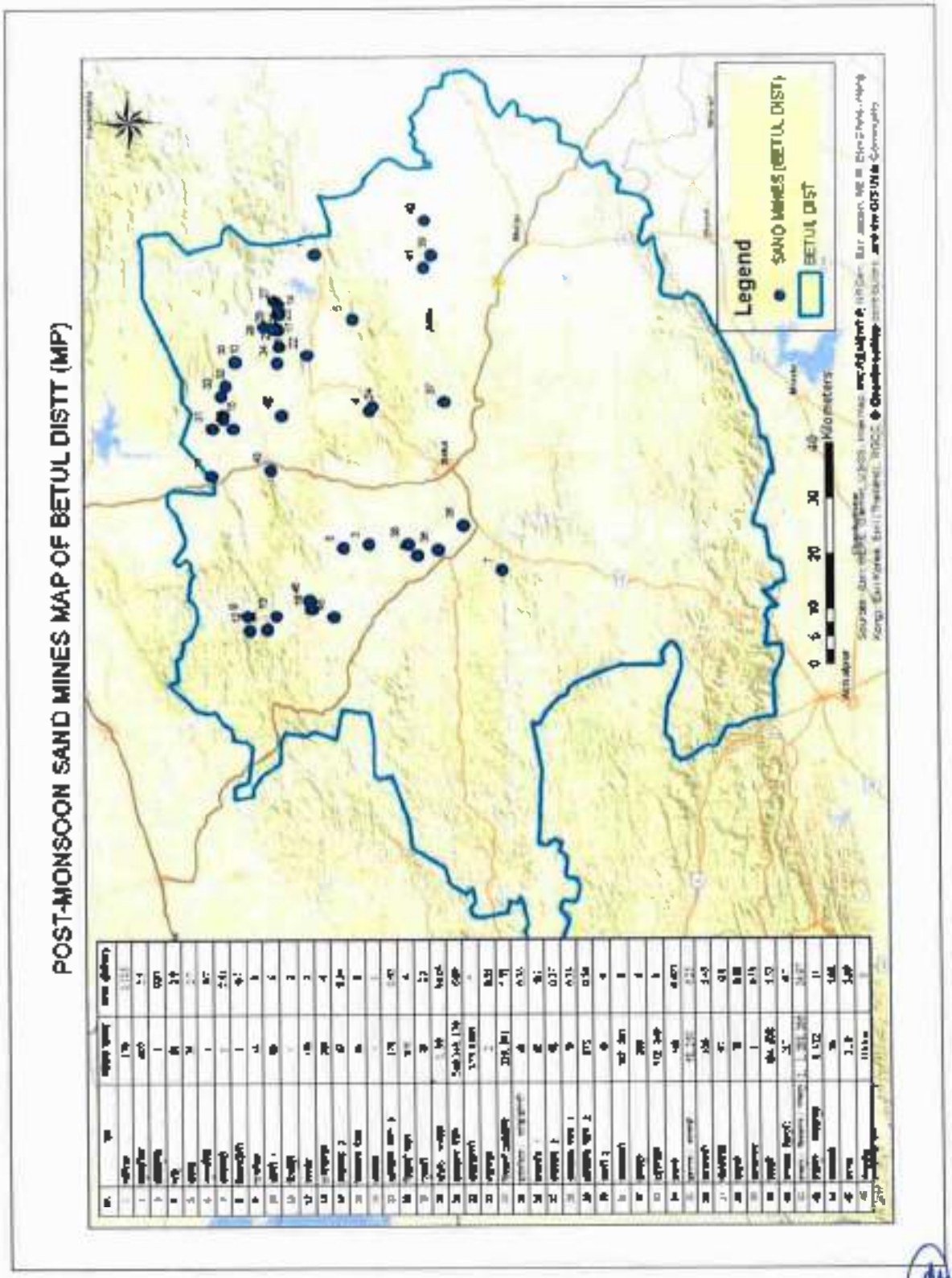

State Level Environment Impact
Assessment Authority, M.P.
(EPCO)
Paryavaran Parisar
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

Sand Mining Area based on Post-monsoon Map

Sr. No.	Portion of the River or Stream Recommended for Mineral Concession			Length of area recommended for mineral concession (Km)	Average width of area recommended for mineral concession (m)	Sanctioned Area (Ha.)	Depth (in m)	Total Sand Potential (cum)	Total Sand Potential (In metric tons) (sp. gr. x 1.40 m.t.)
	River	Village	Khasra No.						
1	नर्मदा नदी	नरसिंह	179	0.2788	40	1.115	2.24	25000	35000
2	नर्मदा नदी	झुकवारिया	407	0.3333	75	2.5	0.53	12750	17850
3	सालना नदी	सालकुण्ड	1	0.1462	65	0.95	0.76	7200	10080
4	नलदुं नदी	साकू	91	1.2609	23	2.9	0.78	22500	31500
5	बाकड़ नदी	बाकड़	35	0.3000	90	2.7	0.81	21875	30625
6	सालना नदी	कुण्डलिया	1	0.3182	22	0.7	1.54	10800	15120
7	ताप्ती नदी	रामगढ़ी	1	0.3667	45	2.45	1.41	36000	50400
8	सालना नदी	किनकेडी	1	0.0972	72	0.7	0.80	5625	7875
9	मोरंड नदी	उमरिया	18	1.3043	23	3	1.08	32500	45500
10	भड़गा नदी	झोली-1	99	1.6129	31	5	0.52	26000	36400
11	भड़गा नदी	पिपलुआ	1	0.2941	68	2	1.50	30000	42000
12	मोरंड नदी	बलोल	164	0.5085	59	3	1.17	35000	49000
13	मोरंड नदी	दानापाली	205	1.0256	39	4	1.05	42000	58800
14	कपलोरा नदी	कपलोरा-3	69	0.1259	27	0.34	2.79	9500	13300
15	भड़गा नदी	सिमरोल पैका	30	1.2121	66	8	0.31	25000	35000
16	मोरंड नदी	पनपथ	1	0.8621	58	5	0.76	38000	53200
17	नर्मदा नदी	अमखेरा पैका-3	178	0.1378	45	0.62	2.22	13750	19250
18	मोरंड नदी	सिंगली रैला	346	1.0000	40	4	0.45	18000	25200

State Level Environment Impact Assessment Authority, M.P. (EPCO)
Paryavaran Parisar
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

Sr. No.	Portion of the River or Stream Recommended for Mineral Concession			Length of area recommended for mineral concession (Km)	Average width of area recommended for mineral concession (m)	Sanctioned Area (Ha.)	Depth (in m)	Total Sand Potential (cum)	Total Sand Potential (in metric tonnes (@ cum x 1.80 mt)
	River	Village	Khasra No.						
19	तवा नदी	बुआरी	19	0, .786	140	2.5	2.81	70200	98280
20	तवा नदी	रोड़ी / बालपुर	1, 38	1.6149	87	14.05	1.49	210000	294000
21	खतिया नदी	आमढाना पैमाल	248, 131, 130	2.3556	27	6.09	0.59	35900	49386
22	आरखोह नदी	पोंडाडोगरी	371, 1395	3,0435	23	7	0.30	20663	28928.2
23	गाडीघाट नदी	गाडीघाट	2	0.2391	23	0.55	2.45	13500	18900
24	खपातपुर नदी	शिखरी आमढाना	219, 341	0.7730	100	7.73	0.65	50000	70000
25	बरेलीपार नदी	बरेलीपार / पांढाडोगरी	63	0, 125	22	0.36	2.50	9000	12600
26	कचलोन नदी	कचलोन-1	67	0,033	30	0.1	2.00	2000	2800
27	लाटेया नदी	कचलोन-2	98	0.0774	22	0.17	2.20	5570	4998
28	लाटेया नदी	आमढाना पैमाल-1	79	0.1591	22	0.35	2.30	8050	11270
29	लाटेया नदी	आमढाना पैमाल-2	175	0.1417	24	0.34	1.80	6120	8568
30	पडगा नदी	खरसी-2	10	1.3333	30	4	0.30	12000	16800
31	लोहर नदी	सरालबरी	187, 201	3.3333	24	8	0.48	38500	53900
32	भंडगा नदी	धनपुर	309	2.8571	21	6	0.13	7500	10500
33	भंडगा नदी	बरगीडीह	112, 349	0.4545	22	1	1.50	15000	21000
34	डासघाट नाली	कटगी	148	0.2700	23	0.621	0.64	4000	5600
35	मालना नदी	कुरलाय / मालनादी	63, 260	1.8382	34	6.25	0.41	25750	36050
36	मालना नदी	कोडासेवी	106	0.7676	71	5.45	0.13	7200	10080
37	मालना नदी	भीलावेडी	97	0.3200	25	0.8	1.14	9100	12740
38	मालना नदी	मालना	78	0.2324	37	0.86	1.20	9450	13230
39	बेल नदी	सोनतलाई	1	2.6667	35	9.33	0.10	9000	12600
40	बेल नदी	गाडी	434, 508	1.2207	45	5.52	0.19	10300	14420
41	घुसमुड नाला	अमरा (दुर्ग)	217	0.3500	20	0.7	0.33	2304	3225.6

State Level Environment Impact Assessment Authority, M.P. (EPCO)
Paryavaran Parisar
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

68

Sr. No.	Portion of the River or Stream Recommended for Mineral Concession			Length of area recommended for mineral concession (Km)	Average width of area recommended for mineral concession (m)	Sanctioned Area (Ha.)	Depth (in m)	Total Sand Potential (cum)	Total Sand Potential (In metric tonne) (@ cu.m x 1.80 =m.t.)
	River	Village	Khasra No.						
42	ताप्ती नदी	बालपुर / शिवसागर / गंगापुर	1, 1, 288, 266	9.9880	25	24.97	1.09	272250	381150
43	माखना नदी	बालपुर / कलीमपुरा	1, 112	3.6667	30	11	1.80	198000	277200
44	सोयण्ड नदी	सागवानी	20	0.7257	70	5.08	0.59	30064	42089.6
45	सोयण्ड नदी	हरचा	1, 9	1.2422	45	5.59	0.79	44000	61600
46	सोयण्ड नदी	सेमूखेड़ा	119,114	1.1111	45	5	0.45	22500	31500
47	खजा नाला	सिंघनगाट	142	0.2100	20	0.42	1.00	4200	5880
Total								1561421	2185989.4

State Level Environment Impact Assessment Authority, M.P. (EPCO) Paryavaran Parisar E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

69

Mineral Wealth:

Betul district is we ll known for its various types of economic mineral deposits/occurrence and 21 types of economic minerals have been reported so far. Coal deposits from barakar formation of gondwana supergroup are found around pathakhera, Gurgunda, Brahmanwara, sonda, mardanpur, shahpur and duihara areas. Copper associated with acid volcanic rock is reported at Kherli Bajar, Bhawra, Tekra, Banskhapa-piparlya. Tungsten in the form of specks and small veinlets in calc-silicate rock is reported at chunaloma, chiklar, tara, malajpur, Garnet reported at Bisighat, Bhaldhei, bijadheihi and kesiya. chunabhura and in betul nala section. graphite from graphite schist and phyllite is reported at tikari, Maramjhiri,chiklar, gauthana, bhopali, janawani, and golighat. Mica in the form of flakes and books from pegmatite veins is found at khundepapariya, kachnar, bisighat, bhaldchi, and temni. Ochre in the form of patches in mica schist is reported at 1 km north of bisighat and 1 km west of thufama. the scattered occurrence of calcite veins in deccan trap are reported around jhallar, bhakurdhana,ankwari, mandi khurd, ghoradongri, maramjhiri, bhopali, karanji, kolhudhana and nimpani.

Other economic minerals reported are magnetite (iron ore) at amdhana in kamalpur hill and ankawari, asbestos (actinolite - tremolite) at badgaon, Beyri at temni and chunaloma, stearite (talc) at mardwani; tourmaline at 1.2 km SW of temni, zeolite at khamla, gudgeon and masod. Limestone about 4 to 6 m thick band in lameta group is reported at panraghat.

State Level Environment Impact
Assessment Authority, M.P.
(SEIAA)
Parvawaran Parisar
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

Drainage system with description of main rivers

Sr. No.	Name of River	Area Drained (Sq. Km)	% Area drained in the District
1.	Machna	3.1	14%
2.	Bel	2.4	11%
3.	Dharakhor	0.8	4%
4.	Tawa	2.2	10%
5.	Lathiya	1.2	5%
6.	Morand	0.9	4%
7.	Mailghat	1.3	6%
8.	Bakud	1.5	7%
9.	Tapti	8.5	38%
10.	Nala	0.4	2%

FIG 1D: RIVER MAP

State Level Environment Impact Assessment Authority, M.P. (SEIAA)

SAND MINING DETAILS IN DISTRICT BETUL (MP)

Sr. No.	Portion of the River or Stream Recommended for Mineral Concession			Length of area recommended for mineral concession (Km)	Average width of area recommended for mineral concession (m)	Sanctioned Area (Ha.)	Depth (in m.)	Total Sand Potential (in cum)* (Area x depth)	Total Sand Potential (In metric tonne) (@ 1.6 MT x 1.48 =m.t.)	Minerable mineral potential 60% (In Cu.m)	Minerable mineral potential (60 % of total mineral potential) (In metric tonne)	Last 3 Year Production		
	River	Village	Khasra No.									2018-19 Cu.M	2020-21 Cu.M	2021-22 Cu.M
1	तवा नदी	आमला	179	0.2788	40	1.115	2.24	25000	35000	15000	21000	0	25000	25000
2	तवा नदी	मुलताई	407	0.5333	75	2.5	0.51	12750	17850	7650	10710	0	12750	12750
3	माचना नदी	अकबरपुर	1	0.1462	65	0.95	0.76	7200	10080	4320	6048	0	7200	7200
4	नाग्दु नदी	भादू	91	1.2609	23	2.9	0.78	22500	31500	13500	18900	0	30460	30460
5	बाकुड़ नदी	बाकुड़	35	0.3000	90	2.7	0.81	21875	30625	13125	18375	0	21875	21875
6	माचना नदी	कुण्डारिया	1	0.3182	22	0.7	1.54	10800	15120	6480	9072	0	10800	10800
7	ताप्ती नदी	रामामटी	1	0.5667	45	2.55	1.41	36000	50400	22600	30240	0	36000	36000
8	माचना नदी	सिवलघिरी	1	0.0972	72	0.7	0.80	5625	7875	3375	4725	0	0	0
9	मोरंड नदी	धमोरिया	18	1.3043	23	3	1.08	32500	45500	19500	27300	0	37062	37062
10	मड़ंगा नदी	आमली-1	99	1.6129	31	5	0.52	26000	36400	15600	21840	0	36750	36750
11	मड़ंगा नदी	चिखुर	1	0.2941	68	2	1.50	30000	42000	18000	25200	0	37180	37180
12	मोरड नदी	अलापुर	182	0.5085	59	3	1.17	35000	49000	21000	29400	0	54000	54000
13	मोरड नदी	रामनामाल	209	1.0256	39	4	1.05	42000	58800	25200	35280	0	72000	72000
14	कचलोरा नदी	कचलोरा-1	69	0.1259	27	0.34	2.79	9500	13300	5700	7980	0	9500	9500

State Level Environment Impact
Assessment Authority, M.P.
(EPCO)
Paryavaran Parisar
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

47

72

Sr. No.	Portion of the River or Stream Recommended for Mineral Concession			Length of area recommended for mineral concession (Km)	Average width of area recommended for mineral concession (m)	Sanctioned Area (Ha.)	Depth (in m)	Total Sand Potential (cum)= (Area x depth)	Total Sand Potential (In metric tonne) (@ cu.m x 1.40 =m t.)	Minable mineral potential 60% (In Cu.m)	Minable mineral potential (60 % of total mineral potential) (In metric tonne.)	Last 3 Year Production		
	River	Village	Khasra No.									2018-19 CU.M	2020-21 CU.M	2021-22 CU.M
15	अईगा नदी	[illegible] रैखत	30	1.2121	66	8	0.31	25000	35000	15000	21000	0	18280	18380
16	मोरंड नदी	धामण्या	1	0.8621	58	5	0.76	38000	53200	22800	31920	0	20000	20000
17	सतिया नदी	आमदाना रैखा–3	178	0.1378	45	0.62	2.22	13750	19250	8250	11550	0	6120	6120
18	मोरंड नदी	चिखली रैखा	316	1.0000	40	4	0.45	18000	25200	10800	15120	0	21000	21000
19	तवा नदी	गुवाडी	19	0.1786	140	2.5	2.81	70200	98280	42120	58968	65956	70182	70200
20	तवा नदी	दाँडे/ मालवर	1, 38	1.6149	87	14.05	1.49	210000	294000	126000	176400	156974	209931	210000
21	सतिया नदी	आमदाना रैखा	248,141, 130	2.2556	27	6.09	0.59	35700	49980	21420	29988	29686	35672 1	35700
22	धारासोह नदी	पोखर्णीवरी	371, 1395	1.0435	23	7	0.30	20663	28928.2	12397.8	17356.92	1979	18077 5	20663
23	गंधोग्राम नदी	गंधोग्राम	2	0.2391	23	0.55	2.45	13500	18900	8100	11340	0	0	0
24	खापाखुर्द नदी	चिखली आम्हान	219, 341	0.7750	100	7.73	0.65	50000	70000	30000	42000	0	0	0
25	बरेलीपार नदी	बरेलीपार/ पोखड़ोणी	63	0.1125	32	0.36	2.50	9000	12600	5400	7560	0	0	0
26	फत्तलांश नदी	फत्तलांश–1	67	0.0333	30	0.1	2.00	2000	2800	1200	1680	0	0	0
27	खांटेया नदी	फत्तलांश–2	98	0.0773	22	0.17	2.10	3570	4998	2142	2998.8	0	0	0
28	खांटेया नदी	आमदाना रैखा–1	79	0.1691	22	0.35	2.30	8050	11270	4830	6762	0	0	0
29	खांटेया नदी	आमदाना रैखा–2	175	0.1417	24	0.34	1.80	6120	8568	3672	5140.8	0	0	0
30	भडगा नदी	झोली–2	10	1.3333	30	4	0.30	12000	16800	7200	10080	0	0	0
31	साहार नदी	साल्हेरी	187, 261	3.3333	24	8	0.48	38500	53900	23100	32340	0	0	0

District Level Environment Impact Assessment Authority, M.P. (DEIAA) Panchayat Parisar P.S. Area Colony Ghoga (M.P.)

73

Sr. No.	Portion of the River or Stream Recommended for Mineral Concession			Length of area recommended for mineral concession (Km)	Average width of area recommended for mineral concession (m)	Sanctioned Area (Ha.)	Depth (in m)	Total Sand Potential (cum)= (Area x depth)	Total Sand Potential (in metric tons) (@ cum x 1.60 mt.t.)	Mineable mineral potential 60% (In Cu.m)	Mineable mineral potential (60 % of total mineral potential) (In metric tons)	Last 3 Year Production		
	River	Village	Khasra No.									2018-19 Cu.M	2020-21 Cu.M	2021-22 Cu.M
32	भंडगा नदी	धरमपुर	309	2.8571	21	6	0.13	7500	10500	4500	6300	0	0	0
33	भंडगा नदी	बटकीदांड़	192 345	0.4545	22	1	1.50	15000	21000	9000	12600	0	0	0
34	गोसकोच नाला	कटोंगी	148	0.2700	23	0.621	0.64	4000	5600	2400	3360	0	0	0
35	बाघना नदी	उदयगांव / भदवाही	68, 260	1.8382	34	6.25	0.41	25750	36050	15450	21630	0	0	0
36	बाघनी नदी	कोदारोटी	106	0.7676	71	5.45	0.13	7200	10080	4320	6048	0	0	0
37	बाघना नदी	सीसकाड़ी	97	0.3200	25	0.8	1.14	9100	12740	5460	7644	0	0	0
38	बाघना नदी	बाघनी	78	0.2324	37	0.86	1.10	9450	13230	5670	7938	0	0	0
39	बेल नदी	सोनतलाई	1	2.6657	35	9.33	0.10	9000	12600	5400	7560	0	0	0
40	बेल नदी	बासनी	434, 308	1.2267	45	5.52	0.19	10300	14420	6180	8652	0	0	0
41	कुडकुड नाला	कमलदा (बुजुर्ग)	217	0.3500	20	0.7	0.33	2304	3225.6	1382.4	1935.36	0	0	0
42	सना नदी	बालपुर/ शिवसागर/ गोलापुर	1, 1, 288, 266	9.9880	25	24.97	1.09	272250	381150	163350	228690	0	0	0
43	बाघना नदी	खालपुर / पटेरियापुरा	1, 112	3.6667	30	11	1.80	198000	277200	118800	166320	0	5525	0
44	गोरिया नदी	आगासनी	20	0.7257	70	5.08	0.59	30064	42089.6	18038.4	25253.76	0	0	0
45	बाघप्रा नदी	हरगन	1, 9	1.2422	45	5.59	0.79	44000	61600	26400	36960	0	0	0
46	पारण्ड नदी	गोंदूखेड़ा	119.114	1.1111	45	5	0.45	22500	31500	13500	18900	0	0	0
47	[illegible] नाला	किकनपाट	142	0.2100	20	0.42	1.00	4200	5880	2520	3528	0	0	0
	Total							1561421	2185989.4	936852.6	1311593.64	294595	795564	792640

State Level Environment Impact Assessment Authority, M.P.

74

The efforts are on to identify and locate the new areas for sand mining. Moreover, the potential loci for deposits of sand and associated aggregates are within river bed or close to river banks or the areas of flood plain and the resources are dependent upon the amount of rainfall and the water load carried by the river or stream.

The process of sand reclamation is highly dependent upon the rainfall received in the catchment areas of rivers and their tributaries and the velocity of river. It is a dynamic process. Thus it is difficult to predict, what quantity of sand may be reclaimed/redeposited by river. Because, in case of less rain, less water in the river, there may be less erosion and transportation may also be minimal and as a result deposition too will be less. Moreover, in case of floods, the sudden gush of water may force the change in the river course, thus old sites of sand deposition may not be relevant. Thus, the above figures may just be a mere prediction, based on the production in the proceeding years. The data narrated in the report, regarding annual deposition of sand and associated aggregates and mineable mineral potential is concerned, is only estimation based on the data yearly production from the sanctioned mines. Thus, the figures may vary from area to area and year on year basis. Therefore, this document is not static one but has to be a dynamic one, the figures of which may vary with respect to time. The DEAC committee is at liberty to make the spot inspection of the area under question for which the prior environmental clearance will be sought.

State Level Environment Impact Assessment Authority, M.P. (SEIAA) Paryavaran Parisar E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

CHAPTER -13

Conclusion

After doing all excersize it can be said that Betul district have good mineral potential as well as variety of minerals. Geological studies of the area indicate that many minerals like Gitti, Stone and Murum are closely associated with same group of rocks. So with preventive measure, skilled, systematic and scientific mining district has rich mineral resources to contribute for growth of state as well as nation.

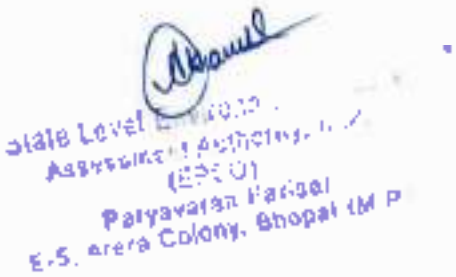

References

1. **R.K. Sukhtankar "Applied sedimentology", P.No. 12-23.**

2. Devanu Bhatnagar[1], Sandeep Goyal [1], Sanjay Tignath[2] and D.K Deoha[2] Madhya Pradesh Council of Science & Technology, Bhopal, M.P., India [2]Model Science College, Rani Durgavati University, Jabalpur, Journal of Geomatics Vol 8 No. 1 April 2014 "Impact of opencast limestone mining on groundwater in Katni river watershed, Madhya Pradesh, India - A geoinformatics approach".

3. **Br. MSME - Development Institute (Ministry of MSME, Govt. of India,), UdyogVihar, Chorhatta, Rewa (MP). Govt of India Ministry of MSME, Brief Industrial Profile of Katni District, Madhya Pradesh.**

4. Central Ground Water Board, North Central Region, Ministry of Water Resources, Government of India, Madhya Pradesh Bhopal 2013, District Ground Water Information Booklet, District Katni, Madhya Pradesh.

State Level [illegible]
Assessment Authority, M.P.
(EPCO)
Paryavaran Parisar
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

595वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 22 सितम्बर 2022

गई है । अतः समिति मुरैना जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (अन्य गौण खनिज (मुरूम, फर्शी पत्थर, मिट्टी (चिमनी भटटा), गिट्टी लेटेराईट, एवं शैल) अनुमोदन हेतु विचारार्थ एंव आगामी कार्यवाही हेतु राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की ओर प्रेषित की जाये।

22. जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, बैतूल –

अ. रेत खनिज

कार्यालय कलेक्टर के पत्र क0. 1378 दिनांक 19/09/2022 के माध्यम से जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, बैतूल (रेत खनिज) की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट उप समिती का अनुमोदन एंव जिला पोर्टल पर रखने के उपरांत प्रस्तुत की गई है।

आज दिनांक 22/09/22 को जिला सर्वेक्षण रिर्पोटो के प्रस्तुतीकरण के दौरान संचानालय, भौमिकी एंव खनिकर्म, विभाग भोपाल से श्री पी.पी. राय, एवं श्री बी. के. नागवंशी, खनिज निरीक्षक के साथ उपस्थित रहे ।

Mineral	**Sand**
Earlier DSR Discussed	SEAC 594th Meeting dated 22.09.22
Revised DSR received from District Collectorate (Mining)	Received soft copy vide District Collectorate (Mining) Office, Baitul letter No. 1379 dated 22.09.2022
Hard Copy Soft Copy or both	Hard copy
SEAC meeting dated 22/09/22	जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट मे तालिका क0. –निरंक पेज न0. 47-49 में माइनेबल मिनरल पोटेंशियल (घनमीटर में) 60% टोटल मिनरल पोटेंशियल, लीजवार, लंबाई, चौड़ाई एंव गहराई के साथ दर्शाया है एवं विगत 03 वर्षो के उत्खनित रेत की मात्रा का लीजवार पोटेंशियल दिया गया है। जिससे ज्ञात हो सके कि उस स्थल पर खदान का मिनरल पोटेंशियल विगत 03 वर्षो मे कितना रहा।

चर्चा उपरांत समिति ने पाया कि खनि. अधिकारी,कार्यालय कलेक्टर,(खनिज शाखा) जिला–बैतूल के पत्र क0 1379, दिनांक 22/09/22 के माध्यम से मिनरल पोटेंशियल की गणना में आवश्यक संशोधन कर रेत की 60 प्रतिशत माइनेबल पोटेंशियल (रेत खनन हेतु) मीट्रिक टन यूनिट में प्रस्तुत कर दी गई है मिनरल पोटेंशियल की गणना दर्शाने वाली टेबल में आवश्यक संशोधन कर रेत की

595वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 22 सितम्बर 2022

60 प्रतिशत माइनेबल पोटेंशियल (रेत खनन हेतु) मीट्रिक टन यूनिट में प्रस्तुत कर दी गई है।

समिति की यह भी अनुशंसा है कि जिला स्तर पर जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार करने हेतु गठित जिला समिति की अनुशंसा तथा की गई रिप्लेनिशमेंट स्टडी की जानकारी (जिसके आधार पर जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार की गई हैं) संबंधित जिला खनिज अधिकारी कार्यालय में सुरक्षित रखी जाये । अतः समिति की अनुशंसा है कि बैतूल जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (रेत खनिज) अनुमोदन हेतु विचारार्थ एंव आगामी कार्यवाही हेतु राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की ओर प्रेषित की जाये ।

ब. अन्य गौण खनिज, जिला – बैतूल

कार्यालय कलेक्टर के पत्र क0. 1368 दिनांक 19/09/2022 के माध्यम से जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट–बैतूल (रेत खनिज) की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट उप समिती का अनुमोदन एंव जिला पोर्टल पर रखने के उपरांत प्रस्तुत की गई है।

जिले की बैतूल जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (अन्य गौण खनिज) मे पाया गया किः–

1. प्रस्तुत संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 25/07/18 मे जानकारी निर्धारित फार्मेट (16 बिन्दुओं वाली टेबल) के अनुसार नही दी गयी है (तालिका –16 पेज 30)।
2. पिछले तीन वर्ष के दौरान उत्पादन किये गौण खनिज का ब्यौरा नही दिया गया है।
3. बड़वानी जिले मे हरित क्षेत्र के विकास हेतु पूर्व के वर्षो मे लीज धारकों द्वारा किये गये वृक्षारोपण की जानकारी, संख्या, प्रजातियों की जानकारी को लीज–वार जिसमें यह दर्शाया गया हो कि निर्धारित लक्ष्य के विरूद्व कितना पौधारोपण किया गया है। इसको भी सम्मिलित करें।

चर्चा उपरांत समिति की यह अनुशंसा है कि बैतूल जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अन्य गौण खनिज को समिति की सुझाई गयी उपरोक्त अनुशंसाओं के तारतम्य में अद्यतन (अपडेट) किया जाये तथा संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 25/07/18 के अनुसार पुनः प्रस्तुत की जावे तत्संबंध में उपस्थित खनिज निरीक्षक को भी उपरोक्त संदर्भ में समझाईश दी गयी।

23.जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, शाजापुर (रेत खनिज) –

आज दिनांक 21/09/22 को जिला सर्वेक्षण रिर्पोटो के प्रस्तुतीकरण के दौरान संचानालय, भौमिकी एंव खनिकर्म, विभाग भोपाल से श्री पी.पी. राय एवं श्री राम सिंग उईके, खनिज अधिकारी के साथ उपस्थित रहे ।

Mineral	**Sand**
Earlier DSR	**SEAC** 591st Meeting dated 27.08.2022

समिति की अनुशंसा है कि मुरैना जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (अन्य गौण खनिज (मुरूम, फर्शी पत्थर, मिट्टी (चिमनी भट्टा), गिट्टी लेटेराईट, एवं शैल) अनुमोदन हेतु विचारार्थ एवं आगामी कार्यवाही हेतु राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की ओर प्रेषित की जाये।

राज्य स्तरीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत SEAC की 595वीं बैठक दिनांक 22/09/2022 की अनुशंसा को मान्य करते हुए मुरैना (अन्य गौण खनिज – रेत को छोड़कर (मुरूम, फर्शी पत्थर, मिट्टी (चिमनी भट्टा), गिट्टी लेटेराईट, एवं शैल) की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट का अनुमोदन SEAC द्वारा सुझाई गई उपरोक्त अनुशंसाओं के साथ किया जाता है।

तदानुसार जिला कलेक्टर, मुरैना को जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट जिला पोर्टल पर अपलोड करवाये जाने एवं संचालक भौमिकी तथा खनिकर्म को सूचित किया जाये।

22. जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट– बैतूल (रेत खनिज)

राज्य स्तरीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा 752वी बैठक दिनांक 15.10.2022 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 595वी बैठक दिनांक 22/09/2022 में बैतूल (रेत खनिज) की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में निम्नानुसार सुझाव सहित अनुशंसा की गई है।

समिति की अनुशंसा है कि बैतूल जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (रेत खनिज) अनुमोदन हेतु विचारार्थ एवं आगामी कार्यवाही हेतु राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की ओर प्रेषित की जाये ।

राज्य स्तरीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत SEAC की 595वीं बैठक दिनांक 22/09/2022 की अनुशंसा को मान्य करते हुए बैतूल (रेत खनिज) की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट का अनुमोदन SEAC द्वारा सुझाई गई उपरोक्त अनुशंसाओं के साथ किया जाता है।

तदानुसार जिला कलेक्टर, बैतूल को जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट जिला पोर्टल पर अपलोड करवाये जाने एवं संचालक भौमिकी तथा खनिकर्म को सूचित किया जाये।

23. जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट – शाजापुर (रेत खनिज)

राज्य स्तरीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा 752वी बैठक दिनांक 15.10.2022 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 595वीं बैठक दिनांक 22/09/2022 में शाजापुर (रेत खनिज) की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में निम्नानुसार सुझाव सहित अनुशंसा की गई है।

समिति की अनुशंसा है कि शाजापुर जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (रेत खनिज) अनुमोदन हेतु विचारार्थ एवं आगामी कार्यवाही हेतु राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकारण की ओर प्रेषित किया जाये।

(श्रीमन् शुक्ला)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, म.प्र.

(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार)

पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन
पर्यावरण परिसर, ई–5, अरेरा कॉलोनी
भोपाल–462016 (म.प्र.)
बेवसाईट– http://www.mpseiaa.nic.in
दूरभाष नं. – 0755–2466970, 2466859
फैक्स नं. – 0755–2462136

No: 1967/SEIAA/2022
Date: 28/10/22

प्रति,

कलेक्टर
जिला – बैतूल (म.प्र.)

विषय: नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट – बैतूल (रेत खनिज)
संदर्भ: आपका पत्र क्र. 1379, दिनांक 22/09/22

राज्य स्तरीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा 752वी बैठक दिनांक 15.10.2022 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

राज्य स्तरीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा 752वी बैठक दिनांक 15.10.2022 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 595वीं बैठक दिनांक 22/09/2022 में बैतूल (रेत खनिज) की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट मे निम्नानुसार सुझाव सहित अनुशंसा की गई है।

"_____समिति की अनुशंसा है कि बैतूल जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (रेत खनिज) अनुमोदन हेतु विचारार्थ एंव आगामी कार्यवाही हेतु राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की ओर प्रेषित की जाये ।

राज्य स्तरीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत SEAC की 595वीं बैठक दिनांक 22/09/2022 की अनुशंसा को मान्य करते हुए बैतूल (रेत खनिज) की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट का अनुमोदन SEAC द्वारा सुझाई गई उपरोक्त अनुशंसाओं के साथ किया जाता है। तदानुसार जिला कलेक्टर, बैतूल को जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट जिला पोर्टल पर अपलोड करवाये जाने एवं संचालक भौमिकी तथा खनिकर्म को सूचित किया जाये।

उपरोक्त निर्णयानुसार कृपया अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट जिला पोर्टल पर अपलोड करने का कष्ट करें। सुलभ संदर्भ हेतु अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की साफ्टकॉपी ई–मेल के माध्यम से आपकी ओर प्रेषित है।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

क्र.. /SEIAA/2022 भोपाल दिनांक

प्रतिलिपि :–

1. **प्रमुख सचिव**, म.प्र. शासन, पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, भोपाल की ओर कृपया सूचनार्थ ।
2. **संचालक, प्रशासन/तकनीकी**, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, 29–ए, खनिज भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.)
3. **सदस्य सचिव**, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC), अनुसंधान एवं विकास विंग, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई–5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल (म.प्र) – 462016 की ओर सूचनार्थ।

सदस्य सचिव

ANNEXURE-2

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण
(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार)

पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन
पर्यावरण परिसर, ई–5, अरेरा कॉलोनी
भोपाल–462016 (म.प्र.)
वेबसाईट– http://www.mpseiaa.nic.in
दूरभाष नं. – 0755–2466970, 2466859

No: 737 / SEIAA/2023
Date: 23/6/23

प्रति,

कलेक्टर
जिला – बैतूल (म.प्र.)

विषयः संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट जिला– बैतूल (रेत खनिज)।

संदर्भः आपका पत्र क्र. 984 दिनांक 08.06.2023

राज्य स्तरीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण की 793वीं बैठक दिनांक 21.06.2023 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 650वीं बैठक दिनांक 08.06.2023 में बैतूल जिले की संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (रेत खनिज) में निम्नानुसार सुझाव सहित अनुशंसा की गई है :

*"..... अतः समिति द्वारा सुझाई गई उपरोक्त अनुशंसाओ के साथ **संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट जिला–बैतूल (रेत खनिज)** की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (रेत खनिज) अनुमोदन हेतु विचारार्थ एवं आगामी कार्यवाही हेतु राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघॉत निर्धारण प्राधिकारण की ओर प्रेषित किया जाये।"*

राज्य स्तरीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत SEAC की 650वीं बैठक दिनांक 08.06.2023 के अनुमोदन प्रस्ताव को मान्य करते हुए बैतूल जिले की संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (रेत खनिज) का अनुमोदन SEAC द्वारा सुझाई गई उपरोक्त अनुशंसाओं के साथ किया जाता है। तदानुसार जिला कलेक्टर, बैतूल को जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट जिला पोर्टल पर अपलोड करवाये जाने एवं संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म को सूचित किया जाये।

उपरोक्त निर्णयानुसार कृपया संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट जिला– बैतूल (रेत खनिज) जिला पोर्टल पर अपलोड करने का कष्ट करें। सुलभ संदर्भ हेतु अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की साफ्टकॉपी ई–मेल के माध्यम से आपकी ओर प्रेषित है।

23/6

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

क्र.. /SEIAA/2023 भोपाल दिनांक

प्रतिलिपि :–

1. **प्रमुख सचिव,** म.प्र. शासन, पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, भोपाल की ओर कृपया सूचनार्थ ।
2. **संचालक, प्रशासन/तकनीकी,** संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, 29–ए, खनिज भवन,अरेरा हिल्स,भोपाल (म.प्र.)
3. **सदस्य सचिव,** राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC), अनुसंधान एवं विकास विंग, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई–5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल (म.प्र) – 462016 की ओर सूचनार्थ।

सदस्य सचिव

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण
(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार)

पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन
पर्यावरण परिसर, ई–5, अरेरा कॉलोनी
भोपाल–462016 (म.प्र.)
बेवसाईट– http://www.mpseiaa.nic.in
दूरभाष नं. – 0755–2466970, 2466859
No: / SEIAA/2023
Date:

प्रति,

कलेक्टर
जिला – बैतूल (म.प्र.)

विषयः संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट जिला– बैतूल (रेत खनिज)।

संदर्भः आपका पत्र क्र. 984 दिनांक 08.06.2023

राज्य स्तरीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण की **793वीं बैठक दिनांक 21.06.2023 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 650वीं बैठक दिनांक 08.06.2023 में बैतूल जिले की संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (रेत खनिज) में निम्नानुसार सुझाव सहित अनुशंसा की गई है :

*"……अतः समिति द्वारा सुझाई गई उपरोक्त अनुशांसाओ के साथ **संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट जिला– बैतूल (रेत खनिज)** की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (रेत खनिज) अनुमोदन हेतु विचारार्थ एवं आगामी कार्यवाही हेतु राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघॉत निर्धारण प्राधिकारण की ओर प्रेषित किया जाये।"*

राज्य स्तरीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत SEAC की 650वीं बैठक दिनांक 08.06.2023 के अनुमोदन प्रस्ताव को मान्य करते हुए बैतूल जिले की संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (रेत खनिज) का अनुमोदन SEAC द्वारा सुझाई गई उपरोक्त अनुशंसाओं के साथ किया जाता है। तदानुसार जिला कलेक्टर, बैतूल को जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट जिला पोर्टल पर अपलोड करवाये जाने एवं संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म को सूचित किया जाये।

उपरोक्त निर्णयानुसार कृपया संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट जिला– बैतूल (रेत खनिज) जिला पोर्टल पर अपलोड करने का कष्ट करें। सुलभ संदर्भ हेतु अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की साफ्टकॉपी ई–मेल के माध्यम से आपकी ओर प्रेषित है।

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

क्र.. 738 /SEIAA/2023 भोपाल दिनांक 23/6/23

प्रतिलिपि :–

1. **प्रमुख सचिव,** म.प्र. शासन, पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, भोपाल की ओर कृपया सूचनार्थ ।
2. **संचालक, प्रशासन/तकनीकी,** संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, 29–ए, खनिज भवन,अरेरा हिल्स,भोपाल (म.प्र.)
3. **सदस्य सचिव,** राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC), अनुसंधान एवं विकास विंग, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई–5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल (म.प्र) – 462016 की ओर सूचनार्थ।

23/6
सदस्य सचिव

कार्यालय कलेक्टर (खनिज–शाखा) जिला बैतूल

कमांक / ख.लि.–2 / 2023 / 984 बैतूल दिनांक 08 / 06 / 2023

प्रति,

सदस्य सचिव,
राज्य स्तरीय मूल्यांकन समिति (सेक)
पर्यावरण परिसर, ई–5, अरेरा कॉलोनी,
भोपाल (म.प्र.)

विषय :– 19 रेत खदानों के पुनर्रीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत करने बावत्।

उपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि पत्र के साथ संलग्न सूची अनुसार 19 रेत खदानों में से गठित दल द्वारा 04 रेत खदानों दौड़ी, मालवर, गौनापुर, शिवसागर / बॉसपुर का दिनांक 12 / 04 / 2023 एवं 25 / 03 / 2023 को भौतिक सत्यापन किये जाने के पश्चात् तहसीलवार पृथक–पृथक किये जाने से रकबा एवं गहराई में परिवर्तन के कारण खनिज रेत की मात्रा में अंतर आया है।

02 रेत खदान बाकुड़, सोनतलई / समरतढाना का दल द्वारा दिनांक 18 / 04 / 2023 एवं 04 / 05 / 2023 को किये गये भौतिक सत्यापन पश्चात् प्रतिबंधित दूरी छोड़ने के फलस्वरूप रकबा एवं गहराई में परिवर्तन के कारण रेत खनिज की मात्रा में अंतर आया है।

02 रेत खदान पतौवापुरा, चिखली आमढाना में दल द्वारा दिनांक 25 / 02 / 2023 एवं 12 / 04 / 2023 को किये गये भौतिक सत्यापन के पश्चात् प्रतिबंधित दूरी छोड़ने के फलस्वरूप रकबा में परिवर्तन के कारण रेत खनिज की मात्रा में अंतर आया है।

उपरोक्त रेत खदानों में गठित दल द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनों के आधार पर कलेक्टर महोदय से अनुमोदन प्राप्त कर संशोधित आदेश जारी किये गये है जिनकी छायाप्रतियां संलग्न है।

शेष 11 रेत खदानों को संशोधित रकबा पूर्व जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (DSR) में त्रुटिवश सम्मिलित नहीं किया जा सका था जिससे संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (DSR) में सम्मिलित किया गया हैं।

अतः उपरोक्तानुसार 19 रेत खदानों में रकबा, गहराई एवं रेत खनिज की मात्रा में आये अंतर को परिवर्तन के कारणों सहित संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (DSR) अनुमोदन हेतु सादर प्रस्तुत है। कृपया संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (DSR) अनुमोदन करने का कष्ट करें।

संलग्न : उपरोक्तानुसार

प्रभारी अधिकारी
(खनिज शाखा)
जिला बैतूल

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) बैतूल

जिला-बैतूल मध्यप्रदेश Email- modgmbet@mp.gov.in

क्रमांक/खनिज-2/2023/963 बैतूल, दिनांक 30/05/2023

प्रति,

सदस्य सचिव,
राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात
निर्धारण प्राधिकारण समिति (सिया)
पर्यावरण परिसर ई- 5 अरेरा कालोनी भोपाल म0प्र0

विषय:- खनिज रेत की संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (डी.एस.आर) अनुमोदन बाबत।

संदर्भ:- संचालक (प्रशासन एवं खनिकर्म) मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक 2189-93 दिनांक 22.02.2023 एवं पत्र क्रमांक 209 दिनांक 21.04.2023 तथा पत्र क्रमांक 1575 दिनांक 28.04.2023

.....00.....

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों के संबंध में निवेदन है कि राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म0प्र0 द्वारा दिनांक 22.09.2022 से बैतूल जिले की रेत खनिज की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अनुमोदित की गई है। सस्टेनेबल सेण्ड माइनिंग मेनेजमेंट गाईडलाईन 2016 एवं इनफोर्समेंट मानिटरिंग फार सेण्ड माइनिंग 2020 गाईडलाईन के तहत संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार की गई है।

1- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुरूप ही खनिज रेत की संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (डी.एस.आर.) तैयार की गई है।

खदान क्षेत्र के बदलाव के कारण - 19 रेत खदानों (दौंडी, नालवर, गौनापुर, बांसपुर/शिवसागर, खपरिया, झोली-1, झोली-2, विष्णुपुर, कचलोरा-2, कचलोरा-3, आमढाना रैयत-1, आमढाना रैयत-2, आमढाना रैयत-3, सातलदेही, बटकीढोह, बाकुड़, चिखली आमढाना, सोनतलाई/ समरतढाना, पतौवापुरा) के रकबे, मात्रा एवं अक्षांश-देशांश में संशोधन किया गया है।

2 जिला स्तरीय समिति द्वारा दिनांक 26/05/2023 को डी.एस.आर का अनुमोदन किया गया जिसको जिला स्तर पोर्टल पर दिनांक 29/05/2023 से दिनांक 18/06/2023 तक (21 दिवस हेतु) दावे आपत्ति/सुझाव प्राप्त करने हेतु अपलोड किया गया है।

3- उक्त संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (डी.एस.आर.) 21 दिवस पूर्ण होने पर यदि कोई दावा आपत्ति/सुझाव प्राप्त होता है तो उन सुझावों का तदानुसार निराकरण किया जाकर पुन: डी.एस.आर. संशोधित कर अनुमोदन हेतु प्रस्तुत की जावेगी।

संलग्न:-संशोधित डी.एस.आर.

प्रभारी अधिकारी
(खनिज शाखा)
जिला-बैतूल

पृ0क्रमांक/ख.लि.-2/2023/963- बैतूल, दिनांक 30/05/2023

प्रतिलिपि -

1- संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, म.प्र. 29-ए, खनिज भवन, अरेरा हिल्स भोपाल को सूचनार्थ।
2- कार्यपालक संचालक, म.प्र. राज्य खनिज निगम, पर्यटन भवन, अरेरा हिल्स भोपाल को सूचनार्थ।
3- सदस्य सचिव राज्य स्तरीय मूल्यांकन समिति (SEAC) पर्यावरण परिसर ई-5, अरेरा कालोनी, भोपाल को सूचनार्थ।

30/05/23

प्रभारी अधिकारी
(खनिज शाखा)
जिला-बैतूल

COMPARISION OF SAND MINES DETAILS FROM OLD DSR IN DISTRICT BETUL (M.P.)

Sr. No.	Portion of the River or Stream Recommended for Mineral Concession			Old DSR Area in (Ha.)	New DSR Area in (Ha.)	Difference Area in (Ha.)	Old DSR Depth (in m)	NewDSR Depth (in m)	Old DSR Quantity in Cu.m.	New DSR Quantity in Cu.m.	Old DSR Mineable mineral potential 60% (In Cu.m)	New DSR Mineable mineral potential 60% (In Cu.m)	Difference	Remarks/Reason of difference
	River	Village	Khasra No.											
1	बाकुड़ नदी	बाकुड़	35	2.700	0.500	-2.200	0.810	1.200	21875	6000	13125	3600	-9525	प्रतिबंधित क्षेत्र होने से खदान का रकबा संशोधन किया गया है तथा तकनीकी सत्यापन उपरांत गहराई में परिवर्तन हुआ है
2	मोरंड नदी	खपरिया	18	3.000	3.400	0.400	1.080	1.080	32500	36720	19500	22032	2532	पूर्व डीएसआर मे त्रुटिवस संशोधित रकबा को सम्मिलित नही किया गया था जिसे सम्मिलित किया गया है।
3	भड़ंगा नदी	झोली–1	99	5.000	2.450	-2.550	0.520	0.520	26000	12740	15600	7644	-7956	पूर्व डीएसआर मे त्रुटिवस संशोधित रकबा को सम्मिलित नही किया गया था जिसे सम्मिलित किया गया है।
4	भड़ंगा नदी	विष्णुपुर	1	2.000	3.000	1.000	1.500	1.500	30000	45000	18000	27000	9000	पूर्व डीएसआर मे त्रुटिवस संशोधित रकबा को सम्मिलित नही किया गया था जिसे सम्मिलित किया गया है।
5	कचलोरा नदी	कचलोरा–3	69	0.340	0.620	0.280	2.790	2.790	9500	17298	5700	10379	4679	पूर्व डीएसआर मे त्रुटिवस संशोधित रकबा को सम्मिलित नही किया गया था जिसे सम्मिलित किया गया है।
6	लतिया नदी	आमढाना रैयत–3	178	0.620	0.340	-0.280	2.220	2.220	13750	7548	8250	4529	-3721	पूर्व डीएसआर मे त्रुटिवस संशोधित रकबा को सम्मिलित नही किया गया था जिसे सम्मिलित किया

State Level Environment Impact Assessment Authority, M.P.
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

88

														गया है।
7	तवा नदी	दीड़ी	1	14.050	6.250	0.000	1.490	1.890	210000	118125	126000	70875	33327	उक्त खदान को तहसीलवार प्रथक किया गया है। भौतिक सत्यापन उपरांत गहराई में परिवर्तन हुआ है।
8	तवा नदी	मालवर	38		7.800	0.000		1.890		147420		88452		
9	खमालपुर नदी	चिखली आमढाना	219, 341	7.730	6.632	-1.098	0.650	0.650	50000	43108	30000	25865	-4135	प्रतिबंधित क्षेत्र होने से खदान का रकबा संसोधन किया गया।
10	लटियानदी	कचलोरा–2	98	0.170	0.340	0.170	2.100	2.100	3570	7140	2142	4284	2142	पूर्व डीएसआर मे त्रुटिवस संशोधित रकबा को सम्मिलित नही किया गया था जिसे सम्मिलित किया गया है।
11	लटियानदी	आमढाना रैयत–1	79	0.350	0.170	-0.180	2.300	2.300	8050	3910	4830	2346	-2484	पूर्व डीएसआर मे त्रुटिवस संशोधित रकबा को सम्मिलित नही किया गया था जिसे सम्मिलित किया गया है।
12	लटियानदी	आमढाना रैयत–2	175	0.340	0.350	0.010	1.800	1.800	6120	6300	3672	3780	108	पूर्व डीएसआर मे त्रुटिवस संशोधित रकबा को सम्मिलित नही किया गया था जिसे सम्मिलित किया गया है।
13	भंडगानदी	झोली–2	10	4.000	2.450	-1.550	0.300	0.300	12000	7350	7200	4410	-2790	पूर्व डीएसआर मे त्रुटिवस संशोधित रकबा को सम्मिलित नही किया गया था जिसे सम्मिलित किया गया है।
14	लोहारनदी	सातलदेही	187, 251	8.000	6.100	-1.900	0.480	0.480	38500	29280	23100	17568	-5532	पूर्व डीएसआर मे त्रुटिवस संशोधित रकबा को सम्मिलित नही किया गया था जिसे सम्मिलित किया गया है।
15	भंडगानदी	बटकीढोह	112, 349	1.000	2.060	1.060	1.500	1.500	15000	30900	9000	18540	9540	पूर्व डीएसआर मे त्रुटिवस संशोधित रकबा को सम्मिलित नही किया गया

87

87

State Level Environment Impact Assessment Authority, M.P. (EFCO) Parmeshwaran Panwar Secretary, Bhopal (M.P.)

														था जिसे सम्मिलित किया गया है।
16	बेलनदी	सोनतलाई /समरतढाना	1,1	9.330	5.540	-3.790	0.100	0.400	9000	22160	5400	13296	7896	प्रतिबंधित क्षेत्र होने से खदान का रकबा संशोधन किया गया है भौतिक सत्यापन उपरांत गहराई में परिवर्तन हुआ है।
17	तवानदी	गौनापुर	266	24.970	5.350	0.000	1.090	2.600	272250	139100	163350	83460	226182	उक्त खदान को तहसीलवार प्रथक किया गया है। भौतिक सत्यापन उपरांत गहराई में परिवर्तन हुआ है।
18	तवानदी	बांसपुर/ शिवसागर	1, 1, 288,		19.620	0.000		2.600		510120		306072		
19	मावनानदी	पतौवापुरा	112	11.000	1.820	-9.180	1.820	1.820	198000	33124	118800	19874	-98926	प्रतिबंधित क्षेत्र होने से खदान का रकबा संशोधन किया गया।

नोट :–

1. उपरोक्त रेत खदानो मे से बाकुड़, चिखली आमढ़ाना, पतौवापुरा, सोनतलई/समरतढ़ाना मे प्रतिबंधित क्षेत्र छोड़ने के उपरांत रकबा संशोधन एवं अक्षांश देशांश मे परिवर्तन किया गया है।
2. रेत खदान दौड़ी, मालवर, गौनापुर एवं शिवसागर/बॉसपुर को तहसीलवार पृथक–पृथक किया गया है। जिसके कारण खदान क्षेत्र के रकबा मे संशोधन एवं अक्षांश देशांश मे परिवर्तन किया गया है।
3. रेत खदान खपरिया, झोली–1, झोली–2, विष्णुपुर, कचलौरा–2, कचलौरा–3, आमढ़ाना रैयत–1, आमढ़ाना रैयत–2, आमढ़ाना रैयत–3, सातलदेही, एवं बटकीढोह के संशोधित रकबे को पूर्व डीएसआर मे त्रुटिवस सम्मिलित नही किया गया था जिसे संशोधित डीएसआर मे पूर्व आदेशो के अनुसार रकबा को सम्मिलित किया गया है। एवं अक्षांश देशांश मे परिवर्तन किया गया है।
4. रेत खदान दौड़ी, मालवर, शिवसागर/बॉसपुर, गौनापुर, सोनतलई/समरतढ़ाना एवं बाकुड़ मे गठित दल द्वारा भौतिक सत्यापन के उपरांत रेत खदान क्षेत्र मे उपलब्ध रेत की गहराई मे परिवर्तन हुआ है, जिस कारण रेत खनिज की मात्रा मे अंतर आया है। किये गये भौतिक सत्यापन के संशोधित डीएसआर मे छायाचित्र संलग्न है।

State Level Environment Impact Assessment Authority (SEIAA) Parivesh, Bhopal

प्रभारी अधिकारी
(खनिज – शाखा)
जिला बैतूल

कार्यालय कलेक्टर (खनिज–शाखा) बैतूल

:: संशोधित आदेश ::

क्रमांक/ख0लि0–2/2023/929 बैतूल, दिनांक 25/05/2023

कार्यालयीन आदेश क्रमांक/खनिज–2/2023/350 दिनांक 22.02.2023 को गठित दल द्वारा पूर्व घोषित रेत खदान ग्राम–दौड़ी/मालवर तहसील–शाहपुर/घोड़ाडोंगरी खसरा क्रमांक 01 के भाग रकबा 6.250 हेक्टेयर एवं ग्राम–मालवर तहसील घोड़ाडोंगरी खसरा क्रमांक 38 के भाग रकबा 7.800 हेक्टेयर कुल रकबा 14.050 हेक्टेयर क्षेत्र के संबंध में खनि निरीक्षक, बैतूल एवं सहायक मानचित्रकार द्वारा प्रतिवेदन, मौका पंचनामा एवं संशोधित नक्शा प्रस्तुत कर प्रतिवेदन दिनांक 25.03.2023 में बिन्दुवार लेख किया गया है कि :–

(1) उक्त स्वीकृत रेत खदान दो तहसील शाहपुर एवं घोड़ाडोंगरी क्षेत्र अन्तर्गत आती हैं।
(2) उक्त रेत खदान 250 मीटर की परिधि में वन सीमा,ग्रामीण आबादी, सार्वजनिक/धार्मिक स्थल मौजूद नहीं हैं।
(3) उक्त खदान क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में खनिज रेत उपलब्ध हैं जिसकी औसत गहराई 1.890 मीटर हैं।

उक्त रेत खदान को पृथक–पृथक तहसील में विभाजित किया जाकर खदान का रकबा संशोधित किया जाना प्रस्तावित है, प्रतिवेदित किया गया हैं।

अतः खनि निरीक्षक, बैतूल के जॉच प्रतिवेदन एवं सहायक मानचित्रकार के प्रतिवेदन तथा संशोधित नक्शा के आधार पर पूर्व घोषित रेत खदान को निम्नानुसार तहसीलवार पृथक किया जाता हैं।

(1) ग्राम–दौड़ी तहसील शाहपुर के खसरा क्रमांक 01 के भाग रकबा 6.250 हेक्टेयर
(2) ग्राम–मालवर तहसील घोड़ाडोंगरी खसरा क्रमांक 38 के भाग रकबा 7.800 हेक्टेयर

(कलेक्टर महो0द्वारा अनुमोदित)

अपर कलेक्टर
बैतूल

पृ0क्रमांक/ख0लि0–2/2023/929 बैतूल, दिनांक 25/05/2023

प्रतिलिपिः–

1. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित।
2. कार्यपालक संचालक, मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम, पर्यावास भवन,भोपाल को सादर सूचनार्थ।
3. संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. वनमण्डलाधिकारी, उत्तर बैतूल (सा0) वनमंडल।
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत बैतूल को सूचनार्थ प्रेषित।
6. अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व) शाहपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
7. तहसीलदार, शाहपुर /घोडाडोंगरी की ओर सूचनार्थ ।
8. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत शाहपुर /घोड़ाडोंगरी को सूचनार्थ।
9. खनि निरीक्षक/खनि सर्वेयर/खनि सहायक मानचित्रकार बैतूल।
10. सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत–कुण्डी जनपद पंचायत शाहपुर जिला बैतूल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
11. सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत–खापा जनपद पंचायत घोड़ाडोंगरी जिला बैतूल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

अपर कलेक्टर
बैतूल

Let.15

प्रति,

कलेक्टर महोदय
(खनिज शाखा)
जिला बैतूल

विषयः- जिला बैतूल अंतर्गत पूर्व घोषित रेत खदान दौड़ी/मालवर खसरा क्रमांक 01, 38 रकबा 14.050 हे0 के संबंध में भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन बाबत।

संदर्भः- कार्यालयीन पत्र क्रमांक/2023/350 बैतूल दिनांक 22/02/2023

-००-

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के पालन में लेख है कि खनिज एवं राजस्व अमला बैतूल द्वारा दिनांक 25/02/2023 को पूर्व घोषित रेत खदान दौड़ी/मालवर खसरा क्रमांक 01, 38 रकबा 14.050 हे0 का स्थल निरीक्षण किया गया। प्रतिवेदन बिन्दुवार प्रस्तुत है:-

1- उक्त स्वीकृत रेत खदान दो तहसील शाहपुर एवं घोड़ाडोंगरी क्षेत्र अंतर्गत आती है।

2- उक्त रेत खदान 250 मी. की परिधि में वन सीमा, ग्रामीण आबादी, सार्वजनिक/धार्मिक स्थल स्थल मौजूद नहीं है।

3- उक्त खदान क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में खनिज रेत उपलब्ध है जिसकी औसत गहराई 1.890 मीटर है।

अतः उक्त रेत खदान को पृथक-पृथक तहसील में विभाजित किया जाकर खदान का रकबा संशोधित किया जाना प्रस्तावित है।

प्रतिवेदन अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत।

संलग्नः- मौका पंचनामा।

25/3/2023
खनि निरीक्षक
(खनिज शाखा)
जिला-बैतूल

[illegible]

[illegible] खसरा नं. 24/1 रकबा 0.89 हे. भूमि [illegible] मौजा [illegible] तहसील [illegible] जिला बैतूल की [illegible] खसरा नम्बर 1, [illegible] पर [illegible] के [illegible] कब्जा है तथा [illegible] कराये जाने हेतु कलेक्ट (अधिग्रहण शाखा) बैतूल के आदेश क्रमांक 350 दि० 22/02/2023 के पालन में गठित दल द्वारा उक्त मौके पर उपस्थित होकर रेत खदान का मौका निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उक्त मौके पर पर्याप्त कागज के अनुसार रेत होना पाया गया। जिसकी कोलतन लम्बाई 1.89 कि.मी. पाई गई। उक्त रेत खदान की 250 मीटर की परिधि में वन सीमा, ग्रामीण, आबादी, सार्वजनिक धार्मिक स्थल नहीं है।

मौका पंचनामा लिखकर, पढ़कर सुनाकर हस्ताक्षर किया।

Revenue Inspector 25/3/2023 RI

25/03/2023 (Trainee/ADM) Betul

25/3/23 MI Betul

DEO Sikar [illegible] Dy SI Sikar322

कार्यालय कलेक्टर (खनिज–शाखा) बैतूल

–: संशोधित आदेश :–

क्रमांक/ख0लि0–2/2023/931 बैतूल, दिनांक25/05/2023

कार्यालयीन आदेश क्रमांक/खनिज–2/2023/350 दिनांक 22.02.2023 को गठित दल द्वारा पूर्व घोषित रेत खदान ग्राम–शाहपुर/पतौवापुरा तहसील–शाहपुर खसरा क्रमांक 01, 112 कुल रकबा 11.000 हेक्टेयर क्षेत्र के संबंध में खनि निरीक्षक, बैतूल एवं सहायक मानचित्रकार द्वारा प्रतिवेदन, मौका पंचनामा एवं संशोधित नक्शा प्रस्तुत कर प्रतिवेदन दिनांक 25.02.2023 में बिन्दुवार लेख किया गया है कि:–

(1) उक्त रेत खदान से रेल्वे लाईन लगभग 02 कि.मी.,ग्रामीण आबादी लगभग 270 मीटर दूर स्थित हैं।

(2) रेत खदान से 250 मीटर की परिधि में वन सीमा स्थित नहीं हैं।

(3) उक्त रेत खदान में पर्याप्त मात्रा में खनिज रेत उपलब्ध हैं जिसकी औसत गहराई 1.800 मीटर हैं। उक्त रेत खदान के ऊपरी सिरे से एन.एच.69 का नवीन पुल निर्माणाधीन हैं। रेत खदान का रकबा संशोधित किया जाना प्रस्तावित है, प्रतिवेदित किया गया हैं।

अतः खनि निरीक्षक, बैतूल के उपरोक्त जॉच प्रतिवेदन, मौका पंचनामा एवं सहायक मानचित्रकार के प्रतिवेदन तथा संशोधित नक्शा के आधार पर पूर्व घोषित रेत खदान ग्राम–शाहपुर तहसील शाहपुर के खसरा क्रमांक 01 रकबा 5.000 हेक्टेयर एवं ग्राम पतौवापुरा खसरा क्रमांक 112 के भाग 6.000 हेक्टेयर कुल रकबा 11.000 हेक्टेयर क्षेत्र के स्थान पर संशोधित रेत खदान ग्राम पतौवापुरा खसरा क्रमांक 112 रकबा 1.820 हेक्टेयर किया जाता हैं।
(कलेक्टर महो0 द्वारा अनुमोदित)

अपर कलेक्टर
बैतूल

बैतूल, दिनांक25/05/2023

पृ0क्रमांक/ख0लि0–2/2023/931

प्रतिलिपिः–

1. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित।
2. कार्यपालक संचालक, मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम, पर्यावास भवन,भोपाल को सादर सूचनार्थ।
3. संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. वनमण्डलाधिकारी, उत्तर बैतूल (सा0) वनमंडल।
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत बैतूल को सूचनार्थ प्रेषित।
6. अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व) शाहपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
7. तहसीलदार, शाहपुर की ओर सूचनार्थ ।
8. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत शाहपुर को सूचनार्थ ।
9. खनि निरीक्षक/ खनि सर्वेयर/खनि सहायक मानचित्रकार बैतूल।
10. मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपरिषद शाहपुर जिला बैतूल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

अपर कलेक्टर
बैतूल

कलेक्टर महोदय
(खनिज शाखा)
जिला बैतूल

विषय:- जिला बैतूल अंतर्गत पूर्व घोषित रेत खदान के संबंध में भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन बाबत।
संदर्भ:- कार्यालयीन पत्र क्रमांक/खनिज/2023/350 बैतूल दिनांक 22.02.2023

-----00-----

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के परिपालन मे लेख है कि खनिज एंव राजस्व अमला द्वारा दिनांक 25.02.2023 को जिला बैतूल अंतर्गत पूर्व घोषित रेत खदान शाहपुर/पतौआपुरा खसरा क्रमांक 1,112 रकबा 11.00 हे0 का स्थल निरीक्षण किया गया। प्रतिवेदन बिन्दुवार प्रस्तुत है:-

MC2

1. उक्त रेत खदान से रेल्वे लाईन लगभग 02 कि0मी0, ग्रामीण आबादी लगभग 270 मी0 दूर स्थित है।
2. रेत खदान से 250 मी0 की परिधि में वन सीमा स्थित नही है।
3. उक्त रेत खदान में पर्याप्त मात्रा में खनिज रेत उपलब्ध है जिसकी औसतन गहराई 1.800 मी0 है।

उक्त रेत खदान के उपरी सिरे से एन एच 69 का नवीन पुल निर्माणाधीन है। अत : खदान का रकबा संशोधित किया जाना प्रस्तावित है।

प्रतिवेदन अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

संलग्न:- मौका पंचनामा।

25/2/23

जनि निरीक्षक
(खनिज शाखा)
जिला बैतूल

मौका पंचनामा

हम पंचगण अधोहस्ताक्षरकर्ता कार्यालय/कुर्सी से आज दिनांक 24/04/2023 को मौका स्थल आरहुर/पनौवाधुरा ब. नं. 1, 12 समय 11.00 बजे पहुंच उपस्थित होकर यह पंचनामा तहरीर करते हैं कि आपसी कलेक्ट (खनिज शाखा) जिला बैतूल के आदेश क्रमांक 350 दि० 22/02/2023 के पालन में उक्त दर्ज किए पूर्व घोषित रेत खदान का स्थल निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उक्त खदान के उत्तरी सिरे से NH-69 का निर्माणाधीन पुल लगा होना पाया गया। उक्त खदान से NH-69 की दूरी लगभग 2 कि.मी. एवं आबादी लगभग 2.70 कि.मी. दूरी पर होना पाया गया। उक्त खदान से वन सीमा की दूरी 250 मी० से अधिक होना पाया। स्वीकृत क्षेत्र के आंशिक भाग पर पक्की सड़क रेत खनिज उपलब्ध है। जिसकी औसतन गहराई 1.800 मीटर है।

मौका पंचनामा लिखा, पढ़ा, सुना, सहीपाया एवं हस्ताक्षर किया।

24/4/23

25/4/2023
(Asstt Ins. Betul)

खनि-निरीक्षक
बैतूल

25/4/2023

कार्यालय कलेक्टर (खनिज–शाखा) बैतूल

–: संशोधित आदेश :–

क्रमांक/.ख0लि0–2/2023/930 बैतूल, दिनांक 25/05/2023

कार्यालयीन आदेश क्रमांक/खनिज–2/2023/350 दिनांक 22.02.2023 को गठित दल द्वारा पूर्व घोषित रेत खदान ग्राम–बाकुड़ तहसील घोड़ाडोंगरी खसरा क्रमांक 35 रकबा 2.700 हेक्टेयर क्षेत्र के संबंध में खनि निरीक्षक, बैतूल एवं सहायक मानचित्रकार द्वारा प्रतिवेदन, मौका पंचनामा एवं संशोधित नक्शा प्रस्तुत कर प्रतिवेदन दिनांक 04.05.2023 में बिन्दुवार लेख किया गया है कि:–

(1) उक्त स्वीकृत रेत खदान क्षेत्र के मध्य भाग पर ब्रिज निर्मित हैं एवं स्वीकृत रेत खदान क्षेत्र के पूर्वी भाग पर भी ब्रिज निर्मित होना पाया गया।

(2) उक्त रेत खदान क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में खनिज रेत उपलब्ध हैं जिसकी औसत गहराई 1.2 मीटर हैं।

नियमानुसार प्रतिबंधित दूरियॉं छोड़ने के उपरांत एवं सहायक मानचित्रकार से क्षेत्र उपलब्धता संबंधी प्रतिवेदन प्राप्त किया जाकर उक्त खदान का रकबा संशोधित किया जाना प्रस्तावित है, प्रतिवेदित किया गया हैं।

अतः खनि निरीक्षक,बैतूल के उपरोक्त जॉंच प्रतिवेदन एवं सहायक मानचित्रकार के प्रतिवेदन तथा संशोधित नक्शा के आधार पर पूर्व घोषित रेत खदान ग्राम–बाकुड़ तहसील घोड़ाडोंगरी के खसरा क्रमांक 35 रकबा 2.700 हेक्टेयर के स्थान पर संशोधित रकबा 0.500 हेक्टेयर किया जाता हैं।

(कलेक्टर महो0 द्वारा अनुमोदित)

अपर कलेक्टर
बैतूल

बैतूल, दिनांक 25/05/2023

पृ0क्रमांक/ख0लि0–2/2023/930

प्रतिलिपिः–

1. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित।
2. कार्यपालक संचालक, मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम, पर्यावास भवन,भोपाल को सादर सूचनार्थ।
3. संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. वनमण्डलाधिकारी, उत्तर बैतूल (सा0) वनमंडल।
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत बैतूल को सूचनार्थ प्रेषित।
6. अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व) शाहपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
7. तहसीलदार, घोड़ाडोंगरी की ओर सूचनार्थ ।
8. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत घोड़ाडोंगरी को सूचनार्थ।
9. खनि निरीक्षक/ खनि सर्वेयर/खनि सहायक मानचित्रकार बैतूल।
10. सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत–बाकुड़ जनपद पंचायत बैतूल जिला बैतूल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

अपर कलेक्टर
बैतूल

Let.15

प्रति,

कलेक्टर महोदय
(खनिज शाखा)
जिला बैतूल

विषयः- जिला बैतूल अंतर्गत पूर्व घोषित रेत खदान बाकुड़ खसरा क्रमांक 35 रकबा 2.700 हे0 के संबंध में भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन बाबत।

संदर्भः- कार्यालयीन पत्र क्रमांक/2023/350 बैतूल दिनांक 22/02/2023

-००-

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के पालन में लेख है कि खनिज अमला बैतूल द्वारा दिनांक 04/05/2023 को पूर्व घोषित रेत खदान बाकुड़ खसरा क्रमांक 35 रकबा 2.700 हे0 का स्थल निरीक्षण किया गया। प्रतिवेदन बिन्दुवार प्रस्तुत हैः-

1- स्वीकृत रेत खदान क्षेत्र के मध्य भाग पर ब्रीज निर्मित है एवं स्वीकृत रेत खदान क्षेत्र के पूर्वी भाग पर भी ब्रीज निर्मित होना पाया गया।

2- उक्त खदान क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में खनिज रेत उपलब्ध है जिसकी औसत गहराई 1.2 मीटर है।

अतः नियमानुसार प्रतिबंधित दूरियां छोड़ने के उपरांत एवं सहायक मानचित्रकार से क्षेत्र उपलब्धता संबंधी प्रतिवेदन प्राप्त किया जाकर उक्त खदान का रकबा संशोधित किया जाना प्रस्तावित है। है।

प्रतिवेदन अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत।

संलग्नः- मौका पंचनामा।

4/5/2023

खनि निरीक्षक
(खनिज शाखा)
जिला-बैतूल

पंचनामा

हम पंचगण जांचे हस्ताक्षरकर्ता आज दि. 04/05/2023 को मौजा खापा जानुड़ मु.स.नं. 35, रकबा 2.700 है. में उप. तहसील सट पंचनामा तस्दीक करते हैं कि कार्या. पत्र क्रं. 350 दि. 22/2/23 के परिपालन में खनिज अमला बैतुल द्वारा ग्राम पंचायत खेत खदान ग्राम जानुड़ स.नं. 35, रकबा 2.700 है. का सर्वे किया गया। निरीक्षण से दौरान उक्त प्रस्तावित खेत खदान खेत से मध्य मार्ग पर ब्रिज निर्मित होना पाया गया। साथ ही प्रस्तावित खेत खदान खदान खेत से दूसरी मार्ग पर भी ब्रिज होना पाया गया। उक्त खदान खेत में पर्याप्त मात्रा में खनिज रेत उपलब्ध है, जिसकी औसत गहराई 1.200 मी. होना पाया गया। खदान से उत्तरी दिशा में पहाड़ होना पाया गया। पंचनामा मौके पर तैयार किया, पढ़ा-सुना सही पाया बाद दस्तखत किये।

04/05/2023

खनि. निरीक्षक
बैतुल

04/05/2023
(IMS)

04/05/23
स.भा.वि.
अधिकारी

अनिता

कार्यालय कलेक्टर (खनिज–शाखा) बैतूल

–: संशोधित आदेश :–

क्रमांक/ख0लि0–2/2023/928 बैतूल, दिनांक 25/05/2023

कार्यालयीन आदेश क्रमांक/खनिज–2/2023/350 दिनांक 22.02.2023 को गठित दल द्वारा पूर्व घोषित रेत खदान ग्राम–बांसपुर/शिवसागर/गौनापुर तहसील घोड़ाडोंगरी ग्राम बांसपुर खसरा क्रमांक 01 रकबा 6.900 हे0 ग्राम–शिवसागर खसरा क्रमांक 01 एवं 288 का रकबा क्रमशः 5.500 हे0 एवं 7.220 हे0 तथा तहसील शाहपुर ग्राम–गौनापुर के खसरा क्रमांक 266 का रकबा 5.350 हे0 कुल रकबा 24.970 हेक्टेयर क्षेत्र के संबंध में खनि निरीक्षक, बैतूल एवं सहायक मानचित्रकार द्वारा प्रतिवेदन, मौका पंचनामा एवं संशोधित नक्शा प्रस्तुत कर प्रतिवेदन दिनांक 12.04.2023 में बिन्दुवार लेख किया गया है कि:–

(1) उक्त स्वीकृत रेत खदान दो तहसील शाहपुर एवं घोड़ाडोंगरी क्षेत्र अन्तर्गत आती हैं।
(2) उक्त रेत खदान 250 मीटर की परिधि में वन सीमा,ग्रामीण आबादी, सार्वजनिक/धार्मिक स्थल मौजूद नहीं हैं।
(3) उक्त खदान क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में खनिज रेत उपलब्ध हैं जिसकी औसत गहराई 2.60 मीटर हैं।

उक्त रेत खदान को पृथक–पृथक तहसील में विभाजित किया जाकर खदान का रकबा संशोधित किया जाना प्रस्तावित है, प्रतिवेदित किया गया हैं।

अतः खनि निरीक्षक, बैतूल के जॉच प्रतिवेदन एवं सहायक मानचित्रकार के प्रतिवेदन तथा संशोधित नक्शा के आधार पर पूर्व घोषित रेत खदान को निम्नानुसार तहसीलवार पृथक किया जाता हैं।

(1) **ग्राम–गौनापुर** तहसील शाहपुर के खसरा क्रमांक 266 के भाग पूर्व घोषित रकबा 5.350 हेक्टेयर
(2) **ग्राम–बांसपुर** तहसील घोड़ाडोंगरी खसरा क्रमांक 1 के भाग रकबा 6.900 हेक्टेयर एवं **ग्राम–शिवसागर** खसरा क्रमांक 1 एवं 288 का रकबा क्रमशः 5.500 हे0 एवं 7.220 हे0 कुल रकबा 19.620 हेक्टेयर ।

(कलेक्टर महो0द्वारा अनुमोदित)

अपर कलेक्टर
बैतूल

बैतूल, दिनांक 25/05/2023

पृ0क्रमांक/ख0लि0–2/2023/928

प्रतिलिपिः–

1. सचिव,मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित।
2. कार्यपालक संचालक, मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम, पर्यावास भवन,भोपाल को सादर सूचनार्थ।
3. संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. वनमण्डलाधिकारी, उत्तर बैतूल (सा0) वनमंडल।
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत बैतूल को सूचनार्थ प्रेषित।
6. अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व) शाहपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
7. तहसीलदार, शाहपुर /घोड़ाडोंगरी की ओर सूचनार्थ।
8. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत शाहपुर/घोड़ाडोंगरी को सूचनार्थ ।
9. खनि निरीक्षक/खनि सर्वेयर/खनि सहायक मानचित्रकार बैतूल।
10. सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत–सिलपटी जनपद पंचायत शाहपुर जिला बैतूल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
11. सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत–बांसपुर/हीरापुर जनपद पंचायत घोड़ाडोंगरी जिला बैतूल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

अपर कलेक्टर
बैतूल

Let.15

प्रति,

कलेक्टर महोदय
(खनिज शाखा)
जिला बैतूल

विषयः- जिला बैतूल अंतर्गत पूर्व घोषित रेत खदान बांसपुर/शिवसागर/गौनापुर खसरा क्रमांक 01, 288.266 कुल रकबा 24.970 हे0 के संबंध में भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन बाबत।

संदर्भः- कार्यालयीन पत्र क्रमांक/2023/350 बैतूल दिनांक 22/02/2023

-००-

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के पालन में लेख है कि खनिज अमला बैतूल द्वारा दिनांक 12/04/2023 को पूर्व घोषित रेत खदान बांसपुर/शिवसागर/गौनापुर खसरा क्रमांक 01, 288.266 कुल रकबा 24.970 हे0 का स्थल निरीक्षण किया गया। प्रतिवेदन बिन्दुवार प्रस्तुत हैः-

1- उक्त स्वीकृत रेत खदान दो तहसील शाहपुर एवं घोड़ाडोंगरी क्षेत्र अंतर्गत आती है।

2- उक्त रेत खदान 250 मी. की परिधि में वन सीमा, ग्रामीण आबादी, सार्वजनिक/धार्मिक स्थल मौजूद नहीं है।

3- उक्त खदान क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में खनिज रेत उपलब्ध है जिसकी औसत गहराई 2.60 मीटर है।

अतः उक्त रेत खदान को पृथक-पृथक तहसील में विभाजित किया जाकर खदान का रकबा संशोधित किया जाना प्रस्तावित है।

प्रतिवेदन अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत।

संलग्नः- मौका पंचनामा।

12/4/2023
खनि निरीक्षक
(खनिज शाखा)
जिला-बैतूल

मौका-पंचनामा

हम पंचगण निम्नहस्ताक्षरकर्ता आज दिनांक 12/04/2023 को मौका स्थल खुर्द पोदित रेत खदान बासपुर/सिनसागर/गोनापुर रकबा 1,1288.266 हे. में उप. होकर यह पंचनामा तस्दीक करते हैं कि कलेक्ट. पत्र क्र. 350 दिनांक 22/2/2022 के परिपालन में खनिज अमला बैतूल द्वारा खुर्द पोदित रेत खदान बासपुर/सिनसागर/गोनापुर रकबा क्र० 1,1288.266 रकबा 24.470 हे० का सर्वे किया गया। स्वीकृत रेत खदान तहसील डाबरी एवं तह० शाहपुर अंतर्गत विभक्त है। उक्त रेत खदान में पर्याप्त मात्रा में खनिज रेत उपलब्ध है। निस्तेपित खनिज रेत की औसत गहराई 2.60 मी० होना पाया गया।

पंचनामा मौके पर तैयार किया, पढ़ा-सुना सही पाया बाद हस्ता० किये।

12/4/2023

खनि० निरीक्षक
बैतूल

12/04/2023
(JMS)

12/04/2023
स.ग.वि.
बैतूल

कार्यालय कलेक्टर (खनिज–शाखा) बैतूल

– संशोधित आदेश –

क्रमांक / ख0लि0–2 / 2023 / 935 बैतूल, दिनांक 25 / 05 / 2023

कार्यालयीन आदेश क्रमांक / खनिज–2 / 2023 / 350 दिनांक 22.02.2023 को गठित दल द्वारा पूर्व घोषित रेत खदान ग्राम–सोनतलाई तहसील–आमला खसरा क्रमांक 1 कुल रकबा 11.617 हेक्टेयर में से 9.330 हेक्टेयर क्षेत्र के संबंध में खनि निरीक्षक, बैतूल एवं सहायक मानचित्रकार द्वारा प्रतिवेदन, मौका पंचनामा एवं संशोधित नक्शा प्रस्तुत कर प्रतिवेदन दिनांक 18.04.2023 में बिन्दुवार लेख किया गया है कि–

(1) उक्त स्वीकृत रेत खदान दो ग्रामों समरतढाना एवं सोनतलाई में विभक्त है। (राजस्व अभिलेख अनुसार) एवं ग्राम समरतढाना के उत्तरी भाग में स्टाप डेम निर्मित है।
(2) सोनतलाई एवं समरतढाना के मध्य ब्रीज एवं दक्षिणी भाग पर स्टाप डेम निर्मित है।
(3) उक्त रेत खदान क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में खनिज रेत उपलब्ध है जिसकी औसत गहराई 0.400 मीटर है।

नियमानुसार प्रतिबंधित दूरियाँ छोड़ने के उपरांत एवं सहायक मानचित्रकार से क्षेत्र उपलब्धता संबंधी प्रतिवेदन प्राप्त किया जाकर उक्त खदान का रकबा संशोधित किया जाना प्रस्तावित है, प्रतिवेदित किया गया है।

अतः खनि निरीक्षक, बैतूल के जाँच प्रतिवेदन एवं सहायक मानचित्रकार के प्रतिवेदन तथा संशोधित नक्शा के आधार पर पूर्व घोषित रेत खदान ग्राम–सोनतलाई तहसील आमला के खसरा क्रमांक 01 के रकबा 9.330 हेक्टेयर के स्थान पर संशोधित ग्राम समरतढाना खसरा क्रमांक 01 रकबा 4.720 हे0 एवं ग्राम सोनतलाई खसरा क्रमांक 01 रकबा 0.920 हेक्टेयर क्षेत्र अर्थात कुल रकबा 5.540 हेक्टेयर किया जाता है।

(कलेक्टर महो0 द्वारा अनुमादित)

अपर कलेक्टर
बैतूल

पृ0क्रमांक / ख0लि0–2 / 2023 / 935 बैतूल, दिनांक 25 / 05 / 2023

प्रतिलिपि:–

1. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित।
2. कार्यपालक संचालक, मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम, पर्यावास भवन, भोपाल को सादर सूचनार्थ।
3. संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. वनमण्डलाधिकारी, दक्षिण बैतूल (सा0) वनमंडल।
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत बैतूल को सूचनार्थ प्रेषित।
6. अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व) मुलताई की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
7. तहसीलदार, आमला की ओर सूचनार्थ ।
8. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत आमला को सूचनार्थ।
9. खनि निरीक्षक / खनि सर्वेयर / खनि सहायक मानचित्रकार बैतूल।
10. सरपंच / सचिव ग्राम पंचायत–तिरमहू, जनपद पंचायत आमला जिला बैतूल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

अपर कलेक्टर
बैतूल

Let.15

कार्यालय कलेक्टर (खनिज–शाखा) बैतूल

–: संशोधित आदेश :–

क्रमांक / ख0लि0–2 / 2023 / 935 बैतूल, दिनांक 25 / 05 / 2023

कार्यालयीन आदेश क्रमांक / खनिज–2 / 2023 / 350 दिनांक 22.02.2023 को गठित दल द्वारा पूर्व घोषित रेत खदान ग्राम–सोनतलाई तहसील–आमला खसरा क्रमांक 1 कुल रकबा 11.617 हेक्टेयर में से 9.330 हेक्टेयर क्षेत्र के संबध मे खनि निरीक्षक, बैतूल एवं सहायक मानचित्रकार द्वारा प्रतिवेदन, मौका पंचनामा एवं संशोधित नक्शा प्रस्तुत कर प्रतिवेदन दिनांक 18.04.2023 में बिन्दुवार लेख किया गया है कि:–

(1) उक्त स्वीकृत रेत खदान दो ग्रामों समरतढाना एवं सोनतलाई में विभक्त हैं। (राजस्व अभिलेख अनुसार) एवं ग्राम समरतढाना के उत्तरी भाग में स्टाप डेम निर्मित हैं।

(2) सोनतलाई एवं समरतढाना के मध्य ब्रीज एवं दक्षिणी भाग पर स्टाप डेम निर्मित हैं।

(3) उक्त रेत खदान क्षेत्र मे पर्याप्त मात्रा में खनिज रेत उपलब्ध हैं जिसकी औसत गहराई 0.400 मीटर है।

नियमानुसार प्रतिबंधित दूरियाँ छोडने के उपरांत एवं सहायक मानचित्रकार से क्षेत्र उपलब्धता संबधी प्रतिवेदन प्राप्त किया जाकर उक्त खदान का रकबा संशोधित किया जाना प्रस्तावित है, प्रतिवेदित किया गया है।

अतः खनि निरीक्षक, बैतूल के जाँच प्रतिवेदन एवं सहायक मानचित्रकार के प्रतिवेदन तथा संशोधित नक्शा के आधार पर पूर्व घोषित रेत खदान ग्राम–सोनतलाई तहसील आमला के खसरा क्रमांक 01 के रकबा 9.330 हेक्टेयर के स्थान पर संशोधित ग्राम समरतढाना खसरा क्रमांक 01 रकबा 4.720 हे0 एवं ग्राम सोनतलाई खसरा क्रमांक 01 रकबा 0.920 हेक्टेयर क्षेत्र अर्थात कुल रकबा 5.540 हेक्टेयर किया जाता है।

(कलेक्टर महो0 द्वारा अनुमोदित)

अपर कलेक्टर
बैतूल

पृ0क्रमांक / ख0लि0–2 / 2023 / 935 बैतूल, दिनांक 25 / 05 / 2023

प्रतिलिपिः–

1. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित।
2. कार्यपालक संचालक, मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम, पर्यावास भवन, भोपाल को सादर सूचनार्थ।
3. संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. वनमण्डलाधिकारी, दक्षिण बैतूल (सा0) वनमंडल।
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत बैतूल को सूचनार्थ प्रेषित।
6. अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व) मुलताई की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
7. तहसीलदार, आमला की ओर सूचनार्थ ।
8. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत आमला को सूचनार्थ।
9. खनि निरीक्षक / खनि सर्वेयर / खनि सहायक मानचित्रकार बैतूल।
10. सरपंच / सचिव ग्राम पंचायत–तिरमहू जनपद पंचायत आमला जिला बैतूल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

अपर कलेक्टर
बैतूल

Let.15

प्रति,

कलेक्टर महोदय
(खनिज शाखा)
जिला बैतूल

विषयः- जिला बैतूल अंतर्गत पूर्व घोषित रेत खदान सोनतलाई खसरा क्रमांक 01 कुल रकबा 11.617 हे0 में से स्वीकृत रकबा 9.330 हे0 के संबंध में भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन बाबत।

संदर्भः- कार्यालयीन पत्र क्रमांक/2023/350 बैतूल दिनांक 22/02/2023

-oo-

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के पालन में लेख है कि खनिज अमला बैतूल द्वारा दिनांक 18/04/2023 को पूर्व घोषित रेत खदान सोनतलाई खसरा क्रमांक 01 कुल रकबा 11.617 हे0 में से स्वीकृत रकबा 9.330 हे0 का स्थल निरीक्षण किया गया। प्रतिवेदन बिन्दुवार प्रस्तुत हैः-

1- उक्त स्वीकृत रेत खदान दो ग्रामों समरतढाना एवं सोनतलाई में विभक्त है। (राजस्व प्रतिवेदन अनुसार) एवं ग्राम समरतढाना के उत्तरी भाग में स्टाप डेम निर्मित है।

2- सोनतलाई एवं समरतढाना के मध्य ब्रीज एवं दक्षिणी भाग पर स्टाप डेम निर्मित है।

3- उक्त खदान क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में खनिज रेत उपलब्ध है जिसकी औसत गहराई 0.400 मीटर है।

अतः नियमानुसार प्रतिबंधित दूरियां छोड़ने के उपरांत एवं सहायक मानचित्रकार से क्षेत्र उपलब्धता संबंधी प्रतिवेदन प्राप्त किया जाकर उक्त खदान का रकबा संशोधित किया जाना प्रस्तावित है। है।

प्रतिवेदन अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत।

संलग्नः- मौका पंचनामा।

18/4/2023
खनि निरीक्षक
(खनिज शाखा)
जिला-बैतूल

मौका पंचनामा

हम पंचगण मौकाहस्ताक्षरकर्ता आज दिनांक 18/04/23 को मौका स्थल सोनतलाई (बोन नदी पार) पर जा कर यह पंचनामा तस्दीक करते हैं कि आमा पता ग्रा० 350 दि० 22/2/23 के परिपालन में खनिज जमला बेतुल द्वारा पूर्व जोखित रेत खदान सोनतलाई ख० नं० 1, रकबा 11.617 हे० का सर्वे किया गया। निरीक्षण के दौरान उक्त स्वीकृत खदान दो ग्रामों समरतढाना एवं सोनतलाई में विभक्त होना पाया गया। ग्राम समरतढाना के उत्तरी भाग में स्लाप-डेम बना होना पाया गया। सोनतलाई एवं समरत ढाना के मध्य ब्रिज एवं दक्षिणी भाग पर स्लाप डेम निर्मित होना पाया गया। स्वीकृत खदान में पर्यटित माता में खनिज रेत उपलब्ध है जिसकी औसत गहराई 0.400 मी० है।

पंचनामा मौके पर तैयार किया, पढ़ा सुना सही पाया जाय हस्ताक्षर किये।

18/04/2023
(IMS)

18/4/23
स.भा.वि.
बेतुल

18/4/23
खनि. निरीक्षक
बेतुल

उत्तम कोचे सरपंच

कार्यालय कलेक्टर (खनिज–शाखा) बैतूल

–: संशोधित आदेश :–

क्रमांक/ख0लि0–2/2023/932 बैतूल, दिनांक 25/05/2023

कार्यालयीन आदेश क्रमांक/खनिज–2/2023/350 दिनांक 22.02.2023 को गठित दल द्वारा पूर्व घोषित रेत खदान ग्राम–चिखलीआमढाना तहसील घोड़ाडोंगरी के खसरा क्रमांक 341 के भाग रकबा 5.600 हेक्टेयर एवं खसरा क्रमांक 219 के भाग रकबा 2.130 हेक्टेयर कुल रकबा 7.730 हेक्टेयर क्षेत्र के संबंध में खनि निरीक्षक, बैतूल एवं सहायक मानचित्रकार द्वारा प्रतिवेदन, मौका पंचनामा एवं संशोधित नक्शा प्रस्तुत कर प्रतिवेदन दिनांक 12.04.2023 में बिन्दुवार लेख किया गया है कि:–

(1) उक्त स्वीकृत रेत खदान घोड़ाडोंगरी क्षेत्र अंतर्गत आती हैं।
(2) उक्त रेत खदान 250 मीटर की परिधि में वन सीमा, सार्वजनिक/धार्मिक स्थल मौजूद नहीं हैं।
(3) उक्त रेत खदान 200 मीटर की परिधि में ग्रामीण आबादी स्थित हैं एवं दक्षिण दिशा में लगभग 100 मीटर की दूरी पर स्टाप डेम स्थित हैं।
(4) उक्त खदान क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में खनिज रेत उपलब्ध हैं जिसकी औसत गहराई 0.650 मीटर हैं।

नियमानुसार प्रतिबंधित दूरियॉं छोड़ने के उपरांत एवं सहायक मानचित्रकार से क्षेत्र उपलब्धता संबंधी प्रतिवेदन प्राप्त किया जाकर उक्त खदान का रकबा संशोधित किया जाना प्रस्तावित है, प्रतिवेदित किया गया हैं।

अतः खनि निरीक्षक, बैतूल के उपरोक्त जॉच प्रतिवेदन एवं सहायक मानचित्रकार के प्रतिवेदन तथा संशोधित नक्शा के आधार पर पूर्व घोषित रेत खदान ग्राम–चिखली आमढाना तहसील–घोड़ाडोंगरी खसरा क्रमांक 219, 341 कुल रकबा 7.730 हेक्टेयर क्षेत्र के स्थान पर संशोधित रकबा 6.632 हेक्टेयर किया जाता हैं।

(कलेक्टर महो0 द्वारा अनुमोदित)

अपर कलेक्टर
बैतूल

पृ0क्रमांक/ख0लि0–2/2023/932 बैतूल, दिनांक 25/05/2023

प्रतिलिपिः–

1. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित।
2. कार्यपालक संचालक, मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम, पर्यावास भवन, भोपाल को सादर सूचनार्थ।
3. संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. वनमण्डलाधिकारी, उत्तर बैतूल (सा0) वनमंडल।
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत बैतूल को सूचनार्थ प्रेषित।
6. अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व) **शाहपुर** की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
7. तहसीलदार, घोड़ाडोंगरी की ओर सूचनार्थ ।
8. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत घोड़ाडोंगरी को सूचनार्थ।
9. खनि निरीक्षक/ खनि सर्वेयर/खनि सहायक मानचित्रकार बैतूल।
10. सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत–**चिखलीआमढाना** जनपद पंचायत बैतूल जिला बैतूल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

अपर कलेक्टर
बैतूल

Let.15

प्रति,

कलेक्टर महोदय
(खनिज शाखा)
जिला बैतूल

विषय:- जिला बैतूल अंतर्गत पूर्व घोषित रेत खदान चिखली आमढाना खसरा क्रमांक 219, 341 कुल रकबा 7.730 हे0 के संबंध में भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन बाबत।

संदर्भ:- कार्यालयीन पत्र क्रमांक/2023/350 बैतूल दिनांक 22/02/2023

-००-

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के पालन में लेख है कि खनिज अमला बैतूल द्वारा दिनांक 12/04/2023 को पूर्व घोषित रेत खदान चिखली आमढाना खसरा क्रमांक 219, 341 कुल रकबा 7.730 हे0 का स्थल निरीक्षण किया गया। प्रतिवेदन बिन्दुवार प्रस्तुत है:-

1- उक्त स्वीकृत रेत खदान घोड़ाडोंगरी क्षेत्र अंतर्गत आती है।

2- उक्त रेत खदान 250 मी. की परिधि में वन सीमा, सार्वजनिक/धार्मिक स्थल मौजूद नहीं है। है।

3- उक्त रेत खदान 200 मी. की परिधि में ग्रामीण आबादी स्थित है एवं दक्षिण दिशा में लगभग 100 मी. की दूरी पर स्टाप डेम स्थित है।

4- उक्त खदान क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में खनिज रेत उपलब्ध है जिसकी औसत गहराई 0.650 मीटर है।

अत: नियमानुसार प्रतिबंधित दूरियां छोड़ने के उपरांत एवं सहायक मानचित्रकार से क्षेत्र उपलब्धता संबंधी प्रतिवेदन प्राप्त किया जाकर उक्त खदान का रकबा संशोधित किया जाना प्रस्तावित है। है।

प्रतिवेदन अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत।

संलग्न:- मौका पंचनामा।

12/04/2023

खनि निरीक्षक
(खनिज शाखा)
जिला-बैतूल

मौका - पंचनामा

हम पंचगण जपो हस्ताक्षरकर्ता आज दिनांक 12/04/2023 को मौका स्थल पर पोकलेन रेत खदान बिरनली - जामढाना खसः नं. 219, 341 रकबा 7.730 हे० पर उप० होकर सह पंचनामा तस्दीक करते हैं कि खनि० पत्र नं. 350 दि० 22/2/23 के पालन में खनिज अमला द्वारा उक्त पर्यावरण रेत खदान का सर्वे किया गया गया। निरीक्षण से खदान उक्त रेत खदान के दक्षिण दिशा में लगभग 100 मी० की दूरी पर स्टाप डेम होना पाया गया। स्वीकृत खदान से लगभग 1200 मी० की दूरी पर ग्रामीण आबादी होना पाया गया। स्वीकृत रेत खदान में नर्मदा माता में खनिज रेत उपलब्ध है, जिसकी औसत गहराई 0.650 मी० है।

पंचनामा मौके पर तैयार किया पढ़ा सुना सही पाया बाद हस्ता० किये।

12/04/2023
(IMS)
सरपंच

12/04/23
सचिव
पुडेर्ड

12/4/23
खनि० निरीक्षक
बैतूल

प्रति,

कलेक्टर महोदय
(खनिज शाखा)
जिला बैतूल

विषयः- जिला बैतूल अंतर्गत पूर्व घोषित रेत खदान चिखली आमढाना खसरा क्रमांक 219, 341 कुल रकबा 7.730 हे0 के संबंध में क्षेत्र उपलब्धता प्रतिवेदन प्रस्तुत करने बाबत।

संदर्भः- कार्यालयीन पत्र क्रमांक/2023/350 बैतूल दिनांक 22/02/2023 एवं खनि निरीक्षक का प्रतिवेदन दिनांक 12/04/2023

-oo-

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के पालन में निवेदन है कि खनिज अमला बैतूल द्वारा दिनांक 12/04/2023 को पूर्व घोषित रेत खदान चिखली आमढाना खसरा क्रमांक 219, 341 कुल रकबा 7.730 हे0 का स्थल निरीक्षण किया गया।

अतः उक्त रेत खदान को तहसील घोड़ाडोंगरी के ग्राम चिखली आमढाना के खसरा क्रमांक 219, 341 कुल रकबा 7.730 हे0 क्षेत्र के दक्षिण दिशा में खनि निरीक्षक के प्रतिवेदन अनुसार लगभग 100 मी. की दूरी पर स्टाप डेम निर्मित होना बताया गया है जिससे नियमानुसार प्रतिबंधित रकबा छोड़ने छोड़ने के पश्चात रकबा 6.632 हे0 क्षेत्र रेत खदान हेतु उपलब्ध होता है, जिसे नक्शें में चिन्हित कर दर्शाया गया है।

क्षेत्र उपलब्धता प्रतिवेदन अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत।

संलग्नः- नक्शा।

15/04/2023
सहायक मानचित्रकार
(खनिज शाखा)
जिला-बैतूल

कार्यालय कलेक्टर (खनिज–शाखा) बैतूल

–: आदेश :–

क्रमांक/ख0लि0–2/2019/723 बैतूल, दिनांक 28/03/2019

सरपंच, ग्राम पंचायत डेहरीआमढाना जनपद पंचायत घोड़ाडोंगरी जिला बैतूल द्वारा प्रस्ताव क्रमांक 04 दिनांक 25/12/2018 में प्रस्ताव पारित कर प्रतिलिपि सहित आवेदन पत्र प्रस्तुत किया हैं, जिसके अनुसार ग्राम–**कचलोरा** तहसील घोड़ाडोंगरी पटवारी हल्का नंबर–07 के **लटिया नदी** में पर्याप्त रेत भण्डार हैं, जहां पर रेत चोरी हो रही हैं। अतः उक्त क्षेत्र में नई रेत खदान घोषित कर पंचायत को आवंटित करने का लेख किया गया हैं।

उपरोक्त प्राप्त प्रस्ताव आवेदन पत्र पर नई रेत खदान घोषित करने के संबंध में वनमण्डलाधिकारी, उत्तर बैतूल (सा0) वनमंडल/ तहसीलदार घोड़ाडोंगरी/ खनि निरीक्षक/ खनि सहायक मानचित्रकार बैतूल से प्रतिवेदन/अभिमत प्राप्त किये गये। तहसीलदार घोड़ाडोंगरी द्वारा अपने मामला क्रमांक 0431/ ब–121/2018–19 दिनांक 18.01.2019 द्वारा ग्राम–**कचलोरा** तहसील घोड़ाडोंगरी की भूमि खसरा क्रमांक 98 रकबा 2.744 हे0 में से रकबा 1.644 हे0 भूमि पर नई रेत खदान घोषित करने हेतु प्रस्तावित की गई हैं।

वनमण्डलाधिकारी,उत्तर बैतूल(सा0)वनमंडल द्वारा अपने पत्र क्रमांक/मा0चि0/2019/**1351** दिनांक 21.02.2019 द्वारा आवेदित स्थल को नई रेत खदान घोषित करने हेतु अनापत्ति प्रतिवेदित की गई हैं। खनि निरीक्षक, बैतूल द्वारा प्रतिवेदित किया है कि आवेदित क्षेत्र में रेत खनिज उपलब्ध हैं, उक्त स्थान से रेत की चोरी न हो तथा शासन को राजस्व की प्राप्ति हो इसके लिये उक्त आवेदित क्षेत्र पर में नवीन रेत खदान घोषित किया जा सकता हैं। खनि सहायक मानचिकार, बैतूल ने प्रतिवेदित किया गया है कि उक्त आवेदित क्षेत्र के 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य उत्खनिपट्टा स्वीकृत नहीं हैं। तथा सिया के निर्देशों के अनुसार नदी तट से 15 मीटर दूरी छोड़ने पर रकबा 0.340 हे0 क्षेत्र उपलब्ध होता हैं।

अतः उपरोक्त प्राप्त प्रस्ताव एवं जॉच प्रतिवेदनों के आधार पर म0प्र0 गौण खनिज नियम 1996 के नियम–8 के अधीन ग्राम–**कचलोरा** तहसील–घोड़ाडोंगरी पटवारी हल्का नंबर–07 के खसरा क्रमांक–98 रकबा 2.744 हे0 में से रकबा 0.340 हे0 क्षेत्र पर रेत खनिज की नई खदान घोषित की जाती हैं।

(कलेक्टर महो0द्वारा टीप पत्र पर आदेशित)

28/3/19
सहायक खनि अधिकारी,
प्रभारी अधिकारी खनिज शाखा
जिला–बैतूल

पृ0क्रमांक/ख0लि0–2/2019/723 बैतूल, दिनांक 28/03/2019

प्रतिलिपिः–

1. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित।
2. कार्यपालक संचालक, मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम, पर्यावास भवन, भोपाल को सादर सूचनार्थ।
3. संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. वनमण्डलाधिकारी, उत्तर बैतूल(सा0) वनमंडल।
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत बैतूल को सूचनार्थ प्रेषित।
6. अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व) **शाहपुर** की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
7. तहसीलदार, घोड़ाडोंगरी।
8. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत घोड़ाडोंगरी को सूचनार्थ
9. खनि निरीक्षक/ खनि सर्वेयर/खनि सहायक मानचित्रकार बैतूल।
10. खनि शाखा–2 खनिज कार्यालय बैतूल ।
11. सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत–डेहरीआमढाना जनपद पंचायत घोड़ाडोंगरी जिला बैतूल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

28/3/19
सहायक खनि अधिकारी,
प्रभारी अधिकारी खनिज शाखा
जिला–बैतूल

24.5.19

25/05/19

कार्यालय कलेक्टर (खनिज–शाखा) बैतूल

–: आदेश :–

क्रमांक / ख0लि0–2 / 2019 / 722 बैतूल, दिनांक 28 / 03 / 2019

सरपंच, ग्राम पंचायत डेहरीआमढाना जनपद पंचायत घोड़ाडोंगरी जिला बैतूल द्वारा प्रस्ताव क्रमांक 04 दिनांक 25 / 12 / 2018 में प्रस्ताव पारित कर प्रतिलिपि सहित आवेदन पत्र प्रस्तुत किया हैं, जिसके अनुसार ग्राम–**कचलोरा** तहसील घोड़ाडोंगरी पटवारी हल्का नंबर–07 के **कचलोरा नदी** में पर्याप्त रेत भण्डार हैं, जहां पर रेत चोरी हो रही हैं। अतः उक्त क्षेत्र में नई रेत खदान घोषित कर पंचायत को आवंटित करने का लेख किया गया हैं।

उपरोक्त प्राप्त प्रस्ताव आवेदन पत्र पर नई रेत खदान घोषित करने के संबंध में वनमण्डलाधिकारी, उत्तर बैतूल (सा0) वनमंडल / तहसीलदार घोड़ाडोंगरी / खनि निरीक्षक / खनि सहायक मानचित्रकार बैतूल से प्रतिवेदन / अभिमत प्राप्त किये गये। तहसीलदार घोड़ाडोंगरी द्वारा अपने मामला क्रमांक 0429 / ब–121 / 2018–19 दिनांक 18.01.2019 द्वारा ग्राम–**कचलोरा** तहसील घोड़ाडोंगरी की भूमि खसरा क्रमांक 69 रकबा 3.141 हे0 में से रकबा 1.760 हे0 भूमि पर नई रेत खदान घोषित करने हेतु प्रस्तावित की गई हैं।

वनमण्डलाधिकारी,उत्तर बैतूल(सा0)वनमंडल द्वारा अपने पत्र क्रमांक / मा0चि0 / 2019 / **1347** दिनांक 21.02.2019 द्वारा आवेदित स्थल को नई रेत खदान घोषित करने हेतु अनापत्ति प्रतिवेदित की गई हैं। खनि निरीक्षक, बैतूल द्वारा प्रतिवेदित किया है कि वर्तमान में आवेदित क्षेत्र में रेत खनिज उपलब्ध हैं, उक्त स्थान से रेत की चोरी न हो तथा शासन को राजस्व की प्राप्ति हो तथा स्थानीय ग्रामीणों को रोजगार प्राप्त हो इसके लिये उक्त आवेदित क्षेत्र पर नियमानुसार नवीन रेत खदान घोषित किया जा सकता हैं। खनि सहायक मानचिकार, बैतूल ने प्रतिवेदित किया गया है कि उक्त आवेदित क्षेत्र के 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य उत्खनिपट्टा स्वीकृत नहीं हैं। तथा सिया के निर्देशों के अनुसार नदी तट से 15 मीटर दूरी छोड़ने पर रकबा 0.620 हे0 क्षेत्र उपलब्ध होता हैं।

अतः उपरोक्त प्राप्त प्रस्ताव एवं जॉच प्रतिवेदनों के आधार पर म0प्र0 गौण खनिज नियम 1996 के नियम–8 के अधीन ग्राम–**कचलोरा** तहसील–घोड़ाडोंगरी पटवारी हल्का नंबर–07 के खसरा क्रमांक–69 रकबा 3.141 हे0 में से रकबा 0.620 हे0 क्षेत्र पर रेत खनिज की नई खदान घोषित की जाती हैं।

(कलेक्टर महो0द्वारा टीप पत्र पर आदेशित)

28/3/19

सहायक खनि अधिकारी,
प्रभारी अधिकारी खनिज शाखा
जिला–बैतूल

पृ0क्रमांक / ख0लि0–2 / 2019 / 722 बैतूल, दिनांक 28 / 03 / 2019

प्रतिलिपिः–

1. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित।
2. कार्यपालक संचालक, मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम, पर्यावास भवन, भोपाल को सादर सूचनार्थ।
3. संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. वनमण्डलाधिकारी, उत्तर बैतूल(सा0) वनमंडल।
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत बैतूल को सूचनार्थ प्रेषित।
6. अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व) **शाहपुर** की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
7. तहसीलदार, घोड़ाडोंगरी।
8. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत घोड़ाडोंगरी को सूचनार्थ
9. खनि निरीक्षक / खनि सर्वेयर / खनि सहायक मानचित्रकार बैतूल।
10. खनि शाखा–2 खनिज कार्यालय बैतूल ।
11. सरपंच / सचिव ग्राम पंचायत–डेहरीआमढाना जनपद पंचायत घोड़ाडोंगरी जिला बैतूल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

28/3/19

सहायक खनि अधिकारी,
प्रभारी अधिकारी खनिज शाखा
जिला–बैतूल

25/03/19

24.5.19

O/C

कार्यालय कलेक्टर (खनिज–शाखा) बैतूल

–: आदेश :–

क्र.क/ख0लि0–2/2019/731 बैतूल, दिनांक 28/03/2019

सरपंच, ग्राम पंचायत डेहरीआमढाना जनपद पंचायत घोड़ाडोंगरी जिला बैतूल द्वारा प्रस्ताव क्रमांक 04 दिनांक 25/12/2018 में प्रस्ताव पारित कर प्रतिलिपि सहित आवेदन पत्र प्रस्तुत किया हैं, जिसके अनुसार ग्राम–**आमढानारैयत** तहसील घोड़ाडोंगरी पटवारी हल्का नंबर–07 के लटिया नदी में पर्याप्त रेत भण्डार हैं, जहां पर रेत चोरी हो रही हैं। अतः उक्त क्षेत्र में नई रेत खदान घोषित कर पंचायत को आवंटित करने का लेख किया गया हैं।

उपरोक्त प्राप्त प्रस्ताव आवेदन पत्र पर नई रेत खदान घोषित करने के संबंध में वनमण्डलाधिकारी, उत्तर बैतूल(सा0) वनमंडल/ तहसीलदार घोड़ाडोंगरी/ खनि निरीक्षक/ खनि सहायक मानचित्रकार बैतूल से प्रतिवेदन/अभिमत प्राप्त किये गये। तहसीलदार घोड़ाडोंगरी द्वारा अपने मामला क्रमांक 0434/व–121 /2018–19 दिनांक 18.01.2019 द्वारा ग्राम–**आमढानारैयत** तहसील घोड़ाडोंगरी की भूमि खसरा क्रमांक 79 रकबा 4.828 हे0 में से रकबा 1.870 हे0 क्षेत्र पर नई रेत खदान घोषित करने हेतु प्रस्तावित की गई हैं।

वनमण्डलाधिकारी,उत्तर बैतूल(सा0)वनमंडल द्वारा अपने पत्र क्रमांक/मा0चि0/2019/1350 दिनांक 21.02.2019 द्वारा आवेदित स्थल को नई रेत खदान घोषित करने हेतु अनापत्ति प्रतिवेदित की गई हैं। खनि निरीक्षक, बैतूल द्वारा प्रतिवेदित किया है कि आवेदित क्षेत्र में रेत खनिज उपलब्ध हैं, उक्त स्थान के आस–पास कोई प्रतिबंधित क्षेत्र उपलब्ध नहीं हैं। उक्त स्थान से रेत की चोरी न हो तथा शासन को राजस्व की प्राप्ति हो तथा स्थानीय ग्रामीणों को रोजगार प्राप्त हो इसके लिये उक्त आवेदित क्षेत्र में नवीन रेत खदान घोषित किया जा सकता हैं। खनि सहायक मानचिकार, बैतूल ने प्रतिवेदित किया गया है कि उक्त आवेदित क्षेत्र के 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य उत्खनिपट्टा स्वीकृत नहीं हैं। तथा सिया के निर्देशों के अनुसार नदी तट से 15 मीटर दूरी छोड़ने पर रकबा 0.170 हे0 क्षेत्र उपलब्ध होता हैं।

अतः उपरोक्त प्राप्त प्रस्ताव एवं जॉच प्रतिवेदनों के आधार पर म0प्र0 गौण खनिज नियम 1996 के नियम–8 के अधीन ग्राम–आमढानारैयत तहसील–घोड़ाडोंगरी पटवारी हल्का नंबर–07 के खसरा क्रमांक–79 रकबा 4.828 हे0 में से रकबा 0.170 हे0 क्षेत्र पर रेत खनिज की नई खदान घोषित की जाती हैं।

(कलेक्टर महो0द्वारा टीप पत्र पर आदेशित)

28/3/19

सहायक खनि अधिकारी,
प्रभारी अधिकारी खनिज शाखा
जिला–बैतूल
बैतूल, दिनांक 28/03/2019

पृ0क्रमांक/ख0लि0–2/2019/731

प्रतिलिपिः–

1. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित।
2. कार्यपालक संचालक, मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम, पर्यावास भवन, भोपाल को सादर सूचनार्थ।
3. संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. वनमण्डलाधिकारी, उत्तर बैतूल(सा0) वनमंडल।
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत बैतूल को सूचनार्थ प्रेषित।
6. अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व) **शाहपुर** की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
7. तहसीलदार, घोड़ाडोंगरी।
8. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत घोड़ाडोंगरी को सूचनार्थ
9. खनि निरीक्षक/ खनि सर्वेयर/खनि सहायक मानचित्रकार बैतूल।
10. खनि शाखा–2 खनिज कार्यालय बैतूल ।
11. सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत–डेहरीआमढाना जनपद पंचायत घोड़ाडोंगरी जिला बैतूल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

28/3/19

सहायक खनि अधिकारी,
प्रभारी अधिकारी खनिज शाखा
जिला–बैतूल

कार्यालय कलक्टर (खानज–शाखा) बैतूल

–: आदेश :–

क्रमांक/ख0लि0–2/2019/730 बैतूल, दिनांक 28/03/2019

सरपंच, ग्राम पंचायत डेहरीआमढाना जनपद पंचायत घोड़ाडोंगरी जिला बैतूल द्वारा प्रस्ताव क्रमांक 04 दिनांक 25/12/2018 में प्रस्ताव पारित कर प्रतिलिपि सहित आवेदन पत्र प्रस्तुत किया हैं, जिसके अनुसार ग्राम–**आमढानारैयत** तहसील घोड़ाडोंगरी पटवारी हल्का नंबर–07 के लटिया नदी में पर्याप्त रेत भण्डार हैं, जहां पर रेत चोरी हो रही हैं। अतः उक्त क्षेत्र में नई रेत खदान घोषित कर पंचायत को आवंटित करने का लेख किया गया हैं।

उपरोक्त प्राप्त प्रस्ताव आवेदन पत्र पर नई रेत खदान घोषित करने के संबंध में वनमण्डलाधिकारी, उत्तर बैतूल(सा0) वनमंडल/ तहसीलदार घोड़ाडोंगरी/ खनि निरीक्षक/ खनि सहायक मानचित्रकार बैतूल से प्रतिवेदन/अभिमत प्राप्त किये गये। तहसीलदार घोड़ाडोंगरी द्वारा अपने मामला क्रमांक 0435/ब–121/2018–19 दिनांक 18.01.2019 द्वारा ग्राम–आमढानारैयत तहसील घोड़ाडोंगरी की भूमि खसरा क्रमांक 175 रकबा 1.684 हे0 पूर्ण रकबा नई रेत खदान घोषित करने हेतु प्रस्तावित की गई हैं।

वनमण्डलाधिकारी,उत्तर बैतूल(सा0)वनमंडल द्वारा अपने पत्र क्रमांक/मा0चि0/2019/1349 दिनांक 21.02.2019 द्वारा आवेदित स्थल को नई रेत खदान घोषित करने हेतु अनापत्ति प्रतिवेदित की गई हैं। खनि निरीक्षक, बैतूल द्वारा प्रतिवेदित किया है कि आवेदित क्षेत्र में रेत खनिज उपलब्ध हैं, उक्त स्थान के आस–पास कोई प्रतिबंधित क्षेत्र उपलब्ध नहीं हैं। उक्त स्थान से रेत की चोरी न हो तथा शासन को राजस्व की प्राप्ति हो तथा स्थानीय ग्रामीणों को रोजगार प्राप्त हो इसके लिये उक्त आवेदित क्षेत्र में नवीन रेत खदान घोषित किया जा सकता हैं। खनि सहायक मानचिकार, बैतूल ने प्रतिवेदित किया गया है कि उक्त आवेदित क्षेत्र के 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य उत्खनिपट्टा स्वीकृत नहीं हैं। तथा सिया के निर्देशों के अनुसार नदी तट से 15 मीटर दूरी छोड़ने पर रकबा 0.350 हे0 क्षेत्र उपलब्ध होता हैं।

अतः उपरोक्त प्राप्त प्रस्ताव एवं जॉच प्रतिवेदनों के आधार पर म0प्र0 गौण खनिज नियम 1996 के नियम–8 के अधीन ग्राम–आमढानारैयत तहसील–घोड़ाडोंगरी पटवारी हल्का नंबर–07 के खसरा क्रमांक–175 रकबा 1.684 हे0 में से रकबा 0.350 हे0 क्षेत्र पर रेत खनिज की नई खदान घोषित की जाती हैं।

(कलेक्टर महो0द्वारा टीप पत्र पर आदेशित)

28/3/19
सहायक खनि अधिकारी,
प्रभारी अधिकारी खनिज शाखा
जिला–बैतूल
बैतूल, दिनांक 28/03/2019

पृ0क्रमांक/ख0लि0–2/2019/730

प्रतिलिपिः–

1. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित।
2. कार्यपालक संचालक, मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम, पर्यावास भवन, भोपाल को सादर सूचनार्थ।
3. संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. वनमण्डलाधिकारी, उत्तर बैतूल(सा0) वनमंडल।
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत बैतूल को सूचनार्थ प्रेषित।
6. अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व) **शाहपुर** की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
7. तहसीलदार, घोड़ाडोंगरी।
8. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत घोड़ाडोंगरी को सूचनार्थ
9. खनि निरीक्षक/ खनि सर्वेयर/खनि सहायक मानचित्रकार बैतूल।
10. खनि शाखा–2 खनिज कार्यालय बैतूल ।
11. सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत–डेहरीआमढाना जनपद पंचायत घोड़ाडोंगरी जिला बैतूल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

28/3/19
सहायक खनि अधिकारी,
प्रभारी अधिकारी खनिज शाखा
जिला–बैतूल

कार्यालय कलेक्टर (खनिज–शाखा) बैतूल

–: आदेश :–

क्रमांक/ख0लि0–2/2019/729 बैतूल, दिनांक 28/03/2019

सरपंच, ग्राम पंचायत डेहरीआमढाना जनपद पंचायत घोड़ाडोंगरी जिला बैतूल द्वारा प्रस्ताव क्रमांक 04 दिनांक 25/12/2018 में प्रस्ताव पारित कर प्रतिलिपि सहित आवेदन पत्र प्रस्तुत किया हैं, जिसके अनुसार ग्राम–**आमढानारैयत** तहसील घोड़ाडोंगरी पटवारी हल्का नंबर–07 के लटिया नदी में पर्याप्त रेत भण्डार हैं, जहां पर रेत चोरी हो रही हैं। अतः उक्त क्षेत्र में नई रेत खदान घोषित कर पंचायत को आवंटित करने का लेख किया गया हैं।

उपरोक्त प्राप्त प्रस्ताव आवेदन पत्र पर नई रेत खदान घोषित करने के संबंध में वनमण्डलाधिकारी, उत्तर बैतूल(सा0) वनमंडल/ तहसीलदार घोड़ाडोंगरी/ खनि निरीक्षक/ खनि सहायक मानचित्रकार बैतूल से प्रतिवेदन/अभिमत प्राप्त किये गये। तहसीलदार घोड़ाडोंगरी द्वारा अपने मामला क्रमांक 0436/ब–121/2018–19 दिनांक 18.01.2019 द्वारा ग्राम–आमढानारैयत तहसील घोड़ाडोंगरी की भूमि खसरा क्रमांक 178 रकबा 1.538 हे0 पूर्ण रकबा नई रेत खदान घोषित करने हेतु प्रस्तावित की गई हैं।

वनमण्डलाधिकारी,उत्तर बैतूल(सा0)वनमंडल द्वारा अपने पत्र क्रमांक/मा0चि0/2019/1348 दिनांक 21.02.2019 द्वारा आवेदित स्थल को नई रेत खदान घोषित करने हेतु अनापत्ति प्रतिवेदित की गई हैं। खनि निरीक्षक, बैतूल द्वारा प्रतिवेदित किया है कि आवेदित क्षेत्र में रेत खनिज उपलब्ध हैं, उक्त स्थान के आस–पास कोई प्रतिबंधित क्षेत्र उपलब्ध नहीं हैं। उक्त स्थान से रेत की चोरी न हो तथा शासन को राजस्व की प्राप्ति हो तथा स्थानीय ग्रामीणों को रोजगार प्राप्त हो इसके लिये उक्त आवेदित क्षेत्र में नवीन रेत खदान घोषित किया जा सकता हैं। खनि सहायक मानचिकार, बैतूल ने प्रतिवेदित किया गया है कि उक्त आवेदित क्षेत्र के 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य उत्खनिपट्टा स्वीकृत नहीं हैं। तथा सिया के निर्देशों के अनुसार नदी तट से 15 मीटर दूरी छोड़ने पर रकबा 0.340 हे0 क्षेत्र उपलब्ध होता हैं।

अतः उपरोक्त प्राप्त प्रस्ताव एवं जॉच प्रतिवेदनों के आधार पर म0प्र0 गौण खनिज नियम 1996 के नियम–8 के अधीन ग्राम–आमढानारैयत तहसील–घोड़ाडोंगरी पटवारी हल्का नंबर–07 के खसरा क्रमांक–178 रकबा 1.538 हे0 में से रकबा 0.340 हे0 क्षेत्र पर रेत खनिज की नई खदान घोषित की जाती हैं।

(कलेक्टर महो0द्वारा टीप पत्र पर आदेशित)

28/3/15

सहायक खनि अधिकारी,
प्रभारी अधिकारी खनिज शाखा
जिला–बैतूल

पृ0क्रमांक/ख0लि0–2/2019/729 बैतूल, दिनांक 28/03/2019

प्रतिलिपिः–

1. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित।
2. कार्यपालक संचालक, मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम, पर्यावास भवन, भोपाल को सादर सूचनार्थ।
3. संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. वनमण्डलाधिकारी, उत्तर बैतूल(सा0) वनमंडल।
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत बैतूल को सूचनार्थ प्रेषित।
6. अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व) **शाहपुर** की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
7. तहसीलदार, घोड़ाडोंगरी।
8. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत घोड़ाडोंगरी को सूचनार्थ
9. खनि निरीक्षक/ खनि सर्वेयर/खनि सहायक मानचित्रकार बैतूल।
10. खनि शाखा–2 खनिज कार्यालय बैतूल ।
11. सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत–डेहरीआमढाना जनपद पंचायत घोड़ाडोंगरी जिला बैतूल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

28/3/15

सहायक खनि अधिकारी,
प्रभारी अधिकारी खनिज शाखा
जिला–बैतूल

24.5.19
सः मा. चि.

कार्यालय कलेक्टर (खनिज–शाखा) बैतूल

–: संशोधित आदेश :–

बैतूल, दिनांक 07/12/2019

क्रमांक/ख0लि0–2/2019/2020(A)

सरपंच, ग्राम पंचायत **झोली** जनपद पंचायत घोड़ाडोंगरी जिला बैतूल द्वारा ग्रामसभा दिनांक 21.03.2018 में प्रस्ताव क्रमांक 05 पारित कर प्रस्ताव की प्रतिलिपि सहित पत्र प्रस्तुत किया हैं, जिसके अनुसार ग्राम–**झोली–1** तहसील घोड़ाडोंगरी के भड़ंगा नदी के ख0क्र. 99 रकबा 12.015 हे0 को नई रेत खदान घोषित करने का लेख किया गया हैं।

उपरोक्त प्राप्त प्रस्ताव आवेदन पत्र पर नई रेत खदान घोषित करने के संबंध में तहसीलदार घोड़ाडोंगरी /खनि निरीक्षक बैतूल/खनि सहायक मानचित्रकार बैतूल से प्रतिवेदन/अभिमत प्राप्त किये गये। नायब तहसीलदार घोड़ाडोंगरी (घोपना वृत) के रा.मा. क्र.0127 व/121 वर्ष 2019 –20 आदेश पत्रिका दिनांक 23.11.2019 के अनुसार राजस्व निरीक्षक/हल्का पटवारी से निर्धारित प्रारूपों में जानकारी प्राप्त कर प्रकरण में संलग्न किया गया हैं। नायब तहसीलदार द्वारा लेख किया गया है कि हल्का पटवारी/राजस्व निरीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार प्रस्तावित क्षेत्र ग्राम–झोली–1 खसरा क्रमांक 99 रकबा 12.015 हे0 भूमि प्रस्तावित क्षेत्र से आबादी लगभग 300 मीटर दूर, राष्ट्रीय राजमार्ग/रेल्वे लाईन 30 कि0 मी0 दूर, पूल व पुलिया से 100 मी0, वन सीमा से 3 कि0मी0, निकटतम नगरपालिका मुख्यालय से 35 कि0मी0 दूर, स्मारकों एवं संवेदनशील स्थलों से 40 कि0मी0 दूर, प्रतिवेदित किया गया हैं। प्रस्तुत संलग्नक–4 एवं 23 बिन्दुओं की जानकारी, लाल स्याही से रेखांकित नक्शा, स्थल पंचनामा की मूल प्रति प्रस्तुत की गई हैं। प्रकरण अनुशंसा सहित आगामी कार्यवाही हेतु खनि अधिकारी बैतूल को प्रेषित किया गया ।

खनि निरीक्षक, बैतूल के जॉच प्रतिवेदन दिनांक 26.11.2019 के अनुसार प्रस्तावित क्षेत्र खसरा क्रमांक 99 रकबा 12.015 हे0 क्षेत्र पर रेत खनिज उपलब्ध हैं। प्रस्तावित क्षेत्र से पुल लगभग 100 मी0 दूर, राष्ट्रीय/राजमार्ग/रेल्वे लाईन लगभग 30 कि0मी0 दूर हैं, जलाशय/बांध/ग्रामीण मार्ग/सार्वजनिक संस्थान/सार्वजनिक उपयोग की भूमि/धार्मिक स्थल/मरघट आसपास नहीं है, आबादी लगभग 300 मीटर दूर स्थित हैं। उक्त प्रस्तावित क्षेत्र **भडंगा** नदी हैं, प्रस्तावित क्षेत्र से नियमानुसार प्रतिबंधित दूरी छोड़कर उपलब्ध क्षेत्र पर रेत खदान घोषित किये जाने की अनुशंसा की हैं।

खनि सहायक मानचिकार, बैतूल ने प्रतिवेदन दिनांक 03.12.2019 में प्रतिवेदित किया गया है कि तहसील घोड़ाडोंगरी ग्राम–**झोली–1** के **भड़ंगा** नदी के खसरा क्रमांक 99 रकबा 12.015 हे0 में से 2.450 हे0 क्षेत्र उपलब्ध होता है तथा राजस्व पटवारी नक्शे में लाल स्याही से चिन्हांकित किया गया हैं।

मध्यप्रदेश रेत (खनन,परिवहन, भण्डारण एवं व्यापार) नियम,2019 में वन विभाग से अनुशंसा का कोई प्रावधान नहीं दिया गया है। विभागीय VC दिनांक 15.11.2019 के दौरान शासन स्तर एवं संचालनालय स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा निर्देशित किया कि SEIAA की अनुमति के दौरान वन विभाग से अनुशंसा प्राप्त करेंगे।

अतः उपरोक्त जॉच प्रतिवेदनों एवं ग्रामसभा में पारित प्रस्ताव के आधार पर मध्यप्रदेश रेत (खनन, परिवहन, भण्डारण एवं व्यापार) नियम, 2019 के नियम 5 (1) एवं (2) के तहत ग्राम–**झोली–1** के भड़ंगा नदी के खसरा क्रमांक 99 रकबा 12.015 हे0 में से रकबा 2.450 हे0 क्षेत्र पर खनिज रेत की नई खदान घोषित की जाती हैं।

(कलेक्टर महो0द्वारा अनुमोदित)

7/12/19
जिला खनि अधिकारी,
बैतूल

बैतूल, दिनांक 07/12/2019

पृ0क्रमांक/ख0लि0–2/2019/2020(A)

प्रतिलिपिः–

1. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित।
2. कार्यपालक संचालक, मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम, पर्यावास भवन, भोपाल को सादर सूचनार्थ।
3. संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. वनमण्डलाधिकारी, उत्तर बैतूल(सा0) वनमंडल।
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत बैतूल को सूचनार्थ प्रेषित।
6. अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व) शाहपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
7. तहसीलदार, घोड़ाडोंगरी ।
8. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत घोड़ाडोंगरी को सूचनार्थ ।
9. खनि निरीक्षक/ खनि सर्वेयर/खनि सहायक मानचित्रकार बैतूल।
10. खनि शाखा–2 खनिज कार्यालय बैतूल ।
11. सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत–झोली जनपद पंचायत घोड़ाडोंगरी जिला बैतूल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

7/12/19
जिला खनि अधिकारी,
बैतूल

कार्यालय कलेक्टर (खनिज–शाखा) बैतूल

–: संशोधित आदेश :–

क्रमांक/ख0लि0–2/2019/2021(A) बैतूल, दिनांक 07/12/2019

सरपंच, ग्राम पंचायत **झोली** जनपद पंचायत घोड़ाडोंगरी जिला बैतूल द्वारा ग्रामसभा दिनांक 21.03.2018 में प्रस्ताव क्रमांक 05 पारित कर प्रस्ताव की प्रतिलिपि सहित पत्र प्रस्तुत किया है, जिसके अनुसार ग्राम–**झोली**–2 तहसील घोड़ाडोंगरी के भड़ंगा नदी के ख0क्र0.10 रकबा 6.935 हे0 को नई रेत खदान घोषित करने का लेख किया गया हैं।

उपरोक्त प्राप्त प्रस्ताव आवेदन पत्र पर नई रेत खदान घोषित करने के संबंध में तहसीलदार घोड़ाडोंगरी /खनि निरीक्षक बैतूल/खनि सहायक मानचित्रकार बैतूल से प्रतिवेदन/अभिमत प्राप्त किये गये। नायब तहसीलदार घोड़ाडोंगरी (चोपना वृत) के रा.मा. क्र.0127 ब/121 वर्ष 2019 –20 आदेश पत्रिका दिनांक 23.11.2019 के अनुसार राजस्व निरीक्षक/हल्का पटवारी से निर्धारित प्रारूपों में जानकारी प्राप्त कर प्रकरण में संलग्न किया गया हैं। नायब तहसीलदार द्वारा लेख किया गया है कि हल्का पटवारी/राजस्व निरीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार प्रस्तावित क्षेत्र ग्राम–झोली–2 खसरा क्रमांक 10 रकबा 6.935 हे0 भूमि प्रस्तावित क्षेत्र से आबादी लगभग 300 मीटर दूर, राष्ट्रीय राजमार्ग/रेल्वे लाईन 30 कि0 मी0 दूर, पूल व पुलिया से 100 मी0, वन सीमा से 3 कि0मी0, निकटतम नगरपालिका मुख्यालय से 35 कि0मी0 दूर, स्मारकों एवं संवेदनशील स्थलों से 40 कि0मी0 दूर, प्रतिवेदित किया गया हैं। प्रस्तुत संलग्नक–4 एवं 23 बिन्दुओं की जानकारी, लाल स्याही से रेखांकित नक्शा, स्थल पंचनामा की मूल प्रति प्रस्तुत की गई हैं। प्रकरण अनुशंसा सहित आगामी कार्यवाही हेतु खनि अधिकारी बैतूल को प्रेषित किया गया ।

खनि निरीक्षक, बैतूल के जॉच प्रतिवेदन दिनांक 26.11.2019 के अनुसार प्रस्तावित क्षेत्र खसरा क्रमांक 10 रकबा 6.9355 हे0 क्षेत्र पर रेत खनिज उपलब्ध हैं। प्रस्तावित क्षेत्र से पुल लगभग 100 मी0 दूर, राष्ट्रीय/राजमार्ग/रेल्वे लाईन लगभग 30 कि0मी0 दूर हैं, जलाशय/बांध/ग्रामीण मार्ग/सार्वजनिक संस्थान/सार्वजनिक उपयोग की भूमि/धार्मिक स्थल/मरघट आसपास नहीं है, आबादी लगभग 300 मीटर दूर स्थित हैं। उक्त प्रस्तावित क्षेत्र **भडंगा** नदी हैं, प्रस्तावित क्षेत्र से नियमानुसार प्रतिबंधित दूरी छोड़कर उपलब्ध क्षेत्र पर रेत खदान घोषित किये जाने की अनुशंसा की हैं।

खनि सहायक मानचिकार, बैतूल ने प्रतिवेदन दिनांक 03.12.2019 में प्रतिवेदित किया गया है कि तहसील घोड़ाडोंगरी ग्राम–**झोली**–2 के भड़ंगा नदी के खसरा क्रमांक 10 रकबा 6.935 हे0 में से 2.450 हे0 क्षेत्र उपलब्ध होता है तथा राजस्व पटवारी नक्शे में लाल स्याही से चिन्हांकित किया गया हैं।

मध्यप्रदेश रेत (खनन,परिवहन, भण्डारण एवं व्यापार) नियम,2019 में वन विभाग से अनुशंसा का कोई प्रावधान नहीं दिया गया है। विभागीय VC दिनांक 15.11.2019 के दौरान शासन स्तर एवं संचालनालय स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा निर्देशित किया कि SEIAA की अनुमति के दौरान वन विभाग से अनुशंसा प्राप्त करेंगे।

अतः उपरोक्त जॉच प्रतिवेदनों एवं ग्रामसभा में पारित प्रस्ताव के आधार पर मध्यप्रदेश रेत (खनन, परिवहन, भण्डारण एवं व्यापार) नियम, 2019 के नियम 5 (1) एवं (2) के तहत ग्राम–**झोली**–2 के भड़ंगा नदी के खसरा क्रमांक 10 रकबा 6.935 हे0 में से रकबा 2.450 हे0 क्षेत्र पर खनिज रेत की नई खदान घोषित की जाती हैं।

(कलेक्टर महो0द्वारा अनुमोदित)

जिला खनि अधिकारी,
बैतूल

बैतूल, दिनांक 07/12/2019

पृ0क्रमांक/ख0लि0–2/2019/2021(A)

प्रतिलिपिः–

1. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित।
2. कार्यपालक संचालक, मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम, पर्यावास भवन, भोपाल को सादर सूचनार्थ।
3. संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. वनमण्डलाधिकारी, उत्तर बैतूल(सा0) वनमंडल।
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत बैतूल को सूचनार्थ प्रेषित।
6. अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व) शाहपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
7. तहसीलदार, घोड़ाडोंगरी ।
8. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत घोड़ाडोंगरी को सूचनार्थ ।
9. खनि निरीक्षक/ खनि सर्वेयर/खनि सहायक मानचित्रकार बैतूल।
10. खनि शाखा–2 खनिज कार्यालय बैतूल ।
11. सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत–**झोली** जनपद पंचायत **घोड़ाडोंगरी** जिला बैतूल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

जिला खनि अधिकारी,
बैतूल

कार्यालय कलेक्टर (खनिज–शाखा) बैतूल

–: संशोधित आदेश :–

बैतूल, दिनांक 07/12/2019

क्रमांक/ख0लि0–2/2019/2035(A)

सरपंच, ग्राम पंचायत **बटकीडोह** जनपद पंचायत घोड़ाडोंगरी जिला बैतूल द्वारा ग्रामसभा दिनांक 25.01.2019 में प्रस्ताव क्रमांक 01 पारित कर प्रस्ताव की प्रतिलिपि सहित प्रस्तुत किया है,जिसके अनुसार ग्राम–**विष्णुपुर** तहसील घोड़ाडोंगरी के भड़ंगा नदी के ख0क्र. 1 रकबा 14.180 हे0 में से रकबा 4.800 हे0 को नई रेत खदान घोषित करने का लेख किया गया हैं।

उपरोक्त प्राप्त प्रस्ताव पर नई रेत खदान घोषित करने के संबंध में तहसीलदार घोड़ाडोंगरी/खनि निरीक्षक बैतूल/खनि सहायक मानचित्रकार बैतूल से प्रतिवेदन/अभिमत प्राप्त किये गये। तहसीलदार घोड़ाडोंगरी के पत्र क्र0/प्रवा0/तह0/2019/98 दिनांक 29.01.2019 के अनुसार लेख किया गया है कि ग्राम पंचायत का प्रस्ताव, पटवारी रिपोर्ट एवं प्रस्तावित नक्शा संलग्न कर इस कार्यालय को प्रेषित किया गया हैं, तथा संलग्नक–4 एवं 23 बिन्दुओं की जानकारी प्रस्तुत की गई हैं, जिसके अनुसार प्रस्तावित क्षेत्र से आबादी 01 कि0मी0 दूर, राष्ट्रीय राजमार्ग 20 कि0मी0 दूर, रेल्वे लाईन 20 कि0 मी0 दूर, पुल व पुलिया 01 कि0मी0 दूर, ग्रामीण कच्चे रास्ते से 200 मीटर दूर, अन्य सार्वजनिक स्थल जैसे–मंदिर, मस्जिद, कब्रस्तान से 100 मीटर दूर, वन सीमा से 03 कि0मी0 दूर, निकटतम नगरपालिका मुख्यालय से 30 कि0मी0 दूर, स्मारकों एवं संवेदनशील कोई नहीं, निकटतम व्यापारिक खदानों से 5 कि0मी0 दूर हैं। तथा प्रस्तावित क्षेत्र से मानव बसाहट/जलीय निकाय/शैक्षणिक संस्थान/चिकित्सालय/राष्ट्रीय धरोहर/पुरातत्वीय महत्व के स्थल/ 500 मीटर की दूरी के अन्दर स्थित नहीं हैं। 10 कि0मी0 की परिधि में कोई अन्तर्राज्यीय सीमा एवं 250 मी0 की परिधि में अन्य कोई खदान स्थित नहीं हैं। प्रस्तावित क्षेत्र खसरा क्रमांक–1 के भाग रकबा 4.800 हे0 में से रकबा 3.000 में रेत खदान घोषित किये जाने की अनुशंसा की गई हैं।

खनि निरीक्षक, बैतूल के जॉच प्रतिवेदन दिनांक 28.02.2018 के अनुसार प्रस्तावित क्षेत्र खसरा क्रमांक 1 के भाग रकबा 4.800 हे0 क्षेत्र पर पर्याप्त मात्रा में खनिज रेत उपलब्ध हैं। प्रस्तावित क्षेत्र से पुल 500 मीटर के भीतर नहीं हैं, राष्ट्रीय/राजमार्ग/रेल्वे लाईन 10 कि0 मी0 से अधिक दूर, प्रस्तावित क्षेत्र नदी हैं, जलाशय/बांध/ग्रामीण मार्ग 200 मीटर से अधिक दूर, सार्वजनिक/उपयोग की भूमि /धार्मिक स्थल एवं मरघट 100 मीटर के भीतर नहीं हैं, आबादी 500 मीटर दूर, उक्त प्रस्तावित क्षेत्र भड़ंगा नदी का भाग हैं, जिसमें खनिज रेत उपलब्ध है, प्रस्तावित क्षेत्र पर रेत खदान घोषित किये जाने की अनुशंसा की हैं।

खनि सहायक मानचिकार, बैतूल ने प्रतिवेदन दिनांक 02.12.2019 में प्रतिवेदित किया गया है कि तहसील घोड़ाडोंगरी ग्राम–**विष्णुपुर** के भड़ंगा नदी के खसरा क्रमांक 1 रकबा 14.180 हे0 में से रकबा 3.000 हे0 क्षेत्र उपलब्ध होता है तथा राजस्व पटवारी नक्शे में लाल स्याही से चिन्हांकित किया गया हैं।

मध्यप्रदेश रेत (खनन,परिवहन, भण्डारण एवं व्यापार) नियम,2019 में वन विभाग से अनुशंसा का कोई प्रावधान नहीं दिया गया है। विभागीय VC दिनांक 15.11.2019 के दौरान शासन स्तर एवं संचालनालय स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा निर्देशित किया कि SEIAA की अनुमति के दौरान वन विभाग से अनुशंसा प्राप्त करेंगे।

अतः उपरोक्त जॉच प्रतिवेदनों एवं ग्रामसभा में पारित प्रस्ताव के आधार पर मध्यप्रदेश रेत (खनन, परिवहन, भण्डारण एवं व्यापार) नियम, 2019 के नियम 5(1)एवं(2) के तहत ग्राम–**विष्णुपुर** के भड़ंगा नदी के खसरा क्र0 1 रकबा 14.180 हे0 में से रकबा 3.000 हे0 क्षेत्र पर खनिज रेत की नई खदान घोषित की जाती हैं।

(कलेक्टर महो0द्वारा अनुमोदित)

जिला खनि अधिकारी,
बैतूल

बैतूल, दिनांक 07/12/2019

पृ0क्रमांक/ख0लि0–2/2019/2035(A)

प्रतिलिपिः–

1. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित।
2. कार्यपालक संचालक, मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम, पर्यावास भवन, भोपाल को सादर सूचनार्थ।
3. संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. वनमण्डलाधिकारी, उत्तर बैतूल(सा0) वनमंडल।
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत बैतूल को सूचनार्थ प्रेषित।
6. अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व) शाहपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
7. तहसीलदार, घोड़ाडोंगरी ।
8. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत घोड़ाडोंगरी को सूचनार्थ ।
9. खनि निरीक्षक/ खनि सर्वेयर/खनि सहायक मानचित्रकार बैतूल।
10. खनि शाखा–2 खनिज कार्यालय बैतूल ।
11. सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत–**बटकीडोह** जनपद पंचायत घोड़ाडोंगरी जिला बैतूल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

जिला खनि अधिकारी,
बैतूल

कार्यालय कलेक्टर (खनिज–शाखा) बैतूल

–: संशोधित आदेश :–

क्रमांक / ख0लि0–2 / 2019 / 2054 (A) बैतूल, दिनांक 07 / 12 / 2019

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,जनपद पंचायत घोड़ाडोंगरी का पत्र क्रमांक / ज.प. / पंचा. / प्र.को / 2018 / 1622 दिनांक 15.02.2018 के संलग्न सरपंच, ग्राम पंचायत सातलदेही जनपद पंचायत घोड़ाडोंगरी जिला बैतूल द्वारा ग्रामसभा दिनांक 15.12.2017 में प्रस्ताव क्रमांक 04 पारित कर प्रस्ताव की प्रतिलिपि पत्र दिनांक 18.12.2017 सहित प्रस्तुत किया है, जिसके अनुसार ग्राम–सातलदेही तहसील घोड़ाडोंगरी के लोहार नदी के ख0क्र0. 187 एवं 251 कुल रकबा 21.453 हे0 को नई रेत खदान घोषित करने का लेख किया गया है।

उपरोक्त प्राप्त प्रस्ताव पर नई रेत खदान घोषित करने के संबंध में तहसीलदार घोड़ाडोंगरी / खनि निरीक्षक बैतूल / खनि सहायक मानचित्रकार बैतूल से प्रतिवेदन / अभिमत प्राप्त किये गये। नायब तहसीलदार घोड़ाडोंगरी(घोपना वृत्त) के रा.मा.क्र.0130 / ब–121 वर्ष 2019–20 आदेश पत्रिका दिनांक 23.11.2019 के अनुसार राजस्व निरीक्षक / हल्का पटवारी से निर्धारित प्रारूपों में जानकारी प्राप्त कर प्रकरण में संलग्न किया गया है। नायब तहसीलदार द्वारा लेख किया गया है कि हल्का पटवारी / राजस्व निरीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार आवेदित भूमि ग्राम–सातलदेही ख0क्र0.187 एवं 251 क्रमशःरकबा 10.789, 10.644 में से 3.700, 2.400 हे0 भूमि आवेदित भूमि आबादी से लगभग 500 मीटर दूर,राष्ट्रीय राजमार्ग से 18 कि0मी0 दूर, रेल्वे लाईन से 18 कि0 मी0 दूर,ग्रामीण कच्चे रास्ते से 500 मीटर दूर, वन विभाग सीमा से 2 कि0मी0 दूर,निकटतम नगरपालिका मुख्यालय से 35 कि0मी0 दूर,स्मारकों एवं संवेदनशील स्थलों से 100 मीटर दूर, प्रतिवेदित किया गया है। प्रस्तुत संलग्नक–4 एवं 23 बिन्दुओं की जानकारी, लाल स्याही से रेखांकित नक्शा, स्थल पंचनामा की मूल प्रति प्रस्तुत की गई है। प्रकरण अनुशंसा सहित आगामी कार्यवाही हेतु खनि अधिकारी बैतूल को प्रेषित किया गया है।

खनि निरीक्षक, बैतूल के जॉच प्रतिवेदन दिनांक 23.03.2018 के अनुसार आवेदित क्षेत्र खसरा क्रमांक 187 एवं 251 क्रमशः रकबा 10.789, 10.644 में से 3.700, 2.400 हे0 कुल रकबा 16.641 हे0 क्षेत्र पर प्रचूर मात्रा में रेत खनिज उपलब्ध है। पुल प्रस्तावित क्षेत्र पर स्थित हैं, राष्ट्रीय / राजमार्ग लगभग 10 कि0मी0 दूर स्थित है, रेल्वे लाईन लगभग 09 कि0मी0 दूर है,नदी पर प्रस्तावित क्षेत्र स्थित है, लगभग 300 मी0 दूरी पर जलाशय स्थित है, ग्रामीण मार्ग लगा हुआ है, सार्वजनिक संस्थान 100 मी0 की परिधि में नहीं है, आबादी लगभग 200 मीटर दूर स्थित है। सार्वजनिक उपयोग की भूमि शवदाह गृह आवेदित क्षेत्र से लगा हुआ है, धार्मिक स्थल 100 मीटर के भीतर नहीं है, मरघट लगा हुआ है। उक्त प्रस्तावित क्षेत्र लोहार नदी है, प्रस्तावित क्षेत्र से नियमानुसार प्रतिबंधित दूरी छोड़कर उपलब्ध क्षेत्र पर रेत खदान घोषित किये जाने की अनुशंसा की है।

खनि सहायक मानचिकार, बैतूल ने प्रतिवेदन दिनांक 02.12.2019 में प्रतिवेदित किया है कि तहसील घोड़ाडोंगरी ग्राम–सातलदेही के लोहार नदी के खसरा क्रमांक 187 रकबा 10.789 हे0 में से 3.700 हे0 एवं खसरा क्रमांक 251 रकबा 10.644 हे0 में से 2.400 हे0 कुल दो खसरों का रकबा 6.100 हे0 क्षेत्र पर नई रेत खदान घोषित किये जाने हेतु उपलब्ध होता है राजस्व पटवारी नक्शे में लाल स्याही से चिन्हांकित किया गया है।

मध्यप्रदेश रेत (खनन,परिवहन, भण्डारण एवं व्यापार) नियम,2019 में वन विभाग से अनुशंसा का कोई प्रावधान नहीं दिया गया है। विभागीय VC दिनांक 15.11.2019 के दौरान शासन स्तर एवं संचालनालय स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा निर्देशित किया कि SEIAA की अनुमति के दौरान वन विभाग से अनुशंसा प्राप्त करेंगे।

अतः उपरोक्त जॉच प्रतिवेदनों एवं ग्रामसभा में पारित प्रस्ताव के आधार पर मध्यप्रदेश रेत (खनन, परिवहन, भण्डारण एवं व्यापार) नियम, 2019 के नियम 5 (1) एवं (2) के तहत ग्राम–सातलदेही के लोहार नदी के खसरा क्रमांक 187 रकबा 10.789 हे0 में से 3.700 हे0 एवं खसरा क्रमांक 251 रकबा 10.644 हे0 में से रकबा 2.400 हे0 कुल रकबा 6.100 हे0 क्षेत्र पर खनिज रेत की नई खदान घोषित की जाती है।

(कलेक्टर महो0द्वारा अनुमोदित)

जिला खनि अधिकारी,
बैतूल

पृ0क्रमांक / ख0लि0–2 / 2019 / 2054 (A) बैतूल, दिनांक 07 / 12 / 2019

प्रतिलिपिः–

1. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित।
2. कार्यपालक संचालक, मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम, पर्यावास भवन, भोपाल को सादर सूचनार्थ।
3. संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. वनमण्डलाधिकारी, उत्तर बैतूल(सा0) वनमंडल।
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत बैतूल को सूचनार्थ प्रेषित।
6. अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व) शाहपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
7. तहसीलदार, घोड़ाडोंगरी ।
8. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत घोड़ाडोंगरी को सूचनार्थ ।
9. खनि निरीक्षक / खनि सर्वेयर / खनि सहायक मानचित्रकार बैतूल।
10. खनि शाखा–2 खनिज कार्यालय बैतूल ।
11. सरपंच / सचिव ग्राम पंचायत–सातलदेही जनपद पंचायत घोड़ाडोंगरी जिला बैतूल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

जिला खनि अधिकारी,
बैतूल

कार्यालय कलेक्टर (खनिज–शाखा) बैतूल

–: संशोधित आदेश :–

क्रमांक/ख0लि0–2/2019/2036(A) बैतूल, दिनांक 07/12/2019

सरपंच, ग्राम पंचायत बटकीडोह जनपद पंचायत घोड़ाडोंगरी जिला बैतूल द्वारा ग्राम सभा दिनांक 25.12.2018 में प्रस्ताव क्रमांक 01 पारित कर प्रस्ताव की प्रतिलिपि सहित प्रस्तुत किया है,जिसके अनुसार ग्राम– बटकीडोह तहसील घोड़ाडोंगरी के भड़ंगा नदी के ख0क्र 349 एवं 112 कुल रकबा 2.060 हे0 को नई रेत खदान घोषित करने का लेख किया गया है।

उपरोक्त प्राप्त प्रस्ताव पर नई रेत खदान घोषित करने के संबंध में तहसीलदार घोड़ाडोंगरी/खनि निरीक्षक बैतूल/खनि सहायक मानचित्रकार बैतूल से प्रतिवेदन/अभिमत प्राप्त किये गये। तहसीलदार घोड़ाडोंगरी के पत्र क्र0/प्रवा0/तह0/2019/202 दिनांक 25.02.2019 के अनुसार लेख किया गया है कि ग्राम पंचायत का प्रस्ताव, पटवारी रिपोर्ट एवं प्रस्तावित नक्शा संलग्न कर इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है, तथा संलग्नक–4 एवं 23 बिन्दुओं की जानकारी प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार प्रस्तावित क्षेत्र से आबादी 500 मी0 दूर, रेल्वे लाईन 20 कि0 मी0 दूर, पुल व पुलिया 03 कि0मी0 दूर, ग्रामीण कच्चे रास्ते से 500 मीटर दूर, अन्य सार्वजनिक स्थल जैसे–मंदिर, मस्जिद, कब्रस्तान से कि0मी0 मीटर दूर, वन सीमा से 04 कि0मी0 दूर, निकटतम नगरपालिका मुख्यालय से 35 कि0मी0 दूर, स्मारकों एवं संवेदनशील स्थलों से 10 कि0मी0 दूर, निकटतम व्यापारिक खदानों से 10 कि0मी0 दूर है। तथा प्रस्तावित क्षेत्र से मानव बसाहट/जलीय निकाय/शैक्षणिक संस्थान/चिकित्सालय/राष्ट्रीय धरोहर/पुरातत्वीय महत्व के स्थल 500 मीटर की दूरी के अन्दर स्थित नहीं है। 10 कि0मी0 की परिधि में कोई अन्तर्राज्यीय सीमा एवं 250 मी0 की परिधि में अन्य कोई खदान स्थित नहीं है। प्रस्तावित क्षेत्र खसरा क्रमांक 112 एवं 349 रकबा क्रमशः 1.360 हे0 एवं 0.700 हे0 कुल रकबा 2.060 हे0 रेत खदान घोषित किये जाने की अनुशंसा की गई है।

खनि निरीक्षक, बैतूल के जॉच प्रतिवेदन दिनांक 28.02.2019 के अनुसार प्रस्तावित क्षेत्र खसरा क्रमांक 112 एवं 349 रकबा क्रमशः1.360 है, एवं 0.700 है, कुल रकबा 2.060 हे0 क्षेत्र पर पर्याप्त मात्रा में खनिज रेत उपलब्ध है। प्रस्तावित क्षेत्र से पुल 100 मीटर के भीतर नहीं है, राष्ट्रीय/राजमार्ग/रेल्वे लाईन 10 कि0 मी0 से अधिक दूर, प्रस्तावित क्षेत्र नदी है, जलाशय/बांध 500 मीटर दूर, ग्रामीण मार्ग/सार्वजनिक उपयोग की भूमि/मरघट 100 मीटर के भीतर नहीं है, धार्मिक स्थल 500 मीटर के भीतर नहीं, आबादी लगभग 500 मीटर दूर, उक्त प्रस्तावित क्षेत्र भड़ंगा नदी का भाग है, जिसमें खनिज रेत उपलब्ध है, प्रस्तावित क्षेत्र पर रेत खदान घोषित किये जाने की अनुशंसा की है।

खनि सहायक मानचिकार, बैतूल ने प्रतिवेदन दिनांक 05.12.2019 में प्रतिवेदित किया है कि तहसील घोड़ाडोंगरी ग्राम–बटकीडोह के भड़ंगा नदी के खसरा क्रमांक 112 एवं 349 रकबा क्रमशः1.360 हे0 एवं 0.700 हे0 कुल रकबा 2.060 हे0 क्षेत्र नई रेत खदान घोषित किये जाने हेतु क्षेत्र उपलब्ध होता है राजस्व पटवारी नक्शे में लाल स्याही से चिन्हांकित किया गया है।

मध्यप्रदेश रेत (खनन,परिवहन, भण्डारण एवं व्यापार) नियम,2019 में वन विभाग से अनुशंसा का कोई प्रावधान नहीं दिया गया है। विभागीय VC दिनांक 15.11.2019 के दौरान शासन स्तर एवं संचालनालय स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा निर्देशित किया कि SEIAA की अनुमति के दौरान वन विभाग से अनुशंसा प्राप्त करेंगे।

अतः उपरोक्त जॉच प्रतिवेदनों एवं ग्रामसभा में पारित प्रस्ताव के आधार पर मध्यप्रदेश रेत (खनन, परिवहन, भण्डारण एवं व्यापार) नियम, 2019 के नियम 5 (1) एवं (2) के तहत ग्राम–बटकीडोह के भड़ंगा नदी के खसरा क्रमांक 112 एवं 349 रकबा क्रमशः 1.360 हे0 एवं 0.700 हे0 कुल रकबा 2.060 हे0 क्षेत्र पर खनिज रेत की नई खदान घोषित की जाती है।

(कलेक्टर महो0द्वारा अनुमोदित)

7/12/19
जिला खनि अधिकारी,
बैतूल

पृ0क्रमांक/ख0लि0–2/2019/2036(A) बैतूल, दिनांक 07/12/2019

प्रतिलिपिः–

1. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित।
2. कार्यपालक संचालक, मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम, पर्यावास भवन, भोपाल को सादर सूचनार्थ।
3. संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. वनमण्डलाधिकारी, उत्तर बैतूल(सा0) वनमंडल।
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत बैतूल को सूचनार्थ प्रेषित।
6. अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व) शाहपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
7. तहसीलदार, घोड़ाडोंगरी ।
8. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत घोड़ाडोंगरी को सूचनार्थ ।
9. खनि निरीक्षक/ खनि सर्वेयर/खनि सहायक मानचित्रकार बैतूल।
10. खनि शाखा–2 खनिज कार्यालय बैतूल ।
11. सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत–बटकीडोह जनपद पंचायत घोड़ाडोंगरी जिला बैतूल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

7/12/19
जिला खनि अधिकारी,
बैतूल

कार्यालय कलेक्टर (खनिज–शाखा) बैतूल

–: संशोधित आदेश :–

क्रमांक/ख0लि0–2/2019/2013(A) बैतूल, दिनांक 05/12/2019

सरपंच, ग्राम पंचायत **खपरिया** जनपद पंचायत चिचोली जिला बैतूल द्वारा ग्रामसभा दिनांक 02.10.2017 में प्रस्ताव क्रमांक 09 पारित कर प्रस्ताव की प्रतिलिपि सहित पत्र दिनांक 03.10.2017 प्रस्तुत किया हैं, जिसके अनुसार ग्राम–**खपरिया** तहसील चिचोली के **मोरण्ड** नदी के ख.क्र. 18 रकबा 5.232 हे.में बड़ी तादाद में खनिज रेत उपलब्ध हैं, जिसे नई रेत खदान घोषित करने का लेख किया गया हैं।

उपरोक्त प्राप्त प्रस्ताव आवेदन पत्र पर नई रेत खदान घोषित करने के संबंध में तहसीलदार चिचोली/खनि निरीक्षक बैतूल/खनि सहायक मानचित्रकार बैतूल से प्रतिवेदन/अभिमत प्राप्त किये गये। तहसीलदार चिचोली द्वारा अपने मामला क्रमांक 0715/ब–121/2019–20 दिनांक 26.11.2019 द्वारा ग्राम–**खपरिया** तहसील चिचोली की भूमि खसरा क्रमांक 18 रकबा 5.232 हे0 में से रकबा 3.400 हे0 भूमि पर नई रेत खदान घोषित करने हेतु प्रस्तावित की गई हैं।

खनि निरीक्षक,बैतूल के जॉच प्रतिवेदन मय पंचनामा दिनांक 27.03.2018 के अनुसार आवेदित क्षेत्र खसरा क्रमांक 18 रकबा 5.232 हे0 में से 3.400 हे0 क्षेत्र पर पर्याप्त मात्रा में रेत खनिज उपलब्ध हैं। आवेदित क्षेत्र से पुल 100 मीटर के भीतर नहीं हैं। राष्ट्रीय/राजमार्ग लगभग 15 कि0मी0 दूर स्थित हैं। रेल्वे लाईन 10 कि0मी0 के भीतर नहीं हैं, जलाशय/बांध 500 मीटर के भीतर नहीं हैं, ग्रामीण कच्चा मार्ग लगा हुआ हैं, सार्वजनिक संस्थान आस–पास नहीं हैं। आबादी लगभग 200 मीटर पर स्थित हैं। सार्वजनिक उपयोग की भूमि आस–पास नहीं हैं। धार्मिक स्थल एवं मरघट 200 मीटर के भीतर नहीं हैं। उक्त आवेदित क्षेत्र शासकीय नदी हैं जिसमें प्रचूर मात्रा में रेत उपलब्ध है, आवेदित क्षेत्र से रेत खनिज की चोरी न हो एवं आस–पास के ग्रामीणों को रोजगार प्राप्त हो सके, आवेदित क्षेत्र में नई रेत खदान घोषित किये जाने की अनुशंसा की हैं।

खनि सहायक मानचिकार, बैतूल ने प्रतिवेदन दिनांक 05.12.2019 में प्रतिवेदित किया गया है कि तहसील चिचोली ग्राम–**खपरिया** के मोरण्ड नदी के खसरा क्रमांक 18 रकबा 5.232 हे0 में से 3.400 हे0 क्षेत्र नई रेत खदान घोषित किये जाने हेतु क्षेत्र उपलब्ध होता हैं राजस्व पटवारी नक्शे में लाल स्याही से चिन्हांकित किया गया हैं।

मध्यप्रदेश रेत (खनन,परिवहन, भण्डारण एवं व्यापार) नियम,2019 में वन विभाग से अनुशंसा का कोई प्रावधान नहीं दिया गया है। विभागीय VC दिनांक 15.11.2019 के दौरान शासन स्तर एवं संचालनालय स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा निर्देशित किया कि SEIAA की अनुमति के दौरान वन विभाग से अनुशंसा प्राप्त करेंगे।

अतः उपरोक्त जॉच प्रतिवेदनों एवं ग्रामसभा में पारित प्रस्ताव के आधार पर मध्यप्रदेश रेत (खनन, परिवहन, भण्डारण एवं व्यापार) नियम, 2019 के नियम 5 (1) एवं (2) के तहत ग्राम–खपरिया के मोरण्ड नदी के खसरा क्र0 18 रकबा 5.232 हे0 में से रकबा 3.400 हे0 क्षेत्र पर खनिज रेत की नई खदान घोषित की जाती हैं।

(कलेक्टर महो0द्वारा अनुमोदित)

3/12/19
जिला खनि अधिकारी,
बैतूल

बैतूल, दिनांक 05/12/2019

पृ0क्रमांक/ख0लि0–2/2019/2013(A)

प्रतिलिपिः–

1. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित।
2. कार्यपालक संचालक, मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम, पर्यावास भवन, भोपाल को सादर सूचनार्थ।
3. संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. वनमण्डलाधिकारी, पश्चिम बैतूल(सा0) वनमंडल।
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत बैतूल को सूचनार्थ प्रेषित।
6. अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व) **बैतूल** की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
7. तहसीलदार, **चिचोली**
8. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत चिचोली को सूचनार्थ
9. खनि निरीक्षक/ खनि सर्वेयर/खनि सहायक मानचित्रकार बैतूल।
10. खनि शाखा–2 खनिज कार्यालय बैतूल ।
11. सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत–**खपरिया** जनपद पंचायत **चिचोली** जिला बैतूल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

3/12/19
जिला खनि अधिकारी,
बैतूल

DISTRICT SURVEY REPORT FOR SAND

MINERAL RESOURCES DEPARTMENT

YEAR-2023 (UPDATED)

DISTRICT-BETUL

IN PURSUANCE TO THE GAZATTE NOTIFICATION, MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE (MOEF & CC), THE GOVERNMENT OF INDIA NOTIFICATION Dated, 25 July 2018

State Level Environment Impact
Assessment Authority, M.P.
(EPCO)
Paryavaran Parisar
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

CONTENTS

SN	PARTICULARS	PAGE NO.
1.	Introduction	1
2.	Overview of Mining Activity in the District	7
3.	The List of Mining Leases in the District with location, area and period of validity	8 to 16
4.	Details of Royalty or Revenue Received in Last Three Years	17
5.	Detail of Production of Sand in last Three Years	18 to 19
6.	Process of Deposition of Sediments in the rivers of the district	20 to 27
7.	General Profile of the District	28 to 31
8.	Land Utilization Pattern in the district: Forest, Agriculture, Horticulture, Mining	32
9.	Physiography of the District	33-35
10.	Rainfall	36
11.	Geology and Mineral Wealth	37 to 53
12.	Conclusion	55
13.	Replenishment Study- Process of Deposit of Sediments in the Rivers of The District	56-91

State Level Environment Impact
Assessment Authority, M.P.
(EPCO)
Paryavaran Parisar
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

CHAPTER - 1

1. Introduction:

In pursuance to the Gazette Notification, Ministry of Environment, Forest and Climate Change (Moll & CC), the **Government of India Notification No.S.O. 141 (E) Appendix X. Dated 15.01.2016 & S.O. 3611 (E) New Delhi, 25th July 2018** laid procedure for preparation of District Survey Report of sand mining or river bed mining. The main purpose of preparation of District Survey Report (DSR) is to identify the Sand resources and developing the sand mining activities along with other relevant data of the district.

- The process of making a DSR includes:
- Collection of baseline data from the department
- Understanding River flows and sedimentation vis-à-vis sand mining
- Tabulation and mapping of existing sand mining locations and yield
- Correlation with satellite data for pre and post monsoon sand yield
- Suggesting new locations for sand mining approvals
- Design and Development of DSR as per MOEF guidelines
- Interaction with line department for data / document ownership

1.1 Guidelines to Monitor Sand Mining

For the first time, the Ministry of Environment. Forests and Climate Change (MoEFCC) has noleused guidelines to monitor and check illegal sand mining in the country.

- Suminable Sand Management Guidelines (SSMG), 2016 focuses on the management of sand mining, but there was a need to have guidelines for effective enforcement of regulatory provisions and their monitoring.
- The 2020 guidelines are to be enforced simultaneously with the SSMG, 2016, in case of conflict, the new set will hold legal precedence. The Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 has empowered state governments to mike rules to prevent illegal mining, transportation and storage of minerals.
- However, there were a large number of illegal mining cases in the country and

State Level Environment Impact Assessment Authority, M.P. (EPC-2)

122

in some cases, many of the officers lost their lives while executing their duties to curb illegal mining.

•Illegal and uncontrolled illegal mining also leads to loss of revenue to the State and degradation of the environment.

1.2 Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020

The fair and rapid advancement of technology in country has enabled surveillance and remote monitoring in the field of mining for the effective monitoring of the mining activities, particularly, sand mining. States are now utilizing remote sensing to prevent illegal mining. Rules have been made to prevent illegal mining, transportation and storage of minerals but in the recent past, it has been observed that there was large number of illegal mining cases in the country and in some cases, many of the officers lost their lives while executing their duties for curbing illegal mining incidence. The illegal and uncontrolled illegal mining leads to loss of revenue to the State and degradation of the environment. Thus, an effective policy for monitoring of sand mining in the Country has been enforced focusing on the effective monitoring of the sand mining since from the identification of sand mineral sources to its dispatch and end-use by consumers and the general public.

•Source to Destination Monitoring: The new set of guidelines focuses on the effective monitoring of sand mining from the identification of sand mineral sources to its dispatch and end-use by consumers and the general public and look at a uniform protocol for the whole country.

•Constantly monitor mining with drones and night surveillance of mining activity through night-vision drones.

•Audits States to carry out river audits and put detailed survey reports of all miningareas in the public domain.

•Transparency: Online sales and purchase of sand and other riverbed materials (RBM) for transparency in the process.

•Enforcement: It gives directions to states to set up dedicated task forces at district levels.

•In cases where rivers become district boundaries or state boundaries, the districts or states sharing the boundary shall constitute the combined task force for monitoring of mined materials, mining activity and participate in the

State Level Environment Impact
Assessment Authority, M.P.
(EPC-3)
Parv...
E-5, A...

preparation of District Survey Reports (DSR) by providing appropriate inputs.

•Sustainability: Conduct replenishment study for river bed sand in order to nullify the adverse impacts arising due to excessive and extraction

•While the Sustainable Sand Mining Guidelines, 2016, require the preparation of District Survey Reports (DSR), which is an important initial step before grant of mining lease, the government has found that the DSRs carried out by state and district administrations are often not comprehensive enough, allowing space for illegal mining

1.3 District Details & Sarrounding District

District Betul is one of the districts in Madhya Pradesh which is lying on the southern part of the states, almost wholly on the Satpura Plateau.The district extends between 21° 22' and 22° 24' North latitude and 77° 04' and 78° 33' East Longitude and forms a compact shape, almost a squarewith slight projections on the east and west. The district constitutes 10 blocks spread across 5 Tehsils. The greatest length of the district is about 161 kms from east to west and 106 km from north to south. The total areaof the district is 10,078.1 sq.km having a population of 13, 95,175. The average rainfall of the district is 1085mm.

The district is bounded on the north by Hoshangabad district, on the south by Amravati district of Maharashtra, on the east by Chhindwara district and on the west by the districts of Harda, East Nimarand Amravati. The southern boundary of the district runs almost along the southern foothills of Melaghat range, but excludes Hattighat and Chikaldara hills in Amravati district. The western boundary is marked for some distance by the Ganjal River (southern), a tributary of Tapti, and then with the watershed line between the Morand and Ganjal (northern), the tributaries ofthe Narmada, the Northern boundary is marked by the course of the Morand River, and by the Tawa River beyond Dhdra mohar Railway station. TheEastern Boundary runs through small streams and hills among which some significant ones are Khurpura and Rotia Nalas.

Betul is apparently a tribal district, where 39.43% of the total population is Gond and Korku tribles. The major languages in the districtare Hindi, Gondi, Korku, and Marathi language is spoken widely in southern part of the district. Among the castes Gonds, Korkus, Kurmis, Kumbis, Bhoyars, Meharas, Chamars,

State Level Environment Impact
Assessment Authority, M.P.
(EPCO)
Paryavaran Parisar
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

Banias, Rajputs are the major ones. Betul iswell connected by road & rail network. It is located on the Delhi – Chennai broad-gauge railway line & National Highway No. 69 also passes throughthis district. The nearest airports are in Nagpur & Bhopal. Main rivers are Tapti, Poorna, Wardha, Machna, Sapna and Tawa.

Pathankheda in Ghoradongri block is famous for its coalfields and finds use at the Satpura thermal power station, Sarni for electricity production. Around 22 villages of Shahpura Block and 32 villages of Ghoradongri block come within the Panchmarhi Biosphere Reserve area. The said area is famous for its rare species of flora and fauna. Northern and western parts comprising of Bhimpur, Ghoradongri, Shahpur and some parts of AthnerBlocks of the district, are the prime source of valuable forest produce. Bhainsdehi and part of Betul block are also rich likewise. Main produce are teak-wood, bamboo and other minor forest produce along with herbs ofimportant medicinal values, as the district is widely spread on the Satpura Mountain plateau, it is covered with the enchanting greenery of forest. Lofty mountains of Satpura Range enhance its charm further.

The district is divided into 8 Tehsils and ten blocks the district is predominantly a rural district there are 1343 villages. The total population of the district of as per 2001 census. The details of administrative units are given in table- 1.

State Level Environment Impact
Assessment Authority, M.P.
(EPCO)
Paryavaran Parisar
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

1.4 Location of the District

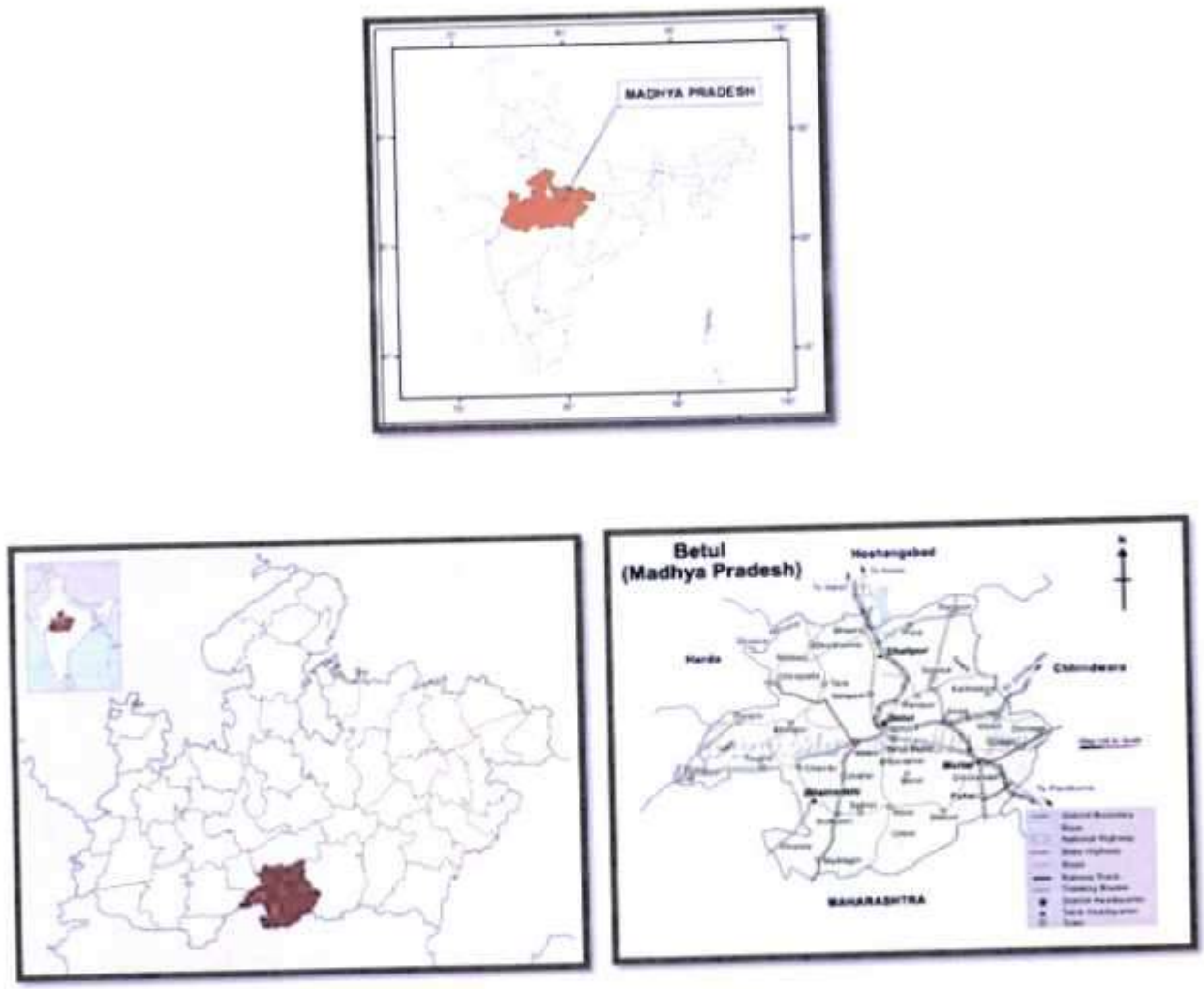

Figure-1 Location Map of the District

State Level Environment Impact
Assessment Authority, M.P.
(EPCO)
Paryavaran Parisar
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

Administrative Divisions, District Betul M.P. (Census-2011)

DISTRICT	SUB DIVISION	TEHSIL
BETUL	Betul	Betul
	Multai	Multai
	Bhensdehi	Amla
	Shahpur	Bhainsdehi
		Athner
		Shahpur
		Ghoradongri
		Chicholi
		Bhimpur
		Prabhat Pattan

BETUL DISTRICT CENCUS UPTO 2011	
ACTUAL POPULATION	1575247
MALE	799721
FEMALE	775526
POPULATION INCREASE	12.91%
POPULATION RATIO OF MP	2.17%
SEX RATIO (IN 1000)	970

State Level Environment Impact
Assessment Authority, M.P.
(EPCO)
Paryavaran Parisar
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

CHAPTER - 2

Overview of Mining Activity in the District:

Betul district holds a district place in the state with respect to strategic geographical position in the state and the availability of mineral resources. The presence of stone crusher plants are also installed.

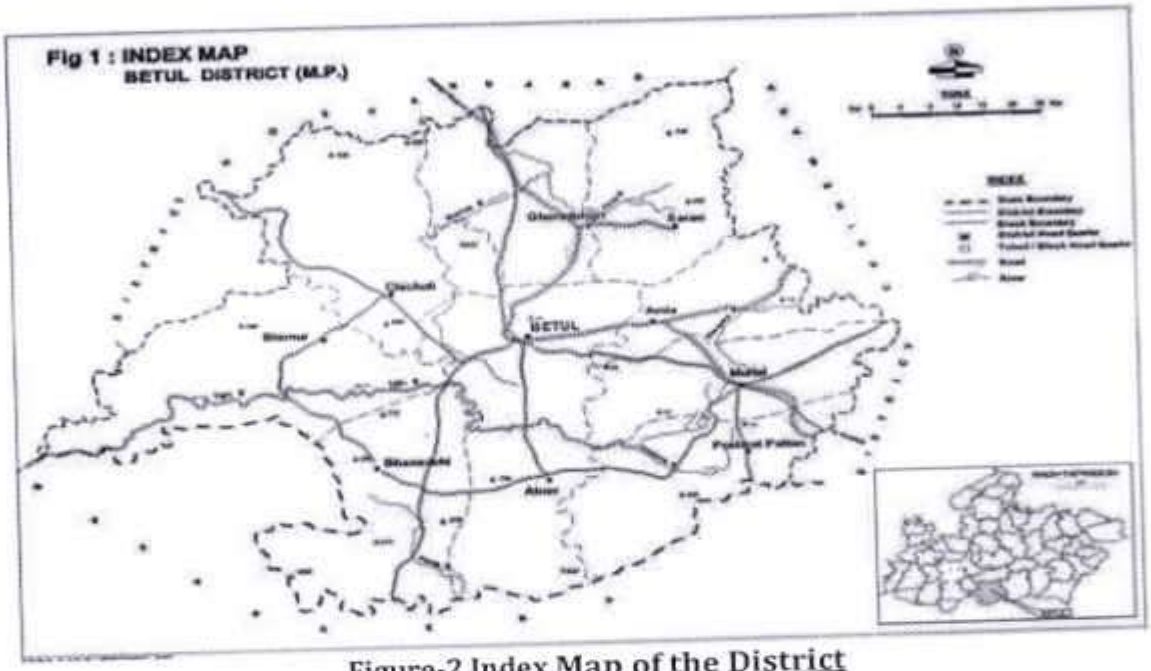

Figure-2 Index Map of the District

State Level Environment Impact
Assessment Authority, M.P.
(SEIAA)
Campus plan Colony
T. S. Area Colony, Bhopal (M.P.)

State Level Environment Impact Assessment Authority, M.P. (SEIAA)
Paryavaran Parisar
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

CHAPTER -3

The List of Quarry for Sand in Betul District

जिले की अंतिम रूप से घोषित रेत खदानों की जानकारी

क्र0	तहसील	ग्राम पंचायत /नगरीय निकाय का नाम	खदान का नाम/ग्राम	खसरा क्र0	रकबा है0 में	नदी का नाम	Coordinates	रिमार्क
1	घोड़ाडोंगरी	लोनिया	लोनिया	179	1.115	तवा नदी	1) 22° 7'7.81"N 78°14'34.66"E 2) 22° 7'7.79"N 78°14'35.93"E 3) 22° 6'58.19"N 78°14'35.04"E 4) 22° 6'58.22"N 78°14'33.55"E 5) 22° 7'2.86"N 78°14'34.39"E	
2	घोड़ाडोंगरी	बादलपुर	फुलबेरिया	407	2.500	तवा नदी	1) 22°10'28.16"N 78° 5'51.94"E 2) 22°10'28.63"N 78° 5'52.58"E 3) 22°10'34.68"N 78° 5'34.11"E 4) 22°10'33.62"N 78° 5'34.40"E 5) 22°10'37.26"N 78° 5'42.43"E 6) 22°10'35.91"N 78° 5'40.86"E	वन सीमा से 20 मी दूरी पर है।
3	घोड़ाडोंगरी	अनकावाड़ी	नांदू	91	2.900	नांदू नदी	1) 22° 2'13.87"N 77°59'21.32"E 2) 22° 2'13.00"N 77°59'22.17"E 3) 22° 1'48.78"N 77°59'14.34"E 4) 22° 1'48.89"N 77°59'13.50"E 5) 22° 2'10.72"N 77°59'20.95"E 6) 22° 2'10.30"N 77°59'19.95"E 7) 22° 2'11.75"N 77°59'30.17"E 8) 22° 2'11.44"N 77°59'28.13"E 9) 22° 2'9.25"N 77°59'31.26"E 10) 22° 2'9.91"N 77°59'30.46"E	
4	घोड़ाडोंगरी	बाकुड़	बाकुड़	35	0.500	बाकुड़ नदी	A) 22° 3'56.58"N 78° 7'34.90"E B) 22° 3'56.72"N 78° 7'35.33"E C) 22° 4'2.03"N 78° 7'33.77"E D) 22° 4'0.97"N 78° 7'35.24"E	
5	घोड़ाडोंगरी	झोली	झोली–1	99	2.450	भंडगा नदी	a) 22°14'46.10"N 78° 4'7.90"E b) 22°14'55.66"N 78° 4'27.47"E	

129

							c) 22°14'56.64"N 78° 4'26.97"E d) 22°14'46.69"N 78° 4'7.86"E	
6	घोड़ाडोंगरी	झोली	झोली–2	10	2.450	भंडगा नदी	a) 22°14'46.16"N 78° 4'7.85"E b) 22°14'55.67"N 78° 4'27.52"E c) 22°14'54.45"N 78° 4'27.61"E d) 22°14'45.51"N 78° 4'7.97"E E) 22°14'45.88"N 78° 4'13.34"E F) 22°14'47.06"N 78° 4'14.16"E	वन सीमा से 750 मी दूरी पर है।
7	घोड़ाडोंगरी	बटकीढोह	विष्णुपुर	1	3.000	भंडगा नदी	A. 22°16'1.51"N 77°58'47.90"E B. 22°16'0.12"N 77°58'48.05"E C. 22°15'46.74"N 77°58'26.11"E D. 22°15'46.53"N 77°58'27.43"E E. 22°15'55.34"N 77°58'29.45"E F. 22°15'56.18"N 77°58'28.77"E	वन सीमा से 295 मी दूरी पर है।
8	घोड़ाडोंगरी	डेहरी आमढाना	कचलोरा–3	69	0.620	कचलोरा नदी	1. 22°10'37.30"N 78° 9'5.16"E 2. 22°10'36.68"N 78° 9'5.01"E 3. 22°10'35.68"N 78° 8'56.67"E 4. 22°10'36.40"N 78° 8'56.43"E	
9	घोड़ाडोंगरी	डेहरी आमढाना	आमढाना रैयत–3	178	0.340	लटिया नदी	1) 22°10'42.25"N 78° 7'23.83"E 2) 22°10'33.63"N 78° 7'13.43"E 3) 22°10'34.24"N 78° 7'13.38"E 4) 22°10'34.40"N 78° 7'18.87"E 5) 22°10'34.27"N 78° 7'19.11"E	
10	घोड़ाडोंगरी	खापा	मालवर	38	7.800	तवा नदी	1) 22°10'42.25"N 78° 7'23.83"E 2) 22°10'33.63"N 78° 7'13.43"E 3) 22°10'34.24"N 78° 7'13.38"E 4) 22°10'34.40"N 78° 7'18.87"E 5) 22°10'34.27"N 78° 7'19.11"E	
11	घोड़ाडोंगरी	डेहरी आमढाना	आमढाना रैयत	248,141, 130	6.090	लटिया नदी	1) 22°11'11.01"N 78° 7'19.65"E 2) 22°11'10.66"N 78° 7'20.00"E 3) 22°11'17.42"N 78° 8'49.77"E 4) 22°11'16.66"N 78° 8'48.93"E 5) 22°11'23.07"N 78° 8'43.54"E 6) 22°11'22.47"N 78° 8'43.38"E	

State Level Environment Impact Assessment Authority, M.P. (EPCO) Paryavaran Parisar E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

130

							7) 22°11'23.12"N 78° 8'37.69"E 8) 22°11'22.81"N 78° 8'36.61"E 9) 22°11'25.89"N 78° 8'30.56"E 10) 22°11'25.27"N 78° 8'30.26"E 11) 22°11'21.05"N 78° 8'15.45"E 12) 22°11'20.23"N 78° 8'15.36"E 13) 22°11'24.27"N 78° 7'53.00"E 14) 22°11'23.58"N 78° 7'53.82"E 15) 22°11'11.47"N 78° 7'37.65"E 16) 22°11'11.00"N 78° 7'37.66"E 17) 22°11'15.79"N 78° 7'32.71"E 18) 22°11'15.13"N 78° 7'32.33"E	
12	घोड़ाडोंगरी	शक्तिगढ़	गांधीग्राम	2	0.550	गांधीग्राम नदी	1) 22°11'8.01"N 78°10'12.64"E 2) 22°11'7.58"N 78°10'12.88"E 3) 22°11'2.75"N 78°10'2.67"E 4) 22°11'2.30"N 78°10'2.90"E	वन सीमा से 844 मी दूरी पर है।
13	घोड़ाडोंगरी	चिखली आमढाना	चिखली आमढाना	219, 341	6.632	खमालपुर नदी	1) 22° 1'32.36"N 77°59'42.79"E 2) 22° 1'31.70"N 77°59'43.15"E 3) 22° 0'59.49"N 77°59'16.51"E 4) 22° 0'59.75"N 77°59'16.36"E	
14	घोड़ाडोंगरी	डेहरी आमढाना	बरेलीपार	63	0.360	बरेलीपार नदी	1) 22°10'39.96"N 78° 6'51.05"E 2) 22°10'39.93"N 78° 6'50.61"E 3) 22°10'34.22"N 78° 6'53.35"E 4) 22°10'34.53"N 78° 6'53.44"E 5) 22°10'36.06"N 78° 6'50.82"E 6) 22°10'36.65"N 78° 6'51.47"E	
15	घोड़ाडोंगरी	डेहरी आमढाना	कचलोरा–1	67	0.100	कचलोरा नदी	1) 22°10'34.32"N 78° 8'49.17"E 2) 22°10'34.08"N 78° 8'49.53"E 3) 22°10'30.98"N 78° 8'48.90"E 4) 22°10'28.51"N 78° 8'48.62"E 5) 22°10'27.62"N 78° 8'47.74"E 6) 22°10'28.01"N 78° 8'48.44"E 7) 22°10'33.22"N 78° 8'48.71"E	

State Level Environment Impact Assessment Authority, M.P. (EPCO) Paryavaran Parisar E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

131

							8)22°10'33.39"N 78° 8'48.42"E 9) 22°10'32.68"N 78° 8'48.31"E	
16	घोड़ाडोंगरी	डेहरी आमढाना	कचलोरा–2	98	0.340	लटिया नदी	1) 22°10'45.87"N 78° 9'43.92"E 2) 22°10'40.82"N 78° 9'37.92"E 3) 22°10'39.77"N 78° 9'38.85"E 4) 22°10'40.03"N 78° 9'39.20"E 5) 22°10'41.30"N 78° 9'38.60"E	
17	घोड़ाडोंगरी	डेहरी आमढाना	आमढाना रैयत–1	79	0.170	लटिया नदी	1) 22°11'38.30"N 78° 7'24.22"E 2) 22°11'37.29"N 78° 7'23.62"E 3) 22°11'31.84"N 78° 7'25.69"E 4) 22°11'34.54"N 78° 7'23.80"E 5) 22°11'34.38"N 78° 7'24.20"E	
18	घोड़ाडोंगरी	डेहरी आमढाना	आमढाना रैयत–2	175	0.350	लटिया नदी	1) 22°10'51.02"N 78° 7'22.41"E 2) 22°10'55.62"N 78° 7'19.31"E 3) 22°10'54.70"N 78° 7'19.32"E 4)22°10'52.12"N 78° 7'22.33"E	
19	घोड़ाडोंगरी	सातलदेही	सातलदेही	187, 251	6.100	लोहार नदी	1) 22°17'12.74"N 77°58'4.03"E 2) 22°17'4.84"N 77°57'36.67"E 3) 22°17'12.13"N 77°58'5.09"E 4) 22°17'2.13"N 77°57'35.76"E 5) 22°17'3.27"N 77°57'44.09"E 6)22°17'0.15"N 77°57'51.09"E	
20	घोड़ाडोंगरी	बटकीढोह	बटकीढोह	112, 349	2.060	भंडगा नदी	1) 22°16'11.69"N 78° 0'44.01"E 2) 22°16'11.02"N 78° 0'42.76"E 3) 22°16'4.85"N 78° 0'58.91"E 4) 22°16'6.28"N 78° 0'59.55"E 5) 22°16'8.20"N 78° 0'49.82"E 6) 22°16'6.78"N 78° 0'49.96"E	वन सीमा से 4000 मी दूरी पर है।
21	घोड़ाडोंगरी	सिवनपाट	कटंगी	148	0.621	शासकीय नाला	1) 22°10'49.73"N 78° 4'1.03"E 2) 22°10'49.58"N 78° 4'0.50"E 3) 22°10'42.29"N 78° 4'0.99"E 4) 22°10'41.88"N 78° 4'1.77"E 5) 22°10'48.35"N 78° 4'1.41"E 6) 22°10'46.47"N 78° 4'3.26"E	

State Level Environment Impact Assessment Authority, M.P. (EIACO) Paryavaran Parisar E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

State Level Environment Impact Assessment Authority, M.P. (EIACO) Paryavaran Parisar E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

132

							7) 22°10'44.36"N 78° 4'2.79"E 8) 22°10'47.72"N 78° 4'3.27"E 9) 22°10'45.86"N 78° 4'3.96"E	
22	घोड़ाडोंगरी	हीरापुर / बांसपुर	शिवसागर / बांसपुर	1, 288, 1	19.620	तवा नदी	1) 22°10'17.88"N 77°58'56.14"E 2) 22° 9'57.37"N 77°58'58.09"E 3) 22° 9'48.11"N 77°59'36.53" 4) 22° 9'44.73"N 77°59'36.03"E 5) 22° 9'55.19"N 77°58'55.34"E 6) 22° 9'56.56"N 77°58'56.75"E 7) 22°10'17.65"N 77°58'52.15"E	
23	घोड़ाडोंगरी	झाड़कुण्ड	झाड़कुण्ड	1	0.950	माचना नदी	BLOCK -1 A) 22° 2'13.14"N 77°46'8.96"E B) 22° 2'13.12"N 77°46'9.90"E C) 22° 2'9.14"N 77°46'9.90"E D) 22° 2'9.08"N 77°46'9.14"E BLOCK-2 A) 22° 1'55.88"N 77°46'13.27"E B) 22° 1'56.11"N 77°46'13.76"E C) 22° 2'2.84"N 77°46'10.96"E D) 22° 2'2.60"N 77°46'9.95"E E) 22° 1'59.50"N 77°46'11.77"E	
24	बैतूल	मण्डईबुजुर्ग	कुम्हारिया	1	0.700	माचना नदी	1) 21°57'23.67"N 77°45'13.45"E 2) 21°57'23.21"N 77°45'13.98"E 3) 21°57'15.60"N 77°45'4.47"E 4) 21°57'15.19"N 77°45'4.58"E	
25	बैतूल	कोदारोटी	कोदारोटी	106	5.450	माचना नदी	1) 21°55'9.43"N 77°45'40.14"E 2) 21°55'9.07"N 77°45'41.66"E 3) 21°54'52.25"N 77°45'32.72"E 4) 21°54'52.27"N 77°45'34.12"E 5) 21°54'45.28"N 77°45'32.99"E 6) 21°54'45.29"N 77°45'34.54"E 7) 21°54'25.14"N 77°45'36.36"E 8) 21°54'26.14"N 77°45'38.51"E 9) 21°54'40.33"N 77°45'31.87"E	

State Level Environment Impact
Assessment Authority, M.P.
...)
...n Parisar
...y, Bhopal (M.P.)

133

133

							10) 21°54'40.56"N 77°45'33.51"E	
26	बैतूल	बरसाली	भीलावाड़ी	97	0.800	माचना नदी	1) 21°54'34.89"N 78° 0'5.45"E 2) 21°54'34.28"N 78° 0'5.42"E 3) 21°54'25.33"N 78° 0'6.36"E 4) 21°54'24.88"N 78° 0'6.61"E 5) 21°54'26.81"N 78° 0'8.08"E 6) 21°54'26.32"N 78° 0'8.92"E 7) 21°54'32.30"N 78° 0'3.39"E 8) 21°54'31.97"N 78° 0'2.83"E	
27	बैतूल	माथनी	माथनी	78	0.860	माचना नदी	1) 21°58'4.14"N 77°46'13.96"E 2) 21°58'3.66"N 77°46'14.54"E 3) 21°57'51.96"N 77°46'9.05"E 4) 21°57'52.35"N 77°46'8.39"E 5) 21°57'58.78"N 77°46'11.52"E 6) 21°57'58.39"N 77°46'12.17"E	
28	चिचोली	खपरिया	खपरिया	18	3.400	मोरण्ड नदी	1) 22°13'43.70"N 77°39'16.31"E 2) 22°13'41.67"N 77°39'15.64"E 3) 22°13'35.79"N 77°39'29.04"E 4) 22°13'37.08"N 77°39'31.35"E	
29	चिचोली	हरदू	हरन्या	1, 9	5.590	मोरण्ड नदी	A) 22° 5'19.67"N 77°39'6.74"E B) 22° 5'19.96"N 77°39'6.06"E C) 22° 6'2.19"N 77°39'43.48"E D) 22° 6'2.18"N 77°39'42.84"E E)22° 5'32.08"N 77°39'20.21"E F) 22° 5'32.61"N 77°39'20.83"E G)22° 5'38.64"N 77°39'15.13"E H)22° 5'39.13"N 77°39'15.78"E I) 22° 5'44.98"N 77°39'23.83"E J) 22° 5'44.60"N 77°39'24.78"E K) 22° 5'40.68"N 77°39'31.57"E L) 22° 5'40.68"N 77°39'33.33"E M) 22° 5'55.99"N 77°39'28.95"E N) 22° 5'55.73"N 77°39'29.52"E	

State Level Environment Impact Assessment Authority, M.P.
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

134

30	चिचोली	बल्लौर	बल्लौर	162	3.000	मोरण्ड नदी	1) 22°13'32.26"N 77°37'48.20"E 2) 22°13'31.69"N 77°37'49.39"E 3) 22°13'13.56"N 77°37'50.25"E 4) 22°13'13.98"N 77°37'51.69"E	
31	चिचोली	बल्लौर	सांगवानी	20	5.080	मोरण्ड नदी	1) 22°12'7.25"N 77°37'51.48"E 2) 22°11'46.70"N 77°37'50.28"E 3) 22°11'47.47"N 77°37'53.70"E 4) 22°11'39.48"N 77°37'52.35"E 5) 22°11'40.46"N 77°37'54.26"E 6) 22°11'36.23"N 77°37'58.88"E 7) 22°11'33.82"N 77°37'58.67"E	
32	भीमपुर	जामू	रातामाटी	1	2.550	ताप्ती नदी	A) 21°48'30.38"N 77°29'15.70"E B) 21°48'31.02"N 77°29'16.80"E C) 21°48'9.74"N 77°29'19.61"E D) 21°48'9.61"N 77°29'20.97"E	
33	शाहपुर	सितलझिरी	सितलझिरी	1	0.700	माचना नदी	A) 22° 4'29.54"N 77°45'50.48"E B) 22° 4'29.08"N 77°45'53.13"E C) 22° 4'24.26"N 77°45'52.08"E D) 22° 4'24.17"N 77°45'51.23"E	
34	शाहपुर	टांगनामाल	टांगनामाल	209	4.000	मोरण्ड नदी	1) 22°10'58.88"N 77°38'49.34"E 2) 22°10'58.21"N 77°38'49.15"E 3) 22°10'58.91"N 77°39'12.53"E 4) 22°10'59.90"N 77°39'12.59"E 5) 22°10'59.34"N 77°39'15.79"E 6) 22°10'47.12"N 77°39'24.10"E 7) 22°10'47.04"N 77°39'23.22"E 8) 22°10'58.04"N 77°39'15.54"E 9) 22°10'53.38"N 77°38'57.07"E 10) 22°10'52.40"N 77°38'55.70"E	
35	शाहपुर	टांगनामाल	धामन्या	1	5.000	मोरण्ड नदी	A) 22°11'10.08"N 77°37'53.57"E B) 22°11'10.05"N 77°37'55.28"E C) 22°10'44.14"N 77°38'8.94"E D) 22°10'42.76"N 77°38'8.76"E E) 22°10'45.11"N 77°38'2.15"E	

State Level Environment Impact
Assessment Authority, M.P.
(EPCO)
Paryavaran Parisar
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

135

135

							F) 22°10'43.35"N 77°38'3.27"E	
36	शाहपुर	कुण्डी	दौड़ी	1	6.250	तवा नदी	1) 22°15'6.65"N 77°57'33.49"E 2) 22°14'37.12"N 77°57'51.79"E 3) 22°14'38.20"N 77°57'54.29"E 4) 22°15'7.60"N 77°57'35.18"E	
37	शाहपुर	गुवाड़ी	गुवाड़ी	19	2.500	तवा नदी	1) 22°17'11.13"N 77°53'0.25"E 1) 22°17'11.13"N 77°53'0.25"E 2) 22°17'9.34"N 77°53'2.49"E 3) 22°17'2.78"N 77°52'55.98"E 4) 22°17'3.58"N 77°52'53.39"E 5) 22°17'6.19"N 77°52'57.31"E 6) 22°17'8.23"N 77°52'55.40"E	
38	शाहपुर	सिलपटी	गौनापुर	266	5.350	तवा नदी	1) 22°10'17.64"N 77°58'48.78"E 2) 22° 9'55.22"N 77°58'55.12"E 3) 22°10'17.74"N 77°58'52.18"E 4) 22° 9'56.34"N 77°58'56.50"E	
39	शाहपुर	शाहपुर	पतौवापुरा	112	1.820	मावना नदी	A) 22°11'33.46"N 77°53'35.62"E B) 22°11'30.20"N 77°53'37.90"E C) 22°11'27.35"N 77°53'36.87"E D) 22°11'27.04"N 77°53'33.20"E E) 22°11'29.87"N 77°53'32.84"E	
40	आमला	तिरमहु	सोनतलाई / समरतढाना	1,1	5.540	बेल नदी	1. 21°56'19.50"N 78°14'53.82"E 2. 21°56'17.88"N 78°14'53.60"E 3. 21°55'57.30"N 78°14'23.47"E 4. 21°55'57.32"N 78°14'25.29"E 5. 21°55'45.12"N 78°14'14.64"E 6. 21°55'44.16"N 78°14'14.97"E 7. 21°55'40.64"N 78°14'6.91"E 8. 21°55'39.69"N 78°14'7.56"E 9) 21°55'43.31"N 78°14'9.65"E 10) 21°56'4.84"N 78°14'31.46"E 11) 21°56'9.56"N 78°14'38.57"E 12) 21°56'8.66"N 78°14'39.59"E	

State Level Environment Impact
Assessment Authority, M.P.
(EIACO)
Paryavaran Parisar
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

136

136

41	आगला	बारछी	बारछी	434, 308	5.520	बेल नदी	1) 21°56'20.68"N 78°17'54.31"E 2) 21°56'19.28"N 78°17'53.54"E 3) 21°56'12.83"N 78°18'12.15"E 4) 21°56'11.16"N 78°18'13.29"E 5) 21°56'15.60"N 78°18'19.78"E 6) 21°56'14.17"N 78°18'19.65"E 7) 21°56'13.31"N 78°18'33.94"E 8) 21°56'12.12"N 78°18'33.04"E	
42	आगला	जम्बाडा(बुजुर्ग)	जम्बाडा(बुजुर्ग)	217	0.700	कुडमुड नाला	1) 21°56'30.79"N 78°13'10.92"E 2) 21°56'31.25"N 78°13'11.27"E 3) 21°56'26.39"N 78°13'22.11"E 4) 21°56'25.81"N 78°13'22.33"E 5) 21°56'26.63"N 78°13'15.14"E 6) 21°56'26.01"N 78°13'14.89"E	

State Level Environment Impact
Assessment Authority, M.P.
(EPCO)
Paryavaran Parisar
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

137

137

CHAPTER -4

Details of Royalty or Revenue received in last three years:

S.No	Mineral	Royalty or Revenue Received (INR)		
		2019-20	2020-21	2021-22
1	Sand	67510620/-	38779382/-	563735378/-

State Level Environment Impact
Assessment Authority, M.P.
(EPCO)
Paryavaran Parisar
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

CHAPTER -5

Details of Production of Sand in last three years:

Production of Sand

FINANCIAL YEAR	Production of Sand or Bajari in Cum
2019-20	294495.01
2020-21	795564.38
2021-22	792640

District Level Environment Impact
Assessment Authority, M.P.
(EIA)
Bhopal
E-8, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

Last three-year production of Sand Mines inBetul District:								
क्र.	नदी का नाम	तहसील	खदान का नाम	खसरा क्र	रकवा (हे.)	Last Three Years Sand Excavation details		
						2019-20	2020-21	2021-22
1	माचना नदी	बैतूल	कुम्हारिया (बुजुर्ग)	1	0.7oo	0	10800	10800
2	माचना नदी	शाहपुर	शितलझिरी	1	0.007	0	5625	0
3	तवा नदी	घोड़ाडोंगरी	फुलबेरिया	407	2.5oo	0	12750	12750
4	माचना नदी	घोड़ाडोंगरी	झाड़कुण्ड	1	0.95o	0	7200	7200
5	बाकुड़ नदी	घोड़ाडोंगरी	बाकुड़	35	2.7oo	0	21875	21875
6	नान्दु नदी	घोड़ाडोंगरी	नान्दु	91	2.9oo	0	30460	30460
7	भड़ंगा नदी	घोड़ाडोंगरी	चिचड़ोल रैयत	30	4.8oo	0	18380	18380
8	मोरंड नदी	शाहपुर	धमन्या	1	5.ooo	0	20000	20000
9	कचलोरा नदी	घोड़ाडोंगरी	कचलोरा-3	69	0.62o	0	9500	9500
10	लतिया नदी	घोड़ाडोंगरी	आमढाना रैयत-3	178	0.34o	0	6120	6120
11	तवा नदी	घोड़ाडोंगरी	लोनिया	179	1.115	0	25000	25000
12	ताप्ती नदी	भैंसदेही	रातामाटी	1	2.55o	0	36000	36000
13	भड़ंगा नदी	घोड़ाडोंगरी	विष्णुपुर	1	3.ooo	0	37180	37180
14	भड़ंगा नदी	घोड़ाडोंगरी	झोली-1	99	2.45o	0	36750	36750
15	मोरंड नदी	चिचोली	बल्लोर	162	3.ooo	0	54000	54000
16	मोरंड नदी	चिचोली	खपरिया	18	3.4	0	37062	37062
17	मोरंड नदी	शाहपुर	टॉगनामल	209	4.ooo	0	72000	72000
18	मोरंड नदी	शाहपुर	चिकली रैयत	316	4 .ooo	0	21000	21000
19	तवा नदी	घोड़ाडोंगरी	दौड़ी मालवर	1,38	14.05o	196974.06	209930.7	210000
20	तवा नदी	शाहपुर	गुवाड़ी	19	2.5oo	65956	70182	70200
21	लतिया नदी	घोड़ाडोंगरी	आमढाना रैयत	248,141 ,130	6.09	29685.95	35672.14	35700
22	धाराखोह नदी	घोड़ाडोंगरी	घोड़ाडोंगरी	373, 1395	7	1979	18077.54	20663

State Level Environment Impact
Assessment Authority, M.P.
(EPCO)
Paryavaran Parisar
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

State Level Environment Impact
Assessment Authority, M.P.
(EPCO)
Paryavaran Parisar
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

140

CHAPTER -6

6.1 Process of Deposition of Sediments in the rivers of the district:

The water action is perhaps the only agency responsible for erosion, transportation and deposition of sand and aggregates in the sub continental tropical conditions. The rivers are the most important source of sand in the district. The passage of these rivers is initially through basaltic terrain, where erosion of country rocks and transportation may be high but may not result in the sand formation. It is the Gondwana and Deccan trap terrain and the areas of alluvial plains which produces bulk quantity of sand and associated aggregates. Thus, geology plays a major role. This, coupled with mineral composition (e.g. Gondwana sandstone; being arkosic sandstone and shales being ferruginous and argillaceous and the recent subcompact to loose formations comprising of sandy matter) greatly influence the process of sand formation. Moreover, climatic conditions, water load and velocity of river and rainfall have a vital role in the entire process of transportation and deposition of sand and associated aggregates. Here gradient of land in an important factor. The river usually erodes the river base and the banks by hydraulic action and abrasion (corrosion). Hereto, abrasion is the most important action which involves wearing away of the bank and the bedrock by stram water with the help of sand grains (floating, dragging, pebbles and gravels and all such small particles) that are being carried in it. The floating, dragging and rolling depends upon the size and shape. Cavitation is another method of erosion. Air bubbles trapped in the water get compressed into small spaces like cracks in the river's banks. These bubbles shockwave that weakens the rocks. The shockwaves are very weak but over time the rock will be weakened to the point at which it falls apart.

Energy, environment and time are the three factors which determine the process of deposition by streams. Thus, when energy decreases to transport the load (by reduction in velocity or volume of water), a part of material can no longer be transported and hence deposited. Similarly, the factors of environment influence the deposition through configuration or shape of the channel. Uneven surface of the channel check the velocity and hence cause deposition. The time factor actually operates through the above two factors. Thus, when a stream would perform the act of deposition may be explained by a statement and whenever like its velocity whiz appreciably checked. The deposits that are laid down by running water are called alluvial, fluvial or

State Level Environment Impact
Assessment Authority, M.P.
(EPCO)
Paryavaran Parisar
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

Fluviatile deposits. They all vary greatly in size, shape and mode of origin. Amongst these is first are alluvial fans and cones: these are cone shaped accumulations of stream debris that come down from hills or mountains meet a larger streams or valley floor. These are common in hilly terrains andsecond most important over in the present context is flood plain deposits which are resultant of some periods of high water levels or flood in a stream during which it overflows its banks and overflows on its sides. These flood waters are invariably heavily loaded with sediments of all types which are eventually deposited over inundated areas. Thus a thick layer of such loadsis left after every flood. Another type of flood plain deposits are natural levees; which are broad, low ridges formed along the banks of the streams during floods. They generally slope away from stream edge. They form because of deposition of part of flood water load along the banks during floods. As rivers enters into plains, the gradient decreases suddenly and flowin increasingly wide, gentle sided valleys. The channel increases in size to hold the extra water which the river has to receive from its tributaries. Asthe river gets bigger it can carry larger amounts of material. This material will be small in size, as larger rocks will have broken up on their way from the mountains. Much of the material will be carried in suspension and will erode the river banks by abrasion. When rivers flow over flatter land, they develop large bends called meanders. As a river goes around a bend most of the water is pushed towards the outside causing increased erosion. The riveris now eroding sideways into its banks rather than downwards into its bed,a process called lateral erosion. On the inside of the bend, in contrast, thereis much less water. The river will therefore be shallow and slow- flowing. It cannot carry as much material and so sand and shingle will be deposited. This is called a point bar or slip off slope. Due to erosion on the outside of a bend and deposition on the inside, the shape of a meander will change over a period of time. Notice how erosion narrows the neck of the land within the meander. In time, and usually during a flood, the river will cut right through the neck. The river will then take the new, shorter route. The fastest current, will now trend to be in the center of the river, and so deposition is likely to occur in gentler water next to the banks eventually deposition will block off the old meander to leave an oxbow lake. The oxbow lake will slowly dry up, only refilling after heavy rain or during a flood.

State Level Environment Impact Assessment Authority, M.P. (EPCO)
Paryavaran Parisar
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

6.2 Sources of sand

Sand is world's second most consumed natural resource after water. Rapid urbanization and global population growth have created unbound demand for this limited natural resource With urbanization as key driving factor, construction industry has expanded considerably over the last few decades leading to overuse of river sand for construction purposes. This increasing discrepancy between the need for aggregates in the society and scarcity of natural sand due to exhaustion of resources and environmental considerations, has urged concrete manufacturers to look for a suitable and sustainable alternative fine aggregate. The economical and ecological alternative is manufactured sand.

6.2.1 Natural Sources

Natural sund is produced by natural forces, such as river sand and sea sand. Generally, sand found at foot of mountains is more weathered, containing more mud, organic impurities and light substances. Sea Sand often contains shells and other impurities, and its components such the chlorine, sulfate and magnesium salts may cause corrosion of steel bars. All the Components will affect the performance of concrete. Sources of sand can be river bed material, de-siltation pits in reservoirs/dams, agricultural land etc. these can be broadly classifies us:

- **Pit Sand**

This sand is found as deposits in soil and it is obtained by forming pits into soils. It is excavated to a depth of about 1'on to 2 m from ground level. The pit sand consists of sharp cular grains which are free from salts and it proves to be excellent material for mortar or concrete work. For making mortar, the clean pit sand free from organic matter and clay should only be used.

- **River Sand**

This sand is obtained from banks or beds of rivers. The river sand consists of fine rounded frais probably due to mutual attrition under the action of water current. The colour of river sand is almost white. As river sand is usually available in clean condition, it is widely used for all purposes.

State Level Environment Impact
Assessment Authority, M.P.
(EPCH)
Paryavaran Parisar
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

- Sea Sand

This Sand is obtained from sea shores. The sea sand, like river sand, consists fine rounded grain. The colour of sea sand is light brown. The sea sand contains salts. Salts attract the atmosphere. Such absorption causes dampness, efflorescence and work. The sea sand also retards the setting action cement. Due such the general rule avoid the use sea sand for engineering purposes except for basement, etc. can however used a local material after being thoroughly remove the salt.

6.2.2 Manufactured Sand

(M-Sand) artificial sand produced from crushing hard stones small angular shaped particles (rock particles with particle size less than 4.75 mm by artificial crushing sieving after removal treatment), washed and graded used as construction aggregate.It is a superior alternative River Sand construction purpose. main technical indicators artificial sand particle fineness modulus, stone powder content, void apparent density, bulk density, value index, content, light-matter content, etc.

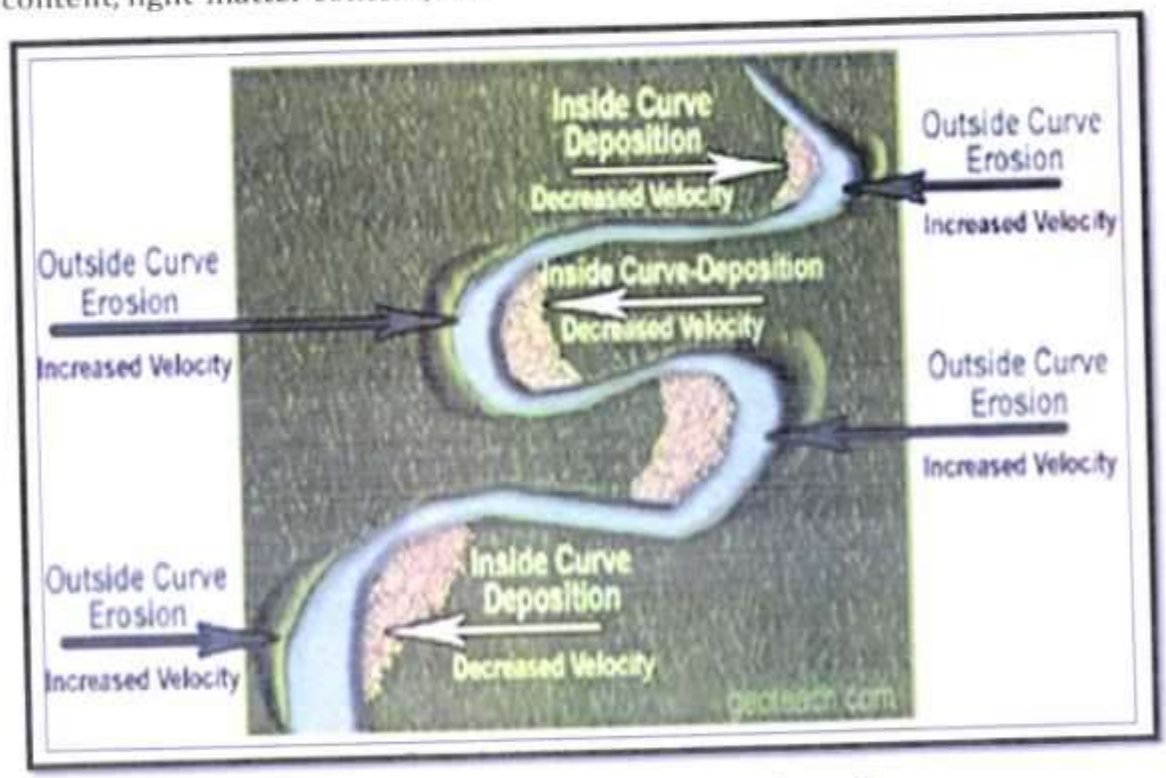

Figure-3 Conductive area for Sand deposition

State Level Environment Impact
Assessment Authority, M.P.
(EPCO)
Paryavaran Parisar
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

6.2.3 Sand Mining

Sand Mining is an activity referring to the process of the removal of sand from rivers, streams and lakes.

•Sand is mined from beaches and dredged from river beds.

•There are no official figures for the amount of sand mined illegally, but in 2015-16 there were over 19.000 cases of illegal mining of minor minerals, which include sand, in the country,

•To stop illegal mining, the Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MoEF) issued Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand mining.

•These guidelines focus on the effective monitoring of the sand mining.

Following considerations shall be kept in mind for sand mining:

•Parts of the river reach that experience deposition or aggradations shall be identified. The Leaseholder/ Environmental Clearance holder may be allowed to extract the sand and gravel deposit in these locations to manage aggradations problem.

•Sand and gravel may be extracted across the entire active channel during the dry season.

•Abandoned stream clamels on the terrace and inactive floodplains are to be preferred rather than active channels and their deltas and flood plains. The stream should not be diverted to form the inactive channel.

•Layers of sund which could be removed from the river bed shall depend on the width of the river and replenishment rate of the river.

•Sand shall not be allowed to be extracted where erosion may occur, such as at the concave bank.

•Segments of the braided river system should be used preferably falling within the lateral migration area of the river regime that enhances the feasibility of sediment replenishment.

•Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometer (1 km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x)

State Level Environment Impact
Assessment Authority, M.P.
(EPCO)
Parvavaran Parisar
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

of a bridge public civil structure (including water intake points) on up-stream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side, subjected to a minimum of 250 mt on the upstream side and 500 mt on the downstream side.

•Sand and gravel could be extracted from the downstream of the sand bar at river benda. Retaining the upstream one to two-thirds of the bar and riparian vegetation is accepted as a method to promote channel stability.

•The flood discharge capacity of the river could be maintained in areas where there is a significant flood hazard to existing structures or infrastructure, Sand and gravel mining may be allowed to maintain the natural flow capacity based on surveyed cross-section history. Alternatively, off-channel or floodplain extraction in recommended to allow rivers to replenish the quantity taken out during mining.

•Mining depth should be restricted to 3 meters and distance from the bank should be or river width and should not be less than 7.5 meters.

•Demarcation of mining area with pillars and geo-referencing should be done priorto the start of mining.

•A buffer distance/un-mined block of 50 meters after every block of 1000 meter, over which mining is undertaken or at such distance as may be the directed/prescribed by the regulatory authority shall be maintained.

•River bed sand mining shall be restricted within the central 3/4th width of the river/rivulet or 7.5 meters (inward) from river banks but up to 10% of the width of the river, as the case may be and decided by regulatory authority while granting environmental clearance in consultation with irrigation department. Regulating authority while regulating the zone of river bed mining shall ensure that the objective to minimize the effects of riverbank erosion and consequential channel migration are achieved to the extent possible. In general, the area for removal of minerals shall not exceed 60% of the mine lease area, and any deviation or relaxation in this regard shall be adequately supported by the scientific report.

State Level Environment Impact
Assessment Authority, M.P.
(EPCO)
Paryavaran Parisar
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

6.3 SEDIMENTATION YIELD and PRODUCTION

The Universal Soil Loss Equation (USLE) is a widely used mathematical model to compute sedimentation yield from a river bed. Soil erosion within watersheds results in sedimentation which gets deposited along the river course. The rainfall energy interacts with terrain parameters and results in water induced soil erosion. It comprises of sequential actions viz. detachment of particles from soil mass, transportation of soil particles. The parameters like soil characteristics, terrain slope length & steepness, land-use/land-cover and land management practices are considered as given below in the empirical equation(Source: Auckland Regional Council LandfactsS- 05, "Estimating Sedimentation Yield Using Universal Soil Loss Equation (USLE)".)

$A = R \times K \times LS \times C \times P \times SD \times SE$

Where,

A= Sedimentation Yield, (tons/annum)
R=Rainfall Erosion Index, (J/ha)
K=Soil Erodibility Factor (tons/unit of R)LS=Slope Length and Steepness Factor C=Ground Cover Factor
P=Roughness Factor
SD= Sediment Delivery Ratio
SE=Sediment Control Efficiency

6.4 Calculation of Sedimentation Yield for Proposed Project Site:

Using USLE, Year-wise Sedimentation Yield is calculated. All the parameters for the USLE and Sedimentation Yield is given below in Table.

Parameters for the USLE and Sedimentation Yield

Parameters
Rainfall Erosion Index, (J/ha)
Soil Erodibility Factor (tons/unit of R)
Slope Length and Steepness Factor
Ground Cover Factor
Roughness Factor
Study Area (ha)
Time (Years)
Sediment Delivery Ratio
Sediment Control Efficiency
Sedimentation Yield, (tons/annum)
Drainage Area(ha)
Lease Area (ha)

State Level Environment Impact
Assessment Authority, M.P.
(EPCO)
Paryavaran Parisar
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

Sedimentation Yield for the Site

After extraction of the mineral from the Reserve, the remaining Reserve as well as sediment replenishment of that year will be available for extraction every next year. As the sediment control efficiency will gradually increase every year due to increase in mining activity, the sedimentation yield will also increase every year.

State Level Environment Impact
Assessment Authority, M.P.
(EPCO)
Paryavaran Parisar
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

CHAPTER -7

General Profile of the District:

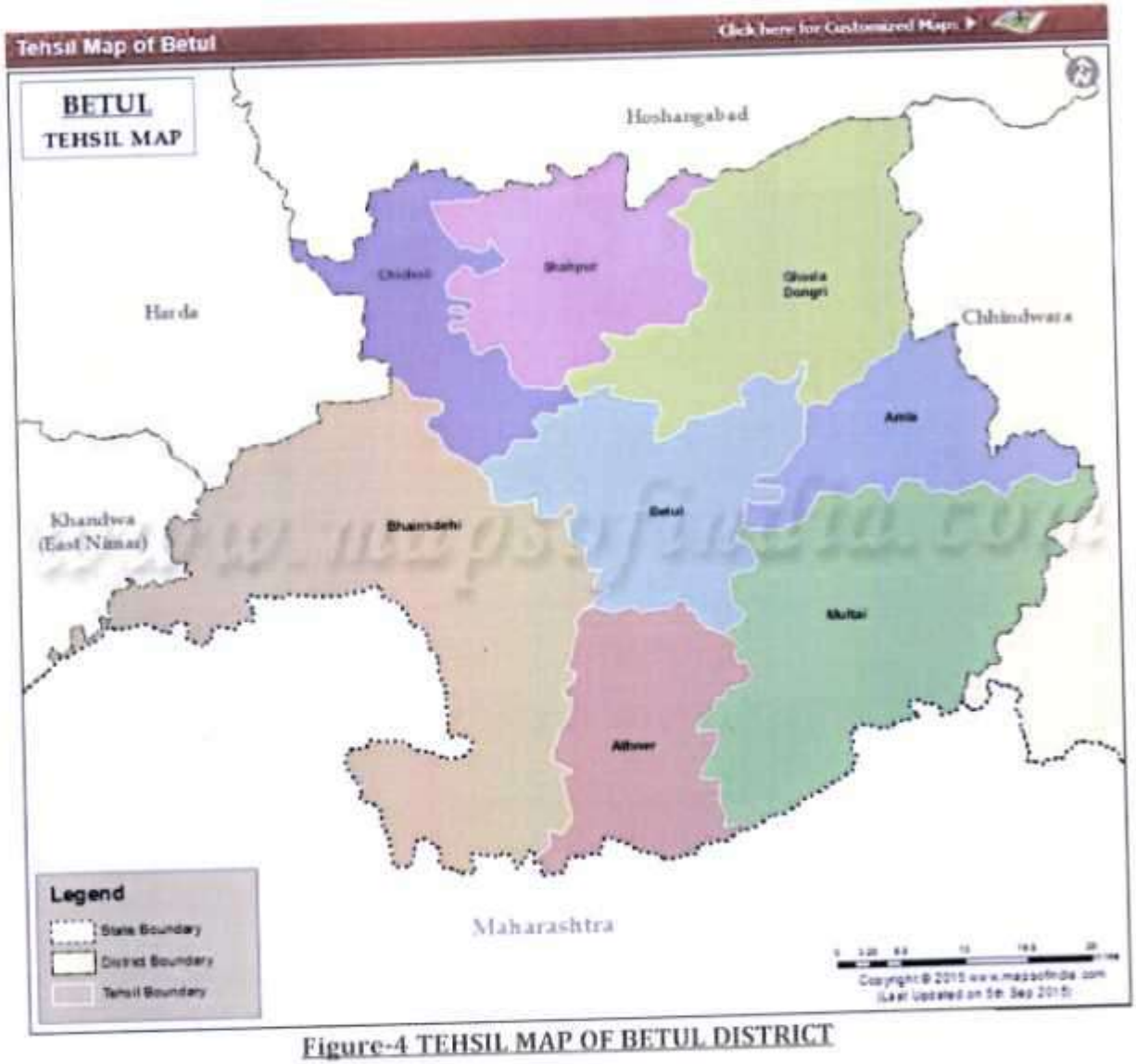

Figure-4 TEHSIL MAP OF BETUL DISTRICT

State Level Environment Impact
Assessment Authority, M.P.
(EPCO)
Paryavaran Parisar
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

BETUL DISTRICT AT A GLANCE

S.No	ITEMS	Statistics	
1.	GENERAL INFORMATION		
S.No	ITEMS	Statistics	
1.	GENERAL INFORMATION		
	1) Geographical area (In Sq. km)	10078	
	ii) Administrative Divisions (As on 2013) Number of Tehsil/ Block , Number of Panchayat /Villages	8/10, 553/1409	
	iii) Population (As per Census 2011)	15,75,247	
	iv) Normal Rainfall (mm)	1129.6	
2,	GEOMORPHOLOGY		
	i) Major Physiographic Units	i. Satpura plateau in the Tawa and Morand valleys ii. Satpura plateau in the central and southern iii.Tapi valley	
	ii) Major Drainage	i. Tawa, Morand, Machna and Bhangi of Narmada Basin ii. Wardha and Bel of Wardha basin iii.Tapi, Maru and Tapi of Tapi basin	
3.	LAND USE (sq km)		
	i) Forest area	3967	
	ii) Net area sown:	4046	
	iii) Cultivable area:	4040	
4.	MAJOR SOIL TYPES	Black cotton	
5.	AREA UNDER PRINCIPAL CROPS	Wheat, Rice. Jowar, Maize Sugarcane etc.	
6.	IRRIGATION BY DIFFERENT SOURCES	**Number of Structures**	**Area in Sg km**
	Dug wells	53150	716
	Tube wells/Bore wells	3427	126
	Tanks/Ponds	15	2
	Canals	92	189
	Other Sources	-	126

State Level Environment Impact
Assessment Authority, M.P.
(EPCO)
Paryavaran Parisar
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

	Net Irrigated Area	-	1159
7.	**NUMBER OF GROUND WATER MONITORING WELLS OF CGWB (As on 31.3.2013)** No. of Dug Wells / No. of Piezometers	23 / 07	
8	**PREDOMINANT GEOLOGICAL FORMATIONS**	Deccan Trap Lava Flows, Lameta beds, Upper and Lower Gondwanas and Archaeans	
9	**HYDROGEOLOGY** **Major Water Bearing Formation** **Pre-monsoon** **Depth to water level during 2012** **Post-monsoon** **Depth to water level during 2012** **Long Term water level trend in 10 years**	Weathered & Fractured basalt Weathered & Fractured sandstone Weathered / Fractured granite, gneiss, amphibolites 2.0 – 16.40 0.51 9.75 Fall Pre 0.02-0.1	
10.	**GROUND WATER EXPLORATION BY CGWB (As on 31-03-2013)**		
	No of wells drilled EW, OW, PZ, SH, Total) **Depth Range (m)** **Discharge (litres per second)** **Storativity (S)** **Transmissviitv (m2/day)**	EW-55 PZ-08 Ow-29 10-300, 0.75-20 lps, 1-3 lps 4.7xl0-4 to 6.5xl0-5 1 .8-442.8 m2 /day	
11.	**GROUND WATER QUALITY** **Presence of Chemical constituents more than permissible limit (eg EC, F, As. Fe)** **Type of Water**	EC- 262-1670, Nitrate- 1.3-156, Fluoride - .09-.9 in phreatic aquifer	
12	**DYNAMIC GROUND WATER**		
	RESOURCES (2009) In MCM		
	Net Ground Water Availability	1139.70	

State Level Environment Impact
Assessment Authority, M.P.
(EPCO)
Paryavaran Parisar
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

	Gross Annual Ground Water Draft	536.22
	Projected Demand for Domestic and Industrial	
	Uses up to 2033	46.38
	Stage of Ground Water Development	47 %
13.	**AWARENESS AND TRAINING ACTIVITY**	
	Mass Awareness Programs organized 03 Date: Place: No. of Participants **Water Management Training Programmes**	19.09.05, 12.9.06 07.10.06. Betul, Sasundra, Athner 50 150 170 14: 09.05 & 06.10.06 :(Betul)
	Organized No: Date: Place: No. of Participants	Pathakheda 60 to 70
14	**EFFORTS OF ARTIFICIAL RECHARGE & RAINWATER HARVESTING**	
	Projects under technical guidance of CGWB (Numbers)	01 , Central Sector scheme in Bel watershed in Amla block and dug well recharge
15.	**GROUND WATER CONTROL AND REGULATION**	
	Categorization of blocks	All block under Safe category
16	**MAJOR GROUND WATER PROBLEMS AND ISSUES**	Depleting ground water level

State Level Environment Impact Assessment Authority, M.P. (EFCO) Paryavaran Parisar E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

CHAPTER -3

Land Utilization Pattern in the district: Forest, Agriculture, Horticulture, Mining etc.

Land utilization pattern in ha district is as follows:

Total Area - 10,078 Sq. Km.

Forest Area

1. Betul General Area - 1023.52 Sq. Km.
2. Betul – South - 1505.25 Sq. Km.
3. Betul – West - 1116.28 Sq. Km

Total Area - 3645.53 Sq. Km

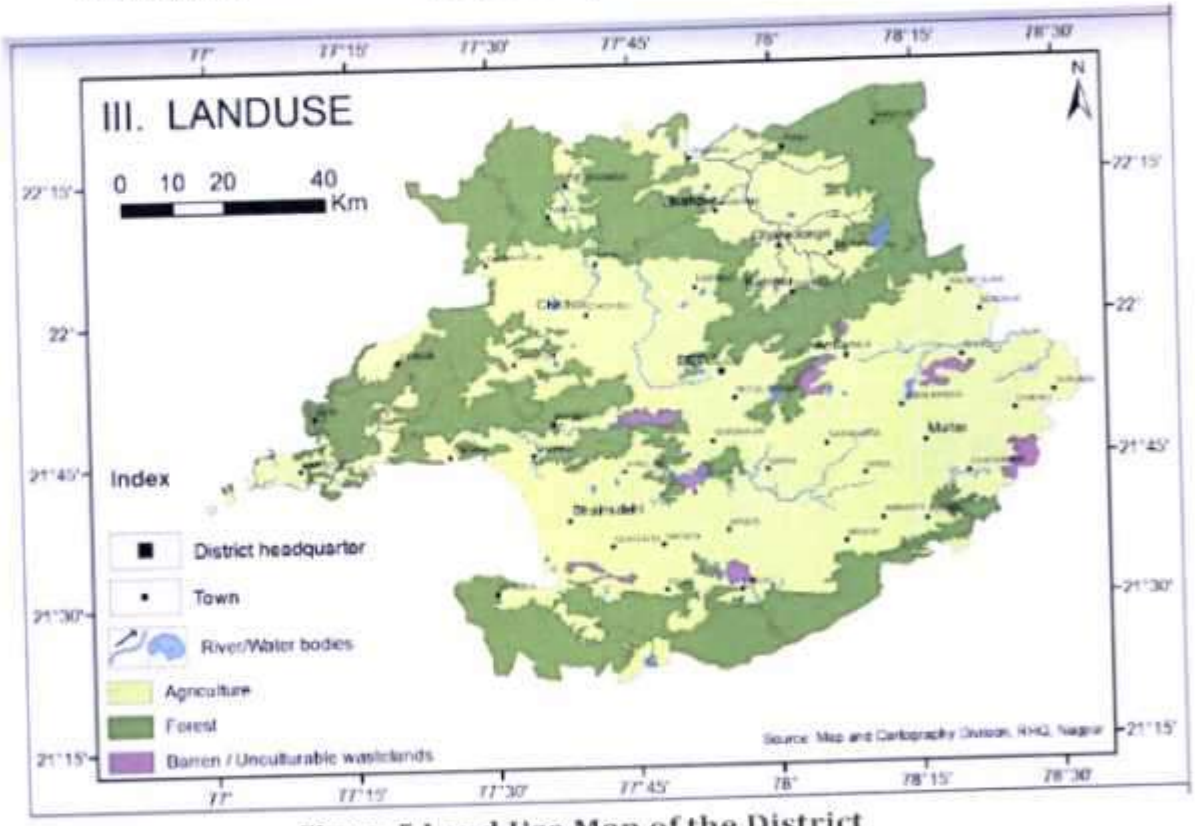

Figure-5 Land Use Map of the District

Land Area	Sq. Km.
Agriculture Land	6076
Irrigated Land	1908
Mining Area	29.48

State Level Environment Impact
Assessment Authority, M.P.
(EPCO)
Paryavaran Parisar
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

CHAPTER -9

Physiography of the District:

The district has four district physiographic division viz (i) Satpura plateau in Tawa and Morand valleys (ii) The Satpura plateau in central and (iii) southern part of the district (iv) and Tapti valley. The whole district lies on Satpura plateau at an elevation of 365m above mean sea level. The general elevation is about 609m at Kilendeo form the highest peak in the northern and central parts of the district. Tawa valleys lies at on elevation of 396m amsl between peaks of Kilandeo and Bhogwangar, the general scope of the valley is towards the North West.

The country is mainly undertaking with presence of few residual hills and is inter sector by large number of stream joining Taw the high land mass of the district sub sides into the fringing ravenous country of Wardha and tributaries of the Kanhan. The west of Khamla is highest point 1137 m amsl in the entire country and forms the part of Gwagarh hills.

Drainage:

The drainage of the district is diverted in all direction from the eastern high mass of Satpura plateau. The northern and central part of the district drains into the Narmada in the north through Tawa, Machna Morand and the Bhange. The Tapti bengh basically consequent river and flowing to the west drain water of the western and southern central part of the Purna, Mam and Wadha occupy small areas of their drainage in the southern part of the district.

Soil:

In the district, there are five types of soils namely kali soil, Morand soil, Matbarra soils, Bardi soil Sihar and retard soils. The southern central and eastern part of the district is covered by black cotton soil.

State Level Environment Impact
Assessment Authority, M.P.
(EPCO)
Paryavaran Parisar
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

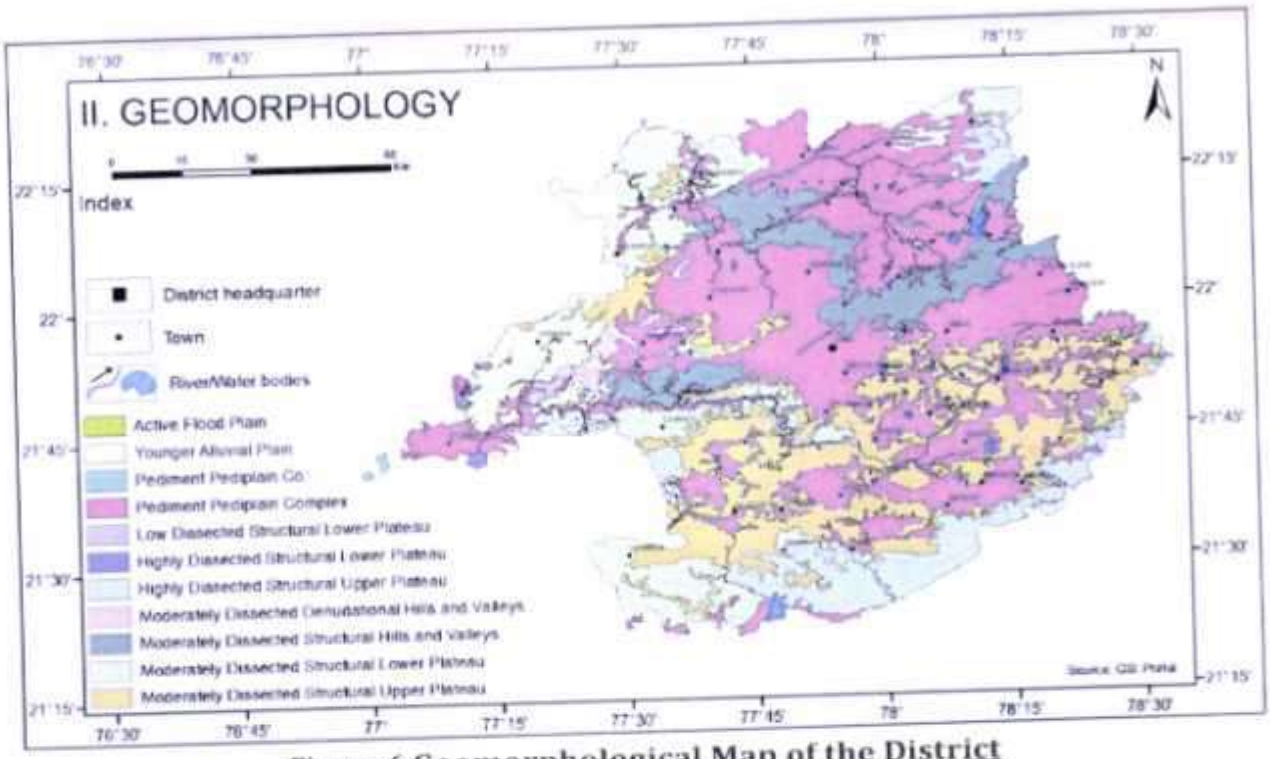

Figure-6 Geomorphological Map of the District

Hydrogeology:

Betul district is underlain by various geological formations, forming different types of the aquifer in the area. Main geological units of the area are, Archaean, Gondwana Lameta, Deccan traps, Laterite and soils. Occurrence and movement of ground water in hard rocks is mainly controlled by secondary porosity through joints and fractures primary porosity in Gondwana sandstone and vesicular basalts. In Deccan traps play an important role in ground water movement ground water is general occurs under unconfined and semi confined to confined conditions.

State Level Environment Impact
Assessment Authority, M.P.

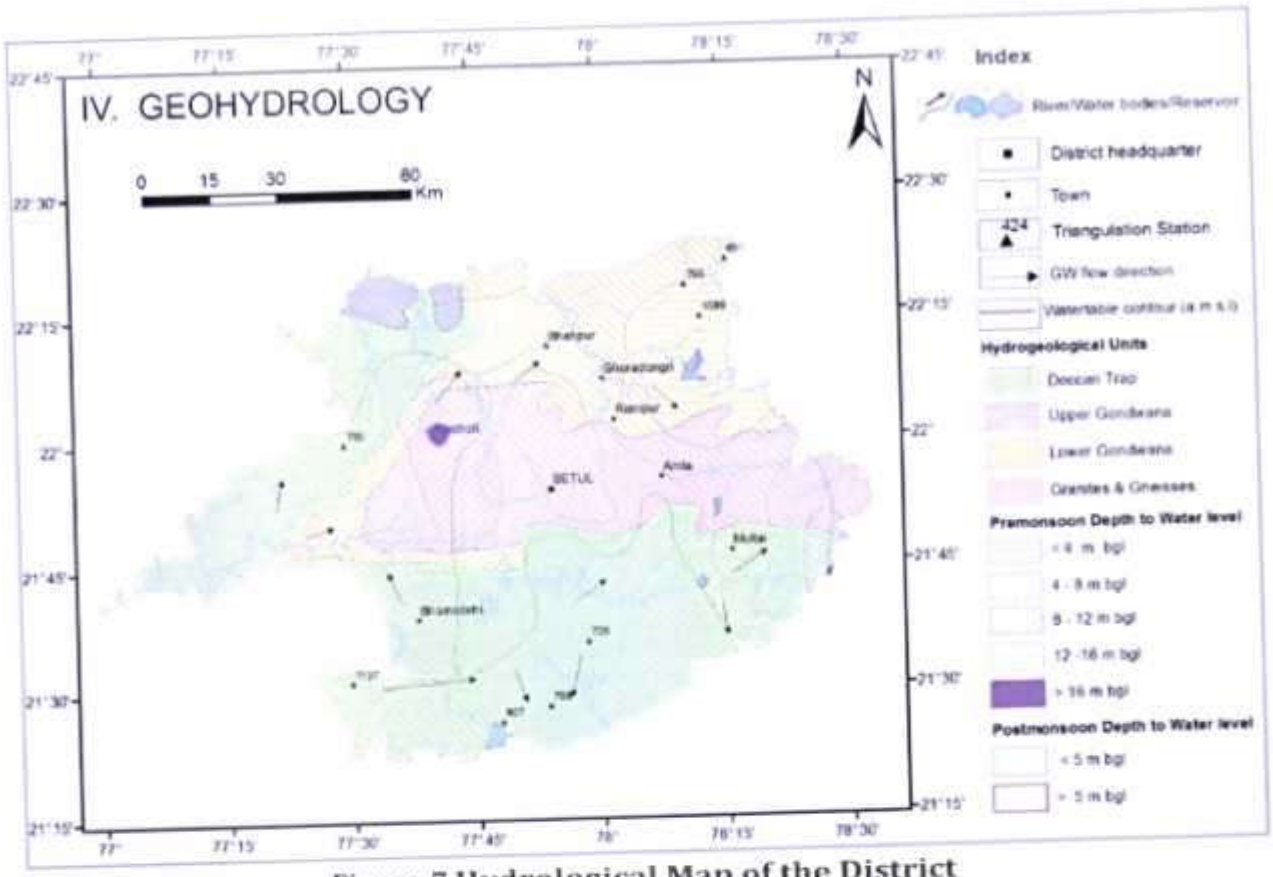

Figure-7 Hydrological Map of the District

State Level Environment Impact Assessment Authority, M.P. (SEIAA)
Parvesh Kumar Pareek
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

CHAPTER -10

Rainfall of the district & Climatic Condition:

The climate of Betul is characterized by a hot summer and general dryness except rainfall during the south- west monsoon season. The year can be divided into four seasons. The cold season, December to February is followed by hot season from March to about first week of June is the summer season. The period from the middle June to September is the south-west monsoon season. May is the hottest month of the year with average temperature of 39.3oC. The minimum during the December is 10.3oC. The normal annual mean maximum and minimum temperature is 30.7oC and 17.9oC respectively. The south-west monsoon starts from middle of June and lasts till end of September. October and middle of November constitute the post monsoon or retreating monsoon season. The normal annual rainfall of Betul district is 1129.6 mm. About 86.6% of annual rainfall is received during monsoon season. Only 13.4% of annual rainfall takes place between Octobers to May. The humidity comes down lowest in April. It varies between 31% to 91% at different time in different seasons. The wind velocity is high during the monsoon period as compared to pre and post monsoon. The wind velocity is higher in June around 8.5Km/hr and lowest is 3.8 km/hr in November.

Year-wise Rainfall:

YEAR	Rainfall (mm)
2019-20	1379.6
2020-21	1237.0
2021-22	1145.8

State Level Environment Impact Assessment Authority, M.P. (EPCO)
Paryavaran Parisar
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

CHAPTER -11

Geology and Mineral Wealth:

Rock formations ranging in age from Archean to Quarternary are exposed in the district. Betul gneissic complex, volcano- sedimentary sequence, younger Meta- Sediments, Acid and basic intrusive of Archean to Neo Proterozoic age (3500-900 m.y.) occupies the northeastern and northern part of the district. Amla Gneiss of Betul Gneissic complex is the oldest litho – unit and is exposed at 16 km south west of Betul town. It comprises various types of gneisses. Golighat group comprises quartzite, schist, and marble and schistose amphibolites. Volcano – Sedimentary sequence comprises green schist belt with bands of marble, calc- silicate, amphibolites and quartzite. Younger Meta- Sediments comprises phyllite with interbands of marble, banded hematite quartzite, dolomite, marble, calc-silicate, quartzitic, arenite, ferrugnous sandstone, felspathic-quartz schist and quartzite, Acid intrusive comprises, granite, pegmatitic, granite, foliated granite, quartz, breccias with pegmatite and quartz veins, basic intrusive comprises gabbro, diorite,pyroxinite and amphibolites.

Archaeans

The crystalline metamorphic and igneous rocks covers approximately 20% of the total district area. The igneous rocks are intensive granite and pegmatite veins intending the metamorphic rocks. Quartz pegmatite views are common features and occurs as broad dykes and thin strings. The ground basins are conterminous with surface drainage sub basin thus ground water flow system are of local types where end system has its recharge area at topographic low. The Archaeans are mainly occupying the Betul, Chichab, Multai and Amla blocks. These rocks do not have primary porosity and hydraulic conductivity. The weathered part of the crystalline rocks are called saprolite, which is of particular interest from the point of view of storage zone for ground water and as an aquifer for open well and shallow tube wells. The thickness of this zones in the entire district area ranges from 2.5 to 30.00 m. in this formation, aquifers also occurs where bed rock and quartz pegmatite intensive vein are jointed and fractures. The yield depends upon saturated thickness of the weathered mantle and fracture pattern of the rocks.

Gondwana

The Gondwana rocks are comprising succession of sand stone, shales with seems of coal lying over the metamorphic rocks of crystalline Archaean system with a district unconformity. The beds of Gondwana rocks are distributed in patches and lie in a liner trends coinciding almost with the present river valleys. There rocks show considerable faulting. The Talchir beds

State Level Environment Impact
Assessment Authority, M.P.
(EPCO)
Paryavaran Parisar
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

consisting of sandstone and green clays with boulders contain plant fossils. There are bounded by faults. The west and north west of Betul, there are out of Gondwana rocks which separates decant traps from Archaeans rocks. Barkars of Gondwana group contains coal seams.

Deccan Traps

Deccan traps comprising varies types of basaltic lava flows and most extensive rocks in the district. There rocks occupying in Betul, Multai, Bhimpura, Chicholi, Bhainsdehi, Atner and Prabkat pattam blocks. The base of the flow consist of a porons layers of earthy basalt which passes rapidly into the main body. Of flow consisting of great thickness of hard basalt. Generally the Deccan trap in the area occurs in the form of fractures, weathered and vesicular basalts.

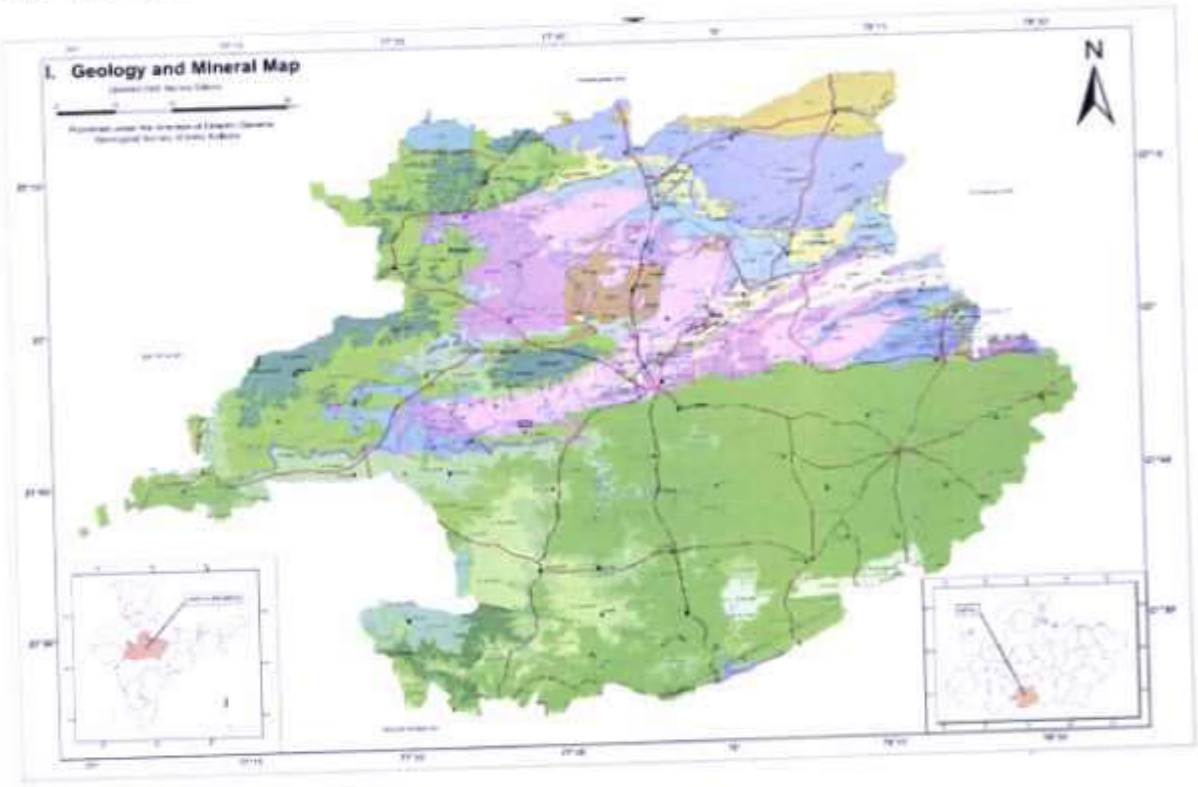

Figure-8 Georological Map of the District

State Level Environment Impact Assessment Authority, M.P. (EPCO) Paryavaran Parisar E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

Figure-9 Geological Map Index

State Level Environment Impact
Assessment Authority, M.P.
(EPCO)
Paryavaran Parisar
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

PRE MONSOON SAND MINES MAP OF BETUL DISTRICT (MP)

1		176	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			
41			
42			
43			

40

State Level Environment Impact
Assessment Authority, M.P.
(EPCO)
Paryavaran Bhawan
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

Sand Mine of Betul District based on Pre-monsoon Assesment

Sr. No.	Portion of the River or Stream Recommended for Mineral Concession			Length of area recommended for mineral concession (Km)	Average width of area recommended for mineral concession (m)	Sanctioned Area (Ha.)	Depth (in m)	Total Sand Potential (cum)	Total Sand Potential (In metric tonne) { @ cu.m x 1.40 =m.t.)
	River	Village	Khasra No.						
1	तवा नदी	लोनिया	179	0.3014	37	1.115	0.50	5575	7805
2	तवा नदी	फुलबेरिया	407	0.5952	42	2.500	0.30	7500	10500
3	नांदू नदी	नांदू	91	1.3182	22	2.900	0.30	8700	12180
4	बाकुड़ नदी	बाकुड़	35	0.1515	33	0.500	0.40	2000	2800
5	भंडगा नदी	झोली–1	99	0.7424	33	2.450	0.20	4900	6860
6	भंडगा नदी	झोली–2	10	0.7656	32	2.450	0.20	4900	6860
7	भंडगा नदी	विष्णुपुर	1	0.9677	31	3.000	0.40	12000	16800
8	कचलोरा नदी	कचलोरा–3	69	0.2385	26	0.620	0.20	1240	1736
9	लटिया नदी	आमढाना रैयत–3	178	0.4359	7.8	0.340	0.60	2040	2856
10	तवा नदी	मालवर	38	1.0541	74	7.800	0.20	15600	21840
11	लटिया नदी	आमढाना रैयत	248,141, 130	2.0300	30	6.090	0.30	18270	25578
12	गांधीग्राम नदी	गांधीग्राम	2	0.3235	17	0.550	0.30	1650	2310
13	खमालपुर नदी	चिखली आमढाना	219, 341	1.6580	40	6.632	0.20	13264	18569.6
14	बरेलीपार नदी	बरेलीपार	63	0.2000	18	0.360	0.50	1800	2520
15	कचलोरा नदी	कचलोरा–1	67	0.0833	12	0.100	0.50	500	700
16	लटिया नदी	कचलोरा–2	98	0.3400	10	0.340	0.60	2040	2856

State Level Environment Impact Assessment Authority, M.P. (EPCO)
Paryavaran Parisar
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

162

Sr. No.	Portion of the River or Stream Recommended for Mineral Concession			Length of area recommended for mineral concession (Km)	Average width of area recommended for mineral concession (m)	Sanctioned Area (Ha.)	Depth (in m)	Total Sand Potential (cum)	Total Sand Potential (In metric tonne) { @ cu.m x 1.40 =m.t.)
	River	Village	Khasra No.						
17	लटिया नदी	आमढाना रैयत–1	79	0.1700	10	0.170	0.50	850	1190
18	लटिया नदी	आमढाना रैयत–2	175	0.1591	22	0.350	0.80	2800	3920
19	लोहार नदी	सातलदेही	187, 251	0.8592	71	6.100	0.20	12200	17080
20	भंडगा नदी	बटकीढोह	112, 349	0.5150	40	2.060	0.20	4120	5768
21	शासकीय नाला	कटंगी	148	0.3105	20	0.621	0.30	1863	2608.2
22	तवा नदी	शिवसागर / बांसपुर	1, 288, 1	1.5092	130	19.620	0.20	39240	54936
23	माचना नदी	झाड़कुण्ड	1	0.5278	18	0.950	0.30	2850	3990
24	माचना नदी	कुम्हारिया	1	0.3182	22	0.700	0.80	5600	7840
25	माचना नदी	कोदारोटी	106	1.3974	39	5.450	0.06	3270	4578
26	माचना नदी	भीलावाड़ी	97	0.5333	15	0.800	0.30	2400	3360
27	माचना नदी	माथनी	78	0.4300	20	0.860	0.22	1892	2648.8
28	मोरण्ड नदी	खपरिया	18	0.4595	74	3.400	0.30	10200	14280
29	मोरण्ड नदी	हरन्या	1 , 9	3.4938	16	5.590	0.15	8385	11739
30	मोरण्ड नदी	बल्लौर	162	0.5660	53	3.000	0.40	12000	16800
31	मोरण्ड नदी	सांगवानी	20	1.2700	40	5.080	0.20	10160	14224
32	ताप्ती नदी	रातामाटी	1	0.6220	41	2.550	0.40	10200	14280
33	माचना नदी	सितलझिरी	1	0.1400	50	0.700	0.40	2800	3920
34	मोरण्ड नदी	टांगनागाल	209	0.8889	45	4.000	0.30	12000	16800
35	मोरण्ड नदी	धामन्या	1	1.0000	50	5.000	0.30	15000	21000

State Level Environment Impact Assessment Authority, M.P. (SEIAA) Paryavaran Parisar E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

163

163

Sr. No.	Portion of the River or Stream Recommended for Mineral Concession			Length of area recommended for mineral concession (Km)	Average width of area recommended for mineral concession (m)	Sanctioned Area (Ha.)	Depth (in m)	Total Sand Potential (cum)	Total Sand Potential (In metric tonne) (@ cu.m x 1.40 =m.t.)
	River	Village	Khasra No.						
36	तवा नदी	दौडी	1	1.2500	50	6.250	0.70	43750	61250
37	तवा नदी	गुवाडी	19	0.3125	80	2.500	0.50	12500	17500
38	तवा नदी	गौनापुर	266	0.9727	55	5.350	0.40	21400	29960
39	माचना नदी	पतीपामुरा	112	0.1456	125	1.820	0.30	5460	7644
40	बेल नदी	सोनतलाई / रामरतढाना	1,1	1.3512	41	5.540	0.18	9972	13960.4
41	बेल नदी	बारछी	434, 308	1.1040	50	5.520	0.10	5520	7728
42	कुडमुड नाला	जम्बाडा(बुजुर्ग)	217	0.3500	20	0.700	0.15	1050	1470
							Total	359461	503245

State Level Environment Impact Assessment Authority, M.P. (EPCO) Paryavaran Parisar E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

164

164

POST MONSOON SAND MINES MAP OF BETUL DISTRICT (MP)

क्र.सं.	खदान का नाम/पता	खसरा नं.	रकबा हे.मे.
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			
41			
42			

State Level Environment Impact
Assessment Authority, M.P.
(EPCO)
Paryavaran Parisar
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

Sand Mine of Betul District based on Post-monsoon Assesment									
Sr. No.	Portion of the River or Stream Recommended for Mineral Concession			Length of area recommended for mineral concession (Km)	Average width of area recommended for mineral concession (m)	Sanctioned Area (Ha.)	Depth (in m)	Total Sand Potential (cum)	Total Sand Potential (In metric tonne) { @ cu.m x 1.40 =m.t.}
	River	Village	Khasra No.						
1	तवा नदी	लोनिथा	179	0.3014	37	1.115	2.24	24976	34966.4
2	तवा नदी	फूलबेरिया	407	0.5952	42	2.500	0.51	12750	17850
3	मांदू नदी	मांदू	91	1.3182	22	2.900	0.78	22620	31688
4	बाकुड़ नदी	बाकुड़	35	0.1515	33	0.500	1.20	6000	8400
5	भंडगा नदी	झोली–1	99	0.7424	33	2.450	0.52	12740	17836
6	भंडगा नदी	झोली–2	10	0.7656	32	2.450	0.30	7350	10290
7	भंडगा नदी	विष्णुपुर	1	0.9677	31	3.000	1.50	45000	63000
8	कचलोरा नदी	कचलोरा–3	69	0.2385	26	0.620	2.79	17298	24217.2
9	लटिया नदी	आमढाना रैयत–3	178	0.4359	7.8	0.340	2.22	7548	10567.2
10	तवा नदी	मालवर	38	1.0541	74	7.800	1.89	147420	206388
11	लटिया नदी	आमढाना रैयत	248,141, 130	2.0300	30	6.090	0.59	35931	50303.4
12	गांधीग्राम नदी	गांधीग्राम	2	0.3235	17	0.550	2.43	13475	18865
13	खमाल्पुर नदी	पिछली आमढाना	219, 341	1.6580	40	6.632	0.65	43108	60351.2
14	बरेलीपार नदी	बरेलीपार	63	0.2000	18	0.360	2.50	9000	12600
15	कचलोरा नदी	कचलोरा–1	67	0.0833	12	0.100	2.00	2000	2800
16	लटिया नदी	कचलोरा–2	98	0.3400	10	0.340	2.10	7140	9996
17	लटिया नदी	आमढाना रैयत–1	79	0.1700	10	0.170	2.30	3910	5474
18	लटिया नदी	आमढाना रैयत–2	175	0.1591	22	0.350	1.80	6300	8820

State Level Environment Impact Assessment Authority, M.P. (SEIAA) Bhopal (M.P.)
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

166

166

Sr. No.	Portion of the River or Stream Recommended for Mineral Concession			Length of area recommended for mineral concession (Km)	Average width of area recommended for mineral concession (m)	Sanctioned Area (Ha.)	Depth (in m)	Total Sand Potential (cum)	Total Sand Potential (In metric tonne) { @ cu.m x 1.40 =m.t.}
	River	Village	Khasra No.						
19	लोहार नदी	सातलदेही	187, 251	0.8592	71	6.100	0.48	29280	40992
20	भंडगा नदी	बटकीढोह	112, 349	0.5150	40	2.060	1.50	30900	43260
21	शासकीय नाला	कटंगी	148	0.3105	20	0.621	0.64	3974	5563.6
22	तवा नदी	शिवसागर / बांसपुर	1, 288, 1	1.5092	130	19.620	2.60	510120	714168
23	माचना नदी	झाड़कुण्ड	1	0.5278	18	0.950	0.76	7220	10108
24	माचना नदी	कुम्हारिया	1	0.3182	22	0.700	1.54	10780	15092
25	माचना नदी	कोदारोटी	106	1.3974	39	5.450	0.13	7085	9919
26	माचना नदी	भीलावाड़ी	97	0.5333	15	0.800	1.14	9120	12768
27	माचना नदी	माथनी	78	0.4300	20	0.860	1.10	9460	13244
28	मोरण्ड नदी	खपरिया	18	0.4595	74	3.400	1.07	36720	51408
29	मोरण्ड नदी	हरन्या	1 , 9	3.4938	16	5.590	0.79	44161	61825.4
30	मोरण्ड नदी	बल्लौर	162	0.5660	53	3.000	1.17	35100	49140
31	मोरण्ड नदी	सांगवानी	20	1.2700	40	5.080	0.59	29972	41960.8
32	ताप्ती नदी	रातामाटी	1	0.6220	41	2.550	1.41	35955	50337
33	माचना नदी	सितलझिरी	1	0.1400	50	0.700	0.80	5600	7840
34	मोरण्ड नदी	टांगनामाल	209	0.8889	45	4.000	1.05	42000	58800
35	मोरण्ड नदी	धामन्या	1	1.0000	50	5.000	0.76	38000	53200
36	तवा नदी	दौड़ी	1	1.2500	50	6.250	1.89	118125	165375
37	तवा नदी	गुवाड़ी	19	0.3125	80	2.500	2.81	70250	98350
38	तवा नदी	गौनापुर	266	0.9727	55	5.350	2.60	139100	194740
39	माचना नदी	पतौवापुरा	112	0.1456	125	1.820	1.80	33124	46373.6
40	बेल नदी	सोनतलाई / समरतढाना	1,1	1.3512	41	5.540	0.40	22160	31024

State Level Environment Impact Assessment Authority, M.P. (SEIAA)
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

167

Sr. No.	Portion of the River or Stream Recommended for Mineral Concession			Length of area recommended for mineral concession (Km)	Average width of area recommended for mineral concession (m)	Sanctioned Area (Ha.)	Depth (in m)	Total Sand Potential (cum)	Total Sand Potential (In metric tonne) { @ cu.m x 1.40 =m.t.}
	River	Village	Khasra No.						
41	बेल नदी	बारछी	434, 308	1.1040	50	5.520	0.185	10488	14683.2
42	कुड़मुड़ नाला	जम्बाड़ा(बुजुर्ग)	217	0.3500	20	0.700	0.33	2310	3234
Total								1705570	2387818

...vels Level Environment Impact
Assessment Authority, M.P.
(EPCO)
Paryavaran Parisar
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

168

Mineral Wealth:

Betul district is we ll known for its various types of economic mineral deposits/occurrence and 21 types of economic minerals have been reported so far. Coal deposits from barakar formation of gondwana supergroup are found around pathakhera, Gurgunda, Brahmanwara, sonda, mardanpur, shahpur and dulhara areas. Copper associated with acid volcanic rock is reported at Kherli Bajar, Bhawra, Tekra, Banskhapa-pipariya. Tungsten in the form of specks and small veinlets in calc-silicate rock is reported at chunaloma, chiklar, tara, malajpur, Garnet reported at Bisighat, Bhaldhei, bijadheihi and kesiya. chunabhura and in betul nala section. graphite from graphite schist and phyllite is reported at tikari, Maramjhiri, chiklar, gauthana, bhopali, janawani, and golighat. Mica in the form of flakes and books from pegmatite veins is found at khundepapariya, kachnar, bisighat, bhaldehi, and temni. Ochre in the form of patches in mica schist is reported at 1 km north of bisighat and 1 km west of thufama. the scattered occurrence of calcite veins in deccan trap are reported around jhallar, bhakurdhana, ankwari, mandi khurd, ghoradongri, maramjhiri, bhopali, karanji, kolhudhana and nimpani.

Other economic minerals reported are magnetite (iron ore) at amdhana in kamalpur hill and ankawari, asbestos (acitinolite - tremolite) at badgaon, Beyrl at temni and chunaloma, steatite (talc) at mardwani; tourmaline at 1.2 km SW of temni, zeolite at khamla, gudgeon and masod. Limestone about 4 to 6 m thick band in lameta group is reported at panraghat.

State Level Environment Impact Assessment Authority, M.P. (EPCO) Paryavaran Parisar E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

Drainage system with description of main rivers

Sr. No.	Name of River	Area Drained (Sq. Km)	% Area drained in the district
1.	Machna	3.1	14%
2.	Bel	2.4	11%
3.	Dharakhor	0.8	4%
4.	Tawa	2.2	10%
5.	Lathiya	1.2	5%
6.	Morand	0.9	4%
7.	Mailghat	1.3	6%
8.	Bakud	1.5	7%
9.	Tapti	8.5	38%
10.	Nala	0.4	2%

FIG 10: RIVER MAP

State Level Environment Impact Assessment Authority, M.P. (EIACO)
Paryavaran Parisar
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

DETAIL OF CLUSTER OF SAND MINE IN THE DISTRICT

SAND MINES CLUSTER DETAILS IN DISTRICT BETUL (M P)					
Sr. No.	River	Village	Khasra No.	Mines Area (in Hect.)	Total Cluster Area (in Hect.)
1	लटियानदी	आमढाना रैयत–2	175	0.350	6.780
	लतिया नदी	आमढानारैयत	248,141, 130	6.090	
	लतिया नदी	आमढाना रैयत–3	178	0.340	
2	लतिया नदी	आमढानारैयत	248,141, 130	6.090	6.440
	लटियानदी	आमढाना रैयत–2	175	0.350	
3	तवानदी	गौनापुर	266	5.350	24.970
	तवानदी	बांसपुर / शिवसागर	1, 1, 288,	19.620	
4	भंडगानदी	झोली–2	10	2.450	4.900
	भड़ंगा नदी	झोली–1	99	2.450	
5	तवा नदी	दौड़ी	1	6.250	14.050
	तवा नदी	मालवर	38	7.800	
6	लटियानदी	आमढाना रैयत–2	175	0.350	0.690
	लतिया नदी	आमढाना रैयत–3	178	0.340	
7	कचलोरा नदी	कचलोरा–3	69	0.620	0.720
	कचलोरा नदी	कचलोरा–1	67	0.100	

State Level Environment Impact Assessment Authority, M.P. (EPC)
Paryavaran Parisar
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

SAND MINING DETAILS IN DISTRICT BETUL (MP)

Sr. No.	Portion of the River or Stream Recommended for Mineral Concession			Length of area recommended for mineral concession (Km)	Average width of area recommended for mineral concession (m)	Sanctioned Area (Ha.)	Depth (in m)	Total Sand Potential (cum)= (Area x depth)	Total Sand Potential (In metric tonne) { @ cu.m x 1.40 =m.t.}	Mineable mineral potential 60% (In Cu.m)	Mineable mineral potential (60 % of total mineral potential) { In metric tonne.}	Last 3 Year Production		
	River	Village	Khasra No.									2018-19	2020-21	2021-22
1	तवा नदी	लोनिया	179	0.3014	37	1.115	2.24	24976	34966.4	14986	20980.4	0	25000	25000
2	तवा नदी	फुलबेरिया	407	0.5952	42	2.500	0.51	12750	17850	7650	10710	0	12750	12750
3	नांदू नदी	नांदू	91	1.3182	22	2.900	0.78	22620	31688	13572	19000.8	0	30460	30460
4	बाकुड नदी	बाकुड	35	0.1515	33	0.500	1.20	6000	8400	3600	5040	0	21875	21875
5	भंडगा नदी	झोली–1	99	0.7424	33	2.450	0.52	12740	17836	7644	10701.6	0	36750	36750
6	भंडगा नदी	झोली–2	10	0.7656	32	2.450	0.30	7350	10290	4410	6174	0	0	0
7	भंडगा नदी	विष्णुपुर	1	0.9677	31	3.000	1.50	45000	63000	27000	37800	0	37180	37180
8	कचलोरा नदी	कचलोरा–3	69	0.2385	26	0.620	2.79	17298	24217.2	10378	14529.2	0	9500	9500
9	लटिया नदी	आमढाना रैयत–3	178	0.4359	7.8	0.340	2.22	7548	10567.2	4528	6339.2	0	6120	6120
10	तवा नदी	मालवर	38	1.0541	74	7.800	1.89	147420	206388	88452	123832.8	0	0	0
11	लटिया नदी	आमढाना रैयत	248,141, 130	2.0300	30	6.090	0.59	35931	50303.4	21558.6	30182	29686	35672.1	35700
12	गांधीग्राम नदी	गांधीग्राम	2	0.3235	17	0.550	2.43	13475	18865	8085	11319	0	0	0
13	खमालपुर नदी	खिखली आमढाना	219, 341	1.6580	40	6.632	0.65	43108	60351.2	25864	36209.6	0	0	0
14	बरेलीपार नदी	बरेलीपार	63	0.2000	18	0.360	2.50	9000	12600	5400	7560	0	0	0
15	कचलोरा नदी	कचलोरा–1	67	0.0833	12	0.100	2.00	2000	2800	1200	1680	0	0	0
16	लटिया नदी	कचलोरा–2	98	0.3400	10	0.340	2.10	7140	9996	4284	5997.6	0	0	0

State Level Environment Impact
Assessment Authority, M.P.
(SEIAA)
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

172

Sr. No.	Portion of the River or Stream Recommended for Mineral Concession			Length of area recommended for mineral concession (Km)	Average width of area recommended for mineral concession (m)	Sanctioned Area (Ha.)	Depth (in m)	Total Sand Potential (cum)= (Area x depth)	Total Sand Potential (In metric tonne) { @ cu.m x 1.40 =m.t.}	Mineable mineral potential 60% (In Cu.m)	Mineable mineral potential (60 % of total mineral potential) { In metric tonne.}	Last 3 Year Production		
	River	Village	Khasra No.									2018-19	2020-21	2021-22
17	लटिया नदी	आमढाना रैयत–1	79	0.1700	10	0.170	2.30	3910	5474	2346	3284.4	0	0	0
18	लटिया नदी	आमढाना रैयत–2	175	0.1591	22	0.350	1.80	6300	8820	3780	5292	0	0	0
19	लोहार नदी	सातलदेही	187, 251	0.8592	71	6.100	0.48	29280	40992	17568	24595.2	0	0	0
20	भंडगा नदी	बटकीढोह	112, 349	0.5150	40	2.060	1.50	30900	43260	18540	25956	0	0	0
21	शासकीय नाला	कटंगी	148	0.3105	20	0.621	0.64	3974	5563.6	2384.4	3338.16	0	0	0
22	तवा नदी	शिवसागर / बांसपुर	1, 288, 1	1.5092	130	19.620	2.60	510120	714168	306072	428500.8	0	0	0
23	माचना नदी	झाड़कुण्ड	1	0.5278	18	0.950	0.76	7220	10108	4332	6064.8	0	7200	7200
24	माचना नदी	कुम्हारिया	1	0.3182	22	0.700	1.54	10780	15092	6468	9055.2	0	10800	10800
25	माचना नदी	कोदारोटी	106	1.3974	39	5.450	0.13	7085	9919	4251	5951.4	0	0	0
26	माचना नदी	भीलावाड़ी	97	0.5333	15	0.800	1.14	9120	12768	5472	7660.8	0	0	0
27	माचना नदी	माथनी	78	0.4300	20	0.860	1.10	9460	13244	5676	7946.4	0	0	0
28	मोरण्ड नदी	खपरिया	18	0.4595	74	3.400	1.07	36720	51408	22032	30844.8	0	37062	37062
29	मोरण्ड नदी	हरन्या	1 , 9	3.4938	16	5.590	0.79	44161	61825.4	26496.6	37095.24	0	0	0
30	मोरण्ड नदी	बल्लौर	162	0.5660	53	3.000	1.17	35100	49140	21060	29484	0	54000	54000
31	मोरण्ड नदी	सांगवानी	20	1.2700	40	5.080	0.59	29972	41960.8	17983	25176.2	0	0	0
32	ताप्ती नदी	रातामाटी	1	0.6220	41	2.550	1.41	35955	50337	21573	30202.2	0	36000	36000
33	माचना नदी	सितलझिरी	1	0.1400	50	0.700	0.80	5600	7840	3360	4704	0	0	0
34	मोरण्ड नदी	टांगनामाल	209	0.8889	45	4.000	1.05	42000	58800	25200	35280	0	72000	72000
35	मोरण्ड नदी	धामन्या	1	1.0000	50	5.000	0.76	38000	53200	22800	31920	0	20000	20000

...ate Level Environment Impact
Assessment Authority, M.P.
(EPCO)
Paryavaran Parisar
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

173

Sr. No.	Portion of the River or Stream Recommended for Mineral Concession			Length of area recommended for mineral concession (Km)	Average width of area recommended for mineral concession (m)	Sanctioned Area (Ha.)	Depth (in m)	Total Sand Potential (cum)= (Area x depth)	Total Sand Potential (In metric tonne) [@ cu.m x 1.40 =m.t.]	Mineable mineral potential 60% (In Cu.m)	Mineable mineral potential (60 % of total mineral potential) (In metric tonne.)	Last 3 Year Production		
	River	Village	Khasra No.									2018-19	2020-21	2021-22
36	तवा नदी	दौड़ी	1	1.2500	50	6.250	1.89	118125	165375	70875	99225	196974	209931	210000
37	तवा नदी	गुवाड़ी	19	0.3125	80	2.500	2.81	70250	98350	42150	59010	65956	70182	70200
38	तवा नदी	गौनापुर	266	0.9727	55	5.350	2.60	139100	194740	83460	116844	0	0	0
39	माचना नदी	पतौवापुरा	112	0.1456	125	1.820	1.80	33124	46373.6	19874.4	27824.16	0	5625	0
40	बेल नदी	सोनतलाई / समरतढाना	1,1	1.3512	41	5.540	0.40	22160	31024	13296	18614.4	0	0	0
41	बेल नदी	बारछी	434, 308	1.1040	50	5.520	0.185	10488	14683.2	6292.8	8809.92	0	0	0
42	कुडमुड नाला	जम्बाड़ा(बुजुर्ग)	217	0.3500	20	0.700	0.33	2310	3234	1386	1940.4	0	0	0
	Total							1705570	2387818	1023339.8	1432675.68	292616	738107.1	732597

State Level Environment Impact Assessment Authority, M.P. (SEIAA) Bhopal

174

The efforts are on to identify and locate the new areas for sand mining. Moreover, the potential loci for deposits of sand and associated aggregates are within river bed or close to river banks or the areas of flood plain and the resources are dependent upon the amount of rainfall and the water load carried by the river or stream.

The process of sand reclamation is highly dependent upon the rainfall received in the catchment areas of rivers and their tributaries and the velocity of river. It is a dynamic process. Thus it is difficult to predict, what quantity of sand may be reclaimed/redeposited by river. Because, in case of less rain, less water in the river, there may be less erosion and transportation may also be minimal and as a result deposition too will be less. Moreover, in case of floods, the sudden gush of water may force the change in the river course, thus old sites of sand deposition may not be relevant. Thus, the above figures may just be a mere prediction, based on the production in the proceeding years. The data narrated in the report, regarding annual deposition of sand and associated aggregates and mineable mineral potential is concerned, is only estimation based on the data yearly production from the sanctioned mines. Thus, the figures may vary from area to area and year on year basis. Therefore, this document is not static one but has to be a dynamic one, the figures of which may vary with respect to time.

State Level Environment Impact
Assessment Authority, M.P.
(EPCO)
Paryavaran Parisar
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

CHAPTER -12

Conclusion

After doing all excersize it can be said that Betul district have good mineral potential as well as variety of minerals. Geological studies of the area indicate that many minerals like Gitti, Stone and Murum are closely associated with same group of rocks. So with preventive measure, skilled, systematic and scientific mining district has rich mineral resources to contribute for growth of state as well as nation.

State Level Environment Impact
Assessment Authority, M.P.
(EPCO)
Paryavaran Parisar
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

CAPTER - 13

REPLENISHMENT STUDY- PROCESS OF DEPOSIT OF SEDIMENTS IN THE RIVERS OF THE DISTRICT

Sediment refers to the conglomerate of materials, organic and inorganic, that can be carried away by water, wind or ice. While the term is often used to indicate soil-based, mineral matter (eg clay. silt and sand), decomposing organic substances and inorganic biogenic material are also considered sediment Most mineral sediment comes from erosion and weathering, while organic sediment is typically detritus and decomposing material such as algae. Sediment particles come in different and can be more with clay defined as particles less than 0 00195 mm in diameter, and coarse sand reaching up only to 1.5 mm in diameter. However, during a flood or other high flow event, even large rocks can be classified as sediment as they are carried downstream. Sediment is a naturally occurring element in many bodies of water, though it can be influenced by anthropogenic factors.

In an aquatic environment, sediment can either be suspended (floating in the water column) or bedded (settled on the bottom of a body of water) In other words, waterflow tries to scour its surface whenever it flows in the channel Silt or gravels even larger boulders are detached from its bed or banks. The moving water sweeps these detached particles in downstream along its flow Silting and scouring is not very uncommon and must be avoided by proper designs. It reduces supply level of water. The channel section gets reduced by silt and reduces discharging capacity Sediments seriously threaten various projects due to silt cared out by rivers up to point of interceptions. Sediment is also threatening denudation of forest. Sediment is a major obstruction on the flow line. It shortens longevity of channel. It causes soil erosion. Therefore, data base must be needed for policy making and planning

The mineral potential is calculated based on field investigation and geology of the catchment area of the river streams. As per the policy of the State and location, depth of minable mineral is defined. The area for removal of mineral in a river or stream can be decided depending on geomorphology and other factors, it can be 50% to 60% of the area of a particular river/stream. eg in river mineral constituents like sand up to a depth of three meter are considered as resource mineral. Other constituents like clay and silt are excluded as waste while calculating the mineral potential of particular river/stream.

The specific gravity of each mineral constituent is different. The percent of mineral constituent like boulder, river Bajri, and sand also varies for different river and streams. While calculating the mineral potential, the percentage of each mineral constituent is taken as 25-30% for sand and 5- 10% for sill and clay.

The quantum of deposition varies from stream to stream depending upon factors like catchment lithology, discharge, river profile and geomorphology of the river course. There are certain geomorphological features developed in the river beds such as channel bar, point bar etc where annual deposition is more even two to three meters.

Process of Deposition

Sediment is a naturally occurring material that is broken down by processes of weathering and erosion, and is subsequently transported by the action of wind, water and/or by the force of gravity acting on the particles. Sediments are most often transported by water. Sediment is transported based on the

State Level Environment Impact
Assessment Authority, M.P.
(SEIAA)
Parvavaran Bhawan
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

strength of the flow that carries it and its own size, volume, density, and shape. Stronger flows will increase the lift and drag on the particle, causing it to rise, while larger or denser particles will be more likely to fall through the flow Deposition is the processes where material being transported by a river is deposited. Deposition occurs when a river loses energy. This can be when a river enters a shallow area (this could be when it floods and comes into contact with the flood plain) or towards its mouth where it meets another body of water Deposition is the geological process in which sediments, soil and rocks are added to a landform or land mass. Wind, ice and water as well as sediment flowing on gravity transport previously eroded sediment, which, at the loss of enough kinetic energy in the fluid, is deposited, building up layers of sediment Rivers flood on a regular basis. The area over which they flood is known as the floodplain and this often coincides with regions where meanders form. Meanders support the formation of flood plains through lateral erosion When River floods the velocity of water slows. As the result of this the river's capacity to transport material is reduced and deposition occurs. This deposition leaves a layer of sediment across the whole floodplain. After a series of floods, layers of sediment form along the floodplain.

Formation of Natural Levees

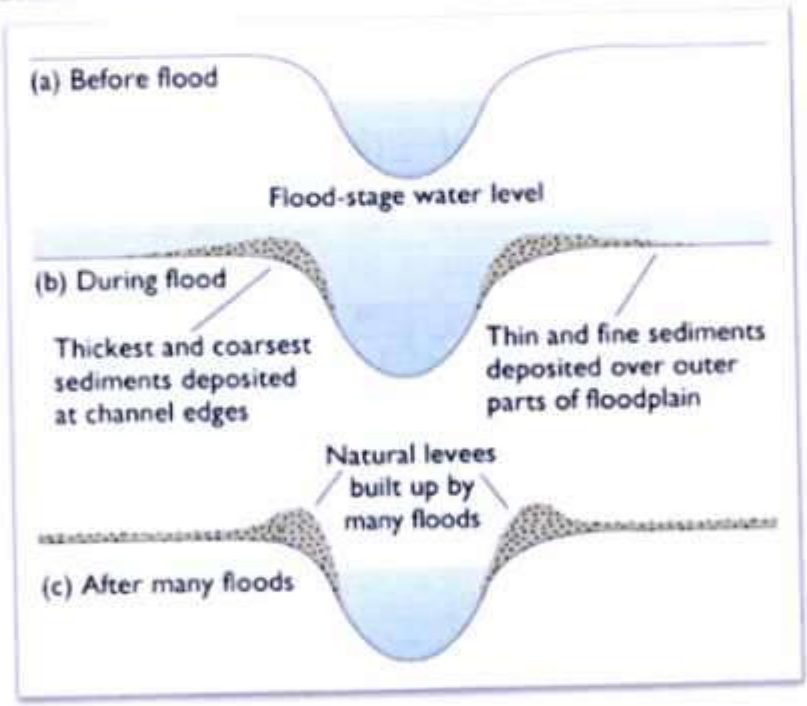

Formation of Natural Levees due to flood

Modes of Sediment Transport

The sediment load of a river is transported in various ways although these distinctions are to some extent arbitrary and not always very practical in the sense that not all of the components can be separated in practice:

- Dissolved load

State Level Environment Impact
Assessment Authority, M.P.
(EPCO)
Paryavaran Parisar
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

- Suspended load
- Intermittent suspension (saltation) load
- Wash load
- Bed load

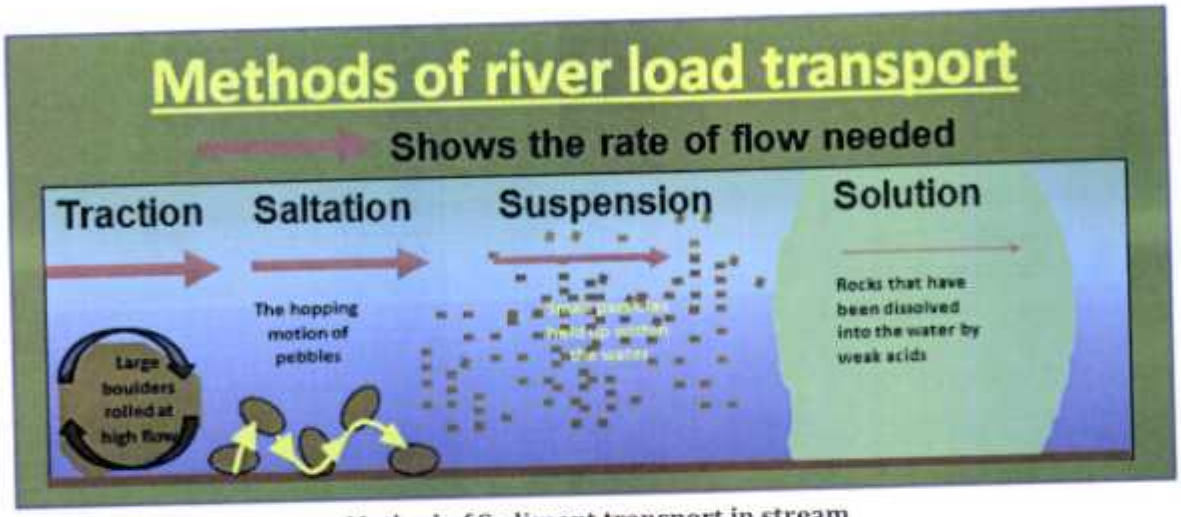

Method of Sediment transport in stream

The sand deposits being an integral part of the dynamic river system to which it belongs. Therefore, as a part of natural cycle, the monsoon flow of every river carries with it replenishment of silt and washed out soil and clay from upstream areas in the catchment. This sill shall be removed during the sieving of sand before it is loaded into truck/tipper/trailer to carry to the consumers.

Sand mining is critical to infrastructure development around the globe. Sand is an essential minor mineral used extensively across the country as a useful construction constituent and variety of other uses in sports, agriculture, glass making (a form of sand with high silica content) etc. The rivers are the most important source of Sand. It acts as source of transportation and deposition of sand etc.

Annual Replenishment of Mineral in River Bed Area/Sedimentation

The deposition in a river bed is more pronounced during rainy season although the quantum of deposition varies from stream to stream depending upon numbers of factors such as catchment. lithology, discharge, river profile and geomorphology of the river course where annual deposition is two to three meter, but it is noticed that during flood season whole of the pit so excavated is completely filled up and as such the excavated area is replenished with new harvest of minerals In order to calculate the mineral deposits in the stream beds, the mineral constituents have been categorized as clay, silt, sand, Bajri and boulder However, during present calculation, the waste material ie sill which varies from 10 to 20% in different streams has also been included in the total production Further, the Survey of India Topo-Sheets has been used as base map to know the extent of river course The mineral reserves have been calculated only upto 2 to 3meter depth although there are some portions in the river beds such as channel bars, point bars and central islands where the annual deposition is raising the level of river bed thus causing shifting of the rivers towards banks resulting in to cutting of banks and at such locations, removal of this

State Level Environment Impact
Assessment Authority, M.P.
(EPCO)
Paryavaran Parisar
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

material upto the bed level is essential to control the river flow in its central part to check the bork cutting While calculating the mineral potentials, the mineral deposits lying in the sub-tributaries of that particular stream/river has not been taken into consideration Since these mineral deposits are adding annually.

Sedimentation is generally considered by geologists in terms of the textures, structures, and fossil content of the deposits lay down in different geographic and geomorphic environments. The factors which affect the "Computation of Sediment"

- Geomorphology & Drainage Pattern. The following geomorphic units pays
  1. Structural Plain
  2. Structural Hill
  3. Structural Ridge
  4. Denudation Ridge & Valley
  5. Plain & Plateau
  6. Highly Dissected pediment
  7. Undesected pediment
- Distribution of Basin Arco River wise
- Drainage System Pattern of the arca Rainfall & Climate Year wise Rainfall data

Replenishment Study

The need for replenishment study for river bed sand is required in order to nullify the adverse impacts arising due to excess sand extraction Mining within or near riverbed has a direct impact on the stream's physical characteristics, such as channel geometry, bed elevation, substratum composition and stability, in-stream roughness of the bed, flow velocity, discharge capacity, sediment transport capacity, turbidity, temperature etc. Alteration or modification of the above attributes may cause an impact on the ecological equilibrium of the riverside regime, disturbance in channel configuration and flow-paths. This may also cause an adverse impact on in stream biota and riparian habitats.

The effects of sediment replenishment are investigated for cross section bed deposition, flow velocity, grain size distribution, water quality and organisms.

Methodology Adopted for Replenishment study

The methodology adopted for the study is an integrated approach involving

1) Field data collection followed by cross section survey over the sections of fixed intervals along the river showing river bed material (RBM) with present elevations

2) Remote sensing was used for identification of watershed area relevant to the mine lease along the river at different coordinates

3) Estimation of catchment yield and bed load transport. The catchment yield has been computed using the Strange's runoff method for the runoff coefficient The Iso-pluvial maps of IMD have been used for estimation of catchment yield and peak flood discharge for the study area by various methods like Dickens, Jarvis, and Rational formula at 25, 50 and 100 years return period.

State Level Environment Impact
Assessment Authority, M.P.
(EPCO)
Paryavaran Parisar
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

Hydrology

Rivers, lakes and man-made reservoirs are the main sources of surface water abstraction. The major rivers flowing in the district are the Ganjal River (a tributary of the Tapti River), the Morand River and the Tawa River (tributaries of the Narmada River). The Tapti River originates from Multai in the Betul district. The development of reservoirs has usually been for irrigation, flood control and hydropower. There are over 135 medium and minor reservoirs in the district. The drainage of the district is diverted in all direction from the eastern high mass of Satpura plateau. The drainage map of the Betul district is shown in Fig. 1.7. Betul district three basins are present namely, Narmada, Tapi and Godavari Shown in Fig.1.8.

Fig.1.7: Drainage Map.

Fig.1.8: Basins of Betul District.

Climate

The climate of Betul is characterized by a hot summer and general dryness except rainfall during the south- west monsoon season. The year can be divided into four seasons. The cold season, December to February is followed by summer season from March to about first week of June. The 8 period from the middle June to September is the south-west monsoon season. October and middle of November constitute the post monsoon or retreating monsoon season.

Temperature

May is the hottest month of the year with average temperature of 39.3°C. The minimum during the December is 10.3°C. The normal annual mean maximum and minimum temperature is 30.7°C and 17.9°C respectively.

State Level Environment Impact Assessment Authority, M.P. (SEIAA)
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

Rainfall

The normal annual rainfall of Betul district is 999.8 mm. About 86.6% of annual rainfall is received during monsoon season. Only 13.4% of annual rainfall takes place between October to May.

Year	Rainfall (mm)
2000-01	612.0
2001-02	994.0
2002-03	999.6
2003-04	1064.0
2004-05	888.6
2005-06	1232.6
2006-07	1040.5
2007-08	1272.0
2008-09	1213.3
2009-10	1143.8
2010-11	1105.8
2011-12	872.0
2012-13	1663.5
2013-14	1832.3
2014-15	1245.5
2015-16	952.6
2016-17	1153.4
2017-18	795.7
2018-19	616.0
2019-20	1379.6
2020-21	1160.7
2021-22	1145.8
2022-23	1818.3

Estimation of Catchment Yield

The replenishment estimation is based on a theoretical empirical formula with the estimation of bed load transport comprising of analytical models to calculate the replenishment estimation. The iso-pluvial maps of IMD can be used for estimation of rainfall. Catchment yield is computed using different standard empirical formulas relevant to the geographical and channel attributes.

Strange's Monsoon runoff curves for runoff coefficient). Peak flood discharge for the study area can be calculated by using Dickens, Jarvis and Rational formula at 25, 50 and 100 years return period. The estimation of bed load transport using Ackers and White Equation is made.

For estimation of surface run off coefficient, we considered a particular value of peak rainfall. In absence of non-availability, peak storm water has been estimated as under:

State Level Environment Impact
Assessment Authority, M.P.
(E
Paryavaran Parisar
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

COMPARISION OF SAND MINES DETAILS FROM OLD DSR IN DISTRICT BETUL (M P)														
Sr. No.	Portion of the River or Stream Recommended for Mineral Concession			Old DSR Area in (Ha.)	New DSR Area in (Ha.)	Difference Area in (Ha.)	Old DSR Depth (in m)	NewDSR Depth (in m)	Old DSR Quantity in Cu.m.	New DSR Quantity in Cu.m.	Old DSR Mineable mineral potential 60% (In Cu.m)	New DSR Mineable mineral potential 60% (In Cu.m)	Difference	Remarks/Reason of difference
	River	Village	Khasra No.											
1	तवा नदी	लोनिया	179	1.115	1.115	0.000	2.240	2.240	25000	24976	15000	14986	-14	Decrease Due to Actual Calculation
2	तवा नदी	फुलबेरिया	407	2.500	2.500	0.000	0.510	0.510	12750	12750	7650	7650	0	
3	माचना नदी	झाड़कुण्ड	1	0.950	0.950	0.000	0.760	0.760	7200	7220	4320	4332	12	Increase due to actual calculation
4	नान्दु नदी	नांदू	91	2.900	2.900	0.000	0.780	0.780	22500	22620	13500	13572	72	---do---
5	बाकुड़ नदी	बाकुड़	35	2.700	0.500	-2.200	0.810	1.200	21875	6000	13125	3600	-9525	Decrease due to area reduced
6	माचना नदी	कुम्हारिया	1	0.700	0.700	0.000	1.540	1.540	10800	10780	6480	6468	-12	Decrease Due to Actual Calculation
7	ताप्ती नदी	रातामाटी	1	2.550	2.550	0.000	1.410	1.410	36000	35955	21600	21573	-27	---do---
8	माचना नदी	सितलझिरी	1	0.700	0.700	0.000	0.800	0.800	5625	5600	3375	3360	-15	---do---
9	मोरंड नदी	खपरिया	18	3.000	3.400	0.400	1.080	1.080	32500	36720	19500	22032	2532	Increased due to area increase
10	भड़गा नदी	झोली–1	99	5.000	2.450	-2.550	0.520	0.520	26000	12740	15600	7644	-7956	Decrease due to area reduced
11	भड़गा नदी	विष्णुपुर	1	2.000	3.000	1.000	1.500	1.500	30000	45000	18000	27000	9000	Increased due to area increase

State Level Environment Impact Assessment Authority, M.P. (EPCO) Paryavaran Parisar E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

183

12	मोरंड नदी	बल्लौर	162	3.000	3.000	0.000	1.170	1.170	35000	35100	21000	21060	60	Increase due to actual calculation
13	मोरंड नदी	टागनामाल	209	4.000	4.000	0.000	1.050	1.050	42000	42000	25200	25200	0	
14	कचलोरा नदी	कचलोरा–3	69	0.340	0.620	0.280	2.790	2.790	9500	17298	5700	10379	4679	Increased due to area increase
15	मोरंड नदी	धामन्या	1	5.000	5.000	0.000	0.760	0.760	38000	38000	22800	22800	0	
16	लतिया नदी	आमढाना रैयत–3	178	0.620	0.340	-0.280	2.220	2.220	13750	7548	8250	4529	-3721	Decrease due to area reduced
17	तवा नदी	गुवाड़ी	19	2.500	2.500	0.000	2.810	2.810	70200	70250	42120	42150	30	Increase due to actual calculation
18	तवा नदी	दौड़ी	1	14.050	6.250	0.000	1.490	1.890	210000	118125	126000	70875	33327	Lease devided in two parts and depth increased
19	तवा नदी	मालवर	38		7.800	0.000		1.890		147420		88452		
20	लतिया नदी	आमढाना रैयत	248,141, 130	6.090	6.090	0.000	0.590	0.590	35700	35931	21420	21559	139	Increase due to actual calculation
21	गांधीग्राम नदी	गांधीग्राम	2	0.550	0.550	0.000	2.450	2.450	13500	13475	8100	8085	-15	Decrease due to actual calculation
22	खमालपुर नदी	चिखली आमढाना	219, 341	7.730	6.632	-1.098	0.650	0.650	50000	43108	30000	25865	-4135	Decrease due to area reduced
23	बरेलीपार नदी	बरेलीपार	63	0.360	0.360	0.000	2.500	2.500	9000	9000	5400	5400	0	
24	कचलोरा नदी	कचलोरा–1	67	0.100	0.100	0.000	2.000	2.000	2000	2000	1200	1200	0	
25	लटियानदी	कचलोरा–2	98	0.170	0.340	0.170	2.100	2.100	3570	7140	2142	4284	2142	Increased due to area increase
26	लटियानदी	आमढाना रैयत–1	79	0.350	0.170	-0.180	2.300	2.300	8050	3910	4830	2346	-2484	Decrease due to area reduced
27	लटियानदी	आमढाना रैयत–2	175	0.340	0.350	0.010	1.800	1.800	6120	6300	3672	3780	108	Increased due to area increase

State Level Environment Impact
Assessment Authority, M.P.
(EFCO)
Paryavaran Parisar
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

184

184

28	भंडगानदी	झोली–2	10	4.000	2.450	-1.550	0.300	0.300	12000	7350	7200	4410	-2790	Decrease due to area reduced
29	लोहारनदी	सातलदेही	187, 251	8.000	6.100	-1.900	0.480	0.480	38500	29280	23100	17568	-5532	Decrease due to area reduced
30	भंडगानदी	बटकीढोह	112, 349	1.000	2.060	1.060	1.500	1.500	15000	30900	9000	18540	9540	Increased due to area increase
31	सांसकीय नाला	कटंगी	148	0.621	0.621	0.000	0.640	0.640	4000	3974	2400	2385	-15	Decrease due to actual calculation
32	माचनानदी	कोदारोटी	106	5.450	5.450	0.000	0.130	0.130	7200	7085	4320	4251	-69	---do---
33	माचनानदी	भीलावाड़ी	97	0.800	0.800	0.000	1.140	1.140	9100	9120	5460	5472	12	Increase due to actual calculation
34	माचनानदी	माथनी	78	0.860	0.860	0.000	1.100	1.100	9450	9460	5670	5676	6	---do---
35	बेलनदी	सोनतलाई /समरतढाना	1,1	9.330	5.540	-3.790	0.100	0.400	9000	22160	5400	13296	7896	Area reduced but depth increase
36	बेलनदी	बारछी	434, 308	5.520	5.520	0.000	0.190	0.190	10300	10488	6180	6293	113	Increase due to actual calculation
37	कुडमुडना ला	जम्बाड़ा (बुजुर्ग)	217	0.700	0.700	0.000	0.330	0.330	2304	2310	1382	1386	4	---do---
38	तवानदी	गौनापुर	266	24.970	5.350	0.000	1.090	2.600	272250	139100	163350	83460	226182	Lease devided in two parts and depth increased
39	तवानदी	बांसपुर/ शिवसागर	1, 1, 288,		19.620	0.000		2.600		510120		306072		
40	माचनानदी	पतौवापुरा	112	11.000	1.820	-9.180	1.820	1.820	198000	33124	118800	19874	-98926	Decrease due to area reduced
41	मोरण्डनदी	सागवानी	20	5.080	5.080	0.000	0.590	0.590	30064	29972	18038	17983	-55	Decrease due to actual calculation
42	मोरण्डनदी	हरन्या	1, 9	5.590	5.590	0.000	0.790	0.790	44000	44161	26400	26497	97	Increase due to actual calculation
43	मोरंड नदी	चिखलीरैयत	316	4.000		Due to the Objection of the forest Department								

State Level Environment Impact Assessment Authority, M.P. (SEIAA) Paryavaran Parisar E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

185

32	भंडगानदी	धरमपुर	309	6.000										
45	भड़गा नदी	बिचडोलरैयत	30	8.000										
46	मोरण्डनदी	तेन्दूखेड़ा	119, 114	5.000										
47	चंडीनाला	सिवनपाट	142	0.420		Removed from list								
48	माचनानदी	डहरगांव / भयावाड़ी	68, 260	6.250		Removed from being submerged in Water for a year.								
49	धारखोह नदी	धोड़ाडोंगरी	373, 1395	7.000										
Total				**188.906**	**132.428**	**-19.808**			**1437808**	**1705570.4**	**862684.8**	**1023342.24**		

State Level Environment Impact Assessment Authority, M.P. (SEIAA) Paryavaran Parisar E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

186

186

कार्यालय कलेक्टर (खनिज–शाखा) बैतूल

–: संशोधित आदेश :–

बैतूल, दिनांक 07/12/2019

क्रमांक/खनि0–2/2019/2059(A)

सरपंच, ग्राम पंचायत टांगनागाल जनपद पंचायत शाहपुर जिला बैतूल द्वारा ग्रामसभा दिनांक 28.01.2018 में प्रस्ताव क्रमांक 09 पारित कर प्रस्ताव की प्रतिलिपि सहित पत्र दिनांक 28.01.2018 प्रस्तुत किया है, जिसके अनुसार ग्राम–धामन्या तहसील शाहपुर के मोरण्ड नदी के ख.क्र. 1 रकबा 13.541 हे.में बड़ी तादाद में खनिज रेत उपलब्ध है, जिसे नई रेत खदान घोषित करने का लेख किया गया है।

उपरोक्त प्राप्त प्रस्ताव आवेदन पत्र पर नई रेत खदान घोषित करने के संबंध में तहसीलदार शाहपुर/खनि निरीक्षक बैतूल/खनि सहायक मानचित्रकार बैतूल से प्रतिवेदन/अभिमत प्राप्त किये गये। तहसीलदार शाहपुर द्वारा अपने पत्र क्रमांक–टी.आर./2019/604 दिनांक 28.11.2019 द्वारा ग्राम–तहसील शाहपुर की भूमि खसरा क्रमांक 1 रकबा 13.541 हे0 में से रकबा 5.000 हे0 भूमि पर नई रेत खदान घोषित करने हेतु प्रस्तावित की गई है।

खनि निरीक्षक, बैतूल के जाँच प्रतिवेदन दिनांक 02.12.2019 के अनुसार आवेदित क्षेत्र खसरा क्रमांक 1 रकबा 13.541 हे0 क्षेत्र पर खनिज रेत उपलब्ध है। आवेदित क्षेत्र से आबादी लगभग 200 मीटर दूर स्थित है, सड़क लगभग 100 मीटर दूर स्थित है। सार्वजनिक स्थल जैसे मंदिर/मस्जिद/कब्रस्तान से लगभग 200 मी0 दूर स्थित है, राष्ट्रीय राजमार्ग लगभग 38 कि0मी0 दूर स्थित है, प्रस्तावित क्षेत्र मोरण्ड नदी है आवेदित क्षेत्र से नियमानुसार प्रतिबंधित दूरी छोड़कर उपलब्ध क्षेत्र पर रेत खदान घोषित किये जाने की अनुशंसा की है।

खनि सहायक मानचित्रकार, बैतूल ने प्रतिवेदन दिनांक 05.12.2019 में प्रतिवेदित किया है कि तहसील शाहपुर ग्राम–धामन्या के मोरण्ड नदी के खसरा क्रमांक 1 रकबा 13.541 हे0 में से 5.000 हे0 क्षेत्र नई रेत खदान घोषित किये जाने हेतु क्षेत्र उपलब्ध होता है राजस्व पटवारी नक्शे में लाल स्याही से चिन्हांकित किया गया है।

मध्यप्रदेश रेत (खनन,परिवहन, भण्डारण एवं व्यापार) नियम,2019 में वन विभाग से अनुशंसा का कोई प्रावधान नही दिया गया है। विभागीय VC दिनांक 15.11.2019 के दौरान शासन स्तर एवं संचालनालय स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा निर्देशित किया कि SEIAA की अनुमति के दौरान वन विभाग से अनुशंसा प्राप्त करेंगे।

अतः उपरोक्त जाँच प्रतिवेदनों एवं ग्रामसभा में पारित प्रस्ताव के आधार पर मध्यप्रदेश रेत (खनन, परिवहन, भण्डारण एवं व्यापार) नियम, 2019 के नियम 5 (1) एवं (2) के तहत ग्राम–धामन्या के मोरण्ड नदी के खसरा क्रमांक 1 रकबा 13.541 हे0 में से रकबा 5.000 हे0 क्षेत्र पर खनिज रेत की नई खदान घोषित की जाती है।

(कलेक्टर महो0द्वारा अनुमोदित)

07/12/19

जिला खनि अधिकारी,
बैतूल

बैतूल, दिनांक 07/12/2019

पृ0क्रमांक/खनि0–2/2019/2059(A)

प्रतिलिपि:–

1. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित।
2. कार्यपालक संचालक, मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम, पर्यावास भवन, भोपाल को सादर सूचनार्थ।
3. संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. वनमण्डलाधिकारी, पश्चिम बैतूल(सा0) वनमंडल।
5. मुख्य कार्यपालन/अधिकारी, जिला पंचायत बैतूल को सूचनार्थ प्रेषित।
6. अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व) शाहपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
7. तहसीलदार, शाहपुर
8. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत शाहपुर को सूचनार्थ
9. खनि निरीक्षक/ खनि सर्वेयर/खनि सहायक मानचित्रकार बैतूल।
10. खनि शाखा–2 खनिज कार्यालय बैतूल ।
11. सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत–टांगनागाल जनपद पंचायत शाहपुर जिला बैतूल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

07/12/19

जिला खनि अधिकारी,
बैतूल

कार्यालय कलेक्टर (खनिज–शाखा) बैतूल

:= संशोधित आदेश :=

बैतूल, दिनांक 07/12/2019

क्रमांक/खलि0–2/2019/2056(A)

सरपंच, ग्राम पंचायत बल्लौर जनपद पंचायत चिचोली जिला बैतूल द्वारा ग्रामसभा दिनांक 02.10.2017 में प्रस्ताव क्रमांक 06 पारित कर प्रस्ताव की प्रतिलिपि सहित पत्र दिनांक 03.10.2017 प्रस्तुत किया है, जिसके अनुसार ग्राम–बल्लौर तहसील चिचोली के मोरण्ड नदी में बहुत तादाद में खनिज रेत उपलब्ध है, अतः खसरा क्रमांक 162 रकबा 5.111 हे0 में से रकबा 3.560 हे0 को नई रेत खदान घोषित करने का लेख किया गया है।

उपरोक्त प्राप्त प्रस्ताव आवेदन पत्र पर नई रेत खदान घोषित करने के संबंध में तहसीलदार चिचोली/खनि निरीक्षक बैतूल/खनि सहायक भानचित्रकार बैतूल से प्रतिवेदन/अभिमत प्राप्त किये गये।

तहसीलदार चिचोली के रा.मा. प्र.0664 ब/121 वर्ष 2019–20 आदेश पत्रिका दिनांक 28.11.2019 के अनुसार राजस्व निरीक्षक/हल्का पटवारी से प्रतिवेदन, स्थल पंचनामा निर्धारित प्रारूप में प्राप्त कर तथा प्रथक से प्रतिवेदन प्रकरण में संलग्न कर प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बैतूल की ओर प्रेषित किया गया। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बैतूल द्वारा आदेश पत्रिका दिनांक 27.11.2019 को प्रतिवेदित किया गया है कि प्रकरण में संलग्न प्रतिवेदन के अनुसार ग्राम–बल्लौर स्थित शासकीय नदी खसरा क्रमांक 162 रकबा 5.111 हे0 में से रकबा 3.000 हे0 क्षेत्र पर नई रेत खदान घोषित किये जाने हेतु प्रस्तावित किया गया है। प्रकरण आगामी कार्यवाही हेतु खनि अधिकारी बैतूल को प्रेषित किया गया है। तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत संलग्नक–4 एवं 23 बिन्दुओं की जानकारी, लाल स्याही से रेखांकित नक्शा, स्थल पंचनामा की मूल प्रति प्रस्तुत की गई है

खनि निरीक्षक,बैतूल के जाँच प्रतिवेदन मय पंचनामा दिनांक 20.03.2018 के अनुसार आवेदित क्षेत्र खसरा क्रमांक 162 रकबा 5.111 हे0 में से 3.560 हे0 क्षेत्र पर पर्याप्त मात्रा में रेत खनिज उपलब्ध है। आवेदित क्षेत्र से पुल 200 मीटर के भीतर नहीं है। राष्ट्रीय/राजमार्ग लगभग 12 कि0मी0 दूर स्थित है। रेल्वे लाईन 15 कि0मी0 के भीतर नहीं है, जलाशय/बांध 200 मीटर के भीतर नहीं है, ग्रामीण मार्ग 50 मीटर की दूरी पर स्थित है। सार्वजनिक संस्थान आस–पास नहीं है। आबादी लगभग 200 मीटर पर स्थित है। सार्वजनिक उपयोग की भूमि आस–पास नहीं है। धार्मिक स्थल एवं मरघट 100 मीटर के भीतर नहीं है। उक्त आवेदित क्षेत्र शासकीय नदी है जिसमें प्रचूर मात्रा में रेत उपलब्ध है, आवेदित क्षेत्र से रेत खनिज की चोरी न हो एवं आस–पास के ग्रामीणों को रोजगार प्राप्त हो सके, आवेदित क्षेत्र में नई रेत खदान घोषित किये जाने की अनुशंसा की है।

खनि सहायक भानचित्रकार, बैतूल ने प्रतिवेदन दिनांक 05.12.2019 में प्रतिवेदित किया गया है कि तहसील चिचोली ग्राम–बल्लौर के मोरण्ड नदी के खसरा क्रमांक 162 रकबा 5.111 हे0 में से 3.000 हे0 क्षेत्र पर नई रेत खदान घोषित किये जाने हेतु क्षेत्र उपलब्ध होता है राजस्व पटवारी नक्शे में लाल स्याही से चिन्हांकित किया गया है।

मध्यप्रदेश रेत (खनन,परिवहन, भण्डारण एवं व्यापार) नियम,2019 में वन विभाग से अनुशंसा का कोई प्रावधान नहीं दिया गया है। विभागीय VC दिनांक 15.11.2019 के दौरान शासन स्तर एवं संचालनालय स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा निर्देशित किया कि SEIAA की अनुमति के दौरान वन विभाग से अनुशंसा प्राप्त करेंगे।

अतः उपरोक्त जाँच प्रतिवेदनों एवं ग्रामसभा में पारित प्रस्ताव के आधार पर मध्यप्रदेश रेत (खनन, परिवहन, भण्डारण एवं व्यापार) नियम, 2019 के नियम 5 (1) एवं (2) के तहत ग्राम–बल्लौर के मोरण्ड नदी के खसरा क्रमांक 162 रकबा 5.111 हे0 में से रकबा 3.000 हे0 क्षेत्र पर खनिज रेत की नई खदान घोषित की जाती है।

(कलेक्टर महोदयद्वारा अनुमोदित)

जिला खनि अधिकारी,
बैतूल

बैतूल, दिनांक 07/12/2019

पृ0क्रमांक/खलि0–2/2019/2056(A)

प्रतिलिपि:–

1. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित।
2. कार्यपालक संचालक, मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम, पर्यावास भवन, भोपाल को सादर सूचनार्थ।
3. संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. उपसंचालक, परिक्षेत्र बैतूल(सा0) उपमंडल।
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत बैतूल को सूचनार्थ प्रेषित।
6. अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व) बैतूल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
7. तहसीलदार, चिचोली ।
8. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत चिचोली को सूचनार्थ
9. खनि निरीक्षक/ खनि सर्वेयर/खनि सहायक भानचित्रकार बैतूल।
10. खनि शाखा–2 खनिज कार्यालय बैतूल ।
11. सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत–बल्लौर जनपद पंचायत चिचोली जिला बैतूल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

जिला खनि अधिकारी,
बैतूल

[redacted]

कार्यालय कलेक्टर (खनिज–शाखा) बैतूल

–: संशोधित आदेश :–

क्रमांक/खलि0–2/2019/2013(A) बैतूल, दिनांक 05/12/2019

सरपंच, ग्राम पंचायत खपरिया जनपद पंचायत चिचोली जिला बैतूल द्वारा ग्रामसभा दिनांक 02.10.2017 में प्रस्ताव क्रमांक 09 पारित कर प्रस्ताव की प्रतिलिपि सहित पत्र दिनांक 03.10.2017 प्रस्तुत किया है, जिसके अनुसार ग्राम–खपरिया तहसील चिचोली के मोरण्ड नदी के ख.क्र. 18 रकबा 5.232 हे.में बड़ी तादाद में खनिज रेत उपलब्ध है, जिसे नई रेत खदान घोषित करने का लेख किया गया है।

उपरोक्त प्राप्त प्रस्ताव आवेदन पत्र पर नई रेत खदान घोषित करने के संबंध में तहसीलदार चिचोली/खनि निरीक्षक बैतूल/खनि सहायक मानचित्रकार बैतूल से प्रतिवेदन/अभिमत प्राप्त किये गये। तहसीलदार चिचोली द्वारा अपने मामला क्रमांक 0715/ब–121/2019–20 दिनांक 20.11.2019 द्वारा ग्राम–खपरिया तहसील चिचोली की भूमि खसरा क्रमांक 18 रकबा 5.232 हे0 में से रकबा 3.400 हे0 भूमि पर नई रेत खदान घोषित करने हेतु प्रस्तावित की गई है।

खनि निरीक्षक,बैतूल के जाँच प्रतिवेदन मय पंचनामा दिनांक 27.03.2018 के अनुसार आवेदित क्षेत्र खसरा क्रमांक 18 रकबा 5.232 हे0 में से 3.400 हे0 क्षेत्र पर पर्याप्त मात्रा में रेत खनिज उपलब्ध है। आवेदित क्षेत्र से पुल 100 मीटर के भीतर नही हैं। राष्ट्रीय/राजमार्ग लगभग 15 कि0मी0 दूर स्थित है। रेल्वे लाईन 10 कि0मी0 के भीतर नही है, जलाशय/बांध 500 मीटर के भीतर नही है, प्रामीण कच्चा मार्ग लगा हुआ है, सार्वजनिक संस्थान आस–पास नहीं हैं। आबादी लगभग 200 मीटर पर स्थित हैं। सार्वजनिक उपयोग की भूमि आस–पास नही है। धार्मिक स्थल एवं मरघट 200 मीटर के भीतर नही है। उक्त आवेदित क्षेत्र शासकीय नदी है जिसमें प्रचूर मात्रा में रेत उपलब्ध है, आवेदित क्षेत्र से रेत खनिज की चोरी न हो एवं आस–पास के ग्रामीणो को रोजगार प्राप्त हो सके, आवेदित क्षेत्र में नई रेत खदान घोषित किये जाने की अनुशंसा की है।

खनि सहायक मानचित्रकार, बैतूल ने प्रतिवेदन दिनांक 05.12.2019 में प्रतिवेदित किया गया है कि तहसील चिचोली ग्राम–खपरिया के मोरण्ड नदी के खसरा क्रमांक 18 रकबा 5.232 हे0 में से 3.400 हे0 क्षेत्र नई रेत खदान घोषित किये जाने हेतु क्षेत्र उपलब्ध होता है राजस्व पटवारी नक्शे में लाल स्याही से चिन्हांकित किया गया है।

मध्यप्रदेश रेत (खनन,परिवहन, भण्डारण एवं व्यापार) नियम,2019 में वन विभाग से अनुशंसा का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। विभागीय VC दिनांक 15.11.2019 के दौरान शासन स्तर एवं संचालनालय स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा निर्देशित किया कि SEIAA की अनुमति के दौरान वन विभाग से अनुशंसा प्राप्त करेंगे।

अतः उपरोक्त जाँच प्रतिवेदनों एवं ग्रामसभा में पारित प्रस्ताव के आधार पर मध्यप्रदेश रेत (खनन, परिवहन, भण्डारण एवं व्यापार) नियम, 2019 के नियम 5 (1) एवं (2) के सहत ग्राम–खपरिया के मोरण्ड नदी के खसरा क्र0 18 रकबा 5.232 हे0 में से रकबा 3.400 हे0 क्षेत्र पर खनिज रेत की नई खदान घोषित की जाती है।

(कलेक्टर महो0द्वारा अनुमोदित)

जिला खनि अधिकारी,
बैतूल

बैतूल, दिनांक 05/12/2019

पृ0क्रमांक/खलि0–2/2019/2013(A)

प्रतिलिपि:–

1. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित।
2. कार्यपालक संचालक, मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम, पर्यावास भवन, भोपाल को सादर सूचनार्थ।
3. संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. वनमण्डलाधिकारी, पश्चिम बैतूल(सा0) वनमंडल।
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत बैतूल को सूचनार्थ प्रेषित।
6. अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व) बैतूल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
7. तहसीलदार, चिचोली
8. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत चिचोली को सूचनार्थ
9. खनि निरीक्षक/ खनि सर्वेयर/खनि सहायक मानचित्रकार बैतूल।
10. खनि शाखा–2 खनिज कार्यालय बैतूल ।
11. सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत–खपरिया जनपद पंचायत चिचोली जिला बैतूल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

जिला खनि अधिकारी,
बैतूल

कार्यालय कलेक्टर (खनिज–शाखा) बैतूल

–: संशोधित आदेश :–

क्रमांक/खनिज–2/2019/2014(A) बैतूल, दिनांक 05/12/2019

तरपंच, ग्राम पंचायत टांगनामाल जनपद पंचायत शाहपुर जिला बैतूल द्वारा ग्रामसभा दिनांक 26.01.2018 में प्रस्ताव क्रमांक 09 पारित कर प्रस्ताव की प्रतिलिपि सहित पत्र दिनांक 26.01.2018 प्रस्तुत किया है, जिसके अनुसार ग्राम–टांगनामाल तहसील शाहपुर के मोरण्ड नदी के ख.नं. 209 रकबा 9.073 हे.में बड़ी तादाद में खनिज रेत उपलब्ध है, जिसे नई रेत खदान घोषित करने का लेख किया गया है।

उपरोक्त प्राप्त प्रस्ताव आवेदन पत्र पर नई रेत खदान घोषित करने के संबंध में तहसीलदार शाहपुर/खनि निरीक्षक बैतूल/खनि सहायक मानचित्रकार बैतूल से प्रतिवेदन/अभिमत प्राप्त किये गये। तहसीलदार शाहपुर द्वारा अपने पत्र क्रमांक–टी.आर./2019/604 दिनांक 26.11.2019 द्वारा ग्राम–टांगनामाल तहसील शाहपुर की भूमि खसरा क्रमांक 209 रकबा 9.073 हे0 में से रकबा 4.000 हे0 भूमि पर नई रेत खदान घोषित करने हेतु प्रस्तावित की गई है।

खनि निरीक्षण, बैतूल के जाँच प्रतिवेदन दिनांक 02.12.2019 के अनुसार आवेदित क्षेत्र खसरा क्रमांक 209 रकबा 9.073 हे0 क्षेत्र पर खनिज रेत उपलब्ध है। आवेदित क्षेत्र से आबादी लगभग 250 मीटर दूर स्थित है, सड़क लगभग 100 मीटर दूर स्थित है। सार्वजनिक स्थल जैसे मंदिर/मस्जिद/कब्रस्तान से लगभग 200 मी0 दूर स्थित है, राष्ट्रीय राजमार्ग लगभग 38 कि0मी0 दूर स्थित है,प्रस्तावित क्षेत्र मोरण्ड नदी है आवेदित क्षेत्र से नियमानुसार प्रतिबंधित दूरी छोड़कर उपलब्ध क्षेत्र पर रेत खदान घोषित किये जाने की अनुशंसा की है।

खनि सहायक मानचित्रकार, बैतूल ने प्रतिवेदन दिनांक 05.12.2019 में प्रतिवेदित किया है कि तहसील शाहपुर ग्राम–टांगनामाल के मोरण्ड नदी के खसरा क्रमांक 209 रकबा 9.073 हे0 में से 4.000 हे0 क्षेत्र नई रेत खदान घोषित किये जाने हेतु क्षेत्र उपलब्ध होता है राजस्व पटवारी नक्शे में लाल स्याही से चिन्हांकित किया गया है।

मध्यप्रदेश रेत (खनन,परिवहन, भण्डारण एवं व्यापार) नियम,2019 में वन विभाग से अनुशंसा का कोई प्रावधान नहीं दिया गया है। विधानीय VC दिनांक 15.11.2019 के दौरान शासन स्तर एवं संचालनालय स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा निर्देशित किया कि SEIAA की अनुमति के दौरान वन विभाग से अनुशंसा प्राप्त करेंगे।

अतः उपरोक्त जाँच प्रतिवेदनों एवं ग्रामसभा में पारित प्रस्ताव के आधार पर मध्यप्रदेश रेत (खनन, परिवहन, भण्डारण एवं व्यापार) नियम, 2019 के नियम 5 (1) एवं (2) के तहत ग्राम–टांगनामाल के मोरण्ड नदी के खसरा क्रमांक 209 रकबा 9.073 हे0 में से रकबा 4.000 हे0 क्षेत्र पर खनिज रेत की नई खदान घोषित की जाती है।

(कलेक्टर महोदय द्वारा अनुमोदित)

जिला खनि अधिकारी,
बैतूल

बैतूल, दिनांक 05/12/2019

पृ0क्रमांक/खनि0–2/2019/2014(A)

प्रतिलिपि–

1. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित।
2. कार्यपालक संचालक, मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम, पर्यावास भवन, भोपाल को सादर सूचनार्थ।
3. संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. वनमण्डलाधिकारी, पश्चिम बैतूल(सा0) वनमंडल।
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत बैतूल को सूचनार्थ प्रेषित।
6. अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व) शाहपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
7. तहसीलदार, शाहपुर
8. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत शाहपुर को सूचनार्थ
9. खनि निरीक्षक/ खनि सर्वेयर/खनि सहायक मानचित्रकार बैतूल।
10. खनि शाखा–2 खनिज कार्यालय बैतूल ।
11. तरपंच/सचिव ग्राम पंचायत–टांगनामाल जनपद पंचायत शाहपुर जिला बैतूल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

जिला खनि अधिकारी,
बैतूल

कार्यालय कलेक्टर (खनिज–शाखा) बैतूल

–: संशोधित आदेश :–

बैतूल, दिनांक 05/12/2019

पृ0क्रमांक/खनि0–2/2019/2014(A)

सरपंच, ग्राम पंचायत टांगनामाल जनपद पंचायत शाहपुर जिला बैतूल द्वारा ग्रामसभा दिनांक 26.01.2018 में प्रस्ताव क्रमांक 09 पारित कर प्रस्ताव की प्रतिलिपि सहित पत्र दिनांक 28.01.2018 प्रस्तुत किया है, जिसके अनुसार ग्राम–टांगनामाल तहसील शाहपुर के मोरण्ड नदी के खा.क्र. 209 रकबा 9.073 हे.में बड़ी तादाद में खनिज रेत उपलब्ध है, जिसे नई रेत खदान घोषित करने का लेख किया गया है।

उपरोक्त प्राप्त प्रस्ताव आवेदन पत्र पर नई रेत खदान घोषित करने के संबंध में तहसीलदार शाहपुर/खनि निरीक्षक बैतूल/खनि सहायक मानचित्रकार बैतूल से प्रतिवेदन/अभिमत प्राप्त किये गये। तहसीलदार शाहपुर द्वारा अपने पत्र क्रमांक–टी.आर./2019/604 दिनांक 26.11.2019 द्वारा ग्राम–टांगनामाल तहसील शाहपुर की भूमि खसरा क्रमांक 209 रकबा 9.073 हे0 में से रकबा 4.000 हे0 भूमि पर नई रेत खदान घोषित करने हेतु प्रस्तावित की गई है।

खनि निरीक्षक, बैतूल के जाँच प्रतिवेदन दिनांक 02.12.2019 के अनुसार आवेदित क्षेत्र खसरा क्रमांक 209 रकबा 9.073 हे0 क्षेत्र पर खनिज रेत उपलब्ध है। आवेदित क्षेत्र से आबादी लगभग 250 मीटर दूर स्थित है, सड़क लगभग 100 मीटर दूर स्थित है। सार्वजनिक स्थल जैसे मंदिर/मस्जिद/कब्रस्तान से लगभग 200 मी0 दूर स्थित है, राष्ट्रीय राजमार्ग लगभग 38 कि0मी0 दूर स्थित है,प्रस्तावित क्षेत्र मोरण्ड नदी हैं आवेदित क्षेत्र से नियमानुसार प्रतिबंधित दूरी छोड़कर उपलब्ध क्षेत्र पर रेत खदान घोषित किये जाने की अनुशंसा की है।

खनि सहायक मानचित्रकार, बैतूल ने प्रतिवेदन दिनांक 05.12.2019 में प्रतिवेदित किया है कि तहसील शाहपुर ग्राम–टांगनामाल के मोरण्ड नदी के खसरा क्रमांक 209 रकबा 9.073 हे0 में से 4.000 हे0 क्षेत्र नई रेत खदान घोषित किये जाने हेतु क्षेत्र उपलब्ध होता है राजस्व पटवारी नक्शे में लाल स्याही से चिन्हांकित किया गया है।

मध्यप्रदेश रेत (खनन,परिवहन, भण्डारण एवं व्यापार) नियम,2019 में वन विभाग से अनुशंसा का कोई प्रावधान नही दिया गया है। विभागीय VC दिनांक 15.11.2019 के दौरान शासन स्तर एवं संचालनालय स्तर के वरिष्ठ अधिकारियो द्वारा निर्देशित किया कि SEIAA की अनुमति के दौरान वन विभाग से अनुशंसा प्राप्त करेंगे।

अतः उपरोक्त जाँच प्रतिवेदनों एवं ग्रामसभा में पारित प्रस्ताव के आधार पर मध्यप्रदेश रेत (खनन, परिवहन, भण्डारण एवं व्यापार) नियम, 2019 के नियम 5 (1) एवं (2) के तहत ग्राम–टांगनामाल के मोरण्ड नदी के खसरा क्रमांक 209 रकबा 9.073 हे0 में से रकबा 4.000 हे0 क्षेत्र पर खनिज रेत की नई खदान घोषित की जाती है।

(कलेक्टर महो0द्वारा अनुमोदित)

जिला खनि अधिकारी,
बैतूल

बैतूल, दिनांक 05/12/2019

पृ0क्रमांक/खनि0–2/2019/2014(A)

प्रतिलिपि–

1. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित।
2. कार्यपालक संचालक, मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम, पर्यावास भवन, भोपाल को सादर सूचनार्थ।
3. संचालक, भौगिकी तथा खनिकर्म भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. वनमण्डलाधिकारी, पश्चिम बैतूल(सा0) वनमंडल।
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत बैतूल को सूचनार्थ प्रेषित।
6. अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व) शाहपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
7. तहसीलदार, शाहपुर
8. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत शाहपुर को सूचनार्थ
9. खनि निरीक्षक/ खनि सर्वेयर/खनि सहायक मानचित्रकार बैतूल।
10. खनि शाखा–2 खनिज कार्यालय बैतूल ।
11. सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत–टांगनामाल जनपद पंचायत शाहपुर जिला बैतूल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

जिला खनि अधिकारी,
बैतूल

कार्यालय कलेक्टर (खनिज–शाखा) बैतूल

–: संशोधित आदेश :–

बैतूल, दिनांक 07/12/2019

क्रमांक/खनि0–2/2019/2057 (A)

सरपंच, ग्राम पंचायत बिखली रैयत जनपद पंचायत शाहपुर जिला बैतूल द्वारा ग्रामसभा दिनांक 15.08.2018 में प्रस्ताव क्रमांक 06 पारित कर प्रस्ताव की प्रतिलिपि सहित पत्र दिनांक 15.08.2018 प्रस्तुत किया है, जिसके अनुसार ग्राम–बिखली रैयत तहसील शाहपुर के मोरण्ड नदी के खसरा क्रमांक 316 रकबा 8.696 हे0 में बढ़ी तादाद में खनिज रेत उपलब्ध है, जहां नई रेत खदान घोषित करने का लेख किया गया है। उपरोक्त प्राप्त प्रस्ताव आवेदन पत्र पर नई रेत खदान घोषित करने के संबंध में तहसीलदार शाहपुर/खनि निरीक्षक बैतूल/खनि सहायक मानचित्रकार बैतूल से प्रतिवेदन/अभिमत प्राप्त किये गये।

तहसीलदार शाहपुर के पत्र क्रमांक–टी.आर./2019/605 दिनांक 26.11.2019 के अनुसार लेख किया गया है कि ग्राम पंचायत का प्रस्ताव, पटवारी रिपोर्ट एवं प्रस्तावित नक्शा संलग्न कर इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है, तथा संलग्नक–4 एवं 23 बिन्दुओं की जानकारी प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार प्रस्तावित क्षेत्र से आबादी 800 मी0 दूर, रेल्वे लाईन 68 कि0 मी0 दूर, पुल व पुलिया 01 कि0मी0 दूर, ग्रामीण कच्चे रास्ते से 100 मीटर दूर, अन्य सार्वजनिक स्थल जैसे–मंदिर, मस्जिद, कब्रस्तान से 01 कि0मी0 मीटर दूर, बन सीमा से लगी हुई है, निकटतम निकटतम नगरपालिका मुख्यालय से 29 कि0मी0 दूर, स्मारकों एवं संवेदनशील स्थल आसपास नहीं है, निकटतम व्यापारिक खदान कोई नहीं है। तथा प्रस्तावित क्षेत्र से मानव बसाहट/जलीय निकाय/शैक्षणिक संस्थान/ विधिसम्मत/राष्ट्रीय धरोहर/पुरातत्वीय महत्व के स्थल 500 मीटर की दूरी के अन्दर स्थित नहीं है। 10 कि0मी0 की परिधि में कोई अन्तर्राज्यीय सीमा एवं 250 मी0 की परिधि में अन्य कोई खदान स्थित नहीं है। प्रस्तावित क्षेत्र खसरा क्रमांक 316 रकबा 8.696 हे0 रेत खदान घोषित किये जाने की अनुशंसा की गई है।

खनि निरीक्षक, बैतूल के जॉच प्रतिवेदन दिनांक 04.10.2018 के अनुसार प्रस्तावित क्षेत्र खसरा क्रमांक 316 रकबा 8.696 हे0 क्षेत्र पर खनिज रेत उपलब्ध है। प्रस्तावित क्षेत्र से पुल 100 मीटर के भीतर नहीं है, राष्ट्रीय/राजमार्ग/रेल्वे लाईन 10 कि0 मी0 से अधिक दूर, प्रस्तावित क्षेत्र नदी है, जलाशय/बांध 500 मीटर दूर, ग्रामीण पक्की सड़क लगभग .01 कि0मी0 दूर ,सार्वजनिक उपयोग की भूमि/धार्मिक स्थल 100 मीटर के भीतर नहीं है, आबादी लगभग 300 मीटर दूर, मरघट प्रस्तावित क्षेत्र के किनारे शमशान गृह बना हुआ है, उक्त प्रस्तावित क्षेत्र मोरण्ड नदी का भाग है, जिसमें खनिज रेत उपलब्ध है, नियमानुसार प्रस्तावित दूरी छोड़कर उपलब्ध क्षेत्र पर मशीन रेत खदान घोषित किये जाने की अनुशंसा की है।

खनि सहायक मानचित्रकार, बैतूल ने प्रतिवेदन दिनांक 04.12.2019 में प्रतिवेदित किया है कि तहसील शाहपुर ग्राम–बिखलीरैयत के मोरण्ड नदी के खसरा क्र0 316 रकबा 8.696 हे0 में से 4.000 हे0 क्षेत्र पर नई रेत खदान घोषित किये जाने हेतु क्षेत्र उपलब्ध होता है राजस्व पटवारी नक्शे में क्षेत्र स्थली से चिन्हांकित किया गया है।

मध्यप्रदेश रेत (खनन,परिवहन, भण्डारण एवं व्यापार) नियम,2019 में वन विभाग से अनुशंसा का कोई प्रावधान नही दिया गया है। विभागीय VC दिनांक 15.11.2019 के दौरान शासन स्तर एवं संचालनालय स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा निर्देशित किया कि SEIAA की अनुमति के दौरान वन विभाग से अनुशंसा प्राप्त करेंगे।

अतः उपरोक्त जॉच प्रतिवेदनों एवं ग्रामसभा में पारित प्रस्ताव के आधार पर मध्यप्रदेश रेत (खनन, परिवहन, भण्डारण एवं व्यापार) नियम, 2019 के नियम 5(1)एवं(2) के तहत ग्राम–बिखलीरैयत के मोरण्ड नदी के खसरा क्र0 316 रकबा 8.696 हे0 में से रकबा 4.000 हे0 क्षेत्र पर खनिज रेत की नई खदान घोषित की जाती है।

जिला खनि अधिकारी,
बैतूल

(कलेक्टर महोदयाद्वारा अनुमोदित)

बैतूल, दिनांक 07/12/2019

पृ0क्रमांक/खनि0–2/2019/2057 (A)

प्रतिलिपि:–

1. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित।
2. कार्यपालक संचालक, मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम, पर्यावास भवन, भोपाल को सादर सूचनार्थ।
3. संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. उपसंचालक, भौमिकी, परिक्षेत्र बैतूल(सा0) धनगंडल।
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत बैतूल को सूचनार्थ प्रेषित।
6. अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व) शाहपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
7. तहसीलदार, शाहपुर
8. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत शाहपुर को सूचनार्थ
9. खनि निरीक्षक/ खनि सर्वेयर/खनि सहायक मानचित्रकार बैतूल।
10. खनि शाखा–2 खनिज कार्यालय बैतूल ।
11. सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत–बिखलीरैयत जनपद पंचायत शाहपुर जिला बैतूल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

जिला खनि अधिकारी,
बैतूल

कार्यालय कलेक्टर (खनिज–शाखा) बैतूल

:- संशोधित आदेश :-

क्रमांक/खनि0–2/2019/2058(A) बैतूल, दिनांक 07/12/2019

संदर्भ, ग्राम पंचायत बिखली रैयत जनपद पंचायत शाहपुर जिला बैतूल द्वारा ग्रामसभा दिनांक 15.08.2018 में प्रस्ताव क्रमांक 06 पारित कर प्रस्ताव की प्रतिलिपि सहित पत्र दिनांक 15.08.2018 प्रस्तुत किया है, जिसके अनुसार ग्राम–तेन्दूखेड़ा तहसील शाहपुर के मोरण्ड नदी के खं0. क्र0.119 एवं 114 रकबा क्रमशः 7.738 हे. एवं 5.172 हे0 में बड़ी तादाद में रेत उपलब्ध है, अतः नई रेत खदान घोषित करने का लेख किया गया है। उपरोक्त प्राप्त प्रस्ताव आवेदन पत्र पर नई रेत खदान घोषित करने के संबंध में तहसीलदार शाहपुर/खनि निरीक्षक बैतूल/खनि सहायक भानचित्रकार बैतूल से प्रतिवेदन/अभिमत प्राप्त किये गये।

तहसीलदार शाहपुर के पत्र क्रमांक–टी.आर./2019/603 दिनांक 26.11.2019 के अनुसार लेख किया गया है कि ग्राम पंचायत का प्रस्ताव, घटवादी रिपोर्ट एवं प्रस्तावित नक्शा संलग्न कर इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है,तथा संलग्नक–4 एवं 23 बिन्दुओं की जानकारी प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार प्रस्तावित क्षेत्र से आबादी लगभग 500 मी0 दूर,रेल्वे लाईन 70 कि0 मी0 दूर,पुल व पुलिया 05 कि0मी0 दूर,ग्रामीण कच्चे रास्ते से 500 मीटर दूर, अन्य सार्वजनिक स्थल जैसे–मंदिर, मस्जिद, कब्रस्तान से 500 मीटर दूर, वन सीमा से लगी हुई है, निकटतम नगरपालिका मुख्यालय से 30 कि0मी0 दूर, स्मारकों एवं संवेदनशील स्थल आसपास नही है, निकटतम व्यापारिक खदान कोई नहीं है। तथा प्रस्तावित क्षेत्र से मानव बसाहट लगभग 400 मीटर/जलीय निकाय स्थित है। शैक्षणिक संस्थान/चिकित्सालय/अन्तर्राज्यीय सीमा/राष्ट्रीय धरोहर/पुरातत्वीय महत्व के स्थल 500 मीटर की दूरी के अन्दर स्थित नही है। एवं 250 मी0 की परिधि में अन्य कोई खदान स्थित नही है। प्रस्तावित क्षेत्र खसरा क्रमांक 119 एवं 114 रकबा क्रमशः7.738 एवं 5.172 हे0 रेत खदान घोषित किये जाने की अनुशंसा की गई है।

खनि निरीक्षक, बैतूल के जाँच प्रतिवेदन दिनांक 06.11.2018 के अनुसार प्रस्तावित क्षेत्र खसरा क्रमांक 119 एवं 114 रकबा क्रमशः 7.738 एवं 5.172 हे0 क्षेत्र पर खनिज रेत उपलब्ध है। प्रस्तावित क्षेत्र से पुल 100 मीटर के भीतर नही है, राष्ट्रीय/राजमार्ग/रेल्वे लाईन 10 कि0 मी0 से अधिक दूर, प्रस्तावित क्षेत्र नदी है, जलाशय/बांध 500 मीटर दूर, ग्रामीण पक्की सड़क लगभग 01 कि0मी0 दूर ,सार्वजनिक उपयोग की भूमि/धार्मिक स्थल 100 मीटर के भीतर नहीं है, आबादी लगभग 300 मीटर दूर, मरघट प्रस्तावित क्षेत्र के किनारे शवदाह गृह बना हुआ है, उक्त प्रस्तावित क्षेत्र मोरण्ड नदी का भाग है, जिसमें खनिज रेत उपलब्ध है, नियमानुसार प्रस्तावित दूरी छोड़कर उपलब्ध क्षेत्र पर मशीन रेत खदान घोषित किये जाने की अनुशंसा की है।

सहायक भानचित्रकार (खनिज) बैतूल ने प्रतिवेदन दिनांक 05.12.2019 में प्रतिवेदित किया है कि तहसील शाहपुर ग्राम–तेन्दूखेड़ा के मोरण्ड नदी के खं0. क्र0. 119 एवं 114 रकबा क्रमशः 7.738 हे. एवं 5.172 हे. कुल रकबा 12.910 हे0 में से रकबा 4.100 हे0 क्षेत्र नई रेत खदान घोषित किये जाने हेतु क्षेत्र उपलब्ध होना है राजस्व पटवारी नक्शे में लाल स्याही से चिन्हांकित किया गया है।

मध्यप्रदेश रेत (खनन,परिवहन, भण्डारण एवं व्यापार) नियम,2019 में वन विभाग से अनुशंसा का कोई प्रावधान नहीं दिया गया है। विभागीय VC दिनांक 15.11.2019 के दौरान शासन स्तर एवं संचालनालय स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा निर्देशित किया कि SEIAA की अनुमति के दौरान वन विभाग से अनुशंसा प्राप्त करेंगे।

अतः उपरोक्त जाँच प्रतिवेदनों एवं ग्रामसभा में पारित प्रस्ताव के आधार पर मध्यप्रदेश रेत (खनन, परिवहन, भण्डारण एवं व्यापार) नियम, 2019 के नियम 5 (1) एवं (2) के सहत ग्राम–तेन्दूखेड़ा के मोरण्ड नदी के खं. क्र. 119 एवं 114 रकबा क्रमशः7.738 हे. एवं 5.172 हे. कुल रकबा 12.910 हे0 में से रकबा 4.100 हे0 क्षेत्र पर खनिज रेत की नई खदान घोषित की जाती है।

(कलेक्टर महो0द्वारा अनुमोदित)

07/12/19
जिला खनि अधिकारी,
बैतूल.
बैतूल, दिनांक 07/12/2019

पृ0क्रमांक/खनि0–2/2019/2058

प्रतिलिपि:–

1. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित।
2. कार्यपालक संचालक, मध्यप्रदेश खनिज खनिज निगम, पर्यावरण भवन, भोपाल को सादर सूचनार्थ।
3. संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. वनमण्डलाधिकारी, पश्चिम बैतूल(साउ) वनमंडल।
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत बैतूल को सूचनार्थ प्रेषित।
6. अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व) शाहपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
7. तहसीलदार, शाहपुर
8. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत शाहपुर को सूचनार्थ
9. खनि निरीक्षक/ खनि सर्वेयर/खनि सहायक भानचित्रकार बैतूल।
10. खनि शाखा–2 खनिज कार्यालय बैतूल ।
11. सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत–बिखलीरैयत जनपद पंचायत शाहपुर जिला बैतूल को ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

07/12/19
जिला खनि अधिकारी,
बैतूल

कार्यालय कलेक्टर (खनिज–शाखा) बैतूल

:: संशोधित आदेश ::

क्रमांक/खनि0-2/2019/2036(A) बैतूल, दिनांक 07/12/2019

सरपंच, ग्राम पंचायत बटकीडोह जनपद पंचायत घोड़ाडोंगरी जिला बैतूल द्वारा ग्राम सभा दिनांक 25.12.2018 में प्रस्ताव क्रमांक 01 पारित कर प्रस्ताव की प्रतिलिपि सहित प्रस्तुत किया है,जिसके अनुसार ग्राम- बटकीडोह तहसील घोड़ाडोंगरी के मढ़गंगा नदी के खा.क्र. 349 एवं 112 कुल रकबा 2.000 हे0 को नई रेत खदान घोषित करने का लेख किया गया है।

उपरोक्त प्राप्त प्रस्ताव पर नई रेत खदान घोषित करने के संबंध में तहसीलदार घोड़ाडोंगरी/खनि निरीक्षक बैतूल/खनि सहायक भानुप्रिया बैतूल से प्रतिवेदन/अभिमत प्राप्त किये गये। तहसीलदार घोड़ाडोंगरी के पत्र 80/प्रशा/तहसी/2019/202 दिनांक 25.02.2019 के अनुसार लेख किया गया है कि ग्राम पंचायत का प्रस्ताव, पटवारी रिपोर्ट एवं प्रस्तावित नक्शा संलग्न कर इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है, तथा संलग्नक–4 एवं 23 बिन्दुओं की जानकारी प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार प्रस्तावित क्षेत्र से आबादी 500 मीटर दूर, रेलवे लाईन 20 किमी मीटर दूर, पुल व पुलिया 03 किमी0 दूर, डायवर्जन अथवा सार्वजनिक मार्ग से 500 मीटर दूर, अन्य सार्वजनिक स्थल जैसे-मंदिर, मस्जिद, कब्रस्तान से किमी0 मीटर दूर, वन सीमा से 04 किमी0 दूर, निकटतम नगरपालिका मुख्यालय से 35 किमी0 दूर, स्मारकों एवं संवेदनशील स्थलों से 10 किमी0 दूर, निकटतम व्यावसायिक खदानों से 10 किमी0 दूर है। तथा प्रस्तावित क्षेत्र से मानव बस्तियों/जातीय निकाय/सैन्यिक संस्थान/चिकित्सालय/राष्ट्रीय धरोहर/पुरातात्विक महत्व के स्थल 500 मीटर की दूरी के अन्दर स्थित नहीं हैं। 10 किमी0 की परिधि में कोई अन्तर्राज्यीय सीमा एवं 250 मी0 की परिधि में अन्य कोई खदान स्थित नहीं है। प्रस्तावित क्षेत्र खसरा क्रमांक 112 एवं 349 रकबा क्रमशः 1.360 हे0 एवं 0.700 हे0 कुल रकबा 2.060 हे0 रेत खदान घोषित किये जाने की अनुशंसा की गई है।

खनि निरीक्षक, बैतूल के जॉच प्रतिवेदन दिनांक 28.02.2019 के अनुसार प्रस्तावित क्षेत्र खसरा क्रमांक 112 एवं 349 रकबा क्रमशः1.360 हे. एवं 0.700 हे. कुल रकबा 2.060 हे0 क्षेत्र पर चर्चा करने से खनिज रेत उपलब्ध है। प्रस्तावित क्षेत्र से पूल 100 मीटर के भीतर नहीं है, रोड/राजमार्ग/रेलवे लाईन 10 किमी मीटर से अधिक दूर, प्रस्तावित क्षेत्र नदी है, जलाशय/बांध 500 मीटर दूर, डायवर्जन मार्ग/सार्वजनिक उपयोग की भूमि/घाघट 100 मीटर के भीतर नहीं है, धार्मिक स्थल 500 मीटर के भीतर नहीं, आबादी लगभग 500 मीटर दूर, प्रस्ता प्रस्तावित क्षेत्र मढ़गंगा नदी का भाग है, जिसमें खनिज रेत उपलब्ध है, प्रस्तावित क्षेत्र पर रेत खदान घोषित किये जाने की अनुशंसा की है।

खनि सहायक भानुप्रिया, बैतूल ने प्रतिवेदन दिनांक 05.12.2019 में प्रतिवेदित किया है कि तहसील घोड़ाडोंगरी ग्राम-बटकीडोह के मढ़गंगा नदी के खसरा क्रमांक 112 एवं 349 रकबा क्रमशः1.360 हे0 एवं 0.700 हे0 कुल रकबा 2.060 हे0 क्षेत्र नई रेत खदान घोषित किये जाने हेतु क्षेत्र उपलब्ध होता है खसरा पटवारी नक्शे में खदान स्थाही से चिन्हांकित किया गया है।

रूपरेखा रेत (खनन,परिवहन, भण्डारण एवं व्यापार) नियम,2019 में वन विभाग से अनुमति का कोई प्रावधान नहीं दिया गया है। विभागीय VC दिनांक 15.11.2018 के दौरान शासन स्तर एवं जिलास्तरीय स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा निर्देशित किया कि SEIAA की अनुमति के दौरान वन विभाग से अनुमति प्राप्त करेंगे।

अतः उपरोक्त जॉच प्रतिवेदनों एवं शासन में पारित प्रस्ताव के आधार पर मध्यप्रदेश रेत (खनन, परिवहन, भण्डारण एवं व्यापार) नियम, 2019 के नियम 5 (i) एवं (ii) के तहत ग्राम-बटकीडोह के मढ़गंगा नदी के खसरा क्रमांक 112 एवं 349 रकबा क्रमशः 1.360 हे0 एवं 0.700 हे0 कुल रकबा 2.060 हे0 क्षेत्र का खनिज रेत की नई खदान घोषित की जाती है।

(कलेक्टर महोदया अनुमोदित)

जिला खनि अधिकारी,
बैतूल

बैतूल, दिनांक 07/12/2019

पृष्ठांकन/खनि0-2/2019/2036(A)

प्रतिलिपि–

1. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित।
2. कार्यपालक संचालक, मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम, पर्यावास भवन, भोपाल को सादर सूचनार्थ।
3. संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. कलक्टर/अतिरिक्त, जिला बैतूल(म0प्र0) कलक्टर।
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत बैतूल को सूचनार्थ प्रेषित।
6. अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व) शाहपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
7. तहसीलदार, घोड़ाडोंगरी ।
8. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत घोड़ाडोंगरी को सूचनार्थ ।
9. खनि निरीक्षक/ खनि सर्वेयर/खनि सहायक भानुप्रिया बैतूल।
10. खनि शाखा-2 खनिज कार्यालय बैतूल ।
11. सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत–बटकीडोह जनपद पंचायत घोड़ाडोंगरी जिला बैतूल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

जिला खनि अधिकारी,
बैतूल

कार्यालय कलेक्टर (खनिज–शाखा) बैतूल

–: संशोधित आदेश :–

बैतूल, दिनांक 07/12/2019

क्रमांक/खप्रशि0–2/2019/2035(A)

सरपंच, ग्राम पंचायत पटकीढोह जनपद पंचायत घोड़ाडोंगरी जिला बैतूल द्वारा आमसभा दिनांक 25.01.2019 में प्रस्ताव क्रमांक 01 पारित कर प्रस्ताव की प्रतिलिपि सहित प्रस्तुत किया है,जिसके अनुसार ग्राम–बिन्धुपुर तहसील घोड़ाडोंगरी के भड़ंगा नदी के खं0क्र. 1 रकबा 14.180 हे0 में से रकबा 4.800 हे0 की नई रेत खदान घोषित करने का लेख किया गया है।

उपरोक्त प्राप्त प्रस्ताव पर नई रेत खदान घोषित करने के संबंध में तहसीलदार घोड़ाडोंगरी/खनि निरीक्षक बैतूल/खनि सहायक मानचित्रकार बैतूल से प्रतिवेदन/अभिमत प्राप्त किये गये। तहसीलदार घोड़ाडोंगरी के पत्र क्र0/प्रभा0/तह0/2019/58 दिनांक 29.01.2019 के अनुसार लेख किया गया है कि ग्राम पंचायत का प्रस्ताव, पटवारी रिपोर्ट एवं प्रस्तावित नक्शा संलग्न कर इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है, तथा संलग्नक–4 एवं 23 बिन्दुओं की जानकारी प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार प्रस्तावित क्षेत्र से आबादी 01 कि0मी0 दूर, राष्ट्रीय राजमार्ग 20 कि0मी0 दूर, रेल्वे लाईन 20 कि0 मी0 दूर, पुल व पुलिया 01 कि0मी0 दूर, ग्रामीण कच्चे रास्ते से 200 मीटर दूर, अन्य सार्वजनिक स्थल जैसे–मंदिर, मस्जिद, कब्रस्तान से 100 मीटर दूर, वन सीमा से 03 कि0मी0 दूर, निकटतम नगरपालिका मुख्यालय से 30 कि0मी0 दूर, स्मारकों एवं संरक्षणशील कोई नहीं, निकटतम व्यापारिक खदानों से 5 कि0मी0 दूर है। तथा प्रस्तावित क्षेत्र से मानव बसाहट/जलीय निकाय/शैक्षणिक संस्थान/चिकित्सालय/राष्ट्रीय धरोहर/पुरातत्वीय महत्व के स्थल/ 500 मीटर की दूरी के अन्दर स्थित नहीं है। 10 कि0मी0 की परिधि में कोई अन्तर्राज्यीय सीमा एवं 250 मी0 की परिधि में अन्य कोई खदान स्थित नहीं है। प्रस्तावित क्षेत्र खसरा क्रमांक–1 के भाग रकबा 4.800 हे0 में से रकबा 3.000 में रेत खदान घोषित किये जाने की अनुशंसा की गई है।

खनि निरीक्षक, बैतूल के जॉच प्रतिवेदन दिनांक 28.02.2019 के अनुसार प्रस्तावित क्षेत्र खसरा क्रमांक 1 के भाग रकबा 4.800 हे0 क्षेत्र पर पर्याप्त मात्रा में खनिज रेत उपलब्ध है। प्रस्तावित क्षेत्र से पुल 500 मीटर के भीतर नहीं है, राष्ट्रीय/राजमार्ग/रेल्वे लाईन 10 कि0 मी0 से अधिक दूर, प्रस्तावित क्षेत्र नदी है, जलाशय/बांध/ग्रामीण मार्ग 200 मीटर से अधिक दूर, सार्वजनिक/उपयोग की भूमि /धार्मिक स्थल एवं मरघट 100 मीटर के भीतर नहीं है, आबादी 500 मीटर दूर, उक्त प्रस्तावित क्षेत्र भड़ंगा नदी का भाग है, जिसमें खनिज रेत उपलब्ध है, प्रस्तावित क्षेत्र पर रेत खदान घोषित किये जाने की अनुशंसा की है।

खनि सहायक मानचित्रकार, बैतूल ने प्रतिवेदन दिनांक 02.12.2019 में प्रतिवेदित किया गया है कि तहसील घोड़ाडोंगरी ग्राम–**बिन्धुपुर के भड़ंगा नदी के खसरा क्रमांक 1 रकबा 14.180 हे0 में से रकबा 3.000** हे0 क्षेत्र उपलब्ध होता है तथा राजस्व पटवारी नक्शे में लाल स्याही से चिन्हांकित किया गया है।

मध्यप्रदेश रेत (खनन,परिवहन, भण्डारण एवं व्यापार) नियम,2019 में वन विभाग से अनुशंसा का कोई प्रावधान नहीं दिया गया है। विभागीय VC दिनांक 15.11.2019 के दौरान शासन स्तर एवं संचालनालय स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा निर्देशित किया कि SEIAA की अनुमति के दौरान वन विभाग से अनुशंसा प्राप्त करेंगे।

अतः उपरोक्त जॉच प्रतिवेदनों एवं ग्रामसभा में पारित प्रस्ताव के आधार पर मध्यप्रदेश रेत (खनन, परिवहन, भण्डारण एवं व्यापार) नियम, 2019 के नियम 5(1)एवं(2) के तहत ग्राम–बिन्धुपुर के भड़ंगा नदी के खसरा क्र0 1 रकबा 14.180 हे0 में से रकबा 3.000 हे0 क्षेत्र पर खनिज रेत की नई खदान घोषित की जाती है।

(कलेक्टर महो0द्वारा अनुमोदित)

जिला खनि अधिकारी,
बैतूल

बैतूल, दिनांक 07/12/2019

पृ0क्रमांक/खप्रशि–2/2019/2035(A)

प्रतिलिपि–

1. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित।
2. कार्यपालक संचालक, मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम, पर्यावास भवन, भोपाल को सादर सूचनार्थ।
3. संचालक, भौविकी तथा खनिकर्म भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. उपमण्डलाधिकारी, उत्तर बैतूल(सा0) मनलदल।
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत बैतूल को सूचनार्थ प्रेषित।
6. अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व) शाहपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
7. **तहसीलदार, घोड़ाडोंगरी ।**
8. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत घोड़ाडोंगरी को सूचनार्थ ।
9. खनि निरीक्षक/ खनि सर्वेयर/खनि सहायक मानचित्रकार बैतूल।
10. खनि शाखा–2 खनिज कार्यालय बैतूल ।
11. सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत–पटकीढोह जनपद पंचायत घोड़ाडोंगरी जिला बैतूल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

जिला खनि अधिकारी,
बैतूल

कार्यालय कलेक्टर (खनिज–शाखा) बैतूल

–: संशोधित आदेश :–

बैतूल, दिनांक 07/12/2019

क्रमांक/खनि0–2/2019/2020(A)

सरपंच, ग्राम पंचायत झोली जनपद पंचायत घोड़ाडोंगरी जिला बैतूल द्वारा ग्रामसभा दिनांक 21.03.2018 में प्रस्ताव क्रमांक 05 पारित कर प्रस्ताव की प्रतिलिपि सहित पत्र प्रस्तुत किया है, जिसके अनुसार ग्राम–झोली–1 तहसील घोड़ाडोंगरी के भड़ंगा नदी के ख0क्र. 99 रकबा 12.015 हे0 को नई रेत खदान घोषित करने का लेख किया गया है।

उपरोक्त प्राप्त प्रस्ताव आवेदन पत्र पर नई रेत खदान घोषित करने के संबंध में तहसीलदार घोड़ाडोंगरी /खनि निरीक्षक बैतूल/खनि सहायक मानचित्रकार बैतूल से प्रतिवेदन/अभिमत प्राप्त किये गये। नायब तहसीलदार घोड़ाडोंगरी (सोपना वृत्त) के क्र.मा. क्र.0127 व/121 वर्ष 2019 –20 आदेश पत्रिका दिनांक 23.11.2019 के अनुसार राजस्व निरीक्षक/हल्का पटवारी से निर्धारित प्रारूपों में जानकारी प्राप्त कर प्रकरण में संलग्न किया गया है। नायब तहसीलदार द्वारा लेख किया गया है कि हल्का पटवारी/राजस्व निरीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार प्रस्तावित क्षेत्र ग्राम–झोली–1 खसरा क्रमांक 99 रकबा 12.015 हे0 भूमि प्रस्तावित क्षेत्र से आबादी लगभग 300 मीटर दूर, राष्ट्रीय राजमार्ग/रेल्वे लाईन 30 कि0 मी0 दूर, पुल व पुलिया से 100 मी0, वन सीमा से 3 कि0मी0, निकटतम नगरपालिका मुख्यालय से 35 कि0मी0 दूर, स्मारकों एवं संवेदनशील स्थलों से 40 कि0मी0 दूर, प्रतिवेदित किया गया है। प्रस्तुत संलग्नक–4 एवं 25 बिन्दुओं की जानकारी, लाल स्याही से रेखांकित नक्शा, स्थल पंचनामा की मूल प्रति प्रस्तुत की गई है। प्रकरण अनुशंसा सहित आगामी कार्यवाही हेतु खनि अधिकारी बैतूल को प्रेषित किया गया ।

खनि निरीक्षक, बैतूल के जाँच प्रतिवेदन दिनांक 26.11.2019 के अनुसार प्रस्तावित क्षेत्र खसरा क्रमांक 99 रकबा 12.015 हे0 क्षेत्र पर रेत खनिज उपलब्ध है। प्रस्तावित क्षेत्र से पुल लगभग 100 मी0 दूर, राष्ट्रीय/राजमार्ग/रेल्वे लाईन लगभग 30 कि0मी0 दूर है, जलाशय/बांध/प्राचीन मार्ग/सार्वजनिक संस्थान/सार्वजनिक उपयोग की भूमि/धार्मिक स्थल/मरघट आसपास नहीं है, आबादी लगभग 300 मीटर दूर स्थित है। उक्त प्रस्तावित क्षेत्र भड़ंगा नदी है, प्रस्तावित क्षेत्र से नियमानुसार प्रतिबंधित दूरी छोड़कर उपलब्ध क्षेत्र पर रेत खदान घोषित किये जाने की अनुशंसा की है।

खनि सहायक मानचित्रकार, बैतूल ने प्रतिवेदन दिनांक 03.12.2019 में प्रतिवेदित किया गया है कि तहसील घोड़ाडोंगरी ग्राम–झोली–1 के भड़ंगा नदी के खसरा क्रमांक 99 रकबा 12.015 हे0 में से 2.450 हे0 क्षेत्र उपलब्ध होता है तथा राजस्व पटवारी नक्शे में लाल स्याही से चिन्हांकित किया गया है।

मध्यप्रदेश रेत (खनन,परिवहन, भण्डारण एवं व्यापार) नियम,2019 में वन विभाग से अनुशंसा का कोई प्रावधान नहीं दिया गया है। विभागीय VC दिनांक 15.11.2019 के दौरान शासन स्तर एवं संचालनालय स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा निर्देशित किया कि SEIAA की अनुमति के दौरान वन विभाग से अनुशंसा प्राप्त करेंगे।

अतः उपरोक्त जाँच प्रतिवेदनों एवं ग्रामसभा में पारित प्रस्ताव के आधार पर मध्यप्रदेश रेत (खनन, परिवहन, भण्डारण एवं व्यापार) नियम, 2019 के नियम 5 (1) एवं (2) के तहत ग्राम–झोली–1 के भड़ंगा नदी के खसरा क्रमांक 99 रकबा 12.015 हे0 में से रकबा 2.450 हे0 क्षेत्र पर खनिज रेत की नई खदान घोषित की जाती है।

(कलेक्टर महोदया द्वारा अनुमोदित)

जिला खनि अधिकारी,
बैतूल
बैतूल, दिनांक 07/12/2019

पृष्ठक्रमांक/खनि0–2/2019/2020(A)

प्रतिलिपि:–

1. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित।
2. कार्यपालक संचालक, मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम, पर्यावास भवन, भोपाल को सादर सूचनार्थ।
3. संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. वनमण्डलाधिकारी, उत्तर बैतूल(सा0) वनमंडल।
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत बैतूल को सूचनार्थ प्रेषित।
6. अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व) शाहपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
7. तहसीलदार, घोड़ाडोंगरी ।
8. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत घोड़ाडोंगरी को सूचनार्थ ।
9. खनि निरीक्षक/ खनि सर्वेयर/खनि सहायक मानचित्रकार बैतूल।
10. खनि शाखा–2 खनिज कार्यालय बैतूल ।
11. सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत–झोली जनपद पंचायत घोड़ाडोंगरी जिला बैतूल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

जिला खनि अधिकारी,
बैतूल

कार्यालय कलेक्टर (खनिज–शाखा) बैतूल

:- संशोधित आदेश :-

क्रमांक/खदि0–2/2019/2021(A) बैतूल, दिनांक 07/12/2019

सरपंच, ग्राम पंचायत झोली जनपद पंचायत घोड़ाडोंगरी जिला बैतूल द्वारा ग्रामसभा दिनांक 21.03.2018 में प्रस्ताव क्रमांक 05 पारित कर प्रस्ताव की प्रतिलिपि सहित पत्र प्रस्तुत किया है, जिसके अनुसार ग्राम–झोली–2 तहसील घोड़ाडोंगरी के भड़ंगा नदी के खसरा0.10 रकबा 6.935 हे0 की नई रेत खदान घोषित करने का लेख किया गया है।

उपरोक्त प्राप्त प्रस्ताव आवेदन पत्र पर नई रेत खदान घोषित करने के संबंध में तहसीलदार घोड़ाडोंगरी /खनि निरीक्षक बैतूल/खनि सहायक मानचित्रकार बैतूल से प्रतिवेदन/अभिमत प्राप्त किये गये। नायब तहसीलदार घोड़ाडोंगरी (चौपना वृत्त) के पत्र क्र.0127 ब/121 वर्ष 2019 –20 आदेश पत्रिका दिनांक 23.11.2019 के अनुसार राजस्व निरीक्षक/हल्का पटवारी से निर्धारित प्रारूपों में जानकारी प्राप्त कर प्रकरण में संलग्न किया गया है। नायब तहसीलदार द्वारा लेख किया गया है कि हल्का पटवारी/राजस्व निरीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार प्रस्तावित क्षेत्र ग्राम–झोली–2 खसरा क्रमांक 10 रकबा 6.935 हे0 भूमि प्रस्तावित क्षेत्र से आबादी लगभग 300 मीटर दूर, राष्ट्रीय राजमार्ग/रेल्वे लाईन 30 कि0मी0 दूर, पूल व पुलिया से 100 मी0, वन सीमा से 3 कि0मी0, निकटतम नगरपालिका मुख्यालय से 35 कि0मी0 दूर, स्मारकों एवं संवेदनशील स्थानों से 40 कि0मी0 दूर, प्रतिवेदित किया गया है। प्रस्तुत संलग्नक–4 एवं 23 बिन्दुओं की जानकारी, लाल स्याही से रेखांकित नक्शा, स्थल पंचनामा की मूल प्रति प्रस्तुत की गई है। प्रकरण अनुशंसा सहित आगामी कार्यवाही हेतु खनि अधिकारी बैतूल को प्रेषित किया गया ।

खनि निरीक्षक, बैतूल के जाँच प्रतिवेदन दिनांक 26.11.2019 के अनुसार प्रस्तावित क्षेत्र खसरा क्रमांक 10 रकबा 6.9355 हे0 क्षेत्र पर रेत खनिज उपलब्ध है। प्रस्तावित क्षेत्र से पुल लगभग 100 मी0 दूर, राष्ट्रीय/राजमार्ग/रेल्वे लाईन लगभग 30 कि0मी0 दूर है, पंजालय/मांध/ग्रामीण मार्ग/सार्वजनिक संस्थान/सार्वजनिक उपयोग की भूमि/धार्मिक स्थल/मरघट आसपास नही है, आबादी लगभग 300 मीटर दूर स्थित हैं। उक्त प्रस्तावित क्षेत्र भड़ंगा नदी है, प्रस्तावित क्षेत्र से नियमानुसार प्रतिबंधित दूरी छोड़कर उपलब्ध क्षेत्र पर रेत खदान घोषित किये जाने की अनुशंसा की है।

खनि सहायक मानचित्रकार, बैतूल ने प्रतिवेदन दिनांक 03.12.2019 में प्रतिवेदित किया गया है कि तहसील घोड़ाडोंगरी ग्राम–झोली–2 के भड़ंगा नदी की खसरा क्रमांक 10 रकबा 6.935 हे0 में से 2.450 हे0 क्षेत्र उपलब्ध होता है तथा राजस्व पटवारी नक्शे में लाल स्याही से चिन्हांकित किया गया है।

मध्यप्रदेश रेत (खनन,परिवहन, भण्डारण एवं व्यापार) नियम,2019 में वन विभाग से अनुशंसा का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। विभागीय VC दिनांक 15.11.2019 के दौरान शासन स्तर एवं संभागस्तरीय स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा निर्देशित किया कि SEIAA की अनुमति के दौरान वन विभाग से अनुशंसा प्राप्त करेंगे।

अतः उपरोक्त जाँच प्रतिवेदनों एवं ग्रामसभा में पारित प्रस्ताव के आधार पर मध्यप्रदेश रेत (खनन, परिवहन, भण्डारण एवं व्यापार) नियम, 2019 के नियम 5 (1) एवं (2) के तहत ग्राम–झोली–2 के भड़ंगा नदी के खसरा क्रमांक 10 रकबा 6.935 हे0 में से रकबा 2.450 हे0 क्षेत्र पर खनिज रेत की नई खदान घोषित की जाती है।

(कलेक्टर महोदयाद्वारा अनुमोदित)

जिला खनि अधिकारी,
बैतूल

बैतूल, दिनांक 07/12/2019

पृ0क्रमांक/खदि0–2/2019/2021(A)

प्रतिलिपि–

1. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित।
2. कार्यपालक संचालक, मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम, पर्यावास भवन, भोपाल को सादर सूचनार्थ।
3. संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. उपसंचालक, उत्तर बैतूल(सम) उपसंचालक।
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत बैतूल को सूचनार्थ प्रेषित।
6. अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व) शाहपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
7. तहसीलदार, घोड़ाडोंगरी ।
8. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत घोड़ाडोंगरी को सूचनार्थ ।
9. खनि निरीक्षक/ खनि सर्वेयर/खनि सहायक मानचित्रकार बैतूल।
10. खनि शाखा–2 खनिज कार्यालय बैतूल ।
11. सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत–झोली जनपद पंचायत घोड़ाडोंगरी जिला बैतूल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

जिला खनि अधिकारी,
बैतूल

कार्यालय कलेक्टर (खनिज-शाखा) बैतूल

-: संशोधित आदेश :-

क्रमांक/खनिज-2/2019/2055(A) बैतूल, दिनांक 07/12/2019

संदर्भ, ग्राम पंचायत सीवनघाट जनपद पंचायत घोड़ाडोंगरी जिला बैतूल द्वारा ग्रामसभा दिनांक 26.01.2019 में प्रस्ताव क्रमांक 05 पारित कर प्रस्ताव की प्रतिलिपि प्रस्तुत किया है, जिसके अनुसार ग्राम-कटंगी तहसील घोड़ाडोंगरी के माता मंदिर नाला के खा.क्र. 149 रकबा 2.493 हे0 में से रकबा 0.621 हे0 की नई रेत खदान घोषित करने का लेख किया गया है।

उपरोक्त प्राप्त प्रस्ताव पर नई रेत खदान घोषित करने के संबंध में तहसीलदार घोड़ाडोंगरी/खनि निरीक्षक बैतूल/खनि सहायक भान्धिक्रमार बैतूल से प्रतिवेदन/अभिमत प्राप्त किये गये। तत्पश्चात तहसीलदार घोड़ाडोंगरी(कोन्ना वृत्त) के क्र.मा.अ.0445/क-121 वर्ष 2018-19 आदेश दिनांक 29.03.2019 के अनुसार राजस्व निरीक्षक/हल्का पटवारी से निर्धारित प्रारूपों में जानकारी प्राप्त कर प्रकरण में संलग्न किया गया है। हल्का पटवारी प्रतिवेदन अनुसार ग्राम-कटंगी स्थित शासकीय भूमि खसरा क्रमांक 149 रकबा 2.493 हे0 में से रकबा 0.621 हे0 क्षेत्र मय चट्टी के नीचे जो आवेदित क्षेत्र आबादी से 2 कि0मी0 दूर, राष्ट्रीय राजमार्ग से 30 कि0मी0 दूर, पुल, रेलवे लाईन से 8 कि0मी0 दूर तथा सार्वजनिक स्थल जैसे-मंदिर,मस्जिद,कब्रस्तान से 9 कि0मी0 दूर तथा निकटतम नगरपालिका मुख्यालय से लगभग 18 कि0मी0 दूर होना प्रतिवेदित किया गया है। प्रस्तुत सांलग्नक-4 एवं 23 बिन्दुओं की जानकारी, खान स्थली से रेखांकित नक्शा, स्थान चंक्रमण की मूल प्रति प्रस्तुत कर प्रकरण अनुशंसा सहित आगामी कार्यवाही हेतु खनि अधिकारी बैतूल को प्रेषित किया गया है।

खनि निरीक्षक, बैतूल के जॉच प्रतिवेदन दिनांक 26.11.2019 के अनुसार आवेदित क्षेत्र खसरा क्रमांक 149 रकबा 2.493 हे0 में से 0.621 हे0 क्षेत्र पर खनिज रेत उपलब्ध है। आवेदित क्षेत्र से पुल लगभग 5 किलोमीटर दूर है, राष्ट्रीय/राजमार्ग लगभग 30 कि0मी0 दूर है, रेलवे लाईन लगभग 8 कि0मी0 दूर है, जलाशय/बांध आवास नही है, ट्रान्सिम कार्य लगा हुआ है, सार्वजनिक संस्थान लगभग 9 कि0मी0 दूर है, आबादी लगभग 2 कि. मी. दूर है। सार्वजनिक उपयोग की भूमि लगभग 08 कि.मी. दूर है। धार्मिक स्थल एवं मरघट लगभग 9 किलोमीटर दूर है। उक्त आवेदित क्षेत्र माता है, आवेदित क्षेत्र से नियमानुसार प्रतिबंधित दूरी छोड़कर उपलब्ध क्षेत्र पर रेत खदान घोषित किये जाने की अनुशंसा की है।

खनि सहायक भान्धिकार, बैतूल ने प्रतिवेदन दिनांक 02.12.2019 में प्रतिवेदित किया है कि तहसील घोड़ाडोंगरी ग्राम-कटंगी के माता मंदि नाला के खसरा क्रमांक 149 रकबा 2.493 हे0 में से 0.621 हे0. क्षेत्र पर नई रेत खदान घोषित किये जाने हेतु क्षेत्र उपलब्ध होना है राजस्व पटवारी नाले में लाल स्थाही से चिन्हांकित किया गया है।

मध्यप्रदेश रेत (खनन,परिवहन, भण्डारण एवं व्यापार) नियम,2019 में वन विभाग से अनुशंसा का कोई प्रावधान नही दिया गया है। विभागीय VC दिनांक 15.11.2019 के दौरान शासन स्तर एवं संचालनालय स्तर से प्राप्त अधिकारियो द्वारा निर्देशित किया कि SEIAA की अनुमति के दौरान वन विभाग से अनुशंसा प्राप्त करेंगे।

अतः उपरोक्त जॉच प्रतिवेदनों एवं शासन में पारित प्रावधान के आधार पर मध्यप्रदेश रेत (खनन, परिवहन, भण्डारण एवं व्यापार) नियम, 2019 के नियम 5 (1)(एच2) के तहत ग्राम-कटंगी के माता मंदिर नाला के खसरा क्रमांक 149 रकबा 2.493 हे0 में से रकबा 0.621 हे0 क्षेत्र पर खनिज रेत की नई खदान घोषित की जाती है।

(कलेक्टर महोदया अनुमोदित)

जिला खनि अधिकारी,
बैतूल

बैतूल, दिनांक 07/12/2019

पृ0क्रमांक/खनिज-2/2019/2055(A)

प्रतिलिपि:-

1. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित।
2. कार्यपालक संचालक, मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम, पर्यावास भवन, भोपाल की सादर सूचनार्थ।
3. संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. वनमण्डलाधिकारी, उत्तर बैतूल(सा0) वनमंडल।
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत बैतूल को सूचनार्थ प्रेषित।
6. अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व) शाहपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
7. तहसीलदार, घोड़ाडोंगरी ।
8. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत घोड़ाडोंगरी को सूचनार्थ ।
9. खनि निरीक्षक/ खनि सर्वेयर/खनि सहायक भान्धिकार बैतूल।
10. खनि शाखा-2 खनिज कार्यालय बैतूल ।
11. सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत-सीवनघाट जनपद पंचायत घोड़ाडोंगरी जिला बैतूल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

जिला खनि अधिकारी,
बैतूल

कार्यालय कलेक्टर (खनिज–शाखा) बैतूल

–: संशोधित आदेश :–

क्रमांक/खशि0–2/2019/2022(A) बैतूल, दिनांक 07/12/2019

सरपंच, ग्राम पंचायत **बटकीडोह** जनपद पंचायत घोड़ाडोंगरी जिला बैतूल द्वारा ग्रामसभा दिनांक 29.05.2018 में प्रस्ताव क्रमांक 01 पारित कर प्रस्ताव की प्रतिलिपि सहित प्रस्तुत किया है,जिसके अनुसार ग्राम–**धरमपुर** तहसील घोड़ाडोंगरी के भड़ंगा नदी के खा.प्र. 309 रकबा 19.030 हे0 में से रकबा 9.560 हे0 की नई रेत खदान घोषित करने का लेख किया गया है।

उपरोक्त प्राप्त प्रस्ताव पर नई रेत खदान घोषित करने के संबंध में तहसीलदार घोड़ाडोंगरी/खनि निरीक्षक बैतूल/खनि सहायक भानचित्रकार बैतूल से प्रतिवेदन/अभिमत प्राप्त किये गये। माननीय तहसीलदार घोड़ाडोंगरी (घोषणा पूर्व) के रा.प.अ. क्र.0129 ब/121 वर्ष 2019–20 आदेश पत्रिका दिनांक 23.11.2019 के अनुसार राजस्व निरीक्षक/हल्का पटवारी से निर्धारित प्रारूपों में जानकारी प्राप्त कर प्रकरण में संलग्न किया गया है। माननीय तहसीलदार द्वारा लेख किया गया है कि हल्का पटवारी/राजस्व निरीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार प्रस्तावित क्षेत्र ग्राम–**धरमपुर** खसरा क्रमांक 309 रकबा 19.030 हे0 में से रकबा 1.460 हे0 भूमि प्रस्तावित क्षेत्र से आबादी लगभग 350 मीटर दूर, राष्ट्रीय राजमार्ग से 35 कि0मी0 दूर, रेल्वे लाईन से 30 कि0 मी0 दूर, पुल व पुलिया से 100 मीटर दूर, ग्रामीण कच्चे रास्ते से 100 मीटर दूर, अन्य सार्वजनिक स्थल जैसे–मंदिर, मस्जिद, कब्रस्तान से 400 मीटर दूर, वन सीमा से लगा हुआ क्षेत्र है, निकटतम नगरपालिका मुख्यालय से 35 कि0मी0 दूर, स्मारकों एवं संवेदनशील स्थलों से 20 कि0मी0 दूर स्थित हैं। निकटतम व्यापारिक खदानों से 20 कि0मी0 दूर हैं। माननीय तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत संलग्नक–4 एवं 23 बिन्दुओं की जानकारी, खसरा स्याही से रेखांकित मौका, स्थल पंचनामा की मूल प्रति प्रस्तुत की गई हैं। प्रकरण अनुशंसा सहित आगामी कार्यवाही हेतु खनि अधिकारी बैतूल को प्रेषित किया गया है।

खनि निरीक्षक, बैतूल के जॉच प्रतिवेदन दिनांक 22.09.2018 के अनुसार आवेदित क्षेत्र खसरा क्रमांक 309 रकबा 19.030 हे0 क्षेत्र पर पर्याप्त मात्रा में खनिज रेत उपलब्ध है। आवेदित क्षेत्र से पुल लगा हुआ है, राष्ट्रीय/राजमार्ग लगभग 15 कि0मी0 दूर स्थित है, रेल्वे लाईन लगभग 10 कि0मी0 दूर स्थित है, आवेदित क्षेत्र नदी है, जलाशय/बांध लगभग 01 कि0मी0 की दूरी पर है, ग्रामीण मार्ग एवं पक्की सड़क लगी हुई है, आबादी लगभग 200 मीटर दूर स्थित है। सार्वजनिक उपयोग की भूमि 500 मीटर दूर, धार्मिक स्थल एवं मरघट 100 मीटर के भीतर नहीं है, उक्त आवेदित क्षेत्र भड़ंगा नदी का भाग है, जिसमें खनिज रेत उपलब्ध है, आवेदित क्षेत्र से नियमानुसार प्रतिबंधित दूरी छोड़कर उपलब्ध क्षेत्र पर रेत खदान घोषित किये जाने की अनुशंसा की है।

खनि सहायक भानचित्रकार, बैतूल ने प्रतिवेदन दिनांक 04.12.2019 में प्रतिवेदित किया गया है कि तहसील घोड़ाडोंगरी ग्राम–**धरमपुर** के भड़ंगा नदी के खसरा क्रमांक 309 रकबा 19.030 हे0 में से रकबा 1.460 हे0 क्षेत्र उपलब्ध होता है तथा राजस्व पटवारी नक्शे में खसरा स्याही से चिन्हांकित किया गया है।

मध्यप्रदेश रेत (खनन,परिवहन, भण्डारण एवं व्यापार) नियम,2019 में वन विभाग से अनुशंसा का कोई प्रावधान नहीं दिया गया है। विभागीय VC दिनांक 15.11.2019 के दौरान शासन स्तर एवं संचालनालय स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा निर्देशित किया कि SEIAA की अनुमति के दौरान वन विभाग से अनुशंसा प्राप्त करेंगे।

अतः उपरोक्त जॉच प्रतिवेदनों एवं प्रावधान में पारित प्रस्ताव के आधार पर मध्यप्रदेश रेत (खनन, परिवहन, भण्डारण एवं व्यापार) नियम, 2019 के नियम 5 (1) एवं (2) के तहत ग्राम–**धरमपुर** के भड़ंगा नदी के खसरा क्रमांक 309 रकबा 19.030 हे0 में से रकबा 1.460 हे0 क्षेत्र पर खनिज रेत की नई खदान घोषित की जाती है।

(कलेक्टर महोदयद्वारा अनुमोदित)

जिला खनि अधिकारी,
बैतूल

बैतूल, दिनांक 07/12/2019

पृ0क्रमांक/खशि0–2/2019/2022(A)

प्रतिलिपि–

1. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित।
2. कार्यपालक संचालक, मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम, पर्यावास भवन, भोपाल को सादर सूचनार्थ।
3. संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. वनमण्डलाधिकारी, उत्तर बैतूल(सा0) वनमंडल।
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत बैतूल को सूचनार्थ प्रेषित।
6. अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व) शाहपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
7. तहसीलदार, घोड़ाडोंगरी ।
8. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत घोड़ाडोंगरी को सूचनार्थ ।
9. खनि निरीक्षक/ खनि सर्वेयर/खनि सहायक भानचित्रकार बैतूल।
10. खनि शाखा–2 खनिज कार्यालय बैतूल ।
11. सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत–बटकीडोह जनपद पंचायत घोड़ाडोंगरी जिला बैतूल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

जिला खनि अधिकारी,
बैतूल

कार्यालय कलेक्टर (खनिज–शाखा) बैतूल

:: संशोधित आदेश ::

क्रमांक/खा0लि0–2/2019/2054(A) बैतूल, दिनांक 07/12/2019

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,जनपद पंचायत घोड़ाडोंगरी का पत्र क्रमांक/ज.प./पंचा./प्र.पो./2018/1622 दिनांक 15.02.2018 के संलग्न सरपंच, ग्राम पंचायत सातलदेही जनपद पंचायत घोड़ाडोंगरी जिला बैतूल द्वारा ग्रामसभा दिनांक 15.12.2017 में प्रस्ताव क्रमांक 04 पारित कर प्रस्ताव की प्रतिलिपि पत्र दिनांक 18.12.2017 सहित प्रस्तुत किया है, जिसके अनुसार ग्राम–सातलदेही तहसील घोड़ाडोंगरी के लोहार नदी के खा.क्र. 187 एवं 251 कुल रकबा 21.493 हे0 को नई रेत खदान घोषित करने का लेख किया गया है।

उपरोक्त प्राप्त प्रस्ताव पर नई रेत खदान घोषित करने के संबंध में तहसीलदार घोड़ाडोंगरी/खनि निरीक्षक बैतूल/खनि सहायक मानचित्रकार बैतूल से प्रतिवेदन/अभिमत प्राप्त किये गये। नायब तहसीलदार घोड़ाडोंगरी(प्रभारी पृथक) के रा.मा.क.0130/ब–121 वर्ष 2019–20 आदेश पत्रिका दिनांक 23.11.2019 के अनुसार राजस्व निरीक्षक/हल्का पटवारी से निर्धारित प्रारूपों में जानकारी प्राप्त कर प्रकरण में संलग्न किया गया है। नायब तहसीलदार द्वारा लेख किया गया है कि हल्का पटवारी/राजस्व निरीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार आवेदित भूमि ग्राम–सातलदेही खा.क्र.187 एवं 251 क्रमशःरकबा 10.789, 10.644 में से 3.700, 2.400 हे0 भूमि आवेदित भूमि आबादी से लगभग 500 मीटर दूर,राष्ट्रीय राजमार्ग से 18 कि0मी0 दूर, रेल्वे लाईन से 18 कि0 मी0 दूर,ग्रामीण कच्चे रास्ते से 500 मीटर दूर, वन विभाग रोपा से 2 कि0मी0 दूर,निकटतम नगरपालिका मुख्यालय से 35 कि0मी0 दूर,स्मारकों एवं संवेदनशील स्थलों से 100 मीटर दूर, प्रतिवेदित किया गया है। प्रस्तुत संलग्नक–4 एवं 23 बिन्दुओं की जानकारी, स्थल स्थिति से रेखांकित नक्शा, स्थल पंचनामा की मूल प्रति प्रस्तुत की गई है। प्रकरण अनुशंसा सहित आगामी कार्यवाही हेतु खनि अधिकारी बैतूल को प्रेषित किया गया है।

खनि निरीक्षक, बैतूल के जॉच प्रतिवेदन दिनांक 23.03.2019 के अनुसार आवेदित क्षेत्र खसरा क्रमांक 187 एवं 251 क्रमशः रकबा 10.789, 10.644 में से 3.700, 2.400 हे0 कुल रकबा 10.641 हे0 क्षेत्र पर प्रचुर मात्रा में रेत खनिज उपलब्ध है। पुल प्रस्तावित क्षेत्र पर स्थित है, राष्ट्रीय/राजमार्ग लगभग 10 कि0मी0 दूर स्थित है, रेल्वे लाईन लगभग 09 कि0मी0 दूर है,नदी पर प्रस्तावित क्षेत्र स्थित है, लगभग 300 मी0 दूरी पर उत्तरांचल स्थित है, ग्रामीण मार्ग लगा हुआ है, सार्वजनिक संस्थान 100 मी0 की परिधि में नहीं है, आबादी लगभग 200 मीटर दूर स्थित है। सार्वजनिक उपयोग की भूमि शवदाह गृह आवेदित क्षेत्र से लगा हुआ है, धार्मिक स्थल 100 मीटर के भीतर नहीं है, बरगट लगा हुआ है। उक्त प्रस्तावित क्षेत्र लोहार नदी है, प्रस्तावित क्षेत्र से नियमानुसार प्रतिबंधित दूरी छोड़कर उपलब्ध क्षेत्र पर रेत खदान घोषित किये जाने की अनुशंसा की है।

खनि सहायक मानचित्रकार, बैतूल ने प्रतिवेदन दिनांक 02.12.2019 में प्रतिवेदित किया है कि तहसील घोड़ाडोंगरी ग्राम–सातलदेही के लोहार नदी के खसरा क्रमांक 187 रकबा 10.789 हे0 में से 3.700 हे0 एवं खसरा क्रमांक 251 रकबा 10.644 हे0 में से 2.400 हे0 कुल दो खसरों का रकबा 6.100 हे0 क्षेत्र पर नई रेत खदान घोषित किये जाने हेतु उपलब्ध होना है राजस्व पटवारी नक्शे में स्थल स्थिति से चिन्हांकित किया गया है।

मध्यप्रदेश रेत (खनन,परिवहन, भण्डारण एवं व्यापार) नियम,2019 में वन विभाग से अनुशंसा का कोई प्रावधान नहीं दिया गया है। विभागीय VC दिनांक 15.11.2019 के दौरान शासन स्तर एवं संचालनालय स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा निर्देशित किया कि SEIAA की अनुमति के दौरान वन विभाग से अनुशंसा प्राप्त करेंगे।

अतः उपरोक्त पॉच प्रतिवेदनों एवं ग्रामसभा में पारित प्रस्ताव के आधार पर मध्यप्रदेश रेत (खनन, परिवहन, भण्डारण एवं व्यापार) नियम, 2019 के नियम 5 (1) एवं (2) के तहत ग्राम–सातलदेही के लोहार नदी के खसरा क्रमांक 187 रकबा 10.789 हे0 में से 3.700 हे0 एवं खसरा क्रमांक 251 रकबा 10.644 हे0 में से रकबा 2.400 हे0 कुल रकबा 6.100 हे0 क्षेत्र पर खनिज रेत की नई खदान घोषित की जाती है।

(कलेक्टर महोदया द्वारा अनुमोदित)

जिला खनि अधिकारी,
बैतूल
बैतूल, दिनांक 07/12/2019

पृ0क्रमांक/खा0लि–2/2019/2054(A)

प्रतिलिपि–

1. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित।
2. कार्यपालक संचालक, मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम, पर्यावास भवन, भोपाल को सादर सूचनार्थ।
3. संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. वनमण्डलाधिकारी, उत्तर बैतूल(सा0) वनमंडल।
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत बैतूल को सूचनार्थ प्रेषित।
6. अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व) शाहपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
7. तहसीलदार, घोड़ाडोंगरी ।
8. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत घोड़ाडोंगरी को सूचनार्थ ।
9. खनि निरीक्षक/ खनि सर्वेयर/खनि सहायक मानचित्रकार बैतूल।
10. खनि शाखा–2 खनिज कार्यालय बैतूल ।
11. सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत–सातलदेही जनपद पंचायत घोड़ाडोंगरी जिला बैतूल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

जिला खनि अधिकारी,
बैतूल

कार्यालय कलेक्टर (खनिज–शाखा) बैतूल

–: संशोधित आदेश :–

क्रमांक / खनि0–2 / 2019 / 2053 (A) बैतूल, दिनांक 07 / 12 / 2019

सरपंच, ग्राम पंचायत बंजारीढाल जनपद पंचायत घोड़ाडोंगरी जिला बैतूल द्वारा ग्रामसभा दिनांक 02.10.2018 में प्रस्ताव क्रमांक 05 पारित कर प्रस्ताव की प्रतिलिपि पत्र दिनांक 22.12.2018 सहित प्रस्तुत किया है, जिसके अनुसार ग्राम–**चिचढोल रैयत** तहसील घोड़ाडोंगरी के भड़गा नदी के ख0क्र. 30 रकबा 16.641 हे0 में से रकबा 4.800 हे0 को नई रेत खदान घोषित करने का लेख किया गया है।

उपरोक्त प्राप्त प्रस्ताव पर नई रेत खदान घोषित करने के संबंध में तहसीलदार घोड़ाडोंगरी / खनि निरीक्षक बैतूल / खनि सहायक मानचित्रकार बैतूल से प्रतिवेदन / अभिमत प्राप्त किये गये। नायब तहसीलदार घोड़ाडोंगरी के रा.मा. प्र.0128 ब / 121 वर्ष 2019 आदेश पत्रिका दिनांक 23.11.2019 के अनुसार राजस्व निरीक्षक / हल्का पटवारी से निर्धारित प्रारूपों में जानकारी प्राप्त कर प्रकरण में संलग्न किया गया है। नायब तहसीलदार द्वारा लेख किया गया है कि हल्का पटवारी / राजस्व निरीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार आवेदित भूमि ग्राम–**चिचढोल रैयत** खसरा क्रमांक 30 हे0 रकबा 16.641 हे0 में से रकबा 4.800 हे0 भूमि आबादी से लगभग 800 मीटर दूर, राष्ट्रीय राजमार्ग से 18 कि0मी0 दूर, रेल्वे लाईन से 15 कि0 मी0 दूर, अन्य सार्वजनिक स्थल जैसे–मंदिर, मस्जिद, कब्रस्तान(रमघाट) से 100 मीटर दूर, निकटतम नगरपालिका मुख्यालय से 35 कि0मी0 दूर, स्मारकों एवं संवेदनशील स्थलों से 3 कि0मी0 दूर स्थित है। प्रस्तुत संलग्नक–4 एवं 23 बिन्दुओं की जानकारी, लाल स्याही से रेखांकित नक्शा, स्थल पंचनामा की मूल प्रति प्रस्तुत की गई है। प्रकरण अनुशंसा सहित आगामी कार्यवाही हेतु खनि अधिकारी बैतूल को प्रेषित किया गया है।

खनि निरीक्षक, बैतूल के जॉच प्रतिवेदन दिनांक 26.11.2019 के अनुसार आवेदित क्षेत्र खसरा क्रमांक 30 रकबा 16.641 हे0 में से रकबा 4.800 हे0 क्षेत्र पर पर्याप्त मात्रा में रेत खनिज उपलब्ध है। आवेदित क्षेत्र से पुल आसपास नहीं है। राष्ट्रीय / राजमार्ग लगभग 18 कि0मी0 दूर स्थित है। रेल्वे लाईन लगभग 15 कि0मी0 दूर है। जलाशय / बांध आस–पास नहीं है, प्रादेशिक मार्ग आसपास नहीं है, सार्वजनिक संस्थान आसपास नहीं है। आबादी लगभग 800 मीटर दूर स्थित है। सार्वजनिक उपयोग की भूमि आसपास नहीं है। धार्मिक स्थल एवं मरघट लगभग 100 मीटर दूर है, उक्त आवेदित क्षेत्र भड़गा नदी है, जिसमें खनिज रेत उपलब्ध है, आवेदित क्षेत्र से निम्नानुसार प्रतिबंधित दूरी छोड़कर उपलब्ध क्षेत्र पर रेत खदान घोषित किये जाने की अनुशंसा की है।

खनि सहायक मानचित्रकार, बैतूल ने प्रतिवेदन दिनांक 03.12.2019 में प्रतिवेदित किया है कि तहसील घोड़ाडोंगरी ग्राम–**चिचढोल रैयत** के भड़गा नदी के खसरा क्रमांक 30 रकबा 16.641 हे0 में से रकबा 4.800 हे0 क्षेत्र पर नई रेत खदान घोषित किये जाने हेतु क्षेत्र उपलब्ध होता है राजस्व पटवारी नक्शे में लाल स्याही से चिन्हांकित किया गया है।

मध्यप्रदेश रेत (खनन,परिवहन, भण्डारण एवं व्यापार) नियम,2019 में वन विभाग से अनुशंसा का कोई प्रावधान नहीं दिया गया है। विभागीय VC दिनांक 15.11.2019 के दौरान शासन स्तर एवं संचालनालय स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा निर्देशित किया कि SEIAA की अनुमति के दौरान वन विभाग से अनुशंसा प्राप्त करेंगे।

अतः उपरोक्त जॉच प्रतिवेदनों एवं ग्रामसभा में पारित प्रस्ताव के आधार पर मध्यप्रदेश रेत (खनन, परिवहन, भण्डारण एवं व्यापार) नियम, 2019 के नियम 6(1)एवं (2) के तहत ग्राम–**चिचढोल रैयत** के भड़गा नदी के ख.क्र.30 रकबा 16.641 हे0 में से रकबा 4.800 हे0 क्षेत्र पर खनिज रेत की नई खदान घोषित की जाती है।

(कलेक्टर महोदया द्वारा अनुमोदित)

7/12/19
जिला खनि अधिकारी,
बैतूल

बैतूल, दिनांक 07 / 12 / 2019

पृ0क्रमांक / खनि0–2 / 2019 / 2053

प्रतिलिपि–

1. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित।
2. कार्यपालक संचालक, मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम, पर्यावास भवन, भोपाल को सादर सूचनार्थ।
3. संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. वनमण्डलाधिकारी, उत्तर बैतूल(सा0) वनमंडल।
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत बैतूल को सूचनार्थ प्रेषित।
6. अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व) शाहपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
7. तहसीलदार, घोड़ाडोंगरी ।
8. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत घोड़ाडोंगरी को सूचनार्थ ।
9. खनि निरीक्षक / खनि सर्वेयर / खनि सहायक मानचित्रकार बैतूल।
10. खनि शाखा–2 खनिज कार्यालय बैतूल ।
11. सरपंच / सचिव ग्राम पंचायत–**बंजारीढाल** जनपद पंचायत घोड़ाडोंगरी जिला बैतूल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

7/12/19
जिला खनि अधिकारी,
बैतूल

कार्यालय कलेक्टर (खनिज–शाखा) बैतूल

–: संशोधित आदेश :–

क्रमांक/ख0लि0–2/2023/929 बैतूल, दिनांक 25/05/2023

कार्यालयीन आदेश क्रमांक/खनिज–2/2023/350 दिनांक 22.02.2023 को गठित दल द्वारा पूर्व घोषित रेत खदान ग्राम–दौड़ी/मालवर तहसील–शाहपुर/घोड़ाडोंगरी खसरा क्रमांक 01 के भाग रकबा 6.250 हेक्टेयर एवं ग्राम–मालवर तहसील घोड़ाडोंगरी खसरा क्रमांक 38 के भाग रकबा 7.800 हेक्टेयर कुल रकबा 14.050 हेक्टेयर क्षेत्र के संबंध में खनि निरीक्षक, बैतूल एवं सहायक मानचित्रकार द्वारा प्रतिवेदन, मौका पंचनामा एवं संशोधित नक्शा प्रस्तुत कर प्रतिवेदन दिनांक 25.03.2023 में बिन्दुवार लेख किया गया है कि :–

(1) उक्त स्वीकृत रेत खदान दो तहसील शाहपुर एवं घोड़ाडोंगरी क्षेत्र अन्तर्गत आती है।
(2) उक्त रेत खदान 250 मीटर की परिधि में वन सीमा,ग्रामीण आबादी, सार्वजनिक/धार्मिक स्थल मौजूद नही है।
(3) उक्त खदान क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में खनिज रेत उपलब्ध है जिसकी औसत गहराई 1.890 मीटर है।

उक्त रेत खदान को पृथक–पृथक तहसील में विभाजित किया जाकर खदान का रकबा संशोधित किया जाना प्रस्तावित है, प्रतिवेदित किया गया है।

अतः खनि निरीक्षक, बैतूल के लॉग प्रतिवेदन एवं सहायक मानचित्रकार के प्रतिवेदन तथा संशोधित नक्शा के आधार पर पूर्व घोषित रेत खदान को निम्नानुसार तहसीलवार पृथक किया जाता है।

(1) ग्राम–दौड़ी तहसील शाहपुर के खसरा क्रमांक 01 के भाग रकबा 6.250 हेक्टेयर
(2) ग्राम–मालवर तहसील घोड़ाडोंगरी खसरा क्रमांक 38 के भाग रकबा 7.800 हेक्टेयर

(कलेक्टर महोदयद्वारा अनुमोदित)

अपर कलेक्टर
बैतूल

बैतूल, दिनांक 25/05/2023

पृष्ठक्रमांक/ख0लि0–2/2023/929

प्रतिलिपि:–

1. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित।
2. कार्यपालक संचालक, मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम, पर्यावास भवन,भोपाल को सादर सूचनार्थ।
3. संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. वनमण्डलाधिकारी, उत्तर बैतूल (सा0) वनमंडल।
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत बैतूल को सूचनार्थ प्रेषित।
6. अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व) शाहपुर की ओर सूचनार्थ।
7. तहसीलदार, शाहपुर /घोड़ाडोंगरी की ओर सूचनार्थ ।
8. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत शाहपुर /घोड़ाडोंगरी को सूचनार्थ।
9. खनि निरीक्षक/खनि सर्वेयर/खनि सहायक मानचित्रकार बैतूल।
10. सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत–चुण्डी जनपद पंचायत शाहपुर जिला बैतूल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
11. सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत–खामा जनपद पंचायत घोड़ाडोंगरी जिला बैतूल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

अपर कलेक्टर
बैतूल

Lot.15

कार्यालय कलेक्टर (खनिज–शाखा) बैतूल

-: संशोधित आदेश :-

क्रमांक/खo लि०–2/2023/931 बैतूल, दिनांक 25/05/2023

कार्यालयीन आदेश क्रमांक/खनिज–2/2023/350 दिनांक 22.02.2023 को गठित दल द्वारा पूर्व घोषित रेत खदान ग्राम–शाहपुर/पतौवापुरा तहसील–शाहपुर खसरा क्रमांक 01, 112 कुल रकबा 11.000 हेक्टेयर क्षेत्र के संबंध मे खनि निरीक्षक, बैतूल एवं सहायक मानचित्रकार द्वारा प्रतिवेदन, मौका पंचनामा एवं संशोधित नक्शा प्रस्तुत कर प्रतिवेदन दिनांक 25.02.2023 में बिन्दुवार लेख किया गया है कि:–

(1) उक्त रेत खदान से रेल्वे लाईन लगभग 02 कि.मी. ग्रामीण आबादी लगभग 270 मीटर दूर स्थित है।

(2) रेत खदान से 250 मीटर की परिधि में वन सीमा स्थित नही है।

(3) उक्त रेत खदान में पर्याप्त मात्रा में खनिज रेत उपलब्ध है जिसकी औसत गहराई 1.800 मीटर है। उक्त रेत खदान के ऊपरी सिरे से एन.एच.69 का नवीन पुल निर्माणाधीन है। रेत खदान का रकबा संशोधित किया जाना प्रस्तावित है, प्रतिवेदित किया गया है।

अतः खनि निरीक्षक, बैतूल के उपरोक्त जाँच प्रतिवेदन, मौका पंचनामा एवं सहायक मानचित्रकार के प्रतिवेदन तथा संशोधित नक्शा के आधार पर पूर्व घोषित रेत खदान ग्राम–शाहपुर तहसील शाहपुर के खसरा क्रमांक 01 रकबा 5.000 हेक्टेयर एवं ग्राम पतौवापुरा खसरा क्रमांक 112 के भाग 6.000 हेक्टेयर कुल रकबा 11.000 हेक्टेयर क्षेत्र के स्थान पर संशोधित रेत खदान ग्राम पतौवापुरा खसरा क्रमांक 112 रकबा 1.820 हेक्टेयर किया जाता है।
(कलेक्टर महो० द्वारा अनुमोदित)

अपर कलेक्टर
बैतूल

बैतूल, दिनांक 25/05/2023

पृ०क्रमांक/खo लि०–2/2023/931

प्रतिलिपिः–

1. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित।
2. पर्यवेक्षक संचालक, मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम, पर्यावास भवन,भोपाल को सादर सूचनार्थ।
3. संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. वनमण्डलाधिकारी, उत्तर बैतूल (सा०) वनमंडल।
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत बैतूल को सूचनार्थ प्रेषित।
6. अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व) शाहपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
7. तहसीलदार, शाहपुर की ओर सूचनार्थ ।
8. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत शाहपुर को सूचनार्थ ।
9. खनि निरीक्षक/ खनि सर्वेयर/खनि सहायक मानचित्रकार बैतूल।
10. मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपरिषद शाहपुर जिला बैतूल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

अपर कलेक्टर
बैतूल

Let.15

कार्यालय कलेक्टर (खनिज–शाखा) बैतूल

–: संशोधित आदेश :–

क्रमांक/खनि0–2/2023/930 बैतूल, दिनांक 25/05/2023

कार्यालयीन आदेश क्रमांक/खनिज–2/2023/350 दिनांक 22.02.2023 को गठित दल द्वारा पूर्व घोषित रेत खदान ग्राम–बाकुड़ तहसील घोड़ाडोंगरी खसरा क्रमांक 35 रकबा 2.700 हेक्टेयर क्षेत्र के संबंध में खनि निरीक्षक, बैतूल एवं सहायक मानचित्रकार द्वारा प्रतिवेदन, मौका पंचनामा एवं संशोधित नक्शा प्रस्तुत कर प्रतिवेदन दिनांक 04.05.2023 में बिन्दुवार लेख किया गया है कि–

(1) उक्त स्वीकृत रेत खदान क्षेत्र के मध्य भाग पर ब्रिज निर्मित है एवं स्वीकृत रेत खदान क्षेत्र के पूर्वी भाग पर भी ब्रिज निर्मित होना पाया गया।

(2) उक्त रेत खदान क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में खनिज रेत उपलब्ध है जिसकी औसत गहराई 1.2 मीटर है।

नियमानुसार प्रतिबंधित दूरियां छोड़ने के उपरांत एवं सहायक मानचित्रकार से क्षेत्र उपलब्धता संबंधी प्रतिवेदन प्राप्त किया जाकर उक्त खदान का रकबा संशोधित किया जाना प्रस्तावित है, प्रतिवेदित किया गया है।

अतः खनि निरीक्षक,बैतूल के उपरोक्त जाँच प्रतिवेदन एवं सहायक मानचित्रकार के प्रतिवेदन तथा संशोधित नक्शा के आधार पर पूर्व घोषित रेत खदान ग्राम–बाकुड़ तहसील घोड़ाडोंगरी के खसरा क्रमांक 35 रकबा 2.700 हेक्टेयर के स्थान पर संशोधित रकबा 0.500 हेक्टेयर किया जाता है।

(कलेक्टर महो0 द्वारा अनुमोदित)

अपर कलेक्टर
बैतूल

बैतूल, दिनांक 25/05/2023

पृ0क्रमांक/खनि0–2/2023/930

प्रतिलिपिः–

1. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित।
2. कार्यपालक संचालक, मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम, पर्यावास भवन,भोपाल को सादर सूचनार्थ।
3. संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. वनमण्डलाधिकारी, उत्तर बैतूल (ला0) वनमंडल।
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत बैतूल को सूचनार्थ प्रेषित।
6. अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व) शाहपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
7. तहसीलदार, घोड़ाडोंगरी की ओर सूचनार्थ ।
8. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत घोड़ाडोंगरी को सूचनार्थ।
9. खनि निरीक्षक/ खनि सर्वेयर/खनि सहायक मानचित्रकार बैतूल।
10. सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत–बाकुड़ जनपद पंचायत बैतूल जिला बैतूल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

अपर कलेक्टर
बैतूल

Let.15

कार्यालय कलेक्टर (खनिज–शाखा) बैतूल

-: संशोधित आदेश :-

क्रमांक/खनि0–2/2023/928 बैतूल, दिनांक 25/05/2023

कार्यालयीन आदेश क्रमांक/खनिज–2/2023/350 दिनांक 22.02.2023 को गठित दल द्वारा पूर्व घोषित रेत खदान ग्राम–बांसपुर/शिवसागर/गौनापुर तहसील घोड़ाडोंगरी ग्राम बांसपुर खसरा क्रमांक 01 रकबा 6.900 हे0 ग्राम–शिवसागर खसरा क्रमांक 01 एवं 288 का रकबा क्रमशः 5.500 हे0 एवं 7.220 हे0 तथा तहसील शाहपुर ग्राम–गौनापुर के खसरा क्रमांक 266 का रकबा 5.350 हे0 कुल रकबा 24.970 हेक्टेयर क्षेत्र के संबंध में खनि निरीक्षक, बैतूल एवं सहायक मानचित्रकार द्वारा प्रतिवेदन, मौका पंचनामा एवं संशोधित नक्शा प्रस्तुत कर प्रतिवेदन दिनांक 12.04.2023 में बिन्दुवार लेख किया गया है कि:–

(1) उक्त स्वीकृत रेत खदान दो तहसील शाहपुर एवं घोड़ाडोंगरी क्षेत्र अन्तर्गत आती है।
(2) उक्त रेत खदान 250 मीटर की परिधि में वन सीमा,ग्रामीण आबादी, सार्वजनिक/धार्मिक स्थल मौजूद नहीं है।
(3) उक्त खदान क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में खनिज रेत उपलब्ध है जिसकी औसत गहराई 2.60 मीटर है।

उक्त रेत खदान को पृथक–पृथक तहसील में विभाजित किया जाकर खदान का रकबा संशोधित किया जाना प्रस्तावित है, प्रतिवेदित किया गया है।

अतः खनि निरीक्षक, बैतूल के जॉच प्रतिवेदन एवं सहायक मानचित्रकार के प्रतिवेदन तथा संशोधित नक्शा के आधार पर पूर्व घोषित रेत खदान को निम्नानुसार तहसीलवार पृथक किया जाता है।

(1) ग्राम–गौनापुर तहसील शाहपुर के खसरा क्रमांक 266 के भाग पूर्व घोषित रकबा 5.350 हेक्टेयर
(2) ग्राम–बांसपुर तहसील घोड़ाडोंगरी खसरा क्रमांक 1 के भाग रकबा 6.900 हेक्टेयर एवं ग्राम–शिवसागर खसरा क्रमांक 1 एवं 288 का रकबा क्रमशः 5.500 हे0 एवं 7.220 हे0 कुल रकबा 19.620 हेक्टेयर ।

(कलेक्टर महो0द्वारा अनुमोदित)

अपर कलेक्टर
बैतूल

बैतूल, दिनांक 25/05/2023

पृष्ठक्रमांक/खनि0–2/2023/928

प्रतिलिपि:–

1. सचिव,मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित।
2. कार्यपालक संचालक, मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम, पर्यावास भवन,भोपाल को सादर सूचनार्थ।
3. संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. वनमण्डलाधिकारी, उत्तर बैतूल (सा0) वनमंडल।
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत बैतूल को सूचनार्थ प्रेषित।
6. अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व) शाहपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
7. तहसीलदार, शाहपुर /घोड़ाडोंगरी की ओर सूचनार्थ।
8. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत शाहपुर/घोड़ाडोंगरी को सूचनार्थ ।
9. खनि निरीक्षक/खनि सर्वेयर/खनि सहायक मानचित्रकार बैतूल।
10. सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत–सिलपटी जनपद पंचायत शाहपुर जिला बैतूल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
11. सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत–बांसपुर/हीरापुर जनपद पंचायत घोड़ाडोंगरी जिला बैतूल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

अपर कलेक्टर
बैतूल

Let.15

कार्यालय कलेक्टर (खनिज–शाखा) बैतूल

:- संशोधित आदेश :-

क्रमांक/खनि0–2/2023/935 बैतूल, दिनांक 25/05/2023

कार्यालयीन आदेश क्रमांक/खनिज–2/2023/350 दिनांक 22.02.2023 को गठित दल द्वारा पूर्व घोषित रेत खदान ग्राम–सोनतलाई तहसील–आमला खसरा क्रमांक 1 कुल रकबा 11.617 हेक्टेयर में से 9.330 हेक्टेयर क्षेत्र के संबंध में खनि निरीक्षक, बैतूल एवं सहायक मानचित्रकार द्वारा प्रतिवेदन, मौका पंचनामा एवं संशोधित नक्शा प्रस्तुत कर प्रतिवेदन दिनांक 18.04.2023 में बिन्दुवार लेख किया गया है कि–

(1) उक्त स्वीकृत रेत खदान दो ग्रामों समरतढाना एवं सोनतलाई में विभक्त है। (राजस्व अभिलेख अनुसार) एवं ग्राम समरतढाना के उत्तरी भाग में स्टाप डेम निर्मित है।
(2) सोनतलाई एवं समरतढाना के मध्य ब्रीज एवं दक्षिणी भाग पर स्टाप डेम निर्मित है।
(3) उक्त रेत खदान क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में खनिज रेत उपलब्ध है जिसकी औसत गहराई 0.400 मीटर है।

नियमानुसार प्रतिबंधित दूरियां छोड़ने के उपरांत एवं सहायक मानचित्रकार से क्षेत्र उपलब्धता संबंधी प्रतिवेदन प्राप्त किया जाकर उक्त खदान का रकबा संशोधित किया जाना प्रस्तावित है, प्रतिवेदित किया गया है।

अतः खनि निरीक्षक, बैतूल के मौका प्रतिवेदन एवं सहायक मानचित्रकार के प्रतिवेदन तथा संशोधित नक्शा के आधार पर पूर्व घोषित रेत खदान ग्राम–सोनतलाई तहसील आमला के खसरा क्रमांक 01 के रकबा 9.330 हेक्टेयर के स्थान पर संशोधित ग्राम समरतढाना खसरा क्रमांक 01 रकबा 4.720 है0 एवं ग्राम सोनतलाई खसरा क्रमांक 01 रकबा 0.920 हेक्टेयर क्षेत्र अर्थात कुल रकबा 5.640 हेक्टेयर किया जाता है।
(कलेक्टर महो0 द्वारा अनुमोदित)

अपर कलेक्टर
बैतूल

पृ0क्रमांक/खनि0–2/2023/935 बैतूल, दिनांक 25/05/2023

प्रतिलिपिः–

1. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित।
2. कार्यपालक संचालक, मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम, पर्यावास भवन, भोपाल को सादर सूचनार्थ।
3. संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. वनमण्डलाधिकारी, दक्षिण बैतूल (सा0) वनमंडल।
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत बैतूल को सूचनार्थ प्रेषित।
6. अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व) मुलताई की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
7. तहसीलदार, आमला की ओर सूचनार्थ ।
8. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत आमला को सूचनार्थ।
9. खनि निरीक्षक/खनि सर्वेयर/खनि सहायक मानचित्रकार बैतूल।
10. सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत–तिरमाहू जनपद पंचायत आमला जिला बैतूल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

अपर कलेक्टर
बैतूल

Let.15

कार्यालय कलेक्टर (खनिज–शाखा) बैतूल

–: संशोधित आदेश :–

क्रमांक/खनि0–2/2023/935 बैतूल, दिनांक 25/05/2023

कार्यालयीन आदेश क्रमांक/खनिज–2/2023/350 दिनांक 22.02.2023 को गठित दल द्वारा पूर्व घोषित रेत खदान ग्राम–सोनतलाई तहसील–आमला खसरा क्रमांक 1 कुल रकबा 11.617 हेक्टेयर में से 9.330 हेक्टेयर क्षेत्र के संबंध में खनि निरीक्षक, बैतूल एवं सहायक मानचित्रकार द्वारा प्रतिवेदन, मौका पंचनामा एवं संशोधित नक्शा प्रस्तुत कर प्रतिवेदन दिनांक 18.04.2023 में बिन्दुवार लेख किया गया है कि:–

(1) उक्त स्वीकृत रेत खदान दो ग्रामों समरतढाना एवं सोनतलाई में विभक्त है। (राजस्व अभिलेख अनुसार) एवं ग्राम समरतढाना के उत्तरी भाग में स्टाप डेम निर्मित है।

(2) सोनतलाई एवं समरतढाना के मध्य ब्रीज एवं दक्षिणी भाग पर स्टाप डेम निर्मित हैं।

(3) उक्त रेत खदान क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में खनिज रेत उपलब्ध है जिसकी औसत गहराई 0.400 मीटर है।

नियमानुसार प्रतिबंधित दूरियां छोड़ने के उपरांत एवं सहायक मानचित्रकार से क्षेत्र उपलब्धता संबंधी प्रतिवेदन प्राप्त किया जाकर उक्त खदान का रकबा संशोधित किया जाना प्रस्तावित है, प्रतिवेदित किया गया है।

अतः खनि निरीक्षक, बैतूल के मौका प्रतिवेदन एवं सहायक मानचित्रकार के प्रतिवेदन तथा संशोधित नक्शा के आधार पर पूर्व घोषित रेत खदान ग्राम–सोनतलाई तहसील आमला के खसरा क्रमांक 01 के रकबा 9.330 हेक्टेयर के स्थान पर संशोधित ग्राम समरतढाना खसरा क्रमांक 01 रकबा 4.720 है0 एवं ग्राम सोनतलाई खसरा क्रमांक 01 रकबा 0.920 हेक्टेयर क्षेत्र अर्थात कुल रकबा 5.540 हेक्टेयर किया जाता है।

(कलेक्टर महो0 द्वारा अनुमोदित)

अपर कलेक्टर
बैतूल

बैतूल, दिनांक 25/05/2023

पृ0क्रमांक/खनि0–2/2023/935

प्रतिलिपि:–

1. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित।
2. कार्यपालक संचालक, मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम, पर्यावास भवन, भोपाल को सादर सूचनार्थ।
3. संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. वनमण्डलाधिकारी, दक्षिण बैतूल (सा0) वनमंडल।
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत बैतूल को सूचनार्थ प्रेषित।
6. अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व) मुलताई की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
7. तहसीलदार, आमला की ओर सूचनार्थ ।
8. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत आमला को सूचनार्थ।
9. खनि निरीक्षक/खनि सर्वेयर/खनि सहायक मानचित्रकार बैतूल।
10. सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत–तिरगढ़ू जनपद पंचायत आमला जिला बैतूल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

अपर कलेक्टर
बैतूल

Let.15

PHOTOGRAPHS

State Level Environment Impact
Assessment Authority, M.P.
(EFCC)
Paryavaran Parisar
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

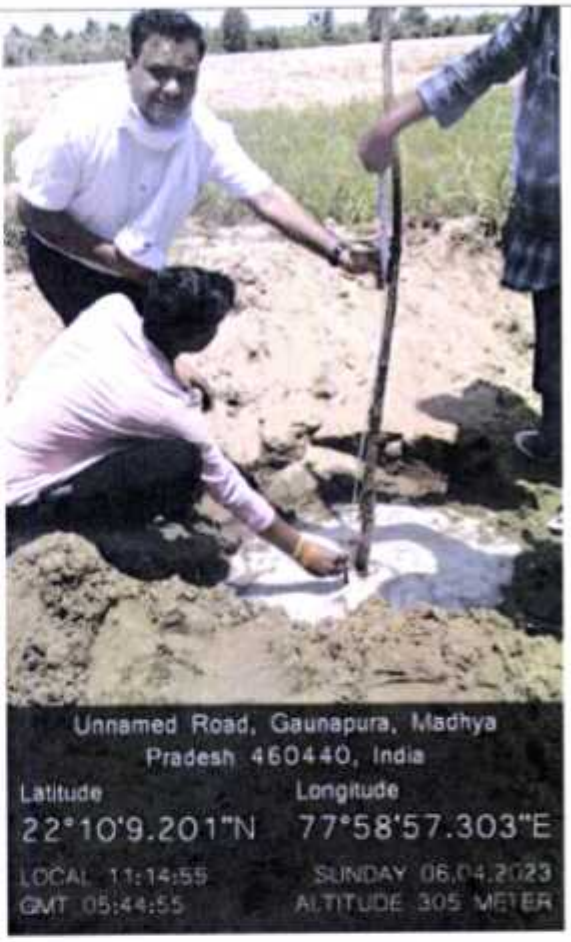

State Level Environment Impact
Assessment Authority, M.P.
(EPCO)
Paryavaran Parisar
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

State Level Environment Impact
Assessment Authority, M.P.
(EFCO)
Paryavaran Parisar
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

State Level Environment Impact
Assessment Authority, M.P.
(EPCO)
Paryavaran Parisar
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

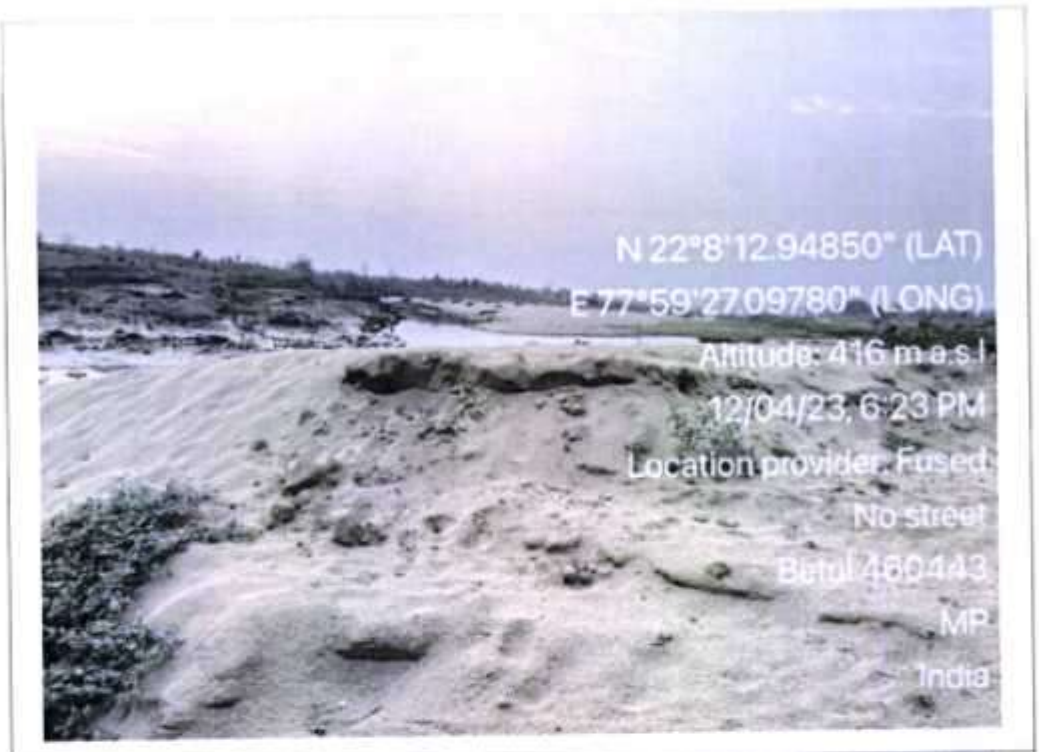

State Level Environment Impact
Assessment Authority, M.P.
(EPCO)
Paryavaran Parisar
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

COMPARISON OF SAND MINES DETAILS FROM OLD DSR IN DISTRICT DETURIA (M.P.)

Sr. No.	Portion of the River or Stream Recommended for Mineral Concession			Old DSR Area in (Ha.)	New DSR Area in (Ha.)	Difference Area in (Ha.)	Old DSR Depth (in m)	NewDSR Depth (in m)	Old DSR Quantity in Cu.m.	New DSR Quantity in Cu.m.	Old DSR Mineable mineral potential 60% (In Cu.m)	New DSR Mineable mineral potential 60% (In Cu.m)	Difference	Remarks/Reason of difference
	River	Village	Khasra No.											
1.	2.	3	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
1	बाकुड़ नदी	बाकुड	35	2.700	0.500	-2.200	0.810	1.200	21875	6000	13125	3600	-9525	प्रतिबंधित क्षेत्र होने से खदान का रकबा संशोधन किया गया (गहराई में परिवर्तन हुआ है)
2	मोरंड नदी	खपरिया	18	3.000	3.400	0.400	1.080	1.080	32500	36720	19500	22032	2532	पूर्व डीएसआर मे त्रुटिवश संशोधित रकबा को सम्मिलित नही किया गया था जिसे सम्मिलित किया गया है।
3	भड़ंगा नदी	झोली–1	99	5.000	2.450	-2.550	0.520	0.520	26000	12740	15600	7644	-7956	पूर्व डीएसआर मे त्रुटिवश संशोधित रकबा को सम्मिलित नही किया गया था जिसे सम्मिलित किया गया है।
4	भड़ंगा नदी	विष्णुपुर	1	2.000	3.000	1.000	1.500	1.500	30000	45000	18000	27000	9000	पूर्व डीएसआर मे त्रुटिवस संशोधित रकबा को सम्मिलित नही किया गया था जिसे सम्मिलित किया गया है।
5	कचलोरा नदी	कचलोरा–3	69	0.340	0.620	0.280	2.790	2.790	9500	17298	5700	10379	4679	पूर्व डीएसआर मे त्रुटिवस संशोधित रकबा को सम्मिलित नही किया गया था जिसे सम्मिलित किया गया है।
6	लतिया नदी	आमढाना रैयत–3	178	0.620	0.340	-0.280	2.220	2.220	13750	7548	8250	4529	-3721	पूर्व डीएसआर मे त्रुटिवश संशोधित रकबा को सम्मिलित नही किया गया था जिसे सम्मिलित किया

State Level Environment Impact Assessment Authority, M.P. (SEIAA) Paryavaran Parisar E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

213

1.	2	3	4.	5.	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														गया है।
7	तवा नदी	दौड़ी	1	14.050	6.250	0.000	1.490	1.890	210000	118125	126000	70875	33327	उक्त खदान को तहसीलवार प्रथक किया गया है। भौतिक सत्यापन उपरांत गहराई में परिवर्तन हुआ है।
8	तवा नदी	मालवर	38		7.800	0.000		1.890		147420		88452		
9	खमालपुर नदी	घिखली आमढाना	219, 341	7.730	6.632	-1.098	0.650	0.650	50000	43108	30000	25865	-4135	प्रतिबंधित क्षेत्र होने से खदान का रकबा संसोधन किया गया।
10	लटियानदी	कचलोरा–2	98	0.170	0.340	0.170	2.100	2.100	3570	7140	2142	4284	2142	पूर्व डीएसआर मे त्रुटिवस संशोधित रकबा को सम्मिलित नही किया गया था जिसे सम्मिलित किया गया है।
11	लटियानदी	आमढाना रैयत–1	79	0.350	0.170	-0.180	2.300	2.300	8050	3910	4830	2346	-2484	पूर्व डीएसआर मे त्रुटिवस संशोधित रकबा को सम्मिलित नही किया गया था जिसे सम्मिलित किया गया है।
12	लटियानदी	आमढाना रैयत–2	175	0.340	0.350	0.010	1.800	1.800	6120	6300	3672	3780	108	पूर्व डीएसआर मे त्रुटिवस संशोधित रकबा को सम्मिलित नही किया गया था जिसे सम्मिलित किया गया है।
13	भंडगानदी	झोली–2	10	4.000	2.450	-1.550	0.300	0.300	12000	7350	7200	4410	-2790	पूर्व डीएसआर मे त्रुटिवस संशोधित रकबा को सम्मिलित नही किया गया था जिसे सम्मिलित किया गया है।
14	लोहारनदी	सातलदेही	187, 251	8.000	6.100	-1.900	0.480	0.480	38500	29280	23100	17568	-5532	पूर्व डीएसआर मे त्रुटिवस संशोधित रकबा को सम्मिलित नही किया गया था जिसे सम्मिलित किया गया है।
15	भंडगानदी	बटकीढोह	112, 349	1.000	2.060	1.060	1.500	1.500	15000	30900	9000	18540	9540	पूर्व डीएसआर मे त्रुटिवस संशोधित रकबा को सम्मिलित नही किया गया

State Level Environment Impact Assessment Authority, M.P. (SEIAA) Paryavaran Bhawan E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

214

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	K-	15.
														था जिसे सम्मिलित किया गया है।
16	बेलनदी	सोनतलाई /समरतढाना	1,1	9.330	5.540	-3.790	0.100	0.400	9000	22160	5400	13296	7896	प्रतिबंधित क्षेत्र होने से खदान का रकबा संशोधन किया गया। गहराई में संशोधन हुआ है।
17	तवानदी	गौनापुर	266	24.970	5.350	0.000	1.090	2.600	272250	139100	163350	83460	226182	उक्त खदान को तहसीलवार प्रथक किया गया है। भौतिक सत्यापन उपरांत गहराई में परिवर्तन हुआ है।
18	तवानदी	बॉसपुर/ शिवसागर	1, 1, 288,		19.620	0.000		2.600		510120		306072		
19	माचनानदी	पतौवापुरा	112	11.000	1.820	-9.180	1.820	1.820	198000	33124	118800	19874	-98926	प्रतिबंधित क्षेत्र होने से खदान का रकबा ससोधन किया गया।

नोट :–

1. उपरोक्त रेत खदानो मे से बाकुड़, चिखली आमढ़ाना, पतौवापुरा, सोनतलई/समरतढ़ाना मे प्रतिबंधित क्षेत्र छोड़ने के उपरांत रकबा संशोधन एवं अक्षांश देशांश मे परिवर्तन किया गया है।
2. रेत खदान दौड़ी, मालवर, गौनापुर एवं शिवसागर/बॉसपुर को तहसीलवार पृथक–पृथक किया गया है। जिसके कारण खदान क्षेत्र के रकबा मे संशोधन एवं अक्षांश देशांश मे परिवर्तन किया गया है।
3. रेत खदान खपरिया, झोली–1, झोली–2, विष्णुपुर, कचलौरा–2, कचलौरा–3, आमढ़ाना रैयत–1, आमढ़ाना रैयत–2, आमढ़ाना रैयत–3, सातलदेही, एवं बटकीढोह के संशोधित रकबे को पूर्व डीएसआर मे त्रुटिवस सम्मिलित नही किया गया था जिसे संशोधित डीएसआर मे पूर्व आदेशो के अनुसार रकबा को सम्मिलित किया गया है। एवं अक्षांश देशांश मे परिवर्तन किया गया है।
4. रेत खदान दौड़ी, मालवर, शिवसागर/बॉसपुर, गौनापुर, सोनतलई/समरतढ़ाना एवं बाकुड़ मे गठित दल द्वारा भौतिक सत्यापन के उपरांत रेत खदान क्षेत्र मे उपलब्ध रेत की गहराई मे परिवर्तन हुआ है, जिस कारण रेत खनिज की मात्रा मे अंतर आया है। किये गये भौतिक सत्यापन के संशोधित डीएसआर मे छायाचित्र संलग्न है।

प्रभारी अधिकारी
(खनिज – शाखा)
जिला बैतूल

District Level Environment Impact Assessment Authority, M.P. (DEIAA) Parvavaran Parisar E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

215

ANNEXURE-3

Registration and Stamp Department
Madhya Pradesh

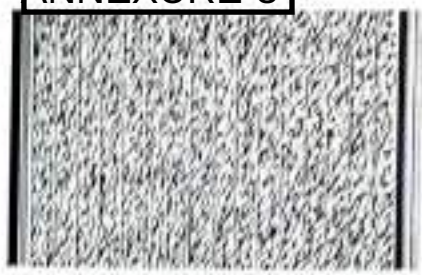

Certificate of Stamp Duty

E-Stamp Details

E-Stamp Code	0101031306202100116I
Total E-Stamp Amount	1000
Govt. Stamp Duty (Rs.)	1000
Jaupad Duty (Rs.)	0
Exempted Amount(Rs.)	0
E-Stamp Type	NON-JUDICIAL
Issue Date & Time	13/06/2021 15:32:51
Service Provider or Issuer Details	Ramdayal Sahu/SP0103419042021100977
SP/SRO/DRO/HO Details	shivaji Ward Betul Th. Betul Dist. Betul (M.P.) BETUL BETUL

Municipality Duty (Rs.) 0
Upkar Amount (Rs.) 0

Deed Details

Deed Type	Letter of Guarantee
Deed Instrument	Letter of Guarantee.- One Thousand rupees.
Purpose	Letter of Guarantee

First Party Details

Organization Name	Hotel Uma Residency
Address	Khasra no 316 Village Chikhali Raiyat Teh.Shahpur Dist.Betul BETUL Madhya Pradesh INDIA
Number of Persons	1

Second Party Details

Organization Name	Mining Corporation Limited
Address	Office of the mining corporation Limied Bhopal BHOPAL Madhya Pradesh INDIA
Number of Persons	1

Letter of Guarantee

Digitally signed by Ramdayal Sahu
Date: 2021.06.13 15:32:53 IST

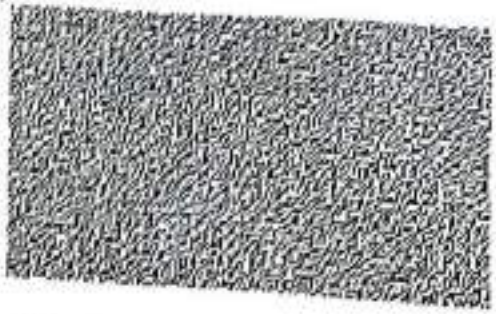

Registration and Stamp Department
Madhya Pradesh

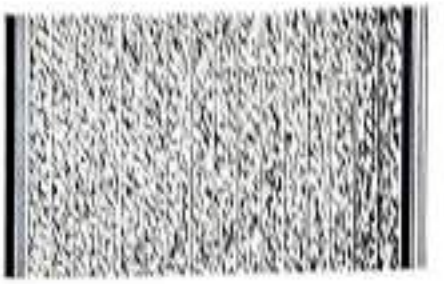

Certificate of Stamp Duty

E-Stamp Details

E-Stamp Code	0101031306202100157
Total E-Stamp Amount	1000
Govt. Stamp Duty (Rs.)	1000
Municipality Duty (Rs.)	0
Janpad Duty (Rs.)	0
Upkar Amount (Rs.)	0
Exempted Amount(Rs.)	0
E-Stamp Type	NON-JUDICIAL
Issue Date & Time	13/06/2021 15:31:38
Service Provider or Issuer Details	Ramdayal Sahu/SP0103419042021009 77
SP/SRO/DRO/HO Details	shivaji Ward Betul Th. Betul Dist. Betul (M.P.) BETUL BETUL

Deed Details

Deed Type	Letter of Guarantee
Deed Instrument	Letter of Guarantee.- One Thousand rupees.
Purpose	Letter of Guarantee

First Party Details

Organization Name	Hotel Uma Residency
Address	Khasra no 316 Village Chikhali Raiyat Teh.Shahpur Dist. Betul BETUL Madhya Pradesh INDIA
Number of Persons	1

Second Party Details

Organization Name	Mining Corporation Limited
Address	Office of the mining coporation limited Bhopal BHOPAL Madhya Pradesh INDIA
Number of Persons	1

Letter of Guarantee

Digitally signed by Ramdayal Sahu
Date: 2021.06.13 15:31:40 IST

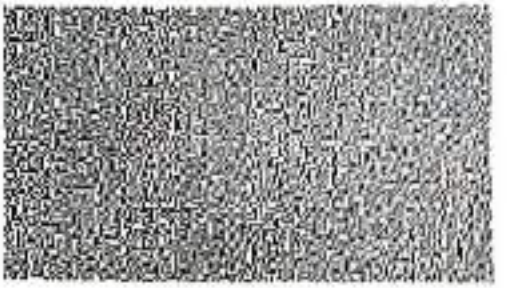

प्ररूप-पाँच

(नियम 13(2) देखिए)

रेत खदान हेतु ठेके का अनुबंध

यह करार एक पक्ष के रूप जो प्रबंध संचालक, म0प्र0 राज्य खनिज निगम मर्यादित(निगम), जिला भोपाल के माध्यम से कार्य करते हुए मध्यप्रदेश के राज्यपाल (जिन्हें इसमें इसके पश्चात राज्यपाल कहा गया है), जिस अभिव्यक्ति में उनके पद उत्तरवर्ती सम्मिलित हैं और अन्य पक्ष के रूप में श्री/श्रीमती/कुमारी **मेसर्स होटल उमा रेसीडेन्सी (अधिकृत व्यक्ति - श्री अशोक कुमार पटेल) पंजीकृत पता - चाणक्यपुरी कॉलोनी, रीवा रोड सतना (म0प्र0) 485001** (जिसे इसमें इसके पश्चात "ठेकेदार" कहा गया है) जिस अभिव्यक्ति में, जहां कि संदर्भ ऐसा स्वीकार है, उसके वारिस, निष्पादक, प्रशासक, प्रतिनिधि और अनुज्ञात समनुदेशिती शामिल है) के बीच आज दिनांक ....14.... माह ....जून.... सन् ....2021.... को **दिनांक ..... से 30.06.2023 की अवधि** हेतु व्यापारिक खदान के लिये किया गया।

1. यतः, ठेकेदार, निविदा की शर्तों के अनुसार निविदा की राशि **रूपए 32,50,00,000/- (बत्तीस करोड़ पचास लाख रूपये)** प्रतिवर्ष का भुगतान करने के लिए सहमत हो गया है, जो रकम एतद व्दारा ठेका राशि कहलाएगी और **रूपए 8,12,50,000 (आठ करोड़ बारह लाख पचास हजार रूपये)**. अग्रिम धन (सुरक्षा राशि) के रूप में और रूपए (लागू नहीं) प्रतिभूति राशि और रूपए (लागू नहीं) ठेका अवधि में देय संपूर्ण राशि के समतुल्य है, और जो ठेके के निबंधनों और शर्तों के सम्यक् पालन के लिए जमा रखी जाएगी और जो कि ठेके के अनुबंध का किसी प्रकार भंग किये जाने की स्थिति समपहृत किये जाने योग्य होगी; और

यतः, राज्य शासन/निगम ने उसे उस रेत खदान का ठेका स्वीकृत किया है जिसका मानचित्र संलग्न है जिस खदान **चिखली रैयत, खसरा क्र. 316, रकबा 4.000 हे0, तहसील शाहपुर जिला बैतूल** है और जिसका विवरण संलग्न अनुसूची "क" में दिया गया है जो अब आगे "खदान" कही जाएगी।

2. अब यह अनुबंध साक्षी है कि ठेका राशि, रॉयल्टी, किराया तथा अन्य भुगतानों के प्रतिफल में तथा शर्तों, प्रसंविदाओं और करार के प्रतिफल में तथा अध्यधीन रहते हुए ठेकेदार को खनन के प्रयोजनों के लिए प्रदत्त क्षेत्र में प्रवेश करने, अधिभोग रखने तथा उपयोग और इस शर्त के अध्यधीन रहते हुए कि कलक्टर को ठेके की पूरी अवधि के दौरान सभी समय पर खदान के भीतर अवस्थित या ठेकेदार के नियंत्रण के अधीन अन्य कहीं उत्पादों के प्रचलित उचित बाजार मूल्य पर अग्र क्रयाधिकार होगा, खनिज या खनिज के उत्पादों को खदान से बाहर ले जाने तथा उनका विक्रय करने की स्वतंत्रता होगी।

डॉ. वरदमूर्ति मिश्र
कार्यपालक संचालक
म. प्र. स्टेट माईनिंग कार्पो. लि.

HOTEL UMA RESIDENCY
Auth. Sign.

3. ठेकेदार इस अनुबंध के अनुसरण में, एतद्द्वारा, निविदाकार को पट्टान्तरित भूमि का तारीख ..... से तारीख **30.06.2023** तक अधिभोग रखेगा तथा कब्जा ग्रहण करेगा।

4. एतद्द्वारा यह सहमति प्रदान की जाती है कि एतद द्वारा पट्टान्तरित ठेके पर दिये गये क्षेत्र की सीमाएं खड़ी नीचे की ओर भूमि के केन्द्र तक रहेंगी।

5.(1) ठेकेदार वार्षिक ठेका राशि रूपए **32,50,00,000/- (बत्तीस करोड़ पचास लाख रूपये)** का नीचे दी गई तारीख या उसके पूर्व किश्तों में भुगतान करेगा:-

अनुक्रमांक	किश्त क्रमांक	किश्त की राशि (रूपए में)	किश्त जमा करनें की तारीख
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	प्रथम किश्त	8,12,50,000	प्रथम त्रैमास के प्रथम दिवस
2.	द्वितीय किश्त	8,12,50,000	द्वितीय त्रैमास के प्रथम दिवस
3.	तृतीय किश्त	8,12,50,000	तृतीय त्रैमास के प्रथम दिवस
4.	चतुर्थ किश्त	8,12,50,000	चतुर्थ त्रैमास के प्रथम दिवस

परन्तु ठेकेदार, ठेका राशि तथा रेत खदान से संबंधित अन्य संपूर्ण रकम प्रथमत: मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम द्वारा इस प्रयोजन हेतु संचालित खाते में जमा करेगा:

परन्तु, यदि ठेकेदार नियत तारीख को किश्तों को जमा करने में असफल रहता है तो ठेकेदार के पक्ष में आबंटित समूह की खदानों के लिए ई-टीपी बन्द की जाएगी तथा खदान संचालन पर रोक लगा दी जाएगी तथा ठेकेदार को इस आशय का कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा, कि किश्त की राशि जमा करनें में असफल रहनें पर क्यों न उनका ठेका निरस्त कर दिया जाए:

परन्तु और यह कि, किश्त जमा करनें की निर्धारित तारीख 30 दिवस के भीतर ठेकेदार द्वारा उक्त कारण बताओ नोटिस का जवाब देते हुए विलंब अवधि पर 24 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज सहित देय किश्त/किश्तों का भुगतान करने पर, कलेक्टर/निगम द्वारा खदान का संचालन के लिए अनुमति दे सकेगा :

परन्तु यह और कि 30 दिवस की अवधि के भीतर उपरोक्तानुसार यदि ठेकेदार राशि जमा करने में असफल रहता है तो, कलेक्टर/निगम द्वारा व्यपगत आदेश कर पुन: निविदा हेतु शासन को अनुरोध किया जाएगा। निविदा की विज्ञप्ति प्रकाशन के पूर्व तक ठेकेदार समस्त देयतायें 24 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ जमा कर सकता है। नवीन निविदा विज्ञप्ति प्रकाशन पर स्वमेव ठेका पूर्ण रूप से निरस्त समझा जाएगा :

डॉ. वरदमूर्ति मिश्र
कार्यपालक संचालक
म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पो. लि.

HOTEL UMA RESIDENCY

Auth. Sign.

परन्तु यह और भी कि, जब तक किश्त की राशि मय ब्याज के प्राप्त होगी तो तब तक ठेकेदार के पक्ष में आबंटित समूह की खदानों के लिए ई-टीपी जारी किए जाने पर रोक रहेगी।

(2) ठेकेदार, ठेका राशि की रकम के एवज में खनन योजना, पर्यावरण स्वीकृति एवं जल तथा वायु सम्मति में (इनमें से जो भी कम हो) अनुज्ञात रेत की मात्रा ले जा सकेगा :

परन्तु, यदि ठेकेदार निर्धारित मात्रा से अधिक मात्रा में खनिज निकालेगा या ले जायेगा, तब वह उस अधिक निकाली गई या ले जायी गई मात्रा के लिए ऐसी मात्रा के मूल्य का भुगतान करने के दायित्वधीन होगा :

परन्तु यह कि, यदि किसी वर्ष में उत्खनित मात्रा अनुमोदित खनन योजना में उल्लिखित मात्रा से 20 प्रतिशत कम हो तो इस मात्रा के आगामी वर्ष में निकाले जाने की अनुमति दी जाएगी, किन्तु उस वर्ष के ठेकाधन में अवशिष्ट मात्रा के अंतर की राशि जमा की जानी होगी। अनुमोदित खनन योजना का पुनरीक्षण किया जाएगा एवं वार्षिक ठेका राशि आनुपातिक रूप से पुनरीक्षित किया जाएगा। खनन योजना के पुनरीक्षण की स्थिति में, यथा आवश्यक पर्यावरणीय अनुमति प्राप्त की जाएगी। ठेकावधि में अनुमोदित खनन योजना में उल्लिखित मात्रा का खनन अनिवार्य होगा, अन्यथा जमा की गई सुरक्षा राशि सम्पहृत की जा सकेगी:

परन्तु यह और कि, यदि ठेकेदार किसी वर्ष उस वर्ष की अनुज्ञात मात्रा से अधिक मात्रा (20 प्रतिशत से अधिक नहीं) की निकासी करना चाहता है, तब उसे प्रस्ताव अनुसार अनुमोदित खनन योजना एवं पर्यावरण अनुमति में यथायोग्य पुनरीक्षण/संशोधन करना होगा एवं यह बढ़ी हुई मात्रा आगामी वर्ष की अनुज्ञात मात्रा के विरुद्ध समायोजित की जाएगी। किसी भी स्थिति में, ठेकावधि हेतु स्वीकृति मात्रा से अधिक मात्रा में निकासी की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(3) उस स्थिति में जब ठेकेदार, उपरोक्त पैरा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए वार्षिक कार्य योजना में तिमाही हेतु उल्लिखित मात्रा से अधिक खनिज निकालता है तो वह ऐसे निकाले गए अधिक मात्रा एवं तिमाही में चुकाई गई किश्त राशि के अंतर की राशि का भुगतान (तीस दिन) के भीतर किया जाना होगा, अन्यथा आगामी खनिज निकासी रोक दी जाएगी तो भुगतान करने का उत्तरदायी होगा :

परन्तु, यदि ठेकेदार नियत तारीख पर रकम का भुगतान करने में असफल रहता है तो वह 24 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज सहित शोध्य राशि/राशियों का भुगतान करने का उत्तरदायी होगा।

6. रेत खदान से संबंधित ठेका राशि एवं अन्य राशियां ठेकेदार द्वारा मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम द्वारा इस प्रयोजन हेतु संचालित खाते में प्रथमत: जमा कराई जाएगी।

डॉ. वरदमूर्ति मिश्र
कार्यपालक संचालक
म. प्र. स्टेट माईनिंग कार्पो. लि.

HOTEL UMA RESIDENCY
Auth. Sign.

7. ठेका रकम तथा अन्य शोध्यों के, जो कि इस करार के निबंधनों के अधीन देय हैं, शोध्य तारीखों से दो मास से अधिक अवधि तक भुगतान न किए जाने की दशा में कलक्टर या उसके व्दारा प्राधिकृत कोई अधिकारी परिसर में प्रवेश करने के लिए सशक्त होगा तथा/या उसके उत्पाद और/या खदान में ठेकेदार व्दारा रखी गई चल सम्पत्ति को अभिग्रहीत कर सकेगा और ले जा सकेगा।

8. यदि इस अनुबंध के अधीन ठेके की राशि या कोई अन्य शोध्य ठेकेदार व्दारा एक मास से अधिक के लिए असंदत्त रहती है तो कलेक्टर/निगम ठेका रद्द किये जाने संबंधी प्रस्ताव राज्य शासन को प्रेषित करेगा एवं राज्य शासन का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

9. ठेकेदार, खदान के समीप ऐसे अस्थायी भवन आदि खड़ा करने का हकदार होगा जैसा कि उत्खनन प्रयोजनों के लिए अपेक्षित हो और इसे ठेका अवधि समाप्ति के पूर्व हटा लेगा। ऐसा नहीं करने की स्थिति में, ठेका समाप्ति के पश्चात खदान के समीप भूमि पर निर्मित ऐसे कोई भवन आदि राज्य सरकार की संपत्ति होंगी तथा जिसके लिए ठेकेदार को उस पर का प्रतिकर दावा करने का अधिकार नहीं होगा।

10. ठेकेदार, स्वयं के व्यय पर, भूमि की सीमाओं को दर्शित करने के लिए सीमा चिन्ह तथा स्तंभ (पिलर) का निर्माण करेगा एवं उन्हें हमेशा दुरूस्त रखेगा।

11. ठेकेदार, ठेके के अधीन प्राप्त भूमि या उसके किसी भाग को समनुदेशित या उप पट्टे पर नहीं देगा अथवा ठेके के अधीन प्रदत्त अधिकारों/विशेषाधिकारों को अंतरित नहीं करेगा।

12. ठेकेदार, इस अनुबंध के अधीन प्रदत्त भूमि की समुचित स्वच्छता बनाए रखने का उत्तरदायी होगा ।

13. ठेकेदार, उस समय समस्त नियमों तथा विनियमों और ऐसी अन्य शर्तों से बाध्य होगा, जैसा कि शासन व्दारा समय-समय पर अधिरोपित की जाएं।

14. ठेकेदार, खदान में कार्य कर रहे व्यक्तियों के स्वास्थ्य एवं संरक्षा के समुचित उपाय करने के लिए आबद्ध होगा।

15. ठेकेदार, सड़क, पानी से संबंधित अधिकारों और अन्य सुखाधिकारों का ध्यान रखेगा।

16. सरकार को यह अधिकार होगा, कि वह पट्टाकृत क्षेत्र के ऊपर संचार साधनों की स्थापना के लिए ऊपर मार्ग का निर्माण करे या अन्य उपाय करे एवं ठेकेदार को उसके लिए प्रतिकर दावा करने का अधिकार नहीं होगा।

डॉ. वरदमूर्ति मिश्र
कार्यपालक संचालक
म. प्र. स्टेट माईनिंग कार्पो. लि.

HOTEL UMA RESIDENCY
Auth. Sign.

17. ठेकेदार अनुमोदित खनन योजना के अनुसार खनन संक्रिया करेगा और रेत तथा बजरी का खनन सतह से अधिकतम तीन मीटर तक अथवा जल स्तर तक जो भी कम हो, किया जाएगा। किन्तु ऐसा उत्खनन नदी/नाले के भीतर प्रतिषिद्ध होगा।

18. ठेकेदार, खदान से अभिप्राप्त और विक्रय किए गए या निकास किए गए खनिज की मात्रा तथा विशिष्टियां दर्शाते हुए उनका सही लेखा और खदान में नियोजित व्यक्तियों की संख्या तथा खदान का पूर्ण रेखांक संधारित करेगा और शासन/ कलक्टर द्वारा प्राधिकृत किए गए अधिकारी को किसी भी समय ऐसे लेखाओं तथा रेखांकों का परीक्षण करने देगा तथा ऐसे सक्षम अधिकारी द्वारा निरीक्षण के दौरान या मांग की जाने पर उन्हें प्रस्तुत करेगा।

19. ठेकेदार, नीचे दिये गए प्ररूप में मासिक विवरणी प्रत्येक मास की 7 तारीख के पूर्व म0प्र0 राज्य खनिज निगम मर्यादित को प्रस्तुत करेगा :

माह	निकाले गये खनिज का प्रारंभिक स्टॉक (घनमीटर)	माह में निकाले गए खनिज की मात्रा (घनमीटर)	माह में निकास किए गए खनिज की मात्रा (घनमीटर)	माह में विक्रय किए गए खनिज की मात्रा (घनमीटर)	माह के अंत में खनिज का अंतिम स्टॉक (घनमीटर)	माह के दौरान नियोजित श्रमिकों की औसत संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

20. ठेकेदार, खदान क्षेत्र में घटने वाली किसी दुर्घटना की रिपोर्ट तत्काल संबंधित जिला मजिस्ट्रेट को देगा।

21. ठेकेदार, उसके ठेके में शामिल की गई रेत खदानों के पहुंच मार्ग, खनिज की उपलब्धता तथा कोई कारण से ठेकाधन की राशि में संशोधन किए जाने संबंध में कलक्टर/निगम के विरूद्ध कोई प्रतिकर या नुकसान का दावा नहीं करेगा।

22. यदि ठेकेदार, उक्त ठेके की कालावधि के पूर्ण होने के पूर्व ठेके को पर्यवसित करने का इच्छुक है तो वह ऐसे आशय की छह मास की लिखित सूचना कलक्टर/निगम को देगा। उपरोक्त अवधि समाप्त होने एवं ठेकेदार के विरूद्ध बकाया न होने की स्थिति में कलेक्टर/निगम से प्राप्त प्रस्ताव पर राज्य शासन द्वारा समर्पण स्वीकार किया जाएगा एवं उसकी सुरक्षा राशि वापस की जाएगी। उक्त अवधि के लिए वार्षिक ठेकाधन ठेकेदार द्वारा अनिवार्य रूप से जमा किया जाएगा,

डॉ. परमजीत मिश्र
कार्यपालक प्रबंधक
म. प्र. स्टेट माईनिंग कार्पो. लि.

HOTEL UMA RESIDENCY
Auth. Sign.

इस अवधि में खनन संक्रियाएं संचालित की जा सकेंगी। यदि एक बार समर्पण के लिए आवेदन प्रस्तुत कर दिया जाता है तो वह पुन: वापसी योग्य नहीं होगा। समर्पण सूचना प्राप्त होने के पश्चात समूह की पुन: निविदा प्रक्रिया निगम व्दारा प्रारंभ की जाएगी।

23. ठेकेदार, जिसके लिए उसको ठेका दिया गया है, उससे भिन्न प्रयोजन के लिए इस अनुबंध के अधीन उसको दी गई भूमि का उपयोग नहीं करेगा।

24. (1) युद्ध की स्थिति में या आपातकाल की दशा में, सरकार को खदान, वस्तुएं, भूमि, मशीनरी, संयंत्र, भवन तथा सामग्री का कब्जा लेने का अधिकार रहेगा तथा ऐसी स्थिति में ठेकेदार व्दारा किसी प्रतिकर के लिए कोई दावा नहीं करेगा।

(2) राज्य सरकार को लोकहित में ठेके की कालावधि समाप्त होने के पूर्व कब्जा वापस लेने का अधिकार होगा:

परन्तु कब्जा लेने के पूर्व ठेकेदार को एक माह की अग्रिम सूचना दी जाएगी।

25. यदि इस ठेके के संबंध में और/या उसके संबंध में और/या कोई विवाद होने की स्थिति में, राज्य शासन का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

26. **कब्जे का पुनर्ग्रहण-** (1) जहां कोई रेत खदान रद्द की जाती है या अवधारित की जाती है अथवा खदान के कब्जे का लोकहित में पुनर्ग्रहण करने का विनिश्चिय किया जाता है या वह कालावधि जिसके लिए रेत खदान मंजूर की गई हो, समाप्त हो जाती है तो ठेकेदार, खदान का कब्जा कलक्टर को, जिसमें रेत खदान/समूह या उसका बड़ा भाग अवस्थित हो, रद्द किए जाने या पर्यवसित किए जाने या लोकहित में कब्जा वापस लेने के विनिश्चय की संसूचना की तारीख से सात दिन की कालावधि के भीतर या खदान के ठेके की कालावधि समाप्त होने की तारीख के आगामी दिन से, जैसी भी स्थिति हो, वापस सौंप देगा।

(2) जहां ठेकेदार रेत खदान/समूह का कब्जा, उप-खण्ड (1) में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर सौंपने में असफल रहता है वहां कलक्टर या उसके व्दारा प्राधिकृत कोई अधिकारी, सूचना की तामीली या तो डाक व्दारा या उसकी प्रति ठेकेदार को व्यक्तिगत रूप से या उसके परिवार के सदस्यों या नौकरों में से किसी को निविदत्त करते हुए या देते हुए उसके निवास स्थान अथवा कारबार के स्थान के किसी सहजदृश्य स्थान पर एक प्रति चस्पा करके या उसे उस स्थान में जहां ठेकेदार निवास करता है, परिचालित कम से कम एक समाचार-पत्र में प्रकाशित करके करेगा या करवाएगा।

डॉ. वरदमूर्ति मिश्र
कार्यपालक संचालक
म. प्र. स्टेट माईनिंग कार्पो. लि.

HOTEL UMA RESIDENCY
Auth. Sign.

(3) उपखण्ड (2) के अधीन सूचना में यह कथन अंतर्विष्ट होगा कि ठेकेदार, रेत खदान/समूह का कब्जा कलक्टर या उप-खण्ड (1) के अधीन उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को सूचना की तामीली की तारीख से सात दिन के भीतर सौंप देगा।

(4) जहां ठेकेदार, उप-खण्ड (2) के अधीन सूचना में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर रेत खदान/समूह का कब्जा सौंपने में असफल रहता है वहां कलक्टर या उप-खण्ड (1) के अधीन उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, ठेकेदार से रेत खदान का कब्जा ले सकेगा और उस प्रयोजन के लिए ऐसे बल का प्रयोग कर सकेगा, जैसा कि आवश्यक समझा जाए।

(5) यदि ठेके की कालावधि की समाप्ति पर ठेकेदार, अगले दिन खदान का कब्जा सौंपने में असफल रहता है तो ठेकेदार, कब्जा वापस लिए जाने पर्यन्त, अनुबंध की समस्त शर्तों का पालन करेगा।

27. यदि ठेकेदार अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन करता है, तो कलक्टर/ निगम को ठेकेदार द्वारा जमा सुरक्षा राशि या उसके भाग समपहृत करने का अधिकार होगा।

28. ठेकेदार, खदान से खनिज या उसके उत्पाद ले जाने वाले प्रत्येक वाहन को राज्य सरकार द्वारा विहित अभिवहन पास के साथ ही प्रत्येक गंतव्य के लिए जाने देगा।

29. ई-निविदा दस्तावेज, अनुबंध आदि इस ठेके के अभिन्न अंग होंगे।

30. अनुबंध के अधीन, एतद्द्वारा यह पट्टक्रामित किया जाता है, कि यदि, ठेकेदार उपरोक्त में अंतर्विष्ट और उल्लिखित समस्त निबंधनों और शर्तों को पूर्ति करता है, तो सुरक्षा राशि की रकम रूपए और **रूपए 8,12,50,000 (आठ करोड़ बारह लाख पचास हजार रूपये)** मात्र (अग्रिम धन) जो कि ठेकेदार द्वारा जमा की गई है कलक्टर/निगम व्दारा उसे वापिस की जाएगी।

डॉ. वरदमूर्ति मिश्र
कार्यपालक संचालक
म. प्र. स्टेट माईनिंग कार्पो. लि.

HOTEL UMA RESIDENCY
Auth. Sign.

अनुसूची-क
(पैरा 1 देखिए)

(पैरा 1 देखिए)क्र0	जिला	तहसील	समूह क्र0 / नाम	ग्राम	खसरा क्रमांक	रकबा (हे.)
1	2	3		4	5	6
46	बैतूल	शाहपुर	बैतूल	घिखली रैयत	316	4.000

• इस अनुबंध पत्र की देय स्टाम्प एवं पंजीयन शुल्क दस्तावेज ई-कोड क्रमांक 0101030606202001234 4 दिनांक 06.06.2020 व्दारा चुकाया जा चुका है।

(कार्यपालक संचालक)
कार्यपालक संचालक
म. प्र. स्टेट माईनिंग कार्पो. लि.

मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम मर्यादित

साक्षियों का पूरा नाम, व्यवसाय एवं हस्ताक्षर

1---------- आशुतोष टमले
महाप्रबंधक (खान)

2---------- एस. सी. नेमा
प्रबंधक (सामान्य)

हस्ताक्षर

जिला.....

(मुहर)

साक्षियों का पूरा नाम, व्यवसाय एवं हस्ताक्षर

1----------

2----------

ठेकेदार का नाम, पता तथा हस्ताक्षर

HOTEL UMA RESIDENCY
Auth. Sign.

मेसर्स/श्री मेसर्स होटल उमा रेसीडेन्सी
(अधिकृत व्यक्ति - श्री अशोक कुमार पटेल)
चाणक्यपुरी कॉलोनी, रीवा रोड सतना
(म0प्र0) 485001

Registration and Stamp Department
Madhya Pradesh

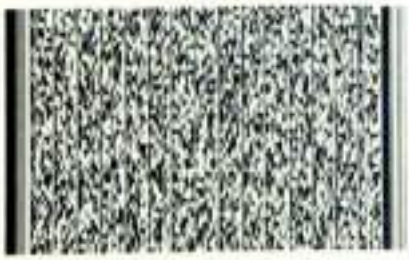

Certificate of Stamp Duty

E-Stamp Details

E-Stamp Code	0101032606202001618 7		
Total E-Stamp Amount	1000		
Govt. Stamp Duty (Rs.)	1000	Municipality Duty (Rs.)	0
Janpad Duty (Rs.)	0	Upkar Amount (Rs.)	0
Exempted Amount(Rs.)	0		
E-Stamp Type	NON-JUDICIAL		
Issue Date & Time	26/06/2020 18:49:55		
Service Provider or Issuer Details	PRAKASH CHHUGANI/SP0105416122016000 65		
SP/SRO/DRO/HO Details	PANKAJ ENTERPRISES, 28 OPP. OLD VIDHAN SABHA HUZUR BHOPAL		

Deed Details

Deed Type	Letter of Guarantee
Deed Instrument	Letter of Guarantee.- One Thousand rupees.
Purpose	Letter of Guarantee

First Party Details

Organization Name	HOTEL UMA RESIDENCY
Address	KHASRA NO.-91, VILLAGE NANDU, TEHSIL GHODADONGARI, DIST. BETUL BETUL Madhya Pradesh INDIA
Number of Persons	1

Second Party Details

Organization Name	MINING CORPORATION BHOPAL
Address	BHOPAL BHOPAL Madhya Pradesh INDIA
Number of Persons	1

Letter of Guarantee THIS STAMP PAPER WILL NOT BE USED TO BUY OR SALE OF IMMOVABLE PROPERTY

Digitally signed by
PRAKASH CHUGANI
Date: .. :: IST

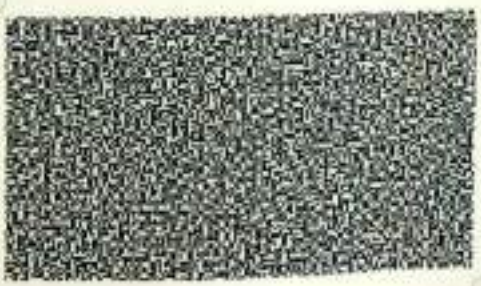

226

Scanned with CamScanner

Registration and Stamp Department
Madhya Pradesh

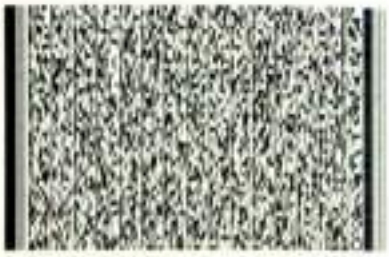

Certificate of Stamp Duty

E-Stamp Details

E-Stamp Code	0101032606202001616 3		
Total E-Stamp Amount	1000		
Govt. Stamp Duty (Rs.)	1000	Municipality Duty (Rs.)	0
Janpad Duty (Rs.)	0	Upkar Amount (Rs.)	0
Exempted Amount(Rs.)	0		
E-Stamp Type	NON-JUDICIAL		
Issue Date & Time	26/06/2020 18:47:01		
Service Provider or Issuer Details	PRAKASH CHHUGANI/SP0105416122016000 65		
SP/SRO/DRO/HO Details	PANKAJ ENTERPRISES, 28 OPP. OLD VIDHAN SABHA HUZUR BHOPAL		

Deed Details

Deed Type	Letter of Guarantee
Deed Instrument	Letter of Guarantee.- One Thousand rupees.
Purpose	Letter of Guarantee

First Party Details

Organization Name	HOTEL UMA RESIDENCY
Address	KHASRA NO.-91, VILLAGE NANDU, TEHSIL GHODADONGARI, DIST. BETUL BETUL Madhya Pradesh INDIA
Number of Persons	1

Second Party Details

Organization Name	MINING CORPORATION BHOPAL
Address	BHOPAL BHOPAL Madhya Pradesh INDIA
Number of Persons	1

Letter of Guarantee THIS STAMP PAPER WILL NOT BE USED TO BUY OR SALE OF IMMOVABLE PROPERTY

Digitally signed by
PRAKASH CHUGANI
Date: .. :: IST

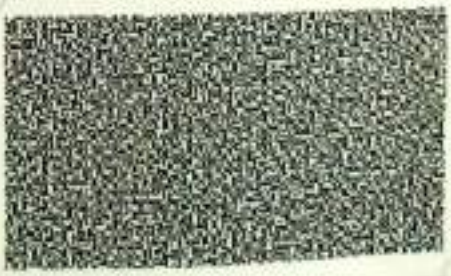

227

Scanned with CamScanner

प्ररूप-पाँच

(नियम 13(2) देखिए)

रेत खदान हेतु ठेके का अनुबंध

यह करार एक पक्ष के रूप जो प्रबंध संचालक, म0प्र0 राज्य खनिज निगम मर्यादित(निगम), जिला भोपाल के माध्यम से कार्य करते हुए मध्यप्रदेश के राज्यपाल (जिन्हे इसमें इसके पश्चात राज्यपाल कहा गया है), जिस अभिव्यक्ति में उनके पद उत्तरवर्ती सम्मिलित हैं और अन्य पक्ष के रूप में श्री/श्रीमती/कुमारी **मेसर्स होटल उमा रेसीडेन्सी (अधिकृत व्यक्ति - श्री अनिल अग्रहरि) चाणक्यपुरी कॉलोनी, रीवा रोड सतना (म0प्र0) 485001** (जिसे इसमें इसके पश्चात "ठेकेदार" कहा गया है) जिस अभिव्यक्ति में, जहां कि संदर्भ ऐसा स्वीकार है, उसके वारिस, निष्पादक, प्रशासक, प्रतिनिधि और अनुज्ञात समनुदेशिती शामिल है) के बीच आज दिनांक ..... माह ..... सन् ..... को **दिनांक** ..... से **30.06.2023 की अवधि** हेतु व्यापारिक खदान के लिये किया गया।

1. यतः, ठेकेदार, निविदा की शर्तों के अनुसार निविदा की राशि **रूपए 32,50,00,000/- (बत्तीस करोड़ पचास लाख रूपये)** प्रतिवर्ष का भुगतान करने के लिए सहमत हो गया है, जो रकम एतद द्वारा ठेका राशि कहलाएगी और **रूपए 8,12,50,000 (आठ करोड़ बारह लाख पचास हजार रूपये)**, अग्रिम धन (सुरक्षा राशि) के रूप में और रूपए (लागू नही) प्रतिभूति राशि और रूपए (लागू नही) ठेका अवधि में देय संपूर्ण राशि के समतुल्य है, और जो ठेके के निबंधनों और शर्तों के सम्यक् पालन के लिए जमा रखी जाएगी और जो कि ठेके के अनुबंध का किसी प्रकार भंग किये जाने की स्थिति समपहृत किये जाने योग्य होगी, और

यतः, राज्य शासन/ निगम ने उसे उस रेत खदान का ठेका स्वीकृत किया है जिसका मानचित्र संलग्न है जिस **खदान नांदू, खसरा क्र. 91, रकबा 2.900 हे0, तहसील घोड़ाडोंगरी जिला बैतूल** है और जिसका विवरण संलग्न अनुसूची "क" में दिया गया है जो अब आगे "खदान" कही जाएगी।

2. अब यह अनुबंध साक्षी है कि ठेका राशि, रॉयल्टी, किराया तथा अन्य भुगतानों के प्रतिफल में तथा शर्तों, प्रसंविदाओं और करार के प्रतिफल में तथा अध्यधीन रहते हुए ठेकेदार को खनन के प्रयोजनों के लिए प्रदत्त क्षेत्र में प्रवेश करने, अधिभोग रखने तथा उपयोग और इस शर्त के अध्यधीन रहते हुए कि कलक्टर को ठेके की पूरी अवधि के दौरान सभी समय पर खदान के भीतर अवस्थित या ठेकेदार के नियंत्रण के अधीन अन्य कहीं उत्पादों के प्रचलित उचित बाजार मूल्य पर अग्र क्रयाधिकार होगा, खनिज या खनिज के उत्पादों को खदान से बाहर ले जाने तथा उनका विक्रय करने की स्वतंत्रता होगी।

228

Scanned with CamScanner

3. ठेकेदार इस अनुबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, निविदाकार को पट्टान्तरित भूमि का तारीख ..... से तारीख **30.06.2023** तक अधिभोग रखेगा तथा कब्जा ग्रहण करेगा।

4. एतद्वारा यह सहमति प्रदान की जाती है कि एतद द्वारा पट्टान्तरित ठेके पर दिये गये क्षेत्र की सीमाएं खड़ी नीचे की ओर भूमि के केन्द्र तक रहेंगी।

5.(1) ठेकेदार वार्षिक ठेका राशि रूपए **32,50,00,000/- (बत्तीस करोड़ पचास लाख रूपये)** को नीचे दी गई तारीख या उसके पूर्व किश्तों में भुगतान करेगा:-

अनुक्रमांक	किश्त क्रमांक	किश्त की राशि (रूपए में)	किश्त जमा करनें की तारीख
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	प्रथम किश्त	8,12,50,000	प्रथम त्रैमास के प्रथम दिवस
2.	द्वितीय किश्त	8,12,50,000	द्वितीय त्रैमास के प्रथम दिवस
3.	तृतीय किश्त	8,12,50,000	तृतीय त्रैमास के प्रथम दिवस
4.	चतुर्थ किश्त	8,12,50,000	चतुर्थ त्रैमास के प्रथम दिवस

परन्तु ठेकेदार, ठेका राशि तथा रेत खदान से संबंधित अन्य संपूर्ण रकम प्रथमत: मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम द्वारा इस प्रयोजन हेतु संचालित खाते में जमा करेगा.

परन्तु, यदि ठेकेदार नियत तारीख को किश्तों को जमा करने में असफल रहता है तो ठेकेदार के पक्ष में आबंटित समूह की खदानों के लिए ई-टीपी बन्द की जाएगी तथा खदान संचालन पर रोक लगा दी जाएगी तथा ठेकेदार को इस आशय का कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा, कि किश्त की राशि जमा करने में असफल रहने पर क्यों न उनका ठेका निरस्त कर दिया जाए:

परन्तु और यह कि, किश्त जमा करने की निर्धारित तारीख 30 दिवस के भीतर ठेकेदार द्वारा उक्त कारण बताओ नोटिस का जवाब देते हुए विलंब अवधि पर 24 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज सहित देय किश्त/किश्तों का भुगतान करने पर, कलेक्टर/निगम द्वारा खदान का संचालन के लिए अनुमति दे सकेगा :

परन्तु यह और कि 30 दिवस की अवधि के भीतर उपरोक्तानुसार यदि ठेकेदार राशि जमा करने में असफल रहता है तो, कलेक्टर/निगम द्वारा व्यपगत आदेश कर पुन: निविदा हेतु शासन को अनुरोध किया जाएगा। निविदा की विज्ञप्ति प्रकाशन के पूर्व तक ठेकेदार समस्त देयतायें 24 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ जमा कर सकता है। नवीन निविदा विज्ञप्ति प्रकाशन पर स्वमेव ठेका पूर्ण रूप से निरस्त समझा जाएगा :

Scanned with CamScanner

परन्तु यह और भी कि, जब तक किश्त की राशि मय ब्याज के प्राप्त होगी तो तब तक ठेकेदार के पक्ष में आवंटित समूह की खदानों के लिए ई-टीपी जारी किए जाने पर रोक रहेगी।

(2) ठेकेदार, ठेका राशि की रकम के एवज में खनन योजना, पर्यावरण स्वीकृति एवं जल तथा वायु सम्मति में (इनमें से जो भी कम हो) अनुज्ञात रेत की मात्रा ले जा सकेगा :

परन्तु, यदि ठेकेदार निर्धारित मात्रा से अधिक मात्रा में खनिज निकालेगा या ले जायेगा, तब वह उस अधिक निकाली गई या ले जायी गई मात्रा के लिए ऐसी मात्रा के मूल्य का भुगतान करने के दायित्वधीन होगा :

परन्तु यह कि, यदि किसी वर्ष में उत्खनित मात्रा अनुमोदित खनन योजना में उल्लिखित मात्रा से 20 प्रतिशत कम हो तो इस मात्रा के आगामी वर्ष में निकाले जाने की अनुमति दी जाएगी, किन्तु उस वर्ष के ठेकाधन में अवशिष्ट मात्रा के अंतर की राशि जमा की जानी होगी। अनुमोदित खनन योजना का पुनरीक्षण किया जाएगा एवं वार्षिक ठेका राशि अनुपातिक रूप से पुनरीक्षित किया जाएगा। खनन योजना के पुनरीक्षण की स्थिति में, यथा आवश्यक पर्यावरणीय अनुमति प्राप्त की जाएगी। ठेकावधि में अनुमोदित खनन योजना में उल्लिखित मात्रा का खनन अनिवार्य होगा, अन्यथा जमा की गई सुरक्षा राशि राजसात की जा सकेगी :

परन्तु यह और कि, यदि ठेकेदार किसी वर्ष उस वर्ष की अनुज्ञात मात्रा से अधिक मात्रा (20 प्रतिशत से अधिक नहीं) की निकासी करना चाहता है, तब उसे प्रस्ताव अनुसार अनुमोदित खनन योजना एवं पर्यावरण अनुमति में यथायोग्य पुनरीक्षण/संशोधन करना होगा एवं यह बढ़ी हुई मात्रा आगामी वर्ष की अनुज्ञात मात्रा के विरुद्ध समायोजित की जाएगी। किसी भी स्थिति में, ठेकावधि हेतु स्वीकृत मात्रा से अधिक मात्रा में निकासी की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(3) उस स्थिति में जब ठेकेदार, उपरोक्त पैरा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए वार्षिक कार्य योजना में तिमाही हेतु उल्लिखित मात्रा से अधिक खनिज निकालता है तो वह ऐसे निकाले गए अधिक माल एवं तिमाही में चुकाई गई किश्त राशि के अंतर की राशि का भुगतान (तीस दिन) के भीतर किया जाना होगा, अन्यथा आगामी खनिज निकासी रोक दी जाएगी तो भुगतान करने का उत्तरदायी होगा :

परन्तु, यदि ठेकेदार नियत तारीख पर रकम का भुगतान करने में असफल रहता है तो वह 24 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज सहित शोध्य राशि/राशियों का भुगतान करने का उत्तरदायी होगा।

6. रेत खदान से संबंधित ठेका राशि एवं अन्य राशियां ठेकेदार द्वारा मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम द्वारा इस प्रयोजन हेतु संचालित खाते में प्रथमतः जमा कराई जाएगी।

Scanned with CamScanner

230

230

7. ठेका रकम तथा अन्य शोध्यों के, जो कि इस करार के निबंधनों के अधीन देय है, शोध्य तारीखों से दो मास से अधिक अवधि तक भुगतान न किए जाने की दशा में कलक्टर या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी परिसर में प्रवेश करने के लिए सशक्त होगा तथा/या उसके उत्पाद और/या खदान में ठेकेदार द्वारा रखी गई चल सम्पत्ति को अभिगृहीत कर सकेगा और ले जा सकेगा।

8. यदि इस अनुबंध के अधीन ठेके की राशि या कोई अन्य शोध्य ठेकेदार द्वारा एक मास से अधिक के लिए असंदत्त रहती है तो कलेक्टर/निगम ठेका रद्द किये जाने संबंधी प्रस्ताव राज्य शासन को प्रेषित करेगा एवं राज्य शासन का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

9. ठेकेदार, खदान के समीप ऐसे अस्थायी भवन आदि खड़ा करने का हकदार होगा जैसा कि उत्खनन प्रयोजनों के लिए अपेक्षित हो और इसे ठेका अवधि समाप्ति के पूर्व हटा लेगा। ऐसा नहीं करने की स्थिति में, ठेका समाप्ति के पश्चात खदान के समीप भूमि पर निर्मित ऐसे कोई भवन आदि राज्य सरकार की संपत्ति होंगी तथा जिसके लिए ठेकेदार को उस पर का प्रतिकर दावा करने का अधिकार नहीं होगा।

10. ठेकेदार, स्वयं के व्यय पर, भूमि की सीमाओं को दर्शित करने के लिए सीमा चिन्ह तथा स्तंभ (पिलर) का निर्माण करेगा एवं उन्हें हमेशा दुरुस्त रखेगा।

11. ठेकेदार, ठेके के अधीन प्राप्त भूमि या उसके किसी भाग को समनुदेशित या उप पट्टे पर नहीं देगा अथवा ठेके के अधीन प्रदत्त अधिकारों/विशेषाधिकारों को अंतरित नहीं करेगा।

12. ठेकेदार, इस अनुबंध के अधीन प्रदत्त भूमि की समुचित स्वच्छता बनाए रखने का उत्तरदायी होगा ।

13. ठेकेदार, उस समय समस्त नियमों तथा विनियमों और ऐसी अन्य शर्तों से बाध्य होगा, जैसा कि शासन द्वारा समय-समय पर अधिरोपित की जाएं।

14. ठेकेदार, खदान में कार्य कर रहे व्यक्तियों के स्वास्थ्य एवं संरक्षा के समुचित उपाय करने के लिए आबद्ध होगा।

15. ठेकेदार, सड़क, पानी से संबंधित अधिकारों और अन्य सुखाधिकारों का ध्यान रखेगा।

Scanned with CamScanner

16. सरकार को यह अधिकार होगा, कि वह पट्टाकृत क्षेत्र के ऊपर संचार साधनों की स्थापना के लिए ऊपर मार्ग का निर्माण करे या अन्य उपाय करे एवं ठेकेदार को उसके लिए प्रतिकर दावा करने का अधिकार नहीं होगा।

17. ठेकेदार अनुमोदित खनन योजना के अनुसार खनन सक्रिया करेगा और रेत तथा बजरी का खनन सतह से अधिकतम तीन मीटर तक अथवा जल स्तर तक जो भी कम हो, किया जाएगा। किन्तु ऐसा उत्खनन नदी/नाले के भीतर प्रतिषिद्ध होगा।

18. ठेकेदार, खदान से अभिप्राप्त और विक्रय किए गए या निकास किए गए खनिज की मात्रा तथा विशिष्टिया दर्शाते हुए उनका सही लेखा और खदान में नियोजित व्यक्तियों की संख्या तथा खदान का पूर्ण रेखांक संधारित करेगा और शासन/ कलक्टर द्वारा प्राधिकृत किए गए अधिकारी को किसी भी समय ऐसे लेखाओं तथा रेखांकों का परीक्षण करने देगा तथा ऐसे सक्षम अधिकारी द्वारा निरीक्षण के दौरान या मांग की जाने पर उन्हें प्रस्तुत करेगा।

19. ठेकेदार, नीचे दिये गए प्ररूप में मासिक विवरणी प्रत्येक मास की 7 तारीख के पूर्व म0प्र0 राज्य खनिज निगम मर्यादित को प्रस्तुत करेगा :

माह	निकाले गये खनिज का प्रारंभिक स्टॉक (घनमीटर)	माह में निकाले गए खनिज की मात्रा (घनमीटर)	माह में निकास किए गए खनिज की मात्रा (घनमीटर)	माह में विक्रय किए गए खनिज की मात्रा (घनमीटर)	माह के अंत में खनिज का अंतिम स्टॉक (घनमीटर)	माह के दौरान नियोजित श्रमिकों की औसत संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

20. ठेकेदार, खदान क्षेत्र में घटने वाली किसी दुर्घटना की रिपोर्ट तत्काल संबंधित जिला मजिस्ट्रेट को देगा।

21. ठेकेदार, उसके ठेके में शामिल की गई रेत खदानों के पहुंच मार्ग, खनिज की उपलब्धता तथा कोई कारण से ठेकाधन की राशि में संशोधन किए जाने संबंध में कलक्टर/निगम के विरुद्ध कोई प्रतिकर या नुकसान का दावा नहीं करेगा।

22. यदि ठेकेदार, उक्त ठेके की कालावधि के पूर्ण होने के पूर्व ठेके को पर्यवसित करने का इच्छुक है तो वह ऐसे आशय की छह मास की लिखित सूचना कलक्टर/निगम को देगा। उपरोक्त

Scanned with CamScanner

अवधि समाप्त होने एवं ठेकेदार के विरुद्ध बकाया न होने की स्थिति में कलेक्टर/निगम से प्राप्त प्रस्ताव पर राज्य शासन द्वारा समर्पण स्वीकार किया जाएगा एवं उसकी सुरक्षा राशि वापस की जाएगी। उक्त अवधि के लिए वार्षिक ठेकाधन ठेकेदार द्वारा अनिवार्य रूप से जमा किया जाएगा, इस अवधि में खनन संक्रियाएं संचालित की जा सकेंगी। यदि एक बार समर्पण के लिए आवेदन प्रस्तुत कर दिया जाता है तो वह पुन: वापसी योग्य नहीं होगा। समर्पण सूचना प्राप्त होने के पश्चात समूह की पुन: निविदा प्रक्रिया निगम द्वारा प्रारंभ की जाएगी।

23. ठेकेदार, जिसके लिए उसको ठेका दिया गया है, उससे भिन्न प्रयोजन के लिए इस अनुबंध के अधीन उसको दी गई भूमि का उपयोग नहीं करेगा।

24. (1) युद्ध की स्थिति में या आपातकाल की दशा में, सरकार को खदान, वस्तुएं, भूमि, मशीनरी, संयंत्र, भवन तथा सामग्री का कब्जा लेने का अधिकार रहेगा तथा ऐसी स्थिति में ठेकेदार द्वारा किसी प्रतिकर के लिए कोई दावा नहीं करेगा।

(2) राज्य सरकार को लोकहित में ठेके की कालावधि समाप्त होने के पूर्व कब्जा वापस लेने का अधिकार होगा:

परन्तु कब्जा लेने के पूर्व ठेकेदार को एक माह की अग्रिम सूचना दी जाएगी।

25. यदि इस ठेके के संबंध में और/या उसके संबंध में और/या कोई विवाद होने की स्थिति में, राज्य शासन का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

26. **कब्जे का पुनर्ग्रहण-** (1) जहां कोई रेत खदान रद्द की जाती है या अवधारित की जाती है अथवा खदान के कब्जे का लोकहित में पुनर्ग्रहण करने का विनिश्चिय किया जाता है या वह कालावधि जिसके लिए रेत खदान मंजूर की गई हो, समाप्त हो जाती है तो ठेकेदार, खदान का कब्जा कलक्टर को, जिसमें रेत खदान/समूह या उसका बड़ा भाग अवस्थित हो, रद्द किए जाने या पर्यवसित किए जाने या लोकहित में कब्जा वापस लेने के विनिश्चय की संसूचना की तारीख से सात दिन की कालावधि के भीतर या खदान के ठेके की कालावधि समाप्त होने की तारीख के आगामी दिन से, जैसी भी स्थिति हो, वापस सौंप देगा।

(2) जहां ठेकेदार रेत खदान/समूह का कब्जा उप-खण्ड (1) में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर सौंपने में असफल रहता है वहां कलक्टर या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी, सूचना की तामीली या तो डाक द्वारा या उसकी प्रति ठेकेदार को व्यक्तिगत रूप से या उसके परिवार के सदस्यों या नौकरों में से किसी को निविदत्त करते हुए या देते हुए

Scanned with CamScanner

उसके निवास स्थान अथवा कारबार के स्थान के किसी सहजदृश्य स्थान पर एक प्रति चस्पा करके या उसे उस स्थान में जहां ठेकेदार निवास करता है, परिचालित कम से कम एक समाचार-पत्र में प्रकाशित करके करेगा या करवाएगा।

(3) उपखण्ड (2) के अधीन सूचना में यह कथन अंतर्विष्ट होगा कि ठेकेदार, रेत खदान/समूह का कब्जा कलक्टर या उप-खण्ड (1) के अधीन उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को सूचना की तामीली की तारीख से सात दिन के भीतर सौंप देगा।

(4) जहां ठेकेदार, उप-खण्ड (2) के अधीन सूचना में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर रेत खदान/समूह का कब्जा सौंपने में असफल रहता है वहां कलक्टर या उप-खण्ड (1) के अधीन उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, ठेकेदार से रेत खदान का कब्जा ले सकेगा और उस प्रयोजन के लिए ऐसे बल का प्रयोग कर सकेगा, जैसा कि आवश्यक समझा जाए।

(5) यदि ठेके की कालावधि की समाप्ति पर ठेकेदार, अगले दिन खदान का कब्जा सौंपने में असफल रहता है तो ठेकेदार, कब्जा वापस लिए जाने पर्यन्त, अनुबंध की समस्त शर्तों का पालन करेगा।

27. यदि ठेकेदार अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन करता है, तो कलक्टर/ निगम को ठेकेदार द्वारा जमा सुरक्षा राशि या उसके भाग समपहृत करने का अधिकार होगा।

28. ठेकेदार, खदान से खनिज या उसके उत्पाद ले जाने वाले प्रत्येक वाहन को राज्य सरकार द्वारा विहित अभिवहन पास के साथ ही प्रत्येक गंतव्य के लिए जाने देगा।

29. ई-निविदा दस्तावेज, अनुबंध आदि इस ठेके के अभिन्न अंग होंगे।

30. अनुबंध के अधीन, एतद्द्वारा यह पट्टक्रामित किया जाता है, कि यदि, ठेकेदार उपरोक्त में अंतर्विष्ट और उल्लिखित समस्त निबंधनों और शर्तों को पूर्ति करता है, तो सुरक्षा राशि की रकम रूपए और **रूपए 8,12,50,000 (आठ करोड़ बारह लाख पचास हजार रूपये)** मात्र (अग्रिम धन) जो कि ठेकेदार द्वारा जमा की गई है कलक्टर/निगम द्वारा उसे वापिस की जाएगी।

Scanned with CamScanner

अनुसूची-क
(पैरा 1 देखिए)

(पैरा 1 देखिए)क्र0	जिला	तहसील	समूह क्रं0 / नाम	ग्राम	खसरा क्रमांक	रकबा (हे)
1	2	3	4	5	6	7
08	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	बैतूल	नांदू	91	2.900

• इस अनुबंध पत्र की देय स्टाम्प एवं पंजीयन शुल्क दस्तावेज ई-कोड क्रमांक 0101030606202001234 दिनांक 06.06.2020 व्दारा चुकाया जा चुका है।

26/06/2020
(कार्यपालक संचालक)

साक्षियों का पूरा नाम, व्यवसाय एवं हस्ताक्षर

1----------

2---------- कार्यालय (सामान्य)

साक्षियों का पूरा नाम, व्यवसाय एवं हस्ताक्षर

1----------

2----------

मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम मर्यादित
हस्ताक्षर
जिला.....
(मुहर)

ठेकेदार का नाम, पता तथा हस्ताक्षर

मेस्र्स/श्री मेसर्स होटल उमा रेसीडेन्सी
(अधिकृत व्यक्ति - श्री अनिल अग्रहरि)
चाणक्यपुरी कॉलोनी, रीवा रोड सतना
(म0प्र0) 485001

Scanned with CamScanner

प्ररूप-पाँच

(नियम 13(2) देखिए)

रेत खदान हेतु ठेके का अनुबंध

यह करार एक पक्ष के रूप जो प्रबंध संचालक, म0प्र0 राज्य खनिज निगम मर्यादित(निगम), जिला भोपाल के माध्यम से कार्य करते हुए मध्यप्रदेश के राज्यपाल (जिन्हें इसमें इसके पश्चात राज्यपाल कहा गया है), जिस अभिव्यक्ति में उनके पद उत्तरवर्ती सम्मिलित हैं और अन्य पक्ष के रूप में श्री/श्रीमती/कुमारी **मेसर्स होटल उमा रेसीडेन्सी (अधिकृत व्यक्ति - श्री अशोक कुमार पटेल) पंजीकृत पता- चाणक्यपुरी कॉलोनी, रीवा रोड सतना (म0प्र0) 485001** (जिसे इसमें इसके पश्चात "ठेकेदार" कहा गया है) जिस अभिव्यक्ति में, जहां कि संदर्भ ऐसा स्वीकार है, उसके वारिस, निष्पादक, प्रशासक, प्रतिनिधि और अनुज्ञात समनुदेशिती शामिल है) के बीच आज दिनांक 24..... माह 10..... सन् 2020 को **दिनांक ..... से 30.06.2023 की अवधि** हेतु व्यापारिक खदान के लिये किया गया।

1. यतः, ठेकेदार, निविदा की शर्तों के अनुसार निविदा की राशि **रूपए 32,50,00,000/- (बत्तीस करोड़ पचास लाख रूपये)** प्रतिवर्ष का भुगतान करने के लिए सहमत हो गया है, जो रकम एतद व्दारा ठेका राशि कहलाएगी और **रूपए 8,12,50,000 (आठ करोड़ बारह लाख पचास हजार रूपये).** अग्रिम धन (सुरक्षा राशि) के रूप में और रूपए (लागू नहीं) प्रतिभूति राशि और रूपए (लागू नहीं) ठेका अवधि में देय संपूर्ण राशि के समतुल्य है, और जो ठेके के निबंधनों और शर्तों के सन्यक् पालन के लिए जमा रखी जाएगी और जो कि ठेके के अनुबंध का किसी प्रकार भंग किये जाने की स्थिति समपहृत किये जाने योग्य होगी; और

यतः, राज्य शासन/ निगम ने उसे उस रेत खदान का ठेका स्वीकृत किया है जिसका मानचित्र संलग्न है जिस खदान **टांगनामाल, खसरा क्र. 209, रकबा 4.000 हे0, तहसील शाहपुर जिला बैतूल** है और जिसका विवरण संलग्न अनुसूची "क" में दिया गया है जो अब आगे "खदान" कही जाएगी।

2. अब यह अनुबंध साक्षी है कि ठेका राशि, रॉयल्टी, किराया तथा अन्य भुगतानों के प्रतिफल में तथा शर्तों, प्रसंविदाओं और करार के प्रतिफल में तथा अध्यधीन रहते हुए ठेकेदार को खनन के प्रयोजनों के लिए प्रदत्त क्षेत्र में प्रवेश करने, अधिभोग रखने तथा उपयोग और इस शर्त के अध्यधीन रहते हुए कि कलक्टर को ठेके की पूरी अवधि के दौरान सभी समय पर खदान के भीतर अवस्थित या ठेकेदार के नियंत्रण के अधीन अन्य कहीं उत्पादों के प्रचलित उचित बाजार मूल्य पर अग्र क्रयाधिकार होगा, खनिज या खनिज के उत्पादों को खदान से बाहर ले जाने तथा उनका विक्रय करने की स्वतंत्रता होगी।

HOTEL UMA RESIDENCY
Auth. Sign.

डॉ. वरदमूर्ति मिश्र
कार्यपालक संचालक
म. प्र. स्टेट माईनिंग कार्पो. लि.

3. ठेकेदार इस अनुबंध के अनुसरण में, एतद्द्वारा, निविदाकार को पट्टान्तरित भूमि का तारीख ..... से तारीख 30.06.2023 तक अधिभोग रखेगा तथा कब्जा ग्रहण करेगा।

4. एतद्द्वारा यह सहमति प्रदान की जाती है कि एतद द्वारा पट्टान्तरित ठेके पर दिये गये क्षेत्र की सीमाएं खड़ी नीचे की ओर भूमि के केन्द्र तक रहेंगी।

5.(1) ठेकेदार वार्षिक ठेका राशि रूपए **32,50,00,000/- (बत्तीस करोड़ पचास लाख रूपये)** का नीचे दी गई तारीख या उसके पूर्व किश्तों में भुगतान करेगा:-

अनुक्रमांक	किश्त क्रमांक	किश्त की राशि (रूपए में)	किश्त जमा करनें की तारीख
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	प्रथम किश्त	8,12,50,000	प्रथम त्रैमास के प्रथम दिवस
2.	द्वितीय किश्त	8,12,50,000	द्वितीय त्रैमास के प्रथम दिवस
3.	तृतीय किश्त	8,12,50,000	तृतीय त्रैमास के प्रथम दिवस
4.	चतुर्थ किश्त	8,12,50,000	चतुर्थ त्रैमास के प्रथम दिवस

परन्तु ठेकेदार, ठेका राशि तथा रेत खदान से संबंधित अन्य संपूर्ण रकम प्रथमत: मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम द्वारा इस प्रयोजन हेतु संचालित खाते में जमा करेगा:

परन्तु, यदि ठेकेदार नियत तारीख को किश्तों को जमा करने में असफल रहता है तो ठेकेदार के पक्ष में आबंटित समूह की खदानों के लिए ई-टीपी बन्द की जाएगी तथा खदान संचालन पर रोक लगा दी जाएगी तथा ठेकेदार को इस आशय का कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा, कि किश्त की राशि जमा करनें में असफल रहनें पर क्यों न उनका ठेका निरस्त कर दिया जाए:

परन्तु और यह कि, किश्त जमा करनें की निर्धारित तारीख 30 दिवस के भीतर ठेकेदार द्वारा उक्त कारण बताओ नोटिस का जवाब देते हुए विलंब अवधि पर 24 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज सहित देय किश्त/किश्तों का भुगतान करने पर, कलेक्टर/निगम द्वारा खदान का संचालन के लिए अनुमति दे सकेगा :

परन्तु यह और कि 30 दिवस की अवधि के भीतर उपरोक्तानुसार यदि ठेकेदार राशि जमा करने में असफल रहता है तो, कलेक्टर/निगम द्वारा व्यपगत आदेश कर पुन: निविदा हेतु शासन को अनुरोध किया जाएगा। निविदा की विज्ञप्ति प्रकाशन के पूर्व तक ठेकेदार समस्त देयतायें 24 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ जमा कर सकता है। नवीन निविदा विज्ञप्ति प्रकाशन पर स्वमेव ठेका पूर्ण रूप से निरस्त समझा जाएगा :

डॉ. वरदमूर्ति मिश्र
कार्यपालक संचालक
म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पो. लि.

UMA RESIDENCY
Auth. Sign.

परन्तु यह और भी कि, जब तक किश्त की राशि मय ब्याज के प्राप्त होगी तो तब तक ठेकेदार के पक्ष में आबंटित समूह की खदानों के लिए ई-टीपी जारी किए जाने पर रोक रहेगी।

(2) ठेकेदार, ठेका राशि की रकम के एवज में खनन योजना, पर्यावरण स्वीकृति एवं जल तथा वायु सम्मति में (इनमें से जो भी कम हो) अनुज्ञात रेत की मात्रा ले जा सकेगा :

परन्तु, यदि ठेकेदार निर्धारित मात्रा से अधिक मात्रा में खनिज निकालेगा या ले जायेगा, तब वह उस अधिक निकाली गई या ले जायी गई मात्रा के लिए ऐसी मात्रा के मूल्य का भुगतान करने के दायित्वधीन होगा :

परन्तु यह कि, यदि किसी वर्ष में उत्खनित मात्रा अनुमोदित खनन योजना में उल्लिखित मात्रा से 20 प्रतिशत कम हो तो इस मात्रा के आगामी वर्ष में निकाले जाने की अनुमति दी जाएगी, किन्तु उस वर्ष के ठेकाधन में अवशिष्ट मात्रा के अंतर की राशि जमा की जानी होगी। अनुमोदित खनन योजना का पुनरीक्षण किया जाएगा एवं वार्षिक ठेका राशि आनुपातिक रूप से पुनरीक्षित किया जाएगा। खनन योजना के पुनरीक्षण की स्थिति में, यथा आवश्यक पर्यावरणीय अनुमति प्राप्त की जाएगी। ठेकावधि में अनुमोदित खनन योजना में उल्लिखित मात्रा का खनन अनिवार्य होगा, अन्यथा जमा की गई सुरक्षा राशि सम्पहृत की जा सकेगी:

परन्तु यह और कि, यदि ठेकेदार किसी वर्ष उस वर्ष की अनुज्ञात मात्रा से अधिक मात्रा (20 प्रतिशत से अधिक नहीं) की निकासी करना चाहता है, तब उसे प्रस्ताव अनुसार अनुमोदित खनन योजना एवं पर्यावरण अनुमति में यथायोग्य पुनरीक्षण/संशोधन करना होगा एवं यह बढ़ी हुई मात्रा आगामी वर्ष की अनुज्ञात मात्रा के विरुद्ध समायोजित की जाएगी। किसी भी स्थिति में, ठेकावधि हेतु स्वीकृति मात्रा से अधिक मात्रा में निकासी की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(3) उस स्थिति में जब ठेकेदार, उपरोक्त पैरा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए वार्षिक कार्य योजना में तिमाही हेतु उल्लिखित मात्रा से अधिक खनिज निकालता है तो वह ऐसे निकाले गए अधिक मात्रा एवं तिमाही में चुकाई गई किश्त राशि के अंतर की राशि का भुगतान (तीस दिन) के भीतर किया जाना होगा, अन्यथा आगामी खनिज निकासी रोक दी जाएगी तो भुगतान करने का उत्तरदायी होगा :

परन्तु, यदि ठेकेदार नियत तारीख पर रकम का भुगतान करने में असफल रहता है तो वह 24 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज सहित शोध्य राशि/राशियों का भुगतान करने का उत्तरदायी होगा।

6. रेत खदान से संबंधित ठेका राशि एवं अन्य राशियां ठेकेदार द्वारा मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम द्वारा इस प्रयोजन हेतु संचालित खाते में प्रथमत: जमा कराई जाएगी।

डॉ. वरदमूर्ति मिश्र
कार्यपालक संचालक
म. प्र. स्टेट माईनिंग कार्पो. लि.

UMA RESIDENCY
Auth. Sign.

7. ठेका रकम तथा अन्य शोध्यों के, जो कि इस करार के निबंधनों के अधीन देय हैं, शोध्य तारीखों से दो मास से अधिक अवधि तक भुगतान न किए जाने की दशा में कलक्टर या उसके द्वारा पाधिकृत कोई अधिकारी परिसर में प्रवेश करने के लिए सशक्त होगा तथा/या उसके उत्पाद और/या खदान में ठेकेदार द्वारा रखी गई चल सम्पत्ति को अभिग्रहीत कर सकेगा और ले जा सकेगा।

8. यदि इस अनुबंध के अधीन ठेके की राशि या कोई अन्य शोध्य ठेकेदार द्वारा एक मास से अधिक के लिए असंदत्त रहती है तो कलेक्टर/निगम ठेका रद्द किये जाने संबंधी प्रस्ताव राज्य शासन को प्रेषित करेगा एवं राज्य शासन का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

9. ठेकेदार, खदान के समीप ऐसे अस्थायी भवन आदि खड़ा करने का हकदार होगा जैसा कि उत्खनन प्रयोजनों के लिए अपेक्षित हो और इसे ठेका अवधि समाप्ति के पूर्व हटा लेगा। ऐसा नहीं करने की स्थिति में, ठेका समाप्ति के पश्चात खदान के समीप भूमि पर निर्मित ऐसे कोई भवन आदि राज्य सरकार की संपत्ति होंगी तथा जिसके लिए ठेकेदार को उस पर का प्रतिकर दावा करने का अधिकार नहीं होगा।

10. ठेकेदार, स्वयं के व्यय पर, भूमि की सीमाओं को दर्शित करने के लिए सीमा चिन्ह तथा स्तंभ (पिलर) का निर्माण करेगा एवं उन्हें हमेशा दुरूस्त रखेगा।

11. ठेकेदार, ठेके के अधीन प्राप्त भूमि या उसके किसी भाग को समनुदेशित या उप पट्टे पर नहीं देगा अथवा ठेके के अधीन प्रदत्त अधिकारों/विशेषाधिकारों को अंतरित नहीं करेगा।

12. ठेकेदार, इस अनुबंध के अधीन प्रदत्त भूमि की समुचित स्वच्छता बनाए रखने का उत्तरदायी होगा ।

13. ठेकेदार, उस समय समस्त नियमों तथा विनियमों और ऐसी अन्य शर्तों से बाध्य होगा, जैसा कि शासन द्वारा समय-समय पर अधिरोपित की जाएं।

14. ठेकेदार, खदान में कार्य कर रहे व्यक्तियों के स्वास्थ्य एवं संरक्षा के समुचित उपाय करने के लिए आबद्ध होगा।

15. ठेकेदार, सड़क, पानी से संबंधित अधिकारों और अन्य सुखाधिकारों का ध्यान रखेगा।

डॉ. वरदमूर्ति मिश्र
कार्यपालक संचालक
म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पो. लि.

...MA RESIDENCY
Auth. Sign.

16. सरकार को यह अधिकार होगा, कि वह पट्टाकृत क्षेत्र के ऊपर संचार साधनों की स्थापना के लिए ऊपर मार्ग का निर्माण करे या अन्य उपाय करे एवं ठेकेदार को उसके लिए प्रतिकर दावा करने का अधिकार नहीं होगा।

17. ठेकेदार अनुमोदित खनन योजना के अनुसार खनन संक्रिया करेगा और रेत तथा बजरी का खनन सतह से अधिकतम तीन मीटर तक अथवा जल स्तर तक जो भी कम हो, किया जाएगा। किन्तु ऐसा उत्खनन नदी/नाले के भीतर प्रतिषिद्ध होगा।

18. ठेकेदार, खदान से अभिप्राप्त और विक्रय किए गए या निकास किए गए खनिज की मात्रा तथा विशिष्टियां दर्शाते हुए उनका सही लेखा और खदान में नियोजित व्यक्तियों की संख्या तथा खदान का पूर्ण रेखांक संधारित करेगा और शासन/ कलक्टर द्वारा प्राधिकृत किए गए अधिकारी को किसी भी समय ऐसे लेखाओं तथा रेखांकों का परीक्षण करने देगा तथा ऐसे सक्षम अधिकारी द्वारा निरीक्षण के दौरान या मांग की जाने पर उन्हें प्रस्तुत करेगा।

19. ठेकेदार, नीचे दिये गए प्ररूप में मासिक विवरणी प्रत्येक मास की 7 तारीख के पूर्व म0प्र0 राज्य खनिज निगम मर्यादित को प्रस्तुत करेगा :

माह	निकाले गये खनिज का प्रारंभिक स्टॉक (घनमीटर)	माह में निकाले गए खनिज की मात्रा (घनमीटर)	माह में निकास किए गए खनिज की मात्रा (घनमीटर)	माह में विक्रय किए गए खनिज की मात्रा (घनमीटर)	माह के अंत में खनिज का अंतिम स्टॉक (घनमीटर)	माह के दौरान नियोजित श्रमिकों की औसत संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

20. ठेकेदार, खदान क्षेत्र में घटने वाली किसी दुर्घटना की रिपोर्ट तत्काल संबंधित जिला मजिस्ट्रेट को देगा।

21. ठेकेदार, उसके ठेके में शामिल की गई रेत खदानों के पहुंच मार्ग, खनिज की उपलब्धता तथा कोई कारण से ठेकाधन की राशि में संशोधन किए जाने संबंध में कलक्टर/निगम के विरुद्ध कोई प्रतिकर या नुकसान का दावा नहीं करेगा।

22. यदि ठेकेदार, उक्त ठेके की कालावधि के पूर्ण होने के पूर्व ठेके को पर्यवसित करने का इच्छुक है तो वह ऐसे आशय की छह मास की लिखित सूचना कलक्टर/निगम को देगा। उपरोक्त अवधि समाप्त होने एवं ठेकेदार के विरुद्ध बकाया न होने की स्थिति में कलेक्टर/निगम से प्राप्त

डॉ. वीरमूर्ति मिश्र
कार्यपालक संचालक
म. प्र. स्टेट माईनिंग कार्पो. लि.

Page 5 of 8

प्रस्ताव पर राज्य शासन द्वारा समर्पण स्वीकार किया जाएगा एवं उसकी सुरक्षा राशि वापस की जाएगी। उक्त अवधि के लिए वार्षिक ठेकाधन ठेकेदार द्वारा अनिवार्य रूप से जमा किया जाएगा, इस अवधि में खनन संक्रियाएं संचालित की जा सकेंगी। यदि एक बार समर्पण के लिए आवेदन प्रस्तुत कर दिया जाता है तो वह पुन: वापसी योग्य नहीं होगा। समर्पण सूचना प्राप्त होने के पश्चात समूह की पुन: निविदा प्रक्रिया निगम द्वारा प्रारंभ की जाएगी।

23. ठेकेदार, जिसके लिए उसको ठेका दिया गया है, उससे भिन्न प्रयोजन के लिए इस अनुबंध के अधीन उसको दी गई भूमि का उपयोग नहीं करेगा।

24. (1) युद्ध की स्थिति में या आपातकाल की दशा में, सरकार को खदान, वस्तुएं, भूमि, मशीनरी, संयंत्र, भवन तथा सामग्री का कब्जा लेने का अधिकार रहेगा तथा ऐसी स्थिति में ठेकेदार द्वारा किसी प्रतिकर के लिए कोई दावा नहीं करेगा।

(2) राज्य सरकार को लोकहित में ठेके की कालावधि समाप्त होने के पूर्व कब्जा वापस लेने का अधिकार होगा:

परन्तु कब्जा लेने के पूर्व ठेकेदार को एक माह की अग्रिम सूचना दी जाएगी।

25. यदि इस ठेके के संबंध में और/या उसके संबंध में और/या कोई विवाद होने की स्थिति में, राज्य शासन का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

26. **कब्जे का पुनर्ग्रहण-** (1) जहां कोई रेत खदान रद्द की जाती है या अवधारित की जाती है अथवा खदान के कब्जे का लोकहित में पुनर्ग्रहण करने का विनिश्चिय किया जाता है या वह कालावधि जिसके लिए रेत खदान मंजूर की गई हो, समाप्त हो जाती है तो ठेकेदार, खदान का कब्जा कलक्टर को, जिसमें रेत खदान/समूह या उसका बड़ा भाग अवस्थित हो, रद्द किए जाने या पर्यवसित किए जाने या लोकहित में कब्जा वापस लेने के विनिश्चय की संसूचना की तारीख से सात दिन की कालावधि के भीतर या खदान के ठेके की कालावधि समाप्त होने की तारीख के आगामी दिन से, जैसी भी स्थिति हो, वापस सौंप देगा।

(2) जहां ठेकेदार रेत खदान/समूह का कब्जा, उप-खण्ड (1) में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर सौंपने में असफल रहता है वहां कलक्टर या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी, सूचना की तामीली या तो डाक द्वारा या उसकी प्रति ठेकेदार को व्यक्तिगत रूप से या उसके परिवार के सदस्यों या नौकरों में से किसी को निविदत्त करते हुए या देते हुए उसके निवास स्थान अथवा कारबार के स्थान के किसी सहजदृश्य स्थान पर एक प्रति

डॉ. वरदमूर्ति मिश्र
कार्यपालक संचालक
म. प्र. स्टेट माईनिंग कार्पो. लि.

HOTEL UMA RESIDENCY

चस्पा करके या उसे उस स्थान में जहां ठेकेदार निवास करता है, परिचालित कम से कम एक समाचार-पत्र में प्रकाशित करके करेगा या करवाएगा।

(3) उपखण्ड (2) के अधीन सूचना में यह कथन अंतर्विष्ट होगा कि ठेकेदार, रेत खदान/समूह का कब्जा कलक्टर या उप-खण्ड (1) के अधीन उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को सूचना की तामीली की तारीख से सात दिन के भीतर सौंप देगा।

(4) जहां ठेकेदार, उप-खण्ड (2) के अधीन सूचना में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर रेत खदान/समूह का कब्जा सौंपने में असफल रहता है वहां कलक्टर या उप-खण्ड (1) के अधीन उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, ठेकेदार से रेत खदान का कब्जा ले सकेगा और उस प्रयोजन के लिए ऐसे बल का प्रयोग कर सकेगा, जैसा कि आवश्यक समझा जाए।

(5) यदि ठेके की कालावधि की समाप्ति पर ठेकेदार, अगले दिन खदान का कब्जा सौंपने में असफल रहता है तो ठेकेदार, कब्जा वापस लिए जाने पर्यन्त, अनुबंध की समस्त शर्तों का पालन करेगा।

27. यदि ठेकेदार अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन करता है, तो कलक्टर/ निगम को ठेकेदार द्वारा जमा सुरक्षा राशि या उसके भाग समपहृत करने का अधिकार होगा।

28. ठेकेदार, खदान से खनिज या उसके उत्पाद ले जाने वाले प्रत्येक वाहन को राज्य सरकार द्वारा विहित अभिवहन पास के साथ ही प्रत्येक गंतव्य के लिए जाने देगा।

29. ई-निविदा दस्तावेज, अनुबंध आदि इस ठेके के अभिन्न अंग होंगे।

30. अनुबंध के अधीन, एतद्द्वारा यह पृक्रामित किया जाता है, कि यदि, ठेकेदार उपरोक्त में अंतर्विष्ट और उल्लिखित समस्त निबंधनों और शर्तों को पूर्ति करता है, तो सुरक्षा राशि की रकम रुपए और **रुपए 8,12,50,000 (आठ करोड़ बारह लाख पचास हजार रुपये)** मात्र (अग्रिम धन) जो कि ठेकेदार द्वारा जमा की गई है कलक्टर/निगम व्दारा उसे वापिस की जाएगी।

डॉ. वरदमूर्ति मिश्र
कार्यपालक संचालक
म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पो. लि.

HOTEL UMA RESIDENCY
Auth. Sign.

अनुसूची-क
(पैरा 1 देखिए)

(पैरा 1 देखिए)क्र0	जिला	तहसील	समूह क्रं0 / नाम	ग्राम	खसरा क्रमांक	रकबा (हे.)
1	2	3	4	5	6	7
44	बैतूल	शाहपुर	बैतूल	टांगनामाल	209	4.000

• इस अनुबंध पत्र की देय स्टाम्प एवं पंजीयन शुल्क दस्तावेज ई-कोड क्रमांक 0101030606202001234 4 दिनांक 06.06.2020 व्दारा चुकाया जा चुका है।

(कार्यपालक संचालक)
डॉ. वरदमूर्ति मिश्र
मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम मर्यादित
म. प्र. स्टेट माईनिंग कार्पो. लि.
हस्ताक्षर
जिला.....
(मुहर)

साक्षियों का पूरा नाम, व्यवसाय एवं हस्ताक्षर

1.....
आशुतोष पटेल
सहायक संचालक (खान)
2.....
24/10/20

साक्षियों का पूरा नाम, व्यवसाय एवं हस्ताक्षर

1 गोपाल पवार ज.49 एमपीनगर भोपाल

2-योगेश सिंह वीरा ठेकेदार

ठेकेदार का नाम, पता तथा हस्ताक्षर

मेसर्स श्री मेसर्स होटल उमा रेसीडेन्सी
(अधिकृत व्यक्ति - श्री अशोक कुमार पटेल)
पंजीकृत पता- चाणक्यपुरी कॉलोनी, रीवा रोड
सतना (म0प्र0) 485001

Registration and Stamp Department
Madhya Pradesh

Certificate of Stamp Duty

E-Stamp Details

E-Stamp Code	0101032210202001250l
Total E-Stamp Amount	1000
Govt. Stamp Duty (Rs.)	1000
Municipality Duty (Rs.)	0
Janpad Duty (Rs.)	0
Upkar Amount (Rs.)	0
Exempted Amount(Rs.)	0
E-Stamp Type	NON-JUDICIAL
Issue Date & Time	22/10/2020 16:06:27
Service Provider or Issuer Details	RAVI SUMAN PUROHIT/SP010541609201600065
SP/SRO/DRO/HO Details	494, PUROHIT LAW CHAMBER, OPP-OLD VIDHAN SABHA BHOPAL -462003 HUZUR BHOPAL

Deed Details

Deed Type	Letter of Guarantee
Deed Instrument	Letter of Guarantee.- One Thousand rupees.
Purpose	LETTER OF GUARANTEE

First Party Details

Organization Name	HOTEL UMA RESIDENCY
Address	KHASRA NO. 209, VILLAGE TANGANAMAL, TEHSIL SHAHPUR, BETUL Madhya Pradesh INDIA
Number of Persons	1

Second Party Details

Organization Name	MINING CORPORATION LIMITED
Address	OFFICE OF THE MINING CORPORATION LIMITED BHOPAL Madhya Pradesh INDIA
Number of Persons	1

Digitally signed by Ravi Suman Purohit
Date: 2020.10.22 16:06:33 IST

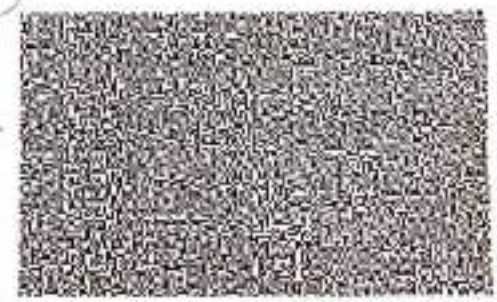

Registration and Stamp Department
Madhya Pradesh

Certificate of Stamp Duty

E-Stamp Details

E-Stamp Code	0101032210202001257 7
Total E-Stamp Amount	1000
Govt. Stamp Duty (Rs.)	1000
Janpad Duty (Rs.)	0
Exempted Amount(Rs.)	0
Municipality Duty (Rs.)	0
Upkar Amount (Rs.)	0
E-Stamp Type	NON-JUDICIAL
Issue Date & Time	22/10/2020 16:08:20
Service Provider or Issuer Details	RAVI SUMAN PUROHIT/SP0105416092016000 65
SP/SRO/DRO/HO Details	494, PUROHIT LAW CHAMBER, OPP-OLD VIDHAN SABHA BHOPAL -462003 HUZUR BHOPAL

Deed Details

Deed Type	Letter of Guarantee
Deed Instrument	Letter of Guarantee.- One Thousand rupees.
Purpose	LETTER OF GUARANTEE

First Party Details

Organization Name	HOTEL UMA RESIDENCY
Address	KHASRA NO. 209, VILLAGE TANGANAMAL, TEHSIL SHAHPUR, BETUL Madhya Pradesh INDIA
Number of Persons	1

Second Party Details

Organization Name	MINING CORPORATION LIMITED
Address	OFFICE OF THE MINING CORPORATION LIMITED BHOPAL Madhya Pradesh INDIA
Number of Persons	1

Digitally signed by Ravi Suman Purohit
Date: 2020.10.22 16:08:25 IST

रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प विभाग
मध्य प्रदेश

स्टाम्प शुल्क का प्रमाण पत्र

ई स्टाम्प विवरण

ई स्टाम्प कोड	0101030604202101243 9		
ई स्टाम्प राशि (रुपए)	1000		
शासकीय स्टाम्प ड्यूटी (रुपए)	1000	नगर पालिका ड्यूटी (रुपए)	0
जनपद ड्यूटी (रुपए)	0	उपकर राशि (रुपए)	0
छूट दी गई राशि (रुपए)	0		
ई स्टाम्प का प्रकार	गैर न्यायिक		
निर्गमन तिथि एवं समय	06/04/2021 18:54:59		
यूजर आईडी / जारीकर्ता	sanjeev Dubey/SP0103419042018000 99		
एस पी / एस आर ओ / डी आर ओ / एच ओ विवरण	dadarwadi ke pas Chakeer Road Moti Ward Betul Th. Betul Dist. Betul (MP) बैतूल बैतूल		

शीर्ष विवरण

विलेख का प्रकार	प्रत्याभूति-पत्र
लिखत	प्रत्याभूति-पत्र एक हजार रूपए.
उद्देश्य	Letter of Guarantee

पहले पक्ष के विवरण

संगठन का नाम	HOTEL UMA RESIDENCY
पता	KHASRA NO. 179 VILLAGE LONIYA TEH. GHODADONGRI DISTT. BETUL बैतूल मध्य प्रदेश भारत
व्यक्तियों की संख्या	1

दूसरे पक्ष के विवरण

संगठन का नाम	MINING CORPORATION LIMITED
पता	BHOPAL भोपाल मध्य प्रदेश भारत
व्यक्तियों की संख्या	1

Letter of Gurantee

Digitally signed by Sanjeev Dubey
Date: 2021.04.06 18:55:03 IST

Registration and Stamp Department
Madhya Pradesh

Certificate of Stamp Duty

E-Stamp Details

E-Stamp Code	0101030604202101246S		
Total E-Stamp Amount	1000		
Govt. Stamp Duty (Rs.)	1000	Municipality Duty (Rs.)	0
Janpad Duty (Rs.)	0	Upkar Amount (Rs.)	0
Exempted Amount(Rs.)	0		
E-Stamp Type	NON-JUDICIAL		
Issue Date & Time	06/04/2021 18:56:51		
Service Provider or Issuer Details	sanjeev Dubey/SP0103419042018000999		
SP/SRO/DRO/HO Details	dadawadi ke pas Chakeer Road Moti Ward Betul Th. Betul Dist. Betul (MP) BETUL		
	BETUL		

Deed Details

Deed Type	Letter of Guarantee
Deed Instrument	Letter of Guarantee.- One Thousand rupees.
Purpose	Letter of Guarantee

First Party Details

Organization Name	HOTEL UMA RESIDENCY
Address	KHASRA NO. 179 VILLAGE LONIYA TEH. GHODADONGRI DISTT. BETUL BETUL
	Madhya Pradesh INDIA
Number of Persons	1

Second Party Details

Organization Name	MINING CORPORATION LIMITED
Address	BHOPAL BHOPAL Madhya Pradesh INDIA
Number of Persons	1

Letter of Gurantee

Digitally signed by Sanjeev Dubey
Date: 2021.04.06 18:56:56 IST

प्ररूप-पाँच

(नियम 13(2) देखिए)

रेत खदान हेतु ठेके का अनुबंध

यह करार एक पक्ष के रूप जो प्रबंध संचालक, म0प्र0 राज्य खनिज निगम मर्यादित(निगम), जिला भोपाल के माध्यम से कार्य करते हुए मध्यप्रदेश के राज्यपाल (जिन्हें इसमें इसके पश्चात राज्यपाल कहा गया है), जिस अभिव्यक्ति में उनके पद उत्तरवर्ती सम्मिलित हैं और अन्य पक्ष के रूप में श्री/श्रीमती/कुमारी मेसर्स होटल उमा रेसीडेन्सी (अधिकृत व्यक्ति - श्री अनिल अग्रहरि) चाणक्यपुरी कॉलोनी, रीवा रोड सतना (म0प्र0) 485001 (जिसे इसमें इसके पश्चात "ठेकेदार" कहा गया है) जिस अभिव्यक्ति में, जहां कि संदर्भ ऐसा स्वीकार है, उसके वारिस, निष्पादक, प्रशासक, प्रतिनिधि और अनुज्ञात समनुदेशिती शामिल है) के बीच आज दिनांक 06 माह जून सन् 2020 को दिनांक ..... से 30.06.2023 की अवधि हेतु व्यापारिक खदान के लिये किया गया।

1. यतः, ठेकेदार, निविदा की शर्तों के अनुसार निविदा की राशि रूपए 32,50,00,000/- (बत्तीस करोड़ पचास लाख रूपये) प्रतिवर्ष का भुगतान करने के लिए सहमत हो गया है, जो रकम एतद द्वारा ठेका राशि कहलाएगी और रूपए 8,12,50,000 (आठ करोड़ बारह लाख पचास हजार रूपये). अग्रिम धन (सुरक्षा राशि) के रूप में और रूपए (लागू नहीं) प्रतिभूति राशि और रूपए (लागू नहीं) ठेका अवधि में देय संपूर्ण राशि के समतुल्य है, और जो ठेके के निबंधनों और शर्तो के सम्यक् पालन के लिए जमा रखी जाएगी और जो कि ठेके के अनुबंध का किसी प्रकार भंग किये जाने की स्थिति समपहृत किये जाने योग्य होगी; और

यतः, राज्य शासन/ निगम ने उसे उस रेत खदान का ठेका स्वीकृत किया है जिसका मानचित्र संलग्न है जिस खदान लोनिया, खसरा क्र. 179, रकबा 1.115 हे0, तहसील घोड़ाडोंगरी जिला बैतूल है और जिसका विवरण संलग्न अनुसूची "क" में दिया गया है जो अब आगे "खदान" कही जाएगी।

2. अब यह अनुबंध साक्षी है कि ठेका राशि, रॉयल्टी, किराया तथा अन्य भुगतानों के प्रतिफल में तथा शर्तों, प्रसंविदाओं और करार के प्रतिफल में तथा अध्यधीन रहते हुए ठेकेदार को खनन के प्रयोजनों के लिए प्रदत्त क्षेत्र में प्रवेश करने, अधिभोग रखने तथा उपयोग और इस शर्त के अध्यधीन रहते हुए कि कलक्टर को ठेके की पूरी अवधि के दौरान सभी समय पर खदान के भीतर अवस्थित या ठेकेदार के नियंत्रण के अधीन अन्य कहीं उत्पादों के प्रचलित उचित बाजार मूल्य पर अग्र क्रयाधिकार होगा, खनिज या खनिज के उत्पादों को खदान से बाहर ले जाने तथा उनका विक्रय करने की स्वतंत्रता होगी।

Scanned with CamScanner

3. ठेकेदार इस अनुबंध के अनुसरण में, एतद्द्वारा, निविदाकार को पट्टान्तरित भूमि का तारीख ..... से तारीख 30.06.2023 तक अधिभोग रखेगा तथा कब्जा ग्रहण करेगा।

4. एतद्द्वारा यह सहमति प्रदान की जाती है कि एतद द्वारा पट्टान्तरित ठेके पर दिये गये क्षेत्र की सीमाएं खड़ी नीचे की ओर भूमि के केन्द्र तक रहेंगी।

5.(1) ठेकेदार वार्षिक ठेका राशि रूपए 32,50,00,000/- (बत्तीस करोड़ पचास लाख रूपये) का नीचे दी गई तारीख या उसके पूर्व किश्तों में भुगतान करेगा:-

अनुक्रमांक	किश्त क्रमांक	किश्त की राशि (रूपए में)	किश्त जमा करनें की तारीख
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	प्रथम किश्त	8,12,50,000	प्रथम त्रैमास के प्रथम दिवस
2.	द्वितीय किश्त	8,12,50,000	द्वितीय त्रैमास के प्रथम दिवस
3.	तृतीय किश्त	8,12,50,000	तृतीय त्रैमास के प्रथम दिवस
4.	चतुर्थ किश्त	8,12,50,000	चतुर्थ त्रैमास के प्रथम दिवस

परन्तु ठेकेदार, ठेका राशि तथा रेत खदान से सबंधित अन्य संपूर्ण रकम प्रथमत: मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम द्वारा इस प्रयोजन हेतु संचालित खाते में जमा करेगा:

परन्तु, यदि ठेकेदार नियत तारीख को किश्तों को जमा करने में असफल रहता है तो ठेकेदार के पक्ष में आबंटित समूह की खदानों के लिए ई-टीपी बन्द की जाएगी तथा खदान संचालन पर रोक लगा दी जाएगी तथा ठेकेदार को इस आशय का कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा, कि किश्त की राशि जमा करनें में असफल रहने पर क्यों न उनका ठेका निरस्त कर दिया जाए:

परन्तु और यह कि, किश्त जमा करनें की निर्धारित तारीख 30 दिवस के भीतर ठेकेदार द्वारा उक्त कारण बताओ नोटिस का जवाब देते हुए विलंब अवधि पर 24 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज सहित देय किश्त/किश्तों का भुगतान करने पर, कलेक्टर/निगम द्वारा खदान का संचालन के लिए अनुमति दे सकेगा :

परन्तु यह और कि 30 दिवस की अवधि के भीतर उपरोक्तानुसार यदि ठेकेदार राशि जमा करने में असफल रहता है तो, कलेक्टर/निगम द्वारा व्यपगत आदेश कर पुन: निविदा हेतु शासन को अनुरोध किया जाएगा। निविदा की विज्ञप्ति प्रकाशन के पूर्व तक ठेकेदार समस्त देयतायें 24 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ जमा कर सकता है। नवीन निविदा विज्ञप्ति प्रकाशन पर स्वमेव ठेका पूर्ण रूप से निरस्त समझा जाएगा :

Scanned with CamScanner

परन्तु यह और भी कि, जब तक वित्त मंत्री राशि सह ब्याज के प्राप्त होगी तो तब तक ठेकेदार के पक्ष में आवंटित समूह की खदानों के लिए ई-टीपी जारी किए जाने पर रोक रहेगी।

(2) ठेकेदार, ठेका राशि की रकम के एवज में खनन योजना, पर्यावरण स्वीकृति एवं जल तथा वायु सम्मति में (इनमें से जो भी कम हो) अनुज्ञात रेत की मात्रा ले जा सकेगा :

परन्तु, यदि ठेकेदार निर्धारित मात्रा से अधिक मात्रा में खनिज निकालेगा या ले जायेगा, तब वह उस अधिक निकाली गई या ले जायी गई मात्रा के लिए ऐसी मात्रा के मूल्य का भुगतान करने के दायित्वधीन होगा :

परन्तु यह कि, यदि किसी वर्ष में उत्खनित मात्रा अनुमोदित खनन योजना में उल्लिखित मात्रा से 20 प्रतिशत कम हो तो इस मात्रा के आगामी वर्ष में निकाले जाने की अनुमति दी जाएगी, किन्तु उस वर्ष के ठेकाधन में अवशिष्ट मात्रा के अंतर की राशि जमा की जानी होगी। अनुमोदित खनन योजना का पुनरीक्षण किया जाएगा एवं वार्षिक ठेका राशि आनुपातिक रूप से पुनरीक्षित किया जाएगा। खनन योजना के पुनरीक्षण की स्थिति में, यथा आवश्यक पर्यावरणीय अनुमति प्राप्त की जाएगी। ठेकावधि में अनुमोदित खनन योजना में उल्लिखित मात्रा का खनन अनिवार्य होगा, अन्यथा जमा की गई सुरक्षा राशि सम्पहत की जा सकेगी:

परन्तु यह और कि, यदि ठेकेदार किसी वर्ष उस वर्ष की अनुज्ञात मात्रा से अधिक मात्रा (20 प्रतिशत से अधिक नहीं) की निकासी करना चाहता है, तब उसे प्रस्ताव अनुसार अनुमोदित खनन योजना एवं पर्यावरण अनुमति में यथायोग्य पुनरीक्षण/संशोधन करना होगा एवं यह बढ़ी हुई मात्रा आगामी वर्ष की अनुज्ञात मात्रा के विरुद्ध समायोजित की जाएगी। किसी भी स्थिति में, ठेकावधि हेतु स्वीकृति मात्रा से अधिक मात्रा में निकासी की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(3) उस स्थिति में जब ठेकेदार, उपरोक्त पैरा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए वार्षिक कार्य योजना में तिमाही हेतु उल्लिखित मात्रा से अधिक खनिज निकालता है तो वह ऐसे निकाले गए अधिक मात्रा एवं तिमाही में चुकाई गई किश्त राशि के अंतर की राशि का भुगतान (तीस दिन) के भीतर किया जाना होगा, अन्यथा आगामी खनिज निकासी रोक दी जाएगी तो भुगतान करने का उत्तरदायी होगा :

परन्तु, यदि ठेकेदार नियत तारीख पर रकम का भुगतान करने में असफल रहता है तो वह 24 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज सहित शांध्य राशि/राशियों का भुगतान करने का उत्तरदायी होगा।

6. रेत खदान से संबंधित ठेका राशि एवं अन्य राशियां ठेकेदार द्वारा मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम द्वारा इस प्रयोजन हेतु संचालित खाते में प्रथमत: जमा कराई जाएगी।

Scanned with CamScanner

7. ठेका रकम तथा अन्य शोध्यों के, जो कि इस करार के निबंधनों के अधीन देय है, शोध्य तारीखों से दो मास से अधिक अवधि तक भुगतान न किए जाने की दशा में कलक्टर या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी परिसर में प्रवेश करने के लिए सशक्त होगा तथा/या उसके उत्पाद और/या खदान में ठेकेदार द्वारा रखी गई चल सम्पत्ति को अभिग्रहीत कर सकेगा और ले जा सकेगा।

8. यदि इस अनुबंध के अधीन ठेके की राशि या कोई अन्य शोध्य ठेकेदार द्वारा एक मास से अधिक के लिए असंदत्त रहती है तो कलेक्टर/निगम ठेका रद्द किये जाने संबंधी प्रस्ताव राज्य शासन को प्रेषित करेगा एवं राज्य शासन का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

9. ठेकेदार, खदान के समीप ऐसे अस्थायी भवन आदि खड़ा करने का हकदार होगा जैसा कि उत्खनन प्रयोजनों के लिए अपेक्षित हो और इसे ठेका अवधि समाप्ति के पूर्व हटा लेगा। ऐसा नहीं करने की स्थिति में, ठेका समाप्ति के पश्चात खदान के समीप भूमि पर निर्मित ऐसे कोई भवन आदि राज्य सरकार की संपत्ति होंगी तथा जिसके लिए ठेकेदार को उस पर का प्रतिकर दावा करने का अधिकार नहीं होगा।

10. ठेकेदार, स्वयं के व्यय पर, भूमि की सीमाओं को दर्शित करने के लिए सीमा चिन्ह तथा स्तंभ (पिलर) का निर्माण करेगा एवं उन्हें हमेशा दुरूस्त रखेगा।

11. ठेकेदार, ठेके के अधीन प्राप्त भूमि या उसके किसी भाग को समनुदेशित या उप पट्टे पर नहीं देगा अथवा ठेके के अधीन प्रदत्त अधिकारों/विशेषाधिकारों को अंतरित नहीं करेगा।

12. ठेकेदार, इस अनुबंध के अधीन प्रदत्त भूमि की समुचित स्वच्छता बनाए रखने का उत्तरदायी होगा ।

13. ठेकेदार, उस समय समस्त नियमों तथा विनियमों और ऐसी अन्य शर्तों से बाध्य होगा, जैसा कि शासन द्वारा समय-समय पर अधिरोपित की जाएं।

14. ठेकेदार, खदान में कार्य कर रहे व्यक्तियों के स्वास्थ्य एवं संरक्षा के समुचित उपाय करने के लिए आबद्ध होगा।

15. ठेकेदार, सड़क, पानी से संबंधित अधिकारों और अन्य सुखाधिकारों का ध्यान रखेगा।

Scanned with CamScanner

16. सरकार को यह अधिकार होगा, कि वह पट्टाकृत क्षेत्र के ऊपर संचार साधनों की स्थापना के लिए ऊपर मार्ग का निर्माण करे या अन्य उपाय करे एवं ठेकेदार को उसके लिए प्रतिकर दावा करने का अधिकार नहीं होगा।

17. ठेकेदार अनुमोदित खनन योजना के अनुसार खनन संक्रिया करेगा और रेत तथा बजरी का खनन सतह से अधिकतम तीन मीटर तक अथवा जल स्तर तक जो भी कम हो, किया जाएगा। किन्तु ऐसा उत्खनन नदी/नाले के भीतर प्रतिषिद्ध होगा।

18. ठेकेदार, खदान से अभिप्राप्त और विक्रय किए गए या निकास किए गए खनिज की मात्रा तथा विशिष्टियां दर्शाते हुए उनका सही लेखा और खदान में नियोजित व्यक्तियों की संख्या तथा खदान का पूर्ण रेखांक संधारित करेगा और शासन/ कलक्टर द्वारा प्राधिकृत किए गए अधिकारी को किसी भी समय ऐसे लेखाओं तथा रेखांकों का परीक्षण करने देगा तथा ऐसे सक्षम अधिकारी द्वारा निरीक्षण के दौरान या मांग की जाने पर उन्हें प्रस्तुत करेगा।

19. ठेकेदार, नीचे दिये गए प्ररूप में मासिक विवरणी प्रत्येक मास की 7 तारीख के पूर्व म0प्र0 राज्य खनिज निगम मर्यादित को प्रस्तुत करेगा :

माह	निकाले गये खनिज का प्रारंभिक स्टॉक (घनमीटर)	माह में निकाले गए खनिज की मात्रा (घनमीटर)	माह में निकास किए गए खनिज की मात्रा (घनमीटर)	माह में विक्रय किए गए खनिज की मात्रा (घनमीटर)	माह के अंत में खनिज का अंतिम स्टॉक (घनमीटर)	माह के दौरान नियोजित श्रमिकों की औसत संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

20. ठेकेदार, खदान क्षेत्र में घटने वाली किसी दुर्घटना की रिपोर्ट तत्काल संबंधित जिला मजिस्ट्रेट को देगा।

21. ठेकेदार, उसके ठेके में शामिल की गई रेत खदानों के पहुंच मार्ग, खनिज की उपलब्धता तथा कोई कारण से ठेकाधन की राशि में संशोधन किए जाने संबंध में कलक्टर/निगम के विरुद्ध कोई प्रतिकर या नुकसान का दावा नहीं करेगा।

22. यदि ठेकेदार, उक्त ठेके की कालावधि के पूर्ण होने के पूर्व ठेके को पर्यवसित करने का इच्छुक है तो वह ऐसे आशय की छह मास की लिखित सूचना कलक्टर/निगम को देगा। उपरोक्त

Scanned with CamScanner

अवधि समाप्त होने एवं ठेकेदार के विरुद्ध बकाया न होने की स्थिति में कलेक्टर/निगम से प्राप्त प्रस्ताव पर राज्य शासन द्वारा समर्पण स्वीकार किया जाएगा एवं उसकी सुरक्षा राशि वापस की जाएगी। उक्त अवधि के लिए वार्षिक ठेकापन ठेकेदार द्वारा अनिवार्य रूप से जमा किया जाएगा, इस अवधि में खनन संक्रियाएं संचालित की जा सकेंगी। यदि एक बार समर्पण के लिए आवेदन प्रस्तुत कर दिया जाता है तो वह पुनः वापसी योग्य नहीं होगा। समर्पण सूचना प्राप्त होने के पश्चात समूह की पुनः निविदा प्रक्रिया निगम द्वारा प्रारंभ की जाएगी।

23. ठेकेदार, जिसके लिए उसको ठेका दिया गया है, उससे भिन्न प्रयोजन के लिए इस अनुबंध के अधीन उसको दी गई भूमि का उपयोग नहीं करेगा।

24. (1) युद्ध की स्थिति में या आपातकाल की दशा में, सरकार को खदान, वस्तुएं, भूमि, मशीनरी, संयंत्र, भवन तथा सामग्री का कब्जा लेने का अधिकार रहेगा तथा ऐसी स्थिति में ठेकेदार द्वारा किसी प्रतिकर के लिए कोई दावा नहीं करेगा।

(2) राज्य सरकार को लोकहित में ठेके की कालावधि समाप्त होने के पूर्व कब्जा वापस लेने का अधिकार होगा:

परन्तु कब्जा लेने के पूर्व ठेकेदार को एक माह की अग्रिम सूचना दी जाएगी।

25. यदि इस ठेके के संबंध में और/या उसके संबंध में और/या कोई विवाद होने की स्थिति में, राज्य शासन का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

26. **कब्जे का पुनर्ग्रहण-** (1) जहां कोई रेत खदान रद्द की जाती है या अवधारित की जाती है अथवा खदान के कब्जे का लोकहित में पुनर्ग्रहण करने का विनिश्चिय किया जाता है या वह कालावधि जिसके लिए रेत खदान मंजूर की गई हो, समाप्त हो जाती है तो ठेकेदार, खदान का कब्जा कलक्टर को, जिसमें रेत खदान/समूह या उसका बड़ा भाग अवस्थित हो, रद्द किए जाने या पर्यवसित किए जाने या लोकहित में कब्जा वापस लेने के विनिश्चय की संसूचना की तारीख से सात दिन की कालावधि के भीतर या खदान के ठेके की कालावधि समाप्त होने की तारीख के आगामी दिन से, जैसी भी स्थिति हो, वापस सौंप देगा।

(2) जहां ठेकेदार रेत खदान/समूह का कब्जा, उप-खण्ड (1) में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर सौंपने में असफल रहता है वहां कलक्टर या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी, सूचना की तामीली या तो डाक द्वारा या उसकी प्रति ठेकेदार को व्यक्तिगत रूप से या उसके परिवार के सदस्यों या नौकरों में से किसी को निविदत्त करते हुए या देते हुए

Scanned with CamScanner

उसके निवास स्थान अथवा कारबार के स्थान के किसी सहजदृश्य स्थान पर एक प्रति चस्पा करके या उसे उस स्थान में जहां ठेकेदार निवास करता है, परिचालित कम से कम एक समाचार-पत्र में प्रकाशित करके करेगा या करवाएगा।

(3) उपखण्ड (2) के अधीन सूचना में यह कथन अंतर्विष्ट होगा कि ठेकेदार, रेत खदान/समूह का कब्जा कलक्टर या उप-खण्ड (1) के अधीन उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को सूचना की तामीली की तारीख से सात दिन के भीतर सौंप देगा।

(4) जहां ठेकेदार, उप-खण्ड (2) के अधीन सूचना में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर रेत खदान/समूह का कब्जा सौंपने में असफल रहता है वहां कलक्टर या उप-खण्ड (1) के अधीन उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, ठेकेदार से रेत खदान का कब्जा ले सकेगा और उस प्रयोजन के लिए ऐसे बल का प्रयोग कर सकेगा, जैसा कि आवश्यक समझा जाए।

(5) यदि ठेके की कालावधि की समाप्ति पर ठेकेदार, अगले दिन खदान का कब्जा सौंपने में असफल रहता है तो ठेकेदार, कब्जा वापस लिए जाने पर्यन्त, अनुबंध की समस्त शर्तों का पालन करेगा।

27. यदि ठेकेदार अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन करता है, तो कलक्टर/ निगम को ठेकेदार द्वारा जमा सुरक्षा राशि या उसके भाग समपहृत करने का अधिकार होगा।

28. ठेकेदार, खदान से खनिज या उसके उत्पाद ले जाने वाले प्रत्येक वाहन को राज्य सरकार द्वारा विहित अभिवहन पास के साथ ही प्रत्येक गंतव्य के लिए जाने देगा।

29. ई-निविदा दस्तावेज, अनुबंध आदि इस ठेके के अभिन्न अंग होंगे।

30. अनुबंध के अधीन, एतद्द्वारा यह पट्टक्रामित किया जाता है, कि यदि, ठेकेदार उपरोक्त में अंतर्विष्ट और उल्लिखित समस्त निबंधनों और शर्तों को पूर्ति करता है, तो सुरक्षा राशि की रकम रूपए और **रूपए 8,12,50,000 (आठ करोड़ बारह लाख पचास हजार रूपये)** मात्र (अग्रिम धन) जो कि ठेकेदार द्वारा जमा की गई है कलक्टर/निगम व्दारा उसे वापिस की जाएगी।

Scanned with CamScanner

अनुसूची-क
(पैरा 1 देखिए)

(पैरा 1 देखिए)क्र0	जिला	तहसील	समूह क्र0/नाम	ग्राम	खसरा क्रमांक	रकबा (हे.)
1	2	3		4	5	6
01	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	बैतूल	लोनिया	179	1.115

* इस अनुबंध पत्र की देय स्टाम्प एवं पंजीयन शुल्क दस्तावेज क्रमांक..... दिनांक..... द्वारा चुकाया जा चुका है।

06/06/2020

(कार्यपालक संचालक)

मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम मर्यादित

हस्ताक्षर

जिला.....

(मुहर)

No. : Hotel Uma Residency

ठेकेदार का नाम, पता तथा हस्ताक्षर

मेसर्स/श्री मेसर्स होटल उमा रेसीडेन्सी
(अधिकृत व्यक्ति - श्री अनिल अग्रहरि)
चाणक्यपुरी कॉलोनी, रीवा रोड सतना
(म0प्र0) 485001

साक्षियों का पूरा नाम, व्यवसाय एवं हस्ताक्षर

1.....

2.....

साक्षियों का पूरा नाम, व्यवसाय एवं हस्ताक्षर

1. ASHISH PURI

2. SHUBHAM DUBEY

Scanned with CamScanner

Registration and Stamp Department
Madhya Pradesh

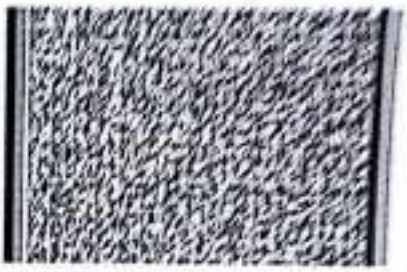

Certificate of Stamp Duty

E-Stamp Details			
E-Stamp Code	0101031210202000939 7		
Total E-Stamp Amount	1000		
Govt. Stamp Duty (Rs.)	1000	Municipality Duty (Rs.)	0
Janpad Duty (Rs.)	0	Upkar Amount (Rs.)	0
Exempted Amount(Rs.)	0		
E-Stamp Type	NON-JUDICIAL		
Issue Date & Time	12/10/2020 14:51:34		
Service Provider or Issuer Details	SHYAM SINGH NARWARIA/SP0105417112017000009		
SP/SRO/DRO/HO Details	SHOP NO. 5, OLD VIDHANSABHA KE SAMNE, BHOPAL HUZUR BHOPAL		

Deed Details	
Deed Type	Letter of Guarantee
Deed Instrument	Letter of Guarantee.- One Thousand rupees.
Purpose	LETTER OF GUARANTEE

First Party Details	
Organization Name	HOTEL UMA RESIDENCY
Address	KHASRA NO. 18 VILLAGE KHAPARIYA, TEHSIL CHICHOLI DIST. BETUL M.P. BETUL Madhya Pradesh INDIA
Number of Persons	1

Second Party Details	
Organization Name	MINING CORPORATION LIMITED
Address	BHOPAL BHOPAL Madhya Pradesh INDIA
Number of Persons	1

Digitally signed by Shyam Singh Narabriya
Date: 2020.10.12 14:51:44 IST

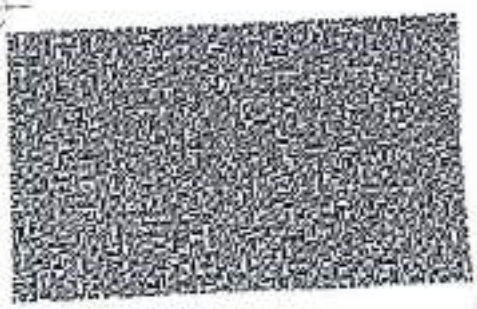

Scanned by CamScanner

Registration and Stamp Department
Madhya Pradesh

Certificate of Stamp Duty

E-Stamp Details			
E-Stamp Code	0101031210202009532		
Total E-Stamp Amount	1000		
Govt. Stamp Duty (Rs.)	1000	Municipality Duty (Rs.)	0
Janpad Duty (Rs.)	0	Upkar Amount (Rs.)	0
Exempted Amount(Rs.)	0		
E-Stamp Type	NON-JUDICIAL		
Issue Date & Time	12/10/2020 14:54:57		
Service Provider or Issuer Details	SHYAM SINGH NARWARIA/SP0105417112017000009		
SP/SRO/DRO/HO Details	SHOP NO. 5, OLD VIDHANSABHA KE SAMNE, BHOPAL HUZUR BHOPAL		

Deed Details	
Deed Type	Letter of Guarantee
Deed Instrument	Letter of Guarantee.- One Thousand rupees.
Purpose	LETTER OF GUARANTEE

First Party Details	
Organization Name	HOTEL UMA RESIDENCY
Address	KHASRA NO. 18 VILLAGE KHAPARIYA, TEHSIL CHICHOLI DIST. BETUL M.P. BETUL Madhya Pradesh INDIA
Number of Persons	1

Second Party Details	
Organization Name	MINING CORPORATION LIMITED
Address	BHOPAL BHOPAL Madhya Pradesh INDIA
Number of Persons	1

Digitally signed by Shyam Singh Narabriya
Date: 2020.10.12 15:07:46 IST

Scanned by CamScanner

प्ररूप-पाँच

(नियम 13(2) देखिए)

रेत खदान हेतु ठेके का अनुबंध

यह करार एक पक्ष के रूप जो प्रबंध संचालक, म0प्र0 राज्य खनिज निगम मर्यादित(निगम), जिला भोपाल के माध्यम से कार्य करते हुए मध्यप्रदेश के राज्यपाल (जिन्हें इसमें इसके पश्चात राज्यपाल कहा गया है), जिस अभिव्यक्ति में उनके पद उत्तरवर्ती सम्मिलित हैं और अन्य पक्ष के रूप में श्री/श्रीमती/कुमारी मेसर्स होटल उमा रेसीडेन्सी (अधिकृत व्यक्ति - श्री अनिल अग्रहरि) चाणक्यपुरी कॉलोनी, रीवा रोड सतना (म0प्र0) 485001 (जिसे इसमें इसके पश्चात "ठेकेदार" कहा गया है) जिस अभिव्यक्ति में, जहां कि संदर्भ ऐसा स्वीकार है, उसके वारिस, निष्पादक, प्रशासक, प्रतिनिधि और अनुज्ञात समनुदेशिती शामिल हैं) के बीच आज दिनांक .....14..... माह ...फरवरी... सन् 2023 को दिनांक ..... से 30.06.2023 की अवधि हेतु व्यापारिक खदान के लिये किया गया।

1. यतः, ठेकेदार, निविदा की शर्तों के अनुसार निविदा की राशि रूपए 32,50,00,000/- (बत्तीस करोड़ पचास लाख रूपये) प्रतिवर्ष का भुगतान करने के लिए सहमत हो गया है, जो रकम एतद व्दारा ठेका राशि कहलाएगी और रूपए 8,12,50,000 (आठ करोड़ बारह लाख पचास हजार रूपये). अग्रिम धन (सुरक्षा राशि) के रूप में और रूपए (लागू नहीं) प्रतिभूति राशि और रूपए (लागू नहीं) ठेका अवधि में देय संपूर्ण राशि के समतुल्य है, और जो ठेके के निबंधनों और शर्तों के सम्यक् पालन के लिए जमा रखी जाएगी और जो कि ठेके के अनुबंध का किसी प्रकार भंग किये जाने की स्थिति समपहत किये जाने योग्य होगी; और

यतः, राज्य शासन/ निगम ने उसे उस रेत खदान का ठेका स्वीकृत किया है जिसका मानचित्र संलग्न है जिस खदान खपरिया, खसरा क्र. 18, रकबा 3.400 है0, तहसील चिचोली जिला बैतूल है और जिसका विवरण संलग्न अनुसूची "क" में दिया गया है जो अब आगे "खदान" कही जाएगी।

2. अब यह अनुबंध साक्षी है कि ठेका राशि, रॉयल्टी, किराया तथा अन्य भुगतानों के प्रतिफल में तथा शर्तों, प्रसंविदाओं और करार के प्रतिफल में तथा अध्यधीन रहते हुए ठेकेदार को खनन के प्रयोजनों के लिए प्रदत्त क्षेत्र में प्रवेश करने, अधिभोग रखने तथा उपयोग और इस शर्त के अध्यधीन रहते हुए कि कलक्टर को ठेके की पूरी अवधि के दौरान सभी समय पर खदान के भीतर अवस्थित या ठेकेदार के नियंत्रण के अधीन अन्य कहीं उत्पादों के प्रचलित उचित बाजार मूल्य पर अग्र क्रयाधिकार होगा, खनिज या खनिज के उत्पादों को खदान से बाहर ले जाने तथा उनका विक्रय करने की स्वतंत्रता होगी।

Scanned by CamScanner

3. ठेकेदार इस अनुबंध के अनुसरण में, एतद्द्वारा, निविदाकार को पट्टान्तरित भूमि का तारीख ..... से तारीख 30.06.2023 तक अधिभोग रखेगा तथा कब्जा ग्रहण करेगा।

4. एतद्द्वारा यह सहमति प्रदान की जाती है कि एतद द्वारा पट्टान्तरित ठेके पर दिये गये क्षेत्र की सीमाएं खड़ी नीचे की ओर भूमि के केन्द्र तक रहेंगी।

5.(1) ठेकेदार वार्षिक ठेका राशि रूपए 32,50,00,000/- (बत्तीस करोड़ पचास लाख रूपये) का नीचे दी गई तारीख या उसके पूर्व किश्तों में भुगतान करेगा:-

अनुक्रमांक	किश्त क्रमांक	किश्त की राशि (रूपए में)	किश्त जमा करनें की तारीख
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	प्रथम किश्त	8,12,50,000	प्रथम त्रैमास के प्रथम दिवस
2.	द्वितीय किश्त	8,12,50,000	द्वितीय त्रैमास के प्रथम दिवस
3.	तृतीय किश्त	8,12,50,000	तृतीय त्रैमास के प्रथम दिवस
4.	चतुर्थ किश्त	8,12,50,000	चतुर्थ त्रैमास के प्रथम दिवस

परन्तु ठेकेदार, ठेका राशि तथा रेत खदान से संबंधित अन्य संपूर्ण रकम प्रथमतः मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम द्वारा इस प्रयोजन हेतु संचालित खाते में जमा करेगा:

परन्तु, यदि ठेकेदार नियत तारीख को किश्तों को जमा करने में असफल रहता है तो ठेकेदार के पक्ष में आबंटित समूह की खदानों के लिए ई-टीपी बन्द की जाएगी तथा खदान संचालन पर रोक लगा दी जाएगी तथा ठेकेदार को इस आशय का कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा, कि किश्त की राशि जमा करनें में असफल रहनें पर क्यों न उनका ठेका निरस्त कर दिया जाए:

परन्तु और यह कि, किश्त जमा करनें की निर्धारित तारीख 30 दिवस के भीतर ठेकेदार द्वारा उक्त कारण बताओ नोटिस का जवाब देते हुए विलंब अवधि पर 24 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज सहित देय किश्त/किश्तों का भुगतान करने पर, कलेक्टर/निगम द्वारा खदान का संचालन के लिए अनुमति दे सकेगा :

परन्तु यह और कि 30 दिवस की अवधि के भीतर उपरोक्तानुसार यदि ठेकेदार राशि जमा करने में असफल रहता है तो, कलेक्टर/निगम द्वारा व्यपगत आदेश कर पुनः निविदा हेतु शासन को अनुरोध किया जाएगा। निविदा की विज्ञप्ति प्रकाशन के पूर्व तक ठेकेदार समस्त देयतायें 24 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ जमा कर सकता है। नवीन निविदा विज्ञप्ति प्रकाशन पर स्वमेव ठेका पूर्ण रूप से निरस्त समझा जाएगा :

259

Scanned by CamScanner

परन्तु यह और भी कि, जब तक किश्त की राशि मय ब्याज के प्राप्त होगी तो तब तक ठेकेदार के पक्ष में आबंटित समूह की खदानों के लिए ई-टीपी जारी किए जाने पर रोक रहेगी।

(2) ठेकेदार, ठेका राशि की रकम के एवज में खनन योजना, पर्यावरण स्वीकृति एवं जल तथा वायु सम्मति में (इनमें से जो भी कम हो) अनुज्ञात रेत की मात्रा ले जा सकेगा :

परन्तु, यदि ठेकेदार निर्धारित मात्रा से अधिक मात्रा में खनिज निकालेगा या ले जायेगा, तब वह उस अधिक निकाली गई या ले जायी गई मात्रा के लिए ऐसी मात्रा के मूल्य का भुगतान करने के दायित्वधीन होगा :

परन्तु यह कि, यदि किसी वर्ष में उत्खनित मात्रा अनुमोदित खनन योजना में उल्लिखित मात्रा से 20 प्रतिशत कम हो तो इस मात्रा के आगामी वर्ष में निकाले जाने की अनुमति दी जाएगी, किन्तु उस वर्ष के ठेकाधन में अवशिष्ट मात्रा के अंतर की राशि जमा की जानी होगी। अनुमोदित खनन योजना का पुनरीक्षण किया जाएगा एवं वार्षिक ठेका राशि आनुपातिक रूप से पुनरीक्षित किया जाएगा। खनन योजना के पुनरीक्षण की स्थिति में, यथा आवश्यक पर्यावरणीय अनुमति प्राप्त की जाएगी। ठेकावधि में अनुमोदित खनन योजना में उल्लिखित मात्रा का खनन अनिवार्य होगा, अन्यथा जमा की गई सुरक्षा राशि सम्पहृत की जा सकेगी:

परन्तु यह और कि, यदि ठेकेदार किसी वर्ष उस वर्ष की अनुज्ञात मात्रा से अधिक मात्रा (20 प्रतिशत से अधिक नहीं) की निकासी करना चाहता है, तब उसे प्रस्ताव अनुसार अनुमोदित खनन योजना एवं पर्यावरण अनुमति में यथायोग्य पुनरीक्षण/संशोधन करना होगा एवं यह बढ़ी हुई मात्रा आगामी वर्ष की अनुज्ञात मात्रा के विरूद्ध समायोजित की जाएगी। किसी भी स्थिति में, ठेकावधि हेतु स्वीकृति मात्रा से अधिक मात्रा में निकासी की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(3) उस स्थिति में जब ठेकेदार, उपरोक्त पैरा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए वार्षिक कार्य योजना में तिमाही हेतु उल्लिखित मात्रा से अधिक खनिज निकालता है तो वह ऐसे निकाले गए अधिक मात्रा एवं तिमाही में चुकाई गई किश्त राशि के अंतर की राशि का भुगतान (तीस दिन) के भीतर किया जाना होगा, अन्यथा आगामी खनिज निकासी रोक दी जाएगी तो भुगतान करने का उत्तरदायी होगा :

परन्तु, यदि ठेकेदार नियत तारीख पर रकम का भुगतान करने में असफल रहता है तो वह 24 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज सहित शोध्य राशि/राशियों का भुगतान करने का उत्तरदायी होगा।

6. रेत खदान से संबंधित ठेका राशि एवं अन्य राशियां ठेकेदार द्वारा मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम द्वारा इस प्रयोजन हेतु संचालित खाते में प्रथमत: जमा कराई जाएगी।

दिलीप गुप्ता
आई.ए.एस.
कार्यपालक संचालक
म.प्र. खेट माइनिंग कार्पो. लि.
भोपाल

Scanned by CamScanner

7. ठेका रकम तथा अन्य शोध्यों के, जो कि इस करार के निबंधनों के अधीन देय हैं, शोध्य तारीखों से दो मास से अधिक अवधि तक भुगतान न किए जाने की दशा में कलक्टर या उसके व्दारा प्राधिकृत कोई अधिकारी परिसर में प्रवेश करने के लिए सशक्त होगा तथा/या उसके उत्पाद और/या खदान में ठेकेदार द्वारा रखी गई चल सम्पत्ति को अभिग्रहीत कर सकेगा और ले जा सकेगा।

8. यदि इस अनुबंध के अधीन ठेके की राशि या कोई अन्य शोध्य ठेकेदार द्वारा एक मास से अधिक के लिए असंदत्त रहती है तो कलेक्टर/निगम ठेका रद्द किये जाने संबंधी प्रस्ताव राज्य शासन को प्रेषित करेगा एवं राज्य शासन का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

9. ठेकेदार, खदान के समीप ऐसे अस्थायी भवन आदि खड़ा करने का हकदार होगा जैसा कि उत्खनन प्रयोजनों के लिए अपेक्षित हो और इसे ठेका अवधि समाप्ति के पूर्व हटा लेगा। ऐसा नहीं करने की स्थिति में, ठेका समाप्ति के पश्चात खदान के समीप भूमि पर निर्मित ऐसे कोई भवन आदि राज्य सरकार की संपत्ति होंगी तथा जिसके लिए ठेकेदार को उस पर का प्रतिकर दावा करने का अधिकार नहीं होगा।

10. ठेकेदार, स्वयं के व्यय पर, भूमि की सीमाओं को दर्शित करने के लिए सीमा चिन्ह तथा स्तंभ (पिलर) का निर्माण करेगा एवं उन्हें हमेशा दुरूस्त रखेगा।

11. ठेकेदार, ठेके के अधीन प्राप्त भूमि या उसके किसी भाग को समनुदेशित या उप पट्टे पर नहीं देगा अथवा ठेके के अधीन प्रदत्त अधिकारों/विशेषाधिकारों को अंतरित नहीं करेगा।

12. ठेकेदार, इस अनुबंध के अधीन प्रदत्त भूमि की समुचित स्वच्छता बनाए रखने का उत्तरदायी होगा ।

13. ठेकेदार, उस समय समस्त नियमों तथा विनियमों और ऐसी अन्य शर्तों से बाध्य होगा, जैसा कि शासन द्वारा समय-समय पर अधिरोपित की जाएं।

14. ठेकेदार, खदान में कार्य कर रहे व्यक्तियों के स्वास्थ्य एवं संरक्षा के समुचित उपाय करने के लिए आबद्ध होगा।

15. ठेकेदार, सड़क, पानी से संबंधित अधिकारों और अन्य सुखाधिकारों का ध्यान रखेगा।

विनोद कुमार
आई.ए.एस.
कार्यपालक संचालक
म.प्र. स्टेट माइनिंग कार्पो.लि.
भोपाल

Scanned by CamScanner

16. सरकार को यह अधिकार होगा, कि वह पट्टाकृत क्षेत्र के ऊपर संचार साधनों की स्थापना के लिए ऊपर मार्ग का निर्माण करे या अन्य उपाय करे एवं ठेकेदार को उसके लिए प्रतिकर दावा करने का अधिकार नहीं होगा।

17. ठेकेदार अनुमोदित खनन योजना के अनुसार खनन संक्रिया करेगा और रेत तथा बजरी का खनन सतह से अधिकतम तीन मीटर तक अथवा जल स्तर तक जो भी कम हो, किया जाएगा। किन्तु ऐसा उत्खनन नदी/नाले के भीतर प्रतिषिद्ध होगा।

18. ठेकेदार, खदान से अभिप्राप्त और विक्रय किए गए या निकास किए गए खनिज की मात्रा तथा विशिष्टियां दर्शाते हुए उनका सही लेखा और खदान में नियोजित व्यक्तियों की संख्या तथा खदान का पूर्ण रेखांक संधारित करेगा और शासन/ कलक्टर द्वारा प्राधिकृत किए गए अधिकारी को किसी भी समय ऐसे लेखाओं तथा रेखांकों का परीक्षण करने देगा तथा ऐसे सक्षम अधिकारी द्वारा निरीक्षण के दौरान या मांग की जाने पर उन्हें प्रस्तुत करेगा।

19. ठेकेदार, नीचे दिये गए प्ररूप में मासिक विवरणी प्रत्येक मास की 7 तारीख के पूर्व म0प्र0 राज्य खनिज निगम मर्यादित को प्रस्तुत करेगा :

माह	निकाले गये खनिज का प्रारंभिक स्टॉक (घनमीटर)	माह में निकाले गए खनिज की मात्रा (घनमीटर)	माह में निकास किए गए खनिज की मात्रा (घनमीटर)	माह में विक्रय किए गए खनिज की मात्रा (घनमीटर)	माह के अंत में खनिज का अंतिम स्टॉक (घनमीटर)	माह के दौरान नियोजित श्रमिकों की औसत संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

20. ठेकेदार, खदान क्षेत्र में घटने वाली किसी दुर्घटना की रिपोर्ट तत्काल संबंधित जिला मजिस्ट्रेट को देगा।

21. ठेकेदार, उसके ठेके में शामिल की गई रेत खदानों के पहुंच मार्ग, खनिज की उपलब्धता तथा कोई कारण से ठेकाधन की राशि में संशोधन किए जाने संबंध में कलक्टर/निगम के विरुद्ध कोई प्रतिकर या नुकसान का दावा नहीं करेगा।

22. यदि ठेकेदार, उक्त ठेके की कालावधि के पूर्ण होने के पूर्व ठेके को पर्यवसित करने का इच्छुक है तो वह ऐसे आशय की छह मास की लिखित सूचना कलक्टर/निगम को देगा। उपरोक्त अवधि समाप्त होने एवं ठेकेदार के विरुद्ध बकाया न होने की स्थिति में कलेक्टर/निगम से प्राप्त

दिलीप कुमार
आई.ए.एस.
कार्यपालक संचालक
म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पो. लि.
भोपाल

Scanned by CamScanner

प्रस्ताव पर राज्य शासन द्वारा समर्पण स्वीकार किया जाएगा एवं उसकी सुरक्षा राशि वापस की जाएगी। उक्त अवधि के लिए वार्षिक ठेकाधन ठेकेदार द्वारा अनिवार्य रूप से जमा किया जाएगा, इस अवधि में खनन संक्रियाएं संचालित की जा सकेंगी। यदि एक बार समर्पण के लिए आवेदन प्रस्तुत कर दिया जाता है तो वह पुन: वापसी योग्य नहीं होगा। समर्पण सूचना प्राप्त होने के पश्चात समूह की पुन: निविदा प्रक्रिया निगम द्वारा प्रारंभ की जाएगी।

23. ठेकेदार, जिसके लिए उसको ठेका दिया गया है, उससे भिन्न प्रयोजन के लिए इस अनुबंध के अधीन उसको दी गई भूमि का उपयोग नहीं करेगा।

24. (1) युद्ध की स्थिति में या आपातकाल की दशा में, सरकार को खदान, वस्तुएं, भूमि, मशीनरी, संयंत्र, भवन तथा सामग्री का कब्जा लेने का अधिकार रहेगा तथा ऐसी स्थिति में ठेकेदार द्वारा किसी प्रतिकर के लिए कोई दावा नहीं करेगा।

(2) राज्य सरकार को लोकहित में ठेके की कालावधि समाप्त होने के पूर्व कब्जा वापस लेने का अधिकार होगा:

परन्तु कब्जा लेने के पूर्व ठेकेदार को एक माह की अग्रिम सूचना दी जाएगी।

25. यदि इस ठेके के संबंध में और/या उसके संबंध में और/या कोई विवाद होने की स्थिति में, राज्य शासन का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

26. **कब्जे का पुनर्ग्रहण**- (1) जहां कोई रेत खदान रद्द की जाती है या अवधारित की जाती है अथवा खदान के कब्जे का लोकहित में पुनर्ग्रहण करने का विनिश्चिय किया जाता है या वह कालावधि जिसके लिए रेत खदान मंजूर की गई हो, समाप्त हो जाती है तो ठेकेदार, खदान का कब्जा कलक्टर को, जिसमें रेत खदान/समूह या उसका बड़ा भाग अवस्थित हो, रद्द किए जाने या पर्यवसित किए जाने या लोकहित में कब्जा वापस लेने के विनिश्चय की संसूचना की तारीख से सात दिन की कालावधि के भीतर या खदान के ठेके की कालावधि समाप्त होने की तारीख के आगामी दिन से, जैसी भी स्थिति हो, वापस सौंप देगा।

(2) जहां ठेकेदार रेत खदान/समूह का कब्जा, उप-खण्ड (1) में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर सौंपने में असफल रहता है वहां कलक्टर या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी, सूचना की तामीली या तो डाक द्वारा या उसकी प्रति ठेकेदार को व्यक्तिगत रूप से या उसके परिवार के सदस्यों या नौकरों में से किसी को निविदत्त करते हुए या देते हुए उसके निवास स्थान अथवा कारबार के स्थान के किसी सहजदृश्य स्थान पर एक प्रति

आई.ए.एस.
कार्यपालक संचालक

Scanned by CamScanner

चस्पा करके या उसे उस स्थान में जहां ठेकेदार निवास करता है, परिचालित कम से कम एक समाचार-पत्र में प्रकाशित करके करेगा या करवाएगा।

(3) उपखण्ड (2) के अधीन सूचना में यह कथन अंतर्विष्ट होगा कि ठेकेदार, रेत खदान/समूह का कब्जा कलक्टर या उप-खण्ड (1) के अधीन उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को सूचना की तामीली की तारीख से सात दिन के भीतर सौंप देगा।

(4) जहां ठेकेदार, उप-खण्ड (2) के अधीन सूचना में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर रेत खदान/समूह का कब्जा सौंपने में असफल रहता है वहां कलक्टर या उप-खण्ड (1) के अधीन उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, ठेकेदार से रेत खदान का कब्जा ले सकेगा और उस प्रयोजन के लिए ऐसे बल का प्रयोग कर सकेगा, जैसा कि आवश्यक समझा जाए।

(5) यदि ठेके की कालावधि की समाप्ति पर ठेकेदार, अगले दिन खदान का कब्जा सौंपने में असफल रहता है तो ठेकेदार, कब्जा वापस लिए जाने पर्यन्त, अनुबंध की समस्त शर्तों का पालन करेगा।

27. यदि ठेकेदार अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन करता है, तो कलक्टर/ निगम को ठेकेदार द्वारा जमा सुरक्षा राशि या उसके भाग समपहृत करने का अधिकार होगा।

28. ठेकेदार, खदान से खनिज या उसके उत्पाद ले जाने वाले प्रत्येक वाहन को राज्य सरकार द्वारा विहित अभिवहन पास के साथ ही प्रत्येक गंतव्य के लिए जाने देगा।

29. ई-निविदा दस्तावेज, अनुबंध आदि इस ठेके के अभिन्न अंग होंगे।

30. अनुबंध के अधीन, एतद्द्वारा यह पट्टक्रामित किया जाता है, कि यदि, ठेकेदार उपरोक्त में अंतर्विष्ट और उल्लिखित समस्त निबंधनों और शर्तों को पूर्ति करता है, तो सुरक्षा राशि की रकम रूपए और **रूपए 8,12,50,000 (आठ करोड़ बारह लाख पचास हजार रूपये)** मात्र (अग्रिम धन) जो कि ठेकेदार द्वारा जमा की गई है कलक्टर/निगम व्दारा उसे वापिस की जाएगी।

दिलीप कुमार
आई.ए.एस.
कार्यपालक संचालक
राज. स्टेट माइनिंग कार्पो. लि.
जोधपुर

Scanned by CamScanner

अनुसूची-क
(पैरा 1 देखिए)

(पैरा 1 देखिए)क्र0	जिला	तहसील	समूह क्र0 / नाम	ग्राम	खसरा क्रमांक	रकबा (हे.)
1	2	3	4	5	6	7
42	बैतूल	चिचोली	बैतूल	खपरिया	18	3.400

• इस अनुबंध पत्र की देय स्टाम्प एवं पंजीयन शुल्क दस्तावेज ई-कोड क्रमांक 0101030606202001234 दिनांक 06.06.2020 व्दारा चुकाया जा चुका है।

14/07/2020

(कार्यपालक अधिकारी)
आई.ए.एस.
कार्यपालक संचालक
मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम मर्यादित
भोपाल

साक्षियों का पूरा नाम, व्यवसाय एवं हस्ताक्षर

1 ओमप्रकाश टेमले
महाप्रबंधक (खान)

2 एस.सी. मैमा
प्रधिपाल (सामान्य)

हस्ताक्षर
जिला.....
(मुहर)

ठेकेदार का नाम, पता तथा हस्ताक्षर

साक्षियों का पूरा नाम, व्यवसाय एवं हस्ताक्षर

1

2

मेसर्स/श्री मेसर्स होटल उमा रेसीडेन्सी
(अधिकृत व्यक्ति - श्री अनिल अग्रहरि)
चाणक्यपुरी कॉलोनी, रीवा रोड सतना
(म0प्र0) 485001

Scanned by CamScanner

प्ररूप-पाँच

(नियम 13(2) देखिए)

रेत खदान हेतु ठेके का अनुबंध

यह करार एक पक्ष के रूप जो प्रबंध संचालक, म0प्र0 राज्य खनिज निगम मर्यादित(निगम), जिला भोपाल के माध्यम से कार्य करते हुए मध्यप्रदेश के राज्यपाल (जिन्हें इसमें इसके पश्चात राज्यपाल कहा गया है), जिस अभिव्यक्ति में उनके पद उत्तरवर्ती सम्मिलित हैं और अन्य पक्ष के रूप में श्री/श्रीमती/कुमारी **मेसर्स होटल उमा रेसीडेन्सी (अधिकृत व्यक्ति - श्री अशोक कुमार पटेल) पंजीकृत पता - चाणक्यपुरी कॉलोनी, रीवा रोड सतना (म0प्र0) 485001** (जिसे इसमें इसके पश्चात "ठेकेदार" कहा गया है) जिस अभिव्यक्ति में, जहां कि संदर्भ ऐसा स्वीकार है, उसके वारिस, निष्पादक, प्रशासक, प्रतिनिधि और अनुज्ञात समनुदेशिती शामिल है) के बीच आज दिनांक 21 माह फरवरी सन् 2022 को **दिनांक ..... से 30.06.2023 की अवधि** हेतु व्यापारिक खदान के लिये किया गया।

1. यतः, ठेकेदार, निविदा की शर्तों के अनुसार निविदा की राशि **रूपए 32,50,00,000/- (बत्तीस करोड़ पचास लाख रूपये)** प्रतिवर्ष का भुगतान करने के लिए सहमत हो गया है, जो रकम एतद व्दारा ठेका राशि कहलाएगी और **रूपए 8,12,50,000 (आठ करोड़ बारह लाख पचास हजार रूपये).** अग्रिम धन (सुरक्षा राशि) के रूप में और रूपए (लागू नहीं) प्रतिभूति राशि और रूपए (लागू नहीं) ठेका अवधि में देय संपूर्ण राशि के समतुल्य है, और जो ठेके के निबंधनों और शर्तों के सम्यक् पालन के लिए जमा रखी जाएगी और जो कि ठेके के अनुबंध का किसी प्रकार भंग किये जाने की स्थिति समपहृत किये जाने योग्य होगी; और

यतः, राज्य शासन/निगम ने उसे उस रेत खदान का ठेका स्वीकृत किया है जिसका मानचित्र संलग्न है जिस **खदान गुवाड़ी, खसरा क्र. 19, रकबा 2.500 हे0, तहसील शाहपुर, जिला बैतूल** है और जिसका विवरण संलग्न अनुसूची "क" में दिया गया है जो अब आगे "खदान" कही जाएगी।

2. अब यह अनुबंध साक्षी है कि ठेका राशि, रॉयल्टी, किराया तथा अन्य भुगतानों के प्रतिफल में तथा शर्तों, प्रसंविदाओं और करार के प्रतिफल में तथा अध्यधीन रहते हुए ठेकेदार को खनन के प्रयोजनों के लिए प्रदत्त क्षेत्र में प्रवेश करने, अधिभोग रखने तथा उपयोग और इस शर्त के अध्यधीन रहते हुए कि कलक्टर को ठेके की पूरी अवधि के दौरान सभी समय पर खदान के भीतर अवस्थित या ठेकेदार के नियंत्रण के अधीन अन्य कहीं उत्पादों के प्रचलित उचित बाजार मूल्य पर अग्र क्रयाधिकार होगा, खनिज या खनिज के उत्पादों को खदान से बाहर ले जाने तथा उनका विक्रय करने की स्वतंत्रता होगी।

Dr. Warad Murti Mishra
IAS
Executive Director
MP State Mining Corpn. Ltd. Bhopal

HOTEL UMA RESIDENCY
Auth. Sign.

3. ठेकेदार इस अनुबंध के अनुसरण में, एतद्द्वारा, निविदाकार को पट्टान्तरित भूमि का तारीख ..... से तारीख **30.06.2023** तक अधिभोग रखेगा तथा कब्जा ग्रहण करेगा।

4. एतद्द्वारा यह सहमति प्रदान की जाती है कि एतद द्वारा पट्टान्तरित ठेके पर दिये गये क्षेत्र की सीमाएं खड़ी नीचे की ओर भूमि के केन्द्र तक रहेंगी।

5.(1) ठेकेदार वार्षिक ठेका राशि रूपए **32,50,00,000/- (बत्तीस करोड़ पचास लाख रूपये)** का नीचे दी गई तारीख या उसके पूर्व किश्तों में भुगतान करेगा:-

अनुक्रमांक	किश्त क्रमांक	किश्त की राशि (रूपए में)	किश्त जमा करनें की तारीख
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	प्रथम किश्त	8,12,50,000	प्रथम त्रैमास के प्रथम दिवस
2.	द्वितीय किश्त	8,12,50,000	द्वितीय त्रैमास के प्रथम दिवस
3.	तृतीय किश्त	8,12,50,000	तृतीय त्रैमास के प्रथम दिवस
4.	चतुर्थ किश्त	8,12,50,000	चतुर्थ त्रैमास के प्रथम दिवस

परन्तु ठेकेदार, ठेका राशि तथा रेत खदान से संबंधित अन्य संपूर्ण रकम प्रथमत: मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम द्वारा इस प्रयोजन हेतु संचालित खाते में जमा करेगा:

परन्तु, यदि ठेकेदार नियत तारीख को किश्तों को जमा करने में असफल रहता है तो ठेकेदार के पक्ष में आबंटित समूह की खदानों के लिए ई-टीपी बन्द की जाएगी तथा खदान संचालन पर रोक लगा दी जाएगी तथा ठेकेदार को इस आशय का कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा, कि किश्त की राशि जमा करनें में असफल रहनें पर क्यों न उनका ठेका निरस्त कर दिया जाए:

परन्तु और यह कि, किश्त जमा करनें की निर्धारित तारीख 30 दिवस के भीतर ठेकेदार द्वारा उक्त कारण बताओ नोटिस का जवाब देते हुए विलंब अवधि पर 24 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज सहित देय किश्त/किश्तों का भुगतान करने पर, कलेक्टर/निगम द्वारा खदान का संचालन के लिए अनुमति दे सकेगा :

परन्तु यह और कि 30 दिवस की अवधि के भीतर उपरोक्तानुसार यदि ठेकेदार राशि जमा करने में असफल रहता है तो, कलेक्टर/निगम द्वारा व्यपगत आदेश कर पुन: निविदा हेतु शासन को अनुरोध किया जाएगा। निविदा की विज्ञप्ति प्रकाशन के पूर्व तक ठेकेदार समस्त देयतायें 24 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ जमा कर सकता है। नवीन निविदा विज्ञप्ति प्रकाशन पर स्वमेव ठेका पूर्ण रूप से निरस्त समझा जाएगा :

Dr. Warad Murti Mishra
IAS
Executive Director
MP State Mining Corpn. Ltd. Bhopal

HOTEL UMA RESIDENCY
Auth. Sign.

267

परन्तु यह और भी कि, जब तक किश्त की राशि मय ब्याज के प्राप्त होगी तो तब तक ठेकेदार के पक्ष में आबंटित समूह की खदानों के लिए ई-टीपी जारी किए जाने पर रोक रहेगी।

(2) ठेकेदार, ठेका राशि की रकम के एवज में खनन योजना, पर्यावरण स्वीकृति एवं जल तथा वायु सम्मति में (इनमें से जो भी कम हो) अनुज्ञात रेत की मात्रा ले जा सकेगा :

परन्तु, यदि ठेकेदार निर्धारित मात्रा से अधिक मात्रा में खनिज निकालेगा या ले जायेगा, तब वह उस अधिक निकाली गई या ले जायी गई मात्रा के लिए ऐसी मात्रा के मूल्य का भुगतान करने के दायित्वधीन होगा :

परन्तु यह कि, यदि किसी वर्ष में उत्खनित मात्रा अनुमोदित खनन योजना में उल्लिखित मात्रा से 20 प्रतिशत कम हो तो इस मात्रा के आगामी वर्ष में निकाले जाने की अनुमति दी जाएगी, किन्तु उस वर्ष के ठेकाधन में अवशिष्ट मात्रा के अंतर की राशि जमा की जानी होगी। अनुमोदित खनन योजना का पुनरीक्षण किया जाएगा एवं वार्षिक ठेका राशि आनुपातिक रूप से पुनरीक्षित किया जाएगा। खनन योजना के पुनरीक्षण की स्थिति में, यथा आवश्यक पर्यावरणीय अनुमति प्राप्त की जाएगी। ठेकावधि में अनुमोदित खनन योजना में उल्लिखित मात्रा का खनन अनिवार्य होगा, अन्यथा जमा की गई सुरक्षा राशि सम्पहत की जा सकेगी:

परन्तु यह और कि, यदि ठेकेदार किसी वर्ष उस वर्ष की अनुज्ञात मात्रा से अधिक मात्रा (20 प्रतिशत से अधिक नहीं) की निकासी करना चाहता है, तब उसे प्रस्ताव अनुसार अनुमोदित खनन योजना एवं पर्यावरण अनुमति में यथायोग्य पुनरीक्षण/संशोधन करना होगा एवं यह बढ़ी हुई मात्रा आगामी वर्ष की अनुज्ञात मात्रा के विरुद्ध समायोजित की जाएगी। किसी भी स्थिति में, ठेकावधि हेतु स्वीकृति मात्रा से अधिक मात्रा में निकासी की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(3) उस स्थिति में जब ठेकेदार, उपरोक्त पैरा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए वार्षिक कार्य योजना में तिमाही हेतु उल्लिखित मात्रा से अधिक खनिज निकालता है तो वह ऐसे निकाले गए अधिक मात्रा एवं तिमाही में चुकाई गई किश्त राशि के अंतर की राशि का भुगतान (तीस दिन) के भीतर किया जाना होगा, अन्यथा आगामी खनिज निकासी रोक दी जाएगी तो भुगतान करने का उत्तरदायी होगा :

परन्तु, यदि ठेकेदार नियत तारीख पर रकम का भुगतान करने में असफल रहता है तो वह 24 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज सहित शोध्य राशि/राशियों का भुगतान करने का उत्तरदायी होगा।

6. रेत खदान से संबंधित ठेका राशि एवं अन्य राशियां ठेकेदार द्वारा मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम द्वारा इस प्रयोजन हेतु संचालित खाते में प्रथमत: जमा कराई जाएगी।

Dr. Warad Murti Mishra
IAS
Executive Director
MP State Mining Corpn. Ltd. Bhopal

HOTEL UMA RESIDENCY
Auth. Sign.

7. ठेका रकम तथा अन्य शोध्यों के, जो कि इस करार के निबंधनों के अधीन देय हैं, शोध्य तारीखों से दो मास से अधिक अवधि तक भुगतान न किए जाने की दशा में कलक्टर या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी परिसर में प्रवेश करने के लिए सशक्त होगा तथा/या उसके उत्पाद और/या खदान में ठेकेदार द्वारा रखी गई चल सम्पत्ति को अभिग्रहीत कर सकेगा और ले जा सकेगा।

8. यदि इस अनुबंध के अधीन ठेके की राशि या कोई अन्य शोध्य ठेकेदार द्वारा एक मास से अधिक के लिए असंदत्त रहती है तो कलेक्टर/निगम ठेका रद्द किये जाने संबंधी प्रस्ताव राज्य शासन को प्रेषित करेगा एवं राज्य शासन का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

9. ठेकेदार, खदान के समीप ऐसे अस्थायी भवन आदि खड़ा करने का हकदार होगा जैसा कि उत्खनन प्रयोजनों के लिए अपेक्षित हो और इसे ठेका अवधि समाप्ति के पूर्व हटा लेगा। ऐसा नहीं करने की स्थिति में, ठेका समाप्ति के पश्चात खदान के समीप भूमि पर निर्मित ऐसे कोई भवन आदि राज्य सरकार की संपत्ति होंगी तथा जिसके लिए ठेकेदार को उस पर का प्रतिकर दावा करने का अधिकार नहीं होगा।

10. ठेकेदार, स्वयं के व्यय पर, भूमि की सीमाओं को दर्शित करने के लिए सीमा चिन्ह तथा स्तंभ (पिलर) का निर्माण करेगा एवं उन्हें हमेशा दुरुस्त रखेगा।

11. ठेकेदार, ठेके के अधीन प्राप्त भूमि या उसके किसी भाग को समनुदेशित या उप पट्टे पर नहीं देगा अथवा ठेके के अधीन प्रदत्त अधिकारों/विशेषाधिकारों को अंतरित नहीं करेगा।

12. ठेकेदार, इस अनुबंध के अधीन प्रदत्त भूमि की समुचित स्वच्छता बनाए रखने का उत्तरदायी होगा ।

13. ठेकेदार, उस समय समस्त नियमों तथा विनियमों और ऐसी अन्य शर्तों से बाध्य होगा, जैसा कि शासन द्वारा समय-समय पर अधिरोपित की जाएं।

14. ठेकेदार, खदान में कार्य कर रहे व्यक्तियों के स्वास्थ्य एवं संरक्षा के समुचित उपाय करने के लिए आबद्ध होगा।

15. ठेकेदार, सड़क, पानी से संबंधित अधिकारों और अन्य सुखाधिकारों का ध्यान रखेगा।

16. सरकार को यह अधिकार होगा, कि वह पट्टाकृत क्षेत्र के ऊपर संचार साधनों की स्थापना के लिए ऊपर मार्ग का निर्माण करे या अन्य उपाय करे एवं ठेकेदार को उसके लिए प्रतिकर दावा करने का अधिकार नहीं होगा।

Dr. Warad Murti Mishra
IAS
Executive Director
MP State Mining Corpo. Ltd. Bhopal

HOTEL UMA RESIDENCY
Auth. Sign.

17. ठेकेदार अनुमोदित खनन योजना के अनुसार खनन संक्रिया करेगा और रेत तथा बजरी का खनन सतह से अधिकतम तीन मीटर तक अथवा जल स्तर तक जो भी कम हो, किया जाएगा। किन्तु ऐसा उत्खनन नदी/नाले के भीतर प्रतिषिद्ध होगा।

18. ठेकेदार, खदान से अभिप्राप्त और विक्रय किए गए या निकास किए गए खनिज की मात्रा तथा विशिष्टियां दर्शाते हुए उनका सही लेखा और खदान में नियोजित व्यक्तियों की संख्या तथा खदान का पूर्ण रेखांक संधारित करेगा और शासन/ कलक्टर द्वारा प्राधिकृत किए गए अधिकारी को किसी भी समय ऐसे लेखाओं तथा रेखांकों का परीक्षण करने देगा तथा ऐसे सक्षम अधिकारी द्वारा निरीक्षण के दौरान या मांग की जाने पर उन्हें प्रस्तुत करेगा।

19. ठेकेदार, नीचे दिये गए प्ररूप में मासिक विवरणी प्रत्येक मास की 7 तारीख के पूर्व म0प्र0 राज्य खनिज निगम मर्यादित को प्रस्तुत करेगा :

माह	निकाले गये खनिज का प्रारंभिक स्टॉक (घनमीटर)	माह में निकाले गए खनिज की मात्रा (घनमीटर)	माह में निकास किए गए खनिज की मात्रा (घनमीटर)	माह में विक्रय किए गए खनिज की मात्रा (घनमीटर)	माह के अंत में खनिज का अंतिम स्टॉक (घनमीटर)	माह के दौरान नियोजित श्रमिकों की औसत संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

20. ठेकेदार, खदान क्षेत्र में घटने वाली किसी दुर्घटना की रिपोर्ट तत्काल संबंधित जिला मजिस्ट्रेट को देगा।

21. ठेकेदार, उसके ठेके में शामिल की गई रेत खदानों के पहुंच मार्ग, खनिज की उपलब्धता तथा कोई कारण से ठेकाधन की राशि में संशोधन किए जाने संबंध में कलक्टर/निगम के विरुद्ध कोई प्रतिकर या नुकसान का दावा नहीं करेगा।

22. यदि ठेकेदार, उक्त ठेके की कालावधि के पूर्ण होने के पूर्व ठेके को पर्यवसित करने का इच्छुक है तो वह ऐसे आशय की छह मास की लिखित सूचना कलक्टर/निगम को देगा। उपरोक्त अवधि समाप्त होने एवं ठेकेदार के विरुद्ध बकाया न होने की स्थिति में कलेक्टर/निगम से प्राप्त प्रस्ताव पर राज्य शासन द्वारा समर्पण स्वीकार किया जाएगा एवं उसकी सुरक्षा राशि वापस की

Dr. Warad Murti Mishra
IAS
Executive Director
MP State Mining Corpn. Ltd. Bhopal

HOTEL UMA RESIDENCY
Auth. Sign.

जाएगी। उक्त अवधि के लिए वार्षिक ठेकाधन ठेकेदार द्वारा अनिवार्य रूप से जमा किया जाएगा, इस अवधि में खनन संक्रियाएं संचालित की जा सकेंगी। यदि एक बार समर्पण के लिए आवेदन प्रस्तुत कर दिया जाता है तो वह पुनः वापसी योग्य नहीं होगा। समर्पण सूचना प्राप्त होने के पश्चात समूह की पुनः निविदा प्रक्रिया निगम द्वारा प्रारंभ की जाएगी।

23. ठेकेदार, जिसके लिए उसको ठेका दिया गया है, उससे भिन्न प्रयोजन के लिए इस अनुबंध के अधीन उसको दी गई भूमि का उपयोग नहीं करेगा।

24. (1) युद्ध की स्थिति में या आपातकाल की दशा में, सरकार को खदान, वस्तुएं, भूमि, मशीनरी, संयंत्र, भवन तथा सामग्री का कब्जा लेने का अधिकार रहेगा तथा ऐसी स्थिति में ठेकेदार द्वारा किसी प्रतिकर के लिए कोई दावा नहीं करेगा।

(2) राज्य सरकार को लोकहित में ठेके की कालावधि समाप्त होने के पूर्व कब्जा वापस लेने का अधिकार होगा:

परन्तु कब्जा लेने के पूर्व ठेकेदार को एक माह की अग्रिम सूचना दी जाएगी।

25. यदि इस ठेके के संबंध में और/या उसके संबंध में और/या कोई विवाद होने की स्थिति में, राज्य शासन का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

26. **कब्जे का पुनर्ग्रहण-** (1) जहां कोई रेत खदान रद्द की जाती है या अवधारित की जाती है अथवा खदान के कब्जे का लोकहित में पुनर्ग्रहण करने का विनिश्चिय किया जाता है या वह कालावधि जिसके लिए रेत खदान मंजूर की गई हो, समाप्त हो जाती है तो ठेकेदार, खदान का कब्जा कलक्टर को, जिसमें रेत खदान/समूह या उसका बड़ा भाग अवस्थित हो, रद्द किए जाने या पर्यवसित किए जाने या लोकहित में कब्जा वापस लेने के विनिश्चय की संसूचना की तारीख से सात दिन की कालावधि के भीतर या खदान के ठेके की कालावधि समाप्त होने की तारीख के आगामी दिन से, जैसी भी स्थिति हो, वापस सौंप देगा।

(2) जहां ठेकेदार रेत खदान/समूह का कब्जा, उप-खण्ड (1) में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर सौंपने में असफल रहता है वहां कलक्टर या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी, सूचना की तामीली या तो डाक द्वारा या उसकी प्रति ठेकेदार को व्यक्तिगत रूप से या उसके परिवार के सदस्यों या नौकरों में से किसी को निविदत्त करते हुए या देते हुए उसके निवास स्थान अथवा कारबार के स्थान के किसी सहजदृश्य स्थान पर एक प्रति चस्पा करके या उसे उस स्थान में जहां ठेकेदार निवास करता है, परिचालित कम से कम एक समाचार-पत्र में प्रकाशित करके करेगा या करवाएगा।

Dr. Warad Murti Mishra
IAS
Executive Director
MP State Mining Corpn. Ltd. Bhopal

HOTEL UMA RESIDENCY
Auth. Sign.

(3) उपखण्ड (2) के अधीन सूचना में यह कथन अंतर्विष्ट होगा कि ठेकेदार, रेत खदान/समूह का कब्जा कलक्टर या उप-खण्ड (1) के अधीन उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को सूचना की तामीली की तारीख से सात दिन के भीतर सौंप देगा।

(4) जहां ठेकेदार, उप-खण्ड (2) के अधीन सूचना में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर रेत खदान/समूह का कब्जा सौंपने में असफल रहता है वहां कलक्टर या उप-खण्ड (1) के अधीन उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, ठेकेदार से रेत खदान का कब्जा ले सकेगा और उस प्रयोजन के लिए ऐसे बल का प्रयोग कर सकेगा, जैसा कि आवश्यक समझा जाए।

(5) यदि ठेके की कालावधि की समाप्ति पर ठेकेदार, अगले दिन खदान का कब्जा सौंपने में असफल रहता है तो ठेकेदार, कब्जा वापस लिए जाने पर्यन्त, अनुबंध की समस्त शर्तों का पालन करेगा।

27. यदि ठेकेदार अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन करता है, तो कलक्टर/ निगम को ठेकेदार द्वारा जमा सुरक्षा राशि या उसके भाग समपहृत करने का अधिकार होगा।

28. ठेकेदार, खदान से खनिज या उसके उत्पाद ले जाने वाले प्रत्येक वाहन को राज्य सरकार द्वारा विहित अभिवहन पास के साथ ही प्रत्येक गंतव्य के लिए जाने देगा।

29. ई-निविदा दस्तावेज, अनुबंध आदि इस ठेके के अभिन्न अंग होंगे।

30. अनुबंध के अधीन, एतद्द्वारा यह पहकल्पित किया जाता है, कि यदि, ठेकेदार उपरोक्त में अंतर्विष्ट और उल्लिखित समस्त निबंधनों और शर्तों को पूर्ति करता है, तो सुरक्षा राशि की रकम रुपए और **रुपए 8,12,50,000 (आठ करोड़ बारह लाख पचास हजार रुपये)** मात्र (अग्रिम धन) जो कि ठेकेदार द्वारा जमा की गई है कलक्टर/निगम द्वारा उसे वापिस की जाएगी।

Dr. Warad Murti Mishra
IAS
Executive Director
MP State Mining Corpn. Ltd. Bhopal

HOTEL UMA RESIDENCY
Auth. Sign.

272

अनुसूची-क
(पैरा 1 देखिए)

(पैरा 1 देखिए)क्र0	जिला	तहसील	समूह क्र0 / नाम	ग्राम	खसरा क्रमांक	एकबा (हे.)
1	2	3		4	5	6
37	बैतूल	शाहपुर	बैतूल	गुवाड़ी	19	2.500

• इस अनुबंध पत्र की देय स्टाम्प एवं पंजीयन शुल्क दस्तावेज ई-कोड क्रमांक 0101030606202001234 4 दिनांक 06.06.2020 व्दारा चुकाया जा चुका है।

Dr. Warad Murti Mishra
IAS
Executive Director
MP State Mining Corpn. Ltd. Bhopal

(कार्यपालक संचालक)

साक्षियों का पूरा नाम, व्यवसाय एवं हस्ताक्षर

1---------- महाप्रबंधक (खान)

2---------- उप.भू. नेत्रा
प्रबंधक (सामान्य)

मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम मर्यादित
हस्ताक्षर
जिला.....
(मुहर)

साक्षियों का पूरा नाम, व्यवसाय एवं हस्ताक्षर

1----------

2----------

ठेकेदार का नाम, पता तथा हस्ताक्षर
HOTEL UMA RESIDENCY
Auth. Sign.

मेसर्स/श्री मेसर्स होटल उमा रेसीडेन्सी
(अधिकृत व्यक्ति - श्री अशोक कुमार पटेल)
चाणक्यपुरी कॉलोनी, रीवा रोड सतना
(म0प्र0) 485001

प्ररूप-पाँच

(नियम 13(2) देखिए)

रेत खदान हेतु ठेके का अनुबंध

यह करार एक पक्ष के रूप जो प्रबंध संचालक, म0प्र0 राज्य खनिज निगम मर्यादित(निगम), जिला भोपाल के माध्यम से कार्य करते हुए मध्यप्रदेश के राज्यपाल (जिन्हें इसमें इसके पश्चात राज्यपाल कहा गया है), जिस अभिव्यक्ति में उनके पद उत्तरवर्ती सम्मिलित हैं और अन्य पक्ष के रूप में श्री/श्रीमती/कुमारी **मेसर्स होटल उमा रेसीडेन्सी (अधिकृत व्यक्ति - श्री अशोक कुमार पटेल) पंजीकृत पता - चाणक्यपुरी कॉलोनी, रीवा रोड सतना (म0प्र0) 485001** (जिसे इसमें इसके पश्चात "ठेकेदार" कहा गया है) जिस अभिव्यक्ति में, जहां कि संदर्भ ऐसा स्वीकार है, उसके वारिस, निष्पादक, प्रशासक, प्रतिनिधि और अनुज्ञात समनुदेशिती शामिल है) के बीच आज दिनांक ...04..... माह ...05..... सन् 2023 को **दिनांक** ...4/5/23 **से 30.06.2023 की अवधि** हेतु व्यापारिक खदान के लिये किया गया।

1. यतः, ठेकेदार, निविदा की शर्तों के अनुसार निविदा की राशि **रूपए 32,50,00,000/- (बत्तीस करोड़ पचास लाख रूपये)** प्रतिवर्ष का भुगतान करने के लिए सहमत हो गया है, जो रकम एतद व्दारा ठेका राशि कहलाएगी और **रूपए 8,12,50,000 (आठ करोड़ बारह लाख पचास हजार रूपये).** अग्रिम धन (सुरक्षा राशि) के रूप में और रूपए (लागू नहीं) प्रतिभूति राशि और रूपए (लागू नहीं) ठेका अवधि में देय संपूर्ण राशि के समतुल्य है, और जो ठेके के निबंधनों और शर्तों के सम्यक् पालन के लिए जमा रखी जाएगी और जो कि ठेके के अनुबंध का किसी प्रकार भंग किये जाने की स्थिति समपहृत किये जाने योग्य होगी; और

यतः, राज्य शासन/निगम ने उसे उस रेत खदान का ठेका स्वीकृत किया है जिसका मानचित्र संलग्न है जिस खदान **धमन्या, खसरा क्र. 01, रकबा 5.000 हे0, तहसील शाहपुर जिला बैतूल** है और जिसका विवरण संलग्न अनुसूची "क" में दिया गया है जो अब आगे "खदान" कही जाएगी।

2. अब यह अनुबंध साक्षी है कि ठेका राशि, रॉयल्टी, किराया तथा अन्य भुगतानों के प्रतिफल में तथा शर्तों, प्रसंविदाओं और करार के प्रतिफल में तथा अध्यधीन रहते हुए ठेकेदार को खनन के प्रयोजनों के लिए प्रदत्त क्षेत्र में प्रवेश करने, अधिभोग रखने तथा उपयोग और इस शर्त के अध्यधीन रहते हुए कि कलक्टर को ठेके की पूरी अवधि के दौरान सभी समय पर खदान के भीतर अवस्थित या ठेकेदार के नियंत्रण के अधीन अन्य कहीं उत्पादों के प्रचलित उचित बाजार मूल्य पर अग्र क्रयाधिकार होगा, खनिज या खनिज के उत्पादों को खदान से बाहर ले जाने तथा उनका विक्रय करने की स्वतंत्रता होगी।

HOTEL UMA RESIDENCY
Auth. Sign.

Dr. Warad Murti Mishra
Executive Director
MP State Mining Corpn. Ltd.
Bhopal

3. ठेकेदार इस अनुबंध के अनुसरण में, एतद्द्वारा, निविदाकार को पट्टान्तरित भूमि का तारीख ..... से तारीख **30.06.2023** तक अधिभोग रखेगा तथा कब्जा ग्रहण करेगा।

4. एतद्द्वारा यह सहमति प्रदान की जाती है कि एतद द्वारा पट्टान्तरित ठेके पर दिये गये क्षेत्र की सीमाएं खड़ी नीचे की ओर भूमि के केन्द्र तक रहेंगी।

5.(1) ठेकेदार वार्षिक ठेका राशि रूपए **32,50,00,000/- (बत्तीस करोड़ पचास लाख रूपये)** का नीचे दी गई तारीख या उसके पूर्व किश्तों में भुगतान करेगा:-

अनुक्रमांक	किश्त क्रमांक	किश्त की राशि (रूपए में)	किश्त जमा करनें की तारीख
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	प्रथम किश्त	8,12,50,000	प्रथम त्रैमास के प्रथम दिवस
2.	द्वितीय किश्त	8,12,50,000	द्वितीय त्रैमास के प्रथम दिवस
3.	तृतीय किश्त	8,12,50,000	तृतीय त्रैमास के प्रथम दिवस
4.	चतुर्थ किश्त	8,12,50,000	चतुर्थ त्रैमास के प्रथम दिवस

परन्तु ठेकेदार, ठेका राशि तथा रेत खदान से संबंधित अन्य संपूर्ण रकम प्रथमत: मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम द्वारा इस प्रयोजन हेतु संचालित खाते में जमा करेगा:

परन्तु, यदि ठेकेदार नियत तारीख को किश्तों को जमा करने में असफल रहता है तो ठेकेदार के पक्ष में आबंटित समूह की खदानों के लिए ई-टीपी बन्द की जाएगी तथा खदान संचालन पर रोक लगा दी जाएगी तथा ठेकेदार को इस आशय का कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा, कि किश्त की राशि जमा करनें में असफल रहनें पर क्यों न उनका ठेका निरस्त कर दिया जाए:

परन्तु और यह कि, किश्त जमा करनें की निर्धारित तारीख 30 दिवस के भीतर ठेकेदार द्वारा उक्त कारण बताओ नोटिस का जवाब देते हुए विलंब अवधि पर 24 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज सहित देय किश्त/किश्तों का भुगतान करने पर, कलेक्टर/निगम द्वारा खदान का संचालन के लिए अनुमति दे सकेगा :

परन्तु यह और कि 30 दिवस की अवधि के भीतर उपरोक्तानुसार यदि ठेकेदार राशि जमा करने में असफल रहता है तो, कलेक्टर/निगम द्वारा व्यपगत आदेश कर पुन: निविदा हेतु शासन को अनुरोध किया जाएगा। निविदा की विज्ञप्ति प्रकाशन के पूर्व तक ठेकेदार समस्त देयतायें 24 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ जमा कर सकता है। नवीन निविदा विज्ञप्ति प्रकाशन पर स्वमेव ठेका पूर्ण रूप से निरस्त समझा जाएगा :

HOTEL UMA RESIDENCY
Auth. Sign.

Dr. Warad Murti Mishra
Executive Director
MP State Mining Corpn. Ltd.
Bhopal

परन्तु यह और भी कि, जब तक किश्त की राशि मय ब्याज के प्राप्त होगी तो तब तक ठेकेदार के पक्ष में आबंटित समूह की खदानों के लिए ई-टीपी जारी किए जाने पर रोक रहेगी।

(2) ठेकेदार, ठेका राशि की रकम के एवज में खनन योजना, पर्यावरण स्वीकृति एवं जल तथा वायु सम्मति में (इनमें से जो भी कम हो) अनुज्ञात रेत की मात्रा ले जा सकेगा :

परन्तु, यदि ठेकेदार निर्धारित मात्रा से अधिक मात्रा में खनिज निकालेगा या ले जायेगा, तब वह उस अधिक निकाली गई या ले जायी गई मात्रा के लिए ऐसी मात्रा के मूल्य का भुगतान करने के दायित्वधीन होगा :

परन्तु यह कि, यदि किसी वर्ष में उत्खनित मात्रा अनुमोदित खनन योजना में उल्लिखित मात्रा से 20 प्रतिशत कम हो तो इस मात्रा के आगामी वर्ष में निकाले जाने की अनुमति दी जाएगी, किन्तु उस वर्ष के ठेकाधन में अवशिष्ट मात्रा के अंतर की राशि जमा की जानी होगी। अनुमोदित खनन योजना का पुनरीक्षण किया जाएगा एवं वार्षिक ठेका राशि आनुपातिक रूप से पुनरीक्षित किया जाएगा। खनन योजना के पुनरीक्षण की स्थिति में, यथा आवश्यक पर्यावरणीय अनुमति प्राप्त की जाएगी। ठेकावधि में अनुमोदित खनन योजना में उल्लिखित मात्रा का खनन अनिवार्य होगा, अन्यथा जमा की गई सुरक्षा राशि सम्पहत की जा सकेगी:

परन्तु यह और कि, यदि ठेकेदार किसी वर्ष उस वर्ष की अनुज्ञात मात्रा से अधिक मात्रा (20 प्रतिशत से अधिक नहीं) की निकासी करना चाहता है, तब उसे प्रस्ताव अनुसार अनुमोदित खनन योजना एवं पर्यावरण अनुमति में यथायोग्य पुनरीक्षण/संशोधन करना होगा एवं यह बढ़ी हुई मात्रा आगामी वर्ष की अनुज्ञात मात्रा के विरुद्ध समायोजित की जाएगी। किसी भी स्थिति में, ठेकावधि हेतु स्वीकृति मात्रा से अधिक मात्रा में निकासी की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(3) उस स्थिति में जब ठेकेदार, उपरोक्त पैरा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए वार्षिक कार्य योजना में तिमाही हेतु उल्लिखित मात्रा से अधिक खनिज निकालता है तो वह ऐसे निकाले गए अधिक मात्रा एवं तिमाही में चुकाई गई किश्त राशि के अंतर की राशि का भुगतान (तीस दिन) के भीतर किया जाना होगा, अन्यथा आगामी खनिज निकासी रोक दी जाएगी तो भुगतान करने का उत्तरदायी होगा :

परन्तु, यदि ठेकेदार नियत तारीख पर रकम का भुगतान करने में असफल रहता है तो वह 24 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज सहित शोध्य राशि/राशियों का भुगतान करने का उत्तरदायी होगा।

6. रेत खदान से संबंधित ठेका राशि एवं अन्य राशियां ठेकेदार द्वारा मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम द्वारा इस प्रयोजन हेतु संचालित खाते में प्रथमत: जमा कराई जाएगी।

HOTEL UMA RESIDENCY
Auth. Sign.

Dr. Warad Murti Mishra
Executive Director
MP State Mining Corpn. Ltd.
Bhopal

7. ठेका रकम तथा अन्य शोध्यों के, जो कि इस करार के निबंधनों के अधीन देय हैं, शोध्य तारीखों से दो मास से अधिक अवधि तक भुगतान न किए जाने की दशा में कलक्टर या उसके व्दारा प्राधिकृत कोई अधिकारी परिसर में प्रवेश करने के लिए सशक्त होगा तथा/या उसके उत्पाद और/या खदान में ठेकेदार द्वारा रखी गई चल सम्पत्ति को अभिग्रहीत कर सकेगा और ले जा सकेगा।

8. यदि इस अनुबंध के अधीन ठेके की राशि या कोई अन्य शोध्य ठेकेदार द्वारा एक मास से अधिक के लिए असंदत्त रहती है तो कलेक्टर/निगम ठेका रद्द किये जाने संबंधी प्रस्ताव राज्य शासन को प्रेषित करेगा एवं राज्य शासन का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

9. ठेकेदार, खदान के समीप ऐसे अस्थायी भवन आदि खड़ा करने का हकदार होगा जैसा कि उत्खनन प्रयोजनों के लिए अपेक्षित हो और इसे ठेका अवधि समाप्ति के पूर्व हटा लेगा। ऐसा नहीं करने की स्थिति में, ठेका समाप्ति के पश्चात खदान के समीप भूमि पर निर्मित ऐसे कोई भवन आदि राज्य सरकार की संपत्ति होंगी तथा जिसके लिए ठेकेदार को उस पर का प्रतिकर दावा करने का अधिकार नहीं होगा।

10. ठेकेदार, स्वयं के व्यय पर, भूमि की सीमाओं को दर्शित करने के लिए सीमा चिन्ह तथा स्तंभ (पिलर) का निर्माण करेगा एवं उन्हें हमेशा दुरुस्त रखेगा।

11. ठेकेदार, ठेके के अधीन प्राप्त भूमि या उसके किसी भाग को समनुदेशित या उप पट्टे पर नहीं देगा अथवा ठेके के अधीन प्रदत्त अधिकारों/विशेषाधिकारों को अंतरित नहीं करेगा।

12. ठेकेदार, इस अनुबंध के अधीन प्रदत्त भूमि की समुचित स्वच्छता बनाए रखने का उत्तरदायी होगा ।

13. ठेकेदार, उस समय समस्त नियमों तथा विनियमों और ऐसी अन्य शर्तों से बाध्य होगा, जैसा कि शासन द्वारा समय-समय पर अधिरोपित की जाएं।

14. ठेकेदार, खदान में कार्य कर रहे व्यक्तियों के स्वास्थ्य एवं संरक्षा के समुचित उपाय करने के लिए आबद्ध होगा।

15. ठेकेदार, सड़क, पानी से संबंधित अधिकारों और अन्य सुखाधिकारों का ध्यान रखेगा।

16. सरकार को यह अधिकार होगा, कि वह पट्टाकृत क्षेत्र के ऊपर संचार साधनों की स्थापना के लिए ऊपर मार्ग का निर्माण करे या अन्य उपाय करे एवं ठेकेदार को उसके लिए प्रतिकर दावा करने का अधिकार नहीं होगा।

HOTEL UMA RESIDENCY
Auth. Sign.

Dr. Warad Murti Mishra
Executive Director
MP State Mining Corpn. Ltd.
Bhopal

17. ठेकेदार अनुमोदित खनन योजना के अनुसार खनन संक्रिया करेगा और रेत तथा बजरी का खनन सतह से अधिकतम तीन मीटर तक अथवा जल स्तर तक जो भी कम हो, किया जाएगा। किन्तु ऐसा उत्खनन नदी/नाले के भीतर प्रतिषिद्ध होगा।

18. ठेकेदार, खदान से अभिप्राप्त और विक्रय किए गए या निकास किए गए खनिज की मात्रा तथा विशिष्टियां दर्शाते हुए उनका सही लेखा और खदान में नियोजित व्यक्तियों की संख्या तथा खदान का पूर्ण रेखांक संधारित करेगा और शासन/ कलक्टर द्वारा प्राधिकृत किए गए अधिकारी को किसी भी समय ऐसे लेखाओं तथा रेखांकों का परीक्षण करने देगा तथा ऐसे सक्षम अधिकारी द्वारा निरीक्षण के दौरान या मांग की जाने पर उन्हें प्रस्तुत करेगा।

19. ठेकेदार, नीचे दिये गए प्ररूप में मासिक विवरणी प्रत्येक मास की 7 तारीख के पूर्व म0प्र0 राज्य खनिज निगम मर्यादित को प्रस्तुत करेगा :

माह	निकाले गये खनिज का प्रारंभिक स्टॉक (घनमीटर)	माह में निकाले गए खनिज की मात्रा (घनमीटर)	माह में निकास किए गए खनिज की मात्रा (घनमीटर)	माह में विक्रय किए गए खनिज की मात्रा (घनमीटर)	माह के अंत में खनिज का अंतिम स्टॉक (घनमीटर)	माह के दौरान नियोजित श्रमिकों की औसत संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

20. ठेकेदार, खदान क्षेत्र में घटने वाली किसी दुर्घटना की रिपोर्ट तत्काल संबंधित जिला मजिस्ट्रेट को देगा।

21. ठेकेदार, उसके ठेके में शामिल की गई रेत खदानों के पहुंच मार्ग, खनिज की उपलब्धता तथा कोई कारण से ठेकाधन की राशि में संशोधन किए जाने संबंध में कलक्टर/निगम के विरुद्ध कोई प्रतिकर या नुकसान का दावा नहीं करेगा।

22. यदि ठेकेदार, उक्त ठेके की कालावधि के पूर्ण होने के पूर्व ठेके को पर्यवसित करने का इच्छुक है तो वह ऐसे आशय की छह मास की लिखित सूचना कलक्टर/निगम को देगा। उपरोक्त अवधि समाप्त होने एवं ठेकेदार के विरुद्ध बकाया न होने की स्थिति में कलेक्टर/निगम से प्राप्त प्रस्ताव पर राज्य शासन द्वारा समर्पण स्वीकार किया जाएगा एवं उसकी सुरक्षा राशि वापस की जाएगी। उक्त अवधि के लिए वार्षिक ठेकाधन ठेकेदार द्वारा अनिवार्य रूप से जमा किया जाएगा,

HOTEL UMA RESIDENCY
Auth. Sign.

Dr. Warad Murti Mishra
Executive Director
MP State Mining Corpn. Ltd.
Bhopal

278

इस अवधि में खनन संक्रियाएं संचालित की जा सकेंगी। यदि एक बार समर्पण के लिए आवेदन प्रस्तुत कर दिया जाता है तो वह पुन: वापसी योग्य नहीं होगा। समर्पण सूचना प्राप्त होने के पश्चात समूह की पुन: निविदा प्रक्रिया निगम व्दारा प्रारंभ की जाएगी।

23. ठेकेदार, जिसके लिए उसको ठेका दिया गया है, उससे भिन्न प्रयोजन के लिए इस अनुबंध के अधीन उसको दी गई भूमि का उपयोग नहीं करेगा।

24. (1) युद्ध की स्थिति में या आपातकाल की दशा में, सरकार को खदान, वस्तुएं, भूमि, मशीनरी, संयंत्र, भवन तथा सामग्री का कब्जा लेने का अधिकार रहेगा तथा ऐसी स्थिति में ठेकेदार द्वारा किसी प्रतिकर के लिए कोई दावा नहीं करेगा।

(2) राज्य सरकार को लोकहित में ठेके की कालावधि समाप्त होने के पूर्व कब्जा वापस लेने का अधिकार होगा:

परन्तु कब्जा लेने के पूर्व ठेकेदार को एक माह की अग्रिम सूचना दी जाएगी।

25. यदि इस ठेके के संबंध में और/या उसके संबंध में और/या कोई विवाद होने की स्थिति में, राज्य शासन का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

26. **कब्जे का पुनर्ग्रहण-** (1) जहां कोई रेत खदान रद्द की जाती है या अवधारित की जाती है अथवा खदान के कब्जे का लोकहित में पुनर्ग्रहण करने का विनिश्चिय किया जाता है या वह कालावधि जिसके लिए रेत खदान मंजूर की गई हो, समाप्त हो जाती है तो ठेकेदार, खदान का कब्जा कलक्टर को, जिसमें रेत खदान/समूह या उसका बड़ा भाग अवस्थित हो, रद्द किए जाने या पर्यवसित किए जाने या लोकहित में कब्जा वापस लेने के विनिश्चय की संसूचना की तारीख से सात दिन की कालावधि के भीतर या खदान के ठेके की कालावधि समाप्त होने की तारीख के आगामी दिन से, जैसी भी स्थिति हो, वापस सौंप देगा।

(2) जहां ठेकेदार रेत खदान/समूह का कब्जा, उप-खण्ड (1) में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर सौंपने में असफल रहता है वहां कलक्टर या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी, सूचना की तामीली या तो डाक द्वारा या उसकी प्रति ठेकेदार को व्यक्तिगत रूप से या उसके परिवार के सदस्यों या नौकरों में से किसी को निविदत्त करते हुए या देते हुए उसके निवास स्थान अथवा कारबार के स्थान के किसी सहजदृश्य स्थान पर एक प्रति चस्पा करके या उसे उस स्थान में जहां ठेकेदार निवास करता है, परिचालित कम से कम एक समाचार-पत्र में प्रकाशित करके करेगा या करवाएगा।

HOTEL UMA RESIDENCY
Auth. Sign.

Dr. Warad Murti Mishra
Executive Director
MP State Mining Corpn. Ltd.

(3) उपखण्ड (2) के अधीन सूचना में यह कथन अंतर्विष्ट होगा कि ठेकेदार, रेत खदान/समूह का कब्जा कलक्टर या उप-खण्ड (1) के अधीन उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को सूचना की तामीली की तारीख से सात दिन के भीतर सौंप देगा।

(4) जहां ठेकेदार, उप-खण्ड (2) के अधीन सूचना में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर रेत खदान/समूह का कब्जा सौंपने में असफल रहता है वहां कलक्टर या उप-खण्ड (1) के अधीन उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, ठेकेदार से रेत खदान का कब्जा ले सकेगा और उस प्रयोजन के लिए ऐसे बल का प्रयोग कर सकेगा, जैसा कि आवश्यक समझा जाए।

(5) यदि ठेके की कालावधि की समाप्ति पर ठेकेदार, अगले दिन खदान का कब्जा सौंपने में असफल रहता है तो ठेकेदार, कब्जा वापस लिए जाने पर्यन्त, अनुबंध की समस्त शर्तों का पालन करेगा।

27. यदि ठेकेदार अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन करता है, तो कलक्टर/ निगम को ठेकेदार द्वारा जमा सुरक्षा राशि या उसके भाग समपहृत करने का अधिकार होगा।

28. ठेकेदार, खदान से खनिज या उसके उत्पाद ले जाने वाले प्रत्येक वाहन को राज्य सरकार द्वारा विहित अभिवहन पास के साथ ही प्रत्येक गंतव्य के लिए जाने देगा।

29. ई-निविदा दस्तावेज, अनुबंध आदि इस ठेके के अभिन्न अंग होंगे।

30. अनुबंध के अधीन, एतद्द्वारा यह पट्टक्रामित किया जाता है, कि यदि, ठेकेदार उपरोक्त में अंतर्विष्ट और उल्लिखित समस्त निबंधनों और शर्तों को पूर्ति करता है, तो सुरक्षा राशि की रकम रूपए और **रूपए 8,12,50,000 (आठ करोड़ बारह लाख पचास हजार रूपये)** मात्र (अग्रिम धन) जो कि ठेकेदार द्वारा जमा की गई है कलक्टर/निगम व्दारा उसे वापिस की जाएगी।

HOTEL UMA RESIDENCY
Auth. Sign.

Dr. Warad Murti Mishra
Executive Director
MP State Mining Co...

अनुसूची-क
(पैरा 1 देखिए)

(पैरा 1 देखिए)क्र0	जिला	तहसील	समूह क्रं0 / नाम	ग्राम	खसरा क्रमांक	रकबा (हे.)
1	2	3		4	5	6
45	बैतूल	शाहपुर	बैतूल	धमन्या	01	5.000

• इस अनुबंध पत्र की देय स्टाम्प एवं पंजीयन शुल्क दस्तावेज ई-कोड क्रमांक 0101030606202001234 4 दिनांक 06.06.2020 व्दारा चुकाया जा चुका है।

(कार्यपालक संचालक)

Dr. Warad Murti Mishra
Executive Director
Bhopal

मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम मर्यादित

साक्षियों का पूरा नाम, व्यवसाय एवं हस्ताक्षर

1---------- हस्ताक्षर

जिला.....

(मुहर)

2----------

साक्षियों का पूरा नाम, व्यवसाय एवं हस्ताक्षर

1----------

2----------

ठेकेदार का नाम, पता तथा हस्ताक्षर

HOTEL UMA RESIDENCY
Auth. Sign.

मेसर्स/श्री मेसर्स होटल उमा रेसीडेन्सी
(अधिकृत व्यक्ति - श्री अशोक कुमार पटेल)
चाणक्यपुरी कॉलोनी, रीवा रोड सतना
(म0प्र0) 485001

प्ररूप-पाँच

(नियम 13(2) देखिए)

रेत खदान हेतु ठेके का अनुबंध

यह करार एक पक्ष के रूप जो प्रबंध संचालक, म0प्र0 राज्य खनिज निगम मर्यादित(निगम), जिला भोपाल के माध्यम से कार्य करते हुए मध्यप्रदेश के राज्यपाल (जिन्हें इसमें इसके पश्चात राज्यपाल कहा गया है), जिस अभिव्यक्ति में उनके पद उत्तरवर्ती सम्मिलित हैं और अन्य पक्ष के रूप में श्री/श्रीमती/कुमारी **मेसर्स होटल उमा रेसीडेन्सी (अधिकृत व्यक्ति - श्री अशोक कुमार पटेल) पंजीकृत पता- चाणक्यपुरी कॉलोनी, रीवा रोड सतना (म0प्र0) 485001** (जिसे इसमें इसके पश्चात "ठेकेदार" कहा गया है) जिस अभिव्यक्ति में, जहां कि संदर्भ ऐसा स्वीकार है, उसके वारिस, निष्पादक, प्रशासक, प्रतिनिधि और अनुज्ञात समनुदेशिती शामिल हैं) के बीच आज दिनांक 24 माह 10 सन् 2020 को **दिनांक ..... से 30.06.2023 की अवधि** हेतु व्यापारिक खदान के लिये किया गया।

1. यतः, ठेकेदार, निविदा की शर्तों के अनुसार निविदा की राशि **रूपए 32,50,00,000/- (बत्तीस करोड़ पचास लाख रूपये)** प्रतिवर्ष का भुगतान करने के लिए सहमत हो गया है, जो रकम एतद व्दारा ठेका राशि कहलाएगी और **रूपए 8,12,50,000 (आठ करोड़ बारह लाख पचास हजार रूपये)**, अग्रिम धन (सुरक्षा राशि) के रूप में और रूपए (लागू नहीं) प्रतिभूति राशि और रूपए (लागू नहीं) ठेका अवधि में देय संपूर्ण राशि के समतुल्य है, और जो ठेके के निबंधनों और शर्तों के सम्यक् पालन के लिए जमा रखी जाएगी और जो कि ठेके के अनुबंध का किसी प्रकार भंग किये जाने की स्थिति समपहृत किये जाने योग्य होगी; और

यतः, राज्य शासन/ निगम ने उसे उस रेत खदान का ठेका स्वीकृत किया है जिसका मानचित्र संलग्न है जिस खदान **बल्लौर, खसरा क्र. 162, रकबा 3.000 हे0, तहसील चिचोली जिला बैतूल** है और जिसका विवरण संलग्न अनुसूची "क" में दिया गया है जो अब आगे "खदान" कही जाएगी।

2. अब यह अनुबंध साक्षी है कि ठेका राशि, रॉयल्टी, किराया तथा अन्य भुगतानों के प्रतिफल में तथा शर्तों, प्रसंविदाओं और करार के प्रतिफल में तथा अध्यधीन रहते हुए ठेकेदार को खनन के प्रयोजनों के लिए प्रदत्त क्षेत्र में प्रवेश करने, अधिभोग रखने तथा उपयोग और इस शर्त के अध्यधीन रहते हुए कि कलक्टर को ठेके की पूरी अवधि के दौरान सभी समय पर खदान के भीतर अवस्थित या ठेकेदार के नियंत्रण के अधीन अन्य कहीं उत्पादों के प्रचलित उचित बाजार मूल्य पर अग्र क्रयाधिकार होगा, खनिज या खनिज के उत्पादों को खदान से बाहर ले जाने तथा उनका विक्रय करने की स्वतंत्रता होगी।

डॉ. वरदमूर्ति मिश्र
कार्यपालक संचालक
म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पो. लि.

3. ठेकेदार इस अनुबंध के अनुसरण में, एतद्द्वारा, निविदाकार को पट्टान्तरित भूमि का तारीख ..... से तारीख **30.06.2023** तक अधिभोग रखेगा तथा कब्जा ग्रहण करेगा।

4. एतद्द्वारा यह सहमति प्रदान की जाती है कि एतद द्वारा पट्टान्तरित ठेके पर दिये गये क्षेत्र की सीमाएं खड़ी नीचे की ओर भूमि के केन्द्र तक रहेंगी।

5.(1) ठेकेदार वार्षिक ठेका राशि रूपए **32,50,00,000/- (बत्तीस करोड़ पचास लाख रूपये)** का नीचे दी गई तारीख या उसके पूर्व किश्तों में भुगतान करेगा:-

अनुक्रमांक	किश्त क्रमांक	किश्त की राशि (रूपए में)	किश्त जमा करनें की तारीख
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	प्रथम किश्त	8,12,50,000	प्रथम त्रैमास के प्रथम दिवस
2.	द्वितीय किश्त	8,12,50,000	द्वितीय त्रैमास के प्रथम दिवस
3.	तृतीय किश्त	8,12,50,000	तृतीय त्रैमास के प्रथम दिवस
4.	चतुर्थ किश्त	8,12,50,000	चतुर्थ त्रैमास के प्रथम दिवस

परन्तु ठेकेदार, ठेका राशि तथा रेत खदान से संबंधित अन्य संपूर्ण रकम प्रथमत: मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम द्वारा इस प्रयोजन हेतु संचालित खाते में जमा करेगा:

परन्तु, यदि ठेकेदार नियत तारीख को किश्तों को जमा करने में असफल रहता है तो ठेकेदार के पक्ष में आबंटित समूह की खदानों के लिए ई-टीपी बन्द की जाएगी तथा खदान संचालन पर रोक लगा दी जाएगी तथा ठेकेदार को इस आशय का कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा, कि किश्त की राशि जमा करनें में असफल रहनें पर क्यों न उनका ठेका निरस्त कर दिया जाए:

परन्तु और यह कि, किश्त जमा करनें की निर्धारित तारीख 30 दिवस के भीतर ठेकेदार द्वारा उक्त कारण बताओ नोटिस का जवाब देते हुए विलंब अवधि पर 24 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज सहित देय किश्त/किश्तों का भुगतान करने पर, कलेक्टर/निगम द्वारा खदान का संचालन के लिए अनुमति दे सकेगा :

परन्तु यह और कि 30 दिवस की अवधि के भीतर उपरोक्तानुसार यदि ठेकेदार राशि जमा करने में असफल रहता है तो, कलेक्टर/निगम द्वारा व्यपगत आदेश कर पुन: निविदा हेतु शासन को अनुरोध किया जाएगा। निविदा की विज्ञप्ति प्रकाशन के पूर्व तक ठेकेदार समस्त देयतायें 24 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ जमा कर सकता है। नवीन निविदा विज्ञप्ति प्रकाशन पर स्वमेव ठेका पूर्ण रूप से निरस्त समझा जाएगा :

HOTEL UMA RESIDENCY
Auth. Sign.

डॉ. वरदमूर्ति मिश्र
कार्यपालक संचालक
म. प्र. स्टेट माईनिंग कार्पो. लि.

परन्तु यह और भी कि, जब तक किश्त की राशि मय ब्याज के प्राप्त होगी तो तब तक ठेकेदार के पक्ष में आबंटित समूह की खदानों के लिए ई-टीपी जारी किए जाने पर रोक रहेगी।

(2) ठेकेदार, ठेका राशि की रकम के एवज में खनन योजना, पर्यावरण स्वीकृति एवं जल तथा वायु सम्मति में (इनमें से जो भी कम हो) अनुज्ञात रेत की मात्रा ले जा सकेगा :

परन्तु, यदि ठेकेदार निर्धारित मात्रा से अधिक मात्रा में खनिज निकालेगा या ले जायेगा, तब वह उस अधिक निकाली गई या ले जायी गई मात्रा के लिए ऐसी मात्रा के मूल्य का भुगतान करने के दायित्वधीन होगा :

परन्तु यह कि, यदि किसी वर्ष में उत्खनित मात्रा अनुमोदित खनन योजना में उल्लिखित मात्रा से 20 प्रतिशत कम हो तो इस मात्रा के आगामी वर्ष में निकाले जाने की अनुमति दी जाएगी, किन्तु उस वर्ष के ठेकाधन में अवशिष्ट मात्रा के अंतर की राशि जमा की जानी होगी। अनुमोदित खनन योजना का पुनरीक्षण किया जाएगा एवं वार्षिक ठेका राशि आनुपातिक रूप से पुनरीक्षित किया जाएगा। खनन योजना के पुनरीक्षण की स्थिति में, यथा आवश्यक पर्यावरणीय अनुमति प्राप्त की जाएगी। ठेकावधि में अनुमोदित खनन योजना में उल्लिखित मात्रा का खनन अनिवार्य होगा, अन्यथा जमा की गई सुरक्षा राशि सम्पहृत की जा सकेगी:

परन्तु यह और कि, यदि ठेकेदार किसी वर्ष उस वर्ष की अनुज्ञात मात्रा से अधिक मात्रा (20 प्रतिशत से अधिक नहीं) की निकासी करना चाहता है, तब उसे प्रस्ताव अनुसार अनुमोदित खनन योजना एवं पर्यावरण अनुमति में यथायोग्य पुनरीक्षण/संशोधन करना होगा एवं यह बढी हुई मात्रा आगामी वर्ष की अनुज्ञात मात्रा के विरूद्ध समायोजित की जाएगी। किसी भी स्थिति में, ठेकावधि हेतु स्वीकृति मात्रा से अधिक मात्रा में निकासी की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(3) उस स्थिति में जब ठेकेदार, उपरोक्त पैरा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए वार्षिक कार्य योजना में तिमाही हेतु उल्लिखित मात्रा से अधिक खनिज निकालता है तो वह ऐसे निकाले गए अधिक मात्रा एवं तिमाही में चुकाई गई किश्त राशि के अंतर की राशि का भुगतान (तीस दिन) के भीतर किया जाना होगा, अन्यथा आगामी खनिज निकासी रोक दी जाएगी तो भुगतान करने का उत्तरदायी होगा :

परन्तु, यदि ठेकेदार नियत तारीख पर रकम का भुगतान करने में असफल रहता है तो वह 24 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज सहित शोध्य राशि/राशियों का भुगतान करने का उत्तरदायी होगा।

6. रेत खदान से संबंधित ठेका राशि एवं अन्य राशियां ठेकेदार द्वारा मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम द्वारा इस प्रयोजन हेतु संचालित खाते में प्रथमतः जमा कराई जाएगी।

M/s. UMA RESIDENCY
Auth. Sign.

डॉ. वरदमूर्ति मिश्र
कार्यपालक संचालक
म. प्र. स्टेट माईनिंग कार्पो. लि.

7. ठेका रकम तथा अन्य शोध्यों के, जो कि इस करार के निबंधनों के अधीन देय हैं, शोध्य तारीखों से दो मास से अधिक अवधि तक भुगतान न किए जाने की दशा में कलक्टर या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी परिसर में प्रवेश करने के लिए सशक्त होगा तथा/या उसके उत्पाद और/या खदान में ठेकेदार द्वारा रखी गई चल सम्पत्ति को अभिग्रहीत कर सकेगा और ले जा सकेगा।

8. यदि इस अनुबंध के अधीन ठेके की राशि या कोई अन्य शोध्य ठेकेदार द्वारा एक मास से अधिक के लिए असंदत्त रहती है तो कलेक्टर/निगम ठेका रद्द किये जाने संबंधी प्रस्ताव राज्य शासन को प्रेषित करेगा एवं राज्य शासन का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

9. ठेकेदार, खदान के समीप ऐसे अस्थायी भवन आदि खड़ा करने का हकदार होगा जैसा कि उत्खनन प्रयोजनों के लिए अपेक्षित हो और इसे ठेका अवधि समाप्ति के पूर्व हटा लेगा। ऐसा नहीं करने की स्थिति में, ठेका समाप्ति के पश्चात खदान के समीप भूमि पर निर्मित ऐसे कोई भवन आदि राज्य सरकार की संपत्ति होंगी तथा जिसके लिए ठेकेदार को उस पर का प्रतिकर दावा करने का अधिकार नहीं होगा।

10. ठेकेदार, स्वयं के व्यय पर, भूमि की सीमाओं को दर्शित करने के लिए सीमा चिन्ह तथा स्तंभ (पिलर) का निर्माण करेगा एवं उन्हें हमेशा दुरुस्त रखेगा।

11. ठेकेदार, ठेके के अधीन प्राप्त भूमि या उसके किसी भाग को समनुदेशित या उप पट्टे पर नहीं देगा अथवा ठेके के अधीन प्रदत्त अधिकारों/विशेषाधिकारों को अंतरित नहीं करेगा।

12. ठेकेदार, इस अनुबंध के अधीन प्रदत्त भूमि की समुचित स्वच्छता बनाए रखने का उत्तरदायी होगा ।

13. ठेकेदार, उस समय समस्त नियमों तथा विनियमों और ऐसी अन्य शर्तों से बाध्य होगा, जैसा कि शासन द्वारा समय-समय पर अधिरोपित की जाएं।

14. ठेकेदार, खदान में कार्य कर रहे व्यक्तियों के स्वास्थ्य एवं संरक्षा के समुचित उपाय करने के लिए आबद्ध होगा।

15. ठेकेदार, सड़क, पानी से संबंधित अधिकारों और अन्य सुखाधिकारों का ध्यान रखेगा।

डॉ. वरदमूर्ति मिश्र
कार्यपालक संचालक
म. प्र. स्टेट माईनिंग कार्पो. लि.

...JAA RESIDENCY
Auth. Sign.

16. सरकार को यह अधिकार होगा, कि वह पट्टाकृत क्षेत्र के ऊपर संचार साधनों की स्थापना के लिए ऊपर मार्ग का निर्माण करे या अन्य उपाय करे एवं ठेकेदार को उसके लिए प्रतिकर दावा करने का अधिकार नहीं होगा।

17. ठेकेदार अनुमोदित खनन योजना के अनुसार खनन संक्रिया करेगा और रेत तथा बजरी का खनन सतह से अधिकतम तीन मीटर तक अथवा जल स्तर तक जो भी कम हो, किया जाएगा। किन्तु ऐसा उत्खनन नदी/नाले के भीतर प्रतिषिद्ध होगा।

18. ठेकेदार, खदान से अभिप्राप्त और विक्रय किए गए या निकास किए गए खनिज की मात्रा तथा विशिष्टियां दर्शाते हुए उनका सही लेखा और खदान में नियोजित व्यक्तियों की संख्या तथा खदान का पूर्ण रेखांक संधारित करेगा और शासन/ कलक्टर द्वारा प्राधिकृत किए गए अधिकारी को किसी भी समय ऐसे लेखाओं तथा रेखांकों का परीक्षण करने देगा तथा ऐसे सक्षम अधिकारी द्वारा निरीक्षण के दौरान या मांग की जाने पर उन्हें प्रस्तुत करेगा।

19. ठेकेदार, नीचे दिये गए प्ररूप में मासिक विवरणी प्रत्येक मास की 7 तारीख के पूर्व म0प्र0 राज्य खनिज निगम मर्यादित को प्रस्तुत करेगा :

माह	निकाले गये खनिज का प्रारंभिक स्टॉक (घनमीटर)	माह में निकाले गए खनिज की मात्रा (घनमीटर)	माह में निकास किए गए खनिज की मात्रा (घनमीटर)	माह में विक्रय किए गए खनिज की मात्रा (घनमीटर)	माह के अंत में खनिज का अंतिम स्टॉक (घनमीटर)	माह के दौरान नियोजित श्रमिकों की औसत संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

20. ठेकेदार, खदान क्षेत्र में घटने वाली किसी दुर्घटना की रिपोर्ट तत्काल संबंधित जिला मजिस्ट्रेट को देगा।

21. ठेकेदार, उसके ठेके में शामिल की गई रेत खदानों के पहुंच मार्ग, खनिज की उपलब्धता तथा कोई कारण से ठेकाधन की राशि में संशोधन किए जाने संबंध में कलक्टर/निगम के विरुद्ध कोई प्रतिकर या नुकसान का दावा नहीं करेगा।

22. यदि ठेकेदार, उक्त ठेके की कालावधि के पूर्ण होने के पूर्व ठेके को पर्यवसित करने का इच्छुक है तो वह ऐसे आशय की छह मास की लिखित सूचना कलक्टर/निगम को देगा। उपरोक्त अवधि समाप्त होने एवं ठेकेदार के विरुद्ध बकाया न होने की स्थिति में कलेक्टर/निगम से प्राप्त

डॉ. बसंतमूर्ति मिश्र
कार्यपालक संचालक
म. प्र. स्टेट माईनिंग कार्पो. लि.

HOTEL UMA RESIDENCY
Auth. Sign.

प्रस्ताव पर राज्य शासन द्वारा समर्पण स्वीकार किया जाएगा एवं उसकी सुरक्षा राशि वापस की जाएगी। उक्त अवधि के लिए वार्षिक ठेकाधन ठेकेदार द्वारा अनिवार्य रूप से जमा किया जाएगा, इस अवधि में खनन संक्रियाएं संचालित की जा सकेंगी। यदि एक बार समर्पण के लिए आवेदन प्रस्तुत कर दिया जाता है तो वह पुन: वापसी योग्य नहीं होगा। समर्पण सूचना प्राप्त होने के पश्चात समूह की पुन: निविदा प्रक्रिया निगम व्दारा प्रारंभ की जाएगी।

23. ठेकेदार, जिसके लिए उसको ठेका दिया गया है, उससे भिन्न प्रयोजन के लिए इस अनुबंध के अधीन उसको दी गई भूमि का उपयोग नहीं करेगा।

24. (1) युद्ध की स्थिति में या आपातकाल की दशा में, सरकार को खदान, वस्तुएं, भूमि, मशीनरी, संयंत्र, भवन तथा सामग्री का कब्जा लेने का अधिकार रहेगा तथा ऐसी स्थिति में ठेकेदार द्वारा किसी प्रतिकर के लिए कोई दावा नहीं करेगा।

(2) राज्य सरकार को लोकहित में ठेके की कालावधि समाप्त होने के पूर्व कब्जा वापस लेने का अधिकार होगा;

परन्तु कब्जा लेने के पूर्व ठेकेदार को एक माह की अग्रिम सूचना दी जाएगी।

25. यदि इस ठेके के संबंध में और/या उसके संबंध में और/या कोई विवाद होने की स्थिति में, राज्य शासन का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

26. **कब्जे का पुनर्ग्रहण-** (1) जहां कोई रेत खदान रद्द की जाती है या अवधारित की जाती है अथवा खदान के कब्जे का लोकहित में पुनर्ग्रहण करने का विनिश्चिय किया जाता है या वह कालावधि जिसके लिए रेत खदान मंजूर की गई हो, समाप्त हो जाती है तो ठेकेदार, खदान का कब्जा कलक्टर को, जिसमें रेत खदान/समूह या उसका बड़ा भाग अवस्थित हो, रद्द किए जाने या पर्यवसित किए जाने या लोकहित में कब्जा वापस लेने के विनिश्चय की संसूचना की तारीख से सात दिन की कालावधि के भीतर या खदान के ठेके की कालावधि समाप्त होने की तारीख के आगामी दिन से, जैसी भी स्थिति हो, वापस सौंप देगा।

(2) जहां ठेकेदार रेत खदान/समूह का कब्जा, उप-खण्ड (1) में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर सौंपने में असफल रहता है वहां कलक्टर या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी, सूचना की तामीली या तो डाक द्वारा या उसकी प्रति ठेकेदार को व्यक्तिगत रूप से या उसके परिवार के सदस्यों या नौकरों में से किसी को निविदत्त करते हुए या देते हुए उसके निवास स्थान अथवा कारबार के स्थान के किसी सहजदृश्य स्थान पर एक प्रति

डॉ. वरद्मूर्ति मिश्र
कार्यपालक संचालक
म. प्र. स्टेट माईनिंग कार्पो. लि.

HOTEL UMA RE... Auth. Sign.

चस्पा करके या उसे उस स्थान में जहां ठेकेदार निवास करता है, परिचालित कम से कम एक समाचार-पत्र में प्रकाशित करके करेगा या करवाएगा।

(3) उपखण्ड (2) के अधीन सूचना में यह कथन अंतर्विष्ट होगा कि ठेकेदार, रेत खदान/समूह का कब्जा कलक्टर या उप-खण्ड (1) के अधीन उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को सूचना की तामीली की तारीख से सात दिन के भीतर सौंप देगा।

(4) जहां ठेकेदार, उप-खण्ड (2) के अधीन सूचना में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर रेत खदान/समूह का कब्जा सौंपने में असफल रहता है वहां कलक्टर या उप-खण्ड (1) के अधीन उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, ठेकेदार से रेत खदान का कब्जा ले सकेगा और उस प्रयोजन के लिए ऐसे बल का प्रयोग कर सकेगा, जैसा कि आवश्यक समझा जाए।

(5) यदि ठेके की कालावधि की समाप्ति पर ठेकेदार, अगले दिन खदान का कब्जा सौंपने में असफल रहता है तो ठेकेदार, कब्जा वापस लिए जाने पर्यन्त, अनुबंध की समस्त शर्तों का पालन करेगा।

27. यदि ठेकेदार अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन करता है, तो कलक्टर/ निगम को ठेकेदार द्वारा जमा सुरक्षा राशि या उसके भाग समपहृत करने का अधिकार होगा।

28. ठेकेदार, खदान से खनिज या उसके उत्पाद ले जाने वाले प्रत्येक वाहन को राज्य सरकार द्वारा विहित अभिवहन पास के साथ ही प्रत्येक गंतव्य के लिए जाने देगा।

29. ई-निविदा दस्तावेज, अनुबंध आदि इस ठेके के अभिन्न अंग होंगे।

30. अनुबंध के अधीन, एतद्द्वारा यह पट्टक्रामित किया जाता है, कि यदि, ठेकेदार उपरोक्त में अंतर्विष्ट और उल्लिखित समस्त निबंधनों और शर्तों को पूर्ति करता है, तो सुरक्षा राशि की रकम रूपए और **रूपए 8,12,50,000 (आठ करोड़ बारह लाख पचास हजार रूपये)** मात्र (अग्रिम धन) जो कि ठेकेदार द्वारा जमा की गई है कलक्टर/निगम व्दारा उसे वापिस की जाएगी।

डॉ. व्रदमूर्ति मिश्र
कार्यपालक संचालक
म. प्र. स्टेट माईनिंग कार्पो. लि.

अनुसूची-क
(पैरा 1 देखिए)

(पैरा 1 देखिए)क्र0	जिला	तहसील	समूह क्रं0 / नाम	ग्राम	खसरा क्रमांक	रकबा (हे.)
1	2	3	4	5	6	7
43	बैतूल	चिचोली	बैतूल	बल्लौर	162	3.000

• इस अनुबंध पत्र की देय स्टाम्प एवं पंजीयन शुल्क दस्तावेज, ई-कोड क्रमांक 01010306062020012344 दिनांक 06.06.2020 व्दारा चुकाया जा चुका है।

(कार्यपालक संचालक)

साक्षियों का पूरा नाम, व्यवसाय एवं हस्ताक्षर

1----------
आशुतोष टेमले
सहायक संधारक (खान)
2----------
२५/१०/२०

साक्षियों का पूरा नाम, व्यवसाय एवं हस्ताक्षर

1 गोपाल यादव I-43 एवरेस्ट नगर भोपाल

2 योगेन्द्र सिंह परिहार बैतूल

मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम मर्यादित
हस्ताक्षर डॉ. वरदमूर्ति मिश्र
कार्यपालक संचालक
जिला.....म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पो. लि.
(मुहर)

ठेकेदार का नाम, पता तथा हस्ताक्षर

HOTEL UMA RESIDENCY Auth. Signatory

मेसर्स/श्री मेसर्स होटल उमा रेसीडेन्सी
(अधिकृत व्यक्ति - श्री अशोक कुमार पटेल)
पंजीकृत पता- चाणक्यपुरी कॉलोनी, रीवा रोड
सतना (म0प्र0) 485001

Registration and Stamp Department
Madhya Pradesh

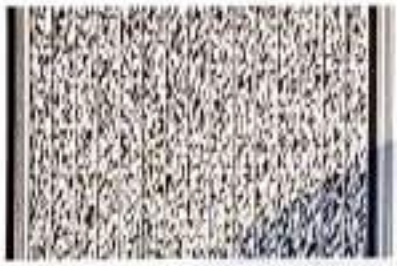

Certificate of Stamp Duty

E-Stamp Details

E-Stamp Code	0101032210202001241 3
Total E-Stamp Amount	1000
Govt. Stamp Duty (Rs.)	1000
Municipality Duty (Rs.)	0
Janpad Duty (Rs.)	0
Upkar Amount (Rs.)	0
Exempted Amount(Rs.)	0
E-Stamp Type	NON-JUDICIAL
Issue Date & Time	22/10/2020 16:03:56
Service Provider or Issuer Details	RAVI SUMAN PUROHIT/SP0105416092016000 65
SP/SRO/DRO/HO Details	494, PUROHIT LAW CHAMBER, OPP-OLD VIDHAN SABHA BHOPAL -462003 HUZUR BHOPAL

Deed Details

Deed Type	Letter of Guarantee
Deed Instrument	Letter of Guarantee.- One Thousand rupees.
Purpose	LETTER OF GUARANTEE

First Party Details

Organization Name	HOTEL UMA RESIDENCY
Address	KHASRA NO. 162, VILLAGE BALLOR, TEHSIL CHICHOLI, BETUL Madhya Pradesh INDIA
Number of Persons	1

Second Party Details

Organization Name	MINING CORPORATION LIMITED
Address	OFFICE OF THE MINING CORPORATION LIMITED BHOPAL Madhya Pradesh INDIA
Number of Persons	1

Digitally signed by Ravi Suman Purohit
Date: 2020.10.22 16:04:03 IST

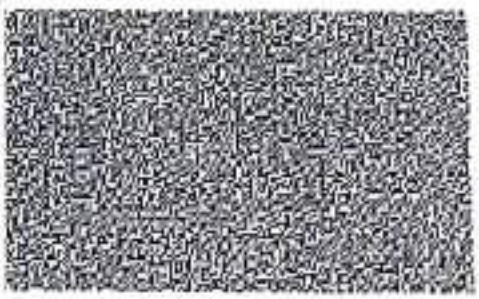

290

Registration and Stamp Department
Madhya Pradesh

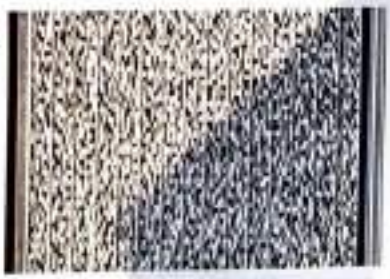

Certificate of Stamp Duty

E-Stamp Details

E-Stamp Code	0101032210202001231 8
Total E-Stamp Amount	1000
Govt. Stamp Duty (Rs.)	1000
Municipality Duty (Rs.)	0
Janpad Duty (Rs.)	0
Upkar Amount (Rs.)	0
Exempted Amount(Rs.)	0
E-Stamp Type	NON-JUDICIAL
Issue Date & Time	22/10/2020 16:01:26
Service Provider or Issuer Details	RAVI SUMAN PUROHIT/SP0105416092016000 65
SP/SRO/DRO/HO Details	494, PUROHIT LAW CHAMBER, OPP-OLD VIDHAN SABHA BHOPAL -462003 HUZUR BHOPAL

Deed Details

Deed Type	Letter of Guarantee
Deed Instrument	Letter of Guarantee.- One Thousand rupees.
Purpose	LETTER OF GUARANTEE

First Party Details

Organization Name	HOTEL UMA RESIDENCY
Address	KHASRA NO. 162, VILLAGE BALLOR, TEHSIL CHICHOLI, BETUL Madhya Pradesh INDIA
Number of Persons	1

Second Party Details

Organization Name	MINING CORPORATION LIMITED
Address	OFFICE OF THE MINING CORPORATION LIMITED BHOPAL Madhya Pradesh INDIA
Number of Persons	1

Digitally signed by Ravi Suman Purohit
Date: 2020.10.22 16:01:30 IST

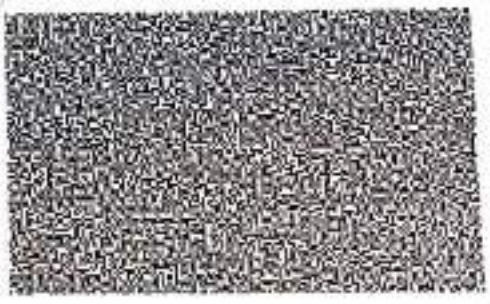

प्ररूप-पाँच

(नियम 13(2) देखिए)

रेत खदान हेतु ठेके का अनुबंध

यह करार एक पक्ष के रूप जो प्रबंध संचालक, म0प्र0 राज्य खनिज निगम मर्यादित(निगम), जिला भोपाल के माध्यम से कार्य करते हुए मध्यप्रदेश के राज्यपाल (जिन्हें इसमें इसके पश्चात राज्यपाल कहा गया है), जिस अभिव्यक्ति में उनके पद उत्तरवर्ती सम्मिलित हैं और अन्य पक्ष के रूप में श्री/श्रीमती/कुमारी **मेसर्स होटल उमा रेसीडेन्सी (अधिकृत व्यक्ति - श्री अशोक कुमार पटेल) पंजीकृत पता- चाणक्यपुरी कॉलोनी, रीवा रोड सतना (म0प्र0) 485001** (जिसे इसमें इसके पश्चात "ठेकेदार" कहा गया है) जिस अभिव्यक्ति में, जहां कि संदर्भ ऐसा स्वीकार है, उसके वारिस, निष्पादक, प्रशासक, प्रतिनिधि और अनुज्ञात समनुदेशिती शामिल हैं) के बीच आज दिनांक 24 माह 10 सन् 2020 को **दिनांक ..... से 30.06.2023 की अवधि** हेतु व्यापारिक खदान के लिये किया गया।

1. यतः, ठेकेदार, निविदा की शर्तों के अनुसार निविदा की राशि **रूपए 32,50,00,000/- (बत्तीस करोड़ पचास लाख रूपये)** प्रतिवर्ष का भुगतान करने के लिए सहमत हो गया है, जो रकम एतद व्दारा ठेका राशि कहलाएगी और **रूपए 8,12,50,000 (आठ करोड़ बारह लाख पचास हजार रूपये).** अग्रिम धन (सुरक्षा राशि) के रूप में और रूपए (लागू नहीं) प्रतिभूति राशि और रूपए (लागू नहीं) ठेका अवधि में देय संपूर्ण राशि के समतुल्य है, और जो ठेके के निबंधनों और शर्तों के सम्यक् पालन के लिए जमा रखी जाएगी और जो कि ठेके के अनुबंध का किसी प्रकार भंग किये जाने की स्थिति समपहृत किये जाने योग्य होगी; और

यतः, राज्य शासन/ निगम ने उसे उस रेत खदान का ठेका स्वीकृत किया है जिसका मानचित्र संलग्न है जिस खदान **झोली-1, खसरा क्र. 99, रकबा 2.450 हे0, तहसील घोड़ाडोंगरी जिला बैतूल** है और जिसका विवरण संलग्न अनुसूची "क" में दिया गया है जो अब आगे "खदान" कही जाएगी।

2. अब यह अनुबंध साक्षी है कि ठेका राशि, रॉयल्टी, किराया तथा अन्य भुगतानों के प्रतिफल में तथा शर्तों, प्रसंविदाओं और करार के प्रतिफल में तथा अध्यधीन रहते हुए ठेकेदार को खनन के प्रयोजनों के लिए प्रदत्त क्षेत्र में प्रवेश करने, अधिभोग रखने तथा उपयोग और इस शर्त के अध्यधीन रहते हुए कि कलक्टर को ठेके की पूरी अवधि के दौरान सभी समय पर खदान के भीतर अवस्थित या ठेकेदार के नियंत्रण के अधीन अन्य कहीं उत्पादों के प्रचलित उचित बाजार मूल्य पर अग्र क्रयाधिकार होगा, खनिज या खनिज के उत्पादों को खदान से बाहर ले जाने तथा उनका विक्रय करने की स्वतंत्रता होगी।

डॉ. परशुमूर्ति मिश्र
कार्यपालक संचालक
म. प्र. स्टेट माईनिंग कार्प. लि.

HOTEL UMA RESIDENCY
Auth. Sign.

3. ठेकेदार इस अनुबंध के अनुसरण में, एतद्द्वारा, निविदाकार को पट्टान्तरित भूमि का तारीख ..... से तारीख **30.06.2023** तक अधिभोग रखेगा तथा कब्जा ग्रहण करेगा।

4. एतद्द्वारा यह सहमति प्रदान की जाती है कि एतद द्वारा पट्टान्तरित ठेके पर दिये गये क्षेत्र की सीमाएं खड़ी नीचे की ओर भूमि के केन्द्र तक रहेंगी।

5.(1) ठेकेदार वार्षिक ठेका राशि रूपए **32,50,00,000/- (बत्तीस करोड़ पचास लाख रूपये)** का नीचे दी गई तारीख या उसके पूर्व किश्तों में भुगतान करेगा:-

अनुक्रमांक	किश्त क्रमांक	किश्त की राशि (रूपए में)	किश्त जमा करनें की तारीख
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	प्रथम किश्त	8,12,50,000	प्रथम त्रैमास के प्रथम दिवस
2.	द्वितीय किश्त	8,12,50,000	द्वितीय त्रैमास के प्रथम दिवस
3.	तृतीय किश्त	8,12,50,000	तृतीय त्रैमास के प्रथम दिवस
4.	चतुर्थ किश्त	8,12,50,000	चतुर्थ त्रैमास के प्रथम दिवस

परन्तु ठेकेदार, ठेका राशि तथा रेत खदान से संबंधित अन्य संपूर्ण रकम प्रथमत: मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम द्वारा इस प्रयोजन हेतु संचालित खाते में जमा करेगा:

परन्तु, यदि ठेकेदार नियत तारीख को किश्तों को जमा करने में असफल रहता है तो ठेकेदार के पक्ष में आबंटित समूह की खदानों के लिए ई-टीपी बन्द की जाएगी तथा खदान संचालन पर रोक लगा दी जाएगी तथा ठेकेदार को इस आशय का कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा, कि किश्त की राशि जमा करनें में असफल रहनें पर क्यों न उनका ठेका निरस्त कर दिया जाए:

परन्तु और यह कि, किश्त जमा करनें की निर्धारित तारीख 30 दिवस के भीतर ठेकेदार द्वारा उक्त कारण बताओ नोटिस का जवाब देते हुए विलंब अवधि पर 24 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज सहित देय किश्त/किश्तों का भुगतान करने पर, कलेक्टर/निगम द्वारा खदान का संचालन के लिए अनुमति दे सकेगा :

परन्तु यह और कि 30 दिवस की अवधि के भीतर उपरोक्तानुसार यदि ठेकेदार राशि जमा करने में असफल रहता है तो, कलेक्टर/निगम द्वारा व्यपगत आदेश कर पुन: निविदा हेतु शासन को अनुरोध किया जाएगा। निविदा की विज्ञप्ति प्रकाशन के पूर्व तक ठेकेदार समस्त देयतायें 24 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ जमा कर सकता है। नवीन निविदा विज्ञप्ति प्रकाशन पर स्वमेव ठेका पूर्ण रूप से निरस्त समझा जाएगा :

डॉ. वेदमूर्ति मिश्र
कार्यपालक संचालक
म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पो. लि.

HOTEL UMA RESIDENCY
Auth. Sign.

परन्तु यह और भी कि, जब तक किश्त की राशि मय ब्याज के प्राप्त होगी तो तब तक ठेकेदार के पक्ष में आबंटित समूह की खदानों के लिए ई-टीपी जारी किए जाने पर रोक रहेगी।

(2) ठेकेदार, ठेका राशि की रकम के एवज में खनन योजना, पर्यावरण स्वीकृति एवं जल तथा वायु सम्मति में (इनमें से जो भी कम हो) अनुज्ञात रेत की मात्रा ले जा सकेगा :

परन्तु, यदि ठेकेदार निर्धारित मात्रा से अधिक मात्रा में खनिज निकालेगा या ले जायेगा, तब वह उस अधिक निकाली गई या ले जायी गई मात्रा के लिए ऐसी मात्रा के मूल्य का भुगतान करने के दायित्वधीन होगा :

परन्तु यह कि, यदि किसी वर्ष में उत्खनित मात्रा अनुमोदित खनन योजना में उल्लिखित मात्रा से 20 प्रतिशत कम हो तो इस मात्रा के आगामी वर्ष में निकाले जाने की अनुमति दी जाएगी, किन्तु उस वर्ष के ठेकाधन में अवशिष्ट मात्रा के अंतर की राशि जमा की जानी होगी। अनुमोदित खनन योजना का पुनरीक्षण किया जाएगा एवं वार्षिक ठेका राशि आनुपातिक रूप से पुनरीक्षित किया जाएगा। खनन योजना के पुनरीक्षण की स्थिति में, यथा आवश्यक पर्यावरणीय अनुमति प्राप्त की जाएगी। ठेकावधि में अनुमोदित खनन योजना में उल्लिखित मात्रा का खनन अनिवार्य होगा, अन्यथा जमा की गई सुरक्षा राशि सम्पहत की जा सकेगी:

परन्तु यह और कि, यदि ठेकेदार किसी वर्ष उस वर्ष की अनुज्ञात मात्रा से अधिक मात्रा (20 प्रतिशत से अधिक नहीं) की निकासी करना चाहता है, तब उसे प्रस्ताव अनुसार अनुमोदित खनन योजना एवं पर्यावरण अनुमति में यथायोग्य पुनरीक्षण/संशोधन करना होगा एवं यह बढ़ी हुई मात्रा आगामी वर्ष की अनुज्ञात मात्रा के विरूद्ध समायोजित की जाएगी। किसी भी स्थिति में, ठेकावधि हेतु स्वीकृति मात्रा से अधिक मात्रा में निकासी की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(3) उस स्थिति में जब ठेकेदार, उपरोक्त पैरा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए वार्षिक कार्य योजना में तिमाही हेतु उल्लिखित मात्रा से अधिक खनिज निकालता है तो वह ऐसे निकाले गए अधिक मात्रा एवं तिमाही में चुकाई गई किश्त राशि के अंतर की राशि का भुगतान (तीस दिन) के भीतर किया जाना होगा, अन्यथा आगामी खनिज निकासी रोक दी जाएगी तो भुगतान करने का उत्तरदायी होगा :

परन्तु, यदि ठेकेदार नियत तारीख पर रकम का भुगतान करने में असफल रहता है तो वह 24 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज सहित शोध्य राशि/राशियों का भुगतान करने का उत्तरदायी होगा।

6. रेत खदान से संबंधित ठेका राशि एवं अन्य राशियां ठेकेदार द्वारा मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम द्वारा इस प्रयोजन हेतु संचालित खाते में प्रथमत: जमा कराई जाएगी।

डॉ. वरदमूर्ति मिश्र
कार्यपालक संचालक
म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पो. लि.

HOTEL UMA RESIDENCY
Auth. Sign.

7. ठेका रकम तथा अन्य शोध्यों के, जो कि इस करार के निबंधनों के अधीन देय हैं, शोध्य तारीखों से दो मास से अधिक अवधि तक भुगतान न किए जाने की दशा में कलक्टर या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी परिसर में प्रवेश करने के लिए सशक्त होगा तथा/या उसके उत्पाद और/या खदान में ठेकेदार द्वारा रखी गई चल सम्पत्ति को अभिग्रहीत कर सकेगा और ले जा सकेगा।

8. यदि इस अनुबंध के अधीन ठेके की राशि या कोई अन्य शोध्य ठेकेदार द्वारा एक मास से अधिक के लिए असंदत्त रहती है तो कलेक्टर/निगम ठेका रद्द किये जाने संबंधी प्रस्ताव राज्य शासन को प्रेषित करेगा एवं राज्य शासन का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

9. ठेकेदार, खदान के समीप ऐसे अस्थायी भवन आदि खड़ा करने का हकदार होगा जैसा कि उत्खनन प्रयोजनों के लिए अपेक्षित हो और इसे ठेका अवधि समाप्ति के पूर्व हटा लेगा। ऐसा नहीं करने की स्थिति में, ठेका समाप्ति के पश्चात खदान के समीप भूमि पर निर्मित ऐसे कोई भवन आदि राज्य सरकार की संपत्ति होंगी तथा जिसके लिए ठेकेदार को उस पर का प्रतिकर दावा करने का अधिकार नहीं होगा।

10. ठेकेदार, स्वयं के व्यय पर, भूमि की सीमाओं को दर्शित करने के लिए सीमा चिन्ह तथा स्तंभ (पिलर) का निर्माण करेगा एवं उन्हें हमेशा दुरूस्त रखेगा।

11. ठेकेदार, ठेके के अधीन प्राप्त भूमि या उसके किसी भाग को समनुदेशित या उप पट्टे पर नहीं देगा अथवा ठेके के अधीन प्रदत्त अधिकारों/विशेषाधिकारों को अंतरित नहीं करेगा।

12. ठेकेदार, इस अनुबंध के अधीन प्रदत्त भूमि की समुचित स्वच्छता बनाए रखने का उत्तरदायी होगा ।

13. ठेकेदार, उस समय समस्त नियमों तथा विनियमों और ऐसी अन्य शर्तों से बाध्य होगा, जैसा कि शासन द्वारा समय-समय पर अधिरोपित की जाएं।

14. ठेकेदार, खदान में कार्य कर रहे व्यक्तियों के स्वास्थ्य एवं संरक्षा के समुचित उपाय करने के लिए आबद्ध होगा।

15. ठेकेदार, सड़क, पानी से संबंधित अधिकारों और अन्य सुखाधिकारों का ध्यान रखेगा।

डॉ. वरदमूर्ति मिश्र
कार्यपालक संचालक
म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पो. लि.

HOTEL UMA RESIDENCY
Auth. Sign.

16. सरकार को यह अधिकार होगा, कि वह पट्टाकृत क्षेत्र के ऊपर संचार साधनों की स्थापना के लिए ऊपर मार्ग का निर्माण करे या अन्य उपाय करे एवं ठेकेदार को उसके लिए प्रतिकर दावा करने का अधिकार नहीं होगा।

17. ठेकेदार अनुमोदित खनन योजना के अनुसार खनन संक्रिया करेगा और रेत तथा बजरी का खनन सतह से अधिकतम तीन मीटर तक अथवा जल स्तर तक जो भी कम हो, किया जाएगा। किन्तु ऐसा उत्खनन नदी/नाले के भीतर प्रतिषिद्ध होगा।

18. ठेकेदार, खदान से अभिप्राप्त और विक्रय किए गए या निकास किए गए खनिज की मात्रा तथा विशिष्टियां दर्शाते हुए उनका सही लेखा और खदान में नियोजित व्यक्तियों की संख्या तथा खदान का पूर्ण रेखांक संधारित करेगा और शासन/ कलक्टर द्वारा प्राधिकृत किए गए अधिकारी को किसी भी समय ऐसे लेखाओं तथा रेखांकों का परीक्षण करने देगा तथा ऐसे सक्षम अधिकारी द्वारा निरीक्षण के दौरान या मांग की जाने पर उन्हें प्रस्तुत करेगा।

19. ठेकेदार, नीचे दिये गए प्ररूप में मासिक विवरणी प्रत्येक मास की 7 तारीख के पूर्व म0प्र0 राज्य खनिज निगम मर्यादित को प्रस्तुत करेगा :

माह	निकाले गये खनिज का प्रारंभिक स्टॉक (घनमीटर)	माह में निकाले गए खनिज की मात्रा (घनमीटर)	माह में निकास किए गए खनिज की मात्रा (घनमीटर)	माह में विक्रय किए गए खनिज की मात्रा (घनमीटर)	माह के अंत में खनिज का अंतिम स्टॉक (घनमीटर)	माह के दौरान नियोजित श्रमिकों की औसत संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

20. ठेकेदार, खदान क्षेत्र में घटने वाली किसी दुर्घटना की रिपोर्ट तत्काल संबंधित जिला मजिस्ट्रेट को देगा।

21. ठेकेदार, उसके ठेके में शामिल की गई रेत खदानों के पहुंच मार्ग, खनिज की उपलब्धता तथा कोई कारण से ठेकाधन की राशि में संशोधन किए जाने संबंध में कलक्टर/निगम के विरूद्ध कोई प्रतिकर या नुकसान का दावा नहीं करेगा।

22. यदि ठेकेदार, उक्त ठेके की कालावधि के पूर्ण होने के पूर्व ठेके को पर्यवसित करने का इच्छुक है तो वह ऐसे आशय की छह मास की लिखित सूचना कलक्टर/निगम को देगा। उपरोक्त अवधि समाप्त होने एवं ठेकेदार के विरूद्ध बकाया न होने की स्थिति में कलेक्टर/निगम से प्राप्त

डॉ. परममूर्ति मिश्र
कार्यपालक संचालक
म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पो. लि.

HOTEL UMA RESIDENCY
Auth. Sign.

प्रस्ताव पर राज्य शासन द्वारा समर्पण स्वीकार किया जाएगा एवं उसकी सुरक्षा राशि वापस की जाएगी। उक्त अवधि के लिए वार्षिक ठेकाधन ठेकेदार द्वारा अनिवार्य रूप से जमा किया जाएगा, इस अवधि में खनन संक्रियाएं संचालित की जा सकेंगी। यदि एक बार समर्पण के लिए आवेदन प्रस्तुत कर दिया जाता है तो वह पुन: वापसी योग्य नहीं होगा। समर्पण सूचना प्राप्त होने के पश्चात समूह की पुन: निविदा प्रक्रिया निगम द्वारा प्रारंभ की जाएगी।

23. ठेकेदार, जिसके लिए उसको ठेका दिया गया है, उससे भिन्न प्रयोजन के लिए इस अनुबंध के अधीन उसको दी गई भूमि का उपयोग नहीं करेगा।

24. (1) युद्ध की स्थिति में या आपातकाल की दशा में, सरकार को खदान, वस्तुएं, भूमि, मशीनरी, संयंत्र, भवन तथा सामग्री का कब्जा लेने का अधिकार रहेगा तथा ऐसी स्थिति में ठेकेदार द्वारा किसी प्रतिकर के लिए कोई दावा नहीं करेगा।

(2) राज्य सरकार को लोकहित में ठेके की कालावधि समाप्त होने के पूर्व कब्जा वापस लेने का अधिकार होगा:

परन्तु कब्जा लेने के पूर्व ठेकेदार को एक माह की अग्रिम सूचना दी जाएगी।

25. यदि इस ठेके के संबंध में और/या उसके संबंध में और/या कोई विवाद होने की स्थिति में, राज्य शासन का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

26. **कब्जे का पुनर्ग्रहण-** (1) जहां कोई रेत खदान रद्द की जाती है या अवधारित की जाती है अथवा खदान के कब्जे का लोकहित में पुनर्ग्रहण करने का विनिश्चिय किया जाता है या वह कालावधि जिसके लिए रेत खदान मंजूर की गई हो, समाप्त हो जाती है तो ठेकेदार, खदान का कब्जा कलक्टर को, जिसमें रेत खदान/समूह या उसका बड़ा भाग अवस्थित हो, रद्द किए जाने या पर्यवसित किए जाने या लोकहित में कब्जा वापस लेने के विनिश्चय की संसूचना की तारीख से सात दिन की कालावधि के भीतर या खदान के ठेके की कालावधि समाप्त होने की तारीख के आगामी दिन से, जैसी भी स्थिति हो, वापस सौंप देगा।

(2) जहां ठेकेदार रेत खदानसमूह का कब्जा, उप-खण्ड (1) में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर सौंपने में असफल रहता है वहां कलक्टर या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी, सूचना की तामीली या तो डाक द्वारा या उसकी प्रति ठेकेदार को व्यक्तिगत रूप से या उसके परिवार के सदस्यों या नौकरों में से किसी को निविदत्त करते हुए या देते हुए उसके निवास स्थान अथवा कारबार के स्थान के किसी सहजदृश्य स्थान पर एक प्रति

HOTEL UMA RESIDENCY
Auth. Sign.

डॉ. वरदनंदि मिश्र
कार्यपालक संचालक
म. प्र. स्टेट माईनिंग कार्पो. लि.

चस्पा करके या उसे उस स्थान में जहां ठेकेदार निवास करता है, परिचालित कम से कम एक समाचार-पत्र में प्रकाशित करके करेगा या करवाएगा।

(3) उपखण्ड (2) के अधीन सूचना में यह कथन अंतर्विष्ट होगा कि ठेकेदार, रेत खदान/समूह का कब्जा कलक्टर या उप-खण्ड (1) के अधीन उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को सूचना की तामीली की तारीख से सात दिन के भीतर सौंप देगा।

(4) जहां ठेकेदार, उप-खण्ड (2) के अधीन सूचना में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर रेत खदान/समूह का कब्जा सौंपने में असफल रहता है वहां कलक्टर या उप-खण्ड (1) के अधीन उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, ठेकेदार से रेत खदान का कब्जा ले सकेगा और उस प्रयोजन के लिए ऐसे बल का प्रयोग कर सकेगा, जैसा कि आवश्यक समझा जाए।

(5) यदि ठेके की कालावधि की समाप्ति पर ठेकेदार, अगले दिन खदान का कब्जा सौंपने में असफल रहता है तो ठेकेदार, कब्जा वापस लिए जाने पर्यन्त, अनुबंध की समस्त शर्तों का पालन करेगा।

27. यदि ठेकेदार अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन करता है, तो कलक्टर/ निगम को ठेकेदार द्वारा जमा सुरक्षा राशि या उसके भाग समपहृत करने का अधिकार होगा।

28. ठेकेदार, खदान से खनिज या उसके उत्पाद ले जाने वाले प्रत्येक वाहन को राज्य सरकार द्वारा विहित अभिवहन पास के साथ ही प्रत्येक गंतव्य के लिए जाने देगा।

29. ई-निविदा दस्तावेज, अनुबंध आदि इस ठेके के अभिन्न अंग होंगे।

30. अनुबंध के अधीन, एतद्द्वारा यह पट्टाक्रामित किया जाता है, कि यदि, ठेकेदार उपरोक्त में अंतर्विष्ट और उल्लिखित समस्त निबंधनों और शर्तों को पूर्ति करता है, तो सुरक्षा राशि की रकम रुपए और **रूपए 8,12,50,000 (आठ करोड़ बारह लाख पचास हजार रूपये)** मात्र (अग्रिम धन) जो कि ठेकेदार द्वारा जमा की गई है कलक्टर/निगम द्वारा उसे वापिस की जाएगी।

डॉ. ब्रह्ममूर्ति मिश्र
कार्यपालक संचालक
म. प्र. स्टेट माईनिंग कार्पो. लि.

HOTEL UMA RESIDENCY
Auth. Sign.

अनुसूची-क
(पैरा 1 देखिए)

(पैरा 1 देखिए)क्र0	जिला	तहसील	समूह क्रं0/नाम	ग्राम	खसरा क्रमांक	रकबा (हे.)
1	2	3	4	5	6	7
17	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	बैतूल	झोली–1	99	2.450

• इस अनुबंध पत्र की देय स्टाम्प एवं पंजीयन शुल्क दस्तावेज / ई-कोड क्रमांक 0101030606202001234 4 दिनांक 06.06.2020 व्दारा चुकाया जा चुका है।

(कार्यपालक संचालक)

साक्षियों का पूरा नाम, व्यवसाय एवं हस्ताक्षर

1---------- 24/X/20
आशुतोष टेमले

2---------- 24/10/2020

मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम मर्यादित
हस्ताक्षर म. प्र. स्टेट माईनिंग कार्पो. लि.
जिला.....
(मुहर)

साक्षियों का पूरा नाम, व्यवसाय एवं हस्ताक्षर

1---------- 24/10/2020

2---------- 24/10/2020

ठेकेदार का नाम, पता तथा हस्ताक्षर
HOTEL UMA RESIDENCY
Sign.
मेसर्स/श्री मेसर्स होटल उमा रेसीडेन्सी
(अधिकृत व्यक्ति - श्री अशोक कुमार पटेल)
पंजीकृत पता- चाणक्यपुरी कॉलोनी, रीवा रोड
सतना (म0प्र0) 485001

Registration and Stamp Department
Madhya Pradesh

Certificate of Stamp Duty

E-Stamp Details			
E-Stamp Code	0101032210202001225 4		
Total E-Stamp Amount	1000		
Govt. Stamp Duty (Rs.)	1000	Municipality Duty (Rs.)	0
Janpad Duty (Rs.)	0	Upkar Amount (Rs.)	0
Exempted Amount(Rs.)	0		
E-Stamp Type	NON-JUDICIAL		
Issue Date & Time	22/10/2020 15:59:45		
Service Provider or Issuer Details	RAVI SUMAN PUROHIT/SP0105416092016000 65		
SP/SRO/DRO/HO Details	494, PUROHIT LAW CHAMBER, OPP-OLD VIDHAN SABHA BHOPAL -462003 HUZUR BHOPAL		
Deed Details			
Deed Type	Letter of Guarantee		
Deed Instrument	Letter of Guarantee.- One Thousand rupees.		
Purpose	LETTER OF GUARANTEE		
First Party Details			
Organization Name	HOTEL UMA RESIDENCY		
Address	KHASRA NO. 99, VILLAGE JHOLI-1, TEHSIL GHODADONGARI, BETUL Madhya Pradesh INDIA		
Number of Persons	1		
Second Party Details			
Organization Name	MINING CORPORATION LIMITED		
Address	OFFICE OF THE MINING CORPORATION LIMITED BHOPAL Madhya Pradesh INDIA		
Number of Persons	1		

Digitally signed by Ravi Suman Purohit
Date: 2020.10.22 15:59:51 IST

Registration and Stamp Department
Madhya Pradesh

Certificate of Stamp Duty

E-Stamp Details			
E-Stamp Code	0101032210202001219O		
Total E-Stamp Amount	1000		
Govt. Stamp Duty (Rs.)	1000	Municipality Duty (Rs.)	0
Janpad Duty (Rs.)	0	Upkar Amount (Rs.)	0
Exempted Amount(Rs.)	0		
E-Stamp Type	NON-JUDICIAL		
Issue Date & Time	22/10/2020 15:58:01		
Service Provider or Issuer Details	RAVI SUMAN PUROHIT/SP0105416092016000O5		
SP/SRO/DRO/HO Details	494, PUROHIT LAW CHAMBER, OPP-OLD VIDHAN SABHA BHOPAL -462003 HUZUR BHOPAL		
Deed Details			
Deed Type	Letter of Guarantee		
Deed Instrument	Letter of Guarantee.- One Thousand rupees.		
Purpose	LETTER OF GUARANTEE		
First Party Details			
Organization Name	HOTEL UMA RESIDENCY		
Address	KHASRA NO. 99, VILLAGE JHOLI-1, TEHSIL GHODADONGARI, BETUL Madhya Pradesh INDIA		
Number of Persons	1		
Second Party Details			
Organization Name	MINING CORPORATION LIMITED		
Address	OFFICE OF THE MINING CORPORATION LIMITED BHOPAL Madhya Pradesh INDIA		
Number of Persons	1		

Digitally signed by Ravi Suman Purohit
Date: 2020.10.22 15:58:06 IST

Registration and Stamp Department
Madhya Pradesh

Certificate of Stamp Duty

E-Stamp Details

E-Stamp Code	0101030704202100210 7		
Total E-Stamp Amount	1000		
Govt. Stamp Duty (Rs.)	1000	Municipality Duty (Rs.)	0
Janpad Duty (Rs.)	0	Upkar Amount (Rs.)	0
Exempted Amount(Rs.)	0		
E-Stamp Type	NON-JUDICIAL		
Issue Date & Time	07/04/2021 12:03:28		
Service Provider or Issuer Details	sanjeev Dubey/SP0103419042018000 99		
SP/SRO/DRO/HO Details	dadawadi ke pas Chakeer Road Moti Ward Betul Th Betul Dist. Betul (MP) BETUL		
	BETUL		

Deed Details

Deed Type	Letter of Guarantee
Deed Instrument	Letter of Guarantee - One Thousand rupees.
Purpose	Letter of Guarantee

First Party Details

Organization Name	HOTEL UMA RESIDENCY
Address	KHASRA NO. 1 VILEAGE RATAMATI TEH. BHAINSDEHI DISTT. BETUL BETUL
	Madhya Pradesh INDIA
Number of Persons	1

Second Party Details

Organization Name	MINING CORPORATION LIMITED
Address	BHOPAL BHOPAL Madhya Pradesh INDIA
Number of Persons	1

Letter of Guarantee

Digitally signed by Sanjeev Dubey
Date: 2021.04.07 12:03:35 IST

Registration and Stamp Department
Madhya Pradesh

Certificate of Stamp Duty

E-Stamp Details

E-Stamp Code	0101030704202100203l
Total E-Stamp Amount	1000
Govt. Stamp Duty (Rs.)	1000
Municipality Duty (Rs.)	0
Janpad Duty (Rs.)	0
Upkar Amount (Rs.)	0
Exempted Amount(Rs.)	0
E-Stamp Type	NON JUDICIAL
Issue Date & Time	07/04/2021 12:01:00
Service Provider or Issuer Details	sanjeev Dubey/SP0103419042018000099
SP/SRO/DRO/HO Details	dadrwadi ke pas Chhteer Road Moti Ward Betul Th Betul Dist. Betul (MP) BETUL BETUL

Deed Details

Deed Type	Letter of Guarantee
Deed Instrument	Letter of Guarantee.- One Thousand rupees.
Purpose	Letter of Guarantee

First Party Details

Organization Name	HOTEL UMA RESIDENCY
Address	KHASRA NO. 1 VILLAGE RATAMATI TEH. BHAINSDEHI DISTT. BETUL BETUL Madhya Pradesh INDIA
Number of Persons	1

Second Party Details

Organization Name	MINING CORPORATION LIMITED
Address	BHOPAL BHOPAL Madhya Pradesh INDIA
Number of Persons	1

Letter of Guarantee

Digitally signed by Sanjeev Dubey
Date: 2021.04.07 12:01:14 IST

303

प्ररूप-पाँच

(नियम 13(2) देखिए)

रेत खदान हेतु ठेके का अनुबंध

यह करार एक पक्ष के रूप जो प्रबंध संचालक, म0प्र0 राज्य खनिज निगम मर्यादित(निगम), जिला भोपाल के माध्यम से कार्य करते हुए मध्यप्रदेश के राज्यपाल (जिन्हें इसमें इसके पश्चात राज्यपाल कहा गया है), जिस अभिव्यक्ति में उनके पद उत्तरवर्ती सम्मिलित है और अन्य पक्ष के रूप में श्री/श्रीमती/कुमारी **मेसर्स होटल उमा रेसीडेन्सी (अधिकृत व्यक्ति - श्री अनिल अग्रहरि) चाणक्यपुरी कॉलोनी, रीवा रोड सतना (म0प्र0) 485001** (जिसे इसमें इसके पश्चात "ठेकेदार" कहा गया है) जिस अभिव्यक्ति में, जहां कि संदर्भ ऐसा स्वीकार है, उसके वारिस, निष्पादक, प्रशासक, प्रतिनिधि और अनुज्ञात समनुदेशिती शामिल हैं) के बीच आज दिनांक ..06..... माह ..जून..... सन् 2020 को **दिनांक** ..... **से 30.06.2023 की अवधि** हेतु व्यापारिक खदान के लिये किया गया।

1. यतः, ठेकेदार, निविदा की शर्तों के अनुसार निविदा की राशि **रूपए 32,50,00,000/- (बत्तीस करोड़ पचास लाख रूपये)** प्रतिवर्ष का भुगतान करने के लिए सहमत हो गया है, जो रकम एतद उद्वारा ठेका राशि कहलाएगी और **रूपए 8,12,50,000 (आठ करोड़ बारह लाख पचास** हजार रूपये), अग्रिम धन (सुरक्षा राशि) के रूप में और रूपए (लागू नहीं) प्रतिभूति राशि और रूपए (लागू नहीं) ठेका अवधि में देय संपूर्ण राशि के समतुल्य है, और जो ठेके के निबंधनों और शर्तों के सम्यक पालन के लिए जमा रखी जाएगी और जो कि ठेके के अनुबंध का किसी प्रकार भंग किये जाने की स्थिति समपहृत किये जाने योग्य होगी; और

यतः, राज्य शासन/ निगम ने उसे उस रेत खदान का ठेका स्वीकृत किया है जिसका मानचित्र संलग्न है जिस खदान **रातामाटी, खसरा क्र. 01, रकबा 2.550 हे0, तहसील भैसदेही** जिला **बैतूल** है और जिसका विवरण संलग्न अनुसूची "क" में दिया गया है जो अब आगे "खदान" कही जाएगी।

2. अब यह अनुबंध साक्षी है कि ठेका राशि, रॉयल्टी, किराया तथा अन्य भुगतानों के प्रतिफल में तथा शर्तों, प्रसंविदाओं और करार के प्रतिफल में तथा अध्यधीन रहते हुए ठेकेदार को खनन के प्रयोजनों के लिए प्रदत्त क्षेत्र में प्रवेश करने, अधिभोग रखने तथा उपयोग और इस शर्त के अध्यधीन रहते हुए कि कलक्टर को ठेके की पूरी अवधि के दौरान सभी समय पर खदान के भीतर अवस्थित या ठेकेदार के नियंत्रण के अधीन अन्य कहीं उत्पादों के प्रचलित उचित बाजार मूल्य पर अग्र क्रयाधिकार होगा, खनिज या खनिज के उत्पादों को खदान से बाहर ले जाने तथा उनका विक्रय करने की स्वतंत्रता होगी।

Scanned with CamScanner

3. ठेकेदार इस अनुबंध के अनुसरण में, एतद्द्वारा, निविदाकार को पट्टान्तरित भूमि का तारीख ..... से तारीख 30.06.2023 तक अधिभोग रखेगा तथा कब्जा ग्रहण करेगा।

4. एतद्द्वारा यह सहमति प्रदान की जाती है कि एतद द्वारा पट्टान्तरित ठेके पर दिये गये क्षेत्र की सीमाएं खड़ी नींचे की ओर भूमि के केन्द्र तक रहेंगी।

5.(1) ठेकेदार वार्षिक ठेका राशि रूपए **32,50,00,000/- (बत्तीस करोड़ पचास लाख रूपये)** का नीचे दी गई तारीख या उसके पूर्व किश्तों में भुगतान करेगा:-

अनुक्रमांक	किश्त क्रमांक	किश्त की राशि (रूपए में)	किश्त जमा करनें की तारीख
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	प्रथम किश्त	8,12,50,000	प्रथम त्रैमास के प्रथम दिवस
2.	द्वितीय किश्त	8,12,50,000	द्वितीय त्रैमास के प्रथम दिवस
3.	तृतीय किश्त	8,12,50,000	तृतीय त्रैमास के प्रथम दिवस
4.	चतुर्थ किश्त	8,12,50,000	चतुर्थ त्रैमास के प्रथम दिवस

परन्तु ठेकेदार, ठेका राशि तथा रेत खदान से संबंधित अन्य संपूर्ण रकम प्रथमत: मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम द्वारा इस प्रयोजन हेतु संचालित खाते में जमा करेगा:

परन्तु, यदि ठेकेदार नियत तारीख को किश्तों को जमा करने में असफल रहता है तो ठेकेदार के पक्ष में आबंटित समूह की खदानों के लिए ई-टीपी बन्द की जाएगी तथा खदान संचालन पर रोक लगा दी जाएगी तथा ठेकेदार को इस आशय का कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा, कि किश्त की राशि जमा करनें में असफल रहनें पर क्यों न उनका ठेका निरस्त कर दिया जाए:

परन्तु और यह कि, किश्त जमा करनें की निर्धारित तारीख 30 दिवस के भीतर ठेकेदार द्वारा उक्त कारण बताओ नोटिस का जवाब देते हुए विलंब अवधि पर 24 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज सहित देय किश्त/किश्तों का भुगतान करने पर, कलेक्टर/निगम द्वारा खदान का संचालन के लिए अनुमति दे सकेगा :

परन्तु यह और कि 30 दिवस की अवधि के भीतर उपरोक्तानुसार यदि ठेकेदार राशि जमा करने में असफल रहता है तो, कलेक्टर/निगम द्वारा व्यपगत आदेश कर पुन: निविदा हेतु शासन को अनुरोध किया जाएगा। निविदा की विज्ञप्ति प्रकाशन के पूर्व तक ठेकेदार समस्त देयतायें 24 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ जमा कर सकता है। नवीन निविदा विज्ञप्ति प्रकाशन पर स्वमेव ठेका पूर्ण रूप से निरस्त समझा जाएगा :

Scanned with CamScanner

परन्तु यह और भी कि, जब तक किश्त की राशि मय ब्याज के प्राप्त होगी तो तब तक ठेकेदार के पक्ष में आबंटित समूह की खदानों के लिए ई-टीपी जारी किए जाने पर रोक रहेगी।

(2) ठेकेदार, ठेका राशि की रकम के एवज में खनन योजना, पर्यावरण स्वीकृति एवं जल तथा वायु सम्मति में (इनमें से जो भी कम हो) अनुज्ञात रेत की मात्रा ले जा सकेगा :

परन्तु, यदि ठेकेदार निर्धारित मात्रा से अधिक मात्रा में खनिज निकालेगा या ले जायेगा, तब वह उस अधिक निकाली गई या ले जायी गई मात्रा के लिए ऐसी मात्रा के मूल्य का भुगतान करने के दायित्वधीन होगा :

परन्तु यह कि, यदि किसी वर्ष में उत्खनित मात्रा अनुमोदित खनन योजना में उल्लिखित मात्रा से 20 प्रतिशत कम हो तो इस मात्रा के आगामी वर्ष में निकाले जाने की अनुमति दी जाएगी, किन्तु उस वर्ष के ठेकाधन में अवशिष्ट मात्रा के अंतर की राशि जमा की जानी होगी। अनुमोदित खनन योजना का पुनरीक्षण किया जाएगा एवं वार्षिक ठेका राशि आनुपातिक रूप से पुनरीक्षित किया जाएगा। खनन योजना के पुनरीक्षण की स्थिति में, यथा आवश्यक पर्यावरणीय अनुमति प्राप्त की जाएगी। ठेकावधि में अनुमोदित खनन योजना में उल्लिखित मात्रा का खनन अनिवार्य होगा, अन्यथा जमा की गई सुरक्षा राशि सम्पहृत की जा सकेगी:

परन्तु यह और कि, यदि ठेकेदार किसी वर्ष उस वर्ष की अनुज्ञात मात्रा से अधिक मात्रा (20 प्रतिशत से अधिक नहीं) की निकासी करना चाहता है, तब उसे प्रस्ताव अनुसार अनुमोदित खनन योजना एवं पर्यावरण अनुमति में यथायोग्य पुनरीक्षण/संशोधन करना होगा एवं यह बढ़ी हुई मात्रा आगामी वर्ष की अनुज्ञात मात्रा के विरुद्ध समायोजित की जाएगी। किसी भी स्थिति में, ठेकावधि हेतु स्वीकृति मात्रा से अधिक मात्रा में निकासी की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(3) उस स्थिति में जब ठेकेदार, उपरोक्त पैरा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए वार्षिक कार्य योजना में तिमाही हेतु उल्लिखित मात्रा से अधिक खनिज निकालता है तो वह ऐसे निकाले गए अधिक मात्रा एवं तिमाही में चुकाई गई किश्त राशि के अंतर की राशि का भुगतान (तीस दिन) के भीतर किया जाना होगा, अन्यथा आगामी खनिज निकासी रोक दी जाएगी तो भुगतान करने का उत्तरदायी होगा :

परन्तु, यदि ठेकेदार नियत तारीख पर रकम का भुगतान करने में असफल रहता है तो वह 24 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज सहित शोध्य राशि/राशियों का भुगतान करने का उत्तरदायी होगा।

6. रेत खदान से संबंधित ठेका राशि एवं अन्य राशियां ठेकेदार द्वारा मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम द्वारा इस प्रयोजन हेतु संचालित खाते में प्रथमतः जमा कराई जाएगी।

Scanned with CamScanner

7. ठेका रकम तथा अन्य शोध्यों के, जो कि इस करार के निबंधनों के अधीन देय हैं, शोध्य तारीखों से दो मास से अधिक अवधि तक भुगतान न किए जाने की दशा में कलक्टर या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी परिसर में प्रवेश करने के लिए सशक्त होगा तथा/या उसके उत्पाद और/या खदान में ठेकेदार द्वारा रखी गई चल सम्पत्ति को अभिग्रहीत कर सकेगा और ले जा सकेगा।

8. यदि इस अनुबंध के अधीन ठेके की राशि या कोई अन्य शोध्य ठेकेदार द्वारा एक मास से अधिक के लिए असंदत्त रहती है तो कलेक्टर/निगम ठेका रद्द किये जाने संबंधी प्रस्ताव राज्य शासन को प्रेषित करेगा एवं राज्य शासन का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

9. ठेकेदार, खदान के समीप ऐसे अस्थायी भवन आदि खड़ा करने का हकदार होगा जैसा कि उत्खनन प्रयोजनों के लिए अपेक्षित हो और इसे ठेका अवधि समाप्ति के पूर्व हटा लेगा। ऐसा नहीं करने की स्थिति में, ठेका समाप्ति के पश्चात खदान के समीप भूमि पर निर्मित ऐसे कोई भवन आदि राज्य सरकार की संपत्ति होंगी तथा जिसके लिए ठेकेदार को उस पर का प्रतिकर दावा करने का अधिकार नहीं होगा।

10. ठेकेदार, स्वयं के व्यय पर, भूमि की सीमाओं को दर्शित करने के लिए सीमा चिन्ह तथा स्तंभ (पिलर) का निर्माण करेगा एवं उन्हें हमेशा दुरूस्त रखेगा।

11. ठेकेदार, ठेके के अधीन प्राप्त भूमि या उसके किसी भाग को समनुदेशित या उप पट्टे पर नहीं देगा अथवा ठेके के अधीन प्रदत्त अधिकारों/विशेषाधिकारों को अंतरित नहीं करेगा।

12. ठेकेदार, इस अनुबंध के अधीन प्रदत्त भूमि की समुचित स्वच्छता बनाए रखने का उत्तरदायी होगा ।

13. ठेकेदार, उस समय समस्त नियमों तथा विनियमों और ऐसी अन्य शर्तों से बाध्य होगा, जैसा कि शासन द्वारा समय-समय पर अधिरोपित की जाएं।

14. ठेकेदार, खदान में कार्य कर रहे व्यक्तियों के स्वास्थ्य एवं संरक्षा के समुचित उपाय करने के लिए आबद्ध होगा।

15. ठेकेदार, सड़क, पानी से संबंधित अधिकारों और अन्य सुखाधिकारों का ध्यान रखेगा।

16. सरकार को यह अधिकार होगा, कि वह पट्टाकृत क्षेत्र के ऊपर संचार साधनों की स्थापना के लिए ऊपर मार्ग का निर्माण करे या अन्य उपाय करे एवं ठेकेदार को उसके लिए प्रतिकर दावा करने का अधिकार नहीं होगा।

Scanned with CamScanner

17. ठेकेदार अनुमोदित खनन योजना के अनुसार खनन संक्रिया करेगा और रेत तथा बजरी का खनन सतह से अधिकतम तीन मीटर तक अथवा जल स्तर तक जो भी कम हो, किया जाएगा। किन्तु ऐसा उत्खनन नदी/नाले के भीतर प्रतिषिद्ध होगा।

18. ठेकेदार, खदान से अभिप्राप्त और विक्रय किए गए या निकास किए गए खनिज की मात्रा तथा विशिष्टियां दर्शाते हुए उनका सही लेखा और खदान में नियोजित व्यक्तियों की संख्या तथा खदान का पूर्ण रेखांक संधारित करेगा और शासन/ कलक्टर द्वारा प्राधिकृत किए गए अधिकारी को किसी भी समय ऐसे लेखाओं तथा रेखांकों का परीक्षण करने देगा तथा ऐसे सक्षम अधिकारी द्वारा निरीक्षण के दौरान या मांग की जाने पर उन्हें प्रस्तुत करेगा।

19. ठेकेदार, नीचे दिये गए प्ररूप में मासिक विवरणी प्रत्येक मास की 7 तारीख के पूर्व म0प्र0 राज्य खनिज निगम मर्यादित को प्रस्तुत करेगा :

माह	निकाले गये खनिज का प्रारंभिक स्टॉक (घनमीटर)	माह में निकाले गए खनिज की मात्रा (घनमीटर)	माह में निकास किए गए खनिज की मात्रा (घनमीटर)	माह में विक्रय किए गए खनिज की मात्रा (घनमीटर)	माह के अंत में खनिज का अंतिम स्टॉक (घनमीटर)	माह के दौरान नियोजित श्रमिकों की औसत संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

20. ठेकेदार, खदान क्षेत्र में घटने वाली किसी दुर्घटना की रिपोर्ट तत्काल संबंधित जिला मजिस्ट्रेट को देगा।

21. ठेकेदार, उसके ठेके में शामिल की गई रेत खदानों के पहुंच मार्ग, खनिज की उपलब्धता तथा कोई कारण से ठेकाधन की राशि में संशोधन किए जाने संबंध में कलक्टर/निगम के विरूद्ध कोई प्रतिकर या नुकसान का दावा नहीं करेगा।

22. यदि ठेकेदार, उक्त ठेके की कालावधि के पूर्ण होने के पूर्व ठेके को पर्यवसित करने का इच्छुक है तो वह ऐसे आशय की छह मास की लिखित सूचना कलक्टर/निगम को देगा। उपरोक्त अवधि समाप्त होने एवं ठेकेदार के विरूद्ध बकाया न होने की स्थिति में कलेक्टर/निगम से प्राप्त प्रस्ताव पर राज्य शासन द्वारा समर्पण स्वीकार किया जाएगा एवं उसकी सुरक्षा राशि वापस की जाएगी। उक्त अवधि के लिए वार्षिक ठेकाधन ठेकेदार द्वारा अनिवार्य रूप से जमा किया जाएगा,

Scanned with CamScanner

इस अवधि में खनन संक्रियाएं संचालित की जा सकेंगी। यदि एक बार समर्पण के लिए आवेदन प्रस्तुत कर दिया जाता है तो वह पुन: वापसी योग्य नहीं होगा। समर्पण सूचना प्राप्त होने के पश्चात समूह की पुन: निविदा प्रक्रिया निगम द्वारा प्रारंभ की जाएगी।

23. ठेकेदार, जिसके लिए उसको ठेका दिया गया है, उससे भिन्न प्रयोजन के लिए इस अनुबंध के अधीन उसको दी गई भूमि का उपयोग नहीं करेगा।

24. (1) युद्ध की स्थिति में या आपातकाल की दशा में, सरकार को खदान, वस्तुएं, भूमि, मशीनरी, संयंत्र, भवन तथा सामग्री का कब्जा लेने का अधिकार रहेगा तथा ऐसी स्थिति में ठेकेदार द्वारा किसी प्रतिकर के लिए कोई दावा नहीं करेगा।

(2) राज्य सरकार को लोकहित में ठेके की कालावधि समाप्त होने के पूर्व कब्जा वापस लेने का अधिकार होगा:

परन्तु कब्जा लेने के पूर्व ठेकेदार को एक माह की अग्रिम सूचना दी जाएगी।

25. यदि इस ठेके के संबंध में और/या उसके संबंध में और/या कोई विवाद होने की स्थिति में, राज्य शासन का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

26. **कब्जे का पुनर्ग्रहण-** (1) जहां कोई रेत खदान रद्द की जाती है या अवधारित की जाती है अथवा खदान के कब्जे का लोकहित में पुनर्ग्रहण करने का विनिश्चिय किया जाता है या वह कालावधि जिसके लिए रेत खदान मंजूर की गई हो, समाप्त हो जाती है तो ठेकेदार, खदान का कब्जा कलक्टर को, जिसमें रेत खदान/समूह या उसका बड़ा भाग अवस्थित हो, रद्द किए जाने या पर्यवसित किए जाने या लोकहित में कब्जा वापस लेने के विनिश्चय की संसूचना की तारीख से सात दिन की कालावधि के भीतर या खदान के ठेके की कालावधि समाप्त होने की तारीख के आगामी दिन से, जैसी भी स्थिति हो, वापस सौंप देगा।

(2) जहां ठेकेदार रेत खदान/समूह का कब्जा, उप-खण्ड (1) में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर सौंपने में असफल रहता है वहां कलक्टर या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी, सूचना की तामीली या तो डाक द्वारा या उसकी प्रति ठेकेदार को व्यक्तिगत रूप से या उसके परिवार के सदस्यों या नौकरों में से किसी को निविदत्त करते हुए या देते हुए उसके निवास स्थान अथवा कारबार के स्थान के किसी सहजदृश्य स्थान पर एक प्रति चस्पा करके या उसे उस स्थान में जहां ठेकेदार निवास करता है, परिचालित कम से कम एक समाचार-पत्र में प्रकाशित करके करेगा या करवाएगा।

Scanned with CamScanner

(3) उपखण्ड (2) के अधीन सूचना में यह कथन अंतर्विष्ट होगा कि ठेकेदार, रेत खदान/समूह का कब्जा कलक्टर या उप-खण्ड (1) के अधीन उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को सूचना की तामीली की तारीख से सात दिन के भीतर सौंप देगा।

(4) जहां ठेकेदार, उप-खण्ड (2) के अधीन सूचना में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर रेत खदान/समूह का कब्जा सौंपने में असफल रहता है वहां कलक्टर या उप-खण्ड (1) के अधीन उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, ठेकेदार से रेत खदान का कब्जा ले सकेगा और उस प्रयोजन के लिए ऐसे बल का प्रयोग कर सकेगा, जैसा कि आवश्यक समझा जाए।

(5) यदि ठेके की कालावधि की समाप्ति पर ठेकेदार, अगले दिन खदान का कब्जा सौंपने में असफल रहता है तो ठेकेदार, कब्जा वापस लिए जाने पर्यन्त, अनुबंध की समस्त शर्तों का पालन करेगा।

27. यदि ठेकेदार अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन करता है, तो कलक्टर/ निगम को ठेकेदार द्वारा जमा सुरक्षा राशि या उसके भाग समपहृत करने का अधिकार होगा।

28. ठेकेदार, खदान से खनिज या उसके उत्पाद ले जाने वाले प्रत्येक वाहन को राज्य सरकार द्वारा विहित अभिवहन पास के साथ ही प्रत्येक गंतव्य के लिए जाने देगा।

29. ई-निविदा दस्तावेज, अनुबंध आदि इस ठेके के अभिन्न अंग होंगे।

30. अनुबंध के अधीन, एतद्द्वारा यह पट्टाक्रामित किया जाता है, कि यदि, ठेकेदार उपरोक्त में अंतर्विष्ट और उल्लिखित समस्त निबंधनों और शर्तों को पूर्ति करता है, तो सुरक्षा राशि की रकम रूपए और रूपए **8,12,50,000 (आठ करोड़ बारह लाख पचास हजार रूपये)** मात्र (अग्रिम धन) जो कि ठेकेदार द्वारा जमा की गई है कलक्टर/निगम द्वारा उसे वापिस की जाएगी।

Scanned with CamScanner

अनुसूची-क
(पैरा 1 देखिए)

(पैरा 1 देखिए)क्र0	जिला	तहसील	समूह क्र0 / नाम	ग्राम	खसरा क्रमांक	रकबा (हे.)
1	2	3		4	5	6
34	बैतूल	मैसदेही	बैतूल	रातामाटी	01	2.550

* इस अनुबंध पत्र की देय स्टाम्प एवं पंजीयन शुल्क दस्तावेज क्रमांक..... दिनांक..... द्वारा चुकाया जा चुका है।

06/06/2020
(कार्यपालक संचालक)

साक्षियों का पूरा नाम, व्यवसाय एवं हस्ताक्षर

1.....

2.....

मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम मर्यादित
हस्ताक्षर
जिला.....
(मुहर)

साक्षियों का पूरा नाम, व्यवसाय एवं हस्ताक्षर

1. ASHISH RAI

2. SHUBHAM DUBEY

ठेकेदार का नाम, पता तथा हस्ताक्षर

मेसर्स/श्री मेसर्स होटल उमा रेसीडेन्सी
(अधिकृत व्यक्ति - श्री अनिल अग्रहरि)
चाणक्यपुरी कॉलोनी, रीवा रोड सतना
(म0प्र0) 485001

Scanned with CamScanner

ANNEXURE-4

प्रारूप-पांच

(नियम 13 (2) देखिए)

रेत खदान हेतु ठेके का अनुबंध

यह करार एक पक्ष के रूप में जो कलेक्टर जिला बैतूल के माध्यम से कार्य करते हुए मध्यप्रदेश के राज्यपाल (जिन्हे इसमें इसके पश्चात् राज्यपाल कहा गया है), जिस अभिव्यक्ति में उनके पद उत्तरवर्ती सम्मलित है और अन्य पक्ष के रूप में श्री/श्रीमती/कुमारी मेसर्स नेशनल एनर्जी ट्रेडिंग एण्ड सर्विसेज लिमिटेड (अधिकृत व्यक्ति –श्री रूकेश वनखेड़े) पता प्लाट न. 7 बिन्दु सदन 401 सांई चंद्र कॉलोनी, ग्रीन स्पेस तुलसी, पुष्पलगुडा, मणिकोंडा, हैदराबाद, रंगारेड्डी, तेलंगाना-500089 वर्तमान पता- हाऊस नम्बर 247, तृतीय तल, सेक्टर-2 शक्ति नगर, ह्बीबगंज भोपाल (म.प्र.) (जिसे इसमें इसके पश्चात् "ठेकेदार" कहा गया है) जिस अभिव्यक्ति में, जहां कि संदर्भ ऐसा स्वीकार है, उसके वारिस, निष्पादक, प्रशासक, प्रतिनिधि और अनुज्ञात समनुदेशिती शामिल है, के बीच आज दिनांक 09 माह फरवरी सन् 2023 को दिनांक 09.02.2023 से दिनांक 30.06.2023 की अवधि हेतु व्यापारिक खदान के लिये किया गया।

1. यतः ठेकेदार, ई-निविदा की शर्तों के अनुसार ई-निविदा की राशि रूपए 53,11,95,424.20 (तिरेपन करोड़ ग्यारह लाख पन्चान्वे हजार चार सौ चौबीस रूपये बीस पैसे मात्र) प्रतिवर्ष का भुगतान करने के लिए सहमत हो गया है, जो रकम एतद् द्वारा ठेका राशि कहलायगी और रूपये 13,27,98,856 (तेरह करोड सत्ताईस लाख अट्ठान्वे हजार आठ सौ छप्पन रूपये) अग्रिम धन (सुरक्षा राशि) सुरक्षा राशि के रूप में और रूपये (लागू नहीं) प्रतिभूति राशि रूपये (लागू नहीं) ठेका अवधि में देय संपूर्ण राशि के समतुल्य है, और जो ठेके के निबंधनो और शर्तो के सम्यक पालन के लिए जमा रखी जायेगी और जो कि ठेके के अनुबंध का किसी प्रकार भंग किए जाने की स्थिति समहृत किए जाने योग्य होगी और

यतः कलेक्टर ने उसे उस रेत खदान का ठेका स्वीकृत किया है जिसका मानचित्र संलग्न है जिस खदान वल्लौर खसरा क्रमांक 162 रकबा 3.000 हे0, तहसील चिचोली जिला बैतूल और जिसका विवरण संलग्न अनुसूची "क" में दिया गया है जो अब आगे "खदान" कही जायेगी।

2. अब यह अनुबंध साक्षी है कि ठेका राशि, रॉयल्टी, किराया, तथा अन्य भुगतानों के प्रतिफल में तथा शर्तो, प्रसंविदाओं और करार के प्रतिफल में तथा अध्यधीन रहते हुए, ठेकेदार को खनन के प्रयोजनो के लिए, प्रदत्त क्षेत्र में प्रवेश करने, अधिभोग रखने तथा उपयोग और इस शर्त के अध्याधीन रहते हुए कि कलेक्टर को ठेके की पूरी अवधि के दौरान सभी समय पर खदान के भीतर अवस्थित या ठेकेदार के नियंत्रण के अधीन अन्य कही उत्पादों के प्रचलित उचित बाजार मूल्य पर अग्र क्रयाधिकार होगा, खनिज या खनिज के उत्पादों को खदान से बाहर ले जाने तथा उनका विक्रय करने की स्वतंत्रता होगी,

For National Energy Trading And Services Limited

Authorised Signatory

प्रभारी अधिकारी
(खनिज - शाखा)
जिला बैतूल

3. ठेकेदार इस अनुबंध के अनुसरण में, एतद्द्वारा निविदाकार को पट्टान्तरित भूमि का तारीख 09/02/2023 से तारीख 30/06/2023 तक अधिभोग रखेगा तथा कब्जा ग्रहण करेगा।

4. एतद् द्वारा यह सहमति प्रदान की जाती है कि एतद् द्वारा पट्टान्तरित रेत ठेके पर दिये गये क्षेत्र की सीमाऐं खड़ी नीचे की ओर भूमि के केन्द्र तक रहेगी।

5. (1) ठेकेदार वार्षिक ठेका राशि रूपए 53,11,95,424.20 (तिरेपन करोड़ ग्यारह लाख पन्चान्ये हजार चार सौ चौबीस रूपये बीस पैसे मात्र) का

नीचे दी गई तारीख या उसके पूर्व किश्तों में भुगतान करेगा –

अनुक्रमांक	किश्त क्रमांक	किश्त की राशि (रूपए में)	किश्त जमा करने की तारीख
1.	प्रथम किश्त	7,42,21,826.00	प्रथम त्रैमास का प्रथम दिवस
2.	द्वितीय किश्त	13,27,98,856.00	द्वितीय त्रैमास का प्रथम दिवस

परन्तु ठेकेदार, ठेकाराशि तथा रेत खदान से संबंधित अन्य सम्पूर्ण रकम प्रथमतः म. प्र. राज्य खनिज निगम एवं कलेक्टर द्वारा इस प्रयोजन हेतु संचालित खाते में जमा करेगा।

परन्तु, यदि ठेकेदार नियत तारीख को किश्तों को जमा करने में असफल रहता है तो ठेकेदार के पक्ष में आवंटित समूह की खदानों के लिए ई-टी.पी बंद की जायेगी तथा खदान संचालन पर रोक लगा दी जाएगी तथा ठेकेदार को इस आशय का कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा, कि किश्त की राशि जमा करने में असफल रहने पर क्यों न उन का ठेका निरस्त कर दिया जाए:

परन्तु और या कि, किश्त जमा करने की निर्धारित तारीख से 30 दिवस के भीतर ठेकेदार द्वारा उक्त कारण बताओ नोटिस का जबाव देते हुए विलंब अवधि पर 24 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज सहित देय किश्त/किश्तों का भुगतान करने पर, कलेक्टर/निगम द्वारा खदान का संचालन के लिए अनुमति दे सकेगा।

परन्तु यह और कि, 30 दिवस की अवधि के भीतर उपरोक्तानुसार यदि ठेकेदार राशि जमा करने में असफल रहता है तो, कलेक्टर/निगम द्वारा ठेका व्यपगत आदेश कर पुनः निविदा हेतु शासन को अनुरोध किया जाएगा। निविदा की विज्ञप्ति प्रकाशन के पूर्व तक ठेकेदार समस्त देयतायें 24 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ जमा कर सकता है। नवीन निविदा विज्ञप्ति प्रकाशन पर स्वमेव ठेका पूर्ण रूप से निरस्त समझा जाएगा।

परन्तु यह और भी कि, जब तक किश्त की राशि मय ब्याज के प्राप्त होगी तो तब तक ठेकेदार के पक्ष में आवंटित समूह की खदानों के लिए ई-टी.पी. जारी किए जाने पर रोक रहेगी।

For National Energy Trading And Services Limited

Authorised Signatory

प्रभारी अधिकारी
(खनिज - शाखा)
जिला बैतूल

(2) ठेकेदार, ठेका राशि की रकम के एवज में खनन योजना, पर्यावरणीय स्वीकृति एवं जल वायु संम्मति में (इनमें से जो भी कम हो) अनुज्ञात रेत की मात्रा ले जा सकेगा।

परन्तु, यदि ठेकेदार निर्धारित मात्रा से अधिक मात्रा में खनिज निकालेगा या ले जायेगा, तब वह उस अधिक निकाली गई या ले जायी गई मात्रा के लिए ऐसी मात्रा के मूल्य का भुगतान करने के लिए दायित्वधीन होगा :

परन्तु यह कि, यदि किसी वर्ष उत्खनित मात्रा अनुमोदित खनन योजना में उल्लेखित मात्रा से 20 प्रतिशत कम हो तो इस मात्रा के आगामी वर्ष में निकाले जाने की अनुमति दी जायेगी, किन्तु उस वर्ष के ठेकाधन में अवशिष्ट मात्रा के अंतर की राशि जमा की जानी होगी। अनुमोदित खनन योजना का पुनरीक्षण किया जायगा एवं वार्षिक ठेका राशि अनुपातिक रूप में पुनीरिक्षित किया जायगा । खनन योजना के पुनरीक्षण की स्थिति में, यथा आवश्यक पर्यावरणीय अनुमति प्राप्त की जायगी। ठेका अवधि में अनुमोदित खनन योजना में उल्लिखित मात्रा का खनन अनिवार्य होगा, अन्यथा जमा की गई सुरक्षा राशि सम्पहृत की जा सकेगी:

परन्तु यह और कि, यदि ठेकेदार किसी वर्ष उस वर्ष की अनुज्ञात मात्रा से अधिक मात्रा (20 प्रतिशत से अधिक नहीं) की निकासी करना चाहता है, तब उसे प्रस्ताव अनुसार अनुमोदित खनन योजना एवं पर्यावरण अनुमति में यथायोग्य पुनरीक्षण /संशोधन करना होगा एवं यह बढी हुई मात्रा आगामी वर्ष की अनुज्ञात मात्रा के विरुद्ध समायोजित की जाएगी । किसी भी स्थिति में, ठेका अवधि हेतु स्वीकृत मात्रा से अधिक मात्रा में निकासी की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(3) उस स्थिति में जब ठेकेदार उपरोक्त पैरा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए वार्षिक कार्य योजना में तिमाही हेतु उल्लिखित मात्रा से अधिक खनिज निकालता है तो वह ऐसे निकाले गए अधिक मात्रा एवं तिमाही में चुकाई गई किश्त राशि के अंतर की राशि का भुगतान (तीस दिन) के भीतर किया जाना होगा, अन्यथा आगामी खनिज निकासी रोक दी जाएगी तो भुगतान करने का उत्तरदायी होगा:

परन्तु, यदि ठेकेदार नियत तारीख पर रकम का भुगतान करने में असफल रहता है तो वह 24 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज सहित शोध्य राशि/राशियों का भुगतान करने का उत्तरदायी होगा।

6. रेत खदान से संबंधित ठेका राशि एवं अन्य राशियां ठेकेदार द्वारा म०प्र० राज्य खनिज निगम एवं कलेक्टर द्वारा इस प्रयोजन हेतु संचालित खाते में प्रथमतः जमा कराई जाएगी

7. ठेका रकम तथा अन्य शोध्यो के जो कि इस करार के निबंधनो के अधीन देय है, शोध्य तारीखों से दो माह से अधिक अवधि तक भुगतान न किए जाने की दशा में कलेक्टर या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई

For National Energy Trading And Services Limited

Authorised Signatory

प्रभारी अधिकारी
(खनिज - शाखा)
जिला बैतूल

अधिकारी परिसर में प्रवेश करने के लिए सशक्त होगा तथा/या उसके उत्पाद और या खदान में ठेकेदार द्वारा रखी गई चल सम्पति को अभिग्रहित कर सकेगा और ले जा सकेगा।

8 यदि इस अनुबंध के अधीन ठेके की राशि या कोई अन्य शोध्य ठेकेदार द्वारा एक माह से अधिक के लिए असंदत्त रहती है तो कलेक्टर ठेका रद्द किए जाने संबंधी प्रस्ताव राज्य शासन को प्रेषित करेगा एवं राज्य शासन का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

9 ठेकेदार, खदान के समीप ऐसे अस्थायी भवन आदि खड़ा करने का हकदार होगा जैसा कि उत्खनन प्रयोजनो के लिए अपेक्षित हो और इसे ठेका अवधि समाप्ति के पूर्व हटा लेगा । ऐसा नहीं करने की स्थिति में, ठेका, समाप्ति के पश्चात् खदान के समीप भूमि पर निर्मित् ऐसे कोई भवन आदि राज्य सरकार की सम्पति होगीं तथा जिसके लिए ठेकेदार को उस पर का प्रतिकर दावा करने का अधिकार नहीं होगा।

10. ठेकेदार, स्वयं व्यय पर, भूमि की सीमाओं को दर्शित करने के लिए सीमा चिन्ह तथा स्तम्भ (पिलर) का निर्माण करेगा एवं उन्हे हमेशा दुरुस्त रखेगा।

11. ठेकेदार, ठेके के अधीन प्राप्त भूमि या उसके किसी भाग को समनुदेशित या उप पट्टे पर नहीं देगा अथवा ठेके के अधीन प्रदत्त अधिकारों /विशेषाधिकारो को अंतरित नहीं करेगा।

12. ठेकेदार, इस अनुबंध के अधीन प्रदत्त भूमि की समुचित स्वच्छता बनाए रखने का उत्तरदायी होगा।

13. ठेकेदार, उस समय समस्त नियमों तथा विनियमों और ऐसी अन्य शर्तो से बाध्य होगा जैसा कि शासन द्वारा समय-समय पर अधिरोपित की जाए।

14. ठेकेदार, खदान में कार्य कर रहे व्यक्तियों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के समुचित उपाय करने के लिए आबद्ध होगा।

15. ठेकेदार, सडक, पानी से संबंधित अधिकारो और अन्य सुखाधिकारों का ध्यान रखेगा।

16. सरकार को यह अधिकार होगा, कि वह पट्टाकृत क्षेत्र के ऊपर संचार साधनो की स्थापना के लिए ऊपर मार्ग का निर्माण करें या अन्य उपाय करें तथा ठेकेदार को उसके लिए प्रतिकर दावा करने का अधिकार नहीं होगा।

17. ठेकेदार, अनुमोदित खनन योजना के अनुसार खनन संक्रिया करेगा और रेत तथा बजरी का खनन सतह से अधिकतम तीन मीटर तक अथवा जल स्तर तक जो भी कम हो, किया जाएगा । किन्तु ऐसा उत्खनन नदी/ नाले के भीतर प्रतिसिद्ध होगा।

For National Energy Trading And Services Limited

Authorised Signatory

प्रभारी अधिकारी
(खनिज - शाखा)
जिला बैतूल

18. ठेकेदार, खदान से अभिप्राप्त और विक्रय किए गए या निकास किए गए खनिज की मात्रा तथा विशिष्टिया दर्शाते हुए उनका सही लेखा और खदान में नियोजित व्यक्तियों की संख्या तथा खदान का पूर्ण रेखांक संधारित करेगा और शासन/ कलेक्टर द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी को किसी भी समय ऐसे लेखाओं तथा रेखांको का परीक्षण करने देगा तथा ऐसे सक्षम अधिकारी द्वारा निरीक्षण के दौरान या मांग की जाने पर प्रस्तुत करेगा।

19. ठेकेदार, नीचे दिये गये प्ररूप में मासिक विवरणी प्रत्येक माह की 07 तारीख के पूर्व कलेक्टर को प्रस्तुत करेगा:

माह	निकाले गये खनिज का प्रारंभिक स्टॉक(घनमीटर)	माह में निकाले गए खनिज की मात्रा (घनमीटर)	माह में निकास किए गए खनिज की मात्रा (घनमीटर)	माह में विक्रय किए गए खनिज की मात्रा (घनमीटर)	माह के अंत में खनिज का अंतिम स्टाक (घनमीटर)	माह के दौरान नियोजित श्रमिकों की औसत संख्या
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

20. ठेकेदार, खदान क्षेत्र में घटने वाली किसी दुर्घटना की रिपोर्ट तत्काल संबंधित जिला मजिस्ट्रेट को देगा।

21. ठेकेदार, उसके ठेके में शामिल की गई रेत खदानो के पहुच मार्ग, खनिज की उपलब्धता तथा कोई अन्य कारण से ठेकाधन की राशि में संशोधन किए जाने संबंध में कलेक्टर के विरुद्ध कोई प्रतिकर या नुकसान का दावा नहीं करेगा।

22. यदि ठेकेदार, उक्त ठेके की कालावधि के पूर्ण होने के पूर्व ठेके को पर्यवसित करने का इच्छुक है, तो वह ऐसे आशय की छह माह की लिखित सूचना कलेक्टर को देगा। उपरोक्त अवधि समाप्त होने एवं ठेकेदार के विरुद्ध बकाया न होने की स्थिति में कलेक्टर से प्राप्त प्रस्ताव पर राज्य शासन द्वारा समर्पण स्वीकार किया जाएगा एवं उसकी सुरक्षा राशि वापस की जाएगी। उक्त अवधि के लिए वार्षिक ठेकाधन ठेकेदार द्वारा अनिवार्य रूप से जमा किया जाएगा, इस अवधि में खनन संक्रियाए संचालित की जा सकेगी। यदि एक बार समर्पण के लिए आवेदन प्रस्तुत कर दिया जाता है। तो वह पुनः वापसी योग्य नहीं होगा। समर्पण सूचना प्राप्त होने के पश्चात समूह की पुन निविदा प्रक्रिया कलेक्टर द्वारा प्रारंभ की जाएगी ।

23 ठेकेदार, जिसके लिए उसको ठेका दिया गया है, उससे भिन्न प्रयोजन के लिए इस अनुबंध के अधीन उसको दी गई भूमि का उपयोग नहीं करेगा।

For National Energy Trading And Services Limited

Authorised Signatory

प्रभारी अधिकारी
(खनिज - शाखा)
जिला बैतूल

24 (1) युद्ध की स्थिति या आपातकाल की दशा में सरकार को खदान, वस्तुएं, भूमि, मशीनरी, संयंत्र, भवन तथा सामग्री का कब्जा लेने का अधिकार रहेगा तथा ऐसी स्थिति में ठेकेदार द्वारा किसी प्रतिकर के लिए कोई दावा नहीं करेगा।

(2) राज्य सरकार को लोकहित में ठेके की कालावधि समाप्त होने के पूर्व कब्जा वापस लेने का अधिकार होगा:

परन्तु कब्जा लेने के पूर्व ठेकेदार को एक माह की अग्रिम सूचना दी जायगी।

25. यदि इस ठेके के संबंध में और/या उसके संबंध में और/या कोई विवाद होने की स्थिति में, राज्य शासन का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

26. कब्जे का पुर्नग्रहण- (1) जहां कोई रेत ,खदान रदद की जाती है या अवधारित की जाती है अथवा खदान के कब्जे को लोकहित में पुर्नग्रहण करने का विनिश्चिय किया जाता है या वह कालावधि जिसके लिए रेत खदान मंजूर की गई हो समाप्त हो जाती है, तो ठेकेदार, रेत खदान का कब्जा कलेक्टर को, जिसमें रेत खदान/समूह या उसका बड़ा भाग अवस्थित हो, रदद किए जाने या पर्यवसित किये जाने या लोकहित में कब्जा वापस लेने के विनिश्चय की संसूचना की तारीख से सात दिन की कालावधि के भीतर या खदान के ठेके की कालावधि समाप्त होने की तारीख के आगामी दिन से, जैसी भी स्थिति हो, वापस सौंप देगा।

(2) जहां ठेकेदार रेत खदान/समूह का कब्जा, उप खंड (1) में विर्निदिष्ट कालावधि के भीतर सौंपने में असफल रहता है वहां कलेक्टर या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी सूचना की तामीली या तो डाक द्वारा या उसकी प्रति ठेकेदार को व्यक्तिगत रूप से या उसके परिवार के सदस्यों या नौकरों में से किसी को निविदत्त करते हुए या देते हुए उसके निवास स्थान अथवा कारबार के स्थान के किसी सहज दृश्य स्थान पर एक प्रति चस्पा करके या उसे उस स्थान में जहां ठेकेदार निवास करता है, परिचालित कम से कम एक समाचार पत्र में प्रकाशित करेगा या करवायेगा।

(3) उपखंड (2) के अधीन सूचना में यह कथन अंतर्विष्ट होगा कि ठेकेदार रेत खदान /समूह का कब्जा कलेक्टर या उप- खंड (1) के अधीन उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, को सूचना की तामीली की तारीख से सात दिन के भीतर सौंप देगा।

(4) जहां ठेकेदार उपखंड (2) के अधीन सूचना में विर्निदिष्ट कालावधि के भीतर रेत खदान/समूह का कब्जा सौंपने में असफल रहता है, वहां कलेक्टर या उप-खंड (1) के अधीन उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, ठेकेदार से रेत खदान का कब्जा ले सकेगा और उस प्रयोजन के लिए ऐसे बल का प्रयोग कर सकेगा, जैसे कि आवश्यक समझा जाये।

For National Energy Trading And Services Limited

Authorised Signatory

प्रभारी अधिकारी
(खनिज - शाखा)
जिला बैतूल

(5) यदि ठेके की कालावधि की समाप्ति पर ठेकेदार अगले दिन खदान का कब्जा सौंपने में असफल रहता है तो ठेकेदार, वापिस लिये जाने पर्यन्त, अनुबंध की समस्त शर्तो का पालन करेगा।

27. यदि ठेकेदार अनुबंध की शर्तो का उल्लघंन करता है, तो कलेक्टर को ठेकेदार द्वारा जमा सुरक्षा राशि या उसके भाग को सम्पहृत करने का अधिकार होगा।

28. ठेकेदार, खदान से खनिज या उसके उत्पाद ले जाने वाले प्रत्येक वाहन को राज्य सरकार द्वारा विहित अविवहन पास के साथ ही प्रत्येक गंतव्य के लिए जाने देगा।

29. ई- निविदा दस्तावेज, अनुबंध आदि इस ठेके के अभिन्न अंग होगे।

30. अनुबंध के अधीन, एतद्द्वारा यह पट्टाक्रमित किया जाता है, कि यदि ठेकेदार उपरोक्त में अंतर्विष्ट और उल्लिखित समस्त निबंधनो और शर्तो के पूर्ति करता है, तो सुरक्षा राशि की रकम रुपये 13,27,98,856 (तेरह करोड सत्ताईस लाख अट्ठान्वे हजार आठ सौ छप्पन रुपये) (अग्रिम धन) जो कि ठेकेदार द्वारा जमा की गई है कलेक्टर द्वारा उसे वापिस की जाएगी।

अनुसूची – क
(पैरा एक देखिए)

(पैरा 1 देखिए) क्र0	जिला	तहसील	ग्राम	खसरा क्रमांक	रकबा हैक्टेयर में
1	2	3	4	5	6
1	बैतूल	घिघोली	बल्लौर	162	3.000

इस अनुबंध पत्र की देय स्टाम्प एवं पंजीयन शुल्क दस्तावेज क्रमांकMP033774201311470171 दिनांक.....11/02/2023..... द्वारा चुकाया जा चुका है।

For National Energy Trading And Services Limited

Authorised Signatory

प्रभारी अधिकारी
(खनिज – शाखा)
जिला बैतूल

साक्षियों का पूरा नाम व्यवसाय एवं हस्ताक्षर

1. नकुल सिंग भैलाम सहा० ग्रेड- 05
कलेक्ट्रेट (खनिज) बैतूल

2.
रेरा भुमरकर सहा० मानचित्रकार
कलेक्ट्रेट (खनिज) बैतूल

साक्षियों का पूरा नाम, व्यवसाय एवं हस्ताक्षर

1 विशाल सिंह उधान-उ।० कमल किशोर

2.
आदित्य सोनी उ।० पवन सोनी

हस्ताक्षर :-

प्रभारी अधिकारी
(खनिज - शाखा)
जिला बैतूल

कलेक्टर
जिला बैतूल

ठेकेदार/अटोर्नी का नाम, पता व हस्ताक्षर

For National Energy Trading And Services Limited

Authorised Signatory

मेसर्स नेशनल एनर्जी ट्रेडिंग एण्ड सर्विसेज लिमिटेड (अधिकृत व्यक्ति -श्री रुकेश बनखेड़े) पता प्लाट न. 7 बिन्दु सदन 401 सांई चंद्र कॉलोनी, ग्रीन स्पेस तुलसी, पुष्पलगुडा, मणिकोंडा, हैदराबाद, रंगारेड्डी, तेलंगाना-500089 वर्तमान पता- हाऊस नम्बर 247, तृतीय तल, सेक्टर-2 शक्ति नगर, हबीबगंज भोपाल (म.प्र.)

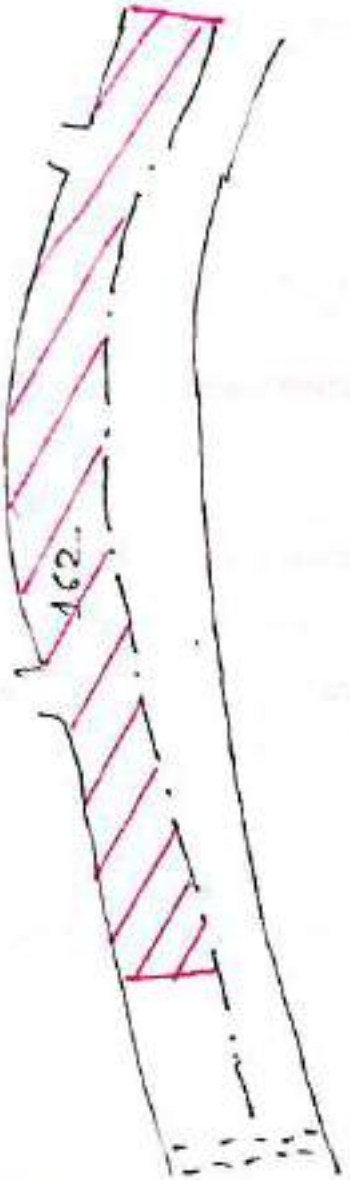

ग्राम- चांदोरा
प.ह.नं. 05
ता.नि.भू. चिखलाखेड़ा,
तहसील- चिचोली
जिला- बैतूल (म.प्र.)
स्केल 16" = 1 मील

For National Energy Trading And Services Limited

Authorised Signatory

खसरा नं. रकबा

162 3.000 हे०

सहा. भांवचि कार
खनिज शाखा
जि. बैतूल

प्रभारी अधिकारी
(खनिज - शाखा)
जिला बैतूल

COLLECTOR
BETUL

Registration and Stamp Department
Madhya Pradesh

Certificate of Stamp Duty

E-Stamp Details

E-Stamp Code	0101031402202300295I
Total E-Stamp Amount	2000
Govt. Stamp Duty (Rs.)	2000
Janpad Duty (Rs.)	0
Exempted Amount(Rs.)	0
Municipality Duty (Rs.)	0
Upkar Amount (Rs.)	0
E-Stamp Type	NON-JUDICIAL
Issue Date & Time	14/02/2023 11:52:55
Service Provider or Issuer Details	RAKESH SHARMA/SP0104190620180010 3
SP/SRO/DRO/HC Details	C/O Shree Sai Baba Group Near Jalelai Lodge Kothi Bazar Kothi Bazar Betul MP BETUL BETUL

Deed Details

Deed Type	Agreement/Memorandum of an agreement
Deed Instrument	if relating to secure repayment of a loan or debt - 0.25 percent of the amount of loan or debt, subject to a maximum of five lakh rupees
Purpose	E STAMP FOR AGREEMENT

First Party Details

Organization Name	कलक्टर जिला बैतूल
Address	बैतूल BETUL, Madhya Pradesh INDIA
Number of Persons	1

Second Party Details

Organization Name	मेसर्स नेशनल एनर्जी ट्रेडिंग एंड सर्विसेज लिमिटेड
Address	पता - हाउस नं. 247 तृतीय तल सेक्टर 2 शांति नगर हनीमगंज भोपाल (म.प्र.) BHOPAL Madhya Pradesh INDIA
Number of Persons	1

व्यापारिक रेत खदान ग्राम नांदू तहसील घोड़ाडोंगरी ख.न. 01 रकबा 2.900 है.

Digitally signed by RAKESH SHARMA
Date: 2023.02.14 11:53:23 IST

0101031402202300295I

प्रारूप-पांच

(नियम 13 (2) देखिए)

रेत खदान हेतु ठेके का अनुबंध

यह करार एक पक्ष के रूप में जो कलेक्टर जिला बैतूल के माध्यम से कार्य करते हुए मध्यप्रदेश के राज्यपाल (जिन्हे इसमें इसके पश्चात् राज्यपाल कहा गया है), जिस अभिव्यक्ति में उनके पद उत्तरवर्ती सम्मलित है और अन्य पक्ष के रूप में श्री/श्रीमती/कुमारी मेसर्स नेशनल एनर्जी ट्रेडिंग एण्ड सर्विसेज लिमिटेड (अधिकृत व्यक्ति - श्री रुकेश वनखेडे) पता प्लाट न. 7 बिन्दु सदन 401 सांई चंद्र कॉलोनी, ग्रीन स्पेस तुलसी, पुष्पलगुडा, मणिकोंडा, हैदराबाद, रंगारेड्डी, तेलंगाना-500089 वर्तमान पता- हाउस नम्बर 247, तृतीय तल, सेक्टर-2 शक्ति नगर, हबीबगंज भोपाल (म.प्र.) (जिसे इसमें इसके पश्चात् "ठेकेदार" कहा गया है) जिस अभिव्यक्ति में, जहां कि संदर्भ ऐसा स्वीकार है, उसके वारिस, निष्पादक, प्रशासक, प्रतिनिधि और अनुज्ञात समनुदेशिती शामिल है, के बीच आज दिनांक 09 माह फरवरी सन् 2023 को दिनांक 09.02.2023 से दिनांक 30.06.2023 की अवधि हेतु व्यापारिक खदान के लिये किया गया।

1. यतः ठेकेदार, ई-निविदा की शर्तो के अनुसार ई-निविदा की राशि रूपए 53,11,95,424.20 (तिरेपन करोड ग्यारह लाख पन्चान्वे हजार चार सौ चौंवीस रूपये बीस पैसे मात्र) प्रतिवर्ष का भुगतान करने के लिए सहमत हो गया है, जो रकम एतद् द्वारा ठेका राशि कहलायगी और रूपये 13,27,98,856 (तेरह करोड सत्ताईस लाख अट्ठान्वे हजार आठ सौ छप्पन रूपये) अग्रिम धन (सुरक्षा राशि) सुरक्षा राशि के रूप में और रूपये (लागू नहीं) प्रतिभूति राशि रूपये (लागू नहीं) ठेका अवधि में देय संपूर्ण राशि के समतुल्य है, और जो ठेके के निबंधनो और शर्तो के सम्यक पालन के लिए जमा रखी जायेगी और जो कि ठेके के अनुबंध का किसी प्रकार भंग किए जाने की स्थिति समहृत किए जाने योग्य होगी और

यतः कलेक्टर ने उसे उस रेत खदान का ठेका स्वीकृत किया है जिसका मानचित्र संलग्न है जिस खदान चिखली रैयत खसरा क्रमांक 316 रकबा 4.000 हे0, तहसील शाहपुर जिला बैतूल और जिसका विवरण संलग्न अनुसूची "क" में दिया गया है जो अब आगे "खदान" कही जायेगी।

2. अब यह अनुबंध साक्षी है कि ठेका राशि, रॉयल्टी, किराया, तथा अन्य भुगतानों के प्रतिफल में तथा शर्तो, प्रसंविदाओं और करार के प्रतिफल में तथा अध्यधीन रहते हुए, ठेकेदार को खनन के प्रयोजनो के लिए, प्रदत्त क्षेत्र में प्रवेश करने, अधिभोग रखने तथा उपयोग और इस शर्त के अध्याधीन रहते हुए कि कलेक्टर को ठेके की पूरी अवधि के दौरान सभी समय पर खदान के भीतर अवस्थित या ठेकेदार के नियंत्रण के अधीन अन्य कही उत्पादों के प्रचलित उचित बाजार मूल्य पर अग्र क्रयाधिकार होगा, खनिज या खनिज के उत्पादों को खदान से बाहर ले जाने तथा उनका विक्रय करने की स्वतंत्रता होगी,

For National Energy Trading And Services Limited

Authorised Signatory

प्रभारी अधिकारी
(खनिज - शाखा),
जिला बैतूल

3. ठेकेदार इस अनुबंध के अनुसरण में, एतद्द्वारा निविदाकार को पट्टान्तरित भूमि पर तारीख 09/02/2023 से तारीख 30/06/2023 तक अधिभोग रखेगा तथा कब्जा ग्रहण करेगा।

4. एतद् द्वारा यह सहमति प्रदान की जाती है कि एतद् द्वारा पट्टान्तरित रेत ठेके पर दिये गये क्षेत्र की सीमाऐं खड़ी नीचे की ओर भूमि के केन्द्र तक रहेगी।

5. (1) ठेकेदार वार्षिक ठेका राशि रूपए 53,11,95,424.20 (तिरेपन करोड़ ग्यारह लाख पन्यान्वे हजार चार सौ चौबीस रूपये बीस पैसे मात्र) का

नीचे दी गई तारीख या उसके पूर्व किश्तों में भुगतान करेगा -

अनुक्रमांक	किश्त क्रमांक	किश्त की राशि (रूपए में)	किश्त जमा करने की तारीख
1.	प्रथम किश्त	7,42,21,826.00	प्रथम त्रैमास का प्रथम दिवस
2.	द्वितीय किश्त	13,27,98,856.00	द्वितीय त्रैमास का प्रथम दिवस

परन्तु ठेकेदार, ठेकाराशि तथा रेत खदान से संबंधित अन्य सम्पूर्ण रकम प्रथमतः म. प्र. राज्य खनिज निगम एवं कलेक्टर द्वारा इस प्रयोजन हेतु संचालित खाते में जमा करेगा।

परन्तु, यदि ठेकेदार नियत तारीख को किश्तों को जमा करने में असफल रहता है तो ठेकेदार के पक्ष में आवंटित समूह की खदानों के लिए ई-टी.पी बंद की जायेगी तथा खदान संचालन पर रोक लगा दी जाएगी तथा ठेकेदार को इस आशय का कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा, कि किश्त की राशि जमा करने में असफल रहने पर क्यों न उन का ठेका निरस्त कर दिया जाए:

परन्तु और या कि, किश्त जमा करने की निर्धारित तारीख से 30 दिवस के भीतर ठेकेदार द्वारा उक्त कारण बताओ नोटिस का जवाब देते हुए विलंब अवधि पर 24 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज सहित देय किश्त/किश्तों का भुगतान करने पर, कलेक्टर/निगम द्वारा खदान का संचालन के लिए अनुमति दे सकेगा।

परन्तु यह और कि, 30 दिवस की अवधि के भीतर उपरोक्तानुसार यदि ठेकेदार राशि जमा करने में असफल रहता है तो, कलेक्टर/निगम द्वारा ठेका व्यपगत आदेश कर पुनः निविदा हेतु शासन को अनुरोध किया जाएगा। निविदा की विज्ञप्ति प्रकाशन के पूर्व तक ठेकेदार समस्त देयतायें 24 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ जमा कर सकता है। नवीन निविदा विज्ञप्ति प्रकाशन पर स्वमेव ठेका पूर्ण रूप से निरस्त समझा जाएगा।

परन्तु यह और भी कि, जब तक किश्त की राशि मय ब्याज के प्राप्त होगी तो तब तक ठेकेदार के पक्ष में आवंटित समूह की खदानों के लिए ई-टी.पी. जारी किए जाने पर रोक रहेगी।

For National Energy Trading And Services Limited

Authorised Signatory

प्रभारी अधिकारी
(खनिज - शाखा)
जिला बैतूल

(2) ठेकेदार, ठेका राशि की रकम के एवज में खनन योजना, पर्यावरणीय स्वीकृति एवं जल वायु सम्मति में (इनमें से जो भी कम हो) अनुज्ञात रेत की मात्रा ले जा सकेगा।

परन्तु, यदि ठेकेदार निर्धारित मात्रा से अधिक मात्रा में खनिज निकालेगा या ले जायेगा, तब वह उस अधिक निकाली गई या ले जायी गई मात्रा के लिए ऐसी मात्रा के मूल्य का भुगतान करने के लिए दायित्वधीन होगा :

परन्तु यह कि, यदि किसी वर्ष उत्खनित मात्रा अनुमोदित खनन योजना में उल्लेखित मात्रा से 20 प्रतिशत कम हो तो इस मात्रा के आगामी वर्ष में निकाले जाने की अनुमति दी जायेगी, किन्तु उस वर्ष के ठेकाधन में अवशिष्ट मात्रा के अंतर की राशि जमा की जानी होगी। अनुमोदित खनन योजना का पुनरीक्षण किया जायगा एवं वार्षिक ठेका राशि अनुपातिक रूप में पुनीरिक्षित किया जायगा । खनन योजना के पुनरीक्षण की स्थिति में, यथा आवश्यक पर्यावरणीय अनुमति प्राप्त की जायगी। ठेका अवधि में अनुमोदित खनन योजना में उल्लिखित मात्रा का खनन अनिवार्य होगा, अन्यथा जमा की गई सुरक्षा राशि सम्यहत की जा सकेगी:

परन्तु यह और कि, यदि ठेकेदार किसी वर्ष उस वर्ष की अनुज्ञात मात्रा से अधिक मात्रा (20 प्रतिशत से अधिक नहीं) की निकासी करना चाहता है, तब उसे प्रस्ताव अनुसार अनुमोदित खनन योजना एवं पर्यावरण अनुमति में यथायोग्य पुनरीक्षण /संशोधन करना होगा एवं यह बढी हुई मात्रा आगामी वर्ष की अनुज्ञात मात्रा के विरुद्ध समायोजित की जाएगी । किसी भी स्थिति में, ठेका अवधि हेतु स्वीकृत मात्रा से अधिक मात्रा में निकासी की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(3) उस स्थिति में जब ठेकेदार उपरोक्त पैरा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए वार्षिक कार्य योजना में तिमाही हेतु उल्लिखित मात्रा से अधिक खनिज निकालता है तो वह ऐसे निकाले गए अधिक मात्रा एवं तिमाही में चुकाई गई किश्त राशि के अंतर की राशि का भुगतान (तीस दिन) के भीतर किया जाना होगा, अन्यथा आगामी खनिज निकासी रोक दी जाएगी तो भुगतान करने का उत्तरदायी होगा:

परन्तु, यदि ठेकेदार नियत तारीख पर रकम का भुगतान करने में असफल रहता है तो वह 24 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज सहित शोध्य राशि/राशियों का भुगतान करने का उत्तरदायी होगा।

6. रेत खदान से संबंधित ठेका राशि एवं अन्य राशियां ठेकेदार द्वारा म०प्र० राज्य खनिज निगम एवं कलेक्टर द्वारा इस प्रयोजन हेतु संचालित खाते में प्रथमतः जमा कराई जाएगी

7. ठेका रकम तथा अन्य शोध्यो के जो कि इस करार के नियंधनो के अधीन देय है, शोध्य तारीखों से दो माह से अधिक अवधि तक भुगतान न किए जाने की दशा में कलेक्टर या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई

For National Energy Trading And Services Limited

Authorised Signatory

प्रभारी अधिकारी
(खनिज - शाखा)
जिला बैतूल

अधिकारी परिसर में प्रवेश करने के लिए सशक्त होगा तथा/या उसके उत्पाद और या खदान में ठेकेदार द्वारा रखी गई चल सम्पत्ति को अभिग्रहित कर सकेगा और ले जा सकेगा।

8 यदि इस अनुबंध के अधीन ठेके की राशि या कोई अन्य शोध्य ठेकेदार द्वारा एक माह से अधिक के लिए असंदत्त रहती है तो कलेक्टर ठेका रद्द किए जाने संबंधी प्रस्ताव राज्य शासन को प्रेषित करेगा एवं राज्य शासन का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

9 ठेकेदार, खदान के समीप ऐसे अस्थायी भवन आदि खड़ा करने का हकदार होगा जैसा कि उत्खनन प्रयोजनों के लिए अपेक्षित हो और इसे ठेका अवधि समाप्ति के पूर्व हटा लेगा । ऐसा नहीं करने की स्थिति में, ठेका, समाप्ति के पश्चात् खदान के समीप भूमि पर निर्मित् ऐसे कोई भवन आदि राज्य सरकार की सम्पत्ति होगी तथा जिसके लिए ठेकेदार को उस पर का प्रतिकर दावा करने का अधिकार नहीं होगा।

10. ठेकेदार, स्वयं व्यय पर, भूमि की सीमाओं को दर्शित करने के लिए सीमा चिन्ह तथा स्तम्भ (पिलर) का निर्माण करेगा एवं उन्हे हमेशा दुरूस्त रखेगा।

11. ठेकेदार, ठेके के अधीन प्राप्त भूमि या उसके किसी भाग को समनुदेशित या उप पट्टे पर नहीं देगा अथवा ठेके के अधीन प्रदत्त अधिकारों /विशेषाधिकारो को अंतरित नहीं करेगा।

12. ठेकेदार, इस अनुबंध के अधीन प्रदत्त भूमि की समुचित स्वच्छता बनाए रखने का उत्तरदायी होगा।

13. ठेकेदार, उस समय समस्त नियमों तथा विनियमों और ऐसी अन्य शर्तों से बाध्य होगा जैसा कि शासन द्वारा समय-समय पर अधिरोपित की जाए।

14. ठेकेदार, खदान में कार्य कर रहे व्यक्तियों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के समुचित उपाय करने के लिए आबद्ध होगा।

15. ठेकेदार, सडक, पानी से संबंधित अधिकारो और अन्य सुखाधिकारों का ध्यान रखेगा।

16. सरकार को यह अधिकार होगा, कि वह पट्टाकृत क्षेत्र के ऊपर संचार साधनो की स्थापना के लिए ऊपर मार्ग का निर्माण करें या अन्य उपाय करें तथा ठेकेदार को उसके लिए प्रतिकर दावा करने का अधिकार नहीं होगा।

17. ठेकेदार, अनुमोदित खनन योजना के अनुसार खनन संक्रिया करेगा और रेत तथा बजरी का खनन सतह से अधिकतम तीन मीटर तक अथवा जल स्तर तक जो भी कम हो, किया जाएगा । किन्तु ऐसा उत्खनन नदी/ नाले के भीतर प्रतिसिद्ध होगा।

For National Energy Trading And Services Limited

Authorised Signatory

प्रभारी अधिकारी
(खनिज - शाखा)
जिला बैतूल

18. ठेकेदार, खदान से अभिप्राप्त और विक्रय किए गए या निकास किए गए खनिज की मात्रा तथा विशिष्टिया दर्शाते हुए उनका सही लेखा और खदान में नियोजित व्यक्तियों की संख्या तथा खदान का पूर्ण रेखांक संधारित करेगा और शासन/ कलेक्टर द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी को किसी भी समय ऐसे लेखाओं तथा रेखांको का परीक्षण करने देगा तथा ऐसे सक्षम अधिकारी द्वारा निरीक्षण के दौरान या मांग की जाने पर प्रस्तुत करेगा।

19. ठेकेदार, नीचे दिये गये प्ररूप में मासिक विवरणी प्रत्येक माह की 07 तारीख के पूर्व कलेक्टर को प्रस्तुत करेगा:

माह	निकाले गये खनिज का प्रारंभिक स्टॉक(घनमीटर)	माह में निकाले गए खनिज की मात्रा (घनमीटर)	माह में निकास किए गए खनिज की मात्रा (घनमीटर)	माह में विक्रय किए गए खनिज की मात्रा (घनमीटर)	माह के अंत में खनिज का अंतिम स्टाक (घनमीटर)	माह के दौरान नियोजित श्रमिकों की औसत संख्या
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

20. ठेकेदार, खदान क्षेत्र में घटने वाली किसी दुर्घटना की रिपोर्ट तत्काल संबंधित जिला मजिस्ट्रेट को देगा।

21. ठेकेदार, उसके ठेके में शामिल की गई रेत खदानो के पहुच मार्ग, खनिज की उपलब्धता तथा कोई अन्य कारण से ठेकाधन की राशि में संशोधन किए जाने संबंध में कलेक्टर के विरुद्ध कोई प्रतिकर या नुकसान का दावा नहीं करेगा।

22. यदि ठेकेदार, उक्त ठेके की कालावधि के पूर्ण होने के पूर्व ठेके को पर्यवसित करने का इच्छुक है, तो वह ऐसे आशय की छह माह की लिखित सूचना कलेक्टर को देगा। उपरोक्त अवधि समाप्त होने एवं ठेकेदार के विरुद्ध बकाया न होने की स्थिति में कलेक्टर से प्राप्त प्रस्ताव पर राज्य शासन द्वारा समर्पण स्वीकार किया जाएगा एवं उसकी सुरक्षा राशि वापस की जाएगी। उक्त अवधि के लिए वार्षिक ठेकाधन ठेकेदार द्वारा अनिवार्य रूप से जमा किया जाएगा, इस अवधि में खनन संक्रियाए संचालित की जा सकेगी। यदि एक बार समर्पण के लिए आवेदन प्रस्तुत कर दिया जाता है। तो वह पुनः वापसी योग्य नहीं होगा। समर्पण सूचना प्राप्त होने के पश्चात समूह की पुन निविदा प्रक्रिया कलेक्टर द्वारा प्रारंभ की जाएगी ।

23 ठेकेदार, जिसके लिए उसको ठेका दिया गया है, उससे भिन्न प्रयोजन के लिए इस अनुबंध के अधीन उसको दी गई भूमि का उपयोग नहीं करेगा।

For National Energy Trading And Services Limited

Authorised Signatory

प्रभारी अधिकारी
(खनिज - शाखा)
जिला बैतूल

24 (1) युद्ध की स्थिति या आपातकाल की दशा में सरकार को खदान, वस्तुएं, भूमि, मशीनरी, संयंत्र, भवन तथा सामग्री का कब्जा लेने का अधिकार रहेगा तथा ऐसी स्थिति में ठेकेदार द्वारा किसी प्रतिकर के लिए कोई दावा नहीं करेगा।

(2) राज्य सरकार को लोकहित में ठेके की कालावधि समाप्त होने के पूर्व कब्जा वापस लेने का अधिकार होगा:

परन्तु कब्जा लेने के पूर्व ठेकेदार को एक माह की अग्रिम सूचना दी जायगी।

25. यदि इस ठेके के संबंध में और/या उसके संबंध में और/या कोई विवाद होने की स्थिति में, राज्य शासन का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

26. कब्जे का पुर्नग्रहण- (1) जहां कोई रेत ,खदान रदद की जाती है या अवधारित की जाती है अथवा खदान के कब्जे को लोकहित में पुर्नग्रहण करने का विनिश्चिय किया जाता है या वह कालावधि जिसके लिए रेत खदान मंजूर की गई हो समाप्त हो जाती है, तो ठेकेदार, रेत खदान का कब्जा कलेक्टर को, जिसमें रेत खदान/समूह या उसका बडा भाग अवस्थित हो, रदद किए जाने या पर्यवसित किये जाने या लोकहित में कब्जा वापस लेने के विनिश्चय की संसूचना की तारीख से सात दिन की कालावधि के भीतर या खदान के ठेके की कालावधि समाप्त होने की तारीख के आगामी दिन से, जैसी भी स्थिति हो, वापस सौंप देगा।

(2) जहां ठेकेदार रेत खदान/समूह का कब्जा, उप खंड (1) में विर्निदिष्ट कालावधि के भीतर सौंपने में असफल रहता है वहां कलेक्टर या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी सूचना की तामीली या तो डाक द्वारा या उसकी प्रति ठेकेदार को व्यक्तिगत रूप से या उसके परिवार के सदस्यों या नौकरों में से किसी को निविदत्त करते हुए या देते हुए उसके निवास स्थान अथवा कारबार के स्थान के किसी सहज दृश्य स्थान पर एक प्रति चस्पा करके या उसे उस स्थान में जहां ठेकेदार निवास करता है, परिचालित कम से कम एक समाचार पत्र में प्रकाशित करेगा या करवायेगा।

(3) उपखंड (2) के अधीन सूचना में यह कथन अंतर्विष्ट होगा कि ठेकेदार रेत खदान /समूह का कब्जा कलेक्टर या उप- खंड (1) के अधीन उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, को सूचना की तामीली की तारीख से सात दिन के भीतर सौंप देगा।

(4) जहां ठेकेदार उपखंड (2) के अधीन सूचना में विर्निदिष्ट कालावधि के भीतर रेत खदान/समूह का कब्जा सौंपने में असफल रहता है, वहां कलेक्टर या उप-खंड (1) के अधीन उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, ठेकेदार से रेत खदान का कब्जा ले सकेगा और उस प्रयोजन के लिए ऐसे बल का प्रयोग कर सकेगा, जैसे कि आवश्यक समझा जाये।

For National Energy Trading And Services Limited

Authorised Signatory

प्रभारी अधिकारी
(खनिज - शाखा)
जिला बैतूल

(5) यदि ठेके की कालावधि की समाप्ति पर ठेकेदार अगले दिन खदान का कब्जा सौंपने में असफल रहता है तो ठेकेदार, वापिस लिये जाने पर्यन्त, अनुबंध की समस्त शर्तो का पालन करेगा।

27. यदि ठेकेदार अनुबंध की शर्तो का उल्लघंन करता है, तो कलेक्टर को ठेकेदार द्वारा जमा सुरक्षा राशि या उसके भाग को सम्पहृत करने का अधिकार होगा।

28. ठेकेदार, खदान से खनिज या उसके उत्पाद ले जाने वाले प्रत्येक वाहन को राज्य सरकार द्वारा विहित अविवहन पास के साथ ही प्रत्येक गंतव्य के लिए जाने देगा।

29. ई- निविदा दस्तावेज, अनुबंध आदि इस ठेके के अभिन्न अंग होगे।

30. अनुबंध के अधीन, एतद्द्वारा यह घट्टाक्रामित किया जाता है, कि यदि ठेकेदार उपरोक्त में अंतर्विष्ट और उल्लिखित समस्त नियंधनो और शर्तो के पूर्ति करता है, तो सुरक्षा राशि की रकम रूपये 13,27,98,856 (तेरह करोड सत्ताईस लाख अट्ठान्वे हजार आठ सौ छप्पन रूपये) (अग्रिम धन) जो कि ठेकेदार द्वारा जमा की गई है कलेक्टर द्वारा उसे वापिस की जाएगी।

अनुसूची - क
(पैरा एक देखिए)

(पैरा 1 देखिए) क्र0	जिला	तहसील	ग्राम	खसरा क्रमांक	रकबा हेक्टेयर में
1	2	3	4	5	6
1	बैतूल	शाहपुर	चिखली रैयत	316	4.000

इस अनुबंध पत्र की देय स्टाम्प एवं पंजीयन शुल्क दस्तावेज क्रमांक MP039742023A1147071 दिनांक 11/02/2023 द्वारा चुकाया जा चुका है।

प्रभारी अधिकारी
(खनिज - शाखा)
जिला बैतूल

For National Energy Trading And Services Limited

Authorised Signatory

हस्ताक्षर :-

प्रभारी अधिकारी
(खनिज - शाखा)
जिला बैतूल

कलेक्टर
जिला बैतूल

साक्षियों का पूरा नाम व्यवसाय एवं हस्ताक्षर

1. नरेन्द्रसिंह रंगाम सहा० ग्रेड-05
कलेक्ट्रेट (खनिज) बैतूल

2. .....
नरेश कुमरकर सहा० मानचित्रकार
कलेक्ट्रेट (खनिज) बैतूल

For National Energy Trading And Services Limited
ठेकेदार/अटार्नी का नाम, पता व हस्ताक्षर
Authorised Signatory

साक्षियों का पूरा नाम, व्यवसाय एवं हस्ताक्षर

1. विशाल खिरे पुत्र श्री 510 भाऊ शिरोर

2. .....
आदित्य सोनी S/O पवन सोनी

मेसर्स नेशनल एनर्जी ट्रेडिंग एण्ड सर्विसेज लिमिटेड (अधिकृत व्यक्ति -श्री रूकेश बनखेड़े) पता प्लाट न. 7 बिन्दु सदन 401 सांई चंद्र कॉलोनी, ग्रीन स्पेस तुलसी, पुष्पलगुडा, मणिकोंडा, हैदराबाद, रंगारेड्डी, तेलंगाना-500089 वर्तमान पता- हाऊस नम्बर 247, तृतीय तल, सेक्टर-2 शक्ति नगर, हबीबगंज भोपाल (म.प्र.)

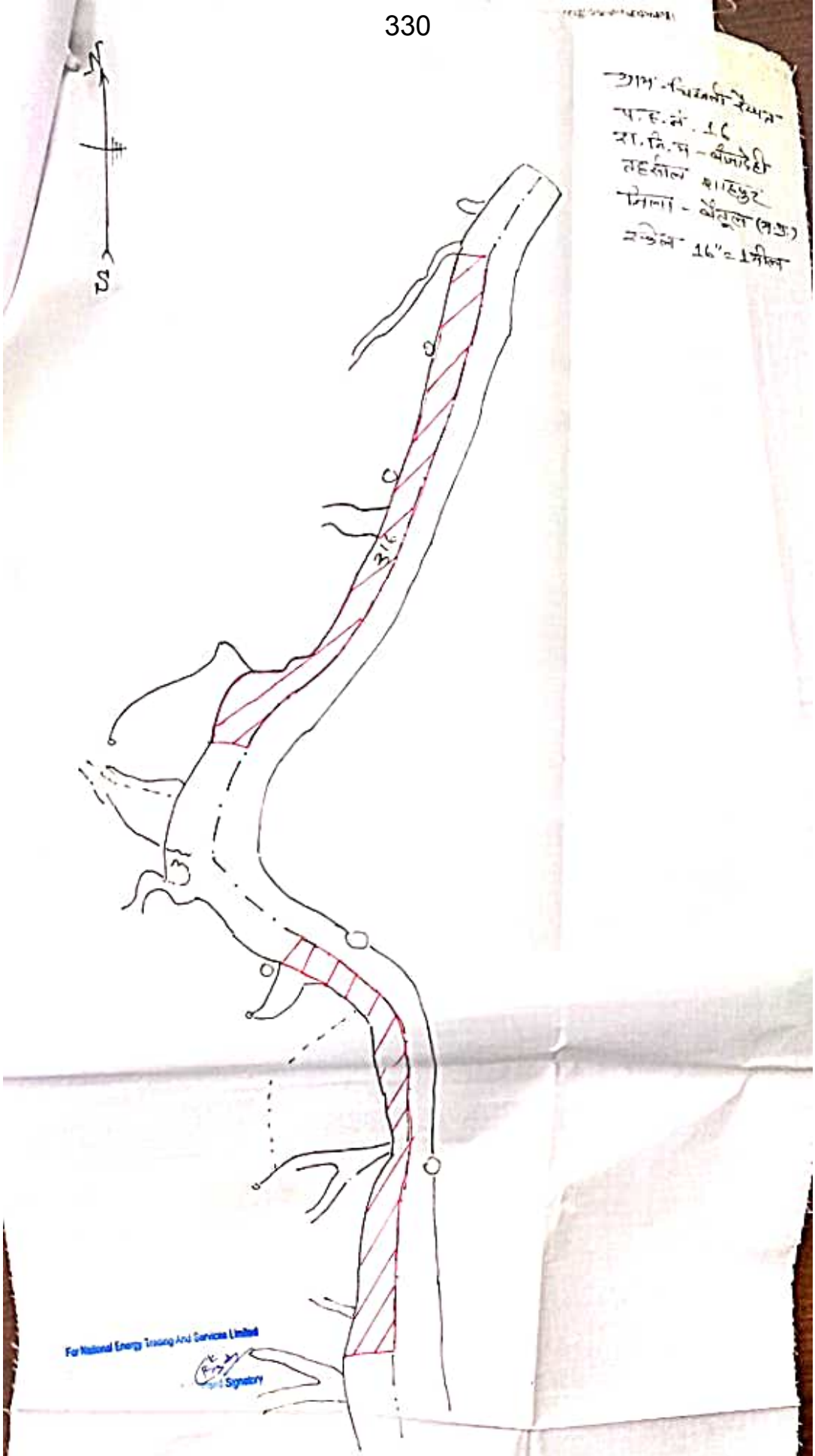
ग्राम - पिपरिया रैयत
प.ह.नं. 16
रा.नि.मं - बैतूल
तहसील व.जिला
जिला - बैतूल (म.प्र.)
स्केल - 16" = 1 मील
316
For National Energy Trading And Services Limited
Signatory
खदान क्षेत्र
ख.नं. रकबा
316 4.000 है०
प्रभारी अधिकारी
(खनिज - शाखा)
जिला बैतूल
COLLECTOR
BETUL

Registration and Stamp Department
Madhya Pradesh

Certificate of Stamp Duty

E-Stamp Details

E-Stamp Code	0161031402202300242??
Total E-Stamp Amount	2000
Basic Stamp Duty (Rs.)	2000
Local Duty (Rs.)	0
Processing Amount(Rs.)	0
Municipality Duty (Rs.)	0
Upkar Amount (Rs.)	0
E-Stamp Type	NON-JUDICIAL
Issue Date & Time	14/02/2023 11:28:39
Service Provider or Issuer Details	RAKESH SHARMA/SP0033196o201800103
SP/SRO/DRO/HO Details	C/O Since Sai Baba Group Near Jaiclal College Kothi Bazar Kothi Bazar Betul MP BETUL BETUL

Deed Details

Deed Type	Agreement/Memorandum of an agreement
Deed Instrument	If relating to secure repayment of a loan or debt - 0.25 percent of the amount of loan or debt, subject to a maximum of five lakh rupees
Purpose	E STAMP FOR AGREEMENT

First Party Details

Organization Name	कलक्टर जिला बैतूल
Address	BETUL BETUL Madhya Pradesh INDIA
Number of Persons	1

Second Party Details

Organization Name	असर मेहान्ट एन्जी इण्डिया एंड सर्वलेंस लिमिटेड
Address	प्लाट - होटल नं. 247 तृतीय तल सैक्टर 2 शक्ति नगर हबीबगंज नोवाल (म.प्र.) BHOPAL Madhya Pradesh INDIA
Number of Persons	1

व्यावसायिक रेत खदान ग्राम चिखली रिक्त तहसील शाहपुर खसरा नं. 316 रकबा 4.000 है.

Digitally signed by RAKESH SHARMA
Date: 2023.02.14 11:28:39 IST

प्रारूप-पांच

(नियम 13 (2) देखिए)

रेत खदान हेतु ठेके का अनुबंध

यह करार एक पक्ष के रूप में जो कलेक्टर जिला बैतूल के माध्यम से कार्य करते हुए मध्यप्रदेश के राज्यपाल (जिन्हे इसमें इसके पश्चात् राज्यपाल कहा गया है), जिस अभिव्यक्ति में उनके पद उत्तरवर्ती सम्मलित है और अन्य पक्ष के रूप में श्री/श्रीमती/कुमारी मेसर्स नेशनल एनर्जी ट्रेडिंग एण्ड सर्विसेज लिमिटेड (अधिकृत व्यक्ति –श्री रूपेश बनखेड़े) पता प्लाट न. 7 बिन्दु सदन 401 सांई चंद्र कॉलोनी, ग्रीन स्पेस तुलसी, पुष्पलगुडा, मणिकोंडा, हैदराबाद, रंगारेड्डी, तेलंगाना-500089 वर्तमान पता- हाऊस नम्बर 247, तृतीय तल, सेक्टर-2 शक्ति नगर, हबीबगंज भोपाल (म.प्र.) (जिसे इसमें इसके पश्चात् "ठेकेदार" कहा गया है) जिस अभिव्यक्ति में, जहां कि संदर्भ ऐसा स्वीकार है, उसके वारिस, निष्पादक, प्रशासक, प्रतिनिधि और अनुज्ञात समनुदेशिती शामिल है, के बीच आज दिनांक 09 माह फरवरी सन् 2023 को दिनांक 09.02.2023 से दिनांक 30.06.2023 की अवधि हेतु व्यापारिक खदान के लिये किया गया।

1. यतः ठेकेदार, ई-निविदा की शर्तो के अनुसार ई-निविदा की राशि रूपए 53,11,95,424.20 (तिरेपन करोड़ ग्यारह लाख पन्चान्वे हजार चार सौ चौबीस रूपये बीस पैसे मात्र) प्रतिवर्ष का भुगतान करने के लिए सहमत हो गया है, जो रकम एतद् द्वारा ठेका राशि कहलायगी और रूपये 13,27,98,856 (तेरह करोड सत्ताईस लाख अट्ठान्वे हजार आठ सौ छप्पन रूपये) अग्रिम धन (सुरक्षा राशि) सुरक्षा राशि के रूप में और रूपये (लागू नहीं) प्रतिभूति राशि रूपये (लागू नहीं) ठेका अवधि में देय संपूर्ण राशि के समतुल्य है, और जो ठेके के निबंधनो और शर्तो के सम्यक पालन के लिए जमा रखी जायेगी और जो कि ठेके के अनुबंध का किसी प्रकार भंग किए जाने की स्थिति समहृत किए जाने योग्य होगी और

यतः कलेक्टर ने उसे उस रेत खदान का ठेका स्वीकृत किया है जिसका मानचित्र संलग्न है जिस खदान टांगनामाल खसरा क्रमांक 209 रकबा 4.000 हे0, तहसील शाहपुर जिला बैतूल और जिसका विवरण संलग्न अनुसूची "क" में दिया गया है जो अब आगे "खदान" कही जायेगी।

2. अब यह अनुबंध साक्षी है कि ठेका राशि, रॉयल्टी, किराया, तथा अन्य भुगतानों के प्रतिफल में तथा शर्तो, प्रसंविदाओं और करार के प्रतिफल में तथा अध्यधीन रहते हुए, ठेकेदार को खनन के प्रयोजनो के लिए, प्रदत्त क्षेत्र में प्रवेश करने, अधिभोग रखने तथा उपयोग और इस शर्त के अध्याधीन रहते हुए कि कलेक्टर को ठेके की पूरी अवधि के दौरान सभी समय पर खदान के भीतर अवस्थित या ठेकेदार के नियंत्रण के अधीन अन्य कही उत्पादों के प्रचलित उचित बाजार मूल्य पर अग्र क्रयाधिकार होगा, खनिज या खनिज के उत्पादों को खदान से बाहर ले जाने तथा उनका विक्रय करने की स्वतंत्रता होगी,

For National Energy Trading And Services Limited

Authorised Signatory

प्रभारी अधिकारी
(खनिज - शाखा)
जिला बैतूल

3. ठेकेदार इस अनुबंध के अनुसरण में, एतद्द्वारा निविदाकार को पट्टान्तरित भूमि का तारीख 09/02/2023 से तारीख 30/06/2023 तक अधिभोग रखेगा तथा कब्जा ग्रहण करेगा।

4. एतद् द्वारा यह सहमति प्रदान की जाती है कि एतद् द्वारा पट्टान्तरित रेत ठेके पर दिये गये क्षेत्र की सीमाऐं खड़ी नीचे की ओर भूमि के केन्द्र तक रहेगी।

5. (1) ठेकेदार वार्षिक ठेका राशि रूपए 53,11,95,424.20 (तिरेपन करोड़ ग्यारह लाख पन्चान्वे हजार चार सौ चौबीस रूपये बीस पैसे मात्र) का

नीचे दी गई तारीख या उसके पूर्व किश्तों में भुगतान करेगा –

अनुक्रमांक	किश्त क्रमांक	किश्त की राशि (रूपए में)	किश्त जमा करने की तारीख
1.	प्रथम किश्त	7,42,21,826.00	प्रथम त्रैमास का प्रथम दिवस
2.	द्वितीय किश्त	13,27,98,856.00	द्वितीय त्रैमास का प्रथम दिवस

परन्तु ठेकेदार, ठेकाराशि तथा रेत खदान से संबंधित अन्य सम्पूर्ण रकम प्रथमतः म. प्र. राज्य खनिज निगम एवं कलेक्टर द्वारा इस प्रयोजन हेतु संचालित खाते में जमा करेगा।

परन्तु, यदि ठेकेदार नियत तारीख को किश्तों को जमा करने में असफल रहता है तो ठेकेदार के पक्ष में आवंटित समूह की खदानों के लिए ई-टी.पी बंद की जायेगी तथा खदान संचालन पर रोक लगा दी जाएगी तथा ठेकेदार को इस आशय का कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा, कि किश्त की राशि जमा करने में असफल रहने पर क्यों न उन का ठेका निरस्त कर दिया जाए:

परन्तु और या कि, किश्त जमा करने की निर्धारित तारीख से 30 दिवस के भीतर ठेकेदार द्वारा उक्त कारण बताओ नोटिस का जबाव देते हुए विलंब अवधि पर 24 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज सहित देय किश्त/किश्तों का भुगतान करने पर, कलेक्टर/निगम द्वारा खदान का संचालन के लिए अनुमति दे सकेगा।

परन्तु यह और कि, 30 दिवस की अवधि के भीतर उपरोक्तानुसार यदि ठेकेदार राशि जमा करने में असफल रहता है तो, कलेक्टर/निगम द्वारा ठेका व्यपगत आदेश कर पुनः निविदा हेतु शासन को अनुरोध किया जाएगा। निविदा की विज्ञप्ति प्रकाशन के पूर्व तक ठेकेदार समस्त देयतायें 24 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ जमा कर सकता है। नवीन निविदा विज्ञप्ति प्रकाशन पर स्वमेव ठेका पूर्ण रूप से निरस्त समझा जाएगा।

परन्तु यह और भी कि, जब तक किश्त की राशि मय ब्याज के प्राप्त होगी तो तब तक ठेकेदार के पक्ष में आवंटित समूह की खदानों के लिए ई-टी.पी. जारी किए जाने पर रोक रहेगी।

For National Energy Trading And Services Limited

Authorised Signatory

प्रभारी अधिकारी
(खनिज – शाखा)
जिला बैतूल

(2) ठेकेदार, ठेका राशि की रकम के एवज में खनन योजना, पर्यावरणीय स्वीकृति एवं जल वायु संम्मति में (इनमें से जो भी कम हो) अनुज्ञात रेत की मात्रा ले जा सकेगा।

परन्तु, यदि ठेकेदार निर्धारित मात्रा से अधिक मात्रा में खनिज निकालेगा या ले जायेगा, तब वह उस अधिक निकाली गई या ले जायी गई मात्रा के लिए ऐसी मात्रा के मूल्य का भुगतान करने के लिए दायित्वधीन होगा :

परन्तु यह कि, यदि किसी वर्ष उत्खनित मात्रा अनुमोदित खनन योजना में उल्लेखित मात्रा से 20 प्रतिशत कम हो तो इस मात्रा के आगामी वर्ष में निकाले जाने की अनुमति दी जायेगी, किन्तु उस वर्ष के ठेकाधन में अवशिष्ट मात्रा के अंतर की राशि जमा की जानी होगी। अनुमोदित खनन योजना का पुनरीक्षण किया जायगा एवं वार्षिक ठेका राशि अनुपातिक रूप में पुनीरिक्षित किया जायगा । खनन योजना के पुनरीक्षण की स्थिति में, यथा आवश्यक पर्यावरणीय अनुमति प्राप्त की जायगी। ठेका अवधि में अनुमोदित खनन योजना में उल्लिखित मात्रा का खनन अनिवार्य होगा, अन्यथा जमा की गई सुरक्षा राशि सम्पहत की जा सकेगी:

परन्तु यह और कि, यदि ठेकेदार किसी वर्ष उस वर्ष की अनुज्ञात मात्रा से अधिक मात्रा (20 प्रतिशत से अधिक नहीं) की निकासी करना चाहता है, तब उसे प्रस्ताव अनुसार अनुमोदित खनन योजना एवं पर्यावरण अनुमति में यथायोग्य पुनरीक्षण /संशोधन करना होगा एवं यह बढी हुई मात्रा आगामी वर्ष की अनुज्ञात मात्रा के विरुद्ध समायोजित की जाएगी । किसी भी स्थिति में, ठेका अवधि हेतु स्वीकृत मात्रा से अधिक मात्रा में निकासी की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(3) उस स्थिति में जब ठेकेदार उपरोक्त पैरा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए वार्षिक कार्य योजना में तिमाही हेतु उल्लिखित मात्रा से अधिक खनिज निकालता है तो वह ऐसे निकाले गए अधिक मात्रा एवं तिमाही में चुकाई गई किश्त राशि के अंतर की राशि का भुगतान (तीस दिन) के भीतर किया जाना होगा, अन्यथा आगामी खनिज निकासी रोक दी जाएगी तो भुगतान करने का उत्तरदायी होगा:

परन्तु, यदि ठेकेदार नियत तारीख पर रकम का भुगतान करने में असफल रहता है तो वह 24 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज सहित शोध्य राशि/राशियों का भुगतान करने का उत्तरदायी होगा।

6. रेत खदान से संबंधित ठेका राशि एवं अन्य राशियां ठेकेदार द्वारा म०प्र० राज्य खनिज निगम एवं कलेक्टर द्वारा इस प्रयोजन हेतु संचालित खाते में प्रथमतः जमा कराई जाएगी

7. ठेका रकम तथा अन्य शोध्यो के जो कि इस करार के निबंधनो के अधीन देय है, शोध्य तारीखों से दो माह से अधिक अवधि तक भुगतान न किए जाने की दशा में कलेक्टर या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई

For National Energy Trading And Services Limited

Authorised Signatory

प्रभारी अधिकारी
(खनिज - शाखा)
जिला बैतूल

अधिकारी परिसर में प्रवेश करने के लिए सशक्त होगा तथा/या उसके उत्पाद और या खदान में ठेकेदार द्वारा रखी गई चल सम्पति को अभिग्रहित कर सकेगा और ले जा सकेगा।

8 यदि इस अनुबंध के अधीन ठेके की राशि या कोई अन्य शोध्य ठेकेदार द्वारा एक माह से अधिक के लिए असंदत्त रहती है तो कलेक्टर ठेका रद्द किए जाने संबंधी प्रस्ताय राज्य शासन को प्रेषित करेगा एवं राज्य शासन का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

9 ठेकेदार, खदान के समीप ऐसे अस्थायी भवन आदि खडा करने का हकदार होगा जैसा कि उत्खनन प्रयोजनो के लिए अपेक्षित हो और इसे ठेका अवधि समाप्ति के पूर्व हटा लेगा । ऐसा नहीं करने की स्थिति में, ठेका, समाप्ति के पश्चात् खदान के समीप भूमि पर निर्मित् ऐसे कोई भवन आदि राज्य सरकार की सम्पति होगी तथा जिसके लिए ठेकेदार को उस पर का प्रतिकर दावा करने का अधिकार नहीं होगा।

10. ठेकेदार, स्वयं व्यय पर, भूमि की सीमाओं को दर्शित करने के लिए सीमा चिन्ह तथा स्तम्भ (पिलर) का निर्माण करेगा एवं उन्हे हमेशा दुरूस्त रखेगा।

11. ठेकेदार, ठेके के अधीन प्राप्त भूमि या उसके किसी भाग को समनुदेशित या उप पट्टे पर नहीं देगा अथवा ठेके के अधीन प्रदत्त अधिकारों /विशेषाधिकारो को अंतरित नहीं करेगा।

12. ठेकेदार, इस अनुबंध के अधीन प्रदत्त भूमि की समुचित स्वच्छता बनाए रखने का उत्तरदायी होगा।

13. ठेकेदार, उस समय समस्त नियमों तथा विनियमों और ऐसी अन्य शर्तो से बाध्य होगा जैसा कि शासन द्वारा समय-समय पर अधिरोपित की जाए।

14. ठेकेदार, खदान में कार्य कर रहे व्यक्तियों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के समुचित उपाय करने के लिए आबद्ध होगा।

15. ठेकेदार, सडक, पानी से संबंधित अधिकारो और अन्य सुखाधिकारों का ध्यान रखेगा।

16. सरकार को यह अधिकार होगा, कि यह पट्टाकृत क्षेत्र के ऊपर संचार साधनो की स्थापना के लिए ऊपर मार्ग का निर्माण करें या अन्य उपाय करें तथा ठेकेदार को उसके लिए प्रतिकर दावा करने का अधिकार नहीं होगा।

17. ठेकेदार, अनुमोदित खनन योजना के अनुसार खनन संक्रिया करेगा और रेत तथा बजरी का खनन सतह से अधिकतम तीन मीटर तक अथवा जल स्तर तक जो भी कम हो, किया जाएगा । किन्तु ऐसा उत्खनन नदी/ नाले के भीतर प्रतिसिद्ध होगा।

For National Energy Trading And Services Limited

Authorised Signatory

प्रभारी अधिकारी
(खनिज - शाखा)
जिला बैतूल

18. ठेकेदार, खदान से अभिप्राप्त और विक्रय किए गए या निकास किए गए खनिज की मात्रा तथा विशिष्टिया दर्शाते हुए उनका सही लेखा और खदान में नियोजित व्यक्तियों की संख्या तथा खदान का पूर्ण रेखांक संधारित करेगा और शासन/ कलेक्टर द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी को किसी भी समय ऐसे लेखाओं तथा रेखांको का परीक्षण करने देगा तथा ऐसे सक्षम अधिकारी द्वारा निरीक्षण के दौरान या मांग की जाने पर प्रस्तुत करेगा।

19. ठेकेदार, नीचे दिये गये प्ररूप में मासिक विवरणी प्रत्येक माह की 07 तारीख के पूर्व कलेक्टर को प्रस्तुत करेगा:

माह	निकाले गये खनिज का प्रारंभिक स्टॉक(घनमीटर)	माह में निकाले गए खनिज की मात्रा (घनमीटर)	माह में निकास किए गए खनिज की मात्रा (घनमीटर)	माह में विक्रय किए गए खनिज की मात्रा (घनमीटर)	माह के अंत में खनिज का अंतिम स्टाक (घनमीटर)	माह के दौरान नियोजित श्रमिकों की औसत संख्या
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

20. ठेकेदार, खदान क्षेत्र में घटने वाली किसी दुर्घटना की रिपोर्ट तत्काल संबंधित जिला मजिस्ट्रेट को देगा।

21. ठेकेदार, उसके ठेके में शामिल की गई रेत खदानो के पहुच मार्ग, खनिज की उपलब्धता तथा कोई अन्य कारण से ठेकाधन की राशि में संशोधन किए जाने संबंध में कलेक्टर के विरुद्ध कोई प्रतिकर या नुकसान का दावा नहीं करेगा।

22. यदि ठेकेदार, उक्त ठेके की कालावधि के पूर्ण होने के पूर्व ठेके को पर्यवसित करने का इच्छुक है, तो वह ऐसे आशय की छह माह की लिखित सूचना कलेक्टर को देगा। उपरोक्त अवधि समाप्त होने एवं ठेकेदार के विरुद्ध बकाया न होने की स्थिति में कलेक्टर से प्राप्त प्रस्ताव पर राज्य शासन द्वारा समर्पण स्वीकार किया जाएगा एवं उसकी सुरक्षा राशि वापस की जाएगी। उक्त अवधि के लिए वार्षिक ठेकाधन ठेकेदार द्वारा अनिवार्य रूप से जमा किया जाएगा, इस अवधि में खनन संक्रियाए संचालित की जा सकेगी। यदि एक बार समर्पण के लिए आवेदन प्रस्तुत कर दिया जाता है। तो वह पुनः वापसी योग्य नहीं होगा। समर्पण सूचना प्राप्त होने के पश्चात समूह की पुन निविदा प्रक्रिया कलेक्टर द्वारा प्रारंभ की जाएगी ।

23 ठेकेदार, जिसके लिए उसको ठेका दिया गया है, उससे भिन्न प्रयोजन के लिए इस अनुबंध के अधीन उसको दी गई भूमि का उपयोग नहीं करेगा।

For National Energy Trading And Services Limited

Authorised Signatory

प्रभारी अधिकारी
(खनिज - शाखा)
जिला बैतूल

24 (1) युद्ध की स्थिति या आपातकाल की दशा में सरकार को खदान, वस्तुएं, भूमि, मशीनरी, संयंत्र, भवन तथा सामग्री का कब्जा लेने का अधिकार रहेगा तथा ऐसी स्थिति में ठेकेदार द्वारा किसी प्रतिकर के लिए कोई दावा नहीं करेगा।

(2) राज्य सरकार को लोकहित में ठेके की कालावधि समाप्त होने के पूर्व कब्जा वापस लेने का अधिकार होगा:

परन्तु कब्जा लेने के पूर्व ठेकेदार को एक माह की अग्रिम सूचना दी जायगी।

25. यदि इस ठेके के संबंध में और/या उसके संबंध में और/या कोई विवाद होने की स्थिति में, राज्य शासन का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

26. कब्जे का पुर्नग्रहण- (1) जहां कोई रेत ,खदान रदद की जाती है या अवधारित की जाती है अथवा खदान के कब्जे को लोकहित में पुर्नग्रहण करने का विनिश्चिय किया जाता है या वह कालावधि जिसके लिए रेत खदान मंजूर की गई हो समाप्त हो जाती है, तो ठेकेदार, रेत खदान का कब्जा कलेक्टर को, जिसमें रेत खदान/समूह या उसका बड़ा भाग अवस्थित हो, रदद किए जाने या पर्यवसित किये जाने या लोकहित में कब्जा वापस लेने के विनिश्चय की संसूचना की तारीख से सात दिन की कालावधि के भीतर या खदान के ठेके की कालावधि समाप्त होने की तारीख के आगामी दिन से, जैसी भी स्थिति हो, वापस सौंप देगा।

(2) जहां ठेकेदार रेत खदान/समूह का कब्जा, उप खंड (1) में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर सौंपने में असफल रहता है वहां कलेक्टर या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी सूचना की तामीली या तो डाक द्वारा या उसकी प्रति ठेकेदार को व्यक्तिगत रूप से या उसके परिवार के सदस्यों या नौकरों में से किसी को निविदत्त करते हुए या देते हुए उसके निवास स्थान अथवा कारबार के स्थान के किसी सहज दृश्य स्थान पर एक प्रति चस्पा करके या उसे उस स्थान में जहां ठेकेदार निवास करता है, परिचालित कम से कम एक समाचार पत्र में प्रकाशित करेगा या करवायेगा।

(3) उपखंड (2) के अधीन सूचना में यह कथन अंतर्विष्ट होगा कि ठेकेदार रेत खदान /समूह का कब्जा कलेक्टर या उप- खंड (1) के अधीन उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, को सूचना की तामीली की तारीख से सात दिन के भीतर सौंप देगा।

(4) जहां ठेकेदार उपखंड (2) के अधीन सूचना में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर रेत खदान/समूह का कब्जा सौंपने में असफल रहता है, वहां कलेक्टर या उप-खंड (1) के अधीन उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, ठेकेदार से रेत खदान का कब्जा ले सकेगा और उस प्रयोजन के लिए ऐसे बल का प्रयोग कर सकेगा, जैसे कि आवश्यक समझा जाये।

For National Energy Trading And Services Limited

Authorised Signatory

प्रभारी अधिकारी
(खनिज - शाखा)
जिला बैतूल

(5) यदि ठेके की कालावधि की समाप्ति पर ठेकेदार अगले दिन खदान का कब्जा सौंपने में असफल रहता है तो ठेकेदार, वापिस लिये जाने पर्यन्त, अनुबंध की समस्त शर्तों का पालन करेगा।

27. यदि ठेकेदार अनुबंध की शर्तों का उल्लघंन करता है, तो कलेक्टर को ठेकेदार द्वारा जमा सुरक्षा राशि या उसके भाग को सम्पहृत करने का अधिकार होगा।

28. ठेकेदार, खदान से खनिज या उसके उत्पाद ले जाने वाले प्रत्येक वाहन को राज्य सरकार द्वारा विहित अधिवहन पास के साथ ही प्रत्येक गंतव्य के लिए जाने देगा।

29. ई- निविदा दस्तावेज, अनुबंध आदि इस ठेके के अभिन्न अंग होगे।

30. अनुबंध के अधीन, एतद्द्वारा यह पट्टाक्रामित किया जाता है, कि यदि ठेकेदार उपरोक्त में अंतर्विष्ट और उल्लिखित समस्त निबंधनो और शर्तों के पूर्ति करता है, तो सुरक्षा राशि की रकम रूपये 13,27,98,856 (तेरह करोड सत्ताईस लाख अट्ठान्वे हजार आठ सौ छप्पन रूपये) (अग्रिम धन) जो कि ठेकेदार द्वारा जमा की गई है कलेक्टर द्वारा उसे वापिस की जाएगी।

अनुसूची – क

(पैरा एक देखिए)

(पैरा 1 देखिए) क्र0	जिला	तहसील	ग्राम	खसरा क्रमांक	रकबा हेक्टेयर में
1	2	3	4	5	6
1	बैतूल	शाहपुर	टांगनामाल	209	4.000

इस अनुबंध पत्र की देय स्टाम्प एवं पंजीयन शुल्क दस्तावेज क्रमांक MP039744 2023 A 1147017 दिनांक 11/02/2023 द्वारा चुकाया जा चुका है।

For National Energy Trading And Services Limited

Authorised Signatory

प्रभारी अधिकारी
(खनिज - शाखा)
जिला बैतूल

हस्ताक्षर :-

प्रभारी अधिकारी
(खनिज - शाखा)
जिला बैतूल

कलेक्टर
जिला बैतूल

साक्षियों का पूरा नाम व्यवसाय एवं हस्ताक्षर

1. [illegible] सिंग मेजाम सुधा० भेड - 05
कलेक्ट्रेट (खनिज) बैतूल

2. [illegible]
नरेश भुआरकर सहा० भान चित्रकार
कलेक्टोरेट (खनिज) बैतूल

साक्षियों का पूरा नाम, व्यवसाय एवं हस्ताक्षर

1. विशाल सिंह S/o कमल किशोर प्रधान

2. [illegible]
आदित्य सोनी S/o पवन सोनी

For National Energy Trading And Services Limited

ठेकेदार/अटार्नी का नाम, पता व हस्ताक्षर

Authorised Signatory

मेसर्स नेशनल एनर्जी ट्रेडिंग एण्ड सर्विसेज लिमिटेड (अधिकृत व्यक्ति -श्री रुकेश वनखेड़े) पता प्लाट न. 7 बिन्दु सदन 401 सांई चंद्र कॉलोनी, ग्रीन स्पेस तुलसी, पुप्पलगुडा, मणिकोंडा, हैदराबाद, रंगारेड्डी, तेलंगाना-500089 वर्तमान पता- हाऊस नम्बर 247, तृतीय तल, सेक्टर-2 शक्ति नगर, हबीबगंज भोपाल (म.प्र.)

उपांग - 2 (भाग-1) मॉडल
प.क्र.खं. 14
ख. नि.क्र. - झाडेघुरा
तहसील - झाडेघुरा
जिला - बैतूल (म.प्र.)
स्केल 1:4"=1मील
N
S
खनिज पट्टा क्षेत्र
कुल क्षे. 209 हे.
For National Energy Trading And Services Limited
Authorised Signatory
प्रभारी अधिकारी
(खनिज - शाखा)
जिला बैतूल
COLLECTOR
BETUL

Registration and Stamp Department
Madhya Pradesh

Certificate of Stamp Duty

E-Stamp Details

E-Stamp Code	0101031402202300302 4
Total E-Stamp Amount	2000
Govt. Stamp Duty (Rs.)	2000
Janpad Duty (Rs.)	0
Exempted Amount(Rs.)	0
Municipality Duty (Rs.)	0
Upkar Amount (Rs.)	0
E-Stamp Type	NON-JUDICIAL
Issue Date & Time	14/02/2023 11:58:40
Service Provider or Issuer Details	RAKESH SHARMA/SP0103419062018000103
SP/SRO/DRO/HO Details	C/O Shree Sai Baba Group Near Jhulelal Lodge Kothi Bazar Kothi Bazar Betul MP BETUL BETUL

Deed Details

Deed Type	Agreement/Memorandum of an agreement
Deed Instrument	If relating to secure repayment of a loan or debt.- 0.25 percent of the amount of loan or debt, subject to a maximum of five lakh rupees
Purpose	E STAMP FOR AGREEMENT

First Party Details

Organization Name	कलेक्टर जिला बैतूल
Address	BETUL BETUL Madhya Pradesh INDIA
Number of Persons	1

Second Party Details

Organization Name	मेसर्स नेशनल ग्रीनर्स ट्रेडिंग एंड सर्विसेज लिमिटेड
Address	पता - हाउस न. 247 तृतीय तल सेक्टर 2 शक्ति नगर इब्राहिमगंज भोपाल (म.प्र.) BHOPAL Madhya Pradesh INDIA
Number of Persons	1

व्यापारिक रेत खदान ग्राम बल्लोर तहसील चिचोली ख.न. 162 रकबा 4.000 हे.

Digitally signed by RAKESH SHARMA
Date: 2023.02.14 12:01:07 IST

प्रारूप-पांच

(नियम 13 (2) देखिए)

रेत खदान हेतु ठेके का अनुबंध

यह करार एक पक्ष के रूप में जो कलेक्टर जिला बैतूल के माध्यम से कार्य करते हुए मध्यप्रदेश के राज्यपाल (जिन्हे इसमें इसके पश्चात् राज्यपाल कहा गया है), जिस अभिव्यक्ति में उनके पद उत्तरवर्ती सम्मलित है और अन्य पक्ष के रूप में श्री/श्रीमती/कुमारी मेसर्स नेशनल एनर्जी ट्रेडिंग एण्ड सर्विसेज लिमिटेड (अधिकृत व्यक्ति –श्री रुकेश बनखेड़े) पता प्लाट न. 7 बिन्दु सदन 401 सांई चंद्र कॉलोनी, ग्रीन स्पेस तुलसी, पुप्पलगुडा, मणिकोंडा, हैदराबाद, रंगारेड्डी, तेलंगाना-500089 वर्तमान पता- हाऊस नम्बर 247, तृतीय तल, सेक्टर-2 शक्ति नगर, हबीबगंज भोपाल (म.प्र.) (जिसे इसमें इसके पश्चात् "ठेकेदार" कहा गया है) जिस अभिव्यक्ति में, जहां कि संदर्भ ऐसा स्वीकार है, उसके वारिस, निष्पादक, प्रशासक, प्रतिनिधि और अनुज्ञात समनुदेशिती शामिल है, के बीच आज दिनांक 09 माह फरवरी सन् 2023 को दिनांक 09.02.2023 से दिनांक 30.06.2023 की अवधि हेतु व्यापारिक खदान के लिये किया गया।

1. यतः ठेकेदार, ई-निविदा की शर्तो के अनुसार ई-निविदा की राशि रुपए 53,11,95,424.20 (तिरेपन करोड़ ग्यारह लाख पन्चान्वे हजार चार सौ चौबीस रुपये बीस पैसे मात्र) प्रतिवर्ष का भुगतान करने के लिए सहमत हो गया है, जो रकम एतद् द्वारा ठेका राशि कहलायगी और रुपये 13,27,98,856 (तेरह करोड सत्ताईस लाख अट्ठान्वे हजार आठ सौ छप्पन रुपये) अग्रिम धन (सुरक्षा राशि) सुरक्षा राशि के रूप में और रुपये (लागू नहीं) प्रतिभूति राशि रुपये (लागू नहीं) ठेका अवधि में देय संपूर्ण राशि के समतुल्य है, और जो ठेके के निबंधनो और शर्तो के सम्यक पालन के लिए जमा रखी जायेगी और जो कि ठेके के अनुबंध का किसी प्रकार भंग किए जाने की स्थिति समइत किए जाने योग्य होगी और

यतः कलेक्टर ने उसे उस रेत खदान का ठेका स्वीकृत किया है जिसका मानचित्र संलग्न है जिस खदान नांदू खसरा क्रमांक 91 रकबा 2.900 हे0, तहसील घोड़ाडोंगरी जिला बैतूल और जिसका विवरण संलग्न अनुसूची "क" में दिया गया है जो अब आगे "खदान" कही जायेगी।

2. अब यह अनुबंध साक्षी है कि ठेका राशि, रॉयल्टी, किराया, तथा अन्य भुगतानों के प्रतिफल में तथा शर्तो, प्रसंविदाओं और करार के प्रतिफल में तथा अध्यधीन रहते हुए, ठेकेदार को खनन के प्रयोजनो के लिए, प्रदत्त क्षेत्र में प्रवेश करने, अधिभोग रखने तथा उपयोग और इस शर्त के अध्याधीन रहते हुए कि कलेक्टर को ठेके की पूरी अवधि के दौरान सभी समय पर खदान के भीतर अवस्थित या ठेकेदार के नियंत्रण के अधीन अन्य कही उत्पादों के प्रचलित उचित बाजार मूल्य पर अग्र क्रयाधिकार होगा, खनिज या खनिज के उत्पादों को खदान से बाहर ले जाने तथा उनका विक्रय करने की स्वतंत्रता होगी,

For National Energy Trading And Services Limited

Authorised Signatory

प्रभारी अधिकारी
(खनिज - शाखा)
जिला बैतूल

3. ठेकेदार इस अनुबंध के अनुसरण में, एतद्द्वारा निविदाकार को पट्टान्तरित भूमि का तारीख 09/02/2023 से तारीख 30/06/2023 तक अधिभोग रखेगा तथा कब्जा ग्रहण करेगा।

4. एतद् द्वारा यह सहमति प्रदान की जाती है कि एतद् द्वारा पट्टान्तरित रेत ठेके पर दिये गये क्षेत्र की सीमाएँ खड़ी नीचे की ओर भूमि के केन्द्र तक रहेगी।

5. (1) ठेकेदार वार्षिक ठेका राशि रूपए 53,11,95,424.20 (तिरेपन करोड़ ग्यारह लाख पन्चान्ये हजार चार सौ चौबीस रुपये बीस पैसे मात्र) का

नीचे दी गई तारीख या उसके पूर्व किश्तों में भुगतान करेगा –

अनुक्रमांक	किश्त क्रमांक	किश्त की राशि (रूपए में)	किश्त जमा करने की तारीख
1.	प्रथम किश्त	7,42,21,826.00	प्रथम त्रैमास का प्रथम दिवस
2.	द्वितीय किश्त	13,27,98,856.00	द्वितीय त्रैमास का प्रथम दिवस

परन्तु ठेकेदार, ठेकाराशि तथा रेत खदान से संबंधित अन्य सम्पूर्ण रकम प्रथमतः म. प्र. राज्य खनिज निगम एवं कलेक्टर द्वारा इस प्रयोजन हेतु संचालित खाते में जमा करेगा।

परन्तु, यदि ठेकेदार नियत तारीख को किश्तों को जमा करने में असफल रहता है तो ठेकेदार के पक्ष में आवंटित समूह की खदानों के लिए ई-टी.पी बंद की जायेगी तथा खदान संचालन पर रोक लगा दी जाएगी तथा ठेकेदार को इस आशय का कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा, कि किश्त की राशि जमा करने में असफल रहने पर क्यों न उन का ठेका निरस्त कर दिया जाए:

परन्तु और या कि, किश्त जमा करने की निर्धारित तारीख से 30 दिवस के भीतर ठेकेदार द्वारा उक्त कारण बताओ नोटिस का जबाव देते हुए विलंब अवधि पर 24 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज सहित देय किश्त/किश्तों का भुगतान करने पर, कलेक्टर/निगम द्वारा खदान का संचालन के लिए अनुमति दे सकेगा।

परन्तु यह और कि, 30 दिवस की अवधि के भीतर उपरोक्तानुसार यदि ठेकेदार राशि जमा करने में असफल रहता है तो, कलेक्टर/निगम द्वारा ठेका व्यपगत आदेश कर पुनः निविदा हेतु शासन को अनुरोध किया जाएगा। निविदा की विज्ञप्ति प्रकाशन के पूर्व तक ठेकेदार समस्त देयतायें 24 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ जमा कर सकता है। नवीन निविदा विज्ञप्ति प्रकाशन पर स्वमेव ठेका पूर्ण रूप से निरस्त समझा जाएगा।

परन्तु यह और भी कि, जब तक किश्त की राशि मय ब्याज के प्राप्त होगी तो तब तक ठेकेदार के पक्ष में आवंटित समूह की खदानों के लिए ई-टी.पी. जारी किए जाने पर रोक रहेगी।

For National Energy Trading And Services Limited

Authorised Signatory

प्रभारी अधिकारी
(खनिज - शाखा)
जिला बैतूल

(2) ठेकेदार, ठेका राशि की रकम के एवज में खनन योजना, पर्यावरणीय स्वीकृति एवं जल वायु संम्मति में (इनमें से जो भी कम हो) अनुज्ञात रेत की मात्रा ले जा सकेगा।

परन्तु, यदि ठेकेदार निर्धारित मात्रा से अधिक मात्रा में खनिज निकालेगा या ले जायेगा, तब वह उस अधिक निकाली गई या ले जायी गई मात्रा के लिए ऐसी मात्रा के मूल्य का भुगतान करने के लिए दायित्वधीन होगा :

परन्तु यह कि, यदि किसी वर्ष उत्खनित मात्रा अनुमोदित खनन योजना में उल्लेखित मात्रा से 20 प्रतिशत कम हो तो इस मात्रा के आगामी वर्ष में निकाले जाने की अनुमति दी जायेगी, किन्तु उस वर्ष के ठेकाधन में अवशिष्ट मात्रा के अंतर की राशि जमा की जानी होगी। अनुमोदित खनन योजना का पुनरीक्षण किया जायगा एवं वार्षिक ठेका राशि अनुपातिक रूप में पुनीरिक्षित किया जायगा । खनन योजना के पुनरीक्षण की स्थिति में, यथा आवश्यक पर्यावरणीय अनुमति प्राप्त की जायगी। ठेका अवधि में अनुमोदित खनन योजना में उल्लिखित मात्रा का खनन अनिवार्य होगा, अन्यथा जमा की गई सुरक्षा राशि सम्पहत की जा सकेगी:

परन्तु यह और कि, यदि ठेकेदार किसी वर्ष उस वर्ष की अनुज्ञात मात्रा से अधिक मात्रा (20 प्रतिशत से अधिक नहीं) की निकासी करना चाहता है, तब उसे प्रस्ताव अनुसार अनुमोदित खनन योजना एवं पर्यावरण अनुमति में यथायोग्य पुनरीक्षण /संशोधन करना होगा एवं यह बढी हुई मात्रा आगामी वर्ष की अनुज्ञात मात्रा के विरुद्ध समायोजित की जाएगी । किसी भी स्थिति में, ठेका अवधि हेतु स्वीकृत मात्रा से अधिक मात्रा में निकासी की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(3) उस स्थिति में जब ठेकेदार उपरोक्त पैरा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए वार्षिक कार्य योजना में तिमाही हेतु उल्लिखित मात्रा से अधिक खनिज निकालता है तो वह ऐसे निकाले गए अधिक मात्रा एवं तिमाही में चुकाई गई किश्त राशि के अंतर की राशि का भुगतान (तीस दिन) के भीतर किया जाना होगा, अन्यथा आगामी खनिज निकासी रोक दी जाएगी तो भुगतान करने का उत्तरदायी होगा:

परन्तु, यदि ठेकेदार नियत तारीख पर रकम का भुगतान करने में असफल रहता है तो वह 24 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज सहित शोध्य राशि/राशियों का भुगतान करने का उत्तरदायी होगा।

6. रेत खदान से संबंधित ठेका राशि एवं अन्य राशियां ठेकेदार द्वारा म०प्र० राज्य खनिज निगम एवं कलेक्टर द्वारा इस प्रयोजन हेतु संचालित खाते में प्रथमतः जमा कराई जाएगी

7. ठेका रकम तथा अन्य शोध्यो के जो कि इस करार के निबंधनो के अधीन देय है, शोध्य तारीखों से दो माह से अधिक अवधि तक भुगतान न किए जाने की दशा में कलेक्टर या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई

For National Energy Trading And Services Limited

Authorised Signatory

प्रभारी अधिकारी
(खनिज - शाखा)
जिला बैतूल

अधिकारी परिसर में प्रवेश करने के लिए सशक्त होगा तथा/या उसके उत्पाद और या खदान में ठेकेदार द्वारा रखी गई चल सम्पति को अभिग्रहित कर सकेगा और ले जा सकेगा।

8 यदि इस अनुबंध के अधीन ठेके की राशि या कोई अन्य शोध्य ठेकेदार द्वारा एक माह से अधिक के लिए असंदत्त रहती है तो कलेक्टर ठेका रद्द किए जाने संबंधी प्रस्ताव राज्य शासन को प्रेषित करेगा एवं राज्य शासन का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

9 ठेकेदार, खदान के समीप ऐसे अस्थायी भवन आदि खड़ा करने का हकदार होगा जैसा कि उत्खनन प्रयोजनो के लिए अपेक्षित हो और इसे ठेका अवधि समाप्ति के पूर्व हटा लेगा । ऐसा नहीं करने की स्थिति में, ठेका, समाप्ति के पश्चात् खदान के समीप भूमि पर निर्मित् ऐसे कोई भवन आदि राज्य सरकार की सम्पति होगी तथा जिसके लिए ठेकेदार को उस पर का प्रतिकर दावा करने का अधिकार नहीं होगा।

10. ठेकेदार, स्वयं व्यय पर, भूमि की सीमाओं को दर्शित करने के लिए सीमा चिन्ह तथा स्तम्भ (पिलर) का निर्माण करेगा एवं उन्हे हमेशा दुरूस्त रखेगा।

11. ठेकेदार, ठेके के अधीन प्राप्त भूमि या उसके किसी भाग को समनुदेशित या उप पट्टे पर नहीं देगा अथवा ठेके के अधीन प्रदत्त अधिकारों /विशेषाधिकारो को अंतरित नहीं करेगा।

12. ठेकेदार, इस अनुबंध के अधीन प्रदत्त भूमि की समुचित स्वच्छता बनाए रखने का उत्तरदायी होगा।

13. ठेकेदार, उस समय समस्त नियमों तथा विनियमों और ऐसी अन्य शर्तो से बाध्य होगा जैसा कि शासन द्वारा समय-समय पर अधिरोपित की जाए।

14. ठेकेदार, खदान में कार्य कर रहे व्यक्तियों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के समुचित उपाय करने के लिए आबद्ध होगा।

15. ठेकेदार, सड़क, पानी से संबंधित अधिकारो और अन्य सुखाधिकारों का ध्यान रखेगा।

16. सरकार को यह अधिकार होगा, कि वह पट्टाकृत क्षेत्र के ऊपर संचार साधनो की स्थापना के लिए ऊपर मार्ग का निर्माण करें या अन्य उपाय करें तथा ठेकेदार को उसके लिए प्रतिकर दावा करने का अधिकार नहीं होगा।

17. ठेकेदार, अनुमोदित खनन योजना के अनुसार खनन संक्रिया करेगा और रेत तथा बजरी का खनन सतह से अधिकतम तीन मीटर तक अथवा जल स्तर तक जो भी कम हो, किया जाएगा । किन्तु ऐसा उत्खनन नदी/ नाले के भीतर प्रतिसिद्ध होगा।

For National Energy Trading And Services Limited

Authorised Signatory

प्रभारी अधिकारी
(खनिज - शाखा)
जिला बैतूल

18. ठेकेदार, खदान से अभिप्राप्त और विक्रय किए गए या निकास किए गए खनिज की मात्रा तथा विशिष्टिया दर्शाते हुए उनका सही लेखा और खदान में नियोजित व्यक्तियों की संख्या तथा खदान का पूर्ण रेखांक संधारित करेगा और शासन/ कलेक्टर द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी को किसी भी समय ऐसे लेखाओं तथा रेखांको का परीक्षण करने देगा तथा ऐसे सक्षम अधिकारी द्वारा निरीक्षण के दौरान या मांग की जाने पर प्रस्तुत करेगा।

19. ठेकेदार, नीचे दिये गये प्ररूप में मासिक विवरणी प्रत्येक माह की 07 तारीख के पूर्व कलेक्टर को प्रस्तुत करेगा:

माह	निकाले गये खनिज का प्रारंभिक स्टॉक(घनमीटर)	माह में निकाले गए खनिज की मात्रा (घनमीटर)	माह में निकास किए गए खनिज की मात्रा (घनमीटर)	माह में विक्रय किए गए खनिज की मात्रा (घनमीटर)	माह के अंत में खनिज का अंतिम स्टाक (घनमीटर)	माह के दौरान नियोजित श्रमिकों की औसत संख्या
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

20. ठेकेदार, खदान क्षेत्र में घटने वाली किसी दुर्घटना की रिपोर्ट तत्काल संबंधित जिला मजिस्ट्रेट को देगा।

21. ठेकेदार, उसके ठेके में शामिल की गई रेत खदानो के पहुच मार्ग, खनिज की उपलब्धता तथा कोई अन्य कारण से ठेकाधन की राशि में संशोधन किए जाने संबंध में कलेक्टर के विरुद्ध कोई प्रतिकर या नुकसान का दावा नहीं करेगा।

22. यदि ठेकेदार, उक्त ठेके की कालावधि के पूर्ण होने के पूर्व ठेके को पर्यवसित करने का इच्छुक है, तो वह ऐसे आशय की छह माह की लिखित सूचना कलेक्टर को देगा। उपरोक्त अवधि समाप्त होने एवं ठेकेदार के विरुद्ध बकाया न होने की स्थिति में कलेक्टर से प्राप्त प्रस्ताव पर राज्य शासन द्वारा समर्पण स्वीकार किया जाएगा एवं उसकी सुरक्षा राशि वापस की जाएगी। उक्त अवधि के लिए वार्षिक ठेकाधन ठेकेदार द्वारा अनिवार्य रूप से जमा किया जाएगा, इस अवधि में खनन संक्रियाए संचालित की जा सकेगी। यदि एक बार समर्पण के लिए आवेदन प्रस्तुत कर दिया जाता है। तो वह पुनः वापसी योग्य नहीं होगा। समर्पण सूचना प्राप्त होने के पश्चात समूह की पुन निविदा प्रक्रिया कलेक्टर द्वारा प्रारंभ की जाएगी ।

23 ठेकेदार, जिसके लिए उसको ठेका दिया गया है, उससे भिन्न प्रयोजन के लिए इस अनुबंध के अधीन उसको दी गई भूमि का उपयोग नहीं करेगा।

For National Energy Trading And Services Limited

Authorised Signatory

प्रभारी अधिकारी
(खनिज - शाखा)
जिला बैतूल

24 (1) युद्ध की स्थिति या आपातकाल की दशा में सरकार को खदान, वस्तुएं, भूमि, मशीनरी, संयंत्र, भवन तथा सामग्री का कब्जा लेने का अधिकार रहेगा तथा ऐसी स्थिति में ठेकेदार द्वारा किसी प्रतिकर के लिए कोई दावा नहीं करेगा।

(2) राज्य सरकार को लोकहित में ठेके की कालावधि समाप्त होने के पूर्व कब्जा वापस लेने का अधिकार होगा:

परन्तु कब्जा लेने के पूर्व ठेकेदार को एक माह की अग्रिम सूचना दी जायगी।

25. यदि इस ठेके के संबंध में और/या उसके संबंध में और/या कोई विवाद होने की स्थिति में, राज्य शासन का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

26. कब्जे का पुर्नग्रहण- (1) जहां कोई रेत ,खदान रदद की जाती है या अवधारित की जाती है अथवा खदान के कब्जे को लोकहित में पुर्नग्रहण करने का विनिश्चिय किया जाता है या वह कालावधि जिसके लिए रेत खदान मंजूर की गई से समाप्त हो जाती है, तो ठेकेदार, रेत खदान का कब्जा कलेक्टर को, जिसमें रेत खदान/समूह या उसका बड़ा भाग अवस्थित हो, रदद किए जाने या पर्यवसित किये जाने या लोकहित में कब्जा वापस लेने के विनिश्चय की संसूचना की तारीख से सात दिन की कालावधि के भीतर या खदान के ठेके की कालावधि समाप्त होने की तारीख के आगामी दिन से, जैसी भी स्थिति हो, वापस सौंप देगा।

(2) जहां ठेकेदार रेत खदान/समूह का कब्जा, उप खंड (1) में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर सौपने में असफल रहता है वहां कलेक्टर या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी सूचना की तामीली या तो डाक द्वारा या उसकी प्रति ठेकेदार को व्यक्तिगत रूप से या उसके परिवार के सदस्यों या नौकरों में से किसी को निविदत्त करते हुए या देते हुए उसके निवास स्थान अथवा कारबार के स्थान के किसी सहज दृश्य स्थान पर एक प्रति चस्पा करके या उसे उस स्थान में जहां ठेकेदार निवास करता है, परिचालित कम से कम एक समाचार पत्र में प्रकाशित करेगा या करवायेगा।

(3) उपखंड (2) के अधीन सूचना में यह कथन अंतर्विष्ट होगा कि ठेकेदार रेत खदान /समूह का कब्जा कलेक्टर या उप- खंड (1) के अधीन उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, को सूचना की तामीली की तारीख से सात दिन के भीतर सौंप देगा।

(4) जहां ठेकेदार उपखंड (2) के अधीन सूचना में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर रेत खदान/समूह का कब्जा सौंपने में असफल रहता है, वहां कलेक्टर या उप-खंड (1) के अधीन उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, ठेकेदार से रेत खदान का कब्जा ले सकेगा और उस प्रयोजन के लिए ऐसे बल का प्रयोग कर सकेगा, जैसे कि आवश्यक समझा जाये।

For National Energy Trading And Services Limited

Authorised Signatory

प्रभारी अधिकारी
(खनिज - शाखा)
जिला बैतूल

(5) यदि ठेके की कालावधि की समाप्ति पर ठेकेदार अगले दिन खदान का कब्जा सौंपने में असफल रहता है तो ठेकेदार, वापिस लिये जाने पर्यन्त, अनुबंध की समस्त शर्तों का पालन करेगा।

27. यदि ठेकेदार अनुबंध की शर्तों का उल्लघंन करता है, तो कलेक्टर को ठेकेदार द्वारा जमा सुरक्षा राशि या उसके भाग को सम्पहृत करने का अधिकार होगा।

28. ठेकेदार, खदान से खनिज या उसके उत्पाद ले जाने वाले प्रत्येक वाहन को राज्य सरकार द्वारा विहित अभिवहन पास के साथ ही प्रत्येक गंतव्य के लिए जाने देगा।

29. ई- निविदा दस्तावेज, अनुबंध आदि इस ठेके के अभिन्न अंग होंगे।

30. अनुबंध के अधीन, एतद्द्वारा यह पट्टाक्रामित किया जाता है, कि यदि ठेकेदार उपरोक्त में अंतर्विष्ट और उल्लिखित समस्त निबंधनों और शर्तों के पूर्ति करता है, तो सुरक्षा राशि की रकम रूपये 13,27,98,856 (तेरह करोड सत्ताईस लाख अट्ठान्वे हजार आठ सौ छप्पन रूपये) (अग्रिम धन) जो कि ठेकेदार द्वारा जमा की गई है कलेक्टर द्वारा उसे वापिस की जाएगी।

अनुसूची – क

(पैरा एक देखिए)

(पैरा 1 देखिए) क्र0	जिला	तहसील	ग्राम	खसरा क्रमांक	रकबा हेक्टेयर में
1	2	3	4	5	6
1	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	नांदू	91	2.900

इस अनुबंध पत्र की देय स्टाम्प एवं पंजीयन शुल्क दस्तावेज क्रमांक MP039742023A1147017 1 दिनांक 11/02/2023 द्वारा चुकाया जा चुका है।

प्रभारी अधिकारी
(खनिज – शाखा)
जिला बैतूल

For National Energy Trading And Services Limited

Authorised Signatory

साक्षियों का पूरा नाम व्यवसाय एवं हस्ताक्षर

1. मनोज सिंग गंजाम सहा० ग्रेड - 03
कलेक्ट्रेट (खनिज) बैतूल

2.
नरेश भुमरकर सहा० मानचित्रकार
कलेक्ट्रेट (खनिज) बैतूल

साक्षियों का पूरा नाम, व्यवसाय एवं हस्ताक्षर

1. विशाल सिंह पटेल सा० कालकिशोर

2.
आदित्य सोनी उ० पवन सोनी

हस्ताक्षर :-

प्रभारी अधिकारी
(खनिज - शाखा)
जिला बैतूल

कलेक्टर
जिला बैतूल

For National Energy Trading And Services Limited
ठेकेदार/अटार्नी का नाम, पता व हस्ताक्षर
Authorised Signatory

मेसर्स नेशनल एनर्जी ट्रेडिंग एण्ड सर्विसेज लिमिटेड (अधिकृत व्यक्ति -श्री रुकेश वनखेड़े) पता प्लाट न. 7 बिन्दु सदन 401 सांई चंद्र कॉलोनी, ग्रीन स्पेस तुलसी, पुष्पलगुडा, मणिकोंडा, हैदराबाद, रंगारेड्डी, तेलंगाना-500089 वर्तमान पता- हाऊस नम्बर 247, तृतीय तल, सेक्टर-2 शक्ति नगर, हबीबगंज भोपाल (म.प्र.)

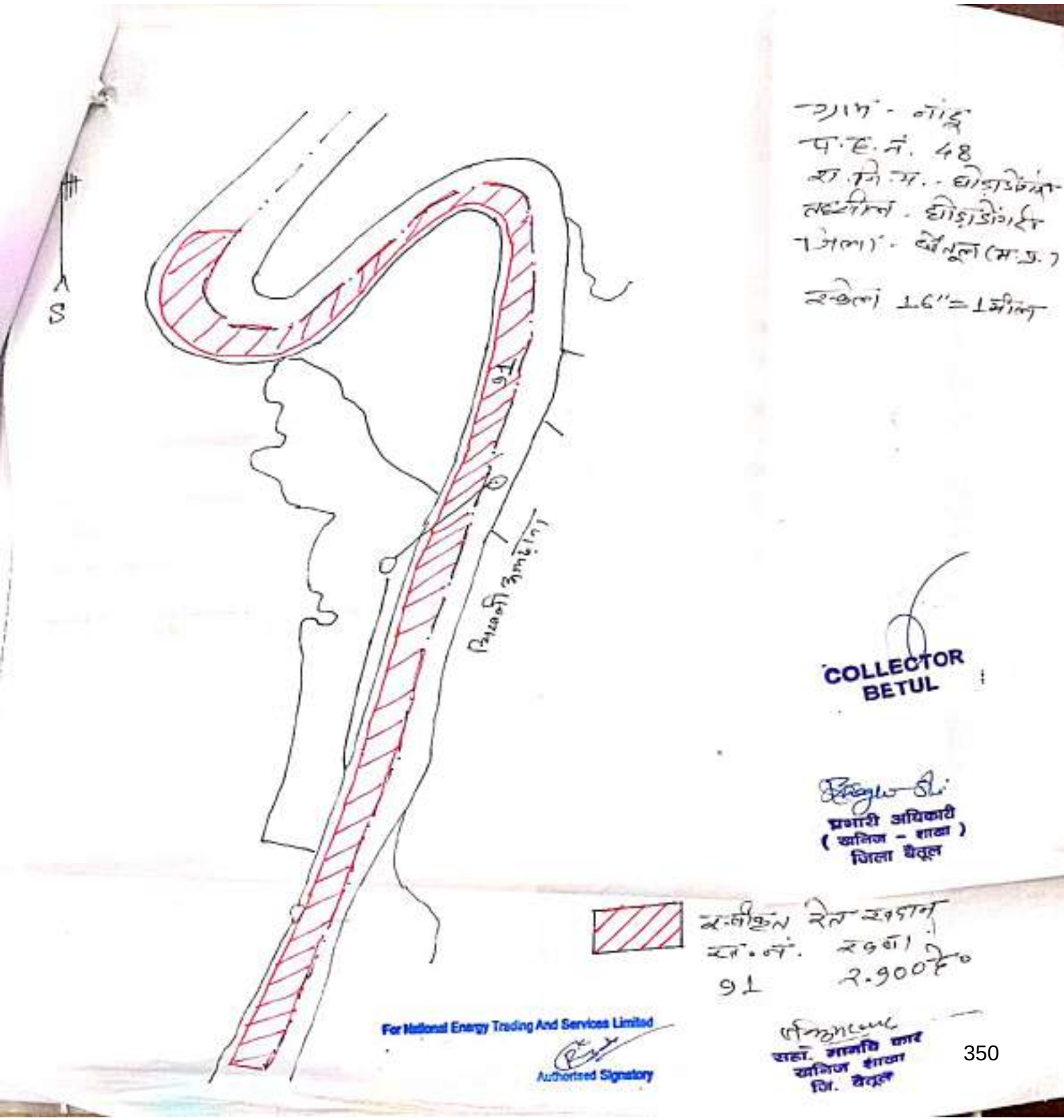
ग्राम - नांद
प.ह.नं. 48
रा.मा.म. - छोड़ाडोंगर-
तहसील - छोड़ाडोंगरी
जिला - बैतूल (म.प्र.)
स्केल 1.6" = 1 मील
S
बिजली उपकेन्द्र
COLLECTOR
BETUL
प्रभारी अधिकारी
(खनिज - शाखा)
जिला बैतूल
खनीकृत रेत क्षेत्रफल
ह.नं. 91 क्षेत्रफल
2.900 हे०
For National Energy Trading And Services Limited
Authorised Signatory
सहा. खनिज शाखा
खनिज शाखा
जि. बैतूल

Registration and Stamp Department
Madhya Pradesh

Certificate of Stamp Duty

E-Stamp Details

E-Stamp Code	0101031402202300298 8		
Total E-Stamp Amount	2000		
Govt. Stamp Duty (Rs.)	2000	Municipality Duty (Rs.)	0
Janpad Duty (Rs.)	0	Upkar Amount (Rs.)	0
Exempted Amount(Rs.)	0		
E-Stamp Type	NON-JUDICIAL		
Issue Date & Time	14/02/2023 11:56:21		
Service Provider or Issuer Details	RAKESH SHARMA/SP0103419062018 00103		
SP/SRO/DRO/HO Details	C/O Shree Sai Baba Group Near Jhulelal Lodge Kothi Bazar Kothi Bazar Betul MP BETUL BETUL		

Deed Details

Deed Type	Agreement/Memorandum of an agreement
Deed Instrument	If relating to secure repayment of a loan or debt - 0.25 percent of the amount of loan or debt, subject to a maximum of five lakh rupees
Purpose	E STAMP FOR AGREEMENT

First Party Details

Organization Name	कलेक्टर जिला बैतूल
Address	BETUL BETUL Madhya Pradesh INDIA
Number of Persons	1

Second Party Details

Organization Name	मेसर्स नेशनल एनर्जी ट्रेडिंग एंड सर्विसेज लिमिटेड
Address	पता - हाउस न. 247 तृतीय तल सेक्टर 2 शक्ति नगर हबीबगंज भोपाल (म.प्र.) BHOPAL Madhya Pradesh INDIA
Number of Persons	1

व्यापारिक रेत खदान ग्राम टांगनामाल तहसील शाहपुर ख.न. 209 रकबा 4.000 है..

Digitally signed by RAKESH SHARMA
Date: 2023.02.14 11:56:49 IST

प्रारूप-पांच

(नियम 13 (2) देखिए)

रेत खदान हेतु ठेके का अनुबंध

यह करार एक पक्ष के रूप में जो कलेक्टर जिला बैतूल के माध्यम से कार्य करते हुए मध्यप्रदेश के राज्यपाल (जिन्हे इसमें इसके पश्चात् राज्यपाल कहा गया है), जिस अभिव्यक्ति में उनके पद उत्तरवर्ती सम्मलित है और अन्य पक्ष के रूप में श्री/श्रीमती/कुमारी मेसर्स नेशनल एनर्जी ट्रेडिंग एण्ड सर्विसेज लिमिटेड (अधिकृत व्यक्ति –श्री रुकेश बनखेड़े) पता प्लाट न. 7 बिन्दु सदन 401 सांई चंद्र कॉलोनी, ग्रीन स्पेस तुलसी, पुष्पलगुडा, मणिकोंडा, हैदराबाद, रंगारेड्डी, तेलंगाना-500089 वर्तमान पता- हाऊस नम्बर 247, तृतीय तल, सेक्टर-2 शक्ति नगर, हबीबगंज भोपाल (म.प्र.) (जिसे इसमें इसके पश्चात् "ठेकेदार" कहा गया है) जिस अभिव्यक्ति में, जहां कि संदर्भ ऐसा स्वीकार है, उसके वारिस, निष्पादक, प्रशासक, प्रतिनिधि और अनुज्ञात समनुदेशिती शामिल है, के बीच आज दिनांक 06 माह मार्च सन् 2023 को दिनांक 09.02.2023 से दिनांक 30.06.2023 की अवधि हेतु व्यापारिक खदान के लिये किया गया।

1. यतः ठेकेदार, ई-निविदा की शर्तो के अनुसार ई-निविदा की राशि रूपए 53,11,95,424.20 (तिरेपन करोड़ ग्यारह लाख पन्यान्वे हजार चार सौ चौबीस रुपये बीस पैसे मात्र) प्रतिवर्ष का भुगतान करने के लिए सहमत हो गया है, जो रकम एतद् द्वारा ठेका राशि कहलायगी और रूपये 13,27,98,856 (तेरह करोड सत्ताईस लाख अट्ठान्वे हजार आठ सौ छप्पन रूपये) अग्रिम धन (सुरक्षा राशि) सुरक्षा राशि के रूप में और रूपये (लागू नहीं) प्रतिभूति राशि रूपये (लागू नहीं) ठेका अवधि में देय संपूर्ण राशि के समतुल्य है, और जो ठेके के निबंधनो और शर्तो के सम्यक पालन के लिए जमा रखी जायेगी और जो कि ठेके के अनुबंध का किसी प्रकार भंग किए जाने की स्थिति समहृत किए जाने योग्य होगी और

यतः कलेक्टर ने उसे उस रेत खदान का ठेका स्वीकृत किया है जिसका मानचित्र संलग्न है जिस खदान धामन्या खसरा क्रमांक 01 रकबा 5.000 हे0, तहसील शाहपुर जिला बैतूल और जिसका विवरण संलग्न अनुसूची "क" में दिया गया है जो अब आगे "खदान" कही जायेगी।

2. अब यह अनुबंध साक्षी है कि ठेका राशि, रॉयल्टी, किराया, तथा अन्य भुगतानों के प्रतिफल में तथा शर्तो, प्रसंविदाओं और करार के प्रतिफल में तथा अध्यधीन रहते हुए, ठेकेदार को खनन के प्रयोजनो के लिए, प्रदत्त क्षेत्र में प्रवेश करने, अधिभोग रखने तथा उपयोग और इस शर्त के अध्याधीन रहते हुए कि कलेक्टर को ठेके की पूरी अवधि के दौरान सभी समय पर खदान के भीतर अवस्थित या ठेकेदार के नियंत्रण के अधीन अन्य कही उत्पादों के प्रचलित उचित बाजार मूल्य पर अग्र क्रयाधिकार होगा, खनिज या खनिज के उत्पादों को खदान से बाहर ले जाने तथा उनका विक्रय करने की स्वतंत्रता होगी,

For National Energy Trading And Services Limited

प्रभारी अधिकारी
(खनिज - शाखा)
जिला बैतूल

3. ठेकेदार इस अनुबंध के अनुसरण में, एतद्द्वारा निविदाकार को पट्टान्तरित भूमि का तारीख 09/02/2023 से तारीख 30/06/2023 तक अधिभोग रखेगा तथा कब्जा ग्रहण करेगा।

4. एतद् द्वारा यह सहमति प्रदान की जाती है कि एतद् द्वारा पट्टान्तरित रेत ठेके पर दिये गये क्षेत्र की सीमाऐं खड़ी नीचे की ओर भूमि के केन्द्र तक रहेगी।

5. (1) ठेकेदार वार्षिक ठेका राशि रूपए 53,11,95,424.20 (तिरेपन करोड़ ग्यारह लाख पन्चान्वे हजार चार सौ चौबीस रूपये बीस पैसे मात्र) का

नीचे दी गई तारीख या उसके पूर्व किश्तों में भुगतान करेगा –

अनुक्रमांक	किश्त क्रमांक	किश्त की राशि (रूपए में)	किश्त जमा करने की तारीख
1.	प्रथम किश्त	7,42,21,826.00	प्रथम त्रैमास का प्रथम दिवस
2.	द्वितीय किश्त	13,27,98,856.00	द्वितीय त्रैमास का प्रथम दिवस

परन्तु ठेकेदार, ठेकाराशि तथा रेत खदान से संबंधित अन्य सम्पूर्ण रकम प्रथमतः म. प्र. राज्य खनिज निगम एवं कलेक्टर द्वारा इस प्रयोजन हेतु संचालित खाते में जमा करेगा।

परन्तु, यदि ठेकेदार नियत तारीख को किश्तों को जमा करने में असफल रहता है तो ठेकेदार के पक्ष में आवंटित समूह की खदानों के लिए ई-टी.पी बंद की जायेगी तथा खदान संचालन पर रोक लगा दी जाएगी तथा ठेकेदार को इस आशय का कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा, कि किश्त की राशि जमा करने में असफल रहने पर क्यों न उन का ठेका निरस्त कर दिया जाए:

परन्तु और या कि, किश्त जमा करने की निर्धारित तारीख से 30 दिवस के भीतर ठेकेदार द्वारा उक्त कारण बताओ नोटिस का जवाब देते हुए विलंब अवधि पर 24 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज सहित देय किश्त/किश्तों का भुगतान करने पर, कलेक्टर/निगम द्वारा खदान का संचालन के लिए अनुमति दे सकेगा।

परन्तु यह और कि, 30 दिवस की अवधि के भीतर उपरोक्तानुसार यदि ठेकेदार राशि जमा करने में असफल रहता है तो, कलेक्टर/निगम द्वारा ठेका व्यपगत आदेश कर पुनः निविदा हेतु शासन को अनुरोध किया जाएगा। निविदा की विज्ञप्ति प्रकाशन के पूर्व तक ठेकेदार समस्त देयतायें 24 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ जमा कर सकता है। नवीन निविदा विज्ञप्ति प्रकाशन पर स्वमेव ठेका पूर्ण रूप से निरस्त समझा जाएगा।

परन्तु यह और भी कि, जब तक किश्त की राशि मय ब्याज के प्राप्त होगी तो तब तक ठेकेदार के पक्ष में आवंटित समूह की खदानों के लिए ई-टी.पी. जारी किए जाने पर रोक रहेगी।

For National Energy Trading And Services Limited

Authorized Signatory

प्रभारी अधिकारी
(खनिज – शाखा)
जिला बैतूल

(2) ठेकेदार, ठेका राशि की रकम के एवज में खनन योजना, पर्यावरणीय स्वीकृति एवं जल वायु संम्मति में (इनमें से जो भी कम हो) अनुज्ञात रेत की मात्रा ले जा सकेगा।

परन्तु, यदि ठेकेदार निर्धारित मात्रा से अधिक मात्रा में खनिज निकालेगा या ले जायेगा, तब वह उस अधिक निकाली गई या ले जायी गई मात्रा के लिए ऐसी मात्रा के मूल्य का भुगतान करने के लिए दायित्वधीन होगा :

परन्तु यह कि, यदि किसी वर्ष उत्खनित मात्रा अनुमोदित खनन योजना में उल्लेखित मात्रा से 20 प्रतिशत कम हो तो इस मात्रा के आगामी वर्ष में निकाले जाने की अनुमति दी जायेगी, किन्तु उस वर्ष के ठेकाधन में अवशिष्ट मात्रा के अंतर की राशि जमा की जानी होगी। अनुमोदित खनन योजना का पुनरीक्षण किया जायगा एवं वार्षिक ठेका राशि अनुपातिक रुप में पुनीरिक्षित किया जायगा । खनन योजना के पुनरीक्षण की स्थिति में, यथा आवश्यक पर्यावरणीय अनुमति प्राप्त की जायगी। ठेका अवधि में अनुमोदित खनन योजना में उल्लिखित मात्रा का खनन अनिवार्य होगा, अन्यथा जमा की गई सुरक्षा राशि सम्पहृत की जा सकेगी:

परन्तु यह और कि, यदि ठेकेदार किसी वर्ष उस वर्ष की अनुज्ञात मात्रा से अधिक मात्रा (20 प्रतिशत से अधिक नहीं) की निकासी करना चाहता है, तब उसे प्रस्ताव अनुसार अनुमोदित खनन योजना एवं पर्यावरण अनुमति में यथायोग्य पुनरीक्षण /संशोधन करना होगा एवं यह बढी हुई मात्रा आगामी वर्ष की अनुज्ञात मात्रा के विरुद्ध समायोजित की जाएगी । किसी भी स्थिति में, ठेका अवधि हेतु स्वीकृत मात्रा से अधिक मात्रा में निकासी की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(3) उस स्थिति में जब ठेकेदार उपरोक्त पैरा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए वार्षिक कार्य योजना में तिमाही हेतु उल्लिखित मात्रा से अधिक खनिज निकालता है तो वह ऐसे निकाले गए अधिक मात्रा एवं तिमाही में चुकाई गई किश्त राशि के अंतर की राशि का भुगतान (तीस दिन) के भीतर किया जाना होगा, अन्यथा आगामी खनिज निकासी रोक दी जाएगी तो भुगतान करने का उत्तरदायी होगा:

परन्तु, यदि ठेकेदार नियत तारीख पर रकम का भुगतान करने में असफल रहता है तो वह 24 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज सहित शोध्य राशि/राशियों का भुगतान करने का उत्तरदायी होगा।

6. रेत खदान से संबंधित ठेका राशि एवं अन्य राशियां ठेकेदार द्वारा म०प्र० राज्य खनिज निगम एवं कलेक्टर द्वारा इस प्रयोजन हेतु संचालित खाते में प्रथमत: जमा कराई जाएगी

7. ठेका रकम तथा अन्य शोध्यो के जो कि इस करार के निबंधनो के अधीन देय है, शोध्य तारीखों से दो माह से अधिक अवधि तक भुगतान न किए जाने की दशा में कलेक्टर या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई

For National Energy Trading And Services Limited

Authorised Signatory

प्रभारी अधिकारी
(खनिज - शाखा)
जिला बैतूल

अधिकारी परिसर में प्रवेश करने के लिए सशक्त होगा तथा/या उसके उत्पाद और या खदान में ठेकेदार द्वारा रखी गई चल सम्पत्ति को अभिग्रहित कर सकेगा और ले जा सकेगा।

8 यदि इस अनुबंध के अधीन ठेके की राशि या कोई अन्य शोध्य ठेकेदार द्वारा एक माह से अधिक के लिए असंदत्त रहती है तो कलेक्टर ठेका रद्द किए जाने संबंधी प्रस्ताव राज्य शासन को प्रेषित करेगा एवं राज्य शासन का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

9 ठेकेदार, खदान के समीप ऐसे अस्थायी भवन आदि खड़ा करने का हकदार होगा जैसा कि उत्खनन प्रयोजनो के लिए अपेक्षित हो और इसे ठेका अवधि समाप्ति के पूर्व हटा लेगा । ऐसा नहीं करने की स्थिति में, ठेका, समाप्ति के पश्चात् खदान के समीप भूमि पर निर्मित् ऐसे कोई भवन आदि राज्य सरकार की सम्पत्ति होगी तथा जिसके लिए ठेकेदार को उस पर का प्रतिकर दावा करने का अधिकार नहीं होगा।

10. ठेकेदार, स्वयं व्यय पर, भूमि की सीमाओं को दर्शित करने के लिए सीमा चिन्ह तथा स्तम्भ (पिलर) का निर्माण करेगा एवं उन्हे हमेशा दुरूस्त रखेगा।

11. ठेकेदार, ठेके के अधीन प्राप्त भूमि या उसके किसी भाग को समनुदेशित या उप पट्टे पर नहीं देगा अथवा ठेके के अधीन प्रदत्त अधिकारों /विशेषाधिकारो को अंतरित नहीं करेगा।

12. ठेकेदार, इस अनुबंध के अधीन प्रदत्त भूमि की समुचित स्वच्छता बनाए रखने का उत्तरदायी होगा।

13. ठेकेदार, उस समय समस्त नियमों तथा विनियमों और ऐसी अन्य शर्तों से बाध्य होगा जैसा कि शासन द्वारा समय-समय पर अधिरोपित की जाए।

14. ठेकेदार, खदान में कार्य कर रहे व्यक्तियों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के समुचित उपाय करने के लिए आबद्ध होगा।

15. ठेकेदार, सड़क, पानी से संबंधित अधिकारो और अन्य सुखाधिकारों का ध्यान रखेगा।

16. सरकार को यह अधिकार होगा, कि वह पट्टाकृत क्षेत्र के ऊपर संचार साधनो की स्थापना के लिए ऊपर मार्ग का निर्माण करें या अन्य उपाय करें तथा ठेकेदार को उसके लिए प्रतिकर दावा करने का अधिकार नहीं होगा।

17. ठेकेदार, अनुमोदित खनन योजना के अनुसार खनन संक्रिया करेगा और रेत तथा बजरी का खनन सतह से अधिकतम तीन मीटर तक अथवा जल स्तर तक जो भी कम हो, किया जाएगा । किन्तु ऐसा उत्खनन नदी/ नाले के भीतर प्रतिसिद्ध होगा।

For National Energy Trading And Services Limited

Authorized Signatory

जिला खनिज अधिकारी
(खनिज – शाखा)
जिला बैतूल

18. ठेकेदार, खदान से अभिप्राप्त और विक्रय किए गए या निकास किए गए खनिज की मात्रा तथा विशिष्टिया दर्शाते हुए उनका सही लेखा और खदान में नियोजित व्यक्तियों की संख्या तथा खदान का पूर्ण रेखांक संधारित करेगा और शासन/ कलेक्टर द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी को किसी भी समय ऐसे लेखाओं तथा रेखांको का परीक्षण करने देगा तथा ऐसे सक्षम अधिकारी द्वारा निरीक्षण के दौरान या मांग की जाने पर प्रस्तुत करेगा।

19. ठेकेदार, नीचे दिये गये प्ररूप में मासिक विवरणी प्रत्येक माह की 07 तारीख के पूर्व कलेक्टर को प्रस्तुत करेगा:

माह	निकाले गये खनिज का प्रारंभिक स्टॉक(घनमीटर)	माह में निकाले गए खनिज की मात्रा (घनमीटर)	माह में निकास किए गए खनिज की मात्रा (घनमीटर)	माह में विक्रय किए गए खनिज की मात्रा (घनमीटर)	माह के अंत में खनिज का अंतिम स्टाक (घनमीटर)	माह के दौरान नियोजित श्रमिकों की औसत संख्या
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

20. ठेकेदार, खदान क्षेत्र में घटने वाली किसी दुर्घटना की रिपोर्ट तत्काल संबंधित जिला मजिस्ट्रेट को देगा।

21. ठेकेदार, उसके ठेके में शामिल की गई रेत खदानो के पहुच मार्ग, खनिज की उपलब्धता तथा कोई अन्य कारण से ठेकाधन की राशि में संशोधन किए जाने संबंध में कलेक्टर के विरुद्ध कोई प्रतिकर या नुकसान का दावा नहीं करेगा।

22. यदि ठेकेदार, उक्त ठेके की कालावधि के पूर्ण होने के पूर्व ठेके को पर्यवसित करने का इच्छुक है, तो वह ऐसे आशय की छह माह की लिखित सूचना कलेक्टर को देगा। उपरोक्त अवधि समाप्त होने एवं ठेकेदार के विरुद्ध बकाया न होने की स्थिति में कलेक्टर से प्राप्त प्रस्ताव पर राज्य शासन द्वारा समर्पण स्वीकार किया जाएगा एवं उसकी सुरक्षा राशि वापस की जाएगी। उक्त अवधि के लिए वार्षिक ठेकाधन ठेकेदार द्वारा अनिवार्य रूप से जमा किया जाएगा, इस अवधि में खनन संक्रियाए संचालित की जा सकेगी। यदि एक बार समर्पण के लिए आवेदन प्रस्तुत कर दिया जाता है। तो वह पुनः वापसी योग्य नहीं होगा। समर्पण सूचना प्राप्त होने के पश्चात समूह की पुन निविदा प्रक्रिया कलेक्टर द्वारा प्रारंभ की जाएगी ।

23 ठेकेदार, जिसके लिए उसको ठेका दिया गया है, उससे भिन्न प्रयोजन के लिए इस अनुबंध के अधीन उसको दी गई भूमि का उपयोग नहीं करेगा।

For National Energy Trading And Services Limited

Authorised Signatory

अधिकारी
(खनिज – शाखा)
जिला बैतूल

24 (1) युद्ध की स्थिति या आपातकाल की दशा में सरकार को खदान, वस्तुएं, भूमि, मशीनरी, संयंत्र, भवन तथा सामग्री का कब्जा लेने का अधिकार रहेगा तथा ऐसी स्थिति में ठेकेदार द्वारा किसी प्रतिकर के लिए कोई दावा नहीं करेगा।

(2) राज्य सरकार को लोकहित में ठेके की कालावधि समाप्त होने के पूर्व कब्जा वापस लेने का अधिकार होगा:

परन्तु कब्जा लेने के पूर्व ठेकेदार को एक माह की अग्रिम सूचना दी जायगी।

25. यदि इस ठेके के संबंध में और/या उसके संबंध में और/या कोई विवाद होने की स्थिति में, राज्य शासन का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

26. कब्जे का पुर्नग्रहण- (1) जहां कोई रेत ,खदान रदद की जाती है या अवधारित की जाती है अथवा खदान के कब्जे को लोकहित में पुर्नग्रहण करने का विनिश्चिय किया जाता है या वह कालावधि जिसके लिए रेत खदान मंजूर की गई हो समाप्त हो जाती है, तो ठेकेदार, रेत खदान का कब्जा कलेक्टर को, जिसमें रेत खदान/समूह या उसका बडा भाग अवस्थित हो, रदद किए जाने या पर्यवषित किये जाने या लोकहित में कब्जा वापस लेने के विनिश्चय की संसूचना की तारीख से सात दिन की कालावधि के भीतर या खदान के ठेके की कालावधि समाप्त होने की तारीख के आगामी दिन से, जैसी भी स्थिति हो, वापस सौंप देगा।

(2) जहां ठेकेदार रेत खदान/समूह का कब्जा, उप खंड (1) में विर्निदिष्ट कालावधि के भीतर सौपने में असफल रहता है वहां कलेक्टर या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी सूचना की तामीली या तो डाक द्वारा या उसकी प्रति ठेकेदार को व्यक्तिगत रूप से या उसके परिवार के सदस्यों या नौकरों में से किसी को निविदत्त करते हुए या देते हुए उसके निवास स्थान अथवा कारबार के स्थान के किसी सहज दृश्य स्थान पर एक प्रति चस्पा करके या उसे उस स्थान में जहां ठेकेदार निवास करता है, परिचालित कम से कम एक समाचार पत्र में प्रकाशित करेगा या करवायेगा।

(3) उपखंड (2) के अधीन सूचना में यह कथन अंतर्विष्ट होगा कि ठेकेदार रेत खदान /समूह का कब्जा कलेक्टर या उप- खंड (1) के अधीन उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, को सूचना की तामीली की तारीख से सात दिन के भीतर सौंप देगा।

(4) जहां ठेकेदार उपखंड (2) के अधीन सूचना में विर्निदिष्ट कालावधि के भीतर रेत खदान/समूह का कब्जा सौंपने में असफल रहता है, वहां कलेक्टर या उप-खंड (1) के अधीन उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, ठेकेदार से रेत खदान का कब्जा ले सकेगा और उस प्रयोजन के लिए ऐसे बल का प्रयोग कर सकेगा, जैसे कि आवश्यक समझा जाये।

For National Energy Trading And Services Limited

Authorized Signatory

(जिला शहडोल)

(5) यदि ठेके की कालावधि की समाप्ति पर ठेकेदार अगले दिन खदान का कब्जा सौंपने में असफल रहता है तो ठेकेदार, वापिस लिये जाने पर्यन्त, अनुबंध की समस्त शर्तों का पालन करेगा।

27. यदि ठेकेदार अनुबंध की शर्तों का उल्लघंन करता है, तो कलेक्टर को ठेकेदार द्वारा जमा सुरक्षा राशि या उसके भाग को सम्पहृत करने का अधिकार होगा।

28. ठेकेदार, खदान से खनिज या उसके उत्पाद ले जाने वाले प्रत्येक वाहन को राज्य सरकार द्वारा विहित अधिवहन पास के साथ ही प्रत्येक गंतव्य के लिए जाने देगा।

29. ई- निविदा दस्तावेज, अनुबंध आदि इस ठेके के अभिन्न अंग होगे।

30. अनुबंध के अधीन, एतद्द्वारा यह पट्टाक्रामित किया जाता है, कि यदि ठेकेदार उपरोक्त में अंतर्विष्ट और उल्लिखित समस्त नियंधनो और शर्तो के पूर्ति करता है, तो सुरक्षा राशि की रकम रुपये 13,27,98,856 (तेरह करोड सत्ताईस लाख अट्ठान्ये हजार आठ सौ छप्पन रुपये) (अग्रिम धन) जो कि ठेकेदार द्वारा जमा की गई है कलेक्टर द्वारा उसे वापिस की जाएगी।

अनुसूची – क

(पैरा एक देखिए)

(पैरा 1 देखिए) क्र०	जिला	तहसील	ग्राम	खसरा क्रमांक	रकबा हेक्टेयर में
1	2	3	4	5	6
1	बैतूल	शाहपुर	धामन्या	01	5.000

इस अनुबंध पत्र की देय स्टाम्प एवं पंजीयन शुल्क दस्तावेज क्रमांक- MP039742023A11470171 दिनांक 11/02/2023 द्वारा चुकाया जा चुका है।

For National Energy Trading And Services Limited

Authorized Signatory

प्रभारी अधिकारी
(खनिज - शाखा)
जिला बैतूल

कलेक्टर
जिला बैतूल

साक्षियों का पूरा नाम व्यवसाय एवं हस्ताक्षर

1. [illegible]
2. [illegible]

साक्षियों का पूरा नाम, व्यवसाय एवं हस्ताक्षर

1. [illegible]
2. [illegible]

ठेकेदार/अटार्नी का नाम, पता व हस्ताक्षर

For National Energy Trading And Services Limited

Authorized Signatory

मेसर्स नेशनल एनर्जी ट्रेडिंग एण्ड सर्विसेज लिमिटेड (अधिकृत व्यक्ति -श्री रुकेश बनखेड़े) पता प्लाट न. 7 बिन्दु सदन 401 सांई चंद्र कॉलोनी, ग्रीन स्पेस तुलसी, पुप्पलगुडा, मणिकोंडा, हैदराबाद, रंगारेड्डी, तेलंगाना-500089 वर्तमान पता- हाऊस नम्बर 247, तृतीय तल, सेक्टर-2 शक्ति नगर, हबीबगंज भोपाल (म.प्र.)

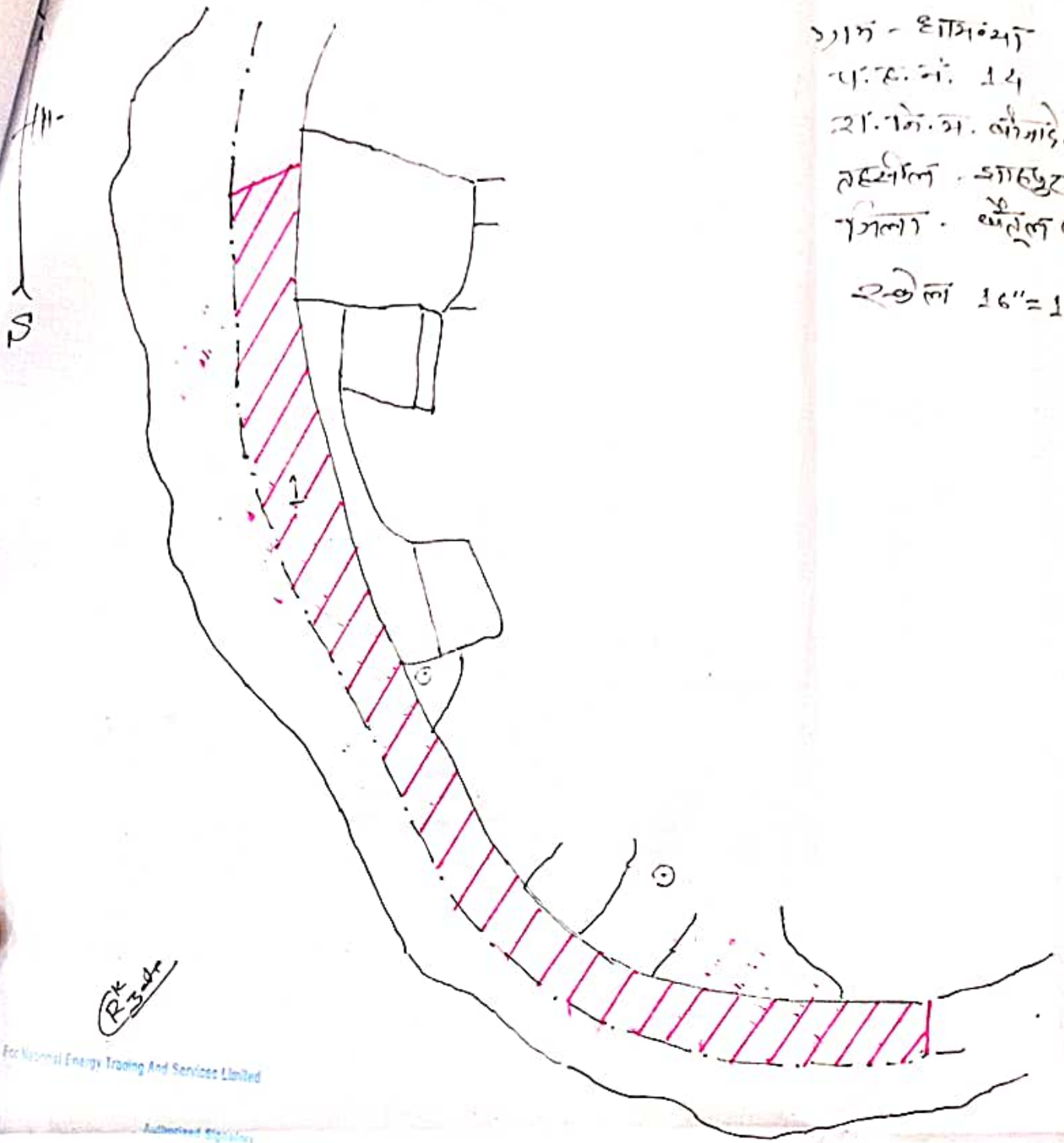

ग्राम - हाशिंगा
प.ह.नं. 14
रा.मे.ग. बोगाडेहा
तहसील - शाहपुर
जिला - बैतूल (म.प्र.)
स्केल 16" = 1 मील

For National Energy Training And Services Limited

360

स्वीकृत रेत खदान

खदान नं.	रकबा
01	5.000 हे०

सहा. भानचि कार
खनिज शाखा
जि. बैतूल

प्रभारी अधिकारी
(खनिज - शाखा)
जिला बैतूल

COLLECTOR
BETUL

Registration and Stamp Department
Madhya Pradesh

Certificate of Stamp Duty

E-Stamp Details

E-Stamp Code	0101030603202301260 3		
Total E-Stamp Amount	2000		
Govt. Stamp Duty (Rs.)	2000	Municipality Duty (Rs.)	0
Janpad Duty (Rs.)	0	Upkar Amount (Rs.)	0
Exempted Amount(Rs.)	0		
E-Stamp Type	NON-JUDICIAL		
Issue Date & Time	06/03/2023 17:25:53		
Service Provider or Issuer Details	RAKESH SHARMA/SP01034/906201800103		
SP/SRO/DRO/HO Details	C/O Shree Sai Baba Group Near Jhulelal Lodge Kothi Bazar Kothi Bazar Betul MP BETUL BETUL		

Deed Details

Deed Type	Agreement/Memorandum of an agreement
Deed Instrument	If relating to secure repayment of a loan or debt.- 0.25 percent of the amount of loan or debt, subject to a maximum of five lakh rupees
Purpose	E STAMP FOR AGREEMENT

First Party Details

Organization Name	कलेक्टर खनिज बैतूल
Address	BETUL BETUL Madhya Pradesh INDIA
Number of Persons	1

Second Party Details

Organization Name	मेसर्स नेशनल एनर्जी ट्रेडिंग एंड सर्विसेज लिमिटेड
Address	पता - हॉउस न. 247 तृतीय तल सेक्टर 2 शक्ति नगर हबीबगंज भोपाल (म.प्र.) BHOPAL Madhya Pradesh INDIA
Number of Persons	1

व्यापारिक रेत खदान ग्राम धाम्ना तह. शाहपुर खसरा नं. 01 रकबा 5.00 है

Digitally signed by RAKESH SHARMA
Date: 2023.03.06 17:26:14 IST

प्रारूप-पांच

(नियम 13 (2) देखिए)

रेत खदान हेतु ठेके का अनुबंध

यह करार एक पक्ष के रूप में जो कलेक्टर जिला बैतूल के माध्यम से कार्य करते हुए मध्यप्रदेश के राज्यपाल (जिन्हे इसमें इसके पश्चात् राज्यपाल कहा गया है), जिस अभिव्यक्ति में उनके पद उत्तरवर्ती सम्मलित है और अन्य पक्ष के रूप में श्री/श्रीमती/कुमारी मेसर्स नेशनल एनर्जी ट्रेडिंग एण्ड सर्विसेज लिमिटेड (अधिकृत व्यक्ति –श्री मेघावरपु प्रशांत पिता रामाराव) पता प्लाट न. 7 बिन्दु सदन 401 सांई चंद्र कॉलोनी, ग्रीन स्पेस तुलसी, पुष्पलगुडा, मणिकोंडा, हैदराबाद, रंगारेड्डी, तेलंगाना-500089 वर्तमान पता- हाऊस नम्बर 247, तृतीय तल, सेक्टर-2 शक्ति नगर, हबीबगंज भोपाल (म.प्र.) (जिसे इसमें इसके पश्चात् "ठेकेदार" कहा गया है) जिस अभिव्यक्ति में, जहां कि संदर्भ ऐसा स्वीकार है, उसके वारिस, निष्पादक, प्रशासक, प्रतिनिधि और अनुज्ञात समनुदेशिती शामिल है, के बीच आज दिनांक 21 माह अप्रैल सन् 2023 को दिनांक 09.02.2023 से दिनांक 30.06.2023 की अवधि हेतु व्यापारिक खदान के लिये किया गया।

1. यतः ठेकेदार, ई-निविदा की शर्तो के अनुसार ई-निविदा की राशि रुपए 53,11,95,424.20 (तिरेपन करोड़ ग्यारह लाख पन्चान्वे हजार चार सौ चौबीस रुपये बीस पैसे मात्र) प्रतिवर्ष का भुगतान करने के लिए सहमत हो गया है, जो रकम एतद् द्वारा ठेका राशि कहलायगी और रुपये 13,27,98,856 (तेरह करोड सत्ताईस लाख अट्ठान्वे हजार आठ सौ छप्पन रुपये) अग्रिम धन (सुरक्षा राशि) सुरक्षा राशि के रूप में और रुपये (लागू नहीं) प्रतिभूति राशि रुपये (लागू नहीं) ठेका अवधि में देय संपूर्ण राशि के समतुल्य है, और जो ठेके के निबंधनो और शर्तो के सम्यक पालन के लिए जमा रखी जायेगी और जो कि ठेके के अनुबंध का किसी प्रकार भंग किए जाने की स्थिति समइत किए जाने योग्य होगी और

यतः कलेक्टर ने उसे उस रेत खदान का ठेका स्वीकृत किया है जिसका मानचित्र संलग्न है जिस खदान लोनिया खसरा क्रमांक 179 रकबा 1.115 हे0, तहसील घोड़ाडोंगरी जिला बैतूल और जिसका विवरण संलग्न अनुसूची "क" में दिया गया है जो अब आगे "खदान" कही जायेगी।

2. अब यह अनुबंध साक्षी है कि ठेका राशि, रॉयल्टी, किराया, तथा अन्य भुगतानों के प्रतिफल में तथा शर्तो, प्रसंविदाओं और करार के प्रतिफल में तथा अध्यधीन रहते हुए, ठेकेदार को खनन के प्रयोजनो के लिए, प्रदत्त क्षेत्र में प्रवेश करने, अधिभोग रखने तथा उपयोग और इस शर्त के अध्याधीन रहते हुए कि कलेक्टर को ठेके की पूरी अवधि के दौरान सभी समय पर खदान के भीतर अवस्थित या ठेकेदार के नियंत्रण के अधीन अन्य कही उत्पादों के प्रचलित उचित बाजार मूल्य पर अग्र क्रयाधिकार होगा, खनिज या खनिज के उत्पादों को खदान से बाहर ले जाने तथा उनका विक्रय करने की स्वतंत्रता होगी,

M.Raghavendra

खनि अधिकारी
बैतूल

3. ठेकेदार इस अनुबंध के अनुसरण में, एतद्द्वारा निविदाकार को पट्टान्तरित भूमि का तारीख 09/02/2023 से तारीख 30/06/2023 तक अधिभोग रखेगा तथा कब्जा ग्रहण करेगा।

4. एतद् द्वारा यह सहमति प्रदान की जाती है कि एतद् द्वारा पट्टान्तरित रेत ठेके पर दिये गये क्षेत्र की सीमाएँ खड़ी नीचे की ओर भूमि के केन्द्र तक रहेगी।

5. (1) ठेकेदार वार्षिक ठेका राशि रूपए 53,11,95,424.20 (तिरेपन करोड़ ग्यारह लाख पन्चान्वे हजार चार सौ चौबीस रूपये बीस पैसे मात्र) का

नीचे दी गई तारीख या उसके पूर्व किश्तों में भुगतान करेगा –

अनुक्रमांक	किश्त क्रमांक	किश्त की राशि (रूपए में)	किश्त जमा करने की तारीख
1.	प्रथम किश्त	7,42,21,826.00	प्रथम त्रैमास का प्रथम दिवस
2.	द्वितीय किश्त	13,27,98,856.00	द्वितीय त्रैमास का प्रथम दिवस

परन्तु ठेकेदार, ठेकाराशि तथा रेत खदान से संबंधित अन्य सम्पूर्ण रकम प्रथमतः म. प्र. राज्य खनिज निगम एवं कलेक्टर द्वारा इस प्रयोजन हेतु संचालित खाते में जमा करेगा।

परन्तु, यदि ठेकेदार नियत तारीख को किश्तों को जमा करने में असफल रहता है तो ठेकेदार के पक्ष में आवंटित समूह की खदानों के लिए ई-टी.पी बंद की जायेगी तथा खदान संचालन पर रोक लगा दी जाएगी तथा ठेकेदार को इस आशय का कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा, कि किश्त की राशि जमा करने में असफल रहने पर क्यों न उन का ठेका निरस्त कर दिया जाए:

परन्तु और या कि, किश्त जमा करने की निर्धारित तारीख से 30 दिवस के भीतर ठेकेदार द्वारा उक्त कारण बताओ नोटिस का जवाब देते हुए विलंब अवधि पर 24 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज सहित देय किश्त/किश्तों का भुगतान करने पर, कलेक्टर/निगम द्वारा खदान का संचालन के लिए अनुमति दे सकेगा।

परन्तु यह और कि, 30 दिवस की अवधि के भीतर उपरोक्तानुसार यदि ठेकेदार राशि जमा करने में असफल रहता है तो, कलेक्टर/निगम द्वारा ठेका व्यपगत आदेश कर पुनः निविदा हेतु शासन को अनुरोध किया जाएगा। निविदा की विज्ञप्ति प्रकाशन के पूर्व तक ठेकेदार समस्त देयतायें 24 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ जमा कर सकता है। नवीन निविदा विज्ञप्ति प्रकाशन पर स्वमेव ठेका पूर्ण रूप से निरस्त समझा जाएगा।

परन्तु यह और भी कि, जब तक किश्त की राशि मय ब्याज के प्राप्त होगी तो तब तक ठेकेदार के पक्ष में आवंटित समूह की खदानों के लिए ई-टी.पी. जारी किए जाने पर रोक रहेगी।

M. Prashanth

खनि अधिकारी
बैतूल

(2) ठेकेदार, ठेका राशि की रकम के एवज में खनन योजना, पर्यावरणीय स्वीकृति एवं जल वायु संम्मति में (इनमें से जो भी कम हो) अनुज्ञात रेत की मात्रा ले जा सकेगा।

परन्तु, यदि ठेकेदार निर्धारित मात्रा से अधिक मात्रा में खनिज निकालेगा या ले जायेगा, तब वह उस अधिक निकाली गई या ले जायी गई मात्रा के लिए ऐसी मात्रा के मूल्य का भुगतान करने के लिए दायित्वधीन होगा :

परन्तु यह कि, यदि किसी वर्ष उत्खनित मात्रा अनुमोदित खनन योजना में उल्लेखित मात्रा से 20 प्रतिशत कम हो तो इस मात्रा के आगामी वर्ष में निकाले जाने की अनुमति दी जायेगी, किन्तु उस वर्ष के ठेकाधन में अवशिष्ट मात्रा के अंतर की राशि जमा की जानी होगी। अनुमोदित खनन योजना का पुनरीक्षण किया जायगा एवं वार्षिक ठेका राशि अनुपातिक रूप में पुनीरिक्षित किया जायगा । खनन योजना के पुनरीक्षण की स्थिति में, यथा आवश्यक पर्यावरणीय अनुमति प्राप्त की जायगी। ठेका अवधि में अनुमोदित खनन योजना में उल्लिखित मात्रा का खनन अनिवार्य होगा, अन्यथा जमा की गई सुरक्षा राशि सम्पहत की जा सकेगी:

परन्तु यह और कि, यदि ठेकेदार किसी वर्ष उस वर्ष की अनुज्ञात मात्रा से अधिक मात्रा (20 प्रतिशत से अधिक नहीं) की निकासी करना चाहता है, तब उसे प्रस्ताव अनुसार अनुमोदित खनन योजना एवं पर्यावरण अनुमति में यथायोग्य पुनरीक्षण /संशोधन करना होगा एवं यह बढी हुई मात्रा आगामी वर्ष की अनुज्ञात मात्रा के विरुद्ध समायोजित की जाएगी । किसी भी स्थिति में, ठेका अवधि हेतु स्वीकृत मात्रा से अधिक मात्रा में निकासी की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(3) उस स्थिति में जब ठेकेदार उपरोक्त पैरा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए वार्षिक कार्य योजना में तिमाही हेतु उल्लिखित मात्रा से अधिक खनिज निकालता है तो वह ऐसे निकाले गए अधिक मात्रा एवं तिमाही में चुकाई गई किश्त राशि के अंतर की राशि का भुगतान (तीस दिन) के भीतर किया जाना होगा, अन्यथा आगामी खनिज निकासी रोक दी जाएगी तो भुगतान करने का उत्तरदायी होगा:

परन्तु, यदि ठेकेदार नियत तारीख पर रकम का भुगतान करने में असफल रहता है तो वह 24 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज सहित शोध्य राशि/राशियों का भुगतान करने का उत्तरदायी होगा।

6. रेत खदान से संबंधित ठेका राशि एवं अन्य राशियां ठेकेदार द्वारा म०प्र० राज्य खनिज निगम एवं कलेक्टर द्वारा इस प्रयोजन हेतु संचालित खाते में प्रथमत: जमा कराई जाएगी

7. ठेका रकम तथा अन्य शोध्यों के जो कि इस करार के निबंधनों के अधीन देय है, शोध्य तारीखों से दो माह से अधिक अवधि तक भुगतान न किए जाने की दशा में कलेक्टर या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई

M. Prabakaran

सहायक आयुक्त
चेन्नई

अधिकारी परिसर में प्रवेश करने के लिए सशक्त होगा तथा/या उसके उत्पाद और या खदान में ठेकेदार द्वारा रखी गई चल सम्पत्ति को अभिग्रहित कर सकेगा और ले जा सकेगा।

8 यदि इस अनुबंध के अधीन ठेके की राशि या कोई अन्य शोध्य ठेकेदार द्वारा एक माह से अधिक के लिए असंदत्त रहती है तो कलेक्टर ठेका रद्द किए जाने संबंधी प्रस्ताय राज्य शासन को प्रेषित करेगा एवं राज्य शासन का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

9 ठेकेदार, खदान के समीप ऐसे अस्थायी भवन आदि खडा करने का हकदार होगा जैसा कि उत्खनन प्रयोजनो के लिए अपेक्षित हो और इसे ठेका अवधि समाप्ति के पूर्व हटा लेगा । ऐसा नहीं करने की स्थिति में, ठेका, समाप्ति के पश्चात् खदान के समीप भूमि पर निर्मित् ऐसे कोई भवन आदि राज्य सरकार की सम्पति होगी तथा जिसके लिए ठेकेदार को उस पर का प्रतिकर दावा करने का अधिकार नहीं होगा।

10. ठेकेदार, स्वयं व्यय पर, भूमि की सीमाओं को दर्शित करने के लिए सीमा चिन्ह तथा स्तम्भ (पिलर) का निर्माण करेगा एवं उन्हे हमेशा दुरूस्त रखेगा।

11. ठेकेदार, ठेके के अधीन प्राप्त भूमि या उसके किसी भाग को समनुदेशित या उप पट्टे पर नहीं देगा अथवा ठेके के अधीन प्रदत्त अधिकारों /विशेषाधिकारो को अंतरित नहीं करेगा।

12. ठेकेदार, इस अनुबंध के अधीन प्रदत्त भूमि की समुचित स्वच्छता बनाए रखने का उत्तरदायी होगा।

13. ठेकेदार, उस समय समस्त नियमों तथा विनियमों और ऐसी अन्य शर्तो से बाध्य होगा जैसा कि शासन द्वारा समय-समय पर अधिरोपित की जाए।

14. ठेकेदार, खदान में कार्य कर रहे व्यक्तियों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के समुचित उपाय करने के लिए आबद्ध होगा।

15. ठेकेदार, सडक, पानी से संबंधित अधिकारो और अन्य सुखाधिकारों का ध्यान रखेगा।

16. सरकार को यह अधिकार होगा, कि वह पट्टाकृत क्षेत्र के ऊपर संचार साधनो की स्थापना के लिए ऊपर मार्ग का निर्माण करें या अन्य उपाय करें तथा ठेकेदार को उसके लिए प्रतिकर दावा करने का अधिकार नहीं होगा।

17. ठेकेदार, अनुमोदित खनन योजना के अनुसार खनन संक्रिया करेगा और रेत तथा बजरी का खनन सतह से अधिकतम तीन मीटर तक अथवा जल स्तर तक जो भी कम हो, किया जाएगा । किन्तु ऐसा उत्खनन नदी/ नाले के भीतर प्रतिसिद्ध होगा।

खनि अधिकारी
बैतूल

M. Prasanth

18. ठेकेदार, खदान से अभिप्राप्त और विक्रय किए गए या निकास किए गए खनिज की मात्रा तथा विशिष्टिया दर्शाते हुए उनका सही लेखा और खदान में नियोजित व्यक्तियों की संख्या तथा खदान का पूर्ण रेखांक संधारित करेगा और शासन/ कलेक्टर द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी को किसी भी समय ऐसे लेखाओं तथा रेखांको का परीक्षण करने देगा तथा ऐसे सक्षम अधिकारी द्वारा निरीक्षण के दौरान या मांग की जाने पर प्रस्तुत करेगा।

19. ठेकेदार, नीचे दिये गये प्ररूप में मासिक विवरणी प्रत्येक माह की 07 तारीख के पूर्व कलेक्टर को प्रस्तुत करेगा:

माह	निकाले गये खनिज का प्रारंभिक स्टॉक(घनमीटर)	माह में निकाले गए खनिज की मात्रा (घनमीटर)	माह में निकास किए गए खनिज की मात्रा (घनमीटर)	माह में विक्रय किए गए खनिज की मात्रा (घनमीटर)	माह के अंत में खनिज का अंतिम स्टाक (घनमीटर)	माह के दौरान नियोजित श्रमिकों की औसत संख्या
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

20. ठेकेदार, खदान क्षेत्र में घटने वाली किसी दुर्घटना की रिपोर्ट तत्काल संबंधित जिला मजिस्ट्रेट को देगा।

21. ठेकेदार, उसके ठेके में शामिल की गई रेत खदानो के पहुच मार्ग, खनिज की उपलब्धता तथा कोई अन्य कारण से ठेकाधन की राशि में संशोधन किए जाने संबंध में कलेक्टर के विरुद्ध कोई प्रतिकर या नुकसान का दावा नहीं करेगा।

22. यदि ठेकेदार, उक्त ठेके की कालावधि के पूर्ण होने के पूर्व ठेके को पर्यवसित करने का इच्छुक है, तो वह ऐसे आशय की छह माह की लिखित सूचना कलेक्टर को देगा। उपरोक्त अवधि समाप्त होने एवं ठेकेदार के विरुद्ध बकाया न होने की स्थिति में कलेक्टर से प्राप्त प्रस्ताव पर राज्य शासन द्वारा समर्पण स्वीकार किया जाएगा एवं उसकी सुरक्षा राशि वापस की जाएगी। उक्त अवधि के लिए वार्षिक ठेकाधन ठेकेदार द्वारा अनिवार्य रूप से जमा किया जाएगा, इस अवधि में खनन संक्रियाए संचालित की जा सकेगी। यदि एक बार समर्पण के लिए आवेदन प्रस्तुत कर दिया जाता है। तो यह पुनः वापसी योग्य नहीं होगा। समर्पण सूचना प्राप्त होने के पश्चात समूह की पुन निविदा प्रक्रिया कलेक्टर द्वारा प्रारंभ की जाएगी ।

23 ठेकेदार, जिसके लिए उसको ठेका दिया गया है, उससे भिन्न प्रयोजन के लिए इस अनुबंध के अधीन उसको दी गई भूमि का उपयोग नहीं करेगा।

खनि अधिकारी
बैतूल

M. Prasanna

24 (1) युद्ध की स्थिति या आपातकाल की दशा में सरकार को खदान, वस्तुएं, भूमि, मशीनरी, संयंत्र, भवन तथा सामग्री का कब्जा लेने का अधिकार रहेगा तथा ऐसी स्थिति में ठेकेदार द्वारा किसी प्रतिकर के लिए कोई दावा नहीं करेगा।

(2) राज्य सरकार को लोकहित में ठेके की कालावधि समाप्त होने के पूर्व कब्जा वापस लेने का अधिकार होगा:

परन्तु कब्जा लेने के पूर्व ठेकेदार को एक माह की अग्रिम सूचना दी जायगी।

25. यदि इस ठेके के संबंध में और/या उसके संबंध में और/या कोई विवाद होने की स्थिति में, राज्य शासन का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

26. कब्जे का पुर्नग्रहण- (1) जहां कोई रेत ,खदान रदद की जाती है या अवधारित की जाती है अथवा खदान के कब्जे को लोकहित में पुर्नग्रहण करने का विनिश्चिय किया जाता है या वह कालावधि जिसके लिए रेत खदान मंजूर की गई हो समाप्त हो जाती है, तो ठेकेदार, रेत खदान का कब्जा कलेक्टर को, जिसमें रेत खदान/समूह या उसका बडा भाग अवस्थित हो, रदद किए जाने या पर्यवसित किये जाने या लोकहित में कब्जा वापस लेने के विनिश्चय की संसूचना की तारीख से सात दिन की कालावधि के भीतर या खदान के ठेके की कालावधि समाप्त होने की तारीख के आगामी दिन से, जैसी भी स्थिति हो, वापस सौंप देगा।

(2) जहां ठेकेदार रेत खदान/समूह का कब्जा, उप खंड (1) में विर्निदिष्ट कालावधि के भीतर सौंपने में असफल रहता है वहां कलेक्टर या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी सूचना की तामीली या तो डाक द्वारा या उसकी प्रति ठेकेदार को व्यक्तिगत रूप से या उसके परिवार के सदस्यों या नौकरों में से किसी को निविदत्त करते हुए या देते हुए उसके निवास स्थान अथवा कारबार के स्थान के किसी सहज दृश्य स्थान पर एक प्रति चस्पा करके या उसे उस स्थान में जहां ठेकेदार निवास करता है, परिचालित कम से कम एक समाचार पत्र में प्रकाशित करेगा या करवायेगा।

(3) उपखंड (2) के अधीन सूचना में यह कथन अंतर्विष्ट होगा कि ठेकेदार रेत खदान /समूह का कब्जा कलेक्टर या उप- खंड (1) के अधीन उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, को सूचना की तामीली की तारीख से सात दिन के भीतर सौंप देगा।

(4) जहां ठेकेदार उपखंड (2) के अधीन सूचना में विर्निदिष्ट कालावधि के भीतर रेत खदान/समूह का कब्जा सौंपने में असफल रहता है, वहां कलेक्टर या उप-खंड (1) के अधीन उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, ठेकेदार से रेत खदान का कब्जा ले सकेगा और उस प्रयोजन के लिए ऐसे बल का प्रयोग कर सकेगा, जैसे कि आवश्यक समझा जाये।

खनि अधिकारी
बैतूल

M. Prashanth

(5) यदि ठेके की कालावधि की समाप्ति पर ठेकेदार अगले दिन खदान का कब्जा सौंपने में असफल रहता है तो ठेकेदार, वापिस लिये जाने पर्यन्त, अनुबंध की समस्त शर्तों का पालन करेगा।

27. यदि ठेकेदार अनुबंध की शर्तों का उल्लघंन करता है, तो कलेक्टर को ठेकेदार द्वारा जमा सुरक्षा राशि या उसके भाग को सम्पहृत करने का अधिकार होगा।

28. ठेकेदार, खदान से खनिज या उसके उत्पाद ले जाने वाले प्रत्येक वाहन को राज्य सरकार द्वारा विहित अविवहन पास के साथ ही प्रत्येक गंतव्य के लिए जाने देगा।

29. ई- निविदा दस्तावेज, अनुबंध आदि इस ठेके के अभिन्न अंग होगे।

30. अनुबंध के अधीन, एतद्द्वारा यह पट्टाक्रामित किया जाता है, कि यदि ठेकेदार उपरोक्त में अंतर्विष्ट और उल्लिखित समस्त निबंधनो और शर्तों के पूर्ति करता है, तो सुरक्षा राशि की रकम रुपये 13,27,98,856 (तेरह करोड सत्ताईस लाख अट्ठान्वे हजार आठ सौ छप्पन रुपये) (अग्रिम धन) जो कि ठेकेदार द्वारा जमा की गई है कलेक्टर द्वारा उसे वापिस की जाएगी।

अनुसूची – क

(पैरा एक देखिए)

(पैरा 1 देखिए) क्र0	जिला	तहसील	ग्राम	खसरा क्रमांक	रकबा हेक्टेयर में
1	2	3	4	5	6
1	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	लोनिया	179	1.115

इस अनुबंध पत्र की देय स्टाम्प एवं पंजीयन शुल्क दस्तावेज क्रमांक- MP039742023A11470171 दिनांक 11/02/2023 द्वारा चुकाया जा चुका है।

खनि अधिकारी
बैतूल

M. Prasanth

साक्षियों का पूरा नाम व्यवसाय एवं हस्ताक्षर

हस्ताक्षर :-

खनि अधिकारी
बैतूल

अपर कलेक्टर/एडिशनल कलेक्टर
जिला बैतूल

साक्षियों का पूरा नाम, व्यवसाय एवं हस्ताक्षर

ठेकेदार/अटार्नी का नाम, पता व हस्ताक्षर

M. Prashanth

मेसर्स नेशनल एनर्जी ट्रेडिंग एण्ड सर्विसेज लिमिटेड
(अधिकृत व्यक्ति - श्री मेघावरपु प्रशांत पिता रामाराव)
पता प्लाट न. 7 बिन्दु सदन 401 सांई चंद्र कॉलोनी, ग्रीन स्पेस तुलसी, पुष्पलगुडा, मणिकोंडा, हैदराबाद, रंगारेड्डी, तेलंगाना-500089 वर्तमान पता- हाऊस नम्बर 247, तृतीय तल, सैक्टर-2 शक्ति नगर, इब्राहिमगंज भोपाल (म.प्र.)

ग्राम - लोनिगा
प.ह.नं. 41
ता. नि.क. धोड़ाडोंगरी
तहसील - धोड़ाडोंगरी
जिला - बैतूल (म.प्र.)
1 इंच = 16" = 1 मील

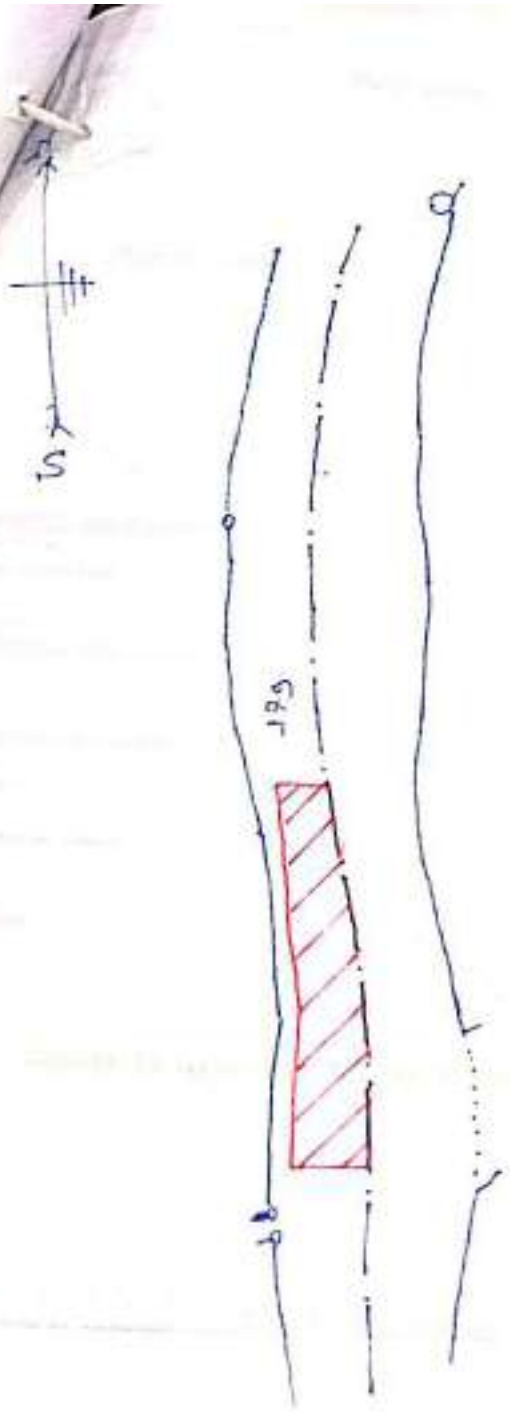

M. Prasad

नक्शे में रेत खदान ग्रा.नं. 179 क्षेत्रफल 1.115 हे.

Signature
सहा. भानिवि सार
खनिज शाखा
जि. बैतूल

खनि अधिकारी
बैतूल

भारत कलेक्टर
बैतूल

Registration and Stamp Department
Madhya Pradesh
Certificate of Stamp Duty

E-Stamp Details

E-Stamp Code	0101032104202300908l
Total E-Stamp Amount	2000
Govt. Stamp Duty (Rs.)	2000
Janpad Duty (Rs.)	0
Exempted Amount(Rs.)	0
Municipality Duty (Rs.)	0
Upkar Amount (Rs.)	0
E-Stamp Type	NON-JUDICIAL
Issue Date & Time	21/04/2023 14:53:31
Service Provider or Issuer Details	sanjeev Dubey/SP0103419042(0)800099
SP/SRO/DRO/HO Details	dadawadi ke pas Chakeer Road Moti Ward Betul Th. Betul Dist. Betul (MP) BETUL
	BETUL

Deed Details

Deed Type	Agreement/Memorandum of an agreement
Deed Instrument	If relating to secure repayment of a loan or debt.- 0.25 percent of the amount of loan or debt, subject to a maximum of five lakh rupees
Purpose	Agreement

First Party Details

Organization Name	कलेक्टर खनिज बैतूल
Address	कलेक्टर खनिज बैतूल जिला बैतूल BETUL Madhya Pradesh INDIA
Number of Persons	1

Second Party Details

Organization Name	मेसर्स नेशनल एनरजी ट्रेडिंग एंड सर्विसेज लिमिटेड,
Address	मेसर्स नेशनल एनरजी ट्रेडिंग एंड सर्विसेज लिमिटेड हाउस न. 247 तृतीय तल सेक्टर 2 शक्ति नगर हबीब गंज भोपाल म.प्र. BHOPAL Madhya Pradesh INDIA
Number of Persons	1

Agreement

व्यापारिक रेत खदान ग्राम लोनिया तह. घोडाडोंगरी खसरा न. 179 रकबा 1.115 है. जिला बैतूल म.प्र.

Digitally signed by SANJEEV DUBY
Date: 2023.04.21 14:53:38 IST

प्रारूप-पांच

(नियम 13 (2) देखिए)

रेत खदान हेतु ठेके का अनुबंध

यह करार एक पक्ष के रूप में जो कलेक्टर जिला बैतूल के माध्यम से कार्य करते हुए मध्यप्रदेश के राज्यपाल (जिन्हे इसमें इसके पश्चात् राज्यपाल कहा गया है), जिस अभिव्यक्ति में उनके पद उत्तरवर्ती सम्मलित है और अन्य पक्ष के रूप में श्री/श्रीमती/कुमारी मेसर्स नेशनल एनर्जी ट्रेडिंग एण्ड सर्विसेज लिमिटेड (अधिकृत व्यक्ति –श्री भेघावरपु प्रशांत पिता रामाराव) पता प्लाट न. 7 बिन्दु सदन 401 सांई चंद्र कॉलोनी, ग्रीन स्पेस तुलसी, पुप्पलगुडा, मणिकोंडा, हैदराबाद, रंगारेड्डी, तेलंगाना-500089 वर्तमान पता-हाऊस नम्बर 247, तृतीय तल, सेक्टर-2 शक्ति नगर, हबीबगंज भोपाल (म.प्र.) (जिसे इसमें इसके पश्चात् "ठेकेदार" कहा गया है) जिस अभिव्यक्ति में, जहां कि संदर्भ ऐसा स्वीकार है, उसके वारिस, निष्पादक, प्रशासक, प्रतिनिधि और अनुज्ञात समनुदेशिती शामिल है, के बीच आज दिनांक 21 माह अप्रैल सन् 2023 को दिनांक 09.02.2023 से दिनांक 30.06.2023 की अवधि हेतु व्यापारिक खदान के लिये किया गया।

1. यतः ठेकेदार, ई-निविदा की शर्तो के अनुसार ई-निविदा की राशि रूपए 53,11,95,424.20 (तिरेपन करोड ग्यारह लाख पन्चान्वे हजार चार सौ चौबीस रूपये बीस पैसे मात्र) प्रतिवर्ष का भुगतान करने के लिए सहमत हो गया है, जो रकम एतद् द्वारा ठेका राशि कहलायगी और रूपये 13,27,98,856 (तेरह करोड सत्ताईस लाख अट्ठान्वे हजार आठ सौ छप्पन रूपये) अग्रिम धन (सुरक्षा राशि) सुरक्षा राशि के रूप में और रूपये (लागू नहीं) प्रतिभूति राशि रूपये (लागू नहीं) ठेका अवधि में देय संपूर्ण राशि के समतुल्य है, और जो ठेके के निबंधनो और शर्तो के सम्यक पालन के लिए जमा रखी जायेगी और जो कि ठेके के अनुबंध का किसी प्रकार भंग किए जाने की स्थिति समहृत किए जाने योग्य होगी और

यतः कलेक्टर ने उसे उस रेत खदान का ठेका स्वीकृत किया है जिसका मानचित्र संलग्न है जिस खदान गुवाड़ी खसरा क्रमांक 19 रकबा 2.500 हे0, तहसील शाहपुर जिला बैतूल और जिसका विवरण संलग्न अनुसूची "क" में दिया गया है जो अब आगे "खदान" कही जायेगी।

2. अब यह अनुबंध साक्षी है कि ठेका राशि, रॉयल्टी, किराया, तथा अन्य भुगतानों के प्रतिफल में तथा शर्तो, प्रसंविदाओं और करार के प्रतिफल में तथा अध्याधीन रहते हुए, ठेकेदार को खनन के प्रयोजनो के लिए, प्रदत्त क्षेत्र में प्रवेश करने, अधिभोग रखने तथा उपयोग और इस शर्त के अध्याधीन रहते हुए कि कलेक्टर को ठेके की पूरी अवधि के दौरान सभी समय पर खदान के भीतर अवस्थित या ठेकेदार के नियंत्रण के अधीन अन्य कही उत्पादों के प्रचलित उचित बाजार मूल्य पर अग्र क्रयाधिकार होगा, खनिज या खनिज के उत्पादों को खदान से बाहर ले जाने तथा उनका विक्रय करने की स्वतंत्रता होगी,

M. Prasanth

खनि अधिकारी
बैतूल

3. ठेकेदार इस अनुबंध के अनुसरण में, एतद्द्वारा निविदाकार को पट्टान्तरित भूमि का तारीख 09/02/2023 से तारीख 30/06/2023 तक अधिभोग रखेगा तथा कब्जा ग्रहण करेगा।

4. एतद् द्वारा यह सहमति प्रदान की जाती है कि एतद् द्वारा पट्टान्तरित रेत ठेके पर दिये गये क्षेत्र की सीमाऐं खड़ी नीचे की ओर भूमि के केन्द्र तक रहेगी।

5. (1) ठेकेदार वार्षिक ठेका राशि रूपए 53,11,95,424.20 (तिरेपन करोड़ ग्यारह लाख पन्चान्वे हजार चार सौ चौबीस रूपये बीस पैसे मात्र) का

नीचे दी गई तारीख या उसके पूर्व किश्तों में भुगतान करेगा –

अनुक्रमांक	किश्त क्रमांक	किश्त की राशि (रूपए में)	किश्त जमा करने की तारीख
1.	प्रथम किश्त	7,42,21,826.00	प्रथम त्रैमास का प्रथम दिवस
2.	द्वितीय किश्त	13,27,98,856.00	द्वितीय त्रैमास का प्रथम दिवस

परन्तु ठेकेदार, ठेकाराशि तथा रेत खदान से संबंधित अन्य सम्पूर्ण रकम प्रथमतः म. प्र. राज्य खनिज निगम एवं कलेक्टर द्वारा इस प्रयोजन हेतु संचालित खाते में जमा करेगा।

परन्तु, यदि ठेकेदार नियत तारीख को किश्तों को जमा करने में असफल रहता है तो ठेकेदार के पक्ष में आवंटित समूह की खदानों के लिए ई-टी.पी बंद की जायेगी तथा खदान संचालन पर रोक लगा दी जाएगी तथा ठेकेदार को इस आशय का कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा, कि किश्त की राशि जमा करने में असफल रहने पर क्यों न उन का ठेका निरस्त कर दिया जाए:

परन्तु और या कि, किश्त जमा करने की निर्धारित तारीख से 30 दिवस के भीतर ठेकेदार द्वारा उक्त कारण बताओ नोटिस का जवाब देते हुए विलंब अवधि पर 24 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज सहित देय किश्त/किश्तों का भुगतान करने पर, कलेक्टर/निगम द्वारा खदान का संचालन के लिए अनुमति दे सकेगा।

परन्तु यह और कि, 30 दिवस की अवधि के भीतर उपरोक्तानुसार यदि ठेकेदार राशि जमा करने में असफल रहता है तो, कलेक्टर/निगम द्वारा ठेका व्यपगत आदेश कर पुनः निविदा हेतु शासन को अनुरोध किया जाएगा। निविदा की विज्ञप्ति प्रकाशन के पूर्व तक ठेकेदार समस्त देयतायें 24 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ जमा कर सकता है। नवीन निविदा विज्ञप्ति प्रकाशन पर स्वमेव ठेका पूर्ण रूप से निरस्त समझा जाएगा।

परन्तु यह और भी कि, जब तक किश्त की राशि मय ब्याज के प्राप्त होगी तो तब तक ठेकेदार के पक्ष में आवंटित समूह की खदानों के लिए ई-टी.पी. जारी किए जाने पर रोक रहेगी।

M. Prakash

खनि अधिकारी
बैतूल

(2) ठेकेदार, ठेका राशि की रकम के एवज में खनन योजना, पर्यावरणीय स्वीकृति एवं जल वायु संम्मति में (इनमें से जो भी कम हो) अनुज्ञात रेत की मात्रा ले जा सकेगा।

परन्तु, यदि ठेकेदार निर्धारित मात्रा से अधिक मात्रा में खनिज निकालेगा या ले जायेगा, तब यह उस अधिक निकाली गई या ले जायी गई मात्रा के लिए ऐसी मात्रा के मूल्य का भुगतान करने के लिए दायित्वधीन होगा :

परन्तु यह कि, यदि किसी वर्ष उत्खनित मात्रा अनुमोदित खनन योजना में उल्लेखित मात्रा से 20 प्रतिशत कम हो तो इस मात्रा के आगामी वर्ष में निकाले जाने की अनुमति दी जायेगी, किन्तु उस वर्ष के ठेकाधन में अवशिष्ट मात्रा के अंतर की राशि जमा की जानी होगीं। अनुमोदित खनन योजना का पुनरीक्षण किया जायगा एवं वार्षिक ठेका राशि अनुपातिक रूप में पुनीरिक्षित किया जायगा । खनन योजना के पुनरीक्षण की स्थिति में, यथा आवश्यक पर्यावरणीय अनुमति प्राप्त की जायगी। ठेका अवधि में अनुमोदित खनन योजना में उल्लिखित मात्रा का खनन अनिवार्य होगा, अन्यथा जमा की गई सुरक्षा राशि सम्पहृत की जा सकेगी:

परन्तु यह और कि, यदि ठेकेदार किसी वर्ष उस वर्ष की अनुज्ञात मात्रा से अधिक मात्रा (20 प्रतिशत से अधिक नहीं) की निकासी करना चाहता है, तब उसे प्रस्ताव अनुसार अनुमोदित खनन योजना एवं पर्यावरण अनुमति में यथायोग्य पुनरीक्षण /संशोधन करना होगा एवं यह बढी हुई मात्रा आगामी वर्ष की अनुज्ञात मात्रा के विरुद्ध समायोजित की जाएगी । किसी भी स्थिति में, ठेका अवधि हेतु स्वीकृत मात्रा से अधिक मात्रा में निकासी की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(3) उस स्थिति में जब ठेकेदार उपरोक्त पैरा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए वार्षिक कार्य योजना में तिमाही हेतु उल्लिखित मात्रा से अधिक खनिज निकालता है तो वह ऐसे निकाले गए अधिक मात्रा एवं तिमाही में चुकाई गई किश्त राशि के अंतर की राशि का भुगतान (तीस दिन) के भीतर किया जाना होगा, अन्यथा आगामी खनिज निकासी रोक दी जाएगी तो भुगतान करने का उत्तरदायी होगा:

परन्तु, यदि ठेकेदार नियत तारीख पर रकम का भुगतान करने में असफल रहता है तो वह 24 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज सहित शोध्य राशि/राशियों का भुगतान करने का उत्तरदायी होगा।

6. रेत खदान से संबंधित ठेका राशि एवं अन्य राशियां ठेकेदार द्वारा म०प्र० राज्य खनिज निगम एवं कलेक्टर द्वारा इस प्रयोजन हेतु संचालित खाते में प्रथमतः जमा कराई जाएगी

7. ठेका रकम तथा अन्य शोध्यो के जो कि इस करार के निबंधनो के अधीन देय है, शोध्य तारीखों से दो माह से अधिक अवधि तक भुगतान न किए जाने की दशा में कलेक्टर या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई

M. Pradesh

खनि अधिकारी
बैतूल

अधिकारी परिसर में प्रवेश करने के लिए सशक्त होगा तथा/या उसके उत्पाद और या खदान में ठेकेदार द्वारा रखी गई चल सम्पति को अभिग्रहित कर सकेगा और ले जा सकेगा।

8 यदि इस अनुबंध के अधीन ठेके की राशि या कोई अन्य शोध्य ठेकेदार द्वारा एक माह से अधिक के लिए असंदत्त रहती है तो कलेक्टर ठेका रद्द किए जाने संबंधी प्रस्ताव राज्य शासन को प्रेषित करेगा एवं राज्य शासन का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

9 ठेकेदार, खदान के समीप ऐसे अस्थायी भवन आदि खडा करने का हकदार होगा जैसा कि उत्खनन प्रयोजनो के लिए अपेक्षित हो और इसे ठेका अवधि समाप्ति के पूर्व हटा लेगा । ऐसा नहीं करने की स्थिति में, ठेका, समाप्ति के पश्चात् खदान के समीप भूमि पर निर्मित् ऐसे कोई भवन आदि राज्य सरकार की सम्पति होगी तथा जिसके लिए ठेकेदार को उस पर का प्रतिकर दावा करने का अधिकार नहीं होगा।

10. ठेकेदार, स्वयं व्यय पर, भूमि की सीमाओं को दर्शित करने के लिए सीमा चिन्ह तथा स्तम्भ (पिलर) का निर्माण करेगा एवं उन्हे हमेशा दुरुस्त रखेगा।

11. ठेकेदार, ठेके के अधीन प्राप्त भूमि या उसके किसी भाग को समनुदेशित या उप पट्टे पर नहीं देगा अथवा ठेके के अधीन प्रदत्त अधिकारों /विशेषाधिकारो को अंतरित नहीं करेगा।

12. ठेकेदार, इस अनुबंध के अधीन प्रदत्त भूमि की समुचित स्वच्छता बनाए रखने का उत्तरदायी होगा।

13. ठेकेदार, उस समय समस्त नियमों तथा विनियमों और ऐसी अन्य शर्तो से बाध्य होगा जैसा कि शासन द्वारा समय-समय पर अधिरोपित की जाए।

14. ठेकेदार, खदान में कार्य कर रहे व्यक्तियों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के समुचित उपाय करने के लिए आबद्ध होगा।

15. ठेकेदार, सडक, पानी से संबंधित अधिकारो और अन्य सुखाधिकारों का ध्यान रखेगा।

16. सरकार को यह अधिकार होगा, कि वह पट्टाकृत क्षेत्र के ऊपर संचार साधनो की स्थापना के लिए ऊपर मार्ग का निर्माण करें या अन्य उपाय करें तथा ठेकेदार को उसके लिए प्रतिकर दावा करने का अधिकार नहीं होगा।

17. ठेकेदार, अनुमोदित खनन योजना के अनुसार खनन संक्रिया करेगा और रेत तथा बजरी का खनन सतह से अधिकतम तीन मीटर तक अथवा जल स्तर तक जो भी कम हो, किया जाएगा । किन्तु ऐसा उत्खनन नदी/ नाले के भीतर प्रतिसिद्ध होगा।

खनि अधिकारी
बैतूल

M. Prasanth

18. ठेकेदार, खदान से अभिप्राप्त और विक्रय किए गए या निकास किए गए खनिज की मात्रा तथा विशिष्टिया दर्शाते हुए उनका सही लेखा और खदान में नियोजित व्यक्तियों की संख्या तथा खदान का पूर्ण रेखांक संधारित करेगा और शासन/ कलेक्टर द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी को किसी भी समय ऐसे लेखाओं तथा रेखांको का परीक्षण करने देगा तथा ऐसे सक्षम अधिकारी द्वारा निरीक्षण के दौरान या मांग की जाने पर प्रस्तुत करेगा।

19. ठेकेदार, नीचे दिये गये प्ररूप में मासिक विवरणी प्रत्येक माह की 07 तारीख के पूर्व कलेक्टर को प्रस्तुत करेगा:

माह	निकाले गये खनिज का प्रारंभिक स्टॉक(घनमीटर)	माह में निकाले गए खनिज की मात्रा (घनमीटर)	माह में निकास किए गए खनिज की मात्रा (घनमीटर)	माह में विक्रय किए गए खनिज की मात्रा (घनमीटर)	माह के अंत में खनिज का अंतिम स्टाक (घनमीटर)	माह के दौरान नियोजित श्रमिकों की औसत संख्या
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

20. ठेकेदार, खदान क्षेत्र में घटने वाली किसी दुर्घटना की रिपोर्ट तत्काल संबंधित जिला मजिस्ट्रेट को देगा।

21. ठेकेदार, उसके ठेके में शामिल की गई रेत खदानो के पहुच मार्ग, खनिज की उपलब्धता तथा कोई अन्य कारण से ठेकाधन की राशि में संशोधन किए जाने संबंध में कलेक्टर के विरुद्ध कोई प्रतिकर या नुकसान का दावा नहीं करेगा।

22. यदि ठेकेदार, उक्त ठेके की कालावधि के पूर्ण होने के पूर्व ठेके को पर्यवसित करने का इच्छुक है, तो वह ऐसे आशय की छह माह की लिखित सूचना कलेक्टर को देगा। उपरोक्त अवधि समाप्त होने एवं ठेकेदार के विरुद्ध बकाया न होने की स्थिति में कलेक्टर से प्राप्त प्रस्ताव पर राज्य शासन द्वारा समर्पण स्वीकार किया जाएगा एवं उसकी सुरक्षा राशि वापस की जाएगी। उक्त अवधि के लिए वार्षिक ठेकाधन ठेकेदार द्वारा अनिवार्य रूप से जमा किया जाएगा, इस अवधि में खनन संक्रियाए संचालित की जा सकेगी। यदि एक बार समर्पण के लिए आवेदन प्रस्तुत कर दिया जाता है। तो वह पुनः वापसी योग्य नहीं होगा। समर्पण सूचना प्राप्त होने के पश्चात समूह की पुन निविदा प्रक्रिया कलेक्टर द्वारा प्रारंभ की जाएगी ।

23 ठेकेदार, जिसके लिए उसको ठेका दिया गया है, उससे भिन्न प्रयोजन के लिए इस अनुबंध के अधीन उसको दी गई भूमि का उपयोग नहीं करेगा।

M. Prasad

खनि अधिकारी
बैतूल

24 (1) युद्ध की स्थिति या आपातकाल की दशा में सरकार को खदान, वस्तुएं, भूमि, मशीनरी, संयंत्र, भवन तथा सामग्री का कब्जा लेने का अधिकार रहेगा तथा ऐसी स्थिति में ठेकेदार द्वारा किसी प्रतिकर के लिए कोई दावा नही करेगा।

(2) राज्य सरकार को लोकहित में ठेके की कालावधि समाप्त होने के पूर्व कब्जा वापस लेने का अधिकार होगा:

परन्तु कब्जा लेने के पूर्व ठेकेदार को एक माह की अग्रिम सूचना दी जायगी।

25. यदि इस ठेके के संबंध में और/या उसके संबंध में और/या कोई विवाद होने की स्थिति में, राज्य शासन का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

26. कब्जे का पुर्नग्रहण- (1) जहां कोई रेत ,खदान रद्द की जाती है या अवधारित की जाती है अथवा खदान के कब्जे को लोकहित में पुर्नग्रहण करने का विनिश्चिय किया जाता है या वह कालावधि जिसके लिए रेत खदान मंजूर की गई हो समाप्त हो जाती है, तो ठेकेदार, रेत खदान का कब्जा कलेक्टर को, जिसमें रेत खदान/समूह या उसका बडा भाग अवस्थित हो, रद्द किए जाने या पर्यवपित किये जाने या लोकहित में कब्जा वापस लेने के विनिश्चय की संसूचना की तारीख से सात दिन की कालावधि के भीतर या खदान के ठेके की कालावधि समाप्त होने की तारीख के आगामी दिन से, जैसी भी स्थिति हो, वापस सौंप देगा।

(2) जहां ठेकेदार रेत खदान/समूह का कब्जा, उप खंड (1) में विर्निदिष्ट कालावधि के भीतर सौंपने में असफल रहता है वहां कलेक्टर या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी सूचना की तामीली या तो डाक द्वारा या उसकी प्रति ठेकेदार को व्यक्तिगत रूप से या उसके परिवार के सदस्यों या नौकरों में से किसी को निविदत्त करते हुए या देते हुए उसके निवास स्थान अथवा कारबार के स्थान के किसी सहज दृश्य स्थान पर एक प्रति चस्पा करके या उसे उस स्थान में जहां ठेकेदार निवास करता है, परिचालित कम से कम एक समाचार पत्र में प्रकाशित करेगा या करवायेगा।

(3) उपखंड (2) के अधीन सूचना में यह कथन अंतर्विष्ट होगा कि ठेकेदार रेत खदान /समूह का कब्जा कलेक्टर या उप- खंड (1) के अधीन उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, को सूचना की तामीली की तारीख से सात दिन के भीतर सौंप देगा।

(4) जहां ठेकेदार उपखंड (2) के अधीन सूचना में विर्निदिष्ट कालावधि के भीतर रेत खदान/समूह का कब्जा सौंपने में असफल रहता है, वहां कलेक्टर या उप-खंड (1) के अधीन उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, ठेकेदार से रेत खदान का कब्जा ले सकेगा और उस प्रयोजन के लिए ऐसे बल का प्रयोग कर सकेगा, जैसे कि आवश्यक समझा जाये।

खनि अधिकारी
बैतूल

M. Prasanna

(5) यदि ठेके की कालावधि की समाप्ति पर ठेकेदार अगले दिन खदान का कब्जा सौंपने में असफल रहता है तो ठेकेदार, वापिस लिये जाने पर्यन्त, अनुबंध की समस्त शर्तों का पालन करेगा।

27. यदि ठेकेदार अनुबंध की शर्तों का उल्लघंन करता है, तो कलेक्टर को ठेकेदार द्वारा जमा सुरक्षा राशि या उसके भाग को सम्पहृत करने का अधिकार होगा।

28. ठेकेदार, खदान से खनिज या उसके उत्पाद ले जाने वाले प्रत्येक वाहन को राज्य सरकार द्वारा विहित अविवहन पास के साथ ही प्रत्येक गंतव्य के लिए जाने देगा।

29. ई- निविदा दस्तावेज, अनुबंध आदि इस ठेके के अभिन्न अंग होगे।

30. अनुबंध के अधीन, एतद्द्वारा यह पट्टाक्रामित किया जाता है, कि यदि ठेकेदार उपरोक्त में अंतर्विष्ट और उल्लिखित समस्त निबंधनो और शर्तो के पूर्ति करता है, तो सुरक्षा राशि की रकम रूपये 13,27,98,856 (तेरह करोड सत्ताईस लाख अट्ठान्वे हजार आठ सौ छप्पन रूपये) (अग्रिम धन) जो कि ठेकेदार द्वारा जमा की गई है कलेक्टर द्वारा उसे वापिस की जाएगी।

अनुसूची – क

(पैरा एक देखिए)

(पैरा 1 देखिए) क्र0	जिला	तहसील	ग्राम	खसरा क्रमांक	रकबा हेक्टेयर में
1	2	3	4	5	6
1	बैतूल	शाहपुर	गुवाड़ी	19	2.500

इस अनुबंध पत्र की देय स्टाम्प एवं पंजीयन शुल्क दस्तावेज क्रमांक- MP039742023A11470171 दिनांक 11/02/2023 द्वारा चुकाया जा चुका है।

खनि अधिकारी
बैतूल

M. Prasanth

साक्षियों का पूरा नाम व्यवसाय एवं हस्ताक्षर

हस्ताक्षर :-

खनि अधिकारी
बैतूल

अपर कलेक्टर
जिला बैतूल

साक्षियों का पूरा नाम, व्यवसाय एवं हस्ताक्षर

1.

2.

ठेकेदार/अटार्नी का नाम, पता व हस्ताक्षर

M. Prasad

मेसर्स नेशनल एनर्जी ट्रेडिंग एण्ड सर्विसेज लिमिटेड
(अधिकृत व्यक्ति -श्री मेघावरपु प्रशांत पिता रामाराव)
पता प्लाट न. 7 बिन्दु सदन 401 साई चंद्र कॉलोनी, ग्रीन स्पेस तुलसी, पुष्पलगुडा, मणिकोंडा, हैदराबाद, रंगारेड्डी, तेलंगाना-500089 वर्तमान पता- हाऊस नम्बर 247, तृतीय तल, सेक्टर-2 शक्ति नगर, हबीबगंज भोपाल (म.प्र.)

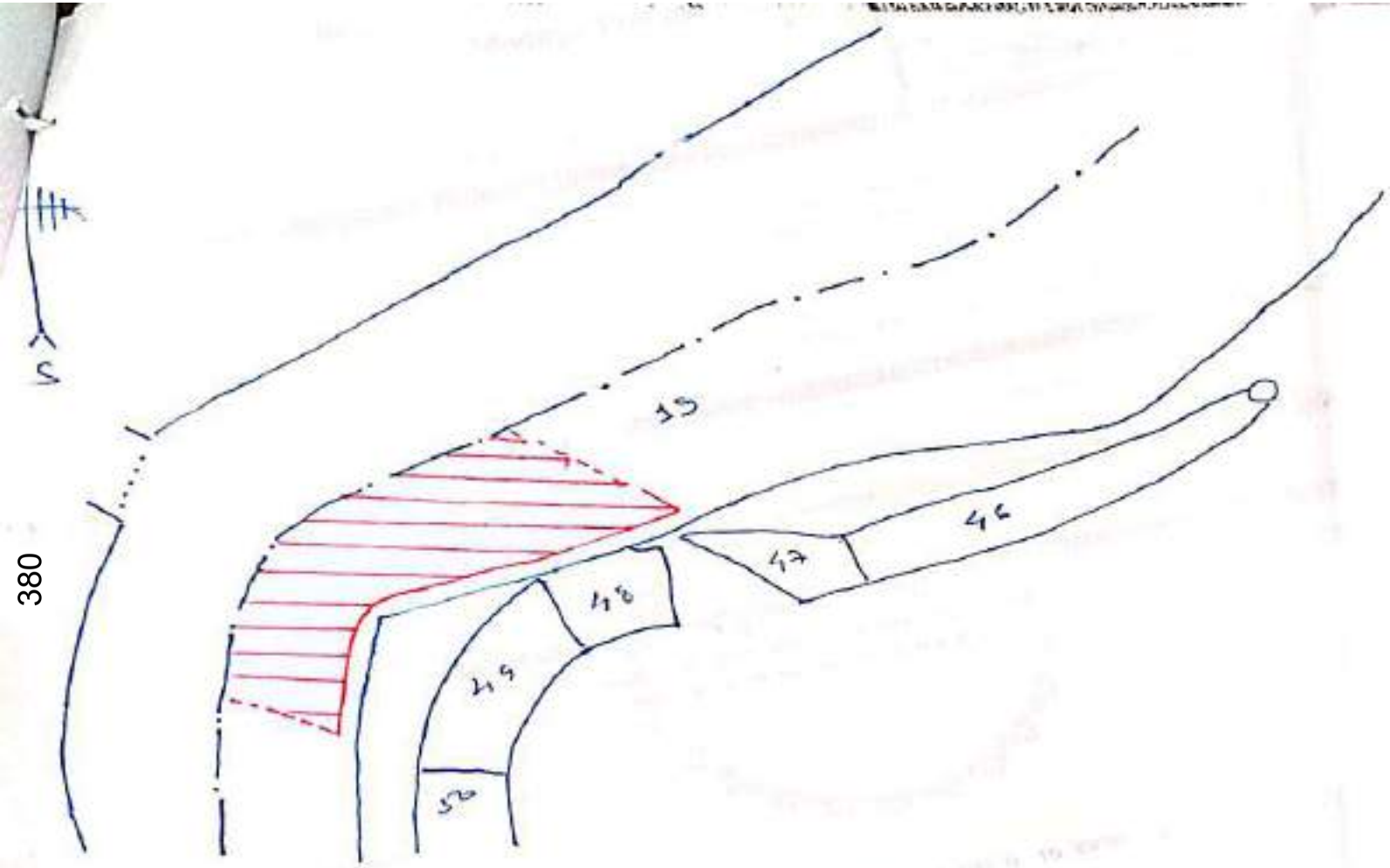

ग्राम - सुखाड़ी
प.ह.नं. 30
ह.नि.अ. शाहपुर
तहसील शाहपुर
जिला बैतूल (म.प्र.)
स्केल 16" = 1 मील

प्रस्तावित खनन क्षेत्र
ह.नं. रकबा
45 2.500 हे०

सहा. भानचि अधि
खनिज शाखा
जि. बैतूल

अपर कलेक्टर
बैतूल

खनि अधिकारी
बैतूल

380

Registration and Stamp Department
Madhya Pradesh

Certificate of Stamp Duty

E-Stamp Details

E-Stamp Code	0201032104202300768O
Total E-Stamp Amount	2000
Govt. Stamp Duty (Rs.)	2000
Janpad Duty (Rs.)	0
Municipality Duty (Rs.)	0
Exempted Amount(Rs.)	0
Upkar Amount (Rs.)	0
E-Stamp Type	NON-JUDICIAL
Issue Date & Time	21/04/2023 14:02:24
Service Provider or Issuer Details	sanjeev Dubey/SP0103419042018000O9
SP/SRO/DRO/HO Details	dadawadi ke pas Chikkeer Road Moti Ward Betul Th. Betul Dist. Betul (MP) BETUL BETUL

Deed Details

Deed Type	Agreement/Memorandum of an agreement
Deed Instrument	If relating to secure repayment of a loan or debt.- 0.25 percent of the amount of loan or debt, subject to a maximum of five lakh rupees
Purpose	Agreement

First Party Details

Organization Name	कलक्टर खनिज बैतूल
Address	कलेक्टर खनिज बैतूल जिला बैतूल BETUL Madhya Pradesh INDIA
Number of Persons	1

Second Party Details

Organization Name	मेसर्स नेशनल एनरजी ट्रेडिंग एंड सर्विसेज लिमिटेड
Address	मेसर्स नेशनल एनरजी ट्रेडिंग एंड सर्विसेज लिमिटेड हाउस न. 247 तृतीय तल सेक्टर 2 शाकि नगर इंदौर गंज भोपाल म.प्र. BHOPAL Madhya Pradesh INDIA
Number of Persons	1

Agreement

व्यापारिक रेत खदान ग्राम गुवाडी तह. शाहपुर खसरा न. 19 रकबा 2.50 हे. जिला बैतूल म.प्र.

Digitally signed by SANJEEV DUBY
Date: 2023.04.21 14:04:22 IST

प्रारूप-पांच

(नियम 13 (2) देखिए)

रेत खदान हेतु ठेके का अनुबंध

यह करार एक पक्ष के रूप में जो कलेक्टर जिला बैतूल के माध्यम से कार्य करते हुए मध्यप्रदेश के राज्यपाल (जिन्हे इसमें इसके पश्चात् राज्यपाल कहा गया है), जिस अभिव्यक्ति में उनके पद उत्तरवर्ती सम्मलित है और अन्य पक्ष के रूप में श्री/श्रीमती/कुमारी मेसर्स नेशनल एनर्जी ट्रेडिंग एण्ड सर्विसेज लिमिटेड (अधिकृत व्यक्ति –श्री केल्लमपल्ली रामईया) पता प्लाट न. 7 विन्दु सदन 401 सांई चंद्र कॉलोनी, ग्रीन स्पेस तुलसी, पुप्पलगुडा, मणिकोंडा, हैदराबाद, रंगारेड्डी, तेलंगाना-500089 वर्तमान पता- हाऊस नम्बर 247, तृतीय तल, सेक्टर-2 शक्ति नगर, हबीबगंज भोपाल (म.प्र.) (जिसे इसमें इसके पश्चात् "ठेकेदार" कहा गया है) जिस अभिव्यक्ति में, जहां कि संदर्भ ऐसा स्वीकार है, उसके वारिस, निष्पादक, प्रशासक, प्रतिनिधि और अनुज्ञात समनुदेशिती शामिल है, के बीच आज दिनांक 06 माह अप्रैल सन् 2023 को दिनांक 09.02.2023 से दिनांक 30.06.2023 की अवधि हेतु व्यापारिक खदान के लिये किया गया।

1. यतः ठेकेदार, ई-निविदा की शर्तो के अनुसार ई-निविदा की राशि रूपए 53,11,95,424.20 (तिरेपन करोड़ ग्यारह लाख पन्चान्वे हजार चार सौ चौबीस रूपये बीस पैसे मात्र) प्रतिवर्ष का भुगतान करने के लिए सहमत हो गया है, जो रकम एतद् द्वारा ठेका राशि कहलायगी और रूपये 13,27,98,856 (तेरह करोड सत्ताईस लाख अट्ठान्वे हजार आठ सौ छप्पन रूपये) अग्रिम धन (सुरक्षा राशि) सुरक्षा राशि के रूप में और रूपये (लागू नहीं) प्रतिभूति राशि रूपये (लागू नहीं) ठेका अवधि में देय संपूर्ण राशि के समतुल्य है, और जो ठेके के निबंधनो और शर्तो के सम्यक पालन के लिए जमा रखी जायेगी और जो कि ठेके के अनुबंध का किसी प्रकार भंग किए जाने की स्थिति समइत किए जाने योग्य होगी और

यतः कलेक्टर ने उसे उस रेत खदान का ठेका स्वीकृत किया है जिसका मानचित्र संलग्न है जिस खदान खपरिया खसरा क्रमांक 18 रकबा 3.400 है0, तहसील चिचोली जिला बैतूल और जिसका विवरण संलग्न अनुसूची "क" में दिया गया है जो अब आगे "खदान" कही जायेगी।

2. अब यह अनुबंध साक्षी है कि ठेका राशि, रॉयल्टी, किराया, तथा अन्य भुगतानों के प्रतिफल में तथा शर्तो, प्रसंविदाओं और करार के प्रतिफल में तथा अध्यधीन रहते हुए, ठेकेदार को खनन के प्रयोजनो के लिए, प्रदत्त क्षेत्र में प्रवेश करने, अधिभोग रखने तथा उपयोग और इस शर्त के अध्याधीन रहते हुए कि कलेक्टर को ठेके की पूरी अवधि के दौरान सभी समय पर खदान के भीतर अवस्थित या ठेकेदार के नियंत्रण के अधीन अन्य कही उत्पादों के प्रचलित उचित बाजार मूल्य पर अग्र क्रयाधिकार होगा, खनिज या खनिज के उत्पादों को खदान से बाहर ले जाने तथा उनका विक्रय करने की स्वतंत्रता होगी,

खनि अधिकारी
बैतूल

3. ठेकेदार इस अनुबंध के अनुसरण में, एतद्द्वारा निविदाकार को पट्टान्तरित भूमि का तारीख 09/02/2023 से तारीख 30/06/2023 तक अधिभोग रखेगा तथा कब्जा ग्रहण करेगा।

4. एतद् द्वारा यह सहमति प्रदान की जाती है कि एतद् द्वारा पट्टान्तरित रेत ठेके पर दिये गये क्षेत्र की सीमाऐं खड़ी नीचे की ओर भूमि के केन्द्र तक रहेगी।

5. (1) ठेकेदार वार्षिक ठेका राशि रूपए 53,11,95,424.20 (तिरेपन करोड़ ग्यारह लाख पन्चान्वे हजार चार सौ चौबीस रूपये बीस पैसे मात्र) का

नीचे दी गई तारीख या उसके पूर्व किश्तों में भुगतान करेगा –

अनुक्रमांक	किश्त क्रमांक	किश्त की राशि (रूपए में)	किश्त जमा करने की तारीख
1.	प्रथम किश्त	7,42,21,826.00	प्रथम त्रैमास का प्रथम दिवस
2.	द्वितीय किश्त	13,27,98,856.00	द्वितीय त्रैमास का प्रथम दिवस

परन्तु ठेकेदार, ठेकाराशि तथा रेत खदान से संबंधित अन्य सम्पूर्ण रकम प्रथमतः म. प्र. राज्य खनिज निगम एवं कलेक्टर द्वारा इस प्रयोजन हेतु संचालित खाते में जमा करेगा।

परन्तु, यदि ठेकेदार नियत तारीख को किश्तों को जमा करने में असफल रहता है तो ठेकेदार के पक्ष में आवंटित समूह की खदानों के लिए ई-टी.पी बंद की जायेगी तथा खदान संचालन पर रोक लगा दी जाएगी तथा ठेकेदार को इस आशय का कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा, कि किश्त की राशि जमा करने में असफल रहने पर क्यों न उस का ठेका निरस्त कर दिया जाए।

परन्तु और या कि, किश्त जमा करने की निर्धारित तारीख से 30 दिवस के भीतर ठेकेदार द्वारा उक्त कारण बताओ नोटिस का जवाब देते हुए विलंब अवधि पर 24 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज सहित देय किश्त/किश्तों का भुगतान करने पर, कलेक्टर/निगम द्वारा खदान का संचालन के लिए अनुमति दे सकेगा।

परन्तु यह और कि, 30 दिवस की अवधि के भीतर उपरोक्तानुसार यदि ठेकेदार राशि जमा करने में असफल रहता है तो, कलेक्टर/निगम द्वारा ठेका व्यपगत आदेश कर पुनः निविदा हेतु शासन को अनुरोध किया जाएगा। निविदा की विज्ञप्ति प्रकाशन के पूर्व तक ठेकेदार समस्त देयतायें 24 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ जमा कर सकता है। नवीन निविदा विज्ञप्ति प्रकाशन पर स्वमेव ठेका पूर्ण रूप से निरस्त समझा जाएगा।

परन्तु यह और भी कि, जब तक किश्त की राशि मय ब्याज के प्राप्त होगी तो तब तक ठेकेदार के पक्ष में आवंटित समूह की खदानों के लिए ई-टी.पी. जारी किए जाने पर रोक रहेगी।

K. Banerjee

खनि अधिकारी
बैतूल

(2) ठेकेदार, ठेका राशि की रकम के एवज में खनन योजना, पर्यावरणीय स्वीकृति एवं जल वायु संम्मति में (इनमें से जो भी कम हो) अनुज्ञात रेत की मात्रा ले जा सकेगा।

परन्तु, यदि ठेकेदार निर्धारित मात्रा से अधिक मात्रा में खनिज निकालेगा या ले जायेगा, तब यह उस अधिक निकाली गई या ले जायी गई मात्रा के लिए ऐसी मात्रा के मूल्य का भुगतान करने के लिए दायित्वधीन होगा :

परन्तु यह कि, यदि किसी वर्ष उत्खनित मात्रा अनुमोदित खनन योजना में उल्लेखित मात्रा से 20 प्रतिशत कम हो तो इस मात्रा के आगामी वर्ष में निकाले जाने की अनुमति दी जायेगी, किन्तु उस वर्ष के ठेकाधन में अवशिष्ट मात्रा के अंतर की राशि जमा की जानी होगी। अनुमोदित खनन योजना का पुनरीक्षण किया जायगा एवं वार्षिक ठेका राशि अनुपातिक रूप में पुनीरिक्षित किया जायगा । खनन योजना के पुनरीक्षण की स्थिति में, यथा आवश्यक पर्यावरणीय अनुमति प्राप्त की जायगी। ठेका अवधि में अनुमोदित खनन योजना में उल्लिखित मात्रा का खनन अनिवार्य होगा, अन्यथा जमा की गई सुरक्षा राशि सम्पहृत की जा सकेगी:

परन्तु यह और कि, यदि ठेकेदार किसी वर्ष उस वर्ष की अनुज्ञात मात्रा से अधिक मात्रा (20 प्रतिशत से अधिक नहीं) की निकासी करना चाहता है, तब उसे प्रस्ताव अनुसार अनुमोदित खनन योजना एवं पर्यावरण अनुमति में यथायोग्य पुनरीक्षण /संशोधन करना होगा एवं यह बढी हुई मात्रा आगामी वर्ष की अनुज्ञात मात्रा के विरुद्ध समायोजित की जाएगी । किसी भी स्थिति में, ठेका अवधि हेतु स्वीकृत मात्रा से अधिक मात्रा में निकासी की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(3) उस स्थिति में जब ठेकेदार उपरोक्त पैरा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए वार्षिक कार्य योजना में तिमाही हेतु उल्लिखित मात्रा से अधिक खनिज निकालता है तो वह ऐसे निकाले गए अधिक मात्रा एवं तिमाही में चुकाई गई किश्त राशि के अंतर की राशि का भुगतान (तीस दिन) के भीतर किया जाना होगा, अन्यथा आगामी खनिज निकासी रोक दी जाएगी तो भुगतान करने का उत्तरदायी होगा:

परन्तु, यदि ठेकेदार नियत तारीख पर रकम का भुगतान करने में असफल रहता है तो वह 24 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज सहित शोध्य राशि/राशियों का भुगतान करने का उत्तरदायी होगा।

6. रेत खदान से संबंधित ठेका राशि एवं अन्य राशियां ठेकेदार द्वारा म०प्र० राज्य खनिज निगम एवं कलेक्टर द्वारा इस प्रयोजन हेतु संचालित खाते में प्रथमतः जमा कराई जाएगी

7. ठेका रकम तथा अन्य शोध्यो के जो कि इस करार के नियंधनो के अधीन देय है, शोध्य तारीखों से दो माह से अधिक अवधि तक भुगतान न किए जाने की दशा में कलेक्टर या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई

खनि अधिकारी
बैतूल

अधिकारी परिसर में प्रवेश करने के लिए सशक्त होगा तथा/या उसके उत्पाद और या खदान में ठेकेदार द्वारा रखी गई चल सम्पति को अभिग्रहित कर सकेगा और ले जा सकेगा।

8 यदि इस अनुबंध के अधीन ठेके की राशि या कोई अन्य शोध्य ठेकेदार द्वारा एक माह से अधिक के लिए असंदत्त रहती है तो कलेक्टर ठेका रद्द किए जाने संबंधी प्रस्ताव राज्य शासन को प्रेषित करेगा एवं राज्य शासन का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

9 ठेकेदार, खदान के समीप ऐसे अस्थायी भवन आदि खडा करने का हकदार होगा जैसा कि उत्खनन प्रयोजनो के लिए अपेक्षित हो और इसे ठेका अवधि समाप्ति के पूर्व हटा लेगा । ऐसा नहीं करने की स्थिति में, ठेका, समाप्ति के पश्चात् खदान के समीप भूमि पर निर्मित् ऐसे कोई भवन आदि राज्य सरकार की सम्पति होगी तथा जिसके लिए ठेकेदार को उस पर का प्रतिकर दावा करने का अधिकार नहीं होगा।

10. ठेकेदार, स्वयं व्यय पर, भूमि की सीमाओं को दर्शित करने के लिए सीमा चिन्ह तथा स्तम्भ (पिलर) का निर्माण करेगा एवं उन्हे हमेशा दुरूस्त रखेगा।

11. ठेकेदार, ठेके के अधीन प्राप्त भूमि या उसके किसी भाग को समनुदेशित या उप पट्टे पर नहीं देगा अथवा ठेके के अधीन प्रदत्त अधिकारों /विशेषाधिकारो को अंतरित नहीं करेगा।

12. ठेकेदार, इस अनुबंध के अधीन प्रदत्त भूमि की समुचित स्वच्छता बनाए रखने का उत्तरदायी होगा।

13. ठेकेदार, उस समय समस्त नियमों तथा विनियमों और ऐसी अन्य शर्तो से बाध्य होगा जैसा कि शासन द्वारा समय-समय पर अधिरोपित की जाए।

14. ठेकेदार, खदान में कार्य कर रहे व्यक्तियों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के समुचित उपाय करने के लिए आबद्ध होगा।

15. ठेकेदार, सड़क, पानी से संबंधित अधिकारो और अन्य सुखाधिकारों का ध्यान रखेगा।

16. सरकार को यह अधिकार होगा, कि वह पट्टाकृत क्षेत्र के ऊपर संचार साधनो की स्थापना के लिए ऊपर मार्ग का निर्माण करें या अन्य उपाय करें तथा ठेकेदार को उसके लिए प्रतिकर दावा करने का अधिकार नहीं होगा।

17. ठेकेदार, अनुमोदित खनन योजना के अनुसार खनन संक्रिया करेगा और रेत तथा बजरी का खनन सतह से अधिकतम तीन मीटर तक अथवा जल स्तर तक जो भी कम हो, किया जाएगा । किन्तु ऐसा उत्खनन नदी/ नाले के भीतर प्रतिसिद्ध होगा।

K. Remacs

खनि अधिकारी
बैतूल

18. ठेकेदार, खदान से अभिप्राप्त और विक्रय किए गए या निकास किए गए खनिज की मात्रा तथा विशिष्टिया दर्शाते हुए उनका सही लेखा और खदान में नियोजित व्यक्तियों की संख्या तथा खदान का पूर्ण रेखांक संधारित करेगा और शासन/ कलेक्टर द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी को किसी भी समय ऐसे लेखाओं तथा रेखांको का परीक्षण करने देगा तथा ऐसे सक्षम अधिकारी द्वारा निरीक्षण के दौरान या मांग की जाने पर प्रस्तुत करेगा।

19. ठेकेदार, नीचे दिये गये प्ररूप में मासिक विवरणी प्रत्येक माह की 07 तारीख के पूर्व कलेक्टर को प्रस्तुत करेगा:

माह	निकाले गये खनिज का प्रारंभिक स्टॉक(घनमीटर)	माह में निकाले गए खनिज की मात्रा (घनमीटर)	माह में निकास किए गए खनिज की मात्रा (घनमीटर)	माह में विक्रय किए गए खनिज की मात्रा (घनमीटर)	माह के अंत में खनिज का अंतिम स्टाक (घनमीटर)	माह के दौरान नियोजित श्रमिकों की औसत संख्या
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

20. ठेकेदार, खदान क्षेत्र में घटने वाली किसी दुर्घटना की रिपोर्ट तत्काल संबंधित जिला मजिस्ट्रेट को देगा।

21. ठेकेदार, उसके ठेके में शामिल की गई रेत खदानो के पहुच मार्ग, खनिज की उपलब्धता तथा कोई अन्य कारण से ठेकाधन की राशि में संशोधन किए जाने संबंध में कलेक्टर के विरुद्ध कोई प्रतिकर या नुकसान का दावा नहीं करेगा।

22. यदि ठेकेदार, उक्त ठेके की कालावधि के पूर्ण होने के पूर्व ठेके को पर्यवसित करने का इच्छुक है, तो वह ऐसे आशय की छह माह की लिखित सूचना कलेक्टर को देगा। उपरोक्त अवधि समाप्त होने एवं ठेकेदार के विरुद्ध बकाया न होने की स्थिति में कलेक्टर से प्राप्त प्रस्ताव पर राज्य शासन द्वारा समर्पण स्वीकार किया जाएगा एवं उसकी सुरक्षा राशि वापस की जाएगी। उक्त अवधि के लिए वार्षिक ठेकाधन ठेकेदार द्वारा अनिवार्य रूप से जमा किया जाएगा, इस अवधि में खनन संक्रियाए संचालित की जा सकेगी। यदि एक बार समर्पण के लिए आवेदन प्रस्तुत कर दिया जाता है। तो वह पुनः वापसी योग्य नहीं होगा। समर्पण सूचना प्राप्त होने के पश्चात समूह की पुन निविदा प्रक्रिया कलेक्टर द्वारा प्रारंभ की जाएगी ।

23 ठेकेदार, जिसके लिए उसको ठेका दिया गया है, उससे भिन्न प्रयोजन के लिए इस अनुबंध के अधीन उसको दी गई भूमि का उपयोग नहीं करेगा।

K. Ramesh

खनि अधिकारी
बैतूल

24 (1) युद्ध की स्थिति या आपातकाल की दशा में सरकार को खदान, वस्तुएं, भूमि, मशीनरी, संयंत्र, भवन तथा सामग्री का कब्जा लेने का अधिकार रहेगा तथा ऐसी स्थिति में ठेकेदार द्वारा किसी प्रतिकर के लिए कोई दावा नहीं करेगा।

(2) राज्य सरकार को लोकहित में ठेके की कालावधि समाप्त होने के पूर्व कब्जा वापस लेने का अधिकार होगा:

परन्तु कब्जा लेने के पूर्व ठेकेदार को एक माह की अग्रिम सूचना दी जायगी।

25. यदि इस ठेके के संबंध में और/या उसके संबंध में और/या कोई विवाद होने की स्थिति में, राज्य शासन का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

26. कब्जे का पुर्नग्रहण- (1) जहां कोई रेत ,खदान रदद की जाती है या अवधारित की जाती है अथवा खदान के कब्जे को लोकहित में पुर्नग्रहण करने का विनिश्चिय किया जाता है या वह कालावधि जिसके लिए रेत खदान मंजूर की गई हो समाप्त हो जाती है, तो ठेकेदार, रेत खदान का कब्जा कलेक्टर को, जिसमें रेत खदान/समूह या उसका बड़ा भाग अवस्थित हो, रदद किए जाने या पर्यवसित किये जाने या लोकहित में कब्जा वापस लेने के विनिश्चय की संसूचना की तारीख से सात दिन की कालावधि के भीतर या खदान के ठेके की कालावधि समाप्त होने की तारीख के आगामी दिन से, जैसी भी स्थिति हो, वापस सौंप देगा।

(2) जहां ठेकेदार रेत खदान/समूह का कब्जा, उप खंड (1) में विर्निदिष्ट कालावधि के भीतर सौंपने में असफल रहता है वहां कलेक्टर या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी सूचना की तामीली या तो डाक द्वारा या उसकी प्रति ठेकेदार को व्यक्तिगत रूप से या उसके परिवार के सदस्यों या नौकरों में से किसी को निविदत्त करते हुए या देते हुए उसके निवास स्थान अथवा कारबार के स्थान के किसी सहज दृश्य स्थान पर एक प्रति चस्पा करके या उसे उस स्थान में जहां ठेकेदार निवास करता है, परिचालित कम से कम एक समाचार पत्र में प्रकाशित करेगा या करवायेगा।

(3) उपखंड (2) के अधीन सूचना में यह कथन अंतर्विष्ट होगा कि ठेकेदार रेत खदान /समूह का कब्जा कलेक्टर या उप- खंड (1) के अधीन उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, को सूचना की तामीली की तारीख से सात दिन के भीतर सौंप देगा।

(4) जहां ठेकेदार उपखंड (2) के अधीन सूचना में विर्निदिष्ट कालावधि के भीतर रेत खदान/समूह का कब्जा सौंपने में असफल रहता है, वहां कलेक्टर या उप-खंड (1) के अधीन उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, ठेकेदार से रेत खदान का कब्जा ले सकेगा और उस प्रयोजन के लिए ऐसे बल का प्रयोग कर सकेगा, जैसे कि आवश्यक समझा जाये।

K. Ramesh

खनि अधिकारी
बैतूल

(5) यदि ठेके की कालावधि की समाप्ति पर ठेकेदार अगले दिन खदान का कब्जा सौंपने में असफल रहता है तो ठेकेदार, वापिस लिये जाने पर्यन्त, अनुबंध की समस्त शर्तों का पालन करेगा।

27. यदि ठेकेदार अनुबंध की शर्तों का उल्लघंन करता है, तो कलेक्टर को ठेकेदार द्वारा जमा सुरक्षा राशि या उसके भाग को सम्पहृत करने का अधिकार होगा।

28. ठेकेदार, खदान से खनिज या उसके उत्पाद ले जाने वाले प्रत्येक वाहन को राज्य सरकार द्वारा विहित अविवहन पास के साथ ही प्रत्येक गंतव्य के लिए जाने देगा।

29. ई- निविदा दस्तावेज, अनुबंध आदि इस ठेके के अभिन्न अंग होगे।

30. अनुबंध के अधीन, एतदद्वारा यह पट्टाक्रामित किया जाता है, कि यदि ठेकेदार उपरोक्त में अंतर्विष्ट और उल्लिखित समस्त निबंधनो और शर्तो के पूर्ति करता है, तो सुरक्षा राशि की रकम रूपये 13,27,98,856 (तेरह करोड सत्ताईस लाख अट्ठान्वे हजार आठ सौ छप्पन रूपये) (अग्रिम धन) जो कि ठेकेदार द्वारा जमा की गई है कलेक्टर द्वारा उसे वापिस की जाएगी।

अनुसूची – क

(पैरा एक देखिए)

(पैरा 1 देखिए) क्र0	जिला	तहसील	ग्राम	खसरा क्रमांक	रकबा हेक्टेयर में
1	2	3	4	5	6
1	बैतूल	चिचोली	खपरिया	18	3.400

इस अनुबंध पत्र की देय स्टाम्प एवं पंजीयन शुल्क दस्तावेज क्रमांक- MP039742023A11470171 दिनांक 11/02/2023 द्वारा चुकाया जा चुका है।

K. Ramesh

खनि अधिकारी
बैतूल

साक्षियों का पूरा नाम व्यवसाय एवं हस्ताक्षर

हस्ताक्षर :-

1. नरेश सरकार S/o श्री कांति सरकार
स्वतंत्र मानचित्रकार खनिशाखा जि. बैतूल

2. नवलसिंह धंसाक S/o स्व. श्री भंवरसिंह धंसाक
सहायक ग्रेड-III कलेक्टोरेट (खनिज) बैतूल

खनि अधिकारी
बैतूल

अपर कलेक्टर
बैतूल
जिला बैतूल

साक्षियों का पूरा नाम, व्यवसाय एवं हस्ताक्षर

1. Sitanshu Tomar

2. Nitesh Singh

ठेकेदार/अटार्नी का नाम, पता व हस्ताक्षर

मेसर्स नेशनल एनर्जी ट्रेडिंग एण्ड सर्विसेज लिमिटेड
(अधिकृत व्यक्ति -श्री केल्लमपल्ली रामईया)
पता प्लाट न. 7 बिन्दु सदन 401 सांई चंद्र कॉलोनी, ग्रीन स्पेस तुलसी, पुष्पलगुडा, मणिकोंडा, हैदराबाद, रंगारेड्डी, तेलंगाना-500089 वर्तमान पता- हाऊस नम्बर 247, तृतीय तल, सेक्टर-2 शक्ति नगर, हबीबगंज भोपाल (म.प्र.)

ग्राम खपरिया
प.ह.न 04
रा.नि.स.चिचोली
तहसील-चिचोली
जिला- बैतूल (म.प्र.)

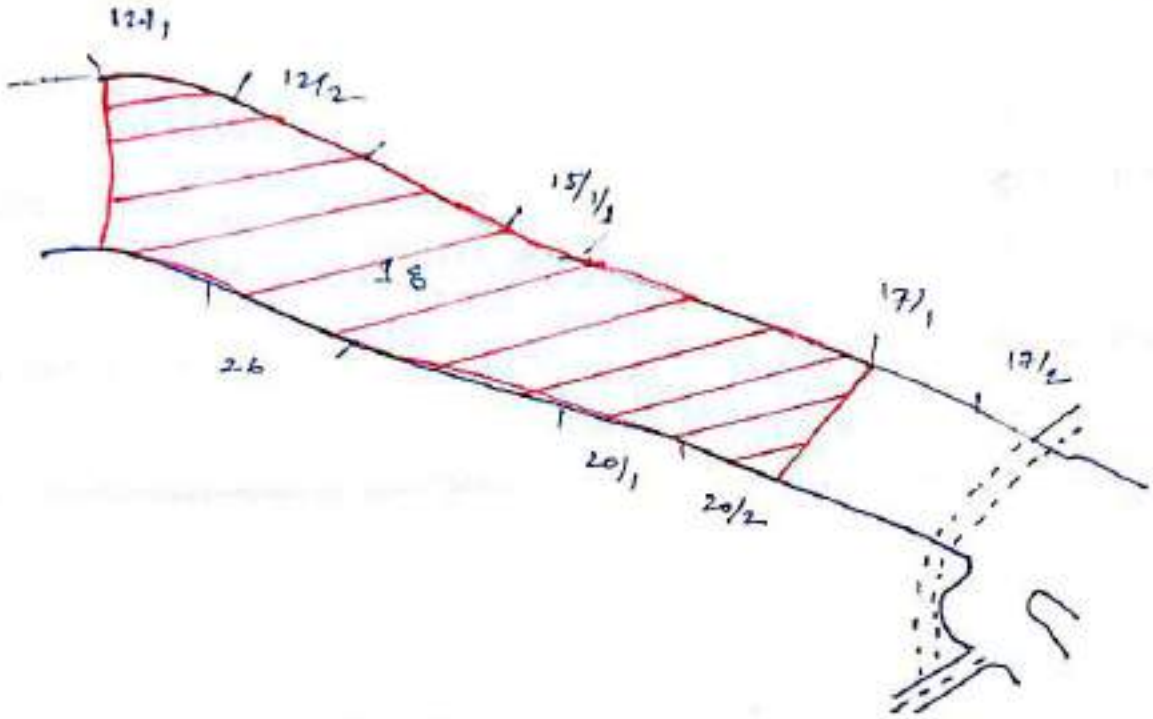

अ-वीक्षित रेत खदान

ख.नं.	रकबा
18	3.400 हे0

K. Ramachandran

उपर कलेक्टर
बैतूल

खनि अधिकारी
बैतूल

सहा. भानवि. कार
खनिज शाखा
जि. बैतूल

Registration and Stamp Department
Madhya Pradesh

Certificate of Stamp Duty

E-Stamp Details

E-Stamp Code	0101030604202300X625
Total E-Stamp Amount	2000
Govt. Stamp Duty (Rs.)	2000
Unpaid Duty (Rs.)	0
Municipality Duty (Rs.)	0
Exempted Amount(Rs.)	0
Upkar Amount (Rs.)	0
E-Stamp Type	NON-JUDICIAL
Issue Date & Time	06/04/2023 15:50:24
Service Provider or Issuer Details	RAKESH SHARMA/SP0103419062018001O3
SP/SRO/DRO/HO Details	C/O Shree Sai Baba Group Near Barlekal Ledge Kothi Bazar Kothi Bazar Betul MP BETUL BETUL

Deed Details

Deed Type	Agreement/Memorandum of an agreement
Deed Instrument	If relating to secure repayment of a loan or debt:- 0.25 percent of the amount of loan or debt, subject to a maximum of five lakh rupees
Purpose	E STAMP FOR AGREEMENT

First Party Details

Organization Name	कलेक्टर सानिध्य अग्रवाल
Address	BETUL BETUL Madhya Pradesh INDIA
Number of Persons	1

Second Party Details

Organization Name	मेसर्स नेशनल एनर्जी ट्रेडिंग एंड सर्विसेज लिमिटेड
Address	पता - हाउस न. 247 कुलिब रोड सेक्टर 2 शक्ति नगर हबीबगंज भोपाल (म.प्र.) BHOPAL Madhya Pradesh INDIA
Number of Persons	1

व्यापारिक पेट्रोल पंप संचालन ग्राम खदरिया नसरोंज चिचोली ख.न. 18 रकबा 3.40 हे.

Digitally signed by RAKESH SHARMA
Date: 2023.04.06 15:50:27 IST

प्रारूप-पांच

(नियम 13 (2) देखिए)

रेत खदान हेतु ठेके का अनुबंध

यह करार एक पक्ष के रूप में जो कलेक्टर जिला बैतूल के माध्यम से कार्य करते हुए मध्यप्रदेश के राज्यपाल (जिन्हे इसमें इसके पश्चात् राज्यपाल कहा गया है), जिस अभिव्यक्ति में उनके पद उत्तरवर्ती सम्मलित है और अन्य पक्ष के रूप में श्री/श्रीमती/कुमारी मेसर्स नेशनल एनर्जी ट्रेडिंग एण्ड सर्विसेज लिमिटेड (अधिकृत व्यक्ति –श्री केल्लमपल्ली रामईया) पता प्लाट न. 7 बिन्दु सदन 401 सांई चंद्र कॉलोनी, ग्रीन स्पेस तुलसी, पुष्पलगुडा, मणिकोंडा, हैदराबाद, रंगारेड्डी, तेलंगाना-500089 वर्तमान पता- हाऊस नम्बर 247, तृतीय तल, सेक्टर-2 शक्ति नगर, हबीबगंज भोपाल (म.प्र.) (जिसे इसमें इसके पश्चात् "ठेकेदार" कहा गया है) जिस अभिव्यक्ति में, जहां कि संदर्भ ऐसा स्वीकार है, उसके वारिस, निष्पादक, प्रशासक, प्रतिनिधि और अनुज्ञात समनुदेशिती शामिल है, के बीच आज दिनांक 06 माह अप्रैल सन् 2023 को दिनांक 09.02.2023 से दिनांक 30.06.2023 की अवधि हेतु व्यापारिक खदान के लिये किया गया।

1. यतः ठेकेदार, ई-निविदा की शर्तो के अनुसार ई-निविदा की राशि रूपए 53,11,95,424.20 (तिरेपन करोड़ ग्यारह लाख पन्चान्वे हजार चार सौ चौबीस रूपये बीस पैसे मात्र) प्रतिवर्ष का भुगतान करने के लिए सहमत हो गया है, जो रकम एतद् द्वारा ठेका राशि कहलायगी और रूपये 13,27,98,856 (तेरह करोड सत्ताईस लाख अट्ठान्वे हजार आठ सौ छप्पन रूपये) अग्रिम धन (सुरक्षा राशि) सुरक्षा राशि के रूप में और रूपये (लागू नहीं) प्रतिभूति राशि रूपये (लागू नहीं) ठेका अवधि में देय संपूर्ण राशि के समतुल्य है, और जो ठेके के निबंधनो और शर्तो के सम्यक पालन के लिए जमा रखी जायेगी और जो कि ठेके के अनुबंध का किसी प्रकार भंग किए जाने की स्थिति समहत किए जाने योग्य होगी और

यतः कलेक्टर ने उसे उस रेत खदान का ठेका स्वीकृत किया है जिसका मानचित्र संलग्न है जिस खदान झोली-1 खसरा क्रमांक 99 रकबा 2.450 हे0, तहसील घोड़ाडोंगरी जिला बैतूल और जिसका विवरण संलग्न अनुसूची "क" में दिया गया है जो अब आगे "खदान" कही जायेगी।

2. अब यह अनुबंध साक्षी है कि ठेका राशि, रॉयल्टी, किराया, तथा अन्य भुगतानों के प्रतिफल में तथा शर्तो, प्रसंविदाओं और करार के प्रतिफल में तथा अध्यधीन रहते हुए, ठेकेदार को खनन के प्रयोजनो के लिए, प्रदत्त क्षेत्र में प्रवेश करने, अधिभोग रखने तथा उपयोग और इस शर्त के अध्याधीन रहते हुए कि कलेक्टर को ठेके की पूरी अवधि के दौरान सभी समय पर खदान के भीतर अवस्थित या ठेकेदार के नियंत्रण के अधीन अन्य कही उत्पादों के प्रचलित उचित बाजार मूल्य पर अग्र क्रयाधिकार होगा, खनिज या खनिज के उत्पादों को खदान से बाहर ले जाने तथा उनका विक्रय करने की स्वतंत्रता होगी,

K. Ramaiah

खनि अधिकारी
बैतूल

3. ठेकेदार इस अनुबंध के अनुसरण में, एतद्द्वारा निविदाकार को पट्टान्तरित भूमि का तारीख 09/02/2023 से तारीख 30/06/2023 तक अधिभोग रखेगा तथा कब्जा ग्रहण करेगा।

4. एतद् द्वारा यह सहमति प्रदान की जाती है कि एतद् द्वारा पट्टान्तरित रेत ठेके पर दिये गये क्षेत्र की सीमाऐं खड़ी नीचे की ओर भूमि के केन्द्र तक रहेगी।

5. (1) ठेकेदार वार्षिक ठेका राशि रूपए 53,11,95,424.20 (तिरेपन करोड़ ग्यारह लाख पन्चान्वे हजार चार सौ चौबीस रूपये बीस पैसे मात्र) का

नीचे दी गई तारीख या उसके पूर्व किश्तों में भुगतान करेगा –

अनुक्रमांक	किश्त क्रमांक	किश्त की राशि (रूपए में)	किश्त जमा करने की तारीख
1.	प्रथम किश्त	7,42,21,826.00	प्रथम त्रैमास का प्रथम दिवस
2.	द्वितीय किश्त	13,27,98,856.00	द्वितीय त्रैमास का प्रथम दिवस

परन्तु ठेकेदार, ठेकाराशि तथा रेत खदान से संबंधित अन्य सम्पूर्ण रकम प्रथमतः म. प्र. राज्य खनिज निगम एवं कलेक्टर द्वारा इस प्रयोजन हेतु संचालित खाते में जमा करेगा।

परन्तु, यदि ठेकेदार नियत तारीख को किश्तों को जमा करने में असफल रहता है तो ठेकेदार के पक्ष में आवंटित समूह की खदानों के लिए ई-टी.पी बंद की जायेगी तथा खदान संचालन पर रोक लगा दी जाएगी तथा ठेकेदार को इस आशय का कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा, कि किश्त की राशि जमा करने में असफल रहने पर क्यों न उन का ठेका निरस्त कर दिया जाए:

परन्तु और या कि, किश्त जमा करने की निर्धारित तारीख से 30 दिवस के भीतर ठेकेदार द्वारा उक्त कारण बताओ नोटिस का जवाब देते हुए विलंब अवधि पर 24 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज सहित देय किश्त/किश्तों का भुगतान करने पर, कलेक्टर/निगम द्वारा खदान का संचालन के लिए अनुमति दे सकेगा।

परन्तु यह और कि, 30 दिवस की अवधि के भीतर उपरोक्तानुसार यदि ठेकेदार राशि जमा करने में असफल रहता है तो, कलेक्टर/निगम द्वारा ठेका व्यपगत आदेश कर पुनः निविदा हेतु शासन को अनुरोध किया जाएगा। निविदा की विज्ञप्ति प्रकाशन के पूर्व तक ठेकेदार समस्त देयतायें 24 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ जमा कर सकता है। नवीन निविदा विज्ञप्ति प्रकाशन पर स्वमेव ठेका पूर्ण रूप से निरस्त समझा जाएगा।

परन्तु यह और भी कि, जब तक किश्त की राशि मय ब्याज के प्राप्त होगी तो तब तक ठेकेदार के पक्ष में आवंटित समूह की खदानों के लिए ई-टी.पी. जारी किए जाने पर रोक रहेगी।

IC. Remaics

खनि अधिकारी
बैतूल

(2) ठेकेदार, ठेका राशि की रकम के एवज में खनन योजना, पर्यावरणीय स्वीकृति एवं जल वायु संम्मति में (इनमें से जो भी कम हो) अनुज्ञात रेत की मात्रा ले जा सकेगा।

परन्तु, यदि ठेकेदार निर्धारित मात्रा से अधिक मात्रा में खनिज निकालेगा या ले जायेगा, तब वह उस अधिक निकाली गई या ले जायी गई मात्रा के लिए ऐसी मात्रा के मूल्य का भुगतान करने के लिए दायित्वधीन होगा :

परन्तु यह कि, यदि किसी वर्ष उत्खनित मात्रा अनुमोदित खनन योजना में उल्लेखित मात्रा से 20 प्रतिशत कम हो तो इस मात्रा के आगामी वर्ष में निकाले जाने की अनुमति दी जायेगी, किन्तु उस वर्ष के ठेकाधन में अवशिष्ट मात्रा के अंतर की राशि जमा की जानी होगी। अनुमोदित खनन योजना का पुनरीक्षण किया जायगा एवं वार्षिक ठेका राशि अनुपातिक रूप में पुनीरिक्षित किया जायगा । खनन योजना के पुनरीक्षण की स्थिति में, यथा आवश्यक पर्यावरणीय अनुमति प्राप्त की जायगी। ठेका अवधि में अनुमोदित खनन योजना में उल्लिखित मात्रा का खनन अनिवार्य होगा, अन्यथा जमा की गई सुरक्षा राशि सम्पहत की जा सकेगी:

परन्तु यह और कि, यदि ठेकेदार किसी वर्ष उस वर्ष की अनुज्ञात मात्रा से अधिक मात्रा (20 प्रतिशत से अधिक नहीं) की निकासी करना चाहता है, तब उसे प्रस्ताव अनुसार अनुमोदित खनन योजना एवं पर्यावरण अनुमति में यथायोग्य पुनरीक्षण /संशोधन करना होगा एवं यह बढी हुई मात्रा आगामी वर्ष की अनुज्ञात मात्रा के विरूद्ध समायोजित की जाएगी । किसी भी स्थिति में, ठेका अवधि हेतु स्वीकृत मात्रा से अधिक मात्रा में निकासी की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(3) उस स्थिति में जब ठेकेदार उपरोक्त पैरा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए वार्षिक कार्य योजना में तिमाही हेतु उल्लिखित मात्रा से अधिक खनिज निकालता है तो वह ऐसे निकाले गए अधिक मात्रा एवं तिमाही में चुकाई गई किश्त राशि के अंतर की राशि का भुगतान (तीस दिन) के भीतर किया जाना होगा, अन्यथा आगामी खनिज निकासी रोक दी जाएगी तो भुगतान करने का उत्तरदायी होगा:

परन्तु, यदि ठेकेदार नियत तारीख पर रकम का भुगतान करने में असफल रहता है तो वह 24 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज सहित शोध्य राशि/राशियों का भुगतान करने का उत्तरदायी होगा।

6. रेत खदान से संबंधित ठेका राशि एवं अन्य राशियां ठेकेदार द्वारा म०प्र० राज्य खनिज निगम एवं कलेक्टर द्वारा इस प्रयोजन हेतु संचालित खाते में प्रथमतः जमा कराई जाएगी

7. ठेका रकम तथा अन्य शोध्यो के जो कि इस करार के निबंधनो के अधीन देय है, शोध्य तारीखों से दो माह से अधिक अवधि तक भुगतान न किए जाने की दशा में कलेक्टर या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई

K. Remich

खनि अधिकारी
बैतूल

अधिकारी परिसर में प्रवेश करने के लिए सशक्त होगा तथा/या उसके उत्पाद और या खदान में ठेकेदार द्वारा रखी गई चल सम्पति को अभियहित कर सकेगा और ले जा सकेगा।

8 यदि इस अनुबंध के अधीन ठेके की राशि या कोई अन्य शोध्य ठेकेदार द्वारा एक माह से अधिक के लिए असंदत्त रहती है तो कलेक्टर ठेका रद्द किए जाने संबंधी प्रस्ताय राज्य शासन को प्रेषित करेगा एवं राज्य शासन का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

9 ठेकेदार, खदान के समीप ऐसे अस्थायी भवन आदि खडा करने का हकदार होगा जैसा कि उत्खनन प्रयोजनो के लिए अपेक्षित हो और इसे ठेका अवधि समाप्ति के पूर्व हटा लेगा । ऐसा नहीं करने की स्थिति में, ठेका, समाप्ति के पश्चात् खदान के समीप भूमि पर निर्मित् ऐसे कोई भवन आदि राज्य सरकार की सम्पति होगी तथा जिसके लिए ठेकेदार को उस पर का प्रतिकर दावा करने का अधिकार नहीं होगा।

10. ठेकेदार, स्वयं व्यय पर, भूमि की सीमाओं को दर्शित करने के लिए सीमा चिन्ह तथा स्तम्भ (पिलर) का निर्माण करेगा एवं उन्हे हमेशा दुरुस्त रखेगा।

11. ठेकेदार, ठेके के अधीन प्राप्त भूमि या उसके किसी भाग को समनुदेशित या उप पट्टे पर नहीं देगा अथवा ठेके के अधीन प्रदत्त अधिकारों /विशेषाधिकारो को अंतरित नहीं करेगा।

12. ठेकेदार, इस अनुबंध के अधीन प्रदत्त भूमि की समुचित स्वच्छता बनाए रखने का उत्तरदायी होगा।

13. ठेकेदार, उस समय समस्त नियमों तथा विनियमों और ऐसी अन्य शर्तों से बाध्य होगा जैसा कि शासन द्वारा समय-समय पर अधिरोपित की जाए।

14. ठेकेदार, खदान में कार्य कर रहे व्यक्तियों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के समुचित उपाय करने के लिए आबद्ध होगा।

15. ठेकेदार, सडक, पानी से संबंधित अधिकारो और अन्य सुखाधिकारों का ध्यान रखेगा।

16. सरकार को यह अधिकार होगा, कि वह पट्टाकृत क्षेत्र के ऊपर संचार साधनो की स्थापना के लिए ऊपर मार्ग का निर्माण करें या अन्य उपाय करें तथा ठेकेदार को उसके लिए प्रतिकर दावा करने का अधिकार नहीं होगा।

17. ठेकेदार, अनुमोदित खनन योजना के अनुसार खनन संक्रिया करेगा और रेत तथा बजरी का खनन सतह से अधिकतम तीन मीटर तक अथवा जल स्तर तक जो भी कम हो, किया जाएगा । किन्तु ऐसा उत्खनन नदी/ नाले के भीतर प्रतिसिद्ध होगा।

K. Ramaiah

खनि अधिकारी
बैतूल

18. ठेकेदार, खदान से अभिप्राप्त और विक्रय किए गए या निकास किए गए खनिज की मात्रा तथा विशिष्टिया दर्शाते हुए उनका सही लेखा और खदान में नियोजित व्यक्तियों की संख्या तथा खदान का पूर्ण रेखांक संधारित करेगा और शासन/ कलेक्टर द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी को किसी भी समय ऐसे लेखाओं तथा रेखांको का परीक्षण करने देगा तथा ऐसे सक्षम अधिकारी द्वारा निरीक्षण के दौरान या मांग की जाने पर प्रस्तुत करेगा।

19. ठेकेदार, नीचे दिये गये प्ररूप में मासिक विवरणी प्रत्येक माह की 07 तारीख के पूर्व कलेक्टर को प्रस्तुत करेगा:

माह	निकाले गये खनिज का प्रारंभिक स्टॉक(घनमीटर)	माह में निकाले गए खनिज की मात्रा (घनमीटर)	माह में निकास किए गए खनिज की मात्रा (घनमीटर)	माह में विक्रय किए गए खनिज की मात्रा (घनमीटर)	माह के अंत में खनिज का अंतिम स्टाक (घनमीटर)	माह के दौरान नियोजित श्रमिकों की औसत संख्या
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

20. ठेकेदार, खदान क्षेत्र में घटने वाली किसी दुर्घटना की रिपोर्ट तत्काल संबंधित जिला मजिस्ट्रेट को देगा।

21. ठेकेदार, उसके ठेके में शामिल की गई रेत खदानो के पहुच मार्ग, खनिज की उपलब्धता तथा कोई अन्य कारण से ठेकाधन की राशि में संशोधन किए जाने संबंध में कलेक्टर के विरुद्ध कोई प्रतिकर या नुकसान का दावा नहीं करेगा।

22. यदि ठेकेदार, उक्त ठेके की कालावधि के पूर्ण होने के पूर्व ठेके को पर्यवसित करने का इच्छुक है, तो वह ऐसे आशय की छह माह की लिखित सूचना कलेक्टर को देगा। उपरोक्त अवधि समाप्त होने एवं ठेकेदार के विरुद्ध बकाया न होने की स्थिति में कलेक्टर से प्राप्त प्रस्ताव पर राज्य शासन द्वारा समर्पण स्वीकार किया जाएगा एवं उसकी सुरक्षा राशि वापस की जाएगी। उक्त अवधि के लिए वार्षिक ठेकाधन ठेकेदार द्वारा अनिवार्य रूप से जमा किया जाएगा, इस अवधि में खनन संक्रियाए संचालित की जा सकेगी। यदि एक बार समर्पण के लिए आवेदन प्रस्तुत कर दिया जाता है। तो वह पुनः वापसी योग्य नहीं होगा। समर्पण सूचना प्राप्त होने के पश्चात समूह की पुन निविदा प्रक्रिया कलेक्टर द्वारा प्रारंभ की जाएगी ।

23 ठेकेदार, जिसके लिए उसको ठेका दिया गया है, उससे भिन्न प्रयोजन के लिए इस अनुबंध के अधीन उसको दी गई भूमि का उपयोग नहीं करेगा।

खनि अधिकारी
बैतूल

24 (1) युद्ध की स्थिति या आपातकाल की दशा में सरकार को खदान, वस्तुएं, भूमि, मशीनरी, संयंत्र, भवन तथा सामग्री का कब्जा लेने का अधिकार रहेगा तथा ऐसी स्थिति में ठेकेदार द्वारा किसी प्रतिकर के लिए कोई दावा नहीं करेगा।

(2) राज्य सरकार को लोकहित में ठेके की कालावधि समाप्त होने के पूर्व कब्जा वापस लेने का अधिकार होगा:

परन्तु कब्जा लेने के पूर्व ठेकेदार को एक माह की अग्रिम सूचना दी जायगी।

25. यदि इस ठेके के संबंध में और/या उसके संबंध में और/या कोई विवाद होने की स्थिति में, राज्य शासन का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

26. कब्जे का पुर्नग्रहण- (1) जहां कोई रेत ,खदान रदद की जाती है या अवधारित की जाती है अथवा खदान के कब्जे को लोकहित में पुर्नग्रहण करने का विनिश्चिय किया जाता है या वह कालावधि जिसके लिए रेत खदान मंजूर की गई हो समाप्त हो जाती है, तो ठेकेदार, रेत खदान का कब्जा कलेक्टर को, जिसमें रेत खदान/समूह या उसका बडा भाग अवस्थित हो, रदद किए जाने या पर्यवषित किये जाने या लोकहित में कब्जा वापस लेने के विनिश्चय की संसूचना की तारीख से सात दिन की कालावधि के भीतर या खदान के ठेके की कालावधि समाप्त होने की तारीख के आगामी दिन से, जैसी भी स्थिति हो, वापस सौंप देगा।

(2) जहां ठेकेदार रेत खदान/समूह का कब्जा, उप खंड (1) में विर्निदिष्ट कालावधि के भीतर सौंपने में असफल रहता है वहां कलेक्टर या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी सूचना की तामीली या तो डाक द्वारा या उसकी प्रति ठेकेदार को व्यक्तिगत रूप से या उसके परिवार के सदस्यों या नौकरों में से किसी को निविदत्त करते हुए या देते हुए उसके निवास स्थान अथवा कारबार के स्थान के किसी सहज दृश्य स्थान पर एक प्रति चस्पा करके या उसे उस स्थान में जहां ठेकेदार निवास करता है, परिचालित कम से कम एक समाचार पत्र में प्रकाशित करेगा या करवायेगा।

(3) उपखंड (2) के अधीन सूचना में यह कथन अंतर्विष्ट होगा कि ठेकेदार रेत खदान /समूह का कब्जा कलेक्टर या उप- खंड (1) के अधीन उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, को सूचना की तामीली की तारीख से सात दिन के भीतर सौंप देगा।

(4) जहां ठेकेदार उपखंड (2) के अधीन सूचना में विर्निदिष्ट कालावधि के भीतर रेत खदान/समूह का कब्जा सौंपने में असफल रहता है, वहां कलेक्टर या उप-खंड (1) के अधीन उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, ठेकेदार से रेत खदान का कब्जा ले सकेगा और उस प्रयोजन के लिए ऐसे बल का प्रयोग कर सकेगा, जैसे कि आवश्यक समझा जाये।

I.C. Ramaich

खनि अधिकारी
बैतूल

(5) यदि ठेके की कालावधि की समाप्ति पर ठेकेदार अगले दिन खदान का कब्जा सौंपने में असफल रहता है तो ठेकेदार, वापिस लिये जाने पर्यन्त, अनुबंध की समस्त शर्तों का पालन करेगा।

27. यदि ठेकेदार अनुबंध की शर्तों का उल्लघंन करता है, तो कलेक्टर को ठेकेदार द्वारा जमा सुरक्षा राशि या उसके भाग को सम्पहृत करने का अधिकार होगा।

28. ठेकेदार, खदान से खनिज या उसके उत्पाद ले जाने वाले प्रत्येक वाहन को राज्य सरकार द्वारा विहित अधियहन पास के साथ ही प्रत्येक गंतव्य के लिए जाने देगा।

29. ई- निविदा दस्तावेज, अनुबंध आदि इस ठेके के अभिन्न अंग होगे।

30. अनुबंध के अधीन, एतद्द्वारा यह पट्टाक्रामित किया जाता है, कि यदि ठेकेदार उपरोक्त में अंतर्विष्ट और उल्लिखित समस्त निबंधनो और शर्तों के पूर्ति करता है, तो सुरक्षा राशि की रकम रूपये 13,27,98,856 (तेरह करोड सत्ताईस लाख अट्ठान्वे हजार आठ सौ छप्पन रूपये) (अग्रिम धन) जो कि ठेकेदार द्वारा जमा की गई है कलेक्टर द्वारा उसे वापिस की जाएगी।

अनुसूची – क

(पैरा एक देखिए)

(पैरा 1 देखिए) क्र0	जिला	तहसील	ग्राम	खसरा क्रमांक	रकबा हेक्टेयर में
1	2	3	4	5	6
1	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	झोली–1	99	2.450

इस अनुबंध पत्र की देय स्टाम्प एवं पंजीयन शुल्क दस्तावेज क्रमांक- MP039742023A11470171 दिनांक 11/02/2023 द्वारा चुकाया जा चुका है।

K. Ramdas

खनि अधिकारी
बैतूल

साक्षियों का पूरा नाम व्यवसाय एवं हस्ताक्षर

हस्ताक्षर :-

1. नरेश कुमरधर S/O श्री [illegible] कुमरधर
सहा. मानिकुमार खनिज शाखा जि. बैतूल

2. [illegible] मंगलाल गंगाम
सहायक ग्रेड तीन खनिज शाखा बैतूल

अपर कलेक्टर
जिला बैतूल

खनि अधिकारी
बैतूल

साक्षियों का पूरा नाम, व्यवसाय एवं हस्ताक्षर

1. Sitaram Kumar

2. विजय सिंह

ठेकेदार/अटार्नी का नाम, पता व हस्ताक्षर

मेसर्स नेशनल एनर्जी ट्रेडिंग एण्ड सर्विसेज लिमिटेड
(अधिकृत व्यक्ति -श्री केल्लमपल्ली रामईया)
पता प्लाट न. 7 बिन्दु सदन 401 सांई चंद्र कॉलोनी, ग्रीन स्पेस तुलसी, पुप्पलगुडा, मणिकोंडा, हैदराबाद, रंगारेड्डी, तेलंगाना-500089 वर्तमान पता- हाऊस नम्बर 247, तृतीय तल, सेक्टर-2 शक्ति नगर, हबीबगंज भोपाल (म.प्र.)

400

ग्राम - झोली
प.ह.नं. 09
रा.नि.क. - चोपना
तहसील - घोड़ाडोंगरी
जिला - बैतूल (म.प्र.)

1 6" = 1 मील

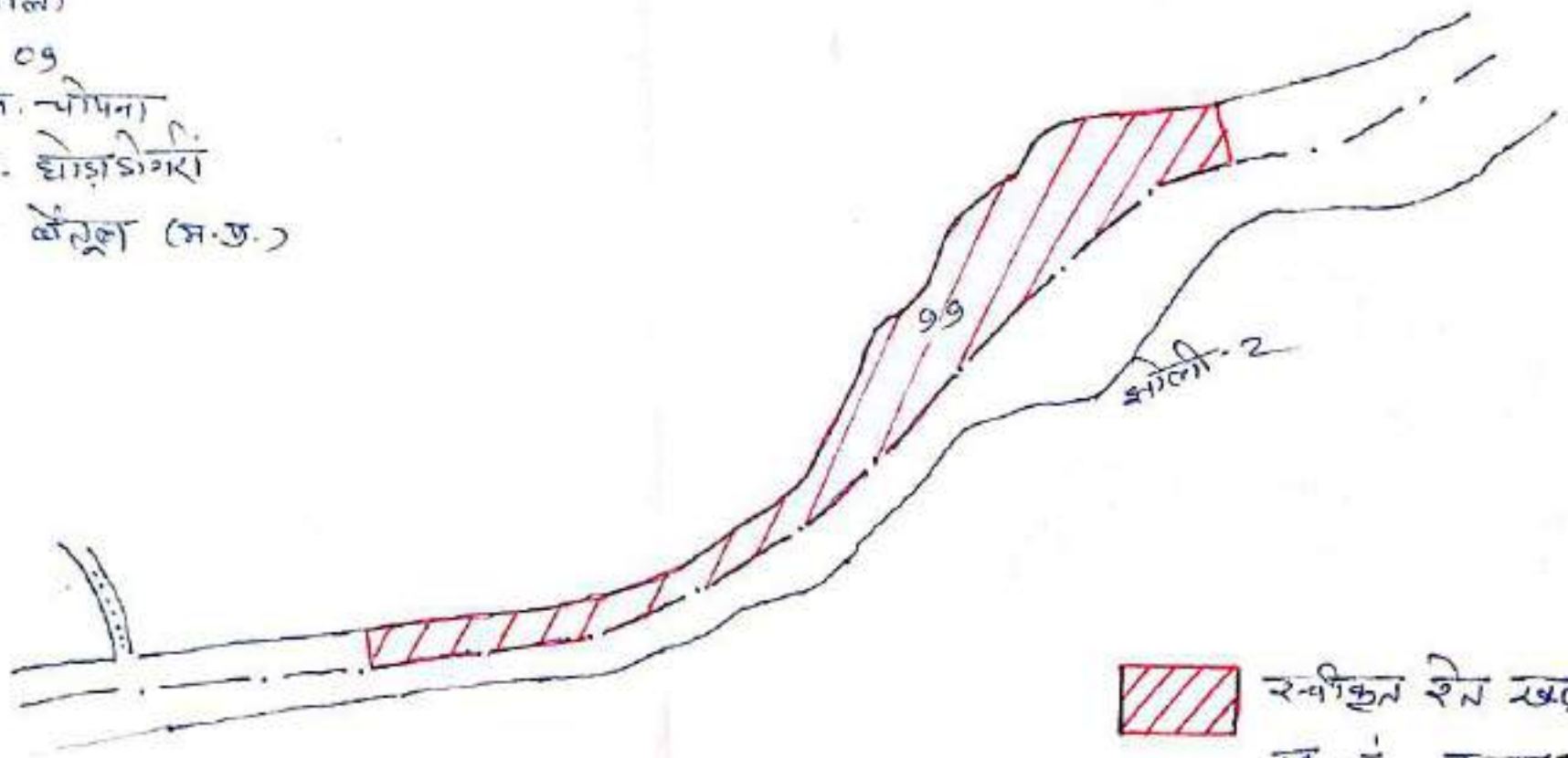

स्वीकृत रेत खदान,
ख.नं. रकबा
99 2.450 हे०

K. Rumpatch

अपर कलेक्टर
बैतूल

खनि अधिकारी
बैतूल

सहा. भानवि. कार
खनिज शाखा
जि. बैतूल

400

401

Registration and Stamp Department
Madhya Pradesh

Certificate of Stamp Duty

Stamp Details

Stamp Code	010103060120230085O8
Total Stamp Amount	2000
Govt. Stamp Duty (Rs.)	2000
Postal Duty (Rs.)	0
Municipality Duty (Rs.)	0
Exempted Amount(Rs.)	0
Upkar Amount (Rs.)	0
E-Stamp Type	NON-JUDICIAL
Issue Date & Time	06/04/2023 15:46:46
Service Provider or Issuer Details	RAKESH SHARMA/SP0103119062001800101
SR SRO/DKO/HQ Details	C/O Shree Sai Baba Group Near Badelal Lodge Kothi Bazar Kothi Bazar Betul MP BETUL BETUL

Deed Details

Deed Type	Agreement/Memorandum of an agreement
Deed Description	If relating to secure repayment of a loan or debt - 0.25 percent of the amount of loan or debt, subject to a maximum of five lakh rupees
Purpose	E STAMP FOR AGREEMENT

First Party Details

Organization Name	कलेक्टर खनिज बैतूल
Address	BETUL BETUL Madhya Pradesh (MoDoA
Number of Persons	1

Second Party Details

Organization Name	मेसर्स नेशनल एलॉयी इंडस्ट्रीज एंड कार्बोरेन्डम लिमिटेड
Address	प्लॉट - नाउस नं. 247 तृतीय फेज सेक्टर 2 शाहपुरा भोपाल दुष्यन्त नगर (म.प्र.) BHOPAL Madhya Pradesh INDIA
Number of Persons	1

खनिजपट्टा क्षेत्र खुरपा झाक ओरी। तहसील बोड़ाडोंगरी खसरा नं. 99 रकबा 2.450 है.

Digitally signed by RAKESH SHARMA
Date: 2023.04.06 15:47:04 IST

40021

010103060120230085O8

प्रारूप-पांच

(नियम 13 (2) देखिए)

रेत खदान हेतु ठेके का अनुबंध

यह करार एक पक्ष के रूप में जो कलेक्टर जिला बैतूल के माध्यम से कार्य करते हुए मध्यप्रदेश के राज्यपाल (जिन्हे इसमें इसके पश्चात् राज्यपाल कहा गया है), जिस अभिव्यक्ति में उनके पद उत्तरवर्ती सम्मलित है और अन्य पक्ष के रूप में श्री/श्रीमती/कुमारी मेसर्स नेशनल एनर्जी ट्रेडिंग एण्ड सर्विसेज लिमिटेड (अधिकृत व्यक्ति –श्री मेघावरपु प्रशांत पिता रामाराव) पता प्लाट न. 7 विन्दु सदन 401 सांई चंद्र कॉलोनी, ग्रीन स्पेस तुलसी, पुप्पलगुडा, मणिकोंडा, हैदराबाद, रंगारेड्डी, तेलंगाना-500089 वर्तमान पता-हाऊस नम्बर 247, तृतीय तल, सेक्टर-2 शक्ति नगर, हबीबगंज भोपाल (म.प्र.) (जिसे इसमें इसके पश्चात् "ठेकेदार" कहा गया है) जिस अभिव्यक्ति में, जहां कि संदर्भ ऐसा स्वीकार है, उसके वारिस, निष्पादक, प्रशासक, प्रतिनिधि और अनुज्ञात समनुदेशिती शामिल है, के बीच आज दिनांक 02 माह जून सन् 2023 को दिनांक 09.02.2023 से दिनांक 30.06.2023 की अवधि हेतु व्यापारिक खदान के लिये किया गया।

1. यतः ठेकेदार, ई-निविदा की शर्तो के अनुसार ई-निविदा की राशि रूपए 53,11,95,424.20 (तिरेपन करोड़ ग्यारह लाख पन्चान्वे हजार चार सौ चौबीस रूपये बीस पैसे मात्र) प्रतिवर्ष का भुगतान करने के लिए सहमत हो गया है, जो रकम एतद् द्वारा ठेका राशि कहलायगी और रूपये 13,27,98,856 (तेरह करोड सत्ताईस लाख अट्ठान्वे हजार आठ सौ छप्पन रूपये) अग्रिम धन (सुरक्षा राशि) सुरक्षा राशि के रूप में और रूपये (लागू नहीं) प्रतिभूति राशि रूपये (लागू नहीं) ठेका अवधि में देय संपूर्ण राशि के समतुल्य है, और जो ठेके के निबंधनो और शर्तो के सम्यक पालन के लिए जमा रखी जायेगी और जो कि ठेके के अनुबंध का किसी प्रकार भंग किए जाने की स्थिति समहृत किए जाने योग्य होगी और

यतः कलेक्टर ने उसे उस रेत खदान का ठेका स्वीकृत किया है जिसका मानचित्र संलग्न है जिस खदान रातामाटी खसरा क्रमांक 01 रकबा 2.550 हे0, तहसील भैंसदेही जिला बैतूल और जिसका विवरण संलग्न अनुसूची "क" में दिया गया है जो अब आगे "खदान" कही जायेगी।

2. अब यह अनुबंध साक्षी है कि ठेका राशि, रॉयल्टी, किराया, तथा अन्य भुगतानों के प्रतिफल में तथा शर्तो, प्रसंविदाओं और करार के प्रतिफल में तथा अध्यधीन रहते हुए, ठेकेदार को खनन के प्रयोजनो के लिए, प्रदत्त क्षेत्र में प्रवेश करने, अधिभोग रखने तथा उपयोग और इस शर्त के अध्याधीन रहते हुए कि कलेक्टर को ठेके की पूरी अवधि के दौरान सभी समय पर खदान के भीतर अवस्थित या ठेकेदार के नियंत्रण के अधीन अन्य कही उत्पादों के प्रचलित उचित बाजार मूल्य पर अग्र क्रयाधिकार होगा, खनिज या खनिज के उत्पादों को खदान से बाहर ले जाने तथा उनका विक्रय करने की स्वतंत्रता होगी,

ठेकेदार/पट्टाधारी के हस्ताक्षर

जिला खनि अधिकारी
बैतूल

3. ठेकेदार इस अनुबंध के अनुसरण में, एतद्द्वारा निविदाकार को पट्टान्तरित भूमि का तारीख 09/02/2023 से तारीख 30/06/2023 तक अधिभोग रखेगा तथा कब्जा ग्रहण करेगा।

4. एतद् द्वारा यह सहमति प्रदान की जाती है कि एतद् द्वारा पट्टान्तरित रेत ठेके पर दिये गये क्षेत्र की सीमाऐं खड़ी नीचे की ओर भूमि के केन्द्र तक रहेगी।

5. (1) ठेकेदार वार्षिक ठेका राशि रूपए 53,11,95,424.20 (तिरेपन करोड़ ग्यारह लाख पन्चान्ये हजार चार सौ चौवीस रूपये बीस पैसे मात्र) का

नीचे दी गई तारीख या उसके पूर्व किश्तों में भुगतान करेगा –

अनुक्रमांक	किश्त क्रमांक	किश्त की राशि (रूपए में)	किश्त जमा करने की तारीख
1.	प्रथम किश्त	7,42,21,826.00	प्रथम त्रैमास का प्रथम दिवस
2.	द्वितीय किश्त	13,27,98,856.00	द्वितीय त्रैमास का प्रथम दिवस

परन्तु ठेकेदार, ठेकाराशि तथा रेत खदान से संबंधित अन्य सम्पूर्ण रकम प्रथमतः म. प्र. राज्य खनिज निगम एवं कलेक्टर द्वारा इस प्रयोजन हेतु संचालित खाते में जमा करेगा।

परन्तु, यदि ठेकेदार नियत तारीख को किश्तों को जमा करने में असफल रहता है तो ठेकेदार के पक्ष में आवंटित समूह की खदानों के लिए ई-टी.पी बंद की जायेगी तथा खदान संचालन पर रोक लगा दी जाएगी तथा ठेकेदार को इस आशय का कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा, कि किश्त की राशि जमा करने में असफल रहने पर क्यों न उन का ठेका निरस्त कर दिया जाए:

परन्तु और या कि, किश्त जमा करने की निर्धारित तारीख से 30 दिवस के भीतर ठेकेदार द्वारा उक्त कारण बताओ नोटिस का जबाव देते हुए विलंब अवधि पर 24 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज सहित देय किश्त/किश्तों का भुगतान करने पर, कलेक्टर/निगम द्वारा खदान का संचालन के लिए अनुमति दे सकेगा।

परन्तु यह और कि, 30 दिवस की अवधि के भीतर उपरोक्तानुसार यदि ठेकेदार राशि जमा करने में असफल रहता है तो, कलेक्टर/निगम द्वारा ठेका व्यपगत आदेश कर पुनः निविदा हेतु शासन को अनुरोध किया जाएगा। निविदा की विज्ञप्ति प्रकाशन के पूर्व तक ठेकेदार समस्त देयतायें 24 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ जमा कर सकता है। नवीन निविदा विज्ञप्ति प्रकाशन पर स्वमेव ठेका पूर्ण रूप से निरस्त समझा जाएगा।

परन्तु यह और भी कि, जब तक किश्त की राशि मय ब्याज के प्राप्त होगी तो तब तक ठेकेदार के पक्ष में आवंटित समूह की खदानों के लिए ई-टी.पी. जारी किए जाने पर रोक रहेगी।

जिला खनि अधिकारी
बैतूल

ठेकेदार/पट्टेदार
हस्ताक्षर

(2) ठेकेदार, ठेका राशि की रकम के एवज में खनन योजना, पर्यावरणीय स्वीकृति एवं जल वायु सम्मति में (इनमें से जो भी कम हो) अनुज्ञात रेत की मात्रा ले जा सकेगा।

परन्तु, यदि ठेकेदार निर्धारित मात्रा से अधिक मात्रा में खनिज निकालेगा या ले जायेगा, तब वह उस अधिक निकाली गई या ले जायी गई मात्रा के लिए ऐसी मात्रा के मूल्य का भुगतान करने के लिए दायित्वधीन होगा :

परन्तु यह कि, यदि किसी वर्ष उत्खनित मात्रा अनुमोदित खनन योजना में उल्लेखित मात्रा से 20 प्रतिशत कम हो तो इस मात्रा के आगामी वर्ष में निकाले जाने की अनुमति दी जायेगी, किन्तु उस वर्ष के ठेकाधन में अवशिष्ट मात्रा के अंतर की राशि जमा की जानी होगी। अनुमोदित खनन योजना का पुनरीक्षण किया जायगा एवं वार्षिक ठेका राशि अनुपातिक रूप में पुनीरिक्षित किया जायगा । खनन योजना के पुनरीक्षण की स्थिति में, यथा आवश्यक पर्यावरणीय अनुमति प्राप्त की जायगी। ठेका अवधि में अनुमोदित खनन योजना में उल्लिखित मात्रा का खनन अनिवार्य होगा, अन्यथा जमा की गई सुरक्षा राशि सम्पहृत की जा सकेगी:

परन्तु यह और कि, यदि ठेकेदार किसी वर्ष उस वर्ष की अनुज्ञात मात्रा से अधिक मात्रा (20 प्रतिशत से अधिक नहीं) की निकासी करना चाहता है, तब उसे प्रस्ताव अनुसार अनुमोदित खनन योजना एवं पर्यावरण अनुमति में यथायोग्य पुनरीक्षण /संशोधन करना होगा एवं यह बढी हुई मात्रा आगामी वर्ष की अनुज्ञात मात्रा के विरुद्ध समायोजित की जाएगी । किसी भी स्थिति में, ठेका अवधि हेतु स्वीकृत मात्रा से अधिक मात्रा में निकासी की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(3) उस स्थिति में जब ठेकेदार उपरोक्त पैरा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए वार्षिक कार्य योजना में तिमाही हेतु उल्लिखित मात्रा से अधिक खनिज निकालता है तो वह ऐसे निकाले गए अधिक मात्रा एवं तिमाही में चुकाई गई किश्त राशि के अंतर की राशि का भुगतान (तीस दिन) के भीतर किया जाना होगा, अन्यथा आगामी खनिज निकासी रोक दी जाएगी तो भुगतान करने का उत्तरदायी होगा:

परन्तु, यदि ठेकेदार नियत तारीख पर रकम का भुगतान करने में असफल रहता है तो वह 24 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज सहित शोध्य राशि/राशियों का भुगतान करने का उत्तरदायी होगा।

6. रेत खदान से संबंधित ठेका राशि एवं अन्य राशियां ठेकेदार द्वारा म०प्र० राज्य खनिज निगम एवं कलेक्टर द्वारा इस प्रयोजन हेतु संचालित खाते में प्रथमत: जमा कराई जाएगी

7. ठेका रकम तथा अन्य शोध्यो के जो कि इस करार के निबंधनो के अधीन देय है, शोध्य तारीखों से दो माह से अधिक अवधि तक भुगतान न किए जाने की दशा में कलेक्टर या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई

ठेकेदार/फर्म/कंपनी
हस्ताक्षर

जिला खनि अधिकारी
बैतूल

अधिकारी परिसर में प्रवेश करने के लिए सशक्त होगा तथा/या उसके उत्पाद और या खदान में ठेकेदार द्वारा रखी गई चल सम्पत्ति को अभिग्रहित कर सकेगा और ले जा सकेगा।

8 यदि इस अनुबंध के अधीन ठेके की राशि या कोई अन्य शोध्य ठेकेदार द्वारा एक माह से अधिक के लिए असंदत्त रहती है तो कलेक्टर ठेका रद्द किए जाने संबंधी प्रस्ताव राज्य शासन को प्रेषित करेगा एवं राज्य शासन का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

9 ठेकेदार, खदान के समीप ऐसे अस्थायी भवन आदि खडा करने का हकदार होगा जैसा कि उत्खनन प्रयोजनो के लिए अपेक्षित हो और इसे ठेका अवधि समाप्ति के पूर्व हटा लेगा । ऐसा नहीं करने की स्थिति में, ठेका, समाप्ति के पश्चात् खदान के समीप भूमि पर निर्मित् ऐसे कोई भवन आदि राज्य सरकार की सम्पति होगी तथा जिसके लिए ठेकेदार को उस पर का प्रतिकर दावा करने का अधिकार नहीं होगा।

10. ठेकेदार, स्वयं व्यय पर, भूमि की सीमाओं को दर्शित करने के लिए सीमा चिन्ह तथा स्तम्भ (पिलर) का निर्माण करेगा एवं उन्हे हमेशा दुरुस्त रखेगा।

11. ठेकेदार, ठेके के अधीन प्राप्त भूमि या उसके किसी भाग को समनुदेशित या उप पट्टे पर नहीं देगा अथवा ठेके के अधीन प्रदत्त अधिकारों /विशेषाधिकारो को अंतरित नहीं करेगा।

12. ठेकेदार, इस अनुबंध के अधीन प्रदत्त भूमि की समुचित स्वच्छता बनाए रखने का उत्तरदायी होगा।

13. ठेकेदार, उस समय समस्त नियमों तथा विनियमों और ऐसी अन्य शर्तो से बाध्य होगा जैसा कि शासन द्वारा समय-समय पर अधिरोपित की जाए।

14. ठेकेदार, खदान में कार्य कर रहे व्यक्तियों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के समुचित उपाय करने के लिए आबद्ध होगा।

15. ठेकेदार, सडक, पानी से संबंधित अधिकारो और अन्य सुखाधिकारों का ध्यान रखेगा।

16. सरकार को यह अधिकार होगा, कि वह पट्टाकृत क्षेत्र के ऊपर संचार साधनो की स्थापना के लिए ऊपर मार्ग का निर्माण करें या अन्य उपाय करें तथा ठेकेदार को उसके लिए प्रतिकर दावा करने का अधिकार नहीं होगा।

17. ठेकेदार, अनुमोदित खनन योजना के अनुसार खनन संक्रिया करेगा और रेत तथा बजरी का खनन सतह से अधिकतम तीन मीटर तक अथवा जल स्तर तक जो भी कम हो, किया जाएगा । किन्तु ऐसा उत्खनन नदी/ नाले के भीतर प्रतिसिद्ध होगा।

ठेकेदार पट्टेदार
हस्ताक्षर

जिला खनि अधिकारी
बैतूल

18. ठेकेदार, खदान से अभिप्राप्त और विक्रय किए गए या निकास किए गए खनिज की मात्रा तथा विशिष्टिया दर्शाते हुए उनका सही लेखा और खदान में नियोजित व्यक्तियों की संख्या तथा खदान का पूर्ण रेखांक संधारित करेगा और शासन/ कलेक्टर द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी को किसी भी समय ऐसे लेखाओं तथा रेखांको का परीक्षण करने देगा तथा ऐसे सक्षम अधिकारी द्वारा निरीक्षण के दौरान या मांग की जाने पर प्रस्तुत करेगा।

19. ठेकेदार, नीचे दिये गये प्ररूप में मासिक विवरणी प्रत्येक माह की 07 तारीख के पूर्व कलेक्टर को प्रस्तुत करेगा:

माह	निकाले गये खनिज का प्रारंभिक स्टॉक(घनमीटर)	माह में निकाले गए खनिज की मात्रा (घनमीटर)	माह में निकास किए गए खनिज की मात्रा (घनमीटर)	माह में विक्रय किए गए खनिज की मात्रा (घनमीटर)	माह के अंत में खनिज का अंतिम स्टाक (घनमीटर)	माह के दौरान नियोजित श्रमिकों की औसत संख्या
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

20. ठेकेदार, खदान क्षेत्र में घटने वाली किसी दुर्घटना की रिपोर्ट तत्काल संबंधित जिला मजिस्ट्रेट को देगा।

21. ठेकेदार, उसके ठेके में शामिल की गई रेत खदानो के पहुच मार्ग, खनिज की उपलब्धता तथा कोई अन्य कारण से ठेकाधन की राशि में संशोधन किए जाने संबंध में कलेक्टर के विरुद्ध कोई प्रतिकर या नुकसान का दावा नहीं करेगा।

22. यदि ठेकेदार, उक्त ठेके की कालावधि के पूर्ण होने के पूर्व ठेके को पर्यवसित करने का इच्छुक है, तो वह ऐसे आशय की छह माह की लिखित सूचना कलेक्टर को देगा। उपरोक्त अवधि समाप्त होने एवं ठेकेदार के विरुद्ध बकाया न होने की स्थिति में कलेक्टर से प्राप्त प्रस्ताव पर राज्य शासन द्वारा समर्पण स्वीकार किया जाएगा एवं उसकी सुरक्षा राशि वापस की जाएगी। उक्त अवधि के लिए वार्षिक ठेकाधन ठेकेदार द्वारा अनिवार्य रूप से जमा किया जाएगा, इस अवधि में खनन संक्रियाए संचालित की जा सकेगी। यदि एक बार समर्पण के लिए आवेदन प्रस्तुत कर दिया जाता है। तो वह पुनः वापसी योग्य नहीं होगा। समर्पण सूचना प्राप्त होने के पश्चात समूह की पुन निविदा प्रक्रिया कलेक्टर द्वारा प्रारंभ की जाएगी ।

23 ठेकेदार, जिसके लिए उसको ठेका दिया गया है, उससे भिन्न प्रयोजन के लिए इस अनुबंध के अधीन उसको दी गई भूमि का उपयोग नहीं करेगा।

जिला खनि अधिकारी
बैतूल

ठेकेदार/पट्टेदार
हस्ताक्षर

24 (1) युद्ध की स्थिति या आपातकाल की दशा में सरकार को खदान, वस्तुएं, भूमि, मशीनरी, संयंत्र, भवन तथा सामग्री का कब्जा लेने का अधिकार रहेगा तथा ऐसी स्थिति में ठेकेदार द्वारा किसी प्रतिकर के लिए कोई दावा नहीं करेगा।

(2) राज्य सरकार को लोकहित में ठेके की कालावधि समाप्त होने के पूर्व कब्जा वापस लेने का अधिकार होगा:

परन्तु कब्जा लेने के पूर्व ठेकेदार को एक माह की अग्रिम सूचना दी जायगी।

25. यदि इस ठेके के संबंध में और/या उसके संबंध में और/या कोई विवाद होने की स्थिति में, राज्य शासन का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

26. कब्जे का पुर्नग्रहण- (1) जहां कोई रेत ,खदान रदद की जाती है या अवधारित की जाती है अथवा खदान के कब्जे को लोकहित में पुर्नग्रहण करने का विनिश्चिय किया जाता है या वह कालावधि जिसके लिए रेत खदान मंजूर की गई हो समाप्त हो जाती है, तो ठेकेदार, रेत खदान का कब्जा कलेक्टर को, जिसमें रेत खदान/समूह या उसका बडा भाग अवस्थित हो, रदद किए जाने या पर्यवसित किये जाने या लोकहित में कब्जा वापस लेने के विनिश्चय की संसूचना की तारीख से सात दिन की कालावधि के भीतर या खदान के ठेके की कालावधि समाप्त होने की तारीख के आगामी दिन से, जैसी भी स्थिति हो, वापस सौंप देगा।

(2) जहां ठेकेदार रेत खदान/समूह का कब्जा, उप खंड (1) में विर्निदिष्ट कालावधि के भीतर सौंपने में असफल रहता है वहां कलेक्टर या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी सूचना की तामीली या तो डाक द्वारा या उसकी प्रति ठेकेदार को व्यक्तिगत रूप से या उसके परिवार के सदस्यों या नौकरों में से किसी को निविदत्त करते हुए या देते हुए उसके निवास स्थान अथवा कारबार के स्थान के किसी सहज दृश्य स्थान पर एक प्रति चस्पा करके या उसे उस स्थान में जहां ठेकेदार निवास करता है, परिचालित कम से कम एक समाचार पत्र में प्रकाशित करेगा या करवायेगा।

(3) उपखंड (2) के अधीन सूचना में यह कथन अंतर्विष्ट होगा कि ठेकेदार रेत खदान /समूह का कब्जा कलेक्टर या उप- खंड (1) के अधीन उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, को सूचना की तामीली की तारीख से सात दिन के भीतर सौंप देगा।

(4) जहां ठेकेदार उपखंड (2) के अधीन सूचना में विर्निदिष्ट कालावधि के भीतर रेत खदान/समूह का कब्जा सौंपने में असफल रहता है, वहां कलेक्टर या उप-खंड (1) के अधीन उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, ठेकेदार से रेत खदान का कब्जा ले सकेगा और उस प्रयोजन के लिए ऐसे बल का प्रयोग कर सकेगा, जैसे कि आवश्यक समझा जाये।

जिला खनि अधिकारी
बैतूल

ठेकेदार/पट्टेदार
हस्ताक्षर

(5) यदि ठेके की कालावधि की समाप्ति पर ठेकेदार अगले दिन खदान का कब्जा सौंपने में असफल रहता है तो ठेकेदार, वापिस लिये जाने पर्यन्त, अनुबंध की समस्त शर्तो का पालन करेगा।

27. यदि ठेकेदार अनुबंध की शर्तो का उल्लघंन करता है, तो कलेक्टर को ठेकेदार द्वारा जमा सुरक्षा राशि या उसके भाग को सम्पहृत करने का अधिकार होगा।

28. ठेकेदार, खदान से खनिज या उसके उत्पाद ले जाने वाले प्रत्येक वाहन को राज्य सरकार द्वारा विहित अधिवहन पास के साथ ही प्रत्येक गंतव्य के लिए जाने देगा।

29. ई- निविदा दस्तावेज, अनुबंध आदि इस ठेके के अभिन्न अंग होगे।

30. अनुबंध के अधीन, एतद्द्वारा यह पट्टाक्रामित किया जाता है, कि यदि ठेकेदार उपरोक्त में अंतर्विष्ट और उल्लिखित समस्त निबंधनो और शर्तों के पूर्ति करता है, तो सुरक्षा राशि की रकम रूपये 13,27,98,856 (तेरह करोड सत्ताईस लाख अट्ठान्ये हजार आठ सौ छप्पन रूपये) (अग्रिम धन) जो कि ठेकेदार द्वारा जमा की गई है कलेक्टर द्वारा उसे वापिस की जाएगी।

अनुसूची – क

(पैरा एक देखिए)

(पैरा 1 देखिए) क्र0	जिला	तहसील	ग्राम	खसरा क्रमांक	रकबा हेक्टेयर में
1	2	3	4	5	6
1	बैतूल	भैंसदेही	रातामाटी	1	2.550

इस अनुबंध पत्र की देय स्टाम्प एवं पंजीयन शुल्क दस्तावेज क्रमांक- MP039742023A11470171 दिनांक 11/02/2023 द्वारा चुकाया जा चुका है।

ठेकेदार/पट्टेदार
हस्ताक्षर

जिला खनि अधिकारी
बैतूल

साक्षियों का पूरा नाम व्यवसाय एवं हस्ताक्षर

हस्ताक्षर :-

1. [illegible] S/o [illegible]
[illegible]

2. [illegible] S/o [illegible]
[illegible]

जिला खनि अधिकारी
बैतूल

अपर कलेक्टर
जिला बैतूल

साक्षियों का पूरा नाम, व्यवसाय एवं हस्ताक्षर

1. [illegible] S/o [illegible]
[illegible]

2. [illegible] S/o [illegible]
[illegible]

ठेकेदार/अटार्नी का नाम, पता व हस्ताक्षर

ठेकेदार पटेदार
हस्ताक्षर

मेसर्स नेशनल एनर्जी ट्रेडिंग एण्ड सर्विसेज लिमिटेड
(अधिकृत व्यक्ति - श्री मेघावरपु प्रशांत पिता रामाराव)
पता प्लाट न. 7 बिन्दु सदन 401 सांई चंद्र कॉलोनी, ग्रीन स्पेस तुलसी, पुप्पलगुडा, मणिकोंडा, हैदराबाद, रंगारेड्डी, तेलंगाना-500089 वर्तमान पता- हाऊस नम्बर 247, तृतीय तल, सेक्टर-2 शक्ति नगर, हबीबगंज भोपाल (म.प्र.)

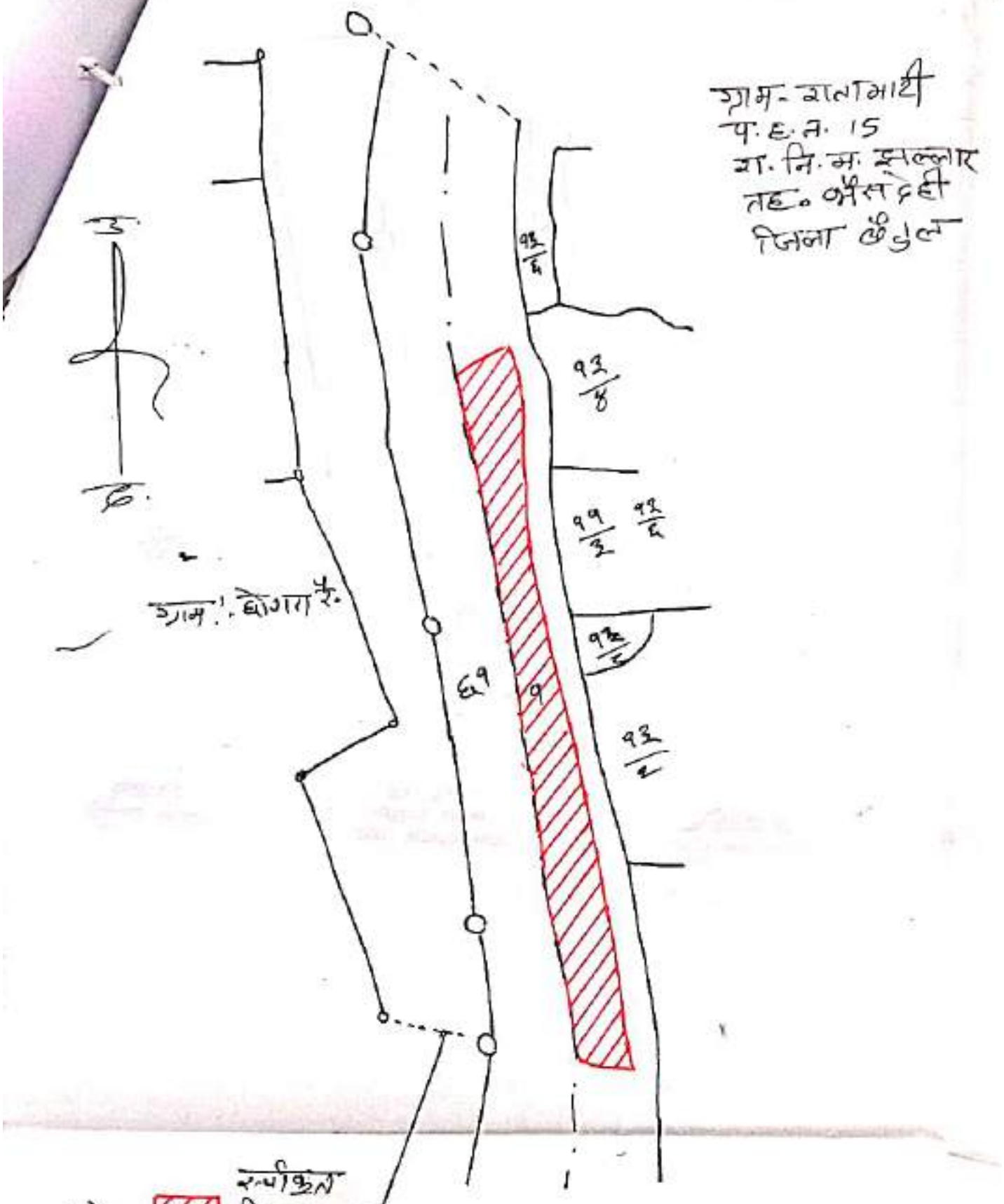

किशनलाल साहू
सहा. भूवैज्ञानिक-कार
खनिज शाखा
जि. बैतूल

खनि-अधिकारी
बैतूल

अपर कलेक्टर
बैतूल

पटवारी हल्का

Registration and Stamp Department
Madhya Pradesh

Certificate of Stamp Duty

E-Stamp Details

Stamp Code	0101030206202300604I
Total E-Stamp Amount	2000
Govt. Stamp Duty (Rs.)	2000
Janpad Duty (Rs.)	0
Municipality Duty (Rs.)	0
Exempted Amount(Rs.)	0
Upkar Amount (Rs.)	0
E-Stamp Type	NON-JUDICIAL
Issue Date & Time	02/06/2023 12:39:31
Service Provider or Issuer Details	sanjeev Dubey/SP0103419042018000I9
SP/SRO/DRO/HO Details	dadawadi ke Pas Chakeer Road Moti Ward Betul Th. Betul Dist. Betul (MP) BETUL BETUL

Deed Details

Deed Type	Agreement/Memorandum of an agreement
Deed Instrument	If relating to secure repayment of a loan or debt.- 0.25 percent of the amount of loan or debt, subject to a maximum of five lakh rupees
Purpose	Agreement

First Party Details

Organization Name	कलेक्टर खनिज बैतूल
Address	कलेक्टर खनिज बैतूल BETUL Madhya Pradesh INDIA
Number of Persons	1

Second Party Details

Organization Name	मेसर्स नेशनल एलॉय ट्रेडिंग एंड सर्विसेस लिमिटेड
Address	हाउस न. 247 तृतीय तल सेक्टर 2 शांति नगर हर्षवर्धन भोपाल म.प्र. BHOPAL Madhya Pradesh INDIA
Number of Persons	1

Agreement

व्यापारिक रेत खदान ग्राम रातामाटी तह. भैसदेही खसरा न. 01 रकबा 2.550 हे. जिला बैतूल म.प्र.

Digitally signed by SANJEEV DUBY
Date: 2023.06.02 12:39:35 IST

प्रारूप-पांच

(नियम 13 (2) देखिए)

रेत खदान हेतु ठेके का अनुबंध

यह करार एक पक्ष के रूप में जो कलेक्टर जिला बैतूल के माध्यम से कार्य करते हुए मध्यप्रदेश के राज्यपाल (जिन्हे इसमें इसके पश्चात् राज्यपाल कहा गया है), जिस अभिव्यक्ति में उनके पद उत्तरवर्ती सम्मलित है और अन्य पक्ष के रूप में श्री/श्रीमती/कुमारी मेसर्स नेशनल एनर्जी ट्रेडिंग एण्ड सर्विसेज लिमिटेड (अधिकृत व्यक्ति –श्री मेघावरपु प्रशांत पिता रामाराव) पता प्लाट न. 7 विन्दु सदन 401 सांई चंद्र कॉलोनी, ग्रीन स्पेस तुलसी, पुप्पलगुडा, मणिकोंडा, हैदराबाद, रंगारेड्डी, तेलंगाना-500089 वर्तमान पता-हाऊस नम्बर 247, तृतीय तल, सेक्टर-2 शक्ति नगर, हबीबगंज भोपाल (म.प्र.) (जिसे इसमें इसके पश्चात् "ठेकेदार" कहा गया है) जिस अभिव्यक्ति में, जहां कि संदर्भ ऐसा स्वीकार है, उसके वारिस, निष्पादक, प्रशासक, प्रतिनिधि और अनुज्ञात समनुदेशिती शामिल है, के बीच आज दिनांक 12 माह जून सन् 2023 को दिनांक 09.02.2023 से दिनांक 30.06.2023 की अवधि हेतु व्यापारिक खदान के लिये किया गया।

1. यतः ठेकेदार, ई-निविदा की शर्तो के अनुसार ई-निविदा की राशि रूपए 53,11,95,424.20 (तिरेपन करोड़ ग्यारह लाख पन्चान्वे हजार चार सौ चौबीस रूपये बीस पैसे मात्र) प्रतिवर्ष का भुगतान करने के लिए सहमत हो गया है, जो रकम एतद् द्वारा ठेका राशि कहलायगी और रूपये 13,27,98,856 (तेरह करोड सत्ताईस लाख अट्ठान्वे हजार आठ सौ छप्पन रूपये) अग्रिम धन (सुरक्षा राशि) सुरक्षा राशि के रूप में और रूपये (लागू नहीं) प्रतिभूति राशि रूपये (लागू नहीं) ठेका अवधि में देय संपूर्ण राशि के समतुल्य है, और जो ठेके के निबंधनो और शर्तो के सम्यक पालन के लिए जमा रखी जायेगी और जो कि ठेके के अनुबंध का किसी प्रकार भंग किए जाने की स्थिति समहृत किए जाने योग्य होगी और

यतः कलेक्टर ने उसे उस रेत खदान का ठेका स्वीकृत किया है जिसका मानचित्र संलग्न है जिस खदान शाहपुर/पत्तौवापुरा खसरा क्रमांक 01 एवं 112 रकबा 11.000 हे0, तहसील शाहपुर जिला बैतूल और जिसका विवरण संलग्न अनुसूची "क" में दिया गया है जो अब आगे "खदान" कही जायेगी।

2. अब यह अनुबंध साक्षी है कि ठेका राशि, रोयल्टी, किराया, तथा अन्य भुगतानों के प्रतिफल में तथा शर्तो, प्रसंविदाओं और करार के प्रतिफल में तथा अध्यधीन रहते हुए, ठेकेदार को खनन के प्रयोजनो के लिए, प्रदत्त क्षेत्र में प्रवेश करने, अधिभोग रखने तथा उपयोग और इस शर्त के अध्याधीन रहते हुए कि कलेक्टर को ठेके की पूरी अवधि के दौरान सभी समय पर खदान के भीतर अवस्थित या ठेकेदार के नियंत्रण के अधीन अन्य कही उत्पादों के प्रचलित उचित बाजार मूल्य पर अग्र क्रयाधिकार होगा, खनिज या खनिज के उत्पादों को खदान से बाहर ले जाने तथा उनका विक्रय करने की स्वतंत्रता होगी,

ठेकेदार पटेवार
हस्ताक्षर

प्रभारी अधिकारी
(खनिज - शाखा)
जिला बैतूल

3. ठेकेदार इस अनुबंध के अनुसरण में, एतद्द्वारा निविदाकार को पट्टान्तरित भूमि का तारीख 09/02/2023 से तारीख 30/06/2023 तक अधिभोग रखेगा तथा कब्जा ग्रहण करेगा।

4. एतद् द्वारा यह सहमति प्रदान की जाती है कि एतद् द्वारा पट्टान्तरित रेत ठेके पर दिये गये क्षेत्र की सीमाऐं खड़ी नीचे की ओर भूमि के केन्द्र तक रहेगी।

5. (1) ठेकेदार वार्षिक ठेका राशि रूपए 53,11,95,424.20 (तिरेपन करोड़ ग्यारह लाख पन्चान्वे हजार चार सौ चौबीस रूपये बीस पैसे मात्र) का

नीचे दी गई तारीख या उसके पूर्व किश्तों में भुगतान करेगा –

अनुक्रमांक	किश्त क्रमांक	किश्त की राशि (रूपए में)	किश्त जमा करने की तारीख
1.	प्रथम किश्त	7,42,21,826.00	प्रथम त्रैमास का प्रथम दिवस
2.	द्वितीय किश्त	13,27,98,856.00	द्वितीय त्रैमास का प्रथम दिवस

परन्तु ठेकेदार, ठेकाराशि तथा रेत खदान से संबंधित अन्य सम्पूर्ण रकम प्रथमतः म. प्र. राज्य खनिज निगम एवं कलेक्टर द्वारा इस प्रयोजन हेतु संचालित खाते में जमा करेगा।

परन्तु, यदि ठेकेदार नियत तारीख को किश्तों को जमा करने में असफल रहता है तो ठेकेदार के पक्ष में आवंटित समूह की खदानों के लिए ई-टी.पी बंद की जायेगी तथा खदान संचालन पर रोक लगा दी जाएगी तथा ठेकेदार को इस आशय का कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा, कि किश्त की राशि जमा करने में असफल रहने पर क्यों न उन का ठेका निरस्त कर दिया जाए:

परन्तु और या कि, किश्त जमा करने की निर्धारित तारीख से 30 दिवस के भीतर ठेकेदार द्वारा उक्त कारण बताओ नोटिस का जवाब देते हुए विलंब अवधि पर 24 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज सहित देय किश्त/किश्तों का भुगतान करने पर, कलेक्टर/निगम द्वारा खदान का संचालन के लिए अनुमति दे सकेगा।

परन्तु यह और कि, 30 दिवस की अवधि के भीतर उपरोक्तानुसार यदि ठेकेदार राशि जमा करने में असफल रहता है तो, कलेक्टर/निगम द्वारा ठेका व्यपगत आदेश कर पुनः निविदा हेतु शासन को अनुरोध किया जाएगा। निविदा की विज्ञप्ति प्रकाशन के पूर्व तक ठेकेदार समस्त देयतायें 24 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ जमा कर सकता है। नवीन निविदा विज्ञप्ति प्रकाशन पर स्वमेव ठेका पूर्ण रूप से निरस्त समझा जाएगा।

परन्तु यह और भी कि, जब तक किश्त की राशि मय ब्याज के प्राप्त होगी तो तब तक ठेकेदार के पक्ष में आवंटित समूह की खदानों के लिए ई-टी.पी. जारी किए जाने पर रोक रहेगी।

हस्ताक्षर

प्रभारी अधि...
(खनिज - शाखा)
जिला बैतूल

(2) ठेकेदार, ठेका राशि की रकम के एवज में खनन योजना, पर्यावरणीय स्वीकृति एवं जल वायु संम्मति में (इनमें से जो भी कम हो) अनुज्ञात रेत की मात्रा ले जा सकेगा।

परन्तु, यदि ठेकेदार निर्धारित मात्रा से अधिक मात्रा में खनिज निकालेगा या ले जायेगा, तब वह उस अधिक निकाली गई या ले जायी गई मात्रा के लिए ऐसी मात्रा के मूल्य का भुगतान करने के लिए दायित्वधीन होगा :

परन्तु यह कि, यदि किसी वर्ष उत्खनित मात्रा अनुमोदित खनन योजना में उल्लेखित मात्रा से 20 प्रतिशत कम हो तो इस मात्रा के आगामी वर्ष में निकाले जाने की अनुमति दी जायेगी, किन्तु उस वर्ष के ठेकाधन में अवशिष्ट मात्रा के अंतर की राशि जमा की जानी होगीं। अनुमोदित खनन योजना का पुनरीक्षण किया जायगा एवं वार्षिक ठेका राशि अनुपातिक रूप में पुनीरिक्षित किया जायगा । खनन योजना के पुनरीक्षण की स्थिति में, यथा आवश्यक पर्यावरणीय अनुमति प्राप्त की जायगी। ठेका अवधि में अनुमोदित खनन योजना में उल्लिखित मात्रा का खनन अनिवार्य होगा, अन्यथा जमा की गई सुरक्षा राशि सम्पहत की जा सकेगी:

परन्तु यह और कि, यदि ठेकेदार किसी वर्ष उस वर्ष की अनुज्ञात मात्रा से अधिक मात्रा (20 प्रतिशत से अधिक नहीं) की निकासी करना चाहता है, तब उसे प्रस्ताव अनुसार अनुमोदित खनन योजना एवं पर्यावरण अनुमति में यथायोग्य पुनरीक्षण /संशोधन करना होगा एवं यह घटी हुई मात्रा आगामी वर्ष की अनुज्ञात मात्रा के विरुद्ध समायोजित की जाएगी । किसी भी स्थिति में, ठेका अवधि हेतु स्वीकृत मात्रा से अधिक मात्रा में निकासी की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(3) उस स्थिति में जब ठेकेदार उपरोक्त पैरा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए वार्षिक कार्य योजना में तिमाही हेतु उल्लिखित मात्रा से अधिक खनिज निकालता है तो वह ऐसे निकाले गए अधिक मात्रा एवं तिमाही में चुकाई गई किश्त राशि के अंतर की राशि का भुगतान (तीस दिन) के भीतर किया जाना होगा, अन्यथा आगामी खनिज निकासी रोक दी जाएगी तो भुगतान करने का उत्तरदायी होगा:

परन्तु, यदि ठेकेदार नियत तारीख पर रकम का भुगतान करने में असफल रहता है तो वह 24 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज सहित शोध्य राशि/राशियों का भुगतान करने का उत्तरदायी होगा।

6. रेत खदान से संबंधित ठेका राशि एवं अन्य राशियां ठेकेदार द्वारा म०प्र० राज्य खनिज निगम एवं कलेक्टर द्वारा इस प्रयोजन हेतु संचालित खाते में प्रथमतः जमा कराई जाएगी

7. ठेका रकम तथा अन्य शोध्यो के जो कि इस करार के निबंधनो के अधीन देय है, शोध्य तारीखों से दो माह से अधिक अवधि तक भुगतान न किए जाने की दशा में कलेक्टर या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई

केदार पटेदार
हस्ताक्षर

प्रभारी अधिकारी
(खनिज - शाखा)
जिला बैतूल

अधिकारी परिसर में प्रवेश करने के लिए सशक्त होगा तथा/या उसके उत्पाद और या खदान में ठेकेदार द्वारा रखी गई चल सम्पति को अभिग्रहित कर सकेगा और ले जा सकेगा।

8 यदि इस अनुबंध के अधीन ठेके की राशि या कोई अन्य शोध्य ठेकेदार द्वारा एक माह से अधिक के लिए असंदत्त रहती है तो कलेक्टर ठेका रद्द किए जाने संबंधी प्रस्ताय राज्य शासन को प्रेषित करेगा एवं राज्य शासन का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

9 ठेकेदार, खदान के समीप ऐसे अस्थायी भवन आदि खड़ा करने का हकदार होगा जैसा कि उत्खनन प्रयोजनो के लिए अपेक्षित हो और इसे ठेका अवधि समाप्ति के पूर्व हटा लेगा । ऐसा नहीं करने की स्थिति में, ठेका, समाप्ति के पश्चात् खदान के समीप भूमि पर निर्मित् ऐसे कोई भवन आदि राज्य सरकार की सम्पति होगीं तथा जिसके लिए ठेकेदार को उस पर का प्रतिकर दावा करने का अधिकार नहीं होगा।

10. ठेकेदार, स्वयं व्यय पर, भूमि की सीमाओं को दर्शित करने के लिए सीमा चिन्ह तथा स्तम्भ (पिलर) का निर्माण करेगा एवं उन्हे हमेशा दुरूस्त रखेगा।

11. ठेकेदार, ठेके के अधीन प्राप्त भूमि या उसके किसी भाग को समनुदेशित या उप पट्टे पर नहीं देगा अथवा ठेके के अधीन प्रदत्त अधिकारों /विशेषाधिकारो को अंतरित नहीं करेगा।

12. ठेकेदार, इस अनुबंध के अधीन प्रदत्त भूमि की समुचित स्वच्छता बनाए रखने का उत्तरदायी होगा।

13. ठेकेदार, उस समय समस्त नियमों तथा विनियमों और ऐसी अन्य शर्तो से बाध्य होगा जैसा कि शासन द्वारा समय-समय पर अधिरोपित की जाए।

14. ठेकेदार, खदान में कार्य कर रहे व्यक्तियों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के समुचित उपाय करने के लिए आबद्ध होगा।

15. ठेकेदार, सडक, पानी से संबंधित अधिकारो और अन्य सुखाधिकारों का ध्यान रखेगा।

16. सरकार को यह अधिकार होगा, कि यह पट्टाकृत क्षेत्र के ऊपर संचार साधनो की स्थापना के लिए ऊपर मार्ग का निर्माण करें या अन्य उपाय करें तथा ठेकेदार को उसके लिए प्रतिकर दावा करने का अधिकार नहीं होगा।

17. ठेकेदार, अनुमोदित खनन योजना के अनुसार खनन संक्रिया करेगा और रेत तथा बजरी का खनन सतह से अधिकतम तीन मीटर तक अथवा जल स्तर तक जो भी कम हो, किया जाएगा । किन्तु ऐसा उत्खनन नदी/ नाले के भीतर प्रतिसिद्ध होगा।

ठेकेदार/ पट्टेदार
हस्ताक्षर

प्रभारी अधिकारी
(खनिज - शाखा)
जिला बैतूल

ठेकेदार, खदान से अभिप्राप्त और विक्रय किए गए या निकास किए गए खनिज की मात्रा तथा विशिष्टिया दर्शाते हुए उनका सही लेखा और खदान में नियोजित व्यक्तियों की संख्या तथा खदान का पूर्ण रेखांक संधारित करेगा और शासन/ कलेक्टर द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी को किसी भी समय ऐसे लेखाओं तथा रेखांको का परीक्षण करने देगा तथा ऐसे सक्षम अधिकारी द्वारा निरीक्षण के दौरान या मांग की जाने पर प्रस्तुत करेगा।

19. ठेकेदार, नीचे दिये गये प्ररूप में मासिक विवरणी प्रत्येक माह की 07 तारीख के पूर्व कलेक्टर को प्रस्तुत करेगा:

माह	निकाले गये खनिज का प्रारंभिक स्टॉक(घनमीटर)	माह में निकाले गए खनिज की मात्रा (घनमीटर)	माह में निकास किए गए खनिज की मात्रा (घनमीटर)	माह में विक्रय किए गए खनिज की मात्रा (घनमीटर)	माह के अंत में खनिज का अंतिम स्टाक (घनमीटर)	माह के दौरान नियोजित श्रमिकों की औसत संख्या
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

20. ठेकेदार, खदान क्षेत्र में घटने वाली किसी दुर्घटना की रिपोर्ट तत्काल संबंधित जिला मजिस्ट्रेट को देगा।

21. ठेकेदार, उसके ठेके में शामिल की गई रेत खदानो के पहुच मार्ग, खनिज की उपलब्धता तथा कोई अन्य कारण से ठेकाधन की राशि में संशोधन किए जाने संबंध में कलेक्टर के विरुद्ध कोई प्रतिकर या नुकसान का दावा नहीं करेगा।

22. यदि ठेकेदार, उक्त ठेके की कालावधि के पूर्ण होने के पूर्व ठेके को पर्यवसित करने का इच्छुक है, तो वह ऐसे आशय की छह माह की लिखित सूचना कलेक्टर को देगा। उपरोक्त अवधि समाप्त होने एवं ठेकेदार के विरुद्ध बकाया न होने की स्थिति में कलेक्टर से प्राप्त प्रस्ताव पर राज्य शासन द्वारा समर्पण स्वीकार किया जाएगा एवं उसकी सुरक्षा राशि वापस की जाएगी। उक्त अवधि के लिए वार्षिक ठेकाधन ठेकेदार द्वारा अनिवार्य रूप से जमा किया जाएगा, इस अवधि में खनन संक्रियाए संचालित की जा सकेगी। यदि एक बार समर्पण के लिए आवेदन प्रस्तुत कर दिया जाता है। तो वह पुनः वापसी योग्य नहीं होगा। समर्पण सूचना प्राप्त होने के पश्चात समूह की पुन निविदा प्रक्रिया कलेक्टर द्वारा प्रारंभ की जाएगी ।

23 ठेकेदार, जिसके लिए उसको ठेका दिया गया है, उससे भिन्न प्रयोजन के लिए इस अनुबंध के अधीन उसको दी गई भूमि का उपयोग नहीं करेगा।

ठेकेदार/ पट्टेदार
हस्ताक्षर

प्रभारी अधिकारी
(खनिज - शाखा)
जिला बैतूल

(1) युद्ध की स्थिति या आपातकाल की दशा में सरकार को खदान, वस्तुएं, भूमि, मशीनरी, संयंत्र, भवन तथा सामग्री का कब्जा लेने का अधिकार रहेगा तथा ऐसी स्थिति में ठेकेदार द्वारा किसी प्रतिकर के लिए कोई दावा नहीं करेगा।

(2) राज्य सरकार को लोकहित में ठेके की कालावधि समाप्त होने के पूर्व कब्जा वापस लेने का अधिकार होगा:

परन्तु कब्जा लेने के पूर्व ठेकेदार को एक माह की अग्रिम सूचना दी जायगी।

25. यदि इस ठेके के संबंध में और/या उसके संबंध में और/या कोई विवाद होने की स्थिति में, राज्य शासन का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

26. कब्जे का पुर्नग्रहण- (1) जहां कोई रेत ,खदान रदद की जाती है या अवधारित की जाती है अथवा खदान के कब्जे को लोकहित में पुर्नग्रहण करने का विनिधिय किया जाता है या वह कालावधि जिसके लिए रेत खदान मंजूर की गई हो समाप्त हो जाती है, तो ठेकेदार, रेत खदान का कब्जा कलेक्टर को, जिसमें रेत खदान/समूह या उसका बडा भाग अवस्थित हो, रदद किए जाने या पर्यवपित किये जाने या लोकहित में कब्जा वापस लेने के विनिश्चय की संसूचना की तारीख से सात दिन की कालावधि के भीतर या खदान के ठेके की कालावधि समाप्त होने की तारीख के आगामी दिन से, जैसी भी स्थिति हो, वापस सौंप देगा।

(2) जहां ठेकेदार रेत खदान/समूह का कब्जा, उप खंड (1) में विर्निदिष्ट कालावधि के भीतर सौंपने में असफल रहता है वहां कलेक्टर या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी सूचना की तामीली या तो डाक द्वारा या उसकी प्रति ठेकेदार को व्यक्तिगत रूप से या उसके परिवार के सदस्यों या नौकरों में से किसी को निविदत्त करते हुए या देते हुए उसके निवास स्थान अथवा कारबार के स्थान के किसी सहज दृश्य स्थान पर एक प्रति चस्पा करके या उसे उस स्थान में जहां ठेकेदार निवास करता है, परिचालित कम से कम एक समाचार पत्र में प्रकाशित करेगा या करवायेगा।

(3) उपखंड (2) के अधीन सूचना में यह कथन अंतर्विष्ट होगा कि ठेकेदार रेत खदान /समूह का कब्जा कलेक्टर या उप- खंड (1) के अधीन उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, को सूचना की तामीली की तारीख से सात दिन के भीतर सौंप देगा।

(4) जहां ठेकेदार उपखंड (2) के अधीन सूचना में विर्निदिष्ट कालावधि के भीतर रेत खदान/समूह का कब्जा सौंपने में असफल रहता है, वहां कलेक्टर या उप-खंड (1) के अधीन उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, ठेकेदार से रेत खदान का कब्जा ले सकेगा और उस प्रयोजन के लिए ऐसे बल का प्रयोग कर सकेगा, जैसे कि आवश्यक समझा जाये।

ठेकेदार पट्टेधार
हस्ताक्षर

प्रभारी अधिकारी
(खनिज - शाखा)
जिला बैतूल

(5) यदि ठेके की कालावधि की समाप्ति पर ठेकेदार अगले दिन खदान का कब्जा सौंपने में असफल रहता है तो ठेकेदार, वापिस लिये जाने पर्यन्त, अनुबंध की समस्त शर्तो का पालन करेगा।

27. यदि ठेकेदार अनुबंध की शर्तो का उल्लघंन करता है, तो कलेक्टर को ठेकेदार द्वारा जमा सुरक्षा राशि या उसके भाग को सम्पहृत करने का अधिकार होगा।

28. ठेकेदार, खदान से खनिज या उसके उत्पाद ले जाने वाले प्रत्येक वाहन को राज्य सरकार द्वारा विहित अविवहन पास के साथ ही प्रत्येक गंतव्य के लिए जाने देगा।

29. ई- निविदा दस्तावेज, अनुबंध आदि इस ठेके के अभिन्न अंग होगे।

30. अनुबंध के अधीन, एतद्द्वारा यह पट्टाक्रामित किया जाता है, कि यदि ठेकेदार उपरोक्त में अंतर्विष्ट और उल्लिखित समस्त निबंधनो और शर्तो के पूर्ति करता है, तो सुरक्षा राशि की रकम रूपये 13,27,98,856 (तेरह करोड सत्ताईस लाख अट्ठान्वे हजार आठ सौ छप्पन रुपये) (अग्रिम धन) जो कि ठेकेदार द्वारा जमा की गई है कलेक्टर द्वारा उसे वापिस की जाएगी।

अनुसूची – क

(पैरा एक देखिए)

(पैरा 1 देखिए) क्र0	जिला	तहसील	ग्राम	खसरा क्रमांक	रकबा हेक्टेयर में
1	2	3	4	5	6
1	बैतूल	शाहपुर	शाहपुर/पतौवापुरा	01 एवं 112	11.000

इस अनुबंध पत्र की देय स्टाम्प एवं पंजीयन शुल्क दस्तावेज क्रमांक- MP039742023A11470171 दिनांक 11/02/2023 द्वारा चुकाया जा चुका है।

ठेकेदार/पट्टेदार
हस्ताक्षर

प्रभारी अधिकारी
(खनिज – शाखा)
जिला बैतूल

साक्षियों का पूरा नाम व्यवसाय एवं हस्ताक्षर

1. [illegible]
तल खनिज शाखा बैतूल

2. [illegible]
खनिज शाखा बैतूल

हस्ताक्षर :-

प्रभारी अधिकारी
(खनिज – शाखा)
जिला बैतूल

अपर कलेक्टर
जिला बैतूल

साक्षियों का पूरा नाम, व्यवसाय एवं हस्ताक्षर

1. [illegible]
साहपुर बैतूल

2. [illegible]
साहपुर बैतूल

ठेकेदार/अटार्नी का नाम, पता व हस्ताक्षर

मेसर्स नेशनल एनर्जी ट्रेडिंग एण्ड सर्विसेज लिमिटेड
(अधिकृत व्यक्ति -श्री मेघावरपु प्रशांत पिता रामाराव)
पता प्लाट न. 7 बिन्दु सदन 401 साईं चंद्र कॉलोनी, ग्रीन स्पेस तुलसी, पुष्पलगुड़ा, मणिकोंडा, हैदराबाद, रंगारेड्डी, तेलंगाना-500089 वर्तमान पता- हाऊस नम्बर 247, तृतीय तल, सेक्टर-2 शक्ति नगर, हबीबगंज भोपाल (म.प्र.)

ग्राम- शाहपुर/पतैयापुरा
प.ह.न. 36
स.नि.म. शाहपुर
तह. शाहपुर
जिला- बैतूल

स्केल 16" = 1 मील

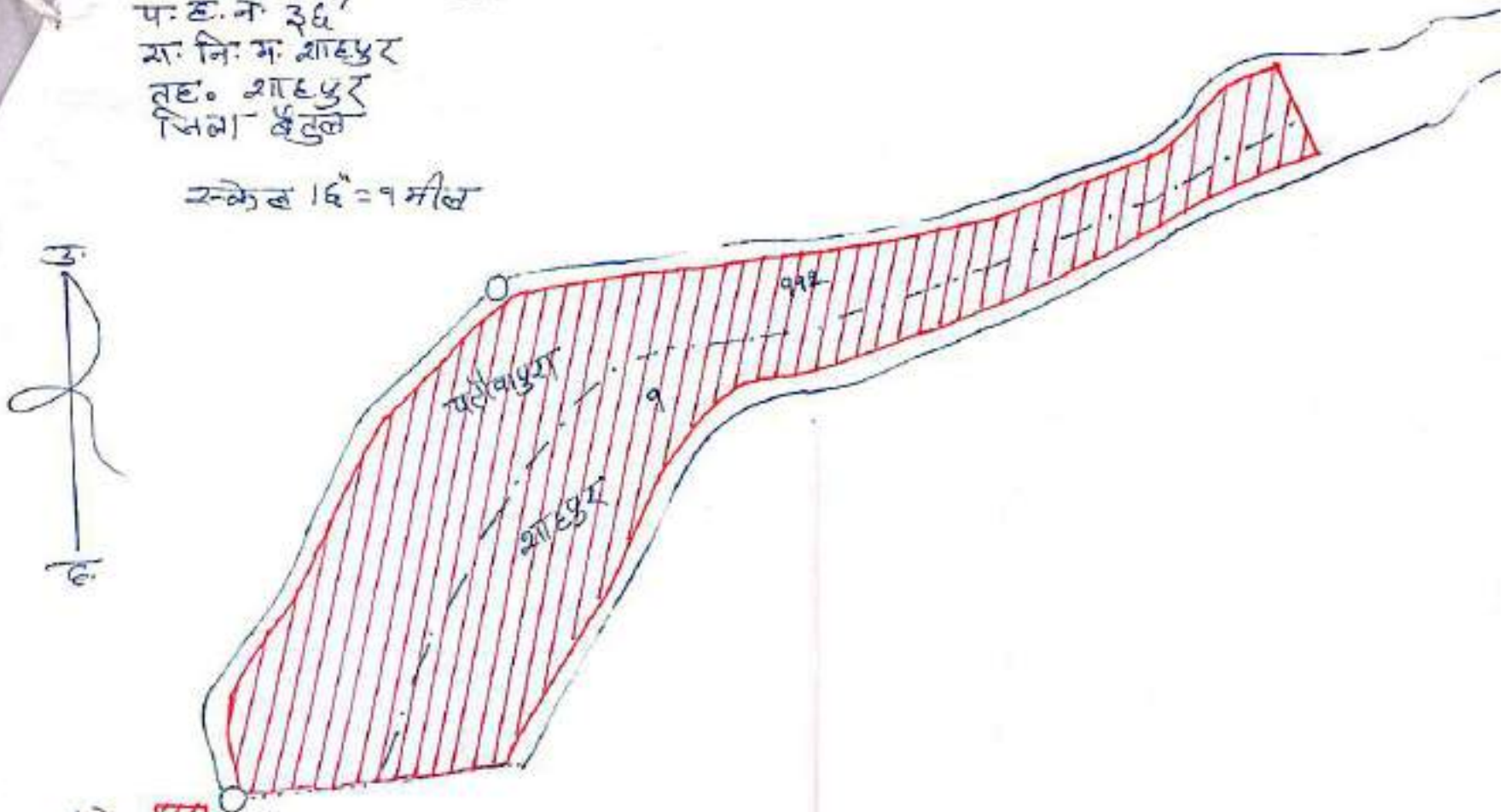

संकेत स्वीकृत रेत खदान का विवरण

	ग्राम	खे.क्र.	रकबा
①	पतैयापुरा	992	6.000 हे.
②	शाहपुर	9	4.000 हे.
	कुल रकबा		99.000 हे.से.

राहा. मोनिं. क्लर्क
खनिज शाखा
जि. बैतूल

प्रभारी अधिकारी
(खनिज - शाखा)
जिला बैतूल

सहा. कलेक्टर
बैतूल

420

420

Registration and Stamp Department
Madhya Pradesh

Certificate of Stamp Duty

E-Stamp Details

E-Stamp Code	0101030206202301576 9
Total E-Stamp Amount	2000
Govt. Stamp Duty (Rs.)	2000
Municipality Duty (Rs.)	0
Janpad Duty (Rs.)	0
Upkar Amount (Rs.)	0
Exempted Amount(Rs.)	0
E-Stamp Type	NON-JUDICIAL
Issue Date & Time	02/06/2023 18:30:33
Service Provider or Issuer Details	sanjeev Dubey/SP0103419042018000 09
SP/SRO/DRO/HO Details	dadawadi ke pas Chakeer Road Moti Ward Betul Th. Betul Dist. Betul (MP) BETUL
	BETUL

Deed Details

Deed Type	Agreement/Memorandum of an agreement
Deed Instrument	If relating to secure repayment of a loan or debt.-0.25 percent of the amount of loan or debt, subject to a maximum of five lakh rupees
Purpose	Agreement

First Party Details

Organization Name	कलेक्टर खनिज बैतूल
Address	कलेक्टर खनिज बैतूल BETUL Madhya Pradesh INDIA
Number of Persons	1

Second Party Details

Organization Name	मेसर्स नेशनल इनर्जी ट्रेडिंग एंड सर्विसेज लिमिटेड
Address	हाउस न. 247 तृतीय तल सेक्टर 2 शक्ति नगर हबीबगंज भोपाल म.प्र. BHOPAL Madhya Pradesh INDIA
Number of Persons	1

Agreement

व्यापारिक रेत खदान ग्राम शाहपुर/पौतउपुरा तह. शाहपुर खसरा न. 1 एवं 112 रकबा 11.000 है. जिला बैतूल म.प्र.

Digitally signed by SANJEEV DUBY
Date: 2023.06.02 18:30:37 IST

प्रारूप-पांच

(नियम 13 (2) देखिए)

रेत खदान हेतु ठेके का अनुबंध

यह करार एक पक्ष के रूप में जो कलेक्टर जिला बैतूल के माध्यम से कार्य करते हुए मध्यप्रदेश के राज्यपाल (जिन्हे इसमें इसके पश्चात् राज्यपाल कहा गया है), जिस अभिव्यक्ति में उनके पद उत्तरवर्ती सम्मलित है और अन्य पक्ष के रूप में श्री/श्रीमती/कुमारी मेसर्स नेशनल एनर्जी ट्रेडिंग एण्ड सर्विसेज लिमिटेड (अधिकृत व्यक्ति –श्री भेघावरपु प्रशांत पिता रामाराव) पता प्लाट न. 7 बिन्दु सदन 401 सांई चंद्र कॉलोनी, ग्रीन स्पेस तुलसी, पुप्पलगुडा, मणिकोंडा, हैदराबाद, रंगारेड्डी, तेलंगाना-500089 वर्तमान पता- हाउस नम्बर 247, तृतीय तल, सेक्टर-2 शक्ति नगर, हबीबगंज भोपाल (म.प्र.) (जिसे इसमें इसके पश्चात् "ठेकेदार" कहा गया है) जिस अभिव्यक्ति में, जहां कि संदर्भ ऐसा स्वीकार है, उसके वारिस, निष्पादक, प्रशासक, प्रतिनिधि और अनुज्ञात समनुदेशिती शामिल है, के बीच आज दिनांक 22 माह जून सन् 2023 को दिनांक 09.02.2023 से दिनांक 30.06.2023 की अवधि हेतु व्यापारिक खदान के लिये किया गया।

1. यतः ठेकेदार, ई-निविदा की शर्तो के अनुसार ई-निविदा की राशि रूपए 53,11,95,424.20 (तिरेपन करोड़ ग्यारह लाख पन्चान्ये हजार चार सौ चौबीस रुपये बीस पैसे मात्र) प्रतिवर्ष का भुगतान करने के लिए सहमत हो गया है, जो रकम एतद् द्वारा ठेका राशि कहलायगी और रूपये 13,27,98,856 (तेरह करोड सत्ताईस लाख अट्ठान्ये हजार आठ सौ छप्पन रूपये) अग्रिम धन (सुरक्षा राशि) सुरक्षा राशि के रूप में और रूपये (लागू नहीं) प्रतिभूति राशि रूपये (लागू नहीं) ठेका अवधि में देय संपूर्ण राशि के समतुल्य है, और जो ठेके के निबंधनो और शर्तो के सम्यक पालन के लिए जमा रखी जायेगी और जो कि ठेके के अनुबंध का किसी प्रकार भंग किए जाने की स्थिति समहृत किए जाने योग्य होगी और

यतः कलेक्टर ने उसे उस रेत खदान का ठेका स्वीकृत किया है जिसका मानचित्र संलग्न है जिस खदान बांसपुर, शिवसागर, गौनापुर खसरा क्रमांक 01, 01, 288 एवं 266 रकबा 24.970 हे0, तहसील घोड़ाडोंगरी/शाहपुर जिला बैतूल और जिसका विवरण संलग्न अनुसूची "क" में दिया गया है जो अब आगे "खदान" कही जायेगी।

2. अब यह अनुबंध साक्षी है कि ठेका राशि, रॉयल्टी, किराया, तथा अन्य भुगतानों के प्रतिफल में तथा शर्तो, प्रसंविदाओं और करार के प्रतिफल में तथा अध्यधीन रहते हुए, ठेकेदार को खनन के प्रयोजनो के लिए, प्रदत्त क्षेत्र में प्रवेश करने, अधिभोग रखने तथा उपयोग और इस शर्त के अध्याधीन रहते हुए कि कलेक्टर को ठेके की पूरी अवधि के दौरान सभी समय पर खदान के भीतर अवस्थित या ठेकेदार के नियंत्रण के अधीन अन्य कही उत्पादों के प्रचलित उचित बाजार मूल्य पर अग्र क्रयाधिकार होगा, खनिज या खनिज के उत्पादों को खदान से बाहर ले जाने तथा उनका विक्रय करने की स्वतंत्रता होगी,

ठेकेदार/पट्टेधार
हस्ताक्षर

प्रभारी अधिकारी
(खनिज - शाखा)
जिला बैतूल

3. ठेकेदार इस अनुबंध के अनुसरण में, एतद्द्वारा निविदाकार को पट्टान्तरित भूमि का तारीख 09/02/2023 से तारीख 30/06/2023 तक अधिभोग रखेगा तथा कब्जा ग्रहण करेगा।

4. एतद् द्वारा यह सहमति प्रदान की जाती है कि एतद् द्वारा पट्टान्तरित रेत ठेके पर दिये गये क्षेत्र की सीमाऐं खड़ी नीचे की ओर भूमि के केन्द्र तक रहेगी।

5. (1) ठेकेदार वार्षिक ठेका राशि रूपए 53,11,95,424.20 (तिरेपन करोड़ ग्यारह लाख पन्चान्ये हजार चार सौ चौबीस रूपये बीस पैसे मात्र) का

नीचे दी गई तारीख या उसके पूर्व किश्तों में भुगतान करेगा –

अनुक्रमांक	किश्त क्रमांक	किश्त की राशि (रूपए में)	किश्त जमा करने की तारीख
1.	प्रथम किश्त	7,42,21,826.00	प्रथम त्रैमास का प्रथम दिवस
2.	द्वितीय किश्त	13,27,98,856.00	द्वितीय त्रैमास का प्रथम दिवस

परन्तु ठेकेदार, ठेकाराशि तथा रेत खदान से संबंधित अन्य सम्पूर्ण रकम प्रथमतः म. प्र. राज्य खनिज निगम एवं कलेक्टर द्वारा इस प्रयोजन हेतु संचालित खाते में जमा करेगा।

परन्तु, यदि ठेकेदार नियत तारीख को किश्तों को जमा करने में असफल रहता है तो ठेकेदार के पक्ष में आवंटित समूह की खदानों के लिए ई-टी.पी बंद की जायेगी तथा खदान संचालन पर रोक लगा दी जाएगी तथा ठेकेदार को इस आशय का कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा, कि किश्त की राशि जमा करने में असफल रहने पर क्यों न उन का ठेका निरस्त कर दिया जाए:

परन्तु और या कि, किश्त जमा करने की निर्धारित तारीख से 30 दिवस के भीतर ठेकेदार द्वारा उक्त कारण बताओ नोटिस का जवाब देते हुए विलंब अवधि पर 24 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज सहित देय किश्त/किश्तों का भुगतान करने पर, कलेक्टर/निगम द्वारा खदान का संचालन के लिए अनुमति दे सकेगा।

परन्तु यह और कि, 30 दिवस की अवधि के भीतर उपरोक्तानुसार यदि ठेकेदार राशि जमा करने में असफल रहता है तो, कलेक्टर/निगम द्वारा ठेका व्यपगत आदेश कर पुनः निविदा हेतु शासन को अनुरोध किया जाएगा। निविदा की विज्ञप्ति प्रकाशन के पूर्व तक ठेकेदार समस्त देयतायें 24 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ जमा कर सकता है। नवीन निविदा विज्ञप्ति प्रकाशन पर स्वमेव ठेका पूर्ण रूप से निरस्त समझा जाएगा।

परन्तु यह और भी कि, जब तक किश्त की राशि मय ब्याज के प्राप्त होगी तो तब तक ठेकेदार के पक्ष में आवंटित समूह की खदानों के लिए ई-टी.पी. जारी किए जाने पर रोक रहेगी।

ठेकेदार/ पट्टेदार
हस्ताक्षर

प्रभारी अधिकारी
(खनिज – शाखा)
जिला बैतूल

(2) ठेकेदार, ठेका राशि की रकम के एवज में खनन योजना, पर्यावरणीय स्वीकृति एवं जल वायु संम्मति में (इनमें से जो भी कम हो) अनुज्ञात रेत की मात्रा ले जा सकेगा।

परन्तु, यदि ठेकेदार निर्धारित मात्रा से अधिक मात्रा में खनिज निकालेगा या ले जायेगा, तब वह उस अधिक निकाली गई या ले जायी गई मात्रा के लिए ऐसी मात्रा के मूल्य का भुगतान करने के लिए दायित्वधीन होगा :

परन्तु यह कि, यदि किसी वर्ष उत्खनित मात्रा अनुमोदित खनन योजना में उल्लेखित मात्रा से 20 प्रतिशत कम हो तो इस मात्रा के आगामी वर्ष में निकाले जाने की अनुमति दी जायेगी, किन्तु उस वर्ष के ठेकाधन में अवशिष्ट मात्रा के अंतर की राशि जमा की जानी होगी। अनुमोदित खनन योजना का पुनरीक्षण किया जायगा एवं वार्षिक ठेका राशि अनुपातिक रुप में पुनीरिक्षित किया जायगा । खनन योजना के पुनरीक्षण की स्थिति में, यथा आवश्यक पर्यावरणीय अनुमति प्राप्त की जायगी। ठेका अवधि में अनुमोदित खनन योजना में उल्लिखित मात्रा का खनन अनिवार्य होगा, अन्यथा जमा की गई सुरक्षा राशि सम्पहत की जा सकेगी:

परन्तु यह और कि, यदि ठेकेदार किसी वर्ष उस वर्ष की अनुज्ञात मात्रा से अधिक मात्रा (20 प्रतिशत से अधिक नहीं) की निकासी करना चाहता है, तब उसे प्रस्ताव अनुसार अनुमोदित खनन योजना एवं पर्यावरण अनुमति में यथायोग्य पुनरीक्षण /संशोधन करना होगा एवं यह बढी हुई मात्रा आगामी वर्ष की अनुज्ञात मात्रा के विरुद्ध समायोजित की जाएगी । किसी भी स्थिति में, ठेका अवधि हेतु स्वीकृत मात्रा से अधिक मात्रा में निकासी की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(3) उस स्थिति में जब ठेकेदार उपरोक्त पैरा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए वार्षिक कार्य योजना में तिमाही हेतु उल्लिखित मात्रा से अधिक खनिज निकालता है तो वह ऐसे निकाले गए अधिक मात्रा एवं तिमाही में चुकाई गई किश्त राशि के अंतर की राशि का भुगतान (तीस दिन) के भीतर किया जाना होगा, अन्यथा आगामी खनिज निकासी रोक दी जाएगी तो भुगतान करने का उत्तरदायी होगा:

परन्तु, यदि ठेकेदार नियत तारीख पर रकम का भुगतान करने में असफल रहता है तो वह 24 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज सहित शोध्य राशि/राशियों का भुगतान करने का उत्तरदायी होगा।

6. रेत खदान से संबंधित ठेका राशि एवं अन्य राशियां ठेकेदार द्वारा म०प्र० राज्य खनिज निगम एवं कलेक्टर द्वारा इस प्रयोजन हेतु संचालित खाते में प्रथमत: जमा कराई जाएगी

7. ठेका रकम तथा अन्य शोध्यो के जो कि इस करार के निबंधनो के अधीन देय है, शोध्य तारीखों से दो माह से अधिक अवधि तक भुगतान न किए जाने की दशा में कलेक्टर या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई

ठेकेदार/ पट्टेदार
हस्ताक्षर

प्रभारी अधिकारी
(खनिज - शाखा)
जिला बैतूल

अधिकारी परिसर में प्रवेश करने के लिए सशक्त होगा तथा/या उसके उत्पाद और या खदान में ठेकेदार द्वारा रखी गई चल सम्पति को अभिग्रहित कर सकेगा और ले जा सकेगा।

8 यदि इस अनुबंध के अधीन ठेके की राशि या कोई अन्य शोध्य ठेकेदार द्वारा एक माह से अधिक के लिए असंदत्त रहती है तो कलेक्टर ठेका रद्द किए जाने संबंधी प्रस्ताव राज्य शासन को प्रेषित करेगा एवं राज्य शासन का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

9 ठेकेदार, खदान के समीप ऐसे अस्थायी भवन आदि खडा करने का हकदार होगा जैसा कि उत्खनन प्रयोजनो के लिए अपेक्षित हो और इसे ठेका अवधि समाप्ति के पूर्व हटा लेगा । ऐसा नहीं करने की स्थिति में, ठेका, समाप्ति के पश्चात् खदान के समीप भूमि पर निर्मित् ऐसे कोई भवन आदि राज्य सरकार की सम्पति होगीं तथा जिसके लिए ठेकेदार को उस पर का प्रतिकर दावा करने का अधिकार नहीं होगा।

10. ठेकेदार, स्वयं व्यय पर, भूमि की सीमाओं को दर्शित करने के लिए सीमा चिन्ह तथा स्तम्भ (पिलर) का निर्माण करेगा एवं उन्हे हमेशा दुरुस्त रखेगा।

11. ठेकेदार, ठेके के अधीन प्राप्त भूमि या उसके किसी भाग को समनुदेशित या उप पट्टे पर नहीं देगा अथवा ठेके के अधीन प्रदत्त अधिकारों /विशेषाधिकारो को अंतरित नहीं करेगा।

12. ठेकेदार, इस अनुबंध के अधीन प्रदत्त भूमि की समुचित स्वच्छता बनाए रखने का उत्तरदायी होगा।

13. ठेकेदार, उस समय समस्त नियमों तथा विनियमों और ऐसी अन्य शर्तों से बाध्य होगा जैसा कि शासन द्वारा समय-समय पर अधिरोपित की जाए।

14. ठेकेदार, खदान में कार्य कर रहे व्यक्तियों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के समुचित उपाय करने के लिए आबद्ध होगा।

15. ठेकेदार, सडक, पानी से संबंधित अधिकारो और अन्य सुखाधिकारों का ध्यान रखेगा।

16. सरकार को यह अधिकार होगा, कि वह पट्टाकृत क्षेत्र के ऊपर संचार साधनो की स्थापना के लिए ऊपर मार्ग का निर्माण करें या अन्य उपाय करें तथा ठेकेदार को उसके लिए प्रतिकर दावा करने का अधिकार नहीं होगा।

17. ठेकेदार, अनुमोदित खनन योजना के अनुसार खनन संक्रिया करेगा और रेत तथा बजरी का खनन सतह से अधिकतम तीन मीटर तक अथवा जल स्तर तक जो भी कम हो, किया जाएगा । किन्तु ऐसा उत्खनन नदी/ नाले के भीतर प्रतिसिद्ध होगा।

ठेकेदार/ पट्टेदार
हस्ताक्षर

प्रभारी अधिकारी
(खनिज - शाखा)
जिला बैतूल

18. ठेकेदार, खदान से अभिप्राप्त और विक्रय किए गए या निकास किए गए खनिज की मात्रा तथा विशिष्टिया दर्शाते हुए उनका सही लेखा और खदान में नियोजित व्यक्तियों की संख्या तथा खदान का पूर्ण रेखांक संधारित करेगा और शासन/ कलेक्टर द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी को किसी भी समय ऐसे लेखाओं तथा रेखांको का परीक्षण करने देगा तथा ऐसे सक्षम अधिकारी द्वारा निरीक्षण के दौरान या मांग की जाने पर प्रस्तुत करेगा।

19. ठेकेदार, नीचे दिये गये प्ररूप में मासिक विवरणी प्रत्येक माह की 07 तारीख के पूर्व कलेक्टर को प्रस्तुत करेगा:

माह	निकाले गये खनिज का प्रारंभिक स्टॉक(घनमीटर)	माह में निकाले गए खनिज की मात्रा (घनमीटर)	माह में निकास किए गए खनिज की मात्रा (घनमीटर)	माह में विक्रय किए गए खनिज की मात्रा (घनमीटर)	माह के अंत में खनिज का अंतिम स्टाक (घनमीटर)	माह के दौरान नियोजित श्रमिकों की औसत संख्या
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

20. ठेकेदार, खदान क्षेत्र में घटने वाली किसी दुर्घटना की रिपोर्ट तत्काल संबंधित जिला मजिस्ट्रेट को देगा।

21. ठेकेदार, उसके ठेके में शामिल की गई रेत खदानो के पहुच मार्ग, खनिज की उपलब्धता तथा कोई अन्य कारण से ठेकाधन की राशि में संशोधन किए जाने संबंध में कलेक्टर के विरुद्ध कोई प्रतिकर या नुकसान का दावा नहीं करेगा।

22. यदि ठेकेदार, उक्त ठेके की कालावधि के पूर्ण होने के पूर्व ठेके को पर्यवसित करने का इच्छुक है, तो वह ऐसे आशय की छह माह की लिखित सूचना कलेक्टर को देगा। उपरोक्त अवधि समाप्त होने एवं ठेकेदार के विरुद्ध बकाया न होने की स्थिति में कलेक्टर से प्राप्त प्रस्ताव पर राज्य शासन द्वारा समर्पण स्वीकार किया जाएगा एवं उसकी सुरक्षा राशि वापस की जाएगी। उक्त अवधि के लिए वार्षिक ठेकाधन ठेकेदार द्वारा अनिवार्य रूप से जमा किया जाएगा, इस अवधि में खनन संक्रियाए संचालित की जा सकेगी। यदि एक बार समर्पण के लिए आवेदन प्रस्तुत कर दिया जाता है। तो वह पुनः वापसी योग्य नहीं होगा। समर्पण सूचना प्राप्त होने के पश्चात समूह की पुन निविदा प्रक्रिया कलेक्टर द्वारा प्रारंभ की जाएगी ।

23 ठेकेदार, जिसके लिए उसको ठेका दिया गया है, उससे भिन्न प्रयोजन के लिए इस अनुबंध के अधीन उसको दी गई भूमि का उपयोग नहीं करेगा।

ठेकेदार/ पट्टेदार
हस्ताक्षर

प्रभारी अधिकारी
(खनिज - शाखा)
जिला बैतूल

24 (1) युद्ध की स्थिति या आपातकाल की दशा में सरकार को खदान, वस्तुएं, भूमि, मशीनरी, संयंत्र, भवन तथा सामग्री का कब्जा लेने का अधिकार रहेगा तथा ऐसी स्थिति में ठेकेदार द्वारा किसी प्रतिकर के लिए कोई दावा नहीं करेगा।

(2) राज्य सरकार को लोकहित में ठेके की कालावधि समाप्त होने के पूर्व कब्जा वापस लेने का अधिकार होगा:

परन्तु कब्जा लेने के पूर्व ठेकेदार को एक माह की अग्रिम सूचना दी जायगी।

25. यदि इस ठेके के संबंध में और/या उसके संबंध में और/या कोई विवाद होने की स्थिति में, राज्य शासन का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

26. कब्जे का पुर्नग्रहण- (1) जहां कोई रेत ,खदान रदद की जाती है या अवधारित की जाती है अथवा खदान के कब्जे को लोकहित में पुर्नग्रहण करने का विनिश्चिय किया जाता है या वह कालावधि जिसके लिए रेत खदान मंजूर की गई हो समाप्त हो जाती है, तो ठेकेदार, रेत खदान का कब्जा कलेक्टर को, जिसमें रेत खदान/समूह या उसका बड़ा भाग अवस्थित हो, रदद किए जाने या पर्यवसित किये जाने या लोकहित में कब्जा वापस लेने के विनिश्चय की संसूचना की तारीख से सात दिन की कालावधि के भीतर या खदान के ठेके की कालावधि समाप्त होने की तारीख के आगामी दिन से, जैसी भी स्थिति हो, वापस सौंप देगा।

(2) जहां ठेकेदार रेत खदान/समूह का कब्जा, उप खंड (1) में विर्निदिष्ट कालावधि के भीतर सौंपने में असफल रहता है वहां कलेक्टर या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी सूचना की तामीली या तो डाक द्वारा या उसकी प्रति ठेकेदार को व्यक्तिगत रूप से या उसके परिवार के सदस्यों या नौकरों में से किसी को निविदत्त करते हुए या देते हुए उसके निवास स्थान अथवा कारबार के स्थान के किसी सहज दृश्य स्थान पर एक प्रति चस्पा करके या उसे उस स्थान में जहां ठेकेदार निवास करता है, परिचालित कम से कम एक समाचार पत्र में प्रकाशित करेगा या करवायेगा।

(3) उपखंड (2) के अधीन सूचना में यह कथन अंतर्विष्ट होगा कि ठेकेदार रेत खदान /समूह का कब्जा कलेक्टर या उप- खंड (1) के अधीन उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, को सूचना की तामीली की तारीख से सात दिन के भीतर सौंप देगा।

(4) जहां ठेकेदार उपखंड (2) के अधीन सूचना में विर्निदिष्ट कालावधि के भीतर रेत खदान/समूह का कब्जा सौंपने में असफल रहता है, वहां कलेक्टर या उप-खंड (1) के अधीन उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, ठेकेदार से रेत खदान का कब्जा ले सकेगा और उस प्रयोजन के लिए ऐसे बल का प्रयोग कर सकेगा, जैसे कि आवश्यक समझा जाये।

ठेकेदार/ पटेवार
हस्ताक्षर

प्रभारी अधिकारी
(खनिज - शाखा)
जिला बैतूल

(5) यदि ठेके की कालावधि की समाप्ति पर ठेकेदार अगले दिन खदान का कब्जा सौंपने में असफल रहता है तो ठेकेदार, वापिस लिये जाने पर्यन्त, अनुबंध की समस्त शर्तों का पालन करेगा।

27. यदि ठेकेदार अनुबंध की शर्तों का उल्लघंन करता है, तो कलेक्टर को ठेकेदार द्वारा जमा सुरक्षा राशि या उसके भाग को सम्पहृत करने का अधिकार होगा।

28. ठेकेदार, खदान से खनिज या उसके उत्पाद ले जाने वाले प्रत्येक वाहन को राज्य सरकार द्वारा विहित अविवहन पास के साथ ही प्रत्येक गंतव्य के लिए जाने देगा।

29. ई- निविदा दस्तावेज, अनुबंध आदि इस ठेके के अभिन्न अंग होगे।

30. अनुबंध के अधीन, एतद्द्वारा यह पट्टाक्रामित किया जाता है, कि यदि ठेकेदार उपरोक्त में अंतर्विष्ट और उल्लिखित समस्त निबंधनो और शर्तो के पूर्ति करता है, तो सुरक्षा राशि की रकम रूपये 13,27,98,856 (तेरह करोड सत्ताईस लाख अट्ठान्वे हजार आठ सौ छप्पन रूपये) (अग्रिम धन) जो कि ठेकेदार द्वारा जमा की गई है कलेक्टर द्वारा उसे वापिस की जाएगी।

अनुसूची – क

(पैरा एक देखिए)

(पैरा 1 देखिए) क्र0	जिला	तहसील	ग्राम	खसरा क्रमांक	रकबा हेक्टेयर में
1	2	3	4	5	6
1	बैतूल	घोड़ाडोंगरी/ शाहपुर	बांसपुर/शियसागर /गौनापुर	01, 01, 288 एवं 266	24.970

इस अनुबंध पत्र की देय स्टाम्प एवं पंजीयन शुल्क दस्तावेज क्रमांक- MP039742023A11470171 दिनांक 11/02/2023 द्वारा चुकाया जा चुका है।

प्रभारी अधिकारी
(खनिज – शाखा)
जिला बैतूल

ठेकेदार/ पट्टेदार
हस्ताक्षर

साक्षियों का पूरा नाम व्यवसाय एवं हस्ताक्षर

हस्ताक्षर :-

1. [illegible] सा. मो.नं. (व्यवसाय) बैतूल

प्रभारी अधिकारी
(खनिज - शाखा)
जिला बैतूल

अपर कलेक्टर
जिला बैतूल

साक्षियों का पूरा नाम, व्यवसाय एवं हस्ताक्षर

1. [illegible] शाहपुर बैतूल

2. [illegible]

ठेकेदार/भूतपूर्व का नाम, पता व हस्ताक्षर

ठेकेदार के हस्ताक्षर

मेसर्स नेशनल एनर्जी ट्रेडिंग एण्ड सर्विसेज लिमिटेड
(अधिकृत व्यक्ति -श्री मेघावरपु प्रशांत पिता रामाराव)
पता प्लाट न. 7 बिन्दु सदन 401 सांई चंद्र कॉलोनी, ग्रीन स्पेस तुलसी, पुष्पलगुडा, मणिकोंडा, हैदराबाद, रंगारेड्डी, तेलंगाना-500089 वर्तमान पता- ब्लाक्स नम्बर 247, तृतीय तल, सेक्टर-2 शक्ति नगर, हबीबगंज भोपाल (म.प्र.)

ग्राम- शिवसागर
प.ह.नं. 12
रा.नि.मु. चोपनाडु घोडाडोंगरी
तह. घोडाडोंगरी
जिला बैतूल

ग्राम- बाँसपुर
प.ह.नं. 12

ग्राम गौनापुर
प.ह.न. 39
तह० शाहपुर

430

स्केल 16"=1मील

उ.

द.

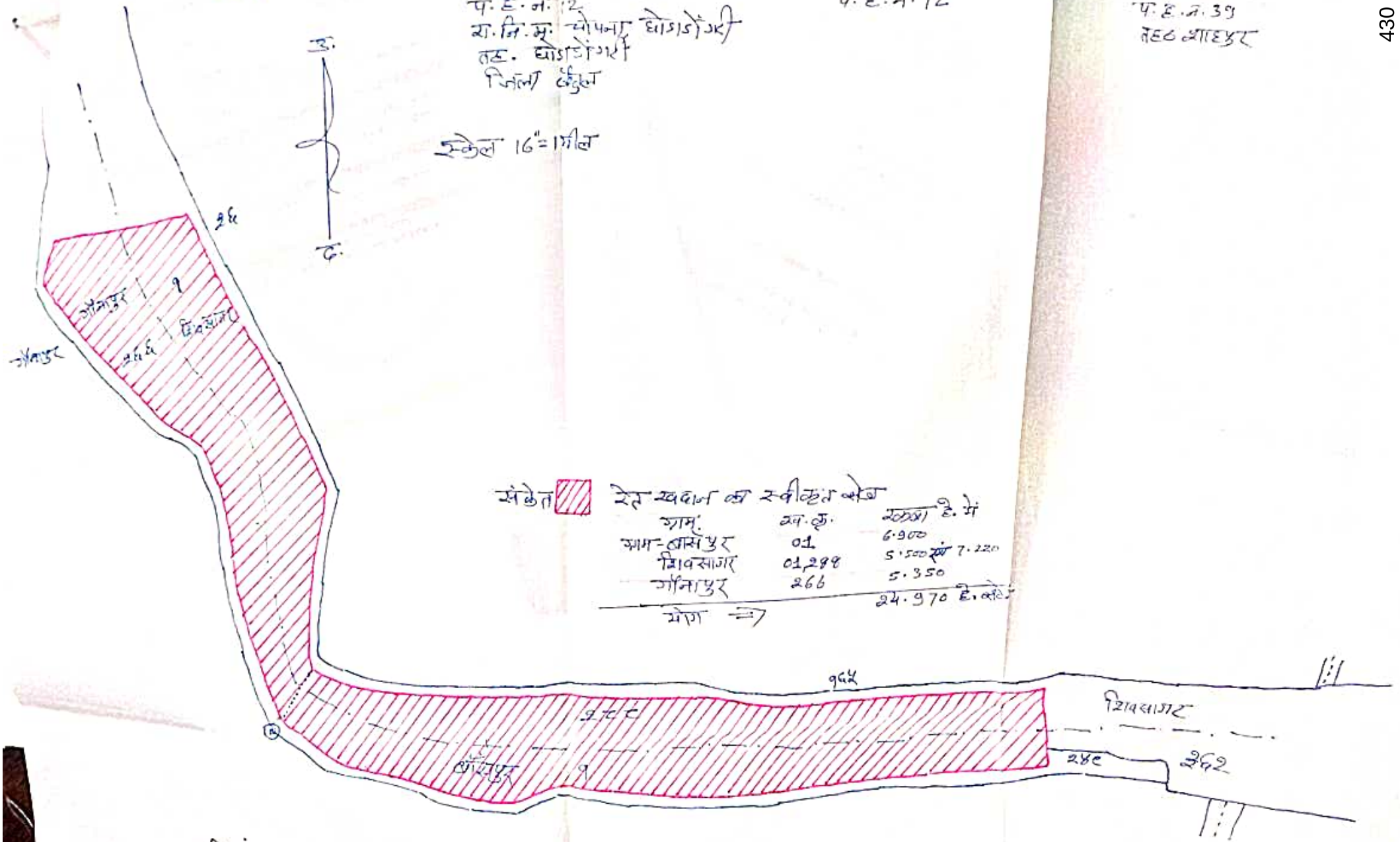

संकेत ▨ रेत खदान का स्वीकृत क्षेत्र

ग्राम	ख.नं.	रकबा हे. में
ग्राम-बाँसपुर	01	6.900
शिवसागर	01,248	5.500 सं 7.220
गौनापुर	266	5.350
		24.970 हे. लीज

योग ⇒

430

सहा. ग्रामीण. खनि
खनिज शाखा
जि. बैतूल

प्रभारी अधिकारी
(खनिज - शाखा)
जिला बैतूल

रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प विभाग
मध्य प्रदेश

स्टाम्प शुल्क का प्रमाण पत्र

ई स्टाम्प विवरण

आई.डी.	0101031906202301043 6
राशि (रुपए)	2000
न्यायालय स्टाम्प ड्यूटी (रुपए)	2000
स्टाम्प ड्यूटी (रुपए)	0
नगर पालिका ड्यूटी (रुपए)	0
कुल ई गई राशि (रुपए)	0
उपकर राशि (रुपए)	0
लेखन का प्रकार	गैर न्यायिक
लेखन दिनांक एवं समय	19/06/2023 18:25:04
क्रय आईडी / प्राधिकारी	sanjeev Dubey/SP0103419042018000099
क्रय की / एवं की विवरण	dadrawadh ke pas Chakeer Road Moti Ward Betul Th. Betul Dist. Betul (MP) बैतूल बैतूल

शीर्ष विवरण

लेखन का प्रकार	करार या करार का भावन
लिखत	(ए) यदि किसी उधार या ऋण के पुनर्भुगतान को प्रतिभूत करने से संबंधित हो:- अधिकतम पांच लाख रूपए के अप्रदत्त रहते हुए उधार या ऋण की रकम का 0.25 प्रतिशत.
शीर्ष	Agreement

पहले पक्ष के विवरण

संगठन का नाम	कलेक्टर खनिज बैतूल
पता	कलेक्टर खनिज बैतूल जिला बैतूल बैतूल मध्य प्रदेश भारत
व्यक्तियों की संख्या	1

दूसरे पक्ष के विवरण

संगठन का नाम	मेसर्स मेहावल एक्सी ट्रेडिंग एंड सर्विसेस लिमिटेड
पता	हाउस न. 247 गृहीत तल सेक्टर 2 शांति नगर हबीबगंज भोपाल म.प्र. भोपाल मध्य प्रदेश भारत
व्यक्तियों की संख्या	1

Agreement

व्यापारिक रेत खदान ग्राम बांसपुर, शिवसागर, गौनापुर तह. घोडाडोंगरी खसरा न. 1 , 1 , 288,266, रकबा 24.970 हे. जिला बैतूल म.प्र.

Digitally signed by SANJEEV DUBY
Date: 2023.06.19 18:25:30 IST

ANNEXURE-5

कार्यालय कलेक्टर (खनिज–शाखा) बैतूल

–: संशोधित आदेश :–

क्रमांक / ख0लि0–2 / 2019 / 2059 (A) बैतूल, दिनांक 07 / 12 / 2019

सरपंच, ग्राम पंचायत **टांगनामाल** जनपद पंचायत शाहपुर जिला बैतूल द्वारा ग्रामसभा दिनांक 26.01.2018 में प्रस्ताव क्रमांक 09 पारित कर प्रस्ताव की प्रतिलिपि सहित पत्र दिनांक 28.01.2018 प्रस्तुत किया है, जिसके अनुसार ग्राम–**धामन्या** तहसील शाहपुर के **मोरण्ड** नदी के ख.क्र. 1 रकबा 13.541 हे.में बड़ी तादाद में खनिज रेत उपलब्ध है, जिसे नई रेत खदान घोषित करने का लेख किया गया है।

उपरोक्त प्राप्त प्रस्ताव आवेदन पत्र पर नई रेत खदान घोषित करने के संबंध में तहसीलदार शाहपुर / खनि निरीक्षक बैतूल / खनि सहायक मानचित्रकार बैतूल से प्रतिवेदन / अभिमत प्राप्त किये गये। तहसीलदार शाहपुर द्वारा अपने पत्र क्रमांक–टी.आर. / 2019 / 604 दिनांक 26.11.2019 द्वारा ग्राम–तहसील शाहपुर की भूमि खसरा क्रमांक 1 रकबा 13.541 हे0 में से रकबा 5.000 हे0 भूमि पर नई रेत खदान घोषित करने हेतु प्रस्तावित की गई है।

खनि निरीक्षक, बैतूल के जॉच प्रतिवेदन दिनांक 02.12.2019 के अनुसार आवेदित क्षेत्र खसरा क्रमांक 1 रकबा 13.541 हे0 क्षेत्र पर खनिज रेत उपलब्ध है। आवेदित क्षेत्र से आबादी लगभग 200 मीटर दूर स्थित है, सड़क लगभग 100 मीटर दूर स्थित है। सार्वजनिक स्थल जैसे मंदिर / मस्जिद / कब्रस्तान से लगभग 200 मी0 दूर स्थित है, राष्ट्रीय राजमार्ग लगभग 38 कि0मी0 दूर स्थित है, प्रस्तावित क्षेत्र मोरण्ड नदी हैं आवेदित क्षेत्र से नियमानुसार प्रतिबंधित दूरी छोड़कर उपलब्ध क्षेत्र पर रेत खदान घोषित किये जाने की अनुशंसा की हैं।

खनि सहायक मानचिकार, बैतूल ने प्रतिवेदन दिनांक 05.12.2019 में प्रतिवेदित किया है कि तहसील शाहपुर ग्राम–**धामन्या** के मोरण्ड नदी के खसरा क्रमांक 1 रकबा 13.541 हे0 में से 5.000 हे0 क्षेत्र नई रेत खदान घोषित किये जाने हेतु क्षेत्र उपलब्ध होता हैं राजस्व पटवारी नक्शे में लाल स्याही से चिन्हांकित किया गया हैं।

मध्यप्रदेश रेत (खनन,परिवहन, भण्डारण एवं व्यापार) नियम,2019 में वन विभाग से अनुशंसा का कोई प्रावधान नहीं दिया गया है। विभागीय VC दिनांक 15.11.2019 के दौरान शासन स्तर एवं संचालनालय स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा निर्देशित किया कि SEIAA की अनुमति के दौरान वन विभाग से अनुशंसा प्राप्त करेंगे।

अतः उपरोक्त जॉच प्रतिवेदनों एवं ग्रामसभा में पारित प्रस्ताव के आधार पर मध्यप्रदेश रेत (खनन, परिवहन, भण्डारण एवं व्यापार) नियम, 2019 के नियम 5 (1) एवं (2) के तहत ग्राम–**धामन्या** के मोरण्ड नदी के खसरा क्रमांक 1 रकबा 13.541 हे0 में से रकबा 5.000 हे0 क्षेत्र पर खनिज रेत की नई खदान घोषित की जाती हैं।

(कलेक्टर महो0द्वारा अनुमोदित)

7/12/19
जिला खनि अधिकारी,
बैतूल

पृ0क्रमांक / ख0लि0–2 / 2019 / 2059 (A) बैतूल, दिनांक 07 / 12 / 2019

प्रतिलिपिः–

1. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित।
2. कार्यपालक संचालक, मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम, पर्यावास भवन, भोपाल को सादर सूचनार्थ।
3. संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. वनमण्डलाधिकारी, पश्चिम बैतूल(सा0) वनमंडल।
5. मुख्य कार्यपालन/अधिकारी, जिला पंचायत बैतूल को सूचनार्थ प्रेषित।
6. अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व) **शाहपुर** की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
7. तहसीलदार, शाहपुर
8. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत शाहपुर को सूचनार्थ
9. खनि निरीक्षक / खनि सर्वेयर / खनि सहायक मानचित्रकार बैतूल।
10. खनि शाखा–2 खनिज कार्यालय बैतूल ।
11. सरपंच / सचिव ग्राम पंचायत–**टांगनामाल** जनपद पंचायत **शाहपुर** जिला बैतूल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

7/12/19
जिला खनि अधिकारी,
बैतूल

कार्यालय कलेक्टर (खनिज–शाखा) बैतूल

–: संशोधित आदेश :–

क्रमांक/खo लि०–2/2019/2056(A) बैतूल, दिनांक 07/12/2019 (10)

सरपंच, ग्राम पंचायत **बल्लौर** जनपद पंचायत चिचोली जिला बैतूल द्वारा ग्रामसभा दिनांक 02.10.2017 में प्रस्ताव क्रमांक 05 पारित कर प्रस्ताव की प्रतिलिपि सहित पत्र दिनांक 03.10.2017 प्रस्तुत किया है, जिसके अनुसार ग्राम–**बल्लौर** तहसील चिचोली के **मोरण्ड** नदी में बहुत तादाद में खनिज रेत उपलब्ध है, अतः खसरा क्रमांक 162 रकबा 5.111 हे0 में से रकबा 3.560 हे0 को नई रेत खदान घोषित करने का लेख किया गया है।

उपरोक्त प्राप्त प्रस्ताव आवेदन पत्र पर नई रेत खदान घोषित करने के संबंध में तहसीलदार चिचोली/खनि निरीक्षक बैतूल/खनि सहायक मानचित्रकार बैतूल से प्रतिवेदन/अभिमत प्राप्त किये गये।

तहसीलदार चिचोली के रा.मा. क्र.0664 ब/121 वर्ष 2019–20 आदेश पत्रिका दिनांक 26.11.2019 के अनुसार राजस्व निरीक्षक/हल्का पटवारी से प्रतिवेदन, स्थल पंचनामा निर्धारित प्रारूप में प्राप्त कर तथा प्रथक से प्रतिवेदन प्रकरण में संलग्न कर प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बैतूल की ओर प्रेषित किया गया। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बैतूल द्वारा आदेश पत्रिका दिनांक 27.11.2019 को प्रतिवेदित किया गया है कि प्रकरण में संलग्न प्रतिवेदन के अनुसार ग्राम–बल्लौर स्थित शासकीय नदी खसरा क्रमांक 162 रकबा 5.111 हे0 में से रकबा 3.000 हे0 क्षेत्र पर नई रेत खदान घोषित किये जाने हेतु प्रस्तावित किया गया है। प्रकरण आगामी कार्यवाही हेतु खनि अधिकारी बैतूल को प्रेषित किया गया है। तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत संलग्नक–4 एवं 23 बिन्दुओं की जानकारी, लाल स्याही से रेखांकित नक्शा, स्थल पंचनामा की मूल प्रति प्रस्तुत की गई है

खनि निरीक्षक,बैतूल के जॉच प्रतिवेदन मय पंचनामा दिनांक 26.03.2018 के अनुसार आवेदित क्षेत्र खसरा क्रमांक 162 रकबा 5.111 हे0 में से 3.560 हे0 क्षेत्र पर पर्याप्त मात्रा में रेत खनिज उपलब्ध है। आवेदित क्षेत्र से पुल 200 मीटर के भीतर नहीं है। राष्ट्रीय/राजमार्ग लगभग 12 कि0मी0 दूर स्थित है। रेल्वे लाईन 15 कि0मी0 के भीतर नहीं है, जलाशय/बांध 200 मीटर के भीतर नहीं है, ग्रामीण मार्ग 50 मीटर की दूरी पर स्थित है। सार्वजनिक संस्थान आस–पास नहीं है। आबादी लगभग 200 मीटर पर स्थित है। सार्वजनिक उपयोग की भूमि आस–पास नहीं है। धार्मिक स्थल एवं मरघट 100 मीटर के भीतर नहीं है। उक्त आवेदित क्षेत्र शासकीय नदी है जिसमें प्रचूर मात्रा में रेत उपलब्ध है, आवेदित क्षेत्र से रेत खनिज की चोरी न हो एवं आस–पास के ग्रामीणों को रोजगार प्राप्त हो सके, आवेदित क्षेत्र में नई रेत खदान घोषित किये जाने की अनुशंसा की है।

खनि सहायक मानचिकार, बैतूल ने प्रतिवेदन दिनांक 05.12.2019 में प्रतिवेदित किया गया है कि तहसील चिचोली ग्राम–**बल्लौर** के **मोरण्ड** नदी के खसरा क्रमांक 162 रकबा 5.111 हे0 में से 3.000 हे0 क्षेत्र पर नई रेत खदान घोषित किये जाने हेतु क्षेत्र उपलब्ध होता है राजस्व पटवारी नक्शे में लाल स्याही से चिन्हांकित किया गया है।

मध्यप्रदेश रेत (खनन,परिवहन, भण्डारण एवं व्यापार) नियम,2019 में वन विभाग से अनुशंसा का कोई प्रावधान नहीं दिया गया है। विभागीय VC दिनांक 15.11.2019 के दौरान शासन स्तर एवं संचालनालय स्तर के वरिष्ट अधिकारियों द्वारा निर्देशित किया कि SEIAA की अनुमति के दौरान वन विभाग से अनुशंसा प्राप्त करेंगे।

अतः उपरोक्त जॉच प्रतिवेदनों एवं ग्रामसभा में पारित प्रस्ताव के आधार पर मध्यप्रदेश रेत (खनन, परिवहन, भण्डारण एवं व्यापार) नियम, 2019 के नियम 5 (1) एवं (2) के तहत ग्राम–**बल्लौर** के मोरण्ड नदी के खसरा क्रमांक 162 रकबा 5.111 हे0 में से रकबा 3.000 हे0 क्षेत्र पर खनिज रेत की नई खदान घोषित की जाती है।

(कलेक्टर महो0द्वारा अनुमोदित)

जिला खनि अधिकारी,
बैतूल

पृ0क्रमांक/खo लि०–2/2019/2056(A) बैतूल, दिनांक 07/12/2019 (10)

प्रतिलिपि:–

1. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित।
2. कार्यपालक संचालक, मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम, पर्यावास भवन, भोपाल को सादर सूचनार्थ।
3. संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. वनमण्डलाधिकारी, पश्चिम बैतूल(सा0) वनमंडल।
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत बैतूल को सूचनार्थ प्रेषित।
6. अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व) बैतूल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
7. तहसीलदार, चिचोली ।
8. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत चिचोली को सूचनार्थ
9. खनि निरीक्षक/ खनि सर्वेयर/खनि सहायक मानचित्रकार बैतूल।
10. खनि शाखा–2 खनिज कार्यालय बैतूल ।
11. सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत–**बल्लौर** जनपद पंचायत चिचोली जिला बैतूल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

जिला खनि अधिकारी,
बैतूल

कार्यालय कलेक्टर (खनिज–शाखा) बैतूल

–: संशोधित आदेश :–

क्रमांक/खo लि०–2/2019/2013(A) बैतूल, दिनांक 05/12/2019

सरपंच, ग्राम पंचायत **खपरिया** जनपद पंचायत चिचोली जिला बैतूल द्वारा ग्रामसभा दिनांक 02.10.2017 में प्रस्ताव क्रमांक 09 पारित कर प्रस्ताव की प्रतिलिपि सहित पत्र दिनांक 03.10.2017 प्रस्तुत किया है, जिसके अनुसार ग्राम–**खपरिया** तहसील चिचोली के मोरण्ड नदी के ख.क्र. 18 रकबा 5.232 हे.में बडी तादाद में खनिज रेत उपलब्ध है, जिसे नई रेत खदान घोषित करने का लेख किया गया है।

उपरोक्त प्राप्त प्रस्ताव आवेदन पत्र पर नई रेत खदान घोषित करने के संबंध में तहसीलदार चिचोली/खनि निरीक्षक बैतूल/खनि सहायक मानचित्रकार बैतूल से प्रतिवेदन/अभिमत प्राप्त किये गये। तहसीलदार चिचोली द्वारा अपने मामला क्रमांक 0715/ब–121/2019–20 दिनांक 26.11.2019 द्वारा ग्राम–**खपरिया** तहसील चिचोली की भूमि खसरा क्रमांक 18 रकबा 5.232 हे0 में से रकबा 3.400 हे0 भूमि पर नई रेत खदान घोषित करने हेतु प्रस्तावित की गई हैं।

खनि निरीक्षक,बैतूल के जॉच प्रतिवेदन मय पंचनामा दिनांक 27.03.2018 के अनुसार आवेदित क्षेत्र खसरा क्रमांक 18 रकबा 5.232 हे0 में से 3.400 हे0 क्षेत्र पर पर्याप्त मात्रा में रेत खनिज उपलब्ध हैं। आवेदित क्षेत्र से पुल 100 मीटर के भीतर नहीं है। राष्ट्रीय/राजमार्ग लगभग 15 कि0मी0 दूर स्थित है। रेल्वे लाईन 10 कि0मी0 के भीतर नही हैं, जलाशय/बांध 500 मीटर के भीतर नही हैं, ग्रामीण कच्चा मार्ग लगा हुआ है, सार्वजनिक संस्थान आस–पास नहीं हैं। आबादी लगभग 200 मीटर पर स्थित है। सार्वजनिक उपयोग की भूमि आस–पास नहीं है। धार्मिक स्थल एवं मरघट 200 मीटर के भीतर नही हैं। उक्त आवेदित क्षेत्र शासकीय नदी है जिसमें प्रचूर मात्रा में रेत उपलब्ध है, आवेदित क्षेत्र से रेत खनिज की चोरी न हो एवं आस–पास के ग्रामीणों को रोजगार प्राप्त हो सके, आवेदित क्षेत्र में नई रेत खदान घोषित किये जाने की अनुशंसा की हैं।

खनि सहायक मानचिकार, बैतूल ने प्रतिवेदन दिनांक 05.12.2019 में प्रतिवेदित किया गया है कि तहसील चिचोली ग्राम–**खपरिया** के मोरण्ड नदी के खसरा क्रमांक 18 रकबा 5.232 हे0 में से 3.400 हे0 क्षेत्र नई रेत खदान घोषित किये जाने हेतु क्षेत्र उपलब्ध होता है राजस्व पटवारी नक्शे में लाल स्याही से चिन्हांकित किया गया हैं।

मध्यप्रदेश रेत (खनन,परिवहन, भण्डारण एवं व्यापार) नियम,2019 में वन विभाग से अनुशंसा का कोई प्रावधान नही दिया गया है। विभागीय VC दिनांक 15.11.2019 के दौरान शासन स्तर एवं संचालनालय स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा निर्देशित किया कि SEIAA की अनुमति के दौरान वन विभाग से अनुशंसा प्राप्त करेंगे।

अतः उपरोक्त जॉच प्रतिवेदनों एवं ग्रामसभा में पारित प्रस्ताव के आधार पर मध्यप्रदेश रेत (खनन, परिवहन, भण्डारण एवं व्यापार) नियम, 2019 के नियम 5 (1) एवं (2) के तहत ग्राम–खपरिया के मोरण्ड नदी के खसरा क्र0 18 रकबा 5.232 हे0 में से रकबा 3.400 हे0 क्षेत्र पर खनिज रेत की नई खदान घोषित की जाती हैं।

(कलेक्टर महो0द्वारा अनुमोदित)

जिला खनि अधिकारी,
बैतूल

पृ0क्रमांक/खo लि०–2/2019/2013(A) बैतूल, दिनांक 05/12/2019

प्रतिलिपिः–

1. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित।
2. कार्यपालक संचालक, मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम, पर्यावास भवन, भोपाल को सादर सूचनार्थ।
3. संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. वनमण्डलाधिकारी, पश्चिम बैतूल(सा0) वनमंडल।
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत बैतूल को सूचनार्थ प्रेषित।
6. अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व) बैतूल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
7. तहसीलदार, **चिचोली**
8. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत चिचोली को सूचनार्थ
9. खनि निरीक्षक/ खनि सर्वेयर/खनि सहायक मानचित्रकार बैतूल।
10. खनि शाखा–2 खनिज कार्यालय बैतूल ।
11. सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत–**खपरिया** जनपद पंचायत **चिचोली** जिला बैतूल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

जिला खनि अधिकारी,
बैतूल

कार्यालय कलेक्टर (खनिज–शाखा) बैतूल

–: संशोधित आदेश :–

पृ0क्रमांक/ख0लि0–2/2019/2014(A) बैतूल, दिनांक 05/12/2019

सरपंच, ग्राम पंचायत **टांगनामाल** जनपद पंचायत शाहपुर जिला बैतूल द्वारा ग्रामसभा दिनांक 26.01.2018 मे प्रस्ताव क्रमांक 09 पारित कर प्रस्ताव की प्रतिलिपि सहित पत्र दिनांक 28.01.2018 प्रस्तुत किया है, जिसके अनुसार ग्राम–**टांगनामाल** तहसील शाहपुर के **मोरण्ड नदी** के ख.क्र. 209 रकबा 9.073 हे.में बड़ी तादाद मे खनिज रेत उपलब्ध हैं, जिसे नई रेत खदान घोषित करने का लेख किया गया हैं।

उपरोक्त प्राप्त प्रस्ताव आवेदन पत्र पर नई रेत खदान घोषित करने के संबंध में तहसीलदार शाहपुर/खनि निरीक्षक बैतूल/खनि सहायक मानचित्रकार बैतूल से प्रतिवेदन/अभिमत प्राप्त किये गये। तहसीलदार शाहपुर द्वारा अपने पत्र क्रमांक–टी.आर./2019/604 दिनांक 26.11.2019 द्वारा ग्राम–**टांगनामाल** तहसील शाहपुर की भूमि खसरा क्रमांक 209 रकबा 9.073 हे0 में से रकबा 4.000 हे0 भूमि पर नई रेत खदान घोषित करने हेतु प्रस्तावित की गई है।

खनि निरीक्षक, बैतूल के जॉच प्रतिवेदन दिनांक 02.12.2019 के अनुसार आवेदित क्षेत्र खसरा क्रमांक 209 रकबा 9.073 हे0 क्षेत्र पर खनिज रेत उपलब्ध हैं। आवेदित क्षेत्र से आबादी लगभग 250 मीटर दूर स्थित है, सड़क लगभग 100 मीटर दूर स्थित हैं। सार्वजनिक स्थल जैसे मंदिर/मस्जिद/कब्रस्तान से लगभग 200 मी0 दूर स्थित है, राष्ट्रीय राजमार्ग लगभग 38 कि0मी0 दूर स्थित है,प्रस्तावित क्षेत्र मोरण्ड नदी हैं आवेदित क्षेत्र से नियमानुसार प्रतिबधित दूरी छोड़कर उपलब्ध क्षेत्र पर रेत खदान घोषित किये जाने की अनुशंसा की है।

खनि सहायक मानचिकार, बैतूल ने प्रतिवेदन दिनांक 05.12.2019 मे प्रतिवेदित किया है कि तहसील शाहपुर ग्राम–**टांगनामाल** के मोरण्ड नदी के खसरा क्रमांक 209 रकबा 9.073 हे0 में से 4.000 हे0 क्षेत्र नई रेत खदान घोषित किये जाने हेतु क्षेत्र उपलब्ध होता हैं राजस्व पटवारी नक्शे में लाल स्याही से चिन्हांकित किया गया है।

मध्यप्रदेश रेत (खनन,परिवहन, भण्डारण एवं व्यापार) नियम,2019 में वन विभाग से अनुशंसा का कोई प्रावधान नहीं दिया गया है। विभागीय VC दिनांक 15.11.2019 के दौरान शासन स्तर एवं संचालनालय स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा निर्देशित किया कि SEIAA की अनुमति के दौरान वन विभाग से अनुशंसा प्राप्त करेंगे।

अतः उपरोक्त जॉच प्रतिवेदनों एवं ग्रामसभा में पारित प्रस्ताव के आधार पर मध्यप्रदेश रेत (खनन, परिवहन, भण्डारण एवं व्यापार) नियम, 2019 के नियम 5 (1) एवं (2) के तहत ग्राम–**टांगनामाल** के मोरण्ड नदी के खसरा क्रमांक 209 रकबा 9.073 हे0 में से रकबा 4.000 हे0 क्षेत्र पर खनिज रेत की नई खदान घोषित की जाती है।

(कलेक्टर महो0द्वारा अनुमोदित)

जिला खनि अधिकारी,
बैतूल

पृ0क्रमांक/ख0लि0–2/2019/2014(A) बैतूल, दिनांक 05/12/2019

प्रतिलिपिः–

1. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित।
2. कार्यपालक संचालक, मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम, पर्यावास भवन, भोपाल को सादर सूचनार्थ।
3. संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. वनमण्डलाधिकारी, पश्चिम बैतूल(सा0) वनमंडल।
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत बैतूल को सूचनार्थ प्रेषित।
6. अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व) **शाहपुर** की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
7. तहसीलदार, शाहपुर
8. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत शाहपुर को सूचनार्थ
9. खनि निरीक्षक/ खनि सर्वेयर/खनि सहायक मानचित्रकार बैतूल।
10. खनि शाखा–2 खनिज कार्यालय बैतूल ।
11. सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत–**टांगनामाल** जनपद पंचायत **शाहपुर** जिला बैतूल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

जिला खनि अधिकारी,
बैतूल

कार्यालय कलेक्टर (खनिज–शाखा) बैतूल

–: संशोधित आदेश :–

क्रमांक / ख0लि0–2 / 2019 / 2014 (A) बैतूल, दिनांक 05 / 12 / 2019

सरपंच, ग्राम पंचायत **टांगनामाल** जनपद पंचायत शाहपुर जिला बैतूल द्वारा ग्रामसभा दिनांक 26.01.2018 में प्रस्ताव क्रमांक 09 पारित कर प्रस्ताव की प्रतिलिपि सहित पत्र दिनांक 28.01.2018 प्रस्तुत किया है, जिसके अनुसार ग्राम–**टांगनामाल** तहसील शाहपुर के **मोरण्ड नदी** के ख.क्र. 209 रकबा 9.073 हे.मे बड़ी तादाद में खनिज रेत उपलब्ध है, जिसे नई रेत खदान घोषित करने का लेख किया गया है।

उपरोक्त प्राप्त प्रस्ताव आवेदन पत्र पर नई रेत खदान घोषित करने के संबंध में तहसीलदार शाहपुर / खनि निरीक्षक बैतूल / खनि सहायक मानचित्रकार बैतूल से प्रतिवेदन / अभिमत प्राप्त किये गये। तहसीलदार शाहपुर द्वारा अपने पत्र क्रमांक–टी.आर. / 2019 / 604 दिनांक 26.11.2019 द्वारा ग्राम–**टांगनामाल** तहसील शाहपुर की भूमि खसरा क्रमांक 209 रकबा 9.073 हे0 में से रकबा 4.000 हे0 भूमि पर नई रेत खदान घोषित करने हेतु प्रस्तावित की गई है।

खनि निरीक्षक, बैतूल के जॉच प्रतिवेदन दिनांक 02.12.2019 के अनुसार आवेदित क्षेत्र खसरा क्रमांक 209 रकबा 9.073 हे0 क्षेत्र पर खनिज रेत उपलब्ध हैं। आवेदित क्षेत्र से आबादी लगभग 250 मीटर दूर स्थित है, सड़क लगभ 100 मीटर दूर स्थित हैं। सार्वजनिक स्थल जैसे मंदिर / मस्जिद / कब्रस्तान से लगभग 200 मी0 दूर स्थित है, राष्ट्रीय राजमार्ग लगभग 38 कि0मी0 दूर स्थित है,प्रस्तावित क्षेत्र मोरण्ड नदी हैं आवेदित क्षेत्र से नियमानुसार प्रतिबंधित दूरी छोड़कर उपलब्ध क्षेत्र पर रेत खदान घोषित किये जाने की अनुशंसा की हैं।

खनि सहायक मानचिकार, बैतूल ने प्रतिवेदन दिनांक 05.12.2019 में प्रतिवेदित किया है कि तहसील शाहपुर ग्राम–**टांगनामाल** के मोरण्ड नदी के खसरा क्रमांक 209 रकबा 9.073 हे0 में से 4.000 हे0 क्षेत्र नई रेत खदान घोषित किये जाने हेतु क्षेत्र उपलब्ध होता हैं राजस्व पटवारी नक्शे में लाल स्याही से चिन्हांकित किया गया हैं।

मध्यप्रदेश रेत (खनन,परिवहन, भण्डारण एवं व्यापार) नियम,2019 में वन विभाग से अनुशंसा का कोई प्रावधान नही दिया गया है। विभागीय VC दिनांक 15.11.2019 के दौरान शासन स्तर एवं संचालनालय स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा निर्देशित किया कि SEIAA की अनुमति के दौरान वन विभाग से अनुशंसा प्राप्त करेगे।

अतः उपरोक्त जॉच प्रतिवेदनों एवं ग्रामसभा में पारित प्रस्ताव के आधार पर मध्यप्रदेश रेत (खनन, परिवहन, भण्डारण एवं व्यापार) नियम, 2019 के नियम 5 (1) एवं (2) के तहत ग्राम–**टांगनामाल** के मोरण्ड नदी के खसरा क्रमांक 209 रकबा 9.073 हे0 में से रकबा 4.000 हे0 क्षेत्र पर खनिज रेत की नई खदान घोषित की जाती है।

(कलेक्टर महो0द्वारा अनुमोदित)

जिला खनि अधिकारी,
बैतूल

पृ0क्रमांक / ख0लि0–2 / 2019 / 2014 (A) बैतूल, दिनांक 05 / 12 / 2019

प्रतिलिपिः–

1. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित।
2. कार्यपालक संचालक, मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम, पर्यावास भवन, भोपाल को सादर सूचनार्थ।
3. संचालक, भौगिकी तथा खनिकर्म भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. वनमण्डलाधिकारी, पश्चिम बैतूल(सा0) वनमंडल।
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत बैतूल को सूचनार्थ प्रेषित।
6. अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व) **शाहपुर** की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
7. तहसीलदार, शाहपुर
8. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत शाहपुर को सूचनार्थ
9. खनि निरीक्षक / खनि सर्वेयर / खनि सहायक मानचित्रकार बैतूल।
10. खनि शाखा–2 खनिज कार्यालय बैतूल ।
11. सरपंच / सचिव ग्राम पंचायत–**टांगनामाल** जनपद पंचायत **शाहपुर** जिला बैतूल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

जिला खनि अधिकारी,
बैतूल

कार्यालय कलेक्टर (खनिज–शाखा) बैतूल

–: संशोधित आदेश :–

क्रमांक/ख0लि0–2/2019/2057 (A) बैतूल, दिनांक 07/12/2019

सरपंच, ग्राम पंचायत **चिखली रैयत** जनपद पंचायत शाहपुर जिला बैतूल द्वारा ग्रामसभा दिनांक 15.08.2018 में प्रस्ताव क्रमांक 06 पारित कर प्रस्ताव की प्रतिलिपि सहित पत्र दिनांक 15.08.2018 प्रस्तुत किया है, जिसके अनुसार ग्राम–**चिखली रैयत** तहसील **शाहपुर** के **मोरण्ड** नदी के खसरा क्रमांक 316 रकबा 8.696 हे0 में बड़ी तादाद में खनिज रेत उपलब्ध हैं, जहां नई रेत खदान घोषित करने का लेख किया गया हैं। उपरोक्त प्राप्त प्रस्ताव आवेदन पत्र पर नई रेत खदान घोषित करने के संबंध में तहसीलदार शाहपुर/खनि निरीक्षक बैतूल/खनि सहायक मानचित्रकार बैतूल से प्रतिवेदन/अभिमत प्राप्त किये गये।

तहसीलदार शाहपुर के पत्र क्रमांक–टी.आर./2019/605 दिनांक 26.11.2019 के अनुसार लेख किया गया है कि ग्राम पंचायत का प्रस्ताव, पटवारी रिपोर्ट एवं प्रस्तावित नक्शा संलग्न कर इस कार्यालय को प्रेषित किया गया हैं, तथा संलग्नक–4 एवं 23 बिन्दुओं की जानकारी प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार प्रस्तावित क्षेत्र से आबादी 800 मी0 दूर, रेल्वे लाईन 68 कि0 मी0 दूर, पुल व पुलिया 01 कि0मी0 दूर, ग्रामीण कच्चे रास्ते से 100 मीटर दूर, अन्य सार्वजनिक स्थल जैसे–मंदिर, मस्जिद, कब्रस्तान से 01 कि0मी0 मीटर दूर, वन सीमा से लगी हुई है, निकटतम नगरपालिका मुख्यालय से 29 कि0मी0 दूर, स्मारकों एवं संवेदनशील स्थल आसपास नहीं हैं, निकटतम व्यापारिक खदान कोई नहीं हैं। तथा प्रस्तावित क्षेत्र से मानव बसाहट/जलीय निकाय/शैक्षणिक संस्थान/चिकित्सालय/राष्ट्रीय धरोहर/पुरातत्वीय महत्व के स्थल 500 मीटर की दूरी के अन्दर स्थित नहीं हैं। 10 कि0मी0 की परिधि में कोई अन्तर्राज्यीय सीमा एवं 250 मी0 की परिधि में अन्य कोई खदान स्थित नही हैं। प्रस्तावित क्षेत्र खसरा क्रमांक 316 रकबा 8.696 हे0 रेत खदान घोषित किये जाने की अनुशंसा की गई है।

खनि निरीक्षक, बैतूल के जॉच प्रतिवेदन दिनांक 04.10.2018 के अनुसार प्रस्तावित क्षेत्र खसरा क्रमांक 316 रकबा 8.696 हे0 क्षेत्र पर खनिज रेत उपलब्ध है। प्रस्तावित क्षेत्र से पुल 100 मीटर के भीतर नही हैं, राष्ट्रीय/राजमार्ग/रेल्वे लाईन 10 कि0 मी0 से अधिक दूर, प्रस्तावित क्षेत्र नदी है, जलाशय/बांध 500 मीटर दूर, ग्रामीण पक्की सड़क लगभग 01 कि0मी0 दूर ,सार्वजनिक उपयोग की भूमि/धार्मिक स्थल 100 मीटर के भीतर नही है, आबादी लगभग 300 मीटर दूर, मरघट प्रस्तावित क्षेत्र के किनारे शवदाह गृह बना हुआ हैं, उक्त प्रस्तावित क्षेत्र मोरण्ड नदी का भाग है, जिसमें खनिज रेत उपलब्ध है, नियमानुसार प्रस्तावित दूरी छोड़कर उपलब्ध क्षेत्र पर नवीन रेत खदान घोषित किये जाने की अनुशंसा की है।

खनि सहायक मानचिकार, बैतूल ने प्रतिवेदन दिनांक 04.12.2019 में प्रतिवेदित किया है कि तहसील शाहपुर ग्राम–**चिखलीरैयत** के मोरण्ड नदी के खसरा क्र0 316 रकबा 8.696 हे0 में से 4.000 हे0 क्षेत्र पर नई रेत खदान घोषित किये जाने हेतु क्षेत्र उपलब्ध होता है राजस्व पटवारी नक्शे में लाल स्याही से चिन्हांकित किया गया हैं।

मध्यप्रदेश रेत (खनन,परिवहन, भण्डारण एवं व्यापार) नियम,2019 में वन विभाग से अनुशंसा का कोई प्रावधान नहीं दिया गया है। विभागीय VC दिनांक 15.11.2019 के दौरान शासन स्तर एवं संचालनालय स्तर के वरिष्ट अधिकारियों द्वारा निर्देशित किया कि SEIAA की अनुमति के दौरान वन विभाग से अनुशंसा प्राप्त करेंगे।

अतः उपरोक्त जॉच प्रतिवेदनों एवं ग्रामसभा में पारित प्रस्ताव के आधार पर मध्यप्रदेश रेत (खनन, परिवहन, भण्डारण एवं व्यापार) नियम, 2019 के नियम 5(1)एवं(2) के सहत ग्राम–**चिखलीरैयत** के **मोरण्ड** नदी के खसरा क्र0 316 रकबा 8.696 हे0 मे से रकबा 4.000 हे0 क्षेत्र पर खनिज रेत की नई खदान घोषित की जाती हैं।

(कलेक्टर महो0द्वारा अनुमोदित)

जिला खनि अधिकारी,
बैतूल

पृ0क्रमांक/ख0लि0–2/2019/2057 (A) बैतूल, दिनांक 07/12/2019

प्रतिलिपि:–

1. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित।
2. कार्यपालक संचालक, मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम, पर्यावास भवन, भोपाल को सादर सूचनार्थ।
3. संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. वनमण्डलाधिकारी, पश्चिम बैतूल(सा0) वनमंडल।
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत बैतूल को सूचनार्थ प्रेषित।
6. अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व) **शाहपुर** की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
7. तहसीलदार, शाहपुर
8. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत शाहपुर को सूचनार्थ
9. खनि निरीक्षक/ खनि सर्वेयर/खनि सहायक मानचित्रकार बैतूल।
10. खनि शाखा–2 खनिज कार्यालय बैतूल ।
11. सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत–**चिखलीरैयत** जनपद पंचायत **शाहपुर** जिला बैतूल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

जिला खनि अधिकारी,
बैतूल

कार्यालय कलेक्टर (खनिज–शाखा) बैतूल

–: संशोधित आदेश :–

क्रमांक/ख0लि0–2/2019/2058(A) बैतूल, दिनांक 10/07/12/2019

सरपंच, ग्राम पंचायत **चिखली रैयत** जनपद पंचायत शाहपुर जिला बैतूल द्वारा ग्रामसभा दिनांक 15.08.2018 में प्रस्ताव क्रमांक 06 पारित कर प्रस्ताव की प्रतिलिपि सहित पत्र दिनांक 15.08.2018 प्रस्तुत किया है, जिसके अनुसार ग्राम–**सेन्दूखेड़ा** तहसील **शाहपुर** के **मोरण्ड** नदी के ख0. क्र0.119 एवं 114 रकबा क्रमशः 7.738 है. एवं 5.172 है0 में बड़ी तादाद में रेत उपलब्ध हैं, अतः नई रेत खदान घोषित करने का लेख किया गया हैं। उपरोक्त प्राप्त प्रस्ताव आवेदन पत्र पर नई रेत खदान घोषित करने के संबंध में तहसीलदार शाहपुर/खनि निरीक्षक बैतूल/खनि सहायक मानचित्रकार बैतूल से प्रतिवेदन/अभिमत प्राप्त किये गये।

तहसीलदार शाहपुर के पत्र क्रमांक–टी.आर./2019/603 दिनांक 26.11.2019 के अनुसार लेख किया गया है कि ग्राम पंचायत का प्रस्ताव, पटवारी रिपोर्ट एवं प्रस्तावित नक्शा संलग्न कर इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है,तथा संलग्नक–4 एवं 23 बिन्दुओं की जानकारी प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार प्रस्तावित क्षेत्र से आबादी लगभग 500 मी0 दूर,रेल्वे लाईन 70 कि0 मी0 दूर,पुल व पुलिया 05 कि0मी0 दूर,ग्रामीण कच्चे रास्तो से 500 मीटर दूर, अन्य सार्वजनिक स्थल जैसे–मंदिर, मस्जिद, कब्रस्तान से 500 मीटर दूर, वन सीमा से लगी हुई है, निकटतम नगरपालिका मुख्यालय से 30 कि0मी0 दूर, स्मारकों एवं संवेदनशील स्थल आसपास नहीं है, निकटतम व्यापारिक खदान कोई नही हैं। तथा प्रस्तावित क्षेत्र से मानव बसाहट लगभग 400 मीटर/जलीय निकाय स्थित हैं। शैक्षणिक संस्थान/चिकित्सालय/अन्तर्राज्यीय सीमा/राष्ट्रीय धरोहर/पुरातत्वीय महत्व के स्थल 500 मीटर की दूरी के अन्दर स्थित नहीं हैं। एवं 250 मी0 की परिधि में अन्य कोई खदान स्थित नहीं हैं। प्रस्तावित क्षेत्र खसरा क्रमांक 119 एवं 114 रकबा क्रमशः7.738 एवं 5.172 है0 रेत खदान घोषित किये जाने की अनुशंसा की गई हैं।

खनि निरीक्षक, बैतूल के जॉच प्रतिवेदन दिनांक 06.11.2018 के अनुसार प्रस्तावित क्षेत्र खसरा क्रमांक 119 एवं 114 रकबा क्रमशः 7.738 एवं 5.172 है0 क्षेत्र पर खनिज रेत उपलब्ध हैं। प्रस्तावित क्षेत्र से पुल 100 मीटर के भीतर नहीं हैं, राष्ट्रीय/राजमार्ग/रेल्वे लाईन 10 कि0 मी0 से अधिक दूर, प्रस्तावित क्षेत्र नदी हैं, जलाशय/बांध 500 मीटर दूर, ग्रामीण पक्की सड़क लगभग 01 कि0मी0 दूर ,सार्वजनिक उपयोग की भूमि/धार्मिक स्थल 100 मीटर के भीतर नही है, आबादी लगभग 300 मीटर दूर, मरघट प्रस्तावित क्षेत्र के किनारे शवदाह गृह बना हुआ हैं, उक्त प्रस्तावित क्षेत्र मोरण्ड नदी का भाग हैं, जिसमें खनिज रेत उपलब्ध है, नियमानुसार प्रस्तावित दूरी छोड़कर उपलब्ध क्षेत्र पर नवीन रेत खदान घोषित किये जाने की अनुशंसा की हैं।

सहायक मानचित्रकार (खनिज) बैतूल ने प्रतिवेदन दिनांक 05.12.2019 में प्रतिवेदित किया है कि तहसील शाहपुर ग्राम–सेन्दूखेड़ा के मोरण्ड नदी के ख0. क्र0. 119 एवं 114 रकबा क्रमशः 7.738 है. एवं 5.172 है. कुल रकबा 12.910 है0 में से रकबा 4.100 है0 क्षेत्र नई रेत खदान घोषित किये जाने हेतु क्षेत्र उपलब्ध होता है राजस्व पटवारी नक्शे में लाल स्याही से चिन्हांकित किया गया हैं।

मध्यप्रदेश रेत (खनन,परिवहन, भण्डारण एवं व्यापार) नियम,2019 में वन विभाग से अनुशंसा का कोई प्रावधान नहीं दिया गया है। विभागीय VC दिनांक 15.11.2019 के दौरान शासन स्तर एवं संचालनालय स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा निर्देशित किया कि SEIAA की अनुमति के दौरान वन विभाग से अनुशंसा प्राप्त करेंगे।

अतः उपरोक्त जॉच प्रतिवेदनों एवं ग्रामसभा में पारित प्रस्ताव के आधार पर मध्यप्रदेश रेत (खनन, परिवहन, भण्डारण एवं व्यापार) नियम, 2019 के नियम 5 (1) एवं (2) के तहत ग्राम–**सेन्दूखेड़ा** के **मोरण्ड** नदी के ख0. क्र0. 119 एवं 114 रकबा क्रमशः7.738 है. एवं 5.172 है. कुल रकबा 12.910 है0 में से रकबा 4.100 है0 क्षेत्र पर खनिज रेत की नई खदान घोषित की जाती हैं।

(कलेक्टर महो0द्वारा अनुमोदित)

जिला खनि अधिकारी,
बैतूल

बैतूल, दिनांक 10/07/12/2019

पृ0क्रमांक/ख0लि0–2/2019/2058

प्रतिलिपिः–

1. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित।
2. कार्यपालक संचालक, मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम, पर्यावास भवन, भोपाल को सादर सूचनार्थ।
3. संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. वनमण्डलाधिकारी, पश्चिम बैतूल(सा0) वनमंडल।
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत बैतूल को सूचनार्थ प्रेषित।
6. अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व) शाहपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
7. तहसीलदार, शाहपुर
8. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत शाहपुर को सूचनार्थ
9. खनि निरीक्षक/ खनि सर्वेयर/खनि सहायक मानचित्रकार बैतूल।
10. खनि शाखा–2 खनिज कार्यालय बैतूल ।
11. सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत–**चिखलीरैयत** जनपद पंचायत शाहपुर जिला बैतूल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

जिला खनि अधिकारी,
बैतूल

कार्यालय कलेक्टर (खनिज–शाखा) बैतूल

–: संशोधित आदेश :–

क्रमांक/खनि0–2/2019/2036(A) बैतूल, दिनांक 07/12/2019

सरपंच, ग्राम पंचायत **बटकीडोह** जनपद पंचायत घोड़ाडोंगरी जिला बैतूल द्वारा ग्राम सभा दिनांक 25.12.2018 में प्रस्ताव क्रमांक 01 पारित कर प्रस्ताव की प्रतिलिपि सहित प्रस्तुत किया है,जिसके अनुसार ग्राम– बटकीडोह तहसील घोड़ाडोंगरी के भड़ंगा नदी के खा0क्र. 349 एवं 112 कुल रकबा 2.060 हे0 की नई रेत खदान घोषित करने का लेख किया गया है।

उपरोक्त प्राप्त प्रस्ताव पर नई रेत खदान घोषित करने के संबंध में तहसीलदार घोड़ाडोंगरी/खनि निरीक्षक बैतूल/खनि सहायक मानचित्रकार बैतूल से प्रतिवेदन/अभिमत प्राप्त किये गये। तहसीलदार घोड़ाडोंगरी के पत्र क0/प्रया0/तह0/2019/202 दिनांक 25.02.2019 के अनुसार लेख किया गया है कि ग्राम पंचायत का प्रस्ताव, पटवारी रिपोर्ट एवं प्रस्तावित नक्शा संलग्न कर इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है, तथा संलग्नक–4 एवं 23 बिन्दुओं की जानकारी प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार प्रस्तावित क्षेत्र से आबादी 500 मी0 दूर, रेल्वे लाईन 20 कि0 मी0 दूर, पुल व पुलिया 03 कि0मी0 दूर, ग्रामीण कच्चे रास्ते से 500 मीटर दूर, अन्य सार्वजनिक स्थल जैसे–मंदिर, मस्जिद, कब्रस्तान से कि0मी0 मीटर दूर, वन सीमा से 04 कि0मी0 दूर, निकटतम नगरपालिका मुख्यालय से 35 कि0मी0 दूर, स्मारकों एवं संवेदनशील स्थलों से 10 कि0मी0 दूर, निकटतम व्यावसायिक खदानों से 10 कि0मी0 दूर है। तथा प्रस्तावित क्षेत्र से मान्य जलाहट/जलीय निकाय/शैक्षणिक संस्थान/चिकित्सालय/राष्ट्रीय धरोहर/पुरातत्वीय महत्व के स्थल 500 मीटर की दूरी के अन्दर स्थित नहीं हैं। 10 कि0मी0 की परिधि में कोई अन्तर्राज्यीय सीमा एवं 250 मी0 की परिधि में अन्य कोई खदान स्थित नहीं है। प्रस्तावित क्षेत्र खसरा क्रमांक 112 एवं 349 रकबा क्रमशः 1.360 हे0 एवं 0.700 हे0 कुल रकबा 2.060 हे0 रेत खदान घोषित किये जाने की अनुशंसा की गई है।

खनि निरीक्षक, बैतूल की जाँच प्रतिवेदन दिनांक 28.02.2019 के अनुसार प्रस्तावित क्षेत्र खसरा क्रमांक 112 एवं 349 रकबा क्रमशः1.360 हे. एवं 0.700 हे. कुल रकबा 2.060 हे0 क्षेत्र पर पर्याप्त मात्रा में खनिज रेत उपलब्ध है। प्रस्तावित क्षेत्र से पुल 100 मीटर के भीतर नहीं है, राष्ट्रीय/राजमार्ग/रेल्वे लाईन 10 कि0 मी0 से अधिक दूर, प्रस्तावित क्षेत्र नदी है, जलाशय/बांध 500 मीटर दूर, ग्रामीण मार्ग/सार्वजनिक उपयोग की भूमि/मरघट 100 मीटर के भीतर नहीं है, धार्मिक स्थल 500 मीटर के भीतर नहीं, आबादी लगभग 500 मीटर दूर, उक्त प्रस्तावित क्षेत्र भड़ंगा नदी का भाग है, जिसमें खनिज रेत उपलब्ध है, प्रस्तावित क्षेत्र पर रेत खदान घोषित किये जाने की अनुशंसा की है।

खनि सहायक मानचित्रकार, बैतूल ने प्रतिवेदन दिनांक 05.12.2019 में प्रतिवेदित किया है कि तहसील घोड़ाडोंगरी ग्राम–बटकीडोह के भड़ंगा नदी के खसरा क्रमांक 112 एवं 349 रकबा क्रमशः1.360 हे0 एवं 0.700 हे0 कुल रकबा 2.060 हे0 क्षेत्र नई रेत खदान घोषित किये जाने हेतु क्षेत्र उपलब्ध होता है राजस्व पटवारी नक्शे में लाल स्याही से चिन्हांकित किया गया है।

मध्यप्रदेश रेत (खनन,परिवहन, भण्डारण एवं व्यापार) नियम,2019 में वन विभाग से अनुशंसा का कोई प्रावधान नहीं दिया गया है। विभागीय VC दिनांक 15.11.2019 के दौरान शासन स्तर एवं संचालनालय स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा निर्देशित किया कि SEIAA की अनुमति के दौरान वन विभाग से अनुशंसा प्राप्त करेंगे।

अतः उपरोक्त जाँच प्रतिवेदनों एवं ग्रामसभा में पारित प्रस्ताव के आधार पर मध्यप्रदेश रेत (खनन, परिवहन, भण्डारण एवं व्यापार) नियम, 2019 के नियम 5 (1) एवं (2) के तहत ग्राम–बटकीडोह के भड़ंगा नदी के खसरा क्रमांक 112 एवं 349 रकबा क्रमशः 1.360 हे0 एवं 0.700 हे0 कुल रकबा 2.060 हे0 क्षेत्र पर खनिज रेत की नई खदान घोषित की जाती है।

(कलेक्टर महोदय द्वारा अनुमोदित)

07/12/19
जिला खनि अधिकारी,
बैतूल

पृ0क्रमांक/खनि0–2/2019/2036(A) बैतूल, दिनांक 07/12/2019

प्रतिलिपि–

1. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित।
2. कार्यपालक संचालक, मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम, पर्यावास भवन, भोपाल को सादर सूचनार्थ।
3. संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. वनमण्डलाधिकारी, उत्तर बैतूल(सा0) वनमंडल।
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत बैतूल को सूचनार्थ प्रेषित।
6. अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व) शाहपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
7. तहसीलदार, घोड़ाडोंगरी ।
8. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत घोड़ाडोंगरी को सूचनार्थ ।
9. खनि निरीक्षक/ खनि सर्वेयर/खनि सहायक मानचित्रकार बैतूल।
10. खनि शाखा–2 खनिज कार्यालय बैतूल ।
11. सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत–बटकीडोह जनपद पंचायत घोड़ाडोंगरी जिला बैतूल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

07/12/19
जिला खनि अधिकारी,
बैतूल

कार्यालय कलेक्टर (खनिज–शाखा) बैतूल

–: संशोधित आदेश :–

क्रमांक/खo लि०–2/2019/2035 (A) बैतूल, दिनांक 07/12/2019

सरपंच, ग्राम पंचायत **घटकीडोह** जनपद पंचायत घोड़ाडोंगरी जिला बैतूल द्वारा ग्रामसभा दिनांक 25.01.2019 में प्रस्ताव क्रमांक 01 पारित कर प्रस्ताव की प्रतिलिपि सहित प्रस्तुत किया है,जिसके अनुसार ग्राम–**विष्णुपुर** तहसील घोड़ाडोंगरी के भड़ंगा नदी के खo क्र. 1 रकबा 14.180 हे0 में से रकबा 4.800 हे0 को नई रेत खदान घोषित करने का लेख किया गया है।

उपरोक्त प्राप्त प्रस्ताव पर नई रेत खदान घोषित करने के संबंध में तहसीलदार घोड़ाडोंगरी/खनि निरीक्षक बैतूल/खनि सहायक मानचित्रकार बैतूल से प्रतिवेदन/अभिमत प्राप्त किये गये। तहसीलदार घोड़ाडोंगरी ने पत्र क्र0/प्रया0/तह0/2019/98 दिनांक 29.01.2019 के अनुसार लेख किया गया है कि ग्राम पंचायत का प्रस्ताव, पटवारी रिपोर्ट एवं प्रस्तावित नक्शा संलग्न कर इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है, तथा संलग्नक–4 एवं 23 बिन्दुओं की जानकारी प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार प्रस्तावित क्षेत्र से आबादी 01 कि0मी0 दूर, राष्ट्रीय राजमार्ग 20 कि0मी0 दूर, रेल्वे लाईन 20 कि0 मी0 दूर, पुल व पुलिया 01 कि0मी0 दूर, ग्रामीण कच्चे रास्ते से 200 मीटर दूर, अन्य सार्वजनिक स्थल जैसे–मंदिर, मस्जिद, कब्रस्तान से 100 मीटर दूर, वन सीमा से 03 कि0मी0 दूर, निकटतम नगरपालिका मुख्यालय से 30 कि0मी0 दूर, स्मारकों एवं संवेदनशील कोई नहीं, निकटतम व्यापारिक खदानों से 5 कि0मी0 दूर हैं। तथा प्रस्तावित क्षेत्र से मानव बसाहट/जलीय निकाय/शैक्षणिक संस्थान/चिकित्सालय/राष्ट्रीय धरोहर/पुरातत्वीय महत्व के स्थल/ 500 मीटर की दूरी के अन्दर स्थित नहीं हैं। 10 कि0मी0 की परिधि में कोई अन्तर्राज्यीय सीमा एवं 250 मी0 की परिधि में अन्य कोई खदान स्थित नहीं हैं। प्रस्तावित क्षेत्र खसरा क्रमांक–1 के भाग रकबा 4.800 हे0 में से रकबा 3.000 में रेत खदान घोषित किये जाने की अनुशंसा की गई है।

खनि निरीक्षक, बैतूल के जाँच प्रतिवेदन दिनांक 28.02.2018 के अनुसार प्रस्तावित क्षेत्र खसरा क्रमांक 1 के भाग रकबा 4.800 हे0 क्षेत्र पर पर्याप्त मात्रा में खनिज रेत उपलब्ध है। प्रस्तावित क्षेत्र से पुल 500 मीटर के भीतर नहीं है, राष्ट्रीय/राजमार्ग/रेल्वे लाईन 10 कि0 मी0 से अधिक दूर, प्रस्तावित क्षेत्र नदी है, जलाशय/बांध/ग्रामीण मार्ग 200 मीटर से अधिक दूर, सार्वजनिक/उपयोग की भूमि /धार्मिक स्थल एवं मरघट 100 मीटर के भीतर नहीं है, आबादी 500 मीटर दूर, उक्त प्रस्तावित क्षेत्र भड़ंगा नदी का भाग है, जिसमें खनिज रेत उपलब्ध है, प्रस्तावित क्षेत्र पर रेत खदान घोषित किये जाने की अनुशंसा की है।

खनि सहायक मानचित्रकार, बैतूल ने प्रतिवेदन दिनांक 02.12.2019 में प्रतिवेदित किया गया है कि तहसील घोड़ाडोंगरी ग्राम–**विष्णुपुर** के भड़ंगा नदी के खसरा क्रमांक 1 रकबा 14.180 हे0 में से रकबा 3.000 हे0 क्षेत्र उपलब्ध होता है तथा राजस्व पटवारी नक्शे में लाल स्याही से चिन्हांकित किया गया है।

मध्यप्रदेश रेत (खनन,परिवहन, भण्डारण एवं व्यापार) नियम,2019 में वन विभाग से अनुशंसा का कोई प्रावधान नहीं दिया गया है। विभागीय VC दिनांक 15.11.2019 के दौरान शासन स्तर एवं संचालनालय स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा निर्देशित किया कि SEIAA की अनुमति के दौरान वन विभाग से अनुशंसा प्राप्त करेंगे।

अतः उपरोक्त जाँच प्रतिवेदनों एवं ग्रामसभा में पारित प्रस्ताव के आधार पर मध्यप्रदेश रेत (खनन, परिवहन, भण्डारण एवं व्यापार) नियम, 2019 के नियम 5(1)एवं(2) के तहत ग्राम–**विष्णुपुर** के भड़ंगा नदी के खसरा क्र0 1 रकबा 14.180 हे0 में से रकबा 3.000 हे0 क्षेत्र पर खनिज रेत की नई खदान घोषित की जाती है।

(कलेक्टर महो0द्वारा अनुमोदित)

जिला खनि अधिकारी,
बैतूल

बैतूल, दिनांक 07/12/2019

पृ0क्रमांक/खo लि०–2/2019/2035 (A)

प्रतिलिपिः–

1. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित।
2. कार्यपालक संचालक, मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम, पर्यावास भवन, भोपाल को सादर सूचनार्थ।
3. संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. वनमण्डलाधिकारी, उत्तर बैतूल(सा0) वनमंडल।
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत बैतूल को सूचनार्थ प्रेषित।
6. अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व) **शाहपुर** की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
7. तहसीलदार, घोड़ाडोंगरी ।
8. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत घोड़ाडोंगरी को सूचनार्थ ।
9. खनि निरीक्षक/ खनि सर्वेयर/खनि सहायक मानचित्रकार बैतूल।
10. खनि शाखा–2 खनिज कार्यालय बैतूल ।
11. सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत–**घटकीडोह** जनपद पंचायत घोड़ाडोंगरी जिला बैतूल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

जिला खनि अधिकारी,
बैतूल

कार्यालय कलेक्टर (खनिज–शाखा) बैतूल

–: संशोधित आदेश :–

क्रमांक/ख0लि0–2/2019/2020(A) बैतूल, दिनांक 07/12/2019

सरपंच, ग्राम पंचायत झोली जनपद पंचायत घोड़ाडोंगरी जिला बैतूल द्वारा ग्रामसभा दिनांक 21.03.2018 में प्रस्ताव क्रमांक 05 पारित कर प्रस्ताव की प्रतिलिपि सहित पत्र प्रस्तुत किया हैं, जिसके अनुसार ग्राम–झोली–1 तहसील घोड़ाडोंगरी के भड़ंगा नदी के ख0क्र. 99 रकबा 12.015 हे0 को नई रेत खदान घोषित करने का लेख किया गया हैं।

उपरोक्त प्राप्त प्रस्ताव आवेदन पत्र पर नई रेत खदान घोषित करने के संबंध में तहसीलदार घोड़ाडोंगरी /खनि निरीक्षक बैतूल/खनि सहायक मानचित्रकार बैतूल से प्रतिवेदन/अभिमत प्राप्त किये गये। नायब तहसीलदार घोड़ाडोंगरी (घोषणा वृत) के रा.मा. क्र.0127 ब/121 वर्ष 2019 –20 आदेश पत्रिका दिनांक 23.11.2019 के अनुसार राजस्व निरीक्षक/हल्का पटवारी से निर्धारित प्रारुपों मे जानकारी प्राप्त कर प्रकरण मे संलग्न किया गया हैं। नायब तहसीलदार द्वारा लेख किया गया है कि हल्का पटवारी/राजस्व निरीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार प्रस्तावित क्षेत्र ग्राम–झोली–1 खसरा क्रमांक 99 रकबा 12.015 हे0 भूमि प्रस्तावित क्षेत्र से आबादी लगभग 300 मीटर दूर, राष्ट्रीय राजमार्ग/रेल्वे लाईन 30 कि0 मी0 दूर, पूल व पुलिया से 100 मी0, वन सीमा से 3 कि0मी0, निकटतम नगरपालिका मुख्यालय से 35 कि0मी0 दूर, स्मारकों एवं संवेदनशील स्थलों से 40 कि0मी0 दूर, प्रतिवेदित किया गया हैं। प्रस्तुत संलग्नक–4 एवं 23 बिन्दुओं की जानकारी, लाल स्याही से रेखांकित नक्शा, स्थल पंचनामा की मूल प्रति प्रस्तुत की गई हैं। प्रकरण अनुशंसा सहित आगामी कार्यवाही हेतु खनि अधिकारी बैतूल को प्रेषित किया गया ।

खनि निरीक्षक, बैतूल के जॉच प्रतिवेदन दिनांक 26.11.2019 के अनुसार प्रस्तावित क्षेत्र खसरा क्रमांक 99 रकबा 12.015 हे0 क्षेत्र पर रेत खनिज उपलब्ध हैं। प्रस्तावित क्षेत्र से पुल लगभग 100 मी0 दूर, राष्ट्रीय/राजमार्ग/रेल्वे लाईन लगभग 30 कि0मी0 दूर हैं, जलाशय/बांध/ग्रामीण मार्ग/सार्वजनिक संस्थान/सार्वजनिक उपयोग की भूमि/धार्मिक स्थल/मरघट आसपास नहीं है, आबादी लगभग 300 मीटर दूर स्थित हैं। उक्त प्रस्तावित क्षेत्र भड़ंगा नदी हैं, प्रस्तावित क्षेत्र से नियमानुसार प्रतिबंधित दूरी छोड़कर उपलब्ध क्षेत्र पर रेत खदान घोषित किये जाने की अनुशंसा की हैं।

खनि सहायक मानचिकार, बैतूल ने प्रतिवेदन दिनांक 03.12.2019 में प्रतिवेदित किया गया है कि तहसील घोड़ाडोंगरी ग्राम–झोली–1 के भड़ंगा नदी के खसरा क्रमांक 99 रकबा 12.015 हे0 में से 2.450 हे0 क्षेत्र उपलब्ध होता है तथा राजस्व पटवारी नक्शे में लाल स्याही से चिन्हांकित किया गया हैं।

मध्यप्रदेश रेत (खनन,परिवहन, भण्डारण एवं व्यापार) नियम,2019 में वन विभाग से अनुशंसा का कोई प्रावधान नही दिया गया है। विभागीय VC दिनांक 15.11.2019 के दौरान शासन स्तर एवं संचालनालय स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा निर्देशित किया कि SEIAA की अनुमति के दौरान वन विभाग से अनुशंसा प्राप्त करेंगे।

अतः उपरोक्त जॉच प्रतिवेदनों एवं ग्रामसभा में पारित प्रस्ताव के आधार पर मध्यप्रदेश रेत (खनन, परिवहन, भण्डारण एवं व्यापार) नियम, 2019 के नियम 5 (1) एवं (2) के तहत ग्राम–झोली–1 के भड़ंगा नदी के खसरा क्रमांक 99 रकबा 12.015 हे0 में से रकबा 2.450 हे0 क्षेत्र पर खनिज रेत की नई खदान घोषित की जाती हैं।

(कलेक्टर महो0द्वारा अनुमोदित)

जिला खनि अधिकारी,
बैतूल

पृ0क्रमांक/ख0लि0–2/2019/2020(A) बैतूल, दिनांक 07/12/2019

प्रतिलिपिः–

1. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित।
2. कार्यपालक संचालक, मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम, पर्यावास भवन, भोपाल को सादर सूचनार्थ।
3. संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. वनमण्डलाधिकारी, उत्तर बैतूल(सा0) वनमंडल।
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत बैतूल को सूचनार्थ प्रेषित।
6. अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व) शाहपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
7. तहसीलदार, घोड़ाडोंगरी ।
8. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत घोड़ाडोंगरी को सूचनार्थ ।
9. खनि निरीक्षक/ खनि सर्वेयर/खनि सहायक मानचित्रकार बैतूल।
10. खनि शाखा–2 खनिज कार्यालय बैतूल ।
11. सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत–झोली जनपद पंचायत घोड़ाडोंगरी जिला बैतूल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

जिला खनि अधिकारी,
बैतूल

कार्यालय कलेक्टर (खनिज–शाखा) बैतूल

–: संशोधित आदेश :–

क्रमांक/ख0लि0–2/2019/2021(A) बैतूल, दिनांक 07/12/2019

सरपंच, ग्राम पंचायत **झोली** जनपद पंचायत घोड़ाडोंगरी जिला बैतूल द्वारा ग्रामसभा दिनांक 21.03.2018 में प्रस्ताव क्रमांक 05 पारित कर प्रस्ताव की प्रतिलिपि सहित पत्र प्रस्तुत किया है, जिसके अनुसार ग्राम–**झोली–2** तहसील घोड़ाडोंगरी के **भड़ंगा नदी** के ख0क्र0.10 रकबा 6.935 हे0 को नई रेत खदान घोषित करने का लेख किया गया हैं।

उपरोक्त प्राप्त प्रस्ताव आवेदन पत्र पर नई रेत खदान घोषित करने के संबंध में तहसीलदार घोड़ाडोंगरी /खनि निरीक्षक बैतूल/खनि सहायक मानचित्रकार बैतूल से प्रतिवेदन/अभिमत प्राप्त किये गये। नायब तहसीलदार घोड़ाडोंगरी (घोषना वृत) के रा.मा. क्र.0127 ब/121 वर्ष 2019 –20 आदेश पत्रिका दिनांक 23.11.2019 के अनुसार राजस्व निरीक्षक/हल्का पटवारी से निर्धारित प्रारूपों में जानकारी प्राप्त कर प्रकरण में सलग्न किया गया हैं। नायब तहसीलदार द्वारा लेख किया गया है कि हल्का पटवारी/राजस्व निरीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार प्रस्तावित क्षेत्र ग्राम–झोली–2 खसरा क्रमांक 10 रकबा 6.935 हे0 भूमि प्रस्तावित क्षेत्र से आबादी लगभग 300 मीटर दूर, राष्ट्रीय राजमार्ग/रेल्वे लाईन 30 कि0 मी0 दूर, पूल व पुलिया से 100 मी0, वन सीमा से 3 कि0मी0, निकटतम नगरपालिका मुख्यालय से 35 कि0मी0 दूर, स्मारकों एवं संवेदनशील स्थलों से 40 कि0मी0 दूर, प्रतिवेदित किया गया हैं। प्रस्तुत संलग्नक–4 एवं 23 बिन्दुओं की जानकारी, लाल स्याही से रेखांकित नक्शा, स्थल पंचनामा की मूल प्रति प्रस्तुत की गई हैं। प्रकरण अनुशंसा सहित आगामी कार्यवाही हेतु खनि अधिकारी बैतूल को प्रेषित किया गया ।

खनि निरीक्षक, बैतूल के जॉच प्रतिवेदन दिनांक 26.11.2019 के अनुसार प्रस्तावित क्षेत्र खसरा क्रमांक 10 रकबा 6.9355 हे0 क्षेत्र पर रेत खनिज उपलब्ध हैं। प्रस्तावित क्षेत्र से पुल लगभग 100 मी0 दूर, राष्ट्रीय/राजमार्ग/रेल्वे लाईन लगभग 30 कि0मी0 दूर है, जलाशय/बांध/ग्रामीण मार्ग/सार्वजनिक संस्थान/सार्वजनिक उपयोग की भूमि/धार्मिक स्थल/मरघट आसपास नहीं है, आबादी लगभग 300 मीटर दूर स्थित हैं। उक्त प्रस्तावित क्षेत्र भड़ंगा नदी है, प्रस्तावित क्षेत्र से नियमानुसार प्रतिबंधित दूरी छोड़कर उपलब्ध क्षेत्र पर रेत खदान घोषित किये जाने की अनुशंसा की है।

खनि सहायक मानचिकार, बैतूल ने प्रतिवेदन दिनांक 03.12.2019 में प्रतिवेदित किया गया है कि तहसील घोड़ाडोंगरी ग्राम–**झोली–2** के **भड़ंगा** नदी के खसरा क्रमांक 10 रकबा 6.935 हे0 में से 2.450 हे0 क्षेत्र उपलब्ध होता है तथा राजस्व पटवारी नक्शे में लाल स्याही से चिन्हांकित किया गया हैं।

मध्यप्रदेश रेत (खनन,परिवहन, भण्डारण एवं व्यापार) नियम,2019 में वन विभाग से अनुशंसा का कोई प्रावधान नहीं दिया गया है। विभागीय VC दिनांक 15.11.2019 के दौरान शासन स्तर एवं संचालनालय स्तर के वरिष्ट अधिकारियों द्वारा निर्देशित किया कि SEIAA की अनुमति के दौरान वन विभाग से अनुशंसा प्राप्त करेंगे।

अतः उपरोक्त जॉच प्रतिवेदनों एवं ग्रामसभा में पारित प्रस्ताव के आधार पर मध्यप्रदेश रेत (खनन, परिवहन, भण्डारण एवं व्यापार) नियम, 2019 के नियम 5 (1) एवं (2) के तहत ग्राम–**झोली–2** के भड़ंगा नदी के खसरा क्रमांक 10 रकबा 6.935 हे0 में से रकबा 2.450 हे0 क्षेत्र पर खनिज रेत की नई खदान घोषित की जाती है।

(कलेक्टर महो0द्वारा अनुमोदित)

जिला खनि अधिकारी,
बैतूल

पृ0क्रमांक/ख0लि0–2/2019/2021(A) बैतूल, दिनांक 07/12/2019

प्रतिलिपिः–

1. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित।
2. कार्यपालक संचालक, मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम, पर्यावास भवन, भोपाल को सादर सूचनार्थ।
3. संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. वनमण्डलाधिकारी, उत्तर बैतूल(सा0) वनमंडल।
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत बैतूल को सूचनार्थ प्रेषित।
6. अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व) शाहपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
7. तहसीलदार, घोड़ाडोंगरी ।
8. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत घोड़ाडोंगरी को सूचनार्थ ।
9. खनि निरीक्षक/ खनि सर्वेयर/खनि सहायक मानचित्रकार बैतूल।
10. खनि शाखा–2 खनिज कार्यालय बैतूल ।
11. सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत–झोली जनपद पंचायत घोड़ाडोंगरी जिला बैतूल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

जिला खनि अधिकारी,
बैतूल

कार्यालय कलेक्टर (खनिज–शाखा) बैतूल

–: संशोधित आदेश :–

क्रमांक/खा0लि0–2/2019/2055(A) बैतूल, दिनांक 07/12/2019

सरपंच, ग्राम पंचायत सीवनपाट जनपद पंचायत घोड़ाडोंगरी जिला बैतूल द्वारा ग्रामसभा दिनांक 26.01.2019 में प्रस्ताव क्रमांक 05 पारित कर प्रस्ताव की प्रतिलिपि प्रस्तुत किया है, जिसके अनुसार ग्राम–कटंगी तहसील घोड़ाडोंगरी के माता मंदिर नाला के खा0नं0, 148 रकबा 2.493 हे0 में से रकबा 0.621 हे0 को नई रेत खदान घोषित करने का लेख किया गया है।

उपरोक्त प्राप्त प्रस्ताव पर नई रेत खदान घोषित करने के संबंध में तहसीलदार घोड़ाडोंगरी/खनि निरीक्षक बैतूल/खनि सहायक मानचित्रकार बैतूल से प्रतिवेदन/अभिमत प्राप्त किये गये। नायब तहसीलदार घोड़ाडोंगरी(चौपना वृत्त) के रा.मा.क्र.0445/व–121 वर्ष 2018–19 आदेश पत्रिका दिनांक 29.03.2019 के अनुसार राजस्व निरीक्षक/हल्का पटवारी से निर्धारित प्रारूपों में जानकारी प्राप्त कर प्रकरण में संलग्न किया गया है। हल्का पटवारी प्रतिवेदन अनुसार ग्राम–कटंगी स्थित शासकीय भूमि खसरा क्रमांक 148 रकबा 2.493 हे0 में से रकबा 0.621 हे0 क्षेत्र मद पानी के नीचे जो आवेदित क्षेत्र आबादी से 2 कि0मी0 दूर, राष्ट्रीय राजमार्ग से 30 कि0मी0 दूर, पुल, रेल्वे लाईन से 8 कि0मी0 दूर तथा सार्वजनिक स्थल जैसे–मंदिर,मस्जिद,कब्रस्तान से 9 कि0मी0 दूर तथा निकटतम नगरपालिका मुख्यालय से लगभग 18 कि0मी0 दूर होना प्रतिवेदित किया गया है। प्रस्तुत संलग्नक–4 एवं 23 बिन्दुओं की जानकारी, लाल स्याही से रेखांकित नक्शा, स्थल पंचनामा की मूल प्रति प्रस्तुत कर प्रकरण अनुशंसा सहित आगामी कार्यवाही हेतु खनि अधिकारी बैतूल को प्रेषित किया गया है।

खनि निरीक्षक, बैतूल के जाँच प्रतिवेदन दिनांक 26.11.2019 के अनुसार आवेदित क्षेत्र खसरा क्रमांक 148 रकबा 2.493 हे0 में से 0.621 हे0 क्षेत्र पर खनिज रेत उपलब्ध हैं। आवेदित क्षेत्र से पुल लगभग 5 किलोमीटर दूर है, राष्ट्रीय/राजमार्ग लगभग 30 कि0मी0 दूर है, रेल्वे लाईन लगभग 8 कि0मी0 दूर है, जलाशय/बांध आसपास नहीं है, ग्रामीण मार्ग लगा हुआ है, सार्वजनिक संस्थान लगभग 9 कि0मी0 दूर है, आबादी लगभग 2 कि. मी. दूर है। सार्वजनिक उपयोग की भूमि लगभग 09 कि.मी. दूर है। धार्मिक स्थल एवं मरघट लगभग 9 किलोमीटर दूर है। उक्त आवेदित क्षेत्र नाला है, आवेदित क्षेत्र से नियमानुसार प्रतिबंधित दूरी छोड़कर उपलब्ध क्षेत्र पर रेत खदान घोषित किये जाने की अनुशंसा की है।

खनि सहायक मानचित्रकार, बैतूल ने प्रतिवेदन दिनांक 02.12.2019 में प्रतिवेदित किया है कि तहसील घोड़ाडोंगरी ग्राम–कटंगी के माता मंदि नाला के खसरा क्रमांक 148 रकबा 2.493 हे0 में से 0.621 हे0. क्षेत्र पर नई रेत खदान घोषित किये जाने हेतु क्षेत्र उपलब्ध होता है राजस्व पटवारी नक्शे में लाल स्याही से चिन्हांकित किया गया है।

मध्यप्रदेश रेत (खनन,परिवहन, भण्डारण एवं व्यापार) नियम,2019 में वन विभाग से अनुशंसा का कोई प्रावधान नहीं दिया गया है। विभागीय VC दिनांक 15.11.2019 के दौरान शासन स्तर एवं संचालनालय स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा निर्देशित किया कि SEIAA की अनुमति के दौरान वन विभाग से अनुशंसा प्राप्त करेंगे।

अतः उपरोक्त जाँच प्रतिवेदनों एवं ग्रामसभा में पारित प्रस्ताव के आधार पर मध्यप्रदेश रेत (खनन, परिवहन, भण्डारण एवं व्यापार) नियम, 2019 के नियम 5 (1)एवं(2) के तहत ग्राम–कटंगी के माता मंदिर नाला के खसरा क्रमांक 148 रकबा 2.493 हे0 में से रकबा 0.621 हे0 क्षेत्र पर खनिज रेत की नई खदान घोषित की जाती है।

(कलेक्टर महो0द्वारा अनुमोदित)

जिला खनि अधिकारी,
बैतूल

पृ0क्रमांक/खा0लि0–2/2019/2055(A) बैतूल, दिनांक 07/12/2019

प्रतिलिपि:–

1. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित।
2. कार्यपालक संचालक, मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम, पर्यावास भवन, भोपाल को सादर सूचनार्थ।
3. संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. वनमण्डलाधिकारी, उत्तर बैतूल(सा0) वनमंडल।
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत बैतूल को सूचनार्थ प्रेषित।
6. अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व) शाहपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
7. तहसीलदार, घोड़ाडोंगरी ।
8. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत घोड़ाडोंगरी को सूचनार्थ ।
9. खनि निरीक्षक/ खनि सर्वेयर/खनि सहायक मानचित्रकार बैतूल।
10. खनि शाखा–2 खनिज कार्यालय बैतूल ।
11. सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत–सीवनपाट जनपद पंचायत घोड़ाडोंगरी जिला बैतूल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

जिला खनि अधिकारी,
बैतूल

कार्यालय कलेक्टर (खनिज–शाखा) बैतूल

–: संशोधित आदेश :–

क्रमांक / ख0लि0–2 / 2019 / 2022 (A)

बैतूल, दिनांक 07 / 12 / 2019

सरपंच, ग्राम पंचायत **बटकीडोह** जनपद पंचायत घोड़ाडोंगरी जिला बैतूल द्वारा ग्रामसभा दिनांक 29.05.2018 में प्रस्ताव क्रमांक 01 पारित कर प्रस्ताव की प्रतिलिपि सहित प्रस्तुत किया हैं,जिसके अनुसार ग्राम–**धरमपुर** तहसील घोड़ाडोंगरी के **भड़ंगा** नदी के ख0क्र. 309 रकबा 19.030 हे0 में से रकबा 9.560 हे0 की नई रेत खदान घोषित करने का लेख किया गया हैं।

उपरोक्त प्राप्त प्रस्ताव पर नई रेत खदान घोषित करने के संबंध में तहसीलदार घोड़ाडोंगरी / खनि निरीक्षक बैतूल / खनि सहायक मानचित्रकार बैतूल से प्रतिवेदन / अभिमत प्राप्त किये गये। नायब तहसीलदार घोड़ाडोंगरी (चोपना वृत्त) के रा.मा. क्र.0129 ब / 121 वर्ष 2019–20 आदेश पत्रिका दिनांक 23.11.2019 के अनुसार राजस्व निरीक्षक / हल्का पटवारी से निर्धारित प्रारूपों में जानकारी प्राप्त कर प्रकरण में संलग्न किया गया हैं। नायब तहसीलदार द्वारा लेख किया गया है कि हल्का पटवारी / राजस्व निरीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार प्रस्तावित क्षेत्र ग्राम–**धरमपुर** खसरा क्रमांक 309 रकबा 19.030 हे0 में से रकबा 1.480 हे0 भूमि प्रस्तावित क्षेत्र से आबादी लगभग 350 मीटर दूर, राष्ट्रीय राजमार्ग से 35 कि0मी0 दूर, रेल्वे लाईन से 30 कि0 मी0 दूर, पुल व पुलिया से 100 मीटर दूर, ग्रामीण कच्चे रास्ते से 100 मीटर दूर, अन्य सार्वजनिक स्थल जैसे–मंदिर, मस्जिद, कब्रस्तान से 400 मीटर दूर, वन सीमा से लगा हुआ क्षेत्र हैं, निकटतम नगरपालिका मुख्यालय से 35 कि0मी0 दूर, स्मारकों एवं संवेदनशील स्थलों से 20 कि0मी0 दूर स्थित हैं। निकटतम व्यापारिक खदानों से 20 कि0मी0 दूर हैं। नायब तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत संलग्नक–4 एवं 23 बिन्दुओं की जानकारी, लाल स्याही से रेखांकित नक्शा, स्थल पचनामा की मूल प्रति प्रस्तुत की गई हैं। प्रकरण अनुशंसा सहित आगामी कार्यवाही हेतु खनि अधिकारी बैतूल को प्रेषित किया गया हैं।

खनि निरीक्षक, बैतूल के जॉच प्रतिवेदन दिनांक 22.09.2018 के अनुसार आवेदित क्षेत्र खसरा क्रमांक 309 रकबा 19.030 हे0 क्षेत्र पर पर्याप्त मात्रा में खनिज रेत उपलब्ध हैं। आवेदित क्षेत्र से पुल लगा हुआ हैं, राष्ट्रीय / राजमार्ग लगभग 15 कि0मी0 दूर स्थित हैं, रेल्वे लाईन लगभग 10 कि0मी0 दूर स्थित है, आवेदित क्षेत्र नदी हैं, जलाशय / बांध लगभग 01 कि0मी की दूरी पर हैं, ग्रामीण मार्ग एवं पक्की सड़क लगी हुई हैं, आबादी लगभग 200 मीटर दूर स्थित हैं। सार्वजनिक उपयोग की भूमि 500 मीटर दूर, धार्मिक स्थल एवं मरघट 100 मीटर के भीतर नहीं हैं, उक्त आवेदित क्षेत्र भड़ंगा नदी का भाग हैं, जिसमें खनिज रेत उपलब्ध है, आवेदित क्षेत्र से नियमानुसार प्रतिबंधित दूरी छोड़कर उपलब्ध क्षेत्र पर रेत खदान घोषित किये जाने की अनुशंसा की हैं।

खनि सहायक मानचित्रकार, बैतूल ने प्रतिवेदन दिनांक 04.12.2019 में प्रतिवेदित किया गया है कि तहसील घोड़ाडोंगरी ग्राम–**धरमपुर** के **भड़ंगा** नदी के खसरा क्रमांक 309 रकबा 19.030 हे0 में से रकबा 1.480 हे0 क्षेत्र उपलब्ध होता है तथा राजस्व पटवारी नक्शे में लाल स्याही से चिन्हांकित किया गया हैं।

मध्यप्रदेश रेत (खनन,परिवहन, भण्डारण एवं व्यापार) नियम,2019 में वन विभाग से अनुशंसा का कोई प्रावधान नहीं दिया गया है। विभागीय VC दिनांक 15.11.2019 के दौरान शासन स्तर एवं संचालनालय स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा निर्देशित किया कि SEIAA की अनुमति के दौरान वन विभाग से अनुशंसा प्राप्त करेंगे।

अतः उपरोक्त जॉच प्रतिवेदनों एवं ग्रामसभा में पारित प्रस्ताव के आधार पर मध्यप्रदेश रेत (खनन, परिवहन, भण्डारण एवं व्यापार) नियम, 2019 के नियम 5 (1) एवं (2) के तहत ग्राम–**धरमपुर** के भड़ंगा नदी के खसरा क्रमांक 309 रकबा 19.030 हे0 में से रकबा 1.480 हे0 क्षेत्र पर खनिज रेत की नई खदान घोषित की जाती हैं।

(कलेक्टर महो0द्वारा अनुमोदित)

जिला खनि अधिकारी,
बैतूल

पृ0क्रमांक / ख0लि0–2 / 2019 / 2022 (A)

बैतूल, दिनांक 07 / 12 / 2019

प्रतिलिपिः–

1. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित।
2. कार्यपालक संचालक, मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम, पर्यावास भवन, भोपाल को सादर सूचनार्थ।
3. संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. वनमण्डलाधिकारी, उत्तर बैतूल(सा0) वनमंडल।
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत बैतूल को सूचनार्थ प्रेषित।
6. अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व) **शाहपुर** की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
7. तहसीलदार, घोड़ाडोंगरी ।
8. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत घोड़ाडोंगरी को सूचनार्थ ।
9. खनि निरीक्षक / खनि सर्वेयर / खनि सहायक मानचित्रकार बैतूल।
10. खनि शाखा–2 खनिज कार्यालय बैतूल ।
11. सरपंच / सचिव ग्राम पंचायत–**बटकीडोह** जनपद पंचायत घोड़ाडोंगरी जिला बैतूल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

जिला खनि अधिकारी,
बैतूल

कार्यालय कलेक्टर (खनिज–शाखा) बैतूल

:: संशोधित आदेश ::

क्रमांक/खo लि0–2/2019/2054(A) बैतूल, दिनांक 07/12/2019

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,जनपद पंचायत घोड़ाडोंगरी का पत्र क्रमांक/ज.प./पंचा./प्र.को/2018/1622 दिनांक 15.02.2018 के संलग्न सरपंच, ग्राम पंचायत **सातलदेही** जनपद पंचायत घोड़ाडोंगरी जिला बैतूल द्वारा ग्रामसभा दिनांक 15.12.2017 में प्रस्ताव क्रमांक 04 पारित कर प्रस्ताव की प्रतिलिपि पत्र दिनांक 18.12.2017 सहित प्रस्तुत किया है, जिसके अनुसार ग्राम–**सातलदेही** तहसील घोड़ाडोंगरी के लोहार नदी के खo क्र0. 187 एवं 251 कुल रकबा 21.453 हे0 को नई रेत खदान घोषित करने का लेख किया गया है।

उपरोक्त प्राप्त प्रस्ताव पर नई रेत खदान घोषित करने के संबंध में तहसीलदार घोड़ाडोंगरी/खनि निरीक्षक बैतूल/खनि सहायक मानचित्रकार बैतूल से प्रतिवेदन/अभिमत प्राप्त किये गये। नायब तहसीलदार घोड़ाडोंगरी(घोषणा पूर्वा) के रा.मा.क्र.0130/ब–121 वर्ष 2019–20 आदेश पत्रिका दिनांक 23.11.2019 के अनुसार राजस्व निरीक्षक/हल्का पटवारी से निर्धारित प्रारूपों में जानकारी प्राप्त कर प्रकरण में संलग्न किया गया है। नायब तहसीलदार द्वारा लेख किया गया है कि हल्का पटवारी/राजस्व निरीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार आवेदित भूमि ग्राम–**सातलदेही** खo क्र0.187 एवं 251 क्रमशः रकबा 10.789, 10.644 में से 3.700, 2.400 हे0 भूमि आवेदित भूमि आबादी से लगभग 500 मीटर दूर,राष्ट्रीय राजमार्ग से 18 कि0मी0 दूर, रेल्वे लाईन से 18 कि0 मी0 दूर,ग्रामीण कच्चे रास्ते से 500 मीटर दूर, वन विभाग सीमा से 2 कि0मी0 दूर,निकटतम नगरपालिका मुख्यालय से 35 कि0मी0 दूर,स्मारकों एवं संवेदनशील स्थलों से 100 मीटर दूर, प्रतिवेदित किया गया है। प्रस्तुत संलग्नक–4 एवं 23 बिन्दुओं की जानकारी, लाल स्याही से रेखांकित नक्शा, स्थल पंचनामा की मूल प्रति प्रस्तुत की गई है। प्रकरण अनुशंसा सहित आगामी कार्यवाही हेतु खनि अधिकारी बैतूल को प्रेषित किया गया है।

खनि निरीक्षक, बैतूल के जाँच प्रतिवेदन दिनांक 23.03.2018 के अनुसार आवेदित क्षेत्र खसरा क्रमांक 187 एवं 251 क्रमशः रकबा 10.789, 10.644 में से 3.700, 2.400 हे0 कुल रकबा 16.641 हे0 क्षेत्र पर प्रचूर मात्रा में रेत खनिज उपलब्ध है। पूल प्रस्तावित क्षेत्र पर स्थित है, राष्ट्रीय/राजमार्ग लगभग 10 कि0मी0 दूर स्थित है, रेल्वे लाईन लगभग 09 कि0मी0 दूर है,नदी पर प्रस्तावित क्षेत्र स्थित है, लगभग 300 मी0 दूरी पर जलाशय स्थित है, ग्रामीण मार्ग लगा हुआ है, सार्वजनिक संस्थान 100 मी0 की परिधि में नहीं है, आबादी लगभग 200 मीटर दूर स्थित है। सार्वजनिक उपयोग की भूमि शवदाह गृह आवेदित क्षेत्र से लगा हुआ है, धार्मिक स्थल 100 मीटर के भीतर नहीं है, मरघट लगा हुआ है। उक्त प्रस्तावित क्षेत्र **लोहार** नदी है, प्रस्तावित क्षेत्र से नियमानुसार प्रतिबंधित दूरी छोड़कर उपलब्ध क्षेत्र पर रेत खदान घोषित किये जाने की अनुशंसा की है।

खनि सहायक मानचित्रकार, बैतूल ने प्रतिवेदन दिनांक 02.12.2019 में प्रतिवेदित किया है कि तहसील घोड़ाडोंगरी ग्राम–**सातलदेही** के **लोहार** नदी के खसरा क्रमांक 187 रकबा 10.789 हे0 में से 3.700 हे0 एवं खसरा क्रमांक 251 रकबा 10.644 हे0 में से 2.400 हे0 कुल दो खसरों का रकबा 6.100 हे0 क्षेत्र पर नई रेत खदान घोषित किये जाने हेतु उपलब्ध होना है राजस्व पटवारी नक्शे में लाल स्याही से चिन्हांकित किया गया है।

मध्यप्रदेश रेत (खनन,परिवहन, भण्डारण एवं व्यापार) नियम,2019 में वन विभाग से अनुशंसा का कोई प्रावधान नहीं दिया गया है। विभागीय VC दिनांक 15.11.2019 के दौरान शासन स्तर एवं संचालनालय स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा निर्देशित किया कि SEIAA की अनुमति के दौरान वन विभाग से अनुशंसा प्राप्त करेंगे।

अतः उपरोक्त जाँच प्रतिवेदनों एवं ग्रामसभा में पारित प्रस्ताव के आधार पर मध्यप्रदेश रेत (खनन, परिवहन, भण्डारण एवं व्यापार) नियम, 2019 के नियम 5 (1) एवं (2) के तहत ग्राम–**सातलदेही** के **लोहार** नदी के खसरा क्रमांक 187 रकबा 10.789 हे0 में से 3.700 हे0 एवं खसरा क्रमांक 251 रकबा 10.644 हे0 में से रकबा 2.400 हे0 कुल रकबा 6.100 हे0 क्षेत्र पर खनिज रेत की नई खदान घोषित की जाती है।

(कलेक्टर महो0द्वारा अनुमोदित)

जिला खनि अधिकारी,
बैतूल

पृ0क्रमांक/खo लि0–2/2019/2054(A) बैतूल, दिनांक 07/12/2019

प्रतिलिपिः–

1. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित।
2. कार्यपालक संचालक, मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम, पर्यावास भवन, भोपाल को सादर सूचनार्थ।
3. संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. वनमण्डलाधिकारी, उत्तर बैतूल(सा0) वनमंडल।
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत बैतूल को सूचनार्थ प्रेषित।
6. अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व) **शाहपुर** की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
7. तहसीलदार, घोड़ाडोंगरी ।
8. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत घोड़ाडोंगरी को सूचनार्थ ।
9. खनि निरीक्षक/ खनि सर्वेयर/खनि सहायक मानचित्रकार बैतूल।
10. खनि शाखा–2 खनिज कार्यालय बैतूल ।
11. सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत–**सातलदेही** जनपद पंचायत **घोड़ाडोंगरी** जिला बैतूल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

जिला खनि अधिकारी,
बैतूल

कार्यालय कलेक्टर (खनिज–शाखा) बैतूल

:– संशोधित आदेश :–

क्रमांक/ख0लि0–2/2019/2053(A) बैतूल, दिनांक 07/12/2019

सरपंच, ग्राम पंचायत **बंजारीढाल** जनपद पंचायत घोड़ाडोंगरी जिला बैतूल द्वारा ग्रामसभा दिनांक 02.10.2018 में प्रस्ताव क्रमांक 05 पारित कर प्रस्ताव की प्रतिलिपि पत्र दिनांक 22.12.2018 सहित प्रस्तुत किया है, जिसके अनुसार **ग्राम–चिचडोल रैयत** तहसील घोड़ाडोंगरी के भड़ंगा नदी के ख0क्र. 30 रकबा 16.641 हे0 में से रकबा 4.800 हे0 को नई रेत खदान घोषित करने का लेख किया गया है।

उपरोक्त प्राप्त प्रस्ताव पर नई रेत खदान घोषित करने के संबंध में तहसीलदार घोड़ाडोंगरी/खनि निरीक्षक बैतूल/खनि सहायक मानचित्रकार बैतूल से प्रतिवेदन/अभिमत प्राप्त किये गये। नायब तहसीलदार घोड़ाडोंगरी के रा.मा. क्र.0128 ब/121 वर्ष 2019 आदेश पत्रिका दिनांक 23.11.2019 के अनुसार राजस्व निरीक्षक/हल्का पटवारी से निर्धारित प्रारूपों में जानकारी प्राप्त कर प्रकरण मे संलग्न किया गया है। नायब तहसीलदार द्वारा लेख किया गया है कि हल्का पटवारी/राजस्व निरीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार आवेदित भूमि ग्राम–**चिचडोल रैयत** खसरा क्रमांक 30 हे0 रकबा 16.641 हे0 में से रकबा 4.800 हे0 भूमि आवेदित भूमि आबादी से लगभग 800 मीटर दूर, राष्ट्रीय राजमार्ग से 18 कि0मी0 दूर, रेल्वे लाईन से 15 कि0 मी0 दूर, अन्य सार्वजनिक स्थल जैसे–मंदिर, मस्जिद, कब्रस्तान(श्मशान) से 100 मीटर दूर, निकटतम नगरपालिका मुख्यालय से 35 कि0मी0 दूर, स्मारकों एवं संवेदनशील स्थलों से 3 कि0मी0 दूर स्थित हैं। प्रस्तुत संलग्नक–4 एवं 23 बिन्दुओं की जानकारी, लाल स्याही से रेखांकित नक्शा, स्थल पंचनामा की मूल प्रति प्रस्तुत की गई हैं। प्रकरण अनुशंसा सहित आगामी कार्यवाही हेतु खनि अधिकारी बैतूल को प्रेषित किया गया है।

खनि निरीक्षक, बैतूल के जाँच प्रतिवेदन दिनांक 26.11.2019 के अनुसार आवेदित क्षेत्र खसरा क्रमांक 30 रकबा 16.641 हे0 में से रकबा 4.800 हे0 क्षेत्र पर पर्याप्त मात्रा मे रेत खनिज उपलब्ध है। आवेदित क्षेत्र से पुल आसपास नहीं है। राष्ट्रीय/राजमार्ग लगभग 18 कि0मी0 दूर स्थित है। रेल्वे लाईन लगभग 15 कि0मी0 दूर है। जलाशय/बांध आस–पास नही है, ग्रामीण मार्ग आसपास नहीं है, सार्वजनिक संस्थान आसपास नही हैं। आबादी लगभग 800 मीटर दूर स्थित है। सार्वजनिक उपयोग की भूमि आसपास नहीं है। धार्मिक स्थल एवं मरघट लगभ 100 मीटर दूर है, उक्त आवेदित क्षेत्र भड़ंगा नदी है, जिसमें खनिज रेत उपलब्ध है, आवेदित क्षेत्र से नियमानुसार प्रतिबंधित दूरी छोड़कर उपलब्ध क्षेत्र पर रेत खदान घोषित किये जाने की अनुशंसा की है।

खनि सहायक मानचिकार, बैतूल ने प्रतिवेदन दिनांक 03.12.2019 में प्रतिवेदित किया है कि तहसील घोड़ाडोंगरी ग्राम–**चिचडोल रैयत** के भड़ंगा नदी के खसरा क्रमांक 30 रकबा 16.641 हे0 में से रकबा 4.800 हे0 क्षेत्र पर नई रेत खदान घोषित किये जाने हेतु क्षेत्र उपलब्ध होता है राजस्व पटवारी नक्शे में लाल स्याही से चिन्हांकित किया गया है।

मध्यप्रदेश रेत (खनन,परिवहन, भण्डारण एवं व्यापार) नियम,2019 में वन विभाग से अनुशंसा का कोई प्रावधान नहीं दिया गया है। विभागीय VC दिनांक 15.11.2019 के दौरान शासन स्तर एवं संचालनालय स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा निर्देशित किया कि SEIAA की अनुमति के दौरान वन विभाग से अनुशंसा प्राप्त करेंगे।

अतः उपरोक्त जाँच प्रतिवेदनों एवं ग्रामसभा में पारित प्रस्ताव के आधार पर मध्यप्रदेश रेत (खनन, परिवहन, भण्डारण एवं व्यापार) नियम, 2019 के नियम 5(1)एवं (2) के तहत ग्राम–**चिचडोल रैयत** के भड़ंगा नदी के ख.क्र.30 (भाग) 16.641 हे0 में से रकबा 4.800 हे0 क्षेत्र पर खनिज रेत की नई खदान घोषित की जाती है।

(कलेक्टर महो0द्वारा अनुमोदित)

7/12/19
जिला खनि अधिकारी,
बैतूल

पृ0क्रमांक/ख0लि0–2/2019/2053 बैतूल, दिनांक 07/12/2019

प्रतिलिपि:–

1. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित।
2. कार्यपालक संचालक, मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम, पर्यावास भवन, भोपाल को सादर सूचनार्थ।
3. संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. वनमण्डलाधिकारी, उत्तर बैतूल(सा0) वनमंडल।
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत बैतूल को सूचनार्थ प्रेषित।
6. अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व) शाहपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
7. तहसीलदार, घोड़ाडोंगरी ।
8. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत घोड़ाडोंगरी को सूचनार्थ ।
9. खनि निरीक्षक/ खनि सर्वेयर/खनि सहायक मानचित्रकार बैतूल।
10. खनि शाखा–2 खनिज कार्यालय बैतूल ।
11. सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत–बंजारीढाल जनपद पंचायत घोड़ाडोंगरी जिला बैतूल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

7/12/19
जिला खनि अधिकारी,
बैतूल

कार्यालय कलेक्टर (खनिज–शाखा) बैतूल

–: आदेश :–

क्रमांक / खा0वि0–2 / 2019 / 259 बैतूल, दिनांक 28 / 03 / 2019

आवेदक ग्राम पंचायत उंहरीआनंदाना जनपद पंचायत घोड़ाडोंगरी जिला बैतूल द्वारा प्रस्ताव क्रमांक 24 दिनांक 28 / 12 / 2018 में प्रस्ताव पारित कर प्रतिलिपि सहित आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है, जिसके अनुसार ग्राम–आनंदानारेयत तहसील घोड़ाडोंगरी पटवारी हल्का नंबर–07 के लटिया नदी में पर्याप्त रेत मौजूद है, जहां पर रेत चोरी हो रही है। अतः उक्त क्षेत्र में नई रेत खदान घोषित कर पंचायत को आवंटित किया जाना चाहा गया है।

उक्त आवेदन प्रस्ताव आवेदन पत्र पर नई रेत खदान घोषित करने के संबंध में वनमण्डलाधिकारी, उत्तर बैतूल(सा0) वनमंडल / तहसीलदार घोड़ाडोंगरी / खनि निरीक्षक / खनि सहायक मानचित्रकार बैतूल से प्रतिवेदन / जानकारी प्राप्त किये गये। तहसीलदार घोड़ाडोंगरी द्वारा अपने मामला क्रमांक 0436 / ब–121 / 2018–19 दिनांक 15.01.2019 द्वारा ग्राम–आनंदानारेयत तहसील घोड़ाडोंगरी की भूमि खसरा क्रमांक 178 रकबा 1.830 हे0 पूर्ण रकबा नई रेत खदान घोषित करने हेतु प्रस्तावित की गई है।

वनमण्डलाधिकारी,उत्तर बैतूल(सा0)वनमंडल द्वारा अपने पत्र क्रमांक / मा0चि0 / 2019 / 1348 दिनांक 21.12.2018 द्वारा आवेदित स्थल को नई रेत खदान घोषित करने हेतु अनापत्ति प्रतिवेदित की गई है। खनि निरीक्षक बैतूल द्वारा प्रतिवेदित किया है कि आवेदित क्षेत्र में रेत खनिज उपलब्ध है, उक्त स्थान के आस–पास कोई प्रतिवेदित क्षेत्र उपलब्ध नहीं है। उक्त स्थान से रेत की चोरी न हो तथा शासन को राजस्व की प्राप्ति हो तथा स्थानीय ग्रामीणों को रोजगार प्राप्त हो इसके लिये उक्त आवेदित क्षेत्र में नवीन रेत खदान आवंटित किया जा सकता है। खनि सहायक मानचित्रकार, बैतूल ने प्रतिवेदित किया गया है कि उक्त आवेदित क्षेत्र से 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य उत्खननिषद्दा स्वीकृत नहीं है। तथा सिया के निर्देशों के अनुसार नदी तट से 15 मीटर दूरी छोड़ने पर रकबा 0.340 हे0 क्षेत्र उपलब्ध होता है।

उक्त उपरोक्त प्राप्त प्रस्ताव एवं जॉच प्रतिवेदनों के आधार पर म0प्र0 गौण खनिज नियम 1996 के नियम–8 के प्रावधान ग्राम–आनंदानारेयत तहसील–घोड़ाडोंगरी पटवारी हल्का नंबर–07 के खसरा क्रमांक–178 रकबा 1.830 हे0 में से रकबा 0.340 हे0 क्षेत्र पर रेत खनिज की नई खदान घोषित की जाती है।

(कलेक्टर महो0द्वारा टीप पत्र पर आदेशित)

सहायक खनि अधिकारी 28/3/19
प्रभारी अधिकारी खनिज शाखा
जिला–बैतूल

क्रमांकः / खा0वि0–2 / 2019 / 259 बैतूल, दिनांक 28 / 03 / 2019

प्रतिलिपि:–

1. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित।
2. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम, पर्यावास भवन, भोपाल को सादर सूचनार्थ।
3. संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. वनमण्डलाधिकारी, उत्तर बैतूल(सा0) वनमंडल।
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत बैतूल को सूचनार्थ प्रेषित।
6. एसडीएम एवं अधिकारी(राजस्व) शाहपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
7. तहसीलदार, घोड़ाडोंगरी।
8. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत घोड़ाडोंगरी को सूचनार्थ
9. खनि निरीक्षक / खनि सर्वेयर / खनि सहायक मानचित्रकार बैतूल।
10. खनि शाखा–2 खनिज कार्यालय बैतूल ।
11. आवेदक / सचिव ग्राम पंचायत–उंहरीआनंदाना जनपद पंचायत घोड़ाडोंगरी जिला बैतूल को ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

सहायक खनि अधिकारी 28/3/19
प्रभारी अधिकारी खनिज शाखा
जिला–बैतूल

Scanned with Oken Scanner

कार्यालय कलेक्टर (खनिज–शाखा) बैतूल

–: आदेश :–

Scanned with Oken Scanner

कार्यालय कलेक्टर (खनिज–शाखा) बैतूल

— आदेश —

क्रमांक/ख0लि0–2/2019/723 बैतूल, दिनांक 28/03/2019

संयुक्त ग्राम पंचायत डेहरीआगढाना जनपद पंचायत घोड़ाडोंगरी जिला बैतूल द्वारा प्रस्ताव क्रमांक 04 दिनांक 25/12/2018 से प्रस्ताव पारित कर प्रतिवेदन सहित आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है, जिसके अनुसार ग्राम–कचलोरा तहसील घोड़ाडोंगरी पटवारी हल्का नंबर 07 के खसरा नंबरों में पर्याप्त रेत भण्डार है, जहां पर रेत खोदी जा रही है। अतः उक्त क्षेत्र से नई रेत खदान घोषित कर शासकीय को आधिपत्य में लेकर किया जाना है।

उपरोक्त प्राप्त प्रस्ताव आवेदन पत्र पर नई रेत खदान घोषित करने के संबंध में वनमण्डलाधिकारी, उत्तर बैतूल (सा0) वनमंडल/ तहसीलदार घोड़ाडोंगरी/ खनि निरीक्षक/ खनि सहायक मानचित्रकार उत्तर बैतूल (सा0) वनमंडल/ तहसीलदार घोड़ाडोंगरी/ खनि निरीक्षक/ खनि सहायक मानचित्रकार बैतूल से प्रतिवेदन/अभिमत प्राप्त किये गये। तहसीलदार घोड़ाडोंगरी द्वारा अपने पत्रांक 0431/ बैतूल से प्रतिवेदन/अभिमत प्राप्त किये गये। तहसीलदार घोड़ाडोंगरी द्वारा अपने पत्रांक 0431/ ई–121/2018–19 दिनांक 18.01.2019 द्वारा ग्राम–कचलोरा तहसील घोड़ाडोंगरी की भूमि खसरा क्रमांक ई–121/2018–19 दिनांक 18.01.2019 द्वारा ग्राम–कचलोरा तहसील घोड़ाडोंगरी की भूमि खसरा क्रमांक 1/2 रकबा 2.744 है0 में से रकबा 1.044 है0 भूमि पर नई रेत खदान घोषित करने हेतु प्रस्तावित की गई है। 1/2 रकबा 2.744 है0 में से रकबा 1.044 है0 भूमि पर नई रेत खदान घोषित करने हेतु प्रस्तावित की गई है।

वनमण्डलाधिकारी,उत्तर बैतूल(सा0)वनमंडल द्वारा अपने पत्र क्रमांक/सा0लि0/2019/1351 दिनांक 21.02.2019 द्वारा आवेदित स्थल को नई रेत खदान घोषित करने हेतु अनापत्ति प्रतिवेदित की गई है। खनि निरीक्षक, बैतूल द्वारा प्रतिवेदित किया है कि आवेदित क्षेत्र में रेत खनिज उपलब्ध है, उक्त स्थान से रेत की चोरी न हो तथा शासन को राजस्व की प्राप्ति हो इसके लिये उक्त आवेदित क्षेत्र पर से नदीन रेत खदान घोषित किया जा सकता है। खनि सहायक मानचित्रकार, बैतूल ने प्रतिवेदित किया गया है कि उक्त आवेदित क्षेत्र से 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य उत्खनिपट्टा स्वीकृत नहीं है। तथा सिया के निर्देशों के अनुसार नदी तट से 15 मीटर दूरी छोड़ने पर रकबा 0.340 है0 क्षेत्र उपलब्ध होता है।

अतः उपरोक्त प्राप्त प्रस्ताव एवं जाँच प्रतिवेदनों के आधार पर म0प्र0 गौण खनिज नियम 1996 के नियम–8 के अधीन ग्राम–कचलोरा तहसील–घोड़ाडोंगरी पटवारी हल्का नंबर–07 के खसरा क्रमांक–98 रकबा 2.744 है0 में से रकबा 0.340 है0 क्षेत्र पर रेत खनिज की नई खदान घोषित की जाती है।

(कलेक्टर महोदय द्वारा टीप पत्र पर आदेशित)

सहायक खनि अधिकारी 28/3/19
प्रभारी अधिकारी खनिज शाखा
जिला–बैतूल

पृ0क्रमांक/ख0लि0–2/2019/723 बैतूल, दिनांक 28/03/2019

प्रतिलिपिः–

1. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित।
2. कार्यपालक संचालक, मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम, पर्यावास भवन, भोपाल को सादर सूचनार्थ।
3. संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. वनमण्डलाधिकारी, उत्तर बैतूल(सा0) वनमंडल।
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत बैतूल को सूचनार्थ प्रेषित।
6. अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व) शाहपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
7. तहसीलदार, घोड़ाडोंगरी।
8. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत घोड़ाडोंगरी को सूचनार्थ
9. खनि निरीक्षक/ खनि सर्वेयर/खनि सहायक मानचित्रकार बैतूल।
10. खनि शाखा–2 खनिज कार्यालय बैतूल ।
11. सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत–डेहरीआगढाना जनपद पंचायत घोड़ाडोंगरी जिला बैतूल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

सहायक खनि अधिकारी 28/3/19
प्रभारी अधिकारी खनिज शाखा
जिला–बैतूल

कार्यालय कलेक्टर (खनिज–शाखा) बैतूल

–: आदेश :–

क्रमांक/ख0लि0–2/2019/722 बैतूल, दिनांक 28/03/2019

सरपंच, ग्राम पंचायत डेहरीआगवाना जनपद पंचायत घोड़ाडोंगरी जिला बैतूल द्वारा प्रस्ताव क्रमांक 04 दिनांक 25/12/2018 से प्रस्ताव पारित कर प्रतिलिपि सहित आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है, जिसके अनुसार ग्राम–कचलोरा तहसील घोड़ाडोंगरी पटवारी हल्का नंबर–07 के कचलोरा नदी मे पर्याप्त रेत भण्डार है, जहां पर रेत चोरी हो रही है। अतः उक्त क्षेत्र मे नई रेत खदान घोषित कर पंचायत को आवंटित करने का क्लेश किया गया है।

उपरोक्त प्राप्त प्रस्ताव आवेदन पत्र पर नई रेत खदान घोषित करने के संबंध में वनमण्डलाधिकारी, उत्तर बैतूल (सा0) वनमंडल/ तहसीलदार घोड़ाडोंगरी/ खनि निरीक्षक/ खनि सहायक मानचित्रकार बैतूल से प्रतिवेदन/अभिमत प्राप्त किये गये। तहसीलदार घोड़ाडोंगरी द्वारा अपने पत्रांक क्रमांक 0429/ ब–121/2018–19 दिनांक 18.01.2019 द्वारा ग्राम–कचलोरा तहसील घोड़ाडोंगरी की भूमि खसरा क्रमांक 69 रकबा 3.141 हे0 में से रकबा 1.760 हे0 भूमि पर नई रेत खदान घोषित करने हेतु प्रस्तावित की गई है।

वनमण्डलाधिकारी,उत्तर बैतूल(सा0)वनमंडल द्वारा अपने पत्र क्रमांक/मा0वि0/2019/1347 दिनांक 21.02.2019 द्वारा आवेदित स्थल को नई रेत खदान घोषित करने हेतु अनापत्ति प्रतिवेदित की गई है। खनि निरीक्षक, बैतूल द्वारा प्रतिवेदित किया है कि वर्तमान में आवेदित क्षेत्र में रेत खनिज उपलब्ध है, उक्त स्थान से रेत की चोरी न हो तथा शासन को राजस्व की प्राप्ति हो तथा स्थानीय ग्रामीणों को रोजगार प्राप्त हो इसके लिये उक्त आवेदित क्षेत्र पर नियमानुसार नवीन रेत खदान घोषित किया जा सकता है। खनि सहायक मानचित्रकार, बैतूल ने प्रतिवेदित किया गया है कि उक्त आवेदित क्षेत्र के 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य उत्खनिपट्टा स्वीकृत नही है। तथा सिया के निर्देशो के अनुसार नदी तट से 15 मीटर दूरी छोडने पर रकबा 0.620 हे0 क्षेत्र उपलब्ध होता हैं।

अतः उपरोक्त प्राप्त प्रस्ताव एवं जाँच प्रतिवेदनों के आधार पर म0प्र0 गौण खनिज नियम 1996 के नियम–6 के अधीन ग्राम–कचलोरा तहसील–घोड़ाडोंगरी पटवारी हल्का नंबर–07 के खसरा क्रमांक–69 रकबा 3.141 हे0 में से रकबा 0.620 हे0 क्षेत्र पर रेत खनिज की नई खदान घोषित की जाती है।
(कलेक्टर महो0द्वारा टीप पत्र पर आदेशित)

28/3/19
सहायक खनि अधिकारी,
प्रभारी अधिकारी खनिज शाखा
जिला–बैतूल

पृ0क्रमांक/ख0लि0–2/2019/722 बैतूल, दिनांक 28/03/2019

प्रतिलिपि:–

1. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित।
2. कार्यपालक संचालक, मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम, पर्यावास भवन, भोपाल को सादर सूचनार्थ।
3. संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. वनमण्डलाधिकारी, उत्तर बैतूल(सा0) वनमंडल।
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत बैतूल को सूचनार्थ प्रेषित।
6. अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व) शाहपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
7. तहसीलदार, घोड़ाडोंगरी।
8. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत घोड़ाडोंगरी को सूचनार्थ
9. खनि निरीक्षक/ खनि सर्वेयर/खनि सहायक मानचित्रकार बैतूल।
10. खनि शाखा–2 खनिज कार्यालय बैतूल ।
11. सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत–डेहरीआगवाना जनपद पंचायत घोड़ाडोंगरी जिला बैतूल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

28/3/19
सहायक खनि अधिकारी,
प्रभारी अधिकारी खनिज शाखा
जिला–बैतूल

28/3/19

O/C

कार्यालय कलेक्टर (खनिज–शाखा) बैतूल

–: आदेश :–

क्रमांक / खनि0–2 / 2019 / 731 बैतूल, दिनांक 28 / 03 / 2019

सरपंच, ग्राम पंचायत डेहरीआमठाना जनपद पंचायत घोड़ाडोंगरी जिला बैतूल द्वारा प्रस्ताव क्रमांक 04 दिनांक 25 / 12 / 2018 में प्रस्ताव पारित कर प्रतिलिपि सहित आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है, जिसके अनुसार ग्राम–आमठानारैयत तहसील घोड़ाडोंगरी पटवारी हल्का नंबर–07 के खटिया नदी में पर्याप्त रेत भण्डार है, जहां पर रेत चोरी हो रही है। अतः उक्त क्षेत्र में नई रेत खदान घोषित कर पंचायत को आवंटित करने का लेख किया गया है।

उपरोक्त प्राप्त प्रस्ताव आवेदन पत्र पर नई रेत खदान घोषित करने के संबंध में वनमण्डलाधिकारी, उत्तर बैतूल(सा0) वनमंडल / तहसीलदार घोड़ाडोंगरी / खनि निरीक्षक / खनि सहायक मानचित्रकार बैतूल से प्रतिवेदन / अभिमत प्राप्त किये गये। तहसीलदार घोड़ाडोंगरी द्वारा अपने मामला क्रमांक 0434 / ब–121 / 2018–19 दिनांक 16.01.2019 द्वारा ग्राम–आमठानारैयत तहसील घोड़ाडोंगरी की भूमि खसरा क्रमांक 79 रकबा 4.828 हे0 में से रकबा 1.670 हे0 क्षेत्र पर नई रेत खदान घोषित करने हेतु प्रस्तावित की गई है।

वनमण्डलाधिकारी,उत्तर बैतूल(सा0)वनमंडल द्वारा अपने पत्र क्रमांक / मा0नि0 / 2019 / 1350 दिनांक 21.02.2019 द्वारा आवेदित स्थल को नई रेत खदान घोषित करने हेतु अनापत्ति प्रतिवेदित की गई है। खनि निरीक्षक, बैतूल द्वारा प्रतिवेदित किया है कि आवेदित क्षेत्र में रेत खनिज उपलब्ध है, उक्त स्थान के आस–पास कोई प्रतिबंधित क्षेत्र उपलब्ध नही हैं। उक्त स्थान से रेत की चोरी न हो तथा शासन को राजस्व की प्राप्ति हो तथा स्थानीय ग्रामीणों को रोजगार प्राप्त हो इसके लिये उक्त आवेदित क्षेत्र में नवीन रेत खदान घोषित किया जा सकता है। खनि सहायक मानचित्रकार, बैतूल ने प्रतिवेदित किया गया है कि उक्त आवेदित क्षेत्र के 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य उत्खनिपट्टा स्वीकृत नही हैं। तथा सिया के निर्देशों के अनुसार नदी तट से 15 मीटर दूरी छोड़ने पर रकबा 0.170 हे0 क्षेत्र उपलब्ध होता हैं।

अतः उपरोक्त प्राप्त प्रस्ताव एवं जॉच प्रतिवेदनों के आधार पर म0प्र0 गौण खनिज नियम 1996 के नियम–8 के अधीन ग्राम–आमठानारैयत तहसील–घोड़ाडोंगरी पटवारी हल्का नंबर–07 के खसरा क्रमांक–79 रकबा 4.828 हे0 में से रकबा 0.170 हे0 क्षेत्र पर रेत खनिज की नई खदान घोषित की जाती हैं।

(कलेक्टर महो0द्वारा टीप पत्र पर आदेशित)

28/3/19
सहायक खनि अधिकारी,
प्रभारी अधिकारी खनिज शाखा
जिला–बैतूल

पृ0क्रमांक / खनि0–2 / 2019 / 731 बैतूल, दिनांक 28 / 03 / 2019

प्रतिलिपिः–

1. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित।
2. कार्यपालक संचालक, मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम, पर्यावास भवन, भोपाल को सादर सूचनार्थ।
3. संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. वनमण्डलाधिकारी, उत्तर बैतूल(सा0) वनमंडल।
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत बैतूल को सूचनार्थ प्रेषित।
6. अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व) शाहपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
7. तहसीलदार, घोडाडोंगरी।
8. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत घोड़ाडोंगरी को सूचनार्थ
9. खनि निरीक्षक / खनि सर्वेयर / खनि सहायक मानचित्रकार बैतूल।
10. खनि शाखा–2 खनिज कार्यालय बैतूल ।
11. सरपंच / सचिव ग्राम पंचायत–डेहरीआमठाना जनपद पंचायत घोड़ाडोंगरी जिला बैतूल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

28/3/19
सहायक खनि अधिकारी,
प्रभारी अधिकारी खनिज शाखा
जिला–बैतूल

ANNEXURE-6

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बैतूल

Email-modgmbet@mp.gov.in

क्रमांक/खनिज–2/2022/1914 बैतूल, दिनांक 29/12/2022

प्रति,

मेसर्स नेशनल एनर्जी ट्रेडिंग एण्ड सर्विसेज लिमिटेड
पता–प्लॉट न. 7, बिन्दु सदन, 401 सांई चंद्र कॉलोनी,
ग्रीन स्पेस तुलसी, पुष्पलगुडा, गणिकोंडा, हैदराबाद,
रंगारेड्डी, तेलंगाना–500089

विषयः– रेत खनिज के सफल निविदाकार की खनन योजना का अनुमोदन करने बाबत्।
संदर्भः– आपका का पत्र क्रमांक NETS/SMD/B/22-23/003-014 दिनांक 27.12.2022

—00—

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा प्रस्तुत 12 रेत खनन योजनाओं को मध्यप्रदेश रेत (खनन, परिवहन, भण्डारण एवं व्यापार) नियम 2019 के नियम 12 (ग) के अन्तर्गत अनुमोदित किया जाता है। जिसका विवरण निम्नानुसार हैः–

क्र.	तहसील	खदान का नाम	खसरा क्र.	रकबा (.है)	माईनिंग प्लान अनुमोदित मात्रा (घ.मी.)
1	बैतूल	कुम्हारिया	1	0.700	6480
2	घोडाडोंगरी	नान्दू	91	2.900	13500
3	घोडाडोंगरी	चिचड़ोल रैयत	30	8.000	15000
4	शाहपुर	धामन्या	1	5.000	22800
5	घोडाडोंगरी	कचलोरा -3	69	0.340	5700
6	घोडाडोंगरी	आमढाना रैयत-3	178	0.620	8250
7	घोडाडोंगरी	विष्णुपुर	1	2.000	18000
8	घोडाडोंगरी	झोली-1	99	5.000	15600
9	विचोली	बल्लोर	162	3.000	21000
10	विचोली	खपरिया	18	3.000	19500
11	शाहपुर	टॉगनामल	209	4.000	25200
12	शाहपुर	चिकली रैयत	316	4.000	10800

उक्त खनन योजनाओं का अनुमोदन इस शर्त पर किया जाता है कि निविदाकार मध्यप्रदेश रेत (खनन, परिवहन, भण्डारण एवं व्यापार) नियम 2019 के प्रावधानों का पालन करेगा।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

कलेक्टर,
जिला–बैतूल

पृ0क्रमांक/खनिज–2/2022/1914 बैतूल, दिनांक 29/12/2022

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, 29–ए अरेरा हिल्स, म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3. सदस्य सचिव, सिया पर्यावास परिसर ई–5 अरेरा कालोनी, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित।

कलेक्टर,
जिला–बैतूल

MINING PLAN

SUBMITTED AS PROVISIONS OF RULE 12 (1) MADHYA PRADESH SAND RULE 2019 (MINING, TRANSPORTATION, STORAGE AND TRADING)

CHIKHALI RAYYAT SAND MINE

AREA: 4.00 HECTARES, KHASRA NO: 316

VILLAGE: CHIKHALI RAYYAT, TEHSIL: SHAHPUR, DISTRICT: BETUL

(MADHYA PRADESH)

APPLICANT

M/S NATIONAL ENERGY TRADING AND SERVICES LIMITED,

PLOT NO 7, BINDU SADAN, 401 SAI CHANDRA COLONY, GREEN SPACE TULASI,

PUPPALGUDA, MANIKONDA, HYDERABAD, TELANGANA STATE, INDIA

TYPE AND CATEGORY OF MINE: OPENCAST/SEMI MECHANISED

PREPARED BY

SYED IQTADAR TANWEER

G-3 BALAJI, BRIGHT COLONY, IDGAH HILLS,

BHOPAL (M.P.)

REGISTRATION NO: RQP/DGMMP/211/2019-24

EMAIL: si_tanweer@yahoo.co.in, MOB: 882795300

APPROVED

COLLECTOR
BETUL

J. Renja Banahas

SYED IQTADAR TANWEER
RQP/DGMMP/211/2019-24

CONSENT LETTER

Revised Mining Plan of Chikhali Rayyat Sand Mine, Village Chikhali Rayyat (4.00 ha) has been prepared by RQP Shri Syed Iqtadar Tanweer (RQP No DGMMP/211/2019-24) under Madhya Pradesh Minor Mineral Rules, 1996 for approval. The lease hold area is located in Village- Chikhali Rayyat, Tehsil - Shahpur, District - Betul, MP, covering an area of 4.00 hectares.

The Director Geology and Mining, Madhya Pradesh, competent Authority is hereby requested to make further correspondence regarding this Mining Plan with the person and address mentioned below-

SYED IATADAR TANWEER
Recognized Qualified Person (RQP NO: RQP/DGMMP/211/2019-24)

G-3 Balaji, Bright Colony, Idgah Hills,

Bhopal (M.P.)
Email: si_tanweer@yahoo.co.in

Mob: 882795300

An undertaking in this regard is being submitted that the Mining Plan so prepared by the recognized person is with my knowledge and consent and shall be acceptable to me in all respects. I have clearly understood the contents of the Mining Plan and agree to implement.

Place: Betul

Date:

J. Priya Bandhavi

M/s National Energy Trading and Services Ltd.
Address: Plot No 7, Bindu Sadan, 401 Sai Chandra Colony, Green Space Tulasi, Puppalguda, Manikonda, Hyderabad, Telangana State, India

APPROVED

J. Priya Bandhavi

CERTIFICAE FOR FULL CONSULTATION

This is to certify that Revised Mining Plan of Chikhali Rayyat Sand Mine in village Chikhali Rayyat of the applicant M/s National Energy Trading and Services Ltd., Village- Chikhali Rayyat, Tehsil - Shahpur, District - Betul of Madhya Pradesh State covering lease hold area 4.00 hectares has been prepared by RQP Shri Syed Iqtadar Tanweer (RQP No: RQP/DGMJMP/211/2019-24), in full consultation with me and I have understood its contents and agree to implement the same in accordance with the law.

Place: Betul

Date:

J. Pruja Bandhavi

M/s National Energy Trading and Services Ltd.

Address: Plot No 7, Bindu Sadan, 401 Sai Chandra Colony, Green Space Tulasi, Puppalguda, Manikonda, Hyderabad, Telangana State, India

J. Pruja Bandhavi

CERTIFICATE OF COMPLIANCE AND CORRECTNESS

- *Certified that the provisions of related Act and rules have been considered in the Revised Mining Plan of Chikhali Rayyat Sand Mine in village Chikhali Rayyat, area of 4.00 in Tehsil - Shahpur, District- Betul of Madhya Pradesh State, which belongs to the applicant M/s National Energy Trading and Services Ltd.*

- *Certified further that the provisions mentioned in Act, Rules and Regulations have been considered in the Mine Plan and wherever specific permissions are required, the applicant will approach to the concerned competent authorities including D.G.M.S. for the same.*

- *There is no violation against provision of Rules, Regulations of MMR, 1961 and there is no danger to human life.*

- *The information furnished in the Mine Plan is true and correct to the best of our knowledge.*

Place: Bhopal

Date:

J. Priya Bardhan

Syed Iqtadar Tanweer

(RQP No: RQP/DGMJMP/211/2019-24)

SYED IQTADAR TANWEER
RQP/DGMMP/211/2019-24

'APPROVED

RQP CERTIFICATE

CONTENTS

1. INTRODUCTION 4

1.1 GENERAL INFORMATION 5
1.2 AREA DETAIL & APPROACHABILITY 6

2. LANDUSE / INFRASTRUCTURE 7

2.1 PRESENT LAND USE STATUS: 7
2.2 INFRASTRUCTURE 7

3. TOPOGRAPHY AND GEOLOGICAL DETAILS 9

3.1 TOPOGRAPHY 9
3.2 REGIONAL GEOLOGICAL DETAILS: 9
3.3 REGIONAL GEOLOGICAL SETUP/SEQUENCE: 10
3.4 LOCAL GEOLOGICAL DETAILS: 11
3.5 EXTENT OF RIVER BED & ALLUVIAL SAND DEPOSIT: 12
3.6 PROSPECTING AND EXPLORATION DONE: 12

4. ESTIMATION OF RESERVES: 14

5. DEVELOPMENT AND PRODUCTION PROGRAM 17

5.1 PROPOSED METHOD OF QUARRYING: 17
5.2 MECHANIZATION: 19
5.3 BLASTING: 19
5.4 LOADING AND TRANSPORTATION OF SAND: 20
5.5 MANPOWER DEPLOYMENT: 20
5.6 PROPOSED YEARLY PRODUCTION PROGRAM 21
5.7 MINE LIFE: 21
5.8 USE OF MINERAL: 21

6. CONCEPTUAL PLAN 22

7. ENVIRONMENTAL MANAGEMENT PLAN 23

7.1 AIR QUALITY MANAGEMENT: 23
7.2 WATER MANAGEMENT: 23
7.3 NOISE MANAGEMENT: 24
7.4 WASTE MANAGEMENT: 24
7.5 BIOLOGICAL ENVIRONMENT 24

APPROVED

LESSEE/APPLICANT
M/s National Energy Trading and Services Ltd., Hyderabad

O. Priya Bandhavi

J. P priya Bandhavi

Syed Iqtadar Tanweer
RQP/DGMMP/211/2019-2024

SYED IQTADAR TANWEER
RQP/DGMMP/211/2019-24

7.6 DISPOSAL OF MINING MACHINERIES: 24
7.7 SAFETY AND SECURITY: 25
7.8 DISASTER MANAGEMENT: 25
7.9 CARE DURING TEMPORARY DISCONTINUANCE: 25
7.10 ECONOMIC REPERCUSSION OF CLOSURE & MAN POWER RETRENCHMENT 25
7.11 STATUS OF LOCAL EMPLOYEES: 26
7.12 COMPENSATIONS: 26
7.13 RECLAMATION & REHABILITATION: 26
7.14 DISTANCE FROM THE NEAREST BRIDGE/DAM: 26
7.15 SOCIO – ECONOMIC ENVIRONMENT: 27
7.16 PLANTATION (AFORESTATION PROGRAM): 27
8. PROGRESSIVE MINE CLOSUR PLAN 28
9. SAND REPLENISHMENT ASSESSMENT 29
9.1 NEGATIVE IMPACTS: 29
9.2 POSITIVE IMPACTS: 29
9.3 NEED FOR SAND REPLENISHMENT STUDY AND FACTORS TO BE CONSIDERED AND OBSERVED: 29
9.3.1 WATER LEVEL DURING LEAN PERIOD: 30
9.3.2 CATCHMENT AREA 31
9.3.3 ORIGIN OF RIVER: 31
9.3.4 DISTANCE OF TRAVELLING OF LOAD: 31
9.3.5 SLOPE / GRADIENT / ELEVATION DIFFERENCE: 31
9.3.6 GEOLOGY / LITHO UNITS: 31
9.3.7 CLIMATIC CONDITIONS: 31
9.3.8 TRIBUTARIES / CONFLUNCE: 31
9.3.9 TYPE/STAGE OF RIVER AND FLOW VELOCITY: 32
9.3.10 STRUCTURES: 32
9.4 CONCLUSION: 32

APPROVED

SYED IQTADAR TANWEER
RQP/DGMMP/211/2019-24

FIGURES

KEY PLAN

GOOGLE IMAGE

KHASRA MAP

PLATE 1- SURFACE PLAN AND GEOLOGICAL PLAN

PLATE 2- YEARWISE DEVELOPMENT PLAN AND SECTION

PLATE 3- ENVIRONMNETAL PLAN

PLATE4- YEARLY MONSOON WISE PLATE AND SECTION

ANNEXURES

SANCTION ORDER COPY

RQP CERTIFICATE

APPROVED

1. INTRODUCTION

The demand for ordinary natural river sand is enormously increased in building construction and infrastructural developments. The natural sand is started vanishing from the river beds besides causing natural and environmental hazards in surrounding areas due to illegal and unscientific mining without proper mining plan. Therefore, the government of India announced sand policy by fixing responsibility on related departments mainly Mines & Geology and Ministry of Environment and Forest (Pollution control boards). Accordingly, the Govt. of Madhya Pradesh formulated a natural sand policy to meet the sand demand in the state by undertaking systematic & scientific mining and protection of environment and by maintaining eco-balance in the surrounding areas by following the Govt. of India guidelines.

Based on the Government of India guidelines, this quarry plan is prepared for the proper development of mine area with safe quarrying operation. It also provides guidance and directives to be followed during the quarrying operation under the rules and regulations as imposed by the Government.

Mine has been allotted to National Energy Trading and Services Ltd., Address: Plot No 7, Bindu Sadan, 401 Sai Chandra Colony, Green Space Tulasi, Puppalguda, Manikonda, Hyderabad, Telangana State, India, over an area of 4.00 Hectares covering Khasra No 316, up to 30.06.2023 (As per Order No. 1862/Sand/2022, Betul, dated 23.12.2022).

In compliance to MP Sand (Mining transportation, Storage and Trading) Rule 2019 published in Gazette notification of Government of MP dated 30-08-2019 and as per the rule 42 of MP Minor Mineral Rules 1996, this Quarry plan is being prepared and submitted for approval to the Collector [Mining] Betul MP and quarrying operation start only after obtaining the statutory permission as per rule 14.

APPROVED

J. Priya Bandhavi

LESSEE/APPLICANT
M/s National Energy Trading and Services Ltd., Hyderabad

J. Priya Bandhavi

Syed Iqtadar Tanweer
RQP/DGMMP/211/2019-2024

1.1 GENERAL INFORMATION

Name of Applicant	M/s National Energy Trading and Services Ltd
Address of Applicant	Address: Plot No 7, Bindu Sadan, 401 Sai Chandra Colony, Green Space Tulasi, Puppalguda, Manikonda, Hyderabad, Telangana State, India
Quarry Village	Chikhali Rayyat
Name of the River	Morand River (a tributary of Narmada)
Tehsil	Shahpur
District	Betul
State	Madhya Pradesh
Khasra No.	316
Area [Hectares]	4.00
Permitted Period	Up to 30.06.2023
Whether Recorded in Forest	Not recorded in any Reserved / Protected Forest Area
Status Of Applicant	Private Individual
Mineral (S) Which Applicant Intended to Mine	Sand
Sanction order Details Order No. & Date	As per Order No. 1862/Sand/2022, Betul, dated 23.12.2022
Ownership / Occupancy	Government Land, River Bed
R.Q.P. Address & Registration details/Mobile No	SYED IQTADAR TANWEER G-3 Balaji, Bright Colony, Idgah Hills, Bhopal (M.P.) Registration No: RQP/DGMMP/211/2019-24 Mob: 8827951780

APPROVED

LESSEE/APPLICANT
M/s National Energy Trading and Services Ltd., Hyderabad

Syed Iqtadar Tanweer
RQP/DGMMP/211/2019-2024

SYED IQTADAR TANWEER
RQP/DGMMP/211/2019-24

1.2 AREA DETAIL & APPROACHABILITY

Details Of Sanctioned Lease Area	**Village**	Chikhali Rayyat
	Tehsil	Shahpur
	District	Betul
	River	Morand River (a tributary of Narmada)
	State	Madhya Pradesh
	Khasra No.	316
	Sanctioned Area	4.00 Hectares
Topo Sheet No.	55F/15	
Village Coordinates	22°06'52.53"N 77°38'52.35"E	
Site Co-ordinates (Latitude & Longitude)	Block1 A. 22°7'31.66"N 77°39'54.69"E B. 22°7'31.70"N 77°39'55.93"E C. 22°7'14.85"N 77°39'47.16"E D. 22°7'15.16"N 77°39'45.78"E Block2 E. 22°7'7.19"N 77°39'48.27"E F. 22°7'08.10"N 77°39'48.79"E G. 22°6'51.24"N 77°39'51.68"E H. 22°6'51.26"N 77°39'50.19"E	

Approach & Accessibility	**From Site**	**Approx. Distar**
	District Head Quarter Betul towards SE	32 km
	Tehsil – Shahpur towards NEE	26 Km
	Village – Chikhali Rayyat - W	1.7 Km
	Nearest Railway Station Dhodramohar Towards NE	27 Km
	NH-47 -W	17 Km
	Health Centre (Village Chikhali Rayyat)	1.7 Km
	Nearest Bridge Towards NE	4.2 Km
	Monuments / Places of Social importance	None Nearby
	National Parks	Not within 10 Km
	Reserve Forest	Not within 250 m

2. LANDUSE / INFRASTRUCTURE

2.1 PRESENT LAND USE STATUS:

Sand Mining lease has been sanctioned for a period of up to 30.06.2023 over an area of 4.00 Hectares on a River Bed (Morand a tributary of Narmada) for quarrying and transportation of sand. Quarrying & related activities shall be carried out from the top surface level.

Present land use status of the sanctioned area is as under:

Total Lease Area	**4.00 Ha**	**40,000 M^2**
Barrier Zone / Safety Strip	8,850 M^2	
Area under water/ Non-Mining Area	7,150 M^2	
Available Working Area	**24,000 M^2**	

2.2 INFRASTRUCTURE

- **Power Supply** - Electrical Power is not available; Shall be arranged from the nearby supply line if required with proper NOC from concerning Department.

- **Communication & Transport** - Site is well connected with District Headquarter and other towns by road. Buses and private taxis are frequently available from district and Tehsil headquarters up to the village. Quarry site is approachable from village by private means.

- **Land** -Quarry lease area situated on river bed and is a non-forest government land.

- **Water Supply** - Dug wells and bore wells available in the vicinity to meet the requirement of drinking water. Water is potable & hygienic as no adverse effects noticed in habitants of nearby area.

- **School Facilities** - School facilities for primary education are available in the village Panchayat; Middle school or higher studies are present in District Headquarter Betul and Tehsil Shahpur.

APPROVED

- **Man Power** - Mine workers shall be arranged from nearby villages therefore no constraint regarding availability of manpower in the area.

There are no places of national and social importance exist within the radius of 500 m of mine site.

LESSEE/APPLICANT
M/s National Energy Trading and Services Ltd., Hyderabad

Syed Iqtadar Tanveer
RQP/DGMMP/211/2019-2024

APPROVED.

3. TOPOGRAPHY AND GEOLOGICAL DETAILS

3.1 TOPOGRAPHY

The lease area falls in a River Bed (Morand River) and divided in two parts. Since, the sand area falling partly at the non-active river bed, the general surface level of the lease area is undulating with negligible thorny bushes/shrubs and comparatively lower than the surroundings. The surface level of the mine lease is around 534-536 MSL. The drainage direction is towards north in the lease area.

Topography of the area has been derived due to alluvial deposition on the flood plains of Narmada River and its Rivulets. General slope of the lease area is from southeast to northwest. The drainage pattern in the area is dendritic.

3.2 REGIONAL GEOLOGICAL DETAILS:

The district has four district physiographic division viz (i) Satpura plateau in Tawa and Morand valleys (ii) The Satpura plateau in central and (iii) southern part of the district (iv) and Tapti valley. The whole district lies on Satpura plateau at an elevation of 365m above mean sea level. The general elevation is about 609m at Kilendeo form the highest peak in the northern and central parts of the district. Tawa valleys lies at on elevation of 396m amsl between peaks of Kilandeo and Bhogwangar, the general scope of the valley is towards the North West.

3.3 REGIONAL GEOLOGICAL SETUP/SEQUENCE:

Age	Lithounits	Rock types
Quaternary		Soil and alluvium
----------Unconformity----------		
U. Cretaceous to Eocene	Deccan Trap	Non-porphyritic and porphyritic basalt
----------Unconformity----------		
U. Cretaceous	Lameta	Sandstone, shales and limestone
----------Disconformity----------		
U. Cretaceous	Upper Gondwana	Sandstone, siltstone, conglomerate and clay
----------Unconformity----------		
Archaean		Quarzo-feldspathic gneiss with dolerite intrusions

Archaeans

The crystalline metamorphic and igneous rocks cover approximately 20% of the total district area. The igneous rocks are intensive granite and pegmatite veins intending the metamorphic rocks. Quartz pegmatite views are common features and occurs as broad dykes and thin strings. The ground basins are conterminous with surface drainage sub basin thus ground water flow system is of local types where end system has its recharge area at topographic low. The Archaeans are mainly occupying the Betul, Chichab, Multai and Amla blocks. These rocks do not have primary porosity and hydraulic conductivity. The weathered part of the crystalline rocks are called saprolite, which is of particular interest from the point of view of storage zone for ground water and as an aquifer for open well and shallow tube wells. The thickness of this zones in the entire district area ranges from 2.5 to 30.00 m. in this formation, aquifers also occurs where bed rock and quartz pegmatite intensive vein are jointed and fractures.

The yield depends upon saturated thickness of the weathered mantle and fracture pattern of the rocks.

Gondwana

The Gondwana rocks are comprising succession of sand stone, shales with seems of coal lying over the metamorphic rocks of crystalline Archaean system with a district unconformity. The beds of Gondwana rocks are distributed in patches and lie in a liner trend coinciding almost with the present river valleys. There rocks show considerable faulting. The Talchir beds consisting of sandstone and green clays with boulders contain plant fossils. There are bounded by faults. The west and north west of Betul, there are out of Gondwana rocks which separates decant traps from Archaeans rocks. Barkars of Gondwana group contains coal seams.

Deccan Traps

Deccan traps comprising varies types of basaltic lava flows and most extensive rocks in the district. There rocks occupying in Betul, Multai, Bhimpura, Chicholi, Bhainsdehi, Atner and Prabkat pattam blocks. The base of the flow consists of a porons layers of earthy basalt which passes rapidly into the main body. Of flow consisting of great thickness of hard basalt. Generally, the Deccan trap in the area occurs in the form of fractures, weathered and vesicular basalts.

3.4 LOCAL GEOLOGICAL DETAILS:

The top layer of applied area forms a part of stream bed covered mainly with sand deposits with rare colluvial material belonging to recent river alluvium up to 3.0 m. Quarrying will be concentrated up to 0.5 m only for extraction of sand. However, it is found that minimum 2m thick sand deposit is available throughout the lease within the top most layer of recent alluvium. This top sandy layer is underlain by laterite followed by Deccan trap.

Altitude of the area- Average elevation of the area is- 535 m

High flood Level (HFL) – 537 m

Low flood Level (LFL) – 534 m

Surface and geological map with cross section of the area on 1: 2000 scale with suitable contour intervals showing general topography and geology has been enclosed.

3.5 EXTENT OF RIVER BED & ALLUVIAL SAND DEPOSIT:

The sand quarry lease area is divided in to parts and elongated along the course of the river with an orientation of south to north and lies before a meander. The deposit of sand is available on full width and length of the lease.

The sediment in the form of river bed material i.e., sand has deposited in the last many years as a process of sedimentation in the palecochannels. Sand bars have been formed at various places hindering the flow of water and excess deposition has changed the shape of the river bed. Because of this, during monsoon season, the water may rise above the high flood level causing heavy and devastating floods. Such disasters may damage large tracts of land laying on both banks of the river especially the agricultural lands.

Accumulation of the sand deposit on the river bed is annual process. It is replenishable due to sediment inflow during floods in rainy season. Thickness of river bed where sand deposited every year varies but excavation of sand is permitted up to 3 m depth or up to top level of water table whichever is less. The summer water table goes down to 2 m below surface. Hence sand can easily be extracted up to 2 m depth in dry season.

3.6 PROSPECTING AND EXPLORATION DONE:

This is the revised mining plan and mining lease has already been excavated in the past. Based on post monsoon yearly survey by local mining officer and observations conducted by lessee, sand deposit in the lease has completely been replenished and average thickness of sand deposition within the sand accumulated area is observed to be > 1.0 m in proposed sand bed and considered for estimating the reserves.

Since sand exposed all over within the sand accumulated area of the lease and depth is proved, therefore, future prospecting has not proposed in the area. However, a

APPROVED

survey likely to be conducted by local mining officer to ascertain the depth of sand accumulation during post monsoon every year.

APPROVED

4. ESTIMATION OF RESERVES:

The applied sand lease area is about 1.7 Km east from village Chikhali Rayyat and located in the river bed of Morand River that generally flows from south to north.

In order to estimate the reserves, DGPS survey has been carried out to define the topography, contours and offsets of the lease area. Khasra map has been considered as base map to demarcate the mine lease boundary. The shape and size of the mine lease has been fixed as per the sanctioned demarcated Khasra map of the lease area by DGPS survey.

The area has been fully demarcated with respect to geographical coordinates and surface reduced level taken at every point of cluster. To describe the elevation in detail, 0.5m contour interval has been picked for the preparation of surface plan and cross section which includes collection of surface reduced level in an interval of 0.5m for reserve estimation. The maximum elevation observed to be 539m from MSL and whereas minimum elevation recorded to be 533m MSL with the lease area.

Sanctioned demarcated area (Khasra)

Demarcated area on Google Image

Very gently sloping or almost flat topography of the lease is the main reason for having sufficient quantity of sand available for removal. In addition, the location of applied lease

lies on a meander making it suitable for sand deposition, therefore good deposit of sand is available on full width and length of the lease.

As per the Point (r) page 24 of Guidelines of Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining, Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MOEF & CC) January 2020 "**River bed sand mining shall be restricted within the central 3/4th width of the river/rivulet or 7.5 meters (inward) from banks but up to 10% of the width of the river**"

The mineral sand is exposed in full width and length of the lease and follows very gently sloping topography.

This is the revised mining plan and mining lease has already been excavated in the past. Based on post monsoon yearly survey by local mining officer and observations conducted by lessee, sand deposit in the lease has completely been replenished and average thickness of sand deposition within the sand accumulated area is observed to be > 2.0 m in proposed sand bed and considered for estimating the reserves.

Since sand exposed all over within the sand accumulated area of the lease and depth is proved, therefore, future prospecting has not proposed in the area. However, a survey likely to be conducted by local mining officer to ascertain the depth of sand accumulation during post monsoon every year.

Specifications considered for the estimation are as under:

Area specification	Values
Sanctioned lease area	4.00 hac or 40,000 M^2
Area submerged in water	7,150 M^2
Area under Barrier / Safety zone within sand accumulated area	8,850 M^2
Available Mineable area where sand has been deposited/accumulated is 60% of total lease area and it follows Point (r) page 24 of Guidelines of Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining, Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MOEF & CC) January 2020 which says that Maximum allowable mineable area cannot be more than 60% of total lease area (24,000 M^2 is 60% of 40,000 M^2)	**24,000 M^3** (Total lease area – non mining area - barrier zone) (40,000 M^2 -7,150 M^2 -8,850 M^2 = 24,000 M^2)

J. Priya Bamdhab

J. Priya Bamdhab

APPROVED

SYED IQTADAR TANWEER
RQP/DGMMP/211/2019-24

As the extractable area 24,000 M^2 is gently sloping, hence the volumetric method adopted for reserve estimation.

The thickness of sand is more than 2m. The water level fluctuates from 2-3m during post-monsoon to pre-monsoon (October to June). However maximum of 0.45 m depth of sand deposit has been considered for estimation.

Reserve calculation of the given area is detailed as under:

Area [M^2] X Depth [m] = Volume [M^3]

Total available sand - 24,000 M^2 x 2 m (Max Thickness) = 48,000 m^3

Total mineable sand -24,000 M^2 x 0.45 m (Average Thickness) = 10,800 m^3

Total mineable reserve estimated to be 10,800 M^3

APPROVED

COLLECTOR
BETUL

LESSEE/APPLICANT
M/s National Energy Trading and Services Ltd., Hyderabad

Syed Iqtadar Tanveer
RQP/DGMMP/211/2019-2024

SYED IQTADAR TANVEER
RQP/DGMMP/211/2019-24

5. DEVELOPMENT AND PRODUCTION PROGRAM

5.1 PROPOSED METHOD OF QUARRYING:

The mining operation will be carried out by semi mechanized method and all the related activities shall strictly be done according to the M.M.R 1991 rule without blasting
As per the Sustainable Sand Mining Management Guidelines 16, there are total 5 extractions methods and are follows as;

a) **Bar scalping and skimming** is extraction of sand and gravel from the surface of bars. This method generally requires that surface irregularities be smoothed out and that the extracted material be limited to what could be taken above an imagery line sloping upwards and away from the water from a specified level above the river water level at the time of extraction (typically 0.3-0.6m). Bar scalping is commonly repeated year after year. To maintain the hydraulic control provided to upstream by the Riffle head., the preferred method of bar scalping is now generally to leave the top 1/3rd (approximately) of the bar undisturbed. mining only from the downstream 2/3rd.

b) Dry-Pit Channel Mining

Dry-Pit channel mining is the method where pits excavated within the active channel on dry intermittent or ephemeral stream beds. Dry pits are often left with abrupt upstream margins, from which head cuts likely to propagate upstream.

c) Wet-Pit Channel Method

It involves excavation of a pit in the active channel below the surface water in a perennial stream or below the alluvial groundwater table.

d) Bar Excavation

A pit is excavated at the downstream end of the bar as a source of aggregate and as a site to trap sand and gravel. Upon completion, the pit may be connected to the channel at its downstream end to provide side channel habitat.

e) Channel – wide River bed Mining

In rivers with a highly variable flow regime, sand and gravel are commonly extracted across the entire active channel during the dry season. The bed is flattened and uniformly (or nearly so) lowered.

As per the Sustainable Sand Mining Management Guidelines 2016, there are 5 extraction method as mentioned above in total out of which 'Channel-wide River bed Mining' method shall be adopted with respect to type of river bed deposition. Mining shall be done in layers of 1 meter depth to avoid ponding effect and after first layer is excavated, the process will be repeated for the next layers.

Previous year water level regime monitoring season of river bed is observed. The water level fluctuation in the river bed is from 0.0-2.0. It means the water level about 0.0m to 1.0m describes a monsoon season (July-September) where water covers the whole riverbed and flows almost uniformly throughout the river course. In case of river sand bed of about 2m water level define the post monsoon season (October to December) in which water level drops and part of river bed exposed/ dried in certain part of river channel or sand mine spot due to difference in contour elevation as well as replenished sand. In case of river having about 2.0 m water level describes pre-monsoon season (from March to mid of June).

During post monsoon (October to February) mining will be carried out in layers of 1-meter depth for maintaining the river bed water level regime (Plate 4).

During pre-monsoon (March to June) mining will be carried out in 2nd layers of 1 meter depth after completion of 1st layer for maintaining the river bed water level regime (Plate 4).

No bench can be maintained in river sand hence bench wise mining cannot be proposed.

Due to continues accumulation of sand in the area during rainy season, there will not be much depletion in the reserve of sand, hence reserve is likely to be remain same every year and in future also. The Lease period has been sanctioned up to 30.06.2023, accordingly three years production plan can be envied as below:

Semi-mechanised method of quarrying shall be undertaken during quarrying operation and all the related activities shall strictly be followed according to M.M.R 1991 rule without blasting and drilling.

Mining operation shall be based upon Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining, Ministry of Environment, Forest and Climate change January, 2020.

Quarrying progression will be from southeast to northwest, whereas mine face will be west to east. However, mine facing may be adjusted based on best environment friendly practices.

5.2 MECHANIZATION:

An open cast quarrying by semi mechanized method will be adopted for extraction of ordinary sand, keeping the productivity and safety in mind.
Semi mechanized quarry operation shall be done by utilizing JCB, hand Shovel, spade, crow bars, water tanker etc. will be required to deploy for mining works, Dumpers will be required for loading and transportation purpose.

JCB	1 No
Dumper	2 No. (Capacity- 12 m3)
Water tanker	1 No.

5.3 BLASTING:

Not applicable.

5.4 LOADING AND TRANSPORTATION OF SAND:

Dumpers / tipper shall be used for transportation purpose.

For transporting the sand from lease area to the bank and for further destinations (end users/market), following estimation has been followed.

Yearly Production	10,800 m^3
Daily Production Assuming 240 working days leaving rainy season	45 m^3/day
Capacity of Dumper	12m^3
One dumper can carry (as a safety measure)	10m^3
Total number of trips required	5
Total Dumper Required (capacity 10 m^3)	2

The above per day calculations are for reference purpose only. The removal of sand shall be done as per demand and these figures may change drastically but within the limit of yearly production of 10,800 M^3.

5.5 MANPOWER DEPLOYMENT:

Required number of man power/labor is easily available from the surrounding villages. Requirement of manpower depends on the production and taking into account an average rate of annual production of 10,800 m^3 and assuming 240 working days per year, around 45 m^3 of proposed production to be achieved per day.

Keeping an average output per man per shift about 8 m^3 (OMS), then around 6 persons shall be required in the mine site.

Considering a presence of site foreman is important and a manager, a total of 8-9 persons shall be required to manage the mining operation.

Number of shifts proposed for per day is one shift / day. Depending upon the demand of sand, working time may be adjusted following the rules and making proper arrangements in place.

5.6 PROPOSED YEARLY PRODUCTION PROGRAM

Due to continues accumulation of sand in the area during rainy season, there will not be much depletion in the reserve of sand, hence reserve is likely to remain same every year and in future also. The Lease period of 3 years has taken as per the provisions of rule 9 of Madhya Pradesh Sand (Mining, Transportation, Storage and Trading) Rule, 2019. Accordingly, three years production plan can be envied.

It is to be noted that applied lease area has been sanctioned up to 30.06.2023 only, therefore 1st year production has been provided in the table below. However, if lease extended for two more years, then the same quantity, i.e., 10,800 M^3 per year can be extracted for another two years.

Years	Available Extractable Mining Area M^2 (60% of Lease Area)	Depth M	R O M M^3	Waste M^3 (10%)	Maximum proposed sand Production M^3
1st Year	24,000	0.45	10,800	Nil	10,800

5.7 MINE LIFE:

Mine has been sanctioned for the excavation of sand until 30.06.2023. Quarry lease may further be allotted to some other agency in future.

This is a river bed quarrying case, every year after monsoon, the sand deposit gets replenished and is available for ensuing years: hence river bed deposit has no fixed mine life.

5.8 USE OF MINERAL:

Sand so extracted from the mine lease, will be sold locally as building material. It is usually mixed with cement and other ingredients to create mortar for building. It is also used in brick manufacturing industries.

APPROVED

O. Priya Bandhari

LESSEE/APPLICANT
M/s National Energy Trading and Services Ltd., Hyderabad

J. Priya Bandhari

COLLECTOR
BETUL 21

Syed Iqtadar Tanveer
RQP/DGMMP/211/2019-2024

6. CONCEPTUAL PLAN

Mine applied lease spread over a total area of 40,000 m^2. Though sand thickness found to be more than 2m but actual digging depth restricted up to 0.45 m only. However, pits generated by quarrying will be replenished during rainy season. Quarrying will be worked systematically as the width is smaller than its length. As the lease period has been sanctioned until 30.06.2023, some of the area will be left un-worked at the end of lease period.

During plan period workings will be carried out in one stretch at a time. Scattered workings will ensure safety, remove congestion and will have better control and management.

Bank side natural slope will not be disturbed. This will prevent collapse of bank and erosion.

There will be no soil or OB removal during the plan period. Therefore, no proposal has been envisaged for its separate dumping. No outside material will be filled up in the extracted zone.

7. ENVIRONMENTAL MANAGEMENT PLAN

7.1 AIR QUALITY MANAGEMENT:

Dust during quarrying, fumes and exhaust emission due to transportation of vehicles are the main causes of air pollution.

Personal Protection Equipment's (PPE) like dust masks, ear plugs etc. will be provided to mine workers

It can be effectively controlled by regular water sprinkling on roads.

Mineral carrying vehicles should be covered with tarpaulin and shall not be over loaded.

Proper maintenance of transport vehicles and PUC certification will minimize the exhaust emission. Adequate plantation will also support to maintain air quality.

7.2 WATER MANAGEMENT:

Sand quarrying activities will have an impact upon the river's water quality. Impacts include increased short-term turbidity at the mining site due to re suspension of sediment, and dumping of excess mining materials, oil spills or leakage from transportation vehicles and washing of vehicles in the river.

Increased riverbed and bank erosion increases suspended solids in the water at the excavation site. Suspended solids may adversely affect water towards downstream and aquatic ecosystems.

The impact is particularly significant if water toward downstream of the site being abstracted for domestic and irrigation purposes etc.

Quarrying is avoided during the monsoon season and at the time of floods. This will help in replenishment of sand in the river bed.

Quarrying below subterranean water level will be avoided as safe guard against environmental contamination and over exploitation of resources.

River stream will not be diverted to form inactive channels.

Meandering segment of river would be selected for mining in such a way to avoid natural eroding banks and to promote mining on naturally building meander components.

APPROVED

Utmost care will be taken to avoid the used of fuel leaking vehicles for sand transportation

The washing of trucks in the river will be avoided.

7.3 NOISE MANAGEMENT:

In manually operated sand mine, noise is generally created by transportation of vehicles.

Onsite and offsite noise management are:

Plantation of trees along the river bank and transport route beyond the bank shall be undertaken to dampen the noise, if possible.

The vehicles shall be maintained in good running condition so that noise will be reduced to minimum possible level.

Awareness will be imparted prior to quarrying operations that smoke silencers remain in a good condition and not to generate noise.

Unnecessary use of horns by the drivers of the vehicles shall be avoided at village areas.

7.4 WASTE MANAGEMENT:

There is no top soil expected to be produced in the plan period. No other waste anticipated to be generated hence waste disposal arrangement is not required.

7.5 BIOLOGICAL ENVIRONMENT

The proposed quarrying will be undertaken from the dry bed of the river on a small scale, therefore unlikely to impact the aquatic environment or any fauna or floral environment.

7.6 DISPOSAL OF MINING MACHINERIES:

No disposal of machineries would take place onsite and hand tools, tractors, dumpers will be deployed on hire basis.

APPROVED

7.7 SAFETY AND SECURITY:

Prior to mining, short awareness/training program will be conducted for site staff to make them aware regarding safety aspects and environment friendly work practices.

First aid kit and anti-venom injection for snake/insect bite shall be provided at mine site.

If some causality or injury to animal occurs, it will be informed to forest department and proper treatment will be given.

No lighting will be allowed in the area.

No tree cutting, chopping, lumbering, uprooting of shrubs and herbs will be allowed.

No track or new road for movement of site workers or vehicles be laid in adjoining area, this will prevent fragmentation, encroachment and human verses animal encounter.

Corridor for movement of wild mammals (If exists) will be avoided for mining/transport purposes

If wild animals are noticed crossing the river bed, they will not be disturbed or chased away, instead the workers will move away from their path.

7.8 DISASTER MANAGEMENT:

Nature of mining method is very simple and high-risk accidents are not anticipated. In case of natural disaster, lessee will take assistance from local government officials.

7.9 CARE DURING TEMPORARY DISCONTINUANCE:

No major quarrying machineries will be deployed as mining shall be undertaken manually. Most of the tools/equipment shall be on hire basis, in such cases, care will be taken as per the terms and conditions of contract. During temporary discontinuance, a watchman should be present to look after the mine site.

7.10 ECONOMIC REPERCUSSION OF CLOSURE & MAN POWER RETRENCHMENT

This quarry lease sanctioned for defined time period, most of the facilities and man power will be deployed on hire basis and in such case, care will be taken as per terms and conditions of contract.

APPROVED

7.11 STATUS OF LOCAL EMPLOYEES:

Local residents will be proposed to employ from the nearby areas which already have their own traditional and family occupation like agriculture, fisheries and other sundry jobs. During monsoon and some other season or at the end of mine period they can easily join their respective employments.

7.12 COMPENSATIONS:

Retrenchment compensation to the employees as and when required will be done as per Government Labor legislation.

7.13 RECLAMATION & REHABILITATION:

The applied area comprises mainly sand, and negligible quantity of coarser material. The proposed area is the zone of active erosion during high flood time, otherwise it is a zone of deposition between two stream flows. So, no manual reclamation is needed. It is expected that the reclamation of the affected area will be automatically done by filling with sand flow in the rainy season depending on the amount of rain fall received by the area and the rate of river flow.

There is no human settlement within the quarry area. No human settlement will be disturbed due to the Quarrying activity. So, no rehabilitation and resettlement are proposed.

7.14 DISTANCE FROM THE NEAREST BRIDGE/DAM:

There is a bridge located around 4.2 km NE, downstream of the lease and constructed on Morand River. However, none is located within mine lease area.

APPROVED

7.15 SOCIO – ECONOMIC ENVIRONMENT:

There will be positive effect to some extent on socio – economic environment of the area as quarrying activity will create new job opportunities for the local people, which ultimately improve their financial status.

7.16 PLANTATION (AFORESTATION PROGRAM):

The implementation for development of green belt will be of paramount importance as it will not only add up as an aesthetic feature, but also act as a pollution control tool.

The species to be grown in the area should be dust tolerant and fast growing so that permanent green belt is created.

In order to stabilize the river bank erosion, the plants having good growth will be planted along the river bank. Trees may also be grown along approach roach to the village and along village road as well as in the village as feasible in consultation with local gram panchayat, DFO and other stake holders.

Lease area is 40,000 M^2 and as per latest guidelines, total trees to be planted @1500 trees per hectare, i.e., a total of 6,000 trees shall be planted in within the lease period.

Total no. of trees to be Planted: - 6,000			
Phase	Name of Tree	No. of Plants to be Planted	Location
Within lease period	Pipal, Munga, Kathal, Bargad, Jamun, Neem, Arjun, Kadam Belpatra, Mango	6,000	Bank of the river –3,000 nos Chikhali Rayyat and surrounding villages – 3,000 Suitable available nearby government land or along the road in consultation with local Gram Panchayats, DFO and other stake holders

8. PROGRESSIVE MINE CLOSUR PLAN

This is a sanctioned quarry which may again be sanctioned after its expiry on 30.06.2023. The actual working area (sand accumulated area) within the proposed area is the zone of active erosion during high flood time, otherwise it is a zone of deposition and mined out areas may or may not be automatically replenished with sand flow in the rainy season each year, hence progressive plan is not envisaged.

Statutory Obligations: No statutory obligations imposed till now; routine legislative conditions will apply as mentioned in approval letter.

J. Pooja Sandhani

APPROVED

9. SAND REPLENISHMENT ASSESSMENT

Sand quarrying from river bed will cause degradation of land use pattern and damage to the environment. Over exploitation of sand from river bed will definitely affects adversely on the surrounding environmental status. Deposition of sand is a continuous natural process, but the over drafting will never be permitted to ensure the balance between exploitation and replenishment potential of river sand.

Sand quarrying from river bed will have both positive and negative impacts;

9.1 NEGATIVE IMPACTS:

It includes destruction of natural river course, bank erosion, bank cutting and widening and deepening of river bed. Change in hydrological status and recharging conditions. Disturbance to closely linked flora, fauna and aquatic life.

9.2 POSITIVE IMPACTS:

Employment and socio-economic status of the habitants living besides the river depends on sand mining industries. Construction of concrete infrastructures, roads and some other related activities depends on the river bed sand. Continuous accumulation of sand ultimately leads to the reduction in water carrying capacity of the river leading excessive flood in the river. Sustainable extraction of sand from river will lead to overcome the problem.

9.3 NEED FOR SAND REPLENISHMENT STUDY AND FACTORS TO BE CONSIDERED AND OBSERVED:

Environmental status of the mined-out area may be affected badly if proper care is not taken to ensure sustainable extraction of sand from river bed. Proper study of the following factors must be taken into consideration to reveal the actual potential of sand deposition in river course after completion of periodical excavation annually. The main factors required to be considered for the study of the replenishment potential of particular river course are: .

APPROVED

Formation of sand comprises of the following;

Catchment area and geological strata,

Erosion, weathering

Climatic conditions, Precipitation

Geomorphology, Physiographic Manmade structures and activities details .

Geological formations Refer to Chapter 3.

Deposition/sedimentation of material or sediment yield depends upon several factors like;

-Catchment area

-Span of river / flood plain

-Travelling distance of suspended particles

-Slope / gradient / depth of water channel / meandering of river

- Geology traversed

- Climatic conditions

-Tributaries / Confluence

- Type / stage of river and flow velocity

-Occurrence of natural and manmade structures.

-Flow during lean period.

9.3.1 WATER LEVEL DURING LEAN PERIOD:

River course at area under consideration attains youth stage, flow velocity is moderate, turbulence occurred due to meanders created due to lineaments. Elevation of both the banks are within the range of 2.5 to 3.5m above river bed. After monsoon river flows in full swing covering both the banks. During monsoon floods the water level rises by 2 to 3 m High flood level of river goes up to 537 m in due course of time after monsoon water channel level goes down gradually, during lean period water level maintained at 534-535 m.

APPROVED

9.3.2 CATCHMENT AREA

The Morand River basin comprises an area of about 200 Km2. The southern boundary is marked by low-lying hills and or high grounds. The basin area is highly undulating with isolated hills and plains. The ground elevation ranges between 533 m and 665 m. above MSL. The ground slopes from south to north.

9.3.3 ORIGIN OF RIVER:

The Morand River (a tributary of Narmada) flows from south to north into Narmada. The origin of the river is near hills of village Ratanpur, Madhya Pradesh at an elevation of 665 m.

9.3.4 DISTANCE OF TRAVELLING OF LOAD:

Morand River course is around 35 km approx. from the origin to mine site.

9.3.5 SLOPE / GRADIENT / ELEVATION DIFFERENCE:

The highest elevation of **Morand River** at the origin is around 665 m and the elevation at mine site is 533 m above msl. There is an elevation difference of around 132 m.

9.3.6 GEOLOGY / LITHO UNITS:

River originates mainly from Deccan Trap rock formations and further continues over the same rock formations with other formations in parts.

9.3.7 CLIMATIC CONDITIONS:

Climate of the district is tropical with moderate winter and severe summers and well distributed rainfall received from southwest monsoon. However due to higher general elevation and abundance of forests, summer temperature does not rise as much as in other areas. The normal annual rainfall of Betul district is 1129.6mm.

9.3.8 TRIBUTARIES / CONFLUNCE:

Several other small seasonal streamlets (Nallas) join this tributary resulting in the increase of its overall catchment area. However, no nallas join this river near the site.

APPROVED

9.3.9 TYPE/STAGE OF RIVER AND FLOW VELOCITY:

River attains youth stage at the mine site. Flow velocity is moderate to high. Lease area lies on a meander making it suitable for sand deposition.

9.3.10 STRUCTURES:

From our study no major structures have been observed in the river course near the site. There is a bridge located around 1.0 km SW, downstream of the lease and constructed on Morand River. However, none is located within mine lease area.

9.4 CONCLUSION:

In Betul district, Morand River basin where lease area is located comprises an area of about 200Km^2. The southern boundary is marked by low-lying hills and or high grounds. The basin area is highly undulating with isolated hills and plains. The ground elevation ranges between 533 m and 665 m. above MSL. The ground slopes from south to north.

The Average rainfall of Betul district is 1129.6mm. The district receives high rainfall mostly during July to September which will be leads to the deposition of the sufficient quantity of the sand every year within the old working area.

Dandy Bolton Formula has category stated use of the equation to predict sediment yield for a specific location would not be always correct because of the wide variability caused by local factors not considered in the equation development. Actual sediment yield from individual drainage basins may vary 10-fold or even 100-fold computed yields.

Looking at the basic information available about the concerning river basin, it is concluded that proposed quantity of 10,800 cubic meter per year can be excavated from the quarrying site and the replenishment of the same will be done easily as regular annual process following the topographical control.

Total replenished quantity of sand available each year within the lease hold area will be:

Total Leasehold area -4.00 ha

Total sand available -4.00 x10000x 2.0 (max thickness) = 80,000 m^3

Taken all safety measured and environmental concerns, only 2.4 ha leasehold area (60% of lease area) is available for mining.

Total sand available -24,000 m^2 x 2m (Max. Thickness) = 48,000 m^3

APPROVED

Total mineable sand - 24,000 m^2 x 0.45m (Avg. Thickness) = 10,800 m^3

Thus, from measured sand reserve of about 48,000 cubic meters, only 10,800 cubic meter sand per year will be extracted.

Out of the above annual replenishment, it is proposed to mine only 10,800 cubic meters up to a maximum depth of 0.45 m.

Thus, there will be no long – term impact on the riverbed which will have surplus sand left after extraction of the proposed amount each year and PP will be extracting less than 50 % of the annual replenished sand within its lease hold.

Above estimation is based upon existing site conditions. Next year estimation shall be worked out after monsoon using volumetric methods. In the applied area, replenishment depends upon the yearly rainfall, if adequate amount of sand will not replenish during monsoon, then excavation of sand will be limited to the quantity which will be equivalent to the replenished material up to a maximum depth of 3m only.

PLAN PREPARED FOR -

M/s National Energy Trading and Services Ltd.

Address: Address: Plot No 7, Bindu Sadan, 401 Sai Chandra Colony, Green Space Tulasi, Puppalguda, Manikonda, Hyderabad,
Telangana State, India

PLAN PREPARED BY RQP -

SYED IQTADAR TANWEER
G-3 Balaji, Bright Colony, Idgah Hills,
Bhopal (M.P.)
Registration No: RQP/DGMMP/211/2019-24

APPROVED

T. Puja Bandhari

LESSEE/APPLICANT
M/s National Energy Trading and Services Ltd., Hyderabad

Syed Iqtadar Tanweer
RQP/DGMMP/211/2019-2024

T. Puja Bandhari

SYED IQTADAR TANWEER
RQP/DGMMP/211/2019-24

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला–बैतूल (म.प्र.)

प्रारूप–तीन

(नियम 11(3) एवं 11(5) देखिए)

आशय–पत्र

क्रमांक/रेत/2022/1862 बैतूल, दिनांक 23/12/2022

प्रति,

मेसर्स नेशनल एनर्जी ट्रेडिंग एण्ड सर्विसेज लिमिटेड
पता–प्लॉट न. 7, बिन्दु सदन, 401 सांई चंद्र कॉलोनी,
ग्रीन स्पेस तुलसी, पुष्पलगुडा, मणिकोंडा, हैदराबाद,
रंगारेड्डी, तेलंगाना–500089

विषय :– ई–निविदा क्रमांक 1691 दिनांक 17.11.2022 के संदर्भ में ग्राम **(सूची अनुसार)** तहसील **(सूची अनुसार)** जिला **बैतूल** रकबा **(सूची अनुसार)** हेक्टेयर क्षेत्र की खदान समूह क्रमांक **(संपूर्ण बैतूल जिला)** रेत खदानों हेतु आशय–पत्र।

––00––

1. **पृष्ठभूमि :**

1.1 मध्यप्रदेश रेत (खनन, परिवहन, भण्डारण एवं व्यापार) नियम 2019 (यथा संशोधित) के अनुसरण में कलेक्टर जिला बैतूल द्वारा मध्यप्रदेश के जिला बैतूल स्थित समूह खदान के समूह क्रमांक **(संपूर्ण बैतूल जिला)** हेतु रेत की समूह खदानों के प्रदान के लिए निविदा प्रक्रिया को प्रारंभ करने के लिए ई–निविदा सूचना दिनांक **17.11.2022** जारी की गई। ई–निविदा प्रक्रिया उक्त नियमों के नियम 8 के अनुसार उक्त रेत समूह आबंटन हेतु संचालित की जाकर मेसर्स **नेशनल एनर्जी ट्रेडिंग एण्ड सर्विसेज लिमिटेड** को उक्त नियमों के नियम 8(8) के अधीन उच्चतम सफल निविदाकार के रूप में घोषित किया गया है।

1.2 उक्त नियमों के नियम 11 के अधीन तथा उक्त समूह खदान के लिए निविदा दस्तावेज के अधीन अपेक्षित किए गए अनुसार मेसर्स **नेशनल एनर्जी ट्रेडिंग एण्ड सर्विसेज लिमिटेड** ने प्ररक्षित मूल्य के 25 प्रतिशत राशि रकम रूपये **5,85,53,288/–(पांच करोड़ पच्यासी लाख तिरेपन हजार दो सौ अट्ठासी रूपये)** अग्रिम धन (ईएमडी) के रूप में एम.पी. टेंडर के माध्यम से जो दिनांक **02.12.2022** को जमा कर दी है तथा जो दिनांक 23/12/2022 को संचालक के पूल खाते में प्राप्त हुई है।

2. **परिणामस्वरूप आशय पत्र जारी किया जाना :**

उक्त नियमों के नियम 11(3) एवं 11(5) के अनुसरण में समूह क्रमांक **(संपूर्ण बैतूल जिला)** मेसर्स **नेशनल एनर्जी ट्रेडिंग एण्ड सर्विसेज लिमिटेड** के पक्ष में 30 जून 2023 अवधि हेतु रेत खनिज की खदानों के समूह के लिए ग्राम **(सूची अनुसार)** जिला **बैतूल** में रकबा **(सूची अनुसार)** (हेक्टेयर) क्षेत्र के लिए यह आशय पत्र जारी किया जाता है।

APPROVED

T. Pooja Sandhar

3. **शर्तें :**

3.1 यह आशय पत्र तथा इसके पूर्वोक्ति खदान समूह का अनुवर्ती आबंटन इन नियमों के समय–समय पर यथा संशोधित उपंबधों के अध्यधीन होगा तथा मेसर्स **नेशनल एनर्जी ट्रेडिंग एण्ड सर्विसेज लिमिटेड** को "उच्चतम सफल निविदाकार" के रूप में घोषित किया जाता है तथा इन नियमों के अधीन समस्त अपेक्षाओं की संतोषजनक पूर्ति पर पश्चातवर्ती रूप से आवंटित खदान समूह का आबंटन किया जाएगा।

3.2 संदर्भ हेतु मेसर्स **नेशनल एनर्जी ट्रेडिंग एण्ड सर्विसेज लिमिटेड** के "उच्चतम सफल निविदाकार" के रूप में घोषित किए जाने तथा समूह खदानों के पश्चातवर्ती आबंटन है, के लिए अपेक्षाओं को नीचे दोहराया गया है। यह स्पष्ट किया जाता है कि अधोवर्णित अपेक्षाएं मात्र संदर्भ के लिए है तथा उक्त नियमों में किसी परिवर्तन की स्थिति में, यथास्थिति, संशोधित नियमों के अधीन अपेक्षाएं लागू होंगी।

(क) **"उच्चतम सफल निविदाकार" के रूप में घोषणा :–**

मेसर्स **नेशनल एनर्जी ट्रेडिंग एण्ड सर्विसेज लिमिटेड** को "उच्चतम सफल निविदाकार" मान्य किया जायेगा, बशर्ते :–

(एक) नियमों के निबंधनों तथा शर्तों का अनुपालन किया गया हो;

(दो) नियमानुसार वार्षिक ठेका राशि की 50 प्रतिशत रकम का भुगतान कर दिया गया हो;

(तीन) उक्त नियमों के नियम 12 के उप नियम (1) से उप नियम (6) में विनिर्दिष्ट खनन योजना एवं अन्य कानूनी अनुपालनों के संबंध में शर्तों को पूरा किया गया हो।

(ख) **ठेका अनुबंध का निष्पादन :–**

समस्त कानूनी अनुज्ञाओं, अनुमोदन, अनुज्ञा, अनापत्ति एवं सदृश, जो कि खनन संक्रिया प्रारंभ करने के लिए प्रयोज्य विधियों के अधीन अपेक्षित हो, प्राप्त करने के उपरांत मेसर्स **नेशनल एनर्जी ट्रेडिंग एण्ड सर्विसेज लिमिटेड** एवं बैतूल जिले के कलेक्टर के साथ प्रारूप 5 में पृथक–पृथक खदानवार ठेका अनुबंध का निष्पादन कराया जायेगा। अनुबंध निष्पादन की औपचारिकताऐं पूर्ण होने पर ठेका अनुबंध का भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का क्रमांक 16) के उपबंधों के अधीन पंजीयन कराया जायेगा।

(ग) **समूह खदानों की खनन संक्रिया :–**

अनुबंध निष्पादन के पश्चात मेसर्स **नेशनल एनर्जी ट्रेडिंग एण्ड सर्विसेज लिमिटेड** किश्तों का नियमित रूप से भुगतान करेंगें तथा नियमित खनन संक्रियायें जारी रखेंगें।

J. Ruya Bardhan

APPROVED

3.3 यह आशय पत्र नियमानुसार प्रगणित की गई 30 जून 2023 की कालावधि के लिए विधिमान्य है। समय–सीमा के भीतर समस्त शर्तों की पूर्ति की जानी चाहिए एवं मेसर्स **नेशनल एनर्जी ट्रेडिंग एण्ड सर्विसेज लिमिटेड** एवं बैतूल जिले के कलेक्टर के मध्य ठेका अनुबंध निष्पादित किया जाना चाहिए। उच्चतम सफल निविदाकार के नियंत्रण से परे किन्हीं कारणों से ठेका अनुबंध के निष्पादन में विलंब होने की स्थिति में, समय–सीमा में वृद्धि करने के लिए वह कलेक्टर को आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकेगा। उपरोक्त समस्त अथवा किन्हीं शर्तों के अनुपालन के लिए कलेक्टर अधिकतम 10 दिवस की अवधि बढ़ा सकेगा।

निविदाकार कम्पनी की ओर से प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षर उपरांत उक्त आशय पत्र की द्वितीय प्रति 07 दिवस की अवधि के भीतर अधोहस्ताक्षरी को स्वीकार्य पावती के रूप में वापस करने योग्य होगी।

संलग्न– **समूह की खदानों का विवरण एवं राशि की जानकारी।**

कलेक्टर
जिला–बैतूल (म.प्र.)

पृ0क्रमांक/रेत/2022/1862
बैतूल, दिनांक 23/12/2022

प्रतिलिपि :–

1– प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2– प्रमुख सचिव, नगरीय प्रशासन एवं पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3– सदस्य सचिव, सिया पर्यावास परिसर ई–5 अरेरा कालोनी, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4– कार्यपालक संचालक, दि मध्य प्रदेश स्टेट माईनिग कार्पोरेशन लिमिटेड भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5– संचालक, संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, 29–ए अरेरा हिल्स, म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ।
6– क्षेत्रीय अधिकारी, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड छिन्दवाड़ा की ओर सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित।
7– अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) समस्त जिला बैतूल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
8– तहसीलदार तहसील समस्त जिला बैतूल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
9– खनि निरीक्षक जिला बैतूल की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।

APPROVED

कलेक्टर
जिला–बैतूल (म.प्र.)

Pooja Bandhan

ई–निविदा में सम्मिलित खदानों एवं राशि का विवरण

जिला – बैतूल

क्र.	जिला	तहसील	ग्राम	खसरा क्रमांक	रकबा हेक्टेयर में	रेत का अनुमानित भण्डार (घनमीटर में)	अनुमानित दर का मूल्य (रुपये 250 प्रति घनमीटर + अन्य कर अतिरिक्त)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	लोनिया	179	1.115	25000	
2	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	फुलबेरिया	407	2.500	12750	
3	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	झाड़कुण्ड	1	0.950	7200	
4	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	घिखली आमढाना	219, 341	7.730	50000	
5	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	घोड़ाडोंगरी	373, 1395	7.000	20663	
6	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	आमढाना रैयत	248,141, 130	6.090	35700	
7	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	गांधीग्राम	2	0.550	13500	
8	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	नांदू	91	2.900	22500	
9	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	बाकुड	35	2.700	21875	
10	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	बरेलीपार/ घोड़ाडोंगरी	63	0.360	9000	
11	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	कचलोरा–1	67	0.100	2000	
12	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	कचलोरा–2	98	0.170	3570	
13	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	कचलोरा–3	69	0.340	9500	
14	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	आमढाना रैयत–1	79	0.350	8050	
15	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	आमढाना रैयत–2	175	0.340	6120	
16	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	आमढाना रैयत–3	178	0.620	13750	23,42,13,150/-
17	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	झोली–1	99	5.000	26000	
18	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	झोली–2	10	4.000	12000	
19	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	सातलदेही	187, 251	8.000	38500	
20	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	घरमपुर	309	6.000	7500	
21	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	बटकीडोह	112, 349	1.000	15000	
22	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	विष्णुपुर	1	2.000	30000	
23	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	घिवडोल रैयत	30	8.000	25000	
24	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	कटंगी	148	0.621	4000	
25	बैतूल	बैतूल	डहरगांव/भयावाड़ी	68, 260	6.250	25750	
26	बैतूल	बैतूल	कोदारोटी	106	5.450	7200	
27	बैतूल	बैतूल	कुम्हारिया	1	0.700	10800	
28	बैतूल	बैतूल	भीलावाड़ी	97	0.800	9100	
29	बैतूल	बैतूल	माथनी	78	0.860	9450	
30	बैतूल	आमला	सोनतलाई	1	9.330	9000	
31	बैतूल	आमला	बारछी	434, 308	5.520	10300	
32	बैतूल	आमला	जम्बाड़ा (बुजुर्ग)	217	0.700	2304	
33	बैतूल	भैंसदेही	रातामाटी	1	2.550	36000	

J. Pruja Bandhain

APPROVED

34	बैतूल	घोड़ाडोंगरी/ शाहपुर	दौड़ी/मालवर	1, 38	14.050	210000
35	बैतूल	घोड़ाडोंगरी/ शाहपुर	बांसपुर/शिवसागर/ गौनापुर	1, 1, 288, 266	24.970	272250
36	बैतूल	शाहपुर	गुवाड़ी	19	2.500	70200
37	बैतूल	शाहपुर	शाहपुर/पतौवापुरा	1, 112	11.000	198000
38	बैतूल	शाहपुर	सितालडिरी	1	0.700	5625
39	बैतूल	घिघोली	सांगवानी	20	5.080	30064
40	बैतूल	घिघोली	डरन्या	1, 9	5.590	44000
41	बैतूल	घिघोली	खपरिया	18	3.000	32500
42	बैतूल	घिघोली	बल्लौर	162	3.000	35000
43	बैतूल	शाहपुर	टांगनामाल	209	4.000	42000
44	बैतूल	शाहपुर	धामन्या	1	5.000	38000
45	बैतूल	शाहपुर	घिखली पैयत	316	4.000	18000
46	बैतूल	शाहपुर	तेन्दूखेड़ा	119,114	5.000	22500
47	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	सिवनपाट	142	0.420	4200
				योग–	188.906	1561421

1	कुल चिंहित खदाने –	47
2	कुल अनुमानित क्षेत्रफल –	188.906 हे0
3	निविदा हेतु निर्धारित खदाने –	सम्पूर्ण बैतूल जिला
4	जिला समूह हेतु बिक्री योग्य निर्धारित मात्रा (वार्षिक) घनमीटर –	936852.6 (तेईस करोड़ बयालीस लाख तेरह हजार एक सौ पचास रूपये)
5	निविदाकार मेसर्स नेशनल एनर्जी ट्रेडिंग एण्ड सर्विसेज लिमिटेड	
6	पता–प्लॉट न. 7, बिन्दु सदन, 401 साई चंद्र कॉलोनी, ग्रीन स्पेस तुलसी, पुष्पलगुडा, मणिकोंडा, हैदराबाद, रंगारेड्डी, तेलंगाना – 500089	
7	स्वीकृत ऑफर मूल्य रूपये –	531195424.20 (तिरेपन करोड़ ग्यारह लाख पनचान्वे हजार चार सौ चौबीस रुपये बीस पैसे मात्र)
8	प्राप्त दर के अनुसार प्रति घनमीटर देय राशि (रायल्टी सहित)	567.00 (पांच सौ छड़सठ रूपये प्रति घनमीटर)
9	जमा EMD राशि रूपये –	58553288 (पांच करोड़ पच्यासी लाख तिरेपन हजार दो सौ अट्ठासी रुपये)
10	शेष जमा राशि रूपये (265597712.10 – 58553288) ऑफर मूल्य का 50 प्रतिशत – निविदा की ईएमडी राशि	207044424.10 (बीस करोड़ सत्तर लाख चौव्यालीस हजार चार सौ चौबीस रूपये दस पैसे मात्र)
11	बिन्दु क्रमांक 10 की राशि जमा दिनांक एवं भुगतान विवरण –	21.12.2022 RTGS

नोट :–2. निविदा प्रपत्र की कंडिका– 10 (ख) –परिशिष्ट–1 में समूह में सम्मिलित समस्त रेत खदानों का विवरण, खदान का अनुमानित क्षेत्रफल एवं खदान में उपलब्ध अनुमानित मात्रा दर्शित है। ठेकेदार द्वारा जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (डी.एस.आर.) द्वारा अनुमोदित मात्रा तक ही खनन किया जा सकेगा। यह अनिवार्य नहीं होगा कि वह समूह में सम्मिलित प्रत्येक खदान की परिशिष्ट–1 में दर्शित मात्रा हेतु, वैधानिक अनुमतियाँ प्राप्त कर खदानें संचालित करें। अर्थात निविदत्त मात्रा का खनन समूह में सम्मिलित कतिपय खदानों से, वैधानिक अनुमतियों के अधीन भी किया जा सकेगा।

APPROVED

कलेक्टर
जिला–बैतूल (म.प्र.)

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला–बैतूल (म.प्र.)

प्रारूप–तीन

(नियम 11(3) एवं 11(5) देखिए)

आशय–पत्र

क्रमांक/रेत/2022/1862 बैतूल, दिनांक 23/12/2022

प्रति,

मेसर्स नेशनल एनर्जी ट्रेडिंग एण्ड सर्विसेज लिमिटेड
पता–प्लॉट न. 7, बिन्दु सदन, 401 सांई चंद्र कॉलोनी,
ग्रीन स्पेस तुलसी, पुप्पलगुडा, मणिकोंडा, हैदराबाद,
रंगारेड्डी, तेलंगाना–500089

विषय :– ई–निविदा क्रमांक 1691 दिनांक 17.11.2022 के संदर्भ में ग्राम **(सूची अनुसार)** तहसील **(सूची अनुसार)** जिला **बैतूल** रकबा **(सूची अनुसार)** हेक्टेयर क्षेत्र की खदान समूह क्रमांक **(संपूर्ण बैतूल जिला)** रेत खदानों हेतु आशय–पत्र।

––00––

1. **पृष्ठभूमि :**

1.1 मध्यप्रदेश रेत (खनन, परिवहन, भण्डारण एवं व्यापार) नियम 2019 (यथा संशोधित) के अनुसरण में कलेक्टर जिला बैतूल द्वारा मध्यप्रदेश के जिला बैतूल स्थित समूह खदान के समूह क्रमांक **(संपूर्ण बैतूल जिला)** हेतु रेत की समूह खदानों के प्रदान के लिए निविदा प्रक्रिया को प्रारंभ करने के लिए ई–निविदा सूचना दिनांक **17.11.2022** जारी की गई। ई–निविदा प्रक्रिया उक्त नियमों के नियम 8 के अनुसार उक्त रेत समूह आबंटन हेतु संचालित की जाकर मेसर्स **नेशनल एनर्जी ट्रेडिंग एण्ड सर्विसेज लिमिटेड** को उक्त नियमों के नियम 8(8) के अधीन उच्चतम सफल निविदाकार के रूप में घोषित किया गया है।

1.2 उक्त नियमों के नियम 11 के अधीन तथा उक्त समूह खदान के लिए निविदा दस्तावेज के अधीन अपेक्षित किए गए अनुसार मेसर्स **नेशनल एनर्जी ट्रेडिंग एण्ड सर्विसेज लिमिटेड** ने प्ररक्षित मूल्य के 25 प्रतिशत राशि रकम रूपये **5,85,53,288/–(पांच करोड़ पच्यासी लाख तिरेपन हजार दो सौ अट्ठासी रूपये)** अग्रिम धन (ईएमडी) के रूप में एम.पी. टेंडर के माध्यम से जो दिनांक **02.12.2022** को जमा कर दी है तथा जो दिनांक 23/12/2022 को संचालक के पूल खाते में प्राप्त हुई है।

2. **परिणामस्वरूप आशय पत्र जारी किया जाना :**

उक्त नियमों के नियम 11(3) एवं 11(5) के अनुसरण में समूह क्रमांक **(संपूर्ण बैतूल जिला)** मेसर्स **नेशनल एनर्जी ट्रेडिंग एण्ड सर्विसेज लिमिटेड** के पक्ष में 30 जून 2023 अवधि हेतु रेत खनिज की खदानों के समूह के लिए ग्राम **(सूची अनुसार)** जिला **बैतूल** में रकबा **(सूची अनुसार)** (हेक्टेयर) क्षेत्र के लिए यह आशय पत्र जारी किया जाता है।

Pavijabandhan APPROVED.

3. **शर्तें :**

3.1 यह आशय पत्र तथा इसके पूर्वोक्ति खदान समूह का अनुवर्ती आबंटन इन नियमों के समय–समय पर यथा संशोधित उपंबधों के अध्यधीन होगा तथा मेसर्स **नेशनल एनर्जी ट्रेडिंग एण्ड सर्विसेज लिमिटेड** को "उच्चतम सफल निविदाकार" के रूप में घोषित किया जाता है तथा इन नियमों के अधीन समस्त अपेक्षाओं की संतोषजनक पूर्ति पर पश्चातवर्ती रूप से आबंटित खदान समूह का आबंटन किया जाएगा।

3.2 संदर्भ हेतु मेसर्स **नेशनल एनर्जी ट्रेडिंग एण्ड सर्विसेज लिमिटेड** के "उच्चतम सफल निविदाकार" के रूप में घोषित किए जाने तथा समूह खदानों के पश्चातवर्ती आबंटन है, के लिए अपेक्षाओं को नीचे दोहराया गया है। यह स्पष्ट किया जाता है कि अधोवर्णित अपेक्षाएं मात्र संदर्भ के लिए है तथा उक्त नियमों में किसी परिवर्तन की स्थिति में, यथास्थिति, संशोधित नियमों के अधीन अपेक्षाएं लागू होंगी।

(क) **"उच्चतम सफल निविदाकार" के रूप में घोषणा :–**

मेसर्स **नेशनल एनर्जी ट्रेडिंग एण्ड सर्विसेज लिमिटेड** को "उच्चतम सफल निविदाकार" मान्य किया जावेगा, बशर्ते :–

(एक) नियमों के निबंधनों तथा शर्तों का अनुपालन किया गया हो;

(दो) नियमानुसार वार्षिक ठेका राशि की 50 प्रतिशत रकम का भुगतान कर दिया गया हो;

(तीन) उक्त नियमों के नियम 12 के उप नियम (1) से उप नियम (6) में विनिर्दिष्ट खनन योजना एवं अन्य कानूनी अनुपालनों के संबंध में शर्तों को पूरा किया गया हो।

(ख) **ठेका अनुबंध का निष्पादन :–**

समस्त कानूनी अनुज्ञाओं, अनुमोदन, अनुज्ञा, अनापत्ति एवं सदृश, जो कि खनन संक्रिया प्रारंभ करने के लिए प्रयोज्य विधियों के अधीन अपेक्षित हो, प्राप्त करने के उपरांत मेसर्स **नेशनल एनर्जी ट्रेडिंग एण्ड सर्विसेज लिमिटेड** एवं बैतूल जिले के कलेक्टर के साथ प्रारूप 5 में पृथक–पृथक खदानवार ठेका अनुबंध का निष्पादन कराया जायेगा। अनुबंध निष्पादन की औपचारिकताऐं पूर्ण होने पर ठेका अनुबंध का भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का क्रमांक 16) के उपबंधों के अधीन पंजीयन कराया जायेगा।

(ग) **समूह खदानों की खनन संक्रिया :–**

अनुबंध निष्पादन के पश्चात मेसर्स **नेशनल एनर्जी ट्रेडिंग एण्ड सर्विसेज लिमिटेड** किश्तों का नियमित रूप से भुगतान करेंगें तथा नियमित खनन संक्रियायें जारी रखेंगें।

APPROVED

J. Ruija Bandhaya

3.3 यह आशय पत्र नियमानुसार प्रगणित की गई 30 जून 2023 की कालावधि के लिए विधिमान्य है। समय–सीमा के भीतर समस्त शर्तों की पूर्ति की जानी चाहिए एवं मेसर्स **नेशनल एनर्जी ट्रेडिंग एण्ड सर्विसेज लिमिटेड** एवं बैतूल जिले के कलेक्टर के मध्य ठेका अनुबंध निष्पादित किया जाना चाहिए। उच्चतम सफल निविदाकार के नियंत्रण से परे किन्हीं कारणों से ठेका अनुबंध के निष्पादन में विलंब होने की स्थिति में, समय–सीना में वृद्धि करने के लिए वह कलेक्टर को आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकेगा। उपरोक्त समस्त अथवा किन्हीं शर्तों के अनुपालन के लिए कलेक्टर अधिकतम 10 दिवस की अवधि बढ़ा सकेगा।

निविदाकार कम्पनी की ओर से प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षर उपरांत उक्त आशय पत्र की द्वितीय प्रति 07 दिवस की अवधि के भीतर अधोहस्ताक्षरी को स्वीकार्य पावती के रूप में वापस करने योग्य होगी।

संलग्न– समूह की खदानों का विवरण
एवं राशि की जानकारी।

कलेक्टर
जिला–बैतूल (म.प्र.)

पृ0क्रमांक/रेत/2022/1862 बैतूल, दिनांक 23/12/2022

प्रतिलिपि :–

1– प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2– प्रमुख सचिव, नगरीय प्रशासन एवं पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3– सदस्य सचिव, सिया पर्यावास परिसर ई–5 अरेरा कालोनी, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4– कार्यपालक संचालक, दि मध्य प्रदेश स्टेट माईनिग कार्पोरेशन लिमिटेड भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5– संचालक, संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, 29–ए अरेरा हिल्स, म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ।
6– क्षेत्रीय अधिकारी, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड छिन्दवाड़ा की ओर सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित।
7– अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) समस्त जिला बैतूल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
8– तहसीलदार तहसील समस्त जिला बैतूल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
9– खनि निरीक्षक जिला बैतूल की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।

कलेक्टर
जिला–बैतूल (म.प्र.)

APPROVED
J. Renja Bandhare

ई–निविदा में सम्मिलित खदानों एवं राशि का विवरण

जिला – बैतूल

क्र.	जिला	तहसील	ग्राम	खसरा क्रमांक	रकबा हेक्टेयर में	रेत का अनुमानित भण्डार (घनमीटर में)	अनुमानित दर का मूल्य (रूपये 250 प्रति घनमीटर + अन्य कर अतिरिक्त)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	लोनिया	179	1.115	25000	
2	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	फुलबेरिया	407	2.500	12750	
3	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	झाड़कुण्ड	1	0.950	7200	
4	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	चिखली आमढाना	219, 341	7.730	50000	
5	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	घोड़ाडोंगरी	373, 1395	7.000	20663	
6	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	आमढाना रैयत	248,141, 130	6.090	35700	
7	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	गांधीग्राम	2	0.550	13500	
8	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	नांदू	91	2.900	22500	
9	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	बाकुड	35	2.700	21875	
10	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	बरेलीपार/ घोड़ाडोंगरी	63	0.360	9000	
11	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	कचलोरा–1	67	0.100	2000	
12	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	कचलोरा–2	98	0.170	3570	
13	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	कचलोरा–3	69	0.340	9500	
14	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	आमढाना रैयत–1	79	0.350	8050	
15	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	आमढाना रैयत–2	175	0.340	6120	
16	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	आमढाना रैयत–3	178	0.620	13750	23,42,13,150/-
17	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	झोली–1	99	5.000	26000	
18	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	झोली–2	10	4.000	12000	
19	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	सातलदेही	187, 251	8.000	38500	
20	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	धरमपुर	309	6.000	7500	
21	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	बटकीढोह	112, 349	1.000	15000	
22	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	विष्णुपुर	1	2.000	30000	
23	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	चिचडोल रैयत	30	8.000	25000	
24	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	कटंगी	148	0.621	4000	
25	बैतूल	बैतूल	डहरगांव/भयावाड़ी	68, 260	6.250	25750	
26	बैतूल	बैतूल	कोदारोटी	106	5.450	7200	
27	बैतूल	बैतूल	कुम्हारिया	1	0.700	10800	
28	बैतूल	बैतूल	भीलावाड़ी	97	0.800	9100	
29	बैतूल	बैतूल	माथनी	78	0.860	9450	
30	बैतूल	आमला	सोनतलाई	1	9.330	9000	
31	बैतूल	आमला	बारछी	434, 308	5.520	10300	
32	बैतूल	आमला	जम्बाड़ा (बुजुर्ग)	217	0.700	2304	
33	बैतूल	भैंसदेही	रातामाटी	1	2.550	36000	

APPROVED

Pooja Bandhare

34	बैतूल	घोड़ाडोंगरी / शाहपुर	दौड़ी / मालवर	1, 38	14.050	210000
35	बैतूल	घोड़ाडोंगरी / शाहपुर	बांसपुर / शिवसागर / गौनापुर	1, 1, 288, 266	24.970	272250
36	बैतूल	शाहपुर	मुवाड़ी	19	2.500	70200
37	बैतूल	शाहपुर	शाहपुर / फतौवापुरा	1, 112	11.000	198000
38	बैतूल	शाहपुर	सितलाझिरी	1	0.700	5625
39	बैतूल	चिचोली	सागवानी	20	5.080	30064
40	बैतूल	चिचोली	हरन्या	1, 9	5.590	44000
41	बैतूल	चिचोली	खपरिया	18	3.000	32500
42	बैतूल	चिचोली	बल्लौर	162	3.000	35000
43	बैतूल	शाहपुर	टांगनामाल	209	4.000	42000
44	बैतूल	शाहपुर	धानन्या	1	5.000	38000
45	बैतूल	शाहपुर	घिखली रैयत	316	4.000	18000
46	बैतूल	शाहपुर	तेन्दूखेड़ा	119,114	5.000	22500
47	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	सिवनघाट	142	0.420	4200
				योग–	188.906	1561421

1	कुल निहित खदाने –	47
2	कुल अनुमानित क्षेत्रफल –	188.906 हे0
3	निविदा हेतु निर्धारित खदाने –	सम्पूर्ण बैतूल जिला
4	जिला समूह हेतु बिक्री योग्य निर्धारित मात्रा (वार्षिक) घनमीटर –	936852.6 (तेईस करोड़ बयालीस लाख तेरह हजार एक सौ पचास रूपये)
5	निविदाकार मेसर्स नेशनल एनर्जी ट्रेडिंग एण्ड सर्विसेज लिमिटेड	
6	पता–प्लॉट न. 7, बिन्दु सदन, 401 साई चंद्र कॉलोनी, ग्रीन स्पेस तुलसी, पुष्पलगुडा, मणिकोंडा, हैदराबाद, रंगारेड्डी, तेलंगाना – 500089	
7	स्वीकृत ऑफर मूल्य रूपये –	531195424.20 (तिरेपन करोड़ ग्यारह लाख पनचान्वे हजार चार सौ चौबीस रूपये बीस पैसे मात्र)
8	प्राप्त दर के अनुसार प्रति घनमीटर देय राशि (रायल्टी सहित)	567.00 (पांच सौ छड़सठ रूपये प्रति घनमीटर)
9	जमा EMD राशि रूपये –	58553288 (पांच करोड़ पच्यासी लाख तिरेपन हजार दो सौ अट्ठासी रूपये)
10	शेष जमा राशि रूपये (266597712.10 – 58553288) ऑफर मूल्य का 50 प्रतिशत – निविदा की ईएमडी राशि	207044424.10 (बीस करोड़ सत्तर लाख चौव्यालीस हजार चार सौ चौबीस रूपये दस पैसे मात्र)
11	बिन्दु क्रमांक 10 की राशि जमा दिनांक एवं भुगतान विवरण –	21.12.2022 RTGS

नोट :–2. निविदा प्रपत्र की कंडिका– 10 (ख) –परिशिष्ट–1 में समूह में सम्मिलित समस्त रेत खदानों का विवरण, खदान का अनुमानित क्षेत्रफल एवं खदान में उपलब्ध अनुमानित मात्रा दर्शित है। ठेकेदार द्वारा जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (डी.एस.आर.) द्वारा अनुमोदित मात्रा तक ही खनन किया जा सकेगा। यह अनिवार्य नहीं होगा कि वह समूह में सम्मिलित प्रत्येक खदान की परिशिष्ट–1 में दर्शित मात्रा हेतु, वैधानिक अनुमतियाँ प्राप्त कर खदानें संचालित करें। अर्थात निविदत्त मात्रा का खनन समूह में सम्मिलित कतिपय खदानों से, वैधानिक अनुमतियों के अधीन भी किया जा सकेगा।

APPROVED

T. Pruja Bandhab

कलेक्टर
जिला–बैतूल (म.प्र.)

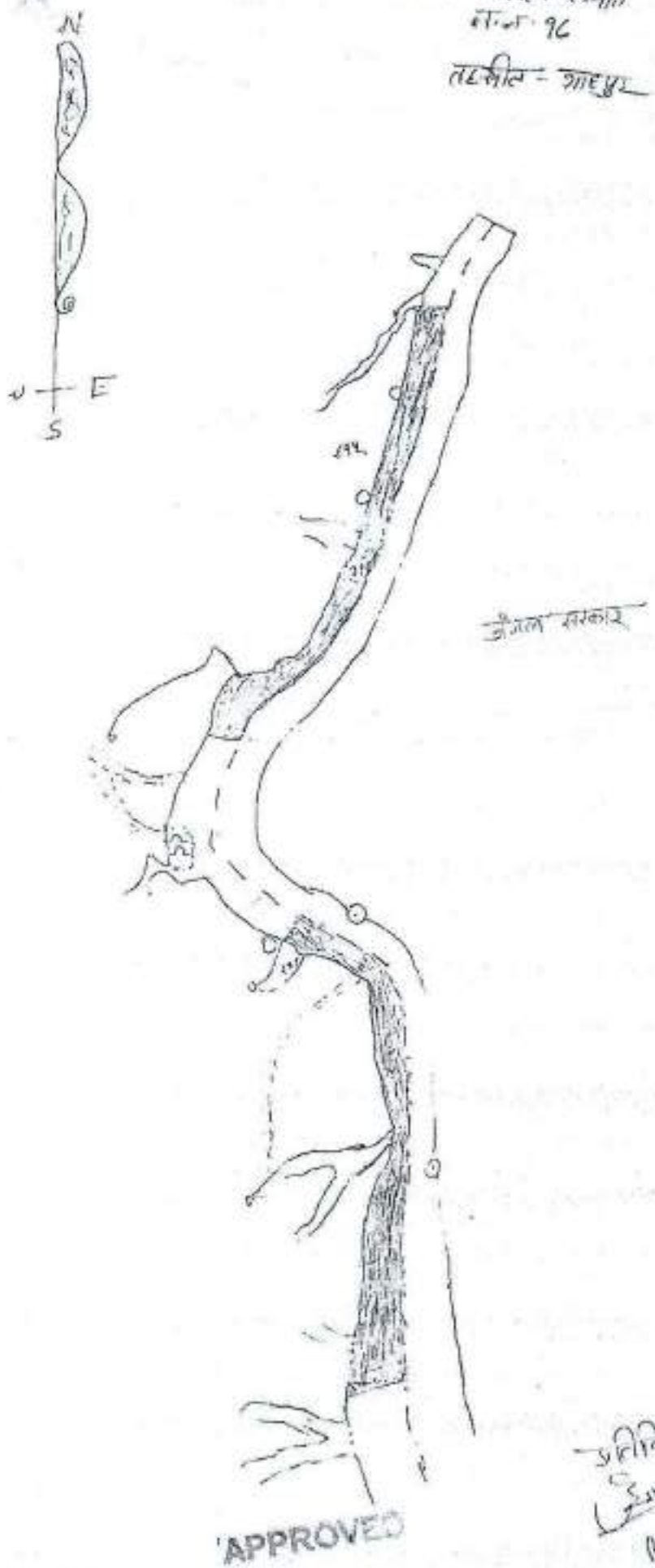

'APPROVED

Priya Banahan

ENVIRONMENTAL PLAN

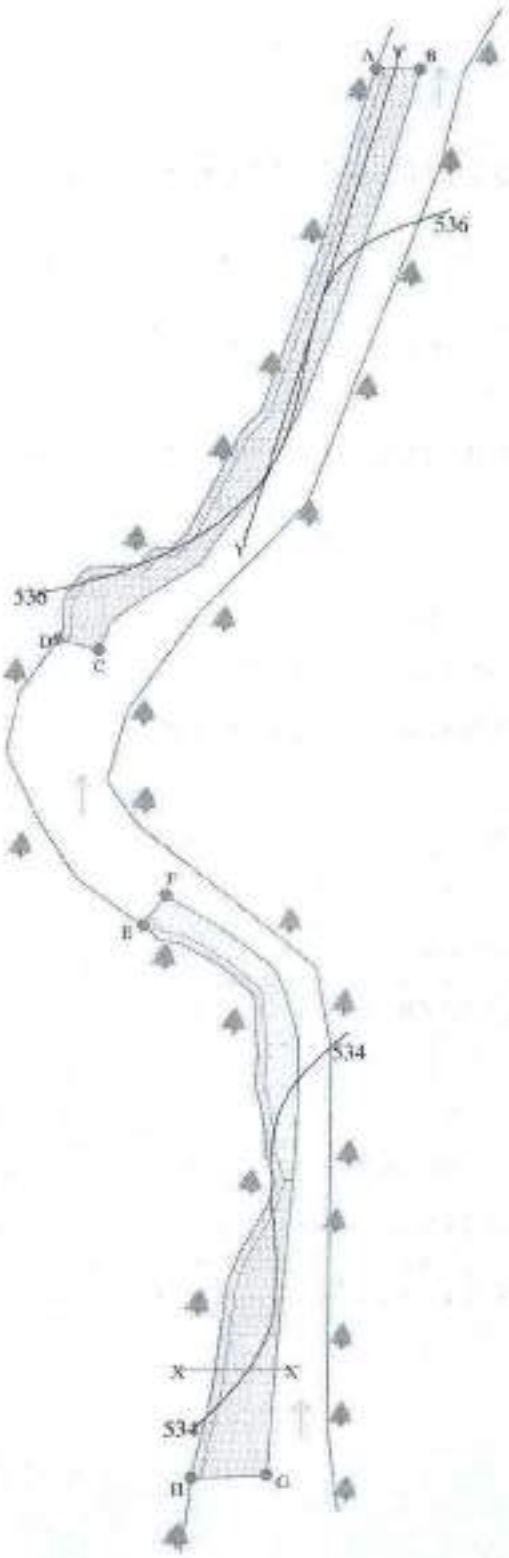

INDEX	
PARTICULARS	SYMBOLS
LEASE BOUNDARY	
RIVER BOUNDARY	
CONTOUR	536
BOUNDARY POINTS	
SECTION LINE	
SAND	
WATER	
FLOW DIRECTION	
PLANTATION	

SYED IQTADAR [illegible]
RQP/DGMMPI211/2019-24

AREA DETAILS	APPLICANT:
QUARRY AREA - 4 HA. QUARRY SURVEY NO. - 316 QUARRY VILLAGE-CHIKHALI RAIYAT TEHSIL- SHAHPOR, DISTRICT - [illegible]	M/s National Energy Trading and Services Address: Plot No 7, Bindu Sadan, 401 Sai Chandra Colony, Green Space Tulasi, Puppalguda, Manikonda, Hyderabad, Telangana State, India

APPROVED

J. Pooja Bandhavi

SURFACE PLAN & GEOLOGICAL PLAN

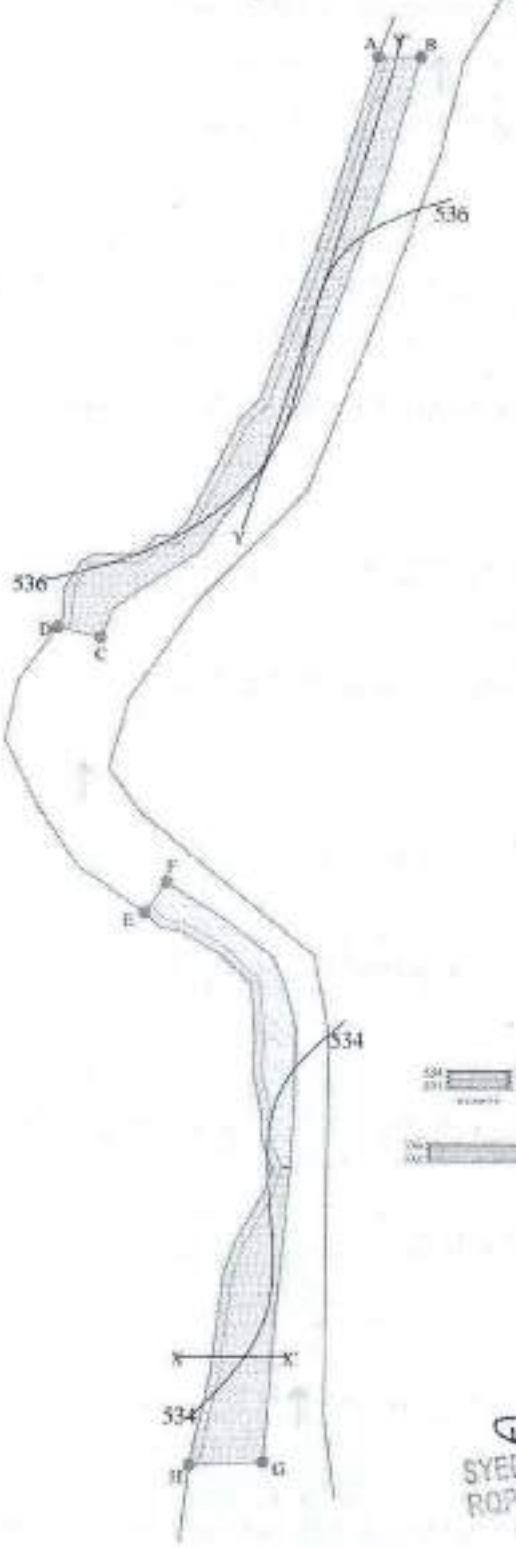

APPROVED

COLLECTOR
BETUL

INDEX	
PARTICULARS	SYMBOLS
LEASE BOUNDARY	
RIVER BOUNDARY	
CONTOUR	536
BOUNDARY POINTS	
SECTION LINE	
SAND	
WATER	
FLOW DIRECTION	

CO-ORDINATE		
A.	22°07'31.53"N	77°39'54.79"E
B.	22°07'31.42"N	77°39'55.89"E
C.	22°07'14.81"N	77°39'47.06"E
D.	22°07'15.08"N	77°39'45.79"E
E.	22°07'7.09"N	77°39'46.29"E
F.	22°07'7.25"N	77°39'48.88"E
G.	22°07'51.21"N	77°39'51.70"E
H.	22°07'51.10"N	77°39'50.17"E

SYED IQTADAR TANWEER
ROP/DGM/MP/211/2019-24

AREA DETAILS	APPLICANT:
QUARRY AREA - 4 HA. QUARRY SURVEY NO. - 316 QUARRY VILLAGE- CHIKHALI RAIYAT TEHSIL- SHAHPOR, DISTRICT - BETUL (M.P.)	M/s National Energy Trading and Services Address: Plot No 7, Bindu Sadan, 401 Sai Chandra Colony, Green Space Tulasi, Puppalguda, Manikonda, Hyderabad, Telangana State, India

Thenja Bunahan

YEAR WISE DEVELOPMENT PLAN & SECTION

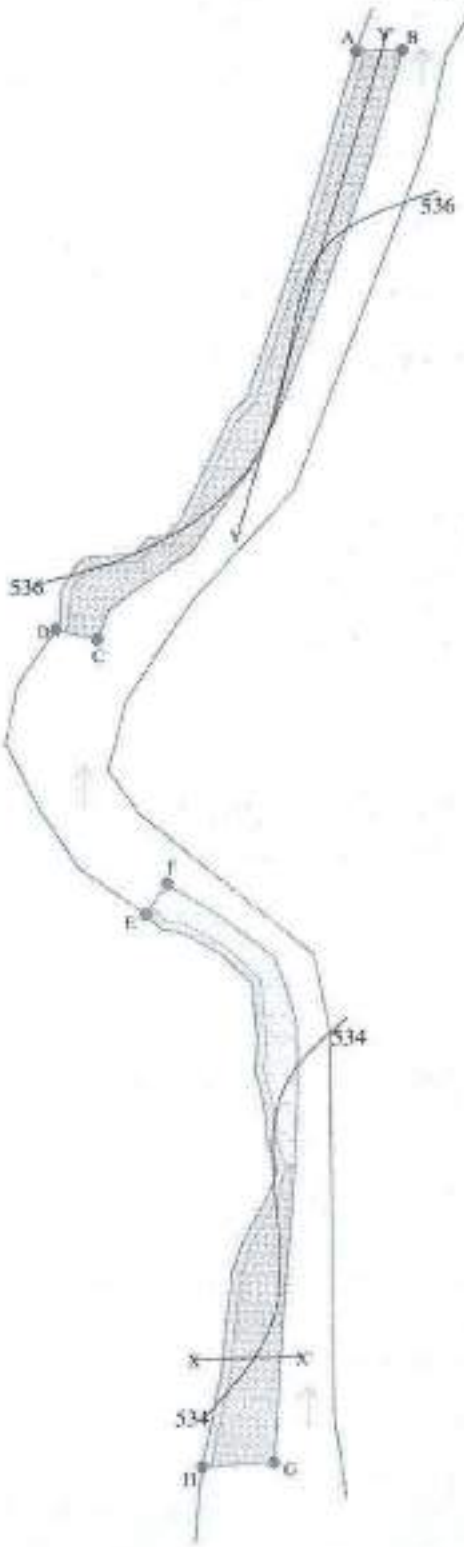

INDEX	
PARTICULARS	SYMBOLS
LEASE BOUNDARY	
RIVER BOUNDARY	
CONTOUR	536
BOUNDARY POINTS	
SECTION LINE	
SAND	
WATER	
FLOW DIRECTION	
YEAR WISE DEVELOPMENT	

SYED IQTADAR TANWEER
ROP/DGM/RP/211/2018-24

AREA DETAILS	APPLICANT:
QUARRY AREA - 4 HA. QUARRY SURVEY NO. - 316 QUARRY VILLAGE-CHIKHALI RAIYAT TEHSIL- SHAHPOR, DISTRICT - BETUL (M.P.)	M/s National Energy Trading and Services Address: Plot No 7, Bindu Sadan, 401 Sai Chandra Colony, Green Space Tulasi, Puppalguda, Manikonda, Hyderabad, Telangana State, India

APPROVED

J. Bruja Bondhas

YEARLY MONSOON WISE PLATE & SECTION

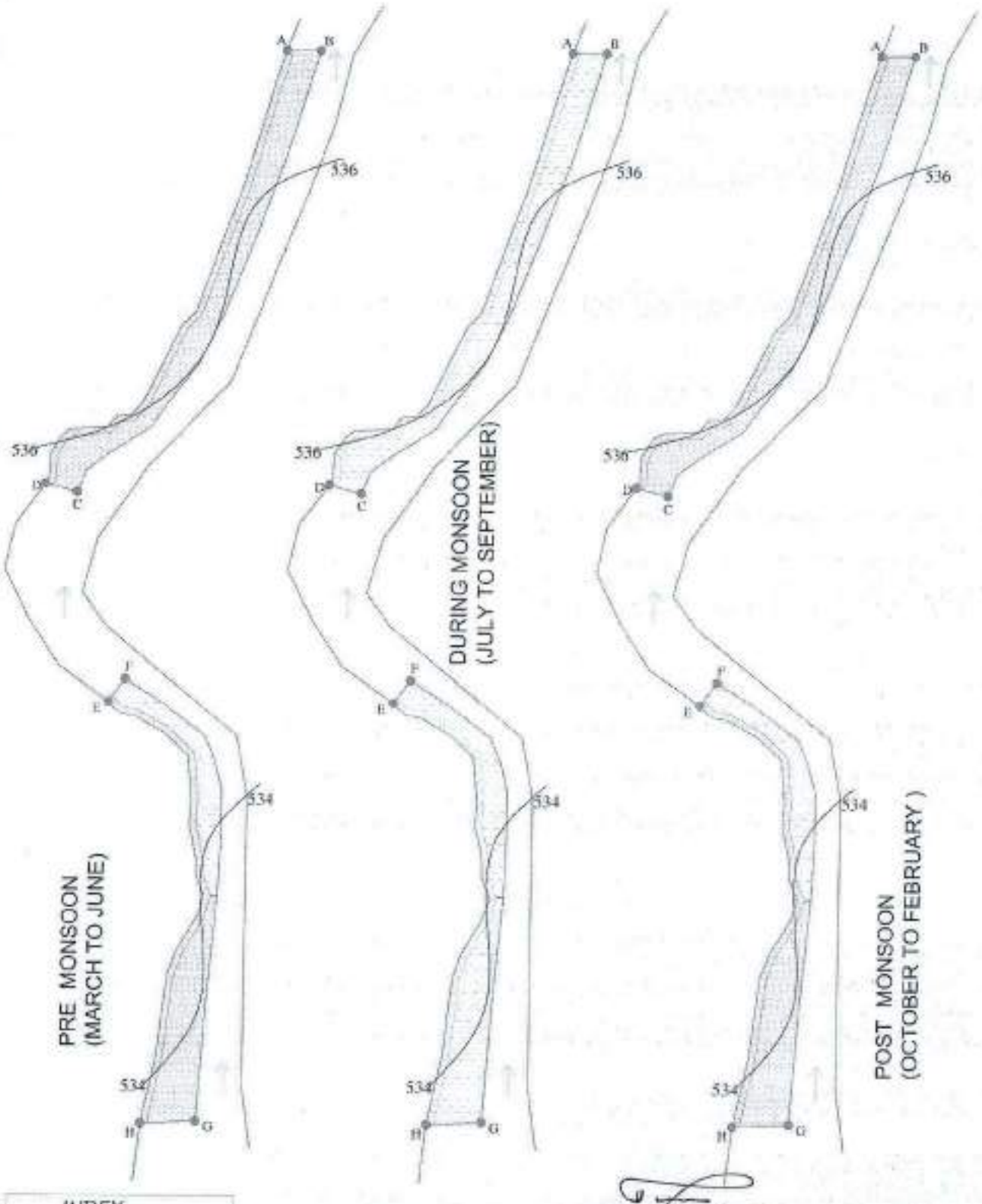

INDEX	
PARTICULARS	SYMBOLS
LEASE BOUNDARY	
RIVER BOUNDARY	
SAND	
WATER	

SYED IQTADAR TANVEER
ROP/DGMM/P/211/2019-21

AREA DETAILS	APPLICANT:
QUARRY AREA - 4 HA. QUARRY SURVEY NO. - 316 QUARRY VILLAGE-CHIKHALI RAIYAT TEHSIL- SHAHPOR, DISTRICT - BETUL (M.P.)	M/s National Energy Trading and Services Address: Plot No 7, Bindu Sadan, 401 Sai Chandra Colony, Green Space Tulasi, Puppalguda, Manikonda, Hyderabad, Telangana State, India

APPROVED

J. Pruja Bandhavi

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बैतूल

Email-modgmbet@mp.gov.in

क्रमांक/खनिज–2/2022/1914 बैतूल, दिनांक 29/12/2022

प्रति,

मेसर्स नेशनल एनर्जी ट्रेडिंग एण्ड सर्विसेज लिमिटेड
पता–प्लॉट न. 7, बिन्दु सदन, 401 सांई चंद्र कॉलोनी,
ग्रीन स्पेस तुलसी, पुष्पलगुडा, गणिकोंडा, हैदराबाद,
रंगारेड्डी, तेलंगाना–500089

विषयः– रेत खनिज के सफल निविदाकार की खनन योजना का अनुमोदन करने बाबत्।
संदर्भः– आपका का पत्र क्रमांक NETS/SMD/B/22-23/003-014 दिनांक 27.12.2022

—00—

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा प्रस्तुत 12 रेत खनन योजनाओं को मध्यप्रदेश रेत (खनन, परिवहन, भण्डारण एवं व्यापार) नियम 2019 के नियम 12 (ग) के अन्तर्गत अनुमोदित किया जाता है। जिसका विवरण निम्नानुसार हैः–

क्र.	तहसील	खदान का नाम	खसरा क्र.	रकबा (.है)	माईनिंग प्लान अनुमोदित मात्रा (घ.मी.)
1	बैतूल	कुम्हारिया	1	0.700	6480
2	घोडाडोंगरी	नान्दू	91	2.900	13500
3	घोडाडोंगरी	चिचड़ोल रैयत	30	8.000	15000
4	शाहपुर	धामन्या	1	5.000	22800
5	घोडाडोंगरी	कचलोरा -3	69	0.340	5700
6	घोडाडोंगरी	आमढाना रैयत-3	178	0.620	8250
7	घोडाडोंगरी	विष्णुपुर	1	2.000	18000
8	घोडाडोंगरी	झोली-1	99	5.000	15600
9	विचोली	बल्लोर	162	3.000	21000
10	विचोली	खपरिया	18	3.000	19500
11	शाहपुर	टॉगनामल	209	4.000	25200
12	शाहपुर	चिकली रैयत	316	4.000	10800

उक्त खनन योजनाओं का अनुमोदन इस शर्त पर किया जाता है कि निविदाकार मध्यप्रदेश रेत (खनन, परिवहन, भण्डारण एवं व्यापार) नियम 2019 के प्रावधानों का पालन करेगा।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

कलेक्टर,
जिला–बैतूल

पृ0क्रमांक/खनिज–2/2022/1914 बैतूल, दिनांक 29/12/2022

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, 29–ए अरेरा हिल्स, म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3. सदस्य सचिव, सिया पर्यावास परिसर ई–5 अरेरा कालोनी, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित।

कलेक्टर,
जिला–बैतूल

MINING PLAN

SUBMITTED AS PROVISIONS OF RULE 12 (1) MADHYA PRADESH SAND RULE 2019 (MINING, TRANSPORTATION, STORAGE AND TRADING)

NANDU SAND MINE

AREA: 2.90 HECTARES, KHASRA NO: 91

VILLAGE: NANDU, TEHSIL: GHODADONGRI, DISTRICT: BETUL

(MADHYA PRADESH)

APPLICANT

M/S NATIONAL ENERGY TRADING AND SERVICES LIMITED,

PLOT NO 7, BINDU SADAN, 401 SAI CHANDRA COLONY, GREEN SPACE TULASI,

PUPPALGUDA, MANIKONDA, HYDERABAD, TELANGANA STATE, INDIA

TYPE AND CATEGORY OF MINE: OPENCAST/SEMI MECHANISED

PREPARED BY

SYED IQTADAR TANWEER

G-3 BALAJI, BRIGHT COLONY, IDGAH HILLS,

BHOPAL (M.P.)

REGISTRATION NO: RQP/DGMMP/211/2019-24

EMAIL: si_tanweer@yahoo.co.in, MOB: 882795300

APPROVED

COLLECTOR
BETUL

J. Priya Bandhrah

SYED IQTADAR TANWEER
RQP/DGMMP/211/2019-24

CONSENT LETTER

Revised Mining Plan of Nandu Sand Mine, Village Nandu (2.90 ha) has been prepared by RQP Shri Syed Iqtadar Tanweer (RQP No DGMMP/211/2019-24) under Madhya Pradesh Minor Mineral Rules, 1996 for approval. The lease hold area is located in Village- Nandu, Tehsil - Ghodadongri, District - Betul, MP. covering an area of 2.90 hectares.

The Director Geology and Mining, Madhya Pradesh, competent Authority is hereby requested to make further correspondence regarding this Mining Plan with the person and address mentioned below-

SYED IATADAR TANWEER
Recognized Qualified Person (RQP NO: RQP/DGMMP/211/2019-24)

G-3 Balaji, Bright Colony, Idgah Hills,

Bhopal (M.P.)
Email: si_tanweer@yahoo.co.in

Mob: 882795300

An undertaking in this regard is being submitted that the Mining Plan so prepared by the recognized person is with my knowledge and consent and shall be acceptable to me in all respects. I have clearly understood the contents of the Mining Plan and agree to implement.

Place: Betul

Date:

J. Priya Sundhar

M/s National Energy Trading and Services Ltd.
Address: Plot No 7, Bindu Sadan, 401 Sai Chandra Colony, Green Space Tulasi, Puppalguda, Manikonda, Hyderabad, Telangana State, India

APPROVED

CERTIFICAE FOR FULL CONSULTATION

This is to certify that Revised Mining Plan of Nandu Sand Mine in village Nandu of the applicant M/s National Energy Trading and Services Ltd., Village- Nandu, Tehsil - Ghodadongri, District - Betul of Madhya Pradesh State covering lease hold area 2.90 hectares has been prepared by RQP Shri Syed Iqtadar Tanweer (RQP No: RQP/DGMJMP/211/2019-24), in full consultation with me and I have understood its contents and agree to implement the same in accordance with the law.

Place: Betul

Date:

J. Pruja Bandhard

M/s National Energy Trading and Services Ltd.

Address: Plot No 7, Bindu Sadan, 401 Sai Chandra Colony, Green Space Tulasi, Puppalguda, Manikonda, Hyderabad, Telangana State, India

J. Pruja Bandhard

APPROVED

CERTIFICATE OF COMPLIANCE AND CORRECTNESS

- *Certified that the provisions of related Act and rules have been considered in the Revised Mining Plan of Nandu Sand Mine in village Nandu, area of 2.90 in Tehsil - Ghodadongri, District- Betul of Madhya Pradesh State, which belongs to the applicant M/s National Energy Trading and Services Ltd.*

- *Certified further that the provisions mentioned in Act, Rules and Regulations have been considered in the Mine Plan and wherever specific permissions are required, the applicant will approach to the concerned competent authorities including D.G.M.S. for the same.*

- *There is no violation against provision of Rules, Regulations of MMR, 1961 and there is no danger to human life.*

- *The information furnished in the Mine Plan is true and correct to the best of our knowledge.*

Place: Bhopal

Date:

Syed Iqtadar Tanweer

(RQP No: RQP/DGMJMP/211/2019-24)

SYED IQTADAR TANWEER
RQP/DGMMP/211/2019-24

J.P. Mujabandhan

APPROVED

संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म मध्यप्रदेश

(मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम, 1996 के अंतर्गत)
खनन योजना / खनन स्कीम / पूर्वेक्षण रिपोर्ट / पर्यावरण प्रबंधन योजना / माईन क्लोजर प्लान बनाने हेतु मान्यता प्राप्त योग्य व्यक्ति

प्रमाण पत्र

श्री सैयद इक्तेदार तनवीर, पिता स्व. डॉ. कासिम नयाजी, पता जी–3, बालाजी, ब्राईट कालोनी, ईदगाह हिल्स, भोपाल, मध्यप्रदेश, जिनकी फोटो तथा हस्ताक्षर अभिप्रमाणित है, को मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम 1996 के अंतर्गत खनन योजना / खनन स्कीम / पूर्वेक्षण रिपोर्ट / पर्यावरण प्रबंधन योजना / माईन क्लोजर प्लान तैयार करने हेतु योग्य व्यक्ति के रूप में मान्यता प्रदान करते हुए पंजीयन क्रमांक **RQP/DGMMP/211/2019** आवंटित किया जाता है।

यह मान्यता प्रमाण पत्र 05 वर्ष की अवधि के लिये दिनांक **04.08.2024** तक वैध रहेगा।

मान्यता प्राप्त व्यक्ति के हस्ताक्षर –

भोपाल, दिनांक 05.08.2019

संचालक
भौमिकी तथा खनिकर्म
मध्यप्रदेश भोपाल

J. Priya Randhawa

RQP CERTIFICATE

CONTENTS

1. INTRODUCTION 4
1.1 GENERAL INFORMATION 5
1.2 AREA DETAIL & APPROACHABILITY 6
2. LANDUSE / INFRASTRUCTURE 7
2.1 PRESENT LAND USE STATUS: 7
2.2 INFRASTRUCTURE 7
3. TOPOGRAPHY AND GEOLOGICAL DETAILS 9
3.1 TOPOGRAPHY 9
3.2 REGIONAL GEOLOGICAL DETAILS: 9
3.3 REGIONAL GEOLOGICAL SETUP/SEQUENCE: 10
3.4 LOCAL GEOLOGICAL DETAILS: 11
3.5 EXTENT OF RIVER BED & ALLUVIAL SAND DEPOSIT: 12
3.6 PROSPECTING AND EXPLORATION DONE: 12
4. ESTIMATION OF RESERVES: 14
5. DEVELOPMENT AND PRODUCTION PROGRAM 17
5.1 PROPOSED METHOD OF QUARRYING: 17
5.2 MECHANIZATION: 19
5.3 BLASTING: 19
5.4 LOADING AND TRANSPORTATION OF SAND: 20
5.5 MANPOWER DEPLOYMENT: 20
5.6 PROPOSED YEARLY PRODUCTION PROGRAM 21
5.7 MINE LIFE: 21
5.8 USE OF MINERAL: 21
6. CONCEPTUAL PLAN 22
7. ENVIRONMENTAL MANAGEMENT PLAN 23
7.1 AIR QUALITY MANAGEMENT: 23
7.2 WATER MANAGEMENT: 23
7.3 NOISE MANAGEMENT: 24
7.4 WASTE MANAGEMENT: 24
7.5 BIOLOGICAL ENVIRONMENT 24

Syed Iqtadar Tanweer
RQP/DGMMP/211/2019-24
APPROVED.
SYED IQTADAR TANWEER
RQP/DGMMP/211/2019-24

7.6 DISPOSAL OF MINING MACHINERIES:.....24
7.7 SAFETY AND SECURITY:.....25
7.8 DISASTER MANAGEMENT:.....25
7.9 CARE DURING TEMPORARY DISCONTINUANCE:.....25
7.10 ECONOMIC REPERCUSSION OF CLOSURE & MAN POWER RETRENCHMENT.....25
7.11 STATUS OF LOCAL EMPLOYEES:.....26
7.12 COMPENSATIONS:.....26
7.13 RECLAMATION & REHABILITATION:.....26
7.14 DISTANCE FROM THE NEAREST BRIDGE/DAM:.....26
7.15 SOCIO – ECONOMIC ENVIRONMENT:.....27
7.16 PLANTATION (AFORESTATION PROGRAM):.....27
8. PROGRESSIVE MINE CLOSUR PLAN.....28
9. SAND REPLENISHMENT ASSESSMENT.....29
9.1 NEGATIVE IMPACTS:.....29
9.2 POSITIVE IMPACTS:.....29
9.3 NEED FOR SAND REPLENISHMENT STUDY AND FACTORS TO BE CONSIDERED AND OBSERVED:.....29
9.3.1 WATER LEVEL DURING LEAN PERIOD:.....30
9.3.2 CATCHMENT AREA.....31
9.3.3 ORIGIN OF RIVER:.....31
9.3.4 DISTANCE OF TRAVELLING OF LOAD:.....31
9.3.5 SLOPE / GRADIENT / ELEVATION DIFFERENCE:.....31
9.3.6 GEOLOGY / LITHO UNITS:.....31
9.3.7 CLIMATIC CONDITIONS:.....31
9.3.8 TRIBUTARIES / CONFLUNCE:.....31
9.3.9 TYPE/STAGE OF RIVER AND FLOW VELOCITY:.....32
9.3.10 STRUCTURES:.....32
9.4 CONCLUSION:.....32

J Priya Sandhar

APPROVED

FIGURES

KEY PLAN

GOOGLE IMAGE

KHASRA MAP

PLATE 1- SURFACE PLAN AND GEOLOGICAL PLAN

PLATE 2- YEARWISE DEVELOPMENT PLAN AND SECTION

PLATE 3- ENVIRONMNETAL PLAN

PLATE4- YEARLY MONSOON WISE PLATE AND SECTION

ANNEXURES

SANCTION ORDER COPY

RQP CERTIFICATE

J Renja Bandhari

LESSEE/APPLICANT

M/s National Energy Trading and Services Ltd., Hyderabad

Syed Iqbalar Tanveer
RQP/DGMM/211/2018-2024

APPROVED

1. INTRODUCTION

The demand for ordinary natural river sand is enormously increased in building construction and infrastructural developments. The natural sand is started vanishing from the river beds besides causing natural and environmental hazards in surrounding areas due to illegal and unscientific mining without proper mining plan. Therefore, the government of India announced sand policy by fixing responsibility on related departments mainly Mines & Geology and Ministry of Environment and Forest (Pollution control boards). Accordingly, the Govt. of Madhya Pradesh formulated a natural sand policy to meet the sand demand in the state by undertaking systematic & scientific mining and protection of environment and by maintaining eco-balance in the surrounding areas by following the Govt. of India guidelines.

Based on the Government of India guidelines, this quarry plan is prepared for the proper development of mine area with safe quarrying operation. It also provides guidance and directives to be followed during the quarrying operation under the rules and regulations as imposed by the Government.

Mine has been allotted to National Energy Trading and Services Ltd., Address: Plot No 7, Bindu Sadan, 401 Sai Chandra Colony, Green Space Tulasi, Puppalguda, Manikonda, Hyderabad, Telangana State, India, over an area of 2.90 Hectares covering Khasra No 91, up to 30.06.2023 (As per Order No. 1862/Sand/2022, Betul, dated 23.12.2022).

In compliance to MP Sand (Mining transportation, Storage and Trading) Rule 2019 published in Gazette notification of Government of MP dated 30-08-2019 and as per the rule 42 of MP Minor Mineral Rules 1996, this Quarry plan is being prepared and submitted for approval to the Collector [Mining] Betul MP and quarrying operation start only after obtaining the statutory permission as per rule 14.

APPROVED

LESSEE/APPLICANT
M/s National Energy Trading and Services Ltd., Hyderabad

Syed Iqtedar Tanveer
RQ(DoGMM)/211/2019-2024

1.1 GENERAL INFORMATION

Name of Applicant	M/s National Energy Trading and Services Ltd
Address of Applicant	Address: Plot No 7, Bindu Sadan, 401 Sai Chandra Colony, Green Space Tulasi, Puppalguda, Manikonda, Hyderabad, Telangana State, India
Quarry Village	Nanadu
Name of the River	Nandu (a tributary of Tawa River)
Tehsil	Ghodadongri
District	Betul
State	Madhya Pradesh
Khasra No.	91
Area [Hectares]	2.90
Permitted Period	Up to 30.06.2023
Whether Recorded in Forest	Not recorded in any Reserved / Protected Forest Area
Status Of Applicant	Private Individual
Mineral (S) Which Applicant Intended to Mine	Sand
Sanction order Details Order No. & Date	As per Order No. 1862/Sand/2022, Betul, dated 23.12.2022
Ownership / Occupancy	Government Land, River Bed
R.Q.P. Address & Registration details/Mobile No	SYED IQTADAR TANWEER G-3 Balaji, Bright Colony, Idgah Hills, Bhopal (M.P.) Registration No: RQP/DGMMP/211/2019-24 Mob: 8827951780

J. Bhujabandarao
LESSEE/APPLICANT
M/s National Energy Trading and Services Ltd., Hyderabad

APPROVED

J. Bhujabandarao

Syed Iqtadar Tanweer
RQP/DGMMP/211/2019-2024

SYED IQTADAR TANWEER
RQP/DGMMP/211/2019-24

1.2 AREA DETAIL & APPROACHABILITY

Details Of Sanctioned Lease Area	Village	Nandu
	Tehsil	Ghodadongri
	District	Betul
	River	Nandu River (a tributary of Tawa)
	State	Madhya Pradesh
	Khasra No.	91
	Sanctioned Area	2.90 Hectares
Topo Sheet No.	55J/4	
Village Coordinates	22°01'47.43"N 77°58'50.50"E	
Site Co-ordinates (Latitude & Longitude)	1. 22°13'43.77"N77°59'16.44"E 2. 22° 1'48.98"N 77°59'14.19"E 3. 22° 2'12.73"N 77°59'21.63"E 4. 22° 2'13.14"N 77°59'21.16"E	
Approach & Accessibility	From Site	Approx. Distar
	District Head Quarter Betul towards SW	15 km
	Tehsil – Ghodadongri towards N	9 Km
	Village – Nandu - SW	1.0 Km
	Nearest Railway Station Betul Towards SW	16 Km
	SH-19B - SE	1 Km
	Health Centre (Village Nandu)	1.0 Km
	Nearest Bridge Towards SW	0.6 Km
	Monuments / Places of Social importance	None Nearby
	National Parks	Not within 10 Km
	Reserve Forest	Not within 250 m

APPROVED

J. Renja Bandhaka

LESSEE/APPLICANT

M/s National Energy Trading and Services Ltd., Hyderabad

J. Renja Bandhaka

Sajid Iqbal Tanveer
ROM/DGMM/211/2019-2024

2. LANDUSE / INFRASTRUCTURE

2.1 PRESENT LAND USE STATUS:

Sand Mining lease has been sanctioned for a period of up to 30.06.2023 over an area of 2.9 Hectares on a River Bed (Nandu a tributary of Tawa) for quarrying and transportation of sand. Quarrying & related activities shall be carried out from the top surface level.

Present land use status of the sanctioned area is as under:

Total Lease Area	**2.90 Ha**	**29,000M²**
Barrier Zone / Safety Strip	9,000 M²	
Area under water/ Non-Mining Area	2,600 M²	
Available Working Area	**17,400 M²**	

2.2 INFRASTRUCTURE

- **Power Supply** - Electrical Power is not available; Shall be arranged from the nearby supply line if required with proper NOC from concerning Department.

- **Communication & Transport** - Site is well connected with District Headquarter and other towns by road. Buses and private taxis are frequently available from district and Tehsil headquarters up to the village. Quarry site is approachable from village by private means.

- **Land** -Quarry lease area situated on river bed and is a non-forest government land.

- **Water Supply** - Dug wells and bore wells available in the vicinity to meet the requirement of drinking water. Water is potable & hygienic as no adverse effects noticed in habitants of nearby area.

- **School Facilities** - School facilities for primary education are available in the village Panchayat; Middle school or higher studies are present in District Headquarter Betul and Tehsil Ghodadongri.

APPROVED

J. Rujabandhara

LESSEE/APPLICANT
M/s National Energy Trading and Services Ltd., Hyderabad

J. Rujabandhara

Syed Iqtedar Tanveer
RQP/DGHM/211/2019-2024

- **Man Power** - Mine workers shall be arranged from nearby villages therefore no constraint regarding availability of manpower in the area.

There are no places of national and social importance exist within the radius of 500 m of mine site.

APPROVED

J. Pooja Banarase
LESSEE/APPLICANT
M/s National Energy Trading and Services Ltd., Hyderabad

Syed Iqtidar Tanveer
RQP/DGMM/211/2019-2024

3. TOPOGRAPHY AND GEOLOGICAL DETAILS

3.1 TOPOGRAPHY

The lease area falls in a River Bed (Nandu River). Since, the sand area falling partly at the non-active river bed, the general surface level of the lease area is undulating with negligible thorny bushes/shrubs and comparatively lower than the surroundings. The surface level of the mine lease is around 441-448 MSL. The drainage direction is towards northeast in the lease area.

Topography of the area has been derived due to alluvial deposition on the flood plains of Narmada River and its Rivulets. General slope of the lease area is from southeast to northwest. The drainage pattern in the area is dendritic.

3.2 REGIONAL GEOLOGICAL DETAILS:

The district has four district physiographic division viz (i) Satpura plateau in Tawa and Morand valleys (ii) The Satpura plateau in central and (iii) southern part of the district (iv) and Tapti valley. The whole district lies on Satpura plateau at an elevation of 365m above mean sea level. The general elevation is about 609m at Kilendeo form the highest peak in the northern and central parts of the district. Tawa valleys lies at on elevation of 396m amsl between peaks of Kilandeo and Bhogwangar, the general scope of the valley is towards the North West.

APPROVED

LESSEE/APPLICANT
M/S National Energy Trading and Services Ltd., Hyderabad

Govt Jubilee Terrace
RQP/DSNM/211/2019-2024

3.3 REGIONAL GEOLOGICAL SETUP/SEQUENCE:

Age	Lithounits	Rock types
Quaternary		Soil and alluvium
----------Unconformity----------		
U. Cretaceous to Eocene	Deccan Trap	Non-porphyritic and porphyritic basalt
----------Unconformity----------		
U. Cretaceous	Lameta	Sandstone, shales and limestone
----------Disconformity----------		
U. Cretaceous	Upper Gondwana	Sandstone, siltstone, conglomerate and clay
----------Unconformity----------		
Archaean		Quarzo-feldspathic gneiss with dolerite intrusions

Archaeans

The crystalline metamorphic and igneous rocks cover approximately 20% of the total district area. The igneous rocks are intensive granite and pegmatite veins intending the metamorphic rocks. Quartz pegmatite views are common features and occurs as broad dykes and thin strings. The ground basins are conterminous with surface drainage sub basin thus ground water flow system is of local types where end system has its recharge area at topographic low. The Archaeans are mainly occupying the Betul, Chichab, Multai and Amla blocks. These rocks do not have primary porosity and hydraulic conductivity. The weathered part of the crystalline rocks is called saprolite, which is of particular interest from the point of view of storage zone for ground water and as an aquifer for open well and shallow tube wells. The thickness of this zones in the entire district area ranges from 2.5 to 30.00 m. in this formation, aquifers also occurs where bed rock and quartz pegmatite intensive vein are jointed and fractures.

The yield depends upon saturated thickness of the weathered mantle and fracture pattern of the rocks.

Gondwana

The Gondwana rocks are comprising succession of sand stone, shales with seems of coal lying over the metamorphic rocks of crystalline Archaean system with a district unconformity. The beds of Gondwana rocks are distributed in patches and lie in a liner trend coinciding almost with the present river valleys. There rocks show considerable faulting. The Talchir beds consisting of sandstone and green clays with boulders contain plant fossils. There are bounded by faults. The west and north west of Betul, there are out of Gondwana rocks which separates decant traps from Archaeans rocks. Barkars of Gondwana group contains coal seams.

Deccan Traps

Deccan traps comprising varies types of basaltic lava flows and most extensive rocks in the district. There rocks occupying in Betul, Multai, Bhimpura, Chicholi, Bhainsdehi, Atner and Prabkat pattam blocks. The base of the flow consists of a porons layers of earthy basalt which passes rapidly into the main body. Of flow consisting of great thickness of hard basalt. Generally, the Deccan trap in the area occurs in the form of fractures, weathered and vesicular basalts.

3.4 LOCAL GEOLOGICAL DETAILS:

The top layer of applied area forms a part of stream bed covered mainly with sand deposits with rare colluvial material belonging to recent river alluvium up to 3.0 m. Quarrying will be concentrated up to 0.78 m only for extraction of sand. However, it is found that minimum 3m thick sand deposit is available throughout the lease within the top most layer of recent alluvium. This top sandy layer is underlain by laterite followed by Deccan trap.

Altitude of the area- Average elevation of the area is- 444.5 m

High flood Level (HFL) – 449 m

Low flood Level (LFL) – 441 m

Surface and geological map with cross section of the area on 1: 2000 scale with suitable contour intervals showing general topography and geology has been enclosed.

3.5 EXTENT OF RIVER BED & ALLUVIAL SAND DEPOSIT:

The sand quarry lease area is elongated along the course of the river with an orientation of SE to NE and lies on a small meander. The deposit of sand is available on full width and length of the lease.

The sediment in the form of river bed material i.e., sand has deposited in the last many years as a process of sedimentation in the paleochannels. Sand bars have been formed at various places hindering the flow of water and excess deposition has changed the shape of the river bed. Because of this, during monsoon season, the water may rise above the high flood level causing heavy and devastating floods. Such disasters may damage large tracts of land laying on both banks of the river especially the agricultural lands.

Accumulation of the sand deposit on the river bed is annual process. It is replenishable due to sediment inflow during floods in rainy season. Thickness of river bed where sand deposited every year varies but excavation of sand is permitted up to 0.78 m depth or up to top level of water table whichever is less. The summer water table goes down to 3 m below surface. Hence sand can easily be extracted up to 2 m depth in dry season.

3.6 PROSPECTING AND EXPLORATION DONE:

This is the revised mining plan and mining lease has already been excavated in the past. Based on post monsoon yearly survey by local mining officer and observations conducted by lessee, sand deposit in the lease has completely been replenished and average thickness of sand deposition within the sand accumulated area is observed to be > 3.0 m in proposed sand bed and considered for estimating the reserves.

Since sand exposed all over within the sand accumulated area of the lease and depth is proved, therefore, future prospecting has not proposed in the area. However, a

survey likely to be conducted by local mining officer to ascertain the depth of sand accumulation during post monsoon every year.

APPROVED

4. ESTIMATION OF RESERVES:

The applied sand lease area is about 1 km northeast from village Nandu and located in the river bed of Nandu that flows from southwest to northeast.

In order to estimate the reserves, DGPS survey has been carried out to define the topography, contours and offsets of the lease area. Khasra map has been considered as base map to demarcate the mine lease boundary. The shape and size of the mine lease has been fixed as per the sanctioned demarcated Khasra map of the lease area by DGPS survey.

The area has been fully demarcated with respect to geographical coordinates and surface reduced level taken at every point of cluster. To describe the elevation in detail, 0.5m contour interval has been picked for the preparation of surface plan and cross section which includes collection of surface reduced level in an interval of 0.5m for reserve estimation. The maximum elevation observed to be 448m from MSL and whereas minimum elevation recorded to be 441m MSL with the lease area.

Sanctioned demarcated area (Khasra) **Demarcated area on Google Image**

Very gently sloping or almost flat topography of the lease is the main reason for having sufficient quantity of sand available for removal. In addition, the location of applied lease lies on a meander making it suitable for sand deposition, therefore good deposit of sand is available on full width and length of the lease.

APPROVED

As per the Point (r) page 24 of Guidelines of Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining, Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MOEF & CC) January 2020 **"River bed sand mining shall be restricted within the central 3/4th width of the river/rivulet or 7.5 meters (inward) from banks but up to 10% of the width of the river"**

The mineral sand is exposed in full width and length of the lease and follows very gently sloping topography.

This is the revised mining plan and mining lease has already been excavated in the past. Based on post monsoon yearly survey by local mining officer and observations conducted by lessee, sand deposit in the lease has completely been replenished and average thickness of sand deposition within the sand accumulated area is observed to be > 3.0 m in proposed sand bed and considered for estimating the reserves.

Since sand exposed all over within the sand accumulated area of the lease and depth is proved, therefore, future prospecting has not proposed in the area. However, a survey likely to be conducted by local mining officer to ascertain the depth of sand accumulation during post monsoon every year.

Specifications considered for the estimation are as under:

Area specification	Values
Sanctioned lease area	2.90 hac or 29,000 M^2
Area submerged in water/Non mining	2,600 M^2
Area under Barrier / Safety zone within sand accumulated area	9,000 M^2
Available Mineable area where sand has been deposited/accumulated is 60% of total lease area of 29,000 M^2, therefore, follows Point (r) page 24 of Guidelines of Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining, Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MOEF & CC) January 2020	**17,400 M^2** (Total lease area – non mining area - barrier zone) (29,000 M^2 -2,600 M^2 -9,000 M^2 = 17,400 M^2)

As the extractable area 17,400 M^2 is gently sloping, hence the volumetric method adopted for reserve estimation.

The thickness of sand is more than 2m. The water level fluctuates from 3-4m during post-monsoon to pre-monsoon (October to June). However maximum of 0.78 m depth of sand deposit has been considered for estimation.

APPROVAL

LESSEE/APPLICANT
M/s National Energy Trading and Services Ltd., Hyderabad
J. Bhuja Bandhavi
J. Bhuja Bandhavi

Syed Iqtadar Tanweer
RQP/DGMMP/211/2019-2024
SYED IQTADAR TANWEER
RQP/DGMMP/211/2019-24

Reserve calcul[illegible] given area is detailed as under:

Are[illegible] Depth [m] = Volume [M^3]

Total available sand – 17,400 M^2 x 2 m (Max Thickness) = 34,800m^3

Total mineable sand – 17,400 M^2 x 0.78 m (Average Thickness) = 13,572 or 13,500 m^3

Total mineable reserve estimated to be 13,500 M^3

APPROVED

J. Pruja Bandhaf

J. Pruja Bandhaf

LESSEE/APPLICANT

M/s Mahanadi Energy Trading and Services Ltd., Hyderabad

COLLECTOR
BETUL

Syed Iqtedar Tanveer
RQP/DGMMP/211/2019-2024

SYED IQTADAR TANVEER
RQP/DGMMP/211/2019-24

5. DEVELOPMENT AND PRODUCTION PROGRAM

5.1 PROPOSED METHOD OF QUARRYING:

The mining operation will be carried out by semi mechanized method and all the related activities shall strictly be done according to the M.M.R 1991 rule without blasting
As per the Sustainable Sand Mining Management Guidelines 16, there are total 5 extractions methods and are follows as;

a) Bar scalping and skimming is extraction of sand and gravel from the surface of bars. This method generally requires that surface irregularities be smoothed out and that the extracted material be limited to what could be taken above an imagery line sloping upwards and away from the water from a specified level above the river water level at the time of extraction (typically 0.3-0.6m). Bar scalping is commonly repeated year after year. To maintain the hydraulic control provided to upstream by the Riffle head., the preferred method of bar scalping is now generally to leave the top 1/3rd (approximately) of the bar undisturbed, mining only from the downstream 2/3rd.

b) Dry-Pit Channel Mining

Dry-Pit channel mining is the method where pits excavated within the active channel on dry intermittent or ephemeral stream beds. Dry pits are often left with abrupt upstream margins, from which head cuts likely to propagate upstream.

c) Wet-Pit Channel Method

It involves excavation of a pit in the active channel below the surface water in a perennial stream or below the alluvial groundwater table.

d) Bar Excavation

J. Priya Bandhavi

APPROVED

A pit is excavated at the downstream end of the bar as a source of aggregate and as a site to trap sand and gravel. Upon completion, the pit may be connected to the channel at its downstream end to provide side channel habitat.

e) Channel – wide River bed Mining

In rivers with a highly variable flow regime, sand and gravel are commonly extracted across the entire active channel during the dry season. The bed is flattened and uniformly (or nearly so) lowered.

As per the Sustainable Sand Mining Management Guidelines 2016, there are 5 extraction method as mentioned above in total out of which 'Channel-wide River bed Mining' method shall be adopted with respect to type of river bed deposition. Mining shall be done in layers of 1 meter depth to avoid ponding effect and after first layer is excavated, the process will be repeated for the next layers.

Previous year water level regime monitoring season of river bed is observed. The water level fluctuation in the river bed is from 0.0-3.0. It means the water level about 0.0m to 1.0m describes a monsoon season (July-September) where water covers the whole riverbed and flows almost uniformly throughout the river course. In case of river sand bed of about 2m water level define the post monsoon season (October to December) in which water level drops and part of river bed exposed/ dried in certain part of river channel or sand mine spot due to difference in contour elevation as well as replenished sand. In case of river having about 3.0 m water level describes pre-monsoon season (from March to mid of June).

During post monsoon (October to February) mining will be carried out in layers of 1-meter depth for maintaining the river bed water level regime (Plate 4).

During pre-monsoon (March to June) mining will be carried out in 2nd layers of 1 meter depth after completion of 1st layer for maintaining the river bed water level regime (Plate 4).

No bench can be maintained in river sand hence bench wise mining cannot be proposed.

Due to continues accumulation of sand in the area during rainy season, there will not be much depletion in the reserve of sand, hence reserve is likely to be remain same every

LESSEE/APPLICANT
M/s National Energy Trading and Services Ltd., Hyderabad

Syed Tajadar Tanveer
RQP/DGNMP/211/2019-2024

APPROVED

year and in future also. The Lease period has been sanctioned up to 30.06.2023, accordingly three years production plan can be envied as below:

Semi-mechanised method of quarrying shall be undertaken during quarrying operation and all the related activities shall strictly be followed according to M.M.R 1991 rule without blasting and drilling.

Mining operation shall be based upon Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining, Ministry of Environment, Forest and Climate change January, 2020.

Quarrying progression will be from northeast to southwest, whereas mine face will be west to east. However, mine facing may be adjusted based on best environment friendly practices.

5.2 MECHANIZATION:

An open cast quarrying by semi mechanized method will be adopted for extraction of ordinary sand, keeping the productivity and safety in mind.
Semi mechanized quarry operation shall be done by utilizing JCB, hand Shovel, spade, crow bars, water tanker etc. will be required to deploy for mining works, Dumpers will be required for loading and transportation purpose.

JCB	1 No
Dumper	2 No. (Capacity- 12 m3)
Water tanker	1 No.

5.3 BLASTING:

Not applicable.

J. Priyabandhavi
LESSEE/APPLICANT
M/s National Energy Trading and Services Ltd., Hyderabad
J. Priya Bandhavi

Syed Iftekar Tanveer
RQP/DGMR/IT/211/2019-2024

APPROVED

5.4 LOADING AND TRANSPORTATION OF SAND:

Dumpers / tipper shall be used for transportation purpose.

For transporting the sand from lease area to the bank and for further destinations (end users/market), following estimation has been followed.

Yearly Production	13,500 m^3
Daily Production Assuming 240 working days leaving rainy season	56 m^3/day
Capacity of Dumper	12m^3
One dumper can carry (as a safety measure)	10m^3
Total number of trips required	6
Total Dumper Required (capacity 10 m^3)	2

The above per day calculations are for reference purpose only. The removal of sand shall be done as per demand and these figures may change drastically but within the limit of yearly production of 13,500 M^3.

5.5 MANPOWER DEPLOYMENT:

Required number of man power/labor is easily available from the surrounding villages. Requirement of manpower depends on the production and taking into account an average rate of annual production of 13,500 m^3 and assuming 240 working days per year, around 56 m^3 of proposed production to be achieved per day.

Keeping an average output per man per shift about 8 m^3 (OMS), then around 7 persons shall be required in the mine site.

Considering a presence of site foreman is important and a manager, a total of 8-9 persons shall be required to manage the mining operation.

Number of shifts proposed for per day is one shift / day. Depending upon the demand of sand, working time may be adjusted following the rules and making proper arrangements in place.

LESSEE/APPLICANT
M/s National Energy Trading and Services Ltd., Hyderabad

J. Puja Bandhari

Syed Iqbalar Tanveer
RQP/DGMNP/211/2019-2024

APPROVED

5.6 PROPOSED YEARLY PR [redacted] ON PROGRAM

Due to continues accumulation of sand in [redacted] ring rainy season, there will not be much depletion in the reserve of sand, hence reserve is likely to remain same every year and in future also. The Lease period of 3 years has taken as per the provisions of rule 9 of Madhya Pradesh Sand (Mining, Transportation, Storage and Trading) Rule, 2019. Accordingly, three years production plan can be envied.

It is to be noted that applied lease area has been sanctioned up to 30.06.2023 only, therefore 1st year production has been provided in the table below. However, if lease extended for two more years, then the same quantity, i.e., 13,500 M^3 per year can be extracted for another two years.

Years	Available Extractable Mining Area M^3 (60% of Lease Area)	Depth M	R O M M^3	Waste M^3 (10%)	Maximum proposed sand Production M^3
1st Year	17,400	0.78	13,500	Nil	13,500

5.7 MINE LIFE:

Mine has been sanctioned for the excavation of sand until 30.06.2023. Quarry lease may further be allotted to some other agency in future.

This is a river bed quarrying case, every year after monsoon, the sand deposit gets replenished and is available for ensuing years: hence river bed deposit has no fixed mine life.

5.8 USE OF MINERAL:

Sand so extracted from the mine lease, will be sold locally as building material. It is usually mixed with cement and other ingredients to create mortar for building. It is also used in brick manufacturing industries.

APPROVED

COLLECTOR
BETUL

J. Puja Bandhab
LESSEE/APPLICANT
M/s National Energy Trading and Services Ltd., Hyderabad

Syed Iftekar Tanveer
BOR/DGM(R)/211/2018-2024

J. Puja Bandhab

6. CONCEPTUAL PLAN

Mine applied lease spread over a total area of 29,000 m^2. Though sand thickness found to be more than 2m but actual digging depth restricted up to 0.78 m only. However, pits generated by quarrying will be replenished during rainy season. Quarrying will be worked systematically as the width is smaller than its length. As the lease period has been sanctioned until 30.06.2023, some of the area will be left un-worked at the end of lease period.

During plan period workings will be carried out in one stretch at a time. Scattered workings will ensure safety, remove congestion and will have better control and management.

Bank side natural slope will not be disturbed. This will prevent collapse of bank and erosion.

There will be no soil or OB removal during the plan period. Therefore, no proposal has been envisaged for its separate dumping. No outside material will be filled up in the extracted zone.

LESSEE/APPLICANT
M/s National Energy Trading and Services Ltd., Hyderabad

J. Puja Banerjee

Syed Iqtedar Tanveer
RQP/DGM(P)/211/2019-2024

APPROVED

7. ENVIRONMENTAL MANAGEMENT PLAN

7.1 AIR QUALITY MANAGEMENT:

Dust during quarrying, fumes and exhaust emission due to transportation of vehicles are the main causes of air pollution.

Personal Protection Equipment's (PPE) like dust masks, ear plugs etc. will be provided to mine workers

It can be effectively controlled by regular water sprinkling on roads.

Mineral carrying vehicles should be covered with tarpaulin and shall not be over loaded.

Proper maintenance of transport vehicles and PUC certification will minimize the exhaust emission. Adequate plantation will also support to maintain air quality.

7.2 WATER MANAGEMENT:

Sand quarrying activities will have an impact upon the river's water quality. Impacts include increased short-term turbidity at the mining site due to re suspension of sediment, and dumping of excess mining materials, oil spills or leakage from transportation vehicles and washing of vehicles in the river.

Increased riverbed and bank erosion increases suspended solids in the water at the excavation site. Suspended solids may adversely affect water towards downstream and aquatic ecosystems.

The impact is particularly significant if water toward downstream of the site being abstracted for domestic and irrigation purposes etc.

Quarrying is avoided during the monsoon season and at the time of floods. This will help in replenishment of sand in the river bed.

Quarrying below subterranean water level will be avoided as safe guard against environmental contamination and over exploitation of resources.

River stream will not be diverted to form inactive channels.

Meandering segment of river would be selected for mining in such a way to avoid natural eroding banks and to promote mining on naturally building meander components.

J. Priya Bandhavi

APPROVED

Utmost care will be taken to avoid the used of fuel leaking vehicles for sand transportation

The washing of trucks in the river will be avoided.

7.3 NOISE MANAGEMENT:

In manually operated sand mine, noise is generally created by transportation of vehicles.

Onsite and offsite noise management are:

Plantation of trees along the river bank and transport route beyond the bank shall be undertaken to dampen the noise, if possible.

The vehicles shall be maintained in good running condition so that noise will be reduced to minimum possible level.

Awareness will be imparted prior to quarrying operations that smoke silencers remain in a good condition and not to generate noise.

Unnecessary use of horns by the drivers of the vehicles shall be avoided at village areas.

7.4 WASTE MANAGEMENT:

There is no top soil expected to be produced in the plan period. No other waste anticipated to be generated hence waste disposal arrangement is not required.

7.5 BIOLOGICAL ENVIRONMENT

The proposed quarrying will be undertaken from the dry bed of the river on a small scale, therefore unlikely to impact the aquatic environment or any fauna or floral environment.

7.6 DISPOSAL OF MINING MACHINERIES:

No disposal of machineries would take place onsite and hand tools, tractors, dumpers will be deployed on hire basis.

7.7 SAFETY AND SECURITY:

Prior to mining, short awareness/training program will be conducted for site staff to make them aware regarding safety aspects and environment friendly work practices.

First aid kit and anti-venom injection for snake/insect bite shall be provided at mine site.

If some causality or injury to animal occurs, it will be informed to forest department and proper treatment will be given.

No lighting will be allowed in the area.

No tree cutting, chopping, lumbering, uprooting of shrubs and herbs will be allowed.

No track or new road for movement of site workers or vehicles be laid in adjoining area, this will prevent fragmentation, encroachment and human verses animal encounter.

Corridor for movement of wild mammals (If exists) will be avoided for mining/transport purposes

If wild animals are noticed crossing the river bed, they will not be disturbed or chased away, instead the workers will move away from their path.

7.8 DISASTER MANAGEMENT:

Nature of mining method is very simple and high-risk accidents are not anticipated. In case of natural disaster, lessee will take assistance from local government officials.

7.9 CARE DURING TEMPORARY DISCONTINUANCE:

No major quarrying machineries will be deployed as mining shall be undertaken manually. Most of the tools/equipment shall be on hire basis, in such cases, care will be taken as per the terms and conditions of contract. During temporary discontinuance, a watchman should be present to look after the mine site.

7.10 ECONOMIC REPERCUSSION OF CLOSURE & MAN POWER RETRENCHMENT

This quarry lease sanctioned for defined time period, most of the facilities and man power will be deployed on hire basis and in such case, care will be taken as per terms and conditions of contract.

LESSEE/APPLICANT
M/s National Energy Trading and Services Ltd., Hyderabad

J. Priya Bandhavi

Syed Iftakar Tanveer
RQP/DGM(R)/211/2018-2024

APPROVED

7.11 STATUS OF LOCAL EMPLOYEES:

Local residents will be proposed to employ from the nearby areas which already have their own traditional and family occupation like agriculture, fisheries and other sundry jobs. During monsoon and some other season or at the end of mine period they can easily join their respective employments.

7.12 COMPENSATIONS:

Retrenchment compensation to the employees as and when required will be done as per Government Labor legislation.

7.13 RECLAMATION & REHABILITATION:

The applied area comprises mainly sand, and negligible quantity of coarser material. The proposed area is the zone of active erosion during high flood time, otherwise it is a zone of deposition between two stream flows. So, no manual reclamation is needed. It is expected that the reclamation of the affected area will be automatically done by filling with sand flow in the rainy season depending on the amount of rain fall received by the area and the rate of river flow.

There is no human settlement within the quarry area. No human settlement will be disturbed due to the Quarrying activity. So, no rehabilitation and resettlement are proposed.

7.14 DISTANCE FROM THE NEAREST BRIDGE/DAM:

There is a bridge located around 0.6 m SW of the lease, upstream and constructed on Nandu River. However, none is located within mine lease area.

APPROVED

7.15 SOCIO – ECONOMIC ENVIRONMENT:

There will be positive effect to some extent on socio – economic environment of the area as quarrying activity will create new job opportunities for the local people, which ultimately improve their financial status.

7.16 PLANTATION (AFORESTATION PROGRAM):

The implementation for development of green belt will be of paramount importance as it will not only add up as an aesthetic feature, but also act as a pollution control tool.

The species to be grown in the area should be dust tolerant and fast growing so that permanent green belt is created.

In order to stabilize the river bank erosion, the plants having good growth will be planted along the river bank. Trees may also be grown along approach roach to the village and along village road as well as in the village as feasible in consultation with local gram panchayat, DFO and other stake holders.

Lease area is 29,000 M^2 and as per latest guidelines, total trees to be planted @1500 trees per hectare, i.e., a total of 4,350 trees shall be planted in within the lease period.

Total no. of trees to be Planted: - 4,350			
Phase	Name of Tree	No. of Plants to be Planted	Location
Within lease period	Pipal, Munga, Kathal, Bargad, Jamun, Neem, Arjun, Kadam Belpatra, Mango	4,350	Bank of the river – 2,000 nos Nandu and surrounding villages – 2,350 Suitable available nearby government land or along the road in consultation with local Gram Panchayats, DFO and other stake holders

APPROVED

8. PROGRESSIVE MINE CLOSUR PLAN

This is a sanctioned quarry which may again be sanctioned after its expiry on 30.06.2023. The actual working area (sand accumulated area) within the proposed area is the zone of active erosion during high flood time, otherwise it is a zone of deposition and mined out areas may or may not be automatically replenished with sand flow in the rainy season each year, hence progressive plan is not envisaged.

Statutory Obligations: No statutory obligations imposed till now; routine legislative conditions will apply as mentioned in approval letter.

(APPROVED)

9. SAND REPLENISHMENT ASSESSMENT

Sand quarrying from river bed will cause degradation of land use pattern and damage to the environment. Over exploitation of sand from river bed will definitely affects adversely on the surrounding environmental status. Deposition of sand is a continuous natural process, but the over drafting will never be permitted to ensure the balance between exploitation and replenishment potential of river sand.

Sand quarrying from river bed will have both positive and negative impacts;

9.1 NEGATIVE IMPACTS:

It includes destruction of natural river course, bank erosion, bank cutting and widening and deepening of river bed. Change in hydrological status and recharging conditions. Disturbance to closely linked flora, fauna and aquatic life.

9.2 POSITIVE IMPACTS:

Employment and socio-economic status of the habitants living besides the river depends on sand mining industries. Construction of concrete infrastructures, roads and some other related activities depends on the river bed sand. Continuous accumulation of sand ultimately leads to the reduction in water carrying capacity of the river leading excessive flood in the river. Sustainable extraction of sand from river will lead to overcome the problem.

9.3 NEED FOR SAND REPLENISHMENT STUDY AND FACTORS TO BE CONSIDERED AND OBSERVED:

Environmental status of the mined-out area may be affected badly if proper care is not taken to ensure sustainable extraction of sand from river bed. Proper study of the following factors must be taken into consideration to reveal the actual potential of sand deposition in river course after completion of periodical excavation annually. The main factors required to be considered for the study of the replenishment potential of particular river course are:

APPROVED

Formation of sand comprises of the following;

Catchment area and geological strata,

Erosion, weathering

Climatic conditions, Precipitation

Geomorphology, Physiographic Manmade structures and activities details .

Geological formations Refer to Chapter 3.

Deposition/sedimentation of material or sediment yield depends upon several factors like;

-Catchment area

-Span of river / flood plain

-Travelling distance of suspended particles

-Slope / gradient / depth of water channel / meandering of river

- Geology traversed

- Climatic conditions

-Tributaries / Confluence

- Type / stage of river and flow velocity

-Occurrence of natural and manmade structures.

-Flow during lean period.

9.3.1 WATER LEVEL DURING LEAN PERIOD:

River course at area under consideration attains youth stage, flow velocity is moderate, turbulence occurred due to meanders created due to lineaments. Elevation of both the banks are within the range of 2.5 to 3.5m above river bed. After monsoon river flows in full swing covering both the banks. During monsoon floods the water level rises by 2 to 3 m High flood level of river goes up to 449 m in due course of time after monsoon water channel level goes down gradually, during lean period water level maintained at 441-442 m.

APPROVED

9.3.2 CATCHMENT AREA

The Nandu River basin comprises an area of about 38 Km^2. The southwest boundary is marked by low-lying hills and or high grounds. The basin area is highly undulating with isolated hills and plains. The ground elevation ranges between 441 m and 656 m. above MSL. The ground slopes from southwest to northeast.

9.3.3 ORIGIN OF RIVER:

The nandu River (a tributary of Tawa) flows from southwest to northeast into Tawa. The origin of the river is north of Betul, Madhya Pradesh at an elevation of 656 m.

9.3.4 DISTANCE OF TRAVELLING OF LOAD:

Nandu River course is around 20.5 km approx. from the origin to mine site.

9.3.5 SLOPE / GRADIENT / ELEVATION DIFFERENCE:

The highest elevation of **Nandu River** at the origin is around 656 m and the elevation at mine site is 441 m above msl. There is an elevation difference of around 215 m.

9.3.6 GEOLOGY / LITHO UNITS:

River originates mainly from Deccan Trap rock formations and further continues over the same rock formations with other formations in parts.

9.3.7 CLIMATIC CONDITIONS:

Climate of the district is tropical with moderate winter and severe summers and well distributed rainfall received from southwest monsoon. However due to higher general elevation and abundance of forests, summer temperature does not rise as much as in other areas. The normal annual rainfall of Betul district is 1129.6mm.

9.3.8 TRIBUTARIES / CONFLUNCE:

Several other small seasonal streamlets (Nallas) join this tributary resulting in the increase of its overall catchment area. However, no nallas join this river near the site.

J. Pruja Kandhar

J. Pruja Kandhar

APPROVED

9.3.9 TYPE/STAGE OF RIVER AND FLOW VELOCITY:

River attains mature stage at the mine site. Flow velocity is low to moderate. Lease area is located on a meander making it suitable for sand deposition.

9.3.10 STRUCTURES:

From our study no major structures have been observed in the river course near the site. There is a bridge located around 0.6 Km of the lease, upstream and constructed on Nandu River. However, none is located within mine lease area.

9.4 CONCLUSION:

In Betul district, Nandu River basin where lease area is located comprises an area of about 38Km^2. The north-eastern boundary is marked by low-lying hills and or high grounds. The basin area is highly undulating with isolated hills and plains. The ground elevation ranges between 441 m and 656 m. above MSL. The ground slopes from southwest to northeast.

The Average rainfall of Betul district is 1129.6mm. The district receives high rainfall mostly during July to September which will be leads to the deposition of the sufficient quantity of the sand every year within the old working area.

Dandy Bolton Formula has category stated use of the equation to predict sediment yield for a specific location would not be always correct because of the wide variability caused by local factors not considered in the equation development. Actual sediment yield from individual drainage basins may vary 10-fold or even 100-fold computed yields.

Looking at the basic information available about the concerning river basin, it is concluded that proposed quantity of 13,500 cubic meter per year can be excavated from the quarrying site and the replenishment of the same will be done easily as regular annual process following the topographical control.

Total replenished quantity of sand available each year within the lease hold area will be:

Total Leasehold area -2.90 ha

Total sand available -2.9 x10000x2 (max thickness) = 58,000 m^3

APPROVED

Taken all safety measured and environmental concerns, only 1.74 leasehold area (60% of lease area) is available for mining.

Total sand available -17,400 m^2 x 2m (Max. Thickness) = 34,800 m^3

Total mineable sand – 17,400 m^2 x 0.78 m (Avg. Thickness) = 13,500 m^3

Thus, from measured sand reserve of about 34,800 cubic meters, only 13,500 cubic meter sand per year will be extracted.

Out of the above annual replenishment, it is proposed to mine only 13,500 cubic meters up to a maximum depth of 0.78 m.

Thus, there will be no long – term impact on the riverbed which will have surplus sand left after extraction of the proposed amount each year and PP will be extracting less than 50% of the annual replenished sand within its lease hold.

Above estimation is based upon existing site conditions. Next year estimation shall be worked out after monsoon using volumetric methods. In the applied area, replenishment depends upon the yearly rainfall, if adequate amount of sand will not replenish during monsoon, then excavation of sand will be limited to the quantity which will be equivalent to the replenished material up to a maximum depth of 2m only.

PLAN PREPARED FOR -

M/s National Energy Trading and Services Ltd.

Address: Address: Plot No 7, Bindu Sadan, 401 Sai Chandra Colony, Green Space Tulasi, Puppalguda, Manikonda, Hyderabad,
Telangana State, India

PLAN PREPARED BY RQP -

SYED IQTADAR TANWEER
G-3 Balaji, Bright Colony, Idgah Hills,
Bhopal (M.P.)
Registration No: RQP/DGMMP/211/2019-24

APPROVED

J. Priya Bandhavi
LESSEE/APPLICANT
M/s National Energy Trading and Services Ltd., Hyderabad

J. Priya Bandhavi

Syed Iqtadar Tanweer
RQP/DGMMP/211/2019-2024

SYED IQTADAR TANWEER
RQP/DGMMP/211/2019-24

जिला – बैतूल

क्र.	जिला	तहसील	ग्राम	खसरा क्रमांक	रकबा हेक्टेयर में	रेत का अनुमानित भण्डार (घनमीटर में)	अनुमानित दर का मूल्य (रूपये 250 प्रति घनमीटर + अन्य कर अतिरिक्त)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	लोनिया	179	1.115	25000	
2	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	फुलबेरिया	407	2.500	12750	
3	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	झाड़कुण्ड	1	0.950	7200	
4	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	चिखली आमदाना	219, 341	7.730	50000	
5	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	घोड़ाडोंगरी	373, 1395	7.000	20663	
6	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	आमदाना रैयत	248,141, 130	6.090	35700	
7	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	गांधीग्राम	2	0.550	13500	
8	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	नांदू	91	2.900	22500	
9	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	बाकुड़	35	2.700	21875	
10	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	बरेलीपार/ घोड़ाडोंगरी	63	0.360	9000	
11	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	कचलोरा–1	67	0.100	2000	
12	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	कचलोरा–2	98	0.170	3570	
13	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	कचलोरा–3	69	0.340	9500	
14	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	आमदाना रैयत–1	79	0.350	8050	
15	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	आमदाना रैयत–2	175	0.340	6120	
16	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	आमदाना रैयत–3	178	0.620	13750	23,42,13,150/-
17	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	झोली–1	99	5.000	26000	
18	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	झोली–2	10	4.000	12000	
19	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	सातलदेही	187, 251	8.000	38500	
20	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	धरमपुर	309	6.000	7500	
21	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	बटकीडोह	112, 349	1.000	15000	
22	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	विष्णुपुर	1	2.000	30000	
23	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	चिचडोल रैयत	30	8.000	25000	
24	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	कटंगी	148	0.621	4000	
25	बैतूल	बैतूल	डहरगांव/भयावाड़ी	68, 260	6.250	25750	
26	बैतूल	बैतूल	कोदारोटी	106	5.450	7200	
27	बैतूल	बैतूल	कुम्हारिया	1	0.700	10800	
28	बैतूल	बैतूल	भीलावाड़ी	97	0.800	9100	
29	बैतूल	बैतूल	माथनी	78	0.860	9450	
30	बैतूल	आमला	सोनतलाई	1	9.330	9000	
31	बैतूल	आमला	बारछी	434, 308	5.520	10300	
32	बैतूल	आमला	जम्बाड़ा (खुर्द)	217	0.700	2304	
33	बैतूल	भैंसदेही	रातामाटी	1	2.550	36000	

J. Pooja Bandhavi

3. राशि :-

3.1 यह आशय पत्र तथा इसके पूर्वोक्त खदान समूह का अनुवर्ती आबंटन इन नियमों के समय-समय पर यथा संशोधित उपबंधों के अध्यधीन होगा तथा मेसर्स **नेशनल एनर्जी ट्रेडिंग एण्ड सर्विसेज लिमिटेड** को "उच्चतम सफल निविदाकार" के रूप में घोषित किया जाता है तथा इन नियमों के अधीन समस्त अपेक्षाओं की संतोषजनक पूर्ति पर पश्चातवर्ती रूप से आबंटित खदान समूह का आबंटन किया जाएगा।

3.2 संदर्भ हेतु मेसर्स **नेशनल एनर्जी ट्रेडिंग एण्ड सर्विसेज लिमिटेड** के "उच्चतम सफल निविदाकार" के रूप में घोषित किए जाने तथा समूह खदानों के पश्चातवर्ती आबंटन है, के लिए अपेक्षाओं को नीचे दोहराया गया है। यह स्पष्ट किया जाता है कि अधोवर्णित अपेक्षाएं मात्र संदर्भ के लिए है तथा उक्त नियमों में किसी परिवर्तन की स्थिति में, यथास्थिति, संशोधित नियमों के अधीन अपेक्षाएं लागू होंगी।

(क) **"उच्चतम सफल निविदाकार" के रूप में घोषणा :-**

मेसर्स **नेशनल एनर्जी ट्रेडिंग एण्ड सर्विसेज लिमिटेड** को "उच्चतम सफल निविदाकार" मान्य किया जावेगा, बशर्ते :-

(एक) नियमों के निबंधनों तथा शर्तों का अनुपालन किया गया हो;

(दो) नियमानुसार वार्षिक ठेका राशि की 50 प्रतिशत रकम का भुगतान कर दिया गया हो;

(तीन) उक्त नियमों के नियम 12 के उप नियम (1) से उप नियम (6) में विनिर्दिष्ट खनन योजना एवं अन्य कानूनी अनुपालनों के संबंध में शर्तों को पूरा किया गया हो।

(ख) **ठेका अनुबंध का निष्पादन :-**

समस्त कानूनी अनुज्ञाओं, अनुमोदन, अनुज्ञा, अनापत्ति एवं सदृश, जो कि खनन संक्रिया प्रारंभ करने के लिए प्रयोज्य विधियों के अधीन अपेक्षित हो, प्राप्त करने के उपरांत मेसर्स **नेशनल एनर्जी ट्रेडिंग एण्ड सर्विसेज लिमिटेड** एवं बैतूल जिले के कलेक्टर के साथ प्रारूप 5 में पृथक-पृथक खदानवार ठेका अनुबंध का निष्पादन कराया जायेगा। अनुबंध निष्पादन की औपचारिकताऐं पूर्ण होने पर ठेका अनुबंध का भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का क्रमांक 16) के उपबंधों के अधीन पंजीयन कराया जायेगा।

(ग) **समूह खदानों की खनन संक्रिया :-**

अनुबंध निष्पादन के पश्चात मेसर्स **नेशनल एनर्जी ट्रेडिंग एण्ड सर्विसेज लिमिटेड** किश्तों का नियमित रूप से भुगतान करेंगें तथा नियमित खनन संक्रियायें जारी रखेंगें।

Pooja Bandhak

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला–बैतूल (म.प्र.)

प्रारूप–तीन

(नियम 11(3) एवं 11(5) देखिए)

आशय–पत्र

क्रमांक/रेत/2022/1862 बैतूल, दिनांक 23/12/2022

प्रति,

मेसर्स नेशनल एनर्जी ट्रेडिंग एण्ड सर्विसेज लिमिटेड
पता–प्लॉट न. 7, बिन्दु सदन, 401 सांई चंद्र कॉलोनी,
ग्रीन स्पेस तुलसी, पुष्पलगुडा, मणिकोंडा, हैदराबाद,
रंगारेड्डी, तेलंगाना–500089

विषय :– ई–निविदा क्रमांक 1691 दिनांक 17.11.2022 के संदर्भ में ग्राम (सूची अनुसार) तहसील (सूची अनुसार) जिला बैतूल रकबा (सूची अनुसार) हेक्टेयर क्षेत्र की खदान समूह क्रमांक (संपूर्ण बैतूल जिला) रेत खदानों हेतु आशय–पत्र।

––00––

1. पृष्ठभूमि :

1.1 मध्यप्रदेश रेत (खनन, परिवहन, भण्डारण एवं व्यापार) नियम 2019 (यथा संशोधित) के अनुसरण में कलेक्टर जिला बैतूल द्वारा मध्यप्रदेश के जिला बैतूल स्थित समूह खदान के समूह क्रमांक (संपूर्ण बैतूल जिला) हेतु रेत की समूह खदानों के प्रदान के लिए निविदा प्रक्रिया को प्रारंभ करने के लिए ई–निविदा सूचना दिनांक **17.11.2022** जारी की गई। ई–निविदा प्रक्रिया उक्त नियमों के नियम 8 के अनुसार उक्त रेत समूह आबंटन हेतु संचालित की जाकर मेसर्स **नेशनल एनर्जी ट्रेडिंग एण्ड सर्विसेज लिमिटेड** को उक्त नियमों के नियम 8(8) के अधीन उच्चतम सफल निविदाकार के रूप में घोषित किया गया है।

1.2 उक्त नियमों के नियम 11 के अधीन तथा उक्त समूह खदान के लिए निविदा दस्तावेज के अधीन अपेक्षित किए गए अनुसार मेसर्स **नेशनल एनर्जी ट्रेडिंग एण्ड सर्विसेज लिमिटेड** ने प्ररक्षित मूल्य के 25 प्रतिशत राशि रकम रूपये **5,85,53,288/–(पांच करोड़ पच्यासी लाख तिरेपन हजार दो सौ अट्ठासी रूपये)** अग्रिम धन (ईएमडी) के रूप में एम.पी. टेंडर के माध्यम से जो दिनांक **02.12.2022** को जमा कर दी है तथा जो दिनांक 23/12/2022 को संचालक के पूल खाते में प्राप्त हुई है।

2. परिणामस्वरूप आशय पत्र जारी किया जाना :

उक्त नियमों के नियम 11(3) एवं 11(5) के अनुसरण में समूह क्रमांक (संपूर्ण बैतूल जिला) मेसर्स नेशनल एनर्जी ट्रेडिंग एण्ड सर्विसेज लिमिटेड के पक्ष में 30 जून 2023 अवधि हेतु रेत खनिज की खदानों के समूह के लिए ग्राम (सूची अनुसार) जिला बैतूल में रकबा (सूची अनुसार) (हेक्टेयर) क्षेत्र के लिए यह आशय पत्र जारी किया जाता है।

APPROVED

J. Pruja Banahar

विधिमान्य है। समय–सीमा के भीतर समस्त शर्तों की पूर्ति की जानी चाहिए एवं मेसर्स **नेशनल एनर्जी ट्रेडिंग एण्ड सर्विसेज लिमिटेड** एवं बैतूल जिले के कलेक्टर के मध्य ठेका अनुबंध निष्पादित किया जाना चाहिए। उच्चतम सफल निविदाकार के नियंत्रण से परे किन्हीं कारणों से ठेका अनुबंध के निष्पादन में विलंब होने की स्थिति में, समय–सीमा में वृद्धि करने के लिए वह कलेक्टर को आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकेगा। उपरोक्त समस्त अथवा किन्हीं शर्तों के अनुपालन के लिए कलेक्टर अधिकतम 10 दिवस की अवधि बढ़ा सकेगा।

निविदाकार कम्पनी की ओर से प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षर उपरांत उक्त आशय पत्र की द्वितीय प्रति 07 दिवस की अवधि के भीतर अधोहस्ताक्षरी को स्वीकार्य पावती के रूप में वापस करने योग्य होगी।

संलग्न– **समूह की खदानों का विवरण एवं राशि की जानकारी।**

कलेक्टर
जिला–बैतूल (म.प्र.)

पृ0क्रमांक/रेत/2022/1862 बैतूल, दिनांक 23/12/2022

प्रतिलिपि :–

1– प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2– प्रमुख सचिव, नगरीय प्रशासन एवं पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3– सदस्य सचिव, सिया पर्यावास परिसर ई–5 अरेरा कालोनी, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4– कार्यपालक संचालक, दि मध्य प्रदेश स्टेट माईनिग कार्पोरेशन लिमिटेड भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5– संचालक, संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, 29–ए अरेरा हिल्स, म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ।
6– क्षेत्रीय अधिकारी, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड छिन्दवाड़ा की ओर सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित।
7– अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) समस्त जिला बैतूल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
8– तहसीलदार तहसील समस्त जिला बैतूल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
9– खनि निरीक्षक जिला बैतूल की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।

J. Pooja Sandhals

APPROVED

कलेक्टर
जिला–बैतूल (म.प्र.)

		शाहपुर				
35	बैतूल	घोड़ाडोंगरी/ शाहपुर	बांसपुर/शिवसागर/ गौनापुर	1, 1, 288, 266	24.970	272250
36	बैतूल	शाहपुर	गुगाड़ी	19	2.500	70200
37	बैतूल	शाहपुर	शाहपुर/गतौंगापुरा	1, 112	11.000	198000
38	बैतूल	शाहपुर	सितलडिरी	1	0.700	5625
39	बैतूल	घिघोली	सागवानी	20	5.080	30064
40	बैतूल	घिघोली	हरन्या	1, 9	5.590	44000
41	बैतूल	घिघोली	खपरिया	18	3.000	32500
42	बैतूल	घिघोली	बल्लौर	162	3.000	35000
43	बैतूल	शाहपुर	टागनामाल	209	4.000	42000
44	बैतूल	शाहपुर	धामन्या	1	5.000	38000
45	बैतूल	शाहपुर	घिखली रैयत	316	4.000	18000
46	बैतूल	शाहपुर	तेन्दूखेडा	119,114	5.000	22500
47	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	सिवनघाट	142	0.420	4200
				योग–	188.906	1561421

1	कुल चिंहित खदाने –	47
2	कुल अनुमानित क्षेत्रफल –	188.906 हे0
3	निविदा हेतु निर्धारित खदाने –	सम्पूर्ण बैतूल जिला
4	जिला समूह हेतु बिक्री योग्य निर्धारित मात्रा (वार्षिक) घनमीटर –	936852.6 (तेईस करोड़ बयालीस लाख तेरह हजार एक सौ पचास रूपये)
5	निविदाकार मैसर्स नेशनल एनर्जी ट्रेडिंग एण्ड सर्विसेज लिमिटेड	
6	पता–प्लॉट न. 7, बिन्दु सदन, 401 साई चंद्र कॉलोनी, ग्रीन स्पेस तुलसी, पुष्पलगुडा, मणिकोंडा, हैदराबाद, रंगारेड्डी, तेलंगाना – 500089	
7	स्वीकृत ऑफर मूल्य रूपये –	**531195424.20** (तिरेपन करोड़ ग्यारह लाख पनचान्वे हजार चार सौ चौबीस रूपये बीस पैसे मात्र)
8	प्राप्त दर के अनुसार प्रति घनमीटर देय राशि (रायल्टी सहित)	**567.00** (पांच सौ छड़सठ रूपये प्रति घनमीटर)
9	जमा EMD राशि रूपये –	**58553288** (पांच करोड़ पच्यासी लाख तिरेपन हजार दो सौ अट्ठासी रूपये)
10	शेष जमा राशि रूपये (265597712.10 – 58553288) ऑफर मूल्य का 50 प्रतिशत – निविदा की ईएमडी राशि	**207044424.10** (बीस करोड़ सत्तर लाख चौव्वालीस हजार चार सौ चौबीस रूपये दस पैसे मात्र)
11	बिन्दु क्रमांक 10 की राशि जमा दिनांक एवं भुगतान विवरण –	21.12.2022 **RTGS**

नोट :–2. निविदा प्रपत्र की कंडिका– 10 (ख) –परिशिष्ट–1 में समूह में सम्मिलित समस्त रेत खदानों का विवरण, खदान का अनुमानित क्षेत्रफल एवं खदान में उपलब्ध अनुमानित मात्रा दर्शित है। ठेकेदार द्वारा जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (डी.एस.आर) द्वारा अनुमोदित मात्रा तक ही खनन किया जा सकेगा। यह अनिवार्य नहीं होगा कि वह समूह में सम्मिलित प्रत्येक खदान की परिशिष्ट–1 में दर्शित मात्रा हेतु, वैधानिक अनुमतियाँ प्राप्त कर खदानें संचालित करें। अर्थात निविदत्त मात्रा का खनन समूह में सम्मिलित कतिपय खदानों से, वैधानिक अनुमतियों के अधीन भी किया जा सकेगा।

कलेक्टर
जिला–बैतूल (म.प्र.)

APPRO...

Rekha Ramchandani

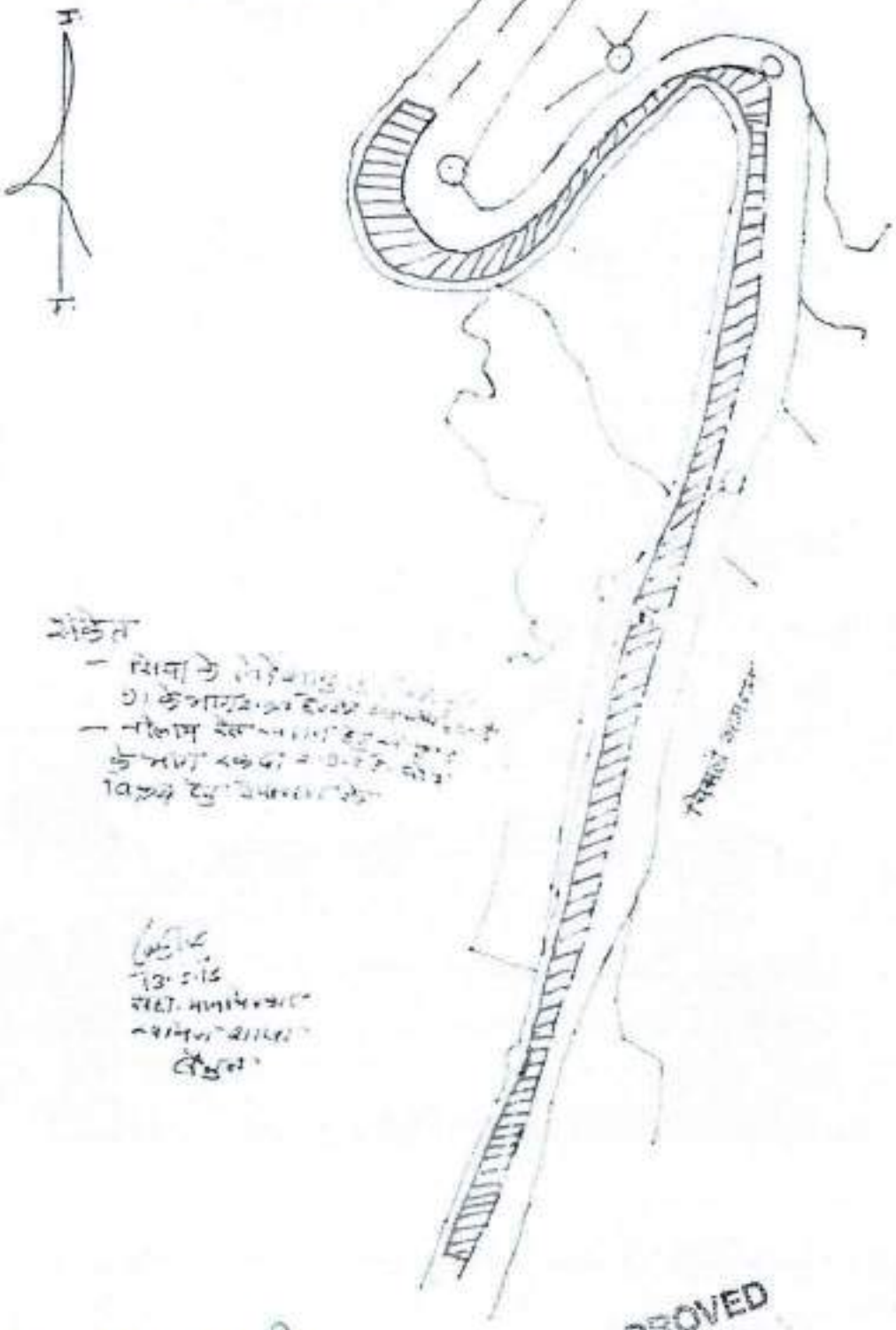

APPROVED

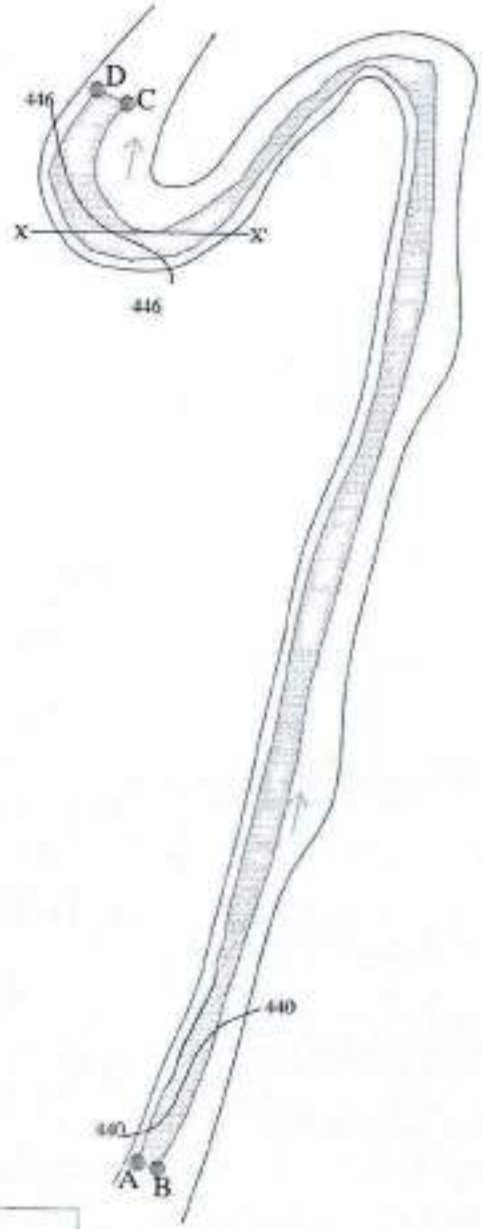

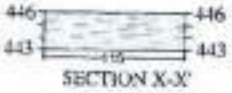

SECTION X-X'

CO-ORDINATE		
1.	22°13'43.77"N	77°39'16.44"E
2.	22° 1'48.98"N	77°59'14.19"E
3.	22° 2'12.73"N	77°59'21.63"E
4.	22° 2'13.14"N	77°59'21.16"E

APPROVED

COLLECTOR
BETUL

SYED MOTADAR TANWEER
RQP/DGMMP/211/2018-24

INDEX	
PARTICULARS	SYMBOLS
LEASE BOUNDARY	
RIVER BOUNDARY	
CONTOUR	580
BOUNDARY POINTS	
SECTION LINE	
SAND	
WATER	
FLOW DIRECTION	

AREA DETAILS	APPLICANT:
QUARRY AREA - 2.9 HA. QUARRY SURVEY NO. - 91 QUARRY VILLAGE- NANDU TEHSIL- GHODADONGARI, DISTRICT - BETUL (M.P.)	M/s National Energy Trading and Services Address: Plot No 7, Bindu Sadan, 401 Sai Chandra Colony, Green Space Tulasi, Puppalguda, Manikonda, Hyderabad, Telangana State, India

Pooja Bandhard

YEAR WISE DEVELOPMENT PLAN & SECTION

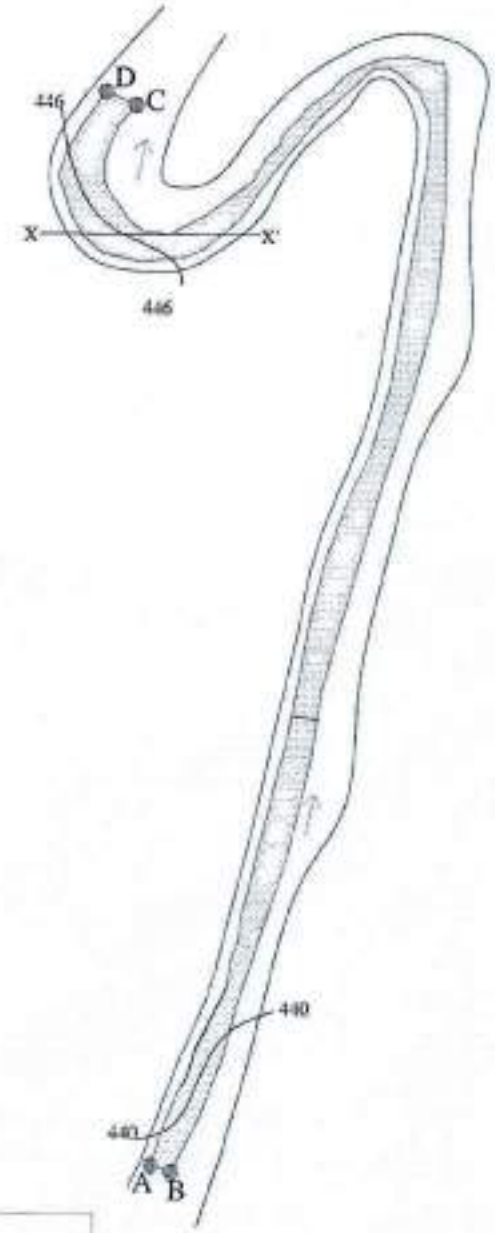

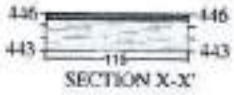

SYED IZTADAR TANWEER
RQP/DGMMP/211/2019-24

INDEX	
PARTICULARS	SYMBOLS
LEASE BOUNDARY	
RIVER BOUNDARY	
CONTOUR	580
BOUNDARY POINTS	
SECTION LINE	
SAND	
WATER	
FLOW DIRECTION	
YEAR WISE DEVELOPMENT	

APPROVED

AREA DETAILS	APPLICANT:
QUARRY AREA - 2.9 HA. QUARRY SURVEY NO. - 91 QUARRY VILLAGE- NANDU TEHSIL- GHODADONGARI, DISTRICT - BETUL (M.P.)	M/s National Energy Trading and Services Address: Plot No 7, Bindu Sadan, 401 Sai Chandra Colony, Green Space Tulasi, Puppalguda, Manikonda, Hyderabad, Telangana State, India

J. Vijay Bandhara

ENVIRONMENTAL PLAN

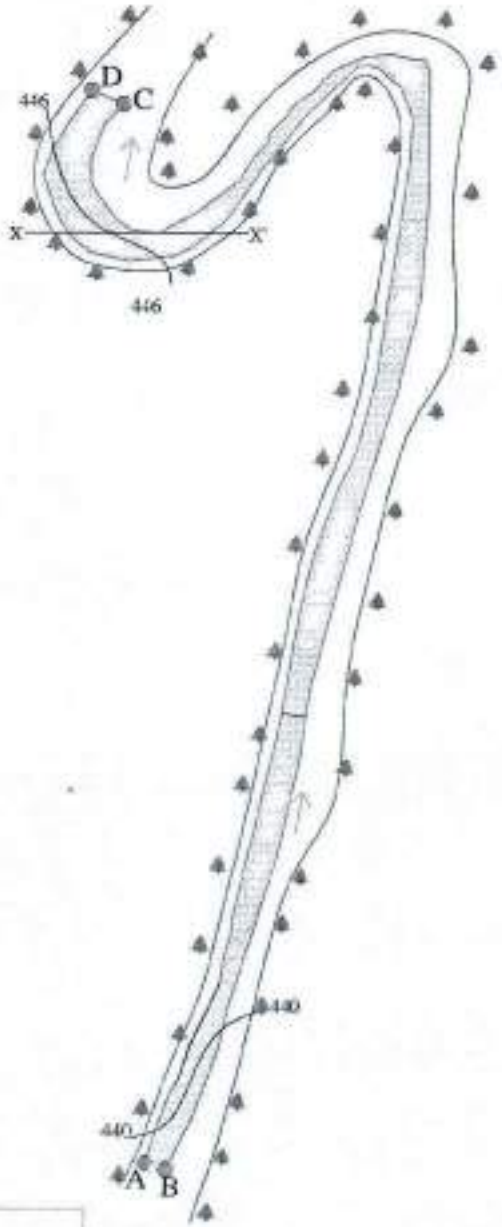

SYED IQTADAR TANVEER
RQP/DGMMP/211/2019-24

APPROVED

INDEX	
PARTICULARS	SYMBOLS
LEASE BOUNDARY	
RIVER BOUNDARY	
CONTOUR	580
BOUNDARY POINTS	
SECTION LINE	
SAND	
WATER	
FLOW DIRECTION	
PLANTATION	

AREA DETAILS	APPLICANT:
QUARRY AREA - 2.9 HA. QUARRY SURVEY NO. - 91 QUARRY VILLAGE- NANDU TEHSIL- GHODADONGARI, DISTRICT - BETUL (M.P.)	M/s National Energy Trading and Services Address: Plot No 7, Bindu Sadan, 401 Sai Chandra Colony, Green Space Tulasi, Puppalguda, Manikonda, Hyderabad, Telangana State, India

J. Bhujabandhari

YEARLY MONSOON WISE PLATE & SECTION

PRE MONSOON
(MARCH TO JUNE)

DURING MONSOON
(JULY TO SEPTEMBER)

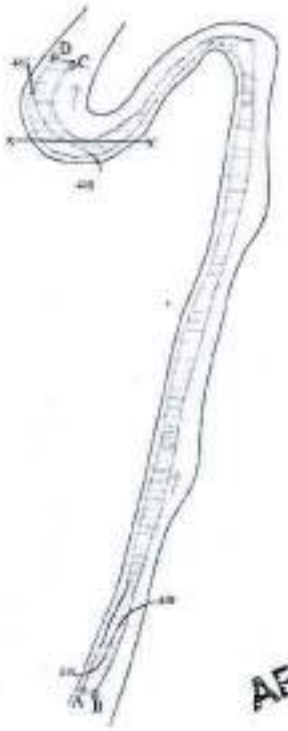

POST MONSOON
(OCTOBER TO FEBRUARY)

APPROVED

AREA DETAILS	APPLICANT:
ARRY AREA - 2.9 HA. JARRY SURVEY NO. - 91 JARRY VILLAGE- NANDU HSIL- GHODADONGARI, DISTRICT - BETUL (M.P.)	M/s National Energy Trading and Services Address Plot No 7, Bindu Sadan, 401 Sai Chandra Colony, Green Space Tulsi, Pupalguda, Manikonda, Hyderabad, Telangana State, India

SYED IQTADAR TANWEER
RQP/DGMMP/211/2019-24

J. Priyakandhari

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बैतूल

Email-modgmbet@mp.gov.in

क्रमांक/खनिज–2/2022/1914 बैतूल, दिनांक 29/12/2022

प्रति,

मेसर्स नेशनल एनर्जी ट्रेडिंग एण्ड सर्विसेज लिमिटेड
पता–प्लॉट न. 7, बिन्दु सदन, 401 सांई चंद्र कॉलोनी,
ग्रीन स्पेस तुलसी, पुष्पलगुडा, गणिकोंडा, हैदराबाद,
रंगारेड्डी, तेलंगाना–500089

विषयः– रेत खनिज के सफल निविदाकार की खनन योजना का अनुमोदन करने बाबत्।
संदर्भः– आपका का पत्र क्रमांक NETS/SMD/B/22-23/003-014 दिनांक 27.12.2022

—00—

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा प्रस्तुत 12 रेत खनन योजनाओं को मध्यप्रदेश रेत (खनन, परिवहन, भण्डारण एवं व्यापार) नियम 2019 के नियम 12 (ग) के अन्तर्गत अनुमोदित किया जाता है। जिसका विवरण निम्नानुसार हैः–

क्र.	तहसील	खदान का नाम	खसरा क्र.	रकबा (.है)	माईनिंग प्लान अनुमोदित मात्रा (घ.मी.)
1	बैतूल	कुम्हारिया	1	0.700	6480
2	घोडाडोंगरी	नान्दू	91	2.900	13500
3	घोडाडोंगरी	चिचड़ोल रैयत	30	8.000	15000
4	शाहपुर	धामन्या	1	5.000	22800
5	घोडाडोंगरी	कचलोरा -3	69	0.340	5700
6	घोडाडोंगरी	आमढाना रैयत-3	178	0.620	8250
7	घोडाडोंगरी	विष्णुपुर	1	2.000	18000
8	घोडाडोंगरी	झोली-1	99	5.000	15600
9	विचोली	बल्लोर	162	3.000	21000
10	विचोली	खपरिया	18	3.000	19500
11	शाहपुर	टॉगनामल	209	4.000	25200
12	शाहपुर	चिकली रैयत	316	4.000	10800

उक्त खनन योजनाओं का अनुमोदन इस शर्त पर किया जाता है कि निविदाकार मध्यप्रदेश रेत (खनन, परिवहन, भण्डारण एवं व्यापार) नियम 2019 के प्रावधानों का पालन करेगा।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

कलेक्टर,
जिला–बैतूल

पृ0क्रमांक/खनिज–2/2022/1914 बैतूल, दिनांक 29/12/2022

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, 29–ए अरेरा हिल्स, म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3. सदस्य सचिव, सिया पर्यावास परिसर ई–5 अरेरा कालोनी, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित।

कलेक्टर,
जिला–बैतूल

National Energy Trading And Services Limited

NETS/SMD/B/22-23/005 27-12-2022

प्रति,

खनिज अधिकारी,

जिला बैतूल,

मध्य प्रदेश ।

विषय . ग्राम टांगूनमाल तहसील शाहपुर के खसरा नंबर 209 रकबा 4 हे. में स्थित टांगूनमाल रेत खदान के खनन योजना के अनुमोदन हेतु ।

महोदय ,

विषयान्तर्गत ग्राम टांगूनमाल तहसील शाहपुर जिला बैतूल के खसरा 209 रकबा 4 हे. में स्थित टांगूनमाल रेत खदान के खनन योजना अनुमोदन हेतु सादर प्रेषित है ।

संलग्न :- खनन योजना (3 प्रति में)

भवदीय

J. Priya Bandhari

J. Priya Bandhari

नेशनल एनर्जी ट्रेडिंग एंड सर्विसेज लिमिटेड

अधिकृत व्यक्ति

Regional Office: House No. 247 3rd Floor, Sector-2, Shakti Nagar, Habibganj Bhopal, MP- 462024 Mobile No: 7042932114
Registered Office: Plot No. 7, Bindu Sadan, 401, Sai Chandra Residency, Opp. Green Space Tulasi, Puppalaguda, Manikonda, Hyderabad, Rangareddi, Telangana, India - 500089
T: +91 40 2311 8111 F: +91 40 2311 8444 E: info@netsl.net

Corporate Identity Number: U10100TG2000PLC033791

MINING PLAN

SUBMITTED AS PROVISIONS OF RULE 12 (1) MADHYA PRADESH SAND RULE 2019 (MINING, TRANSPORTATION, STORAGE AND TRADING)

TANGNAMAL SAND MINE

AREA: 4.00 HECTARES, KHASRA NO: 209

VILLAGE: TANGNAMAL, TEHSIL: SHAHPUR, DISTRICT: BETUL

(MADHYA PRADESH)

APPLICANT

M/S NATIONAL ENERGY TRADING AND SERVICES LIMITED,

PLOT NO 7, BINDU SADAN, 401 SAI CHANDRA COLONY, GREEN SPACE TULASI,

PUPPALGUDA, MANIKONDA, HYDERABAD, TELANGANA STATE, INDIA

TYPE AND CATEGORY OF MINE: OPENCAST/SEMI MECHANISED

PREPARED BY

SYED IQTADAR TANWEER

G-3 BALAJI, BRIGHT COLONY, IDGAH HILLS,

BHOPAL (M.P.)

REGISTRATION NO: RQP/DGMMP/211/2019-24

EMAIL: si_tanweer@yahoo.co.in, MOB: 882795300

APPROVED

COLLECTOR
BETUL

SYED IQTADAR TANWEER
RQP/DGMMP/211/2019-24

Ishwar Bandhare

CONSENT LETTER

Revised Mining Plan of Tangnamal Sand Mine, Village Tangnamal (4.00 ha) has been prepared by RQP Shri Syed Iqtadar Tanweer (RQP No DGMMP/211/2019-24) under Madhya Pradesh Minor Mineral Rules, 1996 for approval. The lease hold area is located in Village- Tangnamal, Tehsil - Shahpur, District - Betul, MP, covering an area of 4.00 hectares.

The Director Geology and Mining, Madhya Pradesh, competent Authority is hereby requested to make further correspondence regarding this Mining Plan with the person and address mentioned below-

SYED IATADAR TANWEER
Recognized Qualified Person (RQP NO: RQP/DGMMP/211/2019-24)

G-3 Balaji, Bright Colony, Idgah Hills,

Bhopal (M.P.)
Email: si_tanweer@yahoo.co.in

Mob: 882795300

An undertaking in this regard is being submitted that the Mining Plan so prepared by the recognized person is with my knowledge and consent and shall be acceptable to me in all respects. I have clearly understood the contents of the Mining Plan and agree to implement.

Place: Betul

Date:

J. Brijbandhars

M/s National Energy Trading and Services Ltd.
Address: Plot No 7, Bindu Sadan, 401 Sai Chandra Colony, Green Space Tulasi, Puppalguda, Manikonda, Hyderabad, Telangana State, India

APPROVED

J. Brijbandhars

CERTIFICAE FOR FULL CONSULTATION

This is to certify that Revised Mining Plan of Tangnamal Sand Mine in village Tangnamal of the applicant M/s National Energy Trading and ServicesLtd., Village-Tangnamal, Tehsil - Shahpur, District - Betul of Madhya Pradesh State covering lease hold area 4.00 hectares has been prepared by RQP Shri Syed Iqtadar Tanweer (RQP No: RQP/DGMJMP/211/2019-24), in full consultation with me and I have understood its contents and agree to implement the same in accordance with the law.

Place: Betul

Date:

J. Bhuja Bandhan

M/s National Energy Trading and Services Ltd.

Address: Plot No 7, Bindu Sadan, 401 Sai Chandra Colony, Green Space Tulasi, Puppalguda, Manikonda, Hyderabad, Telangana State, India

APPROVED

J. Bhuja Bandhan

CERTIFICATE OF COMPLIANCE AND CORRECTNESS

- *Certified that the provisions of related Act and rules have been considered in the Revised Mining Plan of Tangnamal Sand Mine in village Tangnamal, area of 4.00 in Tehsil - Shahpur, District- Betul of Madhya Pradesh State, which belongs to the applicant M/s National Energy Trading and Services Ltd.*

- *Certified further that the provisions mentioned in Act, Rules and Regulations have been considered in the Mine Plan and wherever specific permissions are required, the applicant will approach to the concerned competent authorities including D.G.M.S. for the same.*

- *There is no violation against provision of Rules, Regulations of MMR, 1961 and there is no danger to human life.*

- *The information furnished in the Mine Plan is true and correct to the best of our knowledge.*

Place: Bhopal

Date:

Syed Iqtadar Tanweer

(RQP No: RQP/DGMJMP/211/2019-24)

SYED IQTADAR TANWEER
RQP/DGMJMP/211/2019-24

O-Benjo Bandhan

RQP CERTIFICATE

संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म मध्यप्रदेश

(मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम, 1996 के अंतर्गत)
खनन योजना / खनन स्कीम / पूर्वेक्षण रिपोर्ट / पर्यावरण प्रबंधन योजना / माईन क्लोजर प्लान बनाने हेतु मान्यता प्राप्त योग्य व्यक्ति

प्रमाण पत्र

श्री सैयद इक्तेदार तनवीर पिता स्व. डॉ. कासिम नयाजी, पता जी–3, बालाजी, बाईट कालोनी, ईदगाह हिल्स, भोपाल, मध्यप्रदेश, जिनकी फोटो तथा हस्ताक्षर अभिप्रमाणित है, को मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम 1996 के अंतर्गत खनन योजना / खनन स्कीम / पूर्वेक्षण रिपोर्ट / पर्यावरण प्रबंधन योजना / माईन क्लोजर प्लान तैयार करने हेतु योग्य व्यक्ति के रूप में मान्यता प्रदान करते हुए पंजीयन क्रमांक **RQP/DGMMP/211/2019** आवंटित किया जाता है।

यह मान्यता प्रमाण पत्र 05 वर्ष की अवधि के लिये दिनांक **04.08.2024** तक वैध रहेगा।

मान्यता प्राप्त व्यक्ति के हस्ताक्षर –

भोपाल, दिनांक 05.08.2019

सचालक
भौमिकी तथा खनिकर्म
मध्यप्रदेश भोपाल

J. Ranjit Kanekhab

CONTENTS

1. INTRODUCTION 3

1.1 GENERAL INFORMATION 5
1.2 AREA DETAIL & APPROACHABILITY 6

2. LANDUSE / INFRASTRUCTURE 7

2.1 PRESENT LAND USE STATUS: 7
2.2 INFRASTRUCTURE 7

3. TOPOGRAPHY AND GEOLOGICAL DETAILS 9

3.1 TOPOGRAPHY 9
3.2 REGIONAL GEOLOGICAL DETAILS: 9
3.3 REGIONAL GEOLOGICAL SETUP/SEQUENCE: 10
3.4 LOCAL GEOLOGICAL DETAILS: 11
3.5 EXTENT OF RIVER BED & ALLUVIAL SAND DEPOSIT: 12
3.6 PROSPECTING AND EXPLORATION DONE: 12

4. ESTIMATION OF RESERVES: 13

5. DEVELOPMENT AND PRODUCTION PROGRAM 16

5.1 PROPOSED METHOD OF QUARRYING: 16
5.2 MECHANIZATION: 18
5.3 BLASTING: 18
5.4 LOADING AND TRANSPORTATION OF SAND: 19
5.5 MANPOWER DEPLOYMENT: 19
5.6 PROPOSED YEARLY PRODUCTION PROGRAM 20
5.7 MINE LIFE: 20
5.8 USE OF MINERAL: 20

6. CONCEPTUAL PLAN 21

7. ENVIRONMENTAL MANAGEMENT PLAN 22

7.1 AIR QUALITY MANAGEMENT: 22
7.2 WATER MANAGEMENT: 22
7.3 NOISE MANAGEMENT: 23
7.4 WASTE MANAGEMENT: 23
7.5 BIOLOGICAL ENVIRONMENT 23

LESSEE/APPLICANT
M/s National Energy Trading and Services Ltd., Hyderabad

J. Renja Bandhard

J. Renja Bandhard

Syed Iqtadar Tanweer
RQP/DGM(IP)/211/2019-2024

SYED IQTADAR TANWEER
RQP/DGM/IP/211/2019-24

7.6 DISPOSAL OF MINING MACHINERIES: 23
7.7 SAFETY AND SECURITY: 24
7.8 DISASTER MANAGEMENT: 24
7.9 CARE DURING TEMPORARY DISCONTINUANCE: 24
7.10 ECONOMIC REPERCUSSION OF CLOSURE & MAN POWER RETRENCHMENT 24
7.11 STATUS OF LOCAL EMPLOYEES: 25
7.12 COMPENSATIONS: 25
7.13 RECLAMATION & REHABILITATION: 25
7.14 DISTANCE FROM THE NEAREST BRIDGE/DAM: 25
7.15 SOCIO – ECONOMIC ENVIRONMENT: 26
7.16 PLANTATION (AFORESTATION PROGRAM): 26
8. PROGRESSIVE MINE CLOSUR PLAN 27
9. SAND REPLENISHMENT ASSESSMENT 28
9.1 NEGATIVE IMPACTS: 28
9.2 POSITIVE IMPACTS: 28
9.3 NEED FOR SAND REPLENISHMENT STUDY AND FACTORS TO BE CONSIDERED AND OBSERVED: 28
9.3.1 WATER LEVEL DURING LEAN PERIOD: 29
9.3.2 CATCHMENT AREA 30
9.3.3 ORIGIN OF RIVER: 30
9.3.4 DISTANCE OF TRAVELLING OF LOAD: 30
9.3.5 SLOPE / GRADIENT / ELEVATION DIFFERENCE: 30
9.3.6 GEOLOGY / LITHO UNITS: 30
9.3.7 CLIMATIC CONDITIONS: 30
9.3.8 TRIBUTARIES / CONFLUNCE: 30
9.3.9 TYPE/STAGE OF RIVER AND FLOW VELOCITY: 31
9.3.10 STRUCTURES: 31
9.4 CONCLUSION: 31

J. Pinja Bandhari

APPROVED

LESSEE/APPLICANT
M/s National Energy Trading and Services Ltd., Hyderabad

Syed Iqtadar Tanveer
RQP/DGMMP/211/2019-2024

SYED IQTADAR TANVEER
RQP/DGMMP/211/2019-24

FIGURES

KEY PLAN

GOOGLE IMAGE

KHASRA MAP

PLATE 1- SURFACE PLAN AND GEOLOGICAL PLAN

PLATE 2- YEARWISE DEVELOPMENT PLAN AND SECTION

PLATE 3- ENVIRONMNETAL PLAN

PLATE4- YEARLY MONSOON WISE PLATE AND SECTION

ANNEXURES

SANCTION ORDER COPY

RQP CERTIFICATE

J. Priya Bardhan

APPROVED

The demand for ordinary natural river sand is enormously increased in building construction and infrastructural developments. The natural sand is started vanishing from the river beds besides causing natural and environmental hazards in surrounding areas due to illegal and unscientific mining without proper mining plan. Therefore, the government of India announced sand policy by fixing responsibility on related departments mainly Mines & Geology and Ministry of Environment and Forest (Pollution control boards). Accordingly, the Govt. of Madhya Pradesh formulated a natural sand policy to meet the sand demand in the state by undertaking systematic & scientific mining and protection of environment and by maintaining eco-balance in the surrounding areas by following the Govt. of India guidelines.

Based on the Government of India guidelines, this quarry plan is prepared for the proper development of mine area with safe quarrying operation. It also provides guidance and directives to be followed during the quarrying operation under the rules and regulations as imposed by the Government.

Mine has been allotted to National Energy Trading and Services Ltd., Address: Plot No 7, Bindu Sadan, 401 Sai Chandra Colony, Green Space Tulasi, Puppalguda, Manikonda, Hyderabad, Telangana State, India, over an area of 4.00 Hectares covering Khasra No 209, up to 30.06.2023 (As per Order No. 1862/Sand/2022, Betul, dated 23.12.2022).

In compliance to MP Sand (Mining transportation, Storage and Trading) Rule 2019 published in Gazette notification of Government of MP dated 30-08-2019 and as per the rule 42 of MP Minor Mineral Rules 1996, this Quarry plan is being prepared and submitted for approval to the Collector [Mining] Betul MP and quarrying operation start only after obtaining the statutory permission as per rule 14.

T. Priyi Banahara

LESSEE/APPLICANT
M/s National Energy Trading and Services Ltd., Hyderabad

Syed Iqtadar Tanveer
RQP/DGMM/21/2019-2024

APPROVED

1.1 GENERAL INFORMATION

Name of Applicant	M/s National Energy Trading and Services Ltd
Address of Applicant	Address: Plot No 7, Bindu Sadan, 401 Sai Chandra Colony, Green Space Tulasi, Puppalguda, Manikonda, Hyderabad, Telangana State, India
Quarry Village	Tangnamal
Name of the River	Morand River (a tributary of Narmada)
Tehsil	Shahpur
District	Betul
State	Madhya Pradesh
Khasra No.	209
Area [Hectares]	4.00
Permitted Period	Up to 30.06.2023
Whether Recorded in Forest	Not recorded in any Reserved / Protected Forest Area
Status Of Applicant	Private Individual
Mineral (S) Which Applicant Intended to Mine	Sand
Sanction order Details Order No. & Date	As per Order No. 1862/Sand/2022, Betul, dated 23.12.2022
Ownership / Occupancy	Government Land, River Bed
R.Q.P. Address & Registration details/Mobile No	SYED IQTADAR TANWEER G-3 Balaji, Bright Colony, Idgah Hills, Bhopal (M.P.) Registration No: RQP/DGMMP/211/2019-24 Mob: 8827951780

LESSEE/APPLICANT
M/s National Energy Trading and Services Ltd., Hyderabad

Syed Iqtadar Tanweer
RQP/DGMMP/211/2019-2024

SYED IQTADAR TANWEER
RQP/DGMMP/211/2019-24

APPROVED

1.2 AREA DETAIL & APPROACHABILITY

Details Of Sanctioned Lease Area	**Village**	Tangnamal
	Tehsil	Shahpur
	District	Betul
	River	Morand River (a tributary of Narmada)
	State	Madhya Pradesh
	Khasra No.	209
	Sanctioned Area	4.00 Hectares
Topo Sheet No.	55F/16	
Village Coordinates	22°10'42.54"N 77°38'26.49"E	
Site Co-ordinates (Latitude & Longitude)	**Block -I**	**Block -II**

Boundary Point no.	Latitude	Longitude
A	22°10'56.56"N	77°39'12.82"E
B	22°10'51.08"N	77°38'36.21"E
C	22°10'53.67"N	77°38'40.86"E
D	22°10'59.11"N	77°39'08.53"E
E	22°10'53.15"N	77°38'56.74"E
F	22°10'59.96"N	77°39'12.71"E

Boundary Point no.	Latitude	Longitude
G	22°10'57.66"N	77°39'15.90"E
H	22°10'58.91"N	77°39'16.25"E
I	22°10'46.34"N	77°39'23.89"E
J	22°10'46.11"N	77°39'22.69"E

	From Site	Approx. Distar
Approach & Accessibility	**District Head Quarter Betul towards SE**	38 km
	Tehsil – Shahpur towards E	26 Km
	Village – Tangnamal - SW	0.8 Km
	Nearest Railway Station Dhodramohar Towards NE	25 Km
	NH-47 -W	14 Km
	Health Centre (Village Tangnamal)	0.8 Km
	Nearest Bridge Towards SW	1 Km
	Monuments / Places of Social importance	None Nearby
	National Parks	Not within 10 Km
	Reserve Forest	Not within 250 m

J. Brijbandhas

APPROVED

2. LANDUSE / INFRASTRUCTURE

2.1 PRESENT LAND USE STATUS:

Sand Mining lease has been sanctioned for a period of up to 30.06.2023 over an area of 4.00 Hectares on a River Bed (Morand a tributary of Narmada) for quarrying and transportation of sand. Quarrying & related activities shall be carried out from the top surface level.

Present land use status of the sanctioned area is as under:

Total Lease Area	**4.00 Ha**	**40,000 M^2**
Barrier Zone / Safety Strip	8,500 M^2	
Area under water/ Non-Mining Area	7,500 M^2	
Available Working Area	**24,000 M^2**	

2.2 INFRASTRUCTURE

- **Power Supply** - Electrical Power is not available: Shall be arranged from the nearby supply line if required with proper NOC from concerning Department.

- **Communication & Transport** - Site is well connected with District Headquarter and other towns by road. Buses and private taxis are frequently available from district and Tehsil headquarters up to the village. Quarry site is approachable from village by private means.

- **Land** -Quarry lease area situated on river bed and is a non-forest government land.

- **Water Supply** - Dug wells and bore wells available in the vicinity to meet the requirement of drinking water. Water is potable & hygienic as no adverse effects noticed in habitants of nearby area.

- **School Facilities** - School facilities for primary education are available in the village Panchayat: Middle school or higher studies are present in District Headquarter Betul and Tehsil Shahpur.

LESSEE/APPLICANT
M/s National Energy Trading and Services Ltd., Hyderabad

Syed Zulqadar Tanveer
RQP/DGMMP/211/2019-2024

APPROVED

- **Man Power** - Mine workers shall be arranged from nearby villages therefore no constraint regarding availability of manpower in the area.

There are no places of national and social importance exist within the radius of 500 m of mine site.

J. Puja Bandhab

APPROVED

3. TOPOGRAPHY AND GEOLOGICAL DETAILS

3.1 TOPOGRAPHY

The lease area falls in a River Bed (Morand River) and divided in two parts. Since, the sand area falling partly at the non-active river bed, the general surface level of the lease area is undulating with negligible thorny bushes/shrubs and comparatively lower than the surroundings. The surface level of the mine lease is around 496-497 MSL. The drainage direction is towards northwest in the lease area.

Topography of the area has been derived due to alluvial deposition on the flood plains of Narmada River and its Rivulets. General slope of the lease area is from southeast to northwest. The drainage pattern in the area is dendritic.

3.2 REGIONAL GEOLOGICAL DETAILS:

The district has four district physiographic division viz (i) Satpura plateau in Tawa and Morand valleys (ii) The Satpura plateau in central and (iii) southern part of the district (iv) and Tapti valley. The whole district lies on Satpura plateau at an elevation of 365m above mean sea level. The general elevation is about 609m at Kilendeo form the highest peak in the northern and central parts of the district. Tawa valleys lies at on elevation of 396m amsl between peaks of Kilandeo and Bhogwangar, the general scope of the valley is towards the North West.

T. Renuka Bandhakavi

APPROV

3.3 REGIONAL GEOLOGICAL SETUP/SEQUENCE:

Age	Lithounits	Rock types
Quaternary		Soil and alluvium
----------Unconformity----------		
U. Cretaceous to Eocene	Deccan Trap	Non-porphyritic and porphyritic basalt
----------Unconformity----------		
U. Cretaceous	Lameta	Sandstone, shales and limestone
----------Disconformity----------		
U. Cretaceous	Upper Gondwana	Sandstone, siltstone, conglomerate and clay
----------Unconformity----------		
Archaean		Quarzo-feldspathic gneiss with dolerite intrusions

Archaeans

The crystalline metamorphic and igneous rocks cover approximately 20% of the total district area. The igneous rocks are intensive granite and pegmatite veins intending the metamorphic rocks. Quartz pegmatite views are common features and occurs as broad dykes and thin strings. The ground basins are conterminous with surface drainage sub basin thus ground water flow system is of local types where end system has its recharge area at topographic low. The Archaeans are mainly occupying the Betul, Chichab, Multai and Amla blocks. These rocks do not have primary porosity and hydraulic conductivity. The weathered part of the crystalline rocks are called saprolite, which is of particular interest from the point of view of storage zone for ground water and as an aquifer for open well and shallow tube wells. The thickness of this zones in the entire district area ranges from 2.5 to 30.00 m. in this formation, aquifers also occurs where bed rock and quartz pegmatite intensive vein are jointed and fractures.

LESSEE/APPLICANT
M/s National Energy Trading and Services Ltd., Hyderabad

Syed Ishtiaq Tanveer
RQP/DGMMR/211/2019-2024

APPROVED

J. Priya Reddy

The yield depends upon saturated thickness of the weathered mantle and fracture pattern of the rocks.

Gondwana

The Gondwana rocks are comprising succession of sand stone, shales with seems of coal lying over the metamorphic rocks of crystalline Archaean system with a district unconformity. The beds of Gondwana rocks are distributed in patches and lie in a liner trend coinciding almost with the present river valleys. There rocks show considerable faulting. The Talchir beds consisting of sandstone and green clays with boulders contain plant fossils. There are bounded by faults. The west and north west of Betul, there are out of Gondwana rocks which separates decant traps from Archaeans rocks. Barkars of Gondwana group contains coal seams.

Deccan Traps

Deccan traps comprising varies types of basaltic lava flows and most extensive rocks in the district. There rocks occupying in Betul, Multai, Bhimpura, Chicholi, Bhainsdehi, Atner and Prabkat pattam blocks. The base of the flow consists of a porons layers of earthy basalt which passes rapidly into the main body. Of flow consisting of great thickness of hard basalt. Generally, the Deccan trap in the area occurs in the form of fractures, weathered and vesicular basalts.

3.4 LOCAL GEOLOGICAL DETAILS:

The top layer of applied area forms a part of stream bed covered mainly with sand deposits with rare colluvial material belonging to recent river alluvium up to 4.0 m. Quarrying will be concentrated up to 3.0 m only for extraction of sand. However, it is found that minimum 4m thick sand deposit is available throughout the lease within the top most layer of recent alluvium. This top sandy layer is underlain by laterite followed by Deccan trap.

Altitude of the area- Average elevation of the area is- 496.5 m

High flood Level (HFL) – 498 m

APPROVED

Low flood Level (LFL) – 496 m

Surface and geological map with cross section of the area on 1: 2000 scale with suitable contour intervals showing general topography and geology has been enclosed.

3.5 EXTENT OF RIVER BED & ALLUVIAL SAND DEPOSIT:

The sand quarry lease area is divided in to parts and elongated along the course of the river with an orientation of southeast to northwest and lies on a meander. The deposit of sand is available on full width and length of the lease.

The sediment in the form of river bed material i.e.. sand has deposited in the last many years as a process of sedimentation in the paleochannels. Sand bars have been formed at various places hindering the flow of water and excess deposition has changed the shape of the river bed. Because of this, during monsoon season, the water may rise above the high flood level causing heavy and devastating floods. Such disasters may damage large tracts of land laying on both banks of the river especially the agricultural lands.

Accumulation of the sand deposit on the river bed is annual process. It is replenishable due to sediment inflow during floods in rainy season. Thickness of river bed where sand deposited every year varies but excavation of sand is permitted up to 3 m depth or up to top level of water table whichever is less. The summer water table goes down to 4 m below surface. Hence sand can easily be extracted up to 3 m depth in dry season.

3.6 PROSPECTING AND EXPLORATION DONE:

This is the revised mining plan and mining lease has already been excavated in the past. Based on post monsoon yearly survey by local mining officer and observations conducted by lessee, sand deposit in the lease has completely been replenished and average thickness of sand deposition within the sand accumulated area is observed to be > 3.0 m in proposed sand bed and considered for estimating the reserves.

Since sand exposed all over within the sand accumulated area of the lease and depth is proved, therefore, future prospecting has not proposed in the area. However, a

J. Priya Bandhavi

APPROVED

survey likely to be conducted by local mining officer to ascertain the depth of sand accumulation during post monsoon every year.

4. ESTIMATION OF RESERVES:

The applied sand lease area is about 0.8Km northeast from village Tangnamal and located in the river bed of Morand River that generally flows from south to north.

In order to estimate the reserves, DGPS survey has been carried out to define the topography, contours and offsets of the lease area. Khasra map has been considered as base map to demarcate the mine lease boundary. The shape and size of the mine lease has been fixed as per the sanctioned demarcated Khasra map of the lease area by DGPS survey.

The area has been fully demarcated with respect to geographical coordinates and surface reduced level taken at every point of cluster. To describe the elevation in detail, 0.5m contour interval has been picked for the preparation of surface plan and cross section which includes collection of surface reduced level in an interval of 0.5m for reserve estimation. The maximum elevation observed to be 498m from MSL and whereas minimum elevation recorded to be 494m MSL with the lease area.

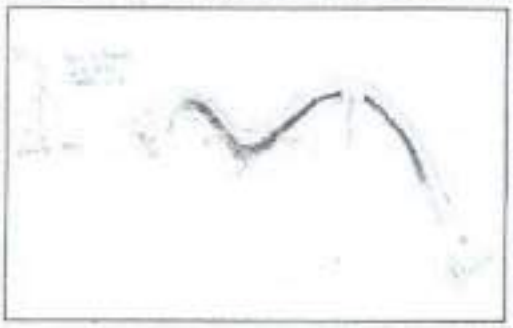

Sanctioned demarcated area (Khasra)

Demarcated area on Google Image

Very gently sloping or almost flat topography of the lease is the main reason for having sufficient quantity of sand available for removal. In addition, the location of applied lease lies on a meander making it suitable for sand deposition, therefore good deposit of sand is available on full width and length of the lease.

APPROVED

As per the Point (r) page 24 of Guidelines of Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining, Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MOEF & CC) January 2020 "**River bed sand mining shall be restricted within the central 3/4th width of the river/rivulet or 7.5 meters (inward) from banks but up to 10% of the width of the river**"

The mineral sand is exposed in full width and length of the lease and follows very gently sloping topography.

This is the revised mining plan and mining lease has already been excavated in the past. Based on post monsoon yearly survey by local mining officer and observations conducted by lessee, sand deposit in the lease has completely been replenished and average thickness of sand deposition within the sand accumulated area is observed to be > 2.0 m in proposed sand bed and considered for estimating the reserves.

Since sand exposed all over within the sand accumulated area of the lease and depth is proved, therefore, future prospecting has not proposed in the area. However, a survey likely to be conducted by local mining officer to ascertain the depth of sand accumulation during post monsoon every year.

Specifications considered for the estimation are as under:

Area specification	Values
Sanctioned lease area	4.00 hac or 40,000 M^2
Area submerged in water/Non mining	7,500 M^2
Area under Barrier / Safety zone within sand accumulated area	8,500 M^2
Available Mineable area where sand has been deposited/accumulated is equal to 60% of total lease area as follows Point (r) page 24 of Guidelines of Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining, Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MOEF & CC) January 2020 which says that Maximum allowable mineable area cannot be more than 60% of total lease area (**24,000 M^2** is 60% of 40,000 M^2)	**24,000 M^2** (Total lease area – non mining area - barrier zone) (40,000 M^2 -7,500 M^2 -8,500 M^2 = 24,000 M^2)

As the extractable area 24,000 M^2 is gently sloping, hence the volumetric method adopted for reserve estimation.

The thickness of sand is more than 2.2m. The water level fluctuates from 3-4m during post- monsoon to pre-monsoon (October to June). However maximum of 0.76 m depth of sand deposit has been considered for estimation.

J. Brijo Bandhard

LESSEE/APPLICANT
M/s National Energy Trading and Services Ltd., Hyderabad

J. Brijo Bandhard

Syed Iqtadar Tanveer
RQP/DGM/MP/211/2019-2024

SYED IQTADAR TANVEER
RQP/DGM/MP/211/2019-24

APPROVED

MINING PLAN OF RIVER BED SAND MINE
VILLAGE: TANGANAMAL, AREA: 4.00 HA, TEHSIL: SHAHPUR, DISTRICT: BETUL (MP)

Reserve calculation of the given area is detailed as under:

Area [M^2] X Depth [m] = Volume [M^3]

Total available sand - 24,000 M^2 x 2.2m (Max Thickness) = 52,800 m^3

Total mineable sand -24,000 M^2 x 1.05m (Average Thickness) = 25,200 m^3

Total mineable reserve estimated to be 25,200 M^3

J. Priya Bandhavi

APPROVED

COLLECTOR
BETUL

J Priya Bandhavi

LESSEE/APPLICANT
M/s National Energy Trading and Services Ltd., Hyderabad

15

Syed Iqtadar Tanveer
RQP/DGMM/211/2019-2024

SYED IQTADAR TANVEER
RQP/DGMM/P/211/2019-24

5. DEVELOPMENT AND PRODUCTION PROGRAM

5.1 PROPOSED METHOD OF QUARRYING:

The mining operation will be carried out by semi mechanized method and all the related activities shall strictly be done according to the M.M.R 1991 rule without blasting
As per the Sustainable Sand Mining Management Guidelines 16, there are total 5 extractions methods and are follows as;

a) Bar scalping and skimming is extraction of sand and gravel from the surface of bars. This method generally requires that surface irregularities be smoothed out and that the extracted material be limited to what could be taken above an imagery line sloping upwards and away from the water from a specified level above the river water level at the time of extraction (typically 0.3-0.6m). Bar scalping is commonly repeated year after year. To maintain the hydraulic control provided to upstream by the Riffle head., the preferred method of bar scalping is now generally to leave the top 1/3rd (approximately) of the bar undisturbed, mining only from the downstream 2/3rd.

b) Dry-Pit Channel Mining

Dry-Pit channel mining is the method where pits excavated within the active channel on dry intermittent or ephemeral stream beds. Dry pits are often left with abrupt upstream margins, from which head cuts likely to propagate upstream.

c) Wet-Pit Channel Method

It involves excavation of a pit in the active channel below the surface water in a perennial stream or below the alluvial groundwater table.

d) Bar Excavation

APPROVED.

A pit is excavated at the downstream end of the bar as a source of aggregate and as a site to trap sand and gravel. Upon completion, the pit may be connected to the channel at its downstream end to provide side channel habitat.

e) Channel – wide River bed Mining

In rivers with a highly variable flow regime, sand and gravel are commonly extracted across the entire active channel during the dry season. The bed is flattened and uniformly (or nearly so) lowered.

As per the Sustainable Sand Mining Management Guidelines 2016, there are 5 extraction method as mentioned above in total out of which 'Channel-wide River bed Mining' method shall be adopted with respect to type of river bed deposition. Mining shall be done in layers of 1 meter depth to avoid ponding effect and after first layer is excavated, the process will be repeated for the next layers.

Previous year water level regime monitoring season of river bed is observed. The water level fluctuation in the river bed is from 0.0-3.0. It means the water level about 0.0m to 1.0m describes a monsoon season (July-September) where water covers the whole riverbed and flows almost uniformly throughout the river course. In case of river sand bed of about 2m water level define the post monsoon season (October to December) in which water level drops and part of river bed exposed/ dried in certain part of river channel or sand mine spot due to difference in contour elevation as well as replenished sand. In case of river having about 3.0 m water level describes pre-monsoon season (from March to mid of June).

During post monsoon (October to February) mining will be carried out in layers of 1-meter depth for maintaining the river bed water level regime (Plate 4).

During pre-monsoon (March to June) mining will be carried out in 2nd layers of 1 meter depth after completion of 1st layer for maintaining the river bed water level regime (Plate 4).

No bench can be maintained in river sand hence bench wise mining cannot be proposed.

Due to continues accumulation of sand in the area during rainy season, there will not be much depletion in the reserve of sand. hence reserve is likely to be remain same every

J. Reniz Bandhab

APPROVED

year and in future also. The Lease period has been sanctioned up to 30.06.2023, accordingly three years production plan can be envied as below:

Semi-mechanised method of quarrying shall be undertaken during quarrying operation and all the related activities shall strictly be followed according to M.M.R 1991 rule without blasting and drilling.

Mining operation shall be based upon Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining, Ministry of Environment, Forest and Climate change January, 2020.

Quarrying progression will be from southeast to northwest, whereas mine face will be west to east. However, mine facing may be adjusted based on best environment friendly practices.

5.2 MECHANIZATION:

An open cast quarrying by semi mechanized method will be adopted for extraction of ordinary sand, keeping the productivity and safety in mind.
Semi mechanized quarry operation shall be done by utilizing JCB, hand Shovel, spade, crow bars, water tanker etc. will be required to deploy for mining works, Dumpers will be required for loading and transportation purpose.

JCB	1 No
Dumper	3 No. (Capacity- 12 m3)
Water tanker	1 No.

5.3 BLASTING:

Not applicable.

J. Brijbandhas

J. Brijbandhas

LESSEE/APPLICANT
M/s National Energy Trading and Services Ltd., Hyderabad

Syed Iqbaldar Tanveer
RQP/DCMMP/211/2019-2024

APPROVED

5.4 LOADING AND TRANSPORTATION OF SAND:

Dumpers / tipper shall be used for transportation purpose.

For transporting the sand from lease area to the bank and for further destinations (end users/market), following estimation has been followed.

Yearly Production	25,200 m^3
Daily Production Assuming 240 working days leaving rainy season	105 m^3/day
Capacity of Dumper	12m^3
One dumper can carry (as a safety measure)	10m^3
Total number of trips required	11
Total Dumper Required (capacity 10 m^3)	3

The above per day calculations are for reference purpose only. The removal of sand shall be done as per demand and these figures may change drastically but within the limit of yearly production of 25,200 M^3.

5.5 MANPOWER DEPLOYMENT:

Required number of man power/labor is easily available from the surrounding villages. Requirement of manpower depends on the production and taking into account an average rate of annual production of 25,200 m^3 and assuming 240 working days per year, around 105 m^3 of proposed production to be achieved per day.

Keeping an average output per man per shift about 8 m^3 (OMS), then around 13 persons shall be required in the mine site.

Considering a presence of site foreman is important and a manager, a total of 14-15 persons shall be required to manage the mining operation.

Number of shifts proposed for per day is one shift / day. Depending upon the demand of sand, working time may be adjusted following the rules and making proper arrangements in place.

LESSEE/APPLICANT
M/s National Energy Trading and Services Ltd., Hyderabad

Syed Jafadar Tanveer
RQP/DGMM/211/2019-2024

J. Bhuja Damodhar

APPROV-

5.6 PROPOSED YEARLY PRODUCTION PROGRAM

Due to continues accumulation of sand in the area during rainy season, there will not be much depletion in the reserve of sand, hence reserve is likely to remain same every year and in future also. The Lease period of 3 years has taken as per the provisions of rule 9 of Madhya Pradesh Sand (Mining, Transportation, Storage and Trading) Rule, 2019. Accordingly, three years production plan can be envied.

It is to be noted that applied lease area has been sanctioned up to 30.06.2023 only, therefore 1st year production has been provided in the table below. However, if lease extended for two more years, then the same quantity, i.e., 25,200 M^3 per year can be extracted for another two years.

Years	Available Extractable Mining Area M^2 (60% of Lease Area)	Depth M	R O M M^3	Waste M^3 (10%)	Maximum proposed sand Production M^3
1st Year	24,000	1.05	25,200	Nil	25,200

5.7 MINE LIFE:

Mine has been sanctioned for the excavation of sand until 30.06.2023. Quarry lease may further be allotted to some other agency in future.

This is a river bed quarrying case, every year after monsoon, the sand deposit gets replenished and is available for ensuing years: hence river bed deposit has no fixed mine life.

5.8 USE OF MINERAL:

Sand so extracted from the mine lease, will be sold locally as building material. It is usually mixed with cement and other ingredients to create mortar for building. It is also used in brick manufacturing industries.

APPROVED

COLLECTOR
BETUL

J. Priya Bandhari
LESSEE/APPLICANT
M/s National Energy Trading and Services Ltd., Hyderabad

Syed Iqtadar Tanveer
RQP/DGNMM/211/2019-2024

J. Priya Bandhari

6. CONCEPTUAL PLAN

Mine applied lease spread over a total area of 40,000 m^2. Though sand thickness found to be more than 2.2m but actual digging depth restricted up to 1.05 m only. However, pits generated by quarrying will be replenished during rainy season. Quarrying will be worked systematically as the width is smaller than its length. As the lease period has been sanctioned until 30.06.2023, some of the area will be left un-worked at the end of lease period.

During plan period workings will be carried out in one stretch at a time. Scattered workings will ensure safety, remove congestion and will have better control and management.

Bank side natural slope will not be disturbed. This will prevent collapse of bank and erosion.

There will be no soil or OB removal during the plan period. Therefore, no proposal has been envisaged for its separate dumping. No outside material will be filled up in the extracted zone.

J. Puja Bandhan

LESSEE/APPLICANT
M/s National Energy Trading and Services Ltd., Hyderabad

Syed Iqbaldar Tanveer
RQP/DGNMP/211/2019-2024

APPROVED

7. ENVIRONMENTAL MANAGEMENT PLAN

7.1 AIR QUALITY MANAGEMENT:

Dust during quarrying, fumes and exhaust emission due to transportation of vehicles are the main causes of air pollution.

Personal Protection Equipment's (PPE) like dust masks, ear plugs etc. will be provided to mine workers

It can be effectively controlled by regular water sprinkling on roads.

Mineral carrying vehicles should be covered with tarpaulin and shall not be over loaded.

Proper maintenance of transport vehicles and PUC certification will minimize the exhaust emission. Adequate plantation will also support to maintain air quality.

7.2 WATER MANAGEMENT:

Sand quarrying activities will have an impact upon the river's water quality. Impacts include increased short-term turbidity at the mining site due to re suspension of sediment, and dumping of excess mining materials, oil spills or leakage from transportation vehicles and washing of vehicles in the river.

Increased riverbed and bank erosion increases suspended solids in the water at the excavation site. Suspended solids may adversely affect water towards downstream and aquatic ecosystems.

The impact is particularly significant if water toward downstream of the site being abstracted for domestic and irrigation purposes etc.

Quarrying is avoided during the monsoon season and at the time of floods. This will help in replenishment of sand in the river bed.

Quarrying below subterranean water level will be avoided as safe guard against environmental contamination and over exploitation of resources.

River stream will not be diverted to form inactive channels.

Meandering segment of river would be selected for mining in such a way to avoid natural eroding banks and to promote mining on naturally building meander components.

Utmost care will be taken to avoid the used of fuel leaking vehicles for sand transportation

The washing of trucks in the river will be avoided.

7.3 NOISE MANAGEMENT:

In manually operated sand mine, noise is generally created by transportation of vehicles.

Onsite and offsite noise management are:

Plantation of trees along the river bank and transport route beyond the bank shall be undertaken to dampen the noise, if possible.

The vehicles shall be maintained in good running condition so that noise will be reduced to minimum possible level.

Awareness will be imparted prior to quarrying operations that smoke silencers remain in a good condition and not to generate noise.

Unnecessary use of horns by the drivers of the vehicles shall be avoided at village areas.

7.4 WASTE MANAGEMENT:

There is no top soil expected to be produced in the plan period. No other waste anticipated to be generated hence waste disposal arrangement is not required.

7.5 BIOLOGICAL ENVIRONMENT

The proposed quarrying will be undertaken from the dry bed of the river on a small scale, therefore unlikely to impact the aquatic environment or any fauna or floral environment.

7.6 DISPOSAL OF MINING MACHINERIES:

No disposal of machineries would take place onsite and hand tools, tractors, dumpers will be deployed on hire basis.

APPROVED

7.7 SAFETY AND SECURITY:

Prior to mining, short awareness/training program will be conducted for site staff to make them aware regarding safety aspects and environment friendly work practices.

First aid kit and anti-venom injection for snake/insect bite shall be provided at mine site.

If some causality or injury to animal occurs, it will be informed to forest department and proper treatment will be given.

No lighting will be allowed in the area.

No tree cutting, chopping, lumbering, uprooting of shrubs and herbs will be allowed.

No track or new road for movement of site workers or vehicles be laid in adjoining area, this will prevent fragmentation, encroachment and human verses animal encounter.

Corridor for movement of wild mammals (If exists) will be avoided for mining/transport purposes

If wild animals are noticed crossing the river bed, they will not be disturbed or chased away, instead the workers will move away from their path.

7.8 DISASTER MANAGEMENT:

Nature of mining method is very simple and high-risk accidents are not anticipated. In case of natural disaster, lessee will take assistance from local government officials.

7.9 CARE DURING TEMPORARY DISCONTINUANCE:

No major quarrying machineries will be deployed as mining shall be undertaken manually. Most of the tools/equipment shall be on hire basis, in such cases, care will be taken as per the terms and conditions of contract. During temporary discontinuance, a watchman should be present to look after the mine site.

7.10 ECONOMIC REPERCUSSION OF CLOSURE & MAN POWER RETRENCHMENT

This quarry lease sanctioned for defined time period, most of the facilities and man power will be deployed on hire basis and in such case, care will be taken as per terms and conditions of contract.

7.11 STATUS OF LOCAL EMPLOYEES:

Local residents will be proposed to employ from the nearby areas which already have their own traditional and family occupation like agriculture, fisheries and other sundry jobs. During monsoon and some other season or at the end of mine period they can easily join their respective employments.

7.12 COMPENSATIONS:

Retrenchment compensation to the employees as and when required will be done as per Government Labor legislation.

7.13 RECLAMATION & REHABILITATION:

The applied area comprises mainly sand, and negligible quantity of coarser material. The proposed area is the zone of active erosion during high flood time, otherwise it is a zone of deposition between two stream flows. So, no manual reclamation is needed. It is expected that the reclamation of the affected area will be automatically done by filling with sand flow in the rainy season depending on the amount of rain fall received by the area and the rate of river flow.

There is no human settlement within the quarry area. No human settlement will be disturbed due to the Quarrying activity. So, no rehabilitation and resettlement are proposed.

7.14 DISTANCE FROM THE NEAREST BRIDGE/DAM:

There is a bridge located around 1.0 km SW, downstream of the lease and constructed on Morand River. However, none is located within mine lease area.

APPROVED

8. PROGRESSIVE MINE CLOSUR PLAN

This is a sanctioned quarry which may again be sanctioned after its expiry on 30.06.2023. The actual working area (sand accumulated area) within the proposed area is the zone of active erosion during high flood time, otherwise it is a zone of deposition and mined out areas may or may not be automatically replenished with sand flow in the rainy season each year, hence progressive plan is not envisaged.

Statutory Obligations: No statutory obligations imposed till now; routine legislative conditions will apply as mentioned in approval letter.

APPROVED

9. SAND REPLENISHMENT ASSESSMENT

Sand quarrying from river bed will cause degradation of land use pattern and damage to the environment. Over exploitation of sand from river bed will definitely affects adversely on the surrounding environmental status. Deposition of sand is a continuous natural process, but the over drafting will never be permitted to ensure the balance between exploitation and replenishment potential of river sand.

Sand quarrying from river bed will have both positive and negative impacts;

9.1 NEGATIVE IMPACTS:

It includes destruction of natural river course, bank erosion, bank cutting and widening and deepening of river bed. Change in hydrological status and recharging conditions. Disturbance to closely linked flora, fauna and aquatic life.

9.2 POSITIVE IMPACTS:

Employment and socio-economic status of the habitants living besides the river depends on sand mining industries. Construction of concrete infrastructures, roads and some other related activities depends on the river bed sand. Continuous accumulation of sand ultimately leads to the reduction in water carrying capacity of the river leading excessive flood in the river. Sustainable extraction of sand from river will lead to overcome the problem.

9.3 NEED FOR SAND REPLENISHMENT STUDY AND FACTORS TO BE CONSIDERED AND OBSERVED:

Environmental status of the mined-out area may be affected badly if proper care is not taken to ensure sustainable extraction of sand from river bed. Proper study of the following factors must be taken into consideration to reveal the actual potential of sand deposition in river course after completion of periodical excavation annually. The main factors required to be considered for the study of the replenishment potential of particular river course are:

LESSEE/APPLICANT
M/s National Energy Trading and Services Ltd., Hyderabad

J. Priya Bandhavi

Syed Iptedar Tanveer
RQP/DEMM/211/2019-2024

APPROVED

Formation of sand comprises of the following:

Catchment area and geological strata.

Erosion, weathering

Climatic conditions, Precipitation

Geomorphology, Physiographic Manmade structures and activities details.

Geological formations Refer to Chapter 3.

Deposition/sedimentation of material or sediment yield depends upon several factors like;

-Catchment area

-Span of river / flood plain

-Travelling distance of suspended particles

-Slope / gradient / depth of water channel / meandering of river

- Geology traversed

- Climatic conditions

-Tributaries / Confluence

- Type / stage of river and flow velocity

-Occurrence of natural and manmade structures.

-Flow during lean period.

9.3.1 WATER LEVEL DURING LEAN PERIOD:

River course at area under consideration attains youth stage, flow velocity is moderate, turbulence occurred due to meanders created due to lineaments. Elevation of both the banks are within the range of 2.5 to 3.5m above river bed. After monsoon river flows in full swing covering both the banks. During monsoon floods the water level rises by 2 to 3 m High flood level of river goes up to 498 m in due course of time after monsoon water channel level goes down gradually, during lean period water level maintained at 496-497 m.

J. Vinaya Bandhari APPRO

9.3.2 CATCHMENT AREA

The Morand River basin comprises an area of about 230 Km2. The southern boundary is marked by low-lying hills and or high grounds. The basin area is highly undulating with isolated hills and plains. The ground elevation ranges between 494 m and 665 m. above MSL. The ground slopes from south to north.

9.3.3 ORIGIN OF RIVER:

The Morand River (a tributary of Narmada) flows from south to north into Narmada. The origin of the river is near hills of village Ratanpur, Madhya Pradesh at an elevation of 665 m.

9.3.4 DISTANCE OF TRAVELLING OF LOAD:

Morand River course is around 55 km approx. from the origin to mine site.

9.3.5 SLOPE / GRADIENT / ELEVATION DIFFERENCE:

The highest elevation of **Morand River** at the origin is around 665 m and the elevation at mine site is 494 m above msl. There is an elevation difference of around 171 m.

9.3.6 GEOLOGY / LITHO UNITS:

River originates mainly from Deccan Trap rock formations and further continues over the same rock formations with other formations in parts.

9.3.7 CLIMATIC CONDITIONS:

Climate of the district is tropical with moderate winter and severe summers and well distributed rainfall received from southwest monsoon. However due to higher general elevation and abundance of forests, summer temperature does not rise as much as in other areas. The normal annual rainfall of Betul district is 1129.6mm.

9.3.8 TRIBUTARIES / CONFLUNCE:

Several other small seasonal streamlets (Nallas) join this tributary resulting in the increase of its overall catchment area. However, no nallas join this river near the site.

9.3.9 TYPE/STAGE OF RIVER AND FLOW VELOCITY:

River attains youth stage at the mine site. Flow velocity is moderate to high. Lease area lies on a meander making it suitable for sand deposition.

9.3.10 STRUCTURES:

From our study no major structures have been observed in the river course near the site. There is a bridge located around 1.0 km SW, downstream of the lease and constructed on Morand River. However, none is located within mine lease area.

9.4 CONCLUSION:

In Betul district, Morand River basin where lease area is located comprises an area of about 230Km^2. The southern boundary is marked by low-lying hills and or high grounds. The basin area is highly undulating with isolated hills and plains. The ground elevation ranges between 494 m and 665 m. above MSL. The ground slopes from south to north.

The Average rainfall of Betul district is 1129.6mm. The district receives high rainfall mostly during July to September which will be leads to the deposition of the sufficient quantity of the sand every year within the old working area.

Dandy Bolton Formula has category stated use of the equation to predict sediment yield for a specific location would not be always correct because of the wide variability caused by local factors not considered in the equation development. Actual sediment yield from individual drainage basins may vary 10-fold or even 100-fold computed yields.

Looking at the basic information available about the concerning river basin, it is concluded that proposed quantity of 25,200 cubic meter per year can be excavated from the quarrying site and the replenishment of the same will be done easily as regular annual process following the topographical control.

Total replenished quantity of sand available each year within the lease hold area will be:

Total Leasehold area -4.00 ha

Taken all safety measured and environmental concerns, only 2.4 ha leasehold area (60% of lease area) is available for mining.

Total sand available -24,000 m^2 x 2.2m (Max. Thickness) = 52,800 m^3

Total mineable sand - 24,000 m^2 x 1.05m (Avg. Thickness) = 25,200 m^3

Thus, from measured sand reserve of about 52,800 cubic meters, only 25,200 cubic meter sand per year will be extracted.

Out of the above annual replenishment, it is proposed to mine only 25,200 cubic meters up to a maximum depth of 1.05 m.

Thus, there will be no long – term impact on the riverbed which will have surplus sand left after extraction of the proposed amount each year and PP will be extracting less than 50 % of the annual replenished sand within its lease hold.

Above estimation is based upon existing site conditions. Next year estimation shall be worked out after monsoon using volumetric methods. In the applied area, replenishment depends upon the yearly rainfall, if adequate amount of sand will not replenish during monsoon, then excavation of sand will be limited to the quantity which will be equivalent to the replenished material up to a maximum depth of 3m only.

PLAN PREPARED FOR -

M/s National Energy Trading and Services Ltd.

Address: Address: Plot No 7, Bindu Sadan, 401 Sai Chandra Colony, Green Space Tulasi, Puppalguda, Manikonda, Hyderabad,
Telangana State, India

PLAN PREPARED BY RQP -

SYED IQTADAR TANWEER
G-3 Balaji, Bright Colony, Idgah Hills,
Bhopal (M.P.)
Registration No: RQP/DGMMP/211/2019-24

J. Priya Kanakaraj

LESSEE/APPLICANT
M/s National Energy Trading and Services Ltd., Hyderabad

J. Priya Kanakaraj

Syed Iqtadar Tanweer
RQP/DGMMP/211/2019-2024

APPROVED

SYED IQTADAR TANWEER
RQP/DGMMP/211/2019-24

LESSEE/APPLICANT
M/s National Energy Trading and Services Ltd., Hyderabad

Syed Iqtadar Tasneem
RQP/DGMMP/211/2019-2024

APPROVED

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला–बैतूल (म.प्र.)

प्रारूप–तीन

(नियम 11(3) एवं 11(5) देखिए)

आशय–पत्र

क्रमांक/रेत/2022/1862 बैतूल, दिनांक 23/12/2022

प्रति,

मेसर्स नेशनल एनर्जी ट्रेडिंग एण्ड सर्विसेज लिमिटेड
पता–प्लॉट न. 7, बिन्दु सदन, 401 साईं चंद्र कॉलोनी,
ग्रीन स्पेस तुलसी, पुष्पलगुडा, मणिकोंडा, हैदराबाद,
रंगारेड्डी, तेलंगाना–500089

विषय :– ई–निविदा क्रमांक 1691 दिनांक 17.11.2022 के संदर्भ में ग्राम (सूची अनुसार) तहसील (सूची अनुसार) जिला बैतूल रकबा (सूची अनुसार) हेक्टेयर क्षेत्र की खदान समूह क्रमांक (संपूर्ण बैतूल जिला) रेत खदानों हेतु आशय–पत्र।

––00––

1. पृष्ठभूमि :

1.1 मध्यप्रदेश रेत (खनन, परिवहन, भण्डारण एवं व्यापार) नियम 2019 (यथा संशोधित) के अनुसरण में कलेक्टर जिला बैतूल द्वारा मध्यप्रदेश के जिला बैतूल स्थित समूह खदान के समूह क्रमांक (संपूर्ण बैतूल जिला) हेतु रेत की समूह खदानों के प्रदान के लिए निविदा प्रक्रिया को प्रारंभ करने के लिए ई–निविदा सूचना दिनांक 17.11.2022 जारी की गई। ई–निविदा प्रक्रिया उक्त नियमों के नियम 8 के अनुसार उक्त रेत समूह आबंटन हेतु संचालित की जाकर मेसर्स नेशनल एनर्जी ट्रेडिंग एण्ड सर्विसेज लिमिटेड को उक्त नियमों के नियम 8(8) के अधीन उच्चतम सफल निविदाकार के रूप में घोषित किया गया है।

1.2 उक्त नियमों के नियम 11 के अधीन तथा उक्त समूह खदान के लिए निविदा दस्तावेज के अधीन अपेक्षित किए गए अनुसार मेसर्स नेशनल एनर्जी ट्रेडिंग एण्ड सर्विसेज लिमिटेड ने प्ररक्षित मूल्य के 25 प्रतिशत राशि रकम रूपये 5,85,53,288/–(पांच करोड़ पच्यासी लाख तिरेपन हजार दो सौ अट्ठासी रूपये) अग्रिम धन (ईएमडी) के रूप में एम.पी. टेंडर के माध्यम से जो दिनांक 02.12.2022 को जमा कर दी है तथा जो दिनांक 23/12/2022 को संचालक के पूल खाते में प्राप्त हुई है।

2. परिणामस्वरूप आशय पत्र जारी किया जाना :

उक्त नियमों के नियम 11(3) एवं 11(5) के अनुसरण में समूह क्रमांक (संपूर्ण बैतूल जिला) मेसर्स नेशनल एनर्जी ट्रेडिंग एण्ड सर्विसेज लिमिटेड के पक्ष में 30 जून 2023 अवधि हेतु रेत खनिज की खदानों के समूह के लिए ग्राम (सूची अनुसार) जिला बैतूल में रकबा (सूची अनुसार) (हेक्टेयर) क्षेत्र के लिए यह आशय पत्र जारी किया जाता है।

APPROVED

J. Priya Bandhavi

3. शर्तें :

3.1 यह आशय पत्र तथा इसके पूर्वोक्ति खदान समूह का अनुवर्ती आवंटन इन नियमों के समय–समय पर यथा संशोधित उपबंधों के अध्यधीन होगा तथा मेसर्स **नेशनल एनर्जी ट्रेडिंग एण्ड सर्विसेज लिमिटेड** को "उच्चतम सफल निविदाकार" के रूप में घोषित किया जाता है तथा इन नियमों के अधीन समस्त अपेक्षाओं की संतोषजनक पूर्ति पर पश्चातवर्ती रूप से आवंटित खदान समूह का आबंटन किया जाएगा।

3.2 संदर्भ हेतु मेसर्स **नेशनल एनर्जी ट्रेडिंग एण्ड सर्विसेज लिमिटेड** के "उच्चतम सफल निविदाकार" के रूप में घोषित किए जाने तथा समूह खदानों के पश्चातवर्ती आवंटन है, के लिए अपेक्षाओं को नीचे दोहराया गया है। यह स्पष्ट किया जाता है कि अधोवर्णित अपेक्षाएं मात्र संदर्भ के लिए है तथा उक्त नियमों में किसी परियर्तन की स्थिति में, यथास्थिति, संशोधित नियमों के अधीन अपेक्षाएं लागू होंगी।

(क) **"उच्चतम सफल निविदाकार" के रूप में घोषणा :–**

मेसर्स **नेशनल एनर्जी ट्रेडिंग एण्ड सर्विसेज लिमिटेड** को "उच्चतम सफल निविदाकार" मान्य किया जावेगा, बशर्ते :–

(एक) नियमों के निबंधनों तथा शर्तों का अनुपालन किया गया हो;

(दो) नियमानुसार वार्षिक ठेका राशि की 50 प्रतिशत रकम का भुगतान कर दिया गया हो;

(तीन) उक्त नियमों के नियम 12 के उप नियम (1) से उप नियम (6) में विनिर्दिष्ट खनन योजना एवं अन्य कानूनी अनुपालनों के संबंध में शर्तों को पूरा किया गया हो।

(ख) **ठेका अनुबंध का निष्पादन :–**

समस्त कानूनी अनुज्ञाओं, अनुमोदन, अनुज्ञा, अनापत्ति एवं सदृश, जो कि खनन संक्रिया प्रारंभ करने के लिए प्रयोज्य विधियों के अधीन अपेक्षित हो, प्राप्त करने के उपरांत मेसर्स **नेशनल एनर्जी ट्रेडिंग एण्ड सर्विसेज लिमिटेड** एवं बैतूल जिले के कलेक्टर के साथ प्रारूप 5 में पृथक–पृथक खदानवार ठेका अनुबंध का निष्पादन कराया जायेगा। अनुबंध निष्पादन की औपचारिकताऐं पूर्ण होने पर ठेका अनुबंध का भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का क्रमांक 16) के उपबंधों के अधीन पंजीयन कराया जायेगा।

(ग) **समूह खदानों की खनन संक्रिया :–**

अनुबंध निष्पादन के पश्चात मेसर्स **नेशनल एनर्जी ट्रेडिंग एण्ड सर्विसेज लिमिटेड** किश्तों का नियमित रूप से भुगतान करेंगें तथा नियमित खनन संक्रियायें जारी रखेंगें।

J. Ajay Bandhab

3.3 यह आशय पत्र नियमानुसार प्रगणित की गई 30 जून 2023 की कालावधि के लिए विधिमान्य है। समय–सीमा के भीतर समस्त शर्तों की पूर्ति की जानी चाहिए एवं मेसर्स **नेशनल एनर्जी ट्रेडिंग एण्ड सर्विसेज लिमिटेड** एवं बैतूल जिले के कलेक्टर के मध्य ठेका अनुबंध निष्पादित किया जाना चाहिए। उच्चतम सफल निविदाकार के नियंत्रण से परे किन्हीं कारणों से ठेका अनुबंध के निष्पादन में विलंब होने की स्थिति में, समय–सीमा में वृद्धि करने के लिए वह कलेक्टर को आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकेगा। उपरोक्त समस्त अथवा किन्हीं शर्तों के अनुपालन के लिए कलेक्टर अधिकतम 10 दिवस की अवधि बढ़ा सकेगा।

निविदाकार कम्पनी की ओर से प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षर उपरांत उक्त आशय पत्र की द्वितीय प्रति 07 दिवस की अवधि के भीतर अधोहस्ताक्षरी को स्वीकार्य पावती के रूप में वापस करने योग्य होगी।

संलग्न– **समूह की खदानों का विवरण एवं राशि की जानकारी।**

कलेक्टर
जिला–बैतूल (म.प्र.)

पृ0क्रमांक/रेत/2022/1862 बैतूल, दिनांक 23/12/2022

प्रतिलिपि :–

1– प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2– प्रमुख सचिव, नगरीय प्रशासन एवं पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3– सदस्य सचिव, सिया पर्यावास परिसर ई–5 अरेरा कालोनी, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4– कार्यपालक संचालक, दि मध्य प्रदेश स्टेट माईनिग कार्पोरेशन लिमिटेड भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5– संचालक, संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, 29–ए अरेरा हिल्स, म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ।
6– क्षेत्रीय अधिकारी, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड छिन्दवाड़ा की ओर सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित।
7– अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) समस्त जिला बैतूल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
8– तहसीलदार तहसील समस्त जिला बैतूल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
9– खनि निरीक्षक जिला बैतूल की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।

कलेक्टर
जिला–बैतूल (म.प्र.)

J Riya Bandhab APPROVED

ई–निविदा में सम्मिलित खदानों एवं राशि का विवरण

जिला – बैतूल

क्र.	जिला	तहसील	ग्राम	खसरा क्रमांक	रकबा हेक्टेयर में	रेत का अनुमानित भण्डार (घनमीटर में)	अनुमानित दर का मूल्य (रुपये 250 प्रति घनमीटर + अन्य कर अतिरिक्त)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	लोनिया	179	1.115	25000	
2	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	फुलबेरिया	407	2.500	12750	
3	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	झाड़कुण्ड	1	0.950	7200	
4	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	घिखली आमढाना	219, 341	7.730	50000	
5	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	घोड़ाडोंगरी	373, 1395	7.000	20663	
6	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	आमढाना रैयत	248,141, 130	6.090	35700	
7	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	गांधीग्राम	2	0.550	13500	
8	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	नांदू	91	2.900	22500	
9	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	बाघुड़	35	2.700	21875	
10	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	बरेलीपार / घोड़ाडोंगरी	63	0.360	9000	
11	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	कचलोरा–1	67	0.100	2000	
12	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	कचलोरा–2	98	0.170	3570	
13	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	कचलोरा–3	69	0.340	9500	
14	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	आमढाना रैयत–1	79	0.350	8050	
15	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	आमढाना रैयत–2	175	0.340	6120	
16	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	आमढाना रैयत–3	178	0.620	13750	23,42,13,150/-
17	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	झोली–1	99	5.000	26000	
18	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	झोली–2	10	4.000	12000	
19	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	सातलदेही	187, 251	8.000	38500	
20	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	धरमपुर	309	6.000	7500	
21	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	बटकीडोह	112, 349	1.000	15000	
22	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	विष्णुपुर	1	2.000	30000	
23	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	घिचडोल रैयत	30	8.000	25000	
24	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	कटंगी	148	0.621	4000	
25	बैतूल	बैतूल	डहरगांव / भयावाड़ी	68, 260	6.250	25750	
26	बैतूल	बैतूल	कोदारोटी	106	5.450	7200	
27	बैतूल	बैतूल	कुम्हारिया	1	0.700	10800	
28	बैतूल	बैतूल	भीलावाड़ी	97	0.800	9100	
29	बैतूल	बैतूल	माधनी	78	0.860	9450	
30	बैतूल	आमला	सोनतलाई	1	9.330	9000	
31	बैतूल	आमला	बारछी	434, 308	5.520	10300	
32	बैतूल	आमला	जम्बाड़ा (कुजुर्ग)	217	0.700	2304	
33	बैतूल	भैंसदेही	रातामाटी	1	2.550	36000	

Priya Bandhan

34	बैतूल	घोडाडोंगरी / शाहपुर	दौड़ी / मालयर	1, 38	14.050	210000
35	बैतूल	घोडाडोंगरी / शाहपुर	बासपुर / शिवसागर / गौनापुर	1, 1, 288, 266	24.970	272250
36	बैतूल	शाहपुर	गुवाडी	19	2.500	70200
37	बैतूल	शाहपुर	शाहपुर / भतीवापुरा	1, 112	11.000	198000
38	बैतूल	शाहपुर	सिलालिशिरी	1	0.700	5625
39	बैतूल	पिपोली	सांगवानी	20	5.080	30064
40	बैतूल	पिपोली	हरन्या	1, 9	5.590	44000
41	बैतूल	पिपोली	खपरिया	18	3.000	32500
42	बैतूल	पिपोली	बल्लोर	162	3.000	35000
43	बैतूल	शाहपुर	डागनामाल	209	4.000	42000
44	बैतूल	शाहपुर	धानन्या	1	5.000	38000
45	बैतूल	शाहपुर	चिखली रैयत	316	4.000	18000
46	बैतूल	शाहपुर	तेन्दूखेडा	119,114	5.000	22500
47	बैतूल	घोडाडोंगरी	सियनपाट	142	0.420	4200
				योग–	188.906	1561421

1	कुल चिंहित खदाने –	47
2	कुल अनुमानित क्षेत्रफल –	188.906 हे0
3	निविदा हेतु निर्धारित खदाने –	सम्पूर्ण बैतूल जिला
4	जिला समूह हेतु बिक्री योग्य निर्धारित मात्रा (वार्षिक) घनमीटर –	936852.6 (तेईस करोड़ बयालीस लाख तेरह हजार एक सौ पचास रूपये)
5	निविदाकार मेसर्स नेशनल एनर्जी ट्रेडिंग एण्ड सर्विसेज लिमिटेड	
6	पता–प्लॉट न. 7, बिन्दु सदन, 401 साई चंद्र कॉलोनी, ग्रीन स्पेस तुलसी, पुष्पलगुडा, मणिकोंडा, हैदराबाद, रंगारेड्डी, तेलंगाना – 500089	
7	स्वीकृत ऑफर मूल्य रूपये –	531195424.20 (तिरेपन करोड़ ग्यारह लाख पनचान्वे हजार चार सौ चौबीस रूपये बीस पैसे मात्र)
8	प्राप्त दर के अनुसार प्रति घनमीटर देय राशि (रायल्टी सहित)	567.00 (पांच सौ छड़सठ रूपये प्रति घनमीटर)
9	जमा EMD राशि रूपये –	58553288 (पांच करोड़ पच्यासी लाख तिरेपन हजार दो सौ अट्ठासी रूपये)
10	शेष जमा राशि रूपये (265597712.10 – 58553288) ऑफर मूल्य का 50 प्रतिशत – निविदा की ईएमडी राशि	207044424.10 (बीस करोड़ सत्तर लाख बौव्यालीस हजार चार सौ चौबीस रूपये दस पैसे मात्र)
11	बिन्दु क्रमांक 10 की राशि जमा दिनांक एवं भुगतान विवरण –	21.12.2022 RTGS

नोट :–2. निविदा प्रपत्र की कंडिका– 10 (ख) –परिशिष्ट–1 में समूह में सम्मिलित समस्त रेत खदानों का विवरण, खदान का अनुमानित क्षेत्रफल एवं खदान में उपलब्ध अनुमानित मात्रा दर्शित है। ठेकेदार द्वारा जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (डी.एस.आर.) द्वारा अनुमोदित मात्रा तक ही खनन किया जा सकेगा। यह अनिवार्य नहीं होगा कि वह समूह में सम्मिलित प्रत्येक खदान की परिशिष्ट–1 में दर्शित मात्रा हेतु, वैधानिक अनुमतियाँ प्राप्त कर खदाने संचालित करें। अर्थात निविदत्त मात्रा का खनन समूह में सम्मिलित कतिपय खदानों से, वैधानिक अनुमतियों के अधीन भी किया जा सकेगा।

Priyanka Bandhavi APPROVED

कलेक्टर
जिला–बैतूल (म.प्र.)

RETURNED

J. Priya Bandhavi

SURFACE PLAN & GEOLOGICAL PLAN

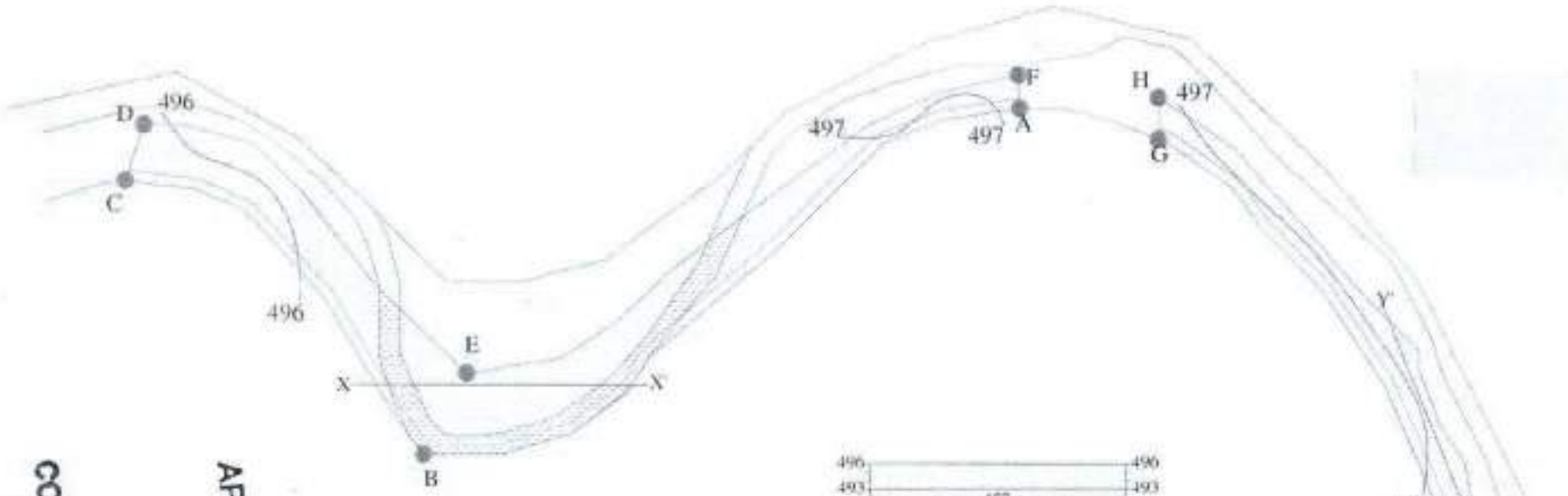

SECTION X-X'

SECTION Y-Y'

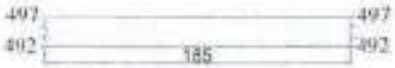

COLLECTOR
BETUL

APPROVED

CO-ORDINATES	
A. 21°18'56.54"N	77°39'12.02"E
B. 21°18'51.68"N	77°38'56.21"E
C. 21°18'57.67"N	77°38'53.80"E
D. 21°18'58.33"N	77°38'58.62"E
E. 21°18'55.15"N	77°38'56.74"E
F. 21°19'09.98"N	77°39'12.31"E
G. 21°19'07.66"N	77°39'13.98"E
H. 21°19'08.91"N	77°39'16.23"E
I. 21°19'46.34"N	77°39'23.89"E
J. 21°19'46.11"N	77°39'22.69"E

INDEX

PARTICULARS	SYMBOLS
LEASE BOUNDARY	
RIVER BOUNDARY	
CONTOUR	497
BOUNDARY POINTS	
SECTION LINE	
SAND	
WATER	
FLOW DIRECTION	

SYED IQTADAR TANWEER
ROP/DCMP/211/2019-24

AREA DETAILS	APPLICANT:
QUARRY AREA - 4 HA. QUARRY SURVEY NO. - 209 QUARRY VILLAGE-TANGANAMAL TEHSIL- SHAHPUR, DISTRICT - BETUL (M.P.)	M/s National Energy Trading and Services Address: Plot No 7, Bindu Sadan, 401 Sai Chandra Colony, Green Space Tulasi, Puppalguda, Manikonda, Hyderabad, Telangana State, India

602

YEAR WISE DEVELOPMENT PLAN & SECTION

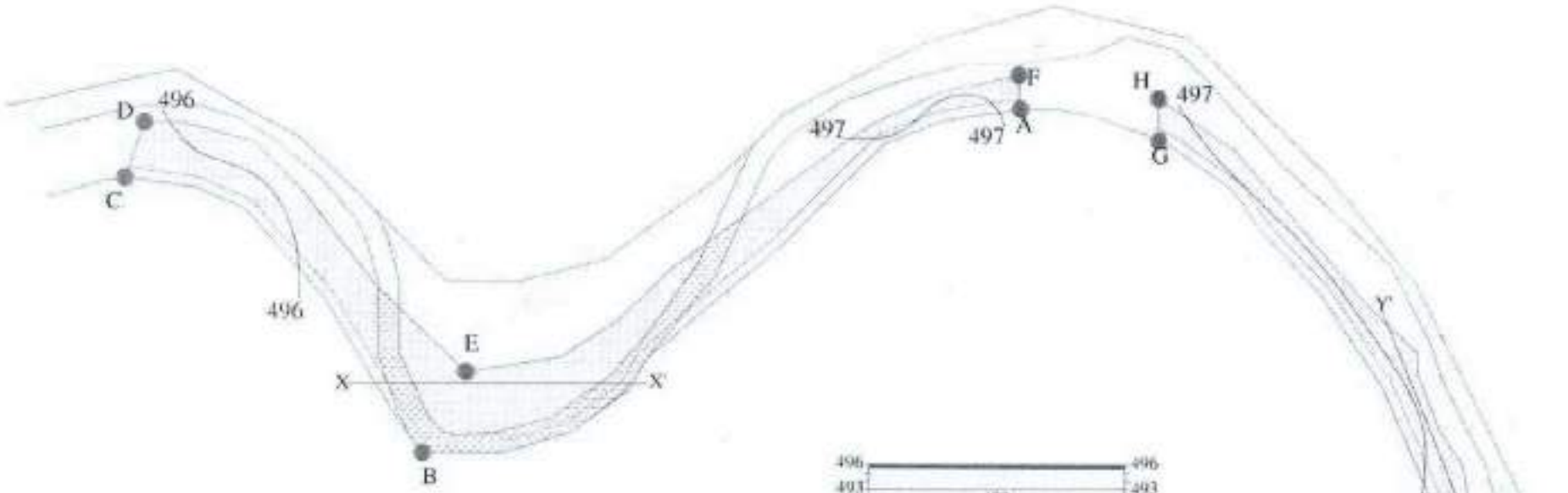

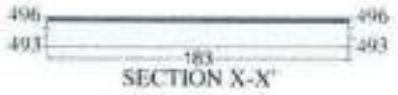

SECTION X-X'

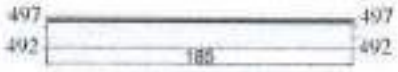

SECTION Y-Y'

APPROV...

INDEX	
PARTICULARS	SYMBOLS
LEASE BOUNDARY	
RIVER BOUNDARY	
CONTOUR	497
BOUNDARY POINTS	
SECTION LINE	
SAND	
WATER	
FLOW DIRECTION	
YEAR WISE DEVELOPMENT	

SYED IQTADAR TANVEER
RQP/DGM/MP/211/2019-24

AREA DETAILS	APPLICANT:
QUARRY AREA - 4 HA. QUARRY SURVEY NO. - 209 QUARRY VILLAGE-TANGANAMAL TEHSIL- SHAHPUR, DISTRICT - BETUL (M.P.)	M/s National Energy Trading and Services Address: Plot No 7, Bindu Sadan, 401 Sai Chandra Colony, Green Space Tulasi, Puppalguda, Manikonda, Hyderabad, Telangana State, India

603

ENVIRONMENTAL PLAN

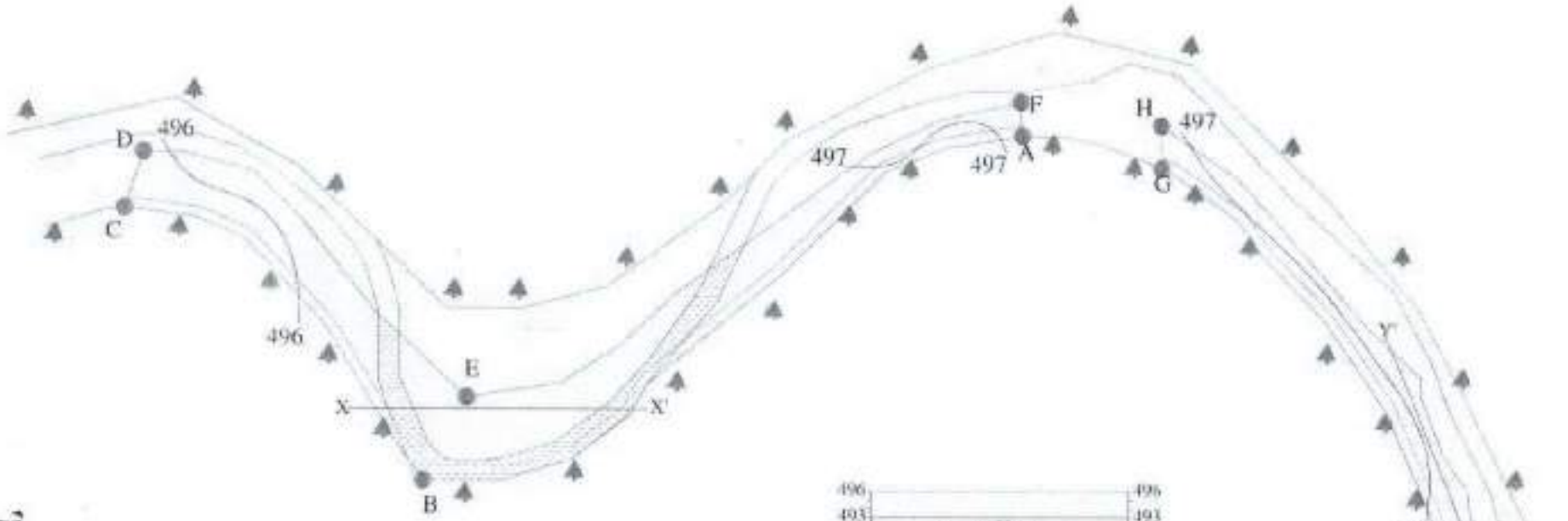

SECTION X-X'

SECTION Y-Y'

INDEX

PARTICULARS	SYMBOLS
LEASE BOUNDARY	
RIVER BOUNDARY	
CONTOUR	497
BOUNDARY POINTS	
SECTION LINE	
SAND	
WATER	
FLOW DIRECTION	
PLANTATION	

AREA DETAILS	APPLICANT:
QUARRY AREA - 4 HA. QUARRY SURVEY NO. - 209 QUARRY VILLAGE-TANGANAMAL TEHSIL- SHAHPUR, DISTRICT - BETUL (M.P.)	M/s National Energy Trading and Services Address: Plot No 7, Bindu Sadan, 401 Sai Chandra Colony, Green Space Tulasi, Puppalguda, Manikonda, Hyderabad, Telangana State, India

SYED IQTADAR TANVEER

604

YEARLY MONSOON WISE PLATE & SECTION

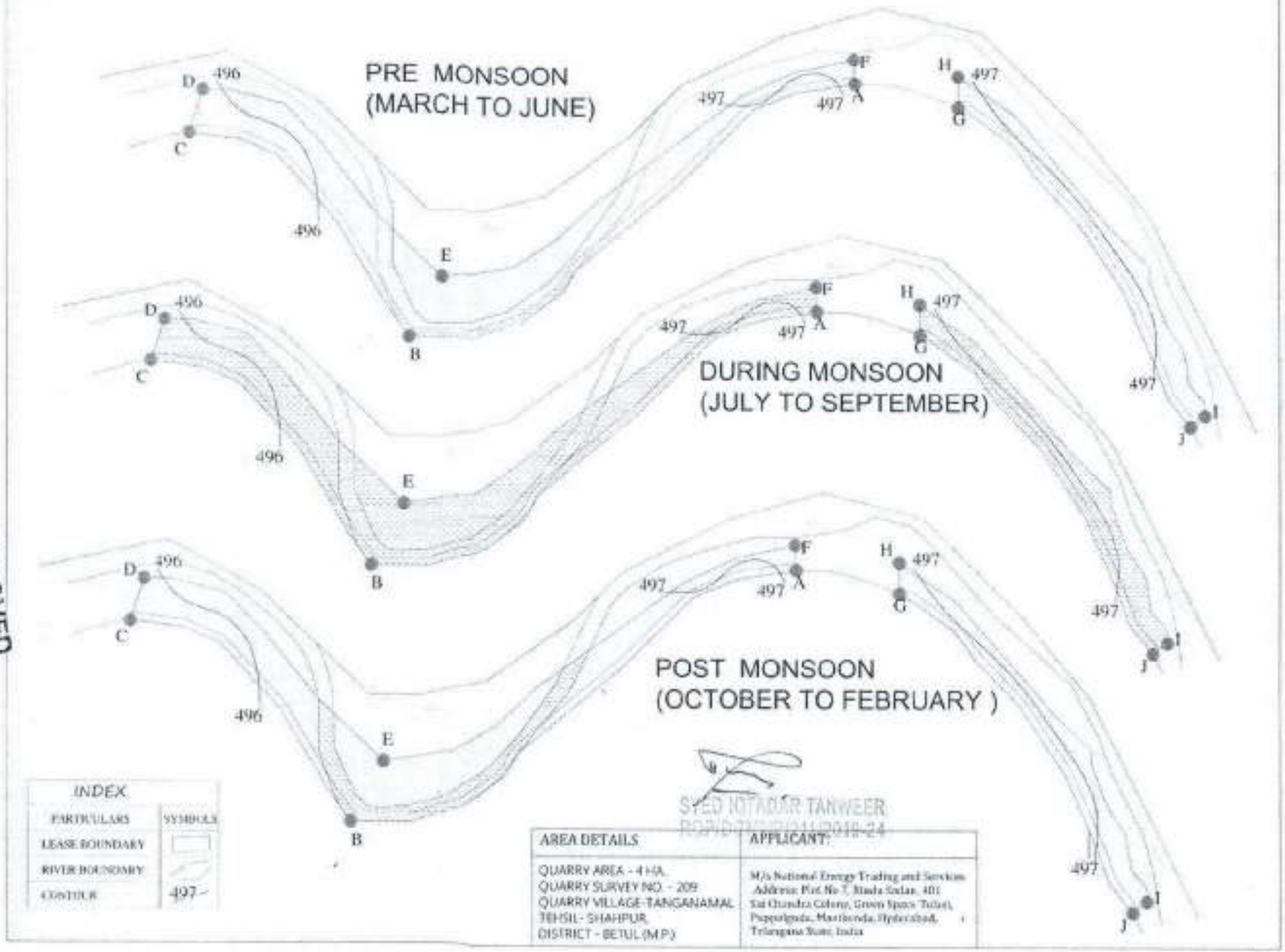

APPROVED

Dhruja Bamathan

605

MINING PLAN

SUBMIT PROVISIONS OF RULE 12 (1) MADHYA PRADESH SAND RULE 2019 (MINING, TRANSPORTATION, STORAGE AND TRADING)

LONIYA SAND MINE

AREA: 1.115 HECTARES, KHASRA NO: 179

VILLAGE: LONIYA, TEHSIL: GHODADONGRI, DISTRICT: BETUL (MADHYA PRADESH)

APPLICANT

M/S NATIONAL ENERGY TRADING AND SERVICES LIMITED, PLOT NO 7, BINDU SADAN, 401 SAI CHANDRA COLONY, GREEN SPACE TULASI, PUPPALGUDA, MANIKONDA, HYDERABAD, TELANGANA STATE, INDIA

TYPE AND CATEGORY OF MINE: OPENCAST/SEMI MECHANISED

PREPARED BY

SYED IQTADAR TANWEER

G-3 BALAJI, BRIGHT COLONY, IDGAH HILLS, BHOPAL (M.P.)

REGISTRATION NO: RQP/DGMMP/211/2019-24

EMAIL: si_tanweer@yahoo.co.in, MOB: 8827951780

SYED IQTADAR TANWEER
RQP/DGMMP/211/2019-24

APPROVED

COLLECTOR
BETUL

CONSENT LETTER

Revised Mining Plan of Loniya Sand Mine, Village Loniya (1.115 ha) has been prepared by RQP Shri Syed Iqtadar Tanweer (RQP No DGMMP/211/2019-24) under Madhya Pradesh Minor Mineral Rules, 1996 for approval. The lease hold area is located in Village- Loniya, Tehsil - Ghodadongri, District - Betul, MP, covering an area of 1.115 hectares.

The Director Geology and Mining, Madhya Pradesh, competent Authority is hereby requested to make further correspondence regarding this Mining Plan with the person and address mentioned below-

SYED IATADAR TANWEER
Recognized Qualified Person (RQP NO: RQP/DGMMP/211/2019-24)

G-3 Balaji, Bright Colony, Idgah Hills,

Bhopal (M.P.)
Email: si_tanweer@yahoo.co.in

Mob: 8827951780

An undertaking in this regard is being submitted that the Mining Plan so prepared by the recognized person is with my knowledge and consent and shall be acceptable to me in all respects. I have clearly understood the contents of the Mining Plan and agree to implement.

Place: Betul

Date:

M/s National Energy Trading and Services Ltd.

Address: Plot No 7, Bindu Sadan, 401 Sai Chandra Colony, Green Space Tulasi, Puppalguda, Manikonda, Hyderabad, Telangana State, India

CERTIFICAE FOR FULL CONSULTATION

This is to certify that Revised Mining Plan of Loniya Sand Mine in village Loniya of the applicant M/s National Energy Trading and Services Ltd., Village-Loniya, Tehsil - Ghodadongri, District - Betul of Madhya Pradesh State covering lease hold area 1.115 hectares has been prepared by RQP Shri Syed Iqtadar Tanweer (RQP No: RQP/DGMJMP/211/2019-24), in full consultation with me and I have understood its contents and agree to implement the same in accordance with the law.

Place: Betul

Date:

J. Puja Bandhavi

M/s National Energy Trading and Services Ltd.

Address: Plot No 7, Bindu Sadan, 401 Sai Chandra Colony, Green Space Tulasi, Puppalguda, Manikonda, Hyderabad, Telangana State, India

CERTIFICATE OF COMPLIANCE AND CORRECTNESS

- *Certified that the provisions of related Act and rules have been considered in the Revised Mining Plan of Loniya Sand Mine in village Loniya, area of 1.115 in Tehsil - Ghodadongri, District- Betul of Madhya Pradesh State, which belongs to the applicant M/s National Energy Trading and Services Ltd.*

- *Certified further that the provisions mentioned in Act, Rules and Regulations have been considered in the Mine Plan and wherever specific permissions are required, the applicant will approach to the concerned competent authorities including D.G.M.S. for the same.*

- *There is no violation against provision of Rules, Regulations of MMR, 1961 and there is no danger to human life.*

- *The information furnished in the Mine Plan is true and correct to the best of our knowledge.*

SYED IQTADAR TANWEER
RQP/DGMMP/211/2019-24

Place: Bhopal

Date:

Syed Iqtadar Tanweer

(RQP No: RQP/DGMJMP/211/2019-24)

RQP CERTIFICATE

CONTENTS

1. INTRODUCTION 4

1.1 GENERAL INFORMATION 5
1.2 AREA DETAIL & APPROACHABILITY 6

2. LANDUSE / INFRASTRUCTURE 7

2.1 PRESENT LAND USE STATUS: 7
2.2 INFRASTRUCTURE 7

3. TOPOGRAPHY AND GEOLOGICAL DETAILS 9

3.1 TOPOGRAPHY 9
3.2 REGIONAL GEOLOGICAL DETAILS: 9
3.3 REGIONAL GEOLOGICAL SETUP/SEQUENCE: 10
3.4 LOCAL GEOLOGICAL DETAILS: 11
3.5 EXTENT OF RIVER BED & ALLUVIAL SAND DEPOSIT: 12
3.6 PROSPECTING AND EXPLORATION DONE: 12

4. ESTIMATION OF RESERVES: 14

5. DEVELOPMENT AND PRODUCTION PROGRAM 17

5.1 PROPOSED METHOD OF QUARRYING: 17
5.2 MECHANIZATION: 19
5.3 BLASTING: 19
5.4 LOADING AND TRANSPORTATION OF SAND: 20
5.5 MANPOWER DEPLOYMENT: 20
5.6 PROPOSED YEARLY PRODUCTION PROGRAM 21
5.7 MINE LIFE: 21
5.8 USE OF MINERAL: 21

6. CONCEPTUAL PLAN 22

7. ENVIRONMENTAL MANAGEMENT PLAN 23

7.1 AIR QUALITY MANAGEMENT: 23
7.2 WATER MANAGEMENT: 23
7.3 NOISE MANAGEMENT: 24
7.4 WASTE MANAGEMENT: 24
7.5 BIOLOGICAL ENVIRONMENT 24

SYED IQTADAR TANWEER
ROP/DGMMP/211/2019-24

7.6 DISPOSAL OF MINING MACHINERIES:.....24
7.7 SAFETY AND SECURITY:.....25
7.8 DISASTER MANAGEMENT:.....25
7.9 CARE DURING TEMPORARY DISCONTINUANCE:.....25
7.10 ECONOMIC REPERCUSSION OF CLOSURE & MAN POWER RETRENCHMENT.....25
7.11 STATUS OF LOCAL EMPLOYEES:.....26
7.12 COMPENSATIONS:.....26
7.13 RECLAMATION & REHABILITATION:.....26
7.14 DISTANCE FROM THE NEAREST BRIDGE/DAM:.....26
7.15 SOCIO – ECONOMIC ENVIRONMENT:.....27
7.16 PLANTATION (AFORESTATION PROGRAM):.....27
8. PROGRESSIVE MINE CLOSUR PLAN 28
9. SAND REPLENISHMENT ASSESSMENT 29
9.1 NEGATIVE IMPACTS:.....29
9.2 POSITIVE IMPACTS:.....29
9.3 NEED FOR SAND REPLENISHMENT STUDY AND FACTORS TO BE CONSIDERED AND OBSERVED:.....29
9.3.1 WATER LEVEL DURING LEAN PERIOD:.....30
9.3.2 CATCHMENT AREA.....31
9.3.3 ORIGIN OF RIVER:.....31
9.3.4 DISTANCE OF TRAVELLING OF LOAD:.....31
9.3.5 SLOPE / GRADIENT / ELEVATION DIFFERENCE:.....31
9.3.6 GEOLOGY / LITHO UNITS:.....31
9.3.7 CLIMATIC CONDITIONS:.....31
9.3.8 TRIBUTARIES / CONFLUNCE:.....31
9.3.9 TYPE/STAGE OF RIVER AND FLOW VELOCITY:.....32
9.3.10 STRUCTURES:.....32
9.4 CONCLUSION:.....32

SYED IQTADAR TANWEER
RQP/DGMMP/211/2019-24

FIGURES

KEY PLAN

GOOGLE IMAGE

KHASRA MAP

PLATE 1- SURFACE PLAN AND GEOLOGICAL PLAN

PLATE 2- YEARWISE DEVELOPMENT PLAN AND SECTION

PLATE 3- ENVIRONMNETAL PLAN

PLATE4- YEARLY MONSOON WISE PLATE AND SECTION

ANNEXURES

SANCTION ORDER COPY

RQP CERTIFICATE

SYED IQTADAR TANWEER
RQP/DGMMP/211/2019-24

1. INTRODUCTION

The demand for ordinary natural river sand is enormously increased in building construction and infrastructural developments. The natural sand is started vanishing from the river beds besides causing natural and environmental hazards in surrounding areas due to illegal and unscientific mining without proper mining plan. Therefore, the government of India announced sand policy by fixing responsibility on related departments mainly Mines & Geology and Ministry of Environment and Forest (Pollution control boards). Accordingly, the Govt. of Madhya Pradesh formulated a natural sand policy to meet the sand demand in the state by undertaking systematic & scientific mining and protection of environment and by maintaining eco-balance in the surrounding areas by following the Govt. of India guidelines.

Based on the Government of India guidelines, this quarry plan is prepared for the proper development of mine area with safe quarrying operation. It also provides guidance and directives to be followed during the quarrying operation under the rules and regulations as imposed by the Government.

Mine has been allotted to National Energy Trading and Services Ltd., Address: Plot No 7, Bindu Sadan, 401 Sai Chandra Colony, Green Space Tulasi, Puppalguda, Manikonda, Hyderabad, Telangana State, India, over an area of 1.115 Hectares covering Khasra No 179, up to 30.06.2023 (As per Order No. 1862/Sand/2022, Betul, dated 23.12.2022).

In compliance to MP Sand (Mining transportation, Storage and Trading) Rule 2019 published in Gazette notification of Government of MP dated 30-08-2019 and as per the rule 42 of MP Minor Mineral Rules 1996, this Quarry plan is being prepared and submitted for approval to the Collector [Mining] Betul MP and quarrying operation start only after obtaining the statutory permission as per rule 14.

SYED IQTADAR TANWEER
RQP/DGMMP/211/2019-24

1.1 GENERAL INFORMATION

Name of Applicant	M/s National Energy Trading and Services Ltd
Address of Applicant	Address: Plot No 7, Bindu Sadan, 401 Sai Chandra Colony, Green Space Tulasi, Puppalguda, Manikonda, Hyderabad, Telangana State, India
Quarry Village	Loniya
Name of the River	Tawa River
Tehsil	Ghodadongri
District	Betul
State	Madhya Pradesh
Khasra No.	179
Area [Hectares]	1.115
Permitted Period	Up to 30.06.2023
Whether Recorded in Forest	Not recorded in any Reserved / Protected Forest Area
Status Of Applicant	Private Individual
Mineral (S) Which Applicant Intended to Mine	Sand
Sanction order Details Order No. & Date	As per Order No. 1862/Sand/2022, Betul, dated 23.12.2022
Ownership / Occupancy	Government Land, River Bed
R.Q.P. Address & Registration details/Mobile No	SYED IQTADAR TANWEER G-3 Balaji, Bright Colony, Idgah Hills, Bhopal (M.P.) Registration No: RQP/DGMMP/211/2019-24 Mob: 8827951780

SYED IQTADAR TANWEER
RQP/DGMMP/211/2019-24

LESSEE/APPLICANT
M/s National Energy Trading and Services Ltd., Hyderabad

Syed Iqtadar Tanweer
RQP/DGMMP/211/2019-2024

1.2 AREA DETAIL & APPROACHABILITY

Details Of Sanctioned Lease Area	Village	Loniya
	Tehsil	Ghodadongri
	District	Betul
	River	Tawa River
	State	Madhya Pradesh
	Khasra No.	179
	Sanctioned Area	1.115 Hectares
Topo Sheet No.	55J/4	
Village Coordinates	22°06'37.62"N 78°13'34.46"E	
Site Co-ordinates (Latitude & Longitude)	1. 22°07'08.60"N 78°14'34.50"E 2. 22°07'08.60"N 78°14'35.60"E 3. 22°06'59.30"N 78°14'35.60"E 4. 22°06'59.20"N 78°14'34.00"E	

Approach & Accessibility	From Site	Approx. Distar
	District Head Quarter Betul towards SW	40 km
	Tehsil – Ghodadongri towards W	24Km
	Village – Loniya - West	2 Km
	Nearest Railway Station Nawegaon SEE	20Km
	SH-19B - South	1 Km
	Health Centre (Village Loniya)	2 Km
	Nearest Bridge Towards W	3.5 Km
	Monuments / Places of Social importance	None Nearby
	National Parks	Not within 10 Km
	Reserve Forest	Not within 250 m

2. LANDUSE / INFRASTRUCTURE

2.1 PRESENT LAND USE STATUS:

Sand Mining lease has been sanctioned for a period of up to 30.06.2023 over an area of 1.115 Hectares on a River Bed (Tawa) for quarrying and transportation of sand. Quarrying & related activities shall be carried out from the top surface level. Present land use status of the sanctioned area is as under:

Total Lease Area	**1.115 Ha**	**11,150 M^2**
Barrier Zone / Safety Strip	1,000 M^2	
Area under water/ Non-Mining Area	3,460 M^2	
Available Working Area	**6,690 M^2**	

2.2 INFRASTRUCTURE

- **Power Supply** - Electrical Power is not available; Shall be arranged from the nearby supply line if required with proper NOC from concerning Department.

- **Communication & Transport** - Site is well connected with District Headquarter and other towns by road. Buses and private taxis are frequently available from district and Tehsil headquarters up to the village. Quarry site is approachable from village by private means.

- **Land** -Quarry lease area situated on river bed and is a non-forest government land.

- **Water Supply** - Dug wells and bore wells available in the vicinity to meet the requirement of drinking water. Water is potable & hygienic as no adverse effects noticed in habitants of nearby area.

- **School Facilities** - School facilities for primary education are available in the village Panchayat; Middle school or higher studies are present in District Headquarter Betul and Tehsil Ghodadongri.

- **Man Power** - Mine workers shall be arranged from nearby villages therefore no constraint regarding availability of manpower in the area.

There are no places of national and social importance exist within the radius of 500 m of mine site.

3. TOPOGRAPHY AND GEOLOGICAL DETAILS

3.1 TOPOGRAPHY

The lease area falls in a River Bed (Tawa River). Since, the sand area falling partly at the non-active river bed, the general surface level of the lease area is undulating with negligible thorny bushes/shrubs and comparatively lower than the surroundings. The surface level of the mine lease is around 437-439 MSL. The drainage direction is towards south in the lease area.

Topography of the area has been derived due to alluvial deposition on the flood plains of Narmada River and its Rivulets. General slope of the lease area is from east to west. The drainage pattern in the area is dendritic.

3.2 REGIONAL GEOLOGICAL DETAILS:

The district has four district physiographic division viz (i) Satpura plateau in Tawa and Morand valleys (ii) The Satpura plateau in central and (iii) southern part of the district (iv) and Tapti valley. The whole district lies on Satpura plateau at an elevation of 365m above mean sea level. The general elevation is about 609m at Kilendeo form the highest peak in the northern and central parts of the district. Tawa valleys lies at on elevation of 396m amsl between peaks of Kilandeo and Bhogwangar, the general scope of the valley is towards the North West.

3.3 REGIONAL GEOLOGICAL SETUP/SEQUENCE:

Age	Lithounits	Rock types
Quaternary		Soil and alluvium
----------Unconformity----------		
U. Cretaceous to Eocene	Deccan Trap	Non-porphyritic and porphyritic basalt
----------Unconformity----------		
U. Cretaceous	Lameta	Sandstone, shales and limestone
----------Disconformity----------		
U. Cretaceous	Upper Gondwana	Sandstone, siltstone, conglomerate and clay
----------Unconformity----------		
Archaean		Quarzo-feldspathic gneiss with dolerite intrusions

Archaeans

The crystalline metamorphic and igneous rocks cover approximately 20% of the total district area. The igneous rocks are intensive granite and pegmatite veins intending the metamorphic rocks. Quartz pegmatite views are common features and occurs as broad dykes and thin strings. The ground basins are conterminous with surface drainage sub basin thus ground water flow system is of local types where end system has its recharge area at topographic low. The Archaeans are mainly occupying the Betul, Chichab, Multai and Amla blocks. These rocks do not have primary porosity and hydraulic conductivity. The weathered part of the crystalline rocks are called saprolite, which is of particular interest from the point of view of storage zone for ground water and as an aquifer for open well and shallow tube wells. The thickness of this zones in the entire district area ranges from 2.5 to 30.00 m. in this formation, aquifers also occurs where bed rock and quartz pegmatite intensive vein are jointed and fractures.

The yield depends upon saturated thickness of the weathered mantle and fracture pattern of the rocks.

Gondwana

The Gondwana rocks are comprising succession of sand stone, shales with seems of coal lying over the metamorphic rocks of crystalline Archaean system with a district unconformity. The beds of Gondwana rocks are distributed in patches and lie in a liner trend coinciding almost with the present river valleys. There rocks show considerable faulting. The Talchir beds consisting of sandstone and green clays with boulders contain plant fossils. There are bounded by faults. The west and north west of Betul, there are out of Gondwana rocks which separates decant traps from Archaeans rocks. Barkars of Gondwana group contains coal seams.

Deccan Traps

Deccan traps comprising varies types of basaltic lava flows and most extensive rocks in the district. There rocks occupying in Betul, Multai, Bhimpura, Chicholi, Bhainsdehi, Atner and Prabkat pattam blocks. The base of the flow consists of a porons layers of earthy basalt which passes rapidly into the main body. Of flow consisting of great thickness of hard basalt. Generally, the Deccan trap in the area occurs in the form of fractures, weathered and vesicular basalts.

3.4 LOCAL GEOLOGICAL DETAILS:

The top layer of applied area forms a part of stream bed covered mainly with sand deposits with rare colluvial material belonging to recent river alluvium up to 4.0 m. Quarrying will be concentrated up to 3.0 m only for extraction of sand. However, it is found that minimum 4m thick sand deposit is available throughout the lease within the top most layer of recent alluvium. This top sandy layer is underlain by laterite followed by Deccan trap.

Altitude of the area- Average elevation of the area is- 438 m

High flood Level (HFL) – 440 m

Low flood Level (LFL) – 437 m

Surface and geological map with cross section of the area on 1: 2000 scale with suitable contour intervals showing general topography and geology has been enclosed.

3.5 EXTENT OF RIVER BED & ALLUVIAL SAND DEPOSIT:

The sand quarry lease area is elongated along the course of the river with an orientation from north to south. The deposit of sand is available on full width and length of the lease.

The sediment in the form of river bed material i.e., sand has deposited in the last many years as a process of sedimentation in the paleochannels. Sand bars have been formed at various places hindering the flow of water and excess deposition has changed the shape of the river bed. Because of this, during monsoon season, the water may rise above the high flood level causing heavy and devastating floods. Such disasters may damage large tracts of land laying on both banks of the river especially the agricultural lands.

Accumulation of the sand deposit on the river bed is annual process. It is replenishable due to sediment inflow during floods in rainy season. Thickness of river bed where sand deposited every year varies but excavation of sand is permitted up to 3 m depth or up to top level of water table whichever is less. The summer water table goes down to 4 m below surface. Hence sand can easily be extracted up to 3 m depth in dry season.

3.6 PROSPECTING AND EXPLORATION DONE:

This is the revised mining plan and mining lease has already been excavated in the past. Based on post monsoon yearly survey by local mining officer and observations conducted by lessee, sand deposit in the lease has completely been replenished and average thickness of sand deposition within the sand accumulated area is observed to be > 3.0 m in proposed sand bed and considered for estimating the reserves.

Since sand exposed all over within the sand accumulated area of the lease and depth is proved, therefore, future prospecting has not proposed in the area. However, a

survey likely to be conducted by local mining officer to ascertain the depth of sand accumulation during post monsoon every year.

4. ESTIMATION OF RESERVES:

The applied sand lease area is about 2 km east from village Loniya and located in the river bed of Tawa River that flows from north to south.

In order to estimate the reserves, DGPS survey has been carried out to define the topography, contours and offsets of the lease area. Khasra map has been considered as base map to demarcate the mine lease boundary. The shape and size of the mine lease has been fixed as per the sanctioned demarcated Khasra map of the lease area by DGPS survey.

The area has been fully demarcated with respect to geographical coordinates and surface reduced level taken at every point of cluster. To describe the elevation in detail, 0.5m contour interval has been picked for the preparation of surface plan and cross section which includes collection of surface reduced level in an interval of 0.5m for reserve estimation. The maximum elevation observed to be 439m from MSL and whereas minimum elevation recorded to be 437m MSL with the lease area.

Sanctioned demarcated area (Khasra) **Demarcated area on Google Image**

Very gently sloping or almost flat topography of the lease is the main reason for having sufficient quantity of sand available for removal. In addition, the location of applied lease lies on a meander making it suitable for sand deposition, therefore good deposit of sand is available on full width and length of the lease.

As per the Point (r) page 24 of Guidelines of Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining, Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MOEF & CC) January 2020 "**River bed sand mining shall be restricted within the central 3/4th width of the river/rivulet or 7.5 meters (inward) from banks but up to 10% of the width of the river**"

The mineral sand is exposed in full width and length of the lease and follows very gently sloping topography.

This is the revised mining plan and mining lease has already been excavated in the past. Based on post monsoon yearly survey by local mining officer and observations conducted by lessee, sand deposit in the lease has completely been replenished and average thickness of sand deposition within the sand accumulated area is observed to be > 3.0 m in proposed sand bed and considered for estimating the reserves.

Since sand exposed all over within the sand accumulated area of the lease and depth is proved, therefore, future prospecting has not proposed in the area. However, a survey likely to be conducted by local mining officer to ascertain the depth of sand accumulation during post monsoon every year.

Specifications considered for the estimation are as under:

Area specification	Values
Sanctioned lease area	1.115 hac or 11,150 M^2
Area submerged in water/Non mining	3,460 M^2
Area under Barrier / Safety zone within sand accumulated area	1,000 M^2
Available Mineable area where sand has been deposited/accumulated is 60% of total lease area of 6,690 M^2 therefore, follows Point (r) page 24 of Guidelines of Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining, Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MOEF & CC) January 2020	**6,690 M^2** (Total lease area – non mining area - barrier zone) (11,150 M^2 -3,460 M^2 -1,000 M^2 = 6,690 M^2)

As the extractable area 6,690 M^2 is gently sloping, hence the volumetric method adopted for reserve estimation.

The thickness of sand is more than 3m. The water level fluctuates from 3-4m during post-monsoon to pre-monsoon (October to June). However maximum of 2.25 m depth of sand deposit has been considered for estimation.

Reserve calculation [redacted] area is detailed as under:

Area [M^2] X Depth [m] = Volume [M^3]

Total available sand – 6,690 M^2x 3 m (Max Thickness) = 20,070 m^3

Total mineable sand – 6,690 M^2 x 2.25 m (Average Thickness) = 15,053 m^3 or 15,000 m^3

Total mineable reserve estimated to be 15,000 M^3

The safety/environmental and replenishment factors have been considered and only 60% of lease area is taken as sand extractable area for reserve estimation.

APPROVED

COLLECTOR
BETUL

SYED IQTADAR TANWEER
RQP/DGMMP/211/2019-24

J. Priya Bandhaya

5. DEVELOPMENT AND PRODUCTION PROGRAM

5.1 PROPOSED METHOD OF QUARRYING:

The mining operation will be carried out by semi mechanized method and all the related activities shall strictly be done according to the M.M.R 1991 rule without blasting
As per the Sustainable Sand Mining Management Guidelines 16, there are total 5 extractions methods and are follows as;

a) Bar scalping and skimming is extraction of sand and gravel from the surface of bars. This method generally requires that surface irregularities be smoothed out and that the extracted material be limited to what could be taken above an imagery line sloping upwards and away from the water from a specified level above the river water level at the time of extraction (typically 0.3-0.6m). Bar scalping is commonly repeated year after year. To maintain the hydraulic control provided to upstream by the Riffle head., the preferred method of bar scalping is now generally to leave the top 1/3rd (approximately) of the bar undisturbed, mining only from the downstream 2/3rd.

b) Dry-Pit Channel Mining

Dry-Pit channel mining is the method where pits excavated within the active channel on dry intermittent or ephemeral stream beds. Dry pits are often left with abrupt upstream margins, from which head cuts likely to propagate upstream.

c) Wet-Pit Channel Method

It involves excavation of a pit in the active channel below the surface water in a perennial stream or below the alluvial groundwater table.

d) Bar Excavation

A pit is excavated at the downstream end of the bar as a source of aggregate and as a site to trap sand and gravel. Upon completion, the pit may be connected to the channel at its downstream end to provide side channel habitat.

e) Channel – wide River bed Mining

In rivers with a highly variable flow regime, sand and gravel are commonly extracted across the entire active channel during the dry season. The bed is flattened and uniformly (or nearly so) lowered.

As per the Sustainable Sand Mining Management Guidelines 2016, there are 5 extraction method as mentioned above in total out of which 'Channel-wide River bed Mining' method shall be adopted with respect to type of river bed deposition. Mining shall be done in layers of 1 meter depth to avoid ponding effect and after first layer is excavated, the process will be repeated for the next layers.

Previous year water level regime monitoring season of river bed is observed. The water level fluctuation in the river bed is from 0.0-3.0. It means the water level about 0.0m to 1.0m describes a monsoon season (July-September) where water covers the whole riverbed and flows almost uniformly throughout the river course. In case of river sand bed of about 2m water level define the post monsoon season (October to December) in which water level drops and part of river bed exposed/ dried in certain part of river channel or sand mine spot due to difference in contour elevation as well as replenished sand. In case of river having about 3.0 m water level describes pre-monsoon season (from March to mid of June).

During post monsoon (October to February) mining will be carried out in layers of 1-meter depth for maintaining the river bed water level regime (Plate 4).

During pre-monsoon (March to June) mining will be carried out in 2nd layers of 1 meter depth after completion of 1st layer for maintaining the river bed water level regime (Plate 4).

No bench can be maintained in river sand hence bench wise mining cannot be proposed.

Due to continues accumulation of sand in the area during rainy season, there will not be much depletion in the reserve of sand, hence reserve is likely to be remain same every

year and in future also. The Lease period has been sanctioned up to 30.06.2023, accordingly three years production plan can be envied as below:

Semi-mechanised method of quarrying shall be undertaken during quarrying operation and all the related activities shall strictly be followed according to M.M.R 1991 rule without blasting and drilling.

Mining operation shall be based upon Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining, Ministry of Environment, Forest and Climate change January, 2020.

Quarrying progression will be from southeast to northwest, whereas mine face will be west to east. However, mine facing may be adjusted based on best environment friendly practices.

5.2 MECHANIZATION:

An open cast quarrying by semi mechanized method will be adopted for extraction of ordinary sand, keeping the productivity and safety in mind.
Semi mechanized quarry operation shall be done by utilizing JCB, hand Shovel, spade, crow bars, water tanker etc. will be required to deploy for mining works, Dumpers will be required for loading and transportation purpose.

JCB	1 No
Dumper	2 No. (Capacity- 12 m3)
Water tanker	1 No.

5.3 BLASTING:

Not applicable.

5.4 LOADING AND TRANSPORTATION OF SAND:

Dumpers / tipper shall be used for transportation purpose.

For transporting the sand from lease area to the bank and for further destinations (end users/market), following estimation has been followed.

Yearly Production	15,000 m^3
Daily Production Assuming 240 working days leaving rainy season	63 m^3/day
Capacity of Dumper	12m^3
One dumper can carry (as a safety measure)	10m^3
Total number of trips required	6
Total Dumper Required (capacity 10 m^3)	2

The above per day calculations are for reference purpose only. The removal of sand shall be done as per demand and these figures may change drastically but within the limit of yearly production of 15,000 M^3.

5.5 MANPOWER DEPLOYMENT:

Required number of man power/labor is easily available from the surrounding villages. Requirement of manpower depends on the production and taking into account an average rate of annual production of 15,000 m^3 and assuming 240 working days per year, around 63 m^3 of proposed production to be achieved per day.

Keeping an average output per man per shift about 8 m^3 (OMS), then around 8 persons shall be required in the mine site.

Considering a presence of site foreman is important and a manager, a total of 9-10 persons shall be required to manage the mining operation.

Number of shifts proposed for per day is one shift / day. Depending upon the demand of sand, working time may be adjusted following the rules and making proper arrangements in place.

5.6 PROPOSED YEARLY PRODUCTION PROGRAM

Due to continues accumulation of sand in the area during rainy season, there will not be much depletion in the reserve of sand, hence reserve is likely to remain same every year and in future also. The Lease period of 3 years has taken as per the provisions of rule 9 of Madhya Pradesh Sand (Mining, Transportation, Storage and Trading) Rule, 2019. Accordingly, three years production plan can be envied.

It is to be noted that applied lease area has been sanctioned up to 30.06.2023 only, therefore 1st year production has been provided in the table below. However, if lease extended for two more years, then the same quantity, i.e., 15,000 M^3 per year can be extracted for another two years.

Years	Available Extractable Mining Area M^2 (60% of Lease Area)	Depth M	R O M M^3	Waste M^3 (10%)	Maximum proposed sand Production M^3
1st Year	6,690	2.25	15,000	Nil	15,000

5.7 MINE LIFE:

Mine has been sanctioned for the excavation of sand until 30.06.2023. Quarry lease may further be allotted to some other agency in future.

This is a river bed quarrying case, every year after monsoon, the sand deposit gets replenished and is available for ensuing years: hence river bed deposit has no fixed mine life.

5.8 USE OF MINERAL:

Sand so extracted from the mine lease, will be sold locally as building material. It is usually mixed with cement and other ingredients to create mortar for building. It is also used in brick manufacturing industries.

APPROVED

COLLECTOR
BETUL

J. Priya Bandhaj

6. CONCEPTUAL PLAN

Mine applied lease spread over a total area of 11,150 m^2. Though sand thickness found to be more than 3m but for ease of operation, actual digging depth restricted up to 2.25 m only. However, pits generated by quarrying will be replenished during rainy season. Quarrying will be worked systematically as the width is smaller than its length. As the lease period has been sanctioned until 30.06.2023, some of the area will be left un-worked at the end of lease period.

During plan period workings will be carried out in one stretch at a time. Scattered workings will ensure safety, remove congestion and will have better control and management.

Bank side natural slope will not be disturbed. This will prevent collapse of bank and erosion.

There will be no soil or OB removal during the plan period. Therefore, no proposal has been envisaged for its separate dumping. No outside material will be filled up in the extracted zone.

7. ENVIRONMENTAL MANAGEMENT PLAN

7.1 AIR QUALITY MANAGEMENT:

Dust during quarrying, fumes and exhaust emission due to transportation of vehicles are the main causes of air pollution.

Personal Protection Equipment's (PPE) like dust masks, ear plugs etc. will be provided to mine workers.

It can be effectively controlled by regular water sprinkling on roads.

Mineral carrying vehicles should be covered with tarpaulin and shall not be over loaded.

Proper maintenance of transport vehicles and PUC certification will minimize the exhaust emission. Adequate plantation will also support to maintain air quality.

7.2 WATER MANAGEMENT:

Sand quarrying activities will have an impact upon the river's water quality. Impacts include increased short-term turbidity at the mining site due to re suspension of sediment, and dumping of excess mining materials, oil spills or leakage from transportation vehicles and washing of vehicles in the river.

Increased riverbed and bank erosion increases suspended solids in the water at the excavation site. Suspended solids may adversely affect water towards downstream and aquatic ecosystems.

The impact is particularly significant if water toward downstream of the site being abstracted for domestic and irrigation purposes etc.

Quarrying is avoided during the monsoon season and at the time of floods. This will help in replenishment of sand in the river bed.

Quarrying below subterranean water level will be avoided as safe guard against environmental contamination and over exploitation of resources.

River stream will not be diverted to form inactive channels.

Meandering segment of river would be selected for mining in such a way to avoid natural eroding banks and to promote mining on naturally building meander components.

Utmost care will be taken to avoid the used of fuel leaking vehicles for sand transportation

The washing of trucks in the river will be avoided.

7.3 NOISE MANAGEMENT:

In manually operated sand mine, noise is generally created by transportation of vehicles.

Onsite and offsite noise management are:

Plantation of trees along the river bank and transport route beyond the bank shall be undertaken to dampen the noise, if possible.

The vehicles shall be maintained in good running condition so that noise will be reduced to minimum possible level.

Awareness will be imparted prior to quarrying operations that smoke silencers remain in a good condition and not to generate noise.

Unnecessary use of horns by the drivers of the vehicles shall be avoided at village areas.

7.4 WASTE MANAGEMENT:

There is no top soil expected to be produced in the plan period. No other waste anticipated to be generated hence waste disposal arrangement is not required.

7.5 BIOLOGICAL ENVIRONMENT

The proposed quarrying will be undertaken from the dry bed of the river on a small scale, therefore unlikely to impact the aquatic environment or any fauna or floral environment.

7.6 DISPOSAL OF MINING MACHINERIES:

No disposal of machineries would take place onsite and hand tools, tractors, dumpers will be deployed on hire basis.

7.7 SAFETY AND SECURITY:

Prior to mining, short awareness/training program will be conducted for site staff to make them aware regarding safety aspects and environment friendly work practices.

First aid kit and anti-venom injection for snake/insect bite shall be provided at mine site.

If some causality or injury to animal occurs, it will be informed to forest department and proper treatment will be given.

No lighting will be allowed in the area.

No tree cutting, chopping, lumbering, uprooting of shrubs and herbs will be allowed.

No track or new road for movement of site workers or vehicles be laid in adjoining area, this will prevent fragmentation, encroachment and human verses animal encounter.

Corridor for movement of wild mammals (If exists) will be avoided for mining/transport purposes

If wild animals are noticed crossing the river bed, they will not be disturbed or chased away, instead the workers will move away from their path.

7.8 DISASTER MANAGEMENT:

Nature of mining method is very simple and high-risk accidents are not anticipated. In case of natural disaster, lessee will take assistance from local government officials.

7.9 CARE DURING TEMPORARY DISCONTINUANCE:

No major quarrying machineries will be deployed as mining shall be undertaken manually. Most of the tools/equipment shall be on hire basis, in such cases, care will be taken as per the terms and conditions of contract. During temporary discontinuance, a watchman should be present to look after the mine site.

7.10 ECONOMIC REPERCUSSION OF CLOSURE & MAN POWER RETRENCHMENT

This quarry lease sanctioned for defined time period, most of the facilities and man power will be deployed on hire basis and in such case, care will be taken as per terms and conditions of contract.

7.11 STATUS OF LOCAL EMPLOYEES:

Local residents will be proposed to employ from the nearby areas which already have their own traditional and family occupation like agriculture, fisheries and other sundry jobs. During monsoon and some other season or at the end of mine period they can easily join their respective employments.

7.12 COMPENSATIONS:

Retrenchment compensation to the employees as and when required will be done as per Government Labor legislation.

7.13 RECLAMATION & REHABILITATION:

The applied area comprises mainly sand, and negligible quantity of coarser material. The proposed area is the zone of active erosion during high flood time, otherwise it is a zone of deposition between two stream flows. So, no manual reclamation is needed. It is expected that the reclamation of the affected area will be automatically done by filling with sand flow in the rainy season depending on the amount of rain fall received by the area and the rate of river flow.

There is no human settlement within the quarry area. No human settlement will be disturbed due to the Quarrying activity. So, no rehabilitation and resettlement are proposed.

7.14 DISTANCE FROM THE NEAREST BRIDGE/DAM:

There is a bridge located around 3.5km west, downstream of the lease and constructed on Tawa River. However, none is located within mine lease area.

7.15 SOCIO – ECONOMIC ENVIRONMENT:

There will be positive effect to some extent on socio – economic environment of the area as quarrying activity will create new job opportunities for the local people, which ultimately improve their financial status.

7.16 PLANTATION (AFORESTATION PROGRAM):

The implementation for development of green belt will be of paramount importance as it will not only add up as an aesthetic feature, but also act as a pollution control tool.

The species to be grown in the area should be dust tolerant and fast growing so that permanent green belt is created.

In order to stabilize the river bank erosion, the plants having good growth will be planted along the river bank. Trees may also be grown along approach roach to the village and along village road as well as in the village as feasible in consultation with local gram panchayat, DFO and other stake holders.

Lease area is 11,150 M^2 and as per latest guidelines, total trees to be planted @1500 trees per hectare, i.e., a total of 1,673 trees shall be planted in within the lease period.

Total no. of trees to be Planted: - 1,673			
Phase	Name of Tree	No. of Plants to be Planted	Location
Within lease period	Pipal, Munga, Kathal, Bargad, Jamun, Neem, Arjun, Kadam Belpatra, Mango	1,673	Bank of the river – 1,000 nos Loniya and surrounding villages – 673 Suitable available nearby government land or along the road in consultation with local Gram Panchayats, DFO and other stake holders

8. PROGRESSIVE MINE CLOSUR PLAN

This is a sanctioned quarry which may again be sanctioned after its expiry on 30.06.2023. The actual working area (sand accumulated area) within the proposed area is the zone of active erosion during high flood time, otherwise it is a zone of deposition and mined out areas may or may not be automatically replenished with sand flow in the rainy season each year, hence progressive plan is not envisaged.

Statutory Obligations: No statutory obligations imposed till now; routine legislative conditions will apply as mentioned in approval letter.

9. SAND REPLENISHMENT ASSESSMENT

Sand quarrying from river bed will cause degradation of land use pattern and damage to the environment. Over exploitation of sand from river bed will definitely affects adversely on the surrounding environmental status. Deposition of sand is a continuous natural process, but the over drafting will never be permitted to ensure the balance between exploitation and replenishment potential of river sand.

Sand quarrying from river bed will have both positive and negative impacts;

9.1 NEGATIVE IMPACTS:

It includes destruction of natural river course, bank erosion, bank cutting and widening and deepening of river bed. Change in hydrological status and recharging conditions. Disturbance to closely linked flora, fauna and aquatic life.

9.2 POSITIVE IMPACTS:

Employment and socio-economic status of the habitants living besides the river depends on sand mining industries. Construction of concrete infrastructures, roads and some other related activities depends on the river bed sand. Continuous accumulation of sand ultimately leads to the reduction in water carrying capacity of the river leading excessive flood in the river. Sustainable extraction of sand from river will lead to overcome the problem.

9.3 NEED FOR SAND REPLENISHMENT STUDY AND FACTORS TO BE CONSIDERED AND OBSERVED:

Environmental status of the mined-out area may be affected badly if proper care is not taken to ensure sustainable extraction of sand from river bed. Proper study of the following factors must be taken into consideration to reveal the actual potential of sand deposition in river course after completion of periodical excavation annually. The main factors required to be considered for the study of the replenishment potential of particular river course are:

Formation of sand comprises of the following;

Catchment area and geological strata,

Erosion, weathering

Climatic conditions, Precipitation

Geomorphology, Physiographic Manmade structures and activities details.

Geological formations Refer to Chapter 3.

Deposition/sedimentation of material or sediment yield depends upon several factors like;

-Catchment area

-Span of river / flood plain

-Travelling distance of suspended particles

-Slope / gradient / depth of water channel / meandering of river

- Geology traversed

- Climatic conditions

-Tributaries / Confluence

- Type / stage of river and flow velocity

-Occurrence of natural and manmade structures.

-Flow during lean period.

9.3.1 WATER LEVEL DURING LEAN PERIOD:

River course at area under consideration attains youth stage, flow velocity is moderate, turbulence occurred due to meanders created due to lineaments. Elevation of both the banks are within the range of 2.5 to 3.5m above river bed. After monsoon river flows in full swing covering both the banks. During monsoon floods the water level rises by 2 to 3 m High flood level of river goes up to 440 m in due course of time after monsoon water channel level goes down gradually, during lean period water level maintained at 437-438 m.

9.3.2 CATCHMENT AREA

The Tawa basin comprises an area of about 650 Km^2. The southern boundary is marked by low-lying hills and or high grounds. The basin area is highly undulating with isolated hills and plains. The ground elevation ranges between 437 m and 752 m. above MSL. The ground slopes from southeast to northwest.

9.3.3 ORIGIN OF RIVER:

The Tawa River flows from south to north. It is one of the largest tributaries of Narmada. The origin of the river is near village Markadhana, Madhya Pradesh at an elevation of 752 m.

9.3.4 DISTANCE OF TRAVELLING OF LOAD:

Tawa River course is around 32 km approx. from the origin to mine site.

9.3.5 SLOPE / GRADIENT / ELEVATION DIFFERENCE:

The highest elevation of **Tawa River** at the origin is around 752 m and the elevation at mine site is 437 m above msl. There is an elevation difference of around 315 m.

9.3.6 GEOLOGY / LITHO UNITS:

River originates mainly from Deccan Trap rock formations and further continues over the same rock formations with other formations in parts.

9.3.7 CLIMATIC CONDITIONS:

Climate of the district is tropical with moderate winter and severe summers and well distributed rainfall received from southwest monsoon. However due to higher general elevation and abundance of forests, summer temperature does not rise as much as in other areas. The normal annual rainfall of Betul district is 1129.6mm.

9.3.8 TRIBUTARIES / CONFLUNCE:

Several other small seasonal streamlets (Nallas) join this tributary resulting in the increase of its overall catchment area. One nalla also joins this river onsite.

9.3.9 TYPE/STAGE OF RIVER AND FLOW VELOCITY:

River attains youth stage at the mine site. Flow velocity is moderate to high. Lease area is located between two meanders making it suitable for sand deposition.

9.3.10 STRUCTURES:

There is a bridge located around 3.5km west, downstream of the lease and constructed on Tawa River. However, none is located within mine lease area.

9.4 CONCLUSION:

In Betul district, Tawa basin where lease area is located comprises an area of about 650 Km^2. The southern boundary is marked by low-lying hills and or high grounds. The basin area is highly undulating with isolated hills and plains. The ground elevation ranges between 437 m and 752 m, above MSL. The ground slopes from southeast to northwest.
The Average rainfall of Betul district is 1129.6mm. The district receives high rainfall mostly during July to September which will be leads to the deposition of the sufficient quantity of the sand every year within the old working area.
Dandy Bolton Formula has category stated use of the equation to predict sediment yield for a specific location would not be always correct because of the wide variability caused by local factors not considered in the equation development. Actual sediment yield from individual drainage basins may vary 10-fold or even 100-fold computed yields.

Looking at the basic information available about the concerning river basin, it is concluded that proposed quantity of 15,000 cubic meter per year can be excavated from the quarrying site and the replenishment of the same will be done easily as regular annual process following the topographical control.
Total replenished quantity of sand available each year within the lease hold area for mining will be:

Total Leasehold area -1.115 ha

Total sand available -1.115 x10000x 3.0 (max thickness) = 33,450 m^3

Taken all safety measured and environmental concerns, only 0.669 ha leasehold area (60% of lease area) is available for mining.

Total sand available -6,690 m^2 x 3.0m (Max. Thickness) = 20,070 m^3

Total mineable sand – 6,690 m^2 x 2.25 m (Avg. Thickness) = 15,052 m^3 or 15,000 m^3

Thus, from measured sand reserve of about 20,070 cubic meters, only 15,000 cubic meter sand per year will be extracted.

Out of the above annual replenishment, it is proposed to mine only 15,000 cubic meters up to a maximum depth of 2.25 m.

Thus, there will be no long – term impact on the riverbed which will have surplus sand left after extraction of the proposed amount each year and PP will be extracting less than the annual replenished sand within its lease hold.

Above estimation is based upon existing site conditions. Next year estimation shall be worked out after monsoon using volumetric methods. In the applied area, replenishment depends upon the yearly rainfall, if adequate amount of sand will not replenish during monsoon, then excavation of sand will be limited to the quantity which will be equivalent to the replenished material up to a maximum depth of 3m only.

PLAN PREPARED FOR -

M/s National Energy Trading and Services Ltd.

Address: Address: Plot No 7, Bindu Sadan, 401 Sai Chandra Colony, Green Space Tulasi, Puppalguda, Manikonda, Hyderabad,
Telangana State, India

PLAN PREPARED BY RQP -

SYED IQTADAR TANWEER
G-3 Balaji, Bright Colony, Idgah Hills,
Bhopal (M.P.)
Registration No: RQP/DGMMP/211/2019-24

SYED IQTADAR TANWEER
RQP/DGMMP/211/2019-24

J. Priya Bandhavi
LESSEE/APPLICANT
M/s National Energy Trading and Services Ltd., Hyderabad

Syed Iqtadar Tanweer
RQP/DGMMP/211/2019-2024

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला–बैतूल (म.प्र.)

प्रारूप–तीन

(नियम 11(3) एवं 11(5) देखिए)

आशय–पत्र

क्रमांक/रेत/2022/1862 बैतूल, दिनांक 23/12/2022

प्रति,

मेसर्स नेशनल एनर्जी ट्रेडिंग एण्ड सर्विसेज लिमिटेड
पता–प्लॉट न. 7, बिन्दु सदन, 401 सांई चंद्र कॉलोनी,
ग्रीन स्पेस तुलसी, पुप्पलगुडा, मणिकोंडा, हैदराबाद,
रंगारेड्डी, तेलंगाना–500089

विषय :– ई–निविदा क्रमांक 1691 दिनांक 17.11.2022 के संदर्भ में ग्राम **(सूची अनुसार)** तहसील **(सूची अनुसार)** जिला **बैतूल** रकबा **(सूची अनुसार)** हेक्टेयर क्षेत्र की खदान समूह क्रमांक **(संपूर्ण बैतूल जिला)** रेत खदानों हेतु आशय–पत्र।

—00—

1. **पृष्ठभूमि :**

1.1 मध्यप्रदेश रेत (खनन, परिवहन, भण्डारण एवं व्यापार) नियम 2019 (यथा संशोधित) के अनुसरण में कलेक्टर जिला बैतूल द्वारा मध्यप्रदेश के जिला बैतूल स्थित समूह खदान के समूह क्रमांक **(संपूर्ण बैतूल जिला)** हेतु रेत की समूह खदानों के प्रदान के लिए निविदा प्रक्रिया को प्रारंभ करने के लिए ई–निविदा सूचना दिनांक **17.11.2022** जारी की गई। ई–निविदा प्रक्रिया उक्त नियमों के नियम 8 के अनुसार उक्त रेत समूह आबंटन हेतु संचालित की जाकर मेसर्स **नेशनल एनर्जी ट्रेडिंग एण्ड सर्विसेज लिमिटेड** को उक्त नियमों के नियम 8(8) के अधीन उच्चतम सफल निविदाकार के रूप में घोषित किया गया है।

1.2 उक्त नियमों के नियम 11 के अधीन तथा उक्त समूह खदान के लिए निविदा दस्तावेज के अधीन अपेक्षित किए गए अनुसार मेसर्स **नेशनल एनर्जी ट्रेडिंग एण्ड सर्विसेज लिमिटेड** ने प्ररक्षित मूल्य के 25 प्रतिशत राशि रकम रूपये **5,85,53,288/–(पांच करोड़ पच्यासी लाख तिरेपन हजार दो सौ अट्ठासी रूपये)** अग्रिम धन (ईएमडी) के रूप में एम.पी. टेंडर के माध्यम से जो दिनांक **02.12.2022** को जमा कर दी है तथा जो दिनांक 23/12/2022 को संचालक के पूल खाते में प्राप्त हुई है।

2. **परिणामस्वरूप आशय पत्र जारी किया जाना :**

उक्त नियमों के नियम 11(3) एवं 11(5) के अनुसरण में समूह क्रमांक **(संपूर्ण बैतूल जिला)** मेसर्स **नेशनल एनर्जी ट्रेडिंग एण्ड सर्विसेज लिमिटेड** के पक्ष में 30 जून 2023 अवधि हेतु रेत खनिज की खदानों के समूह के लिए ग्राम **(सूची अनुसार)** जिला **बैतूल** में रकबा **(सूची अनुसार)** (हेक्टेयर) क्षेत्र के लिए यह आशय पत्र जारी किया जाता है।

3. शर्तें :

3.1 यह आशय पत्र तथा इसके पूर्वोक्त खदान समूह का अनुवर्ती आबंटन इन नियमों के समय–समय पर यथा संशोधित उपबंधों के अध्यधीन होगा तथा मेसर्स **नेशनल एनर्जी ट्रेडिंग एण्ड सर्विसेज लिमिटेड** को "उच्चतम सफल निविदाकार" के रूप में घोषित किया जाता है तथा इन नियमों के अधीन समस्त अपेक्षाओं की संतोषजनक पूर्ति पर पश्चातवर्ती रूप से आवंटित खदान समूह का आबंटन किया जाएगा।

3.2 संदर्भ हेतु मेसर्स **नेशनल एनर्जी ट्रेडिंग एण्ड सर्विसेज लिमिटेड** के "उच्चतम सफल निविदाकार" के रूप में घोषित किए जाने तथा समूह खदानों के पश्चातवर्ती आबंटन है, के लिए अपेक्षाओं को नीचे दोहराया गया है। यह स्पष्ट किया जाता है कि अधोवर्णित अपेक्षाएं मात्र संदर्भ के लिए है तथा उक्त नियमों में किसी परिवर्तन की स्थिति में, यथास्थिति, संशोधित नियमों के अधीन अपेक्षाएं लागू होंगी।

(क) **"उच्चतम सफल निविदाकार" के रूप में घोषणा :–**

मेसर्स **नेशनल एनर्जी ट्रेडिंग एण्ड सर्विसेज लिमिटेड** को "उच्चतम सफल निविदाकार" मान्य किया जावेगा, बशर्ते :–

(एक) नियमों के निबंधनों तथा शर्तों का अनुपालन किया गया हो;

(दो) नियमानुसार वार्षिक ठेका राशि की 50 प्रतिशत रकम का भुगतान कर दिया गया हो;

(तीन) उक्त नियमों के नियम 12 के उप नियम (1) से उप नियम (6) में विनिर्दिष्ट खनन योजना एवं अन्य कानूनी अनुपालनों के संबंध में शर्तों को पूरा किया गया हो।

(ख) **ठेका अनुबंध का निष्पादन :–**

समस्त कानूनी अनुज्ञाओं, अनुमोदन, अनुज्ञा, अनापत्ति एवं सदृश, जो कि खनन संक्रिया प्रारंभ करने के लिए प्रयोज्य विधियों के अधीन अपेक्षित हो, प्राप्त करने के उपरांत मेसर्स **नेशनल एनर्जी ट्रेडिंग एण्ड सर्विसेज लिमिटेड** एवं बैतूल जिले के कलेक्टर के साथ प्रारूप 5 में पृथक–पृथक खदानवार ठेका अनुबंध का निष्पादन कराया जायेगा। अनुबंध निष्पादन की औपचारिकताऐं पूर्ण होने पर ठेका अनुबंध का भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का क्रमांक 16) के उपबंधों के अधीन पंजीयन कराया जायेगा।

(ग) **समूह खदानों की खनन संक्रिया :–**

अनुबंध निष्पादन के पश्चात मेसर्स **नेशनल एनर्जी ट्रेडिंग एण्ड सर्विसेज लिमिटेड** किश्तों का नियमित रूप से भुगतान करेंगें तथा नियमित खनन संक्रियायें जारी रखेंगें।

विधिमान्य है। समय–सीमा के भीतर समस्त शर्तों की पूर्ति की जानी चाहिए एवं मेसर्स **नेशनल एनर्जी ट्रेडिंग एण्ड सर्विसेज लिमिटेड** एवं बैतूल जिले के कलेक्टर के मध्य ठेका अनुबंध निष्पादित किया जाना चाहिए। उच्चतम सफल निविदाकार के नियंत्रण से परे किन्हीं कारणों से ठेका अनुबंध के निष्पादन में विलंब होने की स्थिति में, समय–सीमा में वृद्धि करने के लिए वह कलेक्टर को आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकेगा। उपरोक्त समस्त अथवा किन्हीं शर्तों के अनुपालन के लिए कलेक्टर अधिकतम 10 दिवस की अवधि बढ़ा सकेगा।

निविदाकार कम्पनी की ओर से प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षर उपरांत उक्त आशय पत्र की द्वितीय प्रति 07 दिवस की अवधि के भीतर अधोहस्ताक्षरी को स्वीकार्य पावती के रूप में वापस करने योग्य होगी।

संलग्न– समूह की खदानों का विवरण
एवं राशि की जानकारी।

कलेक्टर
जिला–बैतूल (म.प्र.)

पृ0क्रमांक/रेत/2022/1862 बैतूल, दिनांक 23/12/2022

प्रतिलिपि :–

1– प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2– प्रमुख सचिव, नगरीय प्रशासन एवं पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3– सदस्य सचिव, सिया पर्यावास परिसर ई–5 अरेरा कालोनी, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4– कार्यपालक संचालक, दि मध्य प्रदेश स्टेट माईनिग कार्पोरेशन लिमिटेड भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5– संचालक, संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, 29–ए अरेरा हिल्स, म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ।
6– क्षेत्रीय अधिकारी, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड छिन्दवाड़ा की ओर सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित।
7– अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) समस्त जिला बैतूल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
8– तहसीलदार तहसील समस्त जिला बैतूल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
9– खनि निरीक्षक जिला बैतूल की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।

कलेक्टर
जिला–बैतूल (म.प्र.)

ई–निविदा में सम्मिलित खदानों एवं राशि का विवरण

जिला – बैतूल

क्र.	जिला	तहसील	ग्राम	खसरा क्रमांक	रकबा हेक्टेयर में	रेत का अनुमानित भण्डार (घनमीटर में)	अनुमानित दर का मूल्य (रूपये 250 प्रति घनमीटर + अन्य कर अतिरिक्त)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	लोनिया	179	1.115	25000	
2	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	फुलबेरिया	407	2.500	12750	
3	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	झाड़कुण्ड	1	0.950	7200	
4	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	चिखली आमढाना	219, 341	7.730	50000	
5	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	घोड़ाडोंगरी	373, 1395	7.000	20663	
6	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	आमढाना रैयत	248,141, 130	6.090	35700	
7	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	गांधीग्राम	2	0.550	13500	
8	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	नांदू	91	2.900	22500	
9	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	बाकुड़	35	2.700	21875	
10	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	बरेलीपार / घोड़ाडोंगरी	63	0.360	9000	
11	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	कचलोरा–1	67	0.100	2000	
12	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	कचलोरा–2	98	0.170	3570	
13	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	कचलोरा–3	69	0.340	9500	
14	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	आमढाना रैयत–1	79	0.350	8050	
15	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	आमढाना रैयत–2	175	0.340	6120	
16	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	आमढाना रैयत–3	178	0.620	13750	23,42,13,150/-
17	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	झोली–1	99	5.000	26000	
18	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	झोली–2	10	4.000	12000	
19	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	सातलदेही	187, 251	8.000	38500	
20	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	धरमपुर	309	6.000	7500	
21	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	बटकीढोह	112, 349	1.000	15000	
22	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	विष्णुपुर	1	2.000	30000	
23	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	चिचडोल रैयत	30	8.000	25000	
24	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	कटंगी	148	0.621	4000	
25	बैतूल	बैतूल	डहरगांव / भयावाड़ी	68, 260	6.250	25750	
26	बैतूल	बैतूल	कोदारोटी	106	5.450	7200	
27	बैतूल	बैतूल	कुम्हारिया	1	0.700	10800	
28	बैतूल	बैतूल	भीलावाड़ी	97	0.800	9100	
29	बैतूल	बैतूल	माथनी	78	0.860	9450	
30	बैतूल	आमला	सोनतलाई	1	9.330	9000	
31	बैतूल	आमला	बारछी	434, 308	5.520	10300	
32	बैतूल	आमला	जम्बाड़ा (बुजुर्ग)	217	0.700	2304	
33	बैतूल	मैसदेही	रालामाटी	1	2.550	36000	

	"	शाहपुर				
35	बैतूल	घोड़ाडोंगरी/ शाहपुर	बांसपुर/शिवसागर/ गौनापुर	1, 1, 288, 266	24.970	272250
36	बैतूल	शाहपुर	गुवाड़ी	19	2.500	70200
37	बैतूल	शाहपुर	शाहपुर/पतौवापुरा	1, 112	11.000	198000
38	बैतूल	शाहपुर	सितलझिरी	1	0.700	5625
39	बैतूल	चिचोली	सांगवानी	20	5.080	30064
40	बैतूल	चिचोली	हरन्या	1, 9	5.590	44000
41	बैतूल	चिचोली	खपरिया	18	3.000	32500
42	बैतूल	चिचोली	बल्लौर	162	3.000	35000
43	बैतूल	शाहपुर	टागनामाल	209	4.000	42000
44	बैतूल	शाहपुर	धामन्या	1	5.000	38000
45	बैतूल	शाहपुर	चिखली रैयत	316	4.000	18000
46	बैतूल	शाहपुर	तेन्दूखेड़ा	119,114	5.000	22500
47	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	सिवनपाट	142	0.420	4200
				योग–	188.906	1561421

1	कुल चिंहित खदाने –	47
2	कुल अनुमानित क्षेत्रफल –	188.906 हे0
3	निविदा हेतु निर्धारित खदाने –	सम्पूर्ण बैतूल जिला
4	जिला समूह हेतु बिक्री योग्य निर्धारित मात्रा (वार्षिक) घनमीटर –	936852.6 (तेईस करोड़ बयालीस लाख तेरह हजार एक सौ पचास रूपये)
5	निविदाकार मेसर्स नेशनल एनर्जी ट्रेडिंग एण्ड सर्विसेज लिमिटेड	
6	पता–प्लॉट न. 7, बिन्दु सदन, 401 साई चंद्र कॉलोनी, ग्रीन स्पेस तुलसी, पुष्पलगुडा, मणिकोंडा, हैदराबाद, रंगारेड्डी, तेलंगाना – 500089	
7	स्वीकृत ऑफर मूल्य रूपये –	**531195424.20** (तिरेपन करोड़ ग्यारह लाख पनचान्वे हजार चार सौ चौबीस रूपये बीस पैसे मात्र)
8	प्राप्त दर के अनुसार प्रति घनमीटर देय राशि (रायल्टी सहित)	**567.00** (पांच सौ छड़सठ रूपये प्रति घनमीटर)
9	जमा EMD राशि रूपये –	**58553288** (पांच करोड़ पच्यासी लाख तिरेपन हजार दो सौ अट्ठासी रूपये)
10	शेष जमा राशि रूपये (265597712.10 – 58553288) ऑफर मूल्य का 50 प्रतिशत – निविदा की ईएमडी राशि	**207044424.10** (बीस करोड़ सत्तर लाख चौव्वालीस हजार चार सौ चौबीस रूपये दस पैसे मात्र)
11	बिन्दु क्रमांक 10 की राशि जमा दिनांक एवं भुगतान विवरण –	**21.12.2022 RTGS**

नोट :–2. निविदा प्रपत्र की कंडिका– 10 (ख) –परिशिष्ट–1 में समूह में सम्मिलित समस्त रेत खदानों का विवरण, खदान का अनुमानित क्षेत्रफल एवं खदान में उपलब्ध अनुमानित मात्रा दर्शित है। ठेकेदार द्वारा जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (डी.एस.आर.) द्वारा अनुमोदित मात्रा तक ही खनन किया जा सकेगा। यह अनिवार्य नहीं होगा कि यह समूह में सम्मिलित प्रत्येक खदान की परिशिष्ट–1 में दर्शित मात्रा हेतु, वैधानिक अनुमतियों प्राप्त कर खदानें संचालित करें। अर्थात निविदत्त मात्रा का खनन समूह में सम्मिलित कतिपय खदानों से, वैधानिक अनुमतियों के अधीन भी किया जा सकेगा।

कलेक्टर
जिला–बैतूल (म.प्र.)

ग्राम - लालपुरा थाना एवं तहसील खमेरा
प.ह.नं. 41 रा.नि. संख्या नं. घोसडोंगरी जैसलमेर

स्केल 1" = 1 मील

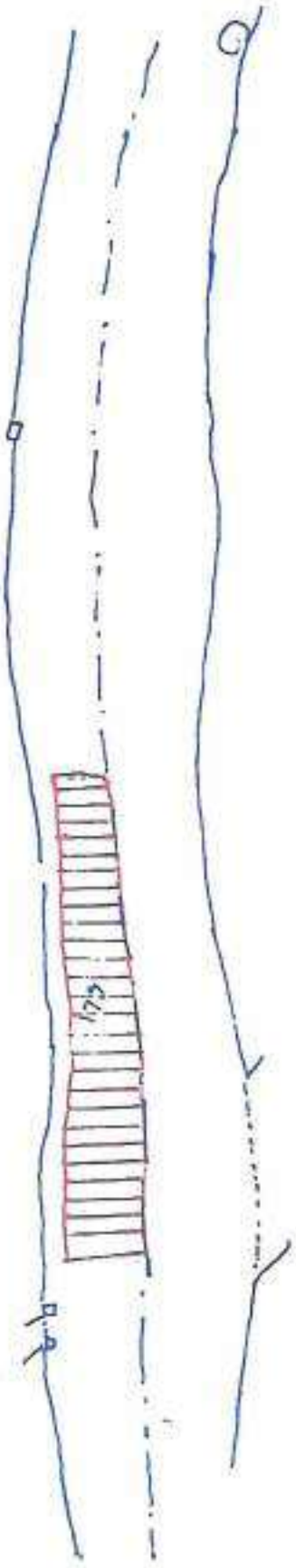

संकेत — सर्वे खाने निरीक्षक के प्रतिवेदन अनुसार
— सिमा के निर्देशानुसार खसरा नं. 179
के भाग रकबा 1.115 हे. सेरा 34 लठ्ठा होना है।
— नीलाम हेतु दर्शाने हेतु खसरा नं. 173
के भाग रकबा 1.115 हे. को घोषित
किया हुआ 34 लठ्ठा क्षेत्र

Sd/-
27.5.16
सदा: मानचित्रकार
खनिज शाखा
जैसलमेर

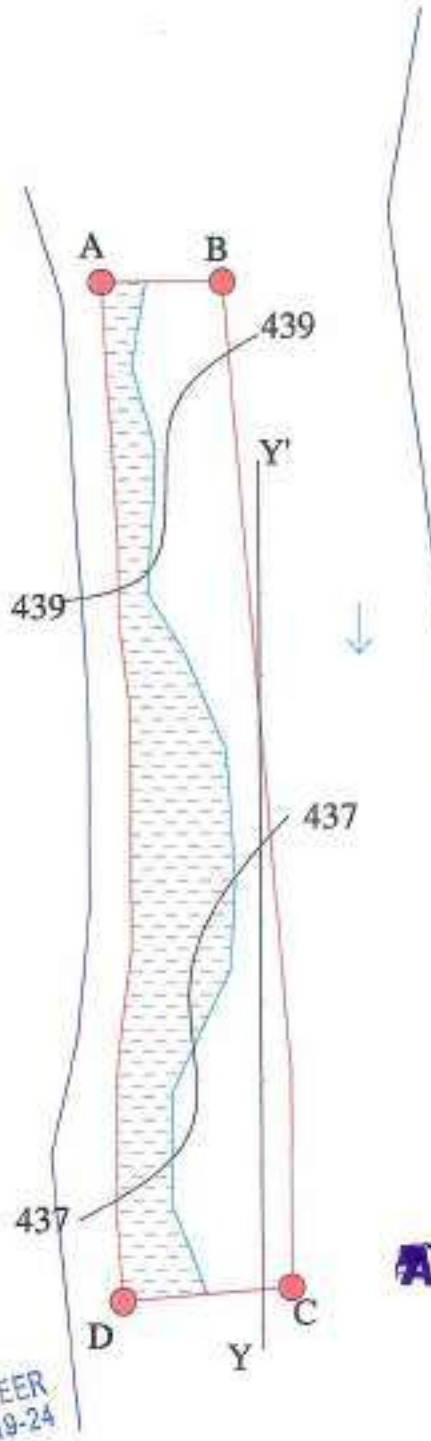

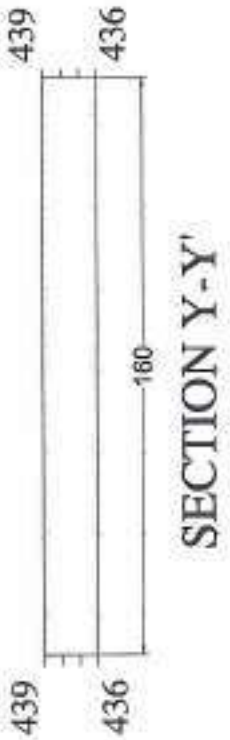

INDEX	
PARTICULARS	SYMBOLS
LEASE BOUNDARY	
RIVER BOUNDARY	
CONTOUR	580
BOUNDARY POINTS	
SECTION LINE	
SAND	
WATER	
FLOW DIRECTION	

APPROVED

SYED IQTADAR TANWEER
RQP/DGMMP/211/2019-24

COLLECTOR
BETUL

CO-ORDINATE		
1.	22°07'08.60"N	78°14'34.50"E
2.	22°07'08.60"N	78°14'35.60"E
3.	22°06'59.30"N	78°14'35.60"E
4.	22°06'59.20"N	78°14'34.00"E

AREA DETAILS	APPLICANT:
QUARRY AREA - 1.115 HA. QUARRY SURVEY NO. - 179 QUARRY VILLAGE-LONIYA TEHSIL- GHODADONGARI, DISTRICT - BETUL (M.P.)	M/s National Energy Trading and Services Limited Address: Plot No 7, Bindu Sadan, 401 Sai Chandra Colony, Green Space Tulasi, Puppalguda, Manikonda, Hyderabad, Telangana State, India

YEAR WISE DEVELOPMENT

PLAN & SECTION

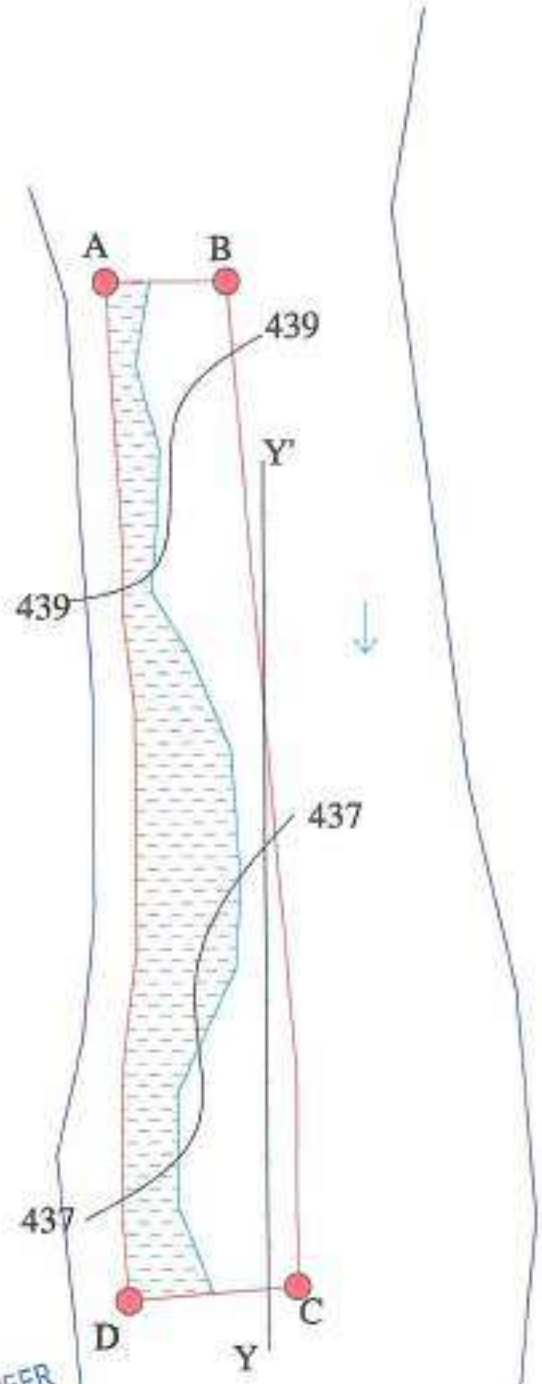

INDEX	
PARTICULARS	SYMBOLS
LEASE BOUNDARY	
RIVER BOUNDARY	
CONTOUR	580
BOUNDARY POINTS	
SECTION LINE	
SAND	
WATER	
FLOW DIRECTION	
YEAR WISE DEVELOPMENT	

SYED IQTADAR TANVEER
RQP/DGMMP/211/2019-24

AREA DETAILS	APPLICANT:
QUARRY AREA - 1.115 HA. QUARRY SURVEY NO. - 179 QUARRY VILLAGE-LONIYA TEHSIL- GHODADONGARI, DISTRICT - BETUL (M.P.)	M/s National Energy Trading and Services Limited Address: Plot No 7, Bindu Sadan, 401 Sai Chandra Colony, Green Space Tulasi, Puppalguda, Manikonda, Hyderabad, Telangana State, India

ENVIRONMENTAL PLAN

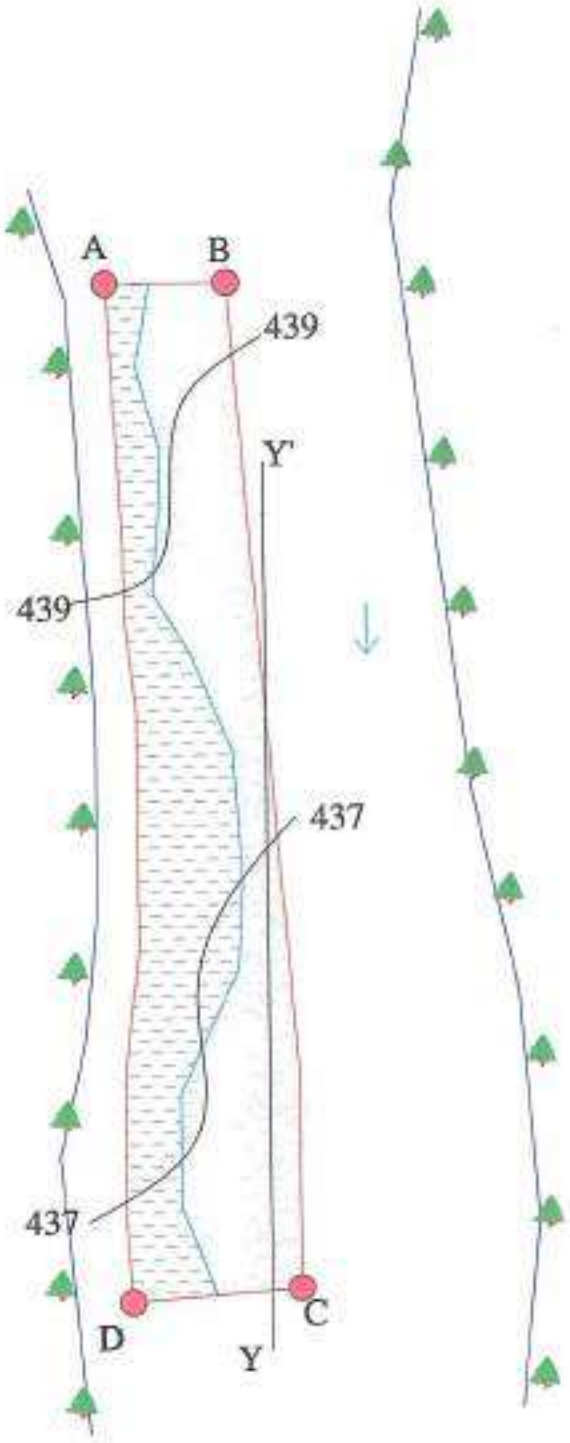

INDEX	
PARTICULARS	SYMBOLS
LEASE BOUNDARY	
RIVER BOUNDARY	
CONTOUR	580
BOUNDARY POINTS	
SECTION LINE	
SAND	
WATER	
FLOW DIRECTION	
PLANTATION	

SYED IQTADAR TANWEER
RQP/DGMMP/211/2019-24

AREA DETAILS	APPLICANT:
QUARRY AREA - 1.115 HA. QUARRY SURVEY NO. - 179 QUARRY VILLAGE-LONIYA TEHSIL- GHODADONGARI, DISTRICT - BETUL (M.P.)	M/s National Energy Trading and Services Limited Address: Plot No 7, Bindu Sadan, 401 Sai Chandra Colony, Green Space Tulasi, Puppalguda, Manikonda, Hyderabad, Telangana State, India

YEARLY MONSOON WISE PLATE & SECTION

SCALE - 1:2000

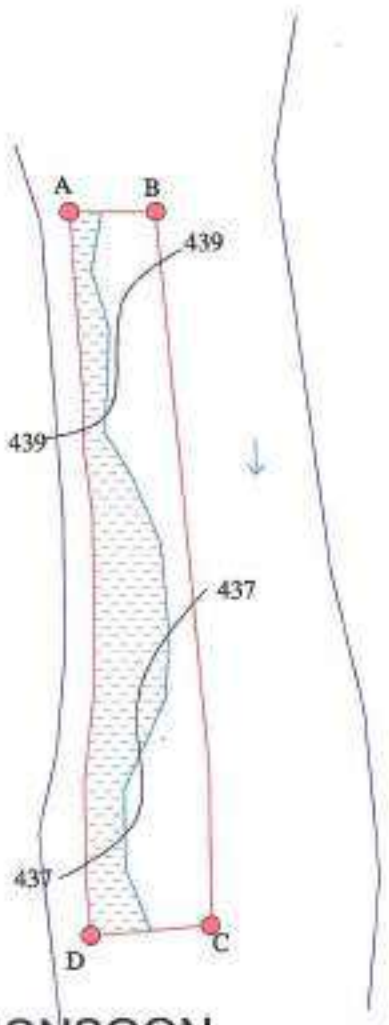

PRE MONSOON
(MARCH TO JUNE)

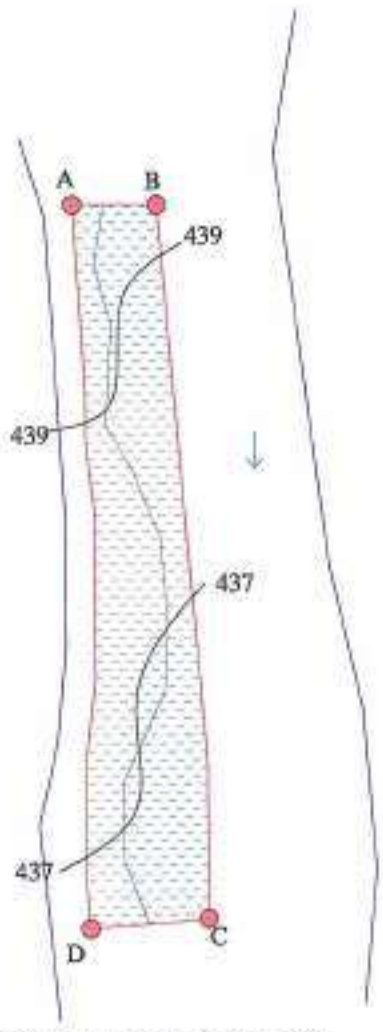

DURING MONSOON
(JULY TO SEPTEMBER)

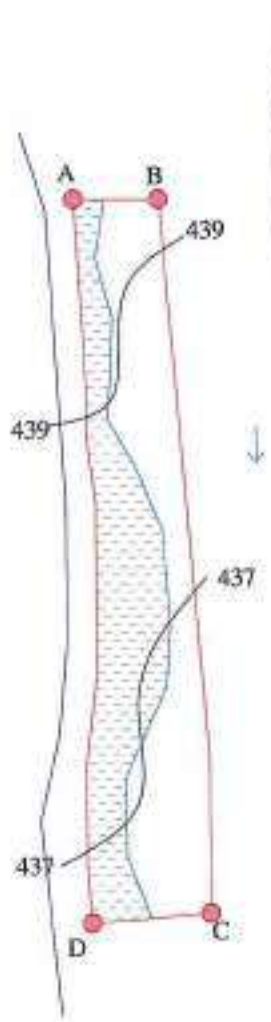

POST MONSOON
(OCTOBER TO FEBRUARY)

SYED IQTADAR TANVEEI
RQP/DGMMP/211/2019-2

J. Pooja Bandhari

AREA DETAILS	APPLICANT:
QUARRY AREA - 1.115 HA. QUARRY SURVEY NO. - 179 QUARRY VILLAGE-LONIYA TEHSIL- GHODADONGARI, DISTRICT - BETUL (M.P.)	M/s National Energy Trading and Servic Address: Plot No 7, Bindu Sadan, 401 Sai Chandra Colony, Green Space Tulasi, Puppalguda, Manikonda, Hyderabad, Telangana State, India

REVISED MINING PLAN

SUBMITTED AS PROVISIONS OF RULE 12 (1) MADHYA PRADESH SAND RULE 2019 (MINING, TRANSPORTATION, STORAGE AND TRADING)

KHAPRIYA SAND MINE

AREA: 3.40 HECTARES, KHASRA NO: 18

VILLAGE: KHAPRIYA, TEHSIL: CHICHOLI, DISTRICT: BETUL (MADHYA PRADESH)

APPROVED

COLLECTOR
BETUL

APPLICANT

M/S NATIONAL ENERGY TRADING AND SERVICES LIMITED, PLOT NO 7, BINDU SADAN, 401 SAI CHANDRA COLONY, GREEN SPACE TULASI, PUPPALGUDA, MANIKONDA, HYDERABAD, TELANGANA STATE, INDIA

TYPE AND CATEGORY OF MINE: OPENCAST/SEMI MECHANISED

PREPARED BY

SYED IQTADAR TANWEER
G-3 BALAJI, BRIGHT COLONY, IDGAH HILLS, BHOPAL (M.P.)
REGISTRATION NO: RQP/DGMMP/211/2019-24
EMAIL: si_tanweer@yahoo.co.in, MOB: 882795300

SYED IQTADAR TANWEER
RQP/DGMMP/211/2019-24

CONSENT LETTER

Revised Mining Plan of Khapriya Sand Mine, Village Khapriya (3.40 ha) has been prepared by RQP Shri Syed Iqtadar Tanweer (RQP No DGMMP/211/2019-24) under Madhya Pradesh Minor Mineral Rules, 1996 for approval. The lease hold area is located in Village- Khapriya, Tehsil - Chicholi, District - Betul, MP, covering an area of 3.40 hectares.

The Director Geology and Mining, Madhya Pradesh, competent Authority is hereby requested to make further correspondence regarding this Mining Plan with the person and address mentioned below-

SYED IATADAR TANWEER
Recognized Qualified Person (RQP NO: RQP/DGMMP/211/2019-24)

G-3 Balaji, Bright Colony, Idgah Hills,

Bhopal (M.P.)
Email: si_tanweer@yahoo.co.in

Mob: 882795300

An undertaking in this regard is being submitted that the Mining Plan so prepared by the recognized person is with my knowledge and consent and shall be acceptable to me in all respects. I have clearly understood the contents of the Mining Plan and agree to implement.

Place: Betul

Date:

M/s National Energy Trading and Services Ltd.
Address: Plot No 7, Bindu Sadan, 401 Sai Chandra Colony, Green Space Tulasi, Puppalguda, Manikonda, Hyderabad, Telangana State, India

CERTIFICAE FOR FULL CONSULTATION

This is to certify that Revised Mining Plan of Khapriya Sand Mine in village Khapriya of the applicant M/s National Energy Trading and Services Ltd., Village-Khapriya, Tehsil - Chicholi, District - Betul of Madhya Pradesh State covering lease hold area 3.40 hectares has been prepared by RQP Shri Syed Iqtadar Tanweer (RQP No: RQP/DGMJMP/211/2019-24), in full consultation with me and I have understood its contents and agree to implement the same in accordance with the law.

Place: Betul

Date:

G. Pinja Bandhara

M/s National Energy Trading and Services Ltd.

Address: Plot No 7, Bindu Sadan, 401 Sai Chandra Colony, Green Space Tulasi, Puppalguda, Manikonda, Hyderabad, Telangana State, India

CERTIFICATE OF COMPLIANCE AND CORRECTNESS

- *Certified that the provisions of related Act and rules have been considered in the Revised Mining Plan of Khapriya Sand Mine in village Khapriya, area of 3.40 in Tehsil - Chicholi, District- Betul of Madhya Pradesh State, which belongs to the applicant M/s National Energy Trading and Services Ltd.*

- *Certified further that the provisions mentioned in Act, Rules and Regulations have been considered in the Mine Plan and wherever specific permissions are required, the applicant will approach to the concerned competent authorities including D.G.M.S. for the same.*

- *There* is *no violation against provision of Rules, Regulations of MMR, 1961 and there* is *no danger to human life.*

- *The information furnished in the Mine Plan* is true *and correct to the* best *of our knowledge.*

Place: Bhopal

Date:

Syed Iqtadar Tanweer

(RQP No: RQP/DGM/MP/211/2019-24)

RQP CERTIFICATE

संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म मध्यप्रदेश

(मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम, 1996 के अंतर्गत)
खनन योजना / खनन स्कीम / पूर्वेक्षण रिपोर्ट / पर्यावरण प्रबंधन योजना / माईन क्लोजर प्लान बनाने हेतु मान्यता प्राप्त योग्य व्यक्ति

प्रमाण पत्र

श्री सैयद इक्तेदार तनवीर, पिता स्व. डॉ. कासिम नयाजी, पता जी–3, बालाजी, बाईट कालोनी, ईदगाह हिल्स, भोपाल, मध्यप्रदेश, जिनकी फोटो तथा हस्ताक्षर अभिप्रमाणित है, को मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम 1996 के अंतर्गत खनन योजना / खनन स्कीम / पूर्वेक्षण रिपोर्ट / पर्यावरण प्रबंधन योजना / माईन क्लोजर प्लान तैयार करने हेतु योग्य व्यक्ति के रूप मे मान्यता प्रदान करते हुए पंजीयन क्रमांक **RQP/DGMMP/211/2019** आवंटित किया जाता है।

यह मान्यता प्रमाण पत्र 05 वर्ष की अवधि के लिये दिनांक **04.08.2024** तक वैध रहेगा।

मान्यता प्राप्त व्यक्ति के हस्ताक्षर –

भोपाल, दिनांक 05.08.2019

सचालक
भौमिकी तथा खनिकर्म
मध्यप्रदेश भोपाल

CONTENTS

1. INTRODUCTION 4

1.1 GENERAL INFORMATION 5
1.2 AREA DETAIL & APPROACHABILITY 6

2. LANDUSE / INFRASTRUCTURE 7

2.1 PRESENT LAND USE STATUS: 7
2.2 INFRASTRUCTURE 7

3. TOPOGRAPHY AND GEOLOGICAL DETAILS 9

3.1 TOPOGRAPHY 9
3.2 REGIONAL GEOLOGICAL DETAILS: 9
3.3 REGIONAL GEOLOGICAL SETUP/SEQUENCE: 10
3.4 LOCAL GEOLOGICAL DETAILS: 11
3.5 EXTENT OF RIVER BED & ALLUVIAL SAND DEPOSIT: 12
3.6 PROSPECTING AND EXPLORATION DONE: 12

4. ESTIMATION OF RESERVES: 14

5. DEVELOPMENT AND PRODUCTION PROGRAM 17

5.1 PROPOSED METHOD OF QUARRYING: 17
5.2 MECHANIZATION: 19
5.3 BLASTING: 19
5.4 LOADING AND TRANSPORTATION OF SAND: 20
5.5 MANPOWER DEPLOYMENT: 20
5.6 PROPOSED YEARLY PRODUCTION PROGRAM 21
5.7 MINE LIFE: 21
5.8 USE OF MINERAL: 21

6. CONCEPTUAL PLAN 22

7. ENVIRONMENTAL MANAGEMENT PLAN 23

7.1 AIR QUALITY MANAGEMENT: 23
7.2 WATER MANAGEMENT: 23
7.3 NOISE MANAGEMENT: 24
7.4 WASTE MANAGEMENT: 24
7.5 BIOLOGICAL ENVIRONMENT 24

SYED IQTADAR TANWEER
RQP/DGMMP/211/2019-24

I. Raja Bauchan

7.6 DISPOSAL OF MINING MACHINERIES: 24
7.7 SAFETY AND SECURITY: 25
7.8 DISASTER MANAGEMENT: 25
7.9 CARE DURING TEMPORARY DISCONTINUANCE: 25
7.10 ECONOMIC REPERCUSSION OF CLOSURE & MAN POWER RETRENCHMENT 25
7.11 STATUS OF LOCAL EMPLOYEES: 26
7.12 COMPENSATIONS: 26
7.13 RECLAMATION & REHABILITATION: 26
7.14 DISTANCE FROM THE NEAREST BRIDGE/DAM: 26
7.15 SOCIO – ECONOMIC ENVIRONMENT: 27
7.16 PLANTATION (AFORESTATION PROGRAM): 27
8. PROGRESSIVE MINE CLOSUR PLAN 28
9. SAND REPLENISHMENT ASSESSMENT 29
9.1 NEGATIVE IMPACTS: 29
9.2 POSITIVE IMPACTS: 29
9.3 NEED FOR SAND REPLENISHMENT STUDY AND FACTORS TO BE CONSIDERED AND OBSERVED: 29
9.3.1 WATER LEVEL DURING LEAN PERIOD: 30
9.3.2 CATCHMENT AREA 31
9.3.3 ORIGIN OF RIVER: 31
9.3.4 DISTANCE OF TRAVELLING OF LOAD: 31
9.3.5 SLOPE / GRADIENT / ELEVATION DIFFERENCE: 31
9.3.6 GEOLOGY / LITHO UNITS: 31
9.3.7 CLIMATIC CONDITIONS: 31
9.3.8 TRIBUTARIES / CONFLUNCE: 31
9.3.9 TYPE/STAGE OF RIVER AND FLOW VELOCITY: 32
9.3.10 STRUCTURES: 32
9.4 CONCLUSION: 32

SYED IQTADAR TANWEER
RQP/DGMMP/211/2019-24

T. Raja Bouchaiah

FIGURES

KEY PLAN

GOOGLE IMAGE

KHASRA MAP

PLATE 1- SURFACE PLAN AND GEOLOGICAL PLAN

PLATE 2- YEARWISE DEVELOPMENT PLAN AND SECTION

PLATE 3- ENVIRONMNETAL PLAN

PLATE4- YEARLY MONSOON WISE PLATE AND SECTION

SCHEMATIC DIAGRAM – CONVEYOR BELT

ANNEXURES

SANCTION ORDER COPY

TESILDAR LETTER

FOREST NOC

RQP CERTIFICATE

SYED IQTADAR TANVEER
RQP/DGMMP/211/2019-24

1. INTRODUCTION

The demand for ordinary natural river sand is enormously increased in building construction and infrastructural developments. The natural sand is started vanishing from the river beds besides causing natural and environmental hazards in surrounding areas due to illegal and unscientific mining without proper mining plan. Therefore, the government of India announced sand policy by fixing responsibility on related departments mainly Mines & Geology and Ministry of Environment and Forest (Pollution control boards). Accordingly, the Govt. of Madhya Pradesh formulated a natural sand policy to meet the sand demand in the state by undertaking systematic & scientific mining and protection of environment and by maintaining eco-balance in the surrounding areas by following the Govt. of India guidelines.

Based on the Government of India guidelines, this quarry plan is prepared for the proper development of mine area with safe quarrying operation. It also provides guidance and directives to be followed during the quarrying operation under the rules and regulations as imposed by the Government.

Mine has been allotted to National Energy Trading and Services Ltd., Address: Plot No 7, Bindu Sadan, 401 Sai Chandra Colony, Green Space Tulasi, Puppalguda, Manikonda, Hyderabad, Telangana State, India, over an area of 3.40 Hectares covering Khasra No 18, up to 30.06.2023 (As per Order No. 1862/Sand/2022, Betul, dated 23.12.2022).

In compliance to MP Sand (Mining transportation, Storage and Trading) Rule 2019 published in Gazette notification of Government of MP dated 30-08-2019 and as per the rule 42 of MP Minor Mineral Rules 1996, this Quarry plan is being prepared and submitted for approval to the Collector [Mining] Betul MP and quarrying operation start only after obtaining the statutory permission as per rule 14.

SYED IQTADAR TANVEER
RQP/DGMMP/211/2019-24

1.1 GENERAL INFORMATION

Name of Applicant	M/s National Energy Trading and Services Ltd
Address of Applicant	Address: Plot No 7, Bindu Sadan, 401 Sai Chandra Colony, Green Space Tulasi, Puppalguda, Manikonda, Hyderabad, Telangana State, India
Quarry Village	Khapriya
Name of the River	Morand River (a tributary of Narmada)
Tehsil	Chicholi
District	Betul
State	Madhya Pradesh
Khasra No.	18
Area [Hectares]	3.40
Permitted Period	Up to 30.06.2023
Whether Recorded in Forest	Not recorded in any Reserved / Protected Forest Area
Status Of Applicant	Private Individual
Mineral (S) Which Applicant Intended to Mine	Sand
Sanction order Details Order No. & Date	As per Order No. 1862/Sand/2022, Betul, dated 23.12.2022
Ownership / Occupancy	Government Land, River Bed
R.Q.P. Address & Registration details/Mobile No	SYED IQTADAR TANWEER G-3 Balaji, Bright Colony, Idgah Hills, Bhopal (M.P.) Registration No: RQP/DGMMP/211/2019-24 Mob: 8827951780

LESSEE/APPLICANT
M/s National Energy Trading and Services Ltd., Hyderabad

SYED IQTADAR TANWEER
RQP/DGMMP/211/2019-24

Syed Iqtadar Tanweer
RQP/DGMMP/211/2019-2024

1.2 AREA DETAIL & APPROACHABILITY

Details Of Sanctioned Lease Area	**Village**	Khapriya
	Tehsil	Chicholi
	District	Betul
	River	Morand River (a tributary of Narmada)
	State	Madhya Pradesh
	Khasra No.	18
	Sanctioned Area	3.40 Hectares
Topo Sheet No.	55G/9	
Village Coordinates	22°13'28.96"N 77°39'16.37"E	
Site Co-ordinates (Latitude & Longitude)	1. 22°13'41.57"N 77°39'15.68"E 2. 22°13'43.95"N 77°39'16.37"E 3. 22°13'37.19"N 77°39'31.51"E 4. 22°13'35.84"N 77°39'28.96"E	
Approach & Accessibility	**From Site**	**Approx. Distar**
	District Head Quarter Betul towards SE	42 km
	Tehsil – Chicolii towards S	25 Km
	Village – Khapriya - South	0.3 Km
	Nearest Railway Station Dhodramohar Towards NEE	23 Km
	NH-46 - NEE	23 Km
	Health Centre (Village Khapriya)	0.3 Km
	Nearest Bridge Towards SW	4.4 Km
	Monuments / Places of Social importance	None Nearby
	National Parks	Not within 10 Km
	Reserve Forest	Not within 250 m

2. LANDUSE / INFRASTRUCTURE

2.1 PRESENT LAND USE STATUS:

Sand Mining lease has been sanctioned for a period of up to 30.06.2023 over an area of 3.40 Hectares on a River Bed (Morand a tributary of Narmada) for quarrying and transportation of sand. Quarrying & related activities shall be carried out from the top surface level.

Present land use status of the sanctioned area is as under:

Total Lease Area	**3.40 Ha**	**34,000 M^2**
Barrier Zone / Safety Strip	10,100 M^2	
Area under water/ Non-Mining Area	1,000 M^2	
Available Working Area	**22,900 M^2**	
Allowable actual Mineable Area (equal to or less than 60% of total lease area	**20,400 M^2**	

2.2 INFRASTRUCTURE

- **Power Supply** - Electrical Power is not available; Shall be arranged from the nearby supply line if required with proper NOC from concerning Department.

- **Communication & Transport** - Site is well connected with District Headquarter and other towns by road. Buses and private taxis are frequently available from district and Tehsil headquarters up to the village. Quarry site is approachable from village by private means.

- **Land** -Quarry lease area situated on river bed and is a non-forest government land.

- **Water Supply** - Dug wells and bore wells available in the vicinity to meet the requirement of drinking water. Water is potable & hygienic as no adverse effects noticed in habitants of nearby area.

- **School Facilities** - School facilities for primary education are available in the village Panchayat; Middle school or higher studies are present in District Headquarter Betul and Tehsil Chicholi.

- **Man Power** - Mine workers shall be arranged from nearby villages therefore no constraint regarding availability of manpower in the area.

There are no places of national and social importance exist within the radius of 500 m of mine site.

3. TOPOGRAPHY AND GEOLOGICAL DETAILS

3.1 TOPOGRAPHY

The lease area falls in a River Bed (Morand River). Since, the sand area falling partly at the non-active river bed, the general surface level of the lease area is undulating with negligible thorny bushes/shrubs and comparatively lower than the surroundings. The surface level of the mine lease is around 472-474 MSL. The drainage direction is towards southeast in the lease area.

Topography of the area has been derived due to alluvial deposition on the flood plains of Narmada River and its Rivulets. General slope of the lease area is from southeast to northwest. The drainage pattern in the area is dendritic.

3.2 REGIONAL GEOLOGICAL DETAILS:

The district has four district physiographic division viz (i) Satpura plateau in Tawa and Morand valleys (ii) The Satpura plateau in central and (iii) southern part of the district (iv) and Tapti valley. The whole district lies on Satpura plateau at an elevation of 365m above mean sea level. The general elevation is about 609m at Kilendeo form the highest peak in the northern and central parts of the district. Tawa valleys lies at on elevation of 396m amsl between peaks of Kilandeo and Bhogwangar, the general scope of the valley is towards the North West.

3.3 REGIONAL GEOLOGICAL SETUP/SEQUENCE:

Age	Lithounits	Rock types
Quaternary		Soil and alluvium
----------Unconformity----------		
U. Cretaceous to Eocene	Deccan Trap	Non-porphyritic and porphyritic basalt
----------Unconformity----------		
U. Cretaceous	Lameta	Sandstone, shales and limestone
----------Disconformity----------		
U. Cretaceous	Upper Gondwana	Sandstone, siltstone, conglomerate and clay
----------Unconformity----------		
Archaean		Quarzo-feldspathic gneiss with dolerite intrusions

Archaeans

The crystalline metamorphic and igneous rocks cover approximately 20% of the total district area. The igneous rocks are intensive granite and pegmatite veins intending the metamorphic rocks. Quartz pegmatite views are common features and occurs as broad dykes and thin strings. The ground basins are conterminous with surface drainage sub basin thus ground water flow system is of local types where end system has its recharge area at topographic low. The Archaeans are mainly occupying the Betul, Chichab, Multai and Amla blocks. These rocks do not have primary porosity and hydraulic conductivity. The weathered part of the crystalline rocks are called saprolite, which is of particular interest from the point of view of storage zone for ground water and as an aquifer for open well and shallow tube wells. The thickness of this zones in the entire district area ranges from 2.5 to 30.00 m. in this formation, aquifers also occurs where bed rock and quartz pegmatite intensive vein are jointed and fractures.

The yield depends upon saturated thickness of the weathered mantle and fracture pattern of the rocks.

Gondwana

The Gondwana rocks are comprising succession of sand stone, shales with seems of coal lying over the metamorphic rocks of crystalline Archaean system with a district unconformity. The beds of Gondwana rocks are distributed in patches and lie in a liner trend coinciding almost with the present river valleys. There rocks show considerable faulting. The Talchir beds consisting of sandstone and green clays with boulders contain plant fossils. There are bounded by faults. The west and north west of Betul, there are out of Gondwana rocks which separates decant traps from Archaeans rocks. Barkars of Gondwana group contains coal seams.

Deccan Traps

Deccan traps comprising varies types of basaltic lava flows and most extensive rocks in the district. There rocks occupying in Betul, Multai, Bhimpura, Chicholi, Bhainsdehi, Atner and Prabkat pattam blocks. The base of the flow consists of a porons layers of earthy basalt which passes rapidly into the main body. Of flow consisting of great thickness of hard basalt. Generally, the Deccan trap in the area occurs in the form of fractures, weathered and vesicular basalts.

3.4 LOCAL GEOLOGICAL DETAILS:

The top layer of applied area forms a part of stream bed covered mainly with sand deposits with rare colluvial material belonging to recent river alluvium up to 4.0 m. Quarrying will be concentrated up to 3.0 m only for extraction of sand. However, it is found that minimum 4m thick sand deposit is available throughout the lease within the top most layer of recent alluvium. This top sandy layer is underlain by laterite followed by Deccan trap.

Altitude of the area- Average elevation of the area is- 473 m

High flood Level (HFL) – 476 m

Low flood Level (LFL) – 472 m

Surface and geological map with cross section of the area on 1: 2000 scale with suitable contour intervals showing general topography and geology has been enclosed.

3.5 EXTENT OF RIVER BED & ALLUVIAL SAND DEPOSIT:

The sand quarry lease area is elongated along the course of the river with an orientation of SW to NE and lies in the middle of two meanders. The deposit of sand is available on full width and length of the lease.

The sediment in the form of river bed material i.e., sand has deposited in the last many years as a process of sedimentation in the paleochannels. Sand bars have been formed at various places hindering the flow of water and excess deposition has changed the shape of the river bed. Because of this, during monsoon season, the water may rise above the high flood level causing heavy and devastating floods. Such disasters may damage large tracts of land laying on both banks of the river especially the agricultural lands.

Accumulation of the sand deposit on the river bed is annual process. It is replenishable due to sediment inflow during floods in rainy season. Thickness of river bed where sand deposited every year varies but excavation of sand is permitted up to 3 m depth or up to top level of water table whichever is less. The summer water table goes down to 4 m below surface. Hence sand can easily be extracted up to 3 m depth in dry season.

3.6 PROSPECTING AND EXPLORATION DONE:

This is the revised mining plan and mining lease has already been excavated in the past. Based on post monsoon yearly survey by local mining officer and observations conducted by lessee, sand deposit in the lease has completely been replenished and average thickness of sand deposition within the sand accumulated area is observed to be > 3.0 m in proposed sand bed and considered for estimating the reserves.

Since sand exposed all over within the sand accumulated area of the lease and depth is proved, therefore, future prospecting has not proposed in the area. However, a

survey likely to be conducted by local mining officer to ascertain the depth of sand accumulation during post monsoon every year.

4. ESTIMATION OF RESERVES:

The applied sand lease area is about 0.3Km south from village Khapriya and located in the river bed of Morand River that flows from southwest to northeast.

In order to estimate the reserves, DGPS survey has been carried out to define the topography, contours and offsets of the lease area. Khasra map has been considered as base map to demarcate the mine lease boundary. The shape and size of the mine lease has been fixed as per the sanctioned demarcated Khasra map of the lease area by DGPS survey.

The area has been fully demarcated with respect to geographical coordinates and surface reduced level taken at every point of cluster. To describe the elevation in detail, 0.5m contour interval has been picked for the preparation of surface plan and cross section which includes collection of surface reduced level in an interval of 0.5m for reserve estimation. The maximum elevation observed to be 405m from MSL and whereas minimum elevation recorded to be 403m MSL with the lease area.

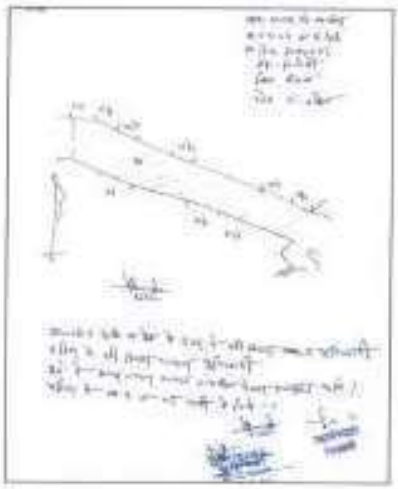

Sanctioned demarcated area (Khasra) **Demarcated area on Google Image**

Very gently sloping or almost flat topography of the lease is the main reason for having sufficient quantity of sand available for removal. In addition, the location of applied lease lies on a meander making it suitable for sand deposition, therefore good deposit of sand is available on full width and length of the lease.

As per the Point (r) page 24 of Guidelines of Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining, Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MOEF & CC) January 2020 "**River bed sand mining shall be restricted within the central 3/4th width of the river/rivulet or 7.5 meters (inward) from banks but up to 10% of the width of the river**"

The mineral sand is exposed in full width and length of the lease and follows very gently sloping topography.

This is the revised mining plan and mining lease has already been excavated in the past. Based on post monsoon yearly survey by local mining officer and observations conducted by lessee, sand deposit in the lease has completely been replenished and average thickness of sand deposition within the sand accumulated area is observed to be > 3.0 m in proposed sand bed and considered for estimating the reserves.

Since sand exposed all over within the sand accumulated area of the lease and depth is proved, therefore, future prospecting has not proposed in the area. However, a survey likely to be conducted by local mining officer to ascertain the depth of sand accumulation during post monsoon every year.

Specifications considered for the estimation are as under:

Area specification	Values
Sanctioned lease area	3.40 hac or 34,000 M^2
Area submerged in water/Non mining	1,000 M^2
Area under Barrier / Safety zone within sand accumulated area	10,100 M^2
Available Mineable area where sand has been deposited/accumulated is more than 60% of total lease area of 30,000 M^2	**22,900 M^2** (Total lease area – non mining area - barrier zone) (34,000 M^2 -1,000 M^2 -10,100 M^2 = 22,900 M^2)
But Point (r) page 24 of Guidelines of Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining, Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MOEF & CC) January 2020 says that Maximum allowable mineable area cannot be more than 60% of total lease area of 34,000 M^2 which is **20,400 M^2** (60% of total lease area)	**20,400 M^2**

T. Raja Bandhan

As the extractable area 20,400 M^2 is gently sloping, hence the volumetric method adopted for reserve estimation.

The thickness of sand is more than 2 m. The water level fluctuates from 3-4m during post-monsoon to pre-monsoon (October to June). However maximum of 1.08 m depth of sand deposit has been considered for estimation.

Area [M^2] X Depth [m] = Volume [M^3]

Total available sand – 20,400 M^2 x 2.0 m (Max Thickness) = 40,800 m^3

Total mineable sand – 20,400 M^2 x 1.08 m (Average Thickness) = 22,032 m^3

Therefore, a targeted quantity of 19,500 M^3 can easily be extracted from mineable sand reserves.

The safety/environmental and replenishment factors have been considered and only 60% of lease area is taken as sand extractable area for reserve estimation.

APPROVED
COLLECTOR
BETUL

SYED IQTADAR TANWEER
RQP/DGMMP/211/2019-24

LESSEE/APPLICANT
M/s National Energy Trading and Services Ltd., Hyderabad

Syed Iqtadar Tanweer
RQP/DGMMP/211/2019-2024

5. DEVELOPMENT AND PRODUCTION PROGRAM

5.1 PROPOSED METHOD OF QUARRYING:

The mining operation will be carried out by semi mechanized method and all the related activities shall strictly be done according to the M.M.R 1991 rule without blasting
As per the Sustainable Sand Mining Management Guidelines 16, there are total 5 extractions methods and are follows as;

a) Bar scalping and skimming is extraction of sand and gravel from the surface of bars. This method generally requires that surface irregularities be smoothed out and that the extracted material be limited to what could be taken above an imagery line sloping upwards and away from the water from a specified level above the river water level at the time of extraction (typically 0.3-0.6m). Bar scalping is commonly repeated year after year. To maintain the hydraulic control provided to upstream by the Riffle head., the preferred method of bar scalping is now generally to leave the top 1/3rd (approximately) of the bar undisturbed, mining only from the downstream 2/3rd.

b) Dry-Pit Channel Mining

Dry-Pit channel mining is the method where pits excavated within the active channel on dry intermittent or ephemeral stream beds. Dry pits are often left with abrupt upstream margins, from which head cuts likely to propagate upstream.

c) Wet-Pit Channel Method

It involves excavation of a pit in the active channel below the surface water in a perennial stream or below the alluvial groundwater table.

d) Bar Excavation

A pit is excavated at the downstream end of the bar as a source of aggregate and as a site to trap sand and gravel. Upon completion, the pit may be connected to the channel at its downstream end to provide side channel habitat.

e) Channel – wide River bed Mining

In rivers with a highly variable flow regime, sand and gravel are commonly extracted across the entire active channel during the dry season. The bed is flattened and uniformly (or nearly so) lowered.

As per the Sustainable Sand Mining Management Guidelines 2016, there are 5 extraction method as mentioned above in total out of which 'Channel-wide River bed Mining' method shall be adopted with respect to type of river bed deposition. Mining shall be done in layers of 1 meter depth to avoid ponding effect and after first layer is excavated, the process will be repeated for the next layers.

Previous year water level regime monitoring season of river bed is observed. The water level fluctuation in the river bed is from 0.0-3.0. It means the water level about 0.0m to 1.0m describes a monsoon season (July-September) where water covers the whole riverbed and flows almost uniformly throughout the river course. In case of river sand bed of about 2m water level define the post monsoon season (October to December) in which water level drops and part of river bed exposed/ dried in certain part of river channel or sand mine spot due to difference in contour elevation as well as replenished sand. In case of river having about 3.0 m water level describes pre-monsoon season (from March to mid of June).

During post monsoon (October to February) mining will be carried out in layers of 1-meter depth for maintaining the river bed water level regime (Plate 4).

During pre-monsoon (March to June) mining will be carried out in 2nd layers of 1 meter depth after completion of 1st layer for maintaining the river bed water level regime (Plate 4).

No bench can be maintained in river sand hence bench wise mining cannot be proposed.

Due to continues accumulation of sand in the area during rainy season, there will not be much depletion in the reserve of sand, hence reserve is likely to be remain same every

year and in future also. The Lease period has been sanctioned up to 30.06.2023, accordingly three years production plan can be envied as below:

Semi-mechanised method of quarrying shall be undertaken during quarrying operation and all the related activities shall strictly be followed according to M.M.R 1991 rule without blasting and drilling.

Mining operation shall be based upon Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining, Ministry of Environment, Forest and Climate change January, 2020.

Quarrying progression will be from southeast to northwest, whereas mine face will be west to east. However, mine facing may be adjusted based on best environment friendly practices.

5.2 MECHANIZATION:

An open cast quarrying by semi mechanized method will be adopted for extraction of ordinary sand, keeping the productivity and safety in mind.
Semi mechanized quarry operation shall be done by utilizing JCB, hand Shovel, spade, crow bars, water tanker etc. will be required to deploy for mining works, Dumpers will be required for loading and transportation purpose.

JCB	1 No
Dumper	2 No. (Capacity- 12 m3)
Water tanker	1 No.

5.3 BLASTING:

Not applicable.

SYED IQTADAR TANVEER
RQP/DGMMP/211/2019-24

T. Raja Bauchari

5.4 LOADING AND TRANSPORTATION OF SAND:

Dumpers / tipper shall be used for transportation purpose.

For transporting the sand from lease area to the bank and for further destinations (end users/market), following estimation has been followed.

Yearly Production	19,500 m^3
Daily Production Assuming 240 working days leaving rainy season	81 m^3/day
Capacity of Dumper	12m^3
One dumper can carry (as a safety measure)	10m^3
Total number of trips required	8
Total Dumper Required (capacity 10 m^3)	2

The above per day calculations are for reference purpose only. The removal of sand shall be done as per demand and these figures may change drastically but within the limit of yearly production of 19,500 M^3.

5.5 MANPOWER DEPLOYMENT:

Required number of man power/labor is easily available from the surrounding villages. Requirement of manpower depends on the production and taking into account an average rate of annual production of 19,500 m^3 and assuming 240 working days per year, around 81 m^3 of proposed production to be achieved per day.

Keeping an average output per man per shift about 8 m^3 (OMS), then around 10 persons shall be required in the mine site, however due to mechanization the number of persons will be reduced by 80%.

Considering a presence of site foreman is important and a manager, a total of 3-4 persons shall be required to manage the mining operation.

SYED IQTADAR TANWEER
RQP/DGMMP/211/2019-24

Number of shifts proposed for per day is one shift / day. Depending upon the demand of sand, working time may be adjusted following the rules and making proper arrangements in place.

5.6 PROPOSED YEARLY PRODUCTION PROGRAM

Due to continues accumulation of sand in the area during rainy season, there will not be much depletion in the reserve of sand, hence reserve is likely to remain same every year and in future also. The Lease period of 3 years has taken as per the provisions of rule 9 of Madhya Pradesh Sand (Mining, Transportation, Storage and Trading) Rule, 2019. Accordingly, three years production plan can be envied.

It is to be noted that applied lease area has been sanctioned up to 30.06.2023 only, therefore 1st year production has been provided in the table below. However, if lease extended for two more years, then the same quantity, i.e., 19,500 M^3 per year can be extracted for another two years.

Years	Available Extractable Mining Area M^2 (60% of Lease Area)	Depth M	R O M M^3	Waste M^3 (10%)	Maximum proposed sand Production M^3
1st Year	20,400	1.08	22,032	Nil	**19,500**

5.7 MINE LIFE:

Mine has been sanctioned for the excavation of sand until 30.06.2023. Quarry lease may further be allotted to some other agency in future.

This is a river bed quarrying case, every year after monsoon, the sand deposit gets replenished and is available for ensuing years: hence river bed deposit has no fixed mine life.

SYED IQTADAR TANWEER
RQP/DGMMP/211/2019-24

5.8 USE OF MINERAL:

Sand so extracted from the mine lease, will be sold locally as building material. It is usually mixed with cement and other ingredients to create mortar for building. It is also used in brick manufacturing industries.

APPROVED
COLLECTOR
BETUL

6. CONCEPTUAL PLAN

Mine applied lease spread over a total area of 34,000 m^2. Though sand thickness found to be more than 2 m but for ease of operation, actual digging depth restricted up to 1.08 m only. However, pits generated by quarrying will be replenished during rainy season. Quarrying will be worked systematically as the width is smaller than its length. As the lease period has been sanctioned until 30.06.2023, some of the area will be left un-worked at the end of lease period.

During plan period workings will be carried out in one stretch at a time. Scattered workings will ensure safety, remove congestion and will have better control and management.

Bank side natural slope will not be disturbed. This will prevent collapse of bank and erosion.

There will be no soil or OB removal during the plan period. Therefore, no proposal has been envisaged for its separate dumping. No outside material will be filled up in the extracted zone.

7. ENVIRONMENTAL MANAGEMENT PLAN

7.1 AIR QUALITY MANAGEMENT:

Dust during quarrying, fumes and exhaust emission due to transportation of vehicles are the main causes of air pollution.

Personal Protection Equipment's (PPE) like dust masks, ear plugs etc. will be provided to mine workers

It can be effectively controlled by regular water sprinkling on roads.

Mineral carrying vehicles should be covered with tarpaulin and shall not be over loaded.

Proper maintenance of transport vehicles and PUC certification will minimize the exhaust emission. Adequate plantation will also support to maintain air quality.

7.2 WATER MANAGEMENT:

Sand quarrying activities will have an impact upon the river's water quality. Impacts include increased short-term turbidity at the mining site due to re suspension of sediment, and dumping of excess mining materials, oil spills or leakage from transportation vehicles and washing of vehicles in the river.

Increased riverbed and bank erosion increases suspended solids in the water at the excavation site. Suspended solids may adversely affect water towards downstream and aquatic ecosystems.

The impact is particularly significant if water toward downstream of the site being abstracted for domestic and irrigation purposes etc.

Quarrying is avoided during the monsoon season and at the time of floods. This will help in replenishment of sand in the river bed.

Quarrying below subterranean water level will be avoided as safe guard against environmental contamination and over exploitation of resources.

River stream will not be diverted to form inactive channels.

Meandering segment of river would be selected for mining in such a way to avoid natural eroding banks and to promote mining on naturally building meander components.

Utmost care will be taken to avoid the used of fuel leaking vehicles for sand transportation

The washing of trucks in the river will be avoided.

7.3 NOISE MANAGEMENT:

In manually operated sand mine, noise is generally created by transportation of vehicles.

Onsite and offsite noise management are:

Plantation of trees along the river bank and transport route beyond the bank shall be undertaken to dampen the noise, if possible.

The vehicles shall be maintained in good running condition so that noise will be reduced to minimum possible level.

Awareness will be imparted prior to quarrying operations that smoke silencers remain in a good condition and not to generate noise.

Unnecessary use of horns by the drivers of the vehicles shall be avoided at village areas.

7.4 WASTE MANAGEMENT:

There is no top soil expected to be produced in the plan period. No other waste anticipated to be generated hence waste disposal arrangement is not required.

7.5 BIOLOGICAL ENVIRONMENT

The proposed quarrying will be undertaken from the dry bed of the river on a small scale, therefore unlikely to impact the aquatic environment or any fauna or floral environment.

7.6 DISPOSAL OF MINING MACHINERIES:

No disposal of machineries would take place onsite and hand tools, tractors, dumpers will be deployed on hire basis.

I. Raja Bauhan

Syed Iqtadar Tanveer
RQP/DGMMP/211/2019-24

7.7 SAFETY AND SECURITY:

Prior to mining, short awareness/training program will be conducted for site staff to make them aware regarding safety aspects and environment friendly work practices.

First aid kit and anti-venom injection for snake/insect bite shall be provided at mine site.

If some causality or injury to animal occurs, it will be informed to forest department and proper treatment will be given.

No lighting will be allowed in the area.

No tree cutting, chopping, lumbering, uprooting of shrubs and herbs will be allowed.

No track or new road for movement of site workers or vehicles be laid in adjoining area, this will prevent fragmentation, encroachment and human verses animal encounter.

Corridor for movement of wild mammals (If exists) will be avoided for mining/transport purposes

If wild animals are noticed crossing the river bed, they will not be disturbed or chased away, instead the workers will move away from their path.

7.8 DISASTER MANAGEMENT:

Nature of mining method is very simple and high-risk accidents are not anticipated. In case of natural disaster, lessee will take assistance from local government officials.

7.9 CARE DURING TEMPORARY DISCONTINUANCE:

No major quarrying machineries will be deployed as mining shall be undertaken manually. Most of the tools/equipment shall be on hire basis, in such cases, care will be taken as per the terms and conditions of contract. During temporary discontinuance, a watchman should be present to look after the mine site.

7.10 ECONOMIC REPERCUSSION OF CLOSURE & MAN POWER RETRENCHMENT

This quarry lease sanctioned for defined time period, most of the facilities and man power will be deployed on hire basis and in such case, care will be taken as per terms and conditions of contract.

7.11 STATUS OF LOCAL EMPLOYEES:

Local residents will be proposed to employ from the nearby areas which already have their own traditional and family occupation like agriculture, fisheries and other sundry jobs. During monsoon and some other season or at the end of mine period they can easily join their respective employments.

7.12 COMPENSATIONS:

Retrenchment compensation to the employees as and when required will be done as per Government Labor legislation.

7.13 RECLAMATION & REHABILITATION:

The applied area comprises mainly sand, and negligible quantity of coarser material. The proposed area is the zone of active erosion during high flood time, otherwise it is a zone of deposition between two stream flows. So, no manual reclamation is needed. It is expected that the reclamation of the affected area will be automatically done by filling with sand flow in the rainy season depending on the amount of rain fall received by the area and the rate of river flow.

There is no human settlement within the quarry area. No human settlement will be disturbed due to the Quarrying activity. So, no rehabilitation and resettlement are proposed.

7.14 DISTANCE FROM THE NEAREST BRIDGE/DAM:

There is a bridge located around 4.4 km SW, upstream of the lease and constructed on Morand River. However, none is located within mine lease area.

T. Raja Bauchan

SYED IQTADAR TANVEER
ROP/DGMMP/211/2019-24

7.15 SOCIO – ECONOMIC ENVIRONMENT:

There will be positive effect to some extent on socio – economic environment of the area as quarrying activity will create new job opportunities for the local people, which ultimately improve their financial status.

7.16 PLANTATION (AFORESTATION PROGRAM):

The implementation for development of green belt will be of paramount importance as it will not only add up as an aesthetic feature, but also act as a pollution control tool.

The species to be grown in the area should be dust tolerant and fast growing so that permanent green belt is created.

In order to stabilize the river bank erosion, the plants having good growth will be planted along the river bank. Trees may also be grown along approach roach to the village and along village road as well as in the village as feasible in consultation with local gram panchayat, DFO and other stake holders.

Lease area is 34,000 M^2 and as per latest guidelines, total trees to be planted @1500 trees per hectare, i.e., a total of 5,100 trees shall be planted in within the lease period.

Total no. of trees to be Planted: - 5,100			
Phase	Name of Tree	No. of Plants to be Planted	Location
Within lease period	River bank- Pipal, Munga, Kathal, Bargad, Jamun, Neem, Arjun, Kadam Belpatra, Mango	5,100	Bank of the river – 2,000 nos Khapriya and surrounding villages – 3,100 nos (Distribution of fruit bearing and fodder trees) Suitable available nearby government land or along the road in consultation with local Gram Panchayats, DFO and other stake holders

SYED IQTADAR TANWEER
RQP/DGMMP/211/2019-24

8. PROGRESSIVE MINE CLOSUR PLAN

This is a sanctioned quarry which may again be sanctioned after its expiry on 30.06.2023. The actual working area (sand accumulated area) within the proposed area is the zone of active erosion during high flood time, otherwise it is a zone of deposition and mined out areas may or may not be automatically replenished with sand flow in the rainy season each year, hence progressive plan is not envisaged.

Statutory Obligations: No statutory obligations imposed till now; routine legislative conditions will apply as mentioned in approval letter.

SYED IQTADAR TANVEER
RQP/DGMMP/211/2019-24

9. SAND REPLENISHMENT ASSESSMENT

Sand quarrying from river bed will cause degradation of land use pattern and damage to the environment. Over exploitation of sand from river bed will definitely affects adversely on the surrounding environmental status. Deposition of sand is a continuous natural process, but the over drafting will never be permitted to ensure the balance between exploitation and replenishment potential of river sand.

Sand quarrying from river bed will have both positive and negative impacts;

9.1 NEGATIVE IMPACTS:

It includes destruction of natural river course, bank erosion, bank cutting and widening and deepening of river bed. Change in hydrological status and recharging conditions. Disturbance to closely linked flora, fauna and aquatic life.

9.2 POSITIVE IMPACTS:

Employment and socio-economic status of the habitants living besides the river depends on sand mining industries. Construction of concrete infrastructures, roads and some other related activities depends on the river bed sand. Continuous accumulation of sand ultimately leads to the reduction in water carrying capacity of the river leading excessive flood in the river. Sustainable extraction of sand from river will lead to overcome the problem.

9.3 NEED FOR SAND REPLENISHMENT STUDY AND FACTORS TO BE CONSIDERED AND OBSERVED:

Environmental status of the mined-out area may be affected badly if proper care is not taken to ensure sustainable extraction of sand from river bed. Proper study of the following factors must be taken into consideration to reveal the actual potential of sand deposition in river course after completion of periodical excavation annually. The main factors required to be considered for the study of the replenishment potential of particular river course are:

Formation of sand comprises of the following;

Catchment area and geological strata,

Erosion, weathering

Climatic conditions, Precipitation

Geomorphology, Physiographic Manmade structures and activities details .

Geological formations Refer to Chapter 3.

Deposition/sedimentation of material or sediment yield depends upon several factors like;

-Catchment area

-Span of river / flood plain

-Travelling distance of suspended particles

-Slope / gradient / depth of water channel / meandering of river

- Geology traversed

- Climatic conditions

-Tributaries / Confluence

- Type / stage of river and flow velocity

-Occurrence of natural and manmade structures.

-Flow during lean period.

9.3.1 WATER LEVEL DURING LEAN PERIOD:

River course at area under consideration attains youth stage, flow velocity is moderate, turbulence occurred due to meanders created due to lineaments. Elevation of both the banks are within the range of 2.5 to 3.5m above river bed. After monsoon river flows in full swing covering both the banks. During monsoon floods the water level rises by 2 to 3 m High flood level of river goes up to 475 m in due course of time after monsoon water channel level goes down gradually, during lean period water level maintained at 472-473 m.

9.3.2 CATCHMENT AREA

The Morand River basin comprises an area of about 310 Km2. The southern boundary is marked by low-lying hills and or high grounds. The basin area is highly undulating with isolated hills and plains. The ground elevation ranges between 472 m and 665 m. above MSL. The ground slopes from south to north.

9.3.3 ORIGIN OF RIVER:

The Morand River (a tributary of Narmada) flows from south to north into Narmada. The origin of the river is near hills of village Ratanpur, Madhya Pradesh at an elevation of 665 m.

9.3.4 DISTANCE OF TRAVELLING OF LOAD:

Morand River course is around 65 km approx. from the origin to mine site.

9.3.5 SLOPE / GRADIENT / ELEVATION DIFFERENCE:

The highest elevation of **Morand River** at the origin is around 665 m and the elevation at mine site is 472 m above msl. There is an elevation difference of around 193 m.

9.3.6 GEOLOGY / LITHO UNITS:

River originates mainly from Deccan Trap rock formations and further continues over the same rock formations with other formations in parts.

9.3.7 CLIMATIC CONDITIONS:

Climate of the district is tropical with moderate winter and severe summers and well distributed rainfall received from southwest monsoon. However due to higher general elevation and abundance of forests, summer temperature does not rise as much as in other areas. The normal annual rainfall of Betul district is 1129.6mm.

9.3.8 TRIBUTARIES / CONFLUNCE:

Several other small seasonal streamlets (Nallas) join this tributary resulting in the increase of its overall catchment area. However, no nallas join this river near the site.

9.3.9 TYPE/STAGE OF RIVER AND FLOW VELOCITY:

River attains youth stage at the mine site. Flow velocity is moderate to high. Lease area lies in the middle of two meanders making it suitable for sand deposition.

9.3.10 STRUCTURES:

From our study no major structures have been observed in the river course near the site. There is a bridge located around 4.4 km SW, upstream of the lease and constructed on Morand River. However, none is located within mine lease area.

9.4 CONCLUSION:

In Betul district, Morand River basin where lease area is located comprises an area of about 310Km^2. The southern boundary is marked by low-lying hills and or high grounds. The basin area is highly undulating with isolated hills and plains. The ground elevation ranges between 472 m and 665 m. above MSL. The ground slopes from south to north.
The Average rainfall of Betul district is 1129.6mm. The district receives high rainfall mostly during July to September which will be leads to the deposition of the sufficient quantity of the sand every year within the old working area.
Dandy Bolton Formula has category stated use of the equation to predict sediment yield for a specific location would not be always correct because of the wide variability caused by local factors not considered in the equation development. Actual sediment yield from individual drainage basins may vary 10-fold or even 100-fold computed yields.
Looking at the basic information available about the concerning river basin, it is concluded that proposed quantity of 19,500 cubic meter per year can be excavated from the quarrying site and the replenishment of the same will be done easily as regular annual process following the topographical control.
Total replenished quantity of sand available each year within the lease hold area will be:

Total Leasehold area -3.40 ha

Total sand available -3.40 x10000x2.0 (max thickness) = 68,000 m^3

Taken all safety measured and environment point of view only 2.04 ha leasehold area (60% of lease area) is available for mining.

Total sand available -20,400 m^2 x 2.0 m (Max. Thickness) = 40,800 m^3

Total mineable sand – 20,400 m^2 x 1.08m (Avg. Thickness) = 22,032 m^3

Thus, from measured sand reserve of about 40,800 cubic meters, only 19,500 cubic meter of sand will be extracted yearly.

Out of the above annual replenishment, it is proposed to mine only 19,500 cubic meters up to a maximum depth of 1.08 m.

Thus, there will be no long – term impact on the riverbed which will have surplus sand left after extraction of the proposed amount each year and PP will be extracting less than 50 % of the annual replenished sand within its lease hold.

Above estimation is based upon existing site conditions. Next year estimation shall be worked out after monsoon using volumetric methods. In the applied area, replenishment depends upon the yearly rainfall, if adequate amount of sand will not replenish during monsoon, then excavation of sand will be limited to the quantity which will be equivalent to the replenished material up to a maximum depth of 3m only.

REVISED PLAN PREPARED FOR -

M/s National Energy Trading and Services

Address: Address: Plot No 7, Bindu Sadan, 401 Sai Chandra Colony, Green Space Tulasi, Puppalguda, Manikonda, Hyderabad,
Telangana State, India

PLAN PREPARED BY RQP -

SYED IQTADAR TANWEER
G-3 Balaji, Bright Colony, Idgah Hills,
Bhopal (M.P.)
Registration No: RQP/DGMMP/211/2019-24

SYED IQTADAR TANWEER
RQP/DGMMP/211/2019-24

Wetyuo]

LESSEE/APPLICANT
M/s National Energy Trading and Services Ltd., Hyderabad

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला–बैतूल (म.प्र.)

प्रारूप–तीन

(नियम 11(3) एवं 11(5) देखिए)

आशय–पत्र

क्रमांक/रेत/2022/1862 बैतूल, दिनांक 23/12/2022

प्रति,

मेसर्स नेशनल एनर्जी ट्रेडिंग एण्ड सर्विसेज लिमिटेड
पता–प्लॉट न. 7, बिन्दु सदन, 401 सांई चंद्र कॉलोनी,
ग्रीन स्पेस तुलसी, पुष्पलगुडा, मणिकोंडा, हैदराबाद,
रंगारेड्डी, तेलंगाना–500089

विषय :– ई–निविदा क्रमांक 1691 दिनांक 17.11.2022 के संदर्भ में ग्राम **(सूची अनुसार)** तहसील **(सूची अनुसार)** जिला **बैतूल** रकबा **(सूची अनुसार)** हेक्टेयर क्षेत्र की खदान समूह क्रमांक **(संपूर्ण बैतूल जिला)** रेत खदानों हेतु आशय–पत्र।

——00——

1. पृष्ठभूमि :

1.1 मध्यप्रदेश रेत (खनन, परिवहन, भण्डारण एवं व्यापार) नियम 2019 (यथा संशोधित) के अनुसरण में कलेक्टर जिला बैतूल द्वारा मध्यप्रदेश के जिला बैतूल स्थित समूह खदान के समूह क्रमांक **(संपूर्ण बैतूल जिला)** हेतु रेत की समूह खदानों के प्रदान के लिए निविदा प्रक्रिया को प्रारंभ करने के लिए ई–निविदा सूचना दिनांक **17.11.2022** जारी की गई। ई–निविदा प्रक्रिया उक्त नियमों के नियम 8 के अनुसार उक्त रेत समूह आबंटन हेतु संचालित की जाकर मेसर्स **नेशनल एनर्जी ट्रेडिंग एण्ड सर्विसेज लिमिटेड** को उक्त नियमों के नियम 8(8) के अधीन उच्चतम सफल निविदाकार के रूप में घोषित किया गया है।

1.2 उक्त नियमों के नियम 11 के अधीन तथा उक्त समूह खदान के लिए निविदा दस्तावेज के अधीन अपेक्षित किए गए अनुसार मेसर्स **नेशनल एनर्जी ट्रेडिंग एण्ड सर्विसेज लिमिटेड** ने प्ररक्षित मूल्य के 25 प्रतिशत राशि रकम रूपये **5,85,53,288/–(पांच करोड़ पच्यासी लाख तिरेपन हजार दो सौ अट्ठासी रूपये)** अग्रिम धन (ईएमडी) के रूप में एम.पी. टेंडर के माध्यम से जो दिनांक **02.12.2022** को जमा कर दी है तथा जो दिनांक 23/12/2022 को संचालक के पूल खाते में प्राप्त हुई है।

2. **परिणामस्वरूप आशय पत्र जारी किया जाना :**

उक्त नियमों के नियम 11(3) एवं 11(5) के अनुसरण में समूह क्रमांक **(संपूर्ण बैतूल जिला)** मेसर्स **नेशनल एनर्जी ट्रेडिंग एण्ड सर्विसेज लिमिटेड** के पक्ष में 30 जून 2023 अवधि हेतु रेत खनिज की खदानों के समूह के लिए ग्राम **(सूची अनुसार)** जिला **बैतूल** में रकबा **(सूची अनुसार)** (हेक्टेयर) क्षेत्र के लिए यह आशय पत्र जारी किया जाता है।

I. Raja Bauchan

3. **शर्तें :**

3.1 यह आशय पत्र तथा इसके पूर्वोक्ति खदान समूह का अनुवर्ती आबंटन इन नियमों के समय–समय पर यथा संशोधित उपबंधों के अध्यधीन होगा तथा मेसर्स **नेशनल एनर्जी ट्रेडिंग एण्ड सर्विसेज लिमिटेड** को "उच्चतम सफल निविदाकार" के रूप में घोषित किया जाता है तथा इन नियमों के अधीन समस्त अपेक्षाओं की संतोषजनक पूर्ति पर पश्चातवर्ती रूप से आबंटित खदान समूह का आबंटन किया जाएगा।

3.2 संदर्भ हेतु मेसर्स **नेशनल एनर्जी ट्रेडिंग एण्ड सर्विसेज लिमिटेड** के "उच्चतम सफल निविदाकार" के रूप में घोषित किए जाने तथा समूह खदानों के पश्चातवर्ती आबंटन है, के लिए अपेक्षाओं को नीचे दोहराया गया है। यह स्पष्ट किया जाता है कि अधोवर्णित अपेक्षाएं मात्र संदर्भ के लिए है तथा उक्त नियमों में किसी परिवर्तन की स्थिति में, यथास्थिति, संशोधित नियमों के अधीन अपेक्षाएं लागू होंगी।

(क) **"उच्चतम सफल निविदाकार" के रूप में घोषणा :–**

मेसर्स **नेशनल एनर्जी ट्रेडिंग एण्ड सर्विसेज लिमिटेड** को "उच्चतम सफल निविदाकार" मान्य किया जावेगा, बशर्ते :–

(एक) नियमों के निबंधनों तथा शर्तों का अनुपालन किया गया हो;

(दो) नियमानुसार वार्षिक ठेका राशि की 50 प्रतिशत रकम का भुगतान कर दिया गया हो;

(तीन) उक्त नियमों के नियम 12 के उप नियम (1) से उप नियम (6) में विनिर्दिष्ट खनन योजना एवं अन्य कानूनी अनुपालनों के संबंध में शर्तों को पूरा किया गया हो।

(ख) **ठेका अनुबंध का निष्पादन :–**

समस्त कानूनी अनुज्ञाओं, अनुमोदन, अनुज्ञा, अनापत्ति एवं सदृश, जो कि खनन संक्रिया प्रारंभ करने के लिए प्रयोज्य विधियों के अधीन अपेक्षित हो, प्राप्त करने के उपरांत मेसर्स **नेशनल एनर्जी ट्रेडिंग एण्ड सर्विसेज लिमिटेड** एवं बैतूल जिले के कलेक्टर के साथ प्रारूप 5 में पृथक–पृथक खदानवार ठेका अनुबंध का निष्पादन कराया जायेगा। अनुबंध निष्पादन की औपचारिकताऐं पूर्ण होने पर ठेका अनुबंध का भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का क्रमांक 16) के उपबंधों के अधीन पंजीयन कराया जायेगा।

(ग) **समूह खदानों की खनन संक्रिया :–**

अनुबंध निष्पादन के पश्चात मेसर्स **नेशनल एनर्जी ट्रेडिंग एण्ड सर्विसेज लिमिटेड** किश्तों का नियमित रूप से भुगतान करेंगें तथा नियमित खनन संक्रियायें जारी रखेंगें।

I. Raja Bandhari

3.3 यह आशय पत्र नियमानुसार प्रगणित की गई 30 जून 2023 की कालावधि के लिए विधिमान्य है। समय–सीमा के भीतर समस्त शर्तों की पूर्ति की जानी चाहिए एवं मेसर्स **नेशनल एनर्जी ट्रेडिंग एण्ड सर्विसेज लिमिटेड** एवं बैतूल जिले के कलेक्टर के मध्य ठेका अनुबंध निष्पादित किया जाना चाहिए। उच्चतम सफल निविदाकार के नियंत्रण से परे किन्हीं कारणों से ठेका अनुबंध के निष्पादन में विलंब होने की स्थिति में, समय–सीमा में वृद्धि करने के लिए वह कलेक्टर को आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकेगा। उपरोक्त समस्त अथवा किन्हीं शर्तों के अनुपालन के लिए कलेक्टर अधिकतम 10 दिवस की अवधि बढ़ा सकेगा।

निविदाकार कम्पनी की ओर से प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षर उपरांत उक्त आशय पत्र की द्वितीय प्रति 07 दिवस की अवधि के भीतर अधोहस्ताक्षरी को स्वीकार्य पावती के रूप में वापस करने योग्य होगी।

संलग्न– समूह की खदानों का विवरण
एवं राशि की जानकारी।

कलेक्टर
जिला–बैतूल (म.प्र.)

पृ0क्रमांक/रेत/2022/1862 बैतूल, दिनांक 23/12/2022

प्रतिलिपि :–

1– प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2– प्रमुख सचिव, नगरीय प्रशासन एवं पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3– सदस्य सचिव, सिया पर्यावास परिसर ई–5 अरेरा कालोनी, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4– कार्यपालक संचालक, दि मध्य प्रदेश स्टेट माईनिग कार्पोरेशन लिमिटेड भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5– संचालक, संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, 29–ए अरेरा हिल्स, म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ।
6– क्षेत्रीय अधिकारी, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड छिन्दवाड़ा की ओर सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित।
7– अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) समस्त जिला बैतूल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
8– तहसीलदार तहसील समस्त जिला बैतूल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
9– खनि निरीक्षक जिला बैतूल की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।

J. Rija Bauchan

कलेक्टर
जिला–बैतूल (म.प्र.)

ई–निविदा में सम्मिलित खदानों एवं राशि का विवरण

जिला – बैतूल

क्र.	जिला	तहसील	ग्राम	खसरा क्रमांक	रकबा हेक्टेयर में	रेत का अनुमानित भण्डार (घनमीटर में)	अनुमानित दर का मूल्य (रूपये 250 प्रति घनमीटर + अन्य कर अतिरिक्त)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	लोनिया	179	1.115	25000	
2	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	फुलबेरिया	407	2.500	12750	
3	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	झाड़कुण्ड	1	0.950	7200	
4	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	चिखली आमढाना	219, 341	7.730	50000	
5	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	घोड़ाडोंगरी	373, 1395	7.000	20663	
6	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	आमढाना रैयत	248,141, 130	6.090	35700	
7	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	गांधीग्राम	2	0.550	13500	
8	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	नादू	91	2.900	22500	
9	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	भाकुड	35	2.700	21875	
10	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	बरेलीपार / घोड़ाडोंगरी	63	0.360	9000	
11	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	कचलोरा–1	67	0.100	2000	
12	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	कचलोरा–2	98	0.170	3570	
13	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	कचलोरा–3	69	0.340	9500	
14	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	आमढाना रैयत–1	79	0.350	8050	
15	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	आमढाना रैयत–2	175	0.340	6120	
16	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	आमढाना रैयत–3	178	0.620	13750	23,42,13,150/-
17	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	झोली–1	99	5.000	26000	
18	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	झोली–2	10	4.000	12000	
19	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	सातलदेही	187, 251	8.000	38500	
20	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	धरमपुर	309	6.000	7500	
21	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	बटकीढोह	112, 349	1.000	15000	
22	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	विष्णुपुर	1	2.000	30000	
23	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	चिचडोल रैयत	30	8.000	25000	
24	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	कटगी	148	0.621	4000	
25	बैतूल	बैतूल	डहरगांव / मयाखेड़ी	68, 260	6.250	25750	
26	बैतूल	बैतूल	कोचारीटी	106	5.450	7200	
27	बैतूल	बैतूल	कुम्हारिया	1	0.700	10800	
28	बैतूल	बैतूल	भीलायाडी	97	0.800	9100	
29	बैतूल	बैतूल	माथनी	78	0.860	9450	
30	बैतूल	आमला	सोनतलाई	1	9.330	9000	
31	बैतूल	आमला	बारछी	434, 308	5.520	10300	
32	बैतूल	आमला	जम्बाडा (बुजुर्ग)	217	0.700	2304	
33	बैतूल	मैसदेही	रातामाटी	1	2.550	36000	

I. Raja Baudhan

34	बैतूल	घोड़ाडोंगरी / शाहपुर	दौड़ी / मालवर	1, 38	14.050	210000
35	बैतूल	घोड़ाडोंगरी / शाहपुर	बांसपुर / शिवसागर / गौनापुर	1, 1, 288, 266	24.970	272250
36	बैतूल	शाहपुर	भुवाड़ी	19	2.500	70200
37	बैतूल	शाहपुर	शाहपुर / पतौवापुरा	1, 112	11.000	198000
38	बैतूल	शाहपुर	सिवलाझिरी	1	0.700	5625
39	बैतूल	चिचोली	सामवानी	20	5.080	30064
40	बैतूल	चिचोली	हरन्या	1, 9	5.590	44000
41	बैतूल	चिचोली	खपरिया	18	3.000	32500
42	बैतूल	चिचोली	बल्लोर	162	3.000	35000
43	बैतूल	शाहपुर	टांगनागाल	209	4.000	42000
44	बैतूल	शाहपुर	धामन्या	1	5.000	38000
45	बैतूल	शाहपुर	चिखली रैयत	316	4.000	18000
46	बैतूल	शाहपुर	तेन्दूखेड़ा	119,114	5.000	22500
47	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	सिवनपाट	142	0.420	4200
				योग–	188.906	1561421

1	कुल चिहित खदाने –	47
2	कुल अनुमानित क्षेत्रफल –	188.906 हे0
3	निविदा हेतु निर्धारित खदाने –	सम्पूर्ण बैतूल जिला
4	जिला समूह हेतु बिक्री योग्य निर्धारित मात्रा (वार्षिक) घनमीटर –	936852.6 (तेईस करोड़ बयालीस लाख तेरह हजार एक सौ पचास रूपये)
5	निविदाकार मेसर्स नेशनल एनर्जी ट्रेडिंग एण्ड सर्विसेज लिमिटेड	
6	पता–प्लोट न. 7, बिन्दु सदन, 401 साई चंद्र कॉलोनी, ग्रीन स्पेस तुलसी, पुष्पलगुडा, मणिकोंडा, हैदराबाद, रंगारेड्डी, तेलगाना – 500089	
7	स्वीकृत ऑफर मूल्य रूपये –	**531195424.20** (तिरेपन करोड़ ग्यारह लाख पनचान्वे हजार चार सौ चौबीस रूपये बीस पैसे मात्र)
8	प्राप्त दर के अनुसार प्रति घनमीटर देय राशि (रायल्टी सहित)	**567.00** (पांच सौ छहसठ रूपये प्रति घनमीटर)
9	जमा EMD राशि रूपये –	**58553288** (पांच करोड़ पच्यासी लाख तिरेपन हजार दो सौ अट्ठासी रूपये)
10	शेष जमा राशि रूपये (265697712.10 – 58553288) ऑफर मूल्य का 50 प्रतिशत – निविदा की ईएमडी राशि	**207044424.10** (बीस करोड़ सत्तर लाख चौव्वालीस हजार चार सौ चौबीस रूपये दस पैसे मात्र)
11	बिन्दु क्रमांक 10 की राशि जमा दिनांक एवं भुगतान विवरण –	21.12.2022 RTGS

नोट :–2. निविदा प्रपत्र की कंडिका– 10 (ख) –परिशिष्ट–1 में समूह में सम्मिलित समस्त रेत खदानों का विवरण, खदान का अनुमानित क्षेत्रफल एवं खदान में उपलब्ध अनुमानित मात्रा दर्शित है। ठेकेदार द्वारा जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (डी.एस.आर.) द्वारा अनुमोदित मात्रा तक ही खनन किया जा सकेगा। यह अनिवार्य नहीं होगा कि वह समूह में सम्मिलित प्रत्येक खदान की परिशिष्ट–1 में दर्शित मात्रा हेतु, वैधानिक अनुमतियाँ प्राप्त कर खदानें संचालित करें। अर्थात निविदत्त मात्रा का खनन समूह में सम्मिलित कतिपय खदानों से, वैधानिक अनुमतियों के अधीन भी किया जा सकेगा।

J. Raja Bauchan

कलेक्टर
जिला–बैतूल (म.प्र.)

N

SURFACE PLAN & GEOLOGICAL PLAN

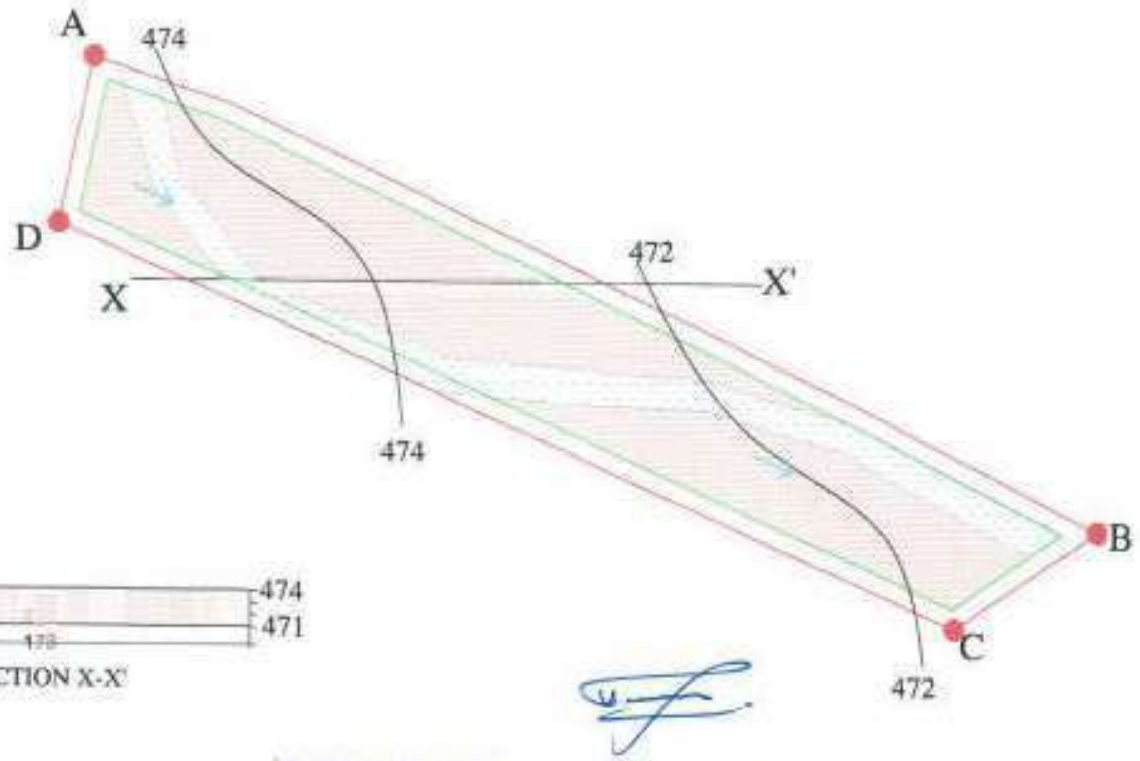

INDEX	
PARTICULARS	SYMBOLS
LEASE BOUNDARY	
RIVER BOUNDARY	
CONTOUR	472
BOUNDARY POINTS	
SECTION LINE	
SAND	
AREA UNDER WATER	
FLOW DIRECTION	

SECTION X-X'

CO-ORDINATE		
1.	22°13'43.77"N	77°39'16.44"E
2.	22°13'43.77"N	77°39'16.44"E
3.	22°13'35.84"N	77°39'29.06"E
4.	**22°13'43.77"N**	**77°39'16.44"E**

APPROVED

COLLECTOR
BETUL

SYED IQTADAR TANVEER
RQPIDGMMPI211/2019-24

AREA DETAILS	APPLICANT:
QUARRY AREA - 3.4 HA. QUARRY SURVEY NO. - 18 QUARRY VILLAGE-KHAPARIYA TEHSIL- CHICHOLI, DISTRICT - BETUL (M.P.)	M/s National Energy Trading and Services Ltd. Address: Plot No 7, Bindu Sadan, 401 Sai Chandra Colony, Green Space Tulasi, Puppalguda, Manikonda, Hyderabad, Telangana State, India

698

YEAR WISE DEVELOPMENT PLAN & SECTION

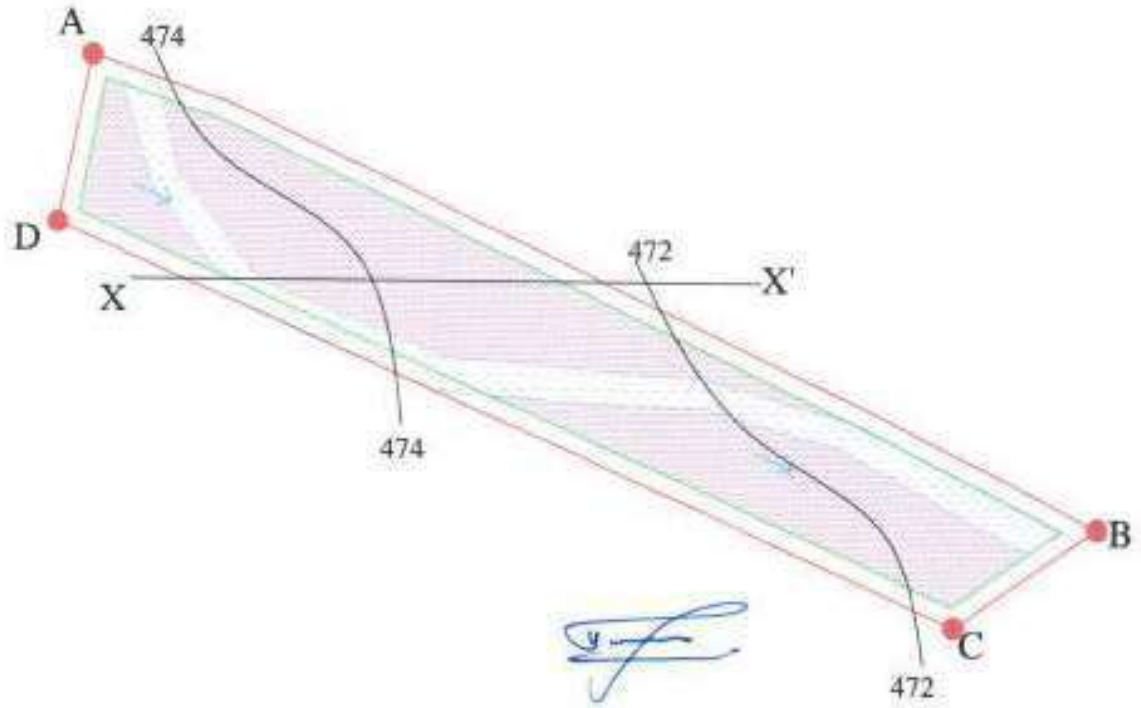

INDEX	
PARTICULARS	SYMBOLS
LEASE BOUNDARY	
RIVER BOUNDARY	
CONTOUR	472
BOUNDARY POINTS	
SECTION LINE	
SAND	
AREA UNDER WATER	
FLOW DIRECTION	
YEAR WISE DEVELOPMENT	

SECTION X-X'

SYED IQTADAR TANVEER
RQP/DGMMP/211/2019-24

AREA DETAILS	APPLICANT:
QUARRY AREA - 3.4 HA. QUARRY SURVEY NO. - 18 QUARRY VILLAGE-KHAPARIYA TEHSIL- CHICHOLI, DISTRICT - BETUL (M.P.)	M/s National Energy Trading and Services Ltd. Address: Plot No 7, Bindu Sadan, 401 Sai Chandra Colony, Green Space Tulasi, Puppalguda, Manikonda, Hyderabad, Telangana State, India

699

ENVIRONMENTAL PLAN

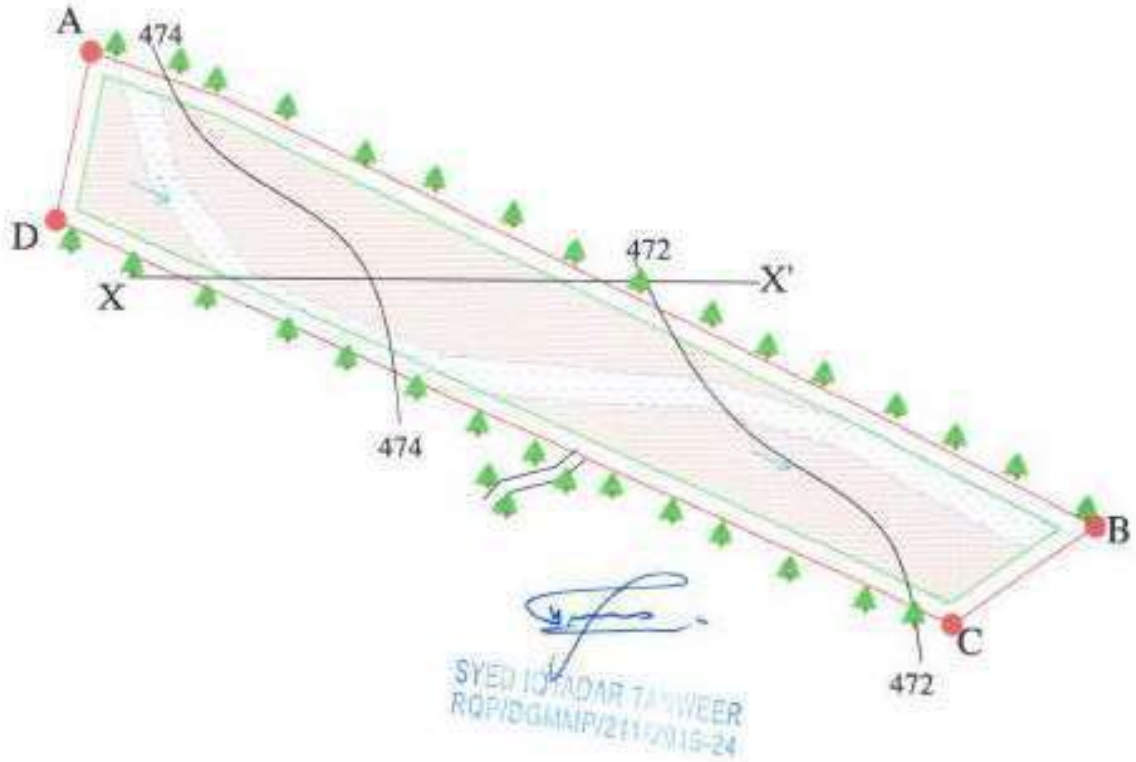

INDEX

PARTICULARS	SYMBOLS
LEASE BOUNDARY	
RIVER BOUNDARY	
CONTOUR	472
BOUNDARY POINTS	
SECTION LINE	
SAND	
AREA UNDER WATER	
FLOW DIRECTION	
PLANTATION	

AREA DETAILS	APPLICANT:
QUARRY AREA - 3.4 HA. QUARRY SURVEY NO. - 18 QUARRY VILLAGE-KHAPARIYA TEHSIL- CHICHOLI, DISTRICT - BETUL (M.P.)	M/s National Energy Trading and Services Ltd. Address: Plot No 7, Bindu Sadan, 401 Sai Chandra Colony, Green Space Tulasi, Puppalguda, Manikonda, Hyderabad, Telangana State, India

YEARLY MONSOON WISE PLATE & SECTION

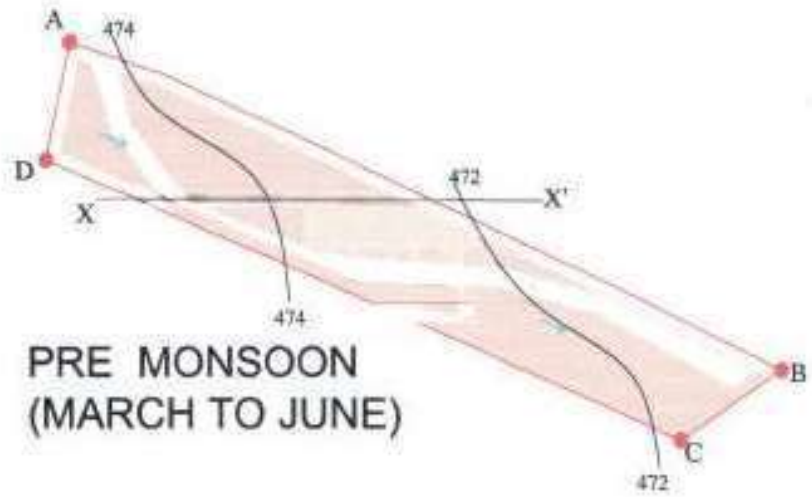

PRE MONSOON
(MARCH TO JUNE)

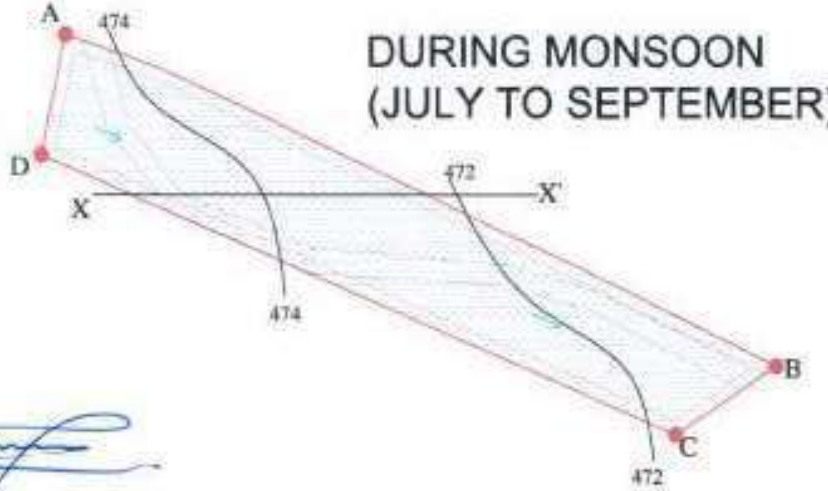

DURING MONSOON
(JULY TO SEPTEMBER)

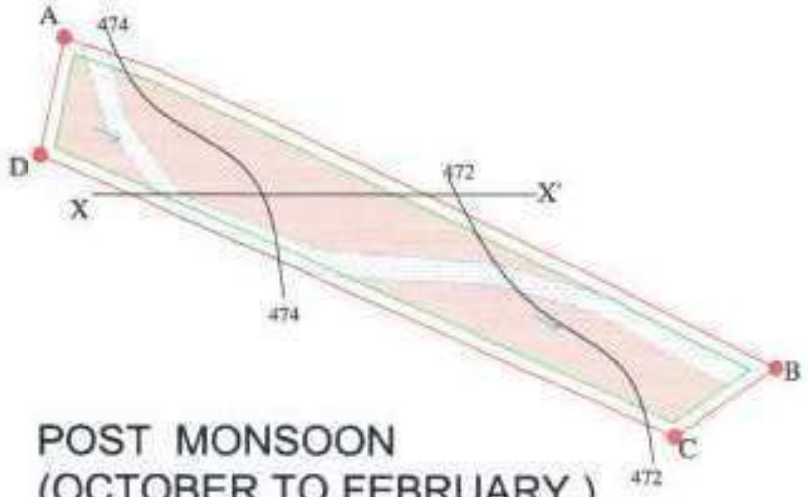

POST MONSOON
(OCTOBER TO FEBRUARY)

SYED IQTADAR TANVEER
RQP/DGMMP/211/2019-24

AREA DETAILS	APPLICANT:
QUARRY AREA - 3.4 HA. QUARRY SURVEY NO. - 18 QUARRY VILLAGE-KHAPARIYA TEHSIL- CHICHOLI, DISTRICT - BETUL (M.P.)	M/s National Energy Trading and Services Ltd. Address: Plot No 7, Bindu Sadan, 401 Sai Chandra Colony, Green Space Tulasi, Puppalguda, Manikonda, Hyderabad, Telangana State, India

701

National Energy Trading And Services Limited

NETS/SMD/B/22-23/042

28-01-2023

To,

The District Mining Office,

District Betul,

Madhya Pradesh-460001.

Subject: Regarding submission of Khapriya Sand Mine Revised Mine Plan

Ref: 1. क्रमांक / रेत /2022/1862 बैतूल दिनांक 23/12/2022

Respected sir,

We have been issued a letter of intent (LOI) to National Energy Trading and Services Limited (NETS) as stated in the referenced letter, we are requesting you to approve the revised mine plan of the below-mentioned mine in favor of NETS, so that we can process further for start the mining in Betul district.

District	Tehsil	Mines Name	Khasra No	Area	Revised Area (ha)
Betul	Chicholi	Khapriya	18	3.00	3.400

We have attached 3 copies of revised Mine Plan.

Regards

For National Energy Trading And Services Limited

National Energy Trading and Services Limited

National Energy Trading And Services Limited

To,

The District Mining Office,

District Betul,

Madhya Pradesh-460001.

Subject: Regarding submission of Khapriya Sand Mine Revised Mine Plan

Ref: 1. क्रमांक / रेत /2022/1862 बैतूल दिनांक 23/12/2022

2. क्रमांक /ख. लि. -2 /2019/2013 बैतूल, दिनांक 05/12/2019

Respected sir,

We have been issued a letter of intent (LOI) to National Energy Trading and Services Limited (NETS) as stated in the referenced letter, we are requesting you to approve the revised mine plan of the below-mentioned mine in favor of NETS, so that we can process further for start the mining in Betul district.

District	Tehsil	Mines Name	Khasra No	Area	Revised Area (ha)
Betul	Chicholi	Khapriya	18	3.00	3.400

We have attached 3 copies of revised Mine Plan.

Regards

For National Energy Trading And Services Limited

Authorised Signatory

National Energy Trading and Services Limited

कार्यालय कलेक्टर (खनिज–शाखा) बैतूल

:: आदेश ::

क्रमांक/खनि0-2/2019/2013 बैतूल, दिनांक 06/12/2019

संदर्भ: ग्राम पंचायत **खपरिया** जनपद पंचायत तिवोली जिला बैतूल द्वारा सामान्य दिनांक 02.10.2017 में प्रस्ताव क्रमांक 09 पारित कर प्रस्ताव की प्रतिलिपि सहित पत्र दिनांक 03.10.2017 प्रस्तुत किया है, जिसके अनुसार ग्राम- **खपरिया** तहसील तिवोली के मोरण्ड नदी के खसरा नं. 18 रकबा 5.232 है.में बड़ी मात्रा में खनिज रेत उपलब्ध है, जिसे नई रेत खदान घोषित करने का लेख किया गया है।

उपरोक्त प्राप्त प्रस्ताव आवेदन पत्र पर नई रेत खदान घोषित करने के संबंध में तहसीलदार तिवोली/खनि निरीक्षक बैतूल/खनि सहायक मानचित्रकार बैतूल से प्रतिवेदन/अभिमत प्राप्त किये गये। तहसीलदार तिवोली द्वारा अपने समला क्रमांक 0716/ब-131/2019-20 दिनांक 28.11.2019 द्वारा ग्राम- **खपरिया** तहसील तिवोली की भूमि खसरा क्रमांक 18 रकबा 5.232 है0 में से रकबा 3.400 है0 भूमि पर नई रेत खदान घोषित करने हेतु प्रस्तावित की गई है।

खनि निरीक्षक बैतूल के जांच प्रतिवेदन मय स्थलमाप दिनांक 27.03.2019 के अनुसार आवेदित क्षेत्र खसरा क्रमांक 18 रकबा 5.232 है0 में से 3.400 है0 क्षेत्र पर पर्याप्त मात्रा में रेत खनिज उपलब्ध है। आवेदित क्षेत्र से पुल 100 मीटर के भीतर नहीं है। राष्ट्रीय/राज्यमार्ग लगभग 15 कि0मी0 दूर स्थित है। रेलवे लाईन 10 कि0मी0 के भीतर नहीं है, जलाशय/बांध 500 मीटर के भीतर नहीं है ग्रामीण सड़क मार्ग लगा हुआ है, सार्वजनिक उपस्थान आस–पास नहीं है। आबादी लगभग 200 मीटर पर स्थित है। सार्वजनिक उपयोग की भूमि आस–पास नहीं है। धार्मिक स्थल एवं मरघट 200 मीटर के भीतर नहीं है। उक्त आवेदित क्षेत्र मरघडीय नदी है जिसमें प्रचुर मात्रा में रेत उपलब्ध है, आवेदित क्षेत्र से रेत खनिज की चोरी न हो एवं आस–पास के ग्रामीणों को रोजगार प्राप्त हो सके, आवेदित क्षेत्र में नई रेत खदान घोषित किये जाने की अनुशंसा की है।

खनि सहायक मानचित्रकार, बैतूल ने प्रतिवेदन दिनांक 06.12.2019 में प्रतिवेदित किया गया है कि तहसील तिवोली ग्राम–**खपरिया** के मोरण्ड नदी के खसरा क्रमांक 18 रकबा 5.232 है0 में से 3.400 है0 क्षेत्र नई रेत खदान घोषित किये जाने हेतु क्षेत्र उपलब्ध होता है राजस्व पटवारी मंडी से स्थल स्थिती से निम्नांकित किया गया है।

अतः उपरोक्त जांच प्रतिवेदनों एवं सामलता में पारित प्रस्ताव के आधार पर मध्यप्रदेश रेत (खनन परिवहन भण्डारण एवं व्यापार) नियम, 2019 के नि0 6 (1) एवं (2) के तहत ग्राम- **खपरिया** के मोरण्ड नदी के खसरा क्रमांक 18 रकबा 5.232 है0 में से रकबा 3.400 है0 क्षेत्र पर खनिज रेत की नई खदान घोषित की जाती है।

(कलेक्टर महोदया द्वारा अनुमोदित)

जिला खनि अधिकारी,
बैतूल

क्रमांक/खनि0-2/2019/2013 बैतूल, दिनांक 06/12/2019

प्रतिलिपि:

1. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित।
2. कार्यपालक संचालक, मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम, पर्यावास भवन, भोपाल की सादर सूचनार्थ।
3. डायरेक्टर, भौमिकी तथा खनिकर्म भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. उपसंचालनअधिकारी, प्रशिक्षण बैतूल(सेप्) मनमाडल।
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत बैतूल की सूचनार्थ प्रेषित।
6. अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व) बैतूल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
7. तहसीलदार तिवोली
8. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत तिवोली की सूचनार्थ
9. खनि निरीक्षक / खनि अधिकारी / खनि सहायक मानचित्रकार बैतूल।
10. थाना प्रभारी तिवोली।
11. सरपंच / सचिव ग्राम पंचायत- **खपरिया** जनपद पंचायत तिवोली जिला बैतूल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

जिला खनि अधिकारी,
बैतूल

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बैतूल

Email-modgmbet@mp.gov.in

क्रमांक / खनिज–2 / 2023 / 221. बैतूल, दिनांक 07 / 02 / 2023

प्रति,

मेसर्स नेशनल एनर्जी ट्रेडिंग एण्ड सर्विसेज लिमिटेड
पता–प्लॉट न. 7, बिन्दु सदन, 401 सांई चंद्र कॉलोनी,
ग्रीन स्पेस तुलसी, पुप्पलगुडा, मणिकोंडा, हैदराबाद,
रंगारेड्डी, तेलंगाना–500089

विषयः– रेत खनिज के सफल निविदाकार की खनन योजना का अनुमोदन करने बाबत्।
संदर्भः– आपका का पत्र क्रमांक NETS/SMD/B/22-23/015-031 दिनांक 02.01.2023

––00––

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा प्रस्तुत 17 रेत खनन योजनाओं को मध्यप्रदेश रेत (खनन, परिवहन, भण्डारण एवं व्यापार) नियम 2019 के नियम 12 (ग) के अन्तर्गत अनुमोदित किया जाता है। जिसका विवरण निम्नानुसार हैः–

क्र.	तहसील	खदान का नाम	खसरा क्र.	रकबा (.हे)	माईनिंग प्लान अनुमोदित मात्रा (घ.मी.)
1	शाहपुर	शाहपुर/पतौवापुरा	1, 112	11.000	118800
2	घोडाडोंगरी	बाकुड़	35	2.700	13125
3	घोडाडोंगरी	लोनिया	179	1.115	15000
4	भैंसदेही	रातामाटी	1	2.550	21600
5	शाहपुर	सितलझिरी	1	0.700	3375
6	बैतूल	माथनी	78	0.860	5670
7	घोडाडोंगरी	कंटगी	148	0.621	2400
8	शाहपुर	गुवाडी	19	2.500	42120
9	घोडाडोंगरी	फुलबेरिया	407	2.500	7650
10	घोडाडोंगरी/ शाहपुर	बांसपुर /शिवसागर/ गौनापुर	1, 1, 288, 266	24.970	163350
11	घोडाडोंगरी	झाडकुण्ड	1	0.950	4320
12	घोडाडोंगरी	कचलोरा-1	67	0.100	1200
13	घोडाडोंगरी	कचलोरा-2	98	0.340	2142
14	घोडाडोंगरी	बरेलीपार	63	0.360	5400
15	आमला	जम्बाड़ा बुजुर्ग	217	0.700	1382
16	घोडाडोंगरी	गांधीग्राम	2	0.550	8100
17	घोडाडोंगरी	सातलदेही	187, 251	6.100	23100

उक्त खनन योजनाओं का अनुमोदन इस शर्त पर किया जाता है कि निविदाकार मध्यप्रदेश रेत (खनन, परिवहन, भण्डारण एवं व्यापार) नियम 2019 के प्रावधानों का पालन करेगा।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

कलेक्टर,
जिला–बैतूल

पृ0क्रमांक / खनिज–2 / 2023 / 221 बैतूल, दिनांक 07 / 02 / 2023

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, 29–ए अरेरा हिल्स, म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3. सदस्य सचिव, सिया पर्यावास परिसर ई–5 अरेरा कालोनी, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रभारी अधिकारी
(खनिज शाखा)
जिला–बैतूल

MINING PLAN

SUBMITTED AS PROVISIONS OF RULE 12 (1) MADHYA PRADESH SAND RULE 2019 (MINING, TRANSPORTATION, STORAGE AND TRADING)

GUWADI SAND MINE

AREA: 2.5 HECTARES, KHASRA NO: 19

VILLAGE: GUWADI, TEHSIL: SHAHPUR, DISTRICT: BETUL (MADHYA PRADESH)

APPLICANT

M/S NATIONAL ENERGY TRADING AND SERVICES LIMITED, PLOT NO 7, BINDU SADAN, 401 SAI CHANDRA COLONY, GREEN SPACE TULASI, PUPPALGUDA, MANIKONDA, HYDERABAD, TELANGANA STATE, INDIA

TYPE AND CATEGORY OF MINE: OPENCAST/SEMI MECHANISED

APPROVED

COLLECTOR
BETUL

PREPARED BY

SYED IQTADAR TANWEER
G-3 BALAJI, BRIGHT COLONY, IDGAH HILLS,
BHOPAL (M.P.)
REGISTRATION NO: RQP/DGMMP/211/2019-24
EMAIL: si_tanweer@yahoo.co.in, MOB: 8827951780

SYED IQTADAR TANWEER
RQP/DGMMP/211/2019-24

O. Pooja Bandhari

CONSENT LETTER

Revised Mining Plan of Guwadi Sand Mine, Village Guwadi (2.5 ha) has been prepared by RQP Shri Syed Iqtadar Tanweer (RQP No DGMMP/211/2019-24) under Madhya Pradesh Minor Mineral Rules, 1996 for approval. The lease hold area is located in Village- Guwadi, Tehsil - Shahpur, District - Betul, MP, covering an area of 2.5 hectares.

The Director Geology and Mining, Madhya Pradesh, competent Authority is hereby requested to make further correspondence regarding this Mining Plan with the person and address mentioned below-

SYED IATADAR TANWEER
Recognized Qualified Person (RQP NO: RQP/DGMMP/211/2019-24)

G-3 Balaji, Bright Colony, Idgah Hills,

Bhopal (M.P.)
Email: si_tanweer@yahoo.co.in

Mob: 8827951780

An undertaking in this regard is being submitted that the Mining Plan so prepared by the recognized person is with my knowledge and consent and shall be acceptable to me in all respects. I have clearly understood the contents of the Mining Plan and agree to implement.

Place: Betul

Date:

T. Priya Bandaru

M/s National Energy Trading and Services Ltd.

Address: Plot No 7, Bindu Sadan, 401 Sai Chandra Colony, Green Space Tulasi, Puppalguda, Manikonda, Hyderabad, Telangana State, India

T. Priya Bandaru

CERTIFICAE FOR FULL CONSULTATION

This is to certify that Revised Mining Plan of Guwadi Sand Mine in village Guwadi of the applicant M/s National Energy Trading and Services Ltd., Village-Guwadi, Tehsil - Shahpur, District - Betul of Madhya Pradesh State covering lease hold area 2.5 hectares has been prepared by RQP Shri Syed Iqtadar Tanweer (RQP No: RQP/DGMJMP/211/2019-24), in full consultation with me and I have understood its contents and agree to implement the same in accordance with the law.

Place: Betul

Date:

J. Priya Bandhavi

M/s National Energy Trading and Services Ltd.

Address: Plot No 7, Bindu Sadan, 401 Sai Chandra Colony, Green Space Tulasi, Puppalguda, Manikonda, Hyderabad, Telangana State, India

J. Priya Bandhavi

CERTIFICATE OF COMPLIANCE AND CORRECTNESS

- *Certified that the provisions of related Act and rules have been considered in the Revised Mining Plan of Guwadi Sand Mine in village Guwadi, area of 2.5 in Tehsil - Shahpur, District- Betul of Madhya Pradesh State, which belongs to the applicant M/s National Energy Trading and Services Ltd.*

- *Certified further that the provisions mentioned in Act, Rules and Regulations have been considered in the Mine Plan and wherever specific permissions are required, the applicant will approach to the concerned competent authorities including D.G.M.S. for the same.*

- *There* is *no violation against provision of Rules, Regulations of MMR, 1961 and there* is *no danger to human life.*

- *The information furnished in the Mine Plan* is true *and correct to the* best *of our knowledge.*

SYED IQTADAR TANWEER
RQP/DGMMP/211/2019-24

Place: Bhopal

Date:

Syed Iqtadar Tanweer

(RQP No: RQP/DGMJMP/211/2019-24)

S. Bhuja Bandhas

RQP CERTIFICATE

J. Anja Bandhaus

संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म मध्यप्रदेश

(मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम, 1996 के अंतर्गत)
खनन योजना / खनन स्कीम / पूर्वेक्षण रिपोर्ट / पर्यावरण प्रबंधन योजना / माईन क्लोजर प्लान बनाने हेतु मान्यता प्राप्त योग्य व्यक्ति

प्रमाण पत्र

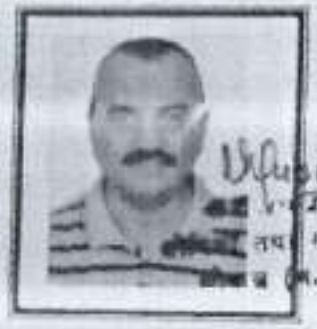

श्री सैयद इकतेदार तनवीर, पिता स्व. डॉ. कासिम नयाजी, पता जी–3, नयाजी, साईट कालोनी, ईदगाह हिल्स, भोपाल, मध्यप्रदेश, जिनकी फोटो तथा हस्ताक्षर अभिप्रमाणित है, को मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम 1996 के अंतर्गत खनन योजना / खनन स्कीम / पूर्वेक्षण रिपोर्ट / पर्यावरण प्रबंधन योजना / माईन क्लोजर प्लान तैयार करने हेतु योग्य व्यक्ति के रूप मे मान्यता प्रदान करते हुए पंजीयन क्रमांक **RQP/DGMMP/211/2019** आवंटित किया जाता है।

यह मान्यता प्रमाण पत्र 05 वर्ष की अवधि के लिये दिनांक **04.08.2024** तक वैध रहेगा।

मान्यता प्राप्त व्यक्ति के हस्ताक्षर –

भोपाल, दिनांक 05.08.2019

संचालक
भौमिकी तथा खनिकर्म
मध्यप्रदेश भोपाल

J. Riya Bandhaj

CONTENTS

1. INTRODUCTION 4
1.1 GENERAL INFORMATION 5
1.2 AREA DETAIL & APPROACHABILITY 6
2. LANDUSE / INFRASTRUCTURE 7
2.1 PRESENT LAND USE STATUS: 7
2.2 INFRASTRUCTURE 7
3. TOPOGRAPHY AND GEOLOGICAL DETAILS 9
3.1 TOPOGRAPHY 9
3.2 REGIONAL GEOLOGICAL DETAILS: 9
3.3 REGIONAL GEOLOGICAL SETUP/SEQUENCE: 10
3.4 LOCAL GEOLOGICAL DETAILS: 11
3.5 EXTENT OF RIVER BED & ALLUVIAL SAND DEPOSIT: 12
3.6 PROSPECTING AND EXPLORATION DONE: 12
4. ESTIMATION OF RESERVES: 14
5. DEVELOPMENT AND PRODUCTION PROGRAM 17
5.1 PROPOSED METHOD OF QUARRYING: 17
5.2 MECHANIZATION: 19
5.3 BLASTING: 19
5.4 LOADING AND TRANSPORTATION OF SAND: 20
5.5 MANPOWER DEPLOYMENT: 20
5.6 PROPOSED YEARLY PRODUCTION PROGRAM 21
5.7 MINE LIFE: 21
5.8 USE OF MINERAL: 21
6. CONCEPTUAL PLAN 22
7. ENVIRONMENTAL MANAGEMENT PLAN 23
7.1 AIR QUALITY MANAGEMENT: 23
7.2 WATER MANAGEMENT: 23
7.3 NOISE MANAGEMENT: 24
7.4 WASTE MANAGEMENT: 24
7.5 BIOLOGICAL ENVIRONMENT 24

SYED IQTABAR TANWEER
RQP/DGMMP/211/2019-24

7.6 DISPOSAL OF MINING MACHINERIES:.....24
7.7 SAFETY AND SECURITY:.....25
7.8 DISASTER MANAGEMENT:.....25
7.9 CARE DURING TEMPORARY DISCONTINUANCE:.....25
7.10 ECONOMIC REPERCUSSION OF CLOSURE & MAN POWER RETRENCHMENT.....25
7.11 STATUS OF LOCAL EMPLOYEES:.....26
7.12 COMPENSATIONS:.....26
7.13 RECLAMATION & REHABILITATION:.....26
7.14 DISTANCE FROM THE NEAREST BRIDGE/DAM:.....26
7.15 SOCIO – ECONOMIC ENVIRONMENT:.....27
7.16 PLANTATION (AFORESTATION PROGRAM):.....27
8. PROGRESSIVE MINE CLOSUR PLAN 28
9. SAND REPLENISHMENT ASSESSMENT 29
9.1 NEGATIVE IMPACTS:.....29
9.2 POSITIVE IMPACTS:.....29
9.3 NEED FOR SAND REPLENISHMENT STUDY AND FACTORS TO BE CONSIDERED AND OBSERVED:.....29
9.3.1 WATER LEVEL DURING LEAN PERIOD:.....30
9.3.2 CATCHMENT AREA.....31
9.3.3 ORIGIN OF RIVER:.....31
9.3.4 DISTANCE OF TRAVELLING OF LOAD:.....31
9.3.5 SLOPE / GRADIENT / ELEVATION DIFFERENCE:.....31
9.3.6 GEOLOGY / LITHO UNITS:.....31
9.3.7 CLIMATIC CONDITIONS:.....31
9.3.8 TRIBUTARIES / CONFLUNCE:.....31
9.3.9 TYPE/STAGE OF RIVER AND FLOW VELOCITY:.....32
9.3.10 STRUCTURES:.....32
9.4 CONCLUSION:.....32

SYED IQTADAR TANWEER
RQP/DGMMP/211/2019-24

O. Priya Bandhad

FIGURES

KEY PLAN

GOOGLE IMAGE

KHASRA MAP

PLATE 1- SURFACE PLAN AND GEOLOGICAL PLAN

PLATE 2- YEARWISE DEVELOPMENT PLAN AND SECTION

PLATE 3- ENVIRONMNETAL PLAN

PLATE4- YEARLY MONSOON WISE PLATE AND SECTION

ANNEXURES

SANCTION ORDER COPY

RQP CERTIFICATE

SYED IQTADAR TANVEER
RQP/DGMMP/211/2019-24

1. INTRODUCTION

The demand for ordinary natural river sand is enormously increased in building construction and infrastructural developments. The natural sand is started vanishing from the river beds besides causing natural and environmental hazards in surrounding areas due to illegal and unscientific mining without proper mining plan. Therefore, the government of India announced sand policy by fixing responsibility on related departments mainly Mines & Geology and Ministry of Environment and Forest (Pollution control boards). Accordingly, the Govt. of Madhya Pradesh formulated a natural sand policy to meet the sand demand in the state by undertaking systematic & scientific mining and protection of environment and by maintaining eco-balance in the surrounding areas by following the Govt. of India guidelines.

Based on the Government of India guidelines, this quarry plan is prepared for the proper development of mine area with safe quarrying operation. It also provides guidance and directives to be followed during the quarrying operation under the rules and regulations as imposed by the Government.

Mine has been allotted to National Energy Trading and Services Ltd., Address: Plot No 7, Bindu Sadan, 401 Sai Chandra Colony, Green Space Tulasi, Puppalguda, Manikonda, Hyderabad, Telangana State, India, over an area of 2.500 Hectares covering Khasra No 19, up to 30.06.2023 (As per Order No. 1862/Sand/2022, Betul, dated 23.12.2022).

In compliance to MP Sand (Mining transportation, Storage and Trading) Rule 2019 published in Gazette notification of Government of MP dated 30-08-2019 and as per the rule 42 of MP Minor Mineral Rules 1996, this Quarry plan is being prepared and submitted for approval to the Collector [Mining] Betul MP and quarrying operation start only after obtaining the statutory permission as per rule 14.

SYED IZTADAR TANWEER
RQP/DGMMP/211/2019-24

1.2 AREA DETAIL & APPROACHABILITY

Details Of Sanctioned Lease Area	**Village**	Guwadi
	Tehsil	Shahpur
	District	Betul
	River	Tawa River
	State	Madhya Pradesh
	Khasra No.	19
	Sanctioned Area	2.500 Hectares
Topo Sheet No.	55F/15	
Village Coordinates	22°17'24.56"N 77°54'00.03"E	
Site Co-ordinates (Latitude & Longitude)	1. 22°17'12.39"N 77° 52'59.51"E 2. 22°17'10.08"N 77° 53'02.78"E 3. 22°17'03.82"N 77° 52'56.30"E 4. 22°17'04.28"N 77° 52'54.03"E	

Approach & Accessibility	**From Site**	**Approx. Distar**
	District Head Quarter Betul towards S	40 km
	Tehsil -Shahpur towards S	9 Km
	Village – Guwadi - Northeast	1.6 Km
	Nearest Railway Station Dhodramohar (Bhoura) Towards SWW	1 Km
	NH-46 towards west	1.2 Km
	Health Centre (Village Guwadi)	1.6 Km
	Nearest Bridge Towards SE	5 Km
	Monuments / Places of Social Importance	None Nearby
	National Parks	Not within 10 Km
	Reserve Forest	Not within 250 m

SYED IQTADAR TANVEER
RQP/DGMMP/211/2019-24

2. LANDUSE / INFRASTRUCTURE

2.1 PRESENT LAND USE STATUS:

Sand Mining lease has been sanctioned for a period of up to 30.06.2023 over an area of 2.500 Hectares on a River Bed (Tawa) for quarrying and transportation of sand. Quarrying & related activities shall be carried out from the top surface level. Present land use status of the sanctioned area is as under:

Total Lease Area	**2.500 Ha**	**25,000 M^2**
Barrier Zone / Safety Strip	2,300 M^2	
Area under water/ Non-Mining Area	6,400 M^2	
Available Working Area	**16,300 M^2**	
Allowable actual Mineable Area (equal to or less than 60% of total lease area)	15,000 M^2	

2.2 INFRASTRUCTURE

- **Power Supply** - Electrical Power is not available; Shall be arranged from the nearby supply line if required with proper NOC from concerning Department.

- **Communication & Transport** - Site is well connected with District Headquarter and other towns by road. Buses and private taxis are frequently available from district and Tehsil headquarters up to the village. Quarry site is approachable from village by private means.

- **Land** -Quarry lease area situated on river bed and is a non-forest government land.

- **Water Supply** - Dug wells and bore wells available in the vicinity to meet the requirement of drinking water. Water is potable & hygienic as no adverse effects noticed in habitants of nearby area.

- **School Facilities** - School facilities for primary education are available in the village Panchayat; Middle school or higher studies are present in District Headquarter Betul and Tehsil Shahpur.

LESSEE/APPLICANT
M/s National Energy Trading and Services Ltd., Hyderabad

Syed Iqtadar Tanweer
RQP/DGMMP/211/2019-2024

- **Man Power** - Mine workers shall be arranged from nearby villages therefore no constraint regarding availability of manpower in the area.

There are no places of national and social importance exist within the radius of 500 m of mine site.

SYED IQTADAR TANVEER
RQP/DGMMP/211/2019-24

3. TOPOGRAPHY AND GEOLOGICAL DETAILS

3.1 TOPOGRAPHY

The lease area falls in a River Bed (Tawa River). Since, the sand area falling partly at the non-active river bed, the general surface level of the lease area is undulating with negligible thorny bushes/shrubs and comparatively lower than the surroundings. The surface level of the mine lease is around 356-358 MSL. The drainage direction is towards northeast in the lease area.

Topography of the area has been derived due to alluvial deposition on the flood plains of Narmada River and its Rivulets. General slope of the lease area is from southwest to northeast. The drainage pattern in the area is dendritic.

3.2 REGIONAL GEOLOGICAL DETAILS:

The district has four district physiographic division viz (i) Satpura plateau in Tawa and Morand valleys (ii) The Satpura plateau in central and (iii) southern part of the district (iv) and Tapti valley. The whole district lies on Satpura plateau at an elevation of 365m above mean sea level. The general elevation is about 609m at Kilendeo form the highest peak in the northern and central parts of the district. Tawa valleys lies at on elevation of 396m amsl between peaks of Kilandeo and Bhogwangar, the general scope of the valley is towards the North West.

SYED IQTADAR TANWEER
RQP/DGMP/211/2019-24

3.3 REGIONAL GEOLOGICAL SETUP/SEQUENCE:

Age	Lithounits	Rock types
Quaternary		Soil and alluvium
----------Unconformity----------		
U. Cretaceous to Eocene	Deccan Trap	Non-porphyritic and porphyritic basalt
----------Unconformity----------		
U. Cretaceous	Lameta	Sandstone, shales and limestone
----------Disconformity----------		
U. Cretaceous	Upper Gondwana	Sandstone, siltstone, conglomerate and clay
----------Unconformity----------		
Archaean		Quarzo-feldspathic gneiss with dolerite intrusions

Archaeans

The crystalline metamorphic and igneous rocks cover approximately 20% of the total district area. The igneous rocks are intensive granite and pegmatite veins intending the metamorphic rocks. Quartz pegmatite views are common features and occurs as broad dykes and thin strings. The ground basins are conterminous with surface drainage sub basin thus ground water flow system is of local types where end system has its recharge area at topographic low. The Archaeans are mainly occupying the Betul, Chichab, Multai and Amla blocks. These rocks do not have primary porosity and hydraulic conductivity. The weathered part of the crystalline rocks are called saprolite, which is of particular interest from the point of view of storage zone for ground water and as an aquifer for open well and shallow tube wells. The thickness of this zones in the entire district area ranges from 2.5 to 30.00 m. in this formation, aquifers also occurs where bed rock and quartz pegmatite intensive vein are jointed and fractures.

The yield depends upon saturated thickness of the weathered mantle and fracture pattern of the rocks.

Gondwana

The Gondwana rocks are comprising succession of sand stone, shales with seems of coal lying over the metamorphic rocks of crystalline Archaean system with a district unconformity. The beds of Gondwana rocks are distributed in patches and lie in a liner trend coinciding almost with the present river valleys. There rocks show considerable faulting. The Talchir beds consisting of sandstone and green clays with boulders contain plant fossils. There are bounded by faults. The west and north west of Betul, there are out of Gondwana rocks which separates decant traps from Archaeans rocks. Barkars of Gondwana group contains coal seams.

Deccan Traps

Deccan traps comprising varies types of basaltic lava flows and most extensive rocks in the district. There rocks occupying in Betul, Multai, Bhimpura, Chicholi, Bhainsdehi, Atner and Prabkat pattam blocks. The base of the flow consists of a porons layers of earthy basalt which passes rapidly into the main body. Of flow consisting of great thickness of hard basalt. Generally the Deccan trap in the area occurs in the form of fractures, weathered and vesicular basalts.

3.4 LOCAL GEOLOGICAL DETAILS:

The top layer of applied area forms a part of stream bed covered mainly with sand deposits with rare colluvial material belonging to recent river alluvium up to 4.0 m. Quarrying will be concentrated up to 3.0 m only for extraction of sand. However, it is found that minimum 4m thick sand deposit is available throughout the lease within the top most layer of recent alluvium. This top sandy layer is underlain by laterite followed by Deccan trap.

Altitude of the area- Average elevation of the area is- 357 m

High flood Level (HFL) – 359 m

SYED IQTADAR TANVEER
RQP/DGMNP/211/2019-24

Low flood Level (LFL) – 356 m

Surface and geological map with cross section of the area on 1: 2000 scale with suitable contour intervals showing general topography and geology has been enclosed.

3.5 EXTENT OF RIVER BED & ALLUVIAL SAND DEPOSIT:

The sand quarry lease area is elongated along the course of the river with an orientation of SW to NE and located on a wide meander. The deposit of sand is available on full width and length of the lease.

The sediment in the form of river bed material i.e., sand has deposited in the last many years as a process of sedimentation in the paleochannels. Sand bars have been formed at various places hindering the flow of water and excess deposition has changed the shape of the river bed. Because of this, during monsoon season, the water may rise above the high flood level causing heavy and devastating floods. Such disasters may damage large tracts of land laying on both banks of the river especially the agricultural lands.

Accumulation of the sand deposit on the river bed is annual process. It is replenishable due to sediment inflow during floods in rainy season. Thickness of river bed where sand deposited every year varies but excavation of sand is permitted up to 3 m depth or up to top level of water table whichever is less. The summer water table goes down to 4 m below surface. Hence sand can easily be extracted up to 3 m depth in dry season.

3.6 PROSPECTING AND EXPLORATION DONE:

This is the revised mining plan and mining lease has already been excavated in the past. Based on post monsoon yearly survey by local mining officer and observations conducted by lessee, sand deposit in the lease has completely been replenished and average thickness of sand deposition within the sand accumulated area is observed to be > 3.0 m in proposed sand bed and considered for estimating the reserves.

Since sand exposed all over within the sand accumulated area of the lease and depth is proved, therefore, future prospecting has not proposed in the area. However, a

survey likely to be conducted by local mining officer to ascertain the depth of sand accumulation during post monsoon every year.

SYED IQTADAR TANVEER
ROP/DGMMP/211/2019-24

4. ESTIMATION OF RESERVES:

The applied sand lease area is about 1.6 km southwest from village Guwadi and located in the river bed of Tawa River that flows from southwest to northeast.

In order to estimate the reserves, DGPS survey has been carried out to define the topography, contours and offsets of the lease area. Khasra map has been considered as base map to demarcate the mine lease boundary. The shape and size of the mine lease has been fixed as per the sanctioned demarcated Khasra map of the lease area by DGPS survey.

The area has been fully demarcated with respect to geographical coordinates and surface reduced level taken at every point of cluster. To describe the elevation in detail, 0.5m contour interval has been picked for the preparation of surface plan and cross section which includes collection of surface reduced level in an interval of 0.5m for reserve estimation. The maximum elevation observed to be 358m from MSL and whereas minimum elevation recorded to be 356m MSL with the lease area.

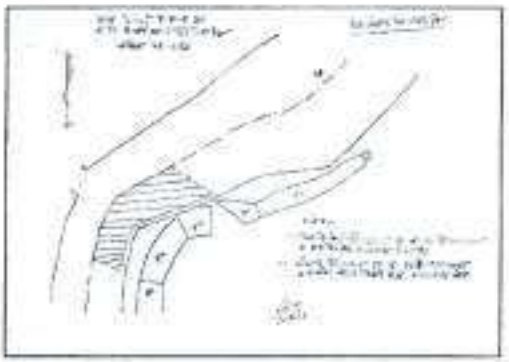

Sanctioned demarcated area (Khasra)

Demarcated area on Google Image

Very gently sloping or almost flat topography of the lease is the main reason for having sufficient quantity of sand available for removal. In addition, the location of applied lease lies on a meander making it suitable for sand deposition, therefore good deposit of sand is available on full width and length of the lease.

As per the Point (r) page 24 of Guidelines of Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining, Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MOEF & CC)

January 2020 **"River bed sand mining shall be restricted within the central 3/4th width of the river/rivulet or 7.5 meters (inward) from banks but up to 10% of the width of the river"**

The mineral sand is exposed in full width and length of the lease and follows very gently sloping topography.

This is the revised mining plan and mining lease has already been excavated in the past. Based on post monsoon yearly survey by local mining officer and observations conducted by lessee, sand deposit in the lease has completely been replenished and average thickness of sand deposition within the sand accumulated area is observed to be > 3.0 m in proposed sand bed and considered for estimating the reserves.

Since sand exposed all over within the sand accumulated area of the lease and depth is proved, therefore, future prospecting has not proposed in the area. However, a survey likely to be conducted by local mining officer to ascertain the depth of sand accumulation during post monsoon every year.

Specifications considered for the estimation are as under:

Area specification	Values
Sanctioned lease area	2.500 hac or 25,000 M^2
Area submerged in water/Non mining	6,400 M^2
Area under Barrier / Safety zone within sand accumulated area	2,300 M^2
Available Mineable area where sand has been deposited/accumulated is more than 60% of total lease area of 25,000 M^2	**16,300 M^2** (Total lease area – non mining area - barrier zone) (25,000 M^2 -6,400 M^2 -2,300 M^2 = 16,300 M^2)
But Point (r) page 24 of Guidelines of Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining, Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MOEF & CC) January 2020 says that Maximum allowable mineable area cannot be more than 60% of total lease area of 25,000 M^2 which is **15,000 M^2** (60% of total lease area)	**15,000 M^2**

As the extractable area 15,000 M^2 is gently sloping, hence the volumetric method adopted for reserve estimation.

The thickness of sand is more than 3m. The water level fluctuates from 3-4m during post-monsoon to pre-monsoon (October to June). However maximum of 2.82 m depth of sand deposit has been considered for estimation.

Reserve calculation of the given area is detailed as under:

Area [M^2] X Depth [m] = Volume [M^3]

Total extractable sand – 15,000 M^2 x 3 m (Max Thickness) = 45,000 m^3

Total mineable sand – 15,000 M^2 x 2.82 m (Average Thickness) = 42,300 or 42,120 m^3

Total mineable reserve estimated to be 42,120 M^3

The safety/environmental and replenishment factors have been considered and only 60% of lease area is taken as sand extractable area for reserve estimation.

APPROVED

COLLECTOR
BETUL

SYED IQTADAR TANWEER
RQP/DGMMP/211/2019-24

SYED IQTADAR TANWEER
RQP/DGMMP/211/2019-24

Pruja Bandhare

5. DEVELOPMENT AND PRODUCTION PROGRAM

5.1 PROPOSED METHOD OF QUARRYING:

The mining operation will be carried out by semi mechanized method and all the related activities shall strictly be done according to the M.M.R 1991 rule without blasting
As per the Sustainable Sand Mining Management Guidelines 16, there are total 5 extractions methods and are follows as;

a) Bar scalping and skimming is extraction of sand and gravel from the surface of bars. This method generally requires that surface irregularities be smoothed out and that the extracted material be limited to what could be taken above an imagery line sloping upwards and away from the water from a specified level above the river water level at the time of extraction (typically 0.3-0.6m). Bar scalping is commonly repeated year after year. To maintain the hydraulic control provided to upstream by the Riffle head., the preferred method of bar scalping is now generally to leave the top 1/3rd (approximately) of the bar undisturbed, mining only from the downstream 2/3rd.

b) Dry-Pit Channel Mining

Dry-Pit channel mining is the method where pits excavated within the active channel on dry intermittent or ephemeral stream beds. Dry pits are often left with abrupt upstream margins, from which head cuts likely to propagate upstream.

c) Wet-Pit Channel Method

It involves excavation of a pit in the active channel below the surface water in a perennial stream or below the alluvial groundwater table.

d) Bar Excavation

SYED IQTADAR TANVEER
RQP/DGMMP/211/2019-24

A pit is excavated at the downstream end of the bar as a source of aggregate and as a site to trap sand and gravel. Upon completion, the pit may be connected to the channel at its downstream end to provide side channel habitat.

e) Channel – wide River bed Mining

In rivers with a highly variable flow regime, sand and gravel are commonly extracted across the entire active channel during the dry season. The bed is flattened and uniformly (or nearly so) lowered.

As per the Sustainable Sand Mining Management Guidelines 2016, there are 5 extraction method as mentioned above in total out of which 'Channel-wide River bed Mining' method shall be adopted with respect to type of river bed deposition. Mining shall be done in layers of 1 meter depth to avoid ponding effect and after first layer is excavated, the process will be repeated for the next layers.

Previous year water level regime monitoring season of river bed is observed. The water level fluctuation in the river bed is from 0.0-3.0. It means the water level about 0.0m to 1.0m describes a monsoon season (July-September) where water covers the whole riverbed and flows almost uniformly throughout the river course. In case of river sand bed of about 2m water level define the post monsoon season (October to December) in which water level drops and part of river bed exposed/ dried in certain part of river channel or sand mine spot due to difference in contour elevation as well as replenished sand. In case of river having about 3.0 m water level describes pre-monsoon season (from March to mid of June).

During post monsoon (October to February) mining will be carried out in layers of 1-meter depth for maintaining the river bed water level regime (Plate 4).

During pre-monsoon (March to June) mining will be carried out in 2nd layers of 1 meter depth after completion of 1st layer for maintaining the river bed water level regime (Plate 4).

No bench can be maintained in river sand hence bench wise mining cannot be proposed.

Due to continues accumulation of sand in the area during rainy season, there will not be much depletion in the reserve of sand, hence reserve is likely to be remain same every

year and in future also. The Lease period has been sanctioned up to 30.06.2023, accordingly three years production plan can be envied as below:

Semi-mechanised method of quarrying shall be undertaken during quarrying operation and all the related activities shall strictly be followed according to M.M.R 1991 rule without blasting and drilling.

Mining operation shall be based upon Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining, Ministry of Environment, Forest and Climate change January, 2020.

Quarrying progression will be from south to north, whereas mine face will be east to west. However, mine facing may be adjusted based on best environment friendly practices.

5.2 MECHANIZATION:

An open cast quarrying by semi mechanized method will be adopted for extraction of ordinary sand, keeping the productivity and safety in mind.
Semi mechanized quarry operation shall be done by utilizing JCB, hand Shovel, spade, crow bars, water tanker etc. will be required to deploy for mining works, Dumpers will be required for loading and transportation purpose.

JCB	1 No
Dumper	6 No. (Capacity- 12 m3)
Water tanker	1 No.

5.3 BLASTING:

Not applicable.

SYED IQTADAR TANWEER
RQP/DGMMP/211/2018-24

J. Puja Bandhan

J. Puja Bandhan

5.4 LOADING AND TRANSPORTATION OF SAND:

Dumpers / tipper shall be used for transportation purpose.

For transporting the sand from lease area to the bank and for further destinations (end users/market), following estimation has been followed.

Yearly Production	42,120 m^3
Daily Production Assuming 240 working days leaving rainy season	176 m^3/day
Capacity of Dumper	12m^3
One dumper can carry (as a safety measure)	10m^3
Total number of trips required	18
Total Dumper Required (capacity 10 m^3)	6

The above per day calculations are for reference purpose only. The removal of sand shall be done as per demand and these figures may change drastically but within the limit of yearly production of 42,120 M^3.

5.5 MANPOWER DEPLOYMENT:

Required number of man power/labor is easily available from the surrounding villages. Requirement of manpower depends on the production and taking into account an average rate of annual production of 42,120 m^3 and assuming 240 working days per year, around 176 m3 of proposed production to be achieved per day.

Keeping an average output per man per shift about 8 m^3 (OMS), then around 22 persons shall be required in the mine site.

Considering a presence of site foreman is important and a manager, a total of 23-24 persons shall be required to manage the mining operation.

Number of shifts proposed for per day is one shift / day. Depending upon the demand of sand, working time may be adjusted following the rules and making proper arrangements in place.

5.6 PROPOSED YEARLY PRODUCTION PROGRAM

Due to continues accumulation of sand in the area during rainy season, there will not be much depletion in the reserve of sand, hence reserve is likely to remain same every year and in future also. The Lease period of 3 years has taken as per the provisions of rule 9 of Madhya Pradesh Sand (Mining, Transportation, Storage and Trading) Rule, 2019. Accordingly, three years production plan can be envied.

It is to be noted that applied lease area has been sanctioned up to 30.06.2023 only, therefore 1st year production has been provided in the table below. However, if lease extended for two more years, then the same quantity, i.e., 42,120M^3 per year can be extracted for another two years.

Years	Available Extractable Mining Area M^2 (60% of Lease Area)	Depth M	R O M M^3	Waste M^3 (10%)	Maximum proposed sand Production M^3
1st Year	15,000	2.82	42,120	Nil	42,120

APPROVED

COLLECTOR, BETUL

5.7 MINE LIFE:

Mine has been sanctioned for the excavation of sand until 30.06.2023. Quarry lease may further be allotted to some other agency in future.

This is a river bed quarrying case, every year after monsoon, the sand deposit gets replenished and is available for ensuing years: hence river bed deposit has no fixed mine life.

5.8 USE OF MINERAL:

Sand so extracted from the mine lease, will be sold locally as building material. It is usually mixed with cement and other ingredients to create mortar for building. It is also used in brick manufacturing industries.

SYED IQTADAR TANVEER
RQP/DGMM/211/2019-24

6. CONCEPTUAL PLAN

Mine applied lease spread over a total area of 25,000 m^2. Though sand thickness found to be more than 3m but actual digging depth restricted up to 2.82 m only. However, pits generated by quarrying will be replenished during rainy season. Quarrying will be worked systematically as the width is smaller than its length. As the lease period has been sanctioned until 30.06.2023, some of the area will be left un-worked at the end of lease period.

During plan period workings will be carried out in one stretch at a time. Scattered workings will ensure safety, remove congestion and will have better control and management.

Bank side natural slope will not be disturbed. This will prevent collapse of bank and erosion.

There will be no soil or OB removal during the plan period. Therefore, no proposal has been envisaged for its separate dumping. No outside material will be filled up in the extracted zone.

SYED IQTADAR TANWEER
RQP/DGAMP/211/2019-24

7. ENVIRONMENTAL MANAGEMENT PLAN

7.1 AIR QUALITY MANAGEMENT:

Dust during quarrying, fumes and exhaust emission due to transportation of vehicles are the main causes of air pollution.

Personal Protection Equipment's (PPE) like dust masks, ear plugs etc. will be provided to mine workers

It can be effectively controlled by regular water sprinkling on roads.

Mineral carrying vehicles should be covered with tarpaulin and shall not be over loaded.

Proper maintenance of transport vehicles and PUC certification will minimize the exhaust emission. Adequate plantation will also support to maintain air quality.

7.2 WATER MANAGEMENT:

Sand quarrying activities will have an impact upon the river's water quality. Impacts include increased short-term turbidity at the mining site due to re suspension of sediment, and dumping of excess mining materials, oil spills or leakage from transportation vehicles and washing of vehicles in the river.

Increased riverbed and bank erosion increases suspended solids in the water at the excavation site. Suspended solids may adversely affect water towards downstream and aquatic ecosystems.

The impact is particularly significant if water toward downstream of the site being abstracted for domestic and irrigation purposes etc.

Quarrying is avoided during the monsoon season and at the time of floods. This will help in replenishment of sand in the river bed.

Quarrying below subterranean water level will be avoided as safe guard against environmental contamination and over exploitation of resources.

River stream will not be diverted to form inactive channels.

Meandering segment of river would be selected for mining in such a way to avoid natural eroding banks and to promote mining on naturally building meander components.

Utmost care will be taken to avoid the used of fuel leaking vehicles for sand transportation

The washing of trucks in the river will be avoided.

7.3 NOISE MANAGEMENT:

In manually operated sand mine, noise is generally created by transportation of vehicles.

Onsite and offsite noise management are:

Plantation of trees along the river bank and transport route beyond the bank shall be undertaken to dampen the noise, if possible.

The vehicles shall be maintained in good running condition so that noise will be reduced to minimum possible level.

Awareness will be imparted prior to quarrying operations that smoke silencers remain in a good condition and not to generate noise.

Unnecessary use of horns by the drivers of the vehicles shall be avoided at village areas.

7.4 WASTE MANAGEMENT:

There is no top soil expected to be produced in the plan period. No other waste anticipated to be generated hence waste disposal arrangement is not required.

7.5 BIOLOGICAL ENVIRONMENT

The proposed quarrying will be undertaken from the dry bed of the river on a small scale, therefore unlikely to impact the aquatic environment or any fauna or floral environment.

7.6 DISPOSAL OF MINING MACHINERIES:

No disposal of machineries would take place onsite and hand tools, tractors, dumpers will be deployed on hire basis.

Syed Iqtadar Tanveer
RQP/DGM/07/213/2019-24

7.7 SAFETY AND SECURITY:

Prior to mining, short awareness/training program will be conducted for site staff to make them aware regarding safety aspects and environment friendly work practices.

First aid kit and anti-venom injection for snake/insect bite shall be provided at mine site.

If some causality or injury to animal occurs, it will be informed to forest department and proper treatment will be given.

No lighting will be allowed in the area.

No tree cutting, chopping, lumbering, uprooting of shrubs and herbs will be allowed.

No track or new road for movement of site workers or vehicles be laid in adjoining area, this will prevent fragmentation, encroachment and human verses animal encounter.

Corridor for movement of wild mammals (If exists) will be avoided for mining/transport purposes

If wild animals are noticed crossing the river bed, they will not be disturbed or chased away, instead the workers will move away from their path.

7.8 DISASTER MANAGEMENT:

Nature of mining method is very simple and high-risk accidents are not anticipated. In case of natural disaster, lessee will take assistance from local government officials.

7.9 CARE DURING TEMPORARY DISCONTINUANCE:

No major quarrying machineries will be deployed as mining shall be undertaken manually. Most of the tools/equipment shall be on hire basis, in such cases, care will be taken as per the terms and conditions of contract. During temporary discontinuance, a watchman should be present to look after the mine site.

7.10 ECONOMIC REPERCUSSION OF CLOSURE & MAN POWER RETRENCHMENT

This quarry lease sanctioned for defined time period, most of the facilities and man power will be deployed on hire basis and in such case, care will be taken as per terms and conditions of contract.

7.11 STATUS OF LOCAL EMPLOYEES:

Local residents will be proposed to employ from the nearby areas which already have their own traditional and family occupation like agriculture, fisheries and other sundry jobs. During monsoon and some other season or at the end of mine period they can easily join their respective employments.

7.12 COMPENSATIONS:

Retrenchment compensation to the employees as and when required will be done as per Government Labor legislation.

7.13 RECLAMATION & REHABILITATION:

The applied area comprises mainly sand, and negligible quantity of coarser material. The proposed area is the zone of active erosion during high flood time, otherwise it is a zone of deposition between two stream flows. So, no manual reclamation is needed. It is expected that the reclamation of the affected area will be automatically done by filling with sand flow in the rainy season depending on the amount of rain fall received by the area and the rate of river flow.

There is no human settlement within the quarry area. No human settlement will be disturbed due to the Quarrying activity. So, no rehabilitation and resettlement are proposed.

7.14 DISTANCE FROM THE NEAREST BRIDGE/DAM:

There is a bridge located around 6 km SWW downstream of the lease and constructed on the major tributary of Tawa River. However, none is located within mine lease area.

SYED IQTADAR TANWEER
RQP/DGMMP/211/2019-24

7.15 SOCIO – ECONOMIC ENVIRONMENT:

There will be positive effect to some extent on socio – economic environment of the area as quarrying activity will create new job opportunities for the local people, which ultimately improve their financial status.

7.16 PLANTATION (AFORESTATION PROGRAM):

The implementation for development of green belt will be of paramount importance as it will not only add up as an aesthetic feature, but also act as a pollution control tool.

The species to be grown in the area should be dust tolerant and fast growing so that permanent green belt is created.

In order to stabilize the river bank erosion, the plants having good growth will be planted along the river bank. Trees may also be grown along approach roach to the village and along village road as well as in the village as feasible in consultation with local gram panchayat, DFO and other stake holders.

Lease area is 25,000 M^2 and as per latest guidelines, total trees to be planted @1500 trees per hectare, i.e., a total of 3,750 trees shall be planted in within the lease period.

Total no. of trees to be Planted: - 3,750			
Phase	Name of Tree	No. of Plants to be Planted	Location
Within lease period	Pipal, Munga, Kathal, Bargad, Jamun, Neem, Arjun, Kadam Belpatra, Mango	3,750	Bank of the river – 2,000 nos Guwadi and surrounding villages – 1,750 Suitable available nearby government land or along the road in consultation with local Gram Panchayats, DFO and other stake holders

SYED IQTADAR TANWEER
ROP/DGMNP/211/2019-24

8. PROGRESSIVE MINE CLOSUR PLAN

This is a sanctioned quarry which may again be sanctioned after its expiry on 30.06.2023. The actual working area (sand accumulated area) within the proposed area is the zone of active erosion during high flood time, otherwise it is a zone of deposition and mined out areas may or may not be automatically replenished with sand flow in the rainy season each year, hence progressive plan is not envisaged.

Statutory Obligations: No statutory obligations imposed till now; routine legislative conditions will apply as mentioned in approval letter.

SYED IQTADAR TANVEER
RQP/DGMMP/211/2019-24

9. SAND REPLENISHMENT ASSESSMENT

Sand quarrying from river bed will cause degradation of land use pattern and damage to the environment. Over exploitation of sand from river bed will definitely affects adversely on the surrounding environmental status. Deposition of sand is a continuous natural process, but the over drafting will never be permitted to ensure the balance between exploitation and replenishment potential of river sand.

Sand quarrying from river bed will have both positive and negative impacts;

9.1 NEGATIVE IMPACTS:

It includes destruction of natural river course, bank erosion, bank cutting and widening and deepening of river bed. Change in hydrological status and recharging conditions. Disturbance to closely linked flora, fauna and aquatic life.

9.2 POSITIVE IMPACTS:

Employment and socio-economic status of the habitants living besides the river depends on sand mining industries. Construction of concrete infrastructures, roads and some other related activities depends on the river bed sand. Continuous accumulation of sand ultimately leads to the reduction in water carrying capacity of the river leading excessive flood in the river. Sustainable extraction of sand from river will lead to overcome the problem.

9.3 NEED FOR SAND REPLENISHMENT STUDY AND FACTORS TO BE CONSIDERED AND OBSERVED:

Environmental status of the mined-out area may be affected badly if proper care is not taken to ensure sustainable extraction of sand from river bed. Proper study of the following factors must be taken into consideration to reveal the actual potential of sand deposition in river course after completion of periodical excavation annually. The main factors required to be considered for the study of the replenishment potential of particular river course are:

Formation of sand comprises of the following;

Catchment area and geological strata,

Erosion, weathering

Climatic conditions, Precipitation

Geomorphology, Physiographic Manmade structures and activities details .

Geological formations Refer to Chapter 3.

Deposition/sedimentation of material or sediment yield depends upon several factors like;

-Catchment area

-Span of river / flood plain

-Travelling distance of suspended particles

-Slope / gradient / depth of water channel / meandering of river

- Geology traversed

- Climatic conditions

-Tributaries / Confluence

- Type / stage of river and flow velocity

-Occurrence of natural and manmade structures.

-Flow during lean period.

9.3.1 WATER LEVEL DURING LEAN PERIOD:

River course at area under consideration attains youth stage, flow velocity is moderate, turbulence occurred due to meanders created due to lineaments. Elevation of both the banks are within the range of 2.5 to 3.5m above river bed. After monsoon river flows in full swing covering both the banks. During monsoon floods the water level rises by 2 to 3 m High flood level of river goes up to 359 m in due course of time after monsoon water channel level goes down gradually, during lean period water level maintained at 356-357 m.

9.3.2 CATCHMENT AREA

The Tawa basin comprises an area of about 1,800 Km2. The southern boundary is marked by low-lying hills and or high grounds. The basin area is highly undulating with isolated hills and plains. The ground elevation ranges between 357 m and 752 m. above MSL. The ground slopes from south to north.

9.3.3 ORIGIN OF RIVER:

The Tawa River is a river flowing from south to north. It one of the largest tributaries of Narmada. The origin of the river is near village Markadhana, Madhya Pradesh at an elevation of 752 m.

9.3.4 DISTANCE OF TRAVELLING OF LOAD:

Tawa River course is around 80 km approx. from the origin to mine site.

9.3.5 SLOPE / GRADIENT / ELEVATION DIFFERENCE:

The highest elevation of **Tawa River** at the origin is around 752 m and the elevation at mine site is 357 m above msl. There is an elevation difference of around 395 m.

9.3.6 GEOLOGY / LITHO UNITS:

River originates mainly from Deccan Trap rock formations and further continues over the same rock formations with other formations in parts.

9.3.7 CLIMATIC CONDITIONS:

Climate of the district is tropical with moderate winter and severe summers and well distributed rainfall received from southwest monsoon. However due to higher general elevation and abundance of forests, summer temperature does not rise as much as in other areas. The normal annual rainfall of Betul district is 1129.6mm.

9.3.8 TRIBUTARIES / CONFLUNCE:

Several other small seasonal streamlets (Nallas) join this tributary resulting in the increase of its overall catchment area. However, no nallas join this river near the site.

9.3.9 TYPE/STAGE OF RIVER AND FLOW VELOCITY:

River attains youth stage at the mine site. Flow velocity is moderate to high. Lease area is located on a wide meander making it suitable for sand deposition.

9.3.10 STRUCTURES:

From our study no major structures have been observed in the river course near the site. There is a bridge located around 5km SE, upstream of the lease area and constructed over Tawa River.

9.4 CONCLUSION:

In Betul district, Tawa basin where lease area is located comprises an area of about 50 Km^2. The southern boundary is marked by low-lying hills and or high grounds. The basin area is highly undulating with isolated hills and plains. The ground elevation ranges between 387 m and 752 m. above MSL. The ground slopes from southeast to northwest.

The Average rainfall of Betul district is 1129.6mm. The district receives high rainfall mostly during July to September which will be leads to the deposition of the sufficient quantity of the sand every year within the old working area.

Dandy Bolton Formula has category stated use of the equation to predict sediment yield for a specific location would not be always correct because of the wide variability caused by local factors not considered in the equation development. Actual sediment yield from individual drainage basins may vary 10-fold or even 100-fold computed yields.

Looking at the basic information available about the concerning river basin, it is concluded that proposed quantity of 42,120 cubic meter per year can be excavated from the quarrying site and the replenishment of the same will be done easily as regular annual process following the topographical control.

Total replenished quantity of sand available each year within the lease hold area for mining will be:

Total Leasehold area -2.50 ha

Total sand available -2.50 x10000x 3.0 (max thickness) = 75,000 m^3

Taken all safety measured and environmental concerns, only 1.5 ha leasehold area (60% of lease area) is available for mining.

Total sand available -15,000 m^2 x 3.0m (Max. Thickness) = 45,000 m^3

Total mineable sand – 15,000 m^2 x 2.82 m (Avg. Thickness) = 42,300 m^3 or 42,120 m^3

Thus, from measured sand reserve of about 45,000 cubic meters, only 42,120 cubic meter sand per year will be extracted.

Out of the above annual replenishment, it is proposed to mine only 42,120 cubic meters up to a maximum depth of 2.82 m.

Thus, there will be no long – term impact on the riverbed which will have surplus sand left after extraction of the proposed amount each year and PP will be extracting less than the annual replenished sand within its lease hold.

Above estimation is based upon existing site conditions. Next year estimation shall be worked out after monsoon using volumetric methods. In the applied area, replenishment depends upon the yearly rainfall, if adequate amount of sand will not replenish during monsoon, then excavation of sand will be limited to the quantity which will be equivalent to the replenished material up to a maximum depth of 3m only.

PLAN PREPARED FOR -

M/s National Energy Trading and Services Ltd.

Address: Address: Plot No 7, Bindu Sadan, 401 Sai Chandra Colony, Green Space Tulasi, Puppalguda, Manikonda, Hyderabad,
Telangana State, India

PLAN PREPARED BY RQP -

SYED IQTADAR TANWEER
G-3 Balaji, Bright Colony, Idgah Hills,
Bhopal (M.P.)
Registration No: RQP/DGMMP/211/2019-24

SYED IQTADAR TANWEER
RQP/DGMMP/211/2019-24

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला–बैतूल (म.प्र.)

प्रारूप–तीन

(नियम 11(3) एवं 11(5) देखिए)

आशय–पत्र

क्रमांक/रेत/2022/1862. बैतूल, दिनांक 23/12/2022

प्रति,

मेसर्स नेशनल एनर्जी ट्रेडिंग एण्ड सर्विसेज लिमिटेड
पता–प्लॉट न. 7, बिन्दु सदन, 401 सांई चंद्र कॉलोनी,
ग्रीन स्पेस तुलसी, पुष्पलगुडा, मणिकोंडा, हैदराबाद,
रंगारेड्डी, तेलंगाना–500089

विषय :– ई–निविदा क्रमांक 1691 दिनांक 17.11.2022 के संदर्भ में ग्राम (सूची अनुसार) तहसील (सूची अनुसार) जिला बैतूल रकबा (सूची अनुसार) हेक्टेयर क्षेत्र की खदान समूह क्रमांक (संपूर्ण बैतूल जिला) रेत खदानों हेतु आशय–पत्र।

——00——

1. **पृष्ठभूमि :**

1.1 मध्यप्रदेश रेत (खनन, परिवहन, भण्डारण एवं व्यापार) नियम 2019 (यथा संशोधित) के अनुसरण में कलेक्टर जिला बैतूल द्वारा मध्यप्रदेश के जिला बैतूल स्थित समूह खदान के समूह क्रमांक (संपूर्ण बैतूल जिला) हेतु रेत की समूह खदानों के प्रदान के लिए निविदा प्रक्रिया को प्रारंभ करने के लिए ई–निविदा सूचना दिनांक **17.11.2022** जारी की गई। ई–निविदा प्रक्रिया उक्त नियमों के नियम 8 के अनुसार उक्त रेत समूह आबंटन हेतु संचालित की जाकर मेसर्स **नेशनल एनर्जी ट्रेडिंग एण्ड सर्विसेज लिमिटेड** को उक्त नियमों के नियम 8(8) के अधीन उच्चतम सफल निविदाकार के रूप में घोषित किया गया है।

1.2 उक्त नियमों के नियम 11 के अधीन तथा उक्त समूह खदान के लिए निविदा दस्तावेज के अधीन अपेक्षित किए गए अनुसार मेसर्स **नेशनल एनर्जी ट्रेडिंग एण्ड सर्विसेज लिमिटेड** ने प्ररक्षित मूल्य के 25 प्रतिशत राशि रकम रूपये **5,85,53,288/–(पांच करोड़ पच्यासी लाख तिरेपन हजार दो सौ अट्ठासी रूपये)** अग्रिम धन (ईएमडी) के रूप में एम.पी. टेंडर के माध्यम से जो दिनांक **02.12.2022** को जमा कर दी है तथा जो दिनांक 23/12/2022 को संचालक के पूल खाते में प्राप्त हुई है।

2. एरिणामस्वरूप आशय पत्र जारी किया जाना :

उक्त नियमों के नियम 11(3) एवं 11(5) के अनुसरण में समूह क्रमांक (संपूर्ण बैतूल जिला) मेसर्स नेशनल एनर्जी ट्रेडिंग एण्ड सर्विसेज लिमिटेड के पक्ष में 30 जून 2023 अवधि हेतु रेत खनिज की खदानों के समूह के लिए ग्राम (सूची अनुसार) जिला बैतूल में रकबा (सूची अनुसार) (हेक्टेयर) क्षेत्र के लिए यह आशय पत्र जारी किया जाता है।

J. Puja Bandhaq

3. शर्त :

3.1 यह आशय पत्र तथा इसके पूर्वोक्त खदान समूह का अनुवर्ती आबंटन इन नियमों के समय–समय पर यथा संशोधित उपबंधों के अध्यधीन होगा तथा मेसर्स **नेशनल एनर्जी ट्रेडिंग एण्ड सर्विसेज लिमिटेड** को "उच्चतम सफल निविदाकार" के रूप में घोषित किया जाता है तथा इन नियमों के अधीन समस्त अपेक्षाओं की संतोषजनक पूर्ति पर पश्चातवर्ती रूप से आबंटित खदान समूह का आबंटन किया जाएगा।

3.2 संदर्भ हेतु मेसर्स **नेशनल एनर्जी ट्रेडिंग एण्ड सर्विसेज लिमिटेड** के "उच्चतम सफल निविदाकार" के रूप में घोषित किए जाने तथा समूह खदानों के पश्चातवर्ती आबंटन है, के लिए अपेक्षाओं को नीचे दोहराया गया है। यह स्पष्ट किया जाता है कि अधोवर्णित अपेक्षाएं मात्र संदर्भ के लिए है तथा उक्त नियमों में किसी परिवर्तन की स्थिति में, यथास्थिति, संशोधित नियमों के अधीन अपेक्षाएं लागू होंगी।

(क) "उच्चतम सफल निविदाकार" के रूप में घोषणा :–

मेसर्स **नेशनल एनर्जी ट्रेडिंग एण्ड सर्विसेज लिमिटेड** को "उच्चतम सफल निविदाकार" मान्य किया जावेगा, बशर्ते :–

(एक) नियमों के निबंधनों तथा शर्तों का अनुपालन किया गया हो;

(दो) नियमानुसार वार्षिक ठेका राशि की 50 प्रतिशत रकम का भुगतान कर दिया गया हो;

(तीन) उक्त नियमों के नियम 12 के उप नियम (1) से उप नियम (6) में विनिर्दिष्ट खनन योजना एवं अन्य कानूनी अनुपालनों के संबंध में शर्तों को पूरा किया गया हो।

(ख) **ठेका अनुबंध का निष्पादन** :–

समस्त कानूनी अनुज्ञाओं, अनुमोदन, अनुज्ञा, अनापत्ति एवं सदृश, जो कि खनन संक्रिया प्रारंभ करने के लिए प्रयोज्य विधियों के अधीन अपेक्षित हो, प्राप्त करने के उपरांत मेसर्स **नेशनल एनर्जी ट्रेडिंग एण्ड सर्विसेज लिमिटेड** एवं **बैतूल जिले के कलेक्टर के साथ प्रारूप 5 में पृथक–पृथक** खदानवार ठेका अनुबंध का निष्पादन कराया जायेगा। अनुबंध निष्पादन की औपचारिकताऐं पूर्ण होने पर ठेका अनुबंध का भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का क्रमांक 16) के उपबंधों के अधीन पंजीयन कराया जायेगा।

(ग) समूह खदानों की खनन संक्रिया :–

अनुबंध निष्पादन के पश्चात मेसर्स नेशनल एनर्जी ट्रेडिंग एण्ड सर्विसेज लिमिटेड किश्तों का नियमित रूप से भुगतान करेंगें तथा नियमित खनन संक्रियायें जारी रखेंगें।

J. Priya Bandhan

विधिमान्य है। समय–सीमा के भीतर समस्त शर्तों की पूर्ति की जानी चाहिए एवं मेसर्स **नेशनल एनर्जी ट्रेडिंग एण्ड सर्विसेज लिमिटेड** एवं बैतूल जिले के कलेक्टर के मध्य ठेका अनुबंध निष्पादित किया जाना चाहिए। उच्चतम सफल निविदाकार के नियंत्रण से परे किन्हीं कारणों से ठेका अनुबंध के निष्पादन में विलंब होने की स्थिति में, समय–सीमा में वृद्धि करने के लिए वह कलेक्टर को आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकेगा। उपरोक्त समस्त अथवा किन्हीं शर्तों के अनुपालन के लिए कलेक्टर अधिकतम 10 दिवस की अवधि बढ़ा सकेगा।

निविदाकार कम्पनी की ओर से प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षर उपरांत उक्त आशय पत्र की द्वितीय प्रति 07 दिवस की अवधि के भीतर अधोहस्ताक्षरी को स्वीकार्य पावती के रूप में वापस करने योग्य होगी।

संलग्न– समूह की खदानों का विवरण
एवं राशि की जानकारी।

कलेक्टर
जिला–बैतूल (म.प्र.)

पृ0क्रमांक/रेत/2022/1862 बैतूल, दिनांक 23/12/2022

प्रतिलिपि :–

1– प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2– प्रमुख सचिव, नगरीय प्रशासन एवं पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3– सदस्य सचिव, सिया पर्यावास परिसर ई–5 अरेरा कालोनी, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4– कार्यपालक संचालक, दि मध्य प्रदेश स्टेट माईनिग कार्पोरेशन लिमिटेड भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5– संचालक, संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, 29–ए अरेरा हिल्स, म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ।
6– क्षेत्रीय अधिकारी, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड छिन्दवाड़ा की ओर सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित।
7– अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) समस्त जिला बैतूल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
8– तहसीलदार तहसील समस्त जिला बैतूल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
9– खनि निरीक्षक जिला बैतूल की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।

कलेक्टर
जिला–बैतूल (म.प्र.)

J. Ruja Bandhare

ई–निविदा में सम्मिलित खदानों एवं राशि का विवरण

जिला – बैतूल

क्र.	जिला	तहसील	ग्राम	खसरा क्रमांक	रकबा हेक्टेयर में	रेत का अनुमानित भण्डार (घनमीटर में)	अनुमानित दर का मूल्य (रूपये 250 प्रति घनमीटर + अन्य कर अतिरिक्त)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	लोनिया	179	1.115	25000	
2	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	फुलबेरिया	407	2.500	12750	
3	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	झाड़कुण्ड	1	0.950	7200	
4	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	चिखली आमढाना	219, 341	7.730	50000	
5	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	घोड़ाडोंगरी	373, 1395	7.000	20663	
6	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	आमडाना रैयत	248,141, 130	6.090	35700	
7	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	गांधीग्राम	2	0.550	13500	
8	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	नांदू	91	2.900	22500	
9	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	बाकुड़	35	2.700	21875	
10	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	बरेतीपार/ घोड़ाडोंगरी	63	0.360	9000	
11	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	कचलोरा–1	67	0.100	2000	
12	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	कचलोरा–2	98	0.170	3570	
13	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	कचलोरा–3	69	0.340	9500	
14	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	आमढाना रैयत–1	79	0.350	8050	
15	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	आमढाना रैयत–2	175	0.340	6120	
16	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	आमढाना रैयत–3	178	0.620	13750	23,42,13,150/-
17	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	झोली–1	99	5.000	26000	
18	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	झोली–2	10	4.000	12000	
19	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	सातलदेही	187, 251	8.000	38500	
20	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	घरमपुर	309	6.000	7500	
21	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	बटकीढोह	112, 349	1.000	15000	
22	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	विष्णुपुर	1	2.000	30000	
23	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	चिचडोल रैयत	30	8.000	25000	
24	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	कटंगी	148	0.621	4000	
25	बैतूल	बैतूल	डहरगांव/भयावाडी	68, 260	6.250	25750	
26	बैतूल	बैतूल	कोदासोटी	106	5.450	7200	
27	बैतूल	बैतूल	कुम्हारिया	1	0.700	10800	
28	बैतूल	बैतूल	भीलावाडी	97	0.800	9100	
29	बैतूल	बैतूल	माचनी	78	0.860	9450	
30	बैतूल	आमला	सोनलाई	1	9.330	9000	
31	बैतूल	आमला	मारछी	434, 308	5.520	10300	
32	बैतूल	आमला	जामाड़ा (खुर्द)	217	0.700	2304	
33	बैतूल	भैंसदेही	रातामाटी	1	2.550	36000	

T. Priya Bandaru

		शाहपुर				
35	बैतूल	घोड़ाडोंगरी/ शाहपुर	बासपुर/शिवसागर/ गौनापुर	1, 1, 288, 266	24.970	272250
36	बैतूल	शाहपुर	गुवाडी	19	2.500	70200
37	बैतूल	शाहपुर	शाहपुर/पतौवापुरा	1, 112	11.000	198000
38	बैतूल	शाहपुर	सितालडिरी	1	0.700	5625
39	बैतूल	चिचोली	सागवानी	20	5.080	30064
40	बैतूल	चिचोली	हरन्या	1, 9	5.590	44000
41	बैतूल	चिचोली	खपरिया	18	3.000	32500
42	बैतूल	चिचोली	बल्लोर	162	3.000	35000
43	बैतूल	शाहपुर	टागनामाल	209	4.000	42000
44	बैतूल	शाहपुर	धामन्या	1	5.000	38000
45	बैतूल	शाहपुर	चिखली रैयत	316	4.000	18000
46	बैतूल	शाहपुर	तेन्दूखेड़ा	119,114	5.000	22500
47	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	सियनपाट	142	0.420	4200
				योग–	188.906	1561421

1	कुल चिंहित खदानें –	47
2	कुल अनुमानित क्षेत्रफल –	188.906 हे0
3	निविदा हेतु निर्धारित खदानें –	सम्पूर्ण बैतूल जिला
4	जिला समूह हेतु बिक्री योग्य निर्धारित मात्रा (वार्षिक) घनमीटर –	936852.6 (तेईस करोड़ बयालीस लाख तेरह हजार एक सौ पचास रूपये)
5	निविदाकार मेसर्स नेशनल एनर्जी ट्रेडिंग एण्ड सर्विसेज लिमिटेड	
6	पता–प्लॉट न. 7, बिन्दु सदन, 401 साई चंद्र कॉलोनी, ग्रीन स्पेस तुलसी, पुष्पलगुडा, मणिकोंडा, हैदराबाद, रंगारेड्डी, तेलंगाना – 500089	
7	स्वीकृत ऑफर मूल्य रूपये –	531195424.20 (तिरेपन करोड़ ग्यारह लाख पनचान्वे हजार चार सौ चौबीस रूपये बीस पैसे मात्र)
8	प्राप्त दर के अनुसार प्रति घनमीटर देय राशि (रायल्टी सहित)	567.00 (पांच सौ छड़सठ रूपये प्रति घनमीटर)
9	जमा EMD राशि रूपये –	58553288 (पांच करोड़ पच्यासी लाख तिरेपन हजार दो सौ अट्ठासी रूपये)
10	शेष जमा राशि रूपये (265597712.10 – 58553288) ऑफर मूल्य का 50 प्रतिशत – निविदा की ईएमडी राशि	207044424.10 (बीस करोड़ सत्तार लाख चौव्यालीस हजार चार सौ चौबीस रूपये दस पैसे मात्र)
11	बिन्दु क्रमांक 10 की राशि जमा दिनांक एवं भुगतान विवरण –	21.12.2022 RTGS

नोट :–2. निविदा प्रपत्र की कंडिका– 10 (ख) –परिशिष्ट–1 में समूह में सम्मिलित समस्त रेत खदानों का विवरण, खदान का अनुमानित क्षेत्रफल एवं खदान में उपलब्ध अनुमानित मात्रा दर्शित है। ठेकेदार द्वारा जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (डी.एस.आर.) द्वारा अनुमोदित मात्रा तक ही खनन किया जा सकेगा। यह अनिवार्य नहीं होगा कि वह समूह में सम्मिलित प्रत्येक खदान की परिशिष्ट–1 में दर्शित मात्रा हेतु, वैधानिक अनुमतियाँ प्राप्त कर खदानें संचालित करें। अर्थात निविदत्त मात्रा का खनन समूह में सम्मिलित कतिपय खदानों से, वैधानिक अनुमतियों के अधीन भी किया जा सकेगा।

कलेक्टर
जिला–बैतूल (म.प्र.)

J. Pooja Bandhare

ग्राम- गुवाठा पु. ह. नं. 30
रा. नि. मं. स्थं तह. शाहपुर जिला हैदुम

चीथ विक्रय रेत खदान प्लान

स्केल १६" = १ मील

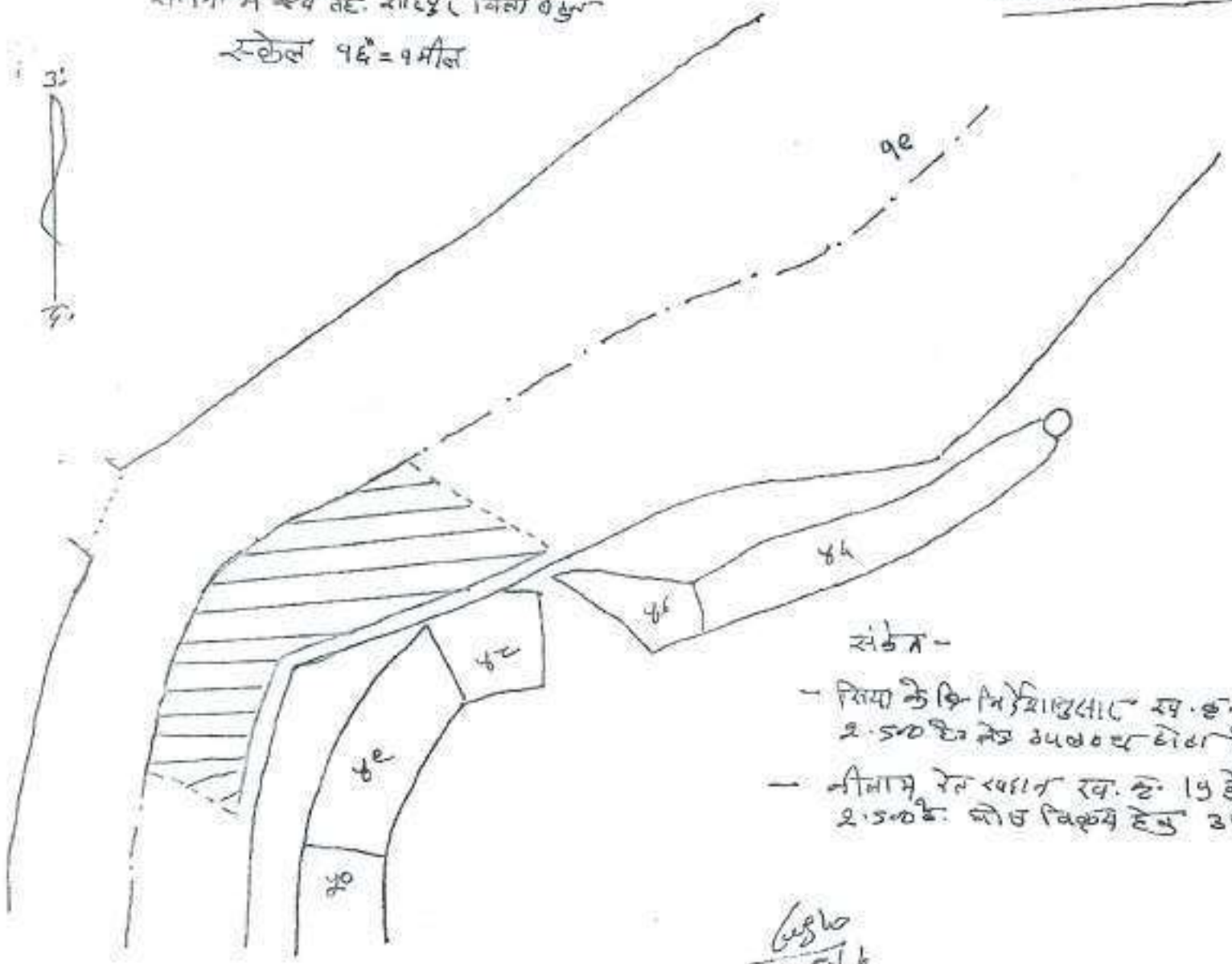

संकेत -

- सिया के कि मि हिमालय रव. क्र. 19 के भागरूप 2.500 है. क्षेत्र अधिकार होगा है।
- नीलाम रेत खदान रव. क्र. 19 के भागरूप 2.500 है. चीथ विक्रय हेतु अधिकार क्षेत्र

Gupta
12.5.16

J. Priya Reddy

750

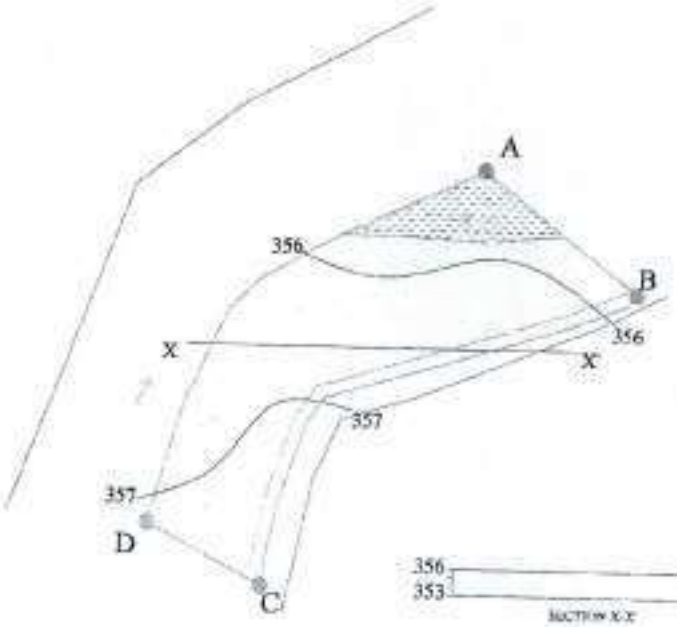

INDEX

PARTICULARS	SYMBOLS
LEASE BOUNDARY	
RIVER/NALA/NEARBY	
CONTOUR	356
BOUNDARY PILLARS	
SECTION LINE	
ROAD	
APPROVED WATER	
FLOW DIRECTION	

CO-ORDINATE

22°17'12.39"N	77° 52'59.51"E
22°17'10.08"N	77° 53'02.78"E
22°17'03.82"N	77° 52'56.30"E
22°17'04.28"N	77° 52'54.03"E

AREA DETAILS

QUARRY AREA - 2.5 HA.
QUARRY SURVEY NO. - 19
QUARRY VILLAGE- GUWADI
TEHSIL- SHAHPUR,
DISTRICT - BETUL (M.P.)

APPLICANT:

M/s National Energy Trading and Services Limited
Address: Plot No 7, Bindu Sadan, 401
Sai Chandra Colony, Green Space Talkat,
Puppalguda, Manikonda, Hyderabad,
Telangana State, India

J. Priya Bandhavi

RQP/DOMMP/211/2019-24

YEAR WISE DEVELOPMENT PLAN & SECTION

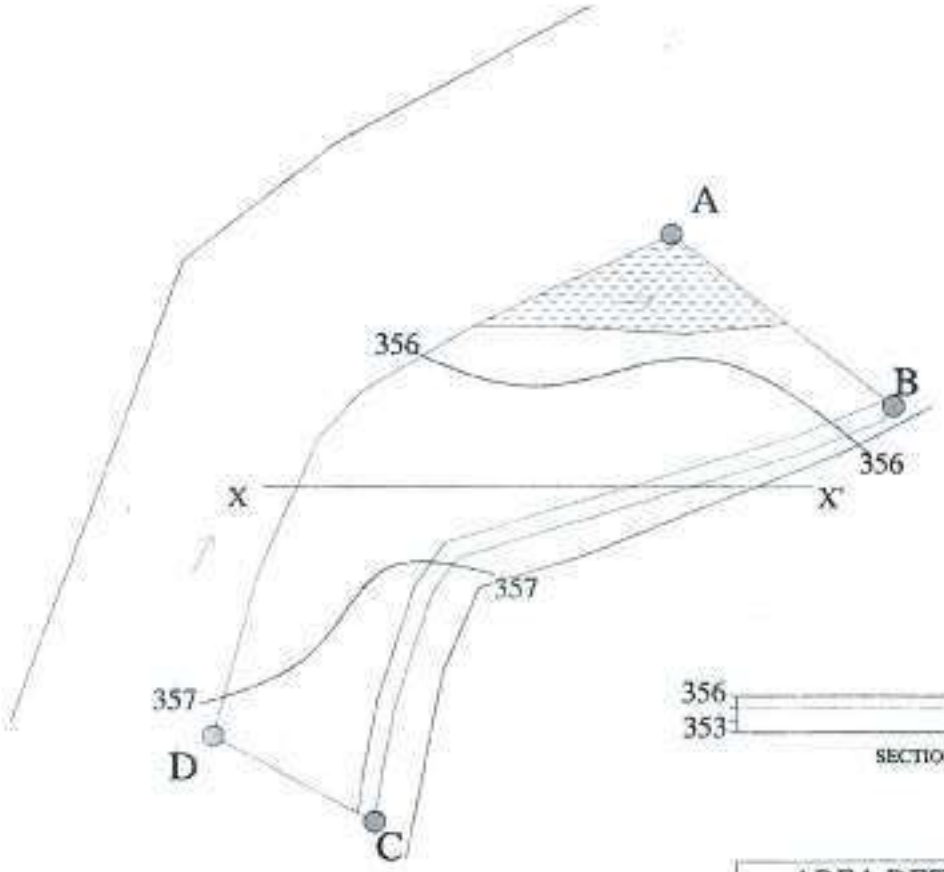

APPROVED

COLLECTOR
BETUL

INDEX	
PARTICULARS	SYMBOLS
LEASE BOUNDARY	
RIVER BOUNDARY	
CONTOUR	356
BOUNDARY POINTS	
SECTION LINE	
SAND	
AREA UNDER WATER	
FLOW DIRECTION	
YEAR WISE DEVELOPMENT	

SECTION X-X'

SYED IQBADAR TANWEER
RQP/DGMMP/211/2019-24

AREA DETAILS	APPLICANT:
QUARRY AREA - 2.5 HA. QUARRY SURVEY NO. - 19 QUARRY VILLAGE- GUWADI TEHSIL- SHAHPUR, DISTRICT - BETUL (M.P.)	M/s National Energy Trading and Services Ltd Address: Plot No 7, Bindu Sadan, 401 Sai Chandra Colony, Green Space Tulasi, Puppalguda, Manikonda, Hyderabad, Telangana State, India

ENVIRONMENTAL PLAN

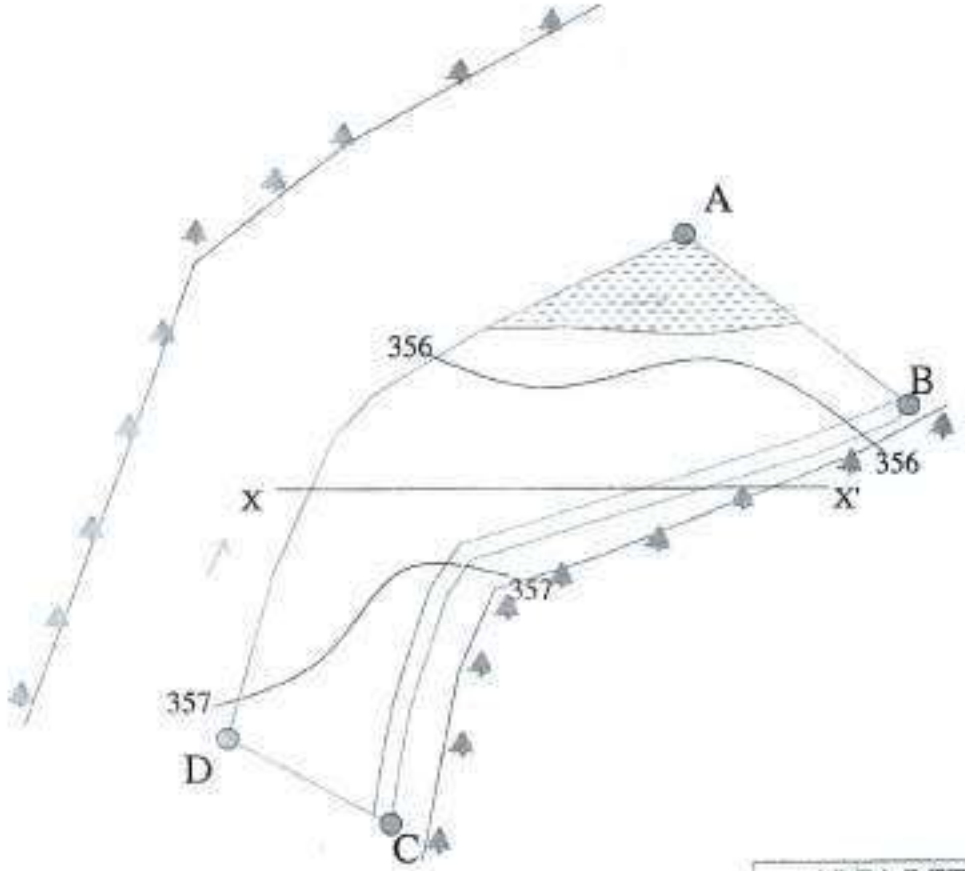

INDEX	
PARTICULARS	SYMBOLS
LEASE BOUNDARY	
RIVER BOUNDARY	
CONTOUR	356
BOUNDARY POINTS	
SECTION LINE	
SAND	
AREA UNDER WATER	
FLOW DIRECTION	
PLANTATION	

SYED IQTADAR TANWEER
RQP/DGMMP/211/2019-24

AREA DETAILS	APPLICANT:
QUARRY AREA - 2.5 HA. QUARRY SURVEY NO. - 19 QUARRY VILLAGE- GUWADI TEHSIL- SHAHPUR, DISTRICT - BETUL (M.P.)	M/s National Energy Trading and Services Li Address: Plot No 7, Bindu Sadan, 401 Sai Chandra Colony, Green Space Tulasi, Puppalguda, Manikonda, Hyderabad, Telangana State, India

YEARLY MONSOON WISE PLATE & SECTION

PRE MONSOON
(MARCH TO JUNE)

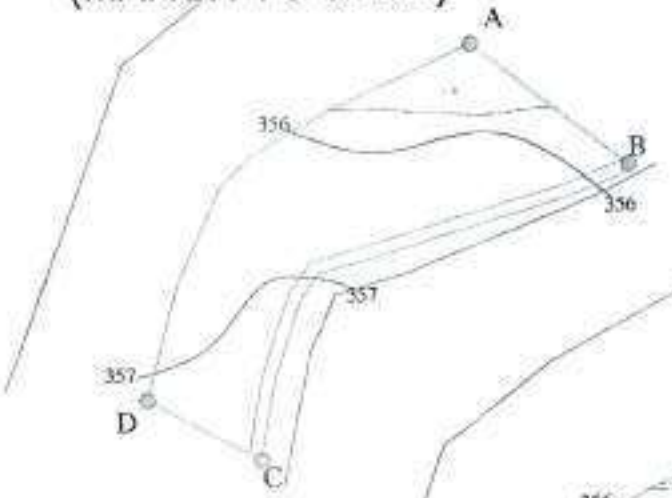

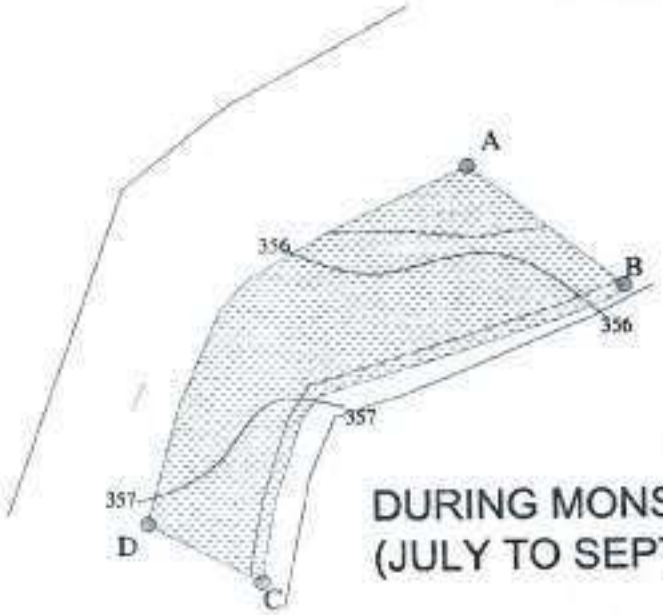

DURING MONSOON
(JULY TO SEPTEMBER

SYED IQTADAR TANVEER
RQP/DGMMP/211/2019-24

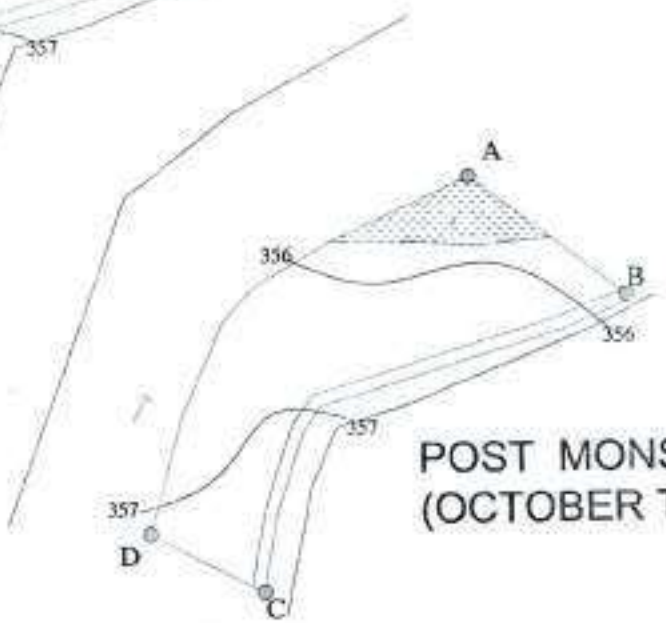

POST MONSOON
(OCTOBER TO FEBRUARY)

INDEX	
PARTICULARS	SYMBOLS
LEASE BOUNDARY	
RIVER BOUNDARY	
SAND	
WATER	

J. Puja Bandhari

AREA DETAILS	APPLICANT:
QUARRY AREA - 2.5 HA. QUARRY SURVEY NO. - 19 QUARRY VILLAGE- GUWADI TEHSIL- SHAHPUR DISTRICT - BETUL (M.P.)	M/s National Energy Trading and Services L Address: Plot No 7, Bindu Sadan, 401 Sai Chandra Colony, Green Space Tulasi, Puppalguda, Manikonda, Hyderabad, Telangana State, India

National Energy Trading And Services Limited

NETS/SMD/B/22-23/009 27-12-2022

प्रति,

खनिज अधिकारी,

जिला बैतूल,

मध्य प्रदेश ।

विषय . ग्राम धामन्या तहसील शाहपुर के खसरा नंबर 1 रकबा 5.00 हे में स्थित धामन्या रेत खदान के खनन योजना के अनुमोदन हेतु ।

महोदय ,

विषयान्तर्गत ग्राम धामन्या तहसील शाहपुर जिला बैतूल के खसरा 1 रकबा 5.00 हे में स्थित धामन्या रेत खदान के खनन योजना अनुमोदन हेतु सादर प्रेषित है ।

संलग्न :- खनन योजना (3 प्रति में)

भवदीय

J. Priya Chandhar

नेशनल एनर्जी ट्रेडिंग एंड सर्विसेज लिमिटेड

अधिकृत व्यक्ति

Regional Office: House No. 247 3rd Floor, Sector-2, Shakti Nagar, Habibganj Bhopal, MP- 462024 Mobile No: 7042932114
Registered Office: Plot No. 7, Bindu Sadan, 401, Sai Chandra Residency, Opp. Green Space Tulasi, Puppalaguda, Manikonda, Hyderabad, Rangareddi, Telangana, India - 500089
T: +91 40 2311 8111 F: +91 40 2311 8444 E: info@netsl.net

Corporate Identity Number: U10100TG2000PLC033791

MINING PLAN

SUBMITTED AS PROVISIONS OF RULE 12 (1) MADHYA PRADESH SAND RULE 2019 (MINING, TRANSPORTATION, STORAGE AND TRADING)

DHAMANYA SAND MINE

AREA: 5.00 HECTARES, KHASRA NO: 1

VILLAGE: DHAMANYA, TEHSIL: SHAHPUR, DISTRICT: BETUL

(MADHYA PRADESH)

APPLICANT

M/S NATIONAL ENERGY TRADING AND SERVICES LIMITED,

PLOT NO 7, BINDU SADAN, 401 SAI CHANDRA COLONY, GREEN SPACE TULASI,

PUPPALGUDA, MANIKONDA, HYDERABAD, TELANGANA STATE, INDIA

TYPE AND CATEGORY OF MINE: OPENCAST/SEMI MECHANISED

PREPARED BY

SYED IQTADAR TANWEER

G-3 BALAJI, BRIGHT COLONY, IDGAH HILLS,

BHOPAL (M.P.)

REGISTRATION NO: RQP/DGMMP/211/2019-24

EMAIL: si_tanweer@yahoo.co.in, MOB: 882795300

APPROVED

COLLECTOR
BETUL

SYED IQTADAR TANWEER
RQP/DGMMP/211/2019-24

CONSENT LETTER

Revised Mining Plan of Dhamanya Sand Mine, Village Dhamanya (4.00 ha) has been prepared by RQP Shri Syed Iqtadar Tanweer (RQP No DGMMP/211/2019-24) under Madhya Pradesh Minor Mineral Rules, 1996 for approval. The lease hold area is located in Village- Dhamanya, Tehsil - Shahpur, District - Betul, MP, covering an area of 5.00 hectares.

The Director Geology and Mining, Madhya Pradesh, competent Authority is hereby requested to make further correspondence regarding this Mining Plan with the person and address mentioned below-

SYED IATADAR TANWEER
Recognized Qualified Person (RQP NO: RQP/DGMMP/211/2019-24)

G-3 Balaji, Bright Colony, Idgah Hills,

Bhopal (M.P.)
Email: si_tanweer@yahoo.co.in

Mob: 882795300

An undertaking in this regard is being submitted that the Mining Plan so prepared by the recognized person is with my knowledge and consent and shall be acceptable to me in all respects. I have clearly understood the contents of the Mining Plan and agree to implement.

Place: Betul

Date:

J. Priya Sandhab

M/s National Energy Trading and Services Ltd.
Address: Plot No 7, Bindu Sadan, 401 Sai Chandra Colony, Green Space Tulasi, Puppalguda, Manikonda, Hyderabad, Telangana State, India

APPROVED

CERTIFICAE FOR FULL CONSULTATION

This is to certify that Revised Mining Plan of Dhamanya Sand Mine in village Dhamanya of the applicant M/s National Energy Trading and Services Ltd., Village- Dhamanya, Tehsil - Shahpur, District - Betul of Madhya Pradesh State covering lease hold area 5.00 hectares has been prepared by RQP Shri Syed Iqtadar Tanweer (RQP No: RQP/DGMJMP/211/2019-24), in full consultation with me and I have understood its contents and agree to implement the same in accordance with the law.

Place: Betul

Date:

J. Priya Bandhavi

M/s National Energy Trading and Services Ltd.

Address: Plot No 7, Bindu Sadan, 401 Sai Chandra Colony, Green Space Tulasi, Puppalguda, Manikonda, Hyderabad, Telangana State, India

APPROVED

CERTIFICATE OF COMPLIANCE AND CORRECTNESS

- *Certified that the provisions of related Act and rules have been considered in the Revised Mining Plan of Dhamanya Sand Mine in village Dhamanya, area of 5.00 in Tehsil - Shahpur, District- Betul of Madhya Pradesh State, which belongs to the applicant M/s National Energy Trading and Services Ltd.*

- *Certified further that the provisions mentioned in Act, Rules and Regulations have been considered in the Mine Plan and wherever specific permissions are required, the applicant will approach to the concerned competent authorities including D.G.M.S. for the same.*

- *There is no violation against provision of Rules, Regulations of MMR, 1961 and there is no danger to human life.*

- *The information furnished in the Mine Plan is true and correct to the best of our knowledge.*

Place: Bhopal *Syed Iqtadar Tanweer*

Date: *(RQP No: RQP/DGMJMP/211/2019-24)*

SYED IQTADAR TANWEER
RQP/DGMMP/211/2019-24

APPROVED

RQP CERTIFICATE

संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म मध्यप्रदेश

(मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम, 1996 के अंतर्गत)
खनन योजना / खनन स्कीम / पूर्वेक्षण रिपोर्ट / पर्यावरण प्रबंधन योजना / माईन क्लोजर प्लान बनाने हेतु मान्यता प्राप्त योग्य व्यक्ति

प्रमाण पत्र

श्री सैयद इक्तेदार तनवीर, पिता स्व. डॉ. कासिम नयाजी, पता जी–3, बालाजी, ब्राईट कालोनी, ईदगाह हिल्स, भोपाल, मध्यप्रदेश, जिनकी फोटो तथा हस्ताक्षर अभिप्रमाणित है, को मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम 1996 के अंतर्गत खनन योजना / खनन स्कीम / पूर्वेक्षण रिपोर्ट / पर्यावरण प्रबंधन योजना / माईन क्लोजर प्लान तैयार करने हेतु योग्य व्यक्ति के रूप मे मान्यता प्रदान करते हुए पंजीयन क्रमांक **RQP/DGMMP/211/2019** आवंटित किया जाता है।

यह मान्यता प्रमाण पत्र 05 वर्ष की अवधि के लिये दिनांक **04.08.2024** तक वैध रहेगा।

मान्यता प्राप्त व्यक्ति के हस्ताक्षर –

भोपाल, दिनांक 05.08.2019

सचालक
भौमिकी तथा खनिकर्म
मध्यप्रदेश भोपाल

CONTENTS

1. INTRODUCTION 4

1.1 GENERAL INFORMATION 5
1.2 AREA DETAIL & APPROACHABILITY 6

2. LANDUSE / INFRASTRUCTURE 7

2.1 PRESENT LAND USE STATUS: 7
2.2 INFRASTRUCTURE 7

3. TOPOGRAPHY AND GEOLOGICAL DETAILS 9

3.1 TOPOGRAPHY 9
3.2 REGIONAL GEOLOGICAL DETAILS: 9
3.3 REGIONAL GEOLOGICAL SETUP/SEQUENCE: 10
3.4 LOCAL GEOLOGICAL DETAILS: 11
3.5 EXTENT OF RIVER BED & ALLUVIAL SAND DEPOSIT: 12
3.6 PROSPECTING AND EXPLORATION DONE: 12

4. ESTIMATION OF RESERVES: 13

5. DEVELOPMENT AND PRODUCTION PROGRAM 16

5.1 PROPOSED METHOD OF QUARRYING: 16
5.2 MECHANIZATION: 18
5.3 BLASTING: 18
5.4 LOADING AND TRANSPORTATION OF SAND: 19
5.5 MANPOWER DEPLOYMENT: 19
5.6 PROPOSED YEARLY PRODUCTION PROGRAM 20
5.7 MINE LIFE: 20
5.8 USE OF MINERAL: 20

6. CONCEPTUAL PLAN 21

7. ENVIRONMENTAL MANAGEMENT PLAN 22

7.1 AIR QUALITY MANAGEMENT: 22
7.2 WATER MANAGEMENT: 22
7.3 NOISE MANAGEMENT: 23
7.4 WASTE MANAGEMENT: 23
7.5 BIOLOGICAL ENVIRONMENT 23

APPROVED

7.6 DISPOSAL OF MINING MACHINERIES:.....23
7.7 SAFETY AND SECURITY:.....24
7.8 DISASTER MANAGEMENT:.....24
7.9 CARE DURING TEMPORARY DISCONTINUANCE:.....24
7.10 ECONOMIC REPERCUSSION OF CLOSURE & MAN POWER RETRENCHMENT.....24
7.11 STATUS OF LOCAL EMPLOYEES:.....25
7.12 COMPENSATIONS:.....25
7.13 RECLAMATION & REHABILITATION:.....25
7.14 DISTANCE FROM THE NEAREST BRIDGE/DAM:.....25
7.15 SOCIO – ECONOMIC ENVIRONMENT:.....26
7.16 PLANTATION (AFORESTATION PROGRAM):.....26
8. PROGRESSIVE MINE CLOSUR PLAN 27
9. SAND REPLENISHMENT ASSESSMENT 28
9.1 NEGATIVE IMPACTS:.....28
9.2 POSITIVE IMPACTS:.....28
9.3 NEED FOR SAND REPLENISHMENT STUDY AND FACTORS TO BE CONSIDERED AND OBSERVED:.....28
9.3.1 WATER LEVEL DURING LEAN PERIOD:.....29
9.3.2 CATCHMENT AREA.....30
9.3.3 ORIGIN OF RIVER:.....30
9.3.4 DISTANCE OF TRAVELLING OF LOAD:.....30
9.3.5 SLOPE / GRADIENT / ELEVATION DIFFERENCE:.....30
9.3.6 GEOLOGY / LITHO UNITS:.....30
9.3.7 CLIMATIC CONDITIONS:.....30
9.3.8 TRIBUTARIES / CONFLUNCE:.....30
9.3.9 TYPE/STAGE OF RIVER AND FLOW VELOCITY:.....31
9.3.10 STRUCTURES:.....31
9.4 CONCLUSION:.....31

APPROVED

SYED IQTADAR TANWEER
RQP/DGMMP/211/2019-24

FIGURES

KEY PLAN

GOOGLE IMAGE

KHASRA MAP

PLATE 1- SURFACE PLAN AND GEOLOGICAL PLAN

PLATE 2- YEARWISE DEVELOPMENT PLAN AND SECTION

PLATE 3- ENVIRONMNETAL PLAN

PLATE 4- YEARLY MONSOON WISE PLATE AND SECTION

ANNEXURES

SANCTION ORDER COPY

RQP CERTIFICATE

PROVED

1. INTRODUCTION

The demand for ordinary natural river sand is enormously increased in building construction and infrastructural developments. The natural sand is started vanishing from the river beds besides causing natural and environmental hazards in surrounding areas due to illegal and unscientific mining without proper mining plan. Therefore, the government of India announced sand policy by fixing responsibility on related departments mainly Mines & Geology and Ministry of Environment and Forest (Pollution control boards). Accordingly, the Govt. of Madhya Pradesh formulated a natural sand policy to meet the sand demand in the state by undertaking systematic & scientific mining and protection of environment and by maintaining eco-balance in the surrounding areas by following the Govt. of India guidelines.

Based on the Government of India guidelines, this quarry plan is prepared for the proper development of mine area with safe quarrying operation. It also provides guidance and directives to be followed during the quarrying operation under the rules and regulations as imposed by the Government.

Mine has been allotted to National Energy Trading and Services Ltd., Address: Plot No 7, Bindu Sadan, 401 Sai Chandra Colony, Green Space Tulasi, Puppalguda, Manikonda, Hyderabad, Telangana State, India, over an area of 5.00 Hectares covering Khasra No 1, up to 30.06.2023 (As per Order No. 1862/Sand/2022, Betul, dated 23.12.2022).

In compliance to MP Sand (Mining transportation, Storage and Trading) Rule 2019 published in Gazette notification of Government of MP dated 30-08-2019 and as per the rule 42 of MP Minor Mineral Rules 1996, this Quarry plan is being prepared and submitted for approval to the Collector [Mining] Betul MP and quarrying operation start only after obtaining the statutory permission as per rule 14.

1.1 GENERAL INFORMATION

Name of Applicant	M/s National Energy Trading and Services Ltd
Address of Applicant	Address: Plot No 7, Bindu Sadan, 401 Sai Chandra Colony, Green Space Tulasi, Puppalguda, Manikonda, Hyderabad, Telangana State, India
Quarry Village	Dhamanya
Name of the River	Morand River (a tributary of Narmada)
Tehsil	Shahpur
District	Betul
State	Madhya Pradesh
Khasra No.	1
Area [Hectares]	5.00
Permitted Period	Up to 30.06.2023
Whether Recorded in Forest	Not recorded in any Reserved / Protected Forest Area
Status Of Applicant	Private Individual
Mineral (S) Which Applicant Intended to Mine	Sand
Sanction order Details Order No. & Date	As per Order No. 1862/Sand/2022, Betul, dated 23.12.2022
Ownership / Occupancy	Government Land, River Bed
R.Q.P. Address & Registration details/Mobile No	SYED IQTADAR TANWEER G-3 Balaji, Bright Colony, Idgah Hills, Bhopal (M.P.) Registration No: RQP/DGMMP/211/2019-24 Mob: 8827951780

APPROVED

SYED IQTADAR TANWEER
RQP/DGMMP/211/2019-24

1.2 AREA DETAIL & APPROACHABILITY

Details Of Sanctioned Lease Area	**Village**	Dhamanya
	Tehsil	Shahpur
	District	Betul
	River	Morand River (a tributary of Narmada)
	State	Madhya Pradesh
	Khasra No.	1
	Sanctioned Area	5.00 Hectares
Topo Sheet No.	55F/16	
Village Coordinates	22°10'54.89"N 77°38'8.27"E	
Site Co-ordinates (Latitude & Longitude)	**Boundary Point no.**	**Latitude** / **Longitude**
	A	22°11'6.39"N / 77°37'51.96"E
	B	22°11'6.78"N / 77°37'54.18"E
	C	22°10'44.70"N / 77°38'10.26"E
	D	22°10'42.97"N / 77°38'10.22"E

Approach & Accessibility	**From Site**	**Approx. Distance**
	District Head Quarter Betul towards SE	38 km
	Tehsil – Shahpur towards E	27 Km
	Village – Dhamanya - NE	0.2 Km
	Nearest Railway Station Dhodramohar Towards NE	27 Km
	NH-47 -W	13 Km
	Health Centre (Village Dhamanya)	0.3 Km
	Nearest Bridge Towards E	0.25 Km
	Monuments / Places of Social importance	None Nearby
	National Parks	Not within 10 Km
	Reserve Forest	Not within 250 m

APPROVED

2. LANDUSE / INFRASTRUCTURE

2.1 PRESENT LAND USE STATUS:

Sand Mining lease has been sanctioned for a period of up to 30.06.2023 over an area of 5.00 Hectares on a River Bed (Morand a tributary of Narmada) for quarrying and transportation of sand. Quarrying & related activities shall be carried out from the top surface level.

Present land use status of the sanctioned area is as under:

Total Lease Area	**5.00 Ha**	**50,000 M^2**
Barrier Zone / Safety Strip	7,120 M^2	
Area under water/ Non-Mining Area	12,000 M^2	
Available Working Area	**30,880 M^2**	
Allowable actual Working Area (equal to or less than 60% of total lease area)	**30,000 M^2**	

2.2 INFRASTRUCTURE

- **Power Supply** - Electrical Power is not available; Shall be arranged from the nearby supply line if required with proper NOC from concerning Department.

- **Communication & Transport** - Site is well connected with District Headquarter and other towns by road. Buses and private taxis are frequently available from district and Tehsil headquarters up to the village. Quarry site is approachable from village by private means.

- **Land** -Quarry lease area situated on river bed and is a non-forest government land.

- **Water Supply** - Dug wells and bore wells available in the vicinity to meet the requirement of drinking water. Water is potable & hygienic as no adverse effects noticed in habitants of nearby area.

- **School Facilities** - School facilities for primary education are available in the village Panchayat; Middle school or higher studies are present in District Headquarter Betul and Tehsil Shahpur.

- **Man Power** - Mine workers shall be arranged from nearby villages therefore no constraint regarding availability of manpower in the area.

There are no places of national and social importance exist within the radius of 500 m of mine site.

APPROVED

3. TOPOGRAPHY AND GEOLOGICAL DETAILS

3.1 TOPOGRAPHY

The lease area falls in a River Bed (Morand River). Since, the sand area falling partly at the non-active river bed, the general surface level of the lease area is undulating with negligible thorny bushes/shrubs and comparatively lower than the surroundings. The surface level of the mine lease is around 492-494 MSL. The drainage direction is towards northwest in the lease area.

Topography of the area has been derived due to alluvial deposition on the flood plains of Narmada River and its Rivulets. General slope of the lease area is from southeast to northwest. The drainage pattern in the area is dendritic.

3.2 REGIONAL GEOLOGICAL DETAILS:

The district has four district physiographic division viz (i) Satpura plateau in Tawa and Morand valleys (ii) The Satpura plateau in central and (iii) southern part of the district (iv) and Tapti valley. The whole district lies on Satpura plateau at an elevation of 365m above mean sea level. The general elevation is about 609m at Kilendeo form the highest peak in the northern and central parts of the district. Tawa valleys lies at an elevation of 396m amsl between peaks of Kilandeo and Bhogwangar, the general scope of the valley is towards the North West.

APPROVED

3.3 REGIONAL GEOLOGICAL SETUP/SEQUENCE:

Age	Lithounits	Rock types
Quaternary		Soil and alluvium
----------Unconformity----------		
U. Cretaceous to Eocene	Deccan Trap	Non-porphyritic and porphyritic basalt
----------Unconformity----------		
U. Cretaceous	Lameta	Sandstone, shales and limestone
----------Disconformity----------		
U. Cretaceous	Upper Gondwana	Sandstone, siltstone, conglomerate and clay
----------Unconformity----------		
Archaean		Quarzo-feldspathic gneiss with dolerite intrusions

Archaeans

The crystalline metamorphic and igneous rocks cover approximately 20% of the total district area. The igneous rocks are intensive granite and pegmatite veins intending the metamorphic rocks. Quartz pegmatite views are common features and occurs as broad dykes and thin strings. The ground basins are conterminous with surface drainage sub basin thus ground water flow system is of local types where end system has its recharge area at topographic low. The Archaeans are mainly occupying the Betul, Chichab, Multai and Amla blocks. These rocks do not have primary porosity and hydraulic conductivity. The weathered part of the crystalline rocks is called saprolite, which is of particular interest from the point of view of storage zone for ground water and as an aquifer for open well and shallow tube wells. The thickness of this zones in the entire district area ranges from 2.5 to 30.00 m. in this formation, aquifers also occurs where bed rock and quartz pegmatite intensive vein are jointed and fractures.

APPROVED

The yield depends upon saturated thickness of the weathered mantle and fracture pattern of the rocks.

Gondwana

The Gondwana rocks are comprising succession of sand stone, shales with seems of coal lying over the metamorphic rocks of crystalline Archaean system with a district unconformity. The beds of Gondwana rocks are distributed in patches and lie in a liner trend coinciding almost with the present river valleys. There rocks show considerable faulting. The Talchir beds consisting of sandstone and green clays with boulders contain plant fossils. There are bounded by faults. The west and north west of Betul, there are out of Gondwana rocks which separates decant traps from Archaeans rocks. Barkars of Gondwana group contains coal seams.

Deccan Traps

Deccan traps comprising varies types of basaltic lava flows and most extensive rocks in the district. There rocks occupying in Betul, Multai, Bhimpura, Chicholi, Bhainsdehi, Atner and Prabkat pattam blocks. The base of the flow consists of a porons layers of earthy basalt which passes rapidly into the main body. Of flow consisting of great thickness of hard basalt. Generally, the Deccan trap in the area occurs in the form of fractures, weathered and vesicular basalts.

3.4 LOCAL GEOLOGICAL DETAILS:

The top layer of applied area forms a part of stream bed covered mainly with sand deposits with rare colluvial material belonging to recent river alluvium up to 4.0 m. Quarrying will be concentrated up to 3.0 m only for extraction of sand. However, it is found that minimum 4m thick sand deposit is available throughout the lease within the top most layer of recent alluvium. This top sandy layer is underlain by laterite followed by Deccan trap.

Altitude of the area- Average elevation of the area is- 493 m

High flood Level (HFL) – 495 m

APPROVED

Low flood Level (LFL) – 492 m

Surface and geological map with cross section of the area on 1: 2000 scale with suitable contour intervals showing general topography and geology has been enclosed.

3.5 EXTENT OF RIVER BED & ALLUVIAL SAND DEPOSIT:

The sand quarry lease area is elongated along the course of the river with an orientation of southeast to northwest and lies on a meander. The deposit of sand is available on full width and length of the lease.

The sediment in the form of river bed material i.e., sand has deposited in the last many years as a process of sedimentation in the paleochannels. Sand bars have been formed at various places hindering the flow of water and excess deposition has changed the shape of the river bed. Because of this, during monsoon season, the water may rise above the high flood level causing heavy and devastating floods. Such disasters may damage large tracts of land laying on both banks of the river especially the agricultural lands.

Accumulation of the sand deposit on the river bed is annual process. It is replenishable due to sediment inflow during floods in rainy season. Thickness of river bed where sand deposited every year varies but excavation of sand is permitted up to 3 m depth or up to top level of water table whichever is less. The summer water table goes down to 4 m below surface. Hence sand can easily be extracted up to 3 m depth in dry season.

3.6 PROSPECTING AND EXPLORATION DONE:

This is the revised mining plan and mining lease has already been excavated in the past. Based on post monsoon yearly survey by local mining officer and observations conducted by lessee, sand deposit in the lease has completely been replenished and average thickness of sand deposition within the sand accumulated area is observed to be > 3.0 m in proposed sand bed and considered for estimating the reserves.

Since sand exposed all over within the sand accumulated area of the lease and depth is proved, therefore, future prospecting has not proposed in the area. However, a

APPROVED

survey likely to be conducted by local mining officer to ascertain the depth of sand accumulation during post monsoon every year.

4. ESTIMATION OF RESERVES:

The applied sand lease area is about 0.25Km southwest from village Dhamanya and located in the river bed of Morand River that flows from south to north.

In order to estimate the reserves, DGPS survey has been carried out to define the topography, contours and offsets of the lease area. Khasra map has been considered as base map to demarcate the mine lease boundary. The shape and size of the mine lease has been fixed as per the sanctioned demarcated Khasra map of the lease area by DGPS survey.

The area has been fully demarcated with respect to geographical coordinates and surface reduced level taken at every point of cluster. To describe the elevation in detail, 0.5m contour interval has been picked for the preparation of surface plan and cross section which includes collection of surface reduced level in an interval of 0.5m for reserve estimation. The maximum elevation observed to be 494m from MSL and whereas minimum elevation recorded to be 492m MSL with the lease area.

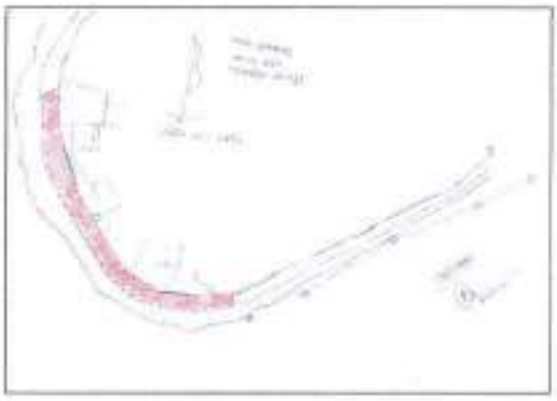

Sanctioned demarcated area (Khasra)

Demarcated area on Google Image

Very gently sloping or almost flat topography of the lease is the main reason for having sufficient quantity of sand available for removal. In addition, the location of applied lease

APPROVED

lies on a meander making it suitable for sand deposition, therefore good deposit of sand is available on full width and length of the lease.

As per the Point (r) page 24 of Guidelines of Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining, Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MOEF & CC) January 2020 "**River bed sand mining shall be restricted within the central 3/4th width of the river/rivulet or 7.5 meters (inward) from banks but up to 10% of the width of the river**"

The mineral sand is exposed in full width and length of the lease and follows very gently sloping topography.

This is the revised mining plan and mining lease has already been excavated in the past. Based on post monsoon yearly survey by local mining officer and observations conducted by lessee, sand deposit in the lease has completely been replenished and average thickness of sand deposition within the sand accumulated area is observed to be > 2.0 m in proposed sand bed and considered for estimating the reserves.

Since sand exposed all over within the sand accumulated area of the lease and depth is proved, therefore, future prospecting has not proposed in the area. However, a survey likely to be conducted by local mining officer to ascertain the depth of sand accumulation during post monsoon every year.

Specifications considered for the estimation are as under:

Area specification	Values
Sanctioned lease area	5.00 hac or 50,000 M^2
Area submerged in water	12,000 M^2
Area under Barrier / Safety zone within sand accumulated area	7,120 M^2
Available Mineable area where sand has been deposited/accumulated is more than 60% of total lease of 50,000 M^2	**30,880 M^2** (Total lease area – non mining area - barrier zone) (50,000 M^2 -12,000 M^2 -7,120 M^2 = 30,880 M^2)
But Point (r) page 24 of Guidelines of Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining, Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MOEF & CC) January 2020 says that Maximum allowable mineable area cannot be more than 60% of total lease area of 50,000 M^2 which is **30,000 M^2** (60% of total lease area)	**30,000 M^2** APPROVED

As the extractable area 30,000 M^2 is gently sloping, hence the volumetric method adopted for reserve estimation.

The thickness of sand is more than 2m. The water level fluctuates from 3-4m during post-monsoon to pre-monsoon (October to June). However maximum of 0.76 m depth of sand deposit has been considered for estimation.

Reserve calculation of the given area is detailed as under:

Area [M^2] X Depth [m] = Volume [M^3]

Total extractable sand - 30,000 M^2 x 2m (Max Thickness) = 60,000 m^3

Total mineable sand -30,000 M^2 x 0.76m (Average Thickness) = 22,800 m^3

Total mineable reserve estimated to be 22,800 M^3

APPROVED

COLLECTOR
BETUL

LESSEE/APPLICANT
M/s National Energy Trading and Services Ltd., Hyderabad

Syed Iqtadar Tanweer
RQP/DGMMP/211/2019-2024

SYED IQTADAR TANWEER
RQP/DGMMP/211/2019-24

5. DEVELOPMENT AND PRODUCTION PROGRAM

5.1 PROPOSED METHOD OF QUARRYING:

The mining operation will be carried out by semi mechanized method and all the related activities shall strictly be done according to the M.M.R 1991 rule without blasting As per the Sustainable Sand Mining Management Guidelines 16, there are total 5 extractions methods and are follows as;

a) Bar scalping and skimming is extraction of sand and gravel from the surface of bars. This method generally requires that surface irregularities be smoothed out and that the extracted material be limited to what could be taken above an imagery line sloping upwards and away from the water from a specified level above the river water level at the time of extraction (typically 0.3-0.6m). Bar scalping is commonly repeated year after year. To maintain the hydraulic control provided to upstream by the Riffle head., the preferred method of bar scalping is now generally to leave the top 1/3rd (approximately) of the bar undisturbed, mining only from the downstream 2/3rd.

b) Dry-Pit Channel Mining

Dry-Pit channel mining is the method where pits excavated within the active channel on dry intermittent or ephemeral stream beds. Dry pits are often left with abrupt upstream margins, from which head cuts likely to propagate upstream.

c) Wet-Pit Channel Method

It involves excavation of a pit in the active channel below the surface water in a perennial stream or below the alluvial groundwater table.

d) Bar Excavation

A pit is excavated at the downstream end of the bar as a source of aggregate and as a site to trap sand and gravel. Upon completion, the pit may be connected to the channel at its downstream end to provide side channel habitat.

APPROVED

e) Channel – wide River bed Mining

In rivers with a highly variable flow regime, sand and gravel are commonly extracted across the entire active channel during the dry season. The bed is flattened and uniformly (or nearly so) lowered.

As per the Sustainable Sand Mining Management Guidelines 2016, there are 5 extraction method as mentioned above in total out of which 'Channel-wide River bed Mining' method shall be adopted with respect to type of river bed deposition. Mining shall be done in layers of 1 meter depth to avoid ponding effect and after first layer is excavated, the process will be repeated for the next layers.

Previous year water level regime monitoring season of river bed is observed. The water level fluctuation in the river bed is from 0.0-3.0. It means the water level about 0.0m to 1.0m describes a monsoon season (July-September) where water covers the whole riverbed and flows almost uniformly throughout the river course. In case of river sand bed of about 2m water level define the post monsoon season (October to December) in which water level drops and part of river bed exposed/ dried in certain part of river channel or sand mine spot due to difference in contour elevation as well as replenished sand. In case of river having about 3.0 m water level describes pre-monsoon season (from March to mid of June).

During post monsoon (October to February) mining will be carried out in layers of 1-meter depth for maintaining the river bed water level regime (Plate 4).

During pre-monsoon (March to June) mining will be carried out in 2nd layers of 1 meter depth after completion of 1st layer for maintaining the river bed water level regime (Plate 4).

No bench can be maintained in river sand hence bench wise mining cannot be proposed.

Due to continues accumulation of sand in the area during rainy season, there will not be much depletion in the reserve of sand, hence reserve is likely to be remain same every year and in future also. The Lease period has been sanctioned up to 30.06.2023, accordingly three years production plan can be envied as below:

APPROVED

Semi-mechanised method of quarrying shall be undertaken during quarrying operation and all the related activities shall strictly be followed according to M.M.R 1991 rule without blasting and drilling.

Mining operation shall be based upon Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining, Ministry of Environment, Forest and Climate change January, 2020.

Quarrying progression will be from southeast to northwest, whereas mine face will be west to east. However, mine facing may be adjusted based on best environment friendly practices.

5.2 MECHANIZATION:

An open cast quarrying by semi mechanized method will be adopted for extraction of ordinary sand, keeping the productivity and safety in mind.
Semi mechanized quarry operation shall be done by utilizing JCB, hand Shovel, spade, crow bars, water tanker etc. will be required to deploy for mining works. Dumpers will be required for loading and transportation purpose.

JCB	1 No
Dumper	3 No. (Capacity- 12 m3)
Water tanker	1 No.

5.3 BLASTING:

Not applicable.

5.4 LOADING AND TRANSPORTATION OF SAND:

Dumpers / tipper shall be used for transportation purpose.

For transporting the sand from lease area to the bank and for further destinations (end users/market), following estimation has been followed.

Yearly Production	22,800 m^3
Daily Production Assuming 240 working days leaving rainy season	95 m^3/day
Capacity of Dumper	12m^3
One dumper can carry (as a safety measure)	10m^3
Total number of trips required	10
Total Dumper Required (capacity 10 m^3)	3

The above per day calculations are for reference purpose only. The removal of sand shall be done as per demand and these figures may change drastically but within the limit of yearly production of 22,800 M^3.

5.5 MANPOWER DEPLOYMENT:

Required number of man power/labor is easily available from the surrounding villages. Requirement of manpower depends on the production and taking into account an average rate of annual production of 22,800 m^3 and assuming 240 working days per year, around 95 m^3 of proposed production to be achieved per day.

Keeping an average output per man per shift about 8 m^3 (OMS), then around 12 persons shall be required in the mine site.

Considering a presence of site foreman is important and a manager, a total of 14-15 persons shall be required to manage the mining operation.

Number of shifts proposed for per day is one shift / day. Depending upon the demand of sand, working time may be adjusted following the rules and making proper arrangements in place.

APPROVED

5.6 PROPOSED YEARLY PRODUCTION PROGRAM

Due to continues accumulation of sand in the area during rainy season, there will not be much depletion in the reserve of sand, hence reserve is likely to remain same every year and in future also. The Lease period of 3 years has taken as per the provisions of rule 9 of Madhya Pradesh Sand (Mining, Transportation, Storage and Trading) Rule, 2019. Accordingly, three years production plan can be envied.

It is to be noted that applied lease area has been sanctioned up to 30.06.2023 only, therefore 1st year production has been provided in the table below. However, if lease extended for two more years, then the same quantity, i.e., 22,800 M^3 per year can be extracted for another two years.

Years	Available Extractable Mining Area M^2 (60% of Lease Area)	Depth M	R O M M^3	Waste M^3 (10%)	Maximum proposed sand Production M^3
1st Year	30,000	0.76	22,800	Nil	22,800

5.7 MINE LIFE:

Mine has been sanctioned for the excavation of sand until 30.06.2023. Quarry lease may further be allotted to some other agency in future.

This is a river bed quarrying case, every year after monsoon, the sand deposit gets replenished and is available for ensuing years: hence river bed deposit has no fixed mine life.

5.8 USE OF MINERAL:

Sand so extracted from the mine lease, will be sold locally as building material. It is usually mixed with cement and other ingredients to create mortar for building. It is also used in brick manufacturing industries.

APPROVED

COLLECTOR
BETUL

LESSEE/APPLICANT
M/s National Energy Trading and Services Ltd., Hyderabad

Syed Iqtadar Tanveer
RQP/DGMMR/211/2019-2024

6. CONCEPTUAL PLAN

Mine applied lease spread over a total area of 50,000 m^2. Though sand thickness found to be more than 2m but actual digging depth restricted up to 0.76 m only. However, pits generated by quarrying will be replenished during rainy season. Quarrying will be worked systematically as the width is smaller than its length. As the lease period has been sanctioned until 30.06.2023, some of the area will be left un-worked at the end of lease period.

During plan period workings will be carried out in one stretch at a time. Scattered workings will ensure safety, remove congestion and will have better control and management.

Bank side natural slope will not be disturbed. This will prevent collapse of bank and erosion.

There will be no soil or OB removal during the plan period. Therefore, no proposal has been envisaged for its separate dumping. No outside material will be filled up in the extracted zone.

APPROVED

7. ENVIRONMENTAL MANAGEMENT PLAN

7.1 AIR QUALITY MANAGEMENT:

Dust during quarrying, fumes and exhaust emission due to transportation of vehicles are the main causes of air pollution.

Personal Protection Equipment's (PPE) like dust masks, ear plugs etc. will be provided to mine workers

It can be effectively controlled by regular water sprinkling on roads.

Mineral carrying vehicles should be covered with tarpaulin and shall not be over loaded.

Proper maintenance of transport vehicles and PUC certification will minimize the exhaust emission. Adequate plantation will also support to maintain air quality.

7.2 WATER MANAGEMENT:

Sand quarrying activities will have an impact upon the river's water quality. Impacts include increased short-term turbidity at the mining site due to re suspension of sediment, and dumping of excess mining materials, oil spills or leakage from transportation vehicles and washing of vehicles in the river.

Increased riverbed and bank erosion increases suspended solids in the water at the excavation site. Suspended solids may adversely affect water towards downstream and aquatic ecosystems.

The impact is particularly significant if water toward downstream of the site being abstracted for domestic and irrigation purposes etc.

Quarrying is avoided during the monsoon season and at the time of floods. This will help in replenishment of sand in the river bed.

Quarrying below subterranean water level will be avoided as safe guard against environmental contamination and over exploitation of resources.

River stream will not be diverted to form inactive channels.

Meandering segment of river would be selected for mining in such a way to avoid natural eroding banks and to promote mining on naturally building meander components.

APPROVED

Utmost care will be taken to avoid the used of fuel leaking vehicles for sand transportation

The washing of trucks in the river will be avoided.

7.3 NOISE MANAGEMENT:

In manually operated sand mine, noise is generally created by transportation of vehicles.

Onsite and offsite noise management are:

Plantation of trees along the river bank and transport route beyond the bank shall be undertaken to dampen the noise, if possible.

The vehicles shall be maintained in good running condition so that noise will be reduced to minimum possible level.

Awareness will be imparted prior to quarrying operations that smoke silencers remain in a good condition and not to generate noise.

Unnecessary use of horns by the drivers of the vehicles shall be avoided at village areas.

7.4 WASTE MANAGEMENT:

There is no top soil expected to be produced in the plan period. No other waste anticipated to be generated hence waste disposal arrangement is not required.

7.5 BIOLOGICAL ENVIRONMENT

The proposed quarrying will be undertaken from the dry bed of the river on a small scale, therefore unlikely to impact the aquatic environment or any fauna or floral environment.

7.6 DISPOSAL OF MINING MACHINERIES:

No disposal of machineries would take place onsite and hand tools, tractors, dumpers will be deployed on hire basis.

APPROVED

7.7 SAFETY AND SECURITY:

Prior to mining, short awareness/training program will be conducted for site staff to make them aware regarding safety aspects and environment friendly work practices.

First aid kit and anti-venom injection for snake/insect bite shall be provided at mine site.

If some causality or injury to animal occurs, it will be informed to forest department and proper treatment will be given.

No lighting will be allowed in the area.

No tree cutting, chopping, lumbering, uprooting of shrubs and herbs will be allowed.

No track or new road for movement of site workers or vehicles be laid in adjoining area, this will prevent fragmentation, encroachment and human verses animal encounter.

Corridor for movement of wild mammals (If exists) will be avoided for mining/transport purposes

If wild animals are noticed crossing the river bed, they will not be disturbed or chased away, instead the workers will move away from their path.

7.8 DISASTER MANAGEMENT:

Nature of mining method is very simple and high-risk accidents are not anticipated. In case of natural disaster, lessee will take assistance from local government officials.

7.9 CARE DURING TEMPORARY DISCONTINUANCE:

No major quarrying machineries will be deployed as mining shall be undertaken manually. Most of the tools/equipment shall be on hire basis, in such cases, care will be taken as per the terms and conditions of contract. During temporary discontinuance, a watchman should be present to look after the mine site.

7.10 ECONOMIC REPERCUSSION OF CLOSURE & MAN POWER RETRENCHMENT

This quarry lease sanctioned for defined time period, most of the facilities and man power will be deployed on hire basis and in such case, care will be taken as per terms and conditions of contract.

7.11 STATUS OF LOCAL EMPLOYEES:

Local residents will be proposed to employ from the nearby areas which already have their own traditional and family occupation like agriculture, fisheries and other sundry jobs. During monsoon and some other season or at the end of mine period they can easily join their respective employments.

7.12 COMPENSATIONS:

Retrenchment compensation to the employees as and when required will be done as per Government Labor legislation.

7.13 RECLAMATION & REHABILITATION:

The applied area comprises mainly sand, and negligible quantity of coarser material. The proposed area is the zone of active erosion during high flood time, otherwise it is a zone of deposition between two stream flows. So, no manual reclamation is needed. It is expected that the reclamation of the affected area will be automatically done by filling with sand flow in the rainy season depending on the amount of rain fall received by the area and the rate of river flow.

There is no human settlement within the quarry area. No human settlement will be disturbed due to the Quarrying activity. So, no rehabilitation and resettlement are proposed.

7.14 DISTANCE FROM THE NEAREST BRIDGE/DAM:

There is a bridge located around 0.25 km E, upstream of the lease and constructed on Morand River. However, none is located within mine lease area.

APPROVED

7.15 SOCIO – ECONOMIC ENVIRONMENT:

There will be positive effect to some extent on socio – economic environment of the area as quarrying activity will create new job opportunities for the local people, which ultimately improve their financial status.

7.16 PLANTATION (AFORESTATION PROGRAM):

The implementation for development of green belt will be of paramount importance as it will not only add up as an aesthetic feature, but also act as a pollution control tool.

The species to be grown in the area should be dust tolerant and fast growing so that permanent green belt is created.

In order to stabilize the river bank erosion, the plants having good growth will be planted along the river bank. Trees may also be grown along approach roach to the village and along village road as well as in the village as feasible in consultation with local gram panchayat, DFO and other stake holders.

Lease area is 50,000 M^2 and as per latest guidelines, total trees to be planted @1500 trees per hectare, i.e., a total of 7,500 trees shall be planted in within the lease period.

Total no. of trees to be Planted: - 7,500			
Phase	Name of Tree	No. of Plants to be Planted	Location
Within lease period	Pipal, Munga, Kathal, Bargad, Jamun, Neem, Arjun, Kadam Belpatra, Mango	7,500	Bank of the river –4,000 nos Dhamanya and surrounding villages – 3,500 Suitable available nearby government land or along the road in consultation with local Gram Panchayats, DFO and other stake holders

APPROVED

8. PROGRESSIVE MINE CLOSUR PLAN

This is a sanctioned quarry which may again be sanctioned after its expiry on 30.06.2023. The actual working area (sand accumulated area) within the proposed area is the zone of active erosion during high flood time, otherwise it is a zone of deposition and mined out areas may or may not be automatically replenished with sand flow in the rainy season each year, hence progressive plan is not envisaged.

Statutory Obligations: No statutory obligations imposed till now; routine legislative conditions will apply as mentioned in approval letter.

APPROVED

9. SAND REPLENISHMENT ASSESSMENT

Sand quarrying from river bed will cause degradation of land use pattern and damage to the environment. Over exploitation of sand from river bed will definitely affects adversely on the surrounding environmental status. Deposition of sand is a continuous natural process, but the over drafting will never be permitted to ensure the balance between exploitation and replenishment potential of river sand. Sand quarrying from river bed will have both positive and negative impacts;

9.1 NEGATIVE IMPACTS:

It includes destruction of natural river course, bank erosion, bank cutting and widening and deepening of river bed. Change in hydrological status and recharging conditions. Disturbance to closely linked flora, fauna and aquatic life.

9.2 POSITIVE IMPACTS:

Employment and socio-economic status of the habitants living besides the river depends on sand mining industries. Construction of concrete infrastructures, roads and some other related activities depends on the river bed sand. Continuous accumulation of sand ultimately leads to the reduction in water carrying capacity of the river leading excessive flood in the river. Sustainable extraction of sand from river will lead to overcome the problem.

9.3 NEED FOR SAND REPLENISHMENT STUDY AND FACTORS TO BE CONSIDERED AND OBSERVED:

Environmental status of the mined-out area may be affected badly if proper care is not taken to ensure sustainable extraction of sand from river bed. Proper study of the following factors must be taken into consideration to reveal the actual potential of sand deposition in river course after completion of periodical excavation annually. The main factors required to be considered for the study of the replenishment potential of particular river course are:

APPROVED

Formation of sand comprises of the following:

Catchment area and geological strata,

Erosion, weathering

Climatic conditions, Precipitation

Geomorphology, Physiographic Manmade structures and activities details .

Geological formations Refer to Chapter 3.

Deposition/sedimentation of material or sediment yield depends upon several factors like;

-Catchment area

-Span of river / flood plain

-Travelling distance of suspended particles

-Slope / gradient / depth of water channel / meandering of river

- Geology traversed

- Climatic conditions

-Tributaries / Confluence

- Type / stage of river and flow velocity

-Occurrence of natural and manmade structures.

-Flow during lean period.

9.3.1 WATER LEVEL DURING LEAN PERIOD:

River course at area under consideration attains youth stage, flow velocity is moderate, turbulence occurred due to meanders created due to lineaments. Elevation of both the banks are within the range of 2.5 to 3.5m above river bed. After monsoon river flows in full swing covering both the banks. During monsoon floods the water level rises by 2 to 3 m High flood level of river goes up to 495 m in due course of time after monsoon water channel level goes down gradually, during lean period water level maintained at 491-492 m.

APPROVED

9.3.2 CATCHMENT AREA

The Morand River basin comprises an area of about 250 Km2. The southern boundary is marked by low-lying hills and or high grounds. The basin area is highly undulating with isolated hills and plains. The ground elevation ranges between 492 m and 665 m. above MSL. The ground slopes from south to north.

9.3.3 ORIGIN OF RIVER:

The Morand River (a tributary of Narmada) flows from south to north into Narmada. The origin of the river is near hills of village Ratanpur, Madhya Pradesh at an elevation of 665 m.

9.3.4 DISTANCE OF TRAVELLING OF LOAD:

Morand River course is around 56 km approx. from the origin to mine site.

9.3.5 SLOPE / GRADIENT / ELEVATION DIFFERENCE:

The highest elevation of **Morand River** at the origin is around 665 m and the elevation at mine site is 492 m above msl. There is an elevation difference of around 173 m.

9.3.6 GEOLOGY / LITHO UNITS:

River originates mainly from Deccan Trap rock formations and further continues over the same rock formations with other formations in parts.

9.3.7 CLIMATIC CONDITIONS:

Climate of the district is tropical with moderate winter and severe summers and well distributed rainfall received from southwest monsoon. However due to higher general elevation and abundance of forests, summer temperature does not rise as much as in other areas. The normal annual rainfall of Betul district is 1129.6mm.

9.3.8 TRIBUTARIES / CONFLUNCE:

Several other small seasonal streamlets (Nallas) join this tributary resulting in the increase of its overall catchment area. However, no nallas join this river near the site.

APPROVED

9.3.9 TYPE/STAGE OF RIVER AND FLOW VELOCITY:

River attains youth stage at the mine site. Flow velocity is moderate to high. Lease area lies in the middle of two meanders making it suitable for sand deposition.

9.3.10 STRUCTURES:

From our study no major structures have been observed in the river course near the site. There is a bridge located around 0.25 km E, upstream of the lease and constructed on Morand River. However, none is located within mine lease area.

9.4 CONCLUSION:

In Betul district, Morand River basin where lease area is located comprises an area of about 250Km^2. The southern boundary is marked by low-lying hills and or high grounds. The basin area is highly undulating with isolated hills and plains. The ground elevation ranges between 492 m and 665 m. above MSL. The ground slopes from south to north.

The Average rainfall of Betul district is 1129.6mm. The district receives high rainfall mostly during July to September which will be leads to the deposition of the sufficient quantity of the sand every year within the old working area.

Dandy Bolton Formula has category stated use of the equation to predict sediment yield for a specific location would not be always correct because of the wide variability caused by local factors not considered in the equation development. Actual sediment yield from individual drainage basins may vary 10-fold or even 100-fold computed yields.

Looking at the basic information available about the concerning river basin, it is concluded that proposed quantity of 22,800 cubic meter per year can be excavated from the quarrying site and the replenishment of the same will be done easily as regular annual process following the topographical control.

Total replenished quantity of sand available each year within the lease hold area will be:

Total Leasehold area -5.00 ha

Total sand available -5.00 x10000x2 (max thickness) = 1,00,000 m^3

Taken all safety measured and environment point of view only 3.0 ha leasehold area (60% of lease area) is available for mining.

Total sand available -30,000 m^2 x 2m (Max. Thickness) = 60,000 m^3

J. Bujja Baudhas

APPROVED

Total mineable sand - 30,000 m^2 x 0.76m (Avg. Thickness) = 22,800 m^3

Thus, from measured sand reserve of about 60,000 cubic meters, only 22,800 cubic meter sand per year will be extracted.

Out of the above annual replenishment, it is proposed to mine only 22,800 cubic meters up to a maximum depth of 0.76 m.

Thus, there will be no long – term impact on the riverbed which will have surplus sand left after extraction of the proposed amount each year and PP will be extracting less than 50 % of the annual replenished sand within its lease hold.

Above estimation is based upon existing site conditions. Next year estimation shall be worked out after monsoon using volumetric methods. In the applied area, replenishment depends upon the yearly rainfall, if adequate amount of sand will not replenish during monsoon, then excavation of sand will be limited to the quantity which will be equivalent to the replenished material up to a maximum depth of 3m only.

PLAN PREPARED FOR -

M/s National Energy Trading and Services Ltd.

Address: Address: Plot No 7, Bindu Sadan, 401 Sai Chandra Colony, Green Space Tulasi, Puppalguda, Manikonda, Hyderabad,
Telangana State, India

PLAN PREPARED BY RQP -

SYED IQTADAR TANWEER
G-3 Balaji, Bright Colony, Idgah Hills,
Bhopal (M.P.)
Registration No: RQP/DGMMP/211/2019-24

APPROVED

J. Brijbandhab

SYED IQTADAR TANWEER
RQP/DGMMP/211/2019-24

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला–बैतूल (म.प्र.)

प्रारूप–तीन

(नियम 11(3) एवं 11(5) देखिए)

आशय–पत्र

क्रमांक/रेत/2022/1862 बैतूल, दिनांक 23./12/2022

प्रति,

मेसर्स नेशनल एनर्जी ट्रेडिंग एण्ड सर्विसेज लिमिटेड
पता–प्लॉट न. 7, बिन्दु सदन, 401 सांई चंद्र कॉलोनी,
ग्रीन स्पेस तुलसी, पुष्पलगुडा, मणिकोंडा, हैदराबाद,
रंगारेड्डी, तेलंगाना–500089

विषय :– ई–निविदा क्रमांक 1691 दिनांक 17.11.2022 के संदर्भ में ग्राम **(सूची अनुसार)** तहसील **(सूची अनुसार)** जिला **बैतूल** रकबा **(सूची अनुसार)** हेक्टेयर क्षेत्र की खदान समूह क्रमांक **(संपूर्ण बैतूल जिला)** रेत खदानों हेतु आशय–पत्र।

——00——

1. पृष्ठभूमि :

1.1 मध्यप्रदेश रेत (खनन, परिवहन, भण्डारण एवं व्यापार) नियम 2019 (यथा संशोधित) के अनुसरण में कलेक्टर जिला बैतूल द्वारा मध्यप्रदेश के जिला बैतूल स्थित समूह खदान के समूह क्रमांक **(संपूर्ण बैतूल जिला)** हेतु रेत की समूह खदानों के प्रदान के लिए निविदा प्रक्रिया को प्रारंभ करने के लिए ई–निविदा सूचना दिनांक **17.11.2022** जारी की गई। ई–निविदा प्रक्रिया उक्त नियमों के नियम 8 के अनुसार उक्त रेत समूह आबंटन हेतु संचालित की जाकर मेसर्स **नेशनल एनर्जी ट्रेडिंग एण्ड सर्विसेज लिमिटेड** को उक्त नियमों के नियम 8(8) के अधीन उच्चतम सफल निविदाकार के रूप में घोषित किया गया है।

1.2 उक्त नियमों के नियम 11 के अधीन तथा उक्त समूह खदान के लिए निविदा दस्तावेज के अधीन अपेक्षित किए गए अनुसार मेसर्स **नेशनल एनर्जी ट्रेडिंग एण्ड सर्विसेज लिमिटेड** ने प्ररक्षित मूल्य के 25 प्रतिशत राशि रकम रूपये **5,85,53,288/–(पांच करोड़ पच्यासी लाख तिरेपन हजार दो सौ अट्ठासी रूपये)** अग्रिम धन (ईएमडी) के रूप में एम.पी. टेंडर के माध्यम से जो दिनांक **02.12.2022** को जमा कर दी है तथा जो दिनांक 23/12/2022 को संचालक के पूल खाते में प्राप्त हुई है।

APPROVED

2. **परिणामस्वरूप आशय पत्र जारी किया जाना :**

उक्त नियमों के नियम 11(3) एवं 11(5) के अनुसरण में समूह क्रमांक **(संपूर्ण बैतूल जिला)** मेसर्स **नेशनल एनर्जी ट्रेडिंग एण्ड सर्विसेज लिमिटेड** के पक्ष में 30 जून 2023 अवधि हेतु रेत खनिज की खदानों के समूह के लिए ग्राम **(सूची अनुसार)** जिला **बैतूल** में रकबा **(सूची अनुसार)** (हेक्टेयर) क्षेत्र के लिए यह आशय पत्र जारी किया जाता है।

3.3 यह आशय पत्र नियमानुसार प्रगणित की गई 30 जून 2023 की कालावधि के लिए विधिमान्य है। समय–सीमा के भीतर समस्त शर्तों की पूर्ति की जानी चाहिए एवं मेसर्स **नेशनल एनर्जी ट्रेडिंग एण्ड सर्विसेज लिमिटेड** एवं बैतूल जिले के कलेक्टर के मध्य ठेका अनुबंध निष्पादित किया जाना चाहिए। उच्चतम सफल निविदाकार के नियंत्रण से परे किन्हीं कारणों से ठेका अनुबंध के निष्पादन में विलंब होने की स्थिति में, समय–सीमा में वृद्धि करने के लिए वह कलेक्टर को आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकेगा। उपरोक्त समस्त अथवा किन्हीं शर्तों के अनुपालन के लिए कलेक्टर अधिकतम 10 दिवस की अवधि बढ़ा सकेगा।

निविदाकार कम्पनी की ओर से प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षर उपरांत उक्त आशय पत्र की द्वितीय प्रति 07 दिवस की अवधि के भीतर अधोहस्ताक्षरी को स्वीकार्य पावती के रूप में वापस करने योग्य होगी।

संलग्न– समूह की खदानों का विवरण
एवं राशि की जानकारी।

कलेक्टर
जिला–बैतूल (म.प्र.)

पृ0क्रमांक/रेत/2022/1862
बैतूल, दिनांक 23/12/2022

प्रतिलिपि :–

1– प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2– प्रमुख सचिव, नगरीय प्रशासन एवं पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3– सदस्य सचिव, सिया पर्यावास परिसर ई–5 अरेरा कालोनी, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4– कार्यपालक संचालक, दि मध्य प्रदेश स्टेट माईनिग कार्पोरेशन लिमिटेड भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5– संचालक, संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, 29–ए अरेरा हिल्स, म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ।
6– क्षेत्रीय अधिकारी, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड छिन्दवाड़ा की ओर सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित।
7– अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) समस्त जिला बैतूल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
8– तहसीलदार तहसील समस्त जिला बैतूल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
9– खनि निरीक्षक जिला बैतूल की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।

कलेक्टर
जिला–बैतूल (म.प्र.)

APPROVED

34	बैतूल	घोड़ाडोंगरी/शाहपुर	दौड़ी/मालयर	1, 38	14.050	210000
35	बैतूल	घोड़ाडोंगरी/शाहपुर	बांसपुर/शिवसागर/गौनापुर	1, 1, 288, 266	24.970	272250
36	बैतूल	शाहपुर	गुवाड़ी	19	2.500	70200
37	बैतूल	शाहपुर	शाहपुर/पतौवापुरा	1, 112	11.000	198000
38	बैतूल	शाहपुर	सितलझिरी	1	0.700	5625
39	बैतूल	घिघोली	सांगवागी	20	5.080	30064
40	बैतूल	घिघोली	हरन्या	1, 9	5.590	44000
41	बैतूल	घिघोली	खपरिया	18	3.000	32500
42	बैतूल	घिघोली	बल्लौर	162	3.000	35000
43	बैतूल	शाहपुर	टांगनामाल	209	4.000	42000
44	बैतूल	शाहपुर	धामन्या	1	5.000	38000
45	बैतूल	शाहपुर	घिखली रैयत	316	4.000	18000
46	बैतूल	शाहपुर	तेन्दूखेड़ा	119,114	5.000	22500
47	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	सिवनघाट	142	0.420	4200
				योग–	188.906	1561421

1	कुल चिंहित खदाने –	47
2	कुल अनुमानित क्षेत्रफल –	188.906 हे0
3	निविदा हेतु निर्धारित खदाने –	सम्पूर्ण बैतूल जिला
4	जिला समूह हेतु बिक्री योग्य निर्धारित मात्रा (वार्षिक) घनमीटर –	936852.6 (तेईस करोड़ बयालीस लाख तेरह हजार एक सौ पचास रूपये)
5	निविदाकार मेसर्स नेशनल एनर्जी ट्रेडिंग एण्ड सर्विसेज लिमिटेड	
6	पता–प्लॉट न. 7, बिन्दु सदन, 401 साई चंद्र कॉलोनी, ग्रीन स्पेस तुलसी, पुष्पलगुडा, मणिकोंडा, हैदराबाद, रंगारेड्डी, तेलंगाना – 500089	
7	स्वीकृत ऑफर मूल्य रूपये –	**531195424.20** (तिरेपन करोड़ ग्यारह लाख पनचान्वे हजार चार सौ चौबीस रूपये बीस पैसे मात्र)
8	प्राप्त दर के अनुसार प्रति घनमीटर देय राशि (रायल्टी सहित)	**567.00** (पांच सौ छड़सठ रूपये प्रति घनमीटर)
9	जमा EMD राशि रूपये –	**58553288** (पांच करोड़ पच्यासी लाख तिरेपन हजार दो सौ अट्ठासी रूपये)
10	शेष जमा राशि रूपये (265597712.10 – 58553288) ऑफर मूल्य का 50 प्रतिशत – निविदा की ईएमडी राशि	**207044424.10** (बीस करोड़ सत्तर लाख चौव्वालीस हजार चार सौ चौबीस रूपये दस पैसे मात्र)
11	बिन्दु क्रमांक 10 की राशि जमा दिनांक एवं भुगतान विवरण –	**21.12.2022 RTGS**

नोट :–2. निविदा प्रपत्र की कंडिका– 10 (ख) –परिशिष्ट–1 में समूह में सम्मिलित समस्त रेत खदानों का विवरण, खदान का अनुमानित क्षेत्रफल एवं खदान में उपलब्ध अनुमानित मात्रा दर्शित है। ठेकेदार द्वारा जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (डी.एस.आर.) द्वारा अनुमोदित मात्रा तक ही खनन किया जा सकेगा। यह अनिवार्य नहीं होगा कि वह समूह में सम्मिलित प्रत्येक खदान की परिशिष्ट–1 में दर्शित मात्रा हेतु, वैधानिक अनुमतियाँ प्राप्त कर खदानें संचालित करें। अर्थात निविदत्त मात्रा का खनन समूह में सम्मिलित कतिपय खदानों से, वैधानिक अनुमतियों के अधीन भी किया जा सकेगा।

APPROVED

कलेक्टर
जिला–बैतूल (म.प्र.)

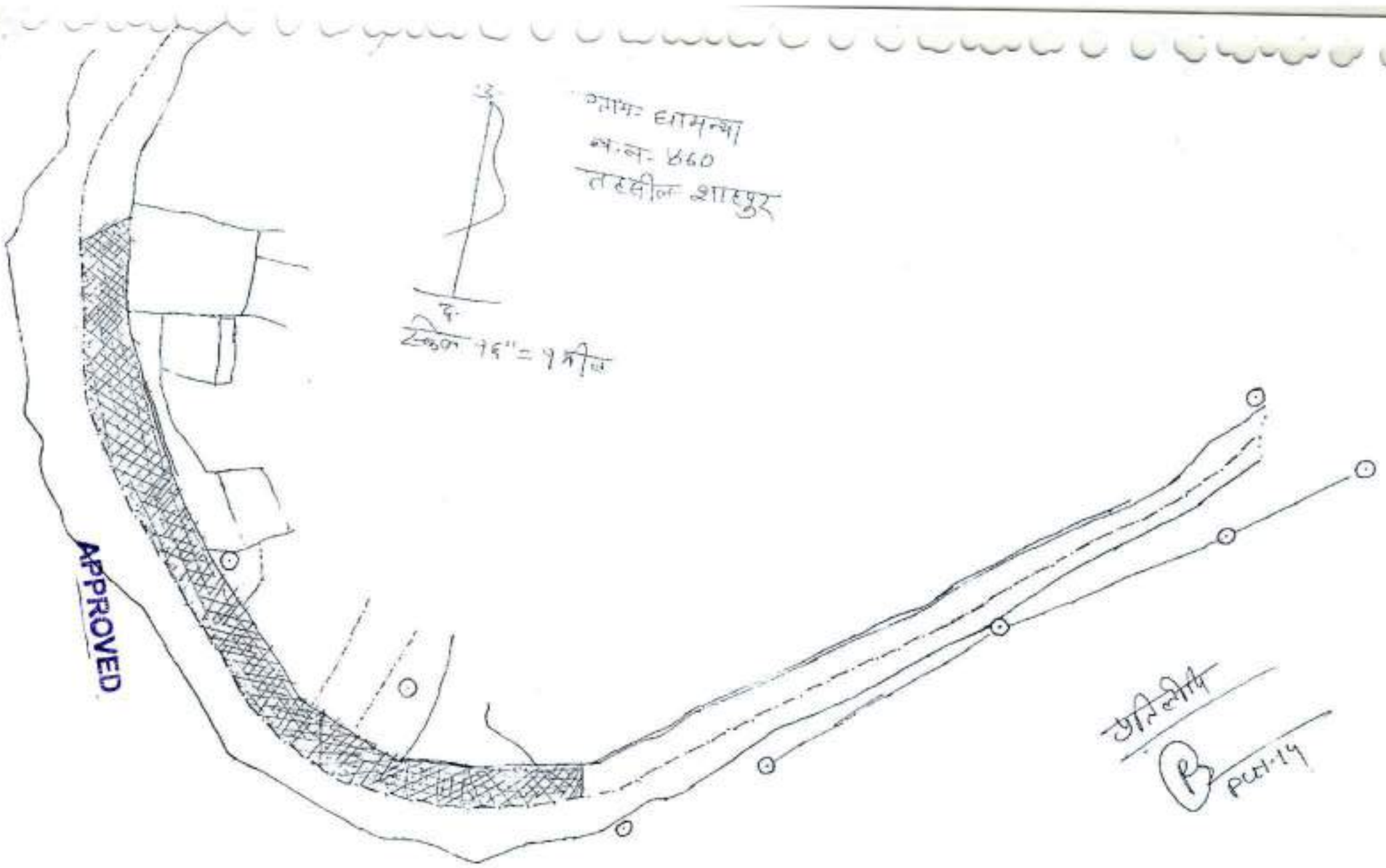

ग्राम: दामन्धा
ब.ब. 660
तहसील शाहपुर

797

SURFACE PLAN & GEOLOGICAL PLAN

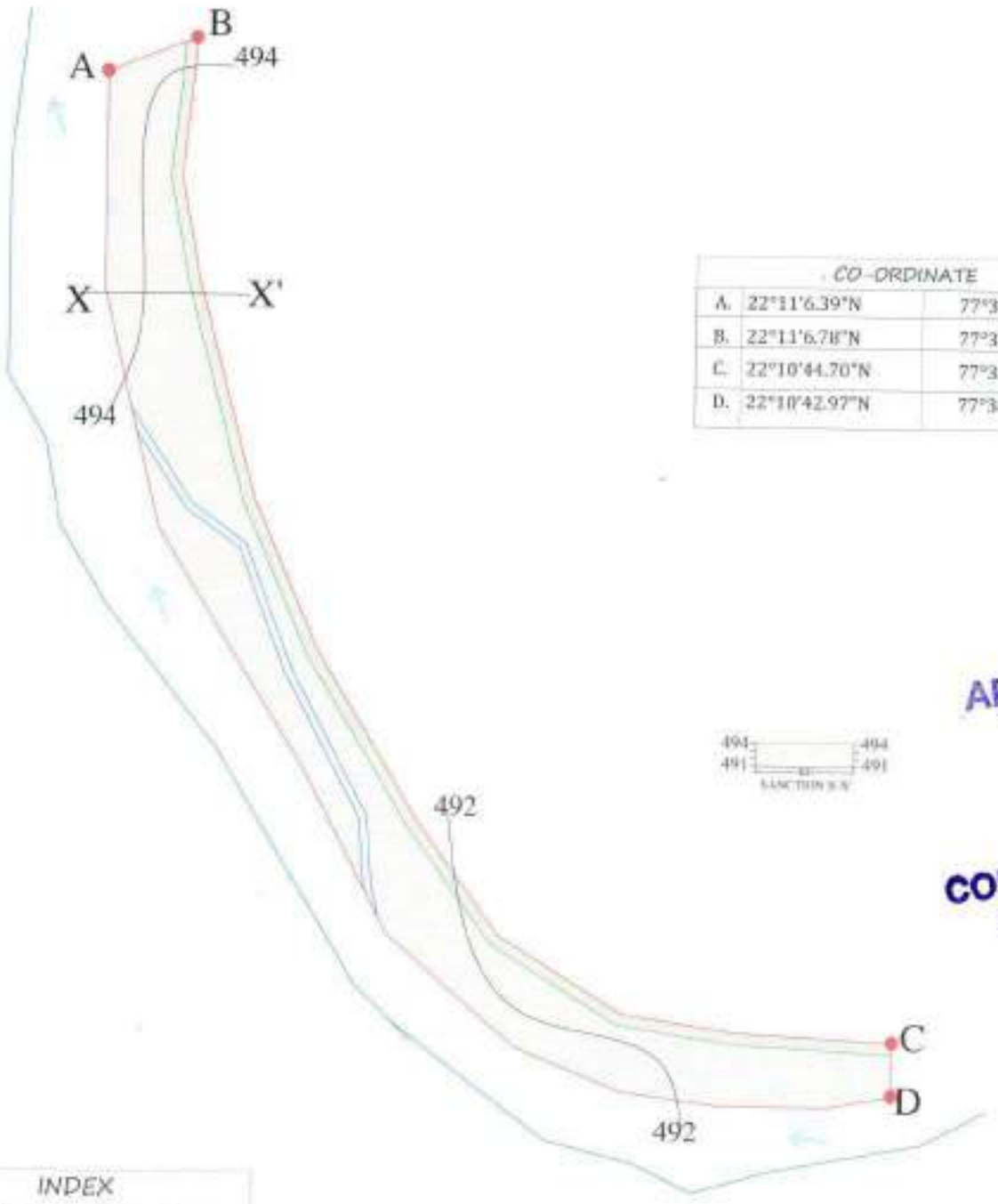

CO-ORDINATE		
A.	22°11'6.39"N	77°37'51.96"E
B.	22°11'6.78"N	77°37'51.96"E
C.	22°10'44.70"N	77°38'10.26"E
D.	22°10'42.97"N	77°38'10.22"E

APPROVED

COLLECTOR
BETUL

INDEX	
PARTICULARS	SYMBOLS
LEASE BOUNDARY	
RIVER BOUNDARY	
CONTOUR	580
BOUNDARY POINTS	
SECTION LINE	
SAND	
WATER	
FLOW DIRECTION	

SYED IQTADAR TANVEER
RQP/DGMMP/211/2019-24

AREA DETAILS	APPLICANT:
QUARRY AREA - 5 HA. QUARRY SURVEY NO. - 1 QUARRY VILLAGE-DHAMANYA TEHSIL - SHAHPUR, DISTRICT - BETUL (M.P.)	M/s National Energy Trading and Services Address: Plot No 7, Bindu Sadan, 401 Sai Chandra Colony, Green Space Tulasi, Puppalguda, Manikonda, Hyderabad, Telangana State, India

YEAR WISE DEVELOPMENT PLAN & SECTION

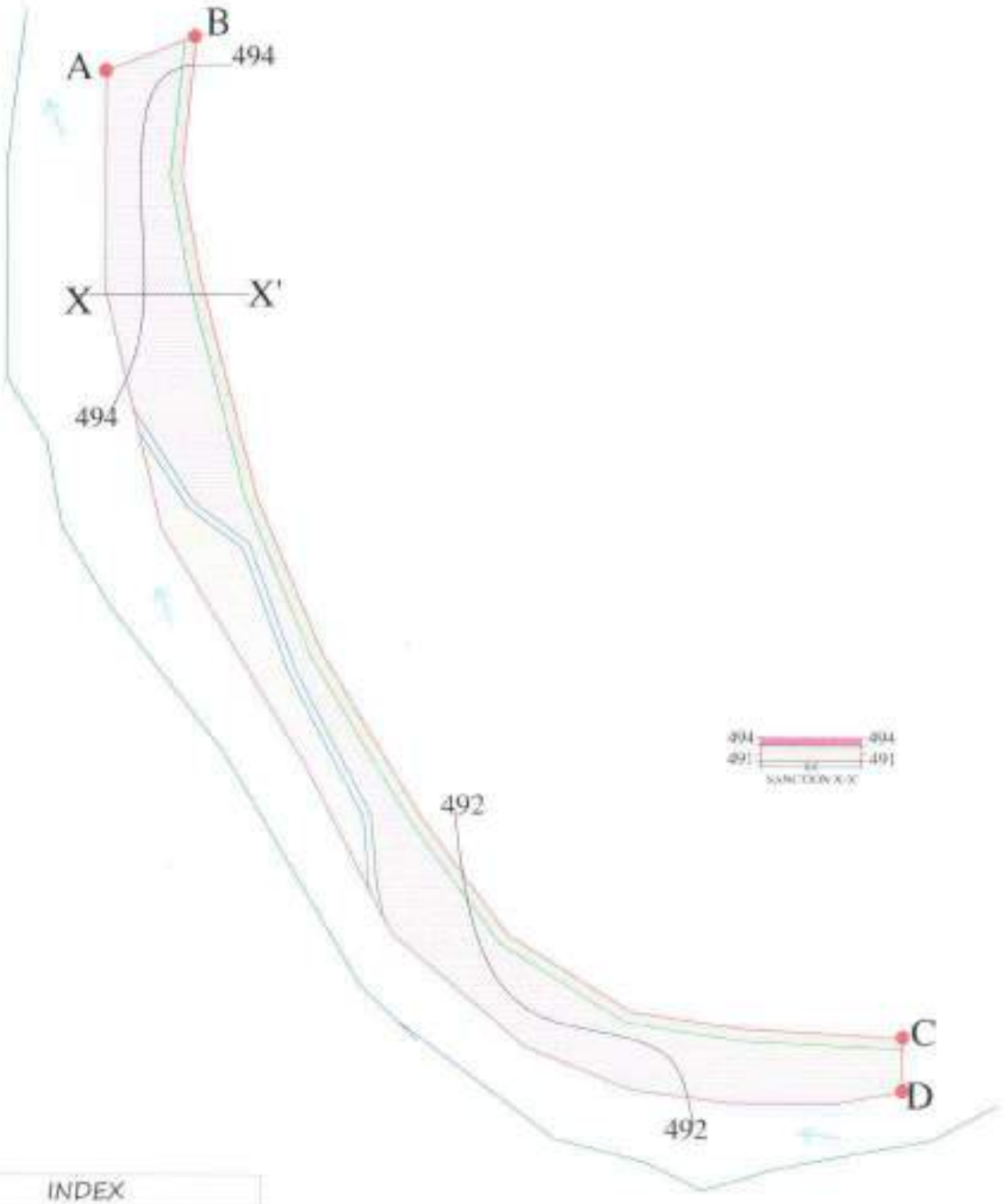

INDEX	
PARTICULARS	SYMBOLS
LEASE BOUNDARY	
RIVER BOUNDARY	
CONTOUR	580
BOUNDARY POINTS	
SECTION LINE	
SAND	
WATER	
FLOW DIRECTION	
YEAR WISE DEVELOPMENT	

SYED IQTADAR ENGINEER
RQP/DGMMP/211/2018-24

AREA DETAILS	APPLICANT:
QUARRY AREA - 5 HA. QUARRY SURVEY NO. - 1 QUARRY VILLAGE- DHAMANYA TEHSIL - SHAHPUR, DISTRICT - BETUL (M.P.)	M/s National Energy Trading and Services Address: Plot No 7, Bindu Sadan, 401 Sai Chandra Colony, Green Space Tulasi, Puppalguda, Manikonda, Hyderabad, Telangana State, India

APPROVED

ENVIRONMENTAL PLAN

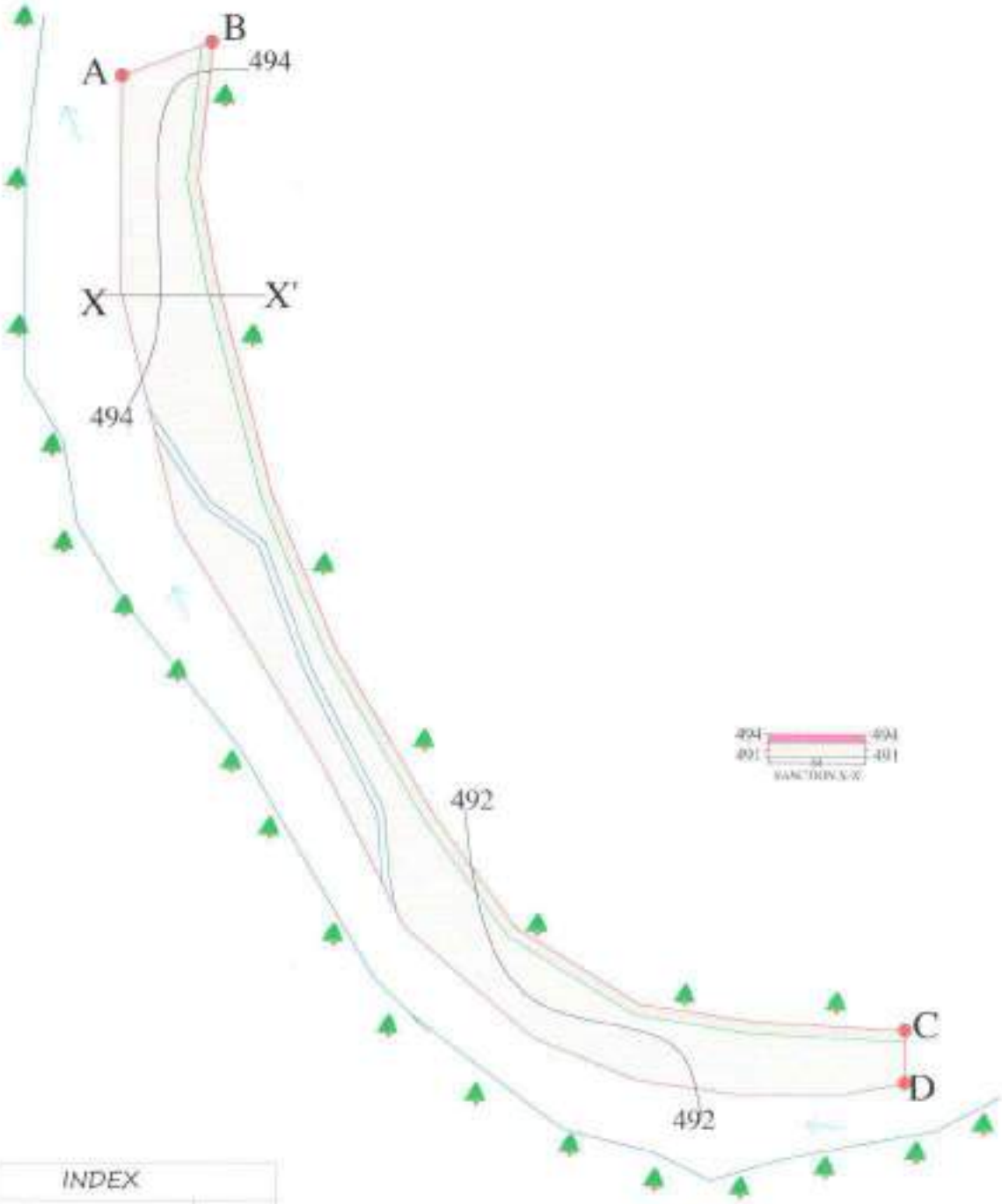

INDEX	
PARTICULARS	SYMBOLS
LEASE BOUNDARY	
RIVER BOUNDARY	
CONTOUR	580
BOUNDARY POINTS	
SECTION LINE	
SAND	
WATER	
FLOW DIRECTION	
PLANTATION	

SYED IQTADAR [illegible] ER
RQP/DGMMP/211/2018-24

AREA DETAILS	APPLICANT:
QUARRY AREA - 5 HA. QUARRY SURVEY NO. - 1 QUARRY VILLAGE-DHAMANYA TEHSIL- SHAHPUR, DISTRICT - BETUL (M.P.)	M/s National Energy Trading and Services Address: Plot No 7, Bindu Sadan, 401 Sai Chandra Colony, Green Space Tulasi, Puppalguda, Manikonda, Hyderabad, Telangana State, India

APPROVED

YEARLY MONSOON WISE PLATE & SECTION

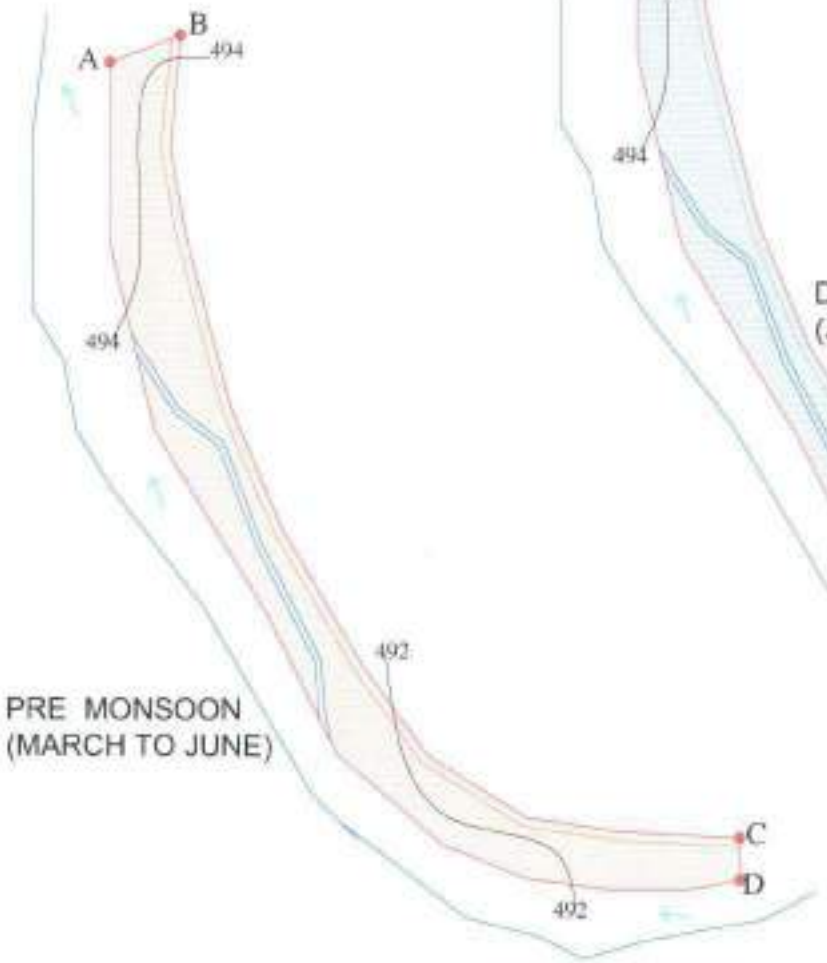

PRE MONSOON
(MARCH TO JUNE)

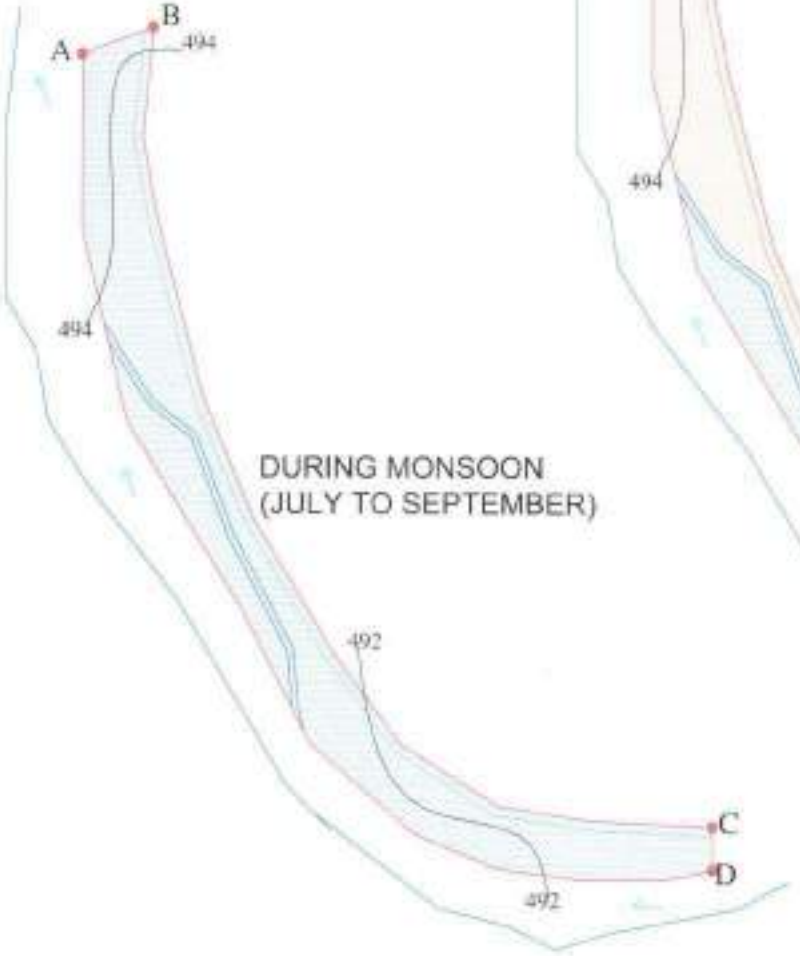

DURING MONSOON
(JULY TO SEPTEMBER)

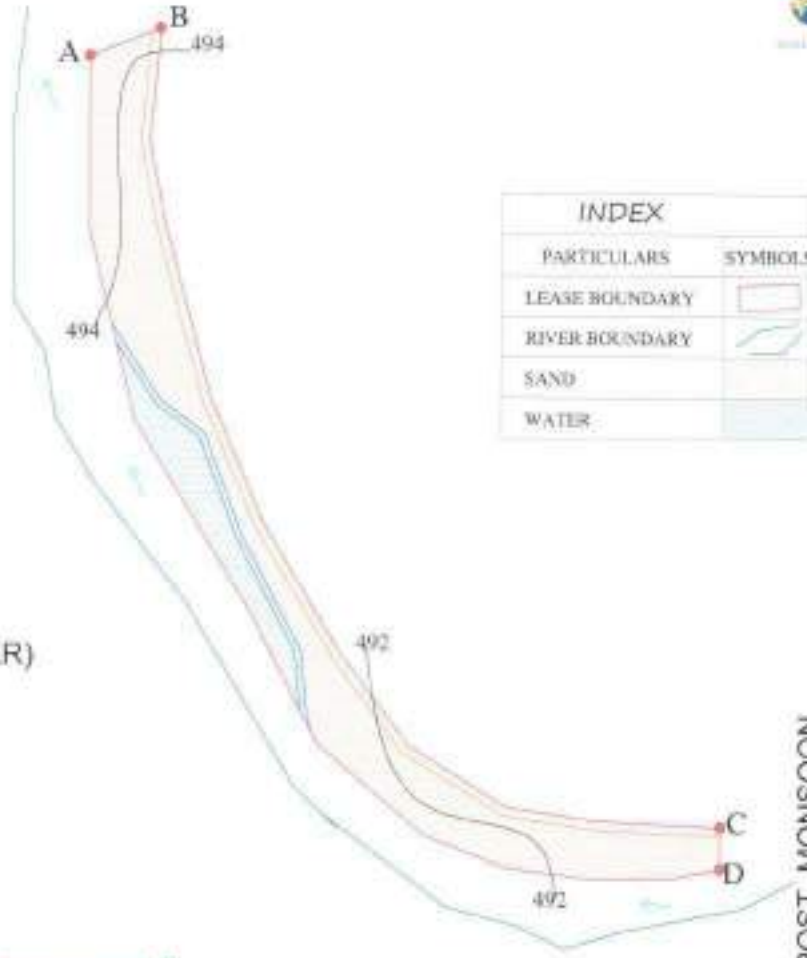

POST MONSOON
(OCTOBER TO FEBRUARY)

INDEX	
PARTICULARS	SYMBOLS
LEASE BOUNDARY	
RIVER BOUNDARY	
SAND	
WATER	

SYED IQTADAR TANVEER
RQP/DGMMP/211/2019-24

APPROVED

AREA DETAILS	APPLICANT:
QUARRY AREA - 5 HA. QUARRY SURVEY NO. - 1 QUARRY VILLAGE-DHAMANYA TEHSIL- SHAHPUR, DISTRICT - BETUL (M.P.)	M/s National Energy Trading and Services Address: Plot No 7, Bindu Sadan, 401 Sai Chandra Colony, Green Space Tulasi, Puppalguda, Manikonda, Hyderabad, Telangana State, India

801

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बैतूल

Email-modgmbet@mp.gov.in

क्रमांक/खनिज–2/2022/1914 बैतूल, दिनांक 29/12/2022

प्रति,

मेसर्स नेशनल एनर्जी ट्रेडिंग एण्ड सर्विसेज लिमिटेड
पता–प्लॉट न. 7, बिन्दु सदन, 401 सांई चंद्र कॉलोनी,
ग्रीन स्पेस तुलसी, पुष्पलगुडा, गणिकोंडा, हैदराबाद,
रंगारेड्डी, तेलंगाना–500089

विषयः– रेत खनिज के सफल निविदाकार की खनन योजना का अनुमोदन करने बाबत्।
संदर्भः– आपका का पत्र क्रमांक NETS/SMD/B/22-23/003-014 दिनांक 27.12.2022

—00—

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा प्रस्तुत 12 रेत खनन योजनाओं को मध्यप्रदेश रेत (खनन, परिवहन, भण्डारण एवं व्यापार) नियम 2019 के नियम 12 (ग) के अन्तर्गत अनुमोदित किया जाता है। जिसका विवरण निम्नानुसार हैः–

क्र.	तहसील	खदान का नाम	खसरा क्र.	रकबा (.है)	माईनिंग प्लान अनुमोदित मात्रा (घ.मी.)
1	बैतूल	कुम्हारिया	1	0.700	6480
2	घोडाडोंगरी	नान्दू	91	2.900	13500
3	घोडाडोंगरी	चिचड़ोल रैयत	30	8.000	15000
4	शाहपुर	धामन्या	1	5.000	22800
5	घोडाडोंगरी	कचलोरा -3	69	0.340	5700
6	घोडाडोंगरी	आमढाना रैयत-3	178	0.620	8250
7	घोडाडोंगरी	विष्णुपुर	1	2.000	18000
8	घोडाडोंगरी	झोली-1	99	5.000	15600
9	विचोली	बल्लोर	162	3.000	21000
10	विचोली	खपरिया	18	3.000	19500
11	शाहपुर	टॉगनामल	209	4.000	25200
12	शाहपुर	चिकली रैयत	316	4.000	10800

उक्त खनन योजनाओं का अनुमोदन इस शर्त पर किया जाता है कि निविदाकार मध्यप्रदेश रेत (खनन, परिवहन, भण्डारण एवं व्यापार) नियम 2019 के प्रावधानों का पालन करेगा।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

कलेक्टर,
जिला–बैतूल

पृ0क्रमांक/खनिज–2/2022/1914 बैतूल, दिनांक 29/12/2022

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, 29–ए अरेरा हिल्स, म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3. सदस्य सचिव, सिया पर्यावास परिसर ई–5 अरेरा कालोनी, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित।

कलेक्टर,
जिला–बैतूल

MINING PLAN

SUBMITTED AS PROVISIONS OF RULE 12 (1) MADHYA PRADESH SAND RULE 2019 (MINING, TRANSPORTATION, STORAGE AND TRADING)

BALLAUR SAND MINE

AREA: 3.00 HECTARES, KHASRA NO: 162

VILLAGE: BALLAUR, TEHSIL: CHICHOLI, DISTRICT: BETUL

(MADHYA PRADESH)

APPLICANT

M/S NATIONAL ENERGY TRADING AND SERVICES LIMITED,

PLOT NO 7, BINDU SADAN, 401 SAI CHANDRA COLONY, GREEN SPACE TULASI,

PUPPALGUDA, MANIKONDA, HYDERABAD, TELANGANA STATE, INDIA

TYPE AND CATEGORY OF MINE: OPENCAST/SEMI MECHANISED

PREPARED BY

SYED IQTADAR TANWEER

G-3 BALAJI, BRIGHT COLONY, IDGAH HILLS,

BHOPAL (M.P.)

REGISTRATION NO: RQP/DGMMP/211/2019-24

EMAIL: sI_tanweer@yahoo.co.in, MOB: 8827951620

APPROVED

COLLECTOR
BETUL

SYED IQTADAR TANWEER
RQP/DGMMP/211/2019-24

T. Priya Bandhad

CONSENT LETTER

Revised Mining Plan of Ballaur Sand Mine, Village Ballaur (3.00 ha) has been prepared by RQP Shri Syed Iqtadar Tanweer (RQP No DGMMP/211/2019-24) under Madhya Pradesh Minor Mineral Rules, 1996 for approval. The lease hold area is located in Village- Ballaur, Tehsil - Chicholi, District - Betul, MP, covering an area of 3.00 hectares.

The Director Geology and Mining, Madhya Pradesh, competent Authority is hereby requested to make further correspondence regarding this Mining Plan with the person and address mentioned below-

SYED IATADAR TANWEER
Recognized Qualified Person (RQP NO: RQP/DGMMP/211/2019-24)

G-3 Balaji, Bright Colony, Idgah Hills,

Bhopal (M.P.)
Email: si_tanweer@yahoo.co.in

Mob: 8827951620

An undertaking in this regard is being submitted that the Mining Plan so prepared by the recognized person is with my knowledge and consent and shall be acceptable to me in all respects. I have clearly understood the contents of the Mining Plan and agree to implement.

Place: Betul

Date:

J. Ruja Bandhari

M/s National Energy Trading and Services Ltd.
Address: Plot No 7, Bindu Sadan, 401 Sai Chandra Colony, Green Space Tulasi, Puppalguda, Manikonda, Hyderabad, Telangana State, India

J. Ruja Bandhari

APPROVED

CERTIFICAE FOR FULL CONSULTATION

This is to certify that Revised Mining Plan of Ballaur Sand Mine in village Ballaur of the applicant M/s National Energy Trading and Services Ltd., Village-Ballaur, Tehsil - Chicholi, District - Betul of Madhya Pradesh State covering lease hold area 3.00 hectares has been prepared by RQP Shri Syed Iqtadar Tanweer (RQP No: RQP/DGMJMP/211/2019-24), in full consultation with me and I have understood its contents and agree to implement the same in accordance with the law.

Place: Betul

Date:

J. Bijay Bandhari

M/s National Energy Trading and Services Ltd.

Address: Plot No 7, Bindu Sadan, 401 Sai Chandra Colony, Green Space Tulasi, Puppalguda, Manikonda, Hyderabad, Telangana State, India

APPROVED

J Bijay Bandhari

CERTIFICATE OF COMPLIANCE AND CORRECTNESS

- *Certified that the provisions of related Act and rules have been considered in the Revised Mining Plan of Ballaur Sand Mine in village Ballaur, area of 3.00 in Tehsil - Chicholi, District- Betul of Madhya Pradesh State, which belongs to the applicant M/s National Energy Trading and Services Ltd.*

- *Certified further that the provisions mentioned in Act, Rules and Regulations have been considered in the Mine Plan and wherever specific permissions are required, the applicant will approach to the concerned competent authorities including D.G.M.S. for the same.*

- *There is no violation against provision of Rules, Regulations of MMR, 1961 and there is no danger to human life.*

- *The information furnished in the Mine Plan is true and correct to the best of our knowledge.*

Place: Bhopal

Date:

Syed Iqtadar Tanweer

(RQP No: RQP/DGMJMP/211/2019-24)

J. Priya Sandhab

SYED IQTADAR TANWEER
RQP/DGMMP/211/2019-24

APPROVED

RQP CERTIFICATE

संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म मध्यप्रदेश

(मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम, 1996 के अंतर्गत)
खनन योजना / खनन स्कीम / पूर्वेक्षण रिपोर्ट / पर्यावरण प्रबंधन योजना / माईन क्लोजर प्लान बनाने हेतु मान्यता प्राप्त योग्य व्यक्ति

प्रमाण पत्र

श्री सैयद इक्तेदार तनवीर, पिता स्व. डॉ. कासिम नयाजी, पता जी–3, कासाजी, बाईट कालोनी, ईदगाह हिल्स, भोपाल, मध्यप्रदेश, जिनकी फोटो तथा हस्ताक्षर अभिप्रमाणित है, को मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम 1996 के अंतर्गत खनन योजना / खनन स्कीम / पूर्वेक्षण रिपोर्ट / पर्यावरण प्रबंधन योजना / माईन क्लोजर प्लान तैयार करने हेतु योग्य व्यक्ति के रूप में मान्यता प्रदान करते हुए पंजीयन क्रमांक **RQP/DGMMP/211/2019** आवंटित किया जाता है।

यह मान्यता प्रमाण पत्र 05 वर्ष की अवधि के लिये दिनांक **04.08.2024** तक वैध रहेगा।

मान्यता प्राप्त व्यक्ति के हस्ताक्षर –

भोपाल, दिनांक 05.08.2019

संचालक
भौमिकी तथा खनिकर्म
मध्यप्रदेश भोपाल

T. Raja Bandhara

CONTENTS

1. INTRODUCTION 3

1.1 GENERAL INFORMATION 5
1.2 AREA DETAIL & APPROACHABILITY 6

2. LANDUSE / INFRASTRUCTURE 7

2.1 PRESENT LAND USE STATUS: 7
2.2 INFRASTRUCTURE 7

3. TOPOGRAPHY AND GEOLOGICAL DETAILS 9

3.1 TOPOGRAPHY 9
3.2 REGIONAL GEOLOGICAL DETAILS: 9
3.3 REGIONAL GEOLOGICAL SETUP/SEQUENCE: 10
3.4 LOCAL GEOLOGICAL DETAILS: 11
3.5 EXTENT OF RIVER BED & ALLUVIAL SAND DEPOSIT: 12
3.6 PROSPECTING AND EXPLORATION DONE: 12

4. ESTIMATION OF RESERVES: 13

5. DEVELOPMENT AND PRODUCTION PROGRAM 16

5.1 PROPOSED METHOD OF QUARRYING: 16
5.2 MECHANIZATION: 18
5.3 BLASTING: 18
5.4 LOADING AND TRANSPORTATION OF SAND: 19
5.5 MANPOWER DEPLOYMENT: 19
5.6 PROPOSED YEARLY PRODUCTION PROGRAM 20
5.7 MINE LIFE: 20
5.8 USE OF MINERAL: 20

6. CONCEPTUAL PLAN 21

7. ENVIRONMENTAL MANAGEMENT PLAN 22

7.1 AIR QUALITY MANAGEMENT: 22
7.2 WATER MANAGEMENT: 22
7.3 NOISE MANAGEMENT: 23
7.4 WASTE MANAGEMENT: 23
7.5 BIOLOGICAL ENVIRONMENT 23

7.6 DISPOSAL OF MINING MACHINERIES:.....23
7.7 SAFETY AND SECURITY:.....24
7.8 DISASTER MANAGEMENT:.....24
7.9 CARE DURING TEMPORARY DISCONTINUANCE:.....24
7.10 ECONOMIC REPERCUSSION OF CLOSURE & MAN POWER RETRENCHMENT.....24
7.11 STATUS OF LOCAL EMPLOYEES:.....25
7.12 COMPENSATIONS:.....25
7.13 RECLAMATION & REHABILITATION:.....25
7.14 DISTANCE FROM THE NEAREST BRIDGE/DAM:.....25
7.15 SOCIO – ECONOMIC ENVIRONMENT:.....26
7.16 PLANTATION (AFORESTATION PROGRAM):.....26
8. PROGRESSIVE MINE CLOSUR PLAN 27
9. SAND REPLENISHMENT ASSESSMENT 28
9.1 NEGATIVE IMPACTS:.....28
9.2 POSITIVE IMPACTS:.....28
9.3 NEED FOR SAND REPLENISHMENT STUDY AND FACTORS TO BE CONSIDERED AND OBSERVED:.....28
9.3.1 WATER LEVEL DURING LEAN PERIOD:.....29
9.3.2 CATCHMENT AREA.....30
9.3.3 ORIGIN OF RIVER:.....30
9.3.4 DISTANCE OF TRAVELLING OF LOAD:.....30
9.3.5 SLOPE / GRADIENT / ELEVATION DIFFERENCE:.....30
9.3.6 GEOLOGY / LITHO UNITS:.....30
9.3.7 CLIMATIC CONDITIONS:.....30
9.3.8 TRIBUTARIES / CONFLUNCE:.....30
9.3.9 TYPE/STAGE OF RIVER AND FLOW VELOCITY:.....31
9.3.10 STRUCTURES:.....31
9.4 CONCLUSION:.....31

APPROVED

FIGURES

KEY PLAN

GOOGLE IMAGE

KHASRA MAP

PLATE 1- SURFACE PLAN AND GEOLOGICAL PLAN

PLATE 2- YEARWISE DEVELOPMENT PLAN AND SECTION

PLATE 3- ENVIRONMNETAL PLAN

PLATE4- YEARLY MONSOON WISE PLATE AND SECTION

ANNEXURES

SANCTION ORDER COPY

RQP CERTIFICATE

1. INTRODUCTION

The demand for ordinary natural river sand is enormously increased in building construction and infrastructural developments. The natural sand is started vanishing from the river beds besides causing natural and environmental hazards in surrounding areas due to illegal and unscientific mining without proper mining plan. Therefore, the government of India announced sand policy by fixing responsibility on related departments mainly Mines & Geology and Ministry of Environment and Forest (Pollution control boards). Accordingly, the Govt. of Madhya Pradesh formulated a natural sand policy to meet the sand demand in the state by undertaking systematic & scientific mining and protection of environment and by maintaining eco-balance in the surrounding areas by following the Govt. of India guidelines.

Based on the Government of India guidelines, this quarry plan is prepared for the proper development of mine area with safe quarrying operation. It also provides guidance and directives to be followed during the quarrying operation under the rules and regulations as imposed by the Government.

Mine has been allotted to National Energy Trading and Services Ltd., Address: Plot No 7, Bindu Sadan, 401 Sai Chandra Colony, Green Space Tulasi, Puppalguda, Manikonda, Hyderabad, Telangana State, India, over an area of 3.00 Hectares covering Khasra No 162, up to 30.06.2023 (As per Order No. 1862/Sand/2022, Betul, dated 23.12.2022).

In compliance to MP Sand (Mining transportation, Storage and Trading) Rule 2019 published in Gazette notification of Government of MP dated 30-08-2019 and as per the rule 42 of MP Minor Mineral Rules 1996, this Quarry plan is being prepared and submitted for approval to the Collector [Mining] Betul MP and quarrying operation start only after obtaining the statutory permission as per rule 14.

Priya Bandhan

APPROVED

1.1 GENERAL INFORMATION

Name of Applicant	M/s National Energy Trading and Services Ltd
Address of Applicant	Address: Plot No 7, Bindu Sadan, 401 Sai Chandra Colony, Green Space Tulasi, Puppalguda, Manikonda, Hyderabad, Telangana State, India
Quarry Village	Ballaur
Name of the River	Morand River (a tributary of Narmada)
Tehsil	Chicholi
District	Betul
State	Madhya Pradesh
Khasra No.	162
Area [Hectares]	3.00
Permitted Period	Up to 30.06.2023
Whether Recorded in Forest	Not recorded in any Reserved / Protected Forest Area
Status Of Applicant	Private Individual
Mineral (S) Which Applicant Intended to Mine	Sand
Sanction order Details Order No. & Date	As per Order No. 1862/Sand/2022, Betul, dated 23.12.2022
Ownership / Occupancy	Government Land, River Bed
R.Q.P. Address & Registration details/Mobile No	SYED IQTADAR TANWEER G-3 Balaji, Bright Colony, Idgah Hills, Bhopal (M.P.) Registration No: RQP/DGMMP/211/2019-24 Mob: 8827951780

J. Pinja Bandhara
LESSEE/APPLICANT
M/s National Energy Trading and Services Ltd., Hyderabad

J. Pinja Bandhara
Syed Iqtadar Tanweer
RQP/DGMMP/211/2019-2024

SYED IQTADAR TANWEER
RQP/DGMMP/211/2019-24

APPROVED

1.2 AREA DETAIL & APPROACHABILITY

Details Of Sanctioned Lease Area	Village	Ballaur
	Tehsil	Chicholi
	District	Betul
	River	Morand River (a tributary of Narmada)
	State	Madhya Pradesh
	Khasra No.	162
	Sanctioned Area	3.00 Hectares
Topo Sheet No.	55G/9	
Village Coordinates	22°13'28.96"N 77°39'16.37"E	

Site Co-ordinates (Latitude & Longitude)	Latitude	Longitude
	22°13'3 1.8"N	77°37'49.09"E
	22°13'31.47"N	77°37'48.08"E
	22°13'13.60"N	77°37'50.18"E
	22°13'13.97"N	77°37'51.72"E

Approach & Accessibility	From Site	Approx. Distar
	District Head Quarter Betul towards SE	42 km
	Tehsil – Chicolii towards S	25 Km
	Village – Ballaur - SW	1.0 Km
	Nearest Railway Station Dhodramohar Towards NEE	24 Km
	NH-46 - NEE	24 Km
	Health Centre (Village Ballaur)	0.3 Km
	Nearest Bridge Towards S	2.8 Km
	Monuments / Places of Social importance	None Nearby
	National Parks	Not within 10 Km
	Reserve Forest	Not within 250 m

J. Ranjan Bandhari

APPROVED

2. LANDUSE / INFRASTRUCTURE

2.1 PRESENT LAND USE STATUS:

Sand Mining lease has been sanctioned for a period of up to 30.06.2023 over an area of 3.00 Hectares on a River Bed (Morand a tributary of Narmada) for quarrying and transportation of sand. Quarrying & related activities shall be carried out from the top surface level.

Present land use status of the sanctioned area is as under:

Total Lease Area	**3.00 Ha**	**30,000 M²**
Barrier Zone / Safety Strip	9,700 M²	
Area under water/ Non-Mining Area	2,300 M²	
Available /Allowable Working Area	**18,000 M²**	

2.2 INFRASTRUCTURE

- **Power Supply** - Electrical Power is not available; Shall be arranged from the nearby supply line if required with proper NOC from concerning Department.

- **Communication & Transport** - Site is well connected with District Headquarter and other towns by road. Buses and private taxis are frequently available from district and Tehsil headquarters up to the village. Quarry site is approachable from village by private means.

- **Land** -Quarry lease area situated on river bed and is a non-forest government land.

- **Water Supply** - Dug wells and bore wells available in the vicinity to meet the requirement of drinking water. Water is potable & hygienic as no adverse effects noticed in habitants of nearby area.

- **School Facilities** - School facilities for primary education are available in the village Panchayat; Middle school or higher studies are present in District Headquarter Betul and Tehsil Chicholi.

J. Priya Bardhan
LESSEE/APPLICANT
M/s National Energy Trading and Services Ltd., Hyderabad

J. Priya Bardhan
Syed Jahedar Tanveer
RQP/DGNP(0)/211/2019-2024

APPROVED.

- **Man Power** - Mine workers shall be arranged from nearby villages therefore no constraint regarding availability of manpower in the area.

There are no places of national and social importance exist within the radius of 500 m of mine site.

J. Brijbandhan

APPROVED

3. TOPOGRAPHY AND GEOLOGICAL DETAILS

3.1 TOPOGRAPHY

The lease area falls in a River Bed (Morand River). Since, the sand area falling partly at the non-active river bed, the general surface level of the lease area is undulating with negligible thorny bushes/shrubs and comparatively lower than the surroundings. The surface level of the mine lease is around 480-482 MSL. The drainage direction is towards north in the lease area.

Topography of the area has been derived due to alluvial deposition on the flood plains of Narmada River and its Rivulets. General slope of the lease area is from south to north. The drainage pattern in the area is dendritic.

3.2 REGIONAL GEOLOGICAL DETAILS:

The district has four district physiographic division viz (i) Satpura plateau in Tawa and Morand valleys (ii) The Satpura plateau in central and (iii) southern part of the district (iv) and Tapti valley. The whole district lies on Satpura plateau at an elevation of 365m above mean sea level. The general elevation is about 609m at Kilendeo form the highest peak in the northern and central parts of the district. Tawa valleys lies at on elevation of 396m amsl between peaks of Kilandeo and Bhogwangar, the general scope of the valley is towards the North West.

APPROVED

3.3 REGIONAL GEOLOGICAL SETUP/SEQUENCE:

Age	Lithounits	Rock types
Quaternary		Soil and alluvium
----------Unconformity----------		
U. Cretaceous to Eocene	Deccan Trap	Non-porphyritic and porphyritic basalt
----------Unconformity----------		
U. Cretaceous	Lameta	Sandstone, shales and limestone
----------Disconformity----------		
U. Cretaceous	Upper Gondwana	Sandstone, siltstone, conglomerate and clay
----------Unconformity----------		
Archaean		Quarzo-feldspathic gneiss with dolerite intrusions

Archaeans

The crystalline metamorphic and igneous rocks cover approximately 20% of the total district area. The igneous rocks are intensive granite and pegmatite veins intending the metamorphic rocks. Quartz pegmatite views are common features and occurs as broad dykes and thin strings. The ground basins are conterminous with surface drainage sub basin thus ground water flow system is of local types where end system has its recharge area at topographic low. The Archaeans are mainly occupying the Betul, Chichab, Multai and Amla blocks. These rocks do not have primary porosity and hydraulic conductivity. The weathered part of the crystalline rocks is called saprolite, which is of particular interest from the point of view of storage zone for ground water and as an aquifer for open well and shallow tube wells. The thickness of this zones in the entire district area ranges from 2.5 to 30.00 m. in this formation, aquifers also occurs where bed rock and quartz pegmatite intensive vein are jointed and fractures.

APPROVED

The yield depends upon saturated thickness of the weathered mantle and fracture pattern of the rocks.

Gondwana

The Gondwana rocks are comprising succession of sand stone, shales with seems of coal lying over the metamorphic rocks of crystalline Archaean system with a district unconformity. The beds of Gondwana rocks are distributed in patches and lie in a liner trend coinciding almost with the present river valleys. There rocks show considerable faulting. The Talchir beds consisting of sandstone and green clays with boulders contain plant fossils. There are bounded by faults. The west and north west of Betul, there are out of Gondwana rocks which separates decant traps from Archaeans rocks. Barkars of Gondwana group contains coal seams.

Deccan Traps

Deccan traps comprising varies types of basaltic lava flows and most extensive rocks in the district. There rocks occupying in Betul, Multai, Bhimpura, Chicholi, Bhainsdehi, Atner and Prabkat pattam blocks. The base of the flow consists of a porons layers of earthy basalt which passes rapidly into the main body. Of flow consisting of great thickness of hard basalt. Generally, the Deccan trap in the area occurs in the form of fractures, weathered and vesicular basalts.

3.4 LOCAL GEOLOGICAL DETAILS:

The top layer of applied area forms a part of stream bed covered mainly with sand deposits with rare colluvial material belonging to recent river alluvium up to 4.0 m. Quarrying will be concentrated up to 3.0 m only for extraction of sand. However, it is found that minimum 4m thick sand deposit is available throughout the lease within the top most layer of recent alluvium. This top sandy layer is underlain by laterite followed by Deccan trap.

Altitude of the area- Average elevation of the area is- 481 m

High flood Level (HFL) – 483 m

APPROVED

Low flood Level (LFL) – 480 m

Surface and geological map with cross section of the area on 1: 2000 scale with suitable contour intervals showing general topography and geology has been enclosed.

3.5 EXTENT OF RIVER BED & ALLUVIAL SAND DEPOSIT:

The sand quarry lease area is elongated along the course of the river with an orientation of south to north and lies before a meander. The deposit of sand is available on full width and length of the lease.

The sediment in the form of river bed material i.e., sand has deposited in the last many years as a process of sedimentation in the paleochannels. Sand bars have been formed at various places hindering the flow of water and excess deposition has changed the shape of the river bed. Because of this, during monsoon season, the water may rise above the high flood level causing heavy and devastating floods. Such disasters may damage large tracts of land laying on both banks of the river especially the agricultural lands.

Accumulation of the sand deposit on the river bed is annual process. It is replenishable due to sediment inflow during floods in rainy season. Thickness of river bed where sand deposited every year varies but excavation of sand is permitted up to 3 m depth or up to top level of water table whichever is less. The summer water table goes down to 4 m below surface. Hence sand can easily be extracted up to 3 m depth in dry season.

3.6 PROSPECTING AND EXPLORATION DONE:

This is the revised mining plan and mining lease has already been excavated in the past. Based on post monsoon yearly survey by local mining officer and observations conducted by lessee, sand deposit in the lease has completely been replenished and average thickness of sand deposition within the sand accumulated area is observed to be > 3.0 m in proposed sand bed and considered for estimating the reserves.

Since sand exposed all over within the sand accumulated area of the lease and depth is proved, therefore, future prospecting has not proposed in the area. However, a

APPROVED

survey likely to be conducted by local mining officer to ascertain the depth of sand accumulation during post monsoon every year.

4. ESTIMATION OF RESERVES:

The applied sand lease area is about 1Km northeast from village Ballaur and located in the river bed of Morand River that flows from south to north.

In order to estimate the reserves, DGPS survey has been carried out to define the topography, contours and offsets of the lease area. Khasra map has been considered as base map to demarcate the mine lease boundary. The shape and size of the mine lease has been fixed as per the sanctioned demarcated Khasra map of the lease area by DGPS survey.

The area has been fully demarcated with respect to geographical coordinates and surface reduced level taken at every point of cluster. To describe the elevation in detail, 0.5m contour interval has been picked for the preparation of surface plan and cross section which includes collection of surface reduced level in an interval of 0.5m for reserve estimation. The maximum elevation observed to be 482m from MSL and whereas minimum elevation recorded to be 480m MSL with the lease area.

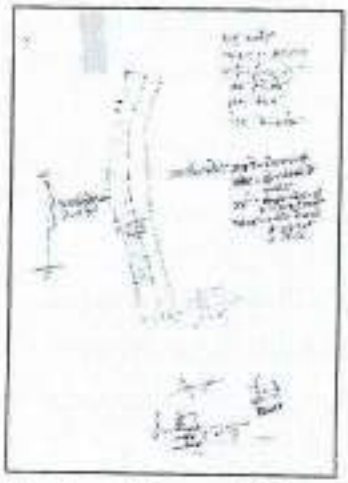

Sanctioned demarcated area (Khasra)

Demarcated area on Google Image

Very gently sloping or almost flat topography of the lease is the main reason for having sufficient quantity of sand available for removal. In addition, the location of applied lease

LESSEE/APPLICANT
M/s National Energy Trading and Services Ltd., Hyderabad

Sanjay Iqbalrao Tanwar
RQP/DGM(M)/211/2019-2024

APPROVED

lies on a meander making it suitable for sand deposition, therefore good deposit of sand is available on full width and length of the lease.

As per the Point (r) page 24 of Guidelines of Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining, Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MOEF & CC) January 2020 **"River bed sand mining shall be restricted within the central 3/4th width of the river/rivulet or 7.5 meters (inward) from banks but up to 10% of the width of the river"**

The mineral sand is exposed in full width and length of the lease and follows very gently sloping topography.

This is the revised mining plan and mining lease has already been excavated in the past. Based on post monsoon yearly survey by local mining officer and observations conducted by lessee, sand deposit in the lease has completely been replenished and average thickness of sand deposition within the sand accumulated area is observed to be > 3.0 m in proposed sand bed and considered for estimating the reserves.

Since sand exposed all over within the sand accumulated area of the lease and depth is proved, therefore, future prospecting has not proposed in the area. However, a survey likely to be conducted by local mining officer to ascertain the depth of sand accumulation during post monsoon every year.

Specifications considered for the estimation are as under:

Area specification	Values
Sanctioned lease area	3.00 hac or 30,000 M^2
Area submerged in water/Non mining	2,300 M^2
Area under Barrier / Safety zone within sand accumulated area	9,700 M^2
Available Mineable area where sand has been deposited/accumulated is 60% of total lease area and it follows Point (r) page 24 of Guidelines of Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining, Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MOEF & CC) January 2020 which says that Maximum allowable mineable area cannot be more than 60% of total lease area (**18,000 M^2** is 60% of 30,000 M^2)	**18,000 M^2** (Total lease area – non mining area - barrier zone) (30,000 M^2 -2,300 M^2 -9,700 M^2 = 18,000 M^2)

J. Pruja Bandhab
LESSEE/APPLICANT
M/s National Energy Trading and Services Ltd., Hyderabad

J Pruja Bandhab
14
Syed Iqtadar Tanweer
RQP/DGMMP/211/2019-2024

APPROVED

SYED IQTADAR TANWEER
RQP/DGMMP/211/2019-24

As the extractable area 18 gently sloping, hence the volumetric method adopted for reserve estimation.

The thickness of sand is more than 2.5m. The water level fluctuates from 3-4m during post- monsoon to pre-monsoon (October to June). However maximum of 1.17 m depth of sand deposit has been considered for estimation.

Area [M^2] X Depth [m] = Volume [M^3]

Total available sand – 18,000 M^2 x 2.5 m (Max Thickness) = 45,000 m^3

Total mineable sand – 18,000 M^2 x 1.17 m (Average Thickness) = 21,060 or 21,000 m^3

Total mineable reserve estimated to be 21,000 M^3

The safety/environmental and replenishment factors have been considered and only 60% of lease area is taken as sand extractable area for reserve estimation.

APPROVED

COLLECTOR
BETUL

LESSEE/APPLICANT
M/s National Energy Trading and Services Ltd., Hyderabad

15

Syed Iqtidar Tanweer
RQP/DGMMP/211/2019-2024

SYED IQTADAR TANWEER
RQP/DGMMP/211/2019-24

5. DEVELOPMENT AND PRODUCTION PROGRAM

5.1 PROPOSED METHOD OF QUARRYING:

The mining operation will be carried out by semi mechanized method and all the related activities shall strictly be done according to the M.M.R 1991 rule without blasting
As per the Sustainable Sand Mining Management Guidelines 16, there are total 5 extractions methods and are follows as;

a) Bar scalping and skimming is extraction of sand and gravel from the surface of bars. This method generally requires that surface irregularities be smoothed out and that the extracted material be limited to what could be taken above an imagery line sloping upwards and away from the water from a specified level above the river water level at the time of extraction (typically 0.3-0.6m). Bar scalping is commonly repeated year after year. To maintain the hydraulic control provided to upstream by the Riffle head., the preferred method of bar scalping is now generally to leave the top 1/3rd (approximately) of the bar undisturbed, mining only from the downstream 2/3rd.

b) Dry-Pit Channel Mining

Dry-Pit channel mining is the method where pits excavated within the active channel on dry intermittent or ephemeral stream beds. Dry pits are often left with abrupt upstream margins, from which head cuts likely to propagate upstream.

c) Wet-Pit Channel Method

It involves excavation of a pit in the active channel below the surface water in a perennial stream or below the alluvial groundwater table.

d) Bar Excavation

A pit is excavated at the downstream end of the bar as a source of aggregate and as a site to trap sand and gravel. Upon completion, the pit may be connected to the channel at its downstream end to provide side channel habitat.

e) Channel – wide River bed Mining

In rivers with a highly variable flow regime, sand and gravel are commonly extracted across the entire active channel during the dry season. The bed is flattened and uniformly (or nearly so) lowered.

As per the Sustainable Sand Mining Management Guidelines 2016, there are 5 extraction method as mentioned above in total out of which 'Channel-wide River bed Mining' method shall be adopted with respect to type of river bed deposition. Mining shall be done in layers of 1 meter depth to avoid ponding effect and after first layer is excavated, the process will be repeated for the next layers.

Previous year water level regime monitoring season of river bed is observed. The water level fluctuation in the river bed is from 0.0-3.0. It means the water level about 0.0m to 1.0m describes a monsoon season (July-September) where water covers the whole riverbed and flows almost uniformly throughout the river course. In case of river sand bed of about 2m water level define the post monsoon season (October to December) in which water level drops and part of river bed exposed/ dried in certain part of river channel or sand mine spot due to difference in contour elevation as well as replenished sand. In case of river having about 3.0 m water level describes pre-monsoon season (from March to mid of June).

During post monsoon (October to February) mining will be carried out in layers of 1-meter depth for maintaining the river bed water level regime (Plate 4).

During pre-monsoon (March to June) mining will be carried out in 2nd layers of 1 meter depth after completion of 1st layer for maintaining the river bed water level regime (Plate 4).

No bench can be maintained in river sand hence bench wise mining cannot be proposed.

Due to continues accumulation of sand in the area during rainy season, there will not be much depletion in the reserve of sand, hence reserve is likely to be remain same every year and in future also. The Lease period has been sanctioned up to 30.06.2023, accordingly three years production plan can be envied as below:

J. Pruja Bandhoo

APPROVED

Semi-mechanised method of quarrying shall be undertaken during quarrying operation and all the related activities shall strictly be followed according to M.M.R 1991 rule without blasting and drilling.

Mining operation shall be based upon Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining, Ministry of Environment, Forest and Climate change January, 2020.

Quarrying progression will be from southeast to northwest, whereas mine face will be west to east. However, mine facing may be adjusted based on best environment friendly practices.

5.2 MECHANIZATION:

An open cast quarrying by semi mechanized method will be adopted for extraction of ordinary sand, keeping the productivity and safety in mind.

Semi mechanized quarry operation shall be done by utilizing JCB, hand Shovel, spade, crow bars, water tanker etc. will be required to deploy for mining works, Dumpers will be required for loading and transportation purpose.

JCB	1 No
Dumper	2 No. (Capacity- 12 m3)
Water tanker	1 No.

5.3 BLASTING:

Not applicable.

J. Priya Bandhavi

5.4 LOADING AND TRANSPORTATION OF SAND:

Dumpers / tipper shall be used for transportation purpose.

For transporting the sand from lease area to the bank and for further destinations (end users/market), following estimation has been followed.

Yearly Production	21,000 m^3
Daily Production Assuming 240 working days leaving rainy season	88 m^3/day
Capacity of Dumper	12m^3
One dumper can carry (as a safety measure)	10m^3
Total number of trips required	9
Total Dumper Required (capacity 10 m^3)	2

The above per day calculations are for reference purpose only. The removal of sand shall be done as per demand and these figures may change drastically but within the limit of yearly production of 21,000 M^3.

5.5 MANPOWER DEPLOYMENT:

Required number of man power/labor is easily available from the surrounding villages. Requirement of manpower depends on the production and taking into account an average rate of annual production of 21,000 m^3 and assuming 240 working days per year, around 88 m^3 of proposed production to be achieved per day.

Keeping an average output per man per shift about 8 m^3 (OMS), then around 11 persons shall be required in the mine site.

Considering a presence of site foreman is important and a manager, a total of 12-13 persons shall be required to manage the mining operation.

Number of shifts proposed for per day is one shift / day. Depending upon the demand of sand, working time may be adjusted following the rules and making proper arrangements in place.

J. Puja Reddhan

APPROVED

5.6 PROPOSED YEARLY PRODUCTION PROGRAM

Due to continues accumulation of sand in the area during rainy season, there will not be much depletion in the reserve of sand, hence reserve is likely to remain same every year and in future also. The Lease period of 3 years has taken as per the provisions of rule 9 of Madhya Pradesh Sand (Mining, Transportation, Storage and Trading) Rule, 2019. Accordingly, three years production plan can be envied.

It is to be noted that applied lease area has been sanctioned up to 30.06.2023 only, therefore 1st year production has been provided in the table below. However, if lease extended for two more years, then the same quantity, i.e., 21,000 M^3 per year can be extracted for another two years.

Years	Available Extractable Mining Area M^2 (60% of Lease Area)	Depth M	R O M M^3	Waste M^3 (10%)	Maximum proposed sand Production M^3
1st Year	18,000	1.17	21,000	Nil	21,000

5.7 MINE LIFE:

Mine has been sanctioned for the excavation of sand until 30.06.2023. Quarry lease may further be allotted to some other agency in future.

This is a river bed quarrying case, every year after monsoon, the sand deposit gets replenished and is available for ensuing years: hence river bed deposit has no fixed mine life.

5.8 USE OF MINERAL:

Sand so extracted from the mine lease, will be sold locally as building material. It is usually mixed with cement and other ingredients to create mortar for building. It is also used in brick manufacturing industries.

APPROVED

COLLECTOR
BETUL

Syed Iqbaldar Tanveer
PQR/DSMM/211/2019-2024

LESSEE/APPLICANT
M/s National Energy Trading and Services Ltd, Hyderabad

6. CONCEPTUAL PLAN

Mine applied lease spread over a total area of 30,000 m^2. Though sand thickness found to be more than 2.5m but and for ease of operation, actual digging depth restricted up to 1.17 m only. However, pits generated by quarrying will be replenished during rainy season. Quarrying will be worked systematically as the width is smaller than its length. As the lease period has been sanctioned until 30.06.2023, some of the area will be left un-worked at the end of lease period.

During plan period workings will be carried out in one stretch at a time. Scattered workings will ensure safety, remove congestion and will have better control and management.

Bank side natural slope will not be disturbed. This will prevent collapse of bank and erosion.

There will be no soil or OB removal during the plan period. Therefore, no proposal has been envisaged for its separate dumping. No outside material will be filled up in the extracted zone.

J. Priya Bandhavi

APPROVED

7. ENVIRONMENTAL MANAGEMENT PLAN

7.1 AIR QUALITY MANAGEMENT:

Dust during quarrying, fumes and exhaust emission due to transportation of vehicles are the main causes of air pollution.

Personal Protection Equipment's (PPE) like dust masks, ear plugs etc. will be provided to mine workers

It can be effectively controlled by regular water sprinkling on roads.

Mineral carrying vehicles should be covered with tarpaulin and shall not be over loaded.

Proper maintenance of transport vehicles and PUC certification will minimize the exhaust emission. Adequate plantation will also support to maintain air quality.

7.2 WATER MANAGEMENT:

Sand quarrying activities will have an impact upon the river's water quality. Impacts include increased short-term turbidity at the mining site due to re suspension of sediment, and dumping of excess mining materials, oil spills or leakage from transportation vehicles and washing of vehicles in the river.

Increased riverbed and bank erosion increases suspended solids in the water at the excavation site. Suspended solids may adversely affect water towards downstream and aquatic ecosystems.

The impact is particularly significant if water toward downstream of the site being abstracted for domestic and irrigation purposes etc.

Quarrying is avoided during the monsoon season and at the time of floods. This will help in replenishment of sand in the river bed.

Quarrying below subterranean water level will be avoided as safe guard against environmental contamination and over exploitation of resources.

River stream will not be diverted to form inactive channels.

Meandering segment of river would be selected for mining in such a way to avoid natural eroding banks and to promote mining on naturally building meander components.

Utmost care will be taken to avoid the used of fuel leaking vehicles for sand transportation

The washing of trucks in the river will be avoided.

7.3 NOISE MANAGEMENT:

In manually operated sand mine, noise is generally created by transportation of vehicles.

Onsite and offsite noise management are:

Plantation of trees along the river bank and transport route beyond the bank shall be undertaken to dampen the noise, if possible.

The vehicles shall be maintained in good running condition so that noise will be reduced to minimum possible level.

Awareness will be imparted prior to quarrying operations that smoke silencers remain in a good condition and not to generate noise.

Unnecessary use of horns by the drivers of the vehicles shall be avoided at village areas.

7.4 WASTE MANAGEMENT:

There is no top soil expected to be produced in the plan period. No other waste anticipated to be generated hence waste disposal arrangement is not required.

7.5 BIOLOGICAL ENVIRONMENT

The proposed quarrying will be undertaken from the dry bed of the river on a small scale, therefore unlikely to impact the aquatic environment or any fauna or floral environment.

7.6 DISPOSAL OF MINING MACHINERIES:

No disposal of machineries would take place onsite and hand tools, tractors, dumpers will be deployed on hire basis.

7.7 SAFETY AND SECURITY:

Prior to mining, short awareness/training program will be conducted for site staff to make them aware regarding safety aspects and environment friendly work practices.

First aid kit and anti-venom injection for snake/insect bite shall be provided at mine site.

If some causality or injury to animal occurs, it will be informed to forest department and proper treatment will be given.

No lighting will be allowed in the area.

No tree cutting, chopping, lumbering, uprooting of shrubs and herbs will be allowed.

No track or new road for movement of site workers or vehicles be laid in adjoining area, this will prevent fragmentation, encroachment and human verses animal encounter.

Corridor for movement of wild mammals (If exists) will be avoided for mining/transport purposes

If wild animals are noticed crossing the river bed, they will not be disturbed or chased away, instead the workers will move away from their path.

7.8 DISASTER MANAGEMENT:

Nature of mining method is very simple and high-risk accidents are not anticipated. In case of natural disaster, lessee will take assistance from local government officials.

7.9 CARE DURING TEMPORARY DISCONTINUANCE:

No major quarrying machineries will be deployed as mining shall be undertaken manually. Most of the tools/equipment shall be on hire basis, in such cases, care will be taken as per the terms and conditions of contract. During temporary discontinuance, a watchman should be present to look after the mine site.

7.10 ECONOMIC REPERCUSSION OF CLOSURE & MAN POWER RETRENCHMENT

This quarry lease sanctioned for defined time period, most of the facilities and man power will be deployed on hire basis and in such case, care will be taken as per terms and conditions of contract.

APPROVED

7.11 STATUS OF LOCAL EMPLOYEES:

Local residents will be proposed to employ from the nearby areas which already have their own traditional and family occupation like agriculture, fisheries and other sundry jobs. During monsoon and some other season or at the end of mine period they can easily join their respective employments.

7.12 COMPENSATIONS:

Retrenchment compensation to the employees as and when required will be done as per Government Labor legislation.

7.13 RECLAMATION & REHABILITATION:

The applied area comprises mainly sand, and negligible quantity of coarser material. The proposed area is the zone of active erosion during high flood time, otherwise it is a zone of deposition between two stream flows. So, no manual reclamation is needed. It is expected that the reclamation of the affected area will be automatically done by filling with sand flow in the rainy season depending on the amount of rain fall received by the area and the rate of river flow.

There is no human settlement within the quarry area. No human settlement will be disturbed due to the Quarrying activity. So, no rehabilitation and resettlement are proposed.

7.14 DISTANCE FROM THE NEAREST BRIDGE/DAM:

There is a bridge located around 2.8 km S, upstream of the lease and constructed on Morand River. However, none is located within mine lease area.

Pooja Bandhari

APPROVED

7.15 SOCIO – ECONOMIC ENVIRONMENT:

There will be positive effect to some extent on socio – economic environment of the area as quarrying activity will create new job opportunities for the local people, which ultimately improve their financial status.

7.16 PLANTATION (AFORESTATION PROGRAM):

The implementation for development of green belt will be of paramount importance as it will not only add up as an aesthetic feature, but also act as a pollution control tool.

The species to be grown in the area should be dust tolerant and fast growing so that permanent green belt is created.

In order to stabilize the river bank erosion, the plants having good growth will be planted along the river bank. Trees may also be grown along approach roach to the village and along village road as well as in the village as feasible in consultation with local gram panchayat, DFO and other stake holders.

Lease area is 30,000 M^2 and as per latest guidelines, total trees to be planted @1500 trees per hectare, i.e., a total of 4,500 trees shall be planted in within the lease period.

Total no. of trees to be Planted: - 4,500			
Phase	Name of Tree	No. of Plants to be Planted	Location
Within lease period	Pipal, Munga, Kathal, Bargad, Jamun, Neem, Arjun, Kadam Belpatra, Mango	4,500	Bank of the river – 2,000 nos Ballaur and surrounding villages – 2,500 Suitable available nearby government land or along the road in consultation with local Gram Panchayats, DFO and other stake holders

APPROVED

8. PROGRESSIVE MINE CLOSUR PLAN

This is a sanctioned quarry which may again be sanctioned after its expiry on 30.06.2023. The actual working area (sand accumulated area) within the proposed area is the zone of active erosion during high flood time, otherwise it is a zone of deposition and mined out areas may or may not be automatically replenished with sand flow in the rainy season each year, hence progressive plan is not envisaged.

Statutory Obligations: No statutory obligations imposed till now; routine legislative conditions will apply as mentioned in approval letter.

APPROVED

9. SAND REPLENISHMENT ASSESSMENT

Sand quarrying from river bed will cause degradation of land use pattern and damage to the environment. Over exploitation of sand from river bed will definitely affects adversely on the surrounding environmental status. Deposition of sand is a continuous natural process, but the over drafting will never be permitted to ensure the balance between exploitation and replenishment potential of river sand.

Sand quarrying from river bed will have both positive and negative impacts;

9.1 NEGATIVE IMPACTS:

It includes destruction of natural river course, bank erosion, bank cutting and widening and deepening of river bed. Change in hydrological status and recharging conditions. Disturbance to closely linked flora, fauna and aquatic life.

9.2 POSITIVE IMPACTS:

Employment and socio-economic status of the habitants living besides the river depends on sand mining industries. Construction of concrete infrastructures, roads and some other related activities depends on the river bed sand. Continuous accumulation of sand ultimately leads to the reduction in water carrying capacity of the river leading excessive flood in the river. Sustainable extraction of sand from river will lead to overcome the problem.

9.3 NEED FOR SAND REPLENISHMENT STUDY AND FACTORS TO BE CONSIDERED AND OBSERVED:

Environmental status of the mined-out area may be affected badly if proper care is not taken to ensure sustainable extraction of sand from river bed. Proper study of the following factors must be taken into consideration to reveal the actual potential of sand deposition in river course after completion of periodical excavation annually. The main factors required to be considered for the study of the replenishment potential of particular river course are:

Formation of sand comprises of the following;

Catchment area and geological strata,

Erosion, weathering

Climatic conditions, Precipitation

Geomorphology, Physiographic Manmade structures and activities details .

Geological formations Refer to Chapter 3.

Deposition/sedimentation of material or sediment yield depends upon several factors like;

-Catchment area

-Span of river / flood plain

-Travelling distance of suspended particles

-Slope / gradient / depth of water channel / meandering of river

- Geology traversed

- Climatic conditions

-Tributaries / Confluence

- Type / stage of river and flow velocity

-Occurrence of natural and manmade structures.

-Flow during lean period.

9.3.1 WATER LEVEL DURING LEAN PERIOD:

River course at area under consideration attains youth stage, flow velocity is moderate, turbulence occurred due to meanders created due to lineaments. Elevation of both the banks are within the range of 2.5 to 3.5m above river bed. After monsoon river flows in full swing covering both the banks. During monsoon floods the water level rises by 2 to 3 m High flood level of river goes up to 483 m in due course of time after monsoon water channel level goes down gradually, during lean period water level maintained at 480-481 m.

APPR

9.3.2 CATCHMENT AREA

The Morand River basin comprises an area of about 290 Km2. The southern boundary is marked by low-lying hills and or high grounds. The basin area is highly undulating with isolated hills and plains. The ground elevation ranges between 480 m and 665 m. above MSL. The ground slopes from south to north.

9.3.3 ORIGIN OF RIVER:

The Morand River (a tributary of Narmada) flows from south to north into Narmada. The origin of the river is near hills of village Ratanpur, Madhya Pradesh at an elevation of 665 m.

9.3.4 DISTANCE OF TRAVELLING OF LOAD:

Morand River course is around 62 km approx. from the origin to mine site.

9.3.5 SLOPE / GRADIENT / ELEVATION DIFFERENCE:

The highest elevation of **Morand River** at the origin is around 665 m and the elevation at mine site is 480 m above msl. There is an elevation difference of around 185 m.

9.3.6 GEOLOGY / LITHO UNITS:

River originates mainly from Deccan Trap rock formations and further continues over the same rock formations with other formations in parts.

9.3.7 CLIMATIC CONDITIONS:

Climate of the district is tropical with moderate winter and severe summers and well distributed rainfall received from southwest monsoon. However due to higher general elevation and abundance of forests, summer temperature does not rise as much as in other areas. The normal annual rainfall of Betul district is 1129.6mm.

9.3.8 TRIBUTARIES / CONFLUNCE:

Several other small seasonal streamlets (Nallas) join this tributary resulting in the increase of its overall catchment area. However, no nallas join this river near the site.

9.3.9 TYPE/STAGE OF RIVER AND FLOW VELOCITY:

River attains youth stage at the mine site. Flow velocity is moderate to high. Lease area lies in the middle of two meanders making it suitable for sand deposition.

9.3.10 STRUCTURES:

From our study no major structures have been observed in the river course near the site. There is a bridge located around 2.8 km S, upstream of the lease and constructed on Morand River. However, none is located within mine lease area.

9.4 CONCLUSION:

In Betul district, Morand River basin where lease area is located comprises an area of about 290Km^2. The southern boundary is marked by low-lying hills and or high grounds. The basin area is highly undulating with isolated hills and plains. The ground elevation ranges between 480 m and 665 m. above MSL. The ground slopes from south to north.

The Average rainfall of Betul district is 1129.6mm. The district receives high rainfall mostly during July to September which will be leads to the deposition of the sufficient quantity of the sand every year within the old working area.

Dandy Bolton Formula has category stated use of the equation to predict sediment yield for a specific location would not be always correct because of the wide variability caused by local factors not considered in the equation development. Actual sediment yield from individual drainage basins may vary 10-fold or even 100-fold computed yields.

Looking at the basic information available about the concerning river basin, it is concluded that proposed quantity of 21,000 cubic meter per year can be excavated from the quarrying site and the replenishment of the same will be done easily as regular annual process following the topographical control.

Total replenished quantity of sand available each year within the lease hold area will be:

Total Leasehold area -3.00 ha

Total sand available -3.00 x10000x2.5 (max thickness) = 75,000 m^3

Taken all safety measured and environmental concerns, only 1.8 ha leasehold area (60% of lease area) is available for mining.

Total sand available -18,000 m^2 x 2.5m (Max. Thickness) = 45,000 m^3

Total mineable sand - 18,000 m^2 x 1.17m (Avg. Thickness) = 21,000 m^3

Thus, from measured sand reserve of about 45,000 cubic meters, only 21,000 cubic meter sand per year will be extracted.

Out of the above annual replenishment, it is proposed to mine only 21,000 cubic meters up to a maximum depth of 1.17 m.

Thus, there will be no long – term impact on the riverbed which will have surplus sand left after extraction of the proposed amount each year and PP will be extracting less than 50 % of the annual replenished sand within its lease hold.

Above estimation is based upon existing site conditions. Next year estimation shall be worked out after monsoon using volumetric methods. In the applied area, replenishment depends upon the yearly rainfall, if adequate amount of sand will not replenish during monsoon, then excavation of sand will be limited to the quantity which will be equivalent to the replenished material up to a maximum depth of 3m only.

PLAN PREPARED FOR -

M/s National Energy Trading and Services Ltd.

Address: Address: Plot No 7, Bindu Sadan, 401 Sai Chandra Colony, Green Space Tulasi, Puppalguda, Manikonda, Hyderabad,
Telangana State, India

PLAN PREPARED BY RQP -

SYED IQTADAR TANWEER
G-3 Balaji, Bright Colony, Idgah Hills,
Bhopal (M.P.)
Registration No: RQP/DGMMP/211/2019-24

LESSEE/APPLICANT
M/s National Energy Trading and Services Ltd., Hyderabad

32

Syed Iqtadar Tanweer
RQP/DGMMP/211/2019-24

APPROVED

SYED IQTADAR TANWEER
RQP/DGMMP/211/2019-24

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला–बैतूल (म.प्र.)

प्रारूप–तीन

(नियम 11(3) एवं 11(5) देखिए)

आशय–पत्र

क्रमांक/रेत/2022/1862 बैतूल, दिनांक 23/12/2022

प्रति,

मेसर्स नेशनल एनर्जी ट्रेडिंग एण्ड सर्विसेज लिमिटेड
पता–प्लॉट न. 7, बिन्दु सदन, 401 सांई चंद्र कॉलोनी,
ग्रीन स्पेस तुलसी, पुष्पलगुडा, मणिकोंडा, हैदराबाद,
रंगारेड्डी, तेलंगाना–500089

विषय :– ई–निविदा क्रमांक 1691 दिनांक 17.11.2022 के संदर्भ में ग्राम (सूची अनुसार) तहसील (सूची अनुसार) जिला बैतूल रकबा (सूची अनुसार) हेक्टेयर क्षेत्र की खदान समूह क्रमांक (संपूर्ण बैतूल जिला) रेत खदानों हेतु आशय–पत्र।

––00––

1. पृष्ठभूमि :

1.1 मध्यप्रदेश रेत (खनन, परिवहन, भण्डारण एवं व्यापार) नियम 2019 (यथा संशोधित) के अनुसरण में कलेक्टर जिला बैतूल द्वारा मध्यप्रदेश के जिला बैतूल स्थित समूह खदान के समूह क्रमांक (संपूर्ण बैतूल जिला) हेतु रेत की समूह खदानों के प्रदान के लिए निविदा प्रक्रिया को प्रारंभ करने के लिए ई–निविदा सूचना दिनांक **17.11.2022** जारी की गई। ई–निविदा प्रक्रिया उक्त नियमों के नियम 8 के अनुसार उक्त रेत समूह आबंटन हेतु संचालित की जाकर मेसर्स **नेशनल एनर्जी ट्रेडिंग एण्ड सर्विसेज लिमिटेड** को उक्त नियमों के नियम 8(8) के अधीन उच्चतम सफल निविदाकार के रूप में घोषित किया गया है।

1.2 उक्त नियमों के नियम 11 के अधीन तथा उक्त समूह खदान के लिए निविदा दस्तावेज के अधीन अपेक्षित किए गए अनुसार मेसर्स **नेशनल एनर्जी ट्रेडिंग एण्ड सर्विसेज लिमिटेड** ने प्ररक्षित मूल्य के 25 प्रतिशत राशि रकम रूपये **5,85,53,288/–(पांच करोड़ पच्यासी लाख तिरेपन हजार दो सौ अट्ठासी रूपये)** अग्रिम धन (ईएमडी) के रूप में एम.पी. टेंडर के माध्यम से जो दिनांक **02.12.2022** को जमा कर दी है तथा जो दिनांक 23/12/2022 को संचालक के पूल खाते में प्राप्त हुई है।

2. परिणामस्वरूप आशय पत्र जारी किया जाना :

उक्त नियमों के नियम 11(3) एवं 11(5) के अनुसरण में समूह क्रमांक (संपूर्ण बैतूल जिला) मेसर्स **नेशनल एनर्जी ट्रेडिंग एण्ड सर्विसेज लिमिटेड** के पक्ष में 30 जून 2023 अवधि हेतु रेत खनिज की खदानों के समूह के लिए ग्राम (सूची अनुसार) जिला **बैतूल** में रकबा (सूची अनुसार) (हेक्टेयर) क्षेत्र के लिए यह आशय पत्र जारी किया जाता है।

APPROVED

J. Priya Kandulah

3. शर्तें :-

3.1 यह आशय पत्र तथा इसके पूर्वोक्ति खदान समूह का अनुवर्ती आबंटन इन नियमों के समय–समय पर यथा संशोधित उपबंधों के अध्यधीन होगा तथा मेसर्स **नेशनल एनर्जी ट्रेडिंग एण्ड सर्विसेज लिमिटेड** को "उच्चतम सफल निविदाकार" के रूप में घोषित किया जाता है तथा इन नियमों के अधीन समस्त अपेक्षाओं की संतोषजनक पूर्ति पर पश्चातवर्ती रूप से आबंटित खदान समूह का आबंटन किया जाएगा।

3.2 संदर्भ हेतु मेसर्स **नेशनल एनर्जी ट्रेडिंग एण्ड सर्विसेज लिमिटेड** के "उच्चतम सफल निविदाकार" के रूप में घोषित किए जाने तथा समूह खदानों के पश्चातवर्ती आबंटन है, के लिए अपेक्षाओं को नीचे दोहराया गया है। यह स्पष्ट किया जाता है कि अधोवर्णित अपेक्षाएं मात्र संदर्भ के लिए है तथा उक्त नियमों में किसी परिवर्तन की स्थिति में, यथास्थिति, संशोधित नियमों के अधीन अपेक्षाएं लागू होंगी।

(क) **"उच्चतम सफल निविदाकार" के रूप में घोषणा :–**

मेसर्स **नेशनल एनर्जी ट्रेडिंग एण्ड सर्विसेज लिमिटेड** को "उच्चतम सफल निविदाकार" मान्य किया जावेगा, बशर्ते :–

(एक) नियमों के निबंधनों तथा शर्तों का अनुपालन किया गया हो;

(दो) नियमानुसार वार्षिक ठेका राशि की 50 प्रतिशत रकम का भुगतान कर दिया गया हो;

(तीन) उक्त नियमों के नियम 12 के उप नियम (1) से उप नियम (6) में विनिर्दिष्ट खनन योजना एवं अन्य कानूनी अनुपालनों के संबंध में शर्तों को पूरा किया गया हो।

(ख) **ठेका अनुबंध का निष्पादन :–**

समस्त कानूनी अनुज्ञाओं, अनुमोदन, अनुज्ञा, अनापत्ति एवं सदृश, जो कि खनन संक्रिया प्रारंभ करने के लिए प्रयोज्य विधियों के अधीन अपेक्षित हो, प्राप्त करने के उपरांत मेसर्स **नेशनल एनर्जी ट्रेडिंग एण्ड सर्विसेज लिमिटेड** एवं बैतूल जिले के कलेक्टर के साथ प्रारूप 5 में पृथक–पृथक खदानवार ठेका अनुबंध का निष्पादन करांया जायेगा। अनुबंध निष्पादन की औपचारिकताऐं पूर्ण होने पर ठेका अनुबंध का भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का क्रमांक 16) के उपबंधों के अधीन पंजीयन कराया जायेगा।

(ग) **समूह खदानों की खनन संक्रिया :–**

अनुबंध निष्पादन के पश्चात मेसर्स **नेशनल एनर्जी ट्रेडिंग एण्ड सर्विसेज लिमिटेड** किश्तों का नियमित रूप से भुगतान करेंगें तथा नियमित खनन संक्रियायें जारी रखेंगें।

J. Raja Bandhab

विधिमान्य है। समय–सीमा के भीतर समस्त शर्तों की पूर्ति की जानी चाहिए एवं मेसर्स **नेशनल एनर्जी ट्रेडिंग एण्ड सर्विसेज लिमिटेड** एवं बैतूल जिले के कलेक्टर के मध्य ठेका अनुबंध निष्पादित किया जाना चाहिए। उच्चतम सफल निविदाकार के नियंत्रण से परे किन्हीं कारणों से ठेका अनुबंध के निष्पादन में विलंब होने की स्थिति में, समय–सीमा में वृद्धि करने के लिए वह कलेक्टर को आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकेगा। उपरोक्त समस्त अथवा किन्हीं शर्तों के अनुपालन के लिए कलेक्टर अधिकतम 10 दिवस की अवधि बढ़ा सकेगा।

निविदाकार कम्पनी की ओर से प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षर उपरांत उक्त आशय पत्र की द्वितीय प्रति 07 दिवस की अवधि के भीतर अधोहस्ताक्षरी को स्वीकार्य पावती के रूप में वापस करने योग्य होगी।

संलग्न– समूह की खदानों का विवरण
एवं राशि की जानकारी।

कलेक्टर
जिला–बैतूल (म.प्र.)

पृ0क्रमांक/रेत/2022/1862
बैतूल, दिनांक 23/12/2022

प्रतिलिपि :–

1– प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2– प्रमुख सचिव, नगरीय प्रशासन एवं पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3– सदस्य सचिव, सिया पर्यावास परिसर ई–5 अरेरा कालोनी, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4– कार्यपालक संचालक, दि मध्य प्रदेश स्टेट माईनिग कार्पोरेशन लिमिटेड भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5– संचालक, संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, 29–ए अरेरा हिल्स, म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ।
6– क्षेत्रीय अधिकारी, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड छिन्दवाड़ा की ओर सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित।
7– अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) समस्त जिला बैतूल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
8– तहसीलदार तहसील समस्त जिला बैतूल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
9– खनि निरीक्षक जिला बैतूल की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।

APPROVED
J Priyk bandhan

कलेक्टर
जिला–बैतूल (म.प्र.)

जिला – बैतूल

क्र.	जिला	तहसील	ग्राम	खसरा क्रमांक	रकबा हेक्टेयर में	रेत का अनुमानित मण्डार (घनमीटर में)	अनुमानित दर का मूल्य (रूपये 250 प्रति घनमीटर + अन्य कर अतिरिक्त)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	लोनिया	179	1.115	25000	
2	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	फुलबेरिया	407	2.500	12750	
3	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	झाड़कुण्ड	1	0.950	7200	
4	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	बिखली आमढाना	219, 341	7.730	50000	
5	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	घोड़ाडोंगरी	373, 1395	7.000	20663	
6	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	आमढाना रैयत	248,141, 130	6.090	35700	
7	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	गांधीग्राम	2	0.550	13500	
8	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	नादू	91	2.900	22500	
9	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	बाकुड़	35	2.700	21875	
10	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	बरेलीपार/ घोड़ाडोंगरी	63	0.360	9000	
11	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	कचलोरा–1	67	0.100	2000	
12	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	कचलोरा–2	98	0.170	3570	
13	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	कचलोरा–3	69	0.340	9500	
14	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	आमढाना रैयत–1	79	0.350	8050	
15	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	आमढाना रैयत–2	175	0.340	6120	
16	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	आमढाना रैयत–3	178	0.620	13750	23,42,13,150/-
17	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	झोली–1	99	5.000	26000	
18	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	झोली–2	10	4.000	12000	
19	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	सातलदेही	187, 251	8.000	38500	
20	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	धरमपुर	309	6.000	7500	
21	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	बटकीडोह	112, 349	1.000	15000	
22	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	विष्णुपुर	1	2.000	30000	
23	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	घिघडोल रैयत	30	8.000	25000	
24	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	कटंगी	148	0.621	4000	
25	बैतूल	बैतूल	डहरगाव/मयाबाड़ी	68, 260	6.250	25750	
26	बैतूल	बैतूल	कोदारोटी	106	5.450	7200	
27	बैतूल	बैतूल	कुम्हारिया	1	0.700	10800	
28	बैतूल	बैतूल	भीलावाड़ी	97	0.800	9100	
29	बैतूल	बैतूल	माथनी	78	0.860	9450	
30	बैतूल	आमला	सोनतलाई	1	9.330	9000	
31	बैतूल	आमला	बारछी	434, 308	5.520	10300	
32	बैतूल	आमला	जन्याड़ा (बुजुर्ग)	217	0.700	2304	
33	बैतूल	भैंसदेही	रातामाटी	1	2.550	36000	

J. Priya Kandhari

		शाहपुर				
35	बैतूल	घोड़ाडोंगरी/ शाहपुर	बांसापुर/शिवरागर/ गौनापुर	1, 1,288, 266	24.970	272250
36	बैतूल	शाहपुर	गुवाड़ी	19	2.500	70200
37	बैतूल	शाहपुर	शाहपुर/पतौवापुरा	1, 112	11.000	198000
38	बैतूल	शाहपुर	सिरालझिरी	1	0.700	5625
39	बैतूल	घिचोली	सांगवानी	20	5.080	30064
40	बैतूल	घिचोली	हरन्या	1, 9	5.590	44000
41	बैतूल	घिचोली	खपरिया	18	3.000	32500
42	बैतूल	घिचोली	बल्लौर	162	3.000	35000
43	बैतूल	शाहपुर	टागनामाल	209	4.000	42000
44	बैतूल	शाहपुर	धामन्या	1	5.000	38000
45	बैतूल	शाहपुर	घिखली रैयत	316	4.000	18000
46	बैतूल	शाहपुर	तेन्दूखेड़ा	119,114	5.000	22500
47	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	सिवनघाट	142	0.420	4200
				योग–	188.906	1561421

1	कुल चिहित खदाने –	47
2	कुल अनुमानित क्षेत्रफल –	188.906 हे0
3	निविदा हेतु निर्धारित खदाने –	सम्पूर्ण बैतूल जिला
4	जिला समूह हेतु बिक्री योग्य निर्धारित मात्रा (वार्षिक) घनमीटर –	936852.6 (तेईस करोड़ बयालीस लाख तेरह हजार एक सौ पचास रूपये)
5	निविदाकार मेसर्स नेशनल एनर्जी ट्रेडिंग एण्ड सर्विसेज लिमिटेड	
6	पता–प्लॉट न. 7, बिन्दु सदन, 401 साई चंद्र कॉलोनी, ग्रीन स्पेस तुलसी, पुष्पलगुडा, मणिकोंडा, हैदराबाद, रंगारेड्डी, तेलंगाना – 500089	
7	स्वीकृत ऑफर मूल्य रूपये –	531195424.20 (तिरेपन करोड़ ग्यारह लाख पनचान्वे हजार चार सौ चौबीस रूपये बीस पैसे मात्र)
8	प्राप्त दर के अनुसार प्रति घनमीटर देय राशि (रायल्टी सहित)	567.00 (पांच सौ छड़सठ रूपये प्रति घनमीटर)
9	जमा EMD राशि रूपये –	58553288 (पांच करोड़ पच्यासी लाख तिरेपन हजार दो सौ अट्ठासी रूपये)
10	शेष जमा राशि रूपये (265597712.10 – 58553288) ऑफर मूल्य का 50 प्रतिशत – निविदा की ईएमडी राशि	207044424.10 (बीस करोड़ सत्तर लाख चौव्वालीस हजार चार सौ चौबीस रूपये दस पैसे मात्र)
11	बिन्दु क्रमांक 10 की राशि जमा दिनांक एवं भुगतान विवरण –	21.12.2022 RTGS

नोट :–2. निविदा प्रपत्र की कंडिका– 10 (ख) –परिशिष्ट–1 में समूह में सम्मिलित समस्त रेत खदानों का विवरण, खदान का अनुमानित क्षेत्रफल एवं खदान में उपलब्ध अनुमानित मात्रा दर्शित है। ठेकेदार द्वारा जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (डी.एस.आर.) द्वारा अनुमोदित मात्रा तक ही खनन किया जा सकेगा। यह अनिवार्य नहीं होगा कि वह समूह में सम्मिलित प्रत्येक खदान की परिशिष्ट–1 में दर्शित मात्रा हेतु, वैधानिक अनुमतियाँ प्राप्त कर खदानें संचालित करें। अर्थात निविदत्त मात्रा का खनन समूह में सम्मिलित कतिपय खदानों से, वैधानिक अनुमतियों के अधीन भी किया जा सकेगा।

APPROVED

J. Priya Bandhavi

कलेक्टर
जिला–बैतूल (म.प्र.)

गाव- वेलोरा
प-ह-नं. 05 स.नं. 560
स.कि.मी. सिंचाधिकार
तह सिरोंचा
जिल्हा- गडचिरोली
स्केल- 16" = 1 मील

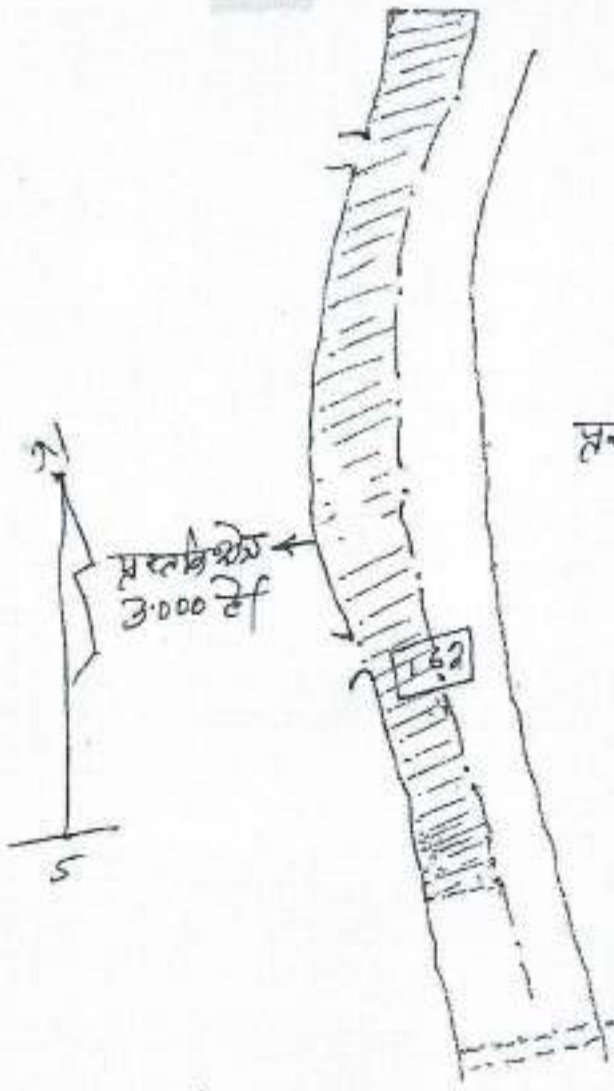

प्रस्तावित क्षेत्रके उत्तरेस- वेलगडा नदी
दक्षिण = प्रिन्सिपल नाला ते 100 मी.
पूर्व :- [illegible]
पश्चिम :- [illegible]

तहसिलदार
सिरोंचा

APPROVED

SURFACE PLAN & 847 GICAL PLAN

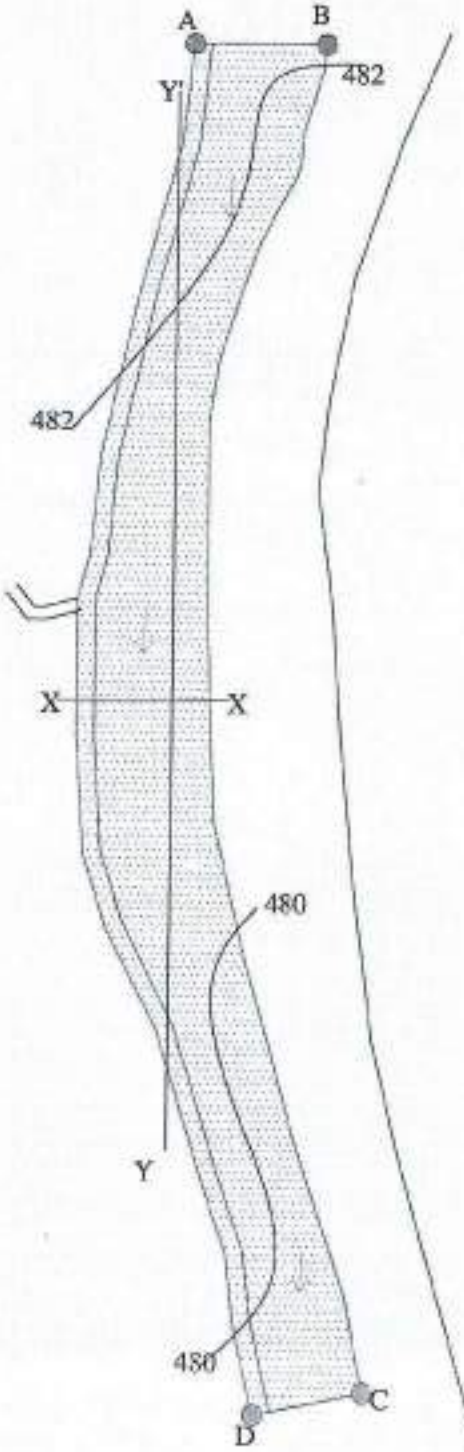

INDEX	
PARTICULARS	SYMBOLS
LEASE BOUNDARY	
RIVER BOUNDARY	
CONTOUR	480
BOUNDARY POINTS	
SECTION LINE	
SAND	
FLOW DIRECTION	

APPROVED

COLLECTOR
BETUL

CO-ORDINATE		
A.	22°13'31.18"N	77°37'49.09"E
B.	22°13'31.47"N	77°37'48.08"E
C.	22°13'13.60"N	77°37'50.18"E
D.	22°13'13.97"N	78°37'51.72"E

SYED IQTADAR TANWEER
RQP/DGMMP/211/2019-24

AREA DETAILS	APPLICANT:
QUARRY AREA - 3 HA. QUARRY SURVEY NO. - 162 QUARRY VILLAGE-BALLOR TEHSIL- CHICHOLI, DISTRICT - BETUL (M.P.)	M/s National Energy Trading and Services Address: Plot No 7, Bindu Sadan, 401 Sai Chandra Colony, Green Space Tulasi, Puppalguda, Manikonda, Hyderabad, Telangana State, India

J. Sanjay Kandhari

YEAR WISE DEVELOPMENT

PLAN & SECTION

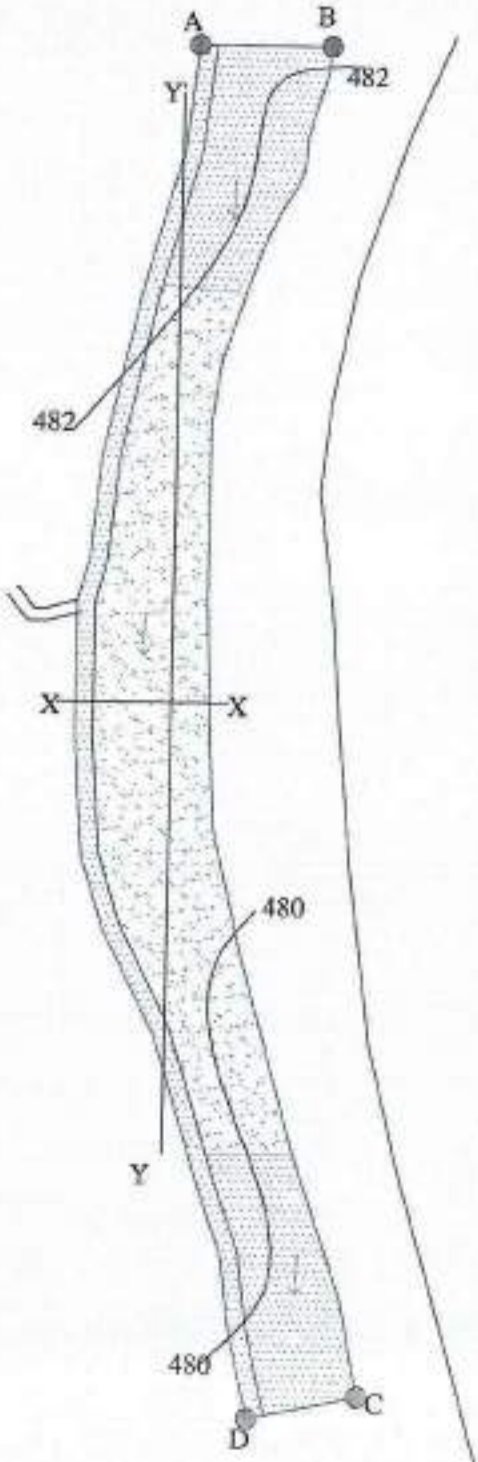

INDEX	
PARTICULARS	SYMBOLS
LEASE BOUNDARY	
RIVER BOUNDARY	
CONTOUR	480
BOUNDARY POINTS	
SECTION LINE	
SAND	
FLOW DIRECTION	
YEAR WISE DEVELOPMENT	

SYED IQTADAR TANWEER
RQP/DGMMP/211/2019-24

AREA DETAILS	APPLICANT:
QUARRY AREA - 3 HA. QUARRY SURVEY NO. - 162 QUARRY VILLAGE-BALLOR TEHSIL- CHICHOLI, DISTRICT - BETUL (M.P.)	M/s National Energy Trading and Services Address: Plot No 7, Bindu Sadan, 401 Sai Chandra Colony, Green Space Tulasi, Puppalguda, Manikonda, Hyderabad, Telangana State, India

APPROVED

J. Phijo Randhar

ENVIRONMENTAL PLAN

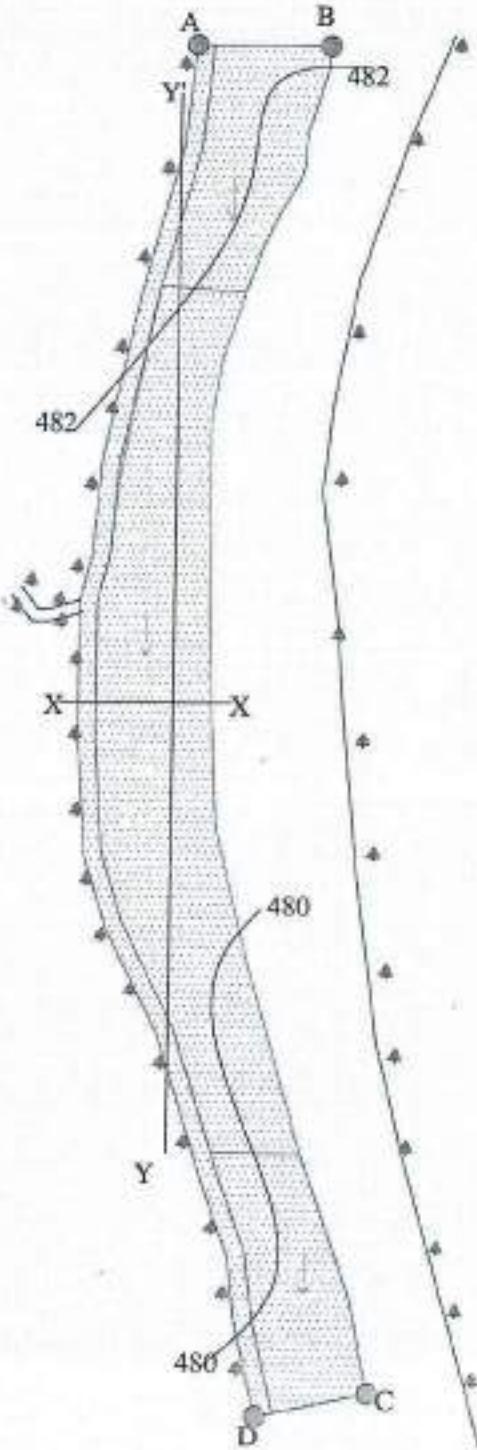

INDEX	
PARTICULARS	SYMBOLS
LEASE BOUNDARY	
RIVER BOUNDARY	
CONTOUR	480
BOUNDARY POINTS	
SECTION LINE	
SAND	
FLOW DIRECTION	
PLANTATION	

SYED IQTADAR TANWEER
RQP/DGMMP/211/2019-24

AREA DETAILS	APPLICANT:
QUARRY AREA - 3 HA. QUARRY SURVEY NO. - 162 QUARRY VILLAGE-BALLOR TEHSIL- CHICHOLI, DISTRICT - BETUL (M.P.)	M/s National Energy Trading and Services Address: Plot No 7, Bindu Sadan, 401 Sai Chandra Colony, Green Space Tulasi, Puppalguda, Manikonda, Hyderabad, Telangana State, India

APPROVED

J. Pooja Bandhan

YEARLY MONSOON WISE PLATE & SECTION

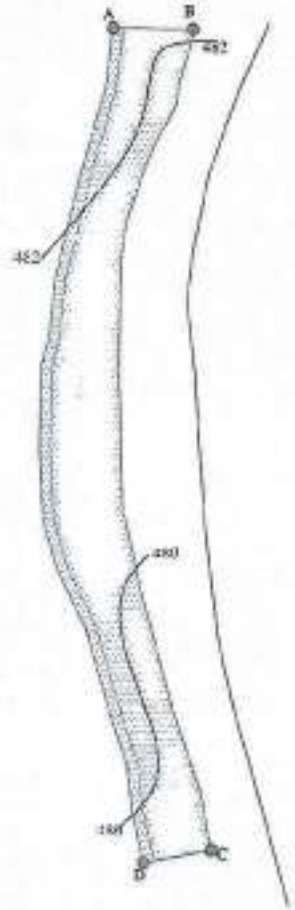

PRE MONSOON
(MARCH TO JUNE)

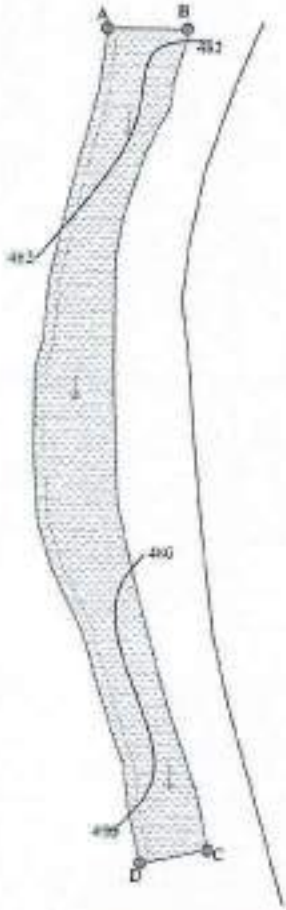

DURING MONSOON
(JULY TO SEPTEMBER)

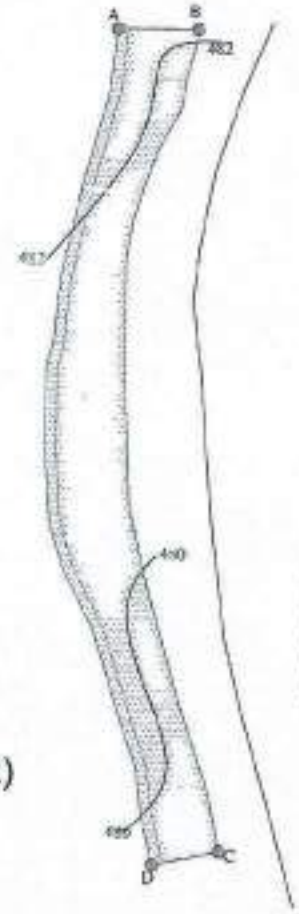

POST MONSOON
(OCTOBER TO FEBRUARY)

INDEX	
PARTICULARS	SYMBOLS
LEASE BOUNDARY	
RIVER BOUNDARY	
SAND	
WATER	

SYED IQTADAR TANWEER
RQP/DGMMP/211/2019-24

AREA DETAILS	APPLICANT:
QUARRY AREA - 3 HA. QUARRY SURVEY NO. - 162 QUARRY VILLAGE-BALLOR TEHSIL- CHICHOLI, DISTRICT - BETUL (M.P.)	M/s National Energy Trading and Services Address: Plot No 7, Bindu Sadan, 401 Sai Chandra Colony, Green Space Tulasi, Puppalguda, Manikonda, Hyderabad, Telangana State, India

APPROVED

T. Priyadarshini

REVISED MINING PLAN

SUBMITTED AS PROVISIONS OF RULE 12 (1) MADHYA PRADESH SAND RULE 2019 (MINING, TRANSPORTATION, STORAGE AND TRADING)

JHOLI-1 SAND MINE

AREA: 2.45 HECTARES, KHASRA NO: 99

VILLAGE: JHOLI, TEHSIL: GHODADONGRI, DISTRICT: BETUL (MADHYA PRADESH)

APPROVED

COLLECTOR
BETUL

APPLICANT

M/S NATIONAL ENERGY TRADING AND SERVICES LIMITED, PLOT NO 7, BINDU SADAN, 401 SAI CHANDRA COLONY, GREEN SPACE TULASI, PUPPALGUDA, MANIKONDA, HYDERABAD, TELANGANA STATE, INDIA

TYPE AND CATEGORY OF MINE: OPENCAST/SEMI MECHANISED

PREPARED BY

SYED IQTADAR TANWEER

G-3 BALAJI, BRIGHT COLONY, IDGAH HILLS, BHOPAL (M.P.)

REGISTRATION NO: RQP/DGMMP/211/2019-24

EMAIL: si_tanweer@yahoo.co.in, MOB: 882795300

SYED IQTADAR TANWEER
RQP/DGMMP/211/2019-24

CONSENT LETTER

Revised Mining Plan of Jholi-1 Sand Mine, Village Jholi (2.45 ha) has been prepared by RQP Shri Syed Iqtadar Tanweer (RQP No DGMMP/211/2019-24) under Madhya Pradesh Minor Mineral Rules, 1996 for approval. The lease hold area is located in Village- Jholi-1, Tehsil - Ghodadongri, District - Betul, MP, covering an area of 2.45 hectares.

The Director Geology and Mining, Madhya Pradesh, competent Authority is hereby requested to make further correspondence regarding this Mining Plan with the person and address mentioned below-

SYED IATADAR TANWEER
Recognized Qualified Person (RQP NO: RQP/DGMMP/211/2019-24)

G-3 Balaji, Bright Colony, Idgah Hills,

Bhopal (M.P.)
Email: si_tanweer@yahoo.co.in

Mob: 882795300

An undertaking in this regard is being submitted that the Mining Plan so prepared by the recognized person is with my knowledge and consent and shall be acceptable to me in all respects. I have clearly understood the contents of the Mining Plan and agree to implement.

Place: Betul

Date:

J. Puja Bauchrain

M/s National Energy Trading and Services Ltd.
Address: Plot No 7, Bindu Sadan, 401 Sai Chandra Colony, Green Space Tulasi, Puppalguda, Manikonda, Hyderabad, Telangana State, India

CERTIFICAE FOR FULL CONSULTATION

This is to certify that Revised Mining Plan of Jholi-I Sand Mine in village Jholi of the applicant M/s National Energy Trading and Services Ltd., Village- Jholi, Tehsil - Ghodadongri, District - Betul of Madhya Pradesh State covering lease hold area 2.45 hectares has been prepared by RQP Shri Syed Iqtadar Tanweer (RQP No: RQP/DGMJMP/211/2019-24), in full consultation with me and I have understood its contents and agree to implement the same in accordance with the law.

Place: Betul

Date:

J Priya Bandhavi

M/s National Energy Trading and Services Ltd.

Address: Plot No 7, Bindu Sadan, 401 Sai Chandra Colony, Green Space Tulasi, Puppalguda, Manikonda, Hyderabad, Telangana State, India

CERTIFICATE OF COMPLIANCE AND CORRECTNESS

- *Certified that the provisions of related Act and rules have been considered in the Revised Mining Plan of Jholi-I Sand Mine in village Jholi, area of 2.45 in Tehsil - Ghodadongri, District- Betul of Madhya Pradesh State, which belongs to the applicant M/s National Energy Trading and Services Ltd.*

- *Certified further that the provisions mentioned in Act, Rules and Regulations have been considered in the Mine Plan and wherever specific permissions are required, the applicant will approach to the concerned competent authorities including D.G.M.S. for the same.*

- *There* is *no violation against provision of Rules, Regulations of MMR, 1961 and there* is *no danger to human life.*

- *The information furnished in the Mine Plan* is true *and correct to the* best *of our knowledge.*

Place: Bhopal — *Syed Iqtadar Tanweer*

Date: — *(RQP No: RQP/DGMJMP/211/2019-24)*

RQP CERTIFICATE

संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म मध्यप्रदेश

(मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम, 1996 के अंतर्गत)
खनन योजना / खनन स्कीम / पूर्वेक्षण रिपोर्ट / पर्यावरण प्रबंधन योजना / माईन क्लोजर प्लान बनाने हेतु मान्यता प्राप्त योग्य व्यक्ति

प्रमाण पत्र

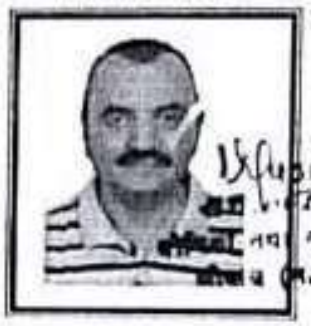

श्री सैयद इकबाल तनवीर, पिता स्व. डॉ. कासिम नयाजी, पता जी–3, काजीजी साईट कालोनी, ईदगाह हिल्स, भोपाल, मध्यप्रदेश, जिनकी फोटो तथा हस्ताक्षर अभिप्रमाणित है, को मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम 1996 के अंतर्गत खनन योजना / खनन स्कीम / पूर्वेक्षण रिपोर्ट / पर्यावरण प्रबंधन योजना / माईन क्लोजर प्लान तैयार करने हेतु योग्य व्यक्ति के रूप मे मान्यता प्रदान करते हुए पंजीयन क्रमांक **RQP/DGMMP/211/2019** आवंटित किया जाता है।

यह मान्यता प्रमाण पत्र 05 वर्ष की अवधि के लिये दिनांक **04.08.2024** तक वैध रहेगा।

मान्यता प्राप्त व्यक्ति के हस्ताक्षर –

भोपाल, दिनांक 05.08.2019

संचालक
भौमिकी तथा खनिकर्म
मध्यप्रदेश भोपाल

CONTENTS

1. INTRODUCTION 4

1.1 GENERAL INFORMATION 5
1.2 AREA DETAIL & APPROACHABILITY 6

2. LANDUSE / INFRASTRUCTURE 7

2.1 PRESENT LAND USE STATUS: 7
2.2 INFRASTRUCTURE 7

3. TOPOGRAPHY AND GEOLOGICAL DETAILS 9

3.1 TOPOGRAPHY 9
3.2 REGIONAL GEOLOGICAL DETAILS: 9
3.3 REGIONAL GEOLOGICAL SETUP/SEQUENCE: 10
3.4 LOCAL GEOLOGICAL DETAILS: 11
3.5 EXTENT OF RIVER BED & ALLUVIAL SAND DEPOSIT: 12
3.6 PROSPECTING AND EXPLORATION DONE: 12

4. ESTIMATION OF RESERVES: 14

5. DEVELOPMENT AND PRODUCTION PROGRAM 17

5.1 PROPOSED METHOD OF QUARRYING: 17
5.2 MECHANIZATION: 19
5.3 BLASTING: 19
5.4 LOADING AND TRANSPORTATION OF SAND: 20
5.5 MANPOWER DEPLOYMENT: 20
5.6 PROPOSED YEARLY PRODUCTION PROGRAM 21
5.7 MINE LIFE: 21
5.8 USE OF MINERAL: 21

6. CONCEPTUAL PLAN 22

7. ENVIRONMENTAL MANAGEMENT PLAN 23

7.1 AIR QUALITY MANAGEMENT: 23
7.2 WATER MANAGEMENT: 23
7.3 NOISE MANAGEMENT: 24
7.4 WASTE MANAGEMENT: 24
7.5 BIOLOGICAL ENVIRONMENT 24

7.6 DISPOSAL OF MINING MACHINERIES: 24
7.7 SAFETY AND SECURITY: 25
7.8 DISASTER MANAGEMENT: 25
7.9 CARE DURING TEMPORARY DISCONTINUANCE: 25
7.10 ECONOMIC REPERCUSSION OF CLOSURE & MAN POWER RETRENCHMENT 25
7.11 STATUS OF LOCAL EMPLOYEES: 26
7.12 COMPENSATIONS: 26
7.13 RECLAMATION & REHABILITATION: 26
7.14 DISTANCE FROM THE NEAREST BRIDGE/DAM: 26
7.15 SOCIO – ECONOMIC ENVIRONMENT: 27
7.16 PLANTATION (AFORESTATION PROGRAM): 27
8. PROGRESSIVE MINE CLOSUR PLAN 28
9. SAND REPLENISHMENT ASSESSMENT 29
9.1 NEGATIVE IMPACTS: 29
9.2 POSITIVE IMPACTS: 29
9.3 NEED FOR SAND REPLENISHMENT STUDY AND FACTORS TO BE CONSIDERED AND OBSERVED: 29
9.3.1 WATER LEVEL DURING LEAN PERIOD: 30
9.3.2 CATCHMENT AREA 31
9.3.3 ORIGIN OF RIVER: 31
9.3.4 DISTANCE OF TRAVELLING OF LOAD: 31
9.3.5 SLOPE / GRADIENT / ELEVATION DIFFERENCE: 31
9.3.6 GEOLOGY / LITHO UNITS: 31
9.3.7 CLIMATIC CONDITIONS: 31
9.3.8 TRIBUTARIES / CONFLUNCE: 31
9.3.9 TYPE/STAGE OF RIVER AND FLOW VELOCITY: 32
9.3.10 STRUCTURES: 32
9.4 CONCLUSION: 32

SYED IQTADAR TANVEER
RQP/DGMMP/211/2019-24

T. Pooja Bauchari

FIGURES

KEY PLAN

GOOGLE IMAGE

KHASRA MAP

PLATE 1- SURFACE PLAN AND GEOLOGICAL PLAN

PLATE 2- YEARWISE DEVELOPMENT PLAN AND SECTION

PLATE 3- ENVIRONMNETAL PLAN

PLATE4- YEARLY MONSOON WISE PLATE AND SECTION

SCHEMATIC DIAGRAM – CONVEYOR BELT

ANNEXURES

SANCTION ORDER COPY

TESILDAR LETTER

FOREST NOC

RQP CERTIFICATE

SYED IQTADAR TANWEER
RQP/DGMMP/211/2019-24

J. Bhuja Bauchais

1. INTRODUCTION

The demand for ordinary natural river sand is enormously increased in building construction and infrastructural developments. The natural sand is started vanishing from the river beds besides causing natural and environmental hazards in surrounding areas due to illegal and unscientific mining without proper mining plan. Therefore, the government of India announced sand policy by fixing responsibility on related departments mainly Mines & Geology and Ministry of Environment and Forest (Pollution control boards). Accordingly, the Govt. of Madhya Pradesh formulated a natural sand policy to meet the sand demand in the state by undertaking systematic & scientific mining and protection of environment and by maintaining eco-balance in the surrounding areas by following the Govt. of India guidelines.

Based on the Government of India guidelines, this quarry plan is prepared for the proper development of mine area with safe quarrying operation. It also provides guidance and directives to be followed during the quarrying operation under the rules and regulations as imposed by the Government.

Mine has been allotted to National Energy Trading and Services Ltd., Address: Plot No 7, Bindu Sadan, 401 Sai Chandra Colony, Green Space Tulasi, Puppalguda, Manikonda, Hyderabad, Telangana State, India, over an area of 2.45 Hectares covering Khasra No 99, up to 30.06.2023 (As per Order No. 1862/Sand/2022, Betul, dated 23.12.2022).

In compliance to MP Sand (Mining transportation, Storage and Trading) Rule 2019 published in Gazette notification of Government of MP dated 30-08-2019 and as per the rule 42 of MP Minor Mineral Rules 1996, this Quarry plan is being prepared and submitted for approval to the Collector [Mining] Betul MP and quarrying operation start only after obtaining the statutory permission as per rule 14.

SYED IQTADAR TANWEER
RQP/DGMMP/211/2019-24

T. Raja Bauchari

1.1 GENERAL INFORMATION

Name of Applicant	M/s National Energy Trading and Services Ltd
Address of Applicant	Address: Plot No 7, Bindu Sadan, 401 Sai Chandra Colony, Green Space Tulasi, Puppalguda, Manikonda, Hyderabad, Telangana State, India
Quarry Village	Jholi-1
Name of the River	Bhadanga River (a tributary of Tawa)
Tehsil	Ghodadongri
District	Betul
State	Madhya Pradesh
Khasra No.	99
Area [Hectares]	2.45
Permitted Period	Up to 30.06.2023
Whether Recorded in Forest	Not recorded in any Reserved / Protected Forest Area
Status Of Applicant	Private Individual
Mineral (S) Which Applicant Intended to Mine	Sand
Sanction order Details Order No. & Date	As per Order No. 1862/Sand/2022, Betul, dated 23.12.2022
Ownership / Occupancy	Government Land, River Bed
R.Q.P. Address & Registration details/Mobile No	SYED IQTADAR TANWEER G-3 Balaji, Bright Colony, Idgah Hills, Bhopal (M.P.) Registration No: RQP/DGMMP/211/2019-24 Mob: 8827951780

SYED IQTADAR TANWEER
RQP/DGMMP/211/2019-24

O-Priya Bandhari

1.2 AREA DETAIL & APPROACHABILITY

Details Of Sanctioned Lease Area	**Village**	Jholi-1
	Tehsil	Ghodadongri
	District	Betul
	River	Bhadanga River (a tributary of Tawa)
	State	Madhya Pradesh
	Khasra No.	99
	Sanctioned Area	2.45 Hectares
Topo Sheet No.	55J/4	
Village Coordinates	22°15'01.35"N 78°04'15.76"E	

Site Co-ordinates (Latitude & Longitude)

Point no.	Latitude	Longitude
A	22°14' 46.10"N	78° 4'7.90"E
B	22°14'46.60"N	78° 4'13.09"E
C	22°14'49.47"N	78° 4'18.91"E
D	22°14' 53.61"N	78° 4'23.55"E
E	22°14' 55.47"N	78° 4'27.41"E
F	22° 14'56.42"N	78° 4'26.98"E
G	22°14'56.30"N	78° 4'24.10"E
H	22°14'54.51"N	78° 4'21.64" E
I	22° 14'49.44"N	78° 4'17.62"E
J	22°14'47.88"N	78° 4'14.60"E
K	22°14'47.31"N	78° 4'12.52"E
L	22°14'46.69"N	78° 4'7.86"E

Approach & Accessibility

From Site	Approx. Distar
District Head Quarter Betul towards S	37 km
Tehsil – Ghodadongri towards S	15 Km
Village – Jholi - N	0.3 Km
Nearest Railway Station Magardoh Towards W	18 Km
NH-46 - W	18 Km
Health Centre (Village Jholi)	0.3 Km
Nearest Bridge Towards W	0.2 Km
Monuments / Places of Social importance	None Nearby
National Parks	Not within 10 Km
Reserve Forest	Not within 250 m

2. LANDUSE / INFRASTRUCTURE

2.1 PRESENT LAND USE STATUS:

Sand Mining lease has been sanctioned for a period of up to 30.06.2023 over an area of 2.45 Hectares on a River Bed (Bhadanga a tributary of Tawa) for quarrying and transportation of sand. Quarrying & related activities shall be carried out from the top surface level.

Present land use status of the sanctioned area is as under:

Total Lease Area	**2.45 Ha**	**24,500 M^2**
Barrier Zone / Safety Strip	2,300 M^2	
Area under water/ Non-Mining Area	7,000 M^2	
Available Working Area	**15,200 M^2**	
Allowable actual Mineable Area (equal to or less than 60% of total lease area)	**14,700 M^2**	

2.2 INFRASTRUCTURE

- **Power Supply** - Electrical Power is not available; Shall be arranged from the nearby supply line if required with proper NOC from concerning Department.

- **Communication & Transport** - Site is well connected with District Headquarter and other towns by road. Buses and private taxis are frequently available from district and Tehsil headquarters up to the village. Quarry site is approachable from village by private means.

- **Land** -Quarry lease area situated on river bed and is a non-forest government land.

SYED IQTADAR TANWEER
RQP/DGMMP/211/2019-24

- **Water Supply** - Dug wells and bore wells available in the vicinity to meet the requirement of drinking water. Water is potable & hygienic as no adverse effects noticed in habitants of nearby area.

- **School Facilities** - School facilities for primary education are available in the village Panchayat; Middle school or higher studies are present in District Headquarter Betul and Tehsil Ghodadongri.

- **Man Power** - Mine workers shall be arranged from nearby villages therefore no constraint regarding availability of manpower in the area.

There are no places of national and social importance exist within the radius of 500 m of mine site.

SYED IQTADAR TANWEER
RQP/DGMMP/211/2019-24

3. TOPOGRAPHY AND GEOLOGICAL DETAILS

3.1 TOPOGRAPHY

The lease area falls in a River Bed (Bhadanga River). Since, the sand area falling partly at the non-active river bed, the general surface level of the lease area is undulating with negligible thorny bushes/shrubs and comparatively lower than the surroundings. The surface level of the mine lease is around 392-394 MSL. The drainage direction is towards southwest in the lease area.

Topography of the area has been derived due to alluvial deposition on the flood plains of Narmada River and its Rivulets. General slope of the lease area is from southeast to northwest. The drainage pattern in the area is dendritic.

3.2 REGIONAL GEOLOGICAL DETAILS:

The district has four district physiographic division viz (i) Satpura plateau in Tawa and Bhadanga valleys (ii) The Satpura plateau in central and (iii) southern part of the district (iv) and Tapti valley. The whole district lies on Satpura plateau at an elevation of 365m above mean sea level. The general elevation is about 609m at Kilendeo form the highest peak in the northern and central parts of the district. Tawa valleys lies at elevation of 396m amsl between peaks of Kilandeo and Bhogwangar, the general scope of the valley is towards the North West.

3.3 REGIONAL GEOLOGICAL SETUP/SEQUENCE:

Age	Lithounits	Rock types
Quaternary		Soil and alluvium
----------Unconformity----------		
U. Cretaceous to Eocene	Deccan Trap	Non-porphyritic and porphyritic basalt
----------Unconformity----------		
U. Cretaceous	Lameta	Sandstone, shales and limestone
----------Disconformity----------		
U. Cretaceous	Upper Gondwana	Sandstone, siltstone, conglomerate and clay
----------Unconformity----------		
Archaean		Quarzo-feldspathic gneiss with dolerite intrusions

Archaeans

The crystalline metamorphic and igneous rocks cover approximately 20% of the total district area. The igneous rocks are intensive granite and pegmatite veins intending the metamorphic rocks. Quartz pegmatite views are common features and occurs as broad dykes and thin strings. The ground basins are conterminous with surface drainage sub basin thus ground water flow system is of local types where end system has its recharge area at topographic low. The Archaeans are mainly occupying the Betul, Chichab, Multai and Amla blocks. These rocks do not have primary porosity and hydraulic conductivity. The weathered part of the crystalline rocks are called saprolite, which is of particular interest from the point of view of storage zone for ground water and as an aquifer for open well and shallow tube wells. The thickness of this zones in the entire district area ranges from 2.5 to 30.00 m. in this formation, aquifers also occurs where bed rock and quartz pegmatite intensive vein are jointed and fractures.

The yield depends upon saturated thickness of the weathered mantle and fracture pattern of the rocks.

Gondwana

The Gondwana rocks are comprising succession of sand stone, shales with seems of coal lying over the metamorphic rocks of crystalline Archaean system with a district unconformity. The beds of Gondwana rocks are distributed in patches and lie in a liner trend coinciding almost with the present river valleys. There rocks show considerable faulting. The Talchir beds consisting of sandstone and green clays with boulders contain plant fossils. There are bounded by faults. The west and north west of Betul, there are out of Gondwana rocks which separates decant traps from Archaeans rocks. Barkars of Gondwana group contains coal seams.

Deccan Traps

Deccan traps comprising varies types of basaltic lava flows and most extensive rocks in the district. There rocks occupying in Betul, Multai, Bhimpura, Chicholi, Bhainsdehi, Atner and Prabkat pattam blocks. The base of the flow consists of a porons layers of earthy basalt which passes rapidly into the main body. Of flow consisting of great thickness of hard basalt. Generally, the Deccan trap in the area occurs in the form of fractures, weathered and vesicular basalts.

3.4 LOCAL GEOLOGICAL DETAILS:

The top layer of applied area forms a part of stream bed covered mainly with sand deposits with rare colluvial material belonging to recent river alluvium up to 4.0 m. Quarrying will be concentrated up to 3.0 m only for extraction of sand. However, it is found that minimum 4m thick sand deposit is available throughout the lease within the top most layer of recent alluvium. This top sandy layer is underlain by laterite followed by Deccan trap.

Altitude of the area- Average elevation of the area is- 393

High flood Level (HFL) – 395 m

SYED IQTADAR TANNEER
RQP/DGMMP/211/2019-24

J. Raja Bandhari

Low flood Level (LFL) – 392 m

Surface and geological map with cross section of the area on 1: 2000 scale with suitable contour intervals showing general topography and geology has been enclosed.

3.5 EXTENT OF RIVER BED & ALLUVIAL SAND DEPOSIT:

The sand quarry lease area is elongated along the course of the river with an orientation of NE to SW and lies on a very wide meander. The deposit of sand is available on full width and length of the lease.

The sediment in the form of river bed material i.e., sand has deposited in the last many years as a process of sedimentation in the paleochannels. Sand bars have been formed at various places hindering the flow of water and excess deposition has changed the shape of the river bed. Because of this, during monsoon season, the water may rise above the high flood level causing heavy and devastating floods. Such disasters may damage large tracts of land laying on both banks of the river especially the agricultural lands.

Accumulation of the sand deposit on the river bed is annual process. It is replenishable due to sediment inflow during floods in rainy season. Thickness of river bed where sand deposited every year varies but excavation of sand is permitted up to 3 m depth or up to top level of water table whichever is less. The summer water table goes down to 4 m below surface. Hence sand can easily be extracted up to 3 m depth in dry season.

3.6 PROSPECTING AND EXPLORATION DONE:

This is the revised mining plan and mining lease has already been excavated in the past. Based on post monsoon yearly survey by local mining officer and observations conducted by lessee, sand deposit in the lease has completely been replenished and average thickness of sand deposition within the sand accumulated area is observed to be > 3.0 m in proposed sand bed and considered for estimating the reserves.

Since sand exposed all over within the sand accumulated area of the lease and depth is proved, therefore, future prospecting has not proposed in the area. However, a

survey likely to be conducted by local mining officer to ascertain the depth of sand accumulation during post monsoon every year.

4. ESTIMATION OF RESERVES:

The applied sand lease area is about 0.3 Km S from village Jholi and located in the river bed of Bhadanga River that flows from east to west.

In order to estimate the reserves, DGPS survey has been carried out to define the topography, contours and offsets of the lease area. Khasra map has been considered as base map to demarcate the mine lease boundary. The shape and size of the mine lease has been fixed as per the sanctioned demarcated Khasra map of the lease area by DGPS survey.

The area has been fully demarcated with respect to geographical coordinates and surface reduced level taken at every point of cluster. To describe the elevation in detail, 0.5m contour interval has been picked for the preparation of surface plan and cross section which includes collection of surface reduced level in an interval of 0.5m for reserve estimation. The maximum elevation observed to be 405m from MSL and whereas minimum elevation recorded to be 403m MSL with the lease area.

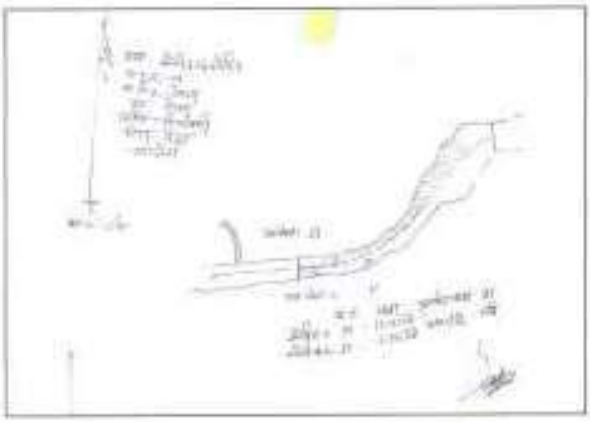

Sanctioned demarcated area (Khasra)

Demarcated area on Google Image

Very gently sloping or almost flat topography of the lease is the main reason for having sufficient quantity of sand available for removal. In addition, the location of applied lease lies on a meander making it suitable for sand deposition, therefore good deposit of sand is available on full width and length of the lease.

As per the Point (r) page 24 of Guidelines of Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining, Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MOEF & CC)

January 2020 **"River bed sand mining shall be restricted within the central 3/4th width of the river/rivulet or 7.5 meters (inward) from banks but up to 10% of the width of the river"**

The mineral sand is exposed in full width and length of the lease and follows very gently sloping topography.

This is the revised mining plan and mining lease has already been excavated in the past. Based on post monsoon yearly survey by local mining officer and observations conducted by lessee, sand deposit in the lease has completely been replenished and average thickness of sand deposition within the sand accumulated area is observed to be > 3.0 m in proposed sand bed and considered for estimating the reserves.

Since sand exposed all over within the sand accumulated area of the lease and depth is proved, therefore, future prospecting has not proposed in the area. However, a survey likely to be conducted by local mining officer to ascertain the depth of sand accumulation during post monsoon every year.

Specifications considered for the estimation are as under:

Area specification	Values
Sanctioned lease area	2.45 hac or 24,500 M^2
Area submerged in water	7,000 M^2
Area under Barrier / Safety zone within sand accumulated area	2,300 M^2
Available Mineable area where sand has been deposited/accumulated is more than 60% of total lease area of 24,500 M^2	**15,200 M^2** (Total lease area – non mining area - barrier zone) (24,500 M^2 -7,000 M^2 -2,300 M^2 = 15,200 M^2)
But Point (r) page 24 of Guidelines of Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining, Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MOEF & CC) January 2020 says that Maximum allowable mineable area cannot be more than 60% of total lease area of 24,500 M^2 which is **14,700 M^2** (60% of total lease area)	**14,700 M^2**

As the extractable area 14,700 M^2 is gently sloping, hence the volumetric method adopted for reserve estimation.

SYED IQTADAR TANWEER
RQP/DGMMP/211/2019-24

The thickness of sand is more than 2m. The water level fluctuates from 2-3m during post-monsoon to pre-monsoon (October to June). However maximum of 1.1 m depth of sand deposit has been considered for estimation.

Reserve calculation of the given area is detailed as under:

Area [M^2] X Depth [m] = Volume [M^3]

Total extractable sand - 14,700 M^2 x 2 m (Max Thickness) = 29,400 m^3

Total mineable sand -14,700 M^2 x 1.1 m (Average Thickness) = 16,170 m^3 15,600 m^3

Therefore, a yearly targeted quantity of 15,600 M^2 can easily be extracted from estimated mineable reserve.

The safety/environmental and replenishment factors have been considered and only 60% of lease area is taken as sand extractable area for reserve estimation.

APPROVED

COLLECTOR
BETUL

SYED IQTADAR TANWEER
RQP/DGMMP/211/2019-24

5. DEVELOPMENT AND PRODUCTION PROGRAM

5.1 PROPOSED METHOD OF QUARRYING:

The mining operation will be carried out by semi mechanized method and all the related activities shall strictly be done according to the M.M.R 1991 rule without blasting
As per the Sustainable Sand Mining Management Guidelines 16, there are total 5 extractions methods and are follows as;

a) Bar scalping and skimming is extraction of sand and gravel from the surface of bars. This method generally requires that surface irregularities be smoothed out and that the extracted material be limited to what could be taken above an imagery line sloping upwards and away from the water from a specified level above the river water level at the time of extraction (typically 0.3-0.6m). Bar scalping is commonly repeated year after year. To maintain the hydraulic control provided to upstream by the Riffle head., the preferred method of bar scalping is now generally to leave the top 1/3rd (approximately) of the bar undisturbed, mining only from the downstream 2/3rd.

b) Dry-Pit Channel Mining

Dry-Pit channel mining is the method where pits excavated within the active channel on dry intermittent or ephemeral stream beds. Dry pits are often left with abrupt upstream margins, from which head cuts likely to propagate upstream.

c) Wet-Pit Channel Method

It involves excavation of a pit in the active channel below the surface water in a perennial stream or below the alluvial groundwater table.

d) Bar Excavation

SYED IQTADAR TANWEER
RQP/DGMMP/211/2019-24

A pit is excavated at the downstream end of the bar as a source of aggregate and as a site to trap sand and gravel. Upon completion, the pit may be connected to the channel at its downstream end to provide side channel habitat.

e) Channel – wide River bed Mining

In rivers with a highly variable flow regime, sand and gravel are commonly extracted across the entire active channel during the dry season. The bed is flattened and uniformly (or nearly so) lowered.

As per the Sustainable Sand Mining Management Guidelines 2016, there are 5 extraction method as mentioned above in total out of which 'Channel-wide River bed Mining' method shall be adopted with respect to type of river bed deposition. Mining shall be done in layers of 1 meter depth to avoid ponding effect and after first layer is excavated, the process will be repeated for the next layers.

Previous year water level regime monitoring season of river bed is observed. The water level fluctuation in the river bed is from 0.0-3.0. It means the water level about 0.0m to 1.0m describes a monsoon season (July-September) where water covers the whole riverbed and flows almost uniformly throughout the river course. In case of river sand bed of about 2m water level define the post monsoon season (October to December) in which water level drops and part of river bed exposed/ dried in certain part of river channel or sand mine spot due to difference in contour elevation as well as replenished sand. In case of river having about 3.0 m water level describes pre-monsoon season (from March to mid of June).

During post monsoon (October to February) mining will be carried out in layers of 1-meter depth for maintaining the river bed water level regime (Plate 4).

During pre-monsoon (March to June) mining will be carried out in 2nd layers of 1 meter depth after completion of 1st layer for maintaining the river bed water level regime (Plate 4).

No bench can be maintained in river sand hence bench wise mining cannot be proposed.

Due to continues accumulation of sand in the area during rainy season, there will not be much depletion in the reserve of sand, hence reserve is likely to be remain same every

year and in future also. The Lease period has been sanctioned up to 30.06.2023, accordingly three years production plan can be envied as below:

Semi-mechanised method of quarrying shall be undertaken during quarrying operation and all the related activities shall strictly be followed according to M.M.R 1991 rule without blasting and drilling.

Mining operation shall be based upon Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining, Ministry of Environment, Forest and Climate change January, 2020.

Quarrying progression will be from northeast to southwest, whereas mine face will be north to south. However, mine facing may be adjusted based on best environment friendly practices.

5.2 MECHANIZATION:

An open cast quarrying by semi mechanized method will be adopted for extraction of ordinary sand, keeping the productivity and safety in mind.

Semi mechanized quarry operation shall be done by utilizing JCB, hand Shovel, spade, crow bars, water tanker etc. will be required to deploy for mining works, Dumpers will be required for loading and transportation purpose.

JCB	1 No
Dumper	2 No. (Capacity- 12 m3)
Water tanker	1 No.

5.3 BLASTING:

Not applicable.

SYED IQTADAR TANVEER
RQP/DGMMP/211/2019-24

T. Raja Bauchari

5.4 LOADING AND TRANSPORTATION OF SAND:

Dumpers / tipper shall be used for transportation purpose.

For transporting the sand from lease area to the bank and for further destinations (end users/market), following estimation has been followed.

Yearly Production	15,600 m^3
Daily Production Assuming 240 working days leaving rainy season	65 m^3/day
Capacity of Dumper	12m^3
One dumper can carry (as a safety measure)	10m^3
Total number of trips required	7
Total Dumper Required (capacity 10 m^3)	2

The above per day calculations are for reference purpose only. The removal of sand shall be done as per demand and these figures may change drastically but within the limit of yearly production of 15,600 M^3.

5.5 MANPOWER DEPLOYMENT:

Required number of man power/labor is easily available from the surrounding villages. Requirement of manpower depends on the production and taking into account an average rate of annual production of 15,600 m^3 and assuming 240 working days per year, around 65 m^3 of proposed production to be achieved per day.

Keeping an average output per man per shift about 8 m^3 (OMS), then around 8 persons shall be required in the mine site, however due to mechanization the number of persons will be reduced by 80%.

Considering a presence of site foreman is important and a manager, a total of 3-4 persons shall be required to manage the mining operation.

SYED IQTADAR TANWEER
RQP/DGMMP/211/2019-24

T. Raja Bauchan

Number of shifts proposed for per day is one shift / day. Depending upon the demand of sand, working time may be adjusted following the rules and making proper arrangements in place.

5.6 PROPOSED YEARLY PRODUCTION PROGRAM

Due to continues accumulation of sand in the area during rainy season, there will not be much depletion in the reserve of sand, hence reserve is likely to remain same every year and in future also. The Lease period of 3 years has taken as per the provisions of rule 9 of Madhya Pradesh Sand (Mining, Transportation, Storage and Trading) Rule, 2019. Accordingly, three years production plan can be envied.

It is to be noted that applied lease area has been sanctioned up to 30.06.2023 only, therefore 1st year production has been provided in the table below. However, if lease extended for two more years, then the same quantity, i.e., 15,600 M^3 per year can be extracted for another two years.

Years	Available Extractable Mining Area M^2 (60% of Lease Area)	Depth M	R O M M^3	Waste M^3 (10%)	Maximum proposed sand Production M^3
1st Year	14,700	2.0	29,400	Nil	**15,600**

5.7 MINE LIFE:

Mine has been sanctioned for the excavation of sand until 30.06.2023. Quarry lease may further be allotted to some other agency in future.

This is a river bed quarrying case, every year after monsoon, the sand deposit gets replenished and is available for ensuing years: hence river bed deposit has no fixed mine life.

5.8 USE OF MINERAL:

Sand so extracted from the mine lease, will be sold locally as building material. It is usually mixed with cement and other ingredients to create mortar for building. It is also used in brick manufacturing industries.

APPROVED
COLLECTOR
BETUL

6. CONCEPTUAL PLAN

Mine applied lease spread over a total area of 24,500 m^2. Though sand thickness found to be more than 3m but actual digging depth restricted up to 1.1 m only. However, pits generated by quarrying will be replenished during rainy season. Quarrying will be worked systematically as the width is smaller than its length. As the lease period has been sanctioned until 30.06.2023, some of the area will be left un-worked at the end of lease period.

During plan period workings will be carried out in one stretch at a time. Scattered workings will ensure safety, remove congestion and will have better control and management.

Bank side natural slope will not be disturbed. This will prevent collapse of bank and erosion.

There will be no soil or OB removal during the plan period. Therefore, no proposal has been envisaged for its separate dumping. No outside material will be filled up in the extracted zone.

7. ENVIRONMENTAL MANAGEMENT PLAN

7.1 AIR QUALITY MANAGEMENT:

Dust during quarrying, fumes and exhaust emission due to transportation of vehicles are the main causes of air pollution.

Personal Protection Equipment's (PPE) like dust masks, ear plugs etc. will be provided to mine workers

It can be effectively controlled by regular water sprinkling on roads.

Mineral carrying vehicles should be covered with tarpaulin and shall not be over loaded.

Proper maintenance of transport vehicles and PUC certification will minimize the exhaust emission. Adequate plantation will also support to maintain air quality.

7.2 WATER MANAGEMENT:

Sand quarrying activities will have an impact upon the river's water quality. Impacts include increased short-term turbidity at the mining site due to re suspension of sediment, and dumping of excess mining materials, oil spills or leakage from transportation vehicles and washing of vehicles in the river.

Increased riverbed and bank erosion increases suspended solids in the water at the excavation site. Suspended solids may adversely affect water towards downstream and aquatic ecosystems.

The impact is particularly significant if water toward downstream of the site being abstracted for domestic and irrigation purposes etc.

Quarrying is avoided during the monsoon season and at the time of floods. This will help in replenishment of sand in the river bed.

Quarrying below subterranean water level will be avoided as safe guard against environmental contamination and over exploitation of resources.

River stream will not be diverted to form inactive channels.

Meandering segment of river would be selected for mining in such a way to avoid natural eroding banks and to promote mining on naturally building meander components.

Utmost care will be taken to avoid the used of fuel leaking vehicles for sand transportation

The washing of trucks in the river will be avoided.

7.3 NOISE MANAGEMENT:

In manually operated sand mine, noise is generally created by transportation of vehicles.

Onsite and offsite noise management are:

Plantation of trees along the river bank and transport route beyond the bank shall be undertaken to dampen the noise, if possible.

The vehicles shall be maintained in good running condition so that noise will be reduced to minimum possible level.

Awareness will be imparted prior to quarrying operations that smoke silencers remain in a good condition and not to generate noise.

Unnecessary use of horns by the drivers of the vehicles shall be avoided at village areas.

7.4 WASTE MANAGEMENT:

There is no top soil expected to be produced in the plan period. No other waste anticipated to be generated hence waste disposal arrangement is not required.

7.5 BIOLOGICAL ENVIRONMENT

The proposed quarrying will be undertaken from the dry bed of the river on a small scale, therefore unlikely to impact the aquatic environment or any fauna or floral environment.

7.6 DISPOSAL OF MINING MACHINERIES:

No disposal of machineries would take place onsite and hand tools, tractors, dumpers will be deployed on hire basis.

SYED IQTADAR TANWEER
RQP/DGMMP/211/2019-24

7.7 SAFETY AND SECURITY:

Prior to mining, short awareness/training program will be conducted for site staff to make them aware regarding safety aspects and environment friendly work practices.

First aid kit and anti-venom injection for snake/insect bite shall be provided at mine site.

If some causality or injury to animal occurs, it will be informed to forest department and proper treatment will be given.

No lighting will be allowed in the area.

No tree cutting, chopping, lumbering, uprooting of shrubs and herbs will be allowed.

No track or new road for movement of site workers or vehicles be laid in adjoining area, this will prevent fragmentation, encroachment and human verses animal encounter.

Corridor for movement of wild mammals (If exists) will be avoided for mining/transport purposes

If wild animals are noticed crossing the river bed, they will not be disturbed or chased away, instead the workers will move away from their path.

7.8 DISASTER MANAGEMENT:

Nature of mining method is very simple and high-risk accidents are not anticipated. In case of natural disaster, lessee will take assistance from local government officials.

7.9 CARE DURING TEMPORARY DISCONTINUANCE:

No major quarrying machineries will be deployed as mining shall be undertaken manually. Most of the tools/equipment shall be on hire basis, in such cases, care will be taken as per the terms and conditions of contract. During temporary discontinuance, a watchman should be present to look after the mine site.

7.10 ECONOMIC REPERCUSSION OF CLOSURE & MAN POWER RETRENCHMENT

This quarry lease sanctioned for defined time period, most of the facilities and man power will be deployed on hire basis and in such case, care will be taken as per terms and conditions of contract.

7.11 STATUS OF LOCAL EMPLOYEES:

Local residents will be proposed to employ from the nearby areas which already have their own traditional and family occupation like agriculture, fisheries and other sundry jobs. During monsoon and some other season or at the end of mine period they can easily join their respective employments.

7.12 COMPENSATIONS:

Retrenchment compensation to the employees as and when required will be done as per Government Labor legislation.

7.13 RECLAMATION & REHABILITATION:

The applied area comprises mainly sand, and negligible quantity of coarser material. The proposed area is the zone of active erosion during high flood time, otherwise it is a zone of deposition between two stream flows. So, no manual reclamation is needed. It is expected that the reclamation of the affected area will be automatically done by filling with sand flow in the rainy season depending on the amount of rain fall received by the area and the rate of river flow.

There is no human settlement within the quarry area. No human settlement will be disturbed due to the Quarrying activity. So, no rehabilitation and resettlement are proposed.

7.14 DISTANCE FROM THE NEAREST BRIDGE/DAM:

There is a small bridge located around 0.2 km W, downstream of the lease and constructed on Bhadanga River. However, none is located within mine lease area.

7.15 SOCIO – ECONOMIC ENVIRONMENT:

There will be positive effect to some extent on socio – economic environment of the area as quarrying activity will create new job opportunities for the local people, which ultimately improve their financial status.

7.16 PLANTATION (AFORESTATION PROGRAM):

The implementation for development of green belt will be of paramount importance as it will not only add up as an aesthetic feature, but also act as a pollution control tool.

The species to be grown in the area should be dust tolerant and fast growing so that permanent green belt is created.

In order to stabilize the river bank erosion, the plants having good growth will be planted along the river bank. Trees may also be grown along approach roach to the village and along village road as well as in the village as feasible in consultation with local gram panchayat, DFO and other stake holders.

Lease area is 24,500 M^2 and as per latest guidelines, total trees to be planted @1500 trees per hectare, i.e., a total of 7,500 trees shall be planted in within the lease period.

Total no. of trees to be Planted: - 3,675			
Phase	Name of Tree	No. of Plants to be Planted	Location
Within lease period	River bank- Pipal, Munga, Kathal, Bargad, Jamun, Neem, Arjun, Kadam Belpatra, Mango	3,675	Bank of the river – 2,000 nos Jholi and surrounding villages – 1,675 (Fruit bearing and fodder trees) Suitable available nearby government land or along the road in consultation with local Gram Panchayats, DFO and other stake holders

8. PROGRESSIVE MINE CLOSUR PLAN

This is a sanctioned quarry which may again be sanctioned after its expiry on 30.06.2023. The actual working area (sand accumulated area) within the proposed area is the zone of active erosion during high flood time, otherwise it is a zone of deposition and mined out areas may or may not be automatically replenished with sand flow in the rainy season each year, hence progressive plan is not envisaged.

Statutory Obligations: No statutory obligations imposed till now; routine legislative conditions will apply as mentioned in approval letter.

9. SAND REPLENISHMENT ASSESSMENT

Sand quarrying from river bed will cause degradation of land use pattern and damage to the environment. Over exploitation of sand from river bed will definitely affects adversely on the surrounding environmental status. Deposition of sand is a continuous natural process, but the over drafting will never be permitted to ensure the balance between exploitation and replenishment potential of river sand.

Sand quarrying from river bed will have both positive and negative impacts;

9.1 NEGATIVE IMPACTS:

It includes destruction of natural river course, bank erosion, bank cutting and widening and deepening of river bed. Change in hydrological status and recharging conditions. Disturbance to closely linked flora, fauna and aquatic life.

9.2 POSITIVE IMPACTS:

Employment and socio-economic status of the habitants living besides the river depends on sand mining industries. Construction of concrete infrastructures, roads and some other related activities depends on the river bed sand. Continuous accumulation of sand ultimately leads to the reduction in water carrying capacity of the river leading excessive flood in the river. Sustainable extraction of sand from river will lead to overcome the problem.

9.3 NEED FOR SAND REPLENISHMENT STUDY AND FACTORS TO BE CONSIDERED AND OBSERVED:

Environmental status of the mined-out area may be affected badly if proper care is not taken to ensure sustainable extraction of sand from river bed. Proper study of the following factors must be taken into consideration to reveal the actual potential of sand deposition in river course after completion of periodical excavation annually. The main factors required to be considered for the study of the replenishment potential of particular river course are:

Formation of sand comprises of the following;

Catchment area and geological strata,

Erosion, weathering

Climatic conditions, Precipitation

Geomorphology, Physiographic Manmade structures and activities details .

Geological formations Refer to Chapter 3.

Deposition/sedimentation of material or sediment yield depends upon several factors like;

-Catchment area

-Span of river / flood plain

-Travelling distance of suspended particles

-Slope / gradient / depth of water channel / meandering of river

- Geology traversed

- Climatic conditions

-Tributaries / Confluence

- Type / stage of river and flow velocity

-Occurrence of natural and manmade structures.

-Flow during lean period.

9.3.1 WATER LEVEL DURING LEAN PERIOD:

River course at area under consideration attains youth stage, flow velocity is moderate, turbulence occurred due to meanders created due to lineaments. Elevation of both the banks are within the range of 2.5 to 3.5m above river bed. After monsoon river flows in full swing covering both the banks. During monsoon floods the water level rises by 2 to 3 m High flood level of river goes up to 395 m in due course of time after monsoon water channel level goes down gradually, during lean period water level maintained at 392-393 m.

9.3.2 CATCHMENT AREA

The Bhadanga River basin comprises an area of about 90 Km2. The eastern boundary is marked by low-lying hills and or high grounds. The basin area is highly undulating with isolated hills and plains. The ground elevation ranges between 392 m and 1,006 m. above MSL. The ground slopes from east to west.

9.3.3 ORIGIN OF RIVER:

The Bhadanga River (a tributary of Tawa) flows from east to west into Tawa. The origin of the river is near the hills of Bhandarpani, Madhya Pradesh at an elevation of 1,006 m.

9.3.4 DISTANCE OF TRAVELLING OF LOAD:

Bhadanga River course is around 20 km approx. from the origin to mine site.

9.3.5 SLOPE / GRADIENT / ELEVATION DIFFERENCE:

The highest elevation of **Bhadanga River** at the origin is around 1,006 m and the elevation at mine site is 392 m above msl. There is an elevation difference of around 614 m.

9.3.6 GEOLOGY / LITHO UNITS:

River originates mainly from Deccan Trap rock formations and further continues over the same rock formations with other formations in parts.

9.3.7 CLIMATIC CONDITIONS:

Climate of the district is tropical with moderate winter and severe summers and well distributed rainfall received from southwest monsoon. However due to higher general elevation and abundance of forests, summer temperature does not rise as much as in other areas. The normal annual rainfall of Betul district is 1129.6mm.

9.3.8 TRIBUTARIES / CONFLUNCE:

Several other small seasonal streamlets (Nallas) join this tributary resulting in the increase of its overall catchment area. However, no nallas join this river near the site.

9.3.9 TYPE/STAGE OF RIVER AND FLOW VELOCITY:

River attains mature stage at the mine site. Flow velocity is low to moderate. Lease area lies on a wide meander making it suitable for sand deposition.

9.3.10 STRUCTURES:

From our study no major structures have been observed in the river course near the site. There is a small bridge located around 0.2 km W, downstream of the lease and constructed on Bhadanga River. However, none is located within mine lease area.

9.4 CONCLUSION:

In Betul district, Bhadanga River basin where lease area is located comprises an area of about 90 Km^2. The eastern boundary is marked by low-lying hills and or high grounds. The basin area is highly undulating with isolated hills and plains. The ground elevation ranges between 392 m and 1,006 m. above MSL. The ground slopes from east to west.

The Average rainfall of Betul district is 1129.6mm. The district receives high rainfall mostly during July to September which will be leads to the deposition of the sufficient quantity of the sand every year within the old working area.

Dandy Bolton Formula has category stated use of the equation to predict sediment yield for a specific location would not be always correct because of the wide variability caused by local factors not considered in the equation development. Actual sediment yield from individual drainage basins may vary 10-fold or even 100-fold computed yields.

Looking at the basic information available about the concerning river basin, it is concluded that proposed quantity of 15,600 cubic meter per year can be excavated from the quarrying site and the replenishment of the same will be done easily as regular annual process following the topographical control.

Total replenished quantity of sand available each year within the lease hold area will be:

Total Leasehold area -2.45 ha

Total sand available -2.45 x10000x3 (max thickness) = 73,500 m^3

Taken all safety measured and environmental concerns, only 1.47 ha leasehold area (60% of lease area) is available for mining.

Total sand available -14,700 m^3 x 2m (Max. Thickness) = 29,400 m^3

Total mineable sand – 14,700 m^2 x 1.1 m (Avg. Thickness) = 16,170 m^3 15,600 m^3

Thus, from measured sand reserve of about 29,400 cubic meters, only 15,600 cubic meter sand per year will be extracted.

Out of the above annual replenishment, it is proposed to mine only 15,600 cubic meters up to a maximum depth of 1.1 m.

Thus, there will be no long – term impact on the riverbed which will have surplus sand left after extraction of the proposed amount each year and PP will be extracting less than 50 % of the annual replenished sand within its lease hold.

Above estimation is based upon existing site conditions. Next year estimation shall be worked out after monsoon using volumetric methods. In the applied area, replenishment depends upon the yearly rainfall, if adequate amount of sand will not replenish during monsoon, then excavation of sand will be limited to the quantity which will be equivalent to the replenished material up to a maximum depth of 3m only.

REVISED PLAN PREPARED FOR –

M/s National Energy Trading and Services

Address: Address: Plot No 7, Bindu Sadan, 401 Sai Chandra Colony, Green Space Tulasi, Puppalguda, Manikonda, Hyderabad,
Telangana State, India

PLAN PREPARED BY RQP -

SYED IQTADAR TANWEER
G-3 Balaji, Bright Colony, Idgah Hills,
Bhopal (M.P.)
Registration No: RQP/DGMMP/211/2019-24

SYED IQTADAR TANWEER
RQP/DGMMP/211/2019-24

Priya Bandhas

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला–बैतूल (म.प्र.)

प्रारूप–तीन

(नियम 11(3) एवं 11(5) देखिए)

आशय–पत्र

क्रमांक/रेत/2022/1862 बैतूल, दिनांक 23/12/2022

प्रति,

मेसर्स नेशनल एनर्जी ट्रेडिंग एण्ड सर्विसेज लिमिटेड
पता–प्लॉट न. 7, बिन्दु सदन, 401 सांई चंद्र कॉलोनी,
ग्रीन स्पेस तुलसी, पुष्पलगुडा, मणिकोंडा, हैदराबाद,
रंगारेड्डी, तेलंगाना–500089

विषय :– ई–निविदा क्रमांक 1691 दिनांक 17.11.2022 के संदर्भ में ग्राम **(सूची अनुसार)** तहसील **(सूची अनुसार)** जिला **बैतूल** रकबा **(सूची अनुसार)** हेक्टेयर क्षेत्र की खदान समूह क्रमांक **(संपूर्ण बैतूल जिला)** रेत खदानों हेतु आशय–पत्र।

––00––

1. **पृष्ठभूमि :**

1.1 मध्यप्रदेश रेत (खनन, परिवहन, भण्डारण एवं व्यापार) नियम 2019 (यथा संशोधित) के अनुसरण में कलेक्टर जिला बैतूल द्वारा मध्यप्रदेश के जिला बैतूल स्थित समूह खदान के समूह क्रमांक **(संपूर्ण बैतूल जिला)** हेतु रेत की समूह खदानों के प्रदान के लिए निविदा प्रक्रिया को प्रारंभ करने के लिए ई–निविदा सूचना दिनांक **17.11.2022** जारी की गई। ई–निविदा प्रक्रिया उक्त नियमों के नियम 8 के अनुसार उक्त रेत समूह आबंटन हेतु संचालित की जाकर मेसर्स **नेशनल एनर्जी ट्रेडिंग एण्ड सर्विसेज लिमिटेड** को उक्त नियमों के नियम 8(8) के अधीन उच्चतम सफल निविदाकार के रूप में घोषित किया गया है।

1.2 उक्त नियमों के नियम 11 के अधीन तथा उक्त समूह खदान के लिए निविदा दस्तावेज के अधीन अपेक्षित किए गए अनुसार मेसर्स **नेशनल एनर्जी ट्रेडिंग एण्ड सर्विसेज लिमिटेड** ने प्ररक्षित मूल्य के 25 प्रतिशत राशि रकम रूपये **5,85,53,288/–(पांच करोड़ पच्यासी लाख तिरेपन हजार दो सौ अट्ठासी रूपये)** अग्रिम धन (ईएमडी) के रूप में एम.पी. टेंडर के माध्यम से जो दिनांक **02.12.2022** को जमा कर दी है तथा जो दिनांक 23/12/2022 को संचालक के पूल खाते में प्राप्त हुई है।

2. **परिणामस्वरूप आशय पत्र जारी किया जाना :**

उक्त नियमों के नियम 11(3) एवं 11(5) के अनुसरण में समूह क्रमांक **(संपूर्ण बैतूल जिला)** मेसर्स **नेशनल एनर्जी ट्रेडिंग एण्ड सर्विसेज लिमिटेड** के पक्ष में 30 जून 2023 अवधि हेतु रेत खनिज की खदानों के समूह के लिए ग्राम **(सूची अनुसार)** जिला **बैतूल** में रकबा **(सूची अनुसार)** (हेक्टेयर) क्षेत्र के लिए यह आशय पत्र जारी किया जाता है।

3. **शर्तें :**

3.1 यह आशय पत्र तथा इसके पूर्वोक्त खदान समूह का अनुवर्ती आवंटन इन नियमों के समय–समय पर यथा संशोधित उपबंधों के अध्यधीन होगा तथा मेसर्स **नेशनल एनर्जी ट्रेडिंग एण्ड सर्विसेज लिमिटेड** को "उच्चतम सफल निविदाकार" के रूप में घोषित किया जाता है तथा इन नियमों के अधीन समस्त अपेक्षाओं की संतोषजनक पूर्ति पर पश्चातवर्ती रूप से आवंटित खदान समूह का आबंटन किया जाएगा।

3.2 संदर्भ हेतु मेसर्स **नेशनल एनर्जी ट्रेडिंग एण्ड सर्विसेज लिमिटेड** के "उच्चतम सफल निविदाकार" के रूप में घोषित किए जाने तथा समूह खदानों के पश्चातवर्ती आबंटन है, के लिए अपेक्षाओं को नीचे दोहराया गया है। यह स्पष्ट किया जाता है कि अधोवर्णित अपेक्षाएं मात्र संदर्भ के लिए है तथा उक्त नियमों में किसी परिवर्तन की स्थिति में, यथास्थिति, संशोधित नियमों के अधीन अपेक्षाएं लागू होंगी।

(क) **"उच्चतम सफल निविदाकार" के रूप में घोषणा :–**

मेसर्स **नेशनल एनर्जी ट्रेडिंग एण्ड सर्विसेज लिमिटेड** को "उच्चतम सफल निविदाकार" मान्य किया जावेगा, बशर्ते :–

(एक) नियमों के निबंधनों तथा शर्तों का अनुपालन किया गया हो;

(दो) नियमानुसार वार्षिक ठेका राशि की 50 प्रतिशत रकम का भुगतान कर दिया गया हो;

(तीन) उक्त नियमों के नियम 12 के उप नियम (1) से उप नियम (6) में विनिर्दिष्ट खनन योजना एवं अन्य कानूनी अनुपालनों के संबंध में शर्तों को पूरा किया गया हो।

(ख) **ठेका अनुबंध का निष्पादन :–**

समस्त कानूनी अनुज्ञाओं, अनुमोदन, अनुज्ञा, अनापत्ति एवं सदृश, जो कि खनन संक्रिया प्रारंभ करने के लिए प्रयोज्य विधियों के अधीन अपेक्षित हो, प्राप्त करने के उपरांत मेसर्स **नेशनल एनर्जी ट्रेडिंग एण्ड सर्विसेज लिमिटेड** एवं बैतूल जिले के कलेक्टर के साथ प्रारूप 5 में पृथक–पृथक खदानवार ठेका अनुबंध का निष्पादन कराया जायेगा। अनुबंध निष्पादन की औपचारिकताऐं पूर्ण होने पर ठेका अनुबंध का भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का क्रमांक 16) के उपबंधों के अधीन पंजीयन कराया जायेगा।

(ग) **समूह खदानों की खनन संक्रिया :–**

अनुबंध निष्पादन के पश्चात मेसर्स **नेशनल एनर्जी ट्रेडिंग एण्ड सर्विसेज लिमिटेड** किश्तों का नियमित रूप से भुगतान करेंगें तथा नियमित खनन संक्रियायें जारी रखेंगें।

3.3 यह आशय पत्र नियमानुसार प्रगणित की गई 30 जून 2023 की कालावधि के लिए विधिमान्य है। समय–सीमा के भीतर समस्त शर्तों की पूर्ति की जानी चाहिए एवं मेसर्स **नेशनल एनर्जी ट्रेडिंग एण्ड सर्विसेज लिमिटेड** एवं बैतूल जिले के कलेक्टर के मध्य ठेका अनुबंध निष्पादित किया जाना चाहिए। उच्चतम सफल निविदाकार के नियंत्रण से परे किन्हीं कारणों से ठेका अनुबंध के निष्पादन में विलंब होने की स्थिति में, समय–सीमा में वृद्धि करने के लिए वह कलेक्टर को आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकेगा। उपरोक्त समस्त अथवा किन्हीं शर्तों के अनुपालन के लिए कलेक्टर अधिकतम 10 दिवस की अवधि बढ़ा सकेगा।

निविदाकार कम्पनी की ओर से प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षर उपरांत उक्त आशय पत्र की द्वितीय प्रति 07 दिवस की अवधि के भीतर अधोहस्ताक्षरी को स्वीकार्य पावती के रूप में वापस करने योग्य होगी।

संलग्न– समूह की खदानों का विवरण एवं राशि की जानकारी।

कलेक्टर
जिला–बैतूल (म.प्र.)

पृ0क्रमांक/रेत/2022/1862 बैतूल, दिनांक 23/12/2022

प्रतिलिपि :–

1– प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2– प्रमुख सचिव, नगरीय प्रशासन एवं पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3– सदस्य सचिव, सिया पर्यावास परिसर ई–5 अरेरा कालोनी, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4– कार्यपालक संचालक, दि मध्य प्रदेश स्टेट माईनिग कार्पोरेशन लिमिटेड भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5– संचालक, संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, 29–ए अरेरा हिल्स, म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ।
6– क्षेत्रीय अधिकारी, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड छिन्दवाड़ा की ओर सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित।
7– अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) समस्त जिला बैतूल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
8– तहसीलदार तहसील समस्त जिला बैतूल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
9– खनि निरीक्षक जिला बैतूल की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।

कलेक्टर
जिला–बैतूल (म.प्र.)

ई–निविदा में सम्मिलित खदानों एवं राशि का विवरण

जिला – बैतूल

क्र.	जिला	तहसील	ग्राम	खसरा क्रमांक	रकबा हेक्टेयर में	रेत का अनुमानित भण्डार (घनमीटर में)	अनुमानित दर का मूल्य (रुपये 250 प्रति घनमीटर + अन्य कर अतिरिक्त)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	लोनिया	179	1.115	25000	
2	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	फुलवेरिया	407	2.500	12750	
3	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	झाड़कुण्ड	1	0.950	7200	
4	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	बिखली आमडाना	219, 341	7.730	50000	
5	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	घोड़ाडोंगरी	373, 1395	7.000	20663	
6	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	आमडाना रैयत	248,141, 130	6.090	35700	
7	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	गांधीग्राम	2	0.550	13500	
8	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	नांदू	91	2.900	22500	
9	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	बाकुड़	35	2.700	21875	
10	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	बरेलीपार/ घोड़ाडोंगरी	63	0.360	9000	
11	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	कचलोरा–1	67	0.100	2000	
12	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	कचलोरा–2	98	0.170	3570	
13	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	कचलोरा–3	69	0.340	9500	
14	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	आमडाना रैयत–1	79	0.350	8050	
15	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	आमडाना रैयत–2	175	0.340	6120	
16	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	आमडाना रैयत–3	178	0.620	13750	23,42,13,150/-
17	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	झोली–1	99	5.000	26000	
18	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	झोली–2	10	4.000	12000	
19	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	सातलदेही	187, 251	8.000	38500	
20	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	धरमपुर	309	6.000	7500	
21	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	बटकीढोह	112, 349	1.000	15000	
22	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	विष्णुपुर	1	2.000	30000	
23	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	चिचडोल रैयत	30	8.000	25000	
24	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	कटगी	148	0.621	4000	
25	बैतूल	बैतूल	डहरगाव/भयावाड़ी	68, 260	6.250	25750	
26	बैतूल	बैतूल	कोदारोटी	106	5.450	7200	
27	बैतूल	बैतूल	कुम्हारिया	1	0.700	10800	
28	बैतूल	बैतूल	भीलावाड़ी	97	0.800	9100	
29	बैतूल	बैतूल	सावनी	78	0.860	9450	
30	बैतूल	आमला	सोनतलाई	1	9.330	9000	
31	बैतूल	आमला	बारछी	434, 308	5.520	10300	
32	बैतूल	आमला	जम्बाड़ा (बुजुर्ग)	217	0.700	2304	
33	बैतूल	भैंसदेही	रातामाटी	1	2.550	36000	

34	बैतूल	घोड़ाडोंगरी / शाहपुर	चौड़ी / गालवर	1, 38	14.050	210000
35	बैतूल	घोड़ाडोंगरी / शाहपुर	बारापुर / शिवसागर / गौनापुर	1, 1, 288, 266	24.970	272250
36	बैतूल	शाहपुर	गुवाड़ी	19	2.500	70200
37	बैतूल	शाहपुर	शाहपुर / पतौवापुरा	1, 112	11.000	198000
38	बैतूल	शाहपुर	सिरालढिरी	1	0.700	5625
39	बैतूल	घिघोली	सांगवानी	20	5.080	30064
40	बैतूल	घिघोली	हरन्या	1, 9	5.590	44000
41	बैतूल	घिघोली	खपरिया	18	3.000	32500
42	बैतूल	घिघोली	बल्तोर	162	3.000	35000
43	बैतूल	शाहपुर	टागनामाल	209	4.000	42000
44	बैतूल	शाहपुर	धामन्या	1	5.000	38000
45	बैतूल	शाहपुर	चिखली रैयत	316	4.000	18000
46	बैतूल	शाहपुर	तेन्दूखेड़ा	119,114	5.000	22500
47	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	सिवनघाट	142	0.420	4200
				योग–	**188.906**	**1561421**

1	कुल चिह्नित खदानें –	47
2	कुल अनुमानित क्षेत्रफल –	188.906 हे0
3	निविदा हेतु निर्धारित खदानें –	सम्पूर्ण बैतूल जिला
4	जिला समूह हेतु बिक्री योग्य निर्धारित मात्रा (वार्षिक) घनमीटर –	936852.6 (तेईस करोड़ बयालीस लाख तेरह हजार एक सौ पचास रूपये)
5	निविदाकार मेसर्स नेशनल एनर्जी ट्रेडिंग एण्ड सर्विसेज लिमिटेड	
6	पता–प्लॉट न. 7, बिन्दु सदन, 401 साई धंद्र कॉलोनी, ग्रीन स्पेस तुलसी, पुष्पलगुडा, मणिकोंडा, हैदराबाद, रंगारेड्डी, तेलंगाना – 500089	
7	स्वीकृत ऑफर मूल्य रूपये –	**531195424.20** (तिरेपन करोड़ ग्यारह लाख पनचान्वे हजार चार सौ चौबीस रूपये बीस पैसे मात्र)
8	प्राप्त दर के अनुसार प्रति घनमीटर देय राशि (रायल्टी सहित)	**567.00** (पांच सौ छड़सठ रूपये प्रति घनमीटर)
9	जमा EMD राशि रूपये –	**58553288** (पांच करोड़ पच्यासी लाख तिरेपन हजार दो सौ अट्ठासी रूपये)
10	शेष जमा राशि रूपये (265597712.10 – 58553288) ऑफर मूल्य का 50 प्रतिशत – निविदा की ईएमडी राशि	**207044424.10** (बीस करोड़ सत्तर लाख चौव्यालीस हजार चार सौ चौबीस रूपये दस पैसे मात्र)
11	बिन्दु क्रमांक 10 की राशि जमा दिनांक एवं भुगतान विवरण –	21.12.2022 RTGS

नोट :–2. निविदा प्रपत्र की कंडिका– 10 (ख) –परिशिष्ट–1 में समूह में सम्मिलित समस्त रेत खदानों का विवरण, खदान का अनुमानित क्षेत्रफल एवं खदान में उपलब्ध अनुमानित मात्रा दर्शित है। ठेकेदार द्वारा जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (डी.एस.आर.) द्वारा अनुमोदित मात्रा तक ही खनन किया जा सकेगा। यह अनिवार्य नही होगा कि वह समूह में सम्मिलित प्रत्येक खदान की परिशिष्ट–1 में दर्शित मात्रा हेतु, वैधानिक अनुमतियाँ प्राप्त कर खदानें संचालित करें। अर्थात निविदित मात्रा का खनन समूह में सम्मिलित कतिपय खदानों से, वैधानिक अनुमतियों के अधीन भी किया जा सकेगा।

कलेक्टर
जिला–बैतूल (म.प्र.)

SURFACE PLAN & GEOLOGICAL PLAN

CO-ORDINATE	
A. 22°14'46.10"N	78°4'7.90"E
B. 22°14'55.47"N	78°4'27.41"E
C. 22°14'56.42"N	78°4'26.98"E
D. 22°14'46.69"N	78°4'7.86"E

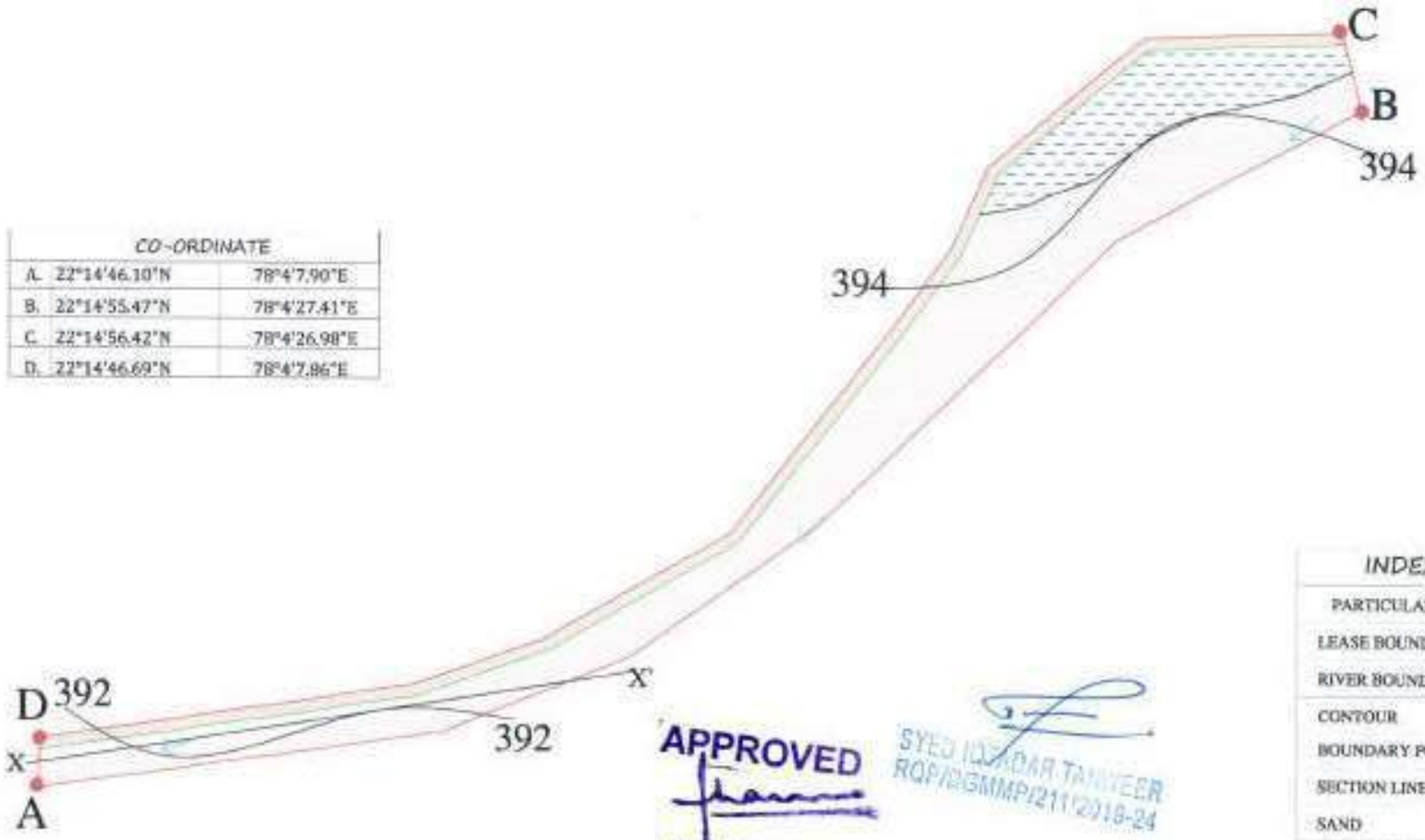

APPROVED
COLLECTOR
BETUL

SYED IQBAL TANVEER
RQP/BGMMP/211/2018-24

INDEX	
PARTICULARS	SYMBOLS
LEASE BOUNDARY	
RIVER BOUNDARY	
CONTOUR	480
BOUNDARY POINTS	
SECTION LINE	
SAND	
AREA UNDER WATER	
FLOW DIRECTION	

SECTION X-X'

AREA DETAILS
QUARRY AREA - 2.45 HA.
QUARRY SURVEY NO. - 99
QUARRY VILLAGE-JHOLI-1
TEHSIL- GHODADONGARI,
DISTRICT - BETUL (M.P.)

APPLICANT:

M/s National Energy Trading and Services Ltd.
Address: Plot No 7, Bindu Sadan, 401
Sai Chandra Colony, Green Space Tulasi,
Puppalguda, Manikonda, Hyderabad,
Telangana State, India

895

YEAR WISE DEVELOPMENT PLAN & SECTION

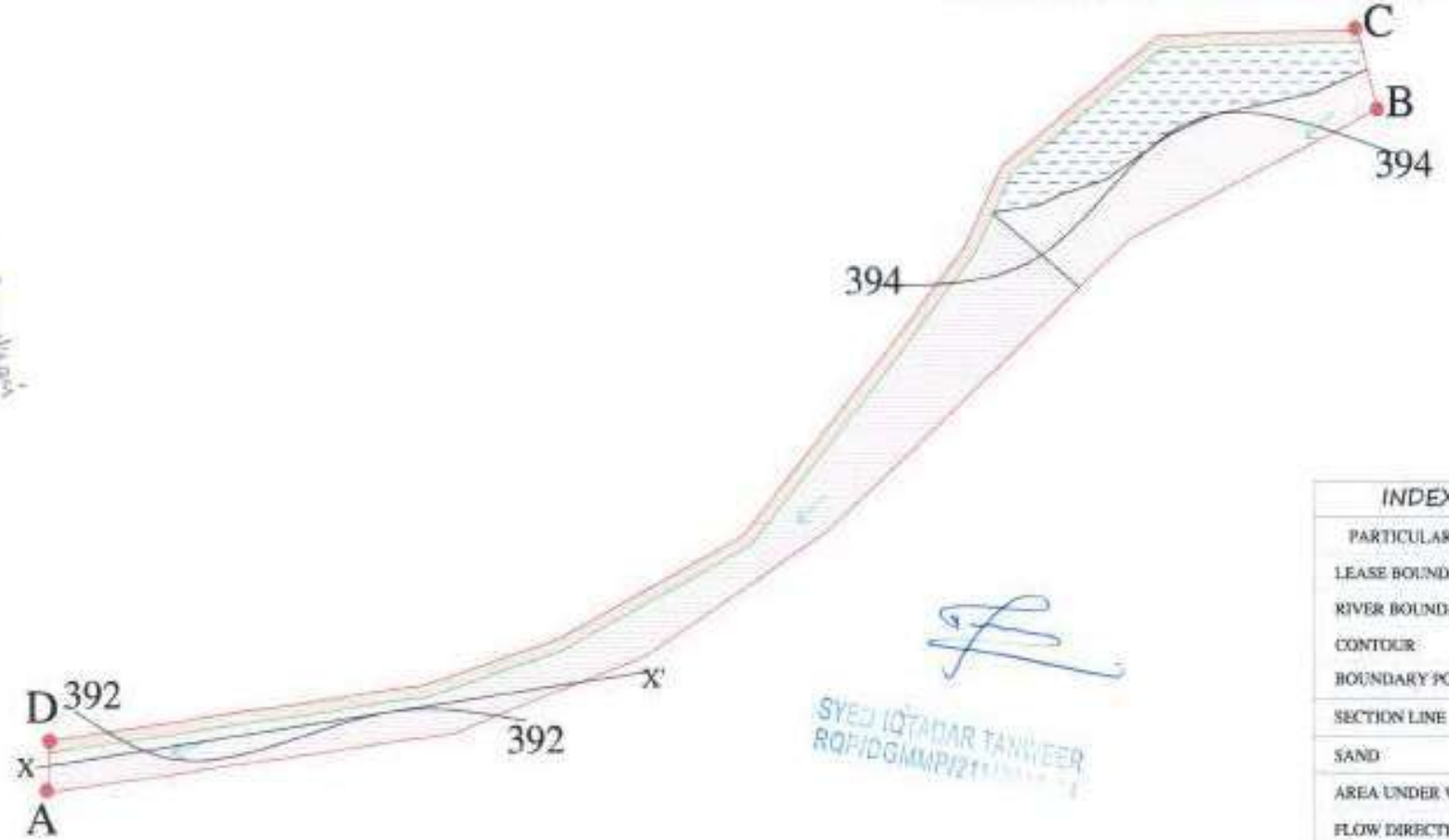

INDEX	
PARTICULARS	SYMBOLS
LEASE BOUNDARY	
RIVER BOUNDARY	
CONTOUR	480
BOUNDARY POINTS	
SECTION LINE	
SAND	
AREA UNDER WATER	
FLOW DIRECTION	
YEAR WISE DEVELOPMENT	

SECTION X-X'

AREA DETAILS	APPLICANT:
QUARRY AREA - 2.45 HA. QUARRY SURVEY NO. - 99 QUARRY VILLAGE-JHOLI-1 TEHSIL- GHODADONGARI, DISTRICT - BETUL (M.P.)	M/s National Energy Trading and Services Ltd. Address: Plot No 7, Bindu Sadan, 401 Sai Chandra Colony, Green Space Tulasi, Puppalguda, Manikonda, Hyderabad, Telangana State, India

SYED IQTAMAR TANVEER
RQP/DGMMP/21

ENVIRONMENTAL PLAN

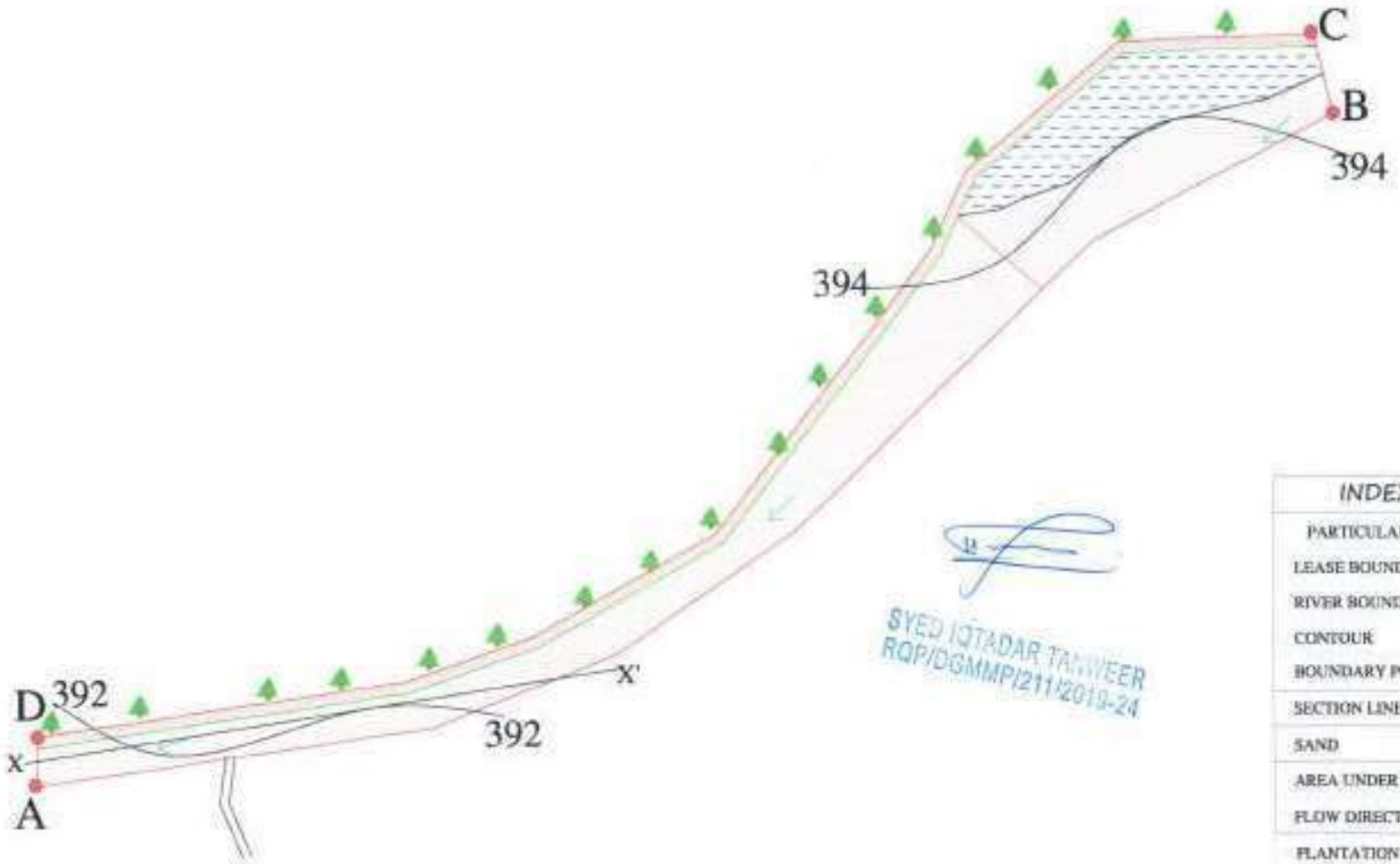

SYED IQTADAR TANVEER
RQP/DGMMP/211/2019-24

INDEX	
PARTICULARS	SYMBOLS
LEASE BOUNDARY	
RIVER BOUNDARY	
CONTOUR	480
BOUNDARY POINTS	
SECTION LINE	
SAND	
AREA UNDER WATER	
FLOW DIRECTION	
PLANTATION	

AREA DETAILS	APPLICANT:
QUARRY AREA - 2.45 HA. QUARRY SURVEY NO. - 99 QUARRY VILLAGE-JHOLI-1 TEHSIL- GHODADONGARI, DISTRICT - BETUL (M.P.)	M/s National Energy Trading and Services Ltd. Address: Plot No 7, Bindu Sadan, 401 Sai Chandra Colony, Green Space Tulasi, Puppalguda, Manikonda, Hyderabad, Telangana State, India

YEARLY MONSOON WISE PLATE & SECTION

INDEX	
PARTICULARS	SYMBOLS
LEASE BOUNDARY	
RIVER BOUNDARY	
SAND	
WATER	

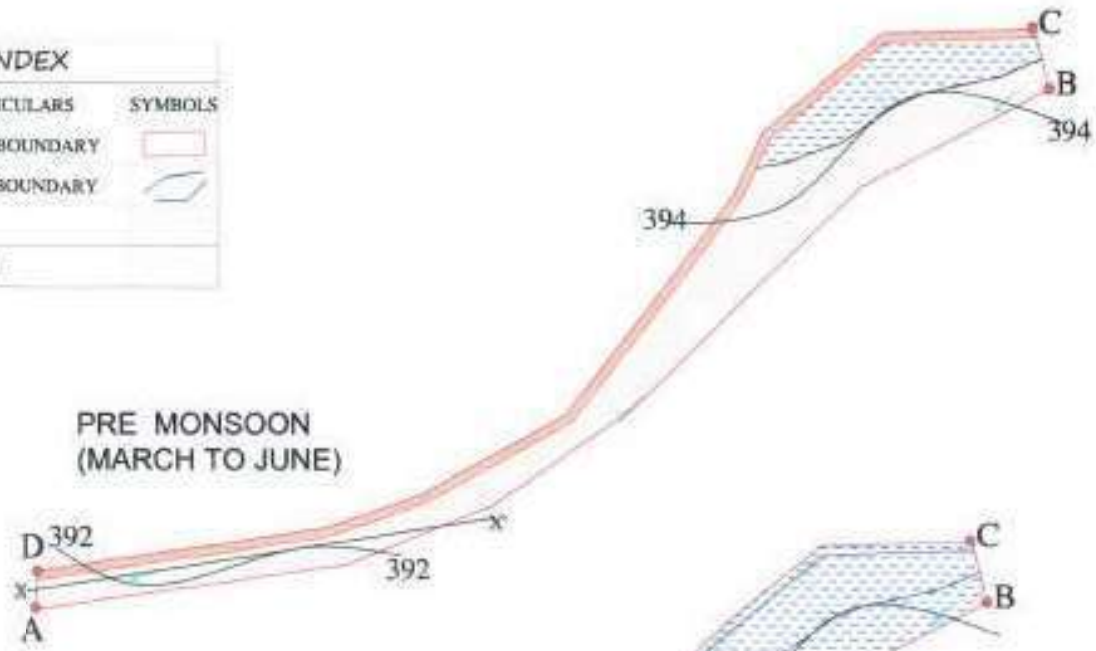

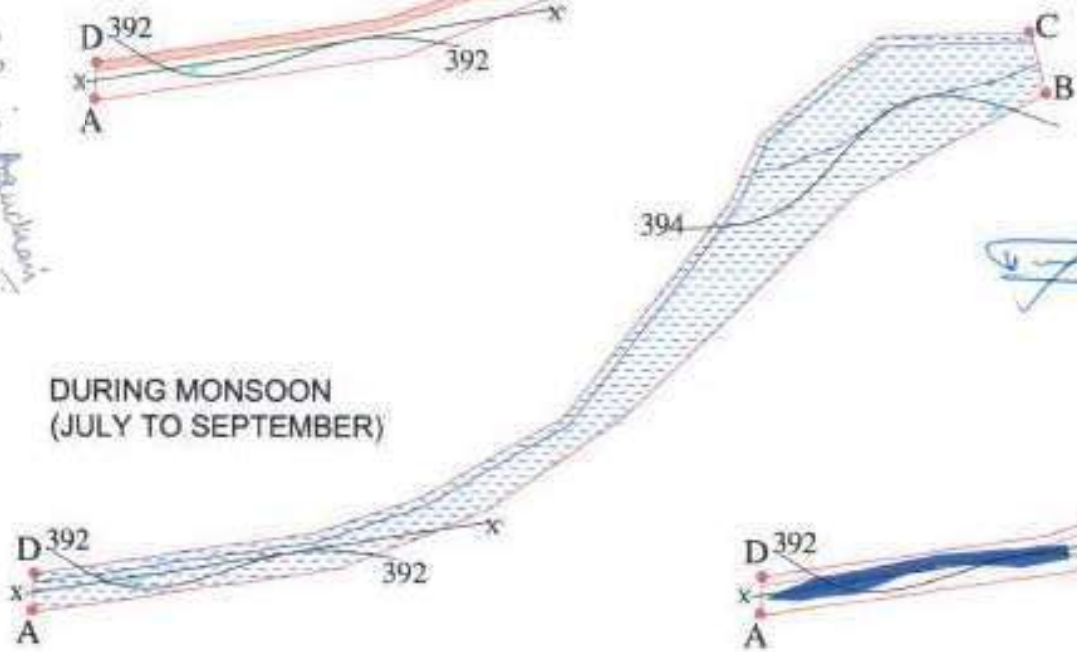

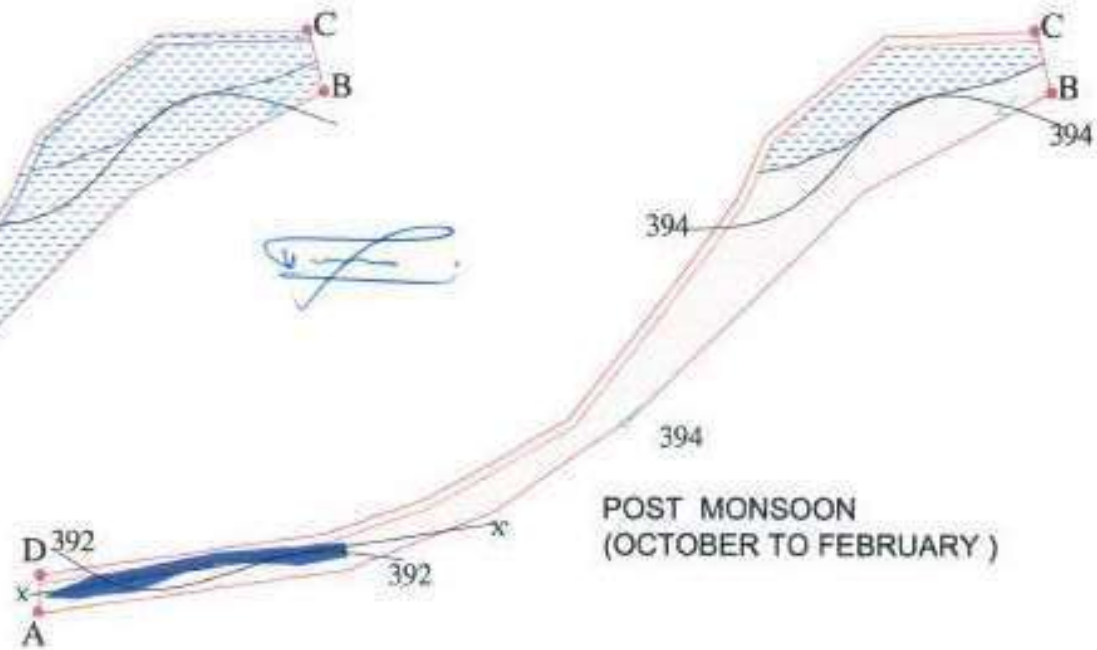

AREA DETAILS	APPLICANT:
QUARRY AREA - 2.45 HA. QUARRY SURVEY NO. - 99 QUARRY VILLAGE-JHOLI-1 TEHSIL- GHODADONGARI, DISTRICT – BETUL (M.P.)	M/s National Energy Trading and Services Ltd. Address: Plot No 7, Bindu Sadan, 401 Sai Chandra Colony, Green Space Tulasi, Puppalguda, Manikonda, Hyderabad, Telangana State, India

National Energy Trading And Services Limited

NETS/SMD/B/22-23/043

28-01-2023

To,

The District Mining Office,

District Betul,

Madhya Pradesh-460001.

Subject: Regarding submission of Jholi-1 Sand Mine Revised Mine Plan

Ref: 1. क्रमांक / रेत /2022/1862 बैतूल दिनांक 23/12/2022

Respected sir,

We have been issued a letter of intent (LOI) to National Energy Trading and Services Limited (NETS) as stated in the referenced letter, we are requesting you to approve the revised mine plan of the below-mentioned mine in favor of NETS, so that we can process further for start the mining in Betul district.

District	Tehsil	Mines Name	Khasra No	Area	Revised Area (ha)
Betul	Ghodadongari	Jholi-1	99	5.00	2.450

We have attached 3 copies of revised Mine Plan.

Regards

For National Energy Trading And Services Limited

National Energy Trading and Services Limited

National Energy Trading And Services Limited

NETS/SMD/B/22-23/043

28-01-2023

To,

The District Mining Office,

District Betul,

Madhya Pradesh-460001.

Subject: Regarding submission of Jholi-1 Sand Mine Revised Mine Plan

Ref: 1. क्रमांक / रेत /2022/1862 बैतूल दिनांक 23/12/2022

2. क्रमांक /ख. लि. -2 /2019/2020(A) बैतूल, दिनांक 07/12/2019

Respected sir,

We have been issued a letter of intent (LOI) to National Energy Trading and Services Limited (NETS) as stated in the referenced letter, we are requesting you to approve the revised mine plan of the below-mentioned mine in favor of NETS, so that we can process further for start the mining in Betul district.

District	Tehsil	Mines Name	Khasra No	Area	Revised Area (ha)
Betul	Ghodadongari	Jholi-1	99	5.00	2.450

We have attached 3 copies of revised Mine Plan.

Regards

For National Energy Trading and Services Limited

Authorised Signatory

National Energy Trading and Services Limited

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बैतूल

Email-modgmbet@mp.gov.in

क्रमांक / खनिज–2 / 2023 / 221. बैतूल, दिनांक 07 / 02 / 2023

प्रति,

मेसर्स नेशनल एनर्जी ट्रेडिंग एण्ड सर्विसेज लिमिटेड
पता–प्लॉट न. 7, बिन्दु सदन, 401 सांई चंद्र कॉलोनी,
ग्रीन स्पेस तुलसी, पुप्पलगुडा, मणिकोंडा, हैदराबाद,
रंगारेड्डी, तेलंगाना–500089

विषयः– रेत खनिज के सफल निविदाकार की खनन योजना का अनुमोदन करने बाबत्।
संदर्भः– आपका का पत्र क्रमांक NETS/SMD/B/22-23/015-031 दिनांक 02.01.2023

––00––

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा प्रस्तुत 17 रेत खनन योजनाओं को मध्यप्रदेश रेत (खनन, परिवहन, भण्डारण एवं व्यापार) नियम 2019 के नियम 12 (ग) के अन्तर्गत अनुमोदित किया जाता है। जिसका विवरण निम्नानुसार हैः–

क्र.	तहसील	खदान का नाम	खसरा क्र.	रकबा (.हे)	माईनिंग प्लान अनुमोदित मात्रा (घ.मी.)
1	शाहपुर	शाहपुर/पतौवापुरा	1, 112	11.000	118800
2	घोडाडोंगरी	बाकुड़	35	2.700	13125
3	घोडाडोंगरी	लोनिया	179	1.115	15000
4	भैंसदेही	रातामाटी	1	2.550	21600
5	शाहपुर	सितलझिरी	1	0.700	3375
6	बैतूल	माथनी	78	0.860	5670
7	घोडाडोंगरी	कंटगी	148	0.621	2400
8	शाहपुर	गुवाडी	19	2.500	42120
9	घोडाडोंगरी	फुलबेरिया	407	2.500	7650
10	घोडाडोंगरी/ शाहपुर	बांसपुर /शिवसागर/ गौनापुर	1, 1, 288, 266	24.970	163350
11	घोडाडोंगरी	झाडकुण्ड	1	0.950	4320
12	घोडाडोंगरी	कचलोरा-1	67	0.100	1200
13	घोडाडोंगरी	कचलोरा-2	98	0.340	2142
14	घोडाडोंगरी	बरेलीपार	63	0.360	5400
15	आमला	जम्बाड़ा बुजुर्ग	217	0.700	1382
16	घोडाडोंगरी	गांधीग्राम	2	0.550	8100
17	घोडाडोंगरी	सातलदेही	187, 251	6.100	23100

उक्त खनन योजनाओं का अनुमोदन इस शर्त पर किया जाता है कि निविदाकार मध्यप्रदेश रेत (खनन, परिवहन, भण्डारण एवं व्यापार) नियम 2019 के प्रावधानों का पालन करेगा।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

कलेक्टर,
जिला–बैतूल

पृ0क्रमांक / खनिज–2 / 2023 / 221 बैतूल, दिनांक 07 / 02 / 2023

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, 29–ए अरेरा हिल्स, म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3. सदस्य सचिव, सिया पर्यावास परिसर ई–5 अरेरा कालोनी, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रभारी अधिकारी
(खनिज शाखा)
जिला–बैतूल

MINING PLAN

SUBM...ED AS PROVISIONS OF RULE 12 (1) MADHYA PRADESH SAND RULE 2019 (MINING, TRANSPORTATION, STORAGE AND TRADING)

RATAMATI SAND MINE

AREA: 2.55 HECTARES, KHASRA NO: 1

VILLAGE: RATAMATI, TEHSIL: BHAINDEHI, DISTRICT: BETUL (MADHYA PRADESH)

APPLICANT

M/S NATIONAL ENERGY TRADING AND SERVICES LIMITED, PLOT NO 7, BINDU SADAN, 401 SAI CHANDRA COLONY, GREEN SPACE TULASI, PUPPALGUDA, MANIKONDA, HYDERABAD, TELANGANA STATE, INDIA

TYPE AND CATEGORY OF MINE: OPENCAST/SEMI MECHANISED

APPROVED

COLLECTOR
BETUL

PREPARED BY

SYED IQTADAR TANWEER
G-3 BALAJI, BRIGHT COLONY, IDGAH HILLS,
BHOPAL (M.P.)
REGISTRATION NO: RQP/DGMMP/211/2019-24
EMAIL: si_tanweer@yahoo.co.in, MOB: 8827951780

SYED IQTADAR TANWEER
RQP/DGMMP/211/2019-24

J. Pooja Bandhavi

CONSENT LETTER

Revised Mining Plan of Ratamati Sand Mine, Village Ratamati (2.55 ha) has been prepared by RQP Shri Syed Iqtadar Tanweer (RQP No DGMMP/211/2019-24) under Madhya Pradesh Minor Mineral Rules, 1996 for approval. The lease hold area is located in Village- Ratamati, Tehsil - Bhainsdehi, District - Betul, MP, covering an area of 2.55 hectares.

The Director Geology and Mining, Madhya Pradesh, competent Authority is hereby requested to make further correspondence regarding this Mining Plan with the person and address mentioned below-

SYED IATADAR TANWEER
Recognized Qualified Person (RQP NO: RQP/DGMMP/211/2019-24)

G-3 Balaji, Bright Colony, Idgah Hills,

Bhopal (M.P.)
Email: si_tanweer@yahoo.co.in

Mob: 8827951780

An undertaking in this regard is being submitted that the Mining Plan so prepared by the recognized person is with my knowledge and consent and shall be acceptable to me in all respects. I have clearly understood the contents of the Mining Plan and agree to implement.

Place: Betul

Date:

D. Ranja Bandhari

M/s National Energy Trading and Services Ltd.

Address: Plot No 7, Bindu Sadan, 401 Sai Chandra Colony, Green Space Tulasi, Puppalguda, Manikonda, Hyderabad, Telangana State, India

D. Ranja Bandhari

CERTIFICAE FOR FULL CONSULTATION

This is to certify that Revised Mining Plan of Ratamati Sand Mine in village Ratamati of the applicant M/s National Energy Trading and Services Ltd., Village-Ratamati, Tehsil - Bhainsdehi, District - Betul of Madhya Pradesh State covering lease hold area 2.55 hectares has been prepared by RQP Shri Syed Iqtadar Tanweer (RQP No: RQP/DGMJMP/211/2019-24), in full consultation with me and I have understood its contents and agree to implement the same in accordance with the law.

Place: Betul

Date:

J. Priya Bandhari

M/s National Energy Trading and Services Ltd.

Address: Plot No 7, Bindu Sadan, 401 Sai Chandra Colony, Green Space Tulasi, Puppalguda, Manikonda, Hyderabad, Telangana State, India

J Priya Bandhari

CERTIFICATE OF COMPLIANCE AND CORRECTNESS

- *Certified that the provisions of related Act and rules have been considered in the Revised Mining Plan of Ratamati Sand Mine in village Ratamati, area of 2.55 in Tehsil - Bhainsdehi, District- Betul of Madhya Pradesh State, which belongs to the applicant M/s National Energy Trading and Services Ltd.*

- *Certified further that the provisions mentioned in Act, Rules and Regulations have been considered in the Mine Plan and wherever specific permissions are required, the applicant will approach to the concerned competent authorities including D.G.M.S. for the same.*

- *There is no violation against provision of Rules, Regulations of MMR, 1961 and there is no danger to human life.*

- *The information furnished in the Mine Plan is true and correct to the best of our knowledge.*

Place: Bhopal

Date:

SYED IQTADAR TANWEER
RQP/DGMMP/211/2019-24

Syed Iqtidar Tanweer

(RQP No: RQP/DGMJMP/211/2019-24)

P. Pooja Bandhavi

RQP CERTIFICATE

संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म मध्यप्रदेश

(मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम, 1996 के अंतर्गत)
खनन योजना / खनन स्कीम / पूर्वेक्षण रिपोर्ट / पर्यावरण प्रबंधन योजना / माईन क्लोजर प्लान बनाने हेतु मान्यता प्राप्त योग्य व्यक्ति

प्रमाण पत्र

श्री सैयद इकरार तनवीर, पिता स्व. डॉ. कासिम नयाजी, पता जी–3, नयाजी, बाईट कालोनी, ईदगाह हिल्स, भोपाल, मध्यप्रदेश, जिनकी फोटो तथा हस्ताक्षर अभिप्रमाणित है, को मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम 1996 के अंतर्गत खनन योजना / खनन स्कीम / पूर्वेक्षण रिपोर्ट / पर्यावरण प्रबंधन योजना / माईन क्लोजर प्लान तैयार करने हेतु योग्य व्यक्ति की रूप में मान्यता प्रदान करते हुए पंजीयन क्रमांक **RQP/DGMMP/211/2019** आवंटित किया जाता है।

यह मान्यता प्रमाण पत्र 05 वर्ष की अवधि के लिये दिनांक **04.08.2024** तक वैध रहेगा।

मान्यता प्राप्त व्यक्ति के हस्ताक्षर –

भोपाल, दिनांक 05.08.2019

सचिव
भौमिकी तथा खनिकर्म
मध्यप्रदेश भोपाल

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=959bcec078&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1747736059222456470&simpl=msg-f%3A1747736... 2/3

J. Ruja Bandhavi

CONTENTS

1. INTRODUCTION 4

1.1 GENERAL INFORMATION 5

1.2 AREA DETAIL & APPROACHABILITY 6

2. LANDUSE / INFRASTRUCTURE 7

2.1 PRESENT LAND USE STATUS: 7

2.2 INFRASTRUCTURE 7

3. TOPOGRAPHY AND GEOLOGICAL DETAILS 9

3.1 TOPOGRAPHY 9

3.2 REGIONAL GEOLOGICAL DETAILS: 9

3.3 REGIONAL GEOLOGICAL SETUP/SEQUENCE: 10

3.4 LOCAL GEOLOGICAL DETAILS: 11

3.5 EXTENT OF RIVER BED & ALLUVIAL SAND DEPOSIT: 12

3.6 PROSPECTING AND EXPLORATION DONE: 12

4. ESTIMATION OF RESERVES: 14

5. DEVELOPMENT AND PRODUCTION PROGRAM 17

5.1 PROPOSED METHOD OF QUARRYING: 17

5.2 MECHANIZATION: 19

5.3 BLASTING: 19

5.4 LOADING AND TRANSPORTATION OF SAND: 20

5.5 MANPOWER DEPLOYMENT: 20

5.6 PROPOSED YEARLY PRODUCTION PROGRAM 21

5.7 MINE LIFE: 21

5.8 USE OF MINERAL: 21

6. CONCEPTUAL PLAN 22

7. ENVIRONMENTAL MANAGEMENT PLAN 23

7.1 AIR QUALITY MANAGEMENT: 23

7.2 WATER MANAGEMENT: 23

7.3 NOISE MANAGEMENT: 24

7.4 WASTE MANAGEMENT: 24

7.5 BIOLOGICAL ENVIRONMENT 24

LESSEE/APPLICANT

M/s National Energy Trading and Services Ltd., Hyderabad

SYED IQTADAR TAQVEER
ROP/DGMMP/211/2018-24

Syed Iqtadar Taqveer

J. Raja Bandhavi

7.6 DISPOSAL OF MINING MACHINERIES: 24
7.7 SAFETY AND SECURITY: 25
7.8 DISASTER MANAGEMENT: 25
7.9 CARE DURING TEMPORARY DISCONTINUANCE: 25
7.10 ECONOMIC REPERCUSSION OF CLOSURE & MAN POWER RETRENCHMENT 25
7.11 STATUS OF LOCAL EMPLOYEES: 26
7.12 COMPENSATIONS: 26
7.13 RECLAMATION & REHABILITATION: 26
7.14 DISTANCE FROM THE NEAREST BRIDGE/DAM: 26
7.15 SOCIO – ECONOMIC ENVIRONMENT: 27
7.16 PLANTATION (AFORESTATION PROGRAM): 27
8. PROGRESSIVE MINE CLOSUR PLAN 28
9. SAND REPLENISHMENT ASSESSMENT 29
9.1 NEGATIVE IMPACTS: 29
9.2 POSITIVE IMPACTS: 29
9.3 NEED FOR SAND REPLENISHMENT STUDY AND FACTORS TO BE CONSIDERED AND OBSERVED: 29
9.3.1 WATER LEVEL DURING LEAN PERIOD: 30
9.3.2 CATCHMENT AREA 31
9.3.3 ORIGIN OF RIVER: 31
9.3.4 DISTANCE OF TRAVELLING OF LOAD: 31
9.3.5 SLOPE / GRADIENT / ELEVATION DIFFERENCE: 31
9.3.6 GEOLOGY / LITHO UNITS: 31
9.3.7 CLIMATIC CONDITIONS: 31
9.3.8 TRIBUTARIES / CONFLUNCE: 31
9.3.9 TYPE/STAGE OF RIVER AND FLOW VELOCITY: 32
9.3.10 STRUCTURES: 32
9.4 CONCLUSION: 32

SYED IQTADAR TANWEER
ROP/DGMMP/211/2019-24

J. Priya Bandhavi

FIGURES

KEY PLAN

GOOGLE IMAGE

KHASRA MAP

PLATE 1- SURFACE PLAN AND GEOLOGICAL PLAN

PLATE 2- YEARWISE DEVELOPMENT PLAN AND SECTION

PLATE 3- ENVIRONMNETAL PLAN

PLATE4- YEARLY MONSOON WISE PLATE AND SECTION

ANNEXURES

SANCTION ORDER COPY

RQP CERTIFICATE

SYED IQTADAR TANWEER
RQP/DGMMP/211/2019-24

SYED IQTADAR TANWEER
RQP/DGMMP/211/2019-24

1. INTRODUCTION

The demand for ordinary natural river sand is enormously increased in building construction and infrastructural developments. The natural sand is started vanishing from the river beds besides causing natural and environmental hazards in surrounding areas due to illegal and unscientific mining without proper mining plan. Therefore, the government of India announced sand policy by fixing responsibility on related departments mainly Mines & Geology and Ministry of Environment and Forest (Pollution control boards). Accordingly, the Govt. of Madhya Pradesh formulated a natural sand policy to meet the sand demand in the state by undertaking systematic & scientific mining and protection of environment and by maintaining eco-balance in the surrounding areas by following the Govt. of India guidelines.

Based on the Government of India guidelines, this quarry plan is prepared for the proper development of mine area with safe quarrying operation. It also provides guidance and directives to be followed during the quarrying operation under the rules and regulations as imposed by the Government.

Mine has been allotted to National Energy Trading and Services Ltd., Address: Plot No 7, Bindu Sadan, 401 Sai Chandra Colony, Green Space Tulasi, Puppalguda, Manikonda, Hyderabad, Telangana State, India, over an area of 2.55 Hectares covering Khasra No 1, up to 30.06.2023 (As per Order No. 1862/Sand/2022, Betul, dated 23.12.2022).

In compliance to MP Sand (Mining transportation, Storage and Trading) Rule 2019 published in Gazette notification of Government of MP dated 30-08-2019 and as per the rule 42 of MP Minor Mineral Rules 1996, this Quarry plan is being prepared and submitted for approval to the Collector [Mining] Betul MP and quarrying operation start only after obtaining the statutory permission as per rule 14.

SYED IQTADAR TANWEER
RQP/DGMMP/211/2019-24

1.1 GENERAL INFORMATION

Name of Applicant	M/s National Energy Trading and Services Ltd
Address of Applicant	Address: Plot No 7, Bindu Sadan, 401 Sai Chandra Colony, Green Space Tulasi, Puppalguda, Manikonda, Hyderabad, Telangana State, India
Quarry Village	Ratamati
Name of the River	Tapi River
Tehsil	Bhainsdehi
District	Betul
State	Madhya Pradesh
Khasra No.	1
Area [Hectares]	2.55
Permitted Period	Up to 30.06.2023
Whether Recorded in Forest	Not recorded in any Reserved / Protected Forest Area
Status Of Applicant	Private Individual
Mineral (S) Which Applicant Intended to Mine	Sand
Sanction order Details Order No. & Date	As per Order No. 1862/Sand/2022, Betul, dated 23.12.2022
Ownership / Occupancy	Government Land, River Bed
R.Q.P. Address & Registration details/Mobile No	SYED IQTADAR TANWEER G-3 Balaji, Bright Colony, Idgah Hills, Bhopal (M.P.) Registration No: RQP/DGMMP/211/2019-24 Mob: 8827951780

J. Pinja Bandhara
LESSEE/APPLICANT
M/s National Energy Trading and Services Ltd., Hyderabad

SYED IQTADAR TANWEER
RQP/DGMMP/211/2019-24

Syed Iqtadar Tanweer
RQP/DGMMP/211/2019-2024

J. Pinja Bandhara

1.2 AREA DETAIL & APPROACHABILITY

Details Of Sanctioned Lease Area	Village	Ratamati
	Tehsil	Bhainsdehi
	District	Betul
	River	Tapi River
	State	Madhya Pradesh
	Khasra No.	1
	Sanctioned Area	2.55 Hectares
Topo Sheet No.	55G/3	
Village Coordinates	21°50'32.45"N 77°43'36.35"E	
Site Co-ordinates (Latitude & Longitude)	1. 21°48'52.62"N 77°43'13.87"E 2. 21°48'51.07"N 77°43'14.40"E 3. 21°48'57.58"N 77°43'36.41"E 4. 21°48'59.93"N 77°43'36.16"E	
Approach & Accessibility	From Site	Approx. Distar
	District Head Quarter Betul towards NE	18 km
	Tehsil -Bhainsdehi towards SW	20 Km
	Village – Ratamati N	2.8 Km
	Nearest Railway Station Betul Towards NE	18 Km
	SH-43 towards east	3.2 Km
	Health Centre (Village Ratamati)	2.8 Km
	Nearest Bridge (small) E	4 km
	Monuments / Places of Social importance	None Nearby
	National Parks	Not within 10 Km
	Reserve Forest	Not within 250 m

SYED IQTADAR TANVEER
RQP/DGMNP/211/2019-24

LESSEE/APPLICANT
M/s National Energy Trading and Services Ltd., Hyderabad

Syed Iqtadar Tanveer
RQP/DGMNP/211/2019-2024

2. LANDUSE / INFRASTRUCTURE

2.1 PRESENT LAND USE STATUS:

Sand Mining lease has been sanctioned for a period of up to 30.06.2023 over an area of 2.55 Hectares on a River Bed (Tapi) for quarrying and transportation of sand. Quarrying & related activities shall be carried out from the top surface level. Present land use status of the sanctioned area is as under:

Total Lease Area	**2.55 Ha** **25,500 M^2**
Barrier Zone / Safety Strip	5,050
Area under water/ Non-Mining Area	1,200 M^2
Available Working Area	**19,250 M^2**
Allowable actual Working Area (equal to or less than 60% of total lease area)	15,300 M^2

2.2 INFRASTRUCTURE

- **Power Supply** - Electrical Power is not available; Shall be arranged from the nearby supply line if required with proper NOC from concerning Department.

- **Communication & Transport** - Site is well connected with District Headquarter and other towns by road. Buses and private taxis are frequently available from district and Tehsil headquarters up to the village. Quarry site is approachable from village by private means.

- **Land** -Quarry lease area situated on river bed and is a non-forest government land.

- **Water Supply** - Dug wells and bore wells available in the vicinity to meet the requirement of drinking water. Water is potable & hygienic as no adverse effects noticed in habitants of nearby area.

- **School Facilities** - School facilities for primary education are available in the village Panchayat; Middle school or higher studies are present in District Headquarter Betul & Tehsil Bhainsdehi.

Syed Iqtadar Tanveer RQP/CGMP/211/2019-2024

- **Man Power** - Mine workers shall be arranged from nearby villages therefore no constraint regarding availability of manpower in the area.

There are no places of national and social importance exist within the radius of 500 m of mine site.

SYED IQTADAR TANVEER
RQP/OGMMP/211/2019-24

3. TOPOGRAPHY AND GEOLOGICAL DETAILS

3.1 TOPOGRAPHY

The lease area falls in a River Bed (Tapi River). Since, sand area falling partly at the non-active river bed, the general surface level of the lease area is undulating with negligible thorny bushes/shrubs and comparatively lower than the surroundings. The surface level of the mine lease is around 454-455 MSL. The drainage direction is towards west in the lease area.

Topography of the area has been derived due to alluvial deposition on the flood plains of Narmada River and its Rivulets. General slope of the lease area is from west to east. The drainage pattern in the area is dendritic.

3.2 REGIONAL GEOLOGICAL DETAILS:

The district has four district physiographic division viz (i) Satpura plateau in Tawa and Morand valleys (ii) The Satpura plateau in central and (iii) southern part of the district (iv) and Tapti valley. The whole district lies on Satpura plateau at an elevation of 365m above mean sea level. The general elevation is about 609m at Kilendeo form the highest peak in the northern and central parts of the district. Tawa valleys lies at on elevation of 396m amsl between peaks of Kilandeo and Bhogwangar, the general scope of the valley is towards the North West.

SYED IQTADAR TANWEER
RQP/DGMMP/211/2019-24

3.3 REGIONAL GEOLOGICAL SETUP/SEQUENCE:

Age	Lithounits	Rock types
Quaternary		Soil and alluvium
----------Unconformity----------		
U. Cretaceous to Eocene	Deccan Trap	Non-porphyritic and porphyritic basalt
----------Unconformity----------		
U. Cretaceous	Lameta	Sandstone, shales and limestone
----------Disconformity----------		
U. Cretaceous	Upper Gondwana	Sandstone, siltstone, conglomerate and clay
----------Unconformity----------		
Archaean		Quarzo-feldspathic gneiss with dolerite intrusions

Archaeans

The crystalline metamorphic and igneous rocks cover approximately 20% of the total district area. The igneous rocks are intensive granite and pegmatite veins intending the metamorphic rocks. Quartz pegmatite views are common features and occurs as broad dykes and thin strings. The ground basins are conterminous with surface drainage sub basin thus ground water flow system is of local types where end system has its recharge area at topographic low. The Archaeans are mainly occupying the Betul, Chichab, Multai and Amla blocks. These rocks do not have primary porosity and hydraulic conductivity. The weathered part of the crystalline rocks is called saprolite, which is of particular interest from the point of view of storage zone for ground water and as an aquifer for open well and shallow tube wells. The thickness of this zones in the entire district area ranges from 2.5 to 30.00 m. in this formation, aquifers also occurs where bed rock and quartz pegmatite intensive vein are jointed and fractures.

The yield depends upon saturated thickness of the weathered mantle and fracture pattern of the rocks.

Gondwana

The Gondwana rocks are comprising succession of sand stone, shales with seems of coal lying over the metamorphic rocks of crystalline Archaean system with a district unconformity. The beds of Gondwana rocks are distributed in patches and lie in a liner trend coinciding almost with the present river valleys. There rocks show considerable faulting. The Talchir beds consisting of sandstone and green clays with boulders contain plant fossils. There are bounded by faults. The west and north west of Betul, there are out of Gondwana rocks which separates decant traps from Archaeans rocks. Barkars of Gondwana group contains coal seams.

Deccan Traps

Deccan traps comprising varies types of basaltic lava flows and most extensive rocks in the district. There rocks occupying in Betul, Multai, Bhimpura, Chicholi, Bhainsdehi, Atner and Prabkat pattam blocks. The base of the flow consists of a porons layers of earthy basalt which passes rapidly into the main body. Of flow consisting of great thickness of hard basalt. Generally, the Deccan trap in the area occurs in the form of fractures, weathered and vesicular basalts.

3.4 LOCAL GEOLOGICAL DETAILS:

The top layer of applied area forms a part of stream bed covered mainly with sand deposits with rare colluvial material belonging to recent river alluvium up to 4.0 m. Quarrying will be concentrated up to 3.0 m only for extraction of sand. However, it is found that minimum 4m thick sand deposit is available throughout the lease within the top most layer of recent alluvium. This top sandy layer is underlain by laterite followed by Deccan trap.

Altitude of the area- Average elevation of the area is- 454.5 m

High flood Level (HFL) – 456 m

SYED IQTADAR TANWEER
RQP/DGMNP/211/2019-24

J. Benja Bandhavi

Low flood Level (LFL) – 454 m

Surface and geological map with cross section of the area on 1: 2000 scale with suitable contour intervals showing general topography and geology has been enclosed.

3.5 EXTENT OF RIVER BED & ALLUVIAL SAND DEPOSIT:

The sand quarry lease area is elongated along the course of the river with an orientation of east to west and located after a meander. The deposit of sand is available on full width and length of the lease.

The sediment in the form of river bed material i.e., sand has deposited in the last many years as a process of sedimentation in the paleochannels. Sand bars have been formed at various places hindering the flow of water and excess deposition has changed the shape of the river bed. Because of this, during monsoon season, the water may rise above the high flood level causing heavy and devastating floods. Such disasters may damage large tracts of land laying on both banks of the river especially the agricultural lands.

Accumulation of the sand deposit on the river bed is annual process. It is replenishable due to sediment inflow during floods in rainy season. Thickness of river bed where sand deposited every year varies but excavation of sand is permitted up to 3 m depth or up to top level of water table whichever is less. The summer water table goes down to 4 m below surface. Hence sand can easily be extracted up to 3 m depth in dry season.

3.6 PROSPECTING AND EXPLORATION DONE:

This is the revised mining plan and mining lease has already been excavated in the past. Based on post monsoon yearly survey by local mining officer and observations conducted by lessee, sand deposit in the lease has completely been replenished and average thickness of sand deposition within the sand accumulated area is observed to be > 3.0 m in proposed sand bed and considered for estimating the reserves.

Since sand exposed all over within the sand accumulated area of the lease and depth is proved, therefore, future prospecting has not proposed in the area. However, a

survey likely to be conducted by local mining officer to ascertain the depth of sand accumulation during post monsoon every year.

SYED IQTADAR TANWEER
RQP/DGMMP/211/2019-24

4. ESTIMATION OF RESERVES:

The applied sand lease area is about 2.8 km south from village Ratamati and located in the river bed of Tapi River that flows from east to west.

In order to estimate the reserves, DGPS survey has been carried out to define the topography, contours and offsets of the lease area. Khasra map has been considered as base map to demarcate the mine lease boundary. The shape and size of the mine lease has been fixed as per the sanctioned demarcated Khasra map of the lease area by DGPS survey.

The area has been fully demarcated with respect to geographical coordinates and surface reduced level taken at every point of cluster. To describe the elevation in detail, 0.5m contour interval has been picked for the preparation of surface plan and cross section which includes collection of surface reduced level in an interval of 0.5m for reserve estimation. The maximum elevation observed to be 455m from MSL and whereas minimum elevation recorded to be 454m MSL with the lease area.

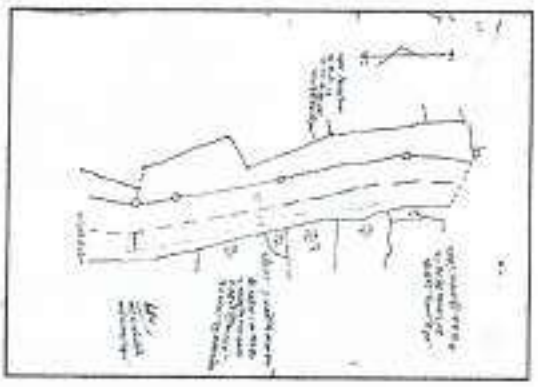

Sanctioned demarcated area (Khasra) **Demarcated area on Google Image**

Very gently sloping or almost flat topography of the lease is the main reason for having sufficient quantity of sand available for removal. In addition, the location of applied lease lies before a meander making it suitable for sand deposition, therefore good deposit of sand is available on full width and length of the lease.

As per the Point (r) page 24 of Guidelines of Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining, Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MOEF & CC) January 2020 **"River bed sand mining shall be restricted within the central 3/4th width of the river/rivulet or 7.5 meters (inward) from banks but up to 10% of the width of the river"**

The mineral sand is exposed in full width and length of the lease and follows very gently sloping topography.

This is the revised mining plan and mining lease has already been excavated in the past. Based on post monsoon yearly survey by local mining officer and observations conducted by lessee, sand deposit in the lease has completely been replenished and average thickness of sand deposition within the sand accumulated area is observed to be > 3.0 m in proposed sand bed and considered for estimating the reserves.

Since sand exposed all over within the sand accumulated area of the lease and depth is proved, therefore, future prospecting has not proposed in the area. However, a survey likely to be conducted by local mining officer to ascertain the depth of sand accumulation during post monsoon every year.

Specifications considered for the estimation are as under:

Area specification	Values
Sanctioned lease area	2.55 hac or 25,500 M^2
Area submerged in water/Non mining	1,200 M^2
Area under Barrier / Safety zone within sand accumulated area	5,050 M^2
Available Mineable area where sand has been deposited/accumulated is more than 60% of total lease area of 25,500 M^2	19,250 M^2 (Total lease area – non mining area - barrier zone) (25,500 M^2 -1,200 M^2 -5,050 M^2 = 19,250 M^2)
But Point (r) page 24 of Guidelines of Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining, Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MOEF & CC) January 2020 says that Maximum allowable mineable area cannot be more than 60% of total lease area of 25,500 M^2 which is 15,300 M^2 (60% of total lease area)	**15,300 M^2**

RQP/DGMM/211/2019-24

5. DEVELOPMENT AND PRODUCTION PROGRAM

5.1 PROPOSED METHOD OF QUARRYING:

The mining operation will be carried out by semi mechanized method and all the related activities shall strictly be done according to the M.M.R 1991 rule without blasting
As per the Sustainable Sand Mining Management Guidelines 16, there are total 5 extractions methods and are follows as;

a) Bar scalping and skimming is extraction of sand and gravel from the surface of bars. This method generally requires that surface irregularities be smoothed out and that the extracted material be limited to what could be taken above an imagery line sloping upwards and away from the water from a specified level above the river water level at the time of extraction (typically 0.3-0.6m). Bar scalping is commonly repeated year after year. To maintain the hydraulic control provided to upstream by the Riffle head., the preferred method of bar scalping is now generally to leave the top 1/3rd (approximately) of the bar undisturbed, mining only from the downstream 2/3rd.

b) Dry-Pit Channel Mining

Dry-Pit channel mining is the method where pits excavated within the active channel on dry intermittent or ephemeral stream beds. Dry pits are often left with abrupt upstream margins, from which head cuts likely to propagate upstream.

c) Wet-Pit Channel Method

It involves excavation of a pit in the active channel below the surface water in a perennial stream or below the alluvial groundwater table.

d) Bar Excavation

SYED IQTADAR TANWEER
RQP/DGMMP/211/2019-24

A pit is excavated at the downstream end of the bar as a source of aggregate and as a site to trap sand and gravel. Upon completion, the pit may be connected to the channel at its downstream end to provide side channel habitat.

e) Channel – wide River bed Mining

In rivers with a highly variable flow regime, sand and gravel are commonly extracted across the entire active channel during the dry season. The bed is flattened and uniformly (or nearly so) lowered.

As per the Sustainable Sand Mining Management Guidelines 2016, there are 5 extraction method as mentioned above in total out of which 'Channel-wide River bed Mining' method shall be adopted with respect to type of river bed deposition. Mining shall be done in layers of 1 meter depth to avoid ponding effect and after first layer is excavated, the process will be repeated for the next layers.

Previous year water level regime monitoring season of river bed is observed. The water level fluctuation in the river bed is from 0.0-3.0. It means the water level about 0.0m to 1.0m describes a monsoon season (July-September) where water covers the whole riverbed and flows almost uniformly throughout the river course. In case of river sand bed of about 2m water level define the post monsoon season (October to December) in which water level drops and part of river bed exposed/ dried in certain part of river channel or sand mine spot due to difference in contour elevation as well as replenished sand. In case of river having about 3.0 m water level describes pre-monsoon season (from March to mid of June).

During post monsoon (October to February) mining will be carried out in layers of 1-meter depth for maintaining the river bed water level regime (Plate 4).

During pre-monsoon (March to June) mining will be carried out in 2nd layers of 1 meter depth after completion of 1st layer for maintaining the river bed water level regime (Plate 4).

No bench can be maintained in river sand hence bench wise mining cannot be proposed.

Due to continues accumulation of sand in the area during rainy season, there will not be much depletion in the reserve of sand, hence reserve is likely to be remain same every

As the total extractable area 15,30 ently sloping, hence the volumetric method adopted for reserve estimation.

The thickness of sand is more than ater level fluctuates from 3-4m during post-monsoon to pre-monsoon (October to June). Hence maximum depth of 1.42 m depth of sand deposit has been considered for estimation.

Reserve calculation of the given area is detailed as under:

Area [M^2] X Depth [m] = Volume [M^3]

Total available sand - 15,300 M^2 x 3 m (Max Thickness) = 45,900 m^3

Total mineable sand - 15,300 M^2 x 1.42 m (Average Thickness) = 21,726 m^3 or 21,600 m^3

Total mineable reserve estimated to be 21,600 M^3

The safety/environmental and replenishment factors have been considered and only 60% of lease area is taken as sand extractable area for reserve estimation.

APPROVED

COLLECTOR
BETUL

SYED IQTADAR TANWEER
RQP/DGMMP/211/2019-24

SYED IQTADAR TANWEER
RQP/DGMMP/211/2019-24

LESSEE/APPLICANT

M/s National Energy Trading and Services Ltd., Hyderabad

J. Renja Bandhavi

Syed Iqtadar Tanweer
RQP/DGMMP/211/2019-2024

year and in future also. The Lease period has been sanctioned up to 30.06.2023, accordingly three years production plan can be envied as below:

Semi-mechanised method of quarrying shall be undertaken during quarrying operation and all the related activities shall strictly be followed according to M.M.R 1991 rule without blasting and drilling.

Mining operation shall be based upon Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining, Ministry of Environment, Forest and Climate change January, 2020.

Quarrying progression will be from southwest to northeast, whereas mine face will be east to west. However, mine facing may be adjusted based on best environment friendly practices.

5.2 MECHANIZATION:

An open cast quarrying by semi mechanized method will be adopted for extraction of ordinary sand, keeping the productivity and safety in mind.
Semi mechanized quarry operation shall be done by utilizing JCB, hand Shovel, spade, crow bars, water tanker etc. will be required to deploy for mining works, Dumpers will be required for loading and transportation purpose.

JCB	1 No
Dumper	3 No. (Capacity- 12 m3)
Water tanker	1 No.

5.3 BLASTING:

Not applicable.

SYED IQTADAR TANVEER
RQP/DGMMP/211/2019-24

J. Pruja Bandhavi
LESSEE/APPLICANT
M/s National Energy Trading and Services Ltd., Hyderabad
J. Pruja Bandhavi

Syed Iqtadar Tanveer
RQP/DGMMP/211/2019-2024

5.4 LOADING AND TRANSPORTATION OF SAND:

Dumpers / tipper shall be used for transportation purpose.

For transporting the sand from lease area to the bank and for further destinations (end users/market), following estimation has been followed.

Yearly Production	21,600 m^3
Daily Production Assuming 240 working days leaving rainy season	90 m^3/day
Capacity of Dumper	12m^3
One dumper can carry (as a safety measure)	10m^3
Total number of trips required	9
Total Dumper Required (capacity 10 m^3)	3

The above per day calculations are for reference purpose only. The removal of sand shall be done as per demand and these figures may change drastically but within the limit of yearly production of 21,600 M^3.

5.5 MANPOWER DEPLOYMENT:

Required number of man power/labor is easily available from the surrounding villages. Requirement of manpower depends on the production and taking into account an average rate of annual production of 21,600 m^3 and assuming 240 working days per year, around 90 m^3 of proposed production to be achieved per day.

Keeping an average output per man per shift about 8 m^3 (OMS), then around 11 persons shall be required in the mine site.

Considering a presence of site foreman is important and a manager, a total of 12-13 persons shall be required to manage the mining operation.

Number of shifts proposed for per day is one shift / day. Depending upon the demand of sand, working time may be adjusted following the rules and making proper arrangements in place.

5.6 PROPOSED YEARLY PRODUCTION PRO

Due to continues accumulation of sand in the area during rainy ere will not be much depletion in the reserve of sand, hence reserve is likely t ame every year and in future also. The Lease period of 3 years has been taken as per the provisions of rule 9 of Madhya Pradesh Sand (Mining, Transportation, Storage and Trading) Rule, 2019. Accordingly, three years production plan can be envied.

It is to be noted that applied lease area has been sanctioned up to 30.06.2023 only, therefore 1st year production has been provided in the table below. However, if lease extended for two more years, then the same quantity, i.e., 21,600 M^3 per year can be extracted for another two years.

Years	Available Extractable Mining Area M^2 (60% of Lease Area)	Depth M	R O M M^3	Waste M^3 (10%)	Maximum proposed sand Production M^3
1st Year	15,300	1.42	21,600	Nil	21,600

APPROVED

COLLECTOR
BETUL

5.7 MINE LIFE:

Mine has been sanctioned for the excavation of sand until 30.06.2023. Quarry lease may further be allotted to some other agency in future.

This is a river bed quarrying case, every year after monsoon, the sand deposit gets replenished and is available for ensuing years: hence river bed deposit has no fixed mine life.

5.8 USE OF MINERAL:

Sand so extracted from the mine lease, will be sold locally as building material. It is usually mixed with cement and other ingredients to create mortar for building. It is also used in brick manufacturing industries.

SYED IQTADAR TANWEER
RQP/DGMMP/211/2019-24

J. Bruja Bandaras
LESSEE/APPLICANT
M/s National Energy Trading and Services Ltd., Hyderabad

Syed Iqtadar Tanweer
RQP/DGMMP/211/2019-2024

J. Bruja Bandaras

6. CONCEPTUAL PLAN

Mine applied lease spread over a total area of 25,500 m^2. Though sand thickness found to be more than 3m but ease of operation, actual digging depth restricted up to 1.42 m only. However, pits generated by quarrying will be replenished during rainy season. Quarrying will be worked systematically as the width is smaller than its length. As the lease period has been sanctioned until 30.06.2023, some of the area will be left un-worked at the end of lease period.

During plan period workings will be carried out in one stretch at a time. Scattered workings will ensure safety, remove congestion and will have better control and management.

Bank side natural slope will not be disturbed. This will prevent collapse of bank and erosion.

There will be no soil or OB removal during the plan period. Therefore, no proposal has been envisaged for its separate dumping. No outside material will be filled up in the extracted zone.

SYED IQTADAR TANVEER
RQP/DGMMP/211/2019-24

LESSEE/APPLICANT
M/s National Energy Trading and Services Ltd., Hyderabad
J. Pruja Bandhari

Syed Iqtadar Tanveer
RQP/DGMMP/211/2019-2024

7. ENVIRONMENTAL MANAGEMENT PLAN

7.1 AIR QUALITY MANAGEMENT:

Dust during quarrying, fumes and exhaust emission due to transportation of vehicles are the main causes of air pollution.

Personal Protection Equipment's (PPE) like dust masks, ear plugs etc. will be provided to mine workers

It can be effectively controlled by regular water sprinkling on roads.

Mineral carrying vehicles should be covered with tarpaulin and shall not be over loaded.

Proper maintenance of transport vehicles and PUC certification will minimize the exhaust emission. Adequate plantation will also support to maintain air quality.

7.2 WATER MANAGEMENT:

Sand quarrying activities will have an impact upon the river's water quality. Impacts include increased short-term turbidity at the mining site due to re suspension of sediment, and dumping of excess mining materials, oil spills or leakage from transportation vehicles and washing of vehicles in the river.

Increased riverbed and bank erosion increases suspended solids in the water at the excavation site. Suspended solids may adversely affect water towards downstream and aquatic ecosystems.

The impact is particularly significant if water toward downstream of the site being abstracted for domestic and irrigation purposes etc.

Quarrying is avoided during the monsoon season and at the time of floods. This will help in replenishment of sand in the river bed.

Quarrying below subterranean water level will be avoided as safe guard against environmental contamination and over exploitation of resources.

River stream will not be diverted to form inactive channels.

Meandering segment of river would be selected for mining in such a way to avoid natural eroding banks and to promote mining on naturally building meander components.

LESSEE/APPLICANT
M/s National Energy Trading and Services Ltd., Hyderabad

Syed Iqtedar Tanveer
RQP/DGMNP/211/2019-2024

Utmost care will be taken to avoid the used of fuel leaking vehicles for sand transportation

The washing of trucks in the river will be avoided.

7.3 NOISE MANAGEMENT:

In manually operated sand mine, noise is generally created by transportation of vehicles.

Onsite and offsite noise management are:

Plantation of trees along the river bank and transport route beyond the bank shall be undertaken to dampen the noise, if possible.

The vehicles shall be maintained in good running condition so that noise will be reduced to minimum possible level.

Awareness will be imparted prior to quarrying operations that smoke silencers remain in a good condition and not to generate noise.

Unnecessary use of horns by the drivers of the vehicles shall be avoided at village areas.

7.4 WASTE MANAGEMENT:

There is no top soil expected to be produced in the plan period. No other waste anticipated to be generated hence waste disposal arrangement is not required.

7.5 BIOLOGICAL ENVIRONMENT

The proposed quarrying will be undertaken from the dry bed of the river on a small scale, therefore unlikely to impact the aquatic environment or any fauna or floral environment.

7.6 DISPOSAL OF MINING MACHINERIES:

No disposal of machineries would take place onsite and hand tools, tractors, dumpers will be deployed on hire basis.

SYED IQTADAR TANVEER
RQP/DGMMP/211/2019-24

7.7 SAFETY AND SECURITY:

Prior to mining, short awareness/training program will be conducted for site staff to make them aware regarding safety aspects and environment friendly work practices.

First aid kit and anti-venom injection for snake/insect bite shall be provided at mine site.

If some causality or injury to animal occurs, it will be informed to forest department and proper treatment will be given.

No lighting will be allowed in the area.

No tree cutting, chopping, lumbering, uprooting of shrubs and herbs will be allowed.

No track or new road for movement of site workers or vehicles be laid in adjoining area, this will prevent fragmentation, encroachment and human verses animal encounter.

Corridor for movement of wild mammals (If exists) will be avoided for mining/transport purposes

If wild animals are noticed crossing the river bed, they will not be disturbed or chased away, instead the workers will move away from their path.

7.8 DISASTER MANAGEMENT:

Nature of mining method is very simple and high-risk accidents are not anticipated. In case of natural disaster, lessee will take assistance from local government officials.

7.9 CARE DURING TEMPORARY DISCONTINUANCE:

No major quarrying machineries will be deployed as mining shall be undertaken manually. Most of the tools/equipment shall be on hire basis, in such cases, care will be taken as per the terms and conditions of contract. During temporary discontinuance, a watchman should be present to look after the mine site.

7.10 ECONOMIC REPERCUSSION OF CLOSURE & MAN POWER RETRENCHMENT

This quarry lease sanctioned for defined time period, most of the facilities and man power will be deployed on hire basis and in such case, care will be taken as per terms and conditions of contract.

7.11 STATUS OF LOCAL EMPLOYEES:

Local residents will be proposed to employ from the nearby areas which already have their own traditional and family occupation like agriculture, fisheries and other sundry jobs. During monsoon and some other season or at the end of mine period they can easily join their respective employments.

7.12 COMPENSATIONS:

Retrenchment compensation to the employees as and when required will be done as per Government Labor legislation.

7.13 RECLAMATION & REHABILITATION:

The applied area comprises mainly sand, and negligible quantity of coarser material. The proposed area is the zone of active erosion during high flood time, otherwise it is a zone of deposition between two stream flows. So, no manual reclamation is needed. It is expected that the reclamation of the affected area will be automatically done by filling with sand flow in the rainy season depending on the amount of rain fall received by the area and the rate of river flow.

There is no human settlement within the quarry area. No human settlement will be disturbed due to the Quarrying activity. So, no rehabilitation and resettlement are proposed.

7.14 DISTANCE FROM THE NEAREST BRIDGE/DAM:

There is a bridge located about 4 Km east and upstream of the lease and constructed on Tapi River. However, none is located within mine lease area.

SYED IQTADAR TANVEER
RQP/DGMMP/211/2019-24

7.15 SOCIO – ECONOMIC ENVIRONMENT:

There will be positive effect to some extent on socio – economic environment of the area as quarrying activity will create new job opportunities for the local people, which ultimately improve their financial status.

7.16 PLANTATION (AFORESTATION PROGRAM):

The implementation for development of green belt will be of paramount importance as it will not only add up as an aesthetic feature, but also act as a pollution control tool.

The species to be grown in the area should be dust tolerant and fast growing so that permanent green belt is created.

In order to stabilize the river bank erosion, the plants having good growth will be planted along the river bank. Trees may also be grown along approach roach to the village and along village road as well as in the village as feasible in consultation with local gram panchayat, DFO and other stake holders.

Lease area is 25,500 M^2 and as per latest guidelines, total trees to be planted @1500 trees per hectare, i.e., a total of 3.825 trees shall be planted in within the lease period.

Total no. of trees to be Planted: - 3,825			
Phase	Name of Tree	No. of Plants to be Planted	Location
Within lease period	Pipal, Munga, Kathal, Bargad, Jamun, Neem, Arjun, Kadam Belpatra, Mango	3,825	Bank of the river – 2,000 nos Ratamati and surrounding villages – 1,825 Suitable available nearby government land or along the road in consultation with local Gram Panchayats, DFO and other stake holders

SYED IQTADAR TANVEER
RQP/DGMM/211/2019-24

8. PROGRESSIVE MINE CLOSUR PLAN

This is a sanctioned quarry which may again be sanctioned after its expiry on 30.06.2023. The actual working area (sand accumulated area) within the proposed area is the zone of active erosion during high flood time, otherwise it is a zone of deposition and mined out areas may or may not be automatically replenished with sand flow in the rainy season each year, hence progressive plan is not envisaged.

Statutory Obligations: No statutory obligations imposed till now; routine legislative conditions will apply as mentioned in approval letter.

SYED IQTADAR TANVEER
RQP/DGMNP/211/2018-24

9. SAND REPLENISHMENT ASSESSMENT

Sand quarrying from river bed will cause degradation of land use pattern and damage to the environment. Over exploitation of sand from river bed will definitely affects adversely on the surrounding environmental status. Deposition of sand is a continuous natural process, but the over drafting will never be permitted to ensure the balance between exploitation and replenishment potential of river sand.

Sand quarrying from river bed will have both positive and negative impacts;

9.1 NEGATIVE IMPACTS:

It includes destruction of natural river course, bank erosion, bank cutting and widening and deepening of river bed. Change in hydrological status and recharging conditions. Disturbance to closely linked flora, fauna and aquatic life.

9.2 POSITIVE IMPACTS:

Employment and socio-economic status of the habitants living besides the river depends on sand mining industries. Construction of concrete infrastructures, roads and some other related activities depends on the river bed sand. Continuous accumulation of sand ultimately leads to the reduction in water carrying capacity of the river leading excessive flood in the river. Sustainable extraction of sand from river will lead to overcome the problem.

9.3 NEED FOR SAND REPLENISHMENT STUDY AND FACTORS TO BE CONSIDERED AND OBSERVED:

Environmental status of the mined-out area may be affected badly if proper care is not taken to ensure sustainable extraction of sand from river bed. Proper study of the following factors must be taken into consideration to reveal the actual potential of sand deposition in river course after completion of periodical excavation annually. The main factors required to be considered for the study of the replenishment potential of particular river course are:

LESSEE/APPLICANT
M/s National Energy Trading and Services Ltd., Hyderabad
J. Priya Bandhavi

Syed Iqtadar Tanweer
RQP/DGM(IP)/211/2019-2024
SYED IQTADAR TANWEER
RQP/DGM(IP)/211/2019-24

Formation of sand comprises of the following;

Catchment area and geological strata,

Erosion, weathering

Climatic conditions, Precipitation

Geomorphology, Physiographic Manmade structures and activities details .

Geological formations Refer to Chapter 3.

Deposition/sedimentation of material or sediment yield depends upon several factors like;

-Catchment area

-Span of river / flood plain

-Travelling distance of suspended particles

-Slope / gradient / depth of water channel / meandering of river

- Geology traversed

- Climatic conditions

-Tributaries / Confluence

- Type / stage of river and flow velocity

-Occurrence of natural and manmade structures.

-Flow during lean period.

9.3.1 WATER LEVEL DURING LEAN PERIOD:

River course at area under consideration attains youth stage, flow velocity is moderate, turbulence occurred due to meanders created due to lineaments. Elevation of both the banks are within the range of 2.5 to 3.5m above river bed. After monsoon river flows in full swing covering both the banks. During monsoon floods the water level rises by 2 to 3 m High flood level of river goes up to 456 m in due course of time after monsoon water channel level goes down gradually, during lean period water level maintained at 454 m.

LESSEE/APPLICANT
M/s National Energy Trading and Services Ltd., Hyderabad

J. Priya Bandhavi

Syed Iqtadar Tanveer
RQP/DGMMP/211/2019-2024

SYED IQTADAR TANVEER
RQP/DGMMP/211/2019-24

9.3.2 CATCHMENT AREA

The Tapi basin comprises an area of about 2,700 Km2. The south-eastern boundary is marked by low-lying hills and or high grounds. The basin area is highly undulating with isolated hills and plains. The ground elevation ranges between 681 m and 454 m. above MSL. The ground slopes from east to west.

9.3.3 ORIGIN OF RIVER:

The Tapi River is a river flowing from east to west. It one of the largest River in MP which flows east to west like Narmada. The origin of the river is near village Chandora from a Damsite, Madhya Pradesh at an elevation of 681 m.

9.3.4 DISTANCE OF TRAVELLING OF LOAD:

Tapi River course is around 80 km approx. from the origin to mine site.

9.3.5 SLOPE / GRADIENT / ELEVATION DIFFERENCE:

The highest elevation of **Tapi River** at the origin is around 681 m and the elevation at mine site is 454 m above msl. There is an elevation difference of around 227 m.

9.3.6 GEOLOGY / LITHO UNITS:

River originates mainly from Deccan Trap rock formations and further continues over the same rock formations with other formations in parts.

9.3.7 CLIMATIC CONDITIONS:

Climate of the district is tropical with moderate winter and severe summers and well distributed rainfall received from southwest monsoon. However due to higher general elevation and abundance of forests, summer temperature does not rise as much as in other areas. The normal annual rainfall of Betul district is 1129.6mm.

9.3.8 TRIBUTARIES / CONFLUNCE:

Several other small seasonal streamlets (Nallas) join Tapi River resulting in the increase of its overall catchment area. One nalla also joins this river near the site.

Syed Iqtedar Tanveer
RQP/DGMM/07/211/2019-2024

9.3.9 TYPE/STAGE OF RIVER AND FLOW VELOCITY:

River attains youth stage at the mine site. Flow velocity is moderate to high. Lease area is located on a wide meander making it suitable for sand deposition.

9.3.10 STRUCTURES:

There is a bridge located about 4 Km east and upstream of the lease and constructed on Tapi River. However, none is located within mine lease area.

9.4 CONCLUSION:

In Betul district, Tapi basin where lease area is located comprises an area of about 2,700 Km^2. The south-eastern boundary is marked by low-lying hills and or high grounds. The basin area is highly undulating with isolated hills and plains. The ground elevation ranges between 681 m and 454 m. above MSL. The ground slopes from southeast to northwest.

The Average rainfall of Betul district is 1129.6mm. The district receives high rainfall mostly during July to September which will be leads to the deposition of the sufficient quantity of the sand every year within the old working area.

Dandy Bolton Formula has category stated use of the equation to predict sediment yield for a specific location would not be always correct because of the wide variability caused by local factors not considered in the equation development. Actual sediment yield from individual drainage basins may vary 10-fold or even 100-fold computed yields.

Looking at the basic information available about the concerning river basin, it is concluded that proposed quantity of 21,600 cubic meter per year can be excavated from the quarrying site and the replenishment of the same will be done easily as regular annual process following the topographical control.

Total replenished quantity of sand available each year within the lease hold area for mining will be:

Total Leasehold area -2.55 ha

Total sand available -2.55 x10000x 3.0 (max thickness) = 76,500 m^3

Taken all safety measured and environmental concerns, only 1.53 ha leasehold area (60% of lease area) is available for mining.

Total sand available -15,300 m^2 x 3.0m (Max. Thickness) = 45,900 m^3

Total mineable sand - 15,300 M^2 x 1.42 m (Average Thickness) = 21,726 m^3or 21,600 m^3

Thus, from measured sand reserve of about 45,900 cubic meters, only 21,600 cubic meter sand per year will be extracted.

Out of the above annual replenishment, it is proposed to mine only 21,600 cubic meters up to a maximum depth of 1.42 m.

Thus, there will be no long – term impact on the riverbed which will have surplus sand left after extraction of the proposed amount each year and PP will be extracting less than 50% of the annual replenished sand within its lease hold.

Above estimation is based upon existing site conditions. Next year estimation shall be worked out after monsoon using volumetric methods. In the applied area, replenishment depends upon the yearly rainfall, if adequate amount of sand will not replenish during monsoon, then excavation of sand will be limited to the quantity which will be equivalent to the replenished material up to a maximum depth of 3m only.

PLAN PREPARED FOR -

M/s National Energy Trading and Services Ltd.

Address: Address: Plot No 7, Bindu Sadan, 401 Sai Chandra Colony, Green Space Tulasi, Puppalguda, Manikonda, Hyderabad,
Telangana State, India

PLAN PREPARED BY RQP -

SYED IQTADAR TANWEER
G-3 Balaji, Bright Colony, Idgah Hills,
Bhopal (M.P.)
Registration No: RQP/DGMMP/211/2019-24

J. Pruja Bandhari
LESSEE/APPLICANT
M/s National Energy Trading and Services Ltd., Hyderabad

SYED IQTADAR TANWEER
RQP/DGMMP/211/2019-24
Syed Iqtadar Tanweer
RQP/DGMMP/211/2019-2024

J. Pruja Bandhari

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला–बैतूल (म.प्र.)

प्रारूप–तीन

(नियम 11(3) एवं 11(5) देखिए)

आशय–पत्र

क्रमांक/रेत/2022/1862 बैतूल, दिनांक 23/12/2022

प्रति,

मेसर्स नेशनल एनर्जी ट्रेडिंग एण्ड सर्विसेज लिमिटेड
पता–प्लॉट न. 7, बिन्दु सदन, 401 साईं चंद्र कॉलोनी,
ग्रीन स्पेस तुलसी, पुष्पलगुडा, मणिकोंडा, हैदराबाद,
रंगारेड्डी, तेलंगाना–500089

विषय :– ई–निविदा क्रमांक 1691 दिनांक 17.11.2022 के संदर्भ में ग्राम **(सूची अनुसार)** तहसील **(सूची अनुसार)** जिला **बैतूल** रकबा **(सूची अनुसार)** हेक्टेयर क्षेत्र की खदान समूह क्रमांक **(संपूर्ण बैतूल जिला)** रेत खदानों हेतु आशय–पत्र।

——00——

1. **पृष्ठभूमि :**

1.1 मध्यप्रदेश रेत (खनन, परिवहन, भण्डारण एवं व्यापार) नियम 2019 (यथा संशोधित) के अनुसरण में कलेक्टर जिला बैतूल द्वारा मध्यप्रदेश के जिला बैतूल स्थित समूह खदान के समूह क्रमांक **(संपूर्ण बैतूल जिला)** हेतु रेत की समूह खदानों के प्रदान के लिए निविदा प्रक्रिया को प्रारंभ करने के लिए ई–निविदा सूचना दिनांक **17.11.2022** जारी की गई। ई–निविदा प्रक्रिया उक्त नियमों के नियम 8 के अनुसार उक्त रेत समूह आबंटन हेतु संचालित की जाकर मेसर्स **नेशनल एनर्जी ट्रेडिंग एण्ड सर्विसेज लिमिटेड** को उक्त नियमों के नियम 8(8) के अधीन उच्चतम सफल निविदाकार के रूप में घोषित किया गया है।

1.2 उक्त नियमों के नियम 11 के अधीन तथा उक्त समूह खदान के लिए निविदा दस्तावेज के अधीन अपेक्षित किए गए अनुसार मेसर्स **नेशनल एनर्जी ट्रेडिंग एण्ड सर्विसेज लिमिटेड** ने प्ररक्षित मूल्य के 25 प्रतिशत राशि रकम रूपये **5,85,53,288/–(पांच करोड़ पच्यासी लाख तिरेपन हजार दो सौ अट्ठासी रूपये)** अग्रिम धन (ईएमडी) के रूप में एम.पी. टेंडर के माध्यम से जो दिनांक **02.12.2022** को जमा कर दी है तथा जो दिनांक 23/12/2022 को संचालक के पूल खाते में प्राप्त हुई है।

2. परिणामस्वरूप आशय पत्र जारी किया जाना :

उक्त नियमों के नियम 11(3) एवं 11(5) के अनुसरण में समूह क्रमांक **(संपूर्ण बैतूल जिला)** मेसर्स **नेशनल एनर्जी ट्रेडिंग एण्ड सर्विसेज लिमिटेड** के पक्ष में 30 जून 2023 अवधि हेतु रेत खनिज की खदानों के समूह के लिए ग्राम **(सूची अनुसार)** जिला **बैतूल** में रकबा **(सूची अनुसार)** (हेक्टेयर) क्षेत्र के लिए यह आशय पत्र जारी किया जाता है।

J. Priya Bardhan

3. शर्तें :

3.1 यह आशय पत्र तथा इसके पूर्वोक्त खदान समूह का अनुवर्ती आबंटन इन नियमों के समय–समय पर यथा संशोधित उपबंधों के अध्यधीन होगा तथा मेसर्स **नेशनल एनर्जी ट्रेडिंग एण्ड सर्विसेज लिमिटेड** को "उच्चतम सफल निविदाकार" के रूप में घोषित किया जाता है तथा इन नियमों के अधीन समस्त अपेक्षाओं की संतोषजनक पूर्ति पर पश्चातवर्ती रूप से आबंटित खदान समूह का आबंटन किया जाएगा।

3.2 संदर्भ हेतु मेसर्स **नेशनल एनर्जी ट्रेडिंग एण्ड सर्विसेज लिमिटेड** के "उच्चतम सफल निविदाकार" के रूप में घोषित किए जाने तथा समूह खदानों के पश्चातवर्ती आबंटन है, के लिए अपेक्षाओं को नीचे दोहराया गया है। यह स्पष्ट किया जाता है कि अधोवर्णित अपेक्षाएं मात्र संदर्भ के लिए है तथा उक्त नियमों में किसी परिवर्तन की स्थिति में, यथास्थिति, संशोधित नियमों के अधीन अपेक्षाएं लागू होंगी।

(क) "उच्चतम सफल निविदाकार" के रूप में घोषणा :–

मेसर्स **नेशनल एनर्जी ट्रेडिंग एण्ड सर्विसेज लिमिटेड** को "उच्चतम सफल निविदाकार" मान्य किया जावेगा, बशर्ते :–

(एक) नियमों के निबंधनों तथा शर्तों का अनुपालन किया गया हो;

(दो) नियमानुसार वार्षिक ठेका राशि की 50 प्रतिशत रकम का भुगतान कर दिया गया हो;

(तीन) उक्त नियमों के नियम 12 के उप नियम (1) से उप नियम (6) में विनिर्दिष्ट खनन योजना एवं अन्य कानूनी अनुपालनों के संबंध में शर्तों को पूरा किया गया हो।

(ख) **ठेका अनुबंध का निष्पादन :–**

समस्त कानूनी अनुज्ञाओं, अनुमोदन, अनुज्ञा, अनापत्ति एवं सदृश, जो कि खनन संक्रिया प्रारंभ करने के लिए प्रयोज्य विधियों के अधीन अपेक्षित हो, प्राप्त करने के उपरांत मेसर्स **नेशनल एनर्जी ट्रेडिंग एण्ड सर्विसेज लिमिटेड** एवं **बैतूल जिले के कलेक्टर** के साथ प्रारूप 5 में पृथक–पृथक खदानवार ठेका अनुबंध का निष्पादन कराया जायेगा। अनुबंध निष्पादन की औपचारिकताऐं पूर्ण होने पर ठेका अनुबंध का भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का क्रमांक 16) के उपबंधों के अधीन पंजीयन कराया जायेगा।

(ग) समूह खदानों की खनन संक्रिया :–

अनुबंध निष्पादन के पश्चात मेसर्स नेशनल एनर्जी ट्रेडिंग एण्ड सर्विसेज लिमिटेड किश्तों का नियमित रूप से भुगतान करेंगें तथा नियमित खनन संक्रियायें जारी रखेंगें।

J. Bujabandhan

विधिमान्य है। समय–सीमा के भीतर समस्त शर्तों की पूर्ति की जानी चाहिए एवं मेसर्स नेशनल एनर्जी ट्रेडिंग एण्ड सर्विसेज लिमिटेड एवं बैतूल जिले के कलेक्टर के मध्य ठेका अनुबंध निष्पादित किया जाना चाहिए। उच्चतम सफल निविदाकार के नियंत्रण से परे किन्हीं कारणों से ठेका अनुबंध के निष्पादन में विलंब होने की स्थिति में, समय–सीमा में वृद्धि करने के लिए वह कलेक्टर को आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकेगा। उपरोक्त समस्त अथवा किन्हीं शर्तों के अनुपालन के लिए कलेक्टर अधिकतम 10 दिवस की अवधि बढ़ा सकेगा।

निविदाकार कम्पनी की ओर से प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षर उपरांत उक्त आशय पत्र की द्वितीय प्रति 07 दिवस की अवधि के भीतर अधोहस्ताक्षरी को स्वीकार्य पावती के रूप में वापस करने योग्य होगी।

संलग्न– समूह की खदानों का विवरण
एवं राशि की जानकारी।

कलेक्टर
जिला–बैतूल (म.प्र.)

पृ0क्रमांक/रेत/2022/1862 बैतूल, दिनांक 23/12/2022

प्रतिलिपि :–

1– प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2– प्रमुख सचिव, नगरीय प्रशासन एवं पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3– सदस्य सचिव, सिया पर्यावास परिसर ई–5 अरेरा कालोनी, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4– कार्यपालक संचालक, दि मध्य प्रदेश स्टेट माईनिग कार्पोरेशन लिमिटेड भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5– संचालक, संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, 29–ए अरेरा हिल्स, म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ।
6– क्षेत्रीय अधिकारी, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड छिन्दवाड़ा की ओर सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित।
7– अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) समस्त जिला बैतूल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
8– तहसीलदार तहसील समस्त जिला बैतूल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
9– खनि निरीक्षक जिला बैतूल की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।

कलेक्टर
जिला–बैतूल (म.प्र.)

J. Pruja Bandhare

ई–निविदा में सम्मिलित खदानों एवं राशि का विवरण

जिला – बैतूल

क्र.	जिला	तहसील	ग्राम	खसरा क्रमांक	रकबा हेक्टेयर में	रेत का अनुमानित भण्डार (घनमीटर में)	अनुमानित दर का मूल्य (रूपये 250 प्रति घनमीटर + अन्य कर अतिरिक्त)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	लोनिया	179	1.115	25000	
2	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	फुलबेरिया	407	2.500	12750	
3	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	झाड़कुण्ड	1	0.950	7200	
4	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	बिखली आमढाना	219, 341	7.730	50000	
5	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	घोड़ाडोंगरी	373, 1395	7.000	20663	
6	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	आमढाना रैयत	248,141, 130	6.090	35700	
7	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	गांधीग्राम	2	0.550	13500	
8	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	नांदू	91	2.900	22500	
9	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	बाकुड़	35	2.700	21875	
10	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	बरेलीपार/ घोड़ाडोंगरी	63	0.360	9000	
11	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	कचलोरा–1	67	0.100	2000	
12	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	कचलोरा–2	98	0.170	3570	
13	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	कचलोरा–3	69	0.340	9500	
14	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	आमढाना रैयत–1	79	0.350	8050	
15	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	आमढाना रैयत–2	175	0.340	6120	
16	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	आमढाना रैयत–3	178	0.620	13750	23,42,13,150/-
17	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	झोली–1	99	5.000	26000	
18	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	झोली–2	10	4.000	12000	
19	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	सातलदेही	187, 251	8.000	38500	
20	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	धरमपुर	309	6.000	7500	
21	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	बटकीडोह	112, 349	1.000	15000	
22	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	विष्णुपुर	1	2.000	30000	
23	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	घिचडोल रैयत	30	8.000	25000	
24	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	कटंगी	148	0.621	4000	
25	बैतूल	बैतूल	खेरगांव/भयावाड़ी	68, 260	6.250	25750	
26	बैतूल	बैतूल	कोदारोटी	106	5.450	7200	
27	बैतूल	बैतूल	कुम्हारिया	1	0.700	10800	
28	बैतूल	बैतूल	भीलावाड़ी	97	0.800	9100	
29	बैतूल	बैतूल	माधनी	78	0.860	9450	
30	बैतूल	आमला	सोनतलाई	1	9.330	9000	
31	बैतूल	आमला	बारछी	434, 308	5.520	10300	
32	बैतूल	आमला	जम्बाड़ा (बुजुर्ग)	217	0.700	2304	
33	बैतूल	भैंसदेही	रातामाटी	1	2.550	36000	

Pooja Bandewar

		शाहपुर				
35	बैतूल	घोड़ाडोंगरी / शाहपुर	बांसपुर / शिवसागर / मौनापुर	1, 1, 288, 266	24.970	272250
36	बैतूल	शाहपुर	गुवाड़ी	19	2.500	70200
37	बैतूल	शाहपुर	शाहपुर / पतौवापुरा	1, 112	11.000	198000
38	बैतूल	शाहपुर	सितालझिरी	1	0.700	5625
39	बैतूल	चिचोली	सांगवानी	20	5.080	30064
40	बैतूल	चिचोली	हरन्या	1, 9	5.590	44000
41	बैतूल	चिचोली	खपरिया	18	3.000	32500
42	बैतूल	चिचोली	बल्लौर	162	3.000	35000
43	बैतूल	शाहपुर	टागनामाल	209	4.000	42000
44	बैतूल	शाहपुर	धामन्या	1	5.000	38000
45	बैतूल	शाहपुर	चिखली रैयत	316	4.000	18000
46	बैतूल	शाहपुर	तेन्दूखेड़ा	119,114	5.000	22500
47	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	सिवनपाट	142	0.420	4200
				योग–	188.906	1561421

1	कुल चिह्नित खदाने –	47
2	कुल अनुमानित क्षेत्रफल –	188.906 हे0
3	निविदा हेतु निर्धारित खदाने –	सम्पूर्ण बैतूल जिला
4	जिला समूह हेतु विक्री योग्य निर्धारित मात्रा (वार्षिक) घनमीटर –	936852.6 (तेईस करोड़ बयालीस लाख तेरह हजार एक सौ पचास रूपये)
5	निविदाकार मेसर्स नेशनल एनर्जी ट्रेडिंग एण्ड सर्विसेज लिमिटेड	
6	पता–प्लॉट न. 7, बिन्दु सदन, 401 साई चंद्र कॉलोनी, ग्रीन स्पेस तुलसी, पुष्पलगुडा, मणिकोंडा, हैदराबाद, रंगारेड्डी, तेलंगाना – 500089	
7	स्वीकृत ऑफर मूल्य रूपये –	531195424.20 (तिरेपन करोड़ ग्यारह लाख पनचान्वे हजार चार सौ चौबीस रूपये बीस पैसे मात्र)
8	प्राप्त दर के अनुसार प्रति घनमीटर देय राशि (रायल्टी सहित)	567.00 (पांच सौ छड़सठ रूपये प्रति घनमीटर)
9	जमा EMD राशि रूपये –	58553288 (पांच करोड़ पच्यासी लाख तिरेपन हजार दो सौ अट्ठासी रूपये)
10	शेष जमा राशि रूपये (265597712.10 – 58553288) ऑफर मूल्य का 50 प्रतिशत – निविदा की ईएमडी राशि	207044424.10 (बीस करोड़ सत्तर लाख चौव्यालीस हजार चार सौ चौबीस रूपये दस पैसे मात्र)
11	बिन्दु क्रमांक 10 की राशि जमा दिनांक एवं भुगतान विवरण –	21.12.2022 RTGS

नोट :–2. निविदा प्रपत्र की कंडिका– 10 (ख) –परिशिष्ट–1 में समूह में सम्मिलित समस्त रेत खदानों का विवरण, खदान का अनुमानित क्षेत्रफल एवं खदान में उपलब्ध अनुमानित मात्रा दर्शित है। ठेकेदार द्वारा जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (डी.एस.आर.) द्वारा अनुमोदित मात्रा तक ही खनन किया जा सकेगा। यह अनिवार्य नहीं होगा कि वह समूह में सम्मिलित प्रत्येक खदान की परिशिष्ट–1 में दर्शित मात्रा हेतु वैधानिक अनुमतियाँ प्राप्त कर खदानें संचालित करें। अर्थात निर्धारित मात्रा का खनन समूह में सम्मिलित कतिपय खदानों से, वैधानिक अनुमतियों के अधीन भी किया जा सकेगा।

कलेक्टर
जिला–बैतूल (म.प्र.)

J. Pujabansal

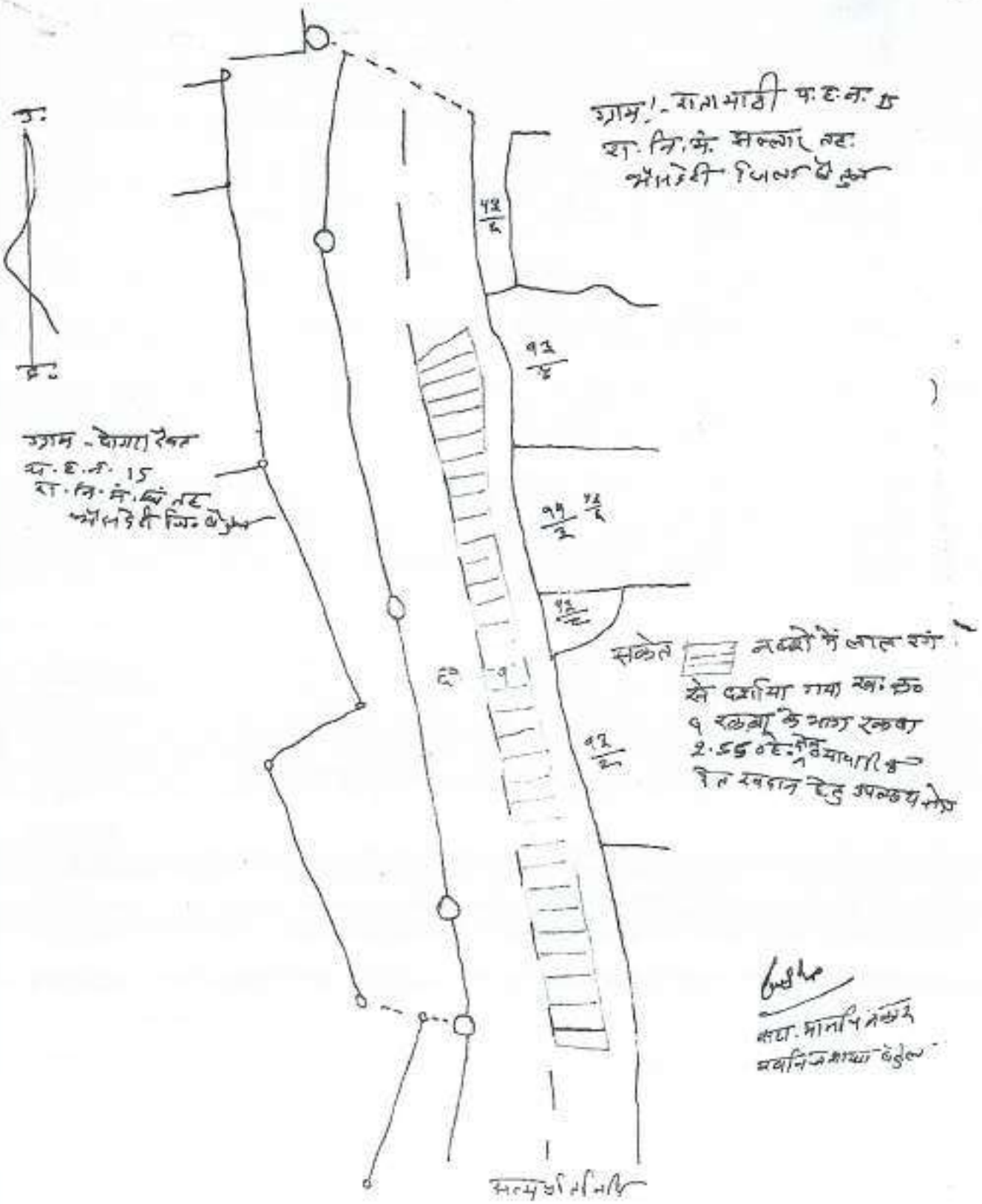

कार्या. सहायक अभियंता
सार्वजनिक बांधकाम विभाग वैजापूर

J. Puja Sandesh

DIGITALLY SIGNED BY ASSISTANT ENGINEER
POSTED IN MP1211/2018-24

SURFACE PLAN & GEOLOGICAL PLA

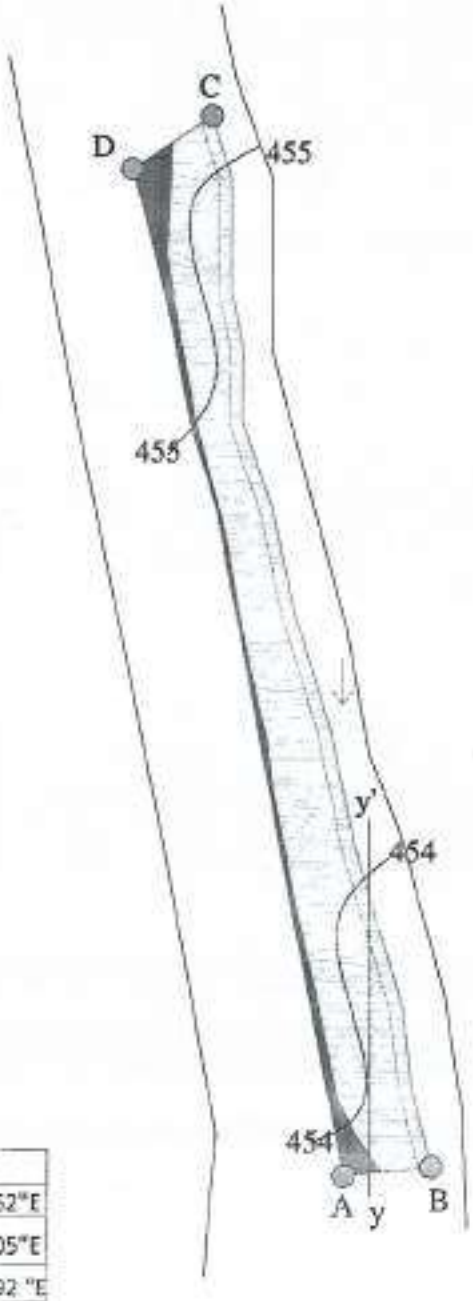

INDEX	
PARTICULARS	SYMBOLS
LEASE BOUNDARY	
RIVER BOUNDARY	
CONTOUR	480
BOUNDARY POINTS	
SECTION LINE	
SAND	
FLOW DIRECTION	

APPROVED

COLLECTOR
BETUL

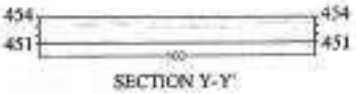

SYED IQTADAR TANWEER
RQP/DGMMP/211/2019-24

CO-ORDINATE		
1.	21°48'52.52"N	77°43'14.52"E
2.	21°48'51.11"N	77°43'14.05"E
3.	21°48'59.54"N	77°43'35.92 "E
4.	21°48'59.50"N	77°43'36.18"E

AREA DETAILS	APPLICANT:
QUARRY AREA - 2.55 HA. QUARRY SURVEY NO. - 1 QUARRY VILLAGE- RATAMATI TEHSIL- BHAINSDEHI DISTRICT - BETUL (M.P.)	M/s National Energy Trading and Services Limited Address: Plot No 7, Bindu Sadan, 401 Sai Chandra Colony, Green Space Tulasi, Puppalguda, Manikonda, Hyderabad, Telangana State, India

J. Priya Bandara

PLAN & SECTION

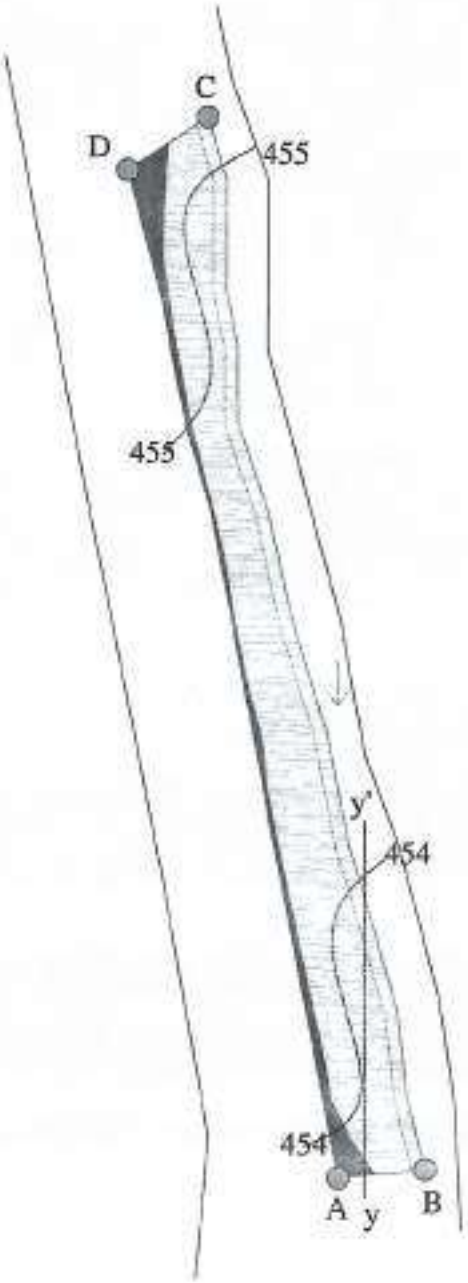

INDEX	
PARTICULARS	SYMBOLS
LEASE BOUNDARY	
RIVER BOUNDARY	
CONTOUR	480
BOUNDARY POINTS	
SECTION LINE	
SAND	
FLOW DIRECTION	
YEAR WISE DEVELOPMENT	

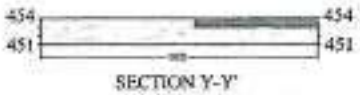

SECTION Y-Y'

SYED IQTADAR TANVEER
RQP/DGM/MP/211/2019-24

AREA DETAILS	APPLICANT:
QUARRY AREA - 2.55 HA. QUARRY SURVEY NO. - 1 QUARRY VILLAGE - RATAMATI TEHSIL - BHAINSDEHI DISTRICT - BETUL (M.P.)	M/s National Energy Trading and Services Limited Address: Plot No 7, Bindu Sadan, 401 Sai Chandra Colony, Green Space Tulasi, Puppalguda, Manikonda, Hyderabad, Telangana State, India

T. Priya Kumari

ENVIRONMENTAL PLAN

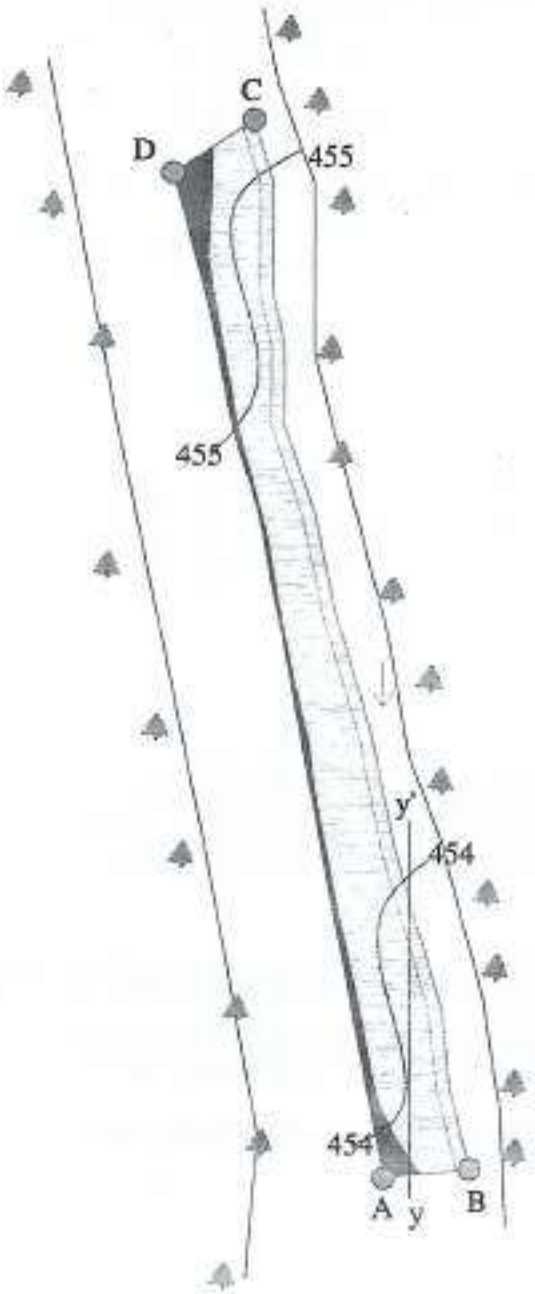

INDEX	
PARTICULARS	SYMBOLS
LEASE BOUNDARY	
RIVER BOUNDARY	
CONTOUR	480
BOUNDARY POINTS	
SECTION LINE	
SAND	
FLOW DIRECTION	
YEAR WISE DEVELOPMENT	
PLANTATION	

SYED IQTADAR TANWEER
RQP/DGMMP/211/2019-24

AREA DETAILS	APPLICANT:
QUARRY AREA - 2.55 HA. QUARRY SURVEY NO. - 1 QUARRY VILLAGE- RATAMATI TEHSIL- BHAINSDEHI DISTRICT - BETUL (M.P.)	M/s National Energy Trading and Services Limited Address: Plot No 7, Bindu Sadan, 401 Sai Chandra Colony, Green Space Tulasi, Puppalguda, Manikonda, Hyderabad, Telangana State, India

T. Priya Bandhavi

YEARLY MONSOON WISE PLATE & SECTION

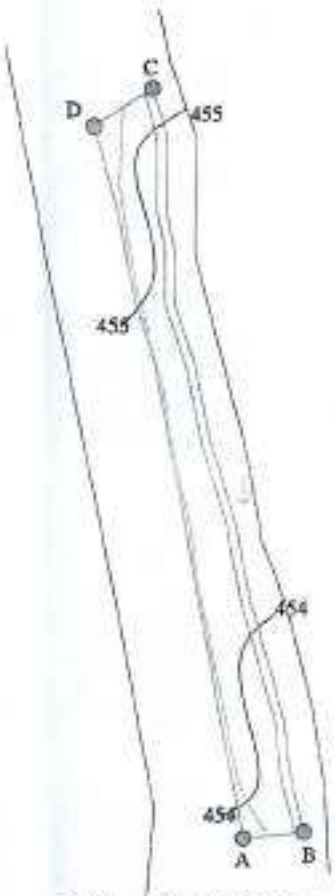

PRE MONSOON
(MARCH TO JUNE)

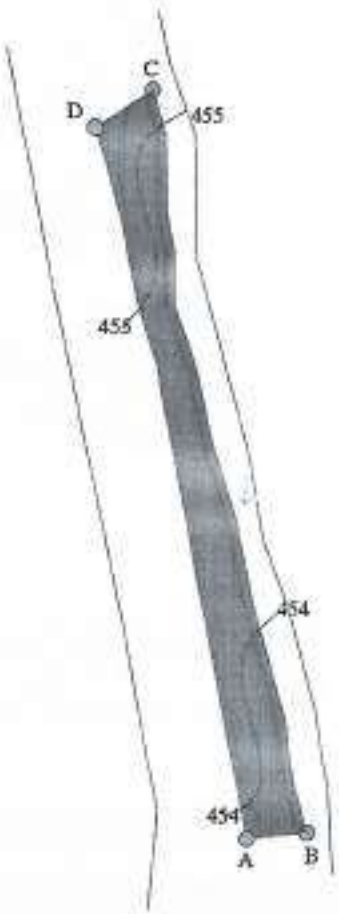

DURING MONSOON
(JULY TO SEPTEMBER)

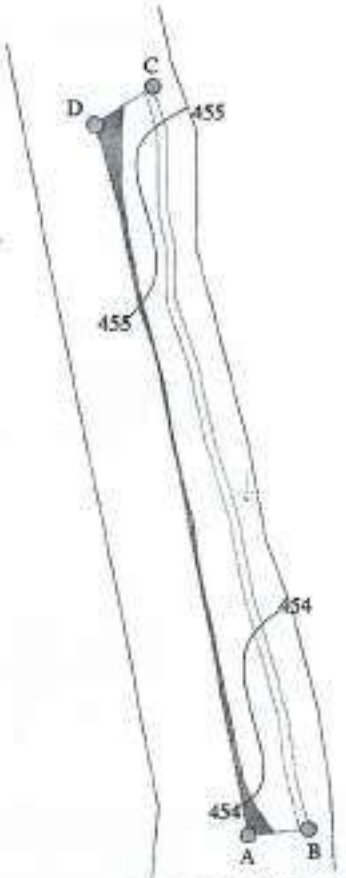

POST MONSOON
(OCTOBER TO FEBRUARY)

INDEX	
PARTICULARS	SYMBOLS
LEASE BOUNDARY	
RIVER BOUNDARY	
SAND	
WATER	

SYED MUTADAR TANWEER
RQP/DGMMP/211/2019-24

AREA DETAILS	APPLICANT:
QUARRY AREA - 2.55 HA. QUARRY SURVEY NO. - 1 QUARRY VILLAGE- RATAMATI TEHSIL- BHAINSDEHI DISTRICT - BETUL (M.P.)	M/s National Energy Trading and Services Limited Address: Plot No 7, Bindu Sadan, 401 Sai Chandra Colony, Green Space Tulasi, Puppalguda, Manikonda, Hyderabad, Telangana State, India

J. Priya Bandhavi

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बैतूल

Email-modgmbet@mp.gov.in

क्रमांक/खनिज–2/2023/ 221 बैतूल, दिनांक 07/02/2023

प्रति,

मेसर्स नेशनल एनर्जी ट्रेडिंग एण्ड सर्विसेज लिमिटेड
पता–प्लॉट न. 7, बिन्दु सदन, 401 सांई चंद्र कॉलोनी,
ग्रीन स्पेस तुलसी, पुष्पलगुडा, मणिकोंडा, हैदराबाद,
रंगारेड्डी, तेलंगाना–500089

विषयः– रेत खनिज के सफल निविदाकार की खनन योजना का अनुमोदन करने बाबत्।
संदर्भः– आपका का पत्र क्रमांक NETS/SMD/B/22-23/015-031 दिनांक 02.01.2023

---00---

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा प्रस्तुत 17 रेत खनन योजनाओं को मध्यप्रदेश रेत (खनन, परिवहन, भण्डारण एवं व्यापार) नियम 2019 के नियम 12 (ग) के अन्तर्गत अनुमोदित किया जाता है। जिसका विवरण निम्नानुसार है:–

क्र.	तहसील	खदान का नाम	खसरा क्र.	रकबा (.है)	माईनिंग प्लान अनुमोदित मात्रा (घ.मी.)
1	शाहपुर	शाहपुर/पतौवापुरा	1, 112	11.000	118800
2	घोडाडोंगरी	बाकुड़	35	2.700	13125
3	घोडाडोंगरी	लोनिया	179	1.115	15000
4	भैंसदेही	रातामाटी	1	2.550	21600
5	शाहपुर	सितलझिरी	1	0.700	3375
6	बैतूल	मायनी	78	0.860	5670
7	घोडाडोंगरी	कंटगी	148	0.621	2400
8	शाहपुर	गुवाडी	19	2.500	42120
9	घोडाडोंगरी	फुलबेरिया	407	2.500	7650
10	घोडाडोंगरी/ शाहपुर	बांसपुर /शिवसागर/ गौनापुर	1, 1, 288, 266	24.970	163350
11	घोडाडोंगरी	झाडकुण्ड	1	0.950	4320
12	घोडाडोंगरी	कचलोरा-1	67	0.100	1200
13	घोडाडोंगरी	कचलोरा-2	98	0.340	2142
14	घोडाडोंगरी	बरेलीपार	63	0.360	5400
15	आमला	जम्बाड़ा बुजुर्ग	217	0.700	1382
16	घोडाडोंगरी	गांधीग्राम	2	0.550	8100
17	घोडाडोंगरी	सातलदेही	187, 251	6.100	23100

उक्त खनन योजनाओं का अनुमोदन इस शर्त पर किया जाता है कि निविदाकार मध्यप्रदेश रेत (खनन, परिवहन, भण्डारण एवं व्यापार) नियम 2019 के प्रावधानों का पालन करेगा।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

कलेक्टर,
जिला–बैतूल

पृ0क्रमांक / खनिज–2 / 2023 / 221 बैतूल, दिनांक 07 / 02 / 2023

प्रतिलिपि:–

1. प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, 29–ए अरेरा हिल्स, म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3. सदस्य सचिव, सिया पर्यावास परिसर ई–5 अरेरा कालोनी, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रभारी अधिकारी
(खनिज शाखा)
जिला–बैतूल

MINING PLAN

SUBMITTED AS PROVISIONS OF RULE 12 (1) MADHYA PRADESH SAND RULE 2019 (MINING, TRANSPORTATION, STORAGE AND TRADING)

BANSPUR/SHIVSAGAR/GAUNAPUR SAND MINE

AREA: 24.97 HECTARES,

KHASRA NOs: Banspur: 1, 288, Shivsagar: 1, Gaunapur: 266,

VILLAGES: BANSPUR/SHIVSAGAR/GAUNAPUR,

TEHSILS: GHODADONGRI/SHAHPUR,

DISTRICT: BETUL (MADHYA PRADESH)

APPROVED

COLLECTOR
BETUL

APPLICANT

M/S NATIONAL ENERGY TRADING AND SERVICES LIMITED,

PLOT NO 7, BINDU SADAN, 401 SAI CHANDRA COLONY, GREEN SPACE TULASI, PUPPALGUDA, MANIKONDA, HYDERABAD, TELANGANA STATE, INDIA

TYPE AND CATEGORY OF MINE: OPENCAST/SEMI MECHANISED

PREPARED BY

SYED IQTADAR TANWEER

SYED IQTADAR TANWEER
RQP/DGMMP/211/2019-24

G-3 BALAJI, BRIGHT COLONY, IDGAH HILLS,

BHOPAL (M.P.)

REGISTRATION NO: RQP/DGMMP/211/2019-24

CONSENT LETTER

Revised Mining Plan of Banspur/Shivsagar/Gaunapur Sand Mine, spread over the villages of Banspur, Shivsagar and Gaunapur (24.97 ha) has been prepared by RQP Shri Syed Iqtadar Tanweer (RQP No DGMMP/211/2019-24) under Madhya Pradesh Minor Mineral Rules, 1996 for approval. The lease hold area is located in Villages- Banspur, Shivsagar and Gaunapur, Tehsils – Ghodadongri/Shahpur, District - Betul, MP, covering an area of 24.97 hectares.

The Director Geology and Mining, Madhya Pradesh, competent Authority is hereby requested to make further correspondence regarding this Mining Plan with the person and address mentioned below-

SYED IATADAR TANWEER
Recognized Qualified Person (RQP NO: RQP/DGMMP/211/2019-24)

G-3 Balaji, Bright Colony, Idgah Hills,

Bhopal
(M.P.)
Email: si_tanweer@yahoo.co.in

Mob: 8827951780

An undertaking in this regard is being submitted that the Mining Plan so prepared by the recognized person is with my knowledge and consent and shall be acceptable to me in all respects. I have clearly understood the contents of the Mining Plan and agree to implement.

Place: Betul

Date:

J. Ranjabandhari

M/s National Energy Trading and Services Ltd.

Address: Plot No 7, Bindu Sadan, 401 Sai Chandra Colony, Green Space Tulasi, Puppalguda, Manikonda, Hyderabad, Telangana State, India

CERTIFICAE FOR FULL CONSULTATION

This is to certify that Revised Mining Plan of Banspur/Shivsagar/Gaunapur Sand Mine spread over the villages of Banspur, Shivsagar and Gaunapur of the applicant M/s National Energy Trading and Services Ltd., Villages- Banspur, Shivsagar and Gaunapur, Tehsils – Ghodadongri/Shahpur, District - Betul of Madhya Pradesh State covering lease hold area 24.97 hectares has been prepared by RQP Shri Syed Iqtadar Tanweer (RQP No: RQP/DGMJMP/211/2019-24), in full consultation with me and I have understood its contents and agree to implement the same in accordance with the law.

Place: Betul

Date:

J. Priya Bandhana

M/s National Energy Trading and Services Ltd.

Address: Plot No 7, Bindu Sadan, 401 Sai Chandra Colony, Green Space Tulasi, Puppalguda, Manikonda, Hyderabad, Telangana State, India

CERTIFICATE OF COMPLIANCE AND CORRECTNESS

- *Certified that the provisions of related Act and rules have been considered in the Revised Mining Plan of Banspur/Shivsagar/Gaunapur Sand Mine spread over the villages of Banspur, Shivsagar and Gaunapur, area of 24.97 hectares in Tehsil – Ghodadongri/Shahpur, District- Betul of Madhya Pradesh State, which belongs to the applicant M/s National Energy Trading and Services Ltd.*

- *Certified further that the provisions mentioned in Act, Rules and Regulations have been considered in the Mine Plan and wherever specific permissions are required, the applicant will approach to the concerned competent authorities including D.G.M.S. for the same.*

- *There is no violation against provision of Rules, Regulations of MMR, 1961 and there is no danger to human life.*

- *The information furnished in the Mine Plan is true and correct to the best of our knowledge.*

SYED IQTADAR TANWEER
RQP/DGMMP/211/2019-24

Syed Iqtadar Tanweer

(RQP No: RQP/DGMJMP/211/2019-24)

Place: Bhopal

Date:

EMAIL: si_tanweer@yahoo.co.in, MOB: 8827951780

RQP CERTIFICATE

CONSENT LETTER

Revised Mining Plan of Banspur/Shivsagar/Gaunapur Sand Mine, spread over the villages of Banspur, Shivsagar and Gaunapur (24.97 ha) has been prepared by RQP Shri Syed Iqtadar Tanweer (RQP No DGMMP/211/2019-24) under Madhya Pradesh Minor Mineral Rules, 1996 for approval. The lease hold area is located in Villages- Banspur, Shivsagar and Gaunapur, Tehsils – Ghodadongri/Shahpur, District - Betul, MP, covering an area of 24.97 hectares.

The Director Geology and Mining, Madhya Pradesh, competent Authority is hereby requested to make further correspondence regarding this Mining Plan with the person and address mentioned below-

SYED IATADAR TANWEER
Recognized Qualified Person (RQP NO: RQP/DGMMP/211/2019-24)

G-3 Balaji, Bright Colony, Idgah Hills,

Bhopal
(M.P.)
Email: si_tanweer@yahoo.co.in

Mob: 8827951780

An undertaking in this regard is being submitted that the Mining Plan so prepared by the recognized person is with my knowledge and consent and shall be acceptable to me in all respects. I have clearly understood the contents of the Mining Plan and agree to implement.

Place: Betul

Date:

J. Ranjabandhari

M/s National Energy Trading and Services Ltd.

Address: Plot No 7, Bindu Sadan, 401 Sai Chandra Colony, Green Space Tulasi, Puppalguda, Manikonda, Hyderabad, Telangana State, India

CERTIFICAE FOR FULL CONSULTATION

This is to certify that Revised Mining Plan of Banspur/Shivsagar/Gaunapur Sand Mine spread over the villages of Banspur, Shivsagar and Gaunapur of the applicant M/s National Energy Trading and Services Ltd., Villages- Banspur, Shivsagar and Gaunapur, Tehsils – Ghodadongri/Shahpur, District - Betul of Madhya Pradesh State covering lease hold area 24.97 hectares has been prepared by RQP Shri Syed Iqtadar Tanweer (RQP No: RQP/DGMJMP/211/2019-24), in full consultation with me and I have understood its contents and agree to implement the same in accordance with the law.

Place: Betul

Date:

J. Priya Bandhana

M/s National Energy Trading and Services Ltd.

Address: Plot No 7, Bindu Sadan, 401 Sai Chandra Colony, Green Space Tulasi, Puppalguda, Manikonda, Hyderabad, Telangana State, India

CERTIFICATE OF COMPLIANCE AND CORRECTNESS

- *Certified that the provisions of related Act and rules have been considered in the Revised Mining Plan of Banspur/Shivsagar/Gaunapur Sand Mine spread over the villages of Banspur, Shivsagar and Gaunapur, area of 24.97 hectares in Tehsil – Ghodadongri/Shahpur, District- Betul of Madhya Pradesh State, which belongs to the applicant M/s National Energy Trading and Services Ltd.*

- *Certified further that the provisions mentioned in Act, Rules and Regulations have been considered in the Mine Plan and wherever specific permissions are required, the applicant will approach to the concerned competent authorities including D.G.M.S. for the same.*

- *There* is *no violation against provision of Rules, Regulations of MMR, 1961 and there* is *no danger to human life.*

- *The information furnished in the Mine Plan* is true *and correct to the* best *of our knowledge.*

SYED IQTADAR TANWEER
RQP/DGMMP/211/2019-24

Syed Iqtadar Tanweer

Place: Bhopal

Date:

(RQP No: RQP/DGMJMP/211/2019-24)

EMAIL: si_tanweer@yahoo.co.in, MOB: 8827951780

RQP CERTIFICATE

संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म मध्यप्रदेश

(मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम, 1996 के अंतर्गत)
खनन योजना / खनन स्कीम / पूर्वेक्षण रिपोर्ट / पर्यावरण प्रबंधन योजना / माईन क्लोजर प्लान बनाने हेतु मान्यता प्राप्त योग्य व्यक्ति

प्रमाण पत्र

श्री सैयद इक्तेदार तनवीर, पिता स्व. डॉ. कासिम नयाजी, पता जी–3, बालाजी, ब्राईट कालोनी, ईदगाह हिल्स, भोपाल, मध्यप्रदेश, जिनकी फोटो तथा हस्ताक्षर अभिप्रमाणित है, को मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम 1996 के अंतर्गत खनन योजना / खनन स्कीम / पूर्वेक्षण रिपोर्ट / पर्यावरण प्रबंधन योजना / माईन क्लोजर प्लान तैयार करने हेतु योग्य व्यक्ति के रूप में मान्यता प्रदान करते हुए पंजीयन क्रमांक **RQP/DGMMP/211/2019** आवंटित किया जाता है।

यह मान्यता प्रमाण पत्र 05 वर्ष की अवधि के लिये दिनांक **04.08.2024** तक वैध रहेगा।

मान्यता प्राप्त व्यक्ति के हस्ताक्षर –

भोपाल, दिनांक 05.08.2019

संचालक
भौमिकी तथा खनिकर्म
मध्यप्रदेश भोपाल

CONTENTS

1. INTRODUCTION 4

1.1 GENERAL INFORMATION 5
1.2 AREA DETAIL & APPROACHABILITY 6

2. LANDUSE / INFRASTRUCTURE 7

2.1 PRESENT LAND USE STATUS: 7
2.2 INFRASTRUCTURE 7

3. TOPOGRAPHY AND GEOLOGICAL DETAILS 9

3.1 TOPOGRAPHY 9
3.2 REGIONAL GEOLOGICAL DETAILS: 9
3.3 REGIONAL GEOLOGICAL SETUP/SEQUENCE: 10
3.4 LOCAL GEOLOGICAL DETAILS: 11
3.5 EXTENT OF RIVER BED & ALLUVIAL SAND DEPOSIT: 12
3.6 PROSPECTING AND EXPLORATION DONE: 12

4. ESTIMATION OF RESERVES: 14

5. DEVELOPMENT AND PRODUCTION PROGRAM 17

5.1 PROPOSED METHOD OF QUARRYING: 17
5.2 MECHANIZATION: 19
5.3 BLASTING: 19
5.4 LOADING AND TRANSPORTATION OF SAND: 20
5.5 MANPOWER DEPLOYMENT: 20
5.6 PROPOSED YEARLY PRODUCTION PROGRAM 21
5.7 MINE LIFE: 21
5.8 USE OF MINERAL: 21

6. CONCEPTUAL PLAN 22

7. ENVIRONMENTAL MANAGEMENT PLAN 23

7.1 AIR QUALITY MANAGEMENT: 23
7.2 WATER MANAGEMENT: 23
7.3 NOISE MANAGEMENT: 24
7.4 WASTE MANAGEMENT: 24
7.5 BIOLOGICAL ENVIRONMENT 24

SYED IQTADAR TANWEER
RQP/DGMMP/211/2019-24

CONSENT LETTER

Revised Mining Plan of Banspur/Shivsagar/Gaunapur Sand Mine, spread over the villages of Banspur, Shivsagar and Gaunapur (24.97 ha) has been prepared by RQP Shri Syed Iqtadar Tanweer (RQP No DGMMP/211/2019-24) under Madhya Pradesh Minor Mineral Rules, 1996 for approval. The lease hold area is located in Villages- Banspur, Shivsagar and Gaunapur, Tehsils – Ghodadongri/Shahpur, District - Betul, MP, covering an area of 24.97 hectares.

The Director Geology and Mining, Madhya Pradesh, competent Authority is hereby requested to make further correspondence regarding this Mining Plan with the person and address mentioned below-

SYED IATADAR TANWEER
Recognized Qualified Person (RQP NO: RQP/DGMMP/211/2019-24)

G-3 Balaji, Bright Colony, Idgah Hills,

Bhopal
(M.P.)
Email: si_tanweer@yahoo.co.in

Mob: 8827951780

An undertaking in this regard is being submitted that the Mining Plan so prepared by the recognized person is with my knowledge and consent and shall be acceptable to me in all respects. I have clearly understood the contents of the Mining Plan and agree to implement.

Place: Betul

Date:

J. Ranjabandhari

M/s National Energy Trading and Services Ltd.

Address: Plot No 7, Bindu Sadan, 401 Sai Chandra Colony, Green Space Tulasi, Puppalguda, Manikonda, Hyderabad, Telangana State, India

CERTIFICAE FOR FULL CONSULTATION

This is to certify that Revised Mining Plan of Banspur/Shivsagar/Gaunapur Sand Mine spread over the villages of Banspur, Shivsagar and Gaunapur of the applicant M/s National Energy Trading and Services Ltd., Villages- Banspur, Shivsagar and Gaunapur, Tehsils – Ghodadongri/Shahpur, District - Betul of Madhya Pradesh State covering lease hold area 24.97 hectares has been prepared by RQP Shri Syed Iqtadar Tanweer (RQP No: RQP/DGMJMP/211/2019-24), in full consultation with me and I have understood its contents and agree to implement the same in accordance with the law.

Place: Betul

Date:

J. Priya Bandhana

M/s National Energy Trading and Services Ltd.

Address: Plot No 7, Bindu Sadan, 401 Sai Chandra Colony, Green Space Tulasi, Puppalguda, Manikonda, Hyderabad, Telangana State, India

EMAIL: si_tanweer@yahoo.co.in, MOB: 8827951780

RQP CERTIFICATE

CONTENTS

1. INTRODUCTION 4

1.1 GENERAL INFORMATION 5
1.2 AREA DETAIL & APPROACHABILITY 6

2. LANDUSE / INFRASTRUCTURE 7

2.1 PRESENT LAND USE STATUS: 7
2.2 INFRASTRUCTURE 7

3. TOPOGRAPHY AND GEOLOGICAL DETAILS 9

3.1 TOPOGRAPHY 9
3.2 REGIONAL GEOLOGICAL DETAILS: 9
3.3 REGIONAL GEOLOGICAL SETUP/SEQUENCE: 10
3.4 LOCAL GEOLOGICAL DETAILS: 11
3.5 EXTENT OF RIVER BED & ALLUVIAL SAND DEPOSIT: 12
3.6 PROSPECTING AND EXPLORATION DONE: 12

4. ESTIMATION OF RESERVES: 14

5. DEVELOPMENT AND PRODUCTION PROGRAM 17

5.1 PROPOSED METHOD OF QUARRYING: 17
5.2 MECHANIZATION: 19
5.3 BLASTING: 19
5.4 LOADING AND TRANSPORTATION OF SAND: 20
5.5 MANPOWER DEPLOYMENT: 20
5.6 PROPOSED YEARLY PRODUCTION PROGRAM 21
5.7 MINE LIFE: 21
5.8 USE OF MINERAL: 21

6. CONCEPTUAL PLAN 22

7. ENVIRONMENTAL MANAGEMENT PLAN 23

7.1 AIR QUALITY MANAGEMENT: 23
7.2 WATER MANAGEMENT: 23
7.3 NOISE MANAGEMENT: 24
7.4 WASTE MANAGEMENT: 24
7.5 BIOLOGICAL ENVIRONMENT 24

SYED IQTADAR TANWEER
RQP/DGMMP/211/2019-24

7.6 DISPOSAL OF MINING MACHINERIES:.....24
7.7 SAFETY AND SECURITY:.....25
7.8 DISASTER MANAGEMENT:.....25
7.9 CARE DURING TEMPORARY DISCONTINUANCE:.....25
7.10 ECONOMIC REPERCUSSION OF CLOSURE & MAN POWER RETRENCHMENT.....25
7.11 STATUS OF LOCAL EMPLOYEES:.....26
7.12 COMPENSATIONS:.....26
7.13 RECLAMATION & REHABILITATION:.....26
7.14 DISTANCE FROM THE NEAREST BRIDGE/DAM:.....26
7.15 SOCIO – ECONOMIC ENVIRONMENT:.....27
7.16 PLANTATION (AFORESTATION PROGRAM):.....27
8. PROGRESSIVE MINE CLOSUR PLAN 28
9. SAND REPLENISHMENT ASSESSMENT 29
9.1 NEGATIVE IMPACTS:.....29
9.2 POSITIVE IMPACTS:.....29
9.3 NEED FOR SAND REPLENISHMENT STUDY AND FACTORS TO BE CONSIDERED AND OBSERVED:.....29
9.3.1 WATER LEVEL DURING LEAN PERIOD:.....30
9.3.2 CATCHMENT AREA.....31
9.3.3 ORIGIN OF RIVER:.....31
9.3.4 DISTANCE OF TRAVELLING OF LOAD:.....31
9.3.5 SLOPE / GRADIENT / ELEVATION DIFFERENCE:.....31
9.3.6 GEOLOGY / LITHO UNITS:.....31
9.3.7 CLIMATIC CONDITIONS:.....31
9.3.8 TRIBUTARIES / CONFLUNCE:.....31
9.3.9 TYPE/STAGE OF RIVER AND FLOW VELOCITY:.....32
9.3.10 STRUCTURES:.....32
9.4 CONCLUSION:.....32

SYED IQTADAR TANWEER
RQP/DGMMP/211/2019-24

FIGURES

KEY PLAN

GOOGLE IMAGE

KHASRA MAP

PLATE 1- SURFACE PLAN AND GEOLOGICAL PLAN

PLATE 2- YEARWISE DEVELOPMENT PLAN AND SECTION

PLATE 3- ENVIRONMNETAL PLAN

PLATE4- YEARLY MONSOON WISE PLATE AND SECTION

ANNEXURES

SANCTION ORDER COPY

RQP CERTIFICATE

SYED IQTADAR TANWEER
RQP/DGMMP/211/2019-24

1. INTRODUCTION

The demand for ordinary natural river sand is enormously increased in building construction and infrastructural developments. The natural sand is started vanishing from the river beds besides causing natural and environmental hazards in surrounding areas due to illegal and unscientific mining without proper mining plan. Therefore, the government of India announced sand policy by fixing responsibility on related departments mainly Mines & Geology and Ministry of Environment and Forest (Pollution control boards). Accordingly, the Govt. of Madhya Pradesh formulated a natural sand policy to meet the sand demand in the state by undertaking systematic & scientific mining and protection of environment and by maintaining eco-balance in the surrounding areas by following the Govt. of India guidelines.

Based on the Government of India guidelines, this quarry plan is prepared for the proper development of mine area with safe quarrying operation. It also provides guidance and directives to be followed during the quarrying operation under the rules and regulations as imposed by the Government.

Mine has been allotted to National Energy Trading and Services Ltd., Address: Plot No 7, Bindu Sadan, 401 Sai Chandra Colony, Green Space Tulasi, Puppalguda, Manikonda, Hyderabad, Telangana State, India, over an area of 24.97 Hectares covering three villages (Gaunapur, Shivsagar and Banspur) with Khasra numbers 1, 266, 288, 1, up to 30.06.2023 (As per Order No. 1862/Sand/2022, Betul, dated 23.12.2022).

In compliance to MP Sand (Mining transportation, Storage and Trading) Rule 2019 published in Gazette notification of Government of MP dated 30-08-2019 and as per the rule 42 of MP Minor Mineral Rules 1996, this Quarry plan is being prepared and submitted for approval to the Collector [Mining] Betul MP and quarrying operation start only after obtaining the statutory permission as per rule 14.

SYED IQTADAR TANVEER
RQP/DGMMP/211/2019-24

1.1 GENERAL INFORMATION

Name of Applicant	M/s National Energy Trading and Services Ltd.
Address of Applicant	Address: Plot No 7, Bindu Sadan, 401 Sai Chandra Colony, Green Space Tulasi, Puppalguda, Manikonda, Hyderabad, Telangana State, India
Quarry Village	Banspur, Shivsagar and Gaunapur
Name of the River	Tawa River
Tehsil	Ghodadongri/Shahpur
District	Betul
State	Madhya Pradesh
Khasra Nos.	Banspur: 1, 288 Gaunapur: 266, Shivsagar: 1
Area [Hectares]	24.97
Permitted Period	Up to 30.06.2023
Whether Recorded in Forest	Not recorded in any Reserved / Protected Forest Area
Status Of Applicant	Private Individual
Mineral (S) Which Applicant Intended to Mine	Sand
Sanction order Details Order No. & Date	As per Order No. 1862/Sand/2022, Betul, dated 23.12.2022
Ownership / Occupancy	Government Land, River Bed
R.Q.P. Address & Registration details/Mobile No	SYED IQTADAR TANWEER G-3 Balaji, Bright Colony, Idgah Hills, Bhopal (M.P.) Registration No: RQP/DGMMP/211/2019-24 Mob: 8827951780

J. Priya Bandhavi
LESSEE/APPLICANT
M/s National Energy Trading and Services Ltd., Hyderabad

SYED IQTADAR TANWEER
RQP/DGMMP/211/2019-24
Syed Iqtadar Tanweer
RQP/DGMMP/211/2019-2024

1.2 AREA DETAIL & APPROACHABILITY

Details Of Sanctioned Lease Area	**Villages**	Banspur/Shivsagar/Gaunapur
	Tehsil	Ghodadongri/Shahpur
	District	Betul
	River	Tawa River
	State	Madhya Pradesh
	Khasra Nos.	Banspur: 1, 288 Gaunapur: 266, Shivsagar: 1
	Sanctioned Area	24.97 Hectares
Topo Sheet No.	55F/16	
Village Coordinates	22°09'21.25"N 77°59'41.59"E – Banspur (one of the villages in the lease)	
Site Co-ordinates **(Latitude & Longitude)**	A. 22°10'20.03"N 77°58'47.98"E B. 22°10'20.09"N 77°58'57.93"E C. 22°09'49.02"N 77°59'36.49"E D. 22°09'44.21"N 77°59'35.71"E	

Approach & Accessibility	**From Site**	**Approx. Distance**
	District Head Quarter Betul towards S	28 km
	Tehsil – Ghodadongri towards S	4 Km
	Village – Banspur - S	0.7 Km
	Nearest Railway Station Ghodadongri towards S	4 Km
	Baretha-sarni Road - S	3 Km
	Health Centre (Village Banspur)	0.7 Km
	Nearest Bridge Towards E	0.25 Km
	Monuments / Places of Social importance	None Nearby
	National Parks	Not within 10 Km
	Reserve Forest	Not within 250 m

2. LANDUSE / INFRASTRUCTURE

2.1 PRESENT LAND USE STATUS:

Sand Mining lease has been sanctioned for a period of up to 30.06.2023 over an area of 24.97 Hectares on a River Bed for quarrying and transportation of sand. Quarrying & related activities shall be carried out from the top surface level. Present land use status of the sanctioned area is as under:

Total Lease Area	**24.97 Ha**	**2,49,700 M^2**
Barrier Zone / Safety Strip	11,650 M^2	
Area under water/ Non-Mining Area	78,200 M^2	
Available Working Area	**1,59,850 M^2**	
Allowable actual Working Area (equal to or less than 60% of total lease area)	**1,49,820 M^2**	

2.2 INFRASTRUCTURE

- **Power Supply** - Electrical Power is not available; Shall be arranged from the nearby supply line if required with proper NOC from concerning Department.

- **Communication & Transport** - Site is well connected with District Headquarter and other towns by road. Buses and private taxis are frequently available from district and Tehsil headquarters up to the village. Quarry site is approachable from village by private means.

- **Land** -Quarry lease area situated on river bed and is a non-forest government land.

- **Water Supply** - Dug wells and bore wells available in the vicinity to meet the requirement of drinking water. Water is potable & hygienic as no adverse effects noticed in habitants of nearby area.

- **School Facilities** - School facilities for primary education are available in all the three village Panchayats; Middle school or higher studies are present in District Headquarter Betul and Tehsil Ghodadongri.

- **Man Power** - Mine workers shall be arranged from nearby villages therefore no constraint regarding availability of manpower in the area.

There are no places of national and social importance exist within the radius of 500 m of mine site.

3. TOPOGRAPHY AND GEOLOGICAL DETAILS

3.1 TOPOGRAPHY

The lease area falls in a River Bed. Since, the sand area falling partly at the non-active river bed, the general surface level of the lease area is undulating with negligible thorny bushes/shrubs and comparatively lower than the surroundings. The surface level of the mine lease is around 373-375 MSL. The drainage direction is towards northwest in the lease area.

Topography of the area has been derived due to alluvial deposition on the flood plains of Narmada River and its Rivulets. General slope of the lease area is from southeast to northwest. The drainage pattern in the area is dendritic.

3.2 REGIONAL GEOLOGICAL DETAILS:

The district has four district physiographic division viz (i) Satpura plateau in Tawa and Bhadanga valleys (ii) The Satpura plateau in central and (iii) southern part of the district (iv) and Tapti valley. The whole district lies on Satpura plateau at an elevation of 365m above mean sea level. The general elevation is about 609m at Kilendeo form the highest peak in the northern and central parts of the district. Tawa valleys lies at elevation of 396m amsl between peaks of Kilandeo and Bhogwangar, the general scope of the valley is towards the North West.

3.3 REGIONAL GEOLOGICAL SETUP/SEQUENCE:

Age	Lithounits	Rock types
Quaternary		Soil and alluvium
----------Unconformity----------		
U. Cretaceous to Eocene	Deccan Trap	Non-porphyritic and porphyritic basalt
----------Unconformity----------		
U. Cretaceous	Lameta	Sandstone, shales and limestone
----------Disconformity----------		
U. Cretaceous	Upper Gondwana	Sandstone, siltstone, conglomerate and clay
----------Unconformity----------		
Archaean		Quarzo-feldspathic gneiss with dolerite intrusions

Archaeans

The crystalline metamorphic and igneous rocks cover approximately 20% of the total district area. The igneous rocks are intensive granite and pegmatite veins intending the metamorphic rocks. Quartz pegmatite views are common features and occurs as broad dykes and thin strings. The ground basins are conterminous with surface drainage sub basin thus ground water flow system is of local types where end system has its recharge area at topographic low. The Archaeans are mainly occupying the Betul, Chichab, Multai and Amla blocks. These rocks do not have primary porosity and hydraulic conductivity. The weathered part of the crystalline rocks is called saprolite, which is of particular interest from the point of view of storage zone for ground water and as an aquifer for open well and shallow tube wells. The thickness of this zones in the entire district area ranges from 2.5 to 30.00 m. in this formation, aquifers also occurs where bed rock and quartz pegmatite intensive vein are jointed and fractures.

The yield depends upon saturated thickness of the weathered mantle and fracture pattern of the rocks.

Gondwana

The Gondwana rocks are comprising succession of sand stone, shales with seems of coal lying over the metamorphic rocks of crystalline Archaean system with a district unconformity. The beds of Gondwana rocks are distributed in patches and lie in a liner trend coinciding almost with the present river valleys. There rocks show considerable faulting. The Talchir beds consisting of sandstone and green clays with boulders contain plant fossils. There are bounded by faults. The west and north west of Betul, there are out of Gondwana rocks which separates decant traps from Archaeans rocks. Barkars of Gondwana group contains coal seams.

Deccan Traps

Deccan traps comprising varies types of basaltic lava flows and most extensive rocks in the district. There rocks occupying in Betul, Multai, Bhimpura, Chicholi, Bhainsdehi, Atner and Prabkat pattam blocks. The base of the flow consists of a porons layers of earthy basalt which passes rapidly into the main body. Of flow consisting of great thickness of hard basalt. Generally, the Deccan trap in the area occurs in the form of fractures, weathered and vesicular basalts.

3.4 LOCAL GEOLOGICAL DETAILS:

The top layer of applied area forms a part of stream bed covered mainly with sand deposits with rare colluvial material belonging to recent river alluvium up to 4.0 m. Quarrying will be concentrated up to 3.0 m only for extraction of sand. However, it is found that minimum 4m thick sand deposit is available throughout the lease within the top most layer of recent alluvium. This top sandy layer is underlain by laterite followed by Deccan trap.

Altitude of the area- Average elevation of the area is- 374 m

High flood Level (HFL) – 376 m

Low flood Level (LFL) – 373 m

Surface and geological map with cross section of the area on 1: 2000 scale with suitable contour intervals showing general topography and geology has been enclosed.

3.5 EXTENT OF RIVER BED & ALLUVIAL SAND DEPOSIT:

The sand quarry lease area is elongated along the course of the river with an orientation of SE to NW and lies on a wide meander. The deposit of sand is available on full width and length of the lease.

The sediment in the form of river bed material i.e., sand has deposited in the last many years as a process of sedimentation in the paleochannels. Sand bars have been formed at various places hindering the flow of water and excess deposition has changed the shape of the river bed. Because of this, during monsoon season, the water may rise above the high flood level causing heavy and devastating floods. Such disasters may damage large tracts of land laying on both banks of the river especially the agricultural lands.

Accumulation of the sand deposit on the river bed is annual process. It is replenishable due to sediment inflow during floods in rainy season. Thickness of river bed where sand deposited every year varies but excavation of sand is permitted up to 3 m depth or up to top level of water table whichever is less. The summer water table goes down to 4 m below surface. Hence sand can easily be extracted up to 3 m depth in dry season.

3.6 PROSPECTING AND EXPLORATION DONE:

This is the revised mining plan and mining lease has already been excavated in the past. Based on post monsoon yearly survey by local mining officer and observations conducted by lessee, sand deposit in the lease has completely been replenished and average thickness of sand deposition within the sand accumulated area is observed to be > 3.0 m in proposed sand bed and considered for estimating the reserves.

Since sand exposed all over within the sand accumulated area of the lease and depth is proved, therefore, future prospecting has not proposed in the area. However, a

survey likely to be conducted by local mining officer to ascertain the depth of sand accumulation during post monsoon every year.

4. ESTIMATION OF RESERVES:

The applied sand lease area is about 0.7 Km north from village Banspur and located in the river bed of Tawa that flows from southeast to northwest.

In order to estimate the reserves, DGPS survey has been carried out to define the topography, contours and offsets of the lease area. Khasra map has been considered as base map to demarcate the mine lease boundary. The shape and size of the mine lease has been fixed as per the sanctioned demarcated Khasra map of the lease area by DGPS survey.

The area has been fully demarcated with respect to geographical coordinates and surface reduced level taken at every point of cluster. To describe the elevation in detail, 0.5m contour interval has been picked for the preparation of surface plan and cross section which includes collection of surface reduced level in an interval of 0.5m for reserve estimation. The maximum elevation observed to be 405m from MSL and whereas minimum elevation recorded to be 403m MSL with the lease area.

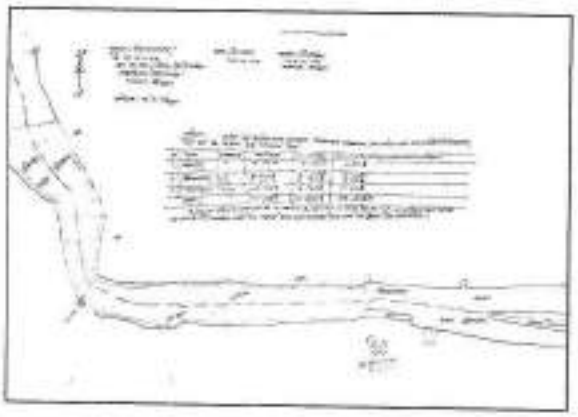

Sanctioned demarcated area (Khasra)

Demarcated area on Google Image

Very gently sloping or almost flat topography of the lease is the main reason for having sufficient quantity of sand available for removal. In addition, the location of applied lease lies on a meander making it suitable for sand deposition, therefore good deposit of sand is available on full width and length of the lease.

As per the Point (r) page 24 of Guidelines of Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining, Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MOEF & CC)

January 2020 **"River bed sand mining shall be restricted within the central 3/4th width of the river/rivulet or 7.5 meters (inward) from banks but up to 10% of the width of the river"**

The mineral sand is exposed in full width and length of the lease and follows very gently sloping topography.

This is the revised mining plan and mining lease has already been excavated in the past. Based on post monsoon yearly survey by local mining officer and observations conducted by lessee, sand deposit in the lease has completely been replenished and average thickness of sand deposition within the sand accumulated area is observed to be > 3.0 m in proposed sand bed and considered for estimating the reserves.

Since sand exposed all over within the sand accumulated area of the lease and depth is proved, therefore, future prospecting has not proposed in the area. However, a survey likely to be conducted by local mining officer to ascertain the depth of sand accumulation during post monsoon every year.

Specifications considered for the estimation are as under:

Area specification	Values
Sanctioned lease area	24.97 hac or 2,49,700 M^2
Area submerged in water/Non mining	78,200 M^2
Area under Barrier / Safety zone within sand accumulated area	11,650 M^2
Available Mineable area where sand has been deposited/accumulated is more than 60% of total lease area of 2,49,700 M^2	**1,59,850 M^2** (Total lease area – non mining area - barrier zone) (2,49,700 M^2 -78,200 M^2 – 11,650 M^2 = 1,59,850 M^2)
But Point (r) page 24 of Guidelines of Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining, Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MOEF & CC) January 2020 says that Maximum allowable mineable area cannot be more than 60% of total lease area of 2,49,700 M^2 which is **1,49,820 M^2** (60% of total lease area)	**1,49,820 M^2**

As the extractable area 1,49,820 M^2 is gently sloping, hence the volumetric method adopted for reserve estimation.

The thickness of sand is mo... m. The water level fluctuates from 3-4m during post-monsoon to pre-monsoon (October to June). However maximum of 1.10 m depth of sand deposit has been considered for estimation.

Reserve calculation of the given area is detailed as under:

Area [M^2] X Depth [m] = Volume [M^3]

Total available sand - 1,49,820 M^2 x 3 m (Max Thickness) = 4,49,460 m^3

Total mineable sand - 1,49,820 M^2 x 1.10 m (Average Thickness) =1,64,802 m^3 or 1,63,350m^3

Total mineable reserve estimated to be 1,63,350 M^3

The safety/environmental and replenishment factors have been considered and only 60% of lease area is taken as sand extractable area for reserve estimation.

APPROVED

COLLECTOR
BETUL

SYED IQTADAR TANWEER
RQP/DGMMP/211/2019-24

5. DEVELOPMENT AND PRODUCTION PROGRAM

5.1 PROPOSED METHOD OF QUARRYING:

The mining operation will be carried out by semi mechanized method and all the related activities shall strictly be done according to the M.M.R 1991 rule without blasting
As per the Sustainable Sand Mining Management Guidelines 16, there are total 5 extractions methods and are follows as;

a) Bar scalping and skimming is extraction of sand and gravel from the surface of bars. This method generally requires that surface irregularities be smoothed out and that the extracted material be limited to what could be taken above an imagery line sloping upwards and away from the water from a specified level above the river water level at the time of extraction (typically 0.3-0.6m). Bar scalping is commonly repeated year after year. To maintain the hydraulic control provided to upstream by the Riffle head., the preferred method of bar scalping is now generally to leave the top 1/3rd (approximately) of the bar undisturbed, mining only from the downstream 2/3rd.

b) Dry-Pit Channel Mining

Dry-Pit channel mining is the method where pits excavated within the active channel on dry intermittent or ephemeral stream beds. Dry pits are often left with abrupt upstream margins, from which head cuts likely to propagate upstream.

c) Wet-Pit Channel Method

It involves excavation of a pit in the active channel below the surface water in a perennial stream or below the alluvial groundwater table.

d) Bar Excavation

A pit is excavated at the downstream end of the bar as a source of aggregate and as a site to trap sand and gravel. Upon completion, the pit may be connected to the channel at its downstream end to provide side channel habitat.

e) Channel – wide River bed Mining

In rivers with a highly variable flow regime, sand and gravel are commonly extracted across the entire active channel during the dry season. The bed is flattened and uniformly (or nearly so) lowered.

As per the Sustainable Sand Mining Management Guidelines 2016, there are 5 extraction method as mentioned above in total out of which 'Channel-wide River bed Mining' method shall be adopted with respect to type of river bed deposition. Mining shall be done in layers of 1 meter depth to avoid ponding effect and after first layer is excavated, the process will be repeated for the next layers.

Previous year water level regime monitoring season of river bed is observed. The water level fluctuation in the river bed is from 0.0-3.0. It means the water level about 0.0m to 1.0m describes a monsoon season (July-September) where water covers the whole riverbed and flows almost uniformly throughout the river course. In case of river sand bed of about 2m water level define the post monsoon season (October to December) in which water level drops and part of river bed exposed/ dried in certain part of river channel or sand mine spot due to difference in contour elevation as well as replenished sand. In case of river having about 3.0 m water level describes pre-monsoon season (from March to mid of June).

During post monsoon (October to February) mining will be carried out in layers of 1-meter depth for maintaining the river bed water level regime (Plate 4).

During pre-monsoon (March to June) mining will be carried out in 2nd layers of 1 meter depth after completion of 1st layer for maintaining the river bed water level regime (Plate 4).

No bench can be maintained in river sand hence bench wise mining cannot be proposed.

Due to continues accumulation of sand in the area during rainy season, there will not be much depletion in the reserve of sand, hence reserve is likely to be remain same every

year and in future also. The Lease period has been sanctioned up to 30.06.2023, accordingly three years production plan can be envied as below:

Semi-mechanised method of quarrying shall be undertaken during quarrying operation and all the related activities shall strictly be followed according to M.M.R 1991 rule without blasting and drilling.

Mining operation shall be based upon Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining, Ministry of Environment, Forest and Climate change January, 2020.

Quarrying progression will be from southeast to northwest, whereas mine face will be west to east. However, mine facing may be adjusted based on best environment friendly practices.

5.2 MECHANIZATION:

An open cast quarrying by semi mechanized method will be adopted for extraction of ordinary sand, keeping the productivity and safety in mind.
Semi mechanized quarry operation shall be done by utilizing JCB, hand Shovel, spade, crow bars, water tanker etc. will be required to deploy for mining works, Dumpers will be required for loading and transportation purpose.

JCB	1 No
Dumper	23 No. (Capacity- 12 m3)
Water tanker	1 No.

5.3 BLASTING:

Not applicable.

5.4 LOADING AND TRANSPORTATION OF SAND:

Dumpers / tipper shall be used for transportation purpose.

For transporting the sand from lease area to the bank and for further destinations (end users/market), following estimation has been followed.

Yearly Production	1,63,350 m^3
Daily Production Assuming 240 working days leaving rainy season	681 m^3/day
Capacity of Dumper	12m^3
One dumper can carry (as a safety measure)	10m^3
Total number of trips required	68
Total Dumper Required (capacity 10 m^3)	23

The above per day calculations are for reference purpose only. The removal of sand shall be done as per demand and these figures may change drastically but within the limit of yearly production of 1,63,350 M^3.

5.5 MANPOWER DEPLOYMENT:

Required number of man power/labor is easily available from the surrounding villages. Requirement of manpower depends on the production and taking into account an average rate of annual production of 1,63,350 m^3 and assuming 240 working days per year, around 681 m^3 of proposed production to be achieved per day.

Keeping an average output per man per shift about 8 m^3 (OMS), then around 85 persons shall be required in the mine site

Considering a presence of site foreman is important and a manager, a total of 86-87 persons shall be required to manage the mining operation.

Number of shifts proposed for per day is one shift / day. Depending upon the demand of sand, working time may be adjusted following the rules and making proper arrangements in place.

5.6 PROPOSED YEARLY PRODUCTION PRO

Due to continues accumulation of sand in the area during rainy ...here will not be much depletion in the reserve of sand, hence reserve is likely to ... same every year and in future also. The Lease period of 3 years has taken as per the provisions of rule 9 of Madhya Pradesh Sand (Mining, Transportation, Storage and Trading) Rule, 2019. Accordingly, three years production plan can be envied.

It is to be noted that applied lease area has been sanctioned up to 30.06.2023 only, therefore 1st year production has been provided in the table below. However, if lease extended for two more years, then the same quantity, i.e., 1,63,350 M^3 per year can be extracted for another two years.

Years	Available Extractable Mining Area M^2 (60% of Lease Area)	Depth M	R O M M^3	Waste M^3 (10%)	Maximum proposed sand Production M^3
1st Year	1,49,820	1.10	1,63,350	Nil	1,63,350

APPROVED

COLLECTOR
BETUL

5.7 MINE LIFE:

Mine has been sanctioned for the excavation of sand until 30.06.2023. Quarry lease may further be allotted to some other agency in future.

This is a river bed quarrying case, every year after monsoon, the sand deposit gets replenished and is available for ensuing years: hence river bed deposit has no fixed mine life.

5.8 USE OF MINERAL:

Sand so extracted from the mine lease, will be sold locally as building material. It is usually mixed with cement and other ingredients to create mortar for building. It is also used in brick manufacturing industries.

6. CONCEPTUAL PLAN

Mine applied lease spread over a total area of 2,49,700 m^2, covering three villages. Though sand thickness found to be more than 3m but for ease of operation, actual digging depth restricted up to 1.10 m only. However, pits generated by quarrying will be replenished during rainy season. Quarrying will be worked systematically as the width is smaller than its length. As the lease period has been sanctioned until 30.06.2023, some of the area will be left un-worked at the end of lease period.

During plan period workings will be carried out in one stretch at a time. Scattered workings will ensure safety, remove congestion and will have better control and management.

Bank side natural slope will not be disturbed. This will prevent collapse of bank and erosion.

There will be no soil or OB removal during the plan period. Therefore, no proposal has been envisaged for its separate dumping. No outside material will be filled up in the extracted zone.

7. ENVIRONMENTAL MANAGEMENT PLAN

7.1 AIR QUALITY MANAGEMENT:

Dust during quarrying, fumes and exhaust emission due to transportation of vehicles are the main causes of air pollution.

Personal Protection Equipment's (PPE) like dust masks, ear plugs etc. will be provided to mine workers

It can be effectively controlled by regular water sprinkling on roads.

Mineral carrying vehicles should be covered with tarpaulin and shall not be over loaded.

Proper maintenance of transport vehicles and PUC certification will minimize the exhaust emission. Adequate plantation will also support to maintain air quality.

7.2 WATER MANAGEMENT:

Sand quarrying activities will have an impact upon the river's water quality. Impacts include increased short-term turbidity at the mining site due to re suspension of sediment, and dumping of excess mining materials, oil spills or leakage from transportation vehicles and washing of vehicles in the river.

Increased riverbed and bank erosion increases suspended solids in the water at the excavation site. Suspended solids may adversely affect water towards downstream and aquatic ecosystems.

The impact is particularly significant if water toward downstream of the site being abstracted for domestic and irrigation purposes etc.

Quarrying is avoided during the monsoon season and at the time of floods. This will help in replenishment of sand in the river bed.

Quarrying below subterranean water level will be avoided as safe guard against environmental contamination and over exploitation of resources.

River stream will not be diverted to form inactive channels.

Meandering segment of river would be selected for mining in such a way to avoid natural eroding banks and to promote mining on naturally building meander components.

Utmost care will be taken to avoid the used of fuel leaking vehicles for sand transportation

The washing of trucks in the river will be avoided.

7.3 NOISE MANAGEMENT:

In manually operated sand mine, noise is generally created by transportation of vehicles.

Onsite and offsite noise management are:

Plantation of trees along the river bank and transport route beyond the bank shall be undertaken to dampen the noise, if possible.

The vehicles shall be maintained in good running condition so that noise will be reduced to minimum possible level.

Awareness will be imparted prior to quarrying operations that smoke silencers remain in a good condition and not to generate noise.

Unnecessary use of horns by the drivers of the vehicles shall be avoided at village areas.

7.4 WASTE MANAGEMENT:

There is no top soil expected to be produced in the plan period. No other waste anticipated to be generated hence waste disposal arrangement is not required.

7.5 BIOLOGICAL ENVIRONMENT

The proposed quarrying will be undertaken from the dry bed of the river on a small scale, therefore unlikely to impact the aquatic environment or any fauna or floral environment.

7.6 DISPOSAL OF MINING MACHINERIES:

No disposal of machineries would take place onsite and hand tools, tractors, dumpers will be deployed on hire basis.

7.7 SAFETY AND SECURITY:

Prior to mining, short awareness/training program will be conducted for site staff to make them aware regarding safety aspects and environment friendly work practices.

First aid kit and anti-venom injection for snake/insect bite shall be provided at mine site.

If some causality or injury to animal occurs, it will be informed to forest department and proper treatment will be given.

No lighting will be allowed in the area.

No tree cutting, chopping, lumbering, uprooting of shrubs and herbs will be allowed.

No track or new road for movement of site workers or vehicles be laid in adjoining area, this will prevent fragmentation, encroachment and human verses animal encounter.

Corridor for movement of wild mammals (If exists) will be avoided for mining/transport purposes

If wild animals are noticed crossing the river bed, they will not be disturbed or chased away, instead the workers will move away from their path.

7.8 DISASTER MANAGEMENT:

Nature of mining method is very simple and high-risk accidents are not anticipated. In case of natural disaster, lessee will take assistance from local government officials.

7.9 CARE DURING TEMPORARY DISCONTINUANCE:

No major quarrying machineries will be deployed as mining shall be undertaken manually. Most of the tools/equipment shall be on hire basis, in such cases, care will be taken as per the terms and conditions of contract. During temporary discontinuance, a watchman should be present to look after the mine site.

7.10 ECONOMIC REPERCUSSION OF CLOSURE & MAN POWER RETRENCHMENT

This quarry lease sanctioned for defined time period, most of the facilities and man power will be deployed on hire basis and in such case, care will be taken as per terms and conditions of contract.

7.11 STATUS OF LOCAL EMPLOYEES:

Local residents will be proposed to employ from the nearby areas which already have their own traditional and family occupation like agriculture, fisheries and other sundry jobs. During monsoon and some other season or at the end of mine period they can easily join their respective employments.

7.12 COMPENSATIONS:

Retrenchment compensation to the employees as and when required will be done as per Government Labor legislation.

7.13 RECLAMATION & REHABILITATION:

The applied area comprises mainly sand, and negligible quantity of coarser material. The proposed area is the zone of active erosion during high flood time, otherwise it is a zone of deposition between two stream flows. So, no manual reclamation is needed. It is expected that the reclamation of the affected area will be automatically done by filling with sand flow in the rainy season depending on the amount of rain fall received by the area and the rate of river flow.

There is no human settlement within the quarry area. No human settlement will be disturbed due to the Quarrying activity. So, no rehabilitation and resettlement are proposed.

7.14 DISTANCE FROM THE NEAREST BRIDGE/DAM:

There is a bridge located around 0.25 km E, upstream of the lease and constructed on Tawa River. However, none is located within mine lease area.

7.15 SOCIO – ECONOMIC ENVIRONMENT:

There will be positive effect to some extent on socio – economic environment of the area as quarrying activity will create new job opportunities for the local people, which ultimately improve their financial status.

7.16 PLANTATION (AFORESTATION PROGRAM):

The implementation for development of green belt will be of paramount importance as it will not only add up as an aesthetic feature, but also act as a pollution control tool.

The species to be grown in the area should be dust tolerant and fast growing so that permanent green belt is created.

In order to stabilize the river bank erosion, the plants having good growth will be planted along the river bank. Trees may also be grown along approach roach to the village and along village road as well as in the village as feasible in consultation with local gram panchayat, DFO and other stake holders.

Lease area is 2,49,700 M^2 and as per latest guidelines, total trees to be planted @1500 trees per hectare, i.e., a total of 37,455 trees shall be planted in within the lease period.

Total no. of trees to be Planted: - 37,455			
Phase	Name of Tree	No. of Plants to be Planted	Location
Within lease period	Pipal, Munga, Kathal, Bargad, Jamun, Neem, Arjun, Kadam Belpatra, Mango	37,455	Bank of the river – 8,000 nos Gaunapur, Shivsagar, Banspur and surrounding villages – 29,455 Suitable available nearby government land or along the road in consultation with local Gram Panchayats, DFO and other stake holders

8. PROGRESSIVE MINE CLOSUR PLAN

This is a sanctioned quarry which may again be sanctioned after its expiry on 30.06.2023. The actual working area (sand accumulated area) within the proposed area is the zone of active erosion during high flood time, otherwise it is a zone of deposition and mined out areas may or may not be automatically replenished with sand flow in the rainy season each year, hence progressive plan is not envisaged.

Statutory Obligations: No statutory obligations imposed till now; routine legislative conditions will apply as mentioned in approval letter.

9. SAND REPLENISHMENT ASSESSMENT

Sand quarrying from river bed will cause degradation of land use pattern and damage to the environment. Over exploitation of sand from river bed will definitely affects adversely on the surrounding environmental status. Deposition of sand is a continuous natural process, but the over drafting will never be permitted to ensure the balance between exploitation and replenishment potential of river sand.

Sand quarrying from river bed will have both positive and negative impacts;

9.1 NEGATIVE IMPACTS:

It includes destruction of natural river course, bank erosion, bank cutting and widening and deepening of river bed. Change in hydrological status and recharging conditions. Disturbance to closely linked flora, fauna and aquatic life.

9.2 POSITIVE IMPACTS:

Employment and socio-economic status of the habitants living besides the river depends on sand mining industries. Construction of concrete infrastructures, roads and some other related activities depends on the river bed sand. Continuous accumulation of sand ultimately leads to the reduction in water carrying capacity of the river leading excessive flood in the river. Sustainable extraction of sand from river will lead to overcome the problem.

9.3 NEED FOR SAND REPLENISHMENT STUDY AND FACTORS TO BE CONSIDERED AND OBSERVED:

Environmental status of the mined-out area may be affected badly if proper care is not taken to ensure sustainable extraction of sand from river bed. Proper study of the following factors must be taken into consideration to reveal the actual potential of sand deposition in river course after completion of periodical excavation annually. The main factors required to be considered for the study of the replenishment potential of particular river course are:

Formation of sand comprises of the following;

Catchment area and geological strata,

Erosion, weathering

Climatic conditions, Precipitation

Geomorphology, Physiographic Manmade structures and activities details .

Geological formations Refer to Chapter 3.

Deposition/sedimentation of material or sediment yield depends upon several factors like;

-Catchment area

-Span of river / flood plain

-Travelling distance of suspended particles

-Slope / gradient / depth of water channel / meandering of river

- Geology traversed

- Climatic conditions

-Tributaries / Confluence

- Type / stage of river and flow velocity

-Occurrence of natural and manmade structures.

-Flow during lean period.

9.3.1 WATER LEVEL DURING LEAN PERIOD:

River course at area under consideration attains youth stage, flow velocity is moderate, turbulence occurred due to meanders created due to lineaments. Elevation of both the banks are within the range of 2.5 to 3.5m above river bed. After monsoon river flows in full swing covering both the banks. During monsoon floods the water level rises by 2 to 3 m High flood level of river goes up to 376 m in due course of time after monsoon water channel level goes down gradually, during lean period water level maintained at 373-374 m.

9.3.2 CATCHMENT AREA

The Tawa River basin comprises an area of about 1,620 Km^2. The south-eastern boundary is marked by low-lying hills and or high grounds. The basin area is highly undulating with isolated hills and plains. The ground elevation ranges between 373 m and 752 m. above MSL. The ground slopes from southeast to northwest.

9.3.3 ORIGIN OF RIVER:

The Tawa River flows from southeast to northwest into Narmada and it is one of the largest tributaries of Narmada. The origin of the river is near the hills of Markadhana, Madhya Pradesh at an elevation of 752 m.

9.3.4 DISTANCE OF TRAVELLING OF LOAD:

Tawa River course is around 62.5 km approx. from the origin to mine site.

9.3.5 SLOPE / GRADIENT / ELEVATION DIFFERENCE:

The highest elevation of **Tawa River** at the origin is around 752 m and the elevation at mine site is 373 m above msl. There is an elevation difference of around 379 m.

9.3.6 GEOLOGY / LITHO UNITS:

River originates mainly from Deccan Trap rock formations and further continues over the same rock formations with other formations in parts.

9.3.7 CLIMATIC CONDITIONS:

Climate of the district is tropical with moderate winter and severe summers and well distributed rainfall received from southwest monsoon. However due to higher general elevation and abundance of forests, summer temperature does not rise as much as in other areas. The normal annual rainfall of Betul district is 1129.6mm.

9.3.8 TRIBUTARIES / CONFLUNCE:

Several other small seasonal streamlets (Nallas) join this tributary resulting in the increase of its overall catchment area. However, no nallas join this river near the site.

9.3.9 TYPE/STAGE OF RIVER AND FLOW VELOCITY:

River attains mature stage at the mine site. Flow velocity is low to moderate. Lease area lies on a wide meander making it suitable for sand deposition.

9.3.10 STRUCTURES:

From our study no major structures have been observed in the river course near the site. There is a bridge located around 0.25 km E, upstream of the lease and constructed on Tawa River. However, none is located within mine lease area.

9.4 CONCLUSION:

In Betul district, Tawa River basin where lease area is located comprises an area of about 1,620 Km^2. The south-eastern boundary is marked by low-lying hills and or high grounds. The basin area is highly undulating with isolated hills and plains. The ground elevation ranges between 373 m and 752 m. above MSL. The ground slopes from southeast to northwest.

The Average rainfall of Betul district is 1129.6mm. The district receives high rainfall mostly during July to September which will be leads to the deposition of the sufficient quantity of the sand every year within the old working area.

Dandy Bolton Formula has category stated use of the equation to predict sediment yield for a specific location would not be always correct because of the wide variability caused by local factors not considered in the equation development. Actual sediment yield from individual drainage basins may vary 10-fold or even 100-fold computed yields.

Looking at the basic information available about the concerning river basin, it is concluded that proposed quantity of 1,63,350 cubic meter per year can be excavated from the quarrying site and the replenishment of the same will be done easily as regular annual process following the topographical control.

Total replenished quantity of sand available each year within the lease hold area will be:

Total Leasehold area -24.97 ha

Total sand available -24.97 x10000x3 (max thickness) = 7,49,100 m^3

Taken all safety measured and environment concerns, only 14.982 ha leasehold area (60% of lease area) is available for mining.

Total sand available -1,49,820 M^2 x 3 m (Max Thickness) = 4,49,460 m^3

Total mineable sand - 1,49,820 M^2 x 1.10 m (Average Thickness) =1,64,802 m^3 or 1,63,350 m^3

Thus, from measured sand reserve of about 4,49,460 cubic meters, only 1,63,350 cubic meters sand per year will be extracted.

Out of the above annual replenishment, it is proposed to mine only 1,63,350 cubic meters up to a maximum depth of 1.10 m.

Thus, there will be no long – term impact on the riverbed which will have surplus sand left after extraction of the proposed amount each year and PP will be extracting less than 50 % of the annual replenished sand within its lease hold.

Above estimation is based upon existing site conditions. Next year estimation shall be worked out after monsoon using volumetric methods. In the applied area, replenishment depends upon the yearly rainfall, if adequate amount of sand will not replenish during monsoon, then excavation of sand will be limited to the quantity which will be equivalent to the replenished material up to a maximum depth of 3m only.

PLAN PREPARED FOR -

M/s National Energy Trading and Services Ltd.

Address: Address: Plot No 7, Bindu Sadan, 401 Sai Chandra Colony, Green Space Tulasi, Puppalguda, Manikonda, Hyderabad,
Telangana State, India

PLAN PREPARED BY RQP -

SYED IQTADAR TANWEER
G-3 Balaji, Bright Colony, Idgah Hills,
Bhopal (M.P.)
Registration No: RQP/DGMMP/211/2019-24

SYED IQTADAR TANWEER
RQP/DGMMP/211/2019-24

LESSEE/APPLICANT
M/s National Energy Trading and Services Ltd.,*Hyderabad

Syed Iqtadar Tanweer
RQP/DGMMP/211/2019-2024

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला–बैतूल (म.प्र.)

प्रारूप–तीन

(नियम 11(3) एवं 11(5) देखिए)

आशय–पत्र

क्रमांक/रेत/2022/1862 बैतूल, दिनांक 23/12/2022

प्रति,

मेसर्स नेशनल एनर्जी ट्रेडिंग एण्ड सर्विसेज लिमिटेड
पता–प्लॉट न. 7, बिन्दु सदन, 401 सांई चंद्र कॉलोनी,
ग्रीन स्पेस तुलसी, पुप्पलगुडा, मणिकोंडा, हैदराबाद,
रंगारेड्डी, तेलंगाना–500089

विषय :– ई–निविदा क्रमांक 1691 दिनांक 17.11.2022 के संदर्भ में ग्राम **(सूची अनुसार)** तहसील **(सूची अनुसार)** जिला **बैतूल** रकबा **(सूची अनुसार)** हेक्टेयर क्षेत्र की खदान समूह क्रमांक **(संपूर्ण बैतूल जिला)** रेत खदानों हेतु आशय–पत्र।

——00——

1. **पृष्ठभूमि :**

1.1 मध्यप्रदेश रेत (खनन, परिवहन, भण्डारण एवं व्यापार) नियम 2019 (यथा संशोधित) के अनुसरण में कलेक्टर जिला बैतूल द्वारा मध्यप्रदेश के जिला बैतूल स्थित समूह खदान के समूह क्रमांक **(संपूर्ण बैतूल जिला)** हेतु रेत की समूह खदानों के प्रदान के लिए निविदा प्रक्रिया को प्रारंभ करने के लिए ई–निविदा सूचना दिनांक **17.11.2022** जारी की गई। ई–निविदा प्रक्रिया उक्त नियमों के नियम 8 के अनुसार उक्त रेत समूह आबंटन हेतु संचालित की जाकर मेसर्स **नेशनल एनर्जी ट्रेडिंग एण्ड सर्विसेज लिमिटेड** को उक्त नियमों के नियम 8(8) के अधीन उच्चतम सफल निविदाकार के रूप में घोषित किया गया है।

1.2 उक्त नियमों के नियम 11 के अधीन तथा उक्त समूह खदान के लिए निविदा दस्तावेज के अधीन अपेक्षित किए गए अनुसार मेसर्स **नेशनल एनर्जी ट्रेडिंग एण्ड सर्विसेज लिमिटेड** ने प्ररक्षित मूल्य के 25 प्रतिशत राशि रकम रूपये **5,85,53,288/–(पांच करोड़ पच्यासी लाख तिरेपन हजार दो सौ अट्ठासी रूपये)** अग्रिम धन (ईएमडी) के रूप में एम.पी. टेंडर के माध्यम से जो दिनांक **02.12.2022** को जमा कर दी है तथा जो दिनांक 23/12/2022 को संचालक के पूल खाते में प्राप्त हुई है।

2. **परिणामस्वरूप आशय पत्र जारी किया जाना :**

उक्त नियमों के नियम 11(3) एवं 11(5) के अनुसरण में समूह क्रमांक **(संपूर्ण बैतूल जिला)** मेसर्स **नेशनल एनर्जी ट्रेडिंग एण्ड सर्विसेज लिमिटेड** के पक्ष में 30 जून 2023 अवधि हेतु रेत खनिज की खदानों के समूह के लिए ग्राम **(सूची अनुसार)** जिला **बैतूल** में रकबा **(सूची अनुसार)** (हेक्टेयर) क्षेत्र के लिए यह आशय पत्र जारी किया जाता है।

3. शर्त :

3.1 यह आशय पत्र तथा इसके पूर्वोक्त खदान समूह का अनुवर्ती आबंटन इन नियमों के समय–समय पर यथा संशोधित उपबंधों के अध्यधीन होगा तथा मेसर्स **नेशनल एनर्जी ट्रेडिंग एण्ड सर्विसेज लिमिटेड** को "उच्चतम सफल निविदाकार" के रूप में घोषित किया जाता है तथा इन नियमों के अधीन समस्त अपेक्षाओं की संतोषजनक पूर्ति पर पश्चातवर्ती रूप से आबंटित खदान समूह का आबंटन किया जाएगा।

3.2 संदर्भ हेतु मेसर्स **नेशनल एनर्जी ट्रेडिंग एण्ड सर्विसेज लिमिटेड** के "उच्चतम सफल निविदाकार" के रूप में घोषित किए जाने तथा समूह खदानों के पश्चातवर्ती आबंटन है, के लिए अपेक्षाओं को नीचे दोहराया गया है। यह स्पष्ट किया जाता है कि अधोवर्णित अपेक्षाएं मात्र संदर्भ के लिए है तथा उक्त नियमों में किसी परिवर्तन की स्थिति में, यथास्थिति, संशोधित नियमों के अधीन अपेक्षाएं लागू होंगी।

(क) **"उच्चतम सफल निविदाकार" के रूप में घोषणा :–**

मेसर्स **नेशनल एनर्जी ट्रेडिंग एण्ड सर्विसेज लिमिटेड** को "उच्चतम सफल निविदाकार" मान्य किया जावेगा, बशर्ते :–

(एक) नियमों के निबंधनों तथा शर्तों का अनुपालन किया गया हो;

(दो) नियमानुसार वार्षिक ठेका राशि की 50 प्रतिशत रकम का भुगतान कर दिया गया हो;

(तीन) उक्त नियमों के नियम 12 के उप नियम (1) से उप नियम (6) में विनिर्दिष्ट खनन योजना एवं अन्य कानूनी अनुपालनों के संबंध में शर्तों को पूरा किया गया हो।

(ख) **ठेका अनुबंध का निष्पादन :–**

समस्त कानूनी अनुज्ञाओं, अनुमोदन, अनुज्ञा, अनापत्ति एवं सदृश, जो कि खनन संक्रिया प्रारंभ करने के लिए प्रयोज्य विधियों के अधीन अपेक्षित हो, प्राप्त करने के उपरांत मेसर्स **नेशनल एनर्जी ट्रेडिंग एण्ड सर्विसेज लिमिटेड** एवं बैतूल जिले के कलेक्टर के साथ प्रारूप 5 में पृथक–पृथक खदानवार ठेका अनुबंध का निष्पादन कराया जायेगा। अनुबंध निष्पादन की औपचारिकताऐं पूर्ण होने पर ठेका अनुबंध का भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का क्रमांक 16) के उपबंधों के अधीन पंजीयन कराया जायेगा।

(ग) **समूह खदानों की खनन संक्रिया :–**

अनुबंध निष्पादन के पश्चात मेसर्स **नेशनल एनर्जी ट्रेडिंग एण्ड सर्विसेज लिमिटेड** किश्तों का नियमित रूप से भुगतान करेंगें तथा नियमित खनन संक्रियायें जारी रखेंगें।

विधिमान्य है। समय–सीमा के भीतर समस्त शर्तों की पूर्ति की जानी चाहिए एवं मेसर्स **नेशनल एनर्जी ट्रेडिंग एण्ड सर्विसेज लिमिटेड** एवं बैतूल जिले के कलेक्टर के मध्य ठेका अनुबंध निष्पादित किया जाना चाहिए। उच्चतम सफल निविदाकार के नियंत्रण से परे किन्हीं कारणों से ठेका अनुबंध के निष्पादन में विलंब होने की स्थिति में, समय–सीमा में वृद्धि करने के लिए वह कलेक्टर को आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकेगा। उपरोक्त समस्त अथवा किन्हीं शर्तों के अनुपालन के लिए कलेक्टर अधिकतम 10 दिवस की अवधि बढ़ा सकेगा।

निविदाकार कम्पनी की ओर से प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षर उपरांत उक्त आशय पत्र की द्वितीय प्रति 07 दिवस की अवधि के भीतर अधोहस्ताक्षरी को स्वीकार्य पावती के रूप में वापस करने योग्य होगी।

संलग्न– **समूह की खदानों का विवरण एवं राशि की जानकारी।**

कलेक्टर
जिला–बैतूल (म.प्र.)

पृ0क्रमांक/रेत/2022/1862
बैतूल, दिनांक 23/12/2022

प्रतिलिपि :–

1– प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2– प्रमुख सचिव, नगरीय प्रशासन एवं पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3– सदस्य सचिव, सिया पर्यावास परिसर ई–5 अरेरा कालोनी, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4– कार्यपालक संचालक, दि मध्य प्रदेश स्टेट माईनिग कार्पोरेशन लिमिटेड भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5– संचालक, संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, 29–ए अरेरा हिल्स, म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ।
6– क्षेत्रीय अधिकारी, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड छिन्दवाड़ा की ओर सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित।
7– अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) समस्त जिला बैतूल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
8– तहसीलदार तहसील समस्त जिला बैतूल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
9– खनि निरीक्षक जिला बैतूल की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।

कलेक्टर
जिला–बैतूल (म.प्र.)

ई–निविदा में सम्मिलित खदानों एवं राशि का विवरण

जिला – बैतूल

क्र.	जिला	तहसील	ग्राम	खसरा क्रमांक	रकबा हेक्टेयर में	रेत का अनुमानित भण्डार (घनमीटर में)	अनुमानित दर का मूल्य (रूपये 250 प्रति घनमीटर + अन्य कर अतिरिक्त)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	लोनिया	179	1.115	25000	
2	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	फुलबेरिया	407	2.500	12750	
3	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	झाड़कुण्ड	1	0.950	7200	
4	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	घिसली आमढाना	219, 341	7.730	50000	
5	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	घोड़ाडोंगरी	373, 1395	7.000	20663	
6	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	आमढाना रैयत	248,141, 130	6.090	35700	
7	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	गांधीग्राम	2	0.550	13500	
8	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	नादू	91	2.900	22500	
9	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	बाकुड़	35	2.700	21875	
10	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	बरेलीपार/ घोड़ाडोंगरी	63	0.360	9000	
11	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	कचलोरा–1	67	0.100	2000	
12	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	कचलोरा–2	98	0.170	3570	
13	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	कचलोरा–3	69	0.340	9500	
14	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	आमढाना रैयत–1	79	0.350	8050	
15	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	आमढाना रैयत–2	175	0.340	6120	
16	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	आमढाना रैयत–3	178	0.620	13750	23,42,13,150/-
17	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	झोली–1	99	5.000	26000	
18	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	झोली–2	10	4.000	12000	
19	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	सातलदेही	187, 251	8.000	38500	
20	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	धरमपुर	309	6.000	7500	
21	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	बटकीढोह	112, 349	1.000	15000	
22	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	विष्णुपुर	1	2.000	30000	
23	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	घिचडोल रैयत	30	8.000	25000	
24	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	कटंगी	148	0.621	4000	
25	बैतूल	बैतूल	डहरगांव/भयावाड़ी	68, 260	6.250	25750	
26	बैतूल	बैतूल	कोदारोटी	106	5.450	7200	
27	बैतूल	बैतूल	कुम्हारिया	1	0.700	10800	
28	बैतूल	बैतूल	भीलाबाड़ी	97	0.800	9100	
29	बैतूल	बैतूल	माथनी	78	0.860	9450	
30	बैतूल	आमला	सोनतलाई	1	9.330	9000	
31	बैतूल	आमला	बारछी	434, 308	5.520	10300	
32	बैतूल	आमला	जम्बाड़ा (बुजुर्ग)	217	0.700	2304	
33	बैतूल	भैंसदेही	रातामाटी	1	2.550	36000	

		शाहपुर				
35	बैतूल	घोड़ाडोंगरी / शाहपुर	बांसपुर / शिवसागर / गौनापुर	1, 1, 288, 266	24.970	272250
36	बैतूल	शाहपुर	गुवाड़ी	19	2.500	70200
37	बैतूल	शाहपुर	शाहपुर / पलौवापुरा	1, 112	11.000	198000
38	बैतूल	शाहपुर	सिलवाझिरी	1	0.700	5625
39	बैतूल	चिचोली	सांगवानी	20	5.080	30064
40	बैतूल	चिचोली	हरन्या	1 , 9	5.590	44000
41	बैतूल	चिचोली	खपरिया	18	3.000	32500
42	बैतूल	चिचोली	बल्लोर	162	3.000	35000
43	बैतूल	शाहपुर	टागनामाल	209	4.000	42000
44	बैतूल	शाहपुर	धामन्या	1	5.000	38000
45	बैतूल	शाहपुर	बिखली रैयत	316	4.000	18000
46	बैतूल	शाहपुर	तेन्दूखेड़ा	119,114	5.000	22500
47	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	सिवनपाट	142	0.420	4200
				योग–	188.906	1561421

1	कुल चिंहित खदाने –	47
2	कुल अनुमानित क्षेत्रफल –	188.906 हे0
3	निविदा हेतु निर्धारित खदाने –	सम्पूर्ण बैतूल जिला
4	जिला समूह हेतु बिक्री योग्य निर्धारित मात्रा (वार्षिक) घनमीटर –	936852.6 (तेईस करोड़ बयालीस लाख तेरह हजार एक सौ पचास रूपये)
5	निविदाकार मेसर्स नेशनल एनर्जी ट्रेडिंग एण्ड सर्विसेज लिमिटेड	
6	पता–प्लॉट न. 7, बिन्दु सदन, 401 साई चंद्र कॉलोनी, ग्रीन स्पेस तुलसी, पुष्पलगुडा, मणिकोंडा, हैदराबाद, रंगारेड्डी, तेलंगाना – 500089	
7	स्वीकृत ऑफर मूल्य रूपये –	**531195424.20** (तिरेपन करोड़ ग्यारह लाख पनचान्वे हजार चार सौ चौबीस रूपये बीस पैसे मात्र)
8	प्राप्त दर के अनुसार प्रति घनमीटर देय राशि (रायल्टी सहित)	**567.00** (पांच सौ सड़सठ रूपये प्रति घनमीटर)
9	जमा EMD राशि रूपये –	**58553288** (पांच करोड़ पच्यासी लाख तिरेपन हजार दो सौ अट्ठासी रूपये)
10	शेष जमा राशि रूपये (265597712.10 – 58553288) ऑफर मूल्य का 50 प्रतिशत – निविदा की ईएमडी राशि	**207044424.10** (बीस करोड़ सत्तर लाख चौव्वालीस हजार चार सौ चौबीस रूपये दस पैसे मात्र)
11	बिन्दु क्रमांक 10 की राशि जमा दिनांक एवं भुगतान विवरण –	**21.12.2022 RTGS**

नोट :–2. निविदा प्रपत्र की कंडिका– 10 (ख) –परिशिष्ट–1 में समूह में सम्मिलित समस्त रेत खदानों का विवरण, खदान का अनुमानित क्षेत्रफल एवं खदान में उपलब्ध अनुमानित मात्रा दर्शित है। ठेकेदार द्वारा जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (डी.एस.आर.) द्वारा अनुमोदित मात्रा तक ही खनन किया जा सकेगा। यह अनिवार्य नहीं होगा कि वह समूह में सम्मिलित प्रत्येक खदान की परिशिष्ट–1 में दर्शित मात्रा हेतु, वैधानिक अनुमतियाँ प्राप्त कर खदानें संचालित करें। अर्थात निविदत्त मात्रा का खनन समूह में सम्मिलित कतिपय खदानों से, वैधानिक अनुमतियों के अधीन भी किया जा सकेगा।

कलेक्टर
जिला–बैतूल (म.प्र.)

ग्राम= शिवसागर
प. ह. नं.-12
रा. नि. सं.-चोपना पोरोपेली
तहसील- शेलोपोखरी
जिला- बेंगल

ग्राम- बाँसपुर
प. ह. नं.-12

ग्राम- शीलापुर
प. ह. नं. -26
तहसील- आबुपुर

स्केल= 16" = 1 मील

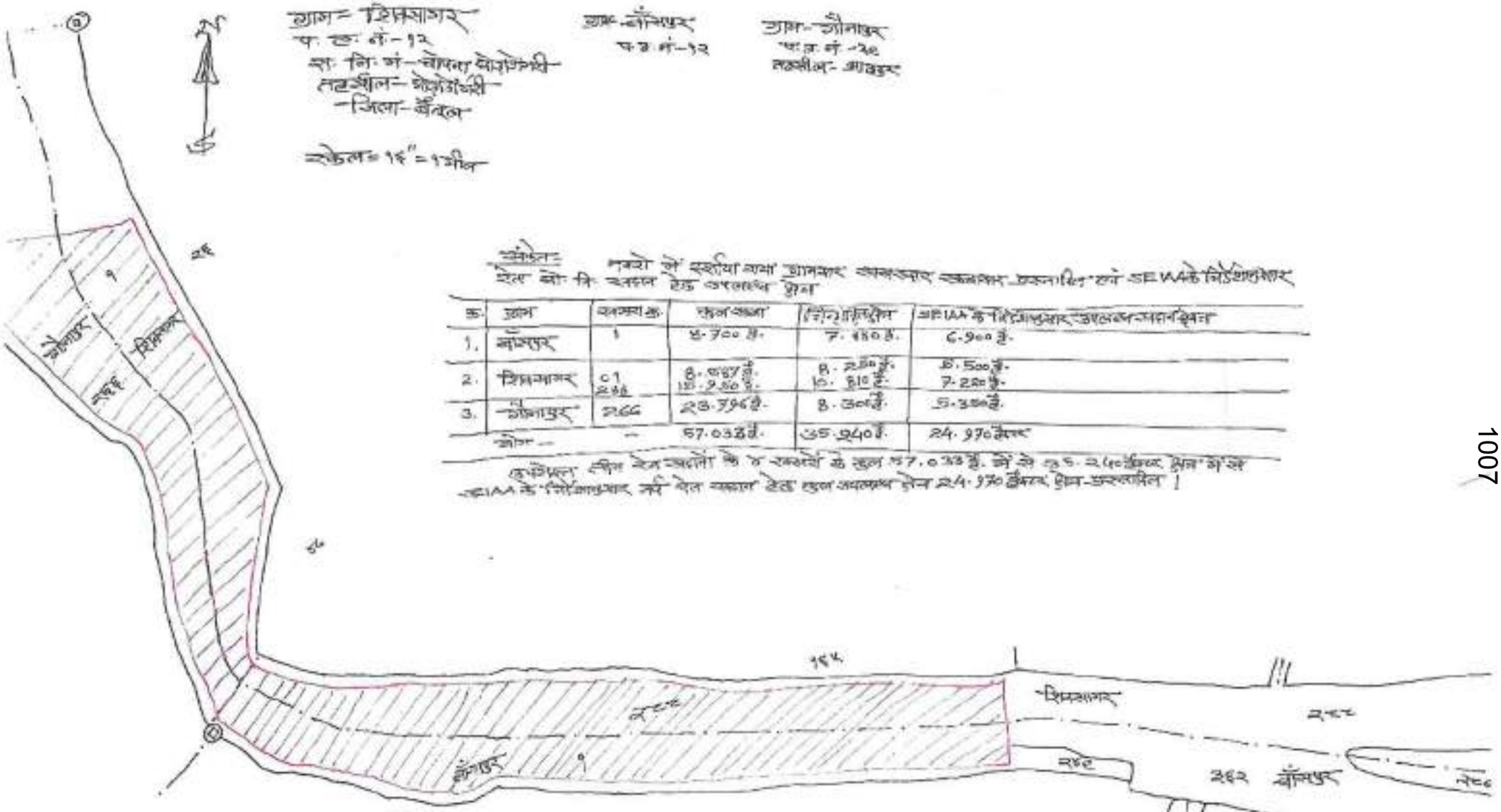

नोटिफिकेशन: नक्शे में दर्शाया गया शिवसागर ग्रामसभा क्षेत्र को कि. परिवर्तन हेतु प्रस्तावित है।

क्र.	ग्राम	खसरा क्र.	कुल रकबा	प्रस्तावित	SEIAA के निर्देशानुसार उपलब्ध भूमि
1.	बाँसपुर	1	5.700 है.	7.450 है.	6.900 है.
2.	शिवसागर	01 2/55	8.087 है. 10.950 है.	8.250 है. 10.810 है.	10.500 है. 7.250 है.
3.	शीलापुर	2/66	23.396 है.	8.000 है.	5.350 है.
जोड़	—	—	57.033 है.	35.960 है.	24.970 हेक्टेयर

प्रस्तावित क्षेत्र में 3 खसरों के कुल 57.033 है. में से 35.960 हेक्टेयर भूमि को SEIAA के निर्देशानुसार नई बेल व्यवस्था हेतु कुल उपलब्ध क्षेत्र 24.970 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध है।

1007

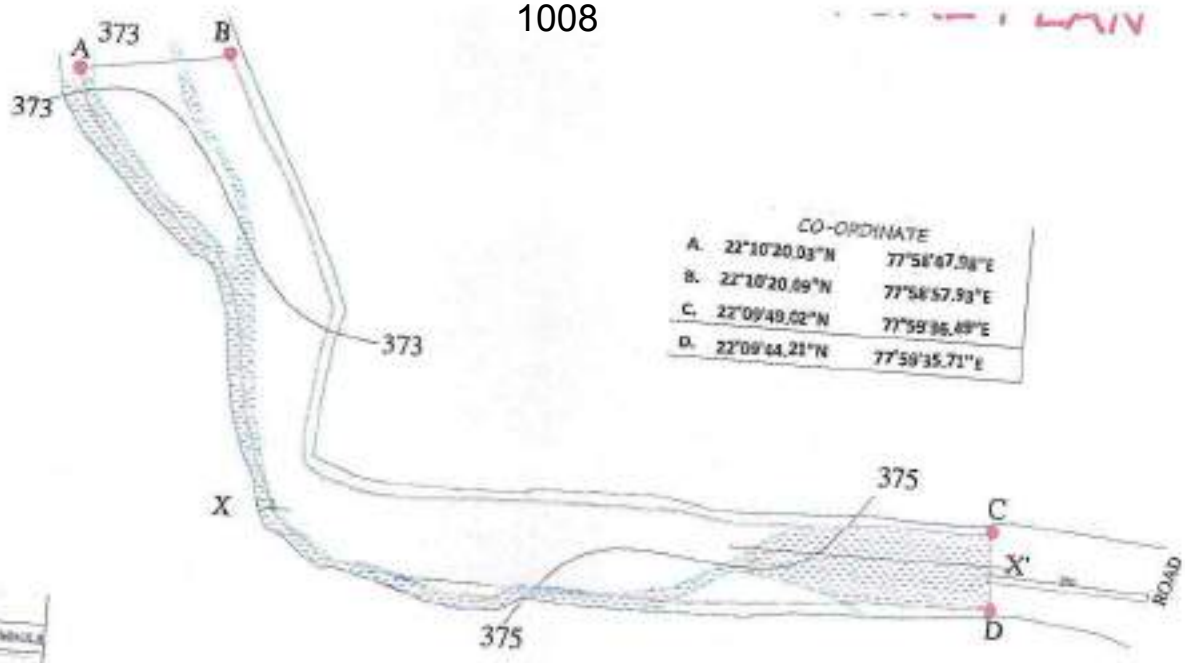

CO-ORDINATE

A.	22°10'20.03"N	77°58'47.98"E
B.	22°10'20.69"N	77°58'57.93"E
C.	22°09'49.02"N	77°59'06.69"E
D.	22°09'44.21"N	77°58'35.71"E

INDEX

	373
PROJECTION	

AREA DETAILS

QUARRY AREA - 24.97 HA.
QUARRY SURVEY NO. - 1, 266, 288
QUARRY VILLAGE-BANSPUR/SHIVSAGAR GONAPUR
TEHSIL - GHODADONGARI
DISTRICT - BETUL (M.P.)

APPLICANT:

M/s National Energy Trading and Services Limited
Address: Plot No 7, Block, Gaalaa, 401
Sai Chandra Colony, Green Space Talael,
Puppalguda, Manikonda, Hyderabad,
Telangana State, India

YEAR WISE DEVELOPMENT PLAN & SECTION

SCALE – 1: 2000

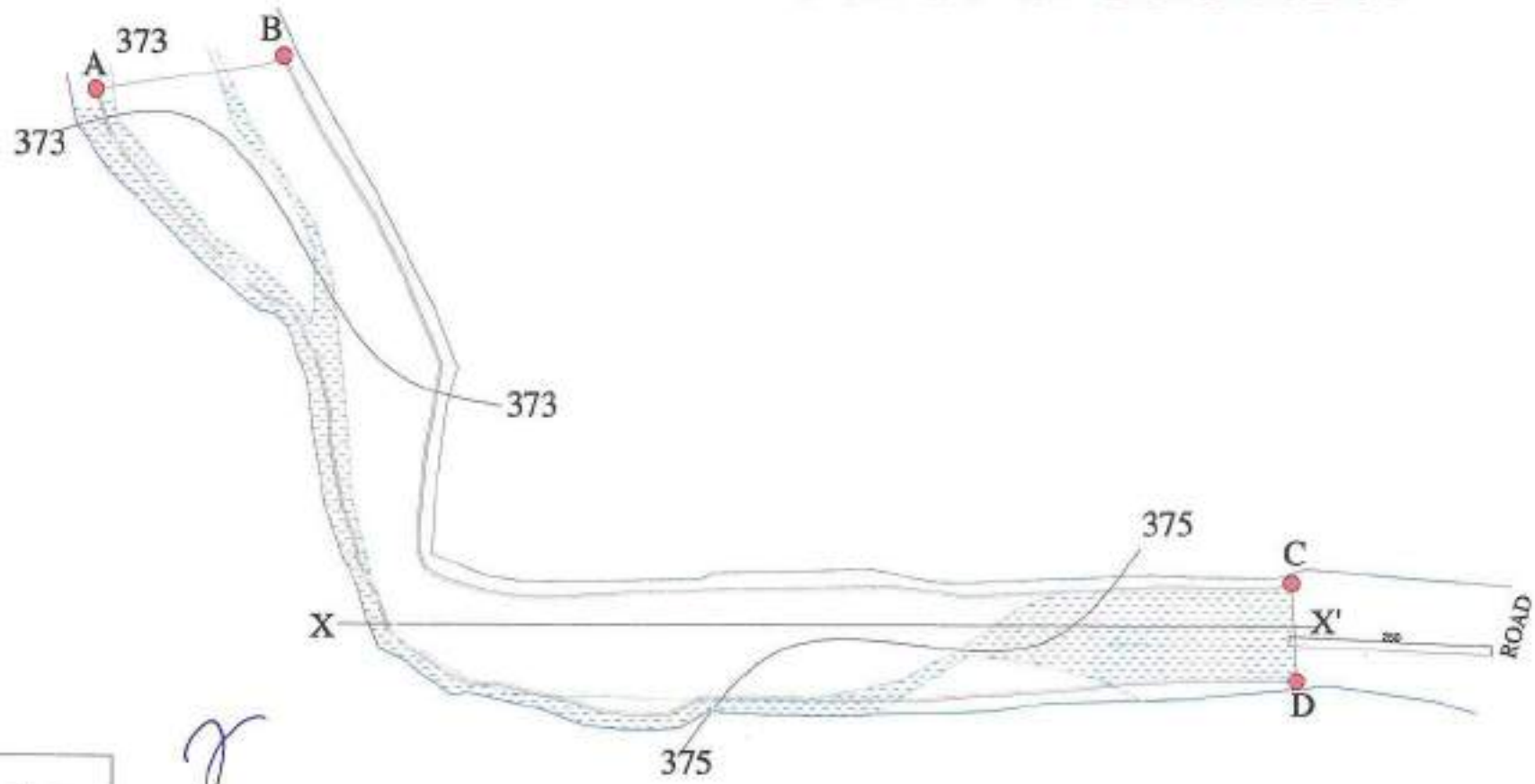

INDEX	
PARTICULARS	SYMBOLS
LEASE BOUNDARY	
RIVER BOUNDARY	
CONTOUR	373
BOUNDARY POINTS	
SECTION LINE	
SAND	
WATER	
FLOW DIRECTION	
YEAR WISE DEVELOPMENT	

SECTION X-X'

SYED IQTADAR TANWEER
RQP/DGMMP/211/2019-24

AREA DETAILS	APPLICANT:
QUARRY AREA - 24.97 HA. QUARRY SURVEY NO. - 1, 266, 288 QUARRY VILLAGE-BANSPUR/SHIVSAGAR GONAPUR TEHSIL- GHODADONGARI, DISTRICT - BETUL (M.P.)	M/s National Energy Trading and Servic Address: Plot No 7, Bindu Sadan, 401 Sai Chandra Colony, Green Space Tulasi, Puppalguda, Manikonda, Hyderabad, Telangana State, India

1009

ENVIRONMENTAL PLAN

SCALE – 1:2000

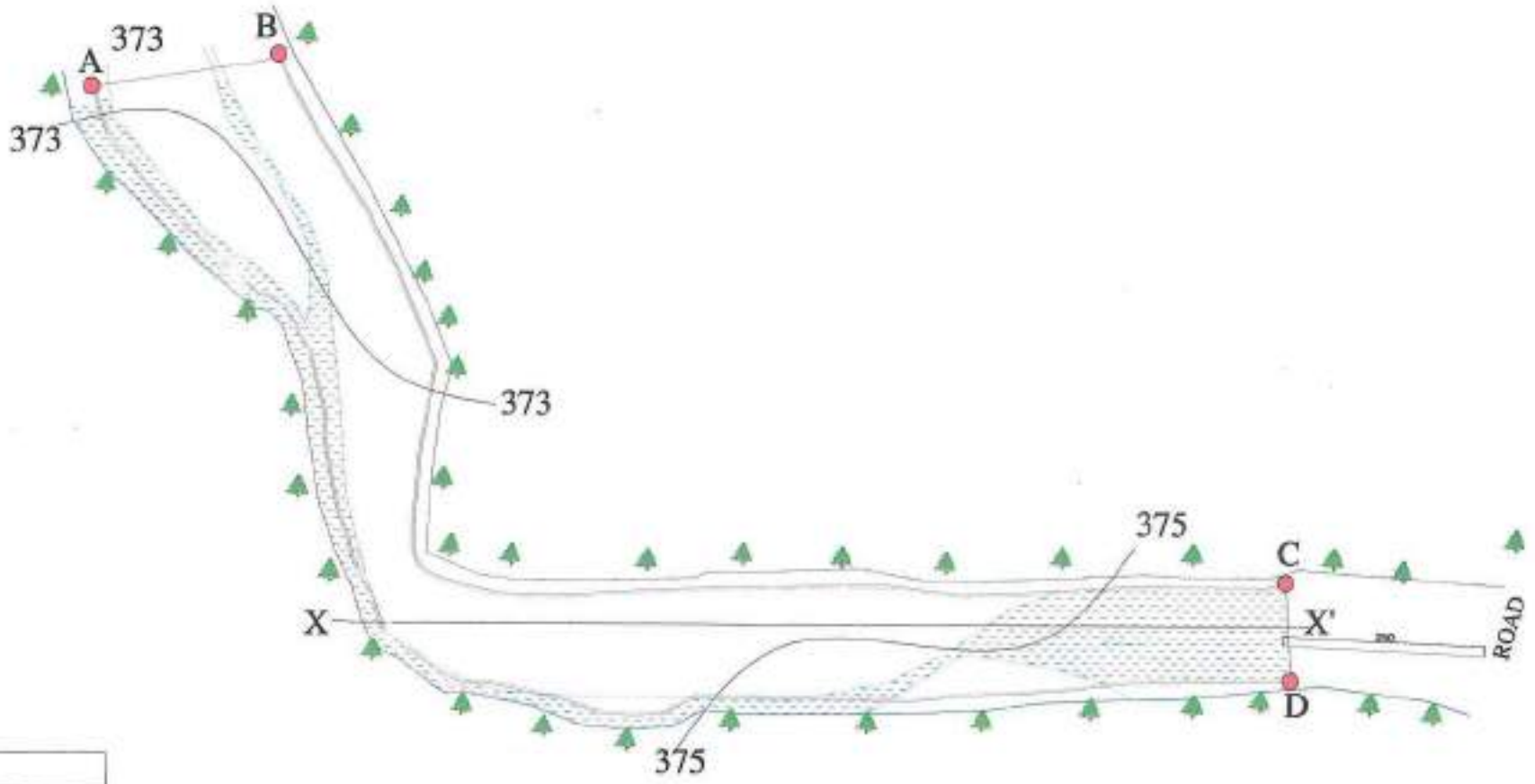

INDEX	
PARTICULARS	SYMBOLS
LEASE BOUNDARY	
RIVER BOUNDARY	
CONTOUR	373
BOUNDARY POINTS	
SECTION LINE	
SAND	
WATER	
FLOW DIRECTION	
PLANTATION	

SYED IQTADAR TANWEER
RQP/DGMMP/211/2019-24

AREA DETAILS	APPLICANT:
QUARRY AREA - 24.97 HA. QUARRY SURVEY NO. - 1, 266, 288 QUARRY VILLAGE-BANSPUR/SHIVSAGAR GONAPUR TEHSIL- GHODADONGARI, DISTRICT - BETUL (M.P.)	M/s National Energy Trading and Services Address: Plot No 7, Bindu Sadan, 401 Sai Chandra Colony, Green Space Tulasi, Puppalguda, Manikonda, Hyderabad, Telangana State, India

1010

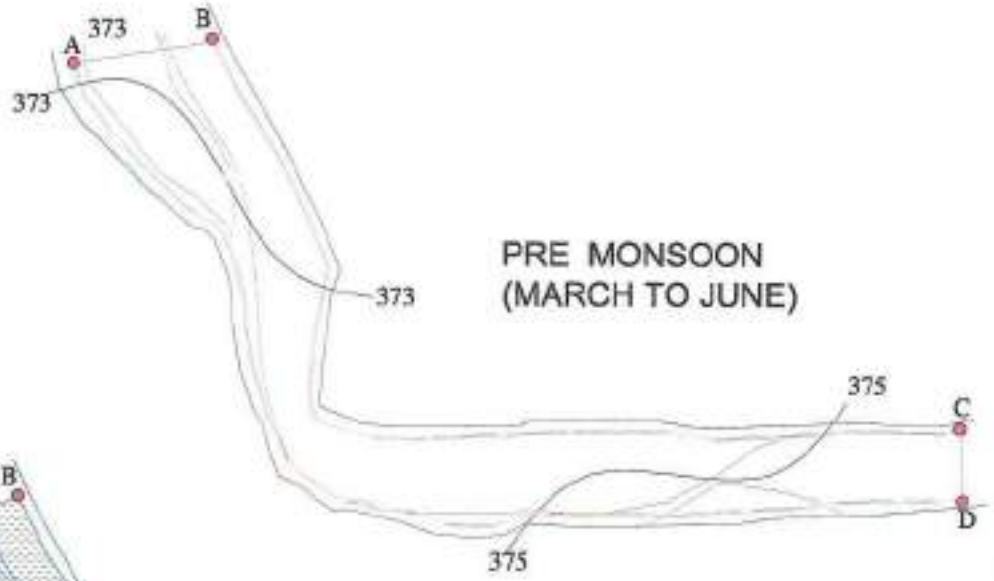

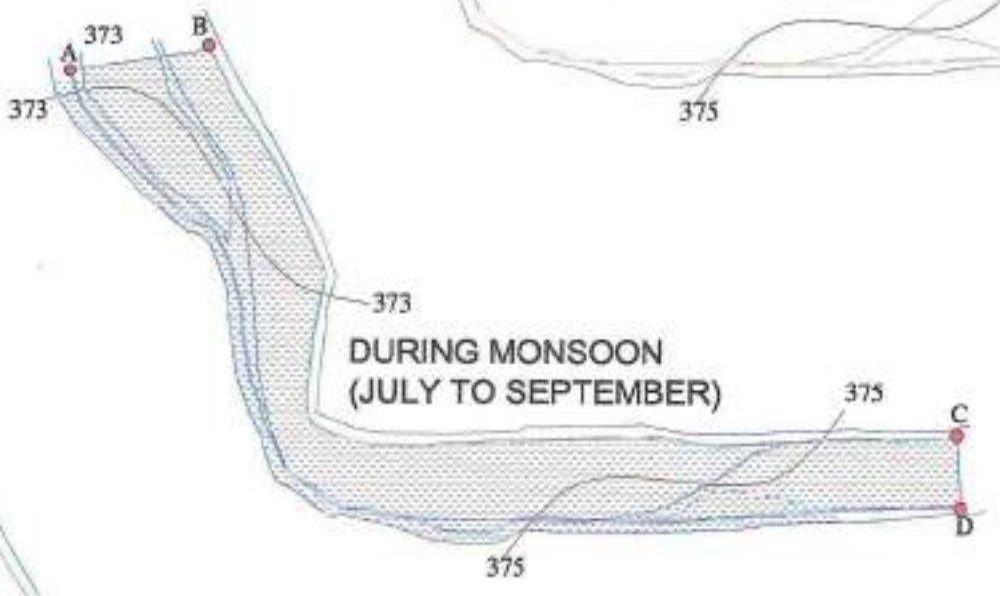

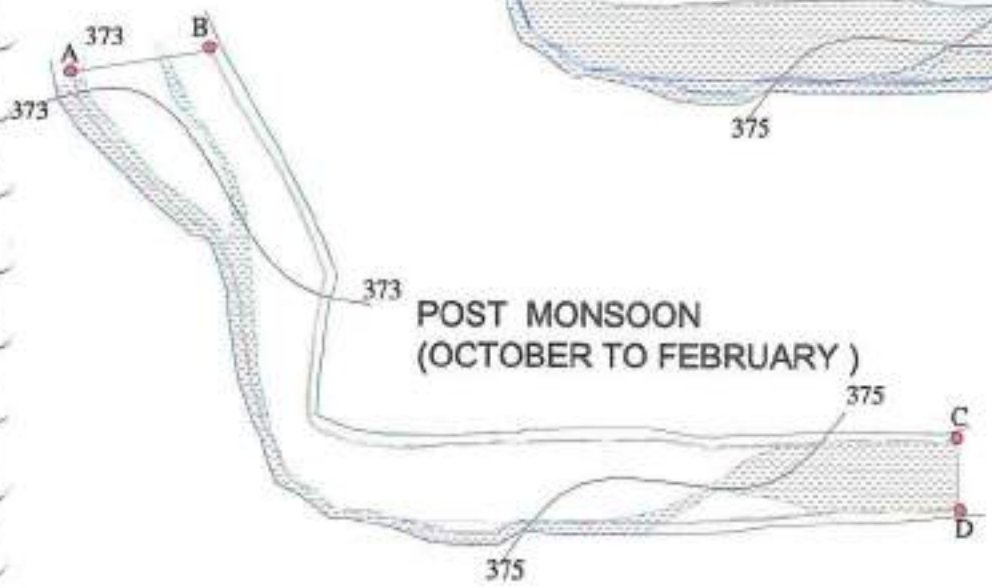

SYED IQTADAR TANWEER
RQP/DGMMP/211/2019-24

INDEX	
PARTICULARS	SYMBOLS
LEASE BOUNDARY	
RIVER BOUNDARY	
SAND	
WATER	

AREA DETAILS	APPLICANT:
QUARRY AREA - 24.97 HA. QUARRY SURVEY NO. - 1, 266, 288 QUARRY VILLAGE-BANSPUR/SHIVSAGAR GONAPUR TEHSIL- GHODADONGARI, DISTRICT - BETUL (M.P.)	M/s National Energy Trading and Services Limited Address: Plot No 7, Bindu Sadan, 401 Sai Chandra Colony, Green Space Talnet, Pappalguda, Manikonda, Hyderabad, Telangana State, India

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बैतूल

Email-modgmbet@mp.gov.in

क्रमांक / खनिज–2 / 2023 / 221. बैतूल, दिनांक 07 / 02 / 2023

प्रति,

मेसर्स नेशनल एनर्जी ट्रेडिंग एण्ड सर्विसेज लिमिटेड
पता–प्लॉट न. 7, बिन्दु सदन, 401 सांई चंद्र कॉलोनी,
ग्रीन स्पेस तुलसी, पुष्पलगुडा, मणिकोंडा, हैदराबाद,
रंगारेड्डी, तेलंगाना–500089

विषयः– रेत खनिज के सफल निविदाकार की खनन योजना का अनुमोदन करने बाबत्।
संदर्भः– आपका का पत्र क्रमांक NETS/SMD/B/22-23/015-031 दिनांक 02.01.2023

—00—

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा प्रस्तुत 17 रेत खनन योजनाओं को मध्यप्रदेश रेत (खनन, परिवहन, भण्डारण एवं व्यापार) नियम 2019 के नियम 12 (ग) के अन्तर्गत अनुमोदित किया जाता है। जिसका विवरण निम्नानुसार है:–

क्र.	तहसील	खदान का नाम	खसरा क्र.	रकबा (.हे)	माईनिंग प्लान अनुमोदित मात्रा (घ.मी.)
1	शाहपुर	शाहपुर/पतौवापुरा	1, 112	11.000	118800
2	घोडाडोंगरी	बाकुड़	35	2.700	13125
3	घोडाडोंगरी	लोनिया	179	1.115	15000
4	भैंसदेही	रातामाटी	1	2.550	21600
5	शाहपुर	सितलझिरी	1	0.700	3375
6	बैतूल	मायनी	78	0.860	5670
7	घोडाडोंगरी	कंटगी	148	0.621	2400
8	शाहपुर	गुवाडी	19	2.500	42120
9	घोडाडोंगरी	फुलबेरिया	407	2.500	7650
10	घोडाडोंगरी/ शाहपुर	बांसपुर /शिवसागर/ गौनापुर	1, 1, 288, 266	24.970	163350
11	घोडाडोंगरी	झाडकुण्ड	1	0.950	4320
12	घोडाडोंगरी	कचलोरा-1	67	0.100	1200
13	घोडाडोंगरी	कचलोरा-2	98	0.340	2142
14	घोडाडोंगरी	बरेलीपार	63	0.360	5400
15	आमला	जम्बाड़ा बुजुर्ग	217	0.700	1382
16	घोडाडोंगरी	गांधीग्राम	2	0.550	8100
17	घोडाडोंगरी	सातलदेही	187, 251	6.100	23100

उक्त खनन योजनाओं का अनुमोदन इस शर्त पर किया जाता है कि निविदाकार मध्यप्रदेश रेत (खनन, परिवहन, भण्डारण एवं व्यापार) नियम 2019 के प्रावधानों का पालन करेगा।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

कलेक्टर,
जिला–बैतूल

पृ0क्रमांक/खनिज–2/2023/221 बैतूल, दिनांक07/02/2023

प्रतिलिपि:–

1. प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, 29–ए अरेरा हिल्स, म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3. सदस्य सचिव, सिया पर्यावास परिसर ई–5 अरेरा कालोनी, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रभारी अधिकारी
(खनिज शाखा)
जिला–बैतूल

MINING PLAN

SUBMITTED AS PROVISIONS OF RULE 12 (1) MADHYA PRADESH SAND RULE 2019 (MINING, TRANSPORTATION, STORAGE AND TRADING)

SHAHPUR SAND MINE

AREA: 11.0 HECTARES, KHASRA NOs: 1, 112

VILLAGE: SHAHPUR, TEHSIL: SHAHPUR, DISTRICT: BETUL (MADHYA PRADESH)

APPLICANT

M/S NATIONAL ENERGY TRADING AND SERVICES LIMITED, PLOT NO 7, BINDU SADAN, 401 SAI CHANDRA COLONY, GREEN SPACE TULASI, PUPPALGUDA, MANIKONDA, HYDERABAD, TELANGANA STATE, INDIA

TYPE AND CATEGORY OF MINE: OPENCAST/SEMI MECHANISED

PREPARED BY

SYED IQTADAR TANWEER
G-3 BALAJI, BRIGHT COLONY, IDGAH HILLS,
BHOPAL (M.P.)
REGISTRATION NO: RQP/DGMMP/211/2019-24
EMAIL: si_tanweer@yahoo.co.in, MOB: 8827951780

SYED IQTADAR TANWEER
RQP/DGMMP/211/2019-24

APPROVED

COLLECTOR
BETUL

CONSENT LETTER

Revised Mining Plan of Shahpur Sand Mine, Village Shahpur (11.0 ha) has been prepared by RQP Shri Syed Iqtadar Tanweer (RQP No DGMMP/211/2019-24) under Madhya Pradesh Minor Mineral Rules, 1996 for approval. The lease hold area is located in Village - Shahpur, Tehsil - Shahpur, District - Betul, MP, covering an area of 11.0 hectares.

The Director Geology and Mining, Madhya Pradesh, competent Authority is hereby requested to make further correspondence regarding this Mining Plan with the person and address mentioned below-

SYED IATADAR TANWEER
Recognized Qualified Person (RQP NO: RQP/DGMMP/211/2019-24)

G-3 Balaji, Bright Colony, Idgah Hills,

Bhopal (M.P.)
Email: si_tanweer@yahoo.co.in

Mob: 8827951780

An undertaking in this regard is being submitted that the Mining Plan so prepared by the recognized person is with my knowledge and consent and shall be acceptable to me in all respects. I have clearly understood the contents of the Mining Plan and agree to implement.

Place: Betul

Date:

T. Puja Bandhavi

M/s National Energy Trading and Services Ltd.
Address: Plot No 7, Bindu Sadan, 401 Sai Chandra Colony, Green Space Tulasi, Puppalguda, Manikonda, Hyderabad, Telangana State, India

T. Puja Bandhavi

CERTIFICAE FOR FULL CONSULTATION

This is to certify that Revised Mining Plan of Shahpur Sand Mine in village Shahpur of the applicant M/s National Energy Trading and Services Ltd., Village-Shahpur, Tehsil - Shahpur, District - Betul of Madhya Pradesh State covering lease hold area 11.0 hectares has been prepared by RQP Shri Syed Iqtadar Tanweer (RQP No: RQP/DGMJMP/211/2019-24), in full consultation with me and I have understood its contents and agree to implement the same in accordance with the law.

Place: Betul

Date:

J. Raja Bandhavi

M/s National Energy Trading and Services Ltd.

Address: Plot No 7, Bindu Sadan, 401 Sai Chandra Colony, Green Space Tulasi, Puppalguda, Manikonda, Hyderabad, Telangana State, India

J. Raja Bandhavi

CERTIFICATE OF COMPLIANCE AND CORRECTNESS

- *Certified that the provisions of related Act and rules have been considered in the Revised Mining Plan of Shahpur Sand Mine in village Shahpur, area of 11.0 in Tehsil - Shahpur, District- Betul of Madhya Pradesh State, which belongs to the applicant M/s National Energy Trading and Services Ltd.*

- *Certified further that the provisions mentioned in Act, Rules and Regulations have been considered in the Mine Plan and wherever specific permissions are required, the applicant will approach to the concerned competent authorities including D.G.M.S. for the same.*

- *There is no violation against provision of Rules, Regulations of MMR, 1961 and there is no danger to human life.*

- *The information furnished in the Mine Plan is true and correct to the best of our knowledge.*

SYED IQTADAR TANWEER
RQP Syed Iqtadar Tanweer

Place: Bhopal

Date:

(RQP No: RQP/DGMJMP/211/2019-24)

T. Pooja Bandhavi

RQP CERTIFICATE

J. Priyadarshan

CONTENTS

1. INTRODUCTION 4

1.1 GENERAL INFORMATION 5
1.2 AREA DETAIL & APPROACHABILITY 6

2. LANDUSE / INFRASTRUCTURE 7

2.1 PRESENT LAND USE STATUS: 7
2.2 INFRASTRUCTURE 7

3. TOPOGRAPHY AND GEOLOGICAL DETAILS 9

3.1 TOPOGRAPHY 9
3.2 REGIONAL GEOLOGICAL DETAILS: 9
3.3 REGIONAL GEOLOGICAL SETUP/SEQUENCE: 10
3.4 LOCAL GEOLOGICAL DETAILS: 11
3.5 EXTENT OF RIVER BED & ALLUVIAL SAND DEPOSIT: 12
3.6 PROSPECTING AND EXPLORATION DONE: 12

4. ESTIMATION OF RESERVES: 14

5. DEVELOPMENT AND PRODUCTION PROGRAM 17

5.1 PROPOSED METHOD OF QUARRYING: 17
5.2 MECHANIZATION: 19
5.3 BLASTING: 19
5.4 LOADING AND TRANSPORTATION OF SAND: 20
5.5 MANPOWER DEPLOYMENT: 20
5.6 PROPOSED YEARLY PRODUCTION PROGRAM 21
5.7 MINE LIFE: 21
5.8 USE OF MINERAL: 21

6. CONCEPTUAL PLAN 22

7. ENVIRONMENTAL MANAGEMENT PLAN 23

7.1 AIR QUALITY MANAGEMENT: 23
7.2 WATER MANAGEMENT: 23
7.3 NOISE MANAGEMENT 24
7.4 WASTE MANAGEMENT 24
7.5 BIOLOGICAL ENVIRONMENT 24

SYED IQTADAR TANVEER
RQP/DCMMP/211/2019-24

Pooja Bandhare

7.6 DISPOSAL OF MINING MACHINERIES:.....24
7.7 SAFETY AND SECURITY:.....25
7.8 DISASTER MANAGEMENT:.....25
7.9 CARE DURING TEMPORARY DISCONTINUANCE:.....25
7.10 ECONOMIC REPERCUSSION OF CLOSURE & MAN POWER RETRENCHMENT.....25
7.11 STATUS OF LOCAL EMPLOYEES:.....26
7.12 COMPENSATIONS:.....26
7.13 RECLAMATION & REHABILITATION:.....26
7.14 DISTANCE FROM THE NEAREST BRIDGE/DAM:.....26
7.15 SOCIO – ECONOMIC ENVIRONMENT:.....27
7.16 PLANTATION (AFORESTATION PROGRAM):.....27
8. PROGRESSIVE MINE CLOSUR PLAN 28
9. SAND REPLENISHMENT ASSESSMENT 29
9.1 NEGATIVE IMPACTS:.....29
9.2 POSITIVE IMPACTS:.....29
9.3 NEED FOR SAND REPLENISHMENT STUDY AND FACTORS TO BE CONSIDERED AND OBSERVED:.....29
9.3.1 WATER LEVEL DURING LEAN PERIOD:.....30
9.3.2 CATCHMENT AREA.....31
9.3.3 ORIGIN OF RIVER:.....31
9.3.4 DISTANCE OF TRAVELLING OF LOAD:.....31
9.3.5 SLOPE / GRADIENT / ELEVATION DIFFERENCE:.....31
9.3.6 GEOLOGY / LITHO UNITS:.....31
9.3.7 CLIMATIC CONDITIONS:.....31
9.3.8 TRIBUTARIES / CONFLUNCE:.....31
9.3.9 TYPE/STAGE OF RIVER AND FLOW VELOCITY:.....32
9.3.10 STRUCTURES:.....32
9.4 CONCLUSION:.....32

SYED IFTEKHAR TANWEER
RQP/DOM/MP/211/2019-24

J. Puja Bandhaus

FIGURES

KEY PLAN

GOOGLE IMAGE

KHASRA MAP

PLATE 1- SURFACE PLAN AND GEOLOGICAL PLAN

PLATE 2- YEARWISE DEVELOPMENT PLAN AND SECTION

PLATE 3- ENVIRONMNETAL PLAN

PLATE4- YEARLY MONSOON WISE PLATE AND SECTION

ANNEXURES

SANCTION ORDER COPY

RQP CERTIFICATE

SYED IQTADAR TANVEER
RQP/DGMMP/211/2019-24

J. Raja Bandhavi

1. INTRODUCTION

The demand for ordinary natural river sand is enormously increased in building construction and infrastructural developments. The natural sand is started vanishing from the river beds besides causing natural and environmental hazards in surrounding areas due to illegal and unscientific mining without proper mining plan. Therefore, the government of India announced sand policy by fixing responsibility on related departments mainly Mines & Geology and Ministry of Environment and Forest (Pollution control boards). Accordingly, the Govt. of Madhya Pradesh formulated a natural sand policy to meet the sand demand in the state by undertaking systematic & scientific mining and protection of environment and by maintaining eco-balance in the surrounding areas by following the Govt. of India guidelines.

Based on the Government of India guidelines, this quarry plan is prepared for the proper development of mine area with safe quarrying operation. It also provides guidance and directives to be followed during the quarrying operation under the rules and regulations as imposed by the Government.

Mine has been allotted to National Energy Trading and Services Ltd., Address: Plot No 7, Bindu Sadan, 401 Sai Chandra Colony, Green Space Tulasi, Puppalguda, Manikonda, Hyderabad, Telangana State, India, over an area of 11.00 Hectares covering two villages (Shahpur and Patuwapur) with Khasra numbers 1, 112, up to 30.06.2023 (As per Order No. 1862/Sand/2022, Betul, dated 23.12.2022).

In compliance to MP Sand (Mining transportation, Storage and Trading) Rule 2019 published in Gazette notification of Government of MP dated 30-08-2019 and as per the rule 42 of MP Minor Mineral Rules 1996, this Quarry plan is being prepared and submitted for approval to the Collector [Mining] Betul MP and quarrying operation start only after obtaining the statutory permission as per rule 14.

SYED IQTADAR TANWEER
RQP/DGM/MP/211/2019-24

1.1 GENERAL INFORMATION

Name of Applicant	M/s National Energy Trading and Services Ltd
Address of Applicant	Address: Plot No 7, Bindu Sadan, 401 Sai Chandra Colony, Green Space Tulasi, Puppalguda, Manikonda, Hyderabad, Telangana State, India
Quarry Villages	Shahpur and Patuwapura
Name of the River	Machna River
Tehsil	Shahpur
District	Betul
State	Madhya Pradesh
Khasra Nos.	Shahpur village: 1, Patuwapura village: 112
Area [Hectares]	11.00
Permitted Period	Up to 30.06.2023
Whether Recorded in Forest	Not recorded in any Reserved / Protected Forest Area
Status Of Applicant	Private Individual
Mineral (S) Which Applicant Intended to Mine	Sand
Sanction order Details Order No. & Date	As per Order No. 1862/Sand/2022, Betul, dated 23.12.2022
Ownership / Occupancy	Government Land, River Bed
K.Q.P. Address & Registration details/Mobile No	SYED IQTADAR TANWEER G-3 Balaji, Bright Colony, Idgah Hills, Bhopal (M.P.) Registration No: RQP/DGMMP/211/2019-24 Mob: 8827951780

SYED IQTADAR TANWEER
RQP/DGMMP/211/2019-24

1.2 AREA DETAIL & APPROACHABILITY

Details Of Sanctioned Lease Area	**Villages**	Shahpur/Patuwapura
	Tehsil	Shahpur
	District	Betul
	River	Machna River
	State	Madhya Pradesh
	Khasra Nos.	Shahpur village: 1, Patuwapura village: 112
	Sanctioned Area	11.00 Hectares
Topo Sheet No.	55F/16	
Village Coordinates	22°11'40.22"N 77°54'19.89"E – Shahpur, one of the villages	
Site Co-ordinates **(Latitude & Longitude)**	1. 22°11'24.20"N 77°53'32.07"E 2. 22°11'24.68"N 77°53'40.2"E 3. 22°11'41.22"N 77°54'0.09"E 4. 22°11'43.47"N 77°53'58.76"E	
Approach & Accessibility	**From Site**	**Approx. Distar**
	District Head Quarter Betul towards S	30 km
	Tehsil – Shahpur towards E	0.4 Km
	Village/Tehsil – Shahpur - E	0.4 Km
	Nearest Railway Station Barbatpur towards E	2 Km
	NH-46 E	0.5 Km
	Health Centre (Tehsil Shahpur)	0.7 Km
	Nearest Bridge Towards E	0.5 Km
	Monuments / Places of Social importance	None Nearby
	National Parks	Not within 10 Km
	Reserve Forest	Not within 250 m

2. LANDUSE / INFRASTRUCTURE

2.1 PRESENT LAND USE STATUS:

Sand Mining lease has been sanctioned for a period of up to 30.06.2023 over an area of 11.00 Hectares on a River Bed for quarrying and transportation of sand. Quarrying & related activities shall be carried out from the top surface level.

Present land use status of the sanctioned area is as under:

Total Lease Area	**11.00 Ha**	**1,10,000 M^2**
Barrier Zone / Safety Strip	15,750 M^2	
Area under water/ Non-Mining Area	28,250 M^2	
Available Working Area	**66,000 M^2**	

2.2 INFRASTRUCTURE

- **Power Supply** - Electrical Power is not available; Shall be arranged from the nearby supply line if required with proper NOC from concerning Department.

- **Communication & Transport** - Site is well connected with District Headquarter and other towns by road. Buses and private taxis are frequently available from district and Tehsil headquarters up to the village. Quarry site is approachable from village by private means.

- **Land** -Quarry lease area situated on river bed and is a non-forest government land.

- **Water Supply** - Dug wells and bore wells available in the vicinity to meet the requirement of drinking water. Water is potable & hygienic as no adverse effects noticed in habitants of nearby area.

- **School Facilities** - School facilities for primary education are available in village Panchayat; Middle school or higher studies are present in District Headquarter Betul and Tehsil Shahpur.

- **Man Power** - Mine workers shall be arranged from nearby villages therefore no constraint regarding availability of manpower in the area.

There are no places of national and social importance exist within the radius of 500 m of mine site.

3. TOPOGRAPHY AND GEOLOGICAL DETAILS

3.1 TOPOGRAPHY

The lease area falls in a River Bed. Since, the sand area falling partly at the non-active river bed, the general surface level of the lease area is undulating with negligible thorny bushes/shrubs and comparatively lower than the surroundings. The surface level of the mine lease is around 380-382 MSL. The drainage direction is towards northeast in the lease area.

Topography of the area has been derived due to alluvial deposition on the flood plains of Narmada River and its Rivulets. General slope of the lease area is from southwest to northeast. The drainage pattern in the area is dendritic.

3.2 REGIONAL GEOLOGICAL DETAILS:

The district has four district physiographic division viz (i) Satpura plateau in Machna and Bhadanga valleys (ii) The Satpura plateau in central and (iii) southern part of the district (iv) and Tapti valley. The whole district lies on Satpura plateau at an elevation of 365m above mean sea level. The general elevation is about 609m at Kilendeo form the highest peak in the northern and central parts of the district. Machna valleys lies at elevation of 396m amsl between peaks of Kilandeo and Bhogwangar, the general scope of the valley is towards the North West.

Priya Bandhavi

3.3 REGIONAL GEOLOGICAL SETUP/SEQUENCE:

Age	Lithounits	Rock types
Quaternary		Soil and alluvium
----------Unconformity----------		
U. Cretaceous to Eocene	Deccan Trap	Non-porphyritic and porphyritic basalt
----------Unconformity----------		
U. Cretaceous	Lameta	Sandstone, shales and limestone
----------Disconformity----------		
U. Cretaceous	Upper Gondwana	Sandstone, siltstone, conglomerate and clay
----------Unconformity----------		
Archaean		Quarzo-feldspathic gneiss with dolerite intrusions

Archaeans

The crystalline metamorphic and igneous rocks cover approximately 20% of the total district area. The igneous rocks are intensive granite and pegmatite veins intending the metamorphic rocks. Quartz pegmatite views are common features and occurs as broad dykes and thin strings. The ground basins are conterminous with surface drainage sub basin thus ground water flow system is of local types where end system has its recharge area at topographic low. The Archaeans are mainly occupying the Betul, Chichab, Multai and Amla blocks. These rocks do not have primary porosity and hydraulic conductivity. The weathered part of the crystalline rocks is called saprolite, which is of particular interest from the point of view of storage zone for ground water and as an aquifer for open well and shallow tube wells. The thickness of this zones in the entire district area ranges from 2.5 to 30.00 m. in this formation, aquifers also occurs where bed rock and quartz pegmatite intensive vein are jointed and fractures.

The yield depends upon saturated thickness of the weathered mantle and fracture pattern of the rocks.

Gondwana

The Gondwana rocks are comprising succession of sand stone, shales with seems of coal lying over the metamorphic rocks of crystalline Archaean system with a district unconformity. The beds of Gondwana rocks are distributed in patches and lie in a liner trend coinciding almost with the present river valleys. There rocks show considerable faulting. The Talchir beds consisting of sandstone and green clays with boulders contain plant fossils. There are bounded by faults. The west and north west of Betul, there are out of Gondwana rocks which separates decant traps from Archaeans rocks. Barkars of Gondwana group contains coal seams.

Deccan Traps

Deccan traps comprising varies types of basaltic lava flows and most extensive rocks in the district. There rocks occupying in Betul, Multai, Bhimpura, Chicholi, Bhainsdehi, Atner and Prabkat pattam blocks. The base of the flow consists of a porous layers of earthy basalt which passes rapidly into the main body. Of flow consisting of great thickness of hard basalt. Generally, the Deccan trap in the area occurs in the form of fractures, weathered and vesicular basalts.

3.4 LOCAL GEOLOGICAL DETAILS:

The top layer of applied area forms a part of stream bed covered mainly with sand deposits with rare colluvial material belonging to recent river alluvium up to 4.0 m. Quarrying will be concentrated up to 3.0 m only for extraction of sand. However, it is found that minimum 4m thick sand deposit is available throughout the lease within the top most layer of recent alluvium. This top sandy layer is underlain by laterite followed by Deccan trap.

Altitude of the area- Average elevation of the area is- 381 m

High flood Level (HFL) – 383 m

Low flood Level (LFL) – 380 m

Surface and geological map with cross section of the area on 1: 2000 scale with suitable contour intervals showing general topography and geology has been enclosed.

3.5 EXTENT OF RIVER BED & ALLUVIAL SAND DEPOSIT:

The sand quarry lease area is elongated along the course of the river with an orientation of SW to NE and lies on a wide meander. The deposit of sand is available on full width and length of the lease.

The sediment in the form of river bed material i.e., sand has deposited in the last many years as a process of sedimentation in the paleochannels. Sand bars have been formed at various places hindering the flow of water and excess deposition has changed the shape of the river bed. Because of this, during monsoon season, the water may rise above the high flood level causing heavy and devastating floods. Such disasters may damage large tracts of land laying on both banks of the river especially the agricultural lands.

Accumulation of the sand deposit on the river bed is annual process. It is replenishable due to sediment inflow during floods in rainy season. Thickness of river bed where sand deposited every year varies but excavation of sand is permitted up to 3 m depth or up to top level of water table whichever is less. The summer water table goes down to 4 m below surface. Hence sand can easily be extracted up to 3 m depth in dry season.

3.6 PROSPECTING AND EXPLORATION DONE:

This is the revised mining plan and mining lease has already been excavated in the past. Based on post monsoon yearly survey by local mining officer and observations conducted by lessee, sand deposit in the lease has completely been replenished and average thickness of sand deposition within the sand accumulated area is observed to be > 3.0 m in proposed sand bed and considered for estimating the reserves.

Since sand exposed all over within the sand accumulated area of the lease and depth is proved, therefore, future prospecting has not proposed in the area. However, a

survey likely to be conducted by local mining officer to ascertain the depth of sand accumulation during post monsoon every year.

4. ESTIMATION OF RESERVES:

The applied sand lease area is about 0.4 Km west from Tehsil Shahpur and located in the river bed of Machna that flows from southwest to northeast.

In order to estimate the reserves, DGPS survey has been carried out to define the topography, contours and offsets of the lease area. Khasra map has been considered as base map to demarcate the mine lease boundary. The shape and size of the mine lease has been fixed as per the sanctioned demarcated Khasra map of the lease area by DGPS survey.

The area has been fully demarcated with respect to geographical coordinates and surface reduced level taken at every point of cluster. To describe the elevation in detail, 0.5m contour interval has been picked for the preparation of surface plan and cross section which includes collection of surface reduced level in an interval of 0.5m for reserve estimation. The maximum elevation observed to be 382m from MSL and whereas minimum elevation recorded to be 380m MSL with the lease area.

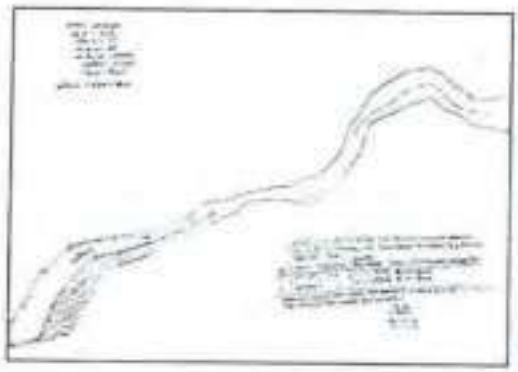

Sanctioned demarcated area (Khasra) **Demarcated area on Google Image**

Very gently sloping or almost flat topography of the lease is the main reason for having sufficient quantity of sand available for removal. In addition, the location of applied lease lies on a meander making it suitable for sand deposition, therefore good deposit of sand is available on full width and length of the lease.

As per the Point (r) page 24 of Guidelines of Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining, Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MOEF & CC)

January 2020 "**River bed sand mining shall be restricted within the central 3/4th width of the river/rivulet or 7.5 meters (inward) from banks but up to 10% of the width of the river**"

The mineral sand is exposed in full width and length of the lease and follows very gently sloping topography.

This is the revised mining plan and mining lease has already been excavated in the past. Based on post monsoon yearly survey by local mining officer and observations conducted by lessee, sand deposit in the lease has completely been replenished and average thickness of sand deposition within the sand accumulated area is observed to be > 3.0 m in proposed sand bed and considered for estimating the reserves.

Since sand exposed all over within the sand accumulated area of the lease and depth is proved, therefore, future prospecting has not proposed in the area. However, a survey likely to be conducted by local mining officer to ascertain the depth of sand accumulation during post monsoon every year.

Specifications considered for the estimation are as under:

Area specification	Values
Sanctioned lease area	11.00 hac or 1,10,000 M^2
Area submerged in water/Non mining	28,250 M^2
Area under Barrier / Safety zone within sand accumulated area	15,750 M^2
Available Mineable area where sand has been deposited/accumulated is 60% of total lease area of 1,10,000 M^2 therefore, follows Point (r) page 24 of Guidelines of Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining, Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MOEF & CC) January 2020	**66,000 M^2** (Total lease area – non mining area - barrier zone) (1,10,000 M^2 -28,250 M^2 – 15,750 M^2 = 66,000 M^2)

As the extractable area 66,000 M^2 is gently sloping, hence the volumetric method adopted for reserve estimation.

The thickness of sand is more than 3m. The water level fluctuates from 3-4m during post-monsoon to pre-monsoon (October to June). However maximum of 1.8 m depth of sand deposit has been considered for estimation.

Reserve calculation of the given area is detailed as under:

Area [M^2] X Depth [m] = Volume [M^3]

Total extractable sand - 66,000 M^2 x 3 m (Max Thickness) = 1,98,000 m^3

Total mineable sand - 66,000 M^2 x 1.8 m (Average Thickness) = 1,18,800 m^3

Total mineable reserve estimated to be 1,18,800 M^3

The safety/environmental and replenishment factors have been considered and only 60% of lease area is taken as sand extractable area for reserve estimation.

'APPROVED

COLLECTOR
BETUL

SYED IQTADAR TANVEER
RQP/DGMMP/211/2019-24

J. Puja Bandhari

LESSEE/APPLICANT

M/s National Energy Trading and Services Ltd., Hyderabad

Syed Iqtadar Tanveer
RQP/DGMMP/211/2019-2024

J. Puja Bandhari

5. DEVELOPMENT AND PRODUCTION PROGRAM

5.1 PROPOSED METHOD OF QUARRYING:

The mining operation will be carried out by semi mechanized method and all the related activities shall strictly be done according to the M.M.R 1991 rule without blasting
As per the Sustainable Sand Mining Management Guidelines 16, there are total 5 extractions methods and are follows as;

a) Bar scalping and skimming is extraction of sand and gravel from the surface of bars. This method generally requires that surface irregularities be smoothed out and that the extracted material be limited to what could be taken above an imagery line sloping upwards and away from the water from a specified level above the river water level at the time of extraction (typically 0.3-0.6m). Bar scalping is commonly repeated year after year. To maintain the hydraulic control provided to upstream by the Riffle head., the preferred method of bar scalping is now generally to leave the top 1/3rd (approximately) of the bar undisturbed, mining only from the downstream 2/3rd.

b) Dry-Pit Channel Mining

Dry-Pit channel mining is the method where pits excavated within the active channel on dry intermittent or ephemeral stream beds. Dry pits are often left with abrupt upstream margins, from which head cuts likely to propagate upstream.

c) Wet-Pit Channel Method

It involves excavation of a pit in the active channel below the surface water in a perennial stream or below the alluvial groundwater table.

J. Pujabandhari

d) Bar Excavation

A pit is excavated at the downstream end of the bar as a source of aggregate and as a site to trap sand and gravel. Upon completion, the pit may be connected to the channel at its downstream end to provide side channel habitat.

e) Channel – wide River bed Mining

In rivers with a highly variable flow regime, sand and gravel are commonly extracted across the entire active channel during the dry season. The bed is flattened and uniformly (or nearly so) lowered.

As per the Sustainable Sand Mining Management Guidelines 2016, there are 5 extraction method as mentioned above in total out of which 'Channel-wide River bed Mining' method shall be adopted with respect to type of river bed deposition. Mining shall be done in layers of 1 meter depth to avoid ponding effect and after first layer is excavated, the process will be repeated for the next layers.

Previous year water level regime monitoring season of river bed is observed. The water level fluctuation in the river bed is from 0.0-3.0. It means the water level about 0.0m to 1.0m describes a monsoon season (July-September) where water covers the whole riverbed and flows almost uniformly throughout the river course. In case of river sand bed of about 2m water level define the post monsoon season (October to December) in which water level drops and part of river bed exposed/ dried in certain part of river channel or sand mine spot due to difference in contour elevation as well as replenished sand. In case of river having about 3.0 m water level describes pre-monsoon season (from March to mid of June).

During post monsoon (October to February) mining will be carried out in layers of 1-meter depth for maintaining the river bed water level regime (Plate 4).

During pre-monsoon (March to June) mining will be carried out in 2nd layers of 1 meter depth after completion of 1st layer for maintaining the river bed water level regime (Plate 4).

No bench can be maintained in river sand hence bench wise mining cannot be proposed.

Due to continues accumulation of sand in the area during rainy season, there will not be much depletion in the reserve of sand, hence reserve is likely to be remain same every year and in future also. The Lease period has been sanctioned up to 30.06.2023, accordingly three years production plan can be envied:

Semi-mechanised method of quarrying shall be undertaken during quarrying operation and all the related activities shall strictly be followed according to M.M.R 1991 rule without blasting and drilling.

Mining operation shall be based upon Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining, Ministry of Environment, Forest and Climate change January, 2020.

Quarrying progression will be from southeast to northwest, whereas mine face will be west to east. However, mine facing may be adjusted based on best environment friendly practices.

5.2 MECHANIZATION:

An open cast quarrying by semi mechanized method will be adopted for extraction of ordinary sand, keeping the productivity and safety in mind.
Semi mechanized quarry operation shall be done by utilizing JCB, hand Shovel, spade, crow bars, water tanker etc. will be required to deploy for mining works, Dumpers will be required for loading and transportation purpose.

JCB	1 No
Dumper	17 No. (Capacity- 12 m3)
Water tanker	1 No.

5.3 BLASTING:

Not applicable.

J. Priya Bandhavi

J. Priya Bandhavi

5.4 LOADING AND TRANSPORTATION OF SAND:

Dumpers / tipper shall be used for transportation purpose.

For transporting the sand from lease area to the bank and for further destinations (end users/market), following estimation has been followed.

Yearly Production	1,18,800 m^3
Daily Production Assuming 240 working days leaving rainy season	495 m^3/day
Capacity of Dumper	12m^3
One dumper can carry (as a safety measure)	10m^3
Total number of trips required	50
Total Dumper Required (capacity 10 m^3)	17

The above per day calculations are for reference purpose only. The removal of sand shall be done as per demand and these figures may change drastically but within the limit of yearly production of 1,18,800 M^3.

5.5 MANPOWER DEPLOYMENT:

Required number of man power/labor is easily available from the surrounding villages. Requirement of manpower depends on the production and taking into account an average rate of annual production of 1,18,800 m^3 and assuming 240 working days per year, around 495 m^3 of proposed production to be achieved per day.

Keeping an average output per man per shift about 8 m^3 (OMS), then around 62 persons shall be required in the mine site.

Considering a presence of site foreman is important and a manager, a total of 63-64 persons shall be required to manage the mining operation.

T. Raja Bandhavi

Number of shifts proposed for per day is one shift / day. Dependi the demand of sand, working time may be adjusted following the rules and maki r arrangements in place.

5.6 PROPOSED YEARLY PRODUCTION PROGRAM

Due to continues accumulation of sand in the area during rainy season, there will not be much depletion in the reserve of sand, hence reserve is likely to remain same every year and in future also. The Lease period of 3 years has taken as per the provisions of rule 9 of Madhya Pradesh Sand (Mining, Transportation, Storage and Trading) Rule, 2019. Accordingly, three years production plan can be envied.

It is to be noted that applied lease area has been sanctioned up to 30.06.2023 only, therefore 1st year production has been provided in the table below. However, if lease extended for two more years, then the same quantity, i.e., 1,18,800 M^3 per year can be extracted for another two years.

Years	Available Extractable Mining Area M^2 (60% of Lease Area)	Depth M	R O M M^3	Waste M^3 (10%)	Maximum proposed sand Production M^3
1st Year	66,000	1.8	1,18,800	Nil	1,18,800

5.7 MINE LIFE:

APPROVED

Mine has been sanctioned for the excavation of sand until 30.06.2023. Quarry lease may further be allotted to some other agency in future.

This is a river bed quarrying case, every year after monsoon, the sand deposit gets replenished and is available for ensuing years: hence river bed deposit has no fixed mine life.

COLLECTOR
BETUL

5.8 USE OF MINERAL:

Sand so extracted from the mine lease, will be sold locally as building material. It is usually mixed with cement and other ingredients to create mortar for building. It is also used in brick manufacturing industries.

J. Priya Bandhari

J. Priyabandhari

6. CONCEPTUAL PLAN

Mine applied lease spread over a total area of 1,10,000 m^2, covering a village and a Tehsil. Though sand thickness found to be more than 3m but actual digging depth restricted up to 1.8 m only. However, pits generated by quarrying will be replenished during rainy season. Quarrying will be worked systematically as the width is smaller than its length. As the lease period has been sanctioned until 30.06.2023, some of the area will be left un-worked at the end of lease period.

During plan period workings will be carried out in one stretch at a time. Scattered workings will ensure safety, remove congestion and will have better control and management.

Bank side natural slope will not be disturbed. This will prevent collapse of bank and erosion.

There will be no soil or OB removal during the plan period. Therefore, no proposal has been envisaged for its separate dumping. No outside material will be filled up in the extracted zone.

D. Puja Banerjee

7. ENVIRONMENTAL MANAGEMENT PLAN

7.1 AIR QUALITY MANAGEMENT:

Dust during quarrying, fumes and exhaust emission due to transportation of vehicles are the main causes of air pollution.

Personal Protection Equipment's (PPE) like dust masks, ear plugs etc. will be provided to mine workers

It can be effectively controlled by regular water sprinkling on roads.

Mineral carrying vehicles should be covered with tarpaulin and shall not be over loaded.

Proper maintenance of transport vehicles and PUC certification will minimize the exhaust emission. Adequate plantation will also support to maintain air quality.

7.2 WATER MANAGEMENT:

Sand quarrying activities will have an impact upon the river's water quality. Impacts include increased short-term turbidity at the mining site due to re suspension of sediment, and dumping of excess mining materials, oil spills or leakage from transportation vehicles and washing of vehicles in the river.

Increased riverbed and bank erosion increases suspended solids in the water at the excavation site. Suspended solids may adversely affect water towards downstream and aquatic ecosystems.

The impact is particularly significant if water toward downstream of the site being abstracted for domestic and irrigation purposes etc.

Quarrying is avoided during the monsoon season and at the time of floods. This will help in replenishment of sand in the river bed.

Quarrying below subterranean water level will be avoided as safe guard against environmental contamination and over exploitation of resources.

River stream will not be diverted to form inactive channels.

Meandering segment of river would be selected for mining in such a way to avoid natural eroding banks and to promote mining on naturally building meander components.

J. Prajbandhan

Utmost care will be taken to avoid the used of fuel leaking vehicles for sand transportation

The washing of trucks in the river will be avoided.

7.3 NOISE MANAGEMENT:

In manually operated sand mine, noise is generally created by transportation of vehicles.

Onsite and offsite noise management are:

Plantation of trees along the river bank and transport route beyond the bank shall be undertaken to dampen the noise, if possible.

The vehicles shall be maintained in good running condition so that noise will be reduced to minimum possible level.

Awareness will be imparted prior to quarrying operations that smoke silencers remain in a good condition and not to generate noise.

Unnecessary use of horns by the drivers of the vehicles shall be avoided at village areas.

7.4 WASTE MANAGEMENT:

There is no top soil expected to be produced in the plan period. No other waste anticipated to be generated hence waste disposal arrangement is not required.

7.5 BIOLOGICAL ENVIRONMENT

The proposed quarrying will be undertaken from the dry bed of the river on a small scale, therefore unlikely to impact the aquatic environment or any fauna or floral environment.

7.6 DISPOSAL OF MINING MACHINERIES:

No disposal of machineries would take place onsite and hand tools, tractors, dumpers will be deployed on hire basis.

T. Vijaya Bandhavi

7.7 SAFETY AND SECURITY:

Prior to mining, short awareness/training program will be conducted for site staff to make them aware regarding safety aspects and environment friendly work practices.

First aid kit and anti-venom injection for snake/insect bite shall be provided at mine site.

If some causality or injury to animal occurs, it will be informed to forest department and proper treatment will be given.

No lighting will be allowed in the area.

No tree cutting, chopping, lumbering, uprooting of shrubs and herbs will be allowed.

No track or new road for movement of site workers or vehicles be laid in adjoining area, this will prevent fragmentation, encroachment and human verses animal encounter.

Corridor for movement of wild mammals (If exists) will be avoided for mining/transport purposes

If wild animals are noticed crossing the river bed, they will not be disturbed or chased away, instead the workers will move away from their path.

7.8 DISASTER MANAGEMENT:

Nature of mining method is very simple and high-risk accidents are not anticipated. In case of natural disaster, lessee will take assistance from local government officials.

7.9 CARE DURING TEMPORARY DISCONTINUANCE:

No major quarrying machineries will be deployed as mining shall be undertaken manually. Most of the tools/equipment shall be on hire basis, in such cases, care will be taken as per the terms and conditions of contract. During temporary discontinuance, a watchman should be present to look after the mine site.

7.10 ECONOMIC REPERCUSSION OF CLOSURE & MAN POWER RETRENCHMENT

This quarry lease sanctioned for defined time period, most of the facilities and man power will be deployed on hire basis and in such case, care will be taken as per terms and conditions of contract.

J. Puja Bandhaga

7.11 STATUS OF LOCAL EMPLOYEES:

Local residents will be proposed to employ from the nearby areas which already have their own traditional and family occupation like agriculture, fisheries and other sundry jobs. During monsoon and some other season or at the end of mine period they can easily join their respective employments.

7.12 COMPENSATIONS:

Retrenchment compensation to the employees as and when required will be done as per Government Labor legislation.

7.13 RECLAMATION & REHABILITATION:

The applied area comprises mainly sand, and negligible quantity of coarser material. The proposed area is the zone of active erosion during high flood time, otherwise it is a zone of deposition between two stream flows. So, no manual reclamation is needed. It is expected that the reclamation of the affected area will be automatically done by filling with sand flow in the rainy season depending on the amount of rain fall received by the area and the rate of river flow.

There is no human settlement within the quarry area. No human settlement will be disturbed due to the Quarrying activity. So, no rehabilitation and resettlement are proposed.

7.14 DISTANCE FROM THE NEAREST BRIDGE/DAM:

There is a bridge located around 0.25 km E, downstream of the lease and constructed on Machna River. However, none is located within mine lease area.

7.15 SOCIO – ECONOMIC ENVIRONMENT:

There will be positive effect to some extent on socio – economic environment of the area as quarrying activity will create new job opportunities for the local people, which ultimately improve their financial status.

7.16 PLANTATION (AFORESTATION PROGRAM):

The implementation for development of green belt will be of paramount importance as it will not only add up as an aesthetic feature, but also act as a pollution control tool.

The species to be grown in the area should be dust tolerant and fast growing so that permanent green belt is created.

In order to stabilize the river bank erosion, the plants having good growth will be planted along the river bank. Trees may also be grown along approach roach to the village and along village road as well as in the village as feasible in consultation with local gram panchayat, DFO and other stake holders.

Lease area is 1,10,000 M^2 and as per latest guidelines, total trees to be planted @1500 trees per hectare, i.e., a total of 16,500 trees shall be planted in within the lease period.

Total no. of trees to be Planted: - 16,500			
Phase	Name of Tree	No. of Plants to be Planted	Location
Within lease period	Pipal, Munga, Kathal, Bargad, Jamun, Neem, Arjun, Kadam Belpatra, Mango	16,500	Bank of the river – 6,000 nos Shahpur Tehsil, Patuwapur village and surrounding villages – 6,500 Suitable available nearby government land or along the road in consultation with local Gram Panchayats, DFO and other stake holders

J. Ruja Bandhaj

8. PROGRESSIVE MINE CLOSUR PLAN

This is a sanctioned quarry which may again be sanctioned after its expiry on 30.06.2023. The actual working area (sand accumulated area) within the proposed area is the zone of active erosion during high flood time, otherwise it is a zone of deposition and mined out areas may or may not be automatically replenished with sand flow in the rainy season each year, hence progressive plan is not envisaged.

Statutory Obligations: No statutory obligations imposed till now; routine legislative conditions will apply as mentioned in approval letter.

J. Ruja Bandhara

9. SAND REPLENISHMENT ASSESSMENT

Sand quarrying from river bed will cause degradation of land use pattern and damage to the environment. Over exploitation of sand from river bed will definitely affects adversely on the surrounding environmental status. Deposition of sand is a continuous natural process, but the over drafting will never be permitted to ensure the balance between exploitation and replenishment potential of river sand.

Sand quarrying from river bed will have both positive and negative impacts;

9.1 NEGATIVE IMPACTS:

It includes destruction of natural river course, bank erosion, bank cutting and widening and deepening of river bed. Change in hydrological status and recharging conditions. Disturbance to closely linked flora, fauna and aquatic life.

9.2 POSITIVE IMPACTS:

Employment and socio-economic status of the habitants living besides the river depends on sand mining industries. Construction of concrete infrastructures, roads and some other related activities depends on the river bed sand. Continuous accumulation of sand ultimately leads to the reduction in water carrying capacity of the river leading excessive flood in the river. Sustainable extraction of sand from river will lead to overcome the problem.

9.3 NEED FOR SAND REPLENISHMENT STUDY AND FACTORS TO BE CONSIDERED AND OBSERVED:

Environmental status of the mined-out area may be affected badly if proper care is not taken to ensure sustainable extraction of sand from river bed. Proper study of the following factors must be taken into consideration to reveal the actual potential of sand deposition in river course after completion of periodical excavation annually. The main factors required to be considered for the study of the replenishment potential of particular river course are:

T. Puja Bandhan

Formation of sand comprises of the following;

Catchment area and geological strata,

Erosion, weathering

Climatic conditions, Precipitation

Geomorphology, Physiographic Manmade structures and activities details.

Geological formations Refer to Chapter 3.

Deposition/sedimentation of material or sediment yield depends upon several factors like;

-Catchment area

-Span of river / flood plain

-Travelling distance of suspended particles

-Slope / gradient / depth of water channel / meandering of river

- Geology traversed

- Climatic conditions

-Tributaries / Confluence

- Type / stage of river and flow velocity

-Occurrence of natural and manmade structures.

-Flow during lean period.

9.3.1 WATER LEVEL DURING LEAN PERIOD:

River course at area under consideration attains youth stage, flow velocity is moderate, turbulence occurred due to meanders created due to lineaments. Elevation of both the banks are within the range of 2.5 to 3.5m above river bed. After monsoon river flows in full swing covering both the banks. During monsoon floods the water level rises by 2 to 3 m High flood level of river goes up to 383 m in due course of time after monsoon water channel level goes down gradually, during lean period water level maintained at 380-381 m.

D. Raja Bandhab

9.3.2 CATCHMENT AREA

The Machna River basin comprises an area of about 1,150 Km^2. The south-western boundary is marked by low-lying hills and or high grounds. The basin area is highly undulating with isolated hills and plains. The ground elevation ranges between 380 m and 749 m. above MSL. The ground slopes from southeast to southwest and to northeast.

9.3.3 ORIGIN OF RIVER:

The Machna River flows from southeast to southwest to northeast into Tawa and it is one of the largest tributaries of Tawa. The origin of the river is near the village of Hasalpur, Amla Junction, Madhya Pradesh at an elevation of 749 m.

9.3.4 DISTANCE OF TRAVELLING OF LOAD:

Machna River course is around 100 km approx. from the origin to mine site.

9.3.5 SLOPE / GRADIENT / ELEVATION DIFFERENCE:

The highest elevation of **Machna River** at the origin is around 749 m and the elevation at mine site is 380 m above msl. There is an elevation difference of around 369 m.

9.3.6 GEOLOGY / LITHO UNITS:

River originates mainly from Deccan Trap rock formations and further continues over the same rock formations with other formations in parts.

9.3.7 CLIMATIC CONDITIONS:

Climate of the district is tropical with moderate winter and severe summers and well distributed rainfall received from southwest monsoon. However due to higher general elevation and abundance of forests, summer temperature does not rise as much as in other areas. The normal annual rainfall of Betul district is 1129.6mm.

9.3.8 TRIBUTARIES / CONFLUNCE:

Several other small seasonal streamlets (Nallas) join this tributary resulting in the increase of its overall catchment area. However, no nallas join this river near the site.

T. Pooja Bandhavi

9.3.9 TYPE/STAGE OF RIVER AND FLOW VELOCITY:

River attains mature stage at the mine site. Flow velocity is low to moderate. Lease area lies on a wide meander making it suitable for sand deposition.

9.3.10 STRUCTURES:

From our study no major structures have been observed in the river course near the site. There is a bridge located around 0.25 km E, downstream of the lease and constructed on Machna River. However, none is located within mine lease area.

9.4 CONCLUSION:

In Betul district, Machna River basin where lease area is located comprises an area of about 1,150 Km^2. The south-eastern boundary is marked by low-lying hills and or high grounds. The basin area is highly undulating with isolated hills and plains. The ground elevation ranges between 380 m and 749 m. above MSL. The ground slopes from southeast to southwest and to northeast.

The Average rainfall of Betul district is 1129.6mm. The district receives high rainfall mostly during July to September which will be leads to the deposition of the sufficient quantity of the sand every year within the old working area.

Dandy Bolton Formula has category stated use of the equation to predict sediment yield for a specific location would not be always correct because of the wide variability caused by local factors not considered in the equation development. Actual sediment yield from individual drainage basins may vary 10-fold or even 100-fold computed yields.

Looking at the basic information available about the concerning river basin, it is concluded that proposed quantity of 1,18,800 cubic meter per year can be excavated from the quarrying site and the replenishment of the same will be done easily as regular annual process following the topographical control.

Total repleni..ied quantity of sand available each year within the lease hold area will be:

Total Leasehold area -11.00 ha

Total sand available -11.00 x10000x3 (max thickness) = 3,30,000 m^3

Taken all safety measured and environmental concerns, only 6.6 ha leasehold area (60% of lease area) is available for mining.

D. Priya Bandhavi

Total sand available -66,000 M^2x 3 m (Max Thickness) = 1,98,000 m^3

Total mineable sand – 66,000 M^2 x 1.8 m (Avg. Thickness) = 1,18,800 m^3 or

Thus, from measured sand reserve of about 1,98,000 cubic meters, only 1,18,800 cubic meter sand per year will be extracted.

Out of the above annual replenishment, it is proposed to mine only 1,18,800 cubic meters up to a maximum depth of 1.8 m.

Thus, there will be no long – term impact on the riverbed which will have surplus sand left after extraction of the proposed amount each year and PP will be extracting less than the annual replenished sand within its lease hold.

Above estimation is based upon existing site conditions. Next year estimation shall be worked out after monsoon using volumetric methods. In the applied area, replenishment depends upon the yearly rainfall, if adequate amount of sand will not replenish during monsoon, then excavation of sand will be limited to the quantity which will be equivalent to the replenished material up to a maximum depth of 3m only.

PLAN PREPARED FOR -

M/s National Energy Trading and Services Ltd.

Address: Address: Plot No 7, Bindu Sadan, 401 Sai Chandra Colony, Green Space Tulasi, Puppalguda, Manikonda, Hyderabad,
Telangana State, India

PLAN PREPARED BY RQP -

SYED IQTADAR TANWEER
G-3 Balaji, Bright Colony, Idgah Hills,
Bhopal (M.P.)
Registration No: RQP/DGMMP/211/2019-24

SYED IQTADAR TANWEER
RQP/DGMMP/211/2019-24

J. Priya Bandaru

LESSEE/APPLICANT
M/s National Energy Trading and Services Ltd., Hyderabad

Syed Iqtadar Tanweer
RQP/DGMMP/211/2019-2024

J. Priya Bandaru

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला–बैतूल (म.प्र.)

प्रारूप–तीन

(नियम 11(3) एवं 11(5) देखिए)

आशय–पत्र

क्रमांक/रेत/2022/1862 बैतूल, दिनांक 23/12/2022

प्रति,

मेसर्स नेशनल एनर्जी ट्रेडिंग एण्ड सर्विसेज लिमिटेड
पता–प्लॉट न. 7, बिन्दु सदन, 401 सांई चंद्र कॉलोनी,
ग्रीन स्पेस तुलसी, पुष्पलगुडा, मणिकोंडा, हैदराबाद,
रंगारेड्डी, तेलंगाना–500089

विषय :– ई–निविदा क्रमांक 1691 दिनांक 17.11.2022 के संदर्भ में ग्राम (सूची अनुसार) तहसील (सूची अनुसार) जिला बैतूल रकबा (सूची अनुसार) हेक्टेयर क्षेत्र की खदान समूह क्रमांक (संपूर्ण बैतूल जिला) रेत खदानों हेतु आशय–पत्र।

—00—

1. पृष्ठभूमि :

1.1 मध्यप्रदेश रेत (खनन, परिवहन, भण्डारण एवं व्यापार) नियम 2019 (यथा संशोधित) के अनुसरण में कलेक्टर जिला बैतूल द्वारा मध्यप्रदेश के जिला बैतूल स्थित समूह खदान के समूह क्रमांक (संपूर्ण बैतूल जिला) हेतु रेत की समूह खदानों के प्रदान के लिए निविदा प्रक्रिया को प्रारंभ करने के लिए ई–निविदा सूचना दिनांक **17.11.2022** जारी की गई। ई–निविदा प्रक्रिया उक्त नियमों के नियम 8 के अनुसार उक्त रेत समूह आबंटन हेतु संचालित की जाकर मेसर्स **नेशनल एनर्जी ट्रेडिंग एण्ड सर्विसेज लिमिटेड** को उक्त नियमों के नियम 8(8) के अधीन उच्चतम सफल निविदाकार के रूप में घोषित किया गया है।

1.2 उक्त नियमों के नियम 11 के अधीन तथा उक्त समूह खदान के लिए निविदा दस्तावेज के अधीन अपेक्षित किए गए अनुसार मेसर्स **नेशनल एनर्जी ट्रेडिंग एण्ड सर्विसेज लिमिटेड** ने प्ररक्षित मूल्य के 25 प्रतिशत राशि रकम रूपये **5,85,53,288/–(पांच करोड़ पच्यासी लाख तिरेपन हजार दो सौ अट्ठासी रूपये)** अग्रिम धन (ईएमडी) के रूप में एम.पी. टेंडर के माध्यम से जो दिनांक **02.12.2022** को जमा कर दी है तथा जो दिनांक 23/12/2022 को संचालक के पूल खाते में प्राप्त हुई है।

2. परिणामस्वरूप आशय पत्र जारी किया जाना :

उक्त नियमों के नियम 11(3) एवं 11(5) के अनुसरण में समूह क्रमांक (संपूर्ण बैतूल जिला) मेसर्स नेशनल एनर्जी ट्रेडिंग एण्ड सर्विसेज लिमिटेड के पक्ष में 30 जून 2023 अवधि हेतु रेत खनिज की खदानों के समूह के लिए ग्राम (सूची अनुसार) जिला बैतूल में रकबा (सूची अनुसार) (हेक्टेयर) क्षेत्र के लिए यह आशय पत्र जारी किया जाता है।

D. Puja Pandhare

3. **शर्तें :**

3.1 यह आशय पत्र तथा इसके पूर्वोक्ति खदान समूह का अनुवर्ती आबंटन इन नियमों के समय–समय पर यथा संशोधित उपबंधों के अध्यधीन होगा तथा मेसर्स **नेशनल एनर्जी ट्रेडिंग एण्ड सर्विसेज लिमिटेड** को "उच्चतम सफल निविदाकार" के रूप में घोषित किया जाता है तथा इन नियमों के अधीन समस्त अपेक्षाओं की संतोषजनक पूर्ति पर पश्चातवर्ती रूप से आबंटित खदान समूह का आबंटन किया जाएगा।

3.2 संदर्भ हेतु मेसर्स **नेशनल एनर्जी ट्रेडिंग एण्ड सर्विसेज लिमिटेड** के "उच्चतम सफल निविदाकार" के रूप में घोषित किए जाने तथा समूह खदानों के पश्चातवर्ती आबंटन है, के लिए अपेक्षाओं को नीचे दोहराया गया है। यह स्पष्ट किया जाता है कि अधोवर्णित अपेक्षाएं मात्र संदर्भ के लिए है तथा उक्त नियमों में किसी परिवर्तन की स्थिति में, यथास्थिति, संशोधित नियमों के अधीन अपेक्षाएं लागू होंगी।

(क) "उच्चतम सफल निविदाकार" के रूप में घोषणा :–

मैसर्स **नेशनल एनर्जी ट्रेडिंग एण्ड सर्विसेज लिमिटेड** को "उच्चतम सफल निविदाकार" मान्य किया जावेगा, बशर्ते :–

(एक) नियमों के निबंधनों तथा शर्तों का अनुपालन किया गया हो;

(दो) नियमानुसार वार्षिक ठेका राशि की 50 प्रतिशत रकम का भुगतान कर दिया गया हो;

(तीन) उक्त नियमों के नियम 12 के उप नियम (1) से उप नियम (6) में विनिर्दिष्ट खनन योजना एवं अन्य कानूनी अनुपालनों के संबंध में शर्तों को पूरा किया गया हो।

(ख) **ठेका अनुबंध का निष्पादन :–**

समस्त कानूनी अनुज्ञाओं, अनुमोदन, अनुज्ञा, अनापत्ति एवं सदृश, जो कि खनन संक्रिया प्रारंभ करने के लिए प्रयोज्य विधियों के अधीन अपेक्षित हो, प्राप्त करने के उपरांत मेसर्स **नेशनल एनर्जी ट्रेडिंग एण्ड सर्विसेज लिमिटेड** एवं **बैतूल जिले के कलेक्टर** के साथ प्रारूप 5 में पृथक–पृथक खदानवार ठेका अनुबंध का निष्पादन कराया जायेगा। अनुबंध निष्पादन की औपचारिकताऐं पूर्ण होने पर ठेका अनुबंध का भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का क्रमांक 16) के उपबंधों के अधीन पंजीयन कराया जायेगा।

(ग) समूह खदानों की खनन संक्रिया :–

अनुबंध निष्पादन के पश्चात मेसर्स नेशनल एनर्जी ट्रेडिंग एण्ड सर्विसेज लिमिटेड किश्तों का नियमित रूप से भुगतान करेंगे तथा नियमित खनन संक्रियायें जारी रखेंगे।

J. Rujabandhas

विधिमान्य है। समय–सीमा के भीतर समस्त शर्तों की पूर्ति की जानी चाहिए एवं मेसर्स **नेशनल एनर्जी ट्रेडिंग एण्ड सर्विसेज लिमिटेड** एवं बैतूल जिले के कलेक्टर के मध्य ठेका अनुबंध निष्पादित किया जाना चाहिए। उच्चतम सफल निविदाकार के नियंत्रण से परे किन्हीं कारणों से ठेका अनुबंध के निष्पादन में विलंब होने की स्थिति में, समय–सीमा में वृद्धि करने के लिए वह कलेक्टर को आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकेगा। उपरोक्त समस्त अथवा किन्हीं शर्तों के अनुपालन के लिए कलेक्टर अधिकतम 10 दिवस की अवधि बढ़ा सकेगा।

निविदाकार कम्पनी की ओर से प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षर उपरांत उक्त आशय पत्र की द्वितीय प्रति 07 दिवस की अवधि के भीतर अधोहस्ताक्षरी को स्वीकार्य पावती के रूप में वापस करने योग्य होगी।

संलग्न– समूह की खदानों का विवरण
एवं राशि की जानकारी।

कलेक्टर
जिला–बैतूल (म.प्र.)

पृ0क्रमांक/रेत/2022/1862
बैतूल, दिनांक 23/12/2022

प्रतिलिपि :–

1– प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2– प्रमुख सचिव, नगरीय प्रशासन एवं पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3– सदस्य सचिव, सिया पर्यावास परिसर ई–5 अरेरा कालोनी, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4– कार्यपालक संचालक, दि मध्य प्रदेश स्टेट माईनिग कार्पोरेशन लिमिटेड भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5– संचालक, संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, 29–ए अरेरा हिल्स, म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ।
6– क्षेत्रीय अधिकारी, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड छिन्दवाड़ा की ओर सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित।
7– अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) समस्त जिला बैतूल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
8– तहसीलदार तहसील समस्त जिला बैतूल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
9– खनि निरीक्षक जिला बैतूल की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।

कलेक्टर
जिला–बैतूल (म.प्र.)

J. Prije Bandhari

ई–निविदा में सम्मिलित खदानों एवं राशि का विवरण

जिला – बैतूल

क्र.	जिला	तहसील	ग्राम	खसरा क्रमांक	रकबा हैक्टेयर में	रेत का अनुमानित परिमाण (घनमीटर में)	अनुमानित दर का मूल्य (रुपये 250 प्रति घनमीटर + अन्य कर अतिरिक्त)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	लोनिया	179	1.115	25000	
2	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	फुलबेरिया	407	2.500	12750	
3	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	शाहकुण्ड	1	0.950	7200	
4	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	चिखली आमढाना	219, 341	7.730	50000	
5	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	घोड़ाडोंगरी	373, 1395	7.000	20663	
6	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	आमढाना रैयत	248,141, 130	6.090	35700	
7	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	गांधीग्राम	2	0.550	13500	
8	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	नांदू	91	2.900	22500	
9	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	बाकुड	35	2.700	21875	
10	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	बरेलीपार / घोड़ाडोंगरी	63	0.360	9000	
11	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	कचलोरा–1	67	0.100	2000	
12	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	कचलोरा–2	98	0.170	3570	
13	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	कचलोरा–3	69	0.340	9500	
14	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	आमढाना रैयत–1	79	0.350	8050	
15	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	आमढाना रैयत–2	175	0.340	6120	
16	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	आमढाना रैयत–3	178	0.620	13750	23,42,13,150/-
17	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	झोली–1	99	5.000	26000	
18	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	झोली–2	10	4.000	12000	
19	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	सातलदेही	187, 251	8.000	38500	
20	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	धरमपुर	309	6.000	7500	
21	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	बटकीढोह	112, 349	1.000	15000	
22	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	विष्णुपुर	1	2.000	30000	
23	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	चिचडोल रैयत	30	8.000	25000	
24	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	कटंगी	148	0.621	4000	
25	बैतूल	बैतूल	डहरगांव / भयावाड़ी	68, 260	6.250	25750	
26	बैतूल	बैतूल	कोदारोटी	106	5.450	7200	
27	बैतूल	बैतूल	कुम्हारिया	1	0.700	10800	
28	बैतूल	बैतूल	भीलवाड़ी	97	0.800	9100	
29	बैतूल	बैतूल	गाधनी	78	0.860	9450	
30	बैतूल	आमला	सोनतलाई	1	9.330	9000	
31	बैतूल	आमला	बारछी	434, 308	5.520	10300	
32	बैतूल	आमला	जम्बाडा (कुर्ग)	217	0.700	2304	
33	बैतूल	सैसरदेही	रातामाटी	1	2.550	36000	

J. Bhuj Bandhan

		शाहपुर				
35	बैतूल	घोड़ाडोंगरी/ शाहपुर	बासपुर/शिवसागर/ गौनापुर	1, 1,288, 266	24.970	272250
36	बैतूल	शाहपुर	गुवाड़ी	19	2.500	70200
37	बैतूल	शाहपुर	शाहपुर/सतौंगापुरा	1,112	11.000	198000
38	बैतूल	शाहपुर	सिंगलडिहरी	1	0.700	5625
39	बैतूल	पिपरोली	सांगवानी	20	5.080	30064
40	बैतूल	पिपरोली	हरन्या	1,9	5.590	44000
41	बैतूल	पिपरोली	खपरिया	18	3.000	32500
42	बैतूल	पिपरोली	बल्लौर	162	3.000	35000
43	बैतूल	शाहपुर	टागनाखाल	209	4.000	42000
44	बैतूल	शाहपुर	धामन्या	1	5.000	38000
45	बैतूल	शाहपुर	चिखली रैयत	316	4.000	18000
46	बैतूल	शाहपुर	तेन्दूखेड़ा	119,114	5.000	22500
47	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	सिवनघाट	142	0.420	4200
				योग–	188.906	1561421

1	कुल चिन्हित खदानें –	47
2	कुल अनुमानित क्षेत्रफल –	188.906 हे0
3	निविदा हेतु निर्धारित खदानें –	सम्पूर्ण बैतूल जिला
4	जिला समूह हेतु बिक्री योग्य निर्धारित मात्रा (वार्षिक) घनमीटर –	936852.6 (तेईस करोड़ बयालीस लाख तेरह हजार एक सौ पचास रूपये)
5	निविदाकार मेसर्स नेशनल एनर्जी ट्रेडिंग एण्ड सर्विसेज लिमिटेड	
6	पता–प्लॉट नं. 7, बिन्दु सदन, 401 साई बंद कॉलोनी, ग्रीन स्पेस तुलसी, पुष्पलगुडा, मणिकोंडा, हैदराबाद, रंगारेड्डी, तेलंगाना – 500089	
7	स्वीकृत ऑफर मूल्य रूपये –	531195424.20 (तिरेपन करोड़ ग्यारह लाख पनचान्ये हजार चार सौ चौबीस रूपये बीस पैसे मात्र)
8	प्राप्त दर के अनुसार प्रति घनमीटर देय राशि (रायल्टी सहित)	567.00 (पांच सौ छड़सठ रूपये प्रति घनमीटर)
9	जमा EMD राशि रूपये –	58553288 (पांच करोड़ पच्यासी लाख तिरेपन हजार दो सौ अट्ठासी रूपये)
10	शेष जमा राशि रूपये (265597712.10 – 58553288) ऑफर मूल्य का 50 प्रतिशत – निविदा की ईएमडी राशि	207044424.10 (बीस करोड़ सत्तर लाख चौव्यालीस हजार चार सौ चौबीस रूपये दस पैसे मात्र)
11	बिन्दु क्रमांक 10 की राशि जमा दिनांक एवं भुगतान विवरण –	21.12.2022 RTGS

नोट :–2. निविदा प्रपत्र की कंडिका– 10 (ख) –परिशिष्ट–1 में समूह में सम्मिलित समस्त रेत खदानों का विवरण, खदान का अनुमानित क्षेत्रफल एवं खदान में उपलब्ध अनुमानित मात्रा दर्शित है। ठेकेदार द्वारा जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (डी.एस.आर.) द्वारा अनुमोदित मात्रा तक ही खनन किया जा सकेगा। यह अनिवार्य नहीं होगा कि वह समूह में सम्मिलित प्रत्येक खदान की परिशिष्ट–1 में दर्शित मात्रा हेतु, वैधानिक अनुमतियाँ प्राप्त कर खदानें संचालित करें। अर्थात निविदित मात्रा का खनन समूह में सम्मिलित कतिपय खदानों से, वैधानिक अनुमतियों के अधीन भी किया जा सकेगा।

कलेक्टर
जिला–बैतूल (म.प्र.)

J. Ruju Bandhale

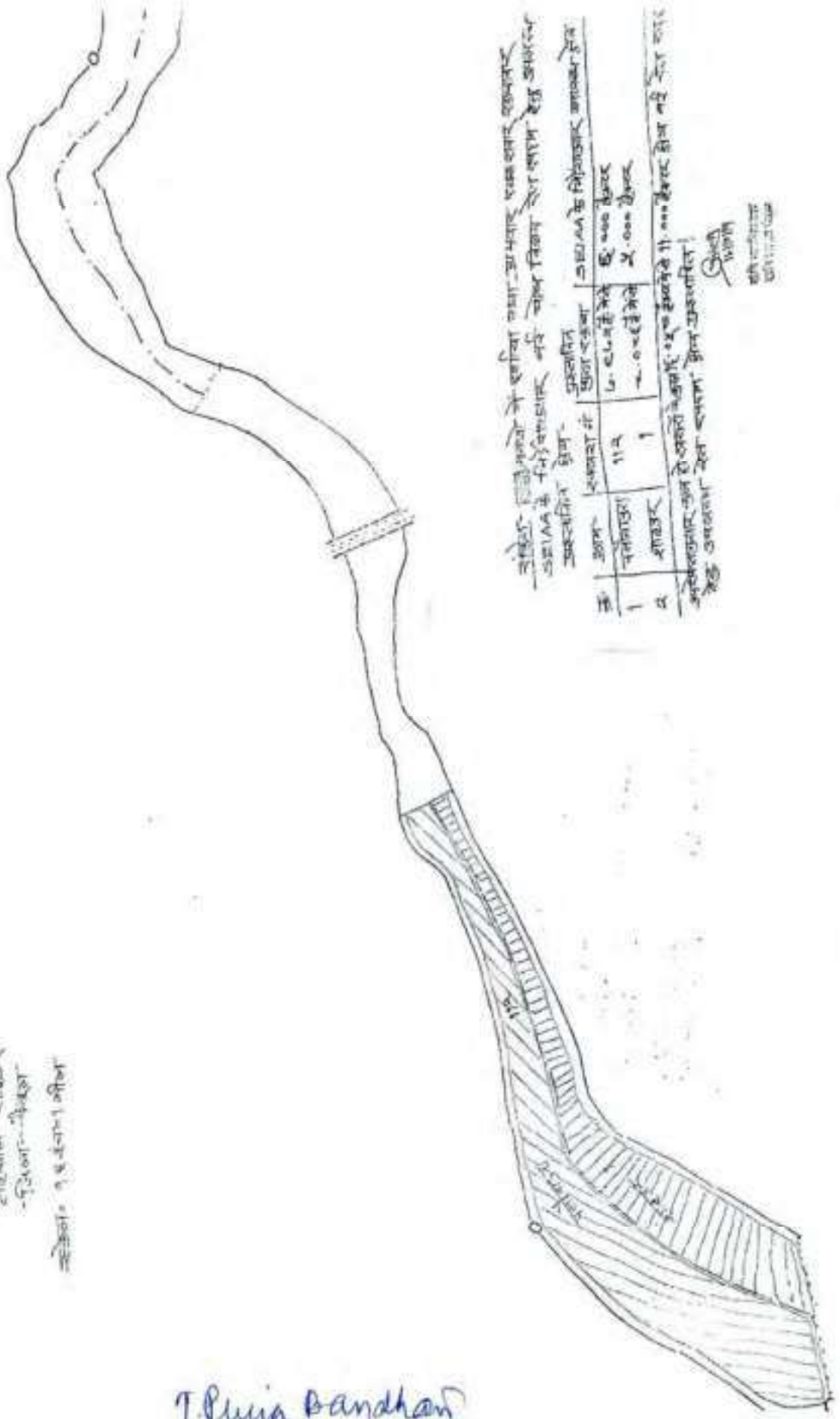

J. Puja Bandhan

SURFACE PLAN & GEOLOGICAL PLAN

CO-ORDINATE		
A.	22°11'24.20"N	77°53'32.07"E
B.	22°11'24.68"N	77°53'40.2"E
C.	22°11'41.22"N	77°54'0.09"E
D.	22°11'43.47"N	77°53'58.76"E

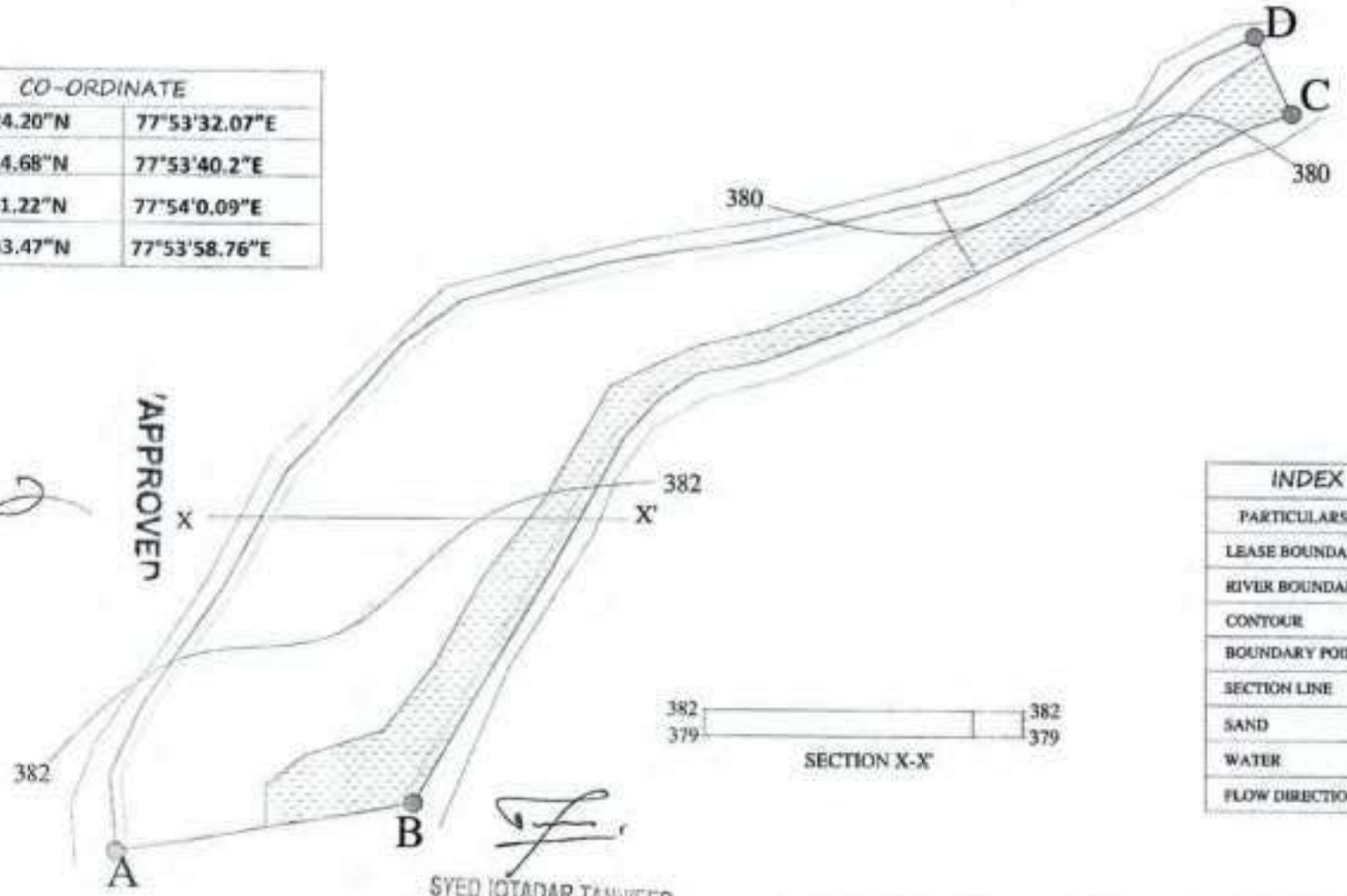

COLLECTOR
BETUL

APPROVED

382 379 — 382 379
SECTION X-X'

INDEX	
PARTICULARS	SYMBOL
LEASE BOUNDARY	
RIVER BOUNDARY	
CONTOUR	380
BOUNDARY POINTS	
SECTION LINE	
SAND	
WATER	
FLOW DIRECTION	

SYED IQTADAR TANWEER
ROP/DGMMP/211/2019-24

AREA DETAILS	APPLICANT:
QUARRY AREA - 11 HA. QUARRY SURVEY NO. - 1, 112 VILLAGE- SHAHPUR/PATUWAPUR TEHSIL- SHAHPUR, DISTRICT - BETUL (M.P.)	M/s National Energy Trading and Services Address: Plot No 7, Bindu Sadan, 401 Sai Chandra Colony, Green Space Tulasi, Puppalguda, Manikonda, Hyderabad, Telangana State, India

J. Brijesh Banarao

1058

YEAR WISE DEVELOPMENT PLAN & SECTION

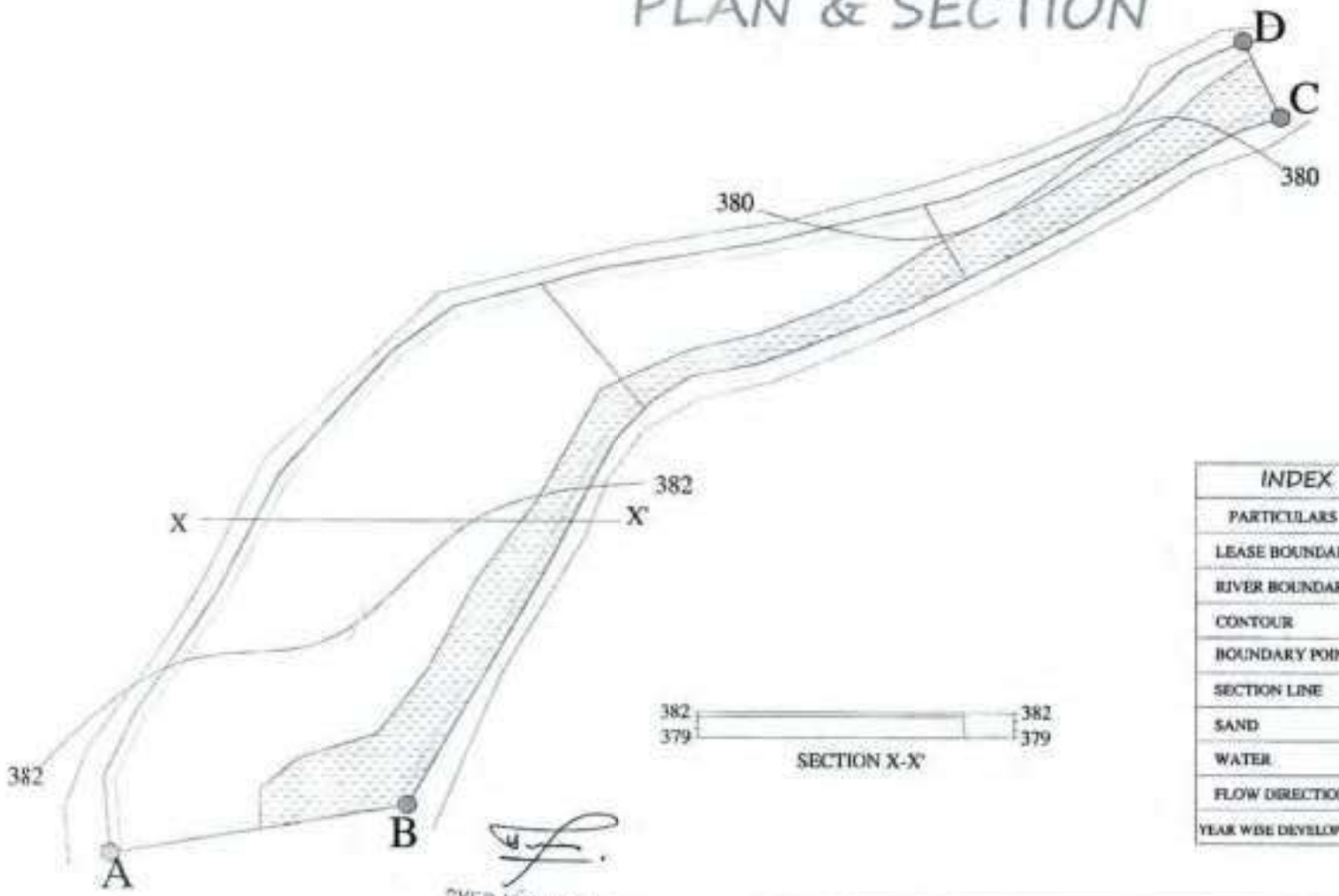

SECTION X-X'

INDEX	
PARTICULARS	SYMBO
LEASE BOUNDARY	
RIVER BOUNDARY	
CONTOUR	380
BOUNDARY POINTS	
SECTION LINE	
SAND	
WATER	
FLOW DIRECTION	
YEAR WISE DEVELOPMENT	

SYED IQTADAR TASVEER
RQP/DGMMP/211/2018-24

AREA DETAILS	APPLICANT:
QUARRY AREA - 11 HA. QUARRY SURVEY NO. - 1, 112 VILLAGE- SHAHPUR/PATUWAPUR TEHSIL- SHAHPUR, DISTRICT - BETUL (M.P.)	M/s National Energy Trading and Services Address: Plot No 7, Bindu Sadan, 401 Sai Chandra Colony, Green Space Tulasi, Puppalguda, Manikonda, Hyderabad, Telangana State, India

D Phyjic Bandhag

1059

ENVIRONMENTAL PLAN

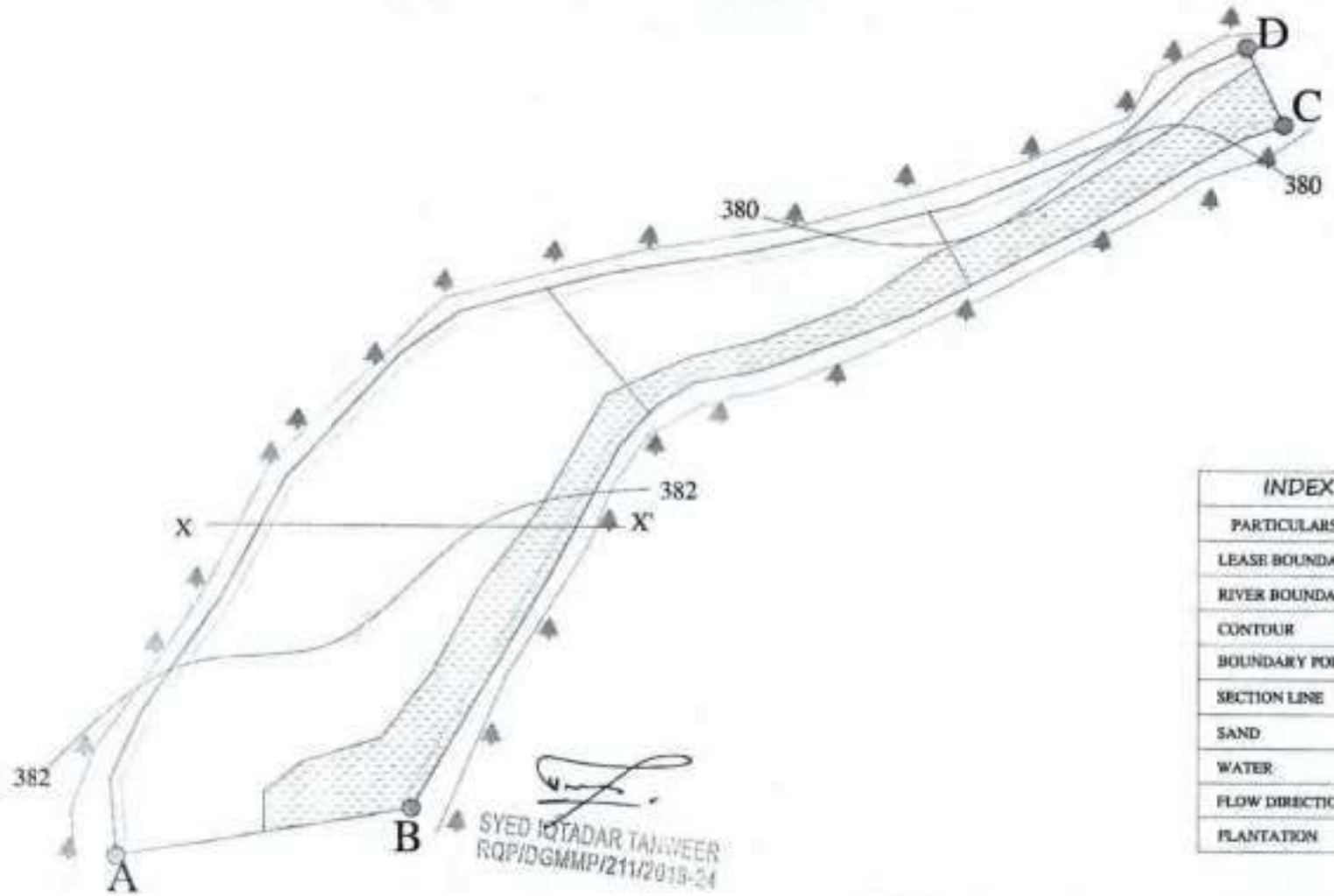

INDEX	
PARTICULARS	SYMBOL
LEASE BOUNDARY	
RIVER BOUNDARY	
CONTOUR	380
BOUNDARY POINTS	
SECTION LINE	
SAND	
WATER	
FLOW DIRECTION	
PLANTATION	

SYED IQTADAR TANVEER
RQP/DGMMP/211/2019-24

AREA DETAILS	APPLICANT:
QUARRY AREA - 11 HA. QUARRY SURVEY NO. - 1, 112 VILLAGE- SHAHPUR/PATUWAPUR TEHSIL- SHAHPUR, DISTRICT - BETUL (M.P.)	M/s National Energy Trading and Services Address: Plot No 7, Bindu Sadan, 401 Sai Chandra Colony, Green Space Tulasi, Puppalguda, Manikonda, Hyderabad, Telangana State, India

J. Bujji Bendhar

1060

YEARLY MONSOON WISE PLATE & SECTION

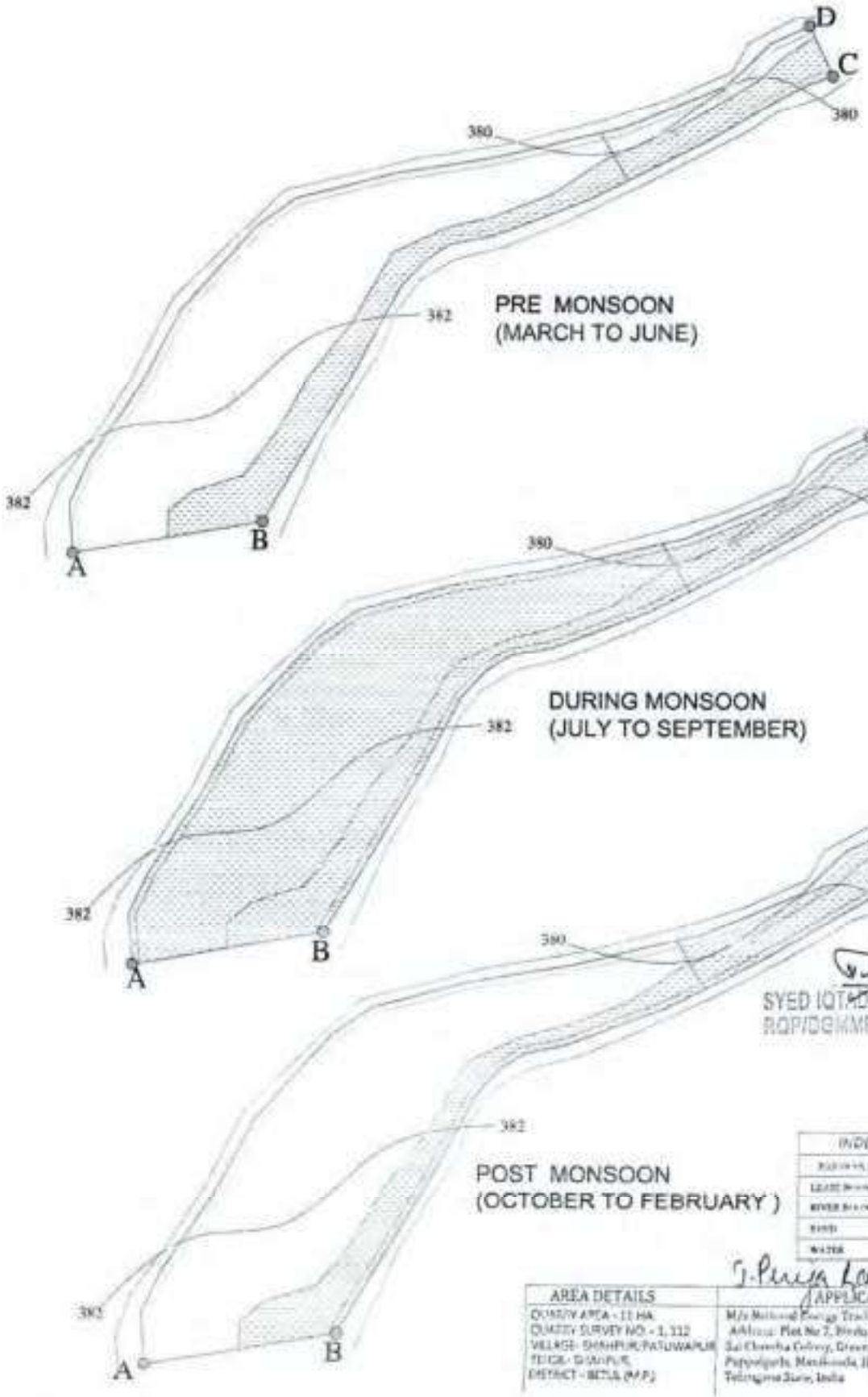

SYED IQTADAR TANVEER
ROP/DGM/MP/211/2019-24

INDEX	

J. Priya Kandhari

AREA DETAILS	APPLICANT:
QUARRY AREA - 11 HA	M/s National Energy Trading and Services Limited
QUARRY SURVEY NO. - 1, 112	Address: Plot No 7, Hindu Sadan, 401
VILLAGE- SHINHPUR,PATUWAPUR	Sai Chandra Colony, Green Space Talon,
TEHSIL- GWALIOR	Paigahgarh, Manikonda, Hyderabad,
DISTRICT - BETUL (M.P.)	Telangana State, India

J. Priya Kandhari

ANNEXURE-7

View of Google Earth and Photographs taken during the joint committee

<table>
<tr><td> </td><td> </td></tr>
<tr><td colspan="2">Doudi Malwar</td></tr>
<tr><td> </td><td> </td></tr>
<tr><td colspan="2">Sand seized from Malwar sand mine</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td> </td><td>
</td></tr>
<tr><td colspan="2">Guwadi Area</td></tr>
<tr><td> </td><td> </td></tr>
<tr><td colspan="2">Shahpur Patuwapura</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td> </td><td> </td></tr>
<tr><td> </td><td> </td></tr>
<tr><td colspan="2">Sand mine Shiv sagar , Banspur, Gounapur</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td> </td><td>
</td></tr>
<tr><td colspan="2">Dhamnya</td></tr>
<tr><td> </td><td>
</td></tr>
</table>

Tangnamal

Ballore

<table>
<tr><td> </td><td> </td></tr>
<tr><td colspan="2">Chikhali Raiyat</td></tr>
<tr><td> </td><td> </td></tr>
<tr><td colspan="2">Jholi-1</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td> </td><td> </td></tr>
<tr><td colspan="2">Khapariya</td></tr>
<tr><td> </td><td> </td></tr>
<tr><td colspan="2">Loniya</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td> </td><td>
</td></tr>
<tr><td colspan="2">Nandu</td></tr>
<tr><td> </td><td>
</td></tr>
<tr><td colspan="2">Ratamati</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td> </td><td> </td></tr>
<tr><td colspan="2">Amdoh</td></tr>
<tr><td> </td><td> </td></tr>
<tr><td colspan="2">Sataldehi</td></tr>
</table>

GPS Map
Camera Lite
Unnamed Road, Sitaljhiri, Madhya Pradesh 460001, India
Latitude
22° 4' 39.91591" N
Longitude
77° 45' 44.18874" E
Local 06:06:47 PM
GMT 12:36:47 PM
Altitude 558 meters
Wednesday, 08-23-2023

GPS Map
Camera Lite
Unnamed Road, Sitaljhiri, Madhya Pradesh 460001, India
Latitude
22° 4' 39.96725" N
Longitude
77° 45' 44.18323" E
Local 06:06:30 PM
GMT 12:36:30 PM
Altitude 558 meters
Wednesday, 08-23-2023

Sitaljhiti

Sand mine Village Jholi-1 Tahsil Ghoradongari

Sand mine Village Nandu Tahsil Ghoradongari

Sand mine Village Ratamati Tahsil Bhainsdehi

Plantation Middile Class school Village Guwadi Tahsil Shahpur

Guwadi Stock Village Guwadi Tahsil Shahpur

Sand mine Village Khapariya Tahsil Chicholi

Sand Stock Village Dhodaramohar Tahsil Shahpur

Sand Mine Village Loniya Tahsil Ghoradongari

Sand Mine Village Chikhali Raiyyat Tahsil Shahpur

ANNEXURE-8

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला–बैतूल (म.प्र.)

प्रारूप–तीन

(नियम 11(3) एवं 11(5) देखिए)

आशय–पत्र

क्रमांक/रेत/2022/1862 बैतूल, दिनांक 23/12/2022

प्रति,

मेसर्स नेशनल एनर्जी ट्रेडिंग एण्ड सर्विसेज लिमिटेड
पता–प्लॉट न. 7, बिन्दु सदन, 401 सांई चंद्र कॉलोनी,
ग्रीन स्पेस तुलसी, पुष्पलगुडा, मणिकोंडा, हैदराबाद,
रंगारेड्डी, तेलंगाना–500089

विषय :– ई–निविदा क्रमांक 1691 दिनांक 17.11.2022 के संदर्भ में ग्राम **(सूची अनुसार)** तहसील **(सूची अनुसार)** जिला **बैतूल** रकबा **(सूची अनुसार)** हेक्टेयर क्षेत्र की खदान समूह क्रमांक **(संपूर्ण बैतूल जिला)** रेत खदानों हेतु आशय–पत्र।

––00––

1. **पृष्ठभूमि :**

1.1 मध्यप्रदेश रेत (खनन, परिवहन, भण्डारण एवं व्यापार) नियम 2019 (यथा संशोधित) के अनुसरण में कलेक्टर जिला बैतूल द्वारा मध्यप्रदेश के जिला बैतूल स्थित समूह खदान के समूह क्रमांक **(संपूर्ण बैतूल जिला)** हेतु रेत की समूह खदानों के प्रदान के लिए निविदा प्रक्रिया को प्रारंभ करने के लिए ई–निविदा सूचना दिनांक **17.11.2022** जारी की गई। ई–निविदा प्रक्रिया उक्त नियमों के नियम 8 के अनुसार उक्त रेत समूह आबंटन हेतु संचालित की जाकर मेसर्स **नेशनल एनर्जी ट्रेडिंग एण्ड सर्विसेज लिमिटेड** को उक्त नियमों के नियम 8(8) के अधीन उच्चतम सफल निविदाकार के रूप में घोषित किया गया है।

1.2 उक्त नियमों के नियम 11 के अधीन तथा उक्त समूह खदान के लिए निविदा दस्तावेज के अधीन अपेक्षित किए गए अनुसार मेसर्स **नेशनल एनर्जी ट्रेडिंग एण्ड सर्विसेज लिमिटेड** ने प्ररक्षित मूल्य के 25 प्रतिशत राशि रकम रूपये **5,85,53,288/–(पांच करोड़ पच्यासी लाख तिरेपन हजार दो सौ अट्ठासी रूपये)** अग्रिम धन (ईएमडी) के रूप में एम.पी. टेंडर के माध्यम से जो दिनांक **02.12.2022** को जमा कर दी है तथा जो दिनांक 23/12/2022 को संचालक के पूल खाते में प्राप्त हुई है।

2. **परिणामस्वरूप आशय पत्र जारी किया जाना :**

उक्त नियमों के नियम 11(3) एवं 11(5) के अनुसरण में समूह क्रमांक **(संपूर्ण बैतूल जिला)** मेसर्स **नेशनल एनर्जी ट्रेडिंग एण्ड सर्विसेज लिमिटेड** के पक्ष में 30 जून 2023 अवधि हेतु रेत खनिज की खदानों के समूह के लिए ग्राम **(सूची अनुसार)** जिला **बैतूल** में रकबा **(सूची अनुसार)** (हेक्टेयर) क्षेत्र के लिए यह आशय पत्र जारी किया जाता है।

3. **शर्तें :**

3.1 यह आशय पत्र तथा इसके पूर्वोक्त खदान समूह का अनुवर्ती आबंटन इन नियमों के समय–समय पर यथा संशोधित उपबंधों के अध्यधीन होगा तथा मेसर्स **नेशनल एनर्जी ट्रेडिंग एण्ड सर्विसेज लिमिटेड** को "उच्चतम सफल निविदाकार" के रूप में घोषित किया जाता है तथा इन नियमों के अधीन समस्त अपेक्षाओं की संतोषजनक पूर्ति पर पश्चातवर्ती रूप से आवंटित खदान समूह का आबंटन किया जाएगा।

3.2 संदर्भ हेतु मेसर्स **नेशनल एनर्जी ट्रेडिंग एण्ड सर्विसेज लिमिटेड** के "उच्चतम सफल निविदाकार" के रूप में घोषित किए जाने तथा समूह खदानों के पश्चातवर्ती आबंटन है, के लिए अपेक्षाओं को नीचे दोहराया गया है। यह स्पष्ट किया जाता है कि अधोवर्णित अपेक्षाएं मात्र संदर्भ के लिए है तथा उक्त नियमों में किसी परिवर्तन की स्थिति में, यथास्थिति, संशोधित नियमों के अधीन अपेक्षाएं लागू होंगी।

(क) **"उच्चतम सफल निविदाकार" के रूप में घोषणा :–**

मेसर्स **नेशनल एनर्जी ट्रेडिंग एण्ड सर्विसेज लिमिटेड** को "उच्चतम सफल निविदाकार" मान्य किया जावेगा, बशर्ते :–

(एक) नियमों के निबंधनों तथा शर्तों का अनुपालन किया गया हो;

(दो) नियमानुसार वार्षिक ठेका राशि की 50 प्रतिशत रकम का भुगतान कर दिया गया हो;

(तीन) उक्त नियमों के नियम 12 के उप नियम (1) से उप नियम (6) में विनिर्दिष्ट खनन योजना एवं अन्य कानूनी अनुपालनों के संबंध में शर्तों को पूरा किया गया हो।

(ख) **ठेका अनुबंध का निष्पादन :–**

समस्त कानूनी अनुज्ञाओं, अनुमोदन, अनुज्ञा, अनापत्ति एवं सदृश, जो कि खनन संक्रिया प्रारंभ करने के लिए प्रयोज्य विधियों के अधीन अपेक्षित हो, प्राप्त करने के उपरांत मेसर्स **नेशनल एनर्जी ट्रेडिंग एण्ड सर्विसेज लिमिटेड** एवं बैतूल जिले के कलेक्टर के साथ प्रारूप 5 में पृथक–पृथक खदानवार ठेका अनुबंध का निष्पादन कराया जायेगा। अनुबंध निष्पादन की औपचारिकताऐं पूर्ण होने पर ठेका अनुबंध का भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का क्रमांक 16) के उपबंधों के अधीन पंजीयन कराया जायेगा।

(ग) **समूह खदानों की खनन संक्रिया :–**

अनुबंध निष्पादन के पश्चात मेसर्स **नेशनल एनर्जी ट्रेडिंग एण्ड सर्विसेज लिमिटेड** किश्तों का नियमित रूप से भुगतान करेंगें तथा नियमित खनन संक्रियायें जारी रखेंगें।

3.3 यह आशय पत्र नियमानुसार प्रगणित की गई 30 जून 2023 की कालावधि के लिए विधिमान्य है। समय–सीमा के भीतर समस्त शर्तों की पूर्ति की जानी चाहिए एवं मेसर्स **नेशनल एनर्जी ट्रेडिंग एण्ड सर्विसेज लिमिटेड** एवं बैतूल जिले के कलेक्टर के मध्य ठेका अनुबंध निष्पादित किया जाना चाहिए। उच्चतम सफल निविदाकार के नियंत्रण से परे किन्हीं कारणों से ठेका अनुबंध के निष्पादन में विलंब होने की स्थिति में, समय–सीमा में वृद्धि करने के लिए वह कलेक्टर को आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकेगा। उपरोक्त समस्त अथवा किन्हीं शर्तों के अनुपालन के लिए कलेक्टर अधिकतम 10 दिवस की अवधि बढ़ा सकेगा।

निविदाकार कम्पनी की ओर से प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षर उपरांत उक्त आशय पत्र की द्वितीय प्रति 07 दिवस की अवधि के भीतर अधोहस्ताक्षरी को स्वीकार्य पावती के रूप में वापस करने योग्य होगी।

संलग्न– **समूह की खदानों का विवरण एवं राशि की जानकारी।**

कलेक्टर
जिला–बैतूल (म.प्र.)

पृ0क्रमांक/रेत/2022/1862 बैतूल, दिनांक 23/12/2022

प्रतिलिपि :–

1– प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2– प्रमुख सचिव, नगरीय प्रशासन एवं पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3– सदस्य सचिव, सिया पर्यावास परिसर ई–5 अरेरा कालोनी, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4– कार्यपालक संचालक, दि मध्य प्रदेश स्टेट माईनिग कार्पोरेशन लिमिटेड भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5– संचालक, संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, 29–ए अरेरा हिल्स, म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ।
6– क्षेत्रीय अधिकारी, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड छिन्दवाड़ा की ओर सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित।
7– अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) समस्त जिला बैतूल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
8– तहसीलदार तहसील समस्त जिला बैतूल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
9– खनि निरीक्षक जिला बैतूल की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।

कलेक्टर
जिला–बैतूल (म.प्र.)

ई–निविदा में सम्मिलित खदानों एवं राशि का विवरण

जिला – बैतूल

क्र.	जिला	तहसील	ग्राम	खसरा क्रमांक	रकबा हेक्टेयर में	रेत का अनुमानित भण्डार (घनमीटर में)	अनुमानित दर का मूल्य (रूपये 250 प्रति घनमीटर + अन्य कर अतिरिक्त)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	लोनिया	179	1.115	25000	
2	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	पुलबेरिया	407	2.500	12750	
3	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	झाड़कुण्ड	1	0.950	7200	
4	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	चिखली आमढाना	219, 341	7.730	50000	
5	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	घोड़ाडोंगरी	373, 1395	7.000	20663	
6	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	आमढाना रैयत	248,141, 130	6.090	35700	
7	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	गांधीग्राम	2	0.550	13500	
8	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	नांदू	91	2.900	22500	
9	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	बाकुड	35	2.700	21875	
10	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	बरेलीपार/ घोड़ाडोंगरी	63	0.360	9000	
11	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	कचलोरा–1	67	0.100	2000	
12	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	कचलोरा–2	98	0.170	3570	
13	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	कचलोरा–3	69	0.340	9500	
14	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	आमढाना रैयत–1	79	0.350	8050	
15	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	आमढाना रैयत–2	175	0.340	6120	
16	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	आमढाना रैयत–3	178	0.620	13750	23,42,13,150/-
17	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	झोली–1	99	5.000	26000	
18	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	झोली–2	10	4.000	12000	
19	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	सातलदेही	187, 251	8.000	38500	
20	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	धरमपुर	309	6.000	7500	
21	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	बटकीडोह	112, 349	1.000	15000	
22	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	विष्णुपुर	1	2.000	30000	
23	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	चिचडोल रैयत	30	8.000	25000	
24	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	कटंगी	148	0.621	4000	
25	बैतूल	बैतूल	डहरगांव/भयावाड़ी	68, 260	6.250	25750	
26	बैतूल	बैतूल	कोदारोटी	106	5.450	7200	
27	बैतूल	बैतूल	कुम्हारिया	1	0.700	10800	
28	बैतूल	बैतूल	भीलावाड़ी	97	0.800	9100	
29	बैतूल	बैतूल	माथनी	78	0.860	9450	
30	बैतूल	आमला	सोनतलाई	1	9.330	9000	
31	बैतूल	आमला	बारछी	434, 308	5.520	10300	
32	बैतूल	आमला	जम्बाड़ा (बुजुर्ग)	217	0.700	2304	
33	बैतूल	भैंसदेही	रातामाटी	1	2.550	36000	

34	बैतूल	घोड़ाडोंगरी / शाहपुर	चौड़ी / गालगर	1, 38	14.050	210000
35	बैतूल	घोड़ाडोंगरी / शाहपुर	बांसपुर / शिवसागर / गौनापुर	1, 1, 288, 266	24.970	272250
36	बैतूल	शाहपुर	गुपाड़ी	19	2.500	70200
37	बैतूल	शाहपुर	शाहपुर / पतीयापुरा	1, 112	11.000	198000
38	बैतूल	शाहपुर	रिसालदारी	1	0.700	5625
39	बैतूल	घिघोली	सांगवानी	20	5.080	30064
40	बैतूल	घिघोली	हरन्या	1, 9	5.590	44000
41	बैतूल	घिघोली	खपरिया	18	3.000	32500
42	बैतूल	घिघोली	बल्लौर	162	3.000	35000
43	बैतूल	शाहपुर	टांगनानाल	209	4.000	42000
44	बैतूल	शाहपुर	धामन्या	1	5.000	38000
45	बैतूल	शाहपुर	घिखली रैयत	316	4.000	18000
46	बैतूल	शाहपुर	तेन्दूखेड़ा	119,114	5.000	22500
47	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	सिवनपाट	142	0.420	4200
				योग–	188.906	1561421

1	कुल चिंहित खदाने –	47
2	कुल अनुमानित क्षेत्रफल –	188.906 हे0
3	निविदा हेतु निर्धारित खदाने –	सम्पूर्ण बैतूल जिला
4	जिला समूह हेतु बिक्री योग्य निर्धारित मात्रा (वार्षिक) घनमीटर –	936852.6 (तेईस करोड़ बयालीस लाख तेरह हजार एक सौ पचास रूपये)
5	निविदाकार मेसर्स नेशनल एनर्जी ट्रेडिंग एण्ड सर्विसेज लिमिटेड	
6	पता–प्लॉट न. 7, बिन्दु सदन, 401 साई चंद्र कॉलोनी, ग्रीन स्पेस तुलसी, पुष्पलगुडा, मणिकोंडा, हैदराबाद, रंगारेड्डी, तेलंगाना – 500089	
7	स्वीकृत ऑफर मूल्य रूपये –	**531195424.20** (तिरेपन करोड़ ग्यारह लाख पनचान्वे हजार चार सौ चौबीस रूपये बीस पैसे मात्र)
8	प्राप्त दर के अनुसार प्रति घनमीटर देय राशि (रायल्टी सहित)	**567.00** (पांच सौ छड़सठ रूपये प्रति घनमीटर)
9	जमा EMD राशि रूपये –	**58553288** (पांच करोड़ पच्यासी लाख तिरेपन हजार दो सौ अट्ठासी रूपये)
10	शेष जमा राशि रूपये (265597712.10 – 58553288) ऑफर मूल्य का 50 प्रतिशत – निविदा की ईएमडी राशि	**207044424.10** (बीस करोड़ सत्तर लाख चौव्यालीस हजार चार सौ चौबीस रूपये दस पैसे मात्र)
11	बिन्दु क्रमांक 10 की राशि जमा दिनांक एवं भुगतान विवरण –	21.12.2022 **RTGS**

नोट :–2. निविदा प्रपत्र की कंडिका– 10 (ख) –परिशिष्ट–1 में समूह में सम्मिलित समस्त रेत खदानों का विवरण, खदान का अनुमानित क्षेत्रफल एवं खदान में उपलब्ध अनुमानित मात्रा दर्शित है। ठेकेदार द्वारा जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (डी.एस.आर.) द्वारा अनुमोदित मात्रा तक ही खनन किया जा सकेगा। यह अनिवार्य नहीं होगा कि वह समूह में सम्मिलित प्रत्येक खदान की परिशिष्ट–1 में दर्शित मात्रा हेतु, वैधानिक अनुमतियाँ प्राप्त कर खदानें संचालित करें। अर्थात निविदत्त मात्रा का खनन समूह में सम्मिलित कतिपय खदानों से, वैधानिक अनुमतियों के अधीन भी किया जा सकेगा।

कलेक्टर
जिला–बैतूल (म.प्र.)

ANNEXURE-9

Department of Finance , Government of Madhya Pradesh
Acknowledgement Receipt for Online Tax Payment
to M.P. State Government

TIN (Tax payment Identification Number) / Enrollment / Registration No.	MH40CD0017
Depositor/Dealer Name	SYED OWAIS ALI
Address	02 AMRAVATI, AMRAVATI, AMRAVATI, AMRAVATI, Maharastra - 444601
District selected for Payment	Betul
Unique Registration Number (URN)	MPTURN020520230006460
Department and Office Name	Mineral Resources, DISTRICT MINING OFFICE BETUL
Challan Payment Period	2023-2024

Purpose Details

CRN	Assessment/ Concerning Period	Head of Account	Challan Identification Number (CIN)	Challan No.	Amount(Rs.)
MPT0853020520230000035	2023-05-02 to 2023-05-02	0853-00-800-0278 (Other Receipts-Receipts from minor minerals including fines and forfeiture)	SBIN0006159085302052023694039	051/9999999 /0853/05 /23/000681	433750.00

Total Amount(in figures)	4,33,750.00
Total Amount(in words)	Four Lakh Thirty Three Thousand Seven Hundred Fifty Rupees Only
Name and Code of the Bank	STATE BANK OF INDIA (2)
Bank Reference Number	IK0CFOSMV5
Scroll No	69376
Scroll Date	02/05/2023
Date of Transaction / Time of Transaction (HH24:mm:ss)	02/05/2023 14:25:55
Transaction Status	Success

OK

Department of Finance , Government of Madhya Pradesh
Acknowledgement Receipt for Online Tax Payment
to M.P. State Government

TIN (Tax payment Identification Number) / Enrollment / Registration No.	MH40BL7107
Depositor/Dealer Name	SHARIK KHAN
Address	BETUL, BETUL, BETUL, Betul, Madhya Pradesh - 460001
District selected for Payment	Betul
Unique Registration Number (URN)	MPTURN280420230006561
Department and Office Name	Mineral Resources, DISTRICT MINING OFFCE BETUL
Challan Payment Period	2023-2024

Purpose Details

CRN	Assessment/ Concerning Period	Head of Account	Challan Identification Number (CIN)	Challan No.	Amount(Rs.)
MPT085328042023000039	2023-04-01 to 2024-03-31	0853-00-800-0278 (Other Receipts-Receipts from minor minerals including fines and forfeiture)	SBIN0006159085328042023470054	051/9999999 /0853/04 /23/013151	433750.00

Total Amount(in figures)	4,33,750.00
Total Amount(in words)	Four Lakh Thirty Three Thousand Seven Hundred Fifty Rupees Only
Name and Code of the Bank	STATE BANK OF INDIA (2)
Bank Reference Number	IK0CFKXYX5
Scroll No	47003
Scroll Date	28/04/2023
Date of Transaction / Time of Transaction (HH24:mm:ss)	28/04/2023 14:09:12
Transaction Status	Success

Department of Finance , Government of Madhya Pradesh
Acknowledgement Receipt for Online Tax Payment
to M.P. State Government

TIN (Tax payment Identification Number) / Enrollment / Registration No.	MH278X483Z
Depositor/Dealer Name	HEMANT SAWARKAR
Address	BHAINSDEHI, TEHSIL BHAINSDEHI, BETUL, Betul, Madhya Pradesh - 460001
District selected for Payment	Betul
Unique Registration Number (URN)	MPTURN250420230009463
Department and Office Name	Mineral Resources, DISTRICT MINING OFFICE BETUL
Challan Payment Period	2023-2024

Purpose Details

CRN	Assessment/ Concerning Period	Head of Account	Challan Identification Number (CIN)	Challan No.	Amount(Rs.)
MPT085325042023000081	2023-04-01 to 2024-03-31	0853-00-800-0278 (Other Receipts-Receipts from minor minerals including fines and forfeiture)	SBIN000615908532504202320510l	051/9999999/0853/04/23/011454	228125.00

Total Amount(in figures)	2,28,125.00
Total Amount(in words)	Two Lakh Twenty Eight Thousand One Hundred Twenty Five Rupees Only
Name and Code of the Bank	STATE BANK OF INDIA (2)
Bank Reference Number	IK0CFHBPV7
Scroll No	20430
Scroll Date	25/04/2023
Date of Transaction / Time of Transaction (HH24:mm:ss)	25/04/2023 15:05:27
Transaction Status	Success

OK

Department of Finance , Government of Madhya Pradesh
Acknowledgement Receipt for Online Tax Payment
to M.P. State Government

TIN (Tax payment Identification Number) / Enrollment / Registration No.	MH34BG5C02
Depositor/Dealer Name	AFZAL GORI
Address	SAFED PUL KE PASS, MISHRA CHOWK, PARATWADA, AMRAVATI, Maharastra - 444805
District selected for Payment	Betul
Unique Registration Number (URN)	MPTURN260410230002154
Department and Office Name	Mineral Resources, MINING DEPRATMENT
Challan Payment Period	2023-2024

Purpose Details

CRN	Assessment/ Concerning Period	Head of Account	Challan Identification Number (CIN)	Challan No.	Amount(Rs.)
MPT0853260420230000009	2023-04-01 to 2023-12-31	0853-00-800-0278 (Other Receipts-Receipts from minor minerals including fines and forfeiture)	SBIN0006159085326042023269402	051/9999999 /0853/04 /23/011883	448750.00

Total Amount(in figures)	4,48,750.00
Total Amount(in words)	Four Lakh Forty Eight Thousand Seven Hundred Fifty Rupees Only
Name and Code of the Bank	STATE BANK OF INDIA (2)
Bank Reference Number	CPACRSYHH5
Scroll No	26948
Scroll Date	26/04/2023
Date of Transaction / Time of Transaction (HH24:mm:ss)	26/04/2023 11:53:33
Transaction Status	Success

OK

Department of Finance , Government of Madhya Pradesh
Acknowledgement Receipt for Online Tax Payment
to M.P. State Government

TIN (Tax payment Identification Number) / Enrollment / Registration No.	MH37IL786
Depositor/Dealer Name	MOHAMMAD MAROOF
Address	SAILANI NAGAR, DESHMUKH PLOT, PARATWADA, AMRAVATI, Maharastra - 444805
District selected for Payment	Betul
Unique Registration Number (URN)	MPTURN260420230005859
Department and Office Name	Mineral Resources, BETUL
Challan Payment Period	2023-2024

Purpose Details

CRN	Assessment/ Concerning Period	Head of Account	Challan Identification Number (CIN)	Challan No.	Amount(Rs.)
MP1085326047023000029	2023-04-26 to 2023-04-27	0853-00-800-0278 (Other Receipts-Receipts from minor minerals including fines and forfeiture)	SBIN00061590853260420233287956	051/9999999 /0853/04 /23/011970	445000.00

Total Amount(in figures)	4,45,000.00
Total Amount(in words)	Four Lakh Forty Five Thousand Rupees Only
Name and Code of the Bank	STATE BANK OF INDIA (2)
Bank Reference Number	IKOCFIFRD7
Scroll No	28794
Scroll Date	26/04/2023
Date of Transaction / Time of Transaction (HH24:mm:ss)	26/04/2023 13:45:24
Transaction Status	Success

Cyber Treasury

Department of Finance , Government of Madhya Pradesh
Acknowledgement Receipt for Online Tax Payment
to M.P. State Government

TIN (Tax payment Identification Number) / Enrollment / Registration No.	MH27BX2112
Depositor/Dealer Name	PRAVIN
Address	GOULI PURA, PARATWADA, AMRAVATI, AMRAVATI, Maharastra - 444805
District selected for Payment	Betul
Unique Registration Number (URN)	MPTURN250420230013134
Department and Office Name	Mineral Resources, MINING OFFICE BETUL
Challan Payment Period	2023-2024

Purpose Details

CRN	Assessment/ Concerning Period	Head of Account	Challan Identification Number (CIN)	Challan No.	Amount(Rs.)
MPT08532504202300O122	2023-04-25 to 2023-04-25	0853-00-800-027B (Other Receipts-Receipts from minor minerals including fines and forfeiture)	SBIN0006159085325042023223246	051/9999999/0853/04/23/011533	445000.00

Total Amount(in figures)	4,45,000.00
Total Amount(in words)	Four Lakh Forty Five Thousand Rupees Only
Name and Code of the Bank	STATE BANK OF INDIA (2)
Bank Reference Number	IK0CFHFYJ6
Scroll No	22322
Scroll Date	25/04/2023
Date of Transaction / Time of Transaction (HH24:mm:ss)	25/04/2023 16:38:58
Transaction Status	Success

Treasury

Department of Finance , Government of Madhya Pradesh
Acknowledgement Receipt for Online Tax Payment
to M.P. State Government

TIN (Tax payment Identification Number) / Enrollment / Registration No.	MP09HG6513
Depositor/Dealer Name	PANKAJ DUBEY
Address	BETUL, BETUL, BETUL, Betul, Madhya Pradesh - 460001
District selected for Payment	Betul
Unique Registration Number (URN)	MPTURN25042023OD6578
Department and Office Name	Mineral Resources, MINING OFFICE BETUL
Challan Payment Period	2023-2024

Purpose Details

CRN	Assessment/ Concerning Period	Head of Account	Challan Identification Number (CIN)	Challan No.	Amount(Rs.)
MPT08532504202300003 2	2023-04-01 to 2024-03-31	0853-00-800-0278 (Other Receipts-Receipts from minor minerals including fines and forfeiture)	SBIN0006159085325042023190544	051/9999999 /0853/04 /23/011369	439375.00

Total Amount(in figures)	4,39,375.00
Total Amount(in words)	Four Lakh Thirty Nine Thousand Three Hundred Seventy Five Rupees Only
Name and Code of the Bank	STATE BANK OF INDIA (2)
Bank Reference Number	IK0CFGX0F8
Scroll No	19065
Scroll Date	25/04/2023
Date of Transaction / Time of Transaction (HH24:mm:ss)	25/04/2023 13:54:07
Transaction Status	Success

Department of Finance , Government of Madhya Pradesh
Acknowledgement Receipt for Online Tax Payment to M.P. State Government

TIN (Tax payment Identification Number) / Enrollment / Registration No.	MH34BG7888
Depositor/Dealer Name	ABDUL SADIK
Address	GRAM VANARSI,AMRAVATI, , AMRAVATI, Maharashtra - 444601
District selected for Payment	Betul
Unique Registration Number (URN)	MPTURN230520230006415
Department and Office Name	Mineral Resources, MINING OFFICE BETUL
Challan Payment Period	2023-2024

Purpose Details

CRN	Assessment/ Concerning Period	Head of Account	Challan Identification Number (CIN)	Challan No.	Amount(Rs.)
MPT0853230520230000055	2023-05-23 to 2023-05-23	0853-60-800-0278 (Other Receipts-Receipts from minor minerals including fines and forfeiture)	ICIC00000550853230520230000241	051/9999999/0853/05/23/011384	435625.00

Total Amount(in figures)	4,35,625.00
Total Amount(in words)	Four Lakh Thirty Five Thousand Six Hundred Twenty Five Rupees Only
Name and Code of the Bank	ICICI BANK (229)
Bank Reference Number	1003132361
Scroll No	000191
Scroll Date	23/05/2023
Date of Transaction / Time of Transaction (HH24:mm:ss)	23/05/2023 13:56:20
Transaction Status	Success

Print Receipt

OK

Department of Finance , Government of Madhya Pradesh
Acknowledgement Receipt for Online Tax Payment
to M.P. State Government

TIN (Tax payment Identification Number) / Enrollment / Registration No.	MH27BX7462
Depositor/Dealer Name	SHEKH IRFAN
Address	BETUL, BETUL, BETUL, Betul, Madhya Pradesh - 460001
District selected for Payment	Betul
Unique Registration Number (URN)	MPTURN280420230006807
Department and Office Name	Mineral Resources, DISTRICT MINING OFFICE BETUL
Challan Payment Period	2023-2024

Purpose Details

CRN	Assessment/ Concerning Period	Head of Account	Challan Identification Number (CIN)	Challan No.	Amount(Rs.)
MPT085328042023000043	2023-04-01 to 2024-03-31	0853-00-800-0278 (Other Receipts-Receipts from minor minerals including fines and forfeiture)	SBIN0006159085328042023470947	051/9999999 /0853/04 /23/013158	437500.00

Total Amount(in figures)	4,37,500.00
Total Amount(in words)	Four Lakh Thirty Seven Thousand Five Hundred Rupees Only
Name and Code of the Bank	STATE BANK OF INDIA (2)
Bank Reference Number	IK0CFKYHT1
Scroll No	47090
Scroll Date	28/04/2023
Date of Transaction / Time of Transaction (HH24:mm:ss)	28/04/2023 14:16:31
Transaction Status	Success

Department of Finance , Government of Madhya Pradesh
Acknowledgement Receipt for Online Tax Payment
to M.P. State Government

TIN (Tax payment Identification Number) / Enrollment / Registration No.	MP4BH6401
Depositor/Dealer Name	SANJAY PAWAR
Address	95, MULTAI, MULTAI, Betul, Madhya Pradesh - 460661
District selected for Payment	Betul
Unique Registration Number (URN)	MPTURN250420230013169
Department and Office Name	Mineral Resources, BETUL
Challan Payment Period	2023-2024

Purpose Details

CRN	Assessment/ Concerning Period	Head of Account	Challan Identification Number (CIN)	Challan No.	Amount(Rs.)
MPTOBS325042023000123	2023-04-25 to 2024-04-25	0853-00-800-0278 (Other Receipts- Receipts from minor minerals including fines and forfeiture)	SBIN0006159085325042023223315	051/9999999/0853/04/23/011539	228125.00

Total Amount(in figures)	2,28,125.00
Total Amount(in words)	Two Lakh Twenty Eight Thousand One Hundred Twenty Five Rupees Only
Name and Code of the Bank	STATE BANK OF INDIA (2)
Bank Reference Number	CKW7420352
Scroll No	22328
Scroll Date	25/04/2023
Date of Transaction / Time of Transaction (HH24:mm:ss)	25/04/2023 16:40:07
Transaction Status	Success

Department of Finance , Government of Madhya Pradesh
Acknowledgement Receipt for Online Tax Payment
to M.P. State Government

TIN (Tax payment Identification Number) / Enrollment / Registration No.	UP70FT5834
Depositor/Dealer Name	SALMAN KHAN
Address	0, PRAYAGRAJ, PRAYAGRAJ, ALLAHABAD, Uttar Pradesh - 211001
District selected for Payment	Betul
Unique Registration Number (URN)	MPTURN03052023000933I
Department and Office Name	Mineral Resources, SHAHPUR
Challan Payment Period	2023-2024

Purpose Details

CRN	Assessment/ Concerning Period	Head of Account	Challan Identification Number (CIN)	Challan No.	Amount(Rs.)
MPT08530205202300005O	2023-05-02 to 2024-05-01	0853-00-800-0278 (Other Receipts-Receipts from minor minerals including fines and forfeiture)	SBIN0006159085302052023708669	051/9999999/0853/05/23/000724	433750.00

Total Amount(in figures)	4,33,750.00
Total Amount(in words)	Four Lakh Thirty Three Thousand Seven Hundred Fifty Rupees Only
Name and Code of the Bank	STATE BANK OF INDIA (2)
Bank Reference Number	CKW8050110
Scroll No	70866
Scroll Date	02/05/2023
Date of Transaction / Time of Transaction (HH24:mm:ss)	02/05/2023 15:55:58
Transaction Status	Success

Department of Finance , Government of Madhya Pradesh
Acknowledgement Receipt for Online Tax Payment
to M.P. State Government

TIN (Tax payment Identification Number) / Enrollment / Registration No.	MH40CM0153
Depositor/Dealer Name	AFFU MEMON URF RAIHAN VANJARA
Address	AHMED COLONY, PARATWADA, PARATWADA, AMRAVATI, Maharastra - 444805
District selected for Payment	Betul
Unique Registration Number (URN)	MPTURN260420230002953
Department and Office Name	Mineral Resources, MINING
Challan Payment Period	2023-2024

Purpose Details

CRN	Assessment/ Concerning Period	Head of Account	Challan Identification Number (CIN)	Challan No.	Amount(Rs.)
MPT0853260420230000I4	2023-04-01 to 2023-12-31	0853-00-800-0278 (Other Receipts-Receipts from minor minerals including fines and forfeiture)	SBIN0006159085326042023273562	051/9999999 /0853/04 /23/011911	448750.00

Total Amount(in figures)	4,48,750.00
Total Amount(in words)	Four Lakh Forty Eight Thousand Seven Hundred Fifty Rupees Only
Name and Code of the Bank	STATE BANK OF INDIA (2)
Bank Reference Number	CPACRTBDG3
Scroll No	27355
Scroll Date	26/04/2023
Date of Transaction / Time of Transaction (HH24:mm:ss)	26/04/2023 12:22:46
Transaction Status	Success

Department of Finance , Government of Madhya Pradesh
Acknowledgement Receipt for Online Tax Payment
to M.P. State Government

TIN (Tax payment Identification Number) / Enrollment / Registration No.	MH27 BX1399
Depositor/Dealer Name	CHINTU MAHARAJ
Address	RESIDENSI PARATWADA, PARATWADA, AMRAVATI, Maharastra - 444805
District selected for Payment	Betul
Unique Registration Number (URN)	MPTURN250420230012311
Department and Office Name	Mineral Resources, MINING
Challan Payment Period	2023-2024

Purpose Details

CRN	Assessment/ Concerning Period	Head of Account	Challan Identification Number (CIN)	Challan No.	Amount(Rs.)
MPT08532S042023000114	2023-04-25 to 2023-07-31	0853-00-800-0270 (Other Receipts-Receipts from minor minerals including fines and forfeiture)	SBIN0006159085325042023218865	051/9999999/0853/04/23/011513	439375.00

Total Amount(in figures)	4,39,375.00
Total Amount(in words)	Four Lakh Thirty Nine Thousand Three Hundred Seventy Five Rupees Only
Name and Code of the Bank	STATE BANK OF INDIA (2)
Bank Reference Number	CKW7415935
Scroll No	21882
Scroll Date	25/04/2023
Date of Transaction / Time of Transaction (HH24:mm:ss)	25/04/2023 16:16:44
Transaction Status	Success

Department of Finance , Government of Madhya Pradesh
Acknowledgement Receipt for Online Tax Payment
to M.P. State Government

TIN (Tax payment Identification Number) / Enrollment / Registration No.	MH34BZ3257
Depositor/Dealer Name	SHOEB KHAN PITA SABIR KHAN
Address	DHOTARKHEDA, WARD NO 4, AMRAWATI, AMRAVATI, Maharastra - 444806
District selected for Payment	Betul
Unique Registration Number (URN)	MPTURN230520230003552
Department and Office Name	Mineral Resources, DISTRICT MINING OFFICE BETUL
Challan Payment Period	2023-2024

Purpose Details

CRN	Assessment/ Concerning Period	Head of Account	Challan Identification Number (CIN)	Challan No.	Amount(Rs.)
MPT085323052023000026	2023-05-23 to 2023-05-23	0853-00-800-0278 (Other Receipts-Receipts from minor minerals including fines and forfeiture)	SBIN0006159085323052023068765	051/9999999 /0853/05 /23/011281	446875.00

Total Amount(in figures)	4,46,875.00
Total Amount(in words)	Four Lakh Forty Six Thousand Eight Hundred Seventy Five Rupees Only
Name and Code of the Bank	STATE BANK OF INDIA (2)
Bank Reference Number	IK0CGJWXC5
Scroll No	68906
Scroll Date	23/05/2023
Date of Transaction / Time of Transaction (HH24:mm:ss)	23/05/2023 12:44:29
Transaction Status	Success

Department of Finance , Government of Madhya Pradesh
Acknowledgement Receipt for Online Tax Payment
to M.P. State Government

TIN (Tax payment Identification Number) / Enrollment / Registration No.	
Depositor/Dealer Name	ANUP ARYA
Address	0, CHICHOLI, CHICHOLI, Betul, Madhya Pradesh - 460330
District selected for Payment	Betul
Unique Registration Number (URN)	MPTURN250420230011685
Department and Office Name	Mineral Resources, SHAHPUR
Challan Payment Period	2023-2024

Purpose Details

CRN	Assessment/ Concerning Period	Head of Account	Challan Identification Number (CIN)	Challan No.	Amount(Rs.)
MPT0853250420230000103	2023-04-25 to 2024-04-24	0853-00-800-0278 (Other Receipts-Receipts from minor minerals including fines and forfeiture)	SBIN0006159085325042023215560	051/9999999/0853/04/23/011494	235625.00

Total Amount(in figures)	2,35,625.00
Total Amount(in words)	Two Lakh Thirty Five Thousand Six Hundred Twenty Five Rupees Only
Name and Code of the Bank	STATE BANK OF INDIA (2)
Bank Reference Number	CKW7413265
Scroll No	21554
Scroll Date	25/04/2023
Date of Transaction / Time of Transaction (HH24:mm:ss)	25/04/2023 15:59:20
Transaction Status	Success

Department of Finance , Government of Madhya Pradesh
Acknowledgement Receipt for Online Tax Payment
to M.P. State Government

TIN (Tax payment Identification Number) / Enrollment / Registration No.	BETUL
Depositor/Dealer Name	MOHIT KOSE
Address	NIKHIL KOSE, MP48H1063, DAHARGAON DAMPHAR, Betul, Madhya Pradesh - 460225
District selected for Payment	Betul
Unique Registration Number (URN)	MPTURN240420230000432
Department and Office Name	Mineral Resources, BETUL
Challan Payment Period	2023-2024

Purpose Details

CRN	Assessment/ Concerning Period	Head of Account	Challan Identification Number (CIN)	Challan No.	Amount(Rs.)
MPT08532404202300001	2023-04-19 to 2024-04-19	0853-00-800-0278 (Other Receipts-Receipts from minor minerals including fines and forfeiture)	SBIN0006159085324042023060414	051/9999999/0853/04/23/010639	235625.00

Total Amount(in figures)	2,35,625.00
Total Amount(in words)	Two Lakh Thirty Five Thousand Six Hundred Twenty Five Rupees Only
Name and Code of the Bank	STATE BANK OF INDIA (2)
Bank Reference Number	CKW7250098
Scroll No	59996
Scroll Date	24/04/2023
Date of Transaction / Time of Transaction (HH24:mm:ss)	24/04/2023 10:26:34
Transaction Status	Success

Department of Finance , Government of Madhya Pradesh
Acknowledgement Receipt for Online Tax Payment
to M.P. State Government

TIN (Tax payment Identification Number) / Enrollment / Registration No.	
Depositor/Dealer Name	CHINTU MAHARAJ
Address	MH 27 BX 1850, AMRAVTI , MAHARASTRA, AMRAVATI, Maharastra - 444601
District selected for Payment	Betul
Unique Registration Number (URN)	MPTURN160820230009534
Department and Office Name	Mineral Resources, BETUL
Challan Payment Period	2023-2024

Purpose Details

CRN	Assessment/ Concerning Period	Head of Account	Challan Identification Number (CIN)	Challan No.	Amount(Rs.)
MPT085316082023000085	2023-08-16 to 2024-08-16	0853-00-800-0278 (Other Receipts-Receipts from minor minerals including fines and forfeiture)	SBIN000615908531608202341126 8	051/9999999/0853/08/23/006022	443125.00

Total Amount(in figures)	4,43,125.00
Total Amount(in words)	Four Lakh Forty Three Thousand One Hundred Twenty Five Rupees Only
Name and Code of the Bank	STATE BANK OF INDIA (2)
Bank Reference Number	CPACZUCWQ9
Scroll No	41126
Scroll Date	16/08/2023
Date of Transaction / Time of Transaction (HH24:mm:ss)	16/08/2023 19:53:54
Transaction Status	Success

ANNEXURE-10

कार्यालय कलेक्टर

जिला - बैतूल (म.प्र.)
टेलीफोन: 07141-230034(O)/07141-231033(R),फैक्स क्र.:07141-230219
Email- dmbetul@mp.gov.in

क्रमांक/ख.लि.-2/2023/927 बैतूल, दिनांक 25/05/2023

// कारण बताओं सूचना पत्र //

प्रति,

मेसर्स नेशनल एनर्जी ट्रेडिंग एण्ड सर्विसेज लिमिटेड
अधिकृत व्यक्ति श्री रूकेश बनखेडे
पता:- प्लाट न0 7 बिन्दु सदन 401 सांई चंद्र कालोनी,
बीन स्पेस तुलसी, पुप्पलगुडा मणिकोंडा, हैदराबाद, रंगारेडडी
तेलंगाना - 500089
वर्तमान पता- हाउस न0 247, तृतीय तल,
सेक्टर-2 शक्ति नगर, हबीबगंज भोपाल (म.प्र.)

विषय:- रेत खदान ठेका अनुबंध की शर्तो का उल्लंघन करने बाबत्।

-----oo-----

आपके पक्ष में जिला बैतूल की 47 रेत खदाने दिनांक 09.02.2023 से 30.06.2023 तक स्वीकृत होकर अनुबंधित है। राजस्व विभाग एवं खनिज विभाग द्वारा जांच उपरांत आपके द्वारा ठेका अनुबंध की शर्तो का उल्लंघन कर अनिमियता की गई है, जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

1. दिनांक 13/04/2023 को लगभग रात्रि 9:00 बजे खनिज विभाग द्वारा जांच के दौरान शाहपुर बस स्टेण्ड मुख्य मार्ग पर वाहन क्रमांक (1) MP04 HE 5617 (2) MP 04 HE 5611 (3) MP 48 H 1294 (4) MP 48 H 6692 में ग्राम खपरिया तहसील चिचोली से जारी ई.टी.पी. के द्वारा रेत खनिज का ओव्हरलोड परिवहन करते पाये गये।

2. दिनांक 14/04/2023 को राजस्व विभाग द्वारा जांच के दौरान पाया गया है कि वाहन क्रमांक MH 27 BX 1850 द्वारा ग्राम मालवर से रेत परिवहन किया जा रहा था, जिसकी ई.टी.पी ग्राम झोली-। की पाई गयी है साथ ही उक्त वाहन की जांच दिनांक 14/04/2023 को समय प्रातः 9.00 बजे की गई जिसकी ई.टी.पी. जांच उपरांत समय 10.52 बजे जारी करना पाई गयी है। इसी प्रकार वाहन क्रमांक (1) MH 40 CD 0017 (2) MH 34 BG 7888 (3) UP 70 FT 5834 (4) MH 37 T 1786 (5) MP 48 H 6401 (6) MH 34 BZ 3257 (7) MH 34 BG 5002 (8) MH 27 BX 2112 (9) MH 27 BX 4832 (10) MH 40 BL 7107 (11) MH 40 CM 0153 (12) MH27 BX 1399 (13) MP09 HG 6513 (14) MP 48 H 1237 (15) MP 27 BX 7462 (16) MP 48 H 1063 कुल 16 वाहनों द्वारा भी रेत खदान ग्राम मालवर से रेत परिवहन किया जा रहा था, जिसकी ई.टी.पी ग्राम खपरिया रेत खदान की पाई गयी है। इस प्रकार आपके द्वारा अवैधानिक रूप से ई.टी.पी का दुरूपयोग कर रेत खनिज का परिवहन करवाया गया है। इस प्रकार आपके द्वारा रेत खदान हेतु ठेका अनुबंध की शर्त क्रमांक 28 का उल्लंघन किया गया है।

3. दिनांक 20/04/2023 को जांच के दौरान सरपंच ग्राम पंचायत खापा के कथन अनुसार आपके द्वारा ग्राम मालवर तहसील घोडाडोंगरी स्थित शासकीय भूमि खसरा क्रमांक 37, 295/1 एवं 32 पर देवेन्द्र पिता प्रेमसिंह परते एवं बहादुर पिता प्रेमसिंह परते नि0 ग्राम मालवर तहसील घोडाडोंगरी से रेत खनिज मात्रा 474.5 घनमीटर का अवैध भण्डारण कराया जाना पाया गया है, जो मध्यप्रदेश रेत (खनन परिवहन भण्डारण एवं व्यापार) नियम 2019 के नियम 18 के विपरीत है।

उपरोक्तानुसार आपके द्वारा मध्यप्रदेश रेत (खनन परिवहन भण्डारण एवं व्यापार) नियम 2019 में उपबंधित नियमों तथा रेत खदान हेतु निष्पादित ठेका अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन किया गया है। इस हेतु क्यो न मध्यप्रदेश रेत (खनन परिवहन भण्डारण एवं व्यापार) नियम 2019 के नियम 15 के अंतर्गत ठेका निरस्त करने की कार्यवाही प्रस्तावित की जावे। इस संबंध में आप अपना स्पष्ट उत्तर कारण बताओं सूचना पत्र प्राप्ति से 07 (सात) दिवस के भीतर सप्रमाण प्रस्तुत करें। निर्धारित समयावधि में उत्तर प्राप्त नहीं होने की दशा में आपके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

अपर कलेक्टर
बैतूल

पृ0क्रमांक/ख.लि.-2/2023/927 बैतूल, दिनांक 25.../05/2023

प्रतिलिपि:-

1. संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, म.प्र. 29-ए, खनिज भवन, अरेरा हिल्स भोपाल को सूचनार्थ।
2. कार्यपालक संचालक, म.प्र. राज्य खनिज निगम, पर्यावास भवन, अरेरा हिल्स भोपाल को सूचनार्थ।

अपर कलेक्टर
बैतूल

ANNEXURE 11

खनिज रेत के अवैध परिवहन माह जनवरी 2023 से अप्रैल 2023 तक के प्रकरणों की जानकारी

क्र0	प्रकरण दर्ज करने का दिनांक	प्रकरण किसके द्वारा बनाया गया	स्थान ग्राम का नाम तहसील	मालिक का नाम	वाहन का प्रकार	वाहन क्रमांक	खनिज का नाम	मात्रा घ.मी.	प्रस्तावित राशि	आरोपित राशि	जमा राशि
1	05.01.2023	खनि निरीक्षक	सालबर्डी आठनेर	गोपालराव पिता बाबूराव पुंसे नि. दोपोरी	टैक्टर	MH27BZ9500	रेत	3	29125	29125	29125
2	16.01.2023	वन परिक्षेत्र सावलीगढ	फोफल्या शाहपुर	फुलचंद पिता छुन्नु अखण्डे नि. खरपार शाहपुर	ट्रैक्टर	MP48AA5150	रेत	3	30625	30625	30625
3	17.01.2023	खनि निरीक्षक	मातेगांव मुलताई	अजय पिता मुंशीलाल पवार नि. मुलताई	डम्पर	MH40CD5564	रेत	19	435625	435625	435625
4	01.02.2023	वन विभाग भैसदेही	धामन्या भैसदेही	हेमंत सावरकर पिता हरिभाऊ सावरकर	डम्पर	MH27BX4832	रेत	12.187	224746	224746	224746
5	01.02.2023	खनि निरीक्षक	मोहरखेडा मुलताई	भानुप्रताप सिंह पिता उत्तम सिंह परमार	डम्पर	MH40BL8455	रेत	12	222500	222500	222500
6	01.02.2023	वन विभाग चिचोली	गुराडिया भीमपुर	नितेश पिता सुरेश राठौर	डम्पर	WB76C9924	रेत	20	237500	237500	237500
7	01.02.2023	खनि निरीक्षक	घोडाडोंगरी घोडाडोंगरी	अप्पू पिता सेनी नि. बैतूल	डम्पर	MP48H0531	रेत	10	118750	118750	118750
8	01.02.2023	खनि निरीक्षक	शाहपुर शाहपुर	प्रमुल्ल बारई	डम्पर	MH27BG7166	रेत	20	437500	437500	437500
9	01.02.2023	खनि निरीक्षक	शाहपुर शाहपुर	अलीम खान पिता माले खान	डम्पर	MH27BE2121	रेत	22	441250	441250	441250
10	01.02.2023	खनि निरीक्षक	शाहपुर शाहपुर	अलीम खान पिता माले खान	डम्पर	MH15DK4211	रेत	18	233750	233750	233750
11	24.02.2023	खनि निरीक्षक	शाहपुर शाहपुर	अब्दुल पिता माहेसीन अब्दुल सत्तार अमरावती	डम्पर	MH 27 BX 7861	रेत	22	441250	441250	441250
12	17.03.2023	खनि निरीक्षक	शाहपुर शाहपुर	सलमान पिता जमीलुददीन खान	ट्रक	None	रेत	3.339	77811	77811	77811

क्र0	प्रकरण दर्ज करने का दिनांक	प्रकरण किसके द्वारा बनाया गया	स्थान ग्राम का नाम तहसील	मालिक का नाम	वाहन का प्रकार	वाहन क्रमांक	खनिज का नाम	मात्रा घ.मी.	प्रस्तावित राशि	आरोपित राशि	जमा राशि
13	06.04.2023	थाना शाहपुर	पहावडी शाहपुर	दीनदयाल पिता सकल धुर्वे नि. पिसाजोड़ी पाढर शाहपुर	टेक्टर	None	रेत	3	41290	41290	41290
14	09.04.2023	खनि निरीक्षक वी के वशिष्ठ	घाट पिपरीया मुलताई	राधो पिता बग्गू पानपगारे नि. कोहरमाल	टेक्टर	MP 28 AD 4606	रेत	3	30625	30625	30625
15	09.04.2023	खनि निरीक्षक वी के वशिष्ठ	दुनावा मुलताई	धन्जी पिता पाठेकर नि. दुनावा तह. मुलताई	ट्रेक्टर	MP 48 AA 5564	रेत	3	30625	30625	30625
16	13.04.2023	खनि निरीक्षक वी के वशिष्ठ	बैतूल	प्रेमलाल पिता आशाराम अतुलकर नि. गौठाना बैतूल	ट्रेक्टर	MP 48 ZA 8613	रेत	3	30625	30625	30625
17	13.04.2023	खनि निरीक्षक वी के नागवंशी	मुर्गी चौक बैतूल	चुन्की तिवारी नि. बैतूल	ट्रेक्टर	None	रेत	3	30625		
18	15.04.2023	खनि निरीक्षक वी के नागवंशी	शाहपुर शाहपुर	बंसल कंस्ट्रक्शन	डम्पर	MP 04 HE 5617	रेत	14	376250	376250	376250
19	15.04.2023	खनि निरीक्षक वी के नागवंशी	शाहपुर शाहपुर	बंसल कंस्ट्रक्शन	डम्पर	MP 04 HE 5611	रेत	15	376250	376250	376250
20	15.04.2023	खनि निरीक्षक वी के वशिष्ठ	शाहपुर शाहपुर	प्रवीण पिता जनदीश राठौर नि. बड़ोरा बैतूल	डम्पर	MP 48 H 1294	रेत	5	80804	80804	80804
21	15.04.2023	खनि निरीक्षक वी के वशिष्ठ	शाहपुर शाहपुर	फारुख पिता फिरोज खान नि. महावीर वार्ड मुलताई	डम्पर	MP 48 H 6629	रेत	5	80804	80804	80804
22	21.04.2023	खनि निरीक्षक वी के वशिष्ठ	साकादेही बैतूल	रवि राठौर पिता शिवप्रसाद राठौर	डम्पर	MP 04 HE 2939	रेत	15	48483	48483	48483
23	24.04.2023	खनि निरीक्षक वी के नागवंशी	बाजपुर बैतूल	प्रेमलाल पिता सालकु गंगारे नि. बाजपुर	ट्रेक्टर	MP 48 AA 6918	रेत	3	30625	30625	30625
24	20-01-23	थाना प्रभारी रानीपुर	चिखलीआमढाना	राहुल पिता जग्गु	ट्रेक्टर	MP48AA6843	रेत	3	30625	30625	30625
25	25-01-23	थाना प्रभारी रानीपुर	सिलपटी	अर्जुन पिता विनोद	ट्रेक्टर	MP05AJ0236	रेत	1	26875	26875	26875

क्र०	प्रकरण दर्ज करने का दिनांक	प्रकरण किसके द्वारा बनाया गया	स्थान ग्राम का नाम तहसील	मालिक का नाम	वाहन का प्रकार	वाहन क्रमांक	खनिज का नाम	मात्रा घ.मी.	प्रस्तावित राशि	आरोपित राशि	जमा राशि
26	25-01-23	थाना प्रभारी सारणी	बासंपुर	शिवदीन उइके पिता मदन उइके	ट्रेक्टर	MP48AA5584	रेत	3	30625	30625	30625
27	02-02-23	राजस्व	कान्हावाडी	रमेश सोनारे	ट्रेक्टर	MP48A2570	रेत	3	30625	30625	30625
28	06-02-23	थाना प्रभारी सारणी	घोडाडोंगरी	राजेन्द्र सिंग पिता हरमान	ट्रेक्टर	AP01R6140	रेत	3	30625	30625	30625
29	13-02-23	थाना प्रभारी बीजादेही	चुनाहुजुरी	निलेश यादव पिता छोटेलाल यादव	ट्रेक्टर	MP48A2090	रेत	3	30625	30625	30625
30	14-02-23	थाना प्रभारी बीजादेही	चुनाहुजुरी	भोलाराम पिता सुखाराम यादव	ट्रेक्टर	MP48A8855	रेत	3	30625	30625	30625
31	14-02-23	थाना प्रभारी बीजादेही	चुनाहुजुरी	सतीश यादव पिता सुमरत यादव	ट्रेक्टर	MP28AC3674	रेत	3	30625	30625	30625
32	14-02-23	थाना प्रभारी बीजादेही	बांसपुर	अनिल उइके पिता मदन उइके	ट्रेक्टर	MP48A3987	रेत	3	30625	30625	30625
33	13-02-23	थाना प्रभारी सारणी	चुनाहुजुरी	बसंत ववनकर	ट्रेक्टर	MP28AA9917	रेत	3	30625	30625	30625
34	16-02-23	थाना प्रभारी सारणी	सारणी	आरिफ खान पिता अनिस	ट्रेक्टर	MP48A0218	रेत	1.33	27500	27500	27500
35	24-02-23	थाना प्रभारी चोपना	पाथाखेडा	मनीष पिता ग्यानसिंग	ट्रेक्टर	MP48A6277	रेत	3	30625	30625	30625
36	02-03-23	थाना प्रभारी सारणी	पाथाखेडा	संदीप पिता प्यारेलाल	ट्रेक्टर	MP48AA7609	रेत	2.25	29245	29245	29245
37	24-03-23	थाना प्रभारी रानीपुर	रानीपुर	साहेबलाल पिता गेंदराव घोटे	ट्रेक्टर	MP48 A6311	रेत	3	30625	30625	30625
38	24-03-23	थाना प्रभारी चोपना	सातलदेही	प्रभात धुर्वे पिता मंगल धुर्वे	ट्रेक्टर	MP48 A4731	रेत	3	30625	30625	30625
39	25-03-23	थाना प्रभारी बीजादेही	बीजादेही	मनीराम कास्दे पिता मुन्सी	ट्रेक्टर	MP12 JB0188	रेत	3	30625	30625	30625
40	25-03-23	थाना प्रभारी बीजादेही	बीजादेही	अर्जुन मवासे पिता भंगी मवासे	ट्रेक्टर	MP47 AG0962	रेत	3	30625	30625	30625
41	04-04-23	थाना प्रभारी सारणी	सारणी	बैजनाथ पिता बस्तीराम इवने	ट्रेक्टर	MP48 AA8523	रेत	3	30625	30625	30625
42	04-04-23	थाना प्रभारी सारणी	सारणी	शिवराम पिता बिरसु	ट्रेक्टर	MP48 A7231	रेत	3	30625	30625	30625
43	14-04-23	राजस्व	टेमरूमाल	अफफु मैमन	डम्पर	MH40CM0153	रेत	26	448750	448750	448750

क्र0	प्रकरण दर्ज करने का दिनांक	प्रकरण किसके द्वारा बनाया गया	स्थान ग्राम का नाम तहसील	मालिक का नाम	वाहन का प्रकार	वाहन क्रमांक	खनिज का नाम	मात्रा घ.मी.	प्रस्तावित राशि	आरोपित राशि	जमा राशि
44	14-04-23	राजस्व	टेमरूमाल	चिन्टु महाराज	डम्पर	MH27BX1850	रेत	23	443125	443125	443125
45	14-04-23	राजस्व	टेमरूमाल	मो0 मारूख	डम्पर	MH37T1786	रेत	24	445000	445000	445000
46	14-04-23	राजस्व	टेमरूमाल	सलमान खान	डम्पर	UP70FT5834	रेत	18	433750	433750	433750
47	14-04-23	राजस्व	टेमरूमाल	अफजल गौरी	डम्पर	MH34BG5002	रेत	26	448750	448750	448750
48	14-04-23	राजस्व	टेमरूमाल	शौहेब खान	डम्पर	MH34 BZ3257	रेत	25	446875	446875	446875
49	14-04-23	राजस्व	टेमरूमाल	सैययद आवेश	डम्पर	MH40CD0017	रेत	18	433750	433750	433750
50	14-04-23	राजस्व	टेमरूमाल	शेख इरफान	डम्पर	MH27BX7462	रेत	20	437500	437500	437500
51	14-04-23	राजस्व	टेमरूमाल	शारिक खान	डम्पर	MH40 BL7107	रेत	18	433750	433750	433750
52	14-04-23	राजस्व	टेमरूमाल	अब्दुल सादिक	डम्पर	MH34 BG7888	रेत	19	435625	435625	435625
53	14-04-23	राजस्व	टेमरूमाल	परवीन चौहरी	डम्पर	MH27 BX2112	रेत	24	445000	445000	445000
54	14-04-23	राजस्व	टेमरूमाल	चिन्टु महाराज	डम्पर	MH27 BX1399	रेत	21	439375	439375	439375
55	14-04-23	राजस्व	टेमरूमाल	मोहित कोशे	डम्पर	MP48H1063	रेत	19	235625	235625	235625
56	14-04-23	राजस्व	टेमरूमाल	हेमन्त सातरकर	डम्पर	MH27BX4832	रेत	15	228125	228125	228125
57	14-04-23	राजस्व	टेमरूमाल	संजय पवार	डम्पर	MP48H6401	रेत	15	228125	228125	228125
58	14-04-23	राजस्व	टेमरूमाल	पंकज दुबे	डम्पर	MP09 HG6513	रेत	21	439375	439375	439375
59	14-04-23	राजस्व	टेमरूमाल	अनूप आर्य	डम्पर	MP48H1237	रेत	19	235625	235625	235625
60	18-04-23	थाना प्रभारी शाहपुर	कुण्डी/शाहपुर	धरम कुमरे	ट्रैक्टर	MPNBG55AEMC M28834	रेत	3	25000	30625	30625
61	06.02.2023	कोतवाली थाना	पंगारा	पियका दवंडे	ट्रैक्टर	बिना न.	रेत	3	30625	30625	30625
62	06.02.2023	थाना चिचोली	हरन्या	संतोष राठौर	ट्रैक्टर	MP 48 AA 2218	रेत	3	30625	30625	30625
63	01.03.2023	थाना चिचोली	हरदू चुडिया रोड	बन पिता आशाराम	ट्रैक्टर	MP 48 AA 0169	रेत	3	30625	30625	30625
64	20.02.2023	थाना चिचोली	हरदू चुडिया रोड	दिनेश	ट्रैक्टर	MP 48 AA 9911	रेत	3	30625	30625	30625
65	12.04.2023	थाना कोतवाली	डोक्या	राजेश पांडे पिता सुरेश पाण्डे	ट्रैक्टर	MP 48 AA 3909	रेत	3	30625	30625	30625

क्र0	प्रकरण दर्ज करने का दिनांक	प्रकरण किसके द्वारा बनाया गया	स्थान ग्राम का नाम तहसील	मालिक का नाम	वाहन का प्रकार	वाहन क्रमांक	खनिज का नाम	मात्रा घ.मी.	प्रस्तावित राशि	आरोपित राशि	जमा राशि
66	10.02.2023	थाना झल्लार	रातामाटी	नंदराम पिता सोमा	ट्रैक्टर	MP 48 AA 2152	रेत	3	31625	31625	31625
67	10.02.2023	थाना झल्लार	रातामाटी	भूता पिता बालाजी	ट्रैक्टर	MP 48 AA 1829	रेत	3	31625	31625	31625
68	13.02.2023	हल्का पटवारी	रातामाटी	रमेश पिता देवसिंग	ट्रैक्टर	बिना न.	रेत	2.5	30688	30688	30688
69	10.03.2023	हल्का पटवारी	रातामाटी	सतीश पिता भोदू	ट्रैक्टर	बिना न.	रेत	3	31625	31625	31625
70	18.04.2023	तहसीलदार भैंसदेही	झल्लार	रूपेश पिता नत्थू	ट्रैक्टर	बिना न0	रेत	4	33500	33500	33500
71	18-04-23	थाना प्रभारी बोरदेही	केहलपुर	सुनिल धुर्वे	ट्रैक्टर	MP 48A6913	रेत	3	30625	30625	30625
72	04-04-23	थाना प्रभारी आमला	बोरीखुर्द	लब्बू यादव	ट्रैक्टर	MP48AA5568	रेत	3	30625	30625	30625
73	05-04-23	थाना प्रभारी आमला	बोरीखुर्द	गजानन्द पिता मूलसिंह	ट्रैक्टर	MP48A0721	रेत	3	30625	30625	30625
74	12.04.2023	थाना मुलताई	मासोद मुलताई	दिनोश पवार पिता बंसीलाल पंवार	ट्रैक्टर	MP04AH6185	रेत	3	30625	30625	
							योग-	685.61	11778871	11753871	11723246

ANNEXURE-12

शाहपुर
कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व शाहपुर जिला बैतूल
E-mail: sdm.sha@gmail.com ☎ (07146) 273149

क्रं./ स्टेनो/अ.वि.अ./2023/844 शाहपुर दिनांक 24.04.2023

प्रति,

1. खनिज अधिकारी
   बैतूल
2. नायब तहसीलदार
   घोडाडोंगरी

विषयः— तहसील घोडाडोंगरी स्थित मालवर में अवैध रेत भंडारण के संबंध में।
संदर्भः— कार्यालय तहसीलदार घोडाडोंगरी का पत्र कमांक/प्रवा/तह/2023/339 घोडाडोंगरी 20.04.2023

—0—

उपरोक्त विष्यांतर्गत संदर्भित पत्र के माध्यम से लेख है कि तहसीलदार घोडाडोंगरी एवं खनिज अधिकारी बैतूल के द्वारा ग्राम मालवर में खनिज रेत के अवैध भंडारण की जांच प्रतिवेदन मय पंचनामा, जप्तीनामा, सुपुर्दगीनामा, बयान प्रस्तुत किया गया है।

अतः उक्त संबंध में लेख है कि ग्राम मालवर में खनिज रेत के अवैध भंडारण करने वालों के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज कराना सुनिश्चित करे।

संलग्नः— उपरोक्तानुसार।

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
शाहपुर

कार्यालय तहसीलदार, तहसील घोड़ाडोंगरी जिला– बैतूल

क्र0/प्रवा0/तह0/2023/339 घोड़ाडोंगरी दिनांक 20/04/2023

प्रति,

अनुविभागीय अधिकारी शाहपुर
जिला बैतूल

विषयः– तहसील घोड़ाडोंगरी स्थित ग्राम मालवर में अवैध रेत भंडारण के संबंध में।
संदर्भः– कार्यालय अ.वि.अ. का पत्र कमांक /स्टेनो/अ.वि.अ./2023/821 शाहपुर दिनांक 20/04/2023

.....00.....

उपरोत विषयांर्तगत संदर्भित पत्र के पालन में तहसील घोड़ाडोंगरी अंतर्गत ग्राम मालवर में खनिज रेत के अवैध भंडारण की जांच कर प्रतिवेदन,मय पंचनामा, जप्तीनामा सुपुर्दगीनामा, बयान सादर प्रस्तुत है।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

20/4/23
तहसीलदार
घोड़ाडोंगरी

प्रतिवेदन

प्रति,

अनुविभागीय अधिकारी महोदय

शाहपुर, जिला बैतूल

विषयः- तहसील घोड़ाडोंगरी के ग्राम मालवर स्थित शासकीय भूमि खसरा क्रं. 37, 295/1, एवं 32 में खनिज रेत के अवैध भण्डारण के संबंध में संयुक्त जॉच प्रतिवेदन।

उपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि दिनांक 20.04.2023 को राजस्व एवं खनिज अमला द्वारा तहसील घोड़ाडोंगरी के ग्राम मालवर स्थित शासकीय भूमि खसरा क्रं. 37, 295/1, एवं 32 का आमस्मिक निरीक्षण ग्राम सरपंच व ग्रामवासियो कि उपस्थिती मे किया गया। निरीक्षण के दौरान उक्त शासकीय भूमि पर खनिज रेत का अवैध भण्डारण होना पाया गया। मौके पर उक्त स्थल पर भण्डारित खनिज रेत कि माप कि गई। माप अनुसार खसरा क्रं. 37 में लगभग 224.5 घन मीटर व खसरा क्रं. 295/1 में लगभग 210 घनमीटर एवं खसरा क्रं. 32 में 40 घनमीटर खनिज रेत का अवैध भण्डारण होना पाया गया। इस प्रकार उक्त तीनो खसरो में कुल 474.5 घनमीटर खनिज रेत का भण्डारण होना पाया गया। मौके पर उपस्थित ग्राम सरपंच व अन्य ग्रामवासीयो के बयान दर्ज कराये गये। उनके द्वारा बताया गया कि उक्त स्थल पर देवेन्द्र पिता प्रेमसिंग परते निवासी मालवर एवं बहादुर सिंग परते पिता प्रेमसिंग परते व उनके अन्य साथियो द्वारा उक्त अवैध खनिज रेत का भण्डारण किया गया।

प्रतिवेदन श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय रा0 शाहपुर कि ओर सादर प्रेषित।

संलग्नः- मौका पंचनामा, जप्तीनामा, सुपुर्दगीनामा, ग्रामवासियों के बयान, नजरी नक्शा खसरा पंचसाला।

20/4/2023
खनिज निरीक्षक
जिला बैतूल

20/4/23
तहसीलदार
घोड़ाडोंगरी

तहसीलदार
घोड़ाडोंगरी

हम समस्त पंच गण अधोहस्ताक्षरकर्ता इस पंचनामे में यह बात की तस्दीक करते हैं कि आज दिनांक 20/4/23 को ग्राम मालवा प.ह.नं. 3 1 में खसरा नम्बरान, खसरा नम्बरान मानचित्रमा एवं नगर सैनिक विनय रघुवंशी सादक व हथीलदार प.ह.नं. 1 एवं ग्राम सरपंच, ग्राम पटवार आदि एवं रा.मं. 37 में खसरा रेत (मात्रा लगभग 22म.घ.मी.) एवं 29 S/1 में (मात्रा 21म.घ.मी.) एवं रा.मं. 32 में मात्रा (म.घ.मी.) रेत का अवैध भंडारण किया जाना पाया गया।

मौके पर अवैध भंडारित रेत की मॉप की गयी फोटो ग्राफी की गयी।

एवं कथन ग्राम वासी।

ग्राम सरपंच द्वारा बताया गया कि ग्राम मालवा में उपरोक्त स्थानों पर खसरा नम्बरान रेत का भंडारण ग्राम के, बैंक व प्रेमनिवासी रहित नि.ग. एवं अन्य व्यक्तियों द्वारा किया गया है मौके पर रखा भंडारी रेत का जप्ती नामा रजुवा गया नामा नजरी नक्शा बनाया गया एवं जप्त शुदा रेत को ग्राम सचिव एवं ग्राम पटवारी एवं सरपंच ग्राम पं. को सुपुर्दगी किया गया

पंचनामा लिखित में यथास्थान पढ़कर सुनाया सत्य पाया सो हस्ताक्षर किये।

ROHIT

SK 20/04/23

(213)

(खान एवं खनिज अधिनियम 1957 की धारा 21 (4) एवं मध्यप्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भण्डारण का निवारण) नियम 2022

// जप्तीनामा – प्रपत्र //

दिनांक 20/04/2023
समय 2:00 PM

1. जप्तकर्ता अधिकारी / कर्मचारी का नाम एवं पद राजस्व एवं खनिज विभाग
2. जिससे जप्त किया गया उसका नाम पता भावारिस खनिज रेत
3. जप्ती स्थान का वितरण
   (क) ग्राम भालवर
   (ख) तहसील घोडाडोंगरी
   (ग) थाना चोपना
   (घ) जिला बैतुल
4. जप्तषुदा सामग्री का विवरण
   1. खनिज का नाम एवं मात्रा रेत (4.4.5 घ.मी.)
   2. वाहन क्रमांक
   3. अन्य विवरण रव.ज/एकब।
5. जप्ती का कारण 37, 295/1, 32
6. गवाह के हस्ताक्षर
   (पूर्ण नाम एव पता संहित)
   1. श्रीमति सहनवती कड़े 20.4.2023
      शेहित / सुरेश उपराले Rohit
      जिससे जप्त किया गया उसका हस्ताक्षर
   2. .....
      नाम .....
      .....

जप्तकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर (1) 20/4/23
नाम .....
पद ..... (2) 20/4/23

(खान एवं खनिज अधिनियम 1957 की धारा 21 (4) एवं मध्यप्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भण्डारण का निवारण) नियम 2022

//सुपुर्दनामा – प्रपत्र//

दिनांक 20/04/2023
समय 2.10 P.M

जप्ती का स्थान/ग्राम भाखवर तहसील घोड़ाडोंगरी थाना घोड़ाडोंगरी
जिला ~~बैतूल~~ (म.प्र.) बैतूल / म.प्र.

सुपुर्दगी में देने का कारण लावारिस रूप से खनिज रेत का भंडारण

मैं सुख चन्द उइके (ग्राम कोटवार) वल्द/आत्मज बंशी उइके
उम्र लगभग 65 वर्ष जाति मेहरा निवासी/साकिन दौड़ी
तहसील शाहपुर थाना शाहपुर जिला बैतूल का रहने वाला हूँ।
आज दिनांक ..... को जप्त किये गए खनिज/औजारों/वाहनों/अन्य जिसका विवरण नीचे इंद्राज/दर्ज है। अपने सुपुर्द में लेता हूँ व सत्य इकरार करता हूँ कि इसकी देख–रेख व हिफाजत करूंगा, इसे न ही किसी को स्थानांतरण करूंगा, न ही खुर्द–बुर्द करूँगा। शासन या सक्षम अधिकारी, जब भी जहां भी तलब करेंगे हाजिर करूंगा। इसके खुर्द–बुर्द होने पर शासन को अधिकार होगा कि मेरी या मेरे वारिसों की सम्पति से वसूल कर लेवे जिसका मुझे कोई एतराज न होगा। लिहाजा सुपुर्दनाम लिख दिया ताकि सनद/मौजूद रहे सो वक्त पर काम आये।

जप्तशुदा सामग्री का विवरण

1. खनिज का नाम एवं मात्रा रेत (4.74.5 घ.मी.)
2. वाहन क्रमांक .....
3. अन्य विवरण मा.ख.अ.अ. 2021 के 32

गवाहों के हस्ताक्षर
(पूर्ण नाम व पता सहित)

1. श्रीमति रहनकली कवरे 20.04.2023 सरपंच ग्राम पंचायत खापा .....

2. रोहित / सुरेश उइके .....

सुपुर्दगी में लेने वाले का हस्ताक्षर
नाम सुखचन्द उइके
पुत्र बंशी उइके
(ग्राम कोटवार)
पता दौड़ी तह० शाहपुर
जिला बैतूल

सुपुर्दगीकर्ता अधिकारी का हस्ताक्षर
नाम 1 20/4/23
पद 2 20/4/23

ग्राम - मालवट
दिनांक 20/04/23

बयान
ग्राम सरपंच

मैं श्रीमति सहनवती कावडे- w/o भैयालाल कावडे नि० मालवट त० घोडाडोंगरी जिला बैतुल आज दिनांक 20/04/2023 को मौजा स्थल ग्राम मालवट त० घोडाडोंगरी मे उपस्थ होकर यह सही-सही लिखा देती हूँ कि ग्राम - मालवट ख.क्र. 37, 295/1, ख.क्र. 32 में आज दिनांक 20/04/2023 को राजस्व एवं खनिज अमला द्वारा आकस्मिक निरीक्षण के दौरान अवैध रूप से भण्डारित खनिज रेत की जाँच कर जप्त करने की कार्यवाही मेरे एवं ग्रामवासियो के समक्ष की गई। मेरे जानकारी के अनुसार उक्त रेत खनिज का भण्डारण देवेन्द्र पिता प्रेमसिंह परते एवं खाडुर परते पिता प्रेमसिंह परते व अन्य व्यक्तियो द्वारा किया गया है।

बयान मेरे द्वारा मौके पर बिना किसी भय अथवा लालचके दर्ज कराये गये

बयान मौके पर
दर्ज किया गया

20/4/23

हस्ता. बयानकर्ता

20.4.2023
श्रीमति सहनवती कावडे
मो. नं. 8319380606

सरपंच
ग्राम पंचायत खापा

बयान

ग्राम-मालवट
दिनांक 20/04/23

मैं प्रतापसिंह पिता शुकलु भलावी नि० मालवट तह० घोड़ाडोंगरी जिला बैतुल आज दिनांक 20/04/2023 को मौका स्थल ग्राम मालवट तह० घोड़ाडोंगरी में उपस्थित होकर यह सही-सही लिख देता हूँ कि ग्राम मालवट स.क्र. 32, 295/1, एवं स.क्र. 32 में आज दिनांक 20/04/2023 को राजस्व एवं खनिज अमला द्वारा आकस्मिक निरीक्षण के दौरान अवैध रूप से भण्डारित खनिज रेत की जाँच कर जप्त करने की कार्यवाही मेरे एवं ग्रामवासियों के समक्ष की गई। मेरे जानकारी के अनुसार उक्त रेत खनिज का भण्डारण देवेन्द्र पिता प्रेमसिंह धुर्वे एवं बाहुर धुर्वे पिता प्रेमसिंह धुर्वे व उनके अन्य व्यक्तियों द्वारा किया गया है।

बयान मेरे द्वारा दर्ज किया गया।

20/4/23

प्रतापसिंह
हस्ता० बयानकर्ता
प्रतापसिंह उ० शुकलु भलावी
नि० मालवट त० घोड़ाडोंगरी
m:- 7049175113

221

बयान

ग्राम - मालवट
दिनांक 20/04/23

मैं रोहित पिता सुरेश उइके नि० पौड़ी तह० शाहपुर जिला बैतुल आज दिनांक 20/04/2023 को मौका स्थल ग्राम मालवट तह० घोड़ाडोंगरी में उपस्थित होकर यह सही-सही लिख देता हूँ कि ग्राम मालवट ख.क्र. 37, 295/1 रक्बा 0.32 हे० आज दिनांक 20/04/23 को राजस्व एवं खनिज अमला द्वारा संयुक्त निरीक्षण के दौरान अवैध रूप से भण्डारित खनिज रेत की जाँच कर जप्त करने की कार्यवाही मेरे एवं ग्रामवासियों के समक्ष की गई। मेरे जानकारी के अनुसार उक्त रेत खनिज का भण्डारण डेवेन्द्र पिता प्रेमसिंह परते एवं बादुर परते पिता प्रेमसिंह परते व उनके अन्य व्यक्तियों द्वारा किया गया है।

समान मोड़ पर
दर्ज किया गया।

20/4/23

Rohit
हस्ता० बयानकर्ता
रोहित उइके
पिता सुरेश उइके
मो 9669461327

ANNEXURE-13

State Environment Impact Assessment Authority, M.P.

(Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India)

Environmental Planning & Coordination Organization

Paryavaran Parisar, E-5, Arera Colony
Bhopal - 462016
visit us http://www.mpseiaa.nic.in
Email : mpseiaa@gmail.com
Tel.: 0755 - 2466970, 2466859
Fax : 0755 - 2462136

सत्यमेव जयते

No.: 2561 /SEIAA/23
Date : 19/11/23

प्रति,

मेसर्स नेशनल एनर्जी ट्रेडिंग एण्ड सर्विसेस लि.
प्लाट न. 07 बिन्दु सदन 401, साईचन्द, कालोनी,
ग्रीन स्पेस तुलसी, पुप्पलगुड़ा, मणिकोंडा,
हैदराबाद रंगारेड्डी, (तेलंगाना)

विषयः प्रस्ताव क्र. SIA/MP/MIN/296068/2022 - प्रकरण क्रमांक 8139/2020 – पूर्व परियोजना प्रस्तावक मेसर्स होटल उमा रेसीडेन्सी, चणक्यपुरी कालोनी, जिला सतना (म.प्र.), रेत खदान, रकबा 4.0 हे., उत्पादन क्षमता 10,800 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 316–भाग, ग्राम चिखली रैयत, तहसील शाहपुर, जिला बैतूल (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का हस्तांतरण, नवीन परियोजना प्रस्तावक मेसर्स नेशनल एनर्जी ट्रेडिंग एण्ड सर्विसेस लि. प्लाट न. 07 बिन्दु सदन 401, साईचन्द, कालोनी, ग्रीन स्पेस तुलसी, पुप्पलगुड़ा, मणिकोंडा, हैदराबाद रंगारेड्डी, (तेलंगाना) के नाम पर करने हेतु आवेदन।

संदर्भः राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) की 750वी बैठक दिनांक 13.10.2022 में लिये गये नीतिगत निर्णय अनुसार।

रेत उत्खनन के प्रकरणों को माननीय एनजीटी स्पेशल बेन्च के आदेश दिनांक 22.02.2022 एवं 04.03.2022 के परिपालन में SEIAA द्वारा 717वी बैठक दिनांक 08.04.2022 लिये गये नीतिगत निर्णय के दृष्टिगत प्रकरण को Re-visit कर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना 2006 के पैरा–11 अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा परिवेश पोर्टल पर आवेदित दस्तावेजो के आधार पर पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के हस्तांतरण हेतु सर्व सम्मति से निम्नानुसार कार्यवाही निर्णित की गयी :–

(1) नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर फार्म–7 में **रेत खदान, रकबा 4.0 हे. , उत्पादन क्षमता 10,800 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 316–भाग, ग्राम चिखली रैयत, तहसील शाहपुर, जिला बैतूल (म.प्र.)** को जारी पर्यावरण स्वीकृति का हस्तांतरण आवेदन प्राप्त हुआ है।

(2) **यह कि नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के संबंध में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं :–**

I. **प्रभारी अधिकारी, (खनिज शाखा) जिला बैतूल द्वारा पूर्व परियोजना प्रस्तावक मेसर्स होटल उमा रेसीडेन्सी, चणक्यपुरी कालोनी जिला सतना (म.प्र.) के पक्ष में नवीन परियोजना प्रस्तावक मेसर्स नेशनल एनर्जी ट्रेडिंग एण्ड सर्विसेस लि. प्लाट न. 07 बिन्दु सदन 401, साईचन्द, कालोनी, ग्रीन स्पेस तुलसी, पुप्पलगुड़ा, मणिकोंडा, हैदराबाद रंगारेड्डी, (तेलंगाना)** के नाम पर पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरित करने हेतु नोटराईज्ड शपथ पत्र पर अनापत्ति प्रस्तुत की गई है।

II. **मेसर्स नेशनल एनर्जी ट्रेडिंग एण्ड सर्विसेस लि. प्लाट न. 07 बिन्दु सदन 401, साईचन्द , कालोनी, ग्रीन स्पेस तुलसी, पुप्पलगुड़ा, मणिकोंडा, हैदराबाद रंगारेड्डी, (तेलंगाना)** द्वारा नोटराईज्ड शपथ–पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें उल्लेख किया गया है कि उक्त खदान में आज दिनांक तक कोई भी वाद–विवाद न्यायालय में प्रचलन में नहीं है एवं जारी की गई पर्यावरणीय स्वीकृति में निहित समस्त शर्तों का परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

III. एसईआईएए द्वारा पत्र क्र. 1097/एसईआईएए/2021 दिनांक 03.06.2021 के माध्यम से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति।

IV. NABET से अधिकृत पर्यावरण सलाहकार द्वारा तैयार की पर्यावरण प्रबंधन योजना (EMP) की प्रति।

V. नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा पत्र क्र. 1914 दिनांक 30.12.2022 के माध्यम से नवीन अनुमोदित खनन योजना मय वार्षिक पुर्नभरण अध्ययन की प्रति।

VI. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बैतूल द्वारा नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम से जारी आशय पत्र क्र. 1862/खनिज/रेत/2022 दिनांक 23.12.2022 (लीज अवधि 30.06.2023 तक मान्य) की प्रति।

VII. प्रभारी अधिकारी कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बैतूल द्वारा नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम पत्र क्र. 06/खनि–02/2023 दिनांक 03.01.2023 (लीज अवधि 30.06.2023 तक मान्य) द्वारा हस्तांतरित पत्र की प्रति।

VIII. प्रभारी अधिकारी कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बैतूल द्वारा SEIAA की 717वीं बैठक दिनांक 08.04.2022 के नीतिगत निर्णय कार्यवाही के बिन्दु क्र. 2.1 से 2.4 एवं 2.6 अनुसार चाही गई प्रमाणित जानकारी पत्र क्र. 18/खनि02/2023 दिनांक 03.01.2023 के माध्यम से प्रस्तुत की गई है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए अधिसूचना 2006 (पैरा–11) के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति में नाम परिवर्तन करने के लिए पर्याप्त दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं। अत : एसईआईएए द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र क्र. 1097/एसईआईएए/2021 दिनांक 03.06.2021 के माध्यम से मेसर्स होटल उमा रेसीडेन्सी, चणक्यपुरी कालोनी, जिला सतना (म.प्र) के नाम पर रेत खदान, रकबा 4.0 हे., उत्पादन क्षमता 10,800 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 316–भाग, ग्राम चिखली रैयत, तहसील शाहपुर, जिला बैतूल (म.प्र.) की जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का हस्तांतरण, नवीन परियोजना प्रस्तावक मेसर्स नेशनल एनर्जी ट्रेडिंग एण्ड सर्विसेस लि. प्लाट न. 07 बिन्दु सदन 401, साईचन्द, कालोनी, ग्रीन स्पेस तुलसी, पुप्पलगुड़ा, मणिकोंडा, हैदराबाद रंगारेड्डी, (तेलंगाना) के नाम निम्नानुसार अतिरिक्त शर्तों के साथ किया जाता है :–

I. **उपरोक्त पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 03.06.2021 में निहित समस्त शर्तें यथावत रहेंगी एवं पर्यावरण स्वीकृति की वैधता दिनांक 30.06.2023 तक मान्य रहेगी।**

II. प्रस्तावित खदान की उत्पादन क्षमता हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित खनन योजना में 10,800 घनमीटर प्रतिवर्ष, पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति में 21,000 घनमीटर प्रतिवर्ष, निविदा में निविदत्त मात्रा 10,800 घनमीटर एवं प्रस्तावित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में 10,800 घनमीटर दर्शित है, **अतः माननीय एन.जी.टी. के उक्त आदेश दिनांक 22.02.2022 एवं 04.03.2022 के परिपालन में न्यूनतम उत्पादन क्षमता 10,800 घनमीटर प्रतिवर्ष तक ही मान्य रहेगी। परियोजना प्रस्तावक द्वारा निविदा में निविदत्त मात्रा से अधिक उत्पादन मात्रा का उत्खनन नहीं किया जायेगा इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

III. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति में निर्धारित वृक्षारोपण कार्यक्रम के अनुसार (सतत् सिंचाई, मृत पौधों का बदलाव तथा रख–रखाव के साथ) पौधों का रोपण 06 माह में पूर्ण कर SEIAA कार्यालय को अनुपालन प्रतिवेदन सहित अवगत कराया जाये, यदि निर्धारित समयावधि में परियोजना प्रस्तावक द्वारा सम्पूर्ण वृक्षारोपण नहीं किया जाता है तो पर्यावरण स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी।**

IV. SEIAA द्वारा रेत खनन के प्रकरणों में जारी की जाने वाली समस्त पर्यावरण स्वीकृति माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों के आदेशों/दिशा निर्देशों के अधीन मान्य रहेंगी तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों द्वारा जारी सभी निर्देशों/निर्णयों का अनुपालन परियोजना प्रस्तावक के लिये बाध्यकारी होगा।

V. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 03.06.2021 में निहित शर्तों अनुसार वृक्षारोपण एवं सी.ई.आर. की गतिविधियों का परिपालन प्रथम वर्ष में किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

VI. नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सी.इ.आर एवं सभी गतिविधियों के फोटोग्राफ अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट के साथ एमपी–एसईआईएए को प्रस्तुत करेगा। यदि परियोजना प्रस्तावक अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट को अपलोड करने में विफल रहता है या संबंधित प्राधिकरण (एसईआईएए और क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल) को पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों की लगातार दो छमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, तो परियोजना प्रस्तावक को जारी की गई पूर्व पर्यावरण मंजूरी निरस्त की जायेगी।

VII. परियोजना प्रस्तावक पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी रेत उत्खनन सतत रेत खनन प्रबंधन दिशा निर्देश, 2016 एवं प्रवर्तन और निगरानी दिशा निर्देश, 2020 का सख्ती से परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा। **इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा समय–समय पर स्थल निरीक्षण किया जायेगा।**

अध्यक्ष महोदय, SEIAA द्वारा अनुमोदित

(गिरीश शर्मा)
सदस्य सचिव

क्र.. 2562 /SEIAA/2023 भोपाल दिनांक : 19/11/23

प्रतिलिपि :–

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (सेक), अनुसंधान एवं विकास विंग, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई–5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल – 462016।
3. सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई–5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल – 462016।
4. कलेक्टर, जिला बैतूल (म.प्र.)
5. वन मंडलाधिकारी, जिला बैतूल (म.प्र.)
6. आई.ए. डिवीजन, निगरानी प्रकोष्ठ, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड़, नई दिल्ली – 110003।
7. निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिमी क्षेत्र केन्द्रीय पर्यावरण भवन, लिंक रोड़ नं. 03, रवि शंकर नगर, भोपाल – 462016 ।
8. संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म मध्यप्रदेश, 29–ए, खनिज भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल – 462002।
9. मेसर्स होटल उमा रेसीडेन्सी, चणक्यपुरी कालोनी, जिला सतना (म.प्र) ।
10. खनिज अधिकारी, जिला बैतूल (म.प्र.)
11. संबंधित फाईल।

(आलोक नायक)
प्रभारी अधिकारी

State Environment Impact Assessment Authority, M.P.
(Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India)

Environmental Planning & Coordination Organization
Paryavaran Parisar, E-5, Arera Colony
Bhopal - 462016
visit us http://www.mpseiaa.nic.in
Email : mpseiaa@gmail.com
Tel.: 0755 - 2466970, 2466859
Fax : 0755 - 2462136

सत्यमेव जयते

No.: 2559 /SEIAA/ 23
Date : 19/11/23

प्रति,

मेसर्स नेशनल एनर्जी ट्रेडिंग एण्ड सर्विसेस लि.
प्लाट न. 07 बिन्दु सदन 401, साईचन्द, कालोनी,
ग्रीन स्पेस तुलसी, पुप्पलगुड़ा, मणिकोंडा,
हैदराबाद रंगारेड्डी, (तेलंगाना)

विषयः **प्रस्ताव क्र. SIA/MP/MIN/296440/2022 - प्रकरण क्रमांक 7094/2020 – पूर्व परियोजना प्रस्तावक मेसर्स होटल उमा रेसीडेन्सी, चणक्यपुरी कालोनी, जिला सतना (म.प्र.), रेत खदान, रकबा 2.90 हे., उत्पादन क्षमता 13,500 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 91, ग्राम नांदू, तहसील घोड़ाडोगरी, जिला बैतूल (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का हस्तांतरण, नवीन परियोजना प्रस्तावक मेसर्स नेशनल एनर्जी ट्रेडिंग एण्ड सर्विसेस लि. प्लाट न. 07 बिन्दु सदन 401, साईचन्द, कालोनी, ग्रीन स्पेस तुलसी, पुप्पलगुड़ा, मणिकोंडा, हैदराबाद रंगारेड्डी, (तेलंगाना) के नाम पर करने हेतु आवेदन।**

संदर्भः **राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) की 750वी बैठक दिनांक 13.10.2022 में लिये गये नीतिगत निर्णय अनुसार।**

रेत उत्खनन के प्रकरणों को माननीय एनजीटी स्पेशल बेन्च के आदेश दिनांक 22.02.2022 एवं 04.03.2022 के परिपालन में SEIAA द्वारा 717वी बैठक दिनांक 08.04.2022 लिये गये नीतिगत निर्णय के दृष्टिगत प्रकरण को Re-visit कर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना 2006 के पैरा–11 अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा परिवेश पोर्टल पर आवेदित दस्तावेजो के आधार पर पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के हस्तांतरण हेतु सर्व सम्मति से निम्नानुसार कार्यवाही निर्णित की गयी :–

(1) नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर फार्म–7 में **रेत खदान, रकबा 2.90 हे., उत्पादन क्षमता 13,500 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 91, ग्राम नांदू, तहसील घोड़ाडोगरी, जिला बैतूल (म.प्र.)** को जारी पर्यावरण स्वीकृति का हस्तांतरण आवेदन प्राप्त हुआ है।

(2) **यह कि नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के संबंध में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं :–**

I. **प्रभारी अधिकारी, (खनिज शाखा) जिला बैतूल द्वारा पूर्व परियोजना प्रस्तावक मेसर्स होटल उमा रेसीडेन्सी, चणक्यपुरी कालोनी जिला सतना (म.प्र.) के पक्ष में नवीन परियोजना प्रस्तावक मेसर्स नेशनल एनर्जी ट्रेडिंग एण्ड सर्विसेस लि. प्लाट न. 07 बिन्दु सदन 401, सांईचन्द, कालोनी, ग्रीन स्पेस तुलसी, पुप्पलगुड़ा, मणिकोंडा, हैदराबाद रंगारेड्डी, (तेलंगाना)** के नाम पर पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरित करने हेतु नोटराईज्ड शपथ पत्र पर अनापत्ति प्रस्तुत की गई है।

II. **मेसर्स नेशनल एनर्जी ट्रेडिंग एण्ड सर्विसेस लि. प्लाट न. 07 बिन्दु सदन 401, साईचन्द , कालोनी, ग्रीन स्पेस तुलसी, पुप्पलगुड़ा, मणिकोंडा, हैदराबाद रंगारेड्डी, (तेलंगाना)** द्वारा नोटराईज्ड शपथ–पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें उल्लेख किया गया है कि उक्त खदान में आज दिनांक तक कोई भी वाद–विवाद न्यायालय में प्रचलन में नहीं है एवं जारी की गई पर्यावरणीय स्वीकृति में निहित समस्त शर्तों का परिपालन सुनिशिचित किया जायेगा।

III. एसईआईएए द्वारा पत्र क्र. 978/एसईआईएए/2020 दिनांक 18.06.2020 के माध्यम से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति।

IV. NABET से अधिकृत पर्यावरण सलाहकार द्वारा तैयार की पर्यावरण प्रबंधन योजना (EMP) की प्रति।

V. नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा पत्र क्र. 1914 दिनांक 30.12.2022 के माध्यम से नवीन अनुमोदित खनन योजना मय वार्षिक पुर्नभरण अध्ययन की प्रति।

VI. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बैतूल द्वारा नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम से जारी आशय पत्र क्र. 1862/खनिज/रेत/2022 दिनांक 23.12.2022 (लीज अवधि 30.06.2023 तक मान्य) की प्रति।

VII. प्रभारी अधिकारी कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बैतूल द्वारा नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम पत्र क्र. 06/खनि–02/2023 दिनांक 03.01.2023 (लीज अवधि 30.06.2023 तक मान्य) द्वारा हस्तांतरित पत्र की प्रति।

VIII. प्रभारी अधिकारी कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बैतूल द्वारा SEIAA की 717वीं बैठक दिनांक 08.04.2022 के नीतिगत निर्णय कार्यवाही के बिन्दु क्र. 2.1 से 2.4 एवं 2.6 अनुसार चाही गई प्रमाणित जानकारी पत्र क्र. 08/खनि02/2023 दिनांक 03.01.2023 के माध्यम से प्रस्तुत की गई है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए अधिसूचना 2006 (पैरा–11) के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति में नाम परिवर्तन करने के लिए पर्याप्त दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं। अत : एसईआईएए द्वारा हस्तांतरित पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र क्र. 978/एसईआईएए/2020 दिनांक 18.06.2020 के माध्यम से मेसर्स होटल उमा रेसीडेन्सी, चणक्यपुरी कालोनी, जिला सतना (म.प्र) के नाम पर रेत खदान, रकबा 2.90 हे., उत्पादन क्षमता 13,500 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 91, ग्राम नांदू, तहसील घोड़ाडोगरी, जिला बैतूल (म.प्र.) की जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का हस्तांतरण, नवीन परियोजना प्रस्तावक मेसर्स नेशनल एनर्जी ट्रेडिंग एण्ड सर्विसेस लि. प्लाट न. 07 बिन्दु सदन 401, साईचन्द, कालोनी, ग्रीन स्पेस तुलसी, पुप्पलगुड़ा, मणिकोंडा, हैदराबाद रंगारेड्डी, (तेलंगाना) के नाम निम्नानुसार अतिरिक्त शर्तों के साथ किया जाता है :–

I. **उपरोक्त पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 18.06.2020 में निहित समस्त शर्ते यथावत रहेंगी एवं पर्यावरण स्वीकृति की वैधता दिनांक 30.06.2023 तक मान्य रहेगी।**

II. प्रस्तावित खदान की उत्पादन क्षमता हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित खनन योजना में 13,500 घनमीटर प्रतिवर्ष, पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति में 30,460 घनमीटर प्रतिवर्ष, निविदा में निविदत्त मात्रा 13,500 घनमीटर एवं प्रस्तावित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में 13,500 घनमीटर दर्शित है, **अतः माननीय एन. जी.टी. के उक्त आदेश दिनांक 22.02.2022 एवं 04.03.2022 के परिपालन में न्यूनतम उत्पादन क्षमता 13,500 घनमीटर प्रतिवर्ष तक ही मान्य रहेगी। परियोजना प्रस्तावक द्वारा निविदा में निविदत्त मात्रा से अधिक उत्पादन मात्रा का उत्खनन नहीं किया जायेगा इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

III. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति में निर्धारित वृक्षारोपण कार्यक्रम के अनुसार (सतत् सिंचाई, मृत पौधों का बदलाव तथा रख–रखाव के साथ) पौधों का रोपण 06 माह में पूर्ण कर SEIAA कार्यालय को अनुपालन प्रतिवेदन सहित अवगत कराया जाये, यदि निर्धारित समयावधि में परियोजना प्रस्तावक द्वारा सम्पूर्ण वृक्षारोपण नहीं किया जाता है तो पर्यावरण स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी।**

IV. SEIAA द्वारा रेत खनन के प्रकरणों में जारी की जाने वाली समस्त पर्यावरण स्वीकृति माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों के आदेशों/दिशा निर्देशों के अधीन मान्य रहेंगी तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों द्वारा जारी सभी निर्देशों/निर्णयों का अनुपालन परियोजना प्रस्तावक के लिये बाध्यकारी होगा।

V. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 18.06.2020 में निहित शर्तों अनुसार वृक्षारोपण एवं सी.ई.आर. की गतिविधियों का परिपालन प्रथम वर्ष में किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

VI. नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सी.इ.आर एवं सभी गतिविधियों के फोटोग्राफ अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट के साथ एमपी–एसईआईएए को प्रस्तुत करेगा। यदि परियोजना प्रस्तावक अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट को अपलोड करने में विफल रहता है या संबंधित प्राधिकरण (एसईआईएए और क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल) को पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों की लगातार दो छमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, तो परियोजना प्रस्तावक को जारी की गई पूर्व पर्यावरण मंजूरी निरस्त की जायेगी।

VII. परियोजना प्रस्तावक पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी रेत उत्खनन सतत रेत खनन प्रबंधन दिशा निर्देश, 2016 एवं प्रवर्तन और निगरानी दिशा निर्देश, 2020 का सख्ती से परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा। **इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा समय–समय पर स्थल निरीक्षण किया जायेगा।**

अध्यक्ष महोदय, SEIAA द्वारा अनुमोदित

(गिरीश शर्मा)
सदस्य सचिव

क्र.. 2560 /SEIAA/2023 भोपाल दिनांक : 19/1/23

प्रतिलिपि :–

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (सेक), अनुसंधान एवं विकास विंग, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई–5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल – 462016।
3. सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई–5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल – 462016।
4. कलेक्टर, जिला बैतूल (म.प्र.)
5. वन मंडलाधिकारी, जिला बैतूल (म.प्र.)
6. आई.ए. डिवीजन, निगरानी प्रकोष्ठ, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड़, नई दिल्ली – 110003।
7. निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिमी क्षेत्र केन्द्रीय पर्यावरण भवन, लिंक रोड़ नं. 03, रवि शंकर नगर, भोपाल – 462016 ।
8. संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म मध्यप्रदेश, 29–ए, खनिज भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल – 462002।
9. मेसर्स होटल उमा रेसीडेन्सी, चणक्यपुरी कालोनी, जिला सतना (म.प्र) ।
10. खनिज अधिकारी, जिला बैतूल (म.प्र.)
11. संबंधित फाईल।

(आलोक नायक)
प्रभारी अधिकारी

State Environment Impact Assessment Authority, M.P.

(Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India)

Environmental Planning & Coordination Organization

Paryavaran Parisar, E-5, Arera Colony
Bhopal - 462016
visit us http://www.mpseiaa.nic.in
Email : mpseiaa@gmail.com
Tel.: 0755 - 2466970, 2466859
Fax : 0755 - 2462136

सत्यमेव जयते

No.: 2563 /SEIAA/23
Date : 19/1/23

प्रति,

मेसर्स नेशनल एनर्जी ट्रेडिंग एण्ड सर्विसेस लि.
प्लाट न. 07 बिन्दु सदन 401, साईचन्द, कालोनी,
ग्रीन स्पेस तुलसी, पुप्पलगुड़ा, मणिकोंडा,
हैदराबाद रंगारेड्डी, (तेलंगाना)

विषयः **प्रस्ताव क्र. SIA/MP/MIN/296442/2022 - प्रकरण क्रमांक 7195/2020 – पूर्व परियोजना प्रस्तावक मेसर्स होटल उमा रेसीडेन्सी, चणक्यपुरी कालोनी, जिला सतना (म.प्र.), रेत खदान, रकबा 4.0 हे., उत्पादन क्षमता 25,200 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 209 भाग ग्राम टंगनामाल, तहसील शाहपुर, जिला बैतूल (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का हस्तांतरण, नवीन परियोजना प्रस्तावक मेसर्स नेशनल एनर्जी ट्रेडिंग एण्ड सर्विसेस लि. प्लाट न. 07 बिन्दु सदन 401, साईचन्द , कालोनी, ग्रीन स्पेस तुलसी, पुप्पलगुड़ा, मणिकोंडा, हैदराबाद रंगारेड्डी, (तेलंगाना) के नाम पर करने हेतु आवेदन।**

संदर्भः **राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) की 750वी बैठक दिनांक 13.10.2022 में लिये गये नीतिगत निर्णय अनुसार।**

रेत उत्खनन के प्रकरणों को माननीय एनजीटी स्पेशल बेन्च के आदेश दिनांक 22.02.2022 एवं 04.03.2022 के परिपालन में SEIAA द्वारा 717वी बैठक दिनांक 08.04.2022 लिये गये नीतिगत निर्णय के दृष्टिगत प्रकरण को Re-visit कर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना 2006 के पैरा–11 अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा परिवेश पोर्टल पर आवेदित दस्तावेजो के आधार पर पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के हस्तांतरण हेतु सर्व सम्मति से निम्नानुसार कार्यवाही निर्णित की गयी :–

(1) नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर फार्म–7 में **रेत खदान, रकबा 4.0 हे. , उत्पादन क्षमता 25,200 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 209 भाग ग्राम टंगनामाल, तहसील शाहपुर, जिला बैतूल (म.प्र.)** को जारी पर्यावरण स्वीकृति का हस्तांतरण आवेदन प्राप्त हुआ है।

(2) **यह कि नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के संबंध में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं :–**

I. **प्रभारी अधिकारी, (खनिज शाखा) जिला बैतूल द्वारा पूर्व परियोजना प्रस्तावक मेसर्स होटल उमा रेसीडेन्सी, चणक्यपुरी कालोनी जिला सतना (म.प्र.) के पक्ष में नवीन परियोजना प्रस्तावक मेसर्स नेशनल एनर्जी ट्रेडिंग एण्ड सर्विसेस लि. प्लाट न. 07 बिन्दु सदन 401, साईचन्द , कालोनी, ग्रीन स्पेस तुलसी, पुप्पलगुड़ा, मणिकोंडा, हैदराबाद रंगारेड्डी, (तेलंगाना)** के नाम पर पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरित करने हेतु नोटराईज्ड शपथ पत्र पर अनापत्ति प्रस्तुत की गई है।

II. **मेसर्स नेशनल एनर्जी ट्रेडिंग एण्ड सर्विसेस लि. प्लाट न. 07 बिन्दु सदन 401, साईचन्द , कालोनी, ग्रीन स्पेस तुलसी, पुप्पलगुड़ा, मणिकोंडा, हैदराबाद रंगारेड्डी, (तेलंगाना)** द्वारा नोटराईज्ड शपथ–पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें उल्लेख किया गया है कि उक्त खदान में आज दिनांक तक कोई भी वाद–विवाद न्यायालय में प्रचलन में नहीं है एवं जारी की गई पर्यावरणीय स्वीकृति में निहित समस्त शर्तों का परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

III. एसईआईएए द्वारा पत्र क्र. 1174/एसईआईएए/2020 दिनांक 19.06.2020 के माध्यम से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति।

IV. NABET से अधिकृत पर्यावरण सलाहकार द्वारा तैयार की पर्यावरण प्रबंधन योजना (EMP) की प्रति।

V. नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा पत्र क्र. 1914 दिनांक 30.12.2022 के माध्यम से नवीन अनुमोदित खनन योजना मय वार्षिक पुर्नभरण अध्ययन की प्रति।

VI. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बैतूल द्वारा नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम से जारी आशय पत्र क्र. 1862/खनिज/रेत/2022 दिनांक 23.12.2022 (लीज अवधि 30.06.2023 तक मान्य) की प्रति।

VII. प्रभारी अधिकारी कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बैतूल द्वारा नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम पत्र क्र. 06/खनि–02/2023 दिनांक 03.01.2023 (लीज अवधि 30.06.2023 तक मान्य) द्वारा हस्तांतरित पत्र की प्रति।

VIII. प्रभारी अधिकारी कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बैतूल द्वारा SEIAA की 717वीं बैठक दिनांक 08.04.2022 के नीतिगत निर्णय कार्यवाही के बिन्दु क्र. 2.1 से 2.4 एवं 2.6 अनुसार चाही गई प्रमाणित जानकारी पत्र क्र. 17/खनि02/2023 दिनांक 03.01.2023 के माध्यम से प्रस्तुत की गई है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए अधिसूचना 2006 (पैरा–11) के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति में नाम परिवर्तन करने के लिए पर्याप्त दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं। अत : एसईआईएए द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र क्र. 1174/एसईआईएए/2020 दिनांक 19.06.2020 के माध्यम से मेसर्स होटल उमा रेसीडेन्सी, चणक्यपुरी कालोनी, जिला सतना (म.प्र) के नाम पर रेत खदान, रकबा 4.0 हे., उत्पादन क्षमता 25,200 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 209 भाग ग्राम टंगनामाल, तहसील शाहपुर, जिला बैतूल (म.प्र.) की जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का हस्तांतरण, नवीन परियोजना प्रस्तावक मेसर्स नेशनल एनर्जी ट्रेडिंग एण्ड सर्विसेस लि. प्लाट न. 07 बिन्दु सदन 401, साईचन्द, कालोनी, ग्रीन स्पेस तुलसी, पुप्पलगुड़ा, मणिकोंडा, हैदराबाद रंगारेड्डी, (तेलंगाना) के नाम निम्नानुसार अतिरिक्त शर्तों के साथ किया जाता है :–

I. **उपरोक्त पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 19.06.2020 में निहित समस्त शर्तें यथावत रहेंगी एवं पर्यावरण स्वीकृति की वैधता दिनांक 30.06.2023 तक मान्य रहेगी।**

II. प्रस्तावित खदान की उत्पादन क्षमता हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित खनन योजना में 25,200 घनमीटर प्रतिवर्ष, पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति में 72,000 घनमीटर प्रतिवर्ष, निविदा में निविदत्त मात्रा 25,200 घनमीटर एवं प्रस्तावित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में 25,200 घनमीटर दर्शित है, **अतः माननीय एन. जी.टी. के उक्त आदेश दिनांक 22.02.2022 एवं 04.03.2022 के परिपालन में न्यूनतम उत्पादन क्षमता 25,200 घनमीटर प्रतिवर्ष तक ही मान्य रहेगी। परियोजना प्रस्तावक द्वारा निविदा में निविदत्त मात्रा से अधिक उत्पादन मात्रा का उत्खनन नहीं किया जायेगा इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

III. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति में निर्धारित वृक्षारोपण कार्यक्रम के अनुसार (सतत् सिंचाई, मृत पौधों का बदलाव तथा रख–रखाव के साथ) पौधों का रोपण 06 माह में पूर्ण कर SEIAA कार्यालय को अनुपालन प्रतिवेदन सहित अवगत कराया जाये, यदि निर्धारित समयावधि में परियोजना प्रस्तावक द्वारा सम्पूर्ण वृक्षारोपण नहीं किया जाता है तो पर्यावरण स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी।**

iv. SEIAA द्वारा रेत खनन के प्रकरणों में जारी की जाने वाली समस्त पर्यावरण स्वीकृति माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों के आदेशों/दिशा निर्देशों के अधीन मान्य रहेंगी तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों द्वारा जारी सभी निर्देशों/निर्णयों का अनुपालन परियोजना प्रस्तावक के लिये बाध्यकारी होगा।

v. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 19.06.2020 में निहित शर्तों अनुसार वृक्षारोपण एवं सी.ई.आर. की गतिविधियों का परिपालन प्रथम वर्ष में किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

vi. नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सी.इ.आर एवं सभी गतिविधियों के फोटोग्राफ अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट के साथ एमपी–एसईआईएए को प्रस्तुत करेगा। यदि परियोजना प्रस्तावक अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट को अपलोड करने में विफल रहता है या संबंधित प्राधिकरण (एसईआईएए और क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल) को पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों की लगातार दो छमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, तो परियोजना प्रस्तावक को जारी की गई पूर्व पर्यावरण मंजूरी निरस्त की जायेगी।

vii. परियोजना प्रस्तावक पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी रेत उत्खनन सतत रेत खनन प्रबंधन दिशा निर्देश, 2016 एवं प्रवर्तन और निगरानी दिशा निर्देश, 2020 का सख्ती से परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा। **इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा समय–समय पर स्थल निरीक्षण किया जायेगा।**

अध्यक्ष महोदय, SEIAA द्वारा अनुमोदित

(गिरीश शर्मा)
सदस्य सचिव

क्र.. 2564 /SEIAA/2023 भोपाल दिनांक : 19/1/23

प्रतिलिपि :–

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (सेक), अनुसंधान एवं विकास विंग, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई–5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल – 462016।
3. सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई–5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल – 462016।
4. कलेक्टर, जिला बैतूल (म.प्र.)
5. वन मंडलाधिकारी, जिला बैतूल (म.प्र.)
6. आई.ए. डिवीजन, निगरानी प्रकोष्ठ, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड़, नई दिल्ली – 110003।
7. निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिमी क्षेत्र केन्द्रीय पर्यावरण भवन, लिंक रोड़ नं. 03, रवि शंकर नगर, भोपाल – 462016 ।
8. संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म मध्यप्रदेश, 29–ए, खनिज भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल – 462002।
9. मेसर्स होटल उमा रेसीडेन्सी, चणक्यपुरी कालोनी, जिला सतना (म.प्र) ।
10. खनिज अधिकारी, जिला बैतूल (म.प्र.)
11. संबंधित फाईल।

(आलोक नायक)
प्रभारी अधिकारी

ENVIRONMENTAL CLEARANCE

PARIVESH (Pro-Active and Responsive Facilitation by Interactive, and Virtuous Environmental Single-Window Hub)

Government of India
Ministry of Environment, Forest and Climate Change
(Issued by the State Environment Impact Assessment Authority(SEIAA), MADHYA PRADESH)

To,

The -1
NATIONAL ENERGY TRADING AND SERVICES LIMITED
PLOT NO. 7 BINDU SADAN, 401, SAI CHANDRA RASIDENCY, HYDERABAD RANGAREDDI TG 500089 IN -500089

Subject: Grant of Environmental Clearance (EC) to the proposed Project Activity under the provision of EIA Notification 2006-regarding

Sir/Madam,

This is in reference to your application for Environmental Clearance (EC) in respect of project submitted to the SEIAA vide proposal number SIA/MP/MIN/418917/2023 dated 27 Feb 2023. The particulars of the environmental clearance granted to the project are as below.

1.	**EC Identification No.**	**EC23B001MP114854**
2.	**File No.**	9740/2023
3.	**Project Type**	New
4.	**Category**	B
5.	**Project/Activity including Schedule No.**	1(a) Mining of minerals
6.	**Name of Project**	Loniya Sand Mine
7.	**Name of Company/Organization**	NATIONAL ENERGY TRADING AND SERVICES LIMITED
8.	**Location of Project**	MADHYA PRADESH
9.	**TOR Date**	N/A

The project details along with terms and conditions are appended herewith from page no 2 onwards.

Date: 06/04/2023

(e-signed)
Shri,Mujeebur Rehman Khan
Member Secretary
SEIAA - (MADHYA PRADESH)

Note: A valid environmental clearance shall be one that has EC identification number & E-Sign generated from PARIVESH.Please quote identification number in all future correspondence.

This is a computer generated cover page.

संदर्भः प्रस्ताव क्र. **SIA/MP/MIN/418917/2023 -** प्रकरण क्र. 9740/2023 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स नेशनल एनर्जी ट्रेडिंग एण्ड सर्विस लि., संचालक श्री विनोद कुमार गोदावर्थ, निवासी–प्लाट नं. 7, बिन्दु सदन 401, सांई चंद रेसीडेन्सी, हैदराबाद, रंगारेडी (तेलांगना) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 15000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.115 हेक्टेयर, खसरा 179, ग्राम लोनिया, तहसील घोडाडोंगरी, जिला बैतूल (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

भारत सरकार के ई.आई.ए. अधिसूचना एस.ओ. 1533(E) दिनांक 14 सितंबर 2006 एवं उपरांत के संशोधनों तथा राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा समय–समय पर जारी ज्ञापनों के परिपालन में पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु भारत सरकार के परिवेश पोर्टल पर निर्धारित प्रपत्र एवं प्रक्रिया अनुरूप परियोजना प्रस्तावक द्वारा आनॅलाईन आवेदन के साथ प्रस्तुत परियोजना प्रस्ताव (क्र. **SIA/MP/MIN/418917/2023** एवं MP SEIAA में पंजीयन दिनांक 28.02.2023) एवं संबंधित अनिवार्य दस्तावेज़ों के आधार पर राज्य विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) और राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण (SEIAA) के द्वारा परीक्षण एवं मूल्यांकन किया गया।

II कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला धार के एकल प्रमाण पत्र क्र. 241 दिनांक 08.02.2023 के अनुसार आवेदित क्षेत्र से नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/जैव विविधता क्षेत्र/ईको सेंसेटिव जोन 10 कि.मी. की परिधि के बाहर है एवं वन क्षेत्र 250 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित है। अनुमोदित खनन योजना के अनुसार अक्षांश 22°06'59.20" से 22°07'08.60' और देशांतर 78°14'34.00" से 78°14'35.60" भौगोलिक निर्देशांक पर स्थित है।

III. परियोजना पर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना एस.ओ. 1533(E) दिनांक 14 सितंबर 2006 के प्रावधानों के अंतर्गत उपरोक्त पैरा (II) के अनुसार परियोजना प्रस्तावक एवं अधिकृत सलाहकार द्वारा प्रस्तुत की गई अभिप्रमाणित जानकारी तथा दस्तावेज़ों के आधार पर राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण (SEIAA) की 778वीं बैठक दिनांक 29.03.2023 में विस्तृत विचार विमर्श उपरांत एवं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 629वी बैठक दिनांक 14.03.2023 में प्रकरण पर की गई अनुंशसा के आधार पर विशिष्ट, साधारण/मानक शर्ते अधिरोपित करते हुये पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान करने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है।

अतः उपरोक्त निर्णय के परिपालन में उक्त प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक मेसर्स नेशनल एनर्जी ट्रेडिंग एण्ड सर्विस लि., संचालक श्री विनोद कुमार गोदावर्थ, निवासी–प्लाट नं. 7, बिन्दु सदन 401, सांई चंद रेसीडेन्सी, हैदराबाद, रंगारेडी (तेलांगना) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 15000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.115 हेक्टेयर, खसरा 179, ग्राम लोनिया, तहसील घोडाडोंगरी, जिला बैतूल(म.प्र.) की राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, म.प्र एवं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति द्वारा अनुशंसित निम्नलिखित विशिष्ट शर्तो और तदुपरांत मानक शर्तो के अधीन पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(अ) विशिष्ट शर्तेः

1. **कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बैतूल का आशय पत्र क्र. 1862 दिनांक 23.12.2022 के माध्यम से उक्त खदान दिनांक 30.06.2023 तक स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 30.06.2023 तक मान्य रहेगी।**
2. प्रस्तावित खदान की उत्पादन क्षमता हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित खनन योजना में 15000 घनमीटर प्रतिवर्ष, निविदा में निविदत्त मात्रा 15000 घनमीटर प्रतिवर्ष, SEAC से अनुशंसित

उत्पादन क्षमता 15000 घनमीटर प्रतिवर्ष, जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में उत्पादन क्षमता 36000 घनमीटर प्रतिवर्ष है। अतः माननीय एन.जी.टी. के उक्त आदेश दिनांक 22.02.2022 एवं 04.03. 2022 के परिपालन में न्यूनतम उत्पादन क्षमता 15000 घनमीटर प्रतिवर्ष तक ही मान्य रहेगी। **परियोजना प्रस्तावक द्वारा निविदा में निविदत्त जिले की कुल मात्रा से अधिक मात्रा का उत्खनन नहीं किया जायेगा इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा अनुसार 0.6690 हे. क्षेत्र में ही खनन् कार्य किया जाये।

4. SEIAA द्वारा रेत खनन के प्रकरणों में जारी की जाने वाली समस्त पर्यावरण स्वीकृति माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों के आदेशों/दिशा निर्देशों के अधीन मान्य रहेंगी तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों द्वारा जारी सभी निर्देशों/निर्णयों का अनुपालन परियोजना प्रस्तावक के लिये बाध्यकारी होगा।

5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत उत्खनन Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 के दिशा निर्देशो के अधीन किया जाना सुनिश्चित किया जायें।

6. परियोजना प्रस्तावक वृक्षारोपण कार्य संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग से करवाया जायें तथा इस हेतु निर्धारित राशि परियोजना प्रस्तावक द्वारा शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट मे जमा किये जाये तथा तथा संबंधित वनमंडलाधिकारी वन क्षेत्र में स्थल का चयन व योजना तैयार कर वृक्षारोपण करेंगे, आगामी 03 वर्षो तक उनकी देखभाल करेंगे तथा परियोजना प्रस्तावक को सूचित करेगे तथा 03 वर्षो तक पौधों का मूल्यांकन प्रतिवेदन भेजेंगे।

7. वन मंडलाधिकारी, वन विभाग द्वारा लिखित में वृक्षारोपण हेतु परियोजना प्रस्तावक का प्रस्ताव अस्वीकृत किये जाने की स्थिति में परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित वृक्षारोपण एवं सुरक्षा कार्य ग्राम पंचायत के माध्यम से 03 वर्ष तक (सतत् सिंचाई 01 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) निम्नानुसार संपादित करेंगे:–

Phase	Location	Name of Tree	No. of Plants to be Planted
Upto 30.06.2023	For Village distribution specially to the famers who,s land are near to the river bank.	Aam, Munga Hybrid Ber, Sitafal, Anwla, Neembu, Bel and other local species.	700

8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के समीपस्थ क्षेत्र में वर्षा जल संचय का कार्य किया जावे एवं मौजूद जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार किया जाये, जिससे कि ग्राम की आवश्यकतानुसार एवं किये गये वृक्षारोपण हेतु समुचित जल की व्यवस्था हो सके।
- ग्राम के शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल व्यवस्था एवं शौचालय इत्यादि की व्यवस्था सुदृढ़ की जाये।

- ग्राम लोनिया के शासकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मे 01 व्हील चेयर, 01 वार्मर एवं 02 कम्पलीट बेड उपलब्ध कराये जाये।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियॉ और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

9. **जिला कलेक्टर द्वारा प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति की वैधता दिनांक 30.06.2023 के पूर्व उपरोक्त सी.ई.आर. अंतर्गत प्रस्तावित कार्यों/गतिविधियों को संबंधित जिला पंचायत/नगरीय निकाय के माध्यम से स्थानीय स्तर पर ग्रामीण विकास के कार्यों की आवश्यकता के दृष्टिगत अनिवार्यतः क्रियान्वयन किया जाये। यदि आवश्यक हो तो परियोजना प्रस्तावक से उपरोक्त शर्त के परिपालन हेतु नियमानुसार आवश्यक राशि जमा करवाकर सी.ई.आर. गतिविधियेां का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।**

10. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सी.ई.आर. एवं सभी गतिविधियों का अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट विशेष रूप से वृक्षारोपण (वन विभाग के माध्यम से) एवं सी.ई.आर. (जिला प्रशासन/स्थानीय निकाय के समन्वय से) की गतिविधियों का पूर्णतः परिपालन दिनांक 31.05.2023 तक पूर्ण कर अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित SEIAA एवं क्षेत्रीय कार्यालय MoEF&CC को अनिवार्यतः प्रेषित किया जाये। उपरोक्त शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन जिला खनिज अधिकारी द्वारा प्रस्तुत करवाया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।**

11. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पूर्व पट्टा क्षेत्र के चारों ओर फेंसिंग लगाई जाये एवं पट्टा क्षेत्र के चार कोनों पर चेतावनी संकेतकों की स्थापना के साथ उचित निगरानी और सुरक्षागार्ड की व्यवस्था की जायेगी।

12. परियोजना क्षेत्र एवं अन्य प्रस्तावित क्षेत्रों में वृक्षारोपण संबंधित कार्यों में संबंधित क्षेत्र के वनमंडलाधिकारी के परामर्श अनुसार संयुक्त/सामुदायिक वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से CSR/CER एवं अशासकीय निधियों के उपयोग हेतु राज्य शासन द्वारा निर्धारित वृक्षारोपण नीति का परिपालन सुनिश्चित किया जाये।

13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा विभाग से खनन अनुबंध निष्पादित होने के उपरांत ही खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा।

14. परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करेगा कि अनुमोदित खनन योजना में उल्लेखित अनुसार ही खनन पट्टा क्षेत्र में वार्षिक रेत पुर्नभरण की पूर्ति निर्धारित स्तरों पर खनन कार्यों को बनाए रखने के लिए पर्याप्त है।

15. परियोजना प्रस्तावक नदी के बेसिन के भीतर किसी भी प्रकार का रैंप स्थापित नहीं करेगा तथा जिस किनारे पर रेत उपलब्ध है उसी किनारे से परिवहन की अनुमति कार्य किया जायेगा।

16. परियोजना प्रस्तावक नदी के जल प्रभाव वाले क्षेत्र में खनन कार्य नहीं करेगा एवं स्थानीय अधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि केवल नदी के सूखे हिस्से में जहां रेत की उपलब्धता हो वही तक खनन गतिविधिया सीमित की जाये।

17. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रतिबद्धधता अनुसार जलभराव क्षेत्र को गैर–खनन क्षेत्र के रूप में छोड़ा जायेगा।

18. परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करेगा कि रेत के गड्ढे की गहराई स्वीकृत अनुमोदित खनन योजना के अनुसार ही हो।

19. परियोजना प्रस्तावक कच्ची सड़क के स्थान पर पक्का पहुंच मार्ग का निर्माण सुनिश्चित करेगा और खनिज के परिवहन हेतु ग्राम क्षेत्र के बाहर से वैकल्पिक मार्ग की योजना तैयार ग्राम पंचायत के परामर्श अनुसार करेगा।

20. परियोजना प्रस्तावक पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी रेत उत्खनन सतत रेत खनन प्रबंधन दिशानिर्देश, 2016 एवं प्रवर्तन और निगरानी दिशानिर्देश, 2020 का सख्ती से परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

21. परियोजना प्रस्तावक म.प्र. खनिज संसाधन विभाग, मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी अधिसूचना 30.08. 2019 के अनुसार 5 हेक्टेयर पट्टा क्षेत्र तक रेत खनन पद्धति के लिए दिये गये निर्देश एवं प्रावधान का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

22. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यदि धारा सूखी है, तो उत्खनन धारा की सबसे कम अबाधित एलिवेशन से आगे नहीं बढ़ेगा, जो कि स्थानीय हाइड्रोलिक्स, जल विज्ञान और भू–आकृति विज्ञान का एक कार्य है।

23. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मानसून अवधि में कोई खनन नहीं किया जाएगा।

24. खनिज की ओवरलोडिंग परिवहन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी।

25. परियोजना प्रस्तावक द्वारा दुर्घटनाओं से बचने के लिए परिवहन मार्गों पर चेतावनी संकेतों की स्थापना की जायेगी।

26. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पहुंच मार्ग के धूल दमन हेतु नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जायेगा तथा वृक्षारोपण व पीने के लिये (विशेष रूप से गर्मी के मौसम में) उचित जलापूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करेगा।

27. परियोजना प्रस्तावक प्राथमिकता के आधार पर आसपास के ग्रामीणों को रोजगार के अवसर प्रदान करेगा।

28. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना अनुसार वृक्षारोपण, धूल दमन, पहुंच सड़क के निर्माण और मौजूदा पक्की सड़क के रखरखाव के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेगा। इस हेतु पर्यावरण प्रबंधन योजना में अतिरिक्त बजट प्रावधान किया जाएगा।

29. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सीईआर एवं सभी गतिविधियों के फोटोग्राफ अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट के साथ एमपी–एसईआईएए को प्रस्तुत करेगा। यदि परियोजना प्रस्तावक अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट को अपलोड करने में विफल रहता है या संबंधित प्राधिकरण (एसईआईएए और क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल) को पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों की लगातार दो छमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, तो परियोजना प्रस्तावक को जारी की गई पूर्व पर्यावरण मंजूरी निरस्त की जायेगी।

30. यदि माईनिंग लीज का स्वामित्व बदल जाता है, तो नवीन परियोजना प्रस्तावक को एसईआईएए को पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के लिए तुरंत आवेदन करना होगा। बिना पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण तक परियोजना प्रस्तावक उक्त खदान में तब तक खनन स्थगित रखेगा, जब तक कि एसईआईएए द्वारा उक्त पर्यावरण स्वीकृति नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम हस्तांतरित ना हो जाये।

31. खनि पट्टा क्षेत्र के अंदर किये गये सभी कार्य जैसे फेंसिंग, वृक्षारोपण और सीईआर गतिविधियों के तहत किए जाने वाले सभी कार्यों को जिला प्रशासन के परामर्श से आगे के रखरखाव के लिए ग्राम पंचायत को सौंपा जायेगा। परियोजना प्रस्तावक पटवारी रजिस्टर में सभी सूचनाओं को दर्ज करना भी सुनिश्चित करे।

32. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना के लिये बजटीय प्रावधान रू. 4.50 लाख एवं पूंजी रू. 2.75 लाख प्रतिवर्ष प्रस्तावित है।

33. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन् क्षेत्र में कोई Critical aquatic habitat of equatic fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।

34. वनमंडलाधिकारी, वन विभाग द्वारा लिखित में वृक्षारोपण हेतु परियोजना प्रस्तावक का प्रस्ताव अस्वीकृत किये जाने की स्थिति में परियोजना प्रस्तावक स्वंय वृक्षारोपण कार्य (सतत् सिंचाई, 03 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) संपादित करेंगे।

35. जिला प्रशासन द्वारा वार्षिक रूप से मानसून से पहले और सितंबर के अंतिम सप्ताह में खनन पट्टा क्षेत्र में रेत के जमाव (10 एवं > 10.00 हेक्टेयर के पट्टों के लिए 100 मीटर के अंतराल पर तथा <10 हेक्टेयर के पट्टों के लिए 50 मीटर के अंतराल पर) का रिकॉर्ड दर्ज करे एवं आर.एल (रेड्यूस लेवल) मेजरमेंट बुक में रिकॉर्ड रखरखाव करे। तद्नुसार जिला प्रशासन द्वारा पट्टा धारक को केवल रेत की पुनःपूर्ति की गई मात्रा की खुदाई करने हेतु आगामी वर्ष में अनुमति दी जाये।

36. उत्खान क्षेत्र का स्पष्ट सीमांकन स्थल पर अक्षांस एवं देशान्श अनुसार पिलर लगाकर किया जाये एवं सुरक्षा हेतु आवश्यक सूचना व सावधानी संकेत सूचना पटल पर अंकित किये जाये।

37. धूल के कणों का दमन करने के लिए सोलर पंपों/पानी के टैंकरों के साथ ओवरहेड स्प्रिंकलर की व्यवस्था पट्टा क्षेत्र से बाहर निकलें तथा निकासी सड़क पर निश्चित प्रकार के स्प्रिंकलर की व्यवस्था की जाये। पीपी द्वारा लॉग बुक राखी जाये जिसमें दैनिक पानी के छिड़काव और वाहनों की आवाजाही का विवरण दर्ज किया जाये।

38. केवल पूर्वोक्त उद्देश्य के लिए जिनके पास आवश्यक पंजीकरण और मोटर वाहन अधिनियम के तहत अनुमति और उसी के लिए बीमा कवरेज है वाले जीपीएस सहित पंजीकृत वाहन / ट्रैक्टर ट्रॉलियां का उपयोग केवल उक्त प्रयोजन के लिए उपयोग किया जाएगा

39. सामग्री का परिवहन में fugitive उत्सर्जन से बचने के लिए केवल आवश्यक नमी वाले ढके हुए एवं पीयूसी प्रमाणित वाहनों का उपयोग किया जाये। खनिजों का परिवहन वन क्षेत्र से बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के नहीं किया जायेगा

40. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज निकासी सड़क को पक्का (डब्ल्यूबीएम/ब्लैक टॉप) बनाया जाएगा।

41. प्रमुख पुलों और राजमार्गों के दोनों तरफ से 1 किलोमीटर (1 किमी) की दूरी तक रेत और बजरी नहीं निकाली जाएगी। और अपस्ट्रीम से इस तरह के पुल/सार्वजनिक संरचना (जल ग्रहण क्षेत्र सहित) से पांच गुना दूरी तक एवं डाउन–स्ट्रीम से ऐसे पुल से दस गुना दूरी तक, कम से कम 250 मीटर अपस्ट्रीम साइड से और 500 मीटर डाउनस्ट्रीम साइड से रेत और बजरी नहीं निकाली जाएगी।

42. खनन की गहराई 3 मीटर या जल स्तर, जो भी कम हो, तक सीमित होनी चाहिए और नदी के किनारे से दूरी एक चौथाई या नदी की चौड़ाई जितनी होनी चाहिए और जो 7.5 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। नदी के अंदर खनन की अनुमति नहीं है। स्थापित जल वाहक नाला ध्नालियों को स्थानांतरित, सीधा या संशोधित नहीं किया जायेगा।

43. खनन कार्य शुरू होने से पहले खनन क्षेत्र को पिलर से सीमांकन और भू–संदर्भित किया जाये ।

44. परियोजना प्रस्तावक द्वारा कम से कम वर्ष में एक बार प्रतिष्ठित तृतीय पक्ष के माध्यम से पर्यावरणीय ऑडिट कराई जाये और उस ऑडिट की रिपोर्ट को सार्वजनिक डोमेन पर रखी जाये ।

45. मानसून के मौसम में कोई खनन नहीं किया जाएगा।

46. खनन कार्य पूरी तरह से अनुमोदित खनन योजना एवं सतत रेत खनन प्रबंधन दिशानिर्देश, 2016 के अनुसार किया जाएगा तथा पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी रेत खनन के लिए प्रवर्तन और निगरानी दिशानिर्देशों के अनुसार सुनिश्चित किया जायेगा की खनन योजना में निर्धारित स्तरों पर खनन कार्यों को बनाए रखने के लिए खनन पट्टा क्षेत्र में रेत की वार्षिक पुनःपूर्ति खनन पट्टा क्षेत्र में रेत खनन कार्यों हेतु पर्याप्त है।

47. अगर नदी की धारा सूखी है तो उत्खनन धारा के तल की सबसे निचले कम की अबाधित गहराई से आगे नहीं बढ़ना चाहिए, जो स्थानीय हाइड्रोलिक्स, जल विज्ञान और भू–आकृति विज्ञान का एक कार्य है।

48. खनन पूरा होने के बाद, गड्ढे के किनारे को 2.5:1 के अनुपात पर प्रवाह की दिशा में ढलान पर वर्गीकृत किया जाना चाहिए।

49. एम.पी.पी.सी.बी से आवश्यक सहमति प्राप्त की जाएगी और एम.पी.पी.सी.बी. की सिफारिश के अनुसार वायु/जल प्रदूषण नियंत्रण उपायों को स्थापित करना होगा।

50. क्षेत्र के सामाजिक उत्थान के लिए समुचित कार्य किये जायेंगे। इसके लिए आरक्षित निधि का उपयोग ग्राम पंचायतध्सक्षम प्राधिकरण के माध्यम से किया जाएगा।

51. श्रमिकों के छह मासिक व्यावसायिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण किए जाएंगे और सभी श्रमिकों को आवश्यक व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण प्रदान किए जाएंगे। सभी खान श्रमिकों और अन्य कर्मचारियों के लिए विश्राम गृह, प्राथमिक चिकित्सा, उचित अग्निशमन उपकरण और शौचालय (पुरुष और महिला के लिए अलग) जैसी अनिवार्य सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी। खदान के स्थल कार्यालय, विश्राम गृहों आदि को सोलर लाइट से रोशन और हवादार किया जाएगा। इन सभी सुविधाओं जैसे विश्राम गृह, साइट कार्यालय आदि को लीज अवधि की समाप्ति के बाद साइट से हटा दिया जाएगा।

52. पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के नवीनतम कार्यालीन ज्ञापन पत्र संख्या एफ.सं. 22–34/2018–आईए। III, दिनांक 16/01/2020 के अनुसार, पर्यावरण प्रबंधन योजना और कॉर्पोरेट पर्यावरण उत्तरदायित्व में अलग से बजट का प्रावधान चराई भूमि के विकास और रखरखाव के लिए बबनय जाये और ये जानकारी वार्षिक पर्यावरण विवरण में दी जाये ।

53. यदि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए उपायों के लिए आवंटित पर्यावरण प्रबंधन योजना बजट का पूरी तरह से उपयोग नहीं किया जाता है, तो पर्यावरण प्रबंधन योजना के लिए बजटीय प्रावधानों के कम उपयोग के कारण को वार्षिक रिटर्न (विवरणी) में सम्मिलित किया जाये ।

54. परियोजना प्रस्तावक द्वारा एसईएसी और एसईआईएए में प्रस्तुत दस्तावेदजो में विसंगति (यदि कोई) पाए जाने पर परियोजना प्रस्तावक स्वयं जिम्मेदार होगा।

55. खनन पट्टा क्षेत्र में गड्ढे एवं भूमि के पुनरूद्धार की राशि का कार्य खनन विभाग के माध्यम से किया जाये। खनन विभाग द्वारा गतिविधि के लिए अनुमानित उचित राशि को खान में खनिज की समाप्ति होने के उपरांत समस्त गतिविधि का जिम्मा कलेक्टर के पास जमा करना होगा।

56. खनन कार्य हेतु पानी की आवश्यकता के लिए ग्राम पंचायत तथा किसी भी पेड़ की कटाई से पूर्व वन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाये ।

57. ऐसे पट्टे जो वन क्षेत्र के 250मी. की परिधि के अंदर आ रहे है एवं परियोजना प्रस्तावक ने संभाग स्तरीय आयुक्त समिति से अनुमोदन प्राप्त कर लिया है, तो समिति द्वारा निर्धारित सभी शर्तो पालन सुनिश्चित किया जाये।

58. परियोजना में विस्तार या आधुनिकीकरण, प्रक्रिया और उत्पादन क्षमता में वृद्धि के साथ प्रोद्यौगिकी में परिवर्तन, और प्रस्तावित खनन ईकाई में उत्पाद मिश्रण एवं किसी भी प्रकार के परिवर्तन के लिये नवीन पर्यावरण स्वीकृति लेना अनिवार्य होगा।

59. अस्थायी अनुज्ञा (TP) के प्रकरण मे, पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता केवल टीपी की वैधता तक रहेगी एवं परियोजना प्रस्तावक को खदान समापन योजना का पालन सुनिश्चित करना होगा।

60. खनन पट्टाधारक खनन कार्य को बंद करने के बाद, चरागाह के विकास एवं रख –रखाव हेतु एम. ओ.ई.एफ.एंड.सी.सी के पत्र एफ. सं. 22&34/2018–आई.ए, III दिनांक 16/01/2020 अनुसार ई. एम.पी और सी.ई.आर अंतर्गत एक अलग बजट सुरक्षित करें।

61. परियोजना प्रस्तावक पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन संख्या Z&11013/57/2014&IA II (एम) दिनांक 29 अक्टूबर 2014 शीर्षक "आवासों पर खनन गतिविधियों का प्रभाव, खनन परियोजनाओं से संबंधित मुद्दे जिसमें बस्तियाँ और गाँव खदान पट्टा क्षेत्रों का हिस्सा हैं या बस्तियाँ और गाँव खदान पट्टा क्षेत्र से घिरे हुए हैं" में दिए गए मेटिगीटिव उपायों का पालन करगा।

62. पत्राचार के पते में कोई भी परिवर्तन, के लिये 30 दिनों के अंदर सभी नियामक प्राधिकरण को सूचित करेगा।

63. खदान में प्रवेश के समय परियोजना के संबध में एक डिस्प्ले बोर्ड निम्नलिखित विवरण के साथ लगाना अनिवार्य होगा :

- खदान के मालिक का नाम ,संपर्क विवरण आदि।
- परियोजना का खनन पट्टा क्षेत्र (हेक्टेयर में) मय अक्षांश देशांश।
- खदान की लम्बाई, चौड़ाई एवं स्वीकृत गहराई।
- माईनेवल पोटेंशियल ऑफ रेत खदान।
- पर्यावरण स्वीकृति एवं एमपीपीसीबी की कन्सेन्ट अनुसार परियोजना की स्वीकृत उत्पादन क्षमता।
- खनन विधि (मैनुअल/सेमी मैकेनाईज्ड)।

64. NGT (CZ) के आदेश क्र. 66/20 दिनांक 19/10/2020 एवं एस.ई.आई.ए.ए का निर्देश पत्र संख्या 5084 दिनांक 09/12/2020 के अनुसार रेत खनन के मामले में पीपी द्वारा निम्नलिखित शर्तों को लागू किया जाना चाहिए :

i. लीजधारक को परियोजना स्थल पर न्यूनतम संख्या में (02) पोक्लेन्स का उपयोग कर सकता है 02 से जादा पोक्लेन्स के उपयोग की अनुमति नही होगी।
ii. जिला प्रशासन द्वारा पहले वर्ष के अंत में पर्यावरणीय प्रभाव के लिए साइट का आकलन करने के उपरांत ही निरंतर खनन कार्य जारी रखने की अनुमति प्रदान की जाये।
iii. कार्य की अंतिम गहराई वर्तमान प्राकृतिक नदी तल से 01 मीटर और उपलब्ध रेत की मोटाई प्रस्तावित खदान स्थल से 03 मीटर होगी।
iv. रेत उत्खनन किसी भी परिस्थिति में भूजल स्तर को प्रभावित नहीं किया जाए। यदि भूजल स्तर 01 मीटर पर अनुमत गहराई के भीतर होता है, तो उत्खनन कार्य तुरंत रोक दिया जाये।
v. रेत का खनन के दौरान किसी भी तरह से नदी के पानी की गंदलापन (टरबिडिटी), वेग और प्रवाह को प्रभावित न किया जाए।
vi. खनन गतिविधि की निगरानी तालुक स्तर के बल द्वारा महीने में एक बार भौतिक सत्यापन करके की जाएगी
vii. खनन बंद होने के बाद, लाइसेंसधारी खदान में लगाए गए सभी शेड और रेत खदान के संचालन के लिए उपयोग किए जाने वाले सभी उपकरणों को तुरंत हटा दे, जहाँ तक संभव हो, बिना किसी कृत्रिम बाधा के नदी को अपना सामान्य मार्ग फिर से शुरू करने के लिए सड़कों/मार्गों को समतल किया जाये।

viii. खनन से किए गए गड्ढों को जहां आवश्यक हो वहां वापस भर दिया जाना चाहिए और पर्यावरणीय क्षरण को रोकने के लिए क्षेत्र उपयुक्त लैंडस्केप होना चाहिए

ix. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना के अनुसार खदान की सीमा और गहराई के संबंध में मानकों का पालन करे एवं खदान की सीमा का उचित रूप से सीमांकन किया जाए।

65. नदी के किनारों पर स्थिरीकरण के लिए खस स्लिप्स और नगर मोथा जैसी प्रजातियों को लगाया जाये एवं किसी भी उपयुक्त सरकार के माध्यम से गांव में खनिज निकासी सड़क और आम क्षेत्र पर मिट्टी के कटाव की जांच के लिए संबंधित डी.एफ.ओ./ग्राम पंचायत/कृषि विभाग या किसी अन्य उपयुक्त एजेंसी से कार्य अनुमति के उपरांत ईएमपी में किए गए बजटीय आवंटन के अनुसार पर्याप्त विशेषज्ञता वाली एजेंसी (जैसे वन विकास निगम/वन समिति, वन रेंज अधिकारी की निगरानी और मार्गदर्शन में उक्त कार्य करवाया जाये।

66. पट्टा क्षेत्र मे वृक्षारोपण के लिए सतही मिट्टी का उपयोग किया जाए एवं पट्टा क्षेत्र के बाहर कोई ओ. बी. डंप. (Over burden) न किया जाये। परियोजना प्रस्तावक को खनन कार्यों के शुरुआती तीन वर्षों में वृक्षारोपण गतिविधि पूर्ण करे एवं हताहत/मृत पोधों के प्रतिस्थापन सहित पूरे खनन जीवन के लिए उन्हें बनाए रखा जायें। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण और करणीय प्रतिस्थापन के वार्षिक विवरण हेतु एक लॉग बुक रखी जाये एवं खनन कार्य के दौरान किसी भी वनस्पतियों , जीवों इत्त्यादि को कोई हानि न हो इस हेतु पर्याप्त सावधानी बरती जाये। पी.पी. द्वारा वन भूमि में संभावित अतिरिक्त वृक्षारोपण डी.एफ.ओ के माध्यम से किया जाये एवं निर्धारित बजट डी.एफ.ओ को हस्तांतरित किया जाये ।

67. संबधित ग्राम क्षेत्र की सामुदायिक भूमि अथवा बंजर वन भूमि पर ग्राम पंचायत के माध्यम से स्थानीय मिश्रत प्रजातिया जैसे वार्षिक, बारहमासी घास/चारा , वृक्ष की प्रजातियॉ रोपित की जाये जिससे चरागाह विकसित हो सके एवं खनन कार्य के उपरांत इस विकसित चरागाह को ग्राम पंचायत को सौंप दिया जाऐ।

68. पौधरोपण को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक वर्ष मानसून के मौसम की शुरुआत से पहले, आस–पास के ग्रामीणों को चारा/देशी फल देने वाली प्रजातियों के पौधे सामाजिक वानिकी नर्सरी/सरकारी बागवानी नर्सरी से प्राप्त कर वितरित किए जाऐं। यह गतिविधि म.प्र. सरकार की ''अंकुर योजना'' के अंतर्गत ''वायुदूत ऐप'' पर व्यक्तिगत ग्रामीणों को पंजीकृत कर की जाये। पी.पी द्वारा जिन स्थानों पर औषधि वाटिका (मडिकल गार्डेन) पस्तावित है उन स्थानों (स्कूल/आंगनवाड़ी प्रांगण) पर न्यूनतम 50 पौधे रोपित किये जाये एवं इस प्रकार विकसित किया जाये कि उनका सरवाइवल 80 प्रतिशत तक हो।

69. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण के लिये पानी की उचित व्यवस्था की जाये।

70. बी–1 श्रेणी की परियोजनाओं मे प्रस्तावित सी.ई.आर गतिविधियॉ जन सुनवाई के निष्कर्ष पर आधारित होने चाहिए। एवं बी–2 श्रेणी की परियोजनाओं में स्थानीय आवश्यकता मूल्यांकन और ग्राम पंचायत वार्षिक कार्य योजना के आधार पर सी.ई.आर गतिविधि प्रस्तावित किया जाऐ।

(ब) मानक शर्तें

1. परियोजना प्रस्तावक के ई–मेल विवरण के साथ वैध डाक का पता।
2. नदी तल पर किसी भी भारी वाहन का जाना प्रतिबंधित रहेगा।
3. खनन क्षेत्र से रेत का परिवहन लदान स्थल तक केवल ट्रैक्टर ट्रॉली के माध्यम से ही किया जायेगा।
4. नदी कर्व पर किनारों को उचित बांधों द्वारा स्थिर किया जाये एवं उचित वृक्षारोपण किया जाये इसकी निगरानी कलेक्टर, के द्वारा किया जाये ताकि रेत खनन से उस क्षेत्र की पारिस्थितिकी को प्रभवित न हो सके।

5. खनन कार्य स्वीकृत खनन योजना के अनुसार किया जाये, खनन योजना का उल्लंघन किये जाने पर एस.ई.आई.ए.ए द्वारा दी गई पर्यावरण स्वीकृत रद्द कर दी जाएगी।
6. यह सुनिश्चित किया जाए कि गौण खनिज के उत्खनन से नदी तल बेसिन, जहां खनन कार्य किया जाता है, की अंतर्निहित मिट्टी की विशेषताओं मे किसी प्राकार का बदलाव तो नही हो रहा।
7. यह सुनिश्चित किया जाये कि खनन कार्य सें नदी के पानी का गंदलापन (टरबिडिटी) ,वेग और प्रवाह पैटर्न को किसी भी तरह बाधित न किया जाये।
8. यह सुनिश्चित किया जाये कि नदी के तल पर अथवा खनन क्षेत्रों के निकट कोई जीव–जंतु घोंसले के लिए निर्भर तो नही है।
9. विचाराधीन सभी प्रस्तावों के लिए खनन कार्य से पूर्व खनन/राजस्व विभाग के अधिकारियों द्वारा स्थल पर सटीक खनन क्षेत्र का संयुक्त रूप से सीमांकन किया जायें।
10. सार्वजनिक स्थानों पर वाहनों की पार्किंग नहीं होनी चाहिए।
11. आसपास की बस्तियों को खनन गतिविधियों के प्रभाव से बचाने के लिए विशेष उपाय अपनाए जाये। तथा गॉव की जिन सड़को से गौण खनिजों का परिवहन किया जाना है, का नियमित रूप से रख रखाव/अनुरक्षण किया जाये।
12. मृदा अपरदन की रोकथाम एवं नियंत्रण तथा गाद के प्रबंधन के उपाय किये जायें।
13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान के गड्ढे, कचरे के ढेर के आसपास आवश्यक सुरक्षा उपाय सुनिश्चित किया जाये।
14. वृक्षारोपण कार्यक्रम ई.एम.पी के अनुसार किया जाये एवं वनस्पतियों की आत्मनिर्भरता सुनिश्चित की जानी चाहिए एवं पट्टा क्षेत्र में किसी भी पेड़ की कटाई बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के न किया जाये।
15. खनिजों का परिवहन करने वाले वाहनों को एक तिरपाल या अन्य उपयुक्त बाड़ों से ढक दिया जाये ताकि परिवहन के दौरान धूल के कण /बारीक पदार्थ बाहर न निकल सकें।
16. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खान श्रमिकों के लिए आश्रय एवं पेयजल की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित किया जायें ।
17. धूल भरे क्षेत्रों में काम करने वाले व्यक्तियों को सुरक्षात्मक श्वसन उपकरण उपलब्ध कराए जाये और उनकें सुरक्षा और स्वास्थ्य पहलुओं पर पर्याप्त प्रशिक्षण और जानकारी भी प्रदान की जाये।
18. कार्य स्थल पर प्राथमिक उपचार के लिए औषधालय की सुविधा अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराई जाये।
19. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण मंजूरी की एक प्रति सरकार के संबंधित अधिकारियों के अतिरिक्त स्थानीय निकायों, पंचायत और नगर निकायों के प्रमुखों, (जैसा लागू हो) को भी प्रस्तुत की जाये।
20. मंत्रालय अथवा कोई अन्य सक्षम प्राधिकारी पर्यावरण संरक्षण के हित में शर्तों में परिवर्तन/संशोधन कर सकता है या कोई और शर्त निर्धारित कर सकता है।
21. तथ्यात्मक डेटा को छुपाने अथवा झूठे /गढ़े हुए डेटा प्रस्तुत करने एवं ऊपर उल्लिखित किसी भी शर्त का पालन न करने पर पर्यावरण मंजूरी को वापस लिया जा सकता है और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के तहत कार्रवाही कि जा सकती है।
22. पर्यावरण मंजूरी के खिलाफ किसी भी प्रकार की अपील, करना हो, तो राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 की धारा 16 के तहत, निर्धारित 30 दिनों की अवधि के अंदर राष्ट्रीय हरित अधिकरण में की जा सकती है।

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।

2. सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (सेक), अनुसंधान एवं विकास विंग, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई–5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल – 462016।
3. सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई–5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल – 462016।
4. कलेक्टर, जिला बैतूल (म.प्र.)
5. वन मंडलाधिकारी, जिला बैतूल (म.प्र.)
6. आई.ए. डिवीसन, निगरानी प्रकोष्ठ, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड़, नई दिल्ली – 110003।
7. निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिमी क्षेत्र केन्द्रीय पर्यावरण भवन, लिंक रोड़ नं. 03, रवि शंकर नगर, भोपाल – 462016 ।
8. संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म मध्यप्रदेश, 29–ए, खनिज भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल – 462002।
9. खनिज अधिकारी, जिला बैतूल (म.प्र.)
10. संबंधित फाईल।

(आलोक नायक)
प्रभारी अधिकारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Shri,Mujeebur Rehman Khan
Member Secretary
Date: 4/6/2023 7:07:05 PM

State Environment Impact Assessment Authority, M.P.
(Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India)

Environmental Planning & Coordination Organization
Paryavaran Parisar, E-5, Arera Colony
Bhopal - 462016
visit us http://www.mpseiaa.nic.in
Email : mpseiaa@gmail.com
Tel.: 0755 - 2466970, 2466859
Fax : 0755 - 2462136

सत्यमेव जयते

No.: 3195 /SEIAA/23
Date : 24/3/23

प्रति,

मेसर्स नेशनल एनर्जी ट्रेडिंग एण्ड सर्विसेस लि.
प्लाट न. 07 बिन्दु सदन 401, साईचन्द, कालोनी,
ग्रीन स्पेस तुलसी, पुप्पलगुड़ा, मणिकोंडा,
हैदराबाद रंगारेड्डी, (तेलंगाना)

विषयः **प्रस्ताव क्र. SIA/MP/MIN/296435/2022 - प्रकरण क्रमांक 7095/2020 – पूर्व परियोजना प्रस्तावक मेसर्स होटल उमा रेसीडेन्सी, चणक्यपुरी कालोनी, जिला सतना (म.प्र.), रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), रकबा 3.40 हे., उत्पादन क्षमता 19500 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 18, ग्राम खपरिया, तहसील चिचोली, जिला बैतूल (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का हस्तांतरण, नवीन परियोजना प्रस्तावक मेसर्स नेशनल एनर्जी ट्रेडिंग एण्ड सर्विसेस लि. प्लाट न. 07 बिन्दु सदन 401, साईचन्द, कालोनी, ग्रीन स्पेस तुलसी, पुप्पलगुड़ा, मणिकोंडा, हैदराबाद रंगारेड्डी, (तेलंगाना) के नाम पर करने हेतु आवेदन।**

संदर्भः **राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) की 750वी बैठक दिनांक 13.10.2022 में लिये गये नीतिगत निर्णय अनुसार।**

1135

रेत उत्खनन के प्रकरणों को माननीय एनजीटी स्पेशल बेन्च के आदेश दिनांक 22.02.2022 एवं 04.03.2022 के परिपालन में SEIAA द्वारा 717वी बैठक दिनांक 08.04.2022 लिये गये नीतिगत निर्णय के दृष्टिगत प्रकरण को Re-visit कर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना 2006 के पैरा–11 अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा परिवेश पोर्टल पर आवेदित दस्तावेजो के आधार पर पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के हस्तांतरण हेतु सर्व सम्मति से निम्नानुसार कार्यवाही निर्णित की गयी :–

(1) नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर फार्म–8 में **रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), रकबा 3.40 हे., उत्पादन क्षमता 19500 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 18, ग्राम खपरिया, तहसील चिचोली, जिला बैतूल** (म.प्र) पूर्व परियोजना प्रस्तावक **मेसर्स होटल उमा रेसीडेन्सी निवासी चड़क्यपुरी कालोनी सतना जिला सतना (म.प्र.)**को जारी पूर्व पर्यावरण स्वीकृति का हस्तांतरण आवेदन प्राप्त हुआ है।

(2) **यह कि नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के संबंध में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं :–**

I. प्रभारी अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) **बैतूल** द्वारा पूर्व परियोजना प्रस्तावक मेसर्स **होटल उमा रेसीडेन्सी निवासी चड़क्यपुरी कालोनी सतना जिला सतना (म.प्र)** के पक्ष से नवीन परियोजना प्रस्तावक **मेसर्स नेशनल इनर्जी ट्रेडिंग एण्ड सर्विसेस, लिमिटेड निवासी प्लाट न.–7 बिन्दु सदन, 401 साईचन्द्र कालोनी, ग्रीन स्पेस तुलसी , पुप्पलगुडा , मणिकोडा, हैदराबाद**

रंगारेड्डी, (तेलंगाना) के नाम पर पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरित करने हेतु अनापत्ति प्रस्तुत की गई है।

II. **मेसर्स नेशनल इनर्जी ट्रेडिंग एण्ड सर्विसेस, लिमिटेड निवासी प्लाट न.–7 बिन्दु सदन, 401 साईचन्द्र कालोनी, ग्रीन स्पेस तुलसी , पुप्पलगुडा , मणिकोडा, हैदराबाद रंगारेड्डी, (तेलंगाना)** द्वारा नोटराईज्ड शपथ–पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें उल्लेख किया गया है कि उक्त खदान में आज दिनांक तक कोई भी वाद–विवाद न्यायालय में प्रचलन में नहीं है एवं जारी पूर्व पर्यावरण स्वीकृति में निहित समस्त शर्तों का परिपालन सुनिशिचित किया जायेगा।

III. एस.ई.आई.ए.ए. द्वारा जारी पूर्व पर्यावरण स्वीकृति पत्र क्र. 976 दिनांक 18.06.2020 की प्रति।

IV. नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा पत्र क्र. 386 दिनांक 27.02.2023 के माध्यम से अनुमोदित खनन योजना मय वार्षिक पुर्नभरण अध्ययन की प्रति।

V. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बैतूल द्वारा नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम से जारी आशय पत्र क्र. 1862/रेत/2022 दिनांक 23.12.2022 (लीज अवधि 30.06.2023 तक मान्य) की प्रति।

VI. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बैतूल द्वारा नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम से जारी लीज हस्तांतरण ओदेश क्र. 401 दिनांक 27.02.2023 में (लीज अवधि 30.06.2023 तक मान्य) की प्रति।

VII. जिला खनिज अधिकारी, बैतूल द्वारा SEIAA की 717वीं बैठक दिनांक 08.04.2022 के नीतिगत निर्णय कार्यवाही के बिन्दु क्र. 2.1 से 2.6 अनुसार चाही गई प्रमाणित जानकारी पत्र क्र. 402 दिनांक 27.02.2023 के माध्यम से प्रस्तुत की गई है।

VIII. प्रभारी अधिकारी (खनिज शाखा), बैतूल द्वारा पूर्व ठेकेदार को जारी पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का परिपालन नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा किये जाने के संबंध में पत्र क्र. 549 दिनांक 20.03.2023 के माध्यम से प्रस्तुत की गई है।

1136

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए अधिसूचना 2006 (पैरा–11) के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति में नाम परिवर्तन करने के लिए पर्याप्त दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं। अत : एसईआईएए द्वारा हस्तांतरित पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र क्र. 976/एसईआईएए/2020 दिनांक 18.06.2020 के माध्यम से मेसर्स होटल उमा रेसीडेन्सी, चणक्यपुरी कालोनी, जिला सतना (म.प्र) के नाम पर रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), रकबा 3.40 हे. , उत्पादन क्षमता 19500 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 18, ग्राम खपरिया, तहसील चिचोली, जिला बैतूल (म. प्र.) की जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का हस्तांतरण, नवीन परियोजना प्रस्तावक मेसर्स नेशनल एनर्जी ट्रेडिंग एण्ड सर्विसेस लि. प्लाट न. 07 बिन्दु सदन 401, साईचन्द, कालोनी, ग्रीन स्पेस तुलसी, पुप्पलगुड़ा, मणिकोंडा, हैदराबाद रंगारेड्डी, (तेलंगाना) के नाम निम्नानुसार अतिरिक्त शर्तों के साथ किया जाता है :–

I. **उपरोक्त पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 18.06.2020 में निहित समस्त शर्ते यथावत रहेंगी एवं पर्यावरण स्वीकृति की वैधता दिनांक 30.06.2023 तक मान्य रहेगी।**

II. प्रस्तावित खदान की उत्पादन क्षमता हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित खनन योजना में 19500 घनमीटर प्रतिवर्ष, पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति में 37062 घनमीटर प्रतिवर्ष, निविदा में निविदत्त मात्रा 19500 घनमीटर एवं प्रस्तावित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में 19500 घनमीटर दर्शित है, **अतः माननीय एन.जी.टी. के उक्त आदेश दिनांक 22.02.2022 एवं 04.03.2022 के परिपालन में न्यूनतम उत्पादन क्षमता 19500 घनमीटर प्रतिवर्ष तक ही मान्य रहेगी। परियोजना प्रस्तावक द्वारा निविदा में जिले के लिये निविदत्त कुल मात्रा से अधिक उत्पादन मात्रा का उत्खनन नहीं किया जायेगा इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

III. SEIAA द्वारा रेत खनन के प्रकरणों में जारी की जाने वाली समस्त पर्यावरण स्वीकृति माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों के आदेशों/दिशा निर्देशों के अधीन मान्य रहेंगी तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों द्वारा जारी सभी निर्देशों/निर्णयों का अनुपालन परियोजना प्रस्तावक के लिये बाध्यकारी होगा।

IV. रेत उत्खनन का कार्य मैनुअल विधि द्वारा ही किया जायें।

V. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सी.ई.आर. एवं सभी गतिविधियों का अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 18.06.2020 में निहित शर्तों अनुसार विशेष रूप से वृक्षारोपण (वन विभाग के माध्यम से) एवं सी.ई.आर. (जिला प्रशासन/स्थानीय निकाय के समन्वय से) की गतिविधियों का पूर्णतः परिपालन दिनांक 31.05.2023 तक पूर्ण कर अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित SEIAA एवं क्षेत्रीय कार्यालय MoEF&CC को अनिवार्यतः प्रेषित किया जाये। उपरोक्त शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन जिला खनिज अधिकारी द्वारा प्रस्तुत करवाया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

VI. **पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 18.06.2020 में निहित वृक्षारोपण की विशिष्ट शर्त के अनुसार वृक्षारोपण कार्य संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग द्वारा किया जाये तथा इस हेतु निर्धारित धनराशि परियोजना प्रस्तावक द्वारा शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट मे जमा किया जाये।**

VII. **जिला कलेक्टर द्वारा प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति पत्र में निहित सी.ई.आर गतिविधियों हेतु विशिष्ट शर्त के अनुसार पर्यावरण स्वीकृति की वैधता दिनांक 30.06.2023 के पूर्व उपरोक्त सी.ई.आर. अंतर्गत प्रस्तावित कार्यों/गतिविधियों को संबंधित जिला पंचायत/नगरीय निकाय के माध्यम से स्थानीय स्तर पर ग्रामीण विकास के कार्यों की आवश्यकता के दृष्टिगत अनिवार्यतः क्रियान्वयन करवाया जाये। यदि आवश्यक हो तो परियोजना प्रस्तावक से उपरोक्त शर्त के परिपालन हेतु शासन के नियमानुसार आवश्यक राशि जमा करवाकर सी.ई.आर. गतिविधियें का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।**

VIII. परियोजना प्रस्तावक पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी रेत उत्खनन सतत रेत खनन प्रबंधन दिशा निर्देश, 2016 एवं प्रवर्तन और निगरानी दिशा निर्देश, 2020 का सख्ती से परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा। **इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा समय–समय पर स्थल निरीक्षण किया जायेगा।**

अध्यक्ष महोदय, SEIAA द्वारा अनुमोदित

4/3

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

1137

क्र.. /SEIAA/2023 भोपाल दिनांक :

प्रतिलिपि :–

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (सेक), अनुसंधान एवं विकास विंग, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई–5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल – 462016।
3. सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई–5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल – 462016।
4. कलेक्टर, जिला बैतूल (म.प्र.)
5. वन मंडलाधिकारी, जिला बैतूल (म.प्र.)
6. आई.ए. डिवीजन, निगरानी प्रकोष्ठ, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड़, नई दिल्ली – 110003।
7. निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिमी क्षेत्र केन्द्रीय पर्यावरण भवन, लिंक रोड़ नं. 03, रवि शंकर नगर, भोपाल – 462016 ।
8. संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म मध्यप्रदेश, 29–ए, खनिज भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल – 462002।
9. मेसर्स होटल उमा रेसीडेन्सी, चणक्यपुरी कालोनी, जिला सतना (म.प्र) ।
10. खनिज अधिकारी, जिला बैतूल (म.प्र.)
11. संबंधित फाईल।

(आलोक नायक)
प्रभारी अधिकारी

ENVIRONMENTAL CLEARANCE

PARIVESH

(Pro-Active and Responsive Facilitation by Interactive, and Virtuous Environmental Single-Window Hub)

Government of India
Ministry of Environment, Forest and Climate Change
(Issued by the State Environment Impact Assessment Authority(SEIAA), MADHYA PRADESH)

To,

The -1

NATIONAL ENERGY TRADING AND SERVICES LIMITED

PLOT NO. 7 BINDU SADAN, 401, SAI CHANDRA RASIDENCY, HYDERABAD RANGAREDDI TG 500089 IN -500089

Subject: Grant of Environmental Clearance (EC) to the proposed Project Activity under the provision of EIA Notification 2006-regarding

Sir/Madam,

This is in reference to your application for Environmental Clearance (EC) in respect of project submitted to the SEIAA vide proposal number SIA/MP/MIN/418901/2023 dated 27 Feb 2023. The particulars of the environmental clearance granted to the project are as below.

1.	**EC Identification No.**	**EC23B001MP193371**
2.	**File No.**	9741/2023
3.	**Project Type**	New
4.	**Category**	B
5.	**Project/Activity including Schedule No.**	1(a) Mining of minerals
6.	**Name of Project**	Guwadi Sand Mine
7.	**Name of Company/Organization**	NATIONAL ENERGY TRADING AND SERVICES LIMITED
8.	**Location of Project**	MADHYA PRADESH
9.	**TOR Date**	N/A

The project details along with terms and conditions are appended herewith from page no 2 onwards.

Date: 06/04/2023

(e-signed)
Shri,Mujeebur Rehman Khan
Member Secretary
SEIAA - (MADHYA PRADESH)

Note: A valid environmental clearance shall be one that has EC identification number & E-Sign generated from PARIVESH.Please quote identification number in all future correspondence.

This is a computer generated cover page.

संदर्भः प्रस्ताव क्र. **SIA/MP/MIN/418901/2023 -** प्रकरण क्र. 9741/2023 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स नेशनल एनर्जी ट्रेडिंग एण्ड सर्विस लि., संचालक श्री विनोद कुमार गोदावर्थ, निवासी–प्लाट नं. 7, बिन्दु सदन 401, सांई चंद रेसीडेन्सी, हैदराबाद, रंगारेडी (तेलांगना) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 42120 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.50 हेक्टेयर, खसरा 19, ग्राम गुवाडी, तहसील शाहपुर, जिला बैतूल (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

भारत सरकार के ई.आई.ए. अधिसूचना एस.ओ. 1533(E) दिनांक 14 सितंबर 2006 एवं उपरांत के संशोधनों तथा राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा समय–समय पर जारी ज्ञापनों के परिपालन में पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु भारत सरकार के परिवेश पोर्टल पर निर्धारित प्रपत्र एवं प्रक्रिया अनुरूप परियोजना प्रस्तावक द्वारा आनॅलाईन आवेदन के साथ प्रस्तुत परियोजना प्रस्ताव (क्र. **SIA/MP/MIN/418901/2023** एवं MP SEIAA में पंजीयन दिनांक 28.02.2023) एवं संबंधित अनिवार्य दस्तावेज़ों के आधार पर राज्य विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) और राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण (SEIAA) के द्वारा परीक्षण एवं मूल्यांकन किया गया।

II कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला धार के एकल प्रमाण पत्र क्र. 241 दिनांक 08.02.2023 के अनुसार आवेदित क्षेत्र से नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/जैव विविधता क्षेत्र/ईको सेंसेटिव जोन 10 कि.मी. की परिधि के बाहर है एवं वन क्षेत्र 250 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित है। अनुमोदित खनन योजना के अनुसार अक्षांश 22°17'03.82" से 22°17'12.39' और देशांतर 77°52'56.30" से 77°52'59.51" भौगोलिक निर्देशांक पर स्थित है।

III. परियोजना पर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना एस.ओ. 1533(E) दिनांक 14 सितंबर 2006 के प्रावधानों के अंतर्गत उपरोक्त पैरा (II) के अनुसार परियोजना प्रस्तावक एवं अधिकृत सलाहकार द्वारा प्रस्तुत की गई अभिप्रमाणित जानकारी तथा दस्तावेज़ों के आधार पर राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण (SEIAA) की 778वीं बैठक दिनांक 29.03.2023 में विस्तृत विचार विमर्श उपरांत एवं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 629वी बैठक दिनांक 14.03.2023 में प्रकरण पर की गई अनुंशसा के आधार पर विशिष्ट, साधारण/मानक शर्ते अधिरोपित करते हुये पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान करने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है।

अतः उपरोक्त निर्णय के परिपालन में उक्त प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक मेसर्स नेशनल एनर्जी ट्रेडिंग एण्ड सर्विस लि., संचालक श्री विनोद कुमार गोदावर्थ, निवासी–प्लाट नं. 7, बिन्दु सदन 401, सांई चंद रेसीडेन्सी, हैदराबाद, रंगारेडी (तेलांगना) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 42120 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.50 हेक्टेयर, खसरा 19, ग्राम गुवाडी, तहसील शाहपुर, जिला बैतूल (म.प्र.) की राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, म.प्र एवं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति द्वारा अनुशंसित निम्नलिखित विशिष्ट शर्तो और तदुपरांत मानक शर्तो के अधीन पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(अ) विशिष्ट शर्तेः

1. **कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बैतूल का आदेश क्र. 258 दिनांक 10.02.2023 के माध्यम से उक्त खदान दिनांक 30.06.2023 तक स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 30.06.2023 तक मान्य रहेगी।**
2. प्रस्तावित खदान की उत्पादन क्षमता हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित खनन योजना में 42120 घनमीटर प्रतिवर्ष, निविदा में निविदत्त मात्रा 42120 घनमीटर प्रतिवर्ष, SEAC से अनुशंसित

- ग्राम गुवाडी के शासकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मे 02 व्हील चेयर, 01 वार्मर एवं 05 कम्पलीट बेड उपलब्ध कराये जाये।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियॉ और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

9. **जिला कलेक्टर द्वारा प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति की वैधता दिनांक 30.06.2023 के पूर्व उपरोक्त सी.ई.आर. अंतर्गत प्रस्तावित कार्यों/गतिविधियों को संबंधित जिला पंचायत/नगरीय निकाय के माध्यम से स्थानीय स्तर पर ग्रामीण विकास के कार्यों की आवश्यकता के दृष्टिगत अनिवार्यतः क्रियान्वयन किया जाये। यदि आवश्यक हो तो परियोजना प्रस्तावक से उपरोक्त शर्त के परिपालन हेतु नियमानुसार आवश्यक राशि जमा करवाकर सी.ई.आर. गतिविधियेां का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।**

10. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सी.ई.आर. एवं सभी गतिविधियों का अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट विशेष रूप से वृक्षारोपण (वन विभाग के माध्यम से) एवं सी.ई.आर. (जिला प्रशासन/स्थानीय निकाय के समन्वय से) की गतिविधियों का पूर्णतः परिपालन दिनांक 31.05.2023 तक पूर्ण कर अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित SEIAA एवं क्षेत्रीय कार्यालय MoEF&CC को अनिवार्यतः प्रेषित किया जाये। उपरोक्त शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन जिला खनिज अधिकारी द्वारा प्रस्तुत करवाया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।**

11. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पूर्व पट्टा क्षेत्र के चारों ओर फेंसिंग लगाई जाये एवं पट्टा क्षेत्र के चार कोनों पर चेतावनी संकेतकों की स्थापना के साथ उचित निगरानी और सुरक्षागार्ड की व्यवस्था की जायेगी।

12. परियोजना क्षेत्र एवं अन्य प्रस्तावित क्षेत्रों में वृक्षारोपण संबंधित कार्यों में संबंधित क्षेत्र के वनमंडलाधिकारी के परामर्श अनुसार संयुक्त/सामुदायिक वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से CSR/CER एवं अशासकीय निधियों के उपयोग हेतु राज्य शासन द्वारा निर्धारित वृक्षारोपण नीति का परिपालन सुनिश्चित किया जाये।

13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा विभाग से खनन अनुबंध निष्पादित होने के उपरांत ही खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा।

14. परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करेगा कि अनुमोदित खनन योजना में उल्लेखित अनुसार ही खनन पट्टा क्षेत्र में वार्षिक रेत पुर्नभरण की पूर्ति निर्धारित स्तरों पर खनन कार्यों को बनाए रखने के लिए पर्याप्त है।

15. परियोजना प्रस्तावक नदी के बेसिन के भीतर किसी भी प्रकार का रैंप स्थापित नहीं करेगा तथा जिस किनारे पर रेत उपलब्ध है उसी किनारे से परिवहन की अनुमति कार्य किया जायेगा।

16. परियोजना प्रस्तावक नदी के जल प्रभाव वाले क्षेत्र में खनन कार्य नहीं करेगा एवं स्थानीय अधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि केवल नदी के सूखे हिस्से में जहां रेत की उपलब्धता हो वही तक खनन गतिविधिया सीमित की जाये।

17. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रतिबद्धधता अनुसार जलभराव क्षेत्र को गैर–खनन क्षेत्र के रूप में छोड़ा जायेगा।

18. परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करेगा कि रेत के गड्ढे की गहराई स्वीकृत अनुमोदित खनन योजना के अनुसार ही हो।

19. परियोजना प्रस्तावक कच्ची सड़क के स्थान पर पक्का पहुंच मार्ग का निर्माण सुनिश्चित करेगा और खनिज के परिवहन हेतु ग्राम क्षेत्र के बाहर से वैकल्पिक मार्ग की योजना तैयार ग्राम पंचायत के परामर्श अनुसार करेगा।

20. परियोजना प्रस्तावक पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी रेत उत्खनन सतत रेत खनन प्रबंधन दिशानिर्देश, 2016 एवं प्रवर्तन और निगरानी दिशानिर्देश, 2020 का सख्ती से परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

21. परियोजना प्रस्तावक म.प्र. खनिज संसाधन विभाग, मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी अधिसूचना 30.08. 2019 के अनुसार 5 हेक्टेयर पट्टा क्षेत्र तक रेत खनन पद्धति के लिए दिये गये निर्देश एवं प्रावधान का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

22. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यदि धारा सूखी है, तो उत्खनन धारा की सबसे कम अबाधित एलिवेशन से आगे नहीं बढ़ेगा, जो कि स्थानीय हाइड्रोलिक्स, जल विज्ञान और भू–आकृति विज्ञान का एक कार्य है।

23. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मानसून अवधि में कोई खनन नहीं किया जाएगा।

24. खनिज की ओवरलोडिंग परिवहन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी।

25. परियोजना प्रस्तावक द्वारा दुर्घटनाओं से बचने के लिए परिवहन मार्गों पर चेतावनी संकेतों की स्थापना की जायेगी।

26. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पहुंच मार्ग के धूल दमन हेतु नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जायेगा तथा वृक्षारोपण व पीने के लिये (विशेष रूप से गर्मी के मौसम में) उचित जलापूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करेगा।

27. परियोजना प्रस्तावक प्राथमिकता के आधार पर आसपास के ग्रामीणों को रोजगार के अवसर प्रदान करेगा।

28. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना अनुसार वृक्षारोपण, धूल दमन, पहुंच सड़क के निर्माण और मौजूदा पक्की सड़क के रखरखाव के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेगा। इस हेतु पर्यावरण प्रबंधन योजना में अतिरिक्त बजट प्रावधान किया जाएगा।

29. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सीईआर एवं सभी गतिविधियों के फोटोग्राफ अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट के साथ एमपी–एसईआईएए को प्रस्तुत करेगा। यदि परियोजना प्रस्तावक अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट को अपलोड करने में विफल रहता है या संबंधित प्राधिकरण (एसईआईएए और क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल) को पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों की लगातार दो छमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, तो परियोजना प्रस्तावक को जारी की गई पूर्व पर्यावरण मंजूरी निरस्त की जायेगी।

30. यदि माईनिंग लीज का स्वामित्व बदल जाता है, तो नवीन परियोजना प्रस्तावक को एसईआईएए को पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के लिए तुरंत आवेदन करना होगा। बिना पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण तक परियोजना प्रस्तावक उक्त खदान में तब तक खनन स्थगित रखेगा, जब तक कि एसईआईएए द्वारा उक्त पर्यावरण स्वीकृति नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम हस्तांतरित ना हो जाये।

31. खनि पट्टा क्षेत्र के अंदर किये गये सभी कार्य जैसे फेंसिंग, वृक्षारोपण और सीईआर गतिविधियों के तहत किए जाने वाले सभी कार्यों को जिला प्रशासन के परामर्श से आगे के रखरखाव के लिए ग्राम पंचायत को सौंपा जायेगा। परियोजना प्रस्तावक पटवारी रजिस्टर में सभी सूचनाओं को दर्ज करना भी सुनिश्चित करे।

32. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना के लिये बजटीय प्रावधान रू. 5.50 लाख एवं पूंजी रू. 3.25 लाख प्रतिवर्ष प्रस्तावित है।

33. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन् क्षेत्र में कोई Critical aquatic habitat of equatic fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।

34. वनमंडलाधिकारी, वन विभाग द्वारा लिखित में वृक्षारोपण हेतु परियोजना प्रस्तावक का प्रस्ताव अस्वीकृत किये जाने की स्थिति में परियोजना प्रस्तावक स्वंय वृक्षारोपण कार्य (सतत् सिंचाई, 03 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) संपादित करेंगे।

35. जिला प्रशासन द्वारा वार्षिक रूप से मानसून से पहले और सितंबर के अंतिम सप्ताह में खनन पट्टा क्षेत्र में रेत के जमाव (10 एवं > 10.00 हेक्टेयर के पट्टों के लिए 100 मीटर के अंतराल पर तथा <10 हेक्टेयर के पट्टों के लिए 50 मीटर के अंतराल पर) का रिकॉर्ड दर्ज करे एवं आर.एल (रेड्यूस लेवल) मेजरमेंट बुक में रिकॉर्ड रखरखाव करे। तद्नुसार जिला प्रशासन द्वारा पट्टा धारक को केवल रेत की पुनःपूर्ति की गई मात्रा की खुदाई करने हेतु आगामी वर्ष में अनुमति दी जाये।

36. उत्खान क्षेत्र का स्पष्ट सीमांकन स्थल पर अक्षांस एवं देशान्श अनुसार पिलर लगाकर किया जाये एवं सुरक्षा हेतु आवश्यक सूचना व सावधानी संकेत सूचना पटल पर अंकित किये जाये।

37. धूल के कणों का दमन करने के लिए सोलर पंपों/पानी के टैंकरों के साथ ओवरहेड स्प्रिंकलर की व्यवस्था पट्टा क्षेत्र से बाहर निकलें तथा निकासी सड़क पर निश्चित प्रकार के स्प्रिंकलर की व्यवस्था की जाये। पीपी द्वारा लॉग बुक राखी जाये जिसमें दैनिक पानी के छिड़काव और वाहनों की आवाजाही का विवरण दर्ज किया जाये।

38. केवल पूर्वोक्त उद्देश्य के लिए जिनके पास आवश्यक पंजीकरण और मोटर वाहन अधिनियम के तहत अनुमति और उसी के लिए बीमा कवरेज है वाले जीपीएस सहित पंजीकृत वाहन / ट्रैक्टर ट्रॉलियां का उपयोग केवल उक्त प्रयोजन के लिए उपयोग किया जाएगा

39. सामग्री का परिवहन में fugitive उत्सर्जन से बचने के लिए केवल आवश्यक नमी वाले ढके हुए एवं पीयूसी प्रमाणित वाहनों का उपयोग किया जाये। खनिजों का परिवहन वन क्षेत्र से बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के नहीं किया जायेगा

40. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज निकासी सड़क को पक्का (डब्ल्यूबीएम/ब्लैक टॉप) बनाया जाएगा।

41. प्रमुख पुलों और राजमार्गों के दोनों तरफ से 1 किलोमीटर (1 किमी) की दूरी तक रेत और बजरी नहीं निकाली जाएगी। और अपस्ट्रीम से इस तरह के पुल/सार्वजनिक संरचना (जल ग्रहण क्षेत्र सहित) से पांच गुना दूरी तक एवं डाउन–स्ट्रीम से ऐसे पुल से दस गुना दूरी तक, कम से कम 250 मीटर अपस्ट्रीम साइड से और 500 मीटर डाउनस्ट्रीम साइड से रेत और बजरी नहीं निकाली जाएगी।

42. खनन की गहराई 3 मीटर या जल स्तर, जो भी कम हो, तक सीमित होनी चाहिए और नदी के किनारे से दूरी एक चौथाई या नदी की चौड़ाई जितनी होनी चाहिए और जो 7.5 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। नदी के अंदर खनन की अनुमति नहीं है। स्थापित जल वाहक नाला ध्नालियों को स्थानांतरित, सीधा या संशोधित नहीं किया जायेगा।

43. खनन कार्य शुरू होने से पहले खनन क्षेत्र को पिलर से सीमांकन और भू–संदर्भित किया जाये ।

44. परियोजना प्रस्तावक द्वारा कम से कम वर्ष में एक बार प्रतिष्ठित तृतीय पक्ष के माध्यम से पर्यावरणीय ऑडिट कराई जाये और उस ऑडिट की रिपोर्ट को सार्वजनिक डोमेन पर रखी जाये ।

45. मानसून के मौसम में कोई खनन नहीं किया जाएगा।

46. खनन कार्य पूरी तरह से अनुमोदित खनन योजना एवं सतत रेत खनन प्रबंधन दिशानिर्देश, 2016 के अनुसार किया जाएगा तथा पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी रेत खनन के लिए प्रवर्तन और निगरानी दिशानिर्देशों के अनुसार सुनिश्चित किया जायेगा की खनन योजना में निर्धारित स्तरों पर खनन कार्यों को बनाए रखने के लिए खनन पट्टा क्षेत्र में रेत की वार्षिक पुनःपूर्ति खनन पट्टा क्षेत्र में रेत खनन कार्यों हेतु पर्याप्त है।

47. अगर नदी की धारा सूखी है तो उत्खनन धारा के तल की सबसे निचले कम की अबाधित गहराई से आगे नहीं बढ़ना चाहिए, जो स्थानीय हाइड्रोलिक्स, जल विज्ञान और भू–आकृति विज्ञान का एक कार्य है।

48. खनन पूरा होने के बाद, गड्ढे के किनारे को 2.5:1 के अनुपात पर प्रवाह की दिशा में ढलान पर वर्गीकृत किया जाना चाहिए।

49. एम.पी.पी.सी.बी से आवश्यक सहमति प्राप्त की जाएगी और एम.पी.पी.सी.बी. की सिफारिश के अनुसार वायु/जल प्रदूषण नियंत्रण उपायों को स्थापित करना होगा।

50. क्षेत्र के सामाजिक उत्थान के लिए समुचित कार्य किये जायेंगे। इसके लिए आरक्षित निधि का उपयोग ग्राम पंचायतध्सक्षम प्राधिकरण के माध्यम से किया जाएगा।

51. श्रमिकों के छह मासिक व्यावसायिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण किए जाएंगे और सभी श्रमिकों को आवश्यक व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण प्रदान किए जाएंगे। सभी खान श्रमिकों और अन्य कर्मचारियों के लिए विश्राम गृह, प्राथमिक चिकित्सा, उचित अग्निशमन उपकरण और शौचालय (पुरुष और महिला के लिए अलग) जैसी अनिवार्य सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी। खदान के स्थल कार्यालय, विश्राम गृहों आदि को सोलर लाइट से रोशन और हवादार किया जाएगा। इन सभी सुविधाओं जैसे विश्राम गृह, साइट कार्यालय आदि को लीज अवधि की समाप्ति के बाद साइट से हटा दिया जाएगा।

52. पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के नवीनतम कार्यालीन ज्ञापन पत्र संख्या एफ.सं. 22–34/2018–आईए। III, दिनांक 16/01/2020 के अनुसार, पर्यावरण प्रबंधन योजना और कॉर्पोरेट पर्यावरण उत्तरदायित्व में अलग से बजट का प्रावधान चराई भूमि के विकास और रखरखाव के लिए बबनय जाये और ये जानकारी वार्षिक पर्यावरण विवरण में दी जाये ।

53. यदि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए उपायों के लिए आवंटित पर्यावरण प्रबंधन योजना बजट का पूरी तरह से उपयोग नहीं किया जाता है, तो पर्यावरण प्रबंधन योजना के लिए बजटीय प्रावधानों के कम उपयोग के कारण को वार्षिक रिटर्न (विवरणी) में सम्मिलित किया जाये ।

54. परियोजना प्रस्तावक द्वारा एसईएसी और एसईआईएए में प्रस्तुत दस्तावेदजो में विसंगति (यदि कोई) पाए जाने पर परियोजना प्रस्तावक स्वयं जिम्मेदार होगा।

55. खनन पट्टा क्षेत्र में गड्ढे एवं भूमि के पुनरूद्धार की राशि का कार्य खनन विभाग के माध्यम से किया जाये। खनन विभाग द्वारा गतिविधि के लिए अनुमानित उचित राशि को खान में खनिज की समाप्ति होने के उपरांत समस्त गतिविधि का जिम्मा कलेक्टर के पास जमा करना होगा।

56. खनन कार्य हेतु पानी की आवश्यकता के लिए ग्राम पंचायत तथा किसी भी पेड़ की कटाई से पूर्व वन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाये ।

57. ऐसे पट्टे जो वन क्षेत्र के 250मी. की परिधि के अंदर आ रहे है एवं परियोजना प्रस्तावक ने संभाग स्तरीय आयुक्त समिति से अनुमोदन प्राप्त कर लिया है, तो समिति द्वारा निर्धारित सभी शर्तो पालन सुनिश्चित किया जाये।

58. परियोजना में विस्तार या आधुनिकीकरण, प्रक्रिया और उत्पादन क्षमता में वृद्धि के साथ प्रोद्यौगिकी में परिवर्तन, और प्रस्तावित खनन ईकाई में उत्पाद मिश्रण एवं किसी भी प्रकार के परिवर्तन के लिये नवीन पर्यावरण स्वीकृति लेना अनिवार्य होगा।

59. अस्थायी अनुज्ञा (TP) के प्रकरण मे, पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता केवल टीपी की वैधत्ता तक रहेगी एवं परियोजना प्रस्तावक को खदान समापन योजना का पालन सुनिश्चित करना होगा।

60. खनन पट्टाधारक खनन कार्य को बंद करने के बाद, चरागाह के विकास एवं रख –रखाव हेतु एम. ओ.ई.एफ.एंड.सी.सी के पत्र एफ. सं. 22&34/2018–आई.ए, III दिनांक 16/01/2020 अनुसार ई. एम.पी और सी.ई.आर अंतर्गत एक अलग बजट सुरक्षित करें।

61. परियोजना प्रस्तावक पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन संख्या Z&11013/57/2014&IA II (एम) दिनांक 29 अक्टूबर 2014 शीर्षक "आवासों पर खनन गतिविधियों का प्रभाव, खनन परियोजनाओं से संबंधित मुद्दे जिसमें बस्तियाँ और गाँव खदान पट्टा क्षेत्रों का हिस्सा हैं या बस्तियाँ और गाँव खदान पट्टा क्षेत्र से घिरे हुए हैं" में दिए गए मेटिगीटिव उपायों का पालन करगा।

62. पत्राचार के पते में कोई भी परिवर्तन, के लिये 30 दिनों के अंदर सभी नियामक प्राधिकरण को सूचित करेगा।

63. खदान में प्रवेश के समय परियोजना के संबध में एक डिस्प्ले बोर्ड निम्नलिखित विवरण के साथ लगाना अनिवार्य होगा :

- खदान के मालिक का नाम ,संपर्क विवरण आदि।
- परियोजना का खनन पट्टा क्षेत्र (हेक्टेयर में) मय अक्षांश देशांश।
- खदान की लम्बाई, चौड़ाई एवं स्वीकृत गहराई।
- माईनेवल पोटेंशियल ऑफ रेत खदान।
- पर्यावरण स्वीकृति एवं एमपीपीसीबी की कन्सेन्ट अनुसार परियोजना की स्वीकृत उत्पादन क्षमता।
- खनन विधि (मैनुअल/सेमी मैकेनाईज्ड)।

64. NGT (CZ) के आदेश क. 66/20 दिनांक 19/10/2020 एवं एस.ई.आई.ए.ए का निर्देश पत्र संख्या 5084 दिनांक 09/12/2020 के अनुसार रेत खनन के मामले में पीपी द्वारा निम्नलिखित शर्तों को लागू किया जाना चाहिए :

i. लीजधारक को परियोजना स्थल पर न्यूनतम संख्या में (02) पोक्लेन्स का उपयोग कर सकता है 02 से जादा पोक्लेन्स के उपयोग की अनुमति नही होगी।
ii. जिला प्रशासन द्वारा पहले वर्ष के अंत में पर्यावरणीय प्रभाव के लिए साइट का आकलन करने के उपरांत ही निरंतर खनन कार्य जारी रखने की अनुमति प्रदान की जाये।
iii. कार्य की अंतिम गहराई वर्तमान प्राकृतिक नदी तल से 01 मीटर और उपलब्ध रेत की मोटाई प्रस्तावित खदान स्थल से 03 मीटर होगी।
iv. रेत उत्खनन किसी भी परिस्थिति में भूजल स्तर को प्रभावित नहीं किया जाए। यदि भूजल स्तर 01 मीटर पर अनुमत गहराई के भीतर होता है, तो उत्खनन कार्य तुरंत रोक दिया जाये।
v. रेत का खनन के दौरान किसी भी तरह से नदी के पानी की गंदलापन (टरबिडिटी), वेग और प्रवाह को प्रभावित न किया जाए।
vi. खनन गतिविधि की निगरानी तालुक स्तर के बल द्वारा महीने में एक बार भौतिक सत्यापन करके की जाएगी
vii. खनन बंद होने के बाद, लाइसेंसधारी खदान में लगाए गए सभी शेड और रेत खदान के संचालन के लिए उपयोग किए जाने वाले सभी उपकरणों को तुरंत हटा दे, जहाँ तक संभव हो, बिना किसी कृत्रिम बाधा के नदी को अपना सामान्य मार्ग फिर से शुरू करने के लिए सड़कों/मार्गों को समतल किया जाये।

viii. खनन से किए गए गड्ढों को जहां आवश्यक हो वहां वापस भर दिया जाना चाहिए और पर्यावरणीय क्षरण को रोकने के लिए क्षेत्र उपयुक्त लैंडस्केप होना चाहिए

ix. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना के अनुसार खदान की सीमा और गहराई के संबंध में मानकों का पालन करे एवं खदान की सीमा का उचित रूप से सीमांकन किया जाए।

65. नदी के किनारों पर स्थिरीकरण के लिए खस स्लिप्स और नगर मोथा जैसी प्रजातियों को लगाया जाये एवं किसी भी उपयुक्त सरकार के माध्यम से गांव में खनिज निकासी सड़क और आम क्षेत्र पर मिट्टी के कटाव की जांच के लिए संबंधित डी.एफ.ओ./ग्राम पंचायत/कृषि विभाग या किसी अन्य उपयुक्त एजेंसी से कार्य अनुमति के उपरांत ईएमपी में किए गए बजटीय आवंटन के अनुसार पर्याप्त विशेषज्ञता वाली एजेंसी (जैसे वन विकास निगम/वन समिति, वन रेंज अधिकारी की निगरानी और मार्गदर्शन में उक्त कार्य करवाया जाये।

66. पट्टा क्षेत्र मे वृक्षारोपण के लिए सतही मिट्टी का उपयोग किया जाए एवं पट्टा क्षेत्र के बाहर कोई ओ. बी. डंप. (Over burden) न किया जाये। परियोजना प्रस्तावक को खनन कार्यों के शुरुआती तीन वर्षों में वृक्षारोपण गतिविधि पूर्ण करे एवं हताहत/मृत पोधों के प्रतिस्थापन सहित पूरे खनन जीवन के लिए उन्हें बनाए रखा जायें। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण और करणीय प्रतिस्थापन के वार्षिक विवरण हेतु एक लॉग बुक रखी जाये एवं खनन कार्य के दौरान किसी भी वनस्पतियों , जीवों इत्त्यादि को कोई हानि न हो इस हेतु पर्याप्त सावधानी बरती जाये। पी.पी. द्वारा वन भूमि में संभावित अतिरिक्त वृक्षारोपण डी.एफ.ओ के माध्यम से किया जाये एवं निर्धारित बजट डी.एफ.ओ को हस्तांतरित किया जाये ।

67. संबधित ग्राम क्षेत्र की सामुदायिक भूमि अथवा बंजर वन भूमि पर ग्राम पंचायत के माध्यम से स्थानीय मिश्रत प्रजातिया जैसे वार्षिक, बारहमासी घास/चारा , वृक्ष की प्रजातियॉ रोपित की जाये जिससे चरागाह विकसित हो सके एवं खनन कार्य के उपरांत इस विकसित चरागाह को ग्राम पंचायत को सौंप दिया जाऐ।

68. पौधरोपण को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक वर्ष मानसून के मौसम की शुरुआत से पहले, आस–पास के ग्रामीणों को चारा/देशी फल देने वाली प्रजातियों के पौधे सामाजिक वानिकी नर्सरी/सरकारी बागवानी नर्सरी से प्राप्त कर वितरित किए जाऐं। यह गतिविधि म.प्र. सरकार की ''अंकुर योजना'' के अंतर्गत ''वायुदूत ऐप'' पर व्यक्तिगत ग्रामीणों को पंजीकृत कर की जाये। पी.पी द्वारा जिन स्थानों पर औषधि वाटिका (मडिकल गार्डेन) पस्तावित है उन स्थानों (स्कूल/आंगनवाड़ी प्रांगण) पर न्यूनतम 50 पौधे रोपित किये जाये एवं इस प्रकार विकसित किया जाये कि उनका सरवाइवल 80 प्रतिशत तक हो।

69. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण के लिये पानी की उचित व्यवस्था की जाये।

70. बी–1 श्रेणी की परियोजनाओं मे प्रस्तावित सी.ई.आर गतिविधियॉ जन सुनवाई के निष्कर्ष पर आधारित होने चाहिए। एवं बी–2 श्रेणी की परियोजनाओं में स्थानीय आवश्यकता मूल्यांकन और ग्राम पंचायत वार्षिक कार्य योजना के आधार पर सी.ई.आर गतिविधि प्रस्तावित किया जाऐ।

(ब) मानक शर्ते

1. परियोजना प्रस्तावक के ई–मेल विवरण के साथ वैध डाक का पता।
2. नदी तल पर किसी भी भारी वाहन का जाना प्रतिबंधित रहेगा।
3. खनन क्षेत्र से रेत का परिवहन लदान स्थल तक केवल ट्रैक्टर ट्रॉली के माध्यम से ही किया जायेगा।
4. नदी कर्व पर किनारों को उचित बांधों द्वारा स्थिर किया जाये एवं उचित वृक्षारोपण किया जाये इसकी निगरानी कलेक्टर, के द्वारा किया जाये ताकि रेत खनन से उस क्षेत्र की पारिस्थितिकी को प्रभवित न हो सके।

5. खनन कार्य स्वीकृत खनन योजना के अनुसार किया जाये, खनन योजना का उल्लंघन किये जाने पर एस.ई.आई.ए.ए द्वारा दी गई पर्यावरण स्वीकृत रद्द कर दी जाएगी।
6. यह सुनिश्चित किया जाए कि गौण खनिज के उत्खनन से नदी तल बेसिन, जहां खनन कार्य किया जाता है, की अंतर्निहित मिट्टी की विशेषताओं मे किसी प्राकार का बदलाव तो नही हो रहा।
7. यह सुनिश्चित किया जाये कि खनन कार्य सें नदी के पानी का गंदलापन (टरबिडिटी) ,वेग और प्रवाह पैटर्न को किसी भी तरह बाधित न किया जाये।
8. यह सुनिश्चित किया जाये कि नदी के तल पर अथवा खनन क्षेत्रों के निकट कोई जीव–जंतु घोंसले के लिए निर्भर तो नही है।
9. विचाराधीन सभी प्रस्तावों के लिए खनन कार्य से पूर्व खनन/राजस्व विभाग के अधिकारियों द्वारा स्थल पर सटीक खनन क्षेत्र का संयुक्त रूप से सीमांकन किया जायें।
10. सार्वजनिक स्थानों पर वाहनों की पार्किंग नहीं होनी चाहिए।
11. आसपास की बस्तियों को खनन गतिविधियों के प्रभाव से बचाने के लिए विशेष उपाय अपनाए जाये। तथा गॉव की जिन सड़को से गौण खनिजों का परिवहन किया जाना है, का नियमित रूप से रख रखाव/अनुरक्षण किया जाये।
12. मृदा अपरदन की रोकथाम एवं नियंत्रण तथा गाद के प्रबंधन के उपाय किये जायें।
13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान के गड्ढे, कचरे के ढेर के आसपास आवश्यक सुरक्षा उपाय सुनिश्चित किया जाये।
14. वृक्षारोपण कार्यक्रम ई.एम.पी के अनुसार किया जाये एवं वनस्पतियों की आत्मनिर्भरता सुनिश्चित की जानी चाहिए एवं पट्टा क्षेत्र में किसी भी पेड़ की कटाई बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के न किया जाये।
15. खनिजों का परिवहन करने वाले वाहनों को एक तिरपाल या अन्य उपयुक्त बाड़ों से ढक दिया जाये ताकि परिवहन के दौरान धूल के कण /बारीक पदार्थ बाहर न निकल सकें।
16. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खान श्रमिकों के लिए आश्रय एवं पेयजल की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित किया जायें ।
17. धूल भरे क्षेत्रों में काम करने वाले व्यक्तियों को सुरक्षात्मक श्वसन उपकरण उपलब्ध कराए जाये और उनकें सुरक्षा और स्वास्थ्य पहलुओं पर पर्याप्त प्रशिक्षण और जानकारी भी प्रदान की जाये।
18. कार्य स्थल पर प्राथमिक उपचार के लिए औषधालय की सुविधा अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराई जाये।
19. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण मंजूरी की एक प्रति सरकार के संबंधित अधिकारियों के अतिरिक्त स्थानीय निकायों, पंचायत और नगर निकायों के प्रमुखों, (जैसा लागू हो) को भी प्रस्तुत की जाये।
20. मंत्रालय अथवा कोई अन्य सक्षम प्राधिकारी पर्यावरण संरक्षण के हित में शर्तों में परिवर्तन/संशोधन कर सकता है या कोई और शर्त निर्धारित कर सकता है।
21. तथ्यात्मक डेटा को छुपाने अथवा झूठे /गढ़े हुए डेटा प्रस्तुत करने एवं ऊपर उल्लिखित किसी भी शर्त का पालन न करने पर पर्यावरण मंजूरी को वापस लिया जा सकता है और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के तहत कार्रवाही कि जा सकती है।
22. पर्यावरण मंजूरी के खिलाफ किसी भी प्रकार की अपील, करना हो, तो राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 की धारा 16 के तहत, निर्धारित 30 दिनों की अवधि के अंदर राष्ट्रीय हरित अधिकरण में की जा सकती है।

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।

2. सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (सेक), अनुसंधान एवं विकास विंग, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई–5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल – 462016।
3. सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई–5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल – 462016।
4. कलेक्टर, जिला बैतूल (म.प्र.)
5. वन मंडलाधिकारी, जिला बैतूल (म.प्र.)
6. आई.ए. डिवीसन, निगरानी प्रकोष्ठ, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड़, नई दिल्ली – 110003।
7. निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिमी क्षेत्र केन्द्रीय पर्यावरण भवन, लिंक रोड़ नं. 03, रवि शंकर नगर, भोपाल – 462016 ।
8. संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म मध्यप्रदेश, 29–ए, खनिज भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल – 462002।
9. खनिज अधिकारी, जिला बैतूल (म.प्र.)
10. संबंधित फाईल।

(आलोक नायक)
प्रभारी अधिकारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Shri,Mujeebur Rehman Khan
Member Secretary
Date: 4/6/2023 7:00:57 PM

State Environment Impact Assessment Authority, M.P.
(Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India)

Environmental Planning & Coordination Organization
Paryavaran Parisar, E-5, Arera Colony
Bhopal - 462016
visit us http://www.mpseiaa.nic.in
Email : mpseiaa@gmail.com
Tel.: 0755 - 2466970, 2466859
Fax : 0755 - 2462136

सत्यमेव जयते

No.: 2555 /SEIAA/23
Date : 19/11/23

प्रति,

मेसर्स नेशनल एनर्जी ट्रेडिंग एण्ड सर्विसेस लि.
प्लाट न. 07 बिन्दु सदन 401, साईचन्द, कालोनी,
ग्रीन स्पेस तुलसी, पुप्पलगुड़ा, मणिकोंडा,
हैदराबाद रंगारेड्डी, (तेलंगाना)

विषयः **प्रस्ताव क्र. SIA/MP/MIN/296425/2022 - प्रकरण क्रमांक 8166/2020 – पूर्व परियोजना प्रस्तावक मेसर्स होटल उमा रेसीडेन्सी, चणक्यपुरी कालोनी, जिला सतना (म.प्र.), रेत खदान, रकबा 5.0 हे., उत्पादन क्षमता 20,000 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 1–पी, ग्राम धामन्या, तहसील शाहपुर, जिला बैतूल (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का हस्तांतरण, नवीन परियोजना प्रस्तावक मेसर्स नेशनल एनर्जी ट्रेडिंग एण्ड सर्विसेस लि. प्लाट न. 07 बिन्दु सदन 401, साईचन्द , कालोनी, ग्रीन स्पेस तुलसी, पुप्पलगुड़ा, मणिकोंडा, हैदराबाद रंगारेड्डी, (तेलंगाना) के नाम पर करने हेतु आवेदन।**

संदर्भः **राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) की 750वी बैठक दिनांक 13.10.2022 में लिये गये नीतिगत निर्णय अनुसार।**

रेत उत्खनन के प्रकरणों को माननीय एनजीटी स्पेशल बेन्च के आदेश दिनांक 22.02.2022 एवं 04.03.2022 के परिपालन में SEIAA द्वारा 717वी बैठक दिनांक 08.04.2022 लिये गये नीतिगत निर्णय के दृष्टिगत प्रकरण को Re-visit कर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना 2006 के पैरा–11 अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा परिवेश पोर्टल पर आवेदित दस्तावेजो के आधार पर पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के हस्तांतरण हेतु सर्व सम्मति से निम्नानुसार कार्यवाही निर्णित की गयी :–

(1) नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर फार्म–7 में **रेत खदान, रकबा 5.0 हे. , उत्पादन क्षमता 20,000 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 1–पी, ग्राम धामन्या, तहसील शाहपुर, जिला बैतूल (म.प्र.)** को जारी पर्यावरण स्वीकृति का हस्तांतरण आवेदन प्राप्त हुआ है।

(2) **यह कि नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के संबंध में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं :–**

I. **प्रभारी अधिकारी, (खनिज शाखा) जिला बैतूल द्वारा पूर्व परियोजना प्रस्तावक मेसर्स होटल उमा रेसीडेन्सी, चणक्यपुरी कालोनी जिला सतना (म.प्र.) के पक्ष में नवीन परियोजना प्रस्तावक मेसर्स नेशनल एनर्जी ट्रेडिंग एण्ड सर्विसेस लि. प्लाट न. 07 बिन्दु सदन 401, साईचन्द, कालोनी, ग्रीन स्पेस तुलसी, पुप्पलगुड़ा, मणिकोंडा, हैदराबाद रंगारेड्डी, (तेलंगाना)** के नाम पर पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरित करने हेतु नोटराईज्ड शपथ पत्र पर अनापत्ति प्रस्तुत की गई है।

II. **मेसर्स नेशनल एनर्जी ट्रेडिंग एण्ड सर्विसेस लि. प्लाट न. 07 बिन्दु सदन 401, साईचन्द , कालोनी, ग्रीन स्पेस तुलसी, पुप्पलगुड़ा, मणिकोंडा, हैदराबाद रंगारेड्डी, (तेलंगाना)** द्वारा नोटराईज्ड शपथ–पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें उल्लेख किया गया है कि उक्त खदान में आज दिनांक तक कोई भी वाद–विवाद न्यायालय में प्रचलन में नहीं है एवं जारी की गई पर्यावरणीय स्वीकृति में निहित समस्त शर्तों का परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

III. एसईआईएए द्वारा पत्र क्र. 7914/एसईआईएए/2021 दिनांक 31.03.2021 के माध्यम से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति।

IV. NABET से अधिकृत पर्यावरण सलाहकार द्वारा तैयार की पर्यावरण प्रबंधन योजना (EMP) की प्रति।

V. नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा पत्र क्र. 1914 दिनांक 30.12.2022 के माध्यम से नवीन अनुमोदित खनन योजना मय वार्षिक पुर्नभरण अध्ययन की प्रति।

VI. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बैतूल द्वारा नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम से जारी आशय पत्र क्र. 1862/खनिज/रेत/2022 दिनांक 23.12.2022 (लीज अवधि 30.06.2023 तक मान्य) की प्रति।

VII. प्रभारी अधिकारी कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बैतूल द्वारा नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम पत्र क्र. 06/खनि–02/2023 दिनांक 03.01.2023 (लीज अवधि 30.06.2023 तक मान्य) द्वारा हस्तांतरित पत्र की प्रति।

VIII. प्रभारी अधिकारी कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बैतूल द्वारा SEIAA की 717वीं बैठक दिनांक 08.04.2022 के नीतिगत निर्णय कार्यवाही के बिन्दु क्र. 2.1 से 2.4 एवं 2.6 अनुसार चाही गई प्रमाणित जानकारी पत्र क्र. 10/खनि02/2023 दिनांक 03.01.2023 के माध्यम से प्रस्तुत की गई है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए अधिसूचना 2006 (पैरा–11) के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति में नाम परिवर्तन करने के लिए पर्याप्त दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं। अत : एसईआईएए द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र क्र. 7914/एसईआईएए/2021 दिनांक 31.03.2021 के माध्यम से मेसर्स होटल उमा रेसीडेन्सी, चणक्यपुरी कालोनी, जिला सतना (म.प्र) के नाम पर रेत खदान, रकबा 5.0 हे., उत्पादन क्षमता 20,000 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 1–पी, ग्राम धामन्या, तहसील शाहपुर, जिला बैतूल (म.प्र.) की जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का हस्तांतरण, नवीन परियोजना प्रस्तावक मेसर्स नेशनल एनर्जी ट्रेडिंग एण्ड सर्विसेस लि. प्लाट न. 07 बिन्दु सदन 401, साईचन्द, कालोनी, ग्रीन स्पेस तुलसी, पुप्पलगुड़ा, मणिकोंडा, हैदराबाद रंगारेड्डी, (तेलंगाना) के नाम निम्नानुसार अतिरिक्त शर्तों के साथ किया जाता है :–

I. **उपरोक्त पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 31.03.2021 में निहित समस्त शर्ते यथावत रहेंगी एवं पर्यावरण स्वीकृति की वैधता दिनांक 30.06.2023 तक मान्य रहेगी।**

II. प्रस्तावित खदान की उत्पादन क्षमता हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित खनन योजना में 22,800 घनमीटर प्रतिवर्ष, पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति में 20,000 घनमीटर प्रतिवर्ष, निविदा में निविदत्त मात्रा 22,800 घनमीटर एवं प्रस्तावित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में 22,800 घनमीटर दर्शित है, **अतः माननीय एन.जी.टी. के उक्त आदेश दिनांक 22.02.2022 एवं 04.03.2022 के परिपालन में न्यूनतम उत्पादन क्षमता 20,000 घनमीटर प्रतिवर्ष तक ही मान्य रहेगी। परियोजना प्रस्तावक द्वारा निविदा में निविदत्त मात्रा से अधिक उत्पादन मात्रा का उत्खनन नहीं किया जायेगा इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

III. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति में निर्धारित वृक्षारोपण कार्यक्रम के अनुसार (सतत् सिंचाई, मृत पौधों का बदलाव तथा रख–रखाव के साथ) पौधों का रोपण 06 माह में पूर्ण कर SEIAA कार्यालय को अनुपालन प्रतिवेदन सहित अवगत कराया जाये, यदि निर्धारित समयावधि में परियोजना प्रस्तावक द्वारा सम्पूर्ण वृक्षारोपण नहीं किया जाता है तो पर्यावरण स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी।**

IV. SEIAA द्वारा रेत खनन के प्रकरणों में जारी की जाने वाली समस्त पर्यावरण स्वीकृति माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों के आदेशों/दिशा निर्देशों के अधीन मान्य रहेंगी तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों द्वारा जारी सभी निर्देशों/निर्णयों का अनुपालन परियोजना प्रस्तावक के लिये बाध्यकारी होगा।

V. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 31.03.2021 में निहित शर्तों अनुसार वृक्षारोपण एवं सी.ई.आर. की गतिविधियों का परिपालन प्रथम वर्ष में किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

VI. नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सी.इ.आर एवं सभी गतिविधियों के फोटोग्राफ अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट के साथ एमपी–एसईआईएए को प्रस्तुत करेगा। यदि परियोजना प्रस्तावक अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट को अपलोड करने में विफल रहता है या संबंधित प्राधिकरण (एसईआईएए और क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल) को पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों की लगातार दो छमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, तो परियोजना प्रस्तावक को जारी की गई पूर्व पर्यावरण मंजूरी निरस्त की जायेगी।

VII. परियोजना प्रस्तावक पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी रेत उत्खनन सतत रेत खनन प्रबंधन दिशा निर्देश, 2016 एवं प्रवर्तन और निगरानी दिशा निर्देश, 2020 का सख्ती से परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा। **इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा समय–समय पर स्थल निरीक्षण किया जायेगा।**

अध्यक्ष महोदय, SEIAA द्वारा अनुमोदित

(गिरीश शर्मा)
सदस्य सचिव

क्र.. 2556 /SEIAA/2023 भोपाल दिनांक : 19/11/23

प्रतिलिपि :–

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (सेक), अनुसंधान एवं विकास विंग, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई–5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल – 462016।
3. सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई–5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल – 462016।
4. कलेक्टर, जिला बैतूल (म.प्र.)
5. वन मंडलाधिकारी, जिला बैतूल (म.प्र.)
6. आई.ए. डिवीजन, निगरानी प्रकोष्ठ, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड़, नई दिल्ली – 110003।
7. निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिमी क्षेत्र केन्द्रीय पर्यावरण भवन, लिंक रोड़ नं. 03, रवि शंकर नगर, भोपाल – 462016 ।
8. संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म मध्यप्रदेश, 29–ए, खनिज भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल – 462002।
9. मेसर्स होटल उमा रेसीडेन्सी, चणक्यपुरी कालोनी, जिला सतना (म.प्र) ।
10. खनिज अधिकारी, जिला बैतूल (म.प्र.)
11. संबंधित फाईल।

(आलोक नायक)
प्रभारी अधिकारी

State Environment Impact Assessment Authority, M.P.

(Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India)

Environmental Planning & Coordination Organization

Paryavaran Parisar, E-5, Arera Colony
Bhopal - 462016
visit us http://www.mpseiaa.nic.in
Email : mpseiaa@gmail.com
Tel.: 0755 - 2466970, 2466859
Fax : 0755 - 2462136

सत्यमेव जयते

No.: 2557 /SEIAA/23
Date : 19/1/23

प्रति,

मेसर्स नेशनल एनर्जी ट्रेडिंग एण्ड सर्विसेस लि.
प्लाट न. 07 बिन्दु सदन 401, साईचन्द, कालोनी,
ग्रीन स्पेस तुलसी, पुप्पलगुड़ा, मणिकोंडा,
हैदराबाद रंगारेड्डी, (तेलंगाना)

विषयः **प्रस्ताव क्र. SIA/MP/MIN/296045/2022 - प्रकरण क्रमांक 7197/2020 – पूर्व परियोजना प्रस्तावक मेसर्स होटल उमा रेसीडेन्सी, चणक्यपुरी कालोनी, जिला सतना (म.प्र.), रेत खदान, रकबा 3.0 हे., उत्पादन क्षमता 21,000 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 162पी, ग्राम बल्लौर, तहसील चिचोली, जिला बैतूल (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का हस्तांतरण, नवीन परियोजना प्रस्तावक मेसर्स नेशनल एनर्जी ट्रेडिंग एण्ड सर्विसेस लि. प्लाट न. 07 बिन्दु सदन 401, साईचन्द , कालोनी, ग्रीन स्पेस तुलसी, पुप्पलगुड़ा, मणिकोंडा, हैदराबाद रंगारेड्डी, (तेलंगाना) के नाम पर करने हेतु आवेदन।**

संदर्भः **राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) की 750वी बैठक दिनांक 13.10.2022 में लिये गये नीतिगत निर्णय अनुसार।**

रेत उत्खनन के प्रकरणों को माननीय एनजीटी स्पेशल बेन्च के आदेश दिनांक 22.02.2022 एवं 04.03.2022 के परिपालन में SEIAA द्वारा 717वी बैठक दिनांक 08.04.2022 लिये गये नीतिगत निर्णय के दृष्टिगत प्रकरण को Re-visit कर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना 2006 के पैरा–11 अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा परिवेश पोर्टल पर आवेदित दस्तावेजो के आधार पर पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के हस्तांतरण हेतु सर्व सम्मति से निम्नानुसार कार्यवाही निर्णित की गयी :–

(1) नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर फार्म–7 में **रेत खदान, रकबा 3.0 हे. , उत्पादन क्षमता 21,000 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 162पी, ग्राम बल्लौर, तहसील चिचोली, जिला बैतूल (म.प्र.)** को जारी पर्यावरण स्वीकृति का हस्तांतरण आवेदन प्राप्त हुआ है।

(2) **यह कि नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के संबंध में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं :–**

I. **प्रभारी अधिकारी, (खनिज शाखा) जिला बैतूल द्वारा पूर्व परियोजना प्रस्तावक मेसर्स होटल उमा रेसीडेन्सी, चणक्यपुरी कालोनी जिला सतना (म.प्र.) के पक्ष में नवीन परियोजना प्रस्तावक मेसर्स नेशनल एनर्जी ट्रेडिंग एण्ड सर्विसेस लि. प्लाट न. 07 बिन्दु सदन 401, साईचन्द, कालोनी, ग्रीन स्पेस तुलसी, पुप्पलगुड़ा, मणिकोंडा, हैदराबाद रंगारेड्डी, (तेलंगाना)** के नाम पर पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरित करने हेतु नोटराईज्ड शपथ पत्र पर अनापत्ति प्रस्तुत की गई है।

II. **मेसर्स नेशनल एनर्जी ट्रेडिंग एण्ड सर्विसेस लि. प्लाट न. 07 बिन्दु सदन 401, साईचन्द , कालोनी, ग्रीन स्पेस तुलसी, पुप्पलगुड़ा, मणिकोंडा, हैदराबाद रंगारेड्डी, (तेलंगाना)** द्वारा नोटराईज्ड शपथ–पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें उल्लेख किया गया है कि उक्त खदान में आज दिनांक तक कोई भी वाद–विवाद न्यायालय में प्रचलन में नहीं है एवं जारी की गई पर्यावरणीय स्वीकृति में निहित समस्त शर्तों का परिपालन सुनिशिचित किया जायेगा।

III. एसईआईएए द्वारा पत्र क्र. 3596/एसईआईएए/2020 दिनांक 14.10.2020 के माध्यम से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति।

IV. NABET से अधिकृत पर्यावरण सलाहकार द्वारा तैयार की पर्यावरण प्रबंधन योजना (EMP) की प्रति।

V. नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा पत्र क्र. 1914 दिनांक 30.12.2022 के माध्यम से नवीन अनुमोदित खनन योजना मय वार्षिक पुर्नभरण अध्ययन की प्रति।

VI. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बैतूल द्वारा नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम से जारी आशय पत्र क्र. 1862/खनिज/रेत/2022 दिनांक 23.12.2022 (लीज अवधि 30.06.2023 तक मान्य) की प्रति।

VII. प्रभारी अधिकारी कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बैतूल द्वारा नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम पत्र क्र. 06/खनि–02/2023 दिनांक 09.01.2023 (लीज अवधि 30.06.2023 तक मान्य) द्वारा हस्तांतरित पत्र की प्रति।

VIII. प्रभारी अधिकारी कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बैतूल द्वारा SEIAA की 717वीं बैठक दिनांक 08.04.2022 के नीतिगत निर्णय कार्यवाही के बिन्दु क्र. 2.1 से 2.4 एवं 2.6 अनुसार चाही गई प्रमाणित जानकारी पत्र क्र. 15/खनि02/2023 दिनांक 03.01.2023 के माध्यम से प्रस्तुत की गई है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए अधिसूचना 2006 (पैरा–11) के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति में नाम परिवर्तन करने के लिए पर्याप्त दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं। अत : एसईआईएए द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र क्र. 3596/एसईआईएए/2020 दिनांक 14.10.2020 के माध्यम से मेसर्स होटल उमा रेसीडेन्सी, चणक्यपुरी कालोनी, जिला सतना (म.प्र) के नाम पर रेत खदान, रकबा 3.0 हे., उत्पादन क्षमता 21,000 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 162पी, ग्राम बल्लौर, तहसील चिचोली, जिला बैतूल (म.प्र.) की जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का हस्तांतरण, नवीन परियोजना प्रस्तावक मेसर्स नेशनल एनर्जी ट्रेडिंग एण्ड सर्विसेस लि. प्लाट न. 07 बिन्दु सदन 401, साईचन्द, कालोनी, ग्रीन स्पेस तुलसी, पुप्पलगुड़ा, मणिकोंडा, हैदराबाद रंगारेड्डी, (तेलंगाना) के नाम निम्नानुसार अतिरिक्त शर्तों के साथ किया जाता है :–

I. **उपरोक्त पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 14.10.2020 में निहित समस्त शर्तें यथावत रहेंगी एवं पर्यावरण स्वीकृति की वैधता दिनांक 30.06.2023 तक मान्य रहेगी।**

II. प्रस्तावित खदान की उत्पादन क्षमता हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित खनन योजना में 21,000 घनमीटर प्रतिवर्ष, पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति में 54,000 घनमीटर प्रतिवर्ष, निविदा में निविदत्त मात्रा 21,000 घनमीटर एवं प्रस्तावित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में 21,000 घनमीटर दर्शित है, **अतः माननीय एन.जी.टी. के उक्त आदेश दिनांक 22.02.2022 एवं 04.03.2022 के परिपालन में न्यूनतम उत्पादन क्षमता 21,000 घनमीटर प्रतिवर्ष तक ही मान्य रहेगी। परियोजना प्रस्तावक द्वारा निविदा में निविदत्त मात्रा से अधिक उत्पादन मात्रा का उत्खनन नहीं किया जायेगा इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

III. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति में निर्धारित वृक्षारोपण कार्यक्रम के अनुसार (सतत् सिंचाई, मृत पौधों का बदलाव तथा रख–रखाव के साथ) पौधों का रोपण 06 माह में पूर्ण कर SEIAA कार्यालय को अनुपालन प्रतिवेदन सहित अवगत कराया जाये, यदि निर्धारित समयावधि में परियोजना प्रस्तावक द्वारा सम्पूर्ण वृक्षारोपण नहीं किया जाता है तो पर्यावरण स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी।**

iv. SEIAA द्वारा रेत खनन के प्रकरणों में जारी की जाने वाली समस्त पर्यावरण स्वीकृति माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों के आदेशों/दिशा निर्देशों के अधीन मान्य रहेंगी तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों द्वारा जारी सभी निर्देशों/निर्णयों का अनुपालन परियोजना प्रस्तावक के लिये बाध्यकारी होगा।

v. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 14.10.2020 में निहित शर्तों अनुसार वृक्षारोपण एवं सी.ई.आर. की गतिविधियों का परिपालन प्रथम वर्ष में किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

vi. नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सी.इ.आर एवं सभी गतिविधियों के फोटोग्राफ अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट के साथ एमपी–एसईआईएए को प्रस्तुत करेगा। यदि परियोजना प्रस्तावक अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट को अपलोड करने में विफल रहता है या संबंधित प्राधिकरण (एसईआईएए और क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल) को पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों की लगातार दो छमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, तो परियोजना प्रस्तावक को जारी की गई पूर्व पर्यावरण मंजूरी निरस्त की जायेगी।

vii. परियोजना प्रस्तावक पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी रेत उत्खनन सतत रेत खनन प्रबंधन दिशा निर्देश, 2016 एवं प्रवर्तन और निगरानी दिशा निर्देश, 2020 का सख्ती से परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा। **इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा समय–समय पर स्थल निरीक्षण किया जायेगा।**

अध्यक्ष महोदय, SEIAA द्वारा अनुमोदित

ओ/ (गिरीश शर्मा)
सदस्य सचिव

क्र.. 2558 /SEIAA/2023 भोपाल दिनांक : 19/11/23

प्रतिलिपि :–

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (सेक), अनुसंधान एवं विकास विंग, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई–5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल – 462016।
3. सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई–5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल – 462016।
4. कलेक्टर, जिला बैतूल (म.प्र.)
5. वन मंडलाधिकारी, जिला बैतूल (म.प्र.)
6. आई.ए. डिवीजन, निगरानी प्रकोष्ठ, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड़, नई दिल्ली – 110003।
7. निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिमी क्षेत्र केन्द्रीय पर्यावरण भवन, लिंक रोड़ नं. 03, रवि शंकर नगर, भोपाल – 462016 ।
8. संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म मध्यप्रदेश, 29–ए, खनिज भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल – 462002।
9. मेसर्स होटल उमा रेसीडेन्सी, चणक्यपुरी कालोनी, जिला सतना (म.प्र) ।
10. खनिज अधिकारी, जिला बैतूल (म.प्र.)
11. संबंधित फाईल।

ओ/ (आलोक नायक)
प्रभारी अधिकारी

State Environment Impact Assessment Authority, M.P.
(Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India)

Environmental Planning & Coordination Organization
Paryavaran Parisar, E-5, Arera Colony
Bhopal - 462016
visit us http://www.mpseiaa.nic.in
Email : mpseiaa@gmail.com
Tel.: 0755 - 2466970, 2466859
Fax : 0755 - 2462136

सत्यमेव जयते

No.: 3197 /SEIAA/23
Date : 24/3/23

प्रति,

मेसर्स नेशनल एनर्जी ट्रेडिंग एण्ड सर्विसेस लि.
प्लाट न. 07 बिन्दु सदन 401, साईचन्द, कालोनी,
ग्रीन स्पेस तुलसी, पुप्पलगुड़ा, मणिकोंडा,
हैदराबाद रंगारेड्डी, (तेलंगाना)

विषयः **प्रस्ताव क्र. SIA/MP/MIN/296429/2022 - प्रकरण क्रमांक 7170/2020 – पूर्व परियोजना प्रस्तावक मेसर्स होटल उमा रेसीडेन्सी, चणक्यपुरी कालोनी, जिला सतना (म.प्र.), रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), रकबा 2.450 हे., उत्पादन क्षमता 15,600 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 99, ग्राम झोली–1, तहसील घोड़ाडोंगरी, जिला बैतूल (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का हस्तांतरण, नवीन परियोजना प्रस्तावक मेसर्स नेशनल एनर्जी ट्रेडिंग एण्ड सर्विसेस लि. प्लाट न. 07 बिन्दु सदन 401, साईचन्द, कालोनी, ग्रीन स्पेस तुलसी, पुप्पलगुड़ा, मणिकोंडा, हैदराबाद रंगारेड्डी, (तेलंगाना) के नाम पर करने हेतु आवेदन।**

संदर्भः **राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) की 750वी बैठक दिनांक 13.10.2022 में लिये गये नीतिगत निर्णय अनुसार।**

1154

रेत उत्खनन के प्रकरणों को माननीय एनजीटी स्पेशल बेन्च के आदेश दिनांक 22.02.2022 एवं 04.03.2022 के परिपालन में SEIAA द्वारा 717वी बैठक दिनांक 08.04.2022 लिये गये नीतिगत निर्णय के दृष्टिगत प्रकरण को Re-visit कर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना 2006 के पैरा–11 अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा परिवेश पोर्टल पर आवेदित दस्तावेजो के आधार पर पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के हस्तांतरण हेतु सर्व सम्मति से निम्नानुसार कार्यवाही निर्णित की गयी :–

(1) नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर फार्म–8 में **रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), रकबा 2.450 हे., उत्पादन क्षमता 15,600 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 99, ग्राम झोली–1, तहसील घोड़ाडोंगरी, जिला बैतूल** (म.प्र) पूर्व परियोजना प्रस्तावक **मेसर्स होटल उमा रेसीडेन्सी निवासी चड़क्यपुरी कालोनी सतना जिला सतना (म.प्र.)**को जारी पूर्व पर्यावरण स्वीकृति का हस्तांतरण आवेदन प्राप्त हुआ है।

(2) **यह कि नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के संबंध में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं :–**

I. प्रभारी अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) **बैतूल** द्वारा पूर्व परियोजना प्रस्तावक **मेसर्स होटल उमा रेसीडेन्सी निवासी चड़क्यपुरी कालोनी सतना जिला सतना (म.प्र)** के पक्ष से नवीन परियोजना प्रस्तावक **मेसर्स नेशनल इनर्जी ट्रेडिंग एण्ड सर्विसेस, लिमिटेड निवासी प्लाट न.–7 बिन्दु सदन, 401 साईचन्द्र कालोनी, ग्रीन स्पेस तुलसी , पुप्पलगुडा , मणिकोडा, हैदराबाद**

रंगारेड्डी, (तेलंगाना) के नाम पर पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरित करने हेतु अनापत्ति प्रस्तुत की गई है।

II. **मेसर्स नेशनल इनर्जी ट्रेडिंग एण्ड सर्विसेस, लिमिटेड निवासी प्लाट न.–7 बिन्दु सदन, 401 साईचन्द्र कालोनी, ग्रीन स्पेस तुलसी , पुप्पलगुडा , मणिकोडा, हैदराबाद रंगारेड्डी, (तेलंगाना)** द्वारा नोटराईज्ड शपथ–पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें उल्लेख किया गया है कि उक्त खदान में आज दिनांक तक कोई भी वाद–विवाद न्यायालय में प्रचलन में नहीं है एवं जारी पूर्व पर्यावरण स्वीकृति में निहित समस्त शर्तों का परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

III. एस.ई.आई.ए.ए. द्वारा जारी पूर्व पर्यावरण स्वीकृति पत्र क्र. 3594 दिनांक 14.10.2020 की प्रति।

IV. नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा पत्र क्र. 386 दिनांक 27.02.2023 के माध्यम से अनुमोदित खनन योजना मय वार्षिक पुर्नभरण अध्ययन की प्रति।

V. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बैतूल द्वारा नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम से जारी आशय पत्र क्र. 1862/रेत/2022 दिनांक 23.12.2022 (लीज अवधि 30.06.2023 तक मान्य) की प्रति।

VI. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बैतूल द्वारा नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम से जारी लीज हस्तांतरण ओदेश क्र. 399 दिनांक 27.02.2023 में (लीज अवधि 30.06.2023 तक मान्य) की प्रति।

VII. जिला खनिज अधिकारी, बैतूल द्वारा SEIAA की 717वीं बैठक दिनांक 08.04.2022 के नीतिगत निर्णय कार्यवाही के बिन्दु क्र. 2.1 से 2.6 अनुसार चाही गई प्रमाणित जानकारी पत्र क्र. 400 दिनांक 27.02.2023 के माध्यम से प्रस्तुत की गई है।

VIII. प्रभारी अधिकारी (खनिज शाखा), बैतूल द्वारा पूर्व ठेकेदार को जारी पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का परिपालन नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा किये जाने के संबंध में पत्र क्र. 549 दिनांक 20.03.2023 के माध्यम से प्रस्तुत की गई है।

1155

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए अधिसूचना 2006 (पैरा–11) के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति में नाम परिवर्तन करने के लिए पर्याप्त दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं। अत : एसईआईएए द्वारा हस्तांतरित पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र क्र. 3594/एसईआईएए/2020 दिनांक 14.10.2020 के माध्यम से मेसर्स होटल उमा रेसीडेन्सी, चणक्यपुरी कालोनी, जिला सतना (म.प्र) के नाम पर रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), रकबा 2.450 हे., उत्पादन क्षमता 15,600 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 99, ग्राम झोली–1, तहसील घोड़ाडोंगरी, जिला बैतूल (म.प्र.) की जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का हस्तांतरण, नवीन परियोजना प्रस्तावक मेसर्स नेशनल एनर्जी ट्रेडिंग एण्ड सर्विसेस लि. प्लाट न. 07 बिन्दु सदन 401, साईचन्द, कालोनी, ग्रीन स्पेस तुलसी, पुप्पलगुड़ा, मणिकोंडा, हैदराबाद रंगारेड्डी, (तेलंगाना) के नाम निम्नानुसार अतिरिक्त शर्तों के साथ किया जाता है :–

I. **उपरोक्त पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 14.10.2020 में निहित समस्त शर्तें यथावत रहेंगी एवं पर्यावरण स्वीकृति की वैधता दिनांक 30.06.2023 तक मान्य रहेगी।**

II. प्रस्तावित खदान की उत्पादन क्षमता हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित खनन योजना में 15600 घनमीटर प्रतिवर्ष, पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति में 36750 घनमीटर प्रतिवर्ष, निविदा में निविदत्त मात्रा 15600 घनमीटर एवं प्रस्तावित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में 15600 घनमीटर दर्शित है, **अतः माननीय एन.जी.टी. के उक्त आदेश दिनांक 22.02.2022 एवं 04.03.2022 के परिपालन में न्यूनतम उत्पादन क्षमता 15600 घनमीटर प्रतिवर्ष तक ही मान्य रहेगी। परियोजना प्रस्तावक द्वारा निविदा में जिले के लिये निविदत्त कुल मात्रा से अधिक उत्पादन मात्रा का उत्खनन नहीं किया जायेगा इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

III. SEIAA द्वारा रेत खनन के प्रकरणों में जारी की जाने वाली समस्त पर्यावरण स्वीकृति माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों के आदेशों/दिशा निर्देशों के अधीन मान्य रहेंगी तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं

अन्य न्यायालयों द्वारा जारी सभी निर्देशों/निर्णयों का अनुपालन परियोजना प्रस्तावक के लिये बाध्यकारी होगा।

IV. रेत उत्खनन का कार्य मैनुअल विधि द्वारा ही किया जायें।

V. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सी.ई.आर. एवं सभी गतिविधियों का अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 14.10.2020 में निहित शर्तों अनुसार विशेष रूप से वृक्षारोपण (वन विभाग के माध्यम से) एवं सी.ई.आर. (जिला प्रशासन/स्थानीय निकाय के समन्वय से) की गतिविधियों का पूर्णतः परिपालन दिनांक 31.05.2023 तक पूर्ण कर अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित SEIAA एवं क्षेत्रीय कार्यालय MoEF&CC को अनिवार्यतः प्रेषित किया जाये। उपरोक्त शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन जिला खनिज अधिकारी द्वारा प्रस्तुत करवाया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

VI. **पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 14.10.2020 में निहित वृक्षारोपण की विशिष्ट शर्त के अनुसार वृक्षारोपण कार्य संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग द्वारा किया जाये तथा इस हेतु निर्धारित धनराशि परियोजना प्रस्तावक द्वारा शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट मे जमा किया जाये।**

VII. **जिला कलेक्टर द्वारा प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति पत्र में निहित सी.ई.आर गतिविधियों हेतु विशिष्ट शर्त के अनुसार पर्यावरण स्वीकृति की वैधता दिनांक 30.06.2023 के पूर्व उपरोक्त सी.ई.आर. अंतर्गत प्रस्तावित कार्यों/गतिविधियों को संबंधित जिला पंचायत/नगरीय निकाय के माध्यम से स्थानीय स्तर पर ग्रामीण विकास के कार्यों की आवश्यकता के दृष्टिगत अनिवार्यतः क्रियान्वयन करवाया जाये। यदि आवश्यक हो तो परियोजना प्रस्तावक से उपरोक्त शर्त के परिपालन हेतु शासन के नियमानुसार आवश्यक राशि जमा करवाकर सी.ई.आर. गतिविधियें का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।**

VIII. परियोजना प्रस्तावक पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी रेत उत्खनन सतत रेत खनन प्रबंधन दिशा निर्देश, 2016 एवं प्रवर्तन और निगरानी दिशा निर्देश, 2020 का सख्ती से परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा। **इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा समय–समय पर स्थल निरीक्षण किया जायेगा।**

1156 **अध्यक्ष महोदय, SEIAA द्वारा अनुमोदित**

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

क्र.. /SEIAA/2023 भोपाल दिनांक :

प्रतिलिपि :–

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (सेक), अनुसंधान एवं विकास विंग, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई–5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल – 462016।
3. सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई–5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल – 462016।
4. कलेक्टर, जिला बैतूल (म.प्र.)
5. वन मंडलाधिकारी, जिला बैतूल (म.प्र.)
6. आई.ए. डिवीजन, निगरानी प्रकोष्ठ, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड़, नई दिल्ली – 110003।
7. निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिमी क्षेत्र केन्द्रीय पर्यावरण भवन, लिंक रोड़ नं. 03, रवि शंकर नगर, भोपाल – 462016 ।
8. संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म मध्यप्रदेश, 29–ए, खनिज भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल – 462002।
9. मेसर्स होटल उमा रेसीडेन्सी, चणक्यपुरी कालोनी, ज़िला सतना (म.प्र) ।
10. खनिज अधिकारी, ज़िला बैतूल (म.प्र.)
11. संबंधित फाईल।

(आलोक नायक)
प्रभारी अधिकारी

ENVIRONMENTAL CLEARANCE

PARIVESH

(Pro-Active and Responsive Facilitation by Interactive, and Virtuous Environmental Single-Window Hub)

Government of India
Ministry of Environment, Forest and Climate Change
(Issued by the State Environment Impact Assessment Authority(SEIAA), MADHYA PRADESH)

To,

The -1

NATIONAL ENERGY TRADING AND SERVICES LIMITED

PLOT NO. 7 BINDU SADAN, 401, SAI CHANDRA RASIDENCY, HYDERABAD RANGAREDDI TG 500089 IN -500089

Subject: Grant of Environmental Clearance (EC) to the proposed Project Activity under the provision of EIA Notification 2006-regarding

Sir/Madam,

This is in reference to your application for Environmental Clearance (EC) in respect of project submitted to the SEIAA vide proposal number SIA/MP/MIN/418284/2023 dated 27 Feb 2023. The particulars of the environmental clearance granted to the project are as below.

1.	**EC Identification No.**	**EC23B001MP155839**
2.	**File No.**	9742/2023
3.	**Project Type**	New
4.	**Category**	B
5.	**Project/Activity including Schedule No.**	1(a) Mining of minerals
6.	**Name of Project**	Ratamati Sand Mine
7.	**Name of Company/Organization**	NATIONAL ENERGY TRADING AND SERVICES LIMITED
8.	**Location of Project**	MADHYA PRADESH
9.	**TOR Date**	N/A

The project details along with terms and conditions are appended herewith from page no 2 onwards.

Date: 19/05/2023

(e-signed)
Shri,Mujeebur Rehman Khan
Member Secretary
SEIAA - (MADHYA PRADESH)

Note: A valid environmental clearance shall be one that has EC identification number & E-Sign generated from PARIVESH.Please quote identification number in all future correspondence.

This is a computer generated cover page.

संदर्भः प्रस्ताव क्र. SIA/MP/MIN/418284/2023 - प्रकरण क्र. 9742/2023 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स नेशनल एनर्जी ट्रेंडिग एंड सर्विसेज़, लि. निदेशक, श्री विनोद कुमार गोवर्थी, निवासी प्लाट नं. 7, बिंदु सदन, 401, सांई चन्द्र कॉलोनी, ग्रीन स्पेस तुलसी, पुप्पलगुड़ा, मणिकोंडा, हैदराबाद, रंगरेड्डी (तेलगांना) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 21600 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.550 हेक्टेयर, खसरा 1, ग्राम रातामटी, तहसील भैंसदेही, जिला बैतूल (म.प्र.)।

भारत सरकार के ई.आई.ए. अधिसूचना एस.ओ. 1533(E) दिनांक 14 सितंबर 2006 एवं उपरांत के संशोधनों तथा राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा समय–समय पर जारी ज्ञापनों के परिपालन में पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु भारत सरकार के परिवेश पोर्टल पर निर्धारित प्रपत्र एवं प्रक्रिया अनुरूप परियोजना प्रस्तावक द्वारा आनॅलाईन आवेदन के साथ प्रस्तुत परियोजना प्रस्ताव (क्र. **SIA/MP/MIN/418284/2023** एवं MP SEIAA में पंजीयन दिनांक 28.02.2023) एवं संबंधित अनिवार्य दस्तावेज़ों के आधार पर राज्य विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) और राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण (SEIAA) के द्वारा परीक्षण एवं मूल्यांकन किया गया।

II कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बैतूल के एकल प्रमाण पत्र क्र. 241 दिनांक 08.02.2023 के अनुसार आवेदित क्षेत्र से नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/जैव विविधता क्षेत्र/ईको सेंसेटिव जोन 10 कि.मी. की परिधि के बाहर है एवं वन क्षेत्र 250 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित है। अनुमोदित खनन योजना के अनुसार अक्षांश 21°48'51.07" से 21°48'59.93' और देशांतर 77°43'14.40" से 77°43'36.16" भौगोलिक निर्देशांक पर स्थित है।

III. परियोजना पर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना एस.ओ. 1533(E) दिनांक 14 सितंबर 2006 के प्रावधानों के अंतर्गत उपरोक्त पैरा (II) के अनुसार परियोजना प्रस्तावक एवं अधिकृत सलाहकार द्वारा प्रस्तुत की गई अभिप्रमाणित जानकारी तथा दस्तावेज़ों के आधार पर राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण (SEIAA) की 784वीं बैठक दिनांक 04.05.2023 में विस्तृत विचार विमर्श उपरांत एवं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 636वीं बैठक दिनांक 13.04.2023 में प्रकरण पर की गई अनुशंसा के आधार पर विशिष्ट, साधारण/मानक शर्ते अधिरोपित करते हुये पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान करने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है।

अतः उपरोक्त निर्णय के परिपालन में उक्त प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक निवासी प्लाट नं. 7, बिंदु सदन, 401, सांई चन्द्र कॉलोनी, ग्रीन स्पेस तुलसी, पुप्पलगुड़ा, मणिकोंडा, हैदराबाद, रंगरेड्डी (तेलगांना) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 21600 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.550 हेक्टेयर, खसरा 1, ग्राम रातामटी, तहसील भैंसदेही, जिला बैतूल (म.प्र.) की राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, म.प्र एवं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति द्वारा अनुशंसित निम्नलिखित विशिष्ट शर्तो और तदुपरांत मानक शर्तो के अधीन पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(अ) विशिष्ट शर्तेः

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बैतूल का आदेश क्र. 261 दिनांक 10.02.2023 के माध्यम से उक्त खदान को 30.06.2023 तक की सहमति जारी की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 30.06.2023 तक मान्य रहेगी।
2. प्रस्तावित खदान की उत्पादन क्षमता हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित खनन योजना में 21600 घनमीटर प्रतिवर्ष, निविदा में निविदत्त मात्रा 21600 घनमीटर प्रतिवर्ष, SEAC से अनुशंसित उत्पादन क्षमता 21,600 घनमीटर प्रतिवर्ष, जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में 21,600 घनमीटर दर्शित है, अतः माननीय

एन.जी.टी. के उक्त आदेश दिनांक 22.02.2022 एवं 04.03.2022 के परिपालन में न्यूनतम उत्पादन क्षमता 21,600 घनमीटर प्रतिवर्ष तक ही मान्य रहेगी। **परियोजना प्रस्तावक द्वारा निविदा में निविदत्त जिले की कुल मात्रा से अधिक उत्पादन मात्रा का उत्खनन नहीं किया जायेगा इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

3. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा अनुसार लीज एरिया 2.550 हेक्टेयर से 1.63 हेक्टेयर क्षेत्र में ही रेत खनन किया जायेगा।**
4. SEIAA द्वारा रेत खनन के प्रकरणों में जारी की जाने वाली समस्त पर्यावरण स्वीकृति माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों के आदेशों/दिशा निर्देशों के अधीन मान्य रहेंगी तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों द्वारा जारी सभी निर्देशों/निर्णयों का अनुपालन परियोजना प्रस्तावक के लिये बाध्यकारी होगा।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत उत्खनन Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 के दिशा निर्देशो के अधीन किया जाना सुनिश्चित किया जायें।
6. परियोजना प्रस्तावक वृक्षारोपण कार्य संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग से करवाया जायें तथा इस हेतु आवश्यक निर्धारित राशि परियोजना प्रस्तावक द्वारा शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट मे जमा किये जाये तथा तथा संबंधित वनमंडलाधिकारी वन क्षेत्र में स्थल का चयन व योजना तैयार कर वृक्षारोपण करेंगे, आगामी 03 वर्षो तक उनकी देखभाल करेंगे तथा परियोजना प्रस्तावक को सूचित करेगे तथा 03 वर्षो तक पौधों का मूल्यांकन प्रतिवेदन भेजेंगे।
7. वन मंडलाधिकारी, वन विभाग द्वारा लिखित में वृक्षारोपण हेतु परियोजना प्रस्तावक का प्रस्ताव अस्वीकृत किये जाने की स्थिति में परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित वृक्षारोपण एवं सुरक्षा कार्य ग्राम पंचायत के माध्यम से 03 वर्ष तक (सतत् सिंचाई 01 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) निम्नानुसार संपादित करेंगे:–

Phase	Location	Name of Tree	No. of Plants to be Planted
Upto 30.06.2023	For Village distribution specially to the famers who,s land are near to the river bank.	Aam, Munga Hybrid Ber, Sitafal, Anwla, Neembu, Bel and other local species.	1600

8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–
    - ग्राम के समीपस्थ क्षेत्र में वर्षा जल संचय का कार्य किया जावे एवं मौजूद जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार किया जाये, जिससे कि ग्राम की आवश्यकतानुसार एवं किये गये वृक्षारोपण हेतु समुचित जल की व्यवस्था हो सके।
    - ग्राम के शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल व्यवस्था एवं शौचालय इत्यादि की व्यवस्था सुदृढ़ की जाये।
    - नजदीकी शासकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में 02 व्हीलचेयर, 02 कम्पलीट बेड, 01 वार्मर मशीन प्रदान की जाये।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियॉ और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि

जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से पर्यावरण स्वीकृति की वैधता दिनांक 30.06.2023 के पूर्व अनिवार्यतः कार्यान्वित की जाएगी।

9. जिला कलेक्टर द्वारा प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति की वैधता दिनांक 30.06.2023 के पूर्व उपरोक्त सी.ई.आर. अंतर्गत प्रस्तावित कार्यों/गतिविधियों को संबंधित जिला पंचायत/नगरीय निकाय के माध्यम से स्थानीय स्तर पर ग्रामीण विकास के कार्यों की आवश्यकता के दृष्टिगत अनिवार्यतः क्रियान्वयन किया जाये। यदि आवश्यक हो तो परियोजना प्रस्तावक से उपरोक्त शर्त के परिपालन हेतु नियमानुसार आवश्यक राशि जमा करवाकर सी.ई.आर. गतिविधियेां का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।
10. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सी.ई.आर. एवं सभी गतिविधियों का अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट विशेष रूप से वृक्षारोपण (वन विभाग के माध्यम से) एवं सी.ई.आर. (जिला प्रशासन/स्थानीय निकाय के समन्वय से) की गतिविधियों का पूर्णतः परिपालन दिनांक 31.05.2023 तक पूर्ण कर अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित SEIAA एवं क्षेत्रीय कार्यालय MoEF&CC को अनिवार्यतः प्रेषित किया जाये। उपरोक्त शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन जिला खनिज अधिकारी द्वारा प्रस्तुत करवाया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
11. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पूर्व पट्टा क्षेत्र के चारों ओर फेंसिंग लगाई जाये एवं पट्टा क्षेत्र के चार कोनों पर चेतावनी संकेतकों की स्थापना के साथ उचित निगरानी और सुरक्षागार्ड की व्यवस्था की जायेगी।
12. परियोजना क्षेत्र एवं अन्य प्रस्तावित क्षेत्रों में वृक्षारोपण संबंधित कार्यों में संबंधित क्षेत्र के वनमंडलाधिकारी के परामर्श अनुसार संयुक्त/सामुदायिक वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से CSR/CER एवं अशासकीय निधियों के उपयोग हेतु राज्य शासन द्वारा निर्धारित वृक्षारोपण नीति का परिपालन सुनिश्चित किया जाये।
13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा विभाग से खनन अनुबंध निष्पादित होने के उपरांत ही खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा।
14. परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करेगा कि अनुमोदित खनन योजना में उल्लेखित अनुसार ही खनन पट्टा क्षेत्र में वार्षिक रेत पुर्नभरण की पूर्ति निर्धारित स्तरों पर खनन कार्यों को बनाए रखने के लिए पर्याप्त है।
15. परियोजना प्रस्तावक नदी के बेसिन के भीतर किसी भी प्रकार का रैंप स्थापित नहीं करेगा तथा जिस किनारे पर रेत उपलब्ध है उसी किनारे से परिवहन की अनुमति कार्य किया जायेगा।
16. परियोजना प्रस्तावक नदी के जल प्रभाव वाले क्षेत्र में खनन कार्य नहीं करेगा एवं स्थानीय अधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि केवल नदी के सूखे हिस्से में जहां रेत की उपलब्धता हो वही तक खनन गतिविधिया सीमित की जाये।
17. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रतिबद्धधता अनुसार जलभराव क्षेत्र को गैर–खनन क्षेत्र के रूप में छोड़ा जायेगा।
18. परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करेगा कि रेत के गड्ढे की गहराई स्वीकृत अनुमोदित खनन योजना के अनुसार ही हो।
19. परियोजना प्रस्तावक कच्ची सड़क के स्थान पर पक्का पहुंच मार्ग का निर्माण सुनिश्चित करेगा और खनिज के परिवहन हेतु ग्राम क्षेत्र के बाहर से वैकल्पिक मार्ग की योजना तैयार ग्राम पंचायत के परामर्श अनुसार करेगा।
20. परियोजना प्रस्तावक पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी रेत उत्खनन सतत रेत खनन प्रबंधन दिशानिर्देश, 2016 एवं प्रवर्तन और निगरानी दिशानिर्देश, 2020 का सख्ती से परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

21. परियोजना प्रस्तावक म.प्र. खनिज संसाधन विभाग, मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी अधिसूचना 30.08. 2019 के अनुसार 5 हेक्टेयर पट्टा क्षेत्र तक रेत खनन पद्धति के लिए दिये गये निर्देश एवं प्रावधान का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
22. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यदि धारा सूखी है, तो उत्खनन धारा की सबसे कम अबाधित एलिवेशन से आगे नहीं बढ़ेगा, जो कि स्थानीय हाइड्रोलिक्स, जल विज्ञान और भू–आकृति विज्ञान का एक कार्य है।
23. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मानसून अवधि में कोई खनन नहीं किया जाएगा।
24. खनिज की ओवरलोडिंग परिवहन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी।
25. परियोजना प्रस्तावक द्वारा दुर्घटनाओं से बचने के लिए परिवहन मार्गों पर चेतावनी संकेतों की स्थापना की जायेगी।
26. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पहुंच मार्ग के धूल दमन हेतु नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जायेगा तथा वृक्षारोपण व पीने के लिये (विशेष रूप से गर्मी के मौसम में) उचित जलापूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करेगा।
27. परियोजना प्रस्तावक प्राथमिकता के आधार पर आसपास के ग्रामीणों को रोजगार के अवसर प्रदान करेगा।
28. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना अनुसार वृक्षारोपण, धूल दमन, पहुंच सड़क के निर्माण और मौजूदा पक्की सड़क के रखरखाव के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेगा। इस हेतु पर्यावरण प्रबंधन योजना में अतिरिक्त बजट प्रावधान किया जाएगा।
29. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सीईआर एवं सभी गतिविधियों के फोटोग्राफ अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट के साथ एमपी–एसईआईएए को प्रस्तुत करेगा। यदि परियोजना प्रस्तावक अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट को अपलोड करने में विफल रहता है या संबंधित प्राधिकरण (एसईआईएए और क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल) को पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों की लगातार दो छमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, तो परियोजना प्रस्तावक को जारी की गई पूर्व पर्यावरण मंजूरी निरस्त की जायेगी।
30. यदि माईनिंग लीज का स्वामित्व बदल जाता है, तो नवीन परियोजना प्रस्तावक को एसईआईएए को पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के लिए तुरंत आवेदन करना होगा। बिना पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण तक परियोजना प्रस्तावक उक्त खदान में तब तक खनन स्थगित रखेगा, जब तक कि एसईआईएए द्वारा उक्त पर्यावरण स्वीकृति नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम हस्तांतरित ना हो जाये।
31. खनि पट्टा क्षेत्र के अंदर किये गये सभी कार्य जैसे फेंसिंग, वृक्षारोपण और सीईआर गतिविधियों के तहत किए जाने वाले सभी कार्यों को जिला प्रशासन के परामर्श से आगे के रखरखाव के लिए ग्राम पंचायत को सौंपा जायेगा। परियोजना प्रस्तावक पटवारी रजिस्टर में सभी सूचनाओं को दर्ज करना भी सुनिश्चित करे।
32. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना के लिये बजटीय प्रावधान रू. 0.80 लाख एवं पूंजी रू. 01.43 लाख प्रतिवर्ष प्रस्तावित है।
33. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन् क्षेत्र में कोई Critical aquatic habitat of equatic fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।
34. वनमंडलाधिकारी, वन विभाग द्वारा लिखित में वृक्षारोपण हेतु परियोजना प्रस्तावक का प्रस्ताव अस्वीकृत किये जाने की स्थिति में परियोजना प्रस्तावक स्वंय वृक्षारोपण कार्य (सतत् सिंचाई, 03 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) संपादित करेंगे।
35. जिला प्रशासन द्वारा वार्षिक रूप से मानसून से पहले और सितंबर के अंतिम सप्ताह में खनन पट्टा क्षेत्र में रेत के जमाव (10 एवं > 10.00 हेक्टेयर के पट्टों के लिए 100 मीटर के अंतराल पर तथा <10 हेक्टेयर के पट्टों के लिए 50 मीटर के अंतराल पर) का रिकॉर्ड दर्ज करे एवं आर.एल (रेड्यूस

लेवल) मेजरमेंट बुक में रिकॉर्ड रखरखाव करे। तद्नुसार जिला प्रशासन द्वारा पट्टा धारक को केवल रेत की पुनःपूर्ति की गई मात्रा की खुदाई करने हेतु आगामी वर्ष में अनुमति दी जाये।

36. उत्खान क्षेत्र का स्पष्ट सीमांकन स्थल पर अक्षांस एवं देशान्श अनुसार पिलर लगाकर किया जाये एवं सुरक्षा हेतु आवश्यक सूचना व सावधानी संकेत सूचना पटल पर अंकित किये जाये।
37. धूल के कणों का दमन करने के लिए सोलर पंपों/पानी के टैंकरों के साथ ओवरहेड स्प्रिंकलर की व्यवस्था पट्टा क्षेत्र से बाहर निकलें तथा निकासी सड़क पर निश्चित प्रकार के स्प्रिंकलर की व्यवस्था की जाये। पीपी द्वारा लॉग बुक राखी जाये जिसमें दैनिक पानी के छिड़काव और वाहनों की आवाजाही का विवरण दर्ज किया जाये।
38. केवल पूर्वोक्त उद्देश्य के लिए जिनके पास आवश्यक पंजीकरण और मोटर वाहन अधिनियम के तहत अनुमति और उसी के लिए बीमा कवरेज है वाले जीपीएस सहित पंजीकृत वाहन / ट्रैक्टर ट्रॉलियां का उपयोग केवल उक्त प्रयोजन के लिए उपयोग किया जाएगा
39. सामग्री का परिवहन में fugitive उत्सर्जन से बचने के लिए केवल आवश्यक नमी वाले ढके हुए एवं पीयूसी प्रमाणित वाहनों का उपयोग किया जाये। खनिजों का परिवहन वन क्षेत्र से बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के नहीं किया जायेगा
40. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज निकासी सड़क को पक्का (डब्ल्यूबीएम/ब्लैक टॉप) बनाया जाएगा।
41. प्रमुख पुलों और राजमार्गों के दोनों तरफ से 1 किलोमीटर (1 किमी) की दूरी तक रेत और बजरी नहीं निकाली जाएगी। और अपस्ट्रीम से इस तरह के पुल/सार्वजनिक संरचना (जल ग्रहण क्षेत्र सहित) से पांच गुना दूरी तक एवं डाउन–स्ट्रीम से ऐसे पुल से दस गुना दूरी तक, कम से कम 250 मीटर अपस्ट्रीम साइड से और 500 मीटर डाउनस्ट्रीम साइड से रेत और बजरी नहीं निकाली जाएगी।
42. खनन की गहराई 3 मीटर या जल स्तर, जो भी कम हो, तक सीमित होनी चाहिए और नदी के किनारे से दूरी एक चौथाई या नदी की चौड़ाई जितनी होनी चाहिए और जो 7.5 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। नदी के अंदर खनन की अनुमति नहीं है। स्थापित जल वाहक नाला ध्नालियों को स्थानांतरित, सीधा या संशोधित नहीं किया जायेगा।
43. खनन कार्य शुरू होने से पहले खनन क्षेत्र को पिलर से सीमांकन और भू–संदर्भित किया जाये ।
44. परियोजना प्रस्तावक द्वारा कम से कम वर्ष में एक बार प्रतिष्ठित तृतीय पक्ष के माध्यम से पर्यावरणीय ऑडिट कराई जाये और उस ऑडिट की रिपोर्ट को सार्वजनिक डोमेन पर रखी जाये ।
45. मानसून के मौसम में कोई खनन नहीं किया जाएगा।
46. खनन कार्य पूरी तरह से अनुमोदित खनन योजना एवं सतत रेत खनन प्रबंधन दिशानिर्देश, 2016 के अनुसार किया जाएगा तथा पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी रेत खनन के लिए प्रवर्तन और निगरानी दिशानिर्देशों के अनुसार सुनिश्चित किया जायेगा की खनन योजना में निर्धारित स्तरों पर खनन कार्यों को बनाए रखने के लिए खनन पट्टा क्षेत्र में रेत की वार्षिक पुनःपूर्ति खनन पट्टा क्षेत्र में रेत खनन कार्यों हेतु पर्याप्त है।
47. अगर नदी की धारा सूखी है तो उत्खनन धारा के तल की सबसे निचले कम की अबाधित गहराई से आगे नहीं बढ़ना चाहिए, जो स्थानीय हाइड्रोलिक्स, जल विज्ञान और भू–आकृति विज्ञान का एक कार्य है।
48. खनन पूरा होने के बाद, गड्ढे के किनारे को 2.5:1 के अनुपात पर प्रवाह की दिशा में ढलान पर वर्गीकृत किया जाना चाहिए।
49. एम.पी.पी.सी.बी से आवश्यक सहमति प्राप्त की जाएगी और एम.पी.पी.सी.बी. की सिफारिश के अनुसार वायु/जल प्रदूषण नियंत्रण उपायों को स्थापित करना होगा।
50. क्षेत्र के सामाजिक उत्थान के लिए समुचित कार्य किये जायेंगे। इसके लिए आरक्षित निधि का उपयोग ग्राम पंचायतध्सक्षम प्राधिकरण के माध्यम से किया जाएगा।

51. श्रमिकों के छह मासिक व्यावसायिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण किए जाएंगे और सभी श्रमिकों को आवश्यक व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण प्रदान किए जाएंगे। सभी खान श्रमिकों और अन्य कर्मचारियों के लिए विश्राम गृह, प्राथमिक चिकित्सा, उचित अग्निशमन उपकरण और शौचालय (पुरुष और महिला के लिए अलग) जैसी अनिवार्य सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी। खदान के स्थल कार्यालय, विश्राम गृहों आदि को सोलर लाइट से रोशन और हवादार किया जाएगा। इन सभी सुविधाओं जैसे विश्राम गृह, साइट कार्यालय आदि को लीज अवधि की समाप्ति के बाद साइट से हटा दिया जाएगा।
52. पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के नवीनतम कार्यालीन ज्ञापन पत्र संख्या एफ.सं. 22–34/2018–आईए। III, दिनांक 16/01/2020 के अनुसार, पर्यावरण प्रबंधन योजना और कॉर्पोरेट पर्यावरण उत्तरदायित्व में अलग से बजट का प्रावधान चराई भूमि के विकास और रखरखाव के लिए बबनय जाये और ये जानकारी वार्षिक पर्यावरण विवरण में दी जाये ।
53. यदि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए उपायों के लिए आवंटित पर्यावरण प्रबंधन योजना बजट का पूरी तरह से उपयोग नहीं किया जाता है, तो पर्यावरण प्रबंधन योजना के लिए बजटीय प्रावधानों के कम उपयोग के कारण को वार्षिक रिटर्न (विवरणी) में सम्मिलित किया जाये ।
54. परियोजना प्रस्तावक द्वारा एसईएसी और एसईआईएए में प्रस्तुत दस्तावेदजो में विसंगति (यदि कोई) पाए जाने पर परियोजना प्रस्तावक स्वयं जिम्मेदार होगा।
55. खनन पट्टा क्षेत्र में गड्ढे एवं भूमि के पुनरूद्धार की राशि का कार्य खनन विभाग के माध्यम से किया जाये। खनन विभाग द्वारा गतिविधि के लिए अनुमानित उचित राशि को खान में खनिज की समाप्ति होने के उपरांत समस्त गतिविधि का जिम्मा कलेक्टर के पास जमा करना होगा।
56. खनन कार्य हेतु पानी की आवश्यकता के लिए ग्राम पंचायत तथा किसी भी पेड़ की कटाई से पूर्व वन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाये ।
57. ऐसे पट्टे जो वन क्षेत्र के 250मी. की परिधि के अंदर आ रहे है एवं परियोजना प्रस्तावक ने संभाग स्तरीय आयुक्त समिति से अनुमोदन प्राप्त कर लिया है, तो समिति द्वारा निर्धारित सभी शर्तो पालन सुनिश्चित किया जाये।
58. परियोजना में विस्तार या आधुनिकीकरण, प्रक्रिया और उत्पादन क्षमता में वृद्धि के साथ प्रोद्यौगिकी में परिवर्तन, और प्रस्तावित खनन ईकाई में उत्पाद मिश्रण एवं किसी भी प्रकार के परिवर्तन के लिये नवीन पर्यावरण स्वीकृति लेना अनिवार्य होगा।
59. अस्थायी अनुज्ञा (TP) के प्रकरण मे, पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता केवल टीपी की वैधता तक रहेगी एवं परियोजना प्रस्तावक को खदान समापन योजना का पालन सुनिश्चित करना होगा।
60. खनन पट्टाधारक खनन कार्य को बंद करने के बाद, चरागाह के विकास एवं रख –रखाव हेतु एम. ओ.ई.एफ.एंड.सी.सी के पत्र एफ. सं. 22&34/2018–आई.ए, III दिनांक 16/01/2020 अनुसार ई. एम.पी और सी.ई.आर अंतर्गत एक अलग बजट सुरक्षित करें।
61. परियोजना प्रस्तावक पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन संख्या Z&11013/57/2014&IA II (एम) दिनांक 29 अक्टूबर 2014 शीर्षक "आवासों पर खनन गतिविधियों का प्रभाव, खनन परियोजनाओं से संबंधित मुद्दे जिसमें बस्तियाँ और गाँव खदान पट्टा क्षेत्रों का हिस्सा हैं या बस्तियाँ और गाँव खदान पट्टा क्षेत्र से घिरे हुए हैं" में दिए गए मेटिगीटिव उपायों का पालन करगा।
62. पत्राचार के पते में कोई भी परिवर्तन, के लिये 30 दिनों के अंदर सभी नियामक प्राधिकरण को सूचित करेगा।
63. खदान में प्रवेश के समय परियोजना के संबध में एक डिस्प्ले बोर्ड निम्नलिखित विवरण के साथ लगाना अनिवार्य होगा :
    - खदान के मालिक का नाम ,संपर्क विवरण आदि।
    - परियोजना का खनन पट्टा क्षेत्र (हेक्टेयर में) मय अक्षांश देशांश।
    - खदान की लम्बाई, चौड़ाई एवं स्वीकृत गहराई।

- माईनेवल पोटेंशियल ऑफ रेत खदान।
- पर्यावरण स्वीकृति एवं एमपीपीसीबी की कन्सेन्ट अनुसार परियोजना की स्वीकृत उत्पादन क्षमता।
- खनन विधि (मैनुअल/सेमी मैकेनाईज्ड)।

64. NGT (CZ) के आदेश क. 66/20 दिनांक 19/10/2020 एवं एस.ई.आई.ए.ए का निर्देश पत्र संख्या 5084 दिनांक 09/12/2020 के अनुसार रेत खनन के मामले में पीपी द्वारा निम्नलिखित शर्तों को लागू किया जाना चाहिए :

i. लीजधारक को परियोजना स्थल पर न्यूनतम संख्या में (02) पोक्लेन्स का उपयोग कर सकता है 02 से जादा पोक्लेन्स के उपयोग की अनुमति नही होगी।
ii. जिला प्रशासन द्वारा पहले वर्ष के अंत में पर्यावरणीय प्रभाव के लिए साइट का आकलन करने के उपरांत ही निरंतर खनन कार्य जारी रखने की अनुमति प्रदान की जाये।
iii. कार्य की अंतिम गहराई वर्तमान प्राकृतिक नदी तल से 01 मीटर और उपलब्ध रेत की मोटाई प्रस्तावित खदान स्थल से 03 मीटर होगी।
iv. रेत उत्खनन किसी भी परिस्थिति में भूजल स्तर को प्रभावित नहीं किया जाए। यदि भूजल स्तर 01 मीटर पर अनुमत गहराई के भीतर होता है, तो उत्खनन कार्य तुरंत रोक दिया जाये।
v. रेत का खनन के दौरान किसी भी तरह से नदी के पानी की गंदलापन (टरबिडिटी), वेग और प्रवाह को प्रभावित न किया जाए।
vi. खनन गतिविधि की निगरानी तालुक स्तर के बल द्वारा महीने में एक बार भौतिक सत्यापन करके की जाएगी
vii. खनन बंद होने के बाद, लाइसेंसधारी खदान में लगाए गए सभी शेड और रेत खदान के संचालन के लिए उपयोग किए जाने वाले सभी उपकरणों को तुरंत हटा दे, जहाँ तक संभव हो, बिना किसी कृत्रिम बाधा के नदी को अपना सामान्य मार्ग फिर से शुरू करने के लिए सड़कों/मार्गों को समतल किया जाये।
viii. खनन से किए गए गड्ढों को जहां आवश्यक हो वहां वापस भर दिया जाना चाहिए और पर्यावरणीय क्षरण को रोकने के लिए क्षेत्र उपयुक्त लैंडस्केप होना चाहिए
ix. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना के अनुसार खदान की सीमा और गहराई के संबंध में मानकों का पालन करे एवं खदान की सीमा का उचित रूप से सीमांकन किया जाए।

65. नदी के किनारों पर स्थिरीकरण के लिए खस स्लिप्स और नगर मोथा जैसी प्रजातियों को लगाया जाये एवं किसी भी उपयुक्त सरकार के माध्यम से गांव में खनिज निकासी सड़क और आम क्षेत्र पर मिट्टी के कटाव की जांच के लिए संबंधित डी.एफ.ओ./ग्राम पंचायत/कृषि विभाग या किसी अन्य उपयुक्त एजेंसी से कार्य अनुमति के उपरांत ईएमपी में किए गए बजटीय आवंटन के अनुसार पर्याप्त विशेषज्ञता वाली एजेंसी (जैसे वन विकास निगम/वन समिति, वन रेंज अधिकारी की निगरानी और मार्गदर्शन में उक्त कार्य करवाया जाये।

66. पट्टा क्षेत्र मे वृक्षारोपण के लिए सतही मिट्टी का उपयोग किया जाए एवं पट्टा क्षेत्र के बाहर कोई ओ. बी. डंप. (Over burden) न किया जाये। परियोजना प्रस्तावक को खनन कार्यों के शुरुआती तीन वर्षों में वृक्षारोपण गतिविधि पूर्ण करे एवं हताहत/मृत पोधों के प्रतिस्थापन सहित पूरे खनन जीवन के लिए उन्हें बनाए रखा जायें। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण और करणीय प्रतिस्थापन के वार्षिक विवरण हेतु एक लॉग बुक रखी जाये एवं खनन कार्य के दौरान किसी भी वनस्पतियों , जीवों इत्त्यादि को कोई हानि न हो इस हेतु पर्याप्त सावधानी बरती जाये। पी.पी. द्वारा वन भूमि में संभावित अतिरिक्त वृक्षारोपण डी.एफ.ओ के माध्यम से किया जाये एवं निर्धारित बजट डी.एफ.ओ को हस्तांतरित किया जाये ।

67. संबधित ग्राम क्षेत्र की सामुदायिक भूमि अथवा बंजर वन भूमि पर ग्राम पंचायत के माध्यम से स्थानीय मिश्रत प्रजातिया जैसे वार्षिक, बारहमासी घास/चारा , वृक्ष की प्रजातियॉ रोपित की जाये जिससे चरागाह विकसित हो सके एवं खनन कार्य के उपरांत इस विकसित चरागाह को ग्राम पंचायत को सौंप दिया जाऐ।
68. पौधरोपण को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक वर्ष मानसून के मौसम की शुरुआत से पहले, आस–पास के ग्रामीणों को चारा/देशी फल देने वाली प्रजातियों के पौधे सामाजिक वानिकी नर्सरी/सरकारी बागवानी नर्सरी से प्राप्त कर वितरित किए जाऐं। यह गतिविधि म.प्र. सरकार की "अंकुर योजना" के अंतर्गत "वायुदूत ऐप" पर व्यक्तिगत ग्रामीणों को पंजीकृत कर की जाये। पी.पी द्वारा जिन स्थानों पर औषधि वाटिका (मडिकल गार्डेन) पस्तावित है उन स्थानों (स्कूल/आंगनवाड़ी प्रांगण) पर न्यूनतम 50 पौधे रोपित किये जाये एवं इस प्रकार विकसित किया जाये कि उनका सरवाइवल 80 प्रतिशत तक हो।
69. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण के लिये पानी की उचित व्यवस्था की जाये।
70. बी–1 श्रेणी की परियोजनाओं मे प्रस्तावित सी.ई.आर गतिविधियॉ जन सुनवाई के निष्कर्ष पर आधारित होने चाहिए। एवं बी–2 श्रेणी की परियोजनाओं में स्थानीय आवश्यकता मूल्यांकन और ग्राम पंचायत वार्षिक कार्य योजना के आधार पर सी.ई.आर गतिविधि प्रस्तावित किया जाए।

नोट – 8 :– रेत के प्रकरणों में (पौधो की ऊॅचाई न्यूनतम् 1.5 मीटर)

1	एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति की दूरी एवं दूसरी से तीसरी पंक्ति शाकीय पौधे जैसे : खस, घास, अगेव स्थानीय घास प्रजातियॉ।	1.00 से 1.5 मीटर (पंक्ति में पौधो के बीच की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर)
2	4 पंक्ति से 5वीं पंक्ति (वृक्ष प्रजाति)	न्यूनतम् दूरी 3 मीटर (पौधों के बीच में दूरी 03 मीटर)
3	6वीं पंक्ति 3.0 से 5.0 मीटर (वृक्ष प्रजाति)	पौधों के बीच में 3 से 5 मीटर

- (चयनित प्रजातियों एवं नदी के किनारों पर भूमि की उपलब्धता को ध्यान में रखकर आवंटित क्षेत्र से बाहरी दिशा में 10 से 15 मीटर की चौड़ाई में हरित पट्टी विकसित किया जाये)
- नोट – 9 :– छठी पंक्ति हेतु पौधों की सुरक्षा अवधि न्यूनतम् 3 वर्ष
- जामुन, कहवा, करंज, नीम, पौधों में पौधों की दूरी 2.5 मीटर से 5 मीटर लसोड़ा, करंज, आम, इत्यादि ।
- नोट – प्रथम तीन पंक्तियों के पौधों के मध्य में एक वर्षीय औषधि प्रजातियों का बीच छिड़काव ।

1	पहली, दूसरी, तीसरी पंक्ति हेतु (स्थानीय घांस प्रजातियॉ, खस घास अगेव आदि)	पंक्ति से पंक्ति की दूरी 01 से 10.5 फीट पंक्ति में पौधों से पौधों की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर ।
2	स्थानीय झाड़ी प्रजाति के पौधे	01 11.6 फीटर
3	चौथी से पॉचवी, छठवीं पंक्ति हेतु बॉस एवं स्थानीय झाड़ी प्रजाति ।	पंक्ति की दूरी 2.5 मीटर से 3 मीटर पंक्ति में पौधों की दूरी 3 मीटर से 5 मीटर

(ब) मानक शर्ते

1. परियोजना प्रस्तावक के ई–मेल विवरण के साथ वैध डाक का पता।
2. नदी तल पर किसी भी भारी वाहन का जाना प्रतिबंधित रहेगा।
3. खनन क्षेत्र से रेत का परिवहन लदान स्थल तक केवल ट्रैक्टर ट्रॉली के माध्यम से ही किया जायेगा।
4. नदी कर्व पर किनारों को उचित बांधों द्वारा स्थिर किया जाये एवं उचित वृक्षारोपण किया जाये इसकी निगरानी कलेक्टर, के द्वारा किया जाये ताकि रेत खनन से उस क्षेत्र की पारिस्थितिकी को प्रभवित न हो सके।
5. खनन कार्य स्वीकृत खनन योजना के अनुसार किया जाये, खनन योजना का उल्लंघन किये जाने पर एस.ई.आई.ए.ए द्वारा दी गई पर्यावरण स्वीकृत रद्द कर दी जाएगी।
6. यह सुनिश्चित किया जाए कि गौण खनिज के उत्खनन से नदी तल बेसिन, जहां खनन कार्य किया जाता है, की अंतर्निहित मिट्टी की विशेषताओं मे किसी प्राकार का बदलाव तो नही हो रहा।
7. यह सुनिश्चित किया जाये कि खनन कार्य सें नदी के पानी का गंदलापन (टरबिडिटी) ,वेग और प्रवाह पैटर्न को किसी भी तरह बाधित न किया जाये।
8. यह सुनिश्चित किया जाये कि नदी के तल पर अथवा खनन क्षेत्रों के निकट कोई जीव–जंतु घोंसले के लिए निर्भर तो नही है।
9. विचाराधीन सभी प्रस्तावों के लिए खनन कार्य से पूर्व खनन/राजस्व विभाग के अधिकारियों द्वारा स्थल पर सटीक खनन क्षेत्र का संयुक्त रूप से सीमांकन किया जायें।
10. सार्वजनिक स्थानों पर वाहनों की पार्किंग नहीं होनी चाहिए।
11. आसपास की बस्तियों को खनन गतिविधियों के प्रभाव से बचाने के लिए विशेष उपाय अपनाए जाये। तथा गॉव की जिन सड़को से गौण खनिजों का परिवहन किया जाना है, का नियमित रूप से रख रखाव/अनुरक्षण किया जाये।
12. मृदा अपरदन की रोकथाम एवं नियंत्रण तथा गाद के प्रबंधन के उपाय किये जायें।
13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान के गड्ढे, कचरे के ढेर के आसपास आवश्यक सुरक्षा उपाय सुनिश्चित किया जाये।
14. वृक्षारोपण कार्यक्रम ई.एम.पी के अनुसार किया जाये एवं वनस्पतियों की आत्मनिर्भरता सुनिश्चित की जानी चाहिए एवं पट्टा क्षेत्र में किसी भी पेड़ की कटाई बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के न किया जाये।
15. खनिजों का परिवहन करने वाले वाहनों को एक तिरपाल या अन्य उपयुक्त बाड़ों से ढक दिया जाये ताकि परिवहन के दौरान धूल के कण /बारीक पदार्थ बाहर न निकल सकें।
16. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खान श्रमिकों के लिए आश्रय एवं पेयजल की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित किया जायें ।
17. धूल भरे क्षेत्रों में काम करने वाले व्यक्तियों को सुरक्षात्मक श्वसन उपकरण उपलब्ध कराए जाये और उनकें सुरक्षा और स्वास्थ्य पहलुओं पर पर्याप्त प्रशिक्षण और जानकारी भी प्रदान की जाये।
18. कार्य स्थल पर प्राथमिक उपचार के लिए औषधालय की सुविधा अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराई जाये।
19. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण मंजूरी की एक प्रति सरकार के संबंधित अधिकारियों के अतिरिक्त स्थानीय निकायों, पंचायत और नगर निकायों के प्रमुखों, (जैसा लागू हो) को भी प्रस्तुत की जाये।
20. मंत्रालय अथवा कोई अन्य सक्षम प्राधिकारी पर्यावरण संरक्षण के हित में शर्तों में परिवर्तन/संशोधन कर सकता है या कोई और शर्त निर्धारित कर सकता है।
21. तथ्यात्मक डेटा को छुपाने अथवा झूठे /गढ़े हुए डेटा प्रस्तुत करने एवं ऊपर उल्लिखित किसी भी शर्त का पालन न करने पर पर्यावरण मंजूरी को वापस लिया जा सकता है और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के तहत कार्रवाही कि जा सकती है।

22. पर्यावरण मंजूरी के खिलाफ किसी भी प्रकार की अपील, करना हो, तो राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 की धारा 16 के तहत, निर्धारित 30 दिनों की अवधि के अंदर राष्ट्रीय हरित अधिकरण में की जा सकती है।

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (सेक), अनुसंधान एवं विकास विंग, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई–5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल – 462016।
3. सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई–5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल – 462016।
4. कलेक्टर, जिला बैतूल (म.प्र.)
5. वन मंडलाधिकारी, जिला बैतूल (म.प्र.)
6. आई.ए. डिवीसन, निगरानी प्रकोष्ठ, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड़, नई दिल्ली – 110003।
7. निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिमी क्षेत्र केन्द्रीय पर्यावरण भवन, लिंक रोड़ नं. 03, रवि शंकर नगर, भोपाल – 462016 ।
8. संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म मध्यप्रदेश, 29–ए, खनिज भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल – 462002।
9. खनिज अधिकारी, जिला बैतूल (म.प्र.)
10. संबंधित फाईल।

(राजेश मिश्रा)
प्रभारी अधिकारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Shri,Mujeebur Rehman Khan
Member Secretary
Date: 5/19/2023 8:22:59 PM

ENVIRONMENTAL CLEARANCE

PARIVESH

(Pro-Active and Responsive Facilitation by Interactive, and Virtuous Environmental Single-Window Hub)

Government of India
Ministry of Environment, Forest and Climate Change
(Issued by the State Environment Impact Assessment Authority(SEIAA), MADHYA PRADESH)

To,

The -1

NATIONAL ENERGY TRADING AND SERVICES LIMITED

PLOT NO. 7 BINDU SADAN, 401, SAI CHANDRA RASIDENCY, HYDERABAD RANGAREDDI TG 500089 IN -500089

Subject: Grant of Environmental Clearance (EC) to the proposed Project Activity under the provision of EIA Notification 2006-regarding

Sir/Madam,

This is in reference to your application for Environmental Clearance (EC) in respect of project submitted to the SEIAA vide proposal number SIA/MP/MIN/423864/2023 dated 15 Apr 2023. The particulars of the environmental clearance granted to the project are as below.

1.	**EC Identification No.**	**EC23B001MP138720**
2.	**File No.**	7097/2020
3.	**Project Type**	New
4.	**Category**	B
5.	**Project/Activity including Schedule No.**	1(a) Mining of minerals
6.	**Name of Project**	Shahpur Sand quarry Of M/s NATIONAL ENERGY TRADING AND SERVICES LIMITED
7.	**Name of Company/Organization**	NATIONAL ENERGY TRADING AND SERVICES LIMITED
8.	**Location of Project**	MADHYA PRADESH
9.	**TOR Date**	N/A

The project details along with terms and conditions are appended herewith from page no 2 onwards.

Date: 17/05/2023

(e-signed)
Shri,Mujeebur Rehman Khan
Member Secretary
SEIAA - (MADHYA PRADESH)

Note: A valid environmental clearance shall be one that has EC identification number & E-Sign generated from PARIVESH.Please quote identification number in all future correspondence.

This is a computer generated cover page.

संदर्भः प्रस्ताव क्र. **SIA/MP/MIN/423864/2023 -** प्रकरण क्र 7097/2023 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स नेशनल ट्रेंडिग एंड सर्विस लि. निदेशक, श्री विनोद कुमार गोवर्धी, निवासी प्लाट नं. 7, बिंदु सदन, 401, सांई चंद्र रेसीडेंसी, हैदराबाद, रंगारेडडी (तेलगांना) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 1,18,800 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 11.00 हेक्टेयर, खसरा 1 एवं 112, ग्राम शाहपुर/पतौवापुरा, तहसील शाहपुर, जिला बैतूल (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

भारत सरकार के ई.आई.ए. अधिसूचना एस.ओ. 1533(E) दिनांक 14 सितंबर 2006 एवं उपरांत के संशोधनों तथा राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा समय–समय पर जारी ज्ञापनों के परिपालन में पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु भारत सरकार के परिवेश पोर्टल पर निर्धारित प्रपत्र एवं प्रक्रिया अनुरूप परियोजना प्रस्तावक द्वारा आनॅलाईन आवेदन के साथ प्रस्तुत परियोजना प्रस्ताव (क्र. **SIA/MP/MIN/423864/2023** एवं MP SEIAA में पंजीयन दिनांक 18.04.2023) एवं संबंधित अनिवार्य दस्तावेज़ों के आधार पर राज्य विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) और राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण (SEIAA) के द्वारा परीक्षण एवं मूल्यांकन किया गया।

II कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला दतिया के एकल प्रमाण पत्र क्र. 241 दिनांक 08.02.2023 के अनुसार आवेदित क्षेत्र से नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन 10 कि.मी. की परिधि के बाहर है एवं वन क्षेत्र 250 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित है। अनुमोदित खनन योजना के अनुसार अक्षांश 22°11'24.20" से 22°11'43.47' और देशांतर 77°53'32.07" से 77°54'58.76" भौगोलिक निर्देशांक पर स्थित है।

III. परियोजना पर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना एस.ओ. 1533(E) दिनांक 14 सितंबर 2006 के प्रावधानों के अंतर्गत उपरोक्त पैरा (II) के अनुसार परियोजना प्रस्तावक एवं अधिकृत सलाहकार द्वारा प्रस्तुत की गई अभिप्रमाणित जानकारी तथा दस्तावेज़ों के आधार पर राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण (SEIAA) की 785वीं बैठक दिनांक 10.05.2023 में विस्तृत विचार विमर्श उपरांत एवं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 639वी बैठक दिनांक 25.04.2023 में प्रकरण पर की गई अनुंशसा के आधार पर विशिष्ट, साधारण/मानक शर्ते अधिरोपित करते हुये पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान करने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है।

अतः उपरोक्त निर्णय के परिपालन में उक्त प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक मेसर्स नेशनल ट्रेंडिग एंड सर्विस लि. निदेशक, श्री विनोद कुमार गोवर्धी, निवासी प्लाट नं. 7, बिंदु सदन, 401, सांई चंद्र रेसीडेंसी, हैदराबाद, रंगारेडडी (तेलगांना) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 1,18,800 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 11.00 हेक्टेयर, खसरा 1 एवं 112, ग्राम शाहपुर/पतौवापुरा, तहसील शाहपुर, जिला बैतूल (म.प्र.) की राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, म.प्र एवं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति द्वारा अनुशंसित निम्नलिखित विशिष्ट शर्तो और तदुपरांत मानक शर्तो के अधीन पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(अ) विशिष्ट शर्तेः

1. **कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला दतिया का आशय पत्र क्र. 598–6 दिनांक 26.08.2022 के माध्यम से उक्त खदान को 30.06.2023 तक की सहमति जारी की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 30.06.2023 तक मान्य रहेगी।**
2. प्रस्तावित खदान की उत्पादन क्षमता हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित खनन योजना में 118800 घनमीटर प्रतिवर्ष, निविदा में निविदत्त मात्रा 118800 घनमीटर प्रतिवर्ष, SEAC से

अनुशंसित उत्पादन क्षमता 118800 घनमीटर प्रतिवर्ष, जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में 118800 घनमीटर दर्शित है, अतः माननीय एन.जी.टी. के उक्त आदेश दिनांक 22.02.2022 एवं 04.03.2022 के परिपालन में न्यूनतम उत्पादन क्षमता 118800 घनमीटर प्रतिवर्ष तक ही मान्य रहेगी। **परियोजना प्रस्तावक द्वारा निविदा में निविदत्त जिले की कुल मात्रा से अधिक उत्पादन मात्रा का उत्खनन नहीं किया जायेगा इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **पक्का रोड़ ब्रिज से न्यूनतम 1000 मीटर एवं निर्माणधीन रोड़ ब्रिज के फाउण्डेशन से न्यूनतम 500 मीटर तक"** नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीमांकन के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त किया जायें।

4. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा अनुसार लीज एरिया 11.00 हेक्टेयर से 6.60 हेक्टेयर क्षेत्र में ही रेत खनन किया जायेगा।**

5. SEIAA द्वारा रेत खनन के प्रकरणों में जारी की जाने वाली समस्त पर्यावरण स्वीकृति माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों के आदेशों/दिशा निर्देशों के अधीन मान्य रहेंगी तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों द्वारा जारी सभी निर्देशों/निर्णयों का अनुपालन परियोजना प्रस्तावक के लिये बाध्यकारी होगा।

6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत उत्खनन Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 के दिशा निर्देशो के अधीन किया जाना सुनिश्चित किया जायें।

7. **परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आश्वासनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।**

8. परियोजना प्रस्तावक वृक्षारोपण कार्य संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग से करवाया जायें तथा इस हेतु आवश्यक निर्धारित राशि रू. 4.20 लाख परियोजना प्रस्तावक द्वारा शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट मे जमा किये जाये तथा तथा संबंधित वनमंडलाधिकारी वन क्षेत्र में स्थल का चयन व योजना तैयार कर वृक्षारोपण करेंगे, आगामी 03 वर्षो तक उनकी देखभाल करेंगे तथा परियोजना प्रस्तावक को सूचित करेगे तथा 03 वर्षो तक पौधों का मूल्यांकन प्रतिवेदन भेजेंगे।

9. वन मंडलाधिकारी, वन विभाग द्वारा लिखित में वृक्षारोपण हेतु परियोजना प्रस्तावक का प्रस्ताव अस्वीकृत किये जाने की स्थिति में परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित वृक्षारोपण एवं सुरक्षा कार्य ग्राम पंचायत के माध्यम से 03 वर्ष तक (सतत् सिंचाई 01 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) निम्नानुसार संपादित करेंगेः–

Phase	Location	Name of Tree	No. of Plants to be Planted
Up to June 2023	For Village distribution specially to the famers who,s land are near to the river	Aam, Munga Hybrid Ber, Sitafal, Anwla, Neembu, Bel and other local species.	5000

	bank.		
Up to June 2023	Evacuation route	Aam, Chirol , Neem , Jangal Jalebi, Kadam and other local species.	**1000**

10. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के समीपस्थ क्षेत्र में वर्षा जल संचय का कार्य किया जावे एवं मौजूद जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार किया जाये, जिससे कि ग्राम की आवश्यकतानुसार एवं किये गये वृक्षारोपण हेतु समुचित जल की व्यवस्था हो सके।
- ग्राम के शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल व्यवस्था एवं शौचालय इत्यादि की व्यवस्था सुदृढ़ की जाये।
- ग्राम शाहपुर/पतौवापुरा की सड़क (2.1 किलोमीटर) की मरम्मत एवं रखरखाव किया जाये।
- ग्राम में 01 किलोमीटर की डब्ल्यू.बी.एम. रोड़ का निर्माण किया जाये।
- स्थानीय प्रशासन/एनजीओ के माध्यम से 5000 फलदार पौधों का वितरण ग्रामवासियों को किया जाये।
- आस–पास के भूमि के कटाव को रोकने के लिये बालू से भरी बोरियां लगाई जायें।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियॉं और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से पर्यावरण स्वीकृति की वैधता दिनांक 30.06.2023 के पूर्व अनिवार्यतः कार्यान्वित की जाएगी।

11. **जिला कलेक्टर द्वारा प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति की वैधता दिनांक 30.06.2023 के पूर्व उपरोक्त सी.ई.आर. अंतर्गत प्रस्तावित कार्यों/गतिविधियों को संबंधित जिला पंचायत/नगरीय निकाय के माध्यम से स्थानीय स्तर पर ग्रामीण विकास के कार्यों की आवश्यकता के दृष्टिगत अनिवार्यतः क्रियान्वयन किया जाये। यदि आवश्यक हो तो परियोजना प्रस्तावक से उपरोक्त शर्त के परिपालन हेतु नियमानुसार आवश्यक राशि जमा करवाकर सी.ई.आर. गतिविधियेां का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।**

12. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सी.ई.आर. एवं सभी गतिविधियों का अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट विशेष रूप से वृक्षारोपण (वन विभाग के माध्यम से) एवं सी.ई.आर. (जिला प्रशासन/स्थानीय निकाय के समन्वय से) की गतिविधियों का पूर्णतः परिपालन दिनांक 31.05.2023 तक पूर्ण कर अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित **SEIAA** एवं क्षेत्रीय कार्यालय **MoEF&CC** को अनिवार्यतः प्रेषित किया जाये। उपरोक्त शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन जिला खनिज अधिकारी द्वारा प्रस्तुत करवाया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पूर्व पट्टा क्षेत्र के चारों ओर फेंसिंग लगाई जाये एवं पट्टा क्षेत्र के चार कोनों पर चेतावनी संकेतकों की स्थापना के साथ उचित निगरानी और सुरक्षागार्ड की व्यवस्था की जायेगी।

14. परियोजना क्षेत्र एवं अन्य प्रस्तावित क्षेत्रों में वृक्षारोपण संबंधित कार्यों में संबंधित क्षेत्र के वनमंडलाधिकारी के परामर्श अनुसार संयुक्त/सामुदायिक वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से CSR/CER एवं अशासकीय निधियों के उपयोग हेतु राज्य शासन द्वारा निर्धारित वृक्षारोपण नीति का परिपालन सुनिश्चित किया जाये।

15. परियोजना प्रस्तावक द्वारा विभाग से खनन अनुबंध निष्पादित होने के उपरांत ही खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा।

16. परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करेगा कि अनुमोदित खनन योजना में उल्लेखित अनुसार ही खनन पट्टा क्षेत्र में वार्षिक रेत पुर्नभरण की पूर्ति निर्धारित स्तरों पर खनन कार्यों को बनाए रखने के लिए पर्याप्त है।

17. परियोजना प्रस्तावक नदी के बेसिन के भीतर किसी भी प्रकार का रैंप स्थापित नहीं करेगा तथा जिस किनारे पर रेत उपलब्ध है उसी किनारे से परिवहन की अनुमति कार्य किया जायेगा।

18. परियोजना प्रस्तावक नदी के जल प्रभाव वाले क्षेत्र में खनन कार्य नहीं करेगा एवं स्थानीय अधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि केवल नदी के सूखे हिस्से में जहां रेत की उपलब्धता हो वही तक खनन गतिविधिया सीमित की जाये।

19. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रतिबद्धधता अनुसार जलभराव क्षेत्र को गैर–खनन क्षेत्र के रूप में छोड़ा जायेगा।

20. परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करेगा कि रेत के गड्ढे की गहराई स्वीकृत अनुमोदित खनन योजना के अनुसार ही हो।

21. परियोजना प्रस्तावक कच्ची सड़क के स्थान पर पक्का पहुंच मार्ग का निर्माण सुनिश्चित करेगा और खनिज के परिवहन हेतु ग्राम क्षेत्र के बाहर से वैकल्पिक मार्ग की योजना तैयार ग्राम पंचायत के परामर्श अनुसार करेगा।

22. परियोजना प्रस्तावक पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी रेत उत्खनन सतत रेत खनन प्रबंधन दिशानिर्देश, 2016 एवं प्रवर्तन और निगरानी दिशानिर्देश, 2020 का सख्ती से परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

23. परियोजना प्रस्तावक म.प्र. खनिज संसाधन विभाग, मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी अधिसूचना 30.08. 2019 के अनुसार 5 हेक्टेयर पट्टा क्षेत्र तक रेत खनन पद्धति के लिए दिये गये निर्देश एवं प्रावधान का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

24. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यदि धारा सूखी है, तो उत्खनन धारा की सबसे कम अबाधित एलिवेशन से आगे नहीं बढ़ेगा, जो कि स्थानीय हाइड्रोलिक्स, जल विज्ञान और भू–आकृति विज्ञान का एक कार्य है।

25. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मानसून अवधि में कोई खनन नहीं किया जाएगा।

26. खनिज की ओवरलोडिंग परिवहन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी।

27. परियोजना प्रस्तावक द्वारा दुर्घटनाओं से बचने के लिए परिवहन मार्गों पर चेतावनी संकेतों की स्थापना की जायेगी।

28. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पहुंच मार्ग के धूल दमन हेतु नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जायेगा तथा वृक्षारोपण व पीने के लिये (विशेष रूप से गर्मी के मौसम में) उचित जलापूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करेगा।

29. परियोजना प्रस्तावक प्राथमिकता के आधार पर आसपास के ग्रामीणों को रोजगार के अवसर प्रदान करेगा।

30. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना अनुसार वृक्षारोपण, धूल दमन, पहुंच सड़क के निर्माण और मौजूदा पक्की सड़क के रखरखाव के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेगा। इस हेतु पर्यावरण प्रबंधन योजना में अतिरिक्त बजट प्रावधान किया जाएगा।

31. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सीईआर एवं सभी गतिविधियों के फोटोग्राफ अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट के साथ एमपी–एसईआईएए को प्रस्तुत करेगा। यदि परियोजना प्रस्तावक अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट को अपलोड करने में विफल रहता है या संबंधित प्राधिकरण (एसईआईएए और क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल) को पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों की लगातार दो छमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, तो परियोजना प्रस्तावक को जारी की गई पूर्व पर्यावरण मंजूरी निरस्त की जायेगी।

32. यदि माईनिंग लीज का स्वामित्व बदल जाता है, तो नवीन परियोजना प्रस्तावक को एसईआईएए को पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के लिए तुरंत आवेदन करना होगा। बिना पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण तक परियोजना प्रस्तावक उक्त खदान में तब तक खनन स्थगित रखेगा, जब तक कि एसईआईएए द्वारा उक्त पर्यावरण स्वीकृति नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम हस्तांतरित ना हो जाये।

33. खनि पट्टा क्षेत्र के अंदर किये गये सभी कार्य जैसे फेंसिंग, वृक्षारोपण और सीईआर गतिविधियों के तहत किए जाने वाले सभी कार्यों को जिला प्रशासन के परामर्श से आगे के रखरखाव के लिए ग्राम पंचायत को सौंपा जायेगा। परियोजना प्रस्तावक पटवारी रजिस्टर में सभी सूचनाओं को दर्ज करना भी सुनिश्चित करे।

34. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना के लिये बजटीय प्रावधान रू. 04.23 लाख एवं पूंजी रू. 2.14 लाख प्रतिवर्ष प्रस्तावित है।

35. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन् क्षेत्र में कोई Critical aquatic habitat of equatic fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।

36. वनमंडलाधिकारी, वन विभाग द्वारा लिखित में वृक्षारोपण हेतु परियोजना प्रस्तावक का प्रस्ताव अस्वीकृत किये जाने की स्थिति में परियोजना प्रस्तावक स्वंय वृक्षारोपण कार्य (सतत् सिंचाई, 03 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) संपादित करेंगे।

37. जिला प्रशासन द्वारा वार्षिक रूप से मानसून से पहले और सितंबर के अंतिम सप्ताह में खनन पट्टा क्षेत्र में रेत के जमाव (10 एवं > 10.00 हेक्टेयर के पट्टों के लिए 100 मीटर के अंतराल पर तथा <10 हेक्टेयर के पट्टों के लिए 50 मीटर के अंतराल पर) का रिकॉर्ड दर्ज करे एवं आर.एल (रेड्यूस लेवल) मेजरमेंट बुक में रिकॉर्ड रखरखाव करे। तद्नुसार जिला प्रशासन द्वारा पट्टा धारक को केवल रेत की पुनःपूर्ति की गई मात्रा की खुदाई करने हेतु आगामी वर्ष में अनुमति दी जाये।

38. उत्खान क्षेत्र का स्पष्ट सीमांकन स्थल पर अक्षांस एवं देशान्श अनुसार पिलर लगाकर किया जाये एवं सुरक्षा हेतु आवश्यक सूचना व सावधानी संकेत सूचना पटल पर अंकित किये जाये।

39. धूल के कणों का दमन करने के लिए सोलर पंपों/पानी के टैंकरों के साथ ओवरहेड स्प्रिंकलर की व्यवस्था पट्टा क्षेत्र से बाहर निकलें तथा निकासी सड़क पर निश्चित प्रकार के स्प्रिंकलर की व्यवस्था की जाये। पीपी द्वारा लॉग बुक राखी जाये जिसमें दैनिक पानी के छिड़काव और वाहनों की आवाजाही का विवरण दर्ज किया जाये।

40. केवल पूर्वोक्त उद्देश्य के लिए जिनके पास आवश्यक पंजीकरण और मोटर वाहन अधिनियम के तहत अनुमति और उसी के लिए बीमा कवरेज है वाले जीपीएस सहित पंजीकृत वाहन / ट्रैक्टर ट्रॉलियां का उपयोग केवल उक्त प्रयोजन के लिए उपयोग किया जाएगा

41. सामग्री का परिवहन में fugitive उत्सर्जन से बचने के लिए केवल आवश्यक नमी वाले ढके हुए एवं पीयूसी प्रमाणित वाहनों का उपयोग किया जाये। खनिजों का परिवहन वन क्षेत्र से बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के नहीं किया जायेगा

42. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज निकासी सड़क को पक्का (डब्ल्यूबीएम/ब्लैक टॉप) बनाया जाएगा।

43. प्रमुख पुलों और राजमार्गों के दोनों तरफ से 1 किलोमीटर (1 किमी) की दूरी तक रेत और बजरी नहीं निकाली जाएगी। और अपस्ट्रीम से इस तरह के पुल/सार्वजनिक संरचना (जल ग्रहण क्षेत्र सहित) से पांच गुना दूरी तक एवं डाउन–स्ट्रीम से ऐसे पुल से दस गुना दूरी तक, कम से कम 250 मीटर अपस्ट्रीम साइड से और 500 मीटर डाउनस्ट्रीम साइड से रेत और बजरी नहीं निकाली जाएगी।

44. खनन की गहराई 3 मीटर या जल स्तर, जो भी कम हो, तक सीमित होनी चाहिए और नदी के किनारे से दूरी एक चौथाई या नदी की चौड़ाई जितनी होनी चाहिए और जो 7.5 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। नदी के अंदर खनन की अनुमति नहीं है। स्थापित जल वाहक नाला ध्नालियों को स्थानांतरित, सीधा या संशोधित नहीं किया जायेगा।

45. खनन कार्य शुरू होने से पहले खनन क्षेत्र को पिलर से सीमांकन और भू–संदर्भित किया जाये ।

46. परियोजना प्रस्तावक द्वारा कम से कम वर्ष में एक बार प्रतिष्ठित तृतीय पक्ष के माध्यम से पर्यावरणीय ऑडिट कराई जाये और उस ऑडिट की रिपोर्ट को सार्वजनिक डोमेन पर रखी जाये ।

47. मानसून के मौसम में कोई खनन नहीं किया जाएगा।

48. खनन कार्य पूरी तरह से अनुमोदित खनन योजना एवं सतत रेत खनन प्रबंधन दिशानिर्देश, 2016 के अनुसार किया जाएगा तथा पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी रेत खनन के लिए प्रवर्तन और निगरानी दिशानिर्देशों के अनुसार सुनिश्चित किया जायेगा की खनन योजना में निर्धारित स्तरों पर खनन कार्यों को बनाए रखने के लिए खनन पट्टा क्षेत्र में रेत की वार्षिक पुनःपूर्ति खनन पट्टा क्षेत्र में रेत खनन कार्यों हेतु पर्याप्त है।

49. अगर नदी की धारा सूखी है तो उत्खनन धारा के तल की सबसे निचले कम की अबाधित गहराई से आगे नहीं बढ़ना चाहिए, जो स्थानीय हाइड्रोलिक्स, जल विज्ञान और भू–आकृति विज्ञान का एक कार्य है।

50. खनन पूरा होने के बाद, गड्ढे के किनारे को 2.5:1 के अनुपात पर प्रवाह की दिशा में ढलान पर वर्गीकृत किया जाना चाहिए।

51. एम.पी.पी.सी.बी से आवश्यक सहमति प्राप्त की जाएगी और एम.पी.पी.सी.बी. की सिफारिश के अनुसार वायु/जल प्रदूषण नियंत्रण उपायों को स्थापित करना होगा।

52. क्षेत्र के सामाजिक उत्थान के लिए समुचित कार्य किये जायेंगे। इसके लिए आरक्षित निधि का उपयोग ग्राम पंचायतध्सक्षम प्राधिकरण के माध्यम से किया जाएगा।

53. श्रमिकों के छह मासिक व्यावसायिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण किए जाएंगे और सभी श्रमिकों को आवश्यक व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण प्रदान किए जाएंगे। सभी खान श्रमिकों और अन्य कर्मचारियों के लिए विश्राम गृह, प्राथमिक चिकित्सा, उचित अग्निशमन उपकरण और शौचालय (पुरुष और महिला के लिए अलग) जैसी अनिवार्य सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी। खदान के स्थल कार्यालय, विश्राम गृहों आदि को सोलर लाइट से रोशन और हवादार किया जाएगा। इन सभी सुविधाओं जैसे विश्राम गृह, साइट कार्यालय आदि को लीज अवधि की समाप्ति के बाद साइट से हटा दिया जाएगा।

54. पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के नवीनतम कार्यालीन ज्ञापन पत्र संख्या एफ.सं. 22–34/2018–आईए। III, दिनांक 16/01/2020 के अनुसार, पर्यावरण प्रबंधन योजना और कॉर्पोरेट पर्यावरण उत्तरदायित्व में अलग से बजट का प्रावधान चराई भूमि के विकास और रखरखाव के लिए बबनय जाये और ये जानकारी वार्षिक पर्यावरण विवरण में दी जाये ।

55. यदि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए उपायों के लिए आवंटित पर्यावरण प्रबंधन योजना बजट का पूरी तरह से उपयोग नहीं किया जाता है, तो पर्यावरण प्रबंधन योजना के लिए बजटीय प्रावधानों के कम उपयोग के कारण को वार्षिक रिटर्न (विवरणी) में सम्मिलित किया जाये ।

56. परियोजना प्रस्तावक द्वारा एसईएसी और एसईआईएए में प्रस्तुत दस्तावेदजो में विसंगति (यदि कोई) पाए जाने पर परियोजना प्रस्तावक स्वयं जिम्मेदार होगा।

57. खनन पट्टा क्षेत्र में गड्ढे एवं भूमि के पुनरूद्धार की राशि का कार्य खनन विभाग के माध्यम से किया जाये। खनन विभाग द्वारा गतिविधि के लिए अनुमानित उचित राशि को खान में खनिज की समाप्ति होने के उपरांत समस्त गतिविधि का जिम्मा कलेक्टर के पास जमा करना होगा।

58. खनन कार्य हेतु पानी की आवश्यकता के लिए ग्राम पंचायत तथा किसी भी पेड़ की कटाई से पूर्व वन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाये ।

59. ऐसे पट्टे जो वन क्षेत्र के 250मी. की परिधि के अंदर आ रहे है एवं परियोजना प्रस्तावक ने संभाग स्तरीय आयुक्त समिति से अनुमोदन प्राप्त कर लिया है, तो समिति द्वारा निर्धारित सभी शर्तो पालन सुनिश्चित किया जाये।

60. परियोजना में विस्तार या आधुनिकीकरण, प्रक्रिया और उत्पादन क्षमता में वृद्धि के साथ प्रोद्यौगिकी में परिवर्तन, और प्रस्तावित खनन ईकाई में उत्पाद मिश्रण एवं किसी भी प्रकार के परिवर्तन के लिये नवीन पर्यावरण स्वीकृति लेना अनिवार्य होगा।

61. अस्थायी अनुज्ञा (TP) के प्रकरण मे, पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता केवल टीपी की वैधता तक रहेगी एवं परियोजना प्रस्तावक को खदान समापन योजना का पालन सुनिश्चित करना होगा।

62. खनन पट्टाधारक खनन कार्य को बंद करने के बाद, चरागाह के विकास एवं रख –रखाव हेतु एम. ओ.ई.एफ.एंड.सी.सी के पत्र एफ. सं. 22&34/2018–आई.ए. III दिनांक 16/01/2020 अनुसार ई. एम.पी और सी.ई.आर अंतर्गत एक अलग बजट सुरक्षित करें।

63. परियोजना प्रस्तावक पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन संख्या Z&11013/57/2014&IA II (एम) दिनांक 29 अक्टूबर 2014 शीर्षक "आवासों पर खनन गतिविधियों का प्रभाव, खनन परियोजनाओं से संबंधित मुद्दे जिसमें बस्तियाँ और गाँव खदान पट्टा क्षेत्रों का हिस्सा हैं या बस्तियाँ और गाँव खदान पट्टा क्षेत्र से घिरे हुए हैं" में दिए गए मेटिगीटिव उपायों का पालन करगा।

64. पत्राचार के पते में कोई भी परिवर्तन, के लिये 30 दिनों के अंदर सभी नियामक प्राधिकरण को सूचित करेगा।

65. खदान में प्रवेश के समय परियोजना के संबध में एक डिस्प्ले बोर्ड निम्नलिखित विवरण के साथ लगाना अनिवार्य होगा :

- खदान के मालिक का नाम ,संपर्क विवरण आदि।
- परियोजना का खनन पट्टा क्षेत्र (हेक्टेयर में) मय अक्षांश देशांश।
- खदान की लम्बाई, चौड़ाई एवं स्वीकृत गहराई।
- माईनेवल पोटेंशियल ऑफ रेत खदान।

- पर्यावरण स्वीकृति एवं एमपीपीसीबी की कन्सेन्ट अनुसार परियोजना की स्वीकृत उत्पादन क्षमता।
- खनन विधि (मैनुअल/सेमी मैकेनाईज्ड)।

66. NGT (CZ) के आदेश क्र. 66/20 दिनांक 19/10/2020 एवं एस.ई.आई.ए.ए का निर्देश पत्र संख्या 5084 दिनांक 09/12/2020 के अनुसार रेत खनन के मामले में पीपी द्वारा निम्नलिखित शर्तों को लागू किया जाना चाहिए :

i. लीजधारक को परियोजना स्थल पर न्यूनतम संख्या में (02) पोक्लेन्स का उपयोग कर सकता है 02 से जादा पोक्लेन्स के उपयोग की अनुमति नही होगी।
ii. जिला प्रशासन द्वारा पहले वर्ष के अंत में पर्यावरणीय प्रभाव के लिए साइट का आकलन करने के उपरांत ही निरंतर खनन कार्य जारी रखने की अनुमति प्रदान की जाये।
iii. कार्य की अंतिम गहराई वर्तमान प्राकृतिक नदी तल से 01 मीटर और उपलब्ध रेत की मोटाई प्रस्तावित खदान स्थल से 03 मीटर होगी।
iv. रेत उत्खनन किसी भी परिस्थिति में भूजल स्तर को प्रभावित नहीं किया जाए। यदि भूजल स्तर 01 मीटर पर अनुमत गहराई के भीतर होता है, तो उत्खनन कार्य तुरंत रोक दिया जाये।
v. रेत का खनन के दौरान किसी भी तरह से नदी के पानी की गंदलापन (टरबिडिटी), वेग और प्रवाह को प्रभावित न किया जाए।
vi. खनन गतिविधि की निगरानी तालुक स्तर के बल द्वारा महीने में एक बार भौतिक सत्यापन करके की जाएगी
vii. खनन बंद होने के बाद, लाइसेंसधारी खदान में लगाए गए सभी शेड और रेत खदान के संचालन के लिए उपयोग किए जाने वाले सभी उपकरणों को तुरंत हटा दे, जहाँ तक संभव हो, बिना किसी कृत्रिम बाधा के नदी को अपना सामान्य मार्ग फिर से शुरू करने के लिए सड़कों/मार्गों को समतल किया जाये।
viii. खनन से किए गए गड्ढों को जहां आवश्यक हो वहां वापस भर दिया जाना चाहिए और पर्यावरणीय क्षरण को रोकने के लिए क्षेत्र उपयुक्त लैंडस्केप होना चाहिए
ix. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना के अनुसार खदान की सीमा और गहराई के संबंध में मानकों का पालन करे एवं खदान की सीमा का उचित रूप से सीमांकन किया जाए।

67. नदी के किनारों पर स्थिरीकरण के लिए खस स्लिप्स और नगर मोथा जैसी प्रजातियों को लगाया जाये एवं किसी भी उपयुक्त सरकार के माध्यम से गांव में खनिज निकासी सड़क और आम क्षेत्र पर मिट्टी के कटाव की जांच के लिए संबंधित डी.एफ.ओ./ग्राम पंचायत/कृषि विभाग या किसी अन्य उपयुक्त एजेंसी से कार्य अनुमति के उपरांत ईएमपी में किए गए बजटीय आवंटन के अनुसार पर्याप्त विशेषज्ञता वाली एजेंसी (जैसे वन विकास निगम/वन समिति, वन रेंज अधिकारी की निगरानी और मार्गदर्शन में उक्त कार्य करवाया जाये।

68. पट्टा क्षेत्र मे वृक्षारोपण के लिए सतही मिट्टी का उपयोग किया जाए एवं पट्टा क्षेत्र के बाहर कोई ओ. बी. डंप. (Over burden) न किया जाये। परियोजना प्रस्तावक को खनन कार्यों के शुरुआती तीन वर्षों में वृक्षारोपण गतिविधि पूर्ण करे एवं हताहत/मृत पोधों के प्रतिस्थापन सहित पूरे खनन जीवन के लिए उन्हें बनाए रखा जायें। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण और करणीय प्रतिस्थापन के वार्षिक विवरण हेतु एक लॉग बुक रखी जाये एवं खनन कार्य के दौरान किसी भी वनस्पतियों, जीवों इत्त्यादि को कोई हानि न हो इस हेतु पर्याप्त सावधानी बरती जाये। पी.पी. द्वारा वन भूमि में संभावित अतिरिक्त वृक्षारोपण डी.एफ.ओ के माध्यम से किया जाये एवं निर्धारित बजट डी.एफ.ओ को हस्तांतरित किया जाये ।

69. संबधित ग्राम क्षेत्र की सामुदायिक भूमि अथवा बंजर वन भूमि पर ग्राम पंचायत के माध्यम से स्थानीय मिश्रत प्रजातिया जैसे वार्षिक, बारहमासी घास/चारा , वृक्ष की प्रजातियॉ रोपित की जाये जिससे चरागाह विकसित हो सके एवं खनन कार्य के उपरांत इस विकसित चरागाह को ग्राम पंचायत को सौंप दिया जाऐ।

70. पौधरोपण को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक वर्ष मानसून के मौसम की शुरुआत से पहले, आस–पास के ग्रामीणों को चारा/देशी फल देने वाली प्रजातियों के पौधे सामाजिक वानिकी नर्सरी/सरकारी बागवानी नर्सरी से प्राप्त कर वितरित किए जाऐं। यह गतिविधि म.प्र. सरकार की "अंकुर योजना" के अंतर्गत "वायुदूत ऐप" पर व्यक्तिगत ग्रामीणों को पंजीकृत कर की जाये। पी.पी द्वारा जिन स्थानों पर औषधि वाटिका (मडिकल गार्डेन) पस्तावित है उन स्थानों (स्कूल/आंगनवाड़ी प्रांगण) पर न्यूनतम 50 पौधे रोपित किये जाये एवं इस प्रकार विकसित किया जाये कि उनका सरवाइवल 80 प्रतिशत तक हो।

71. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण के लिये पानी की उचित व्यवस्था की जाये।

72. बी–1 श्रेणी की परियोजनाओं मे प्रस्तावित सी.ई.आर गतिविधियॉ जन सुनवाई के निष्कर्ष पर आधारित होने चाहिए। एवं बी–2 श्रेणी की परियोजनाओं में स्थानीय आवश्यकता मूल्यांकन और ग्राम पंचायत वार्षिक कार्य योजना के आधार पर सी.ई.आर गतिविधि प्रस्तावित किया जाऐ।

(ब) मानक शर्ते

1. परियोजना प्रस्तावक के ई–मेल विवरण के साथ वैध डाक का पता।
2. नदी तल पर किसी भी भारी वाहन का जाना प्रतिबंधित रहेगा।
3. खनन क्षेत्र से रेत का परिवहन लदान स्थल तक केवल ट्रैक्टर ट्रॉली के माध्यम से ही किया जायेगा।
4. नदी कर्व पर किनारों को उचित बांधों द्वारा स्थिर किया जाये एवं उचित वृक्षारोपण किया जाये इसकी निगरानी कलेक्टर, के द्वारा किया जाये ताकि रेत खनन से उस क्षेत्र की पारिस्थितिकी को प्रभवित न हो सके।
5. खनन कार्य स्वीकृत खनन योजना के अनुसार किया जाये, खनन योजना का उल्लंघन किये जाने पर एस.ई.आई.ए.ए द्वारा दी गई पर्यावरण स्वीकृत रद्द कर दी जाएगी।
6. यह सुनिश्चित किया जाए कि गौण खनिज के उत्खनन से नदी तल बेसिन, जहां खनन कार्य किया जाता है, की अंतर्निहित मिट्टी की विशेषताओं मे किसी प्राकार का बदलाव तो नही हो रहा।
7. यह सुनिश्चित किया जाये कि खनन कार्य सें नदी के पानी का गंदलापन (टरबिडिटी) ,वेग और प्रवाह पैटर्न को किसी भी तरह बाधित न किया जाये।
8. यह सुनिश्चित किया जाये कि नदी के तल पर अथवा खनन क्षेत्रों के निकट कोई जीव–जंतु घोंसले के लिए निर्भर तो नही है।
9. विचाराधीन सभी प्रस्तावों के लिए खनन कार्य से पूर्व खनन/राजस्व विभाग के अधिकारियों द्वारा स्थल पर सटीक खनन क्षेत्र का संयुक्त रूप से सीमांकन किया जायें।
10. सार्वजनिक स्थानों पर वाहनों की पार्किंग नहीं होनी चाहिए।
11. आसपास की बस्तियों को खनन गतिविधियों के प्रभाव से बचाने के लिए विशेष उपाय अपनाए जाये। तथा गॉव की जिन सड़को से गौण खनिजों का परिवहन किया जाना है, का नियमित रूप से रख रखाव/अनुरक्षण किया जाये।
12. मृदा अपरदन की रोकथाम एवं नियंत्रण तथा गाद के प्रबंधन के उपाय किये जायें।
13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान के गड्ढे, कचरे के ढेर के आसपास आवश्यक सुरक्षा उपाय सुनिश्चित किया जाये।

14. वृक्षारोपण कार्यक्रम ई.एम.पी के अनुसार किया जाये एवं वनस्पतियों की आत्मनिर्भरता सुनिश्चित की जानी चाहिए एवं पट्टा क्षेत्र में किसी भी पेड़ की कटाई बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के न किया जाये।
15. खनिजों का परिवहन करने वाले वाहनों को एक तिरपाल या अन्य उपयुक्त बाड़ों से ढक दिया जाये ताकि परिवहन के दौरान धूल के कण /बारीक पदार्थ बाहर न निकल सकें।
16. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खान श्रमिकों के लिए आश्रय एवं पेयजल की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित किया जायें ।
17. धूल भरे क्षेत्रों में काम करने वाले व्यक्तियों को सुरक्षात्मक श्वसन उपकरण उपलब्ध कराए जाये और उनकें सुरक्षा और स्वास्थ्य पहलुओं पर पर्याप्त प्रशिक्षण और जानकारी भी प्रदान की जाये।
18. कार्य स्थल पर प्राथमिक उपचार के लिए औषधालय की सुविधा अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराई जाये।
19. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण मंजूरी की एक प्रति सरकार के संबंधित अधिकारियों के अतिरिक्त स्थानीय निकायों, पंचायत और नगर निकायों के प्रमुखों, (जैसा लागू हो) को भी प्रस्तुत की जाये।
20. मंत्रालय अथवा कोई अन्य सक्षम प्राधिकारी पर्यावरण संरक्षण के हित में शर्तों में परिवर्तन/संशोधन कर सकता है या कोई और शर्त निर्धारित कर सकता है।
21. तथ्यात्मक डेटा को छुपाने अथवा झूठे /गढ़े हुए डेटा प्रस्तुत करने एवं ऊपर उल्लिखित किसी भी शर्त का पालन न करने पर पर्यावरण मंजूरी को वापस लिया जा सकता है और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के तहत कार्रवाही कि जा सकती है।
22. पर्यावरण मंजूरी के खिलाफ किसी भी प्रकार की अपील, करना हो, तो राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 की धारा 16 के तहत, निर्धारित 30 दिनों की अवधि के अंदर राष्ट्रीय हरित अधिकरण में की जा सकती है।

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (सेक), अनुसंधान एवं विकास विंग, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई–5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल – 462016।
3. सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई–5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल – 462016।
4. कलेक्टर, जिला बैतूल (म.प्र.)
5. वन मंडलाधिकारी, जिला बैतूल (म.प्र.)
6. आई.ए. डिवीसन, निगरानी प्रकोष्ठ, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड़, नई दिल्ली – 110003।
7. निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिमी क्षेत्र केन्द्रीय पर्यावरण भवन, लिंक रोड़ नं. 03, रवि शंकर नगर, भोपाल – 462016 ।
8. संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म मध्यप्रदेश, 29–ए, खनिज भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल – 462002।
9. खनिज अधिकारी, जिला बैतूल (म.प्र.)
10. संबंधित फाईल।

(राजेश मिश्रा)
प्रभारी अधिकारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Shri,Mujeebur Rehman Khan
Member Secretary
Date: 5/17/2023 7:07:29 PM

ENVIRONMENTAL CLEARANCE

PARIVESH

(Pro-Active and Responsive Facilitation by Interactive, and Virtuous Environmental Single-Window Hub)

Government of India
Ministry of Environment, Forest and Climate Change
(Issued by the State Environment Impact Assessment Authority(SEIAA), MADHYA PRADESH)

To,

The -1

NATIONAL ENERGY TRADING AND SERVICES LIMITED

PLOT NO. 7 BINDU SADAN, 401, SAI CHANDRA RASIDENCY, HYDERABAD RANGAREDDI TG 500089 IN -500089

Subject: Grant of Environmental Clearance (EC) to the proposed Project Activity under the provision of EIA Notification 2006-regarding

Sir/Madam,

This is in reference to your application for Environmental Clearance (EC) in respect of project submitted to the SEIAA vide proposal number SIA/MP/MIN/430474/2023 dated 26 May 2023. The particulars of the environmental clearance granted to the project are as below.

1.	**EC Identification No.**	**EC23B001MP124699**
2.	**File No.**	7096/2020
3.	**Project Type**	New
4.	**Category**	B
5.	**Project/Activity including Schedule No.**	1(a) Mining of minerals
6.	**Name of Project**	24.970ha Baspur/Shiv Sagar/Gonapur Auctioned Sand Quarry
7.	**Name of Company/Organization**	NATIONAL ENERGY TRADING AND SERVICES LIMITED
8.	**Location of Project**	MADHYA PRADESH
9.	**TOR Date**	N/A

The project details along with terms and conditions are appended herewith from page no 2 onwards.

Date: 17/06/2023

(e-signed)
Shri,Mujeebur Rehman Khan
Member Secretary
SEIAA - (MADHYA PRADESH)

Note: A valid environmental clearance shall be one that has EC identification number & E-Sign generated from PARIVESH.Please quote identification number in all future correspondence.

This is a computer generated cover page.

संदर्भः प्रस्ताव क्र. SIA/MP/MIN/430474/2023 - प्रकरण क्र. 7096/2020 परियोजना प्रस्तावक नेशनल एनर्जी ट्रेडिंग एंड सर्विसेस लि. पता– प्लाट नं. 07 बिंदु सदन 401 साई चंद्रा रेसीडेन्सी, रंगारेड्डी, हैदराबाद (तेलांगना) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 1,63,350 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 24.970 हेक्टेयर, मे से SEAC द्वारा खनन हेतु अनुशंसित 15.98 हे., खसरा 1, 1, 288, 266 ग्राम – बांसपुर, शिवसागर, गौनापुर, तहसील घोड़ाडोगरी / शाहपुर, जिला बैतुल (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

भारत सरकार के ई.आई.ए. अधिसूचना एस.ओ. 1533(E) दिनांक 14 सितंबर 2006 एवं उपरांत के संशोधनों तथा राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा समय–समय पर जारी ज्ञापनों के परिपालन में पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु भारत सरकार के परिवेश पोर्टल पर निर्धारित प्रपत्र एवं प्रक्रिया अनुरूप परियोजना प्रस्तावक द्वारा आनॅलाईन आवेदन के साथ प्रस्तुत परियोजना प्रस्ताव (क्र. **SIA/MP/MIN/430474/2023** एवं MP SEIAA में पंजीयन दिनांक 26.05.2023) एवं संबंधित अनिवार्य दस्तावेज़ों के आधार पर राज्य विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) और राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण (SEIAA) के द्वारा परीक्षण एवं मूल्यांकन किया गया।

II कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बैतूल के एकल प्रमाण पत्र क्र. 241 दिनांक 08.02.2023 के अनुसार आवेदित क्षेत्र से नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/जैव विविधता क्षेत्र/ईको सेंसेटिव जोन 10 कि.मी. की परिधि के बाहर है एवं वन क्षेत्र 250 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित है। अनुमोदित खनन योजना के अनुसार अक्षांश 22°09'44.21" से 22°10'20.09' और देशांतर 77°59'35.71" से 77°58'57.93" भौगोलिक निर्देशांक पर स्थित है।

III. परियोजना पर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना एस.ओ. 1533(E) दिनांक 14 सितंबर 2006 के प्रावधानों के अंतर्गत उपरोक्त पैरा (II) के अनुसार परियोजना प्रस्तावक एवं अधिकृत सलाहकार द्वारा प्रस्तुत की गई अभिप्रमाणित जानकारी तथा दस्तावेज़ों के आधार पर राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण (SEIAA) की 791वीं बैठक दिनांक 08.06.2023 में विस्तृत विचार विमर्श उपरांत एवं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 648वी बैठक दिनांक 30.05.2023 में प्रकरण पर की गई अनुंशसा के आधार पर विशिष्ट, साधारण/मानक शर्ते अधिरोपित करते हुये पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान करने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है।

अतः उपरोक्त निर्णय के परिपालन में उक्त प्रकरण में परियोजना नेशनल एनर्जी ट्रेडिंग एंड सर्विसेस लि. पता– प्लाट नं. 07 बिंदु सदन 401 साई चंद्रा रेसीडेन्सी, रंगारेड्डी, हैदराबाद (तेलांगना) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 1,63,350 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 24.970 हेक्टेयर, मे से SEAC द्वारा खनन हेतु अनुशंसित 15.98 हे., खसरा 1, 1, 288, 266 ग्राम – बांसपुर, शिवसागर, गौनापुर, तहसील घोड़ाडोगरी / शाहपुर, जिला बैतुल (म.प्र.) की राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, म.प्र एवं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति द्वारा अनुशंसित निम्नलिखित विशिष्ट शर्तो और तदुपरांत मानक शर्तो के अधीन पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(अ) विशिष्ट शर्तेः

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बैतूल का पत्र क्र. 260 दिनांक 10.02.2023 के माध्यम से उक्त खदान को 30.06.2023 तक की सहमति जारी की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 30.06.2023 तक मान्य रहेगी।

2. प्रस्तावित खदान की उत्पादन क्षमता हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित खनन योजना में 1,63,350 घनमीटर प्रतिवर्ष, निविदा में निविदत्त मात्रा 1,63,350 घनमीटर प्रतिवर्ष, SEAC से अनुशंसित उत्पादन क्षमता 1,63,350 घनमीटर प्रतिवर्ष, जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में 1,63,350 घनमीटर दर्शित है, अतः माननीय एन.जी.टी. के उक्त आदेश दिनांक 22.02.2022 एवं 04.03.2022 के परिपालन में न्यूनतम उत्पादन क्षमता 1,63,350 घनमीटर प्रतिवर्ष तक ही मान्य रहेगी। **परियोजना प्रस्तावक द्वारा निविदा में निविदत्त जिले की कुल मात्रा से अधिक उत्पादन मात्रा का उत्खनन नहीं किया जायेगा इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

3. SEIAA द्वारा रेत खनन के प्रकरणों में जारी की जाने वाली समस्त पर्यावरण स्वीकृति माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों के आदेशों/दिशा निर्देशों के अधीन मान्य रहेंगी तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों द्वारा जारी सभी निर्देशों/निर्णयों का अनुपालन परियोजना प्रस्तावक के लिये बाध्यकारी होगा।

4. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित खदान का कुल रकवा 24.970 हे. मे से 15.98 हे. क्षेत्र मे ही उत्खनन कार्य किया जाये। संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा इसका परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत उत्खनन Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 के दिशा निर्देशो के अधीन किया जाना सुनिश्चित किया जायें।

6. **परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आश्वासनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।**

7. परियोजना प्रस्तावक वृक्षारोपण कार्य संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग से करवायेंगे तथा इस हेतु प्रावधानित धनराशि शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट मे भू–प्रवेश मिलने के एक माह के अंदर जमा करेंगे तथा संबंधित वनमंडलाधिकारी वन क्षेत्र में नदी के किनारे या नदी के आसपास उपलब्ध जल ग्रहण क्षेत्र में स्थल का चयन कर स्वंयम वृक्षो की प्रजातियॉ चयानित कर व योजना तैयार कर वृक्षारोपण करेगे, आगामी 03 वर्षो तक उनकी देखभाल करेंगे, परियोजना प्रस्तावक को सूचित करेंगे तथा 03 वर्षो तक पौधों का मूल्यांकन प्रतिवेदन भेजेंगे ।

Phase	**Location**	**Name of Tree**	**No. of Plants to be Planted**
Up to June 2023	For Village distribution specially to the famers who,s land are near to the river bank.	Aam, Munga Hybrid Ber, Sitafal, Anwla, Neembu, Bel and other local species.	7000
Up to June 2023	Evacuation route with all protection as Tree Gaurd.	Aam, Chirol , Neem , Jangal Jalebi , Kadam and other local species.	**110**

8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के समीपस्थ क्षेत्र में वर्षा जल संचय का कार्य किया जावे एवं मौजूद जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार किया जाये, जिससे कि ग्राम की आवश्यकतानुसार एवं किये गये वृक्षारोपण हेतु समुचित जल की व्यवस्था हो सके।

Proposal	Details
Maintenance of village road	Maintenance of village road (0.75km@2.00laks per km
Plant distribution	7000 trees will be distributed to villagers/local administrative office/ NGOs
Erosion of river bank	One Layers of 1m width of sand bag with nagarmota ghas shall be developed at the bank of the river to prevent the erosion and 1500 no of kagang bans distribute to villagers of nearby river bank which is plant in 3row at river bank where is erosion observed
To provide drinking water facility	1 hand pump at village Shivsagar
Free health camp	One free health camp at village shivsagar

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियॉं और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से पर्यावरण स्वीकृति की वैधता दिनांक 30.06.2023 के पूर्व अनिवार्यतः कार्यान्वित की जाएगी।

9. जिला कलेक्टर द्वारा प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति की वैधता दिनांक 30.06.2023 के पूर्व उपरोक्त सी.ई.आर. अंतर्गत प्रस्तावित कार्यों/गतिविधियों को संबंधित जिला पंचायत/नगरीय निकाय के माध्यम से स्थानीय स्तर पर ग्रामीण विकास के कार्यों की आवश्यकता के दृष्टिगत अनिवार्यतः क्रियान्वयन किया जाये। यदि आवश्यक हो तो परियोजना प्रस्तावक से उपरोक्त शर्त के परिपालन हेतु नियमानुसार आवश्यक राशि जमा करवाकर सी.ई.आर. गतिविधियेां का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।

10. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सी.ई.आर. एवं सभी गतिविधियों का अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट विशेष रूप से वृक्षारोपण (वन विभाग के माध्यम से) एवं सी.ई.आर. (जिला प्रशासन/स्थानीय निकाय के समन्वय से) की गतिविधियों का पूर्णतः परिपालन दिनांक 25.06.2023 तक पूर्ण कर अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित SEIAA एवं क्षेत्रीय कार्यालय MoEF&CC को अनिवार्यतः प्रेषित किया जाये। उपरोक्त शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन जिला खनिज अधिकारी द्वारा प्रस्तुत करवाया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

11. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पूर्व पट्टा क्षेत्र के चारों ओर फेंसिंग लगाई जाये एवं पट्टा क्षेत्र के चार कोनों पर चेतावनी संकेतकों की स्थापना के साथ उचित निगरानी और सुरक्षागार्ड की व्यवस्था की जायेगी।

12. परियोजना क्षेत्र एवं अन्य प्रस्तावित क्षेत्रों में वृक्षारोपण संबंधित कार्यों में संबंधित क्षेत्र के वनमंडलाधिकारी के परामर्श अनुसार संयुक्त/सामुदायिक वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से CSR/CER एवं अशासकीय निधियों के उपयोग हेतु राज्य शासन द्वारा निर्धारित वृक्षारोपण नीति का परिपालन सुनिश्चित किया जाये।

13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा विभाग से खनन अनुबंध निष्पादित होने के उपरांत ही खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा।

14. परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करेगा कि अनुमोदित खनन योजना में उल्लेखित अनुसार ही खनन पट्टा क्षेत्र में वार्षिक रेत पुर्नभरण की पूर्ति निर्धारित स्तरों पर खनन कार्यों को बनाए रखने के लिए पर्याप्त है।

15. परियोजना प्रस्तावक नदी के बेसिन के भीतर किसी भी प्रकार का रैंप स्थापित नहीं करेगा तथा जिस किनारे पर रेत उपलब्ध है उसी किनारे से परिवहन की अनुमति कार्य किया जायेगा।

16. परियोजना प्रस्तावक नदी के जल प्रभाव वाले क्षेत्र में खनन कार्य नहीं करेगा एवं स्थानीय अधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि केवल नदी के सूखे हिस्से में जहां रेत की उपलब्धता हो वही तक खनन गतिविधिया सीमित की जाये।

17. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रतिबद्धधता अनुसार जलभराव क्षेत्र को गैर–खनन क्षेत्र के रूप में छोड़ा जायेगा।

18. परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करेगा कि रेत के गड्ढे की गहराई स्वीकृत अनुमोदित खनन योजना के अनुसार ही हो।

19. परियोजना प्रस्तावक कच्ची सड़क के स्थान पर पक्का पहुंच मार्ग का निर्माण सुनिश्चित करेगा और खनिज के परिवहन हेतु ग्राम क्षेत्र के बाहर से वैकल्पिक मार्ग की योजना तैयार ग्राम पंचायत के परामर्श अनुसार करेगा।

20. परियोजना प्रस्तावक पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी रेत उत्खनन सतत रेत खनन प्रबंधन दिशानिर्देश, 2016 एवं प्रवर्तन और निगरानी दिशानिर्देश, 2020 का सख्ती से परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

21. परियोजना प्रस्तावक म.प्र. खनिज संसाधन विभाग, मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी अधिसूचना 30.08. 2019 के अनुसार 5 हेक्टेयर पट्टा क्षेत्र तक रेत खनन पद्धति के लिए दिये गये निर्देश एवं प्रावधान का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

22. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यदि धारा सूखी है, तो उत्खनन धारा की सबसे कम अबाधित एलिवेशन से आगे नहीं बढ़ेगा, जो कि स्थानीय हाइड्रोलिक्स, जल विज्ञान और भू–आकृति विज्ञान का एक कार्य है।

23. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मानसून अवधि में कोई खनन नहीं किया जाएगा।

24. खनिज की ओवरलोडिंग परिवहन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी।

25. परियोजना प्रस्तावक द्वारा दुर्घटनाओं से बचने के लिए परिवहन मार्गों पर चेतावनी संकेतों की स्थापना की जायेगी।

26. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पहुंच मार्ग के धूल दमन हेतु नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जायेगा तथा वृक्षारोपण व पीने के लिये (विशेष रूप से गर्मी के मौसम में) उचित जलापूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करेगा।

27. परियोजना प्रस्तावक प्राथमिकता के आधार पर आसपास के ग्रामीणों को रोजगार के अवसर प्रदान करेगा।

28. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना अनुसार वृक्षारोपण, धूल दमन, पहुंच सड़क के निर्माण और मौजूदा पक्की सड़क के रखरखाव के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेगा। इस हेतु पर्यावरण प्रबंधन योजना में अतिरिक्त बजट प्रावधान किया जाएगा।

29. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सीईआर एवं सभी गतिविधियों के फोटोग्राफ अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट के साथ एमपी–एसईआईएए को प्रस्तुत करेगा। यदि परियोजना प्रस्तावक अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट को अपलोड करने में विफल रहता है या संबंधित प्राधिकरण (एसईआईएए और क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल) को पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों की लगातार दो छमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, तो परियोजना प्रस्तावक को जारी की गई पूर्व पर्यावरण मंजूरी निरस्त की जायेगी।

30. यदि माईनिंग लीज का स्वामित्व बदल जाता है, तो नवीन परियोजना प्रस्तावक को एसईआईएए को पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के लिए तुरंत आवेदन करना होगा। बिना पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण तक परियोजना प्रस्तावक उक्त खदान में तब तक खनन स्थगित रखेगा, जब तक कि एसईआईएए द्वारा उक्त पर्यावरण स्वीकृति नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम हस्तांतरित ना हो जाये।

31. खनि पट्टा क्षेत्र के अंदर किये गये सभी कार्य जैसे फेंसिंग, वृक्षारोपण और सीईआर गतिविधियों के तहत किए जाने वाले सभी कार्यों को जिला प्रशासन के परामर्श से आगे के रखरखाव के लिए ग्राम पंचायत को सौंपा जायेगा। परियोजना प्रस्तावक पटवारी रजिस्टर में सभी सूचनाओं को दर्ज करना भी सुनिश्चित करे।

32. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना के लिये बजटीय प्रावधान रू. 01.68 लाख एवं पूंजी रू. 02.99 लाख प्रतिवर्ष प्रस्तावित है।

33. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन् क्षेत्र में कोई Critical aquatic habitat of equatic fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।

34. वनमंडलाधिकारी, वन विभाग द्वारा लिखित में वृक्षारोपण हेतु परियोजना प्रस्तावक का प्रस्ताव अस्वीकृत किये जाने की स्थिति में परियोजना प्रस्तावक स्वंय वृक्षारोपण कार्य (सतत् सिंचाई, 03 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) संपादित करेंगे।

35. जिला प्रशासन द्वारा वार्षिक रूप से मानसून से पहले और सितंबर के अंतिम सप्ताह में खनन पट्टा क्षेत्र में रेत के जमाव (10 एवं > 10.00 हेक्टेयर के पट्टों के लिए 100 मीटर के अंतराल पर तथा <10 हेक्टेयर के पट्टों के लिए 50 मीटर के अंतराल पर) का रिकॉर्ड दर्ज करे एवं आर.एल (रेड्यूस लेवल) मेजरमेंट बुक में रिकॉर्ड रखरखाव करे। तद्नुसार जिला प्रशासन द्वारा पट्टा धारक को केवल रेत की पुनःपूर्ति की गई मात्रा की खुदाई करने हेतु आगामी वर्ष में अनुमति दी जाये।

36. उत्खान क्षेत्र का स्पष्ट सीमांकन स्थल पर अक्षांस एवं देशान्श अनुसार पिलर लगाकर किया जाये एवं सुरक्षा हेतु आवश्यक सूचना व सावधानी संकेत सूचना पटल पर अंकित किये जाये।

37. धूल के कणों का दमन करने के लिए सोलर पंपों/पानी के टैंकरों के साथ ओवरहेड स्प्रिंकलर की व्यवस्था पट्टा क्षेत्र से बाहर निकलें तथा निकासी सड़क पर निश्चित प्रकार के स्प्रिंकलर की व्यवस्था की जाये। पीपी द्वारा लॉग बुक राखी जाये जिसमें दैनिक पानी के छिड़काव और वाहनों की आवाजाही का विवरण दर्ज किया जाये।

38. केवल पूर्वोक्त उद्देश्य के लिए जिनके पास आवश्यक पंजीकरण और मोटर वाहन अधिनियम के तहत अनुमति और उसी के लिए बीमा कवरेज है वाले जीपीएस सहित पंजीकृत वाहन / ट्रैक्टर ट्रॉलियां का उपयोग केवल उक्त प्रयोजन के लिए उपयोग किया जाएगा

39. सामग्री का परिवहन में fugitive उत्सर्जन से बचने के लिए केवल आवश्यक नमी वाले ढके हुए एवं पीयूसी प्रमाणित वाहनों का उपयोग किया जाये। खनिजों का परिवहन वन क्षेत्र से बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के नहीं किया जायेगा

40. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज निकासी सड़क को पक्का (डब्ल्यूबीएम/ब्लैक टॉप) बनाया जाएगा।

41. प्रमुख पुलों और राजमार्गों के दोनों तरफ से 1 किलोमीटर (1 किमी) की दूरी तक रेत और बजरी नहीं निकाली जाएगी। और अपस्ट्रीम से इस तरह के पुल/सार्वजनिक संरचना (जल ग्रहण क्षेत्र सहित) से पांच गुना दूरी तक एवं डाउन–स्ट्रीम से ऐसे पुल से दस गुना दूरी तक, कम से कम 250 मीटर अपस्ट्रीम साइड से और 500 मीटर डाउनस्ट्रीम साइड से रेत और बजरी नहीं निकाली जाएगी।

42. खनन की गहराई 3 मीटर या जल स्तर, जो भी कम हो, तक सीमित होनी चाहिए और नदी के किनारे से दूरी एक चौथाई या नदी की चौड़ाई जितनी होनी चाहिए और जो 7.5 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। नदी के अंदर खनन की अनुमति नहीं है। स्थापित जल वाहक नाला ध्नालियों को स्थानांतरित, सीधा या संशोधित नहीं किया जायेगा।

43. खनन कार्य शुरू होने से पहले खनन क्षेत्र को पिलर से सीमांकन और भू–संदर्भित किया जाये ।

44. परियोजना प्रस्तावक द्वारा कम से कम वर्ष में एक बार प्रतिष्ठित तृतीय पक्ष के माध्यम से पर्यावरणीय ऑडिट कराई जाये और उस ऑडिट की रिपोर्ट को सार्वजनिक डोमेन पर रखी जाये ।

45. मानसून के मौसम में कोई खनन नहीं किया जाएगा।

46. खनन कार्य पूरी तरह से अनुमोदित खनन योजना एवं सतत रेत खनन प्रबंधन दिशानिर्देश, 2016 के अनुसार किया जाएगा तथा पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी रेत खनन के लिए प्रवर्तन और निगरानी दिशानिर्देशों के अनुसार सुनिश्चित किया जायेगा की खनन योजना में निर्धारित स्तरों पर खनन कार्यों को बनाए रखने के लिए खनन पट्टा क्षेत्र में रेत की वार्षिक पुनःपूर्ति खनन पट्टा क्षेत्र में रेत खनन कार्यों हेतु पर्याप्त है।

47. अगर नदी की धारा सूखी है तो उत्खनन धारा के तल की सबसे निचले कम की अबाधित गहराई से आगे नहीं बढ़ना चाहिए, जो स्थानीय हाइड्रोलिक्स, जल विज्ञान और भू–आकृति विज्ञान का एक कार्य है।

48. खनन पूरा होने के बाद, गड्ढे के किनारे को 2.5:1 के अनुपात पर प्रवाह की दिशा में ढलान पर वर्गीकृत किया जाना चाहिए।

49. एम.पी.पी.सी.बी से आवश्यक सहमति प्राप्त की जाएगी और एम.पी.पी.सी.बी. की सिफारिश के अनुसार वायु/जल प्रदूषण नियंत्रण उपायों को स्थापित करना होगा।

50. क्षेत्र के सामाजिक उत्थान के लिए समुचित कार्य किये जायेंगे। इसके लिए आरक्षित निधि का उपयोग ग्राम पंचायतध्सक्षम प्राधिकरण के माध्यम से किया जाएगा।

51. श्रमिकों के छह मासिक व्यावसायिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण किए जाएंगे और सभी श्रमिकों को आवश्यक व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण प्रदान किए जाएंगे। सभी खान श्रमिकों और अन्य कर्मचारियों के लिए विश्राम गृह, प्राथमिक चिकित्सा, उचित अग्निशमन उपकरण और शौचालय (पुरुष और महिला के लिए अलग) जैसी अनिवार्य सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी। खदान के स्थल कार्यालय, विश्राम गृहों आदि को सोलर लाइट से रोशन और हवादार किया जाएगा। इन सभी सुविधाओं जैसे विश्राम गृह, साइट कार्यालय आदि को लीज अवधि की समाप्ति के बाद साइट से हटा दिया जाएगा।

52. पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के नवीनतम कार्यालीन ज्ञापन पत्र संख्या एफ.सं. 22–34/2018–आईए। III, दिनांक 16/01/2020 के अनुसार, पर्यावरण प्रबंधन योजना और कॉर्पोरेट पर्यावरण उत्तरदायित्व में अलग से बजट का प्रावधान चराई भूमि के विकास और रखरखाव के लिए बबनय जाये और ये जानकारी वार्षिक पर्यावरण विवरण में दी जाये ।

53. यदि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए उपायों के लिए आवंटित पर्यावरण प्रबंधन योजना बजट का पूरी तरह से उपयोग नहीं किया जाता है, तो पर्यावरण प्रबंधन योजना के लिए बजटीय प्रावधानों के कम उपयोग के कारण को वार्षिक रिटर्न (विवरणी) में सम्मिलित किया जाये ।

54. परियोजना प्रस्तावक द्वारा एसईएसी और एसईआईएए में प्रस्तुत दस्तावेदजो में विसंगति (यदि कोई) पाए जाने पर परियोजना प्रस्तावक स्वयं जिम्मेदार होगा।

55. खनन पट्टा क्षेत्र में गड्ढे एवं भूमि के पुनरूद्धार की राशि का कार्य खनन विभाग के माध्यम से किया जाये। खनन विभाग द्वारा गतिविधि के लिए अनुमानित उचित राशि को खान में खनिज की समाप्ति होने के उपरांत समस्त गतिविधि का जिम्मा कलेक्टर के पास जमा करना होगा।

56. खनन कार्य हेतु पानी की आवश्यकता के लिए ग्राम पंचायत तथा किसी भी पेड़ की कटाई से पूर्व वन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाये ।

57. ऐसे पट्टे जो वन क्षेत्र के 250मी. की परिधि के अंदर आ रहे है एवं परियोजना प्रस्तावक ने संभाग स्तरीय आयुक्त समिति से अनुमोदन प्राप्त कर लिया है, तो समिति द्वारा निर्धारित सभी शर्तो पालन सुनिश्चित किया जाये।

58. परियोजना में विस्तार या आधुनिकीकरण, प्रक्रिया और उत्पादन क्षमता में वृद्धि के साथ प्रोद्यौगिकी में परिवर्तन, और प्रस्तावित खनन ईकाई में उत्पाद मिश्रण एवं किसी भी प्रकार के परिवर्तन के लिये नवीन पर्यावरण स्वीकृति लेना अनिवार्य होगा।

59. अस्थायी अनुज्ञा (TP) के प्रकरण मे, पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता केवल टीपी की वैधता तक रहेगी एवं परियोजना प्रस्तावक को खदान समापन योजना का पालन सुनिश्चित करना होगा।

60. खनन पट्टाधारक खनन कार्य को बंद करने के बाद, चरागाह के विकास एवं रख –रखाव हेतु एम. ओ.ई.एफ.एंड.सी.सी के पत्र एफ. सं. 22&34/2018–आई.ए. III दिनांक 16/01/2020 अनुसार ई. एम.पी और सी.ई.आर अंतर्गत एक अलग बजट सुरक्षित करें।

61. परियोजना प्रस्तावक पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन संख्या Z&11013/57/2014&IA II (एम) दिनांक 29 अक्टूबर 2014 शीर्षक "आवासों पर खनन गतिविधियों का प्रभाव, खनन परियोजनाओं से संबंधित मुद्दे जिसमें बस्तियाँ और गाँव खदान पट्टा क्षेत्रों का हिस्सा हैं या बस्तियाँ और गाँव खदान पट्टा क्षेत्र से घिरे हुए हैं" में दिए गए मेटिगीटिव उपायों का पालन करगा।

62. पत्राचार के पते में कोई भी परिवर्तन, के लिये 30 दिनों के अंदर सभी नियामक प्राधिकरण को सूचित करेगा।

63. खदान में प्रवेश के समय परियोजना के संबध में एक डिस्प्ले बोर्ड निम्नलिखित विवरण के साथ लगाना अनिवार्य होगा :

- खदान के मालिक का नाम ,संपर्क विवरण आदि।
- परियोजना का खनन पट्टा क्षेत्र (हेक्टेयर में) मय अक्षांश देशांश।
- खदान की लम्बाई, चौड़ाई एवं स्वीकृत गहराई।
- माईनेवल पोटेंशियल ऑफ रेत खदान।
- पर्यावरण स्वीकृति एवं एमपीपीसीबी की कन्सेन्ट अनुसार परियोजना की स्वीकृत उत्पादन क्षमता।
- खनन विधि (मैनुअल/सेमी मैकेनाईज्ड)।

64. NGT (CZ) के आदेश क. 66/20 दिनांक 19/10/2020 एवं एस.ई.आई.ए.ए का निर्देश पत्र संख्या 5084 दिनांक 09/12/2020 के अनुसार रेत खनन के मामले में पीपी द्वारा निम्नलिखित शर्तों को लागू किया जाना चाहिए :

i. लीज़धारक को परियोजना स्थल पर न्यूनतम संख्या में (02) पोक्लेन्स का उपयोग कर सकता है 02 से जादा पोक्लेन्स के उपयोग की अनुमति नही होगी।

ii. जिला प्रशासन द्वारा पहले वर्ष के अंत में पर्यावरणीय प्रभाव के लिए साइट का आकलन करने के उपरांत ही निरंतर खनन कार्य जारी रखने की अनुमति प्रदान की जाये।

iii. कार्य की अंतिम गहराई वर्तमान प्राकृतिक नदी तल से 01 मीटर और उपलब्ध रेत की मोटाई प्रस्तावित खदान स्थल से 03 मीटर होगी।

iv. रेत उत्खनन किसी भी परिस्थिति में भूजल स्तर को प्रभावित नहीं किया जाए। यदि भूजल स्तर 01 मीटर पर अनुमत गहराई के भीतर होता है, तो उत्खनन कार्य तुरंत रोक दिया जाये।

v. रेत का खनन के दौरान किसी भी तरह से नदी के पानी की गंदलापन (टरबिडिटी), वेग और प्रवाह को प्रभावित न किया जाए।

vi. खनन गतिविधि की निगरानी तालुक स्तर के बल द्वारा महीने में एक बार भौतिक सत्यापन करके की जाएगी

vii. खनन बंद होने के बाद, लाइसेंसधारी खदान में लगाए गए सभी शेड और रेत खदान के संचालन के लिए उपयोग किए जाने वाले सभी उपकरणों को तुरंत हटा दे, जहाँ तक संभव हो, बिना किसी कृत्रिम बाधा के नदी को अपना सामान्य मार्ग फिर से शुरू करने के लिए सड़कों/मार्गों को समतल किया जाये।

viii. खनन से किए गए गड्ढों को जहां आवश्यक हो वहां वापस भर दिया जाना चाहिए और पर्यावरणीय क्षरण को रोकने के लिए क्षेत्र उपयुक्त लैंडस्केप होना चाहिए

ix. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना के अनुसार खदान की सीमा और गहराई के संबंध में मानकों का पालन करे एवं खदान की सीमा का उचित रूप से सीमांकन किया जाए।

65. नदी के किनारों पर स्थिरीकरण के लिए खस स्लिप्स और नगर मोथा जैसी प्रजातियों को लगाया जाये एवं किसी भी उपयुक्त सरकार के माध्यम से गांव में खनिज निकासी सड़क और आम क्षेत्र पर मिट्टी के कटाव की जांच के लिए संबंधित डी.एफ.ओ./ग्राम पंचायत/कृषि विभाग या किसी अन्य उपयुक्त एजेंसी से कार्य अनुमति के उपरांत ईएमपी में किए गए बजटीय आवंटन के अनुसार पर्याप्त विशेषज्ञता वाली एजेंसी (जैसे वन विकास निगम/वन समिति, वन रेंज अधिकारी की निगरानी और मार्गदर्शन में उक्त कार्य करवाया जाये।

66. पट्टा क्षेत्र मे वृक्षारोपण के लिए सतही मिट्टी का उपयोग किया जाए एवं पट्टा क्षेत्र के बाहर कोई ओ. बी. डंप. (Over burden) न किया जाये। परियोजना प्रस्तावक को खनन कार्यों के शुरुआती तीन वर्षों में वृक्षारोपण गतिविधि पूर्ण करे एवं हताहत/मृत पोधों के प्रतिस्थापन सहित पूरे खनन जीवन के लिए उन्हें बनाए रखा जायें। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण और करणीय प्रतिस्थापन के वार्षिक विवरण हेतु एक लॉग बुक रखी जाये एवं खनन कार्य के दौरान किसी भी वनस्पतियों , जीवों इत्त्यादि को कोई हानि न हो इस हेतु पर्याप्त सावधानी बरती जाये। पी.पी. द्वारा वन भूमि में संभावित अतिरिक्त वृक्षारोपण डी.एफ.ओ के माध्यम से किया जाये एवं निर्धारित बजट डी.एफ.ओ को हस्तांतरित किया जाये ।

67. संबधित ग्राम क्षेत्र की सामुदायिक भूमि अथवा बंजर वन भूमि पर ग्राम पंचायत के माध्यम से स्थानीय मिश्रत प्रजातिया जैसे वार्षिक, बारहमासी घास/चारा , वृक्ष की प्रजातियॉ रोपित की जाये

जिससे चरागाह विकसित हो सके एवं खनन कार्य के उपरांत इस विकसित चरागाह को ग्राम पंचायत को सौंप दिया जाऐ।

68. पौधरोपण को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक वर्ष मानसून के मौसम की शुरुआत से पहले, आस–पास के ग्रामीणों को चारा/देशी फल देने वाली प्रजातियों के पौधे सामाजिक वानिकी नर्सरी/सरकारी बागवानी नर्सरी से प्राप्त कर वितरित किए जाऐं। यह गतिविधि म.प्र. सरकार की "अंकुर योजना" के अंतर्गत "वायुदूत ऐप" पर व्यक्तिगत ग्रामीणों को पंजीकृत कर की जाये। पी.पी द्वारा जिन स्थानों पर औषधि वाटिका (मडिकल गार्डेन) पस्तावित है उन स्थानों (स्कूल/आंगनवाड़ी प्रांगण) पर न्यूनतम 50 पौधे रोपित किये जाये एवं इस प्रकार विकसित किया जाये कि उनका सरवाइवल 80 प्रतिशत तक हो।

69. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण के लिये पानी की उचित व्यवस्था की जाये।

70. बी–1 श्रेणी की परियोजनाओं मे प्रस्तावित सी.ई.आर गतिविधियॉ जन सुनवाई के निष्कर्ष पर आधारित होने चाहिए। एवं बी–2 श्रेणी की परियोजनाओं में स्थानीय आवश्यकता मूल्यांकन और ग्राम पंचायत वार्षिक कार्य योजना के आधार पर सी.ई.आर गतिविधि प्रस्तावित किया जाऐ।

(ब) मानक शर्ते

1. परियोजना प्रस्तावक के ई–मेल विवरण के साथ वैध डाक का पता।
2. नदी तल पर किसी भी भारी वाहन का जाना प्रतिबंधित रहेगा।
3. खनन क्षेत्र से रेत का परिवहन लदान स्थल तक केवल ट्रैक्टर ट्रॉली के माध्यम से ही किया जायेगा।
4. नदी कर्व पर किनारों को उचित बांधों द्वारा स्थिर किया जाये एवं उचित वृक्षारोपण किया जाये इसकी निगरानी कलेक्टर, के द्वारा किया जाये ताकि रेत खनन से उस क्षेत्र की पारिस्थितिकी को प्रभवित न हो सके।
5. खनन कार्य स्वीकृत खनन योजना के अनुसार किया जाये, खनन योजना का उल्लंघन किये जाने पर एस.ई.आई.ए.ए द्वारा दी गई पर्यावरण स्वीकृत रद्द कर दी जाएगी।
6. यह सुनिश्चित किया जाए कि गौण खनिज के उत्खनन से नदी तल बेसिन, जहां खनन कार्य किया जाता है, की अंतर्निहित मिट्टी की विशेषताओं मे किसी प्राकार का बदलाव तो नही हो रहा।
7. यह सुनिश्चित किया जाये कि खनन कार्य सें नदी के पानी का गंदलापन (टरबिडिटी) ,वेग और प्रवाह पैटर्न को किसी भी तरह बाधित न किया जाये।
8. यह सुनिश्चित किया जाये कि नदी के तल पर अथवा खनन क्षेत्रों के निकट कोई जीव–जंतु घोंसले के लिए निर्भर तो नही है।
9. विचाराधीन सभी प्रस्तावों के लिए खनन कार्य से पूर्व खनन/राजस्व विभाग के अधिकारियों द्वारा स्थल पर सट्रीक खनन क्षेत्र का संयुक्त रूप से सीमांकन किया जायें।
10. सार्वजनिक स्थानों पर वाहनों की पार्किंग नहीं होनी चाहिए।
11. आसपास की बस्तियों को खनन गतिविधियों के प्रभाव से बचाने के लिए विशेष उपाय अपनाए जाये। तथा गॉव की जिन सड़को से गौण खनिजों का परिवहन किया जाना है, का नियमित रूप से रख रखाव/अनुरक्षण किया जाये।
12. मृदा अपरदन की रोकथाम एवं नियंत्रण तथा गाद के प्रबंधन के उपाय किये जायें।
13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान के गड्ढे, कचरे के ढेर के आसपास आवश्यक सुरक्षा उपाय सुनिश्चित किया जाये।

14. वृक्षारोपण कार्यक्रम ई.एम.पी के अनुसार किया जाये एवं वनस्पतियों की आत्मनिर्भरता सुनिश्चित की जानी चाहिए एवं पट्टा क्षेत्र में किसी भी पेड़ की कटाई बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के न किया जाये।
15. खनिजों का परिवहन करने वाले वाहनों को एक तिरपाल या अन्य उपयुक्त बाड़ों से ढक दिया जाये ताकि परिवहन के दौरान धूल के कण /बारीक पदार्थ बाहर न निकल सकें।
16. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खान श्रमिकों के लिए आश्रय एवं पेयजल की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित किया जायें ।
17. धूल भरे क्षेत्रों में काम करने वाले व्यक्तियों को सुरक्षात्मक श्वसन उपकरण उपलब्ध कराए जाये और उनकें सुरक्षा और स्वास्थ्य पहलुओं पर पर्याप्त प्रशिक्षण और जानकारी भी प्रदान की जाये।
18. कार्य स्थल पर प्राथमिक उपचार के लिए औषधालय की सुविधा अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराई जाये।
19. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण मंजूरी की एक प्रति सरकार के संबंधित अधिकारियों के अतिरिक्त स्थानीय निकायों, पंचायत और नगर निकायों के प्रमुखों, (जैसा लागू हो) को भी प्रस्तुत की जाये।
20. मंत्रालय अथवा कोई अन्य सक्षम प्राधिकारी पर्यावरण संरक्षण के हित में शर्तों में परिवर्तन/संशोधन कर सकता है या कोई और शर्त निर्धारित कर सकता है।
21. तथ्यात्मक डेटा को छुपाने अथवा झूठे /गढ़े हुए डेटा प्रस्तुत करने एवं ऊपर उल्लिखित किसी भी शर्त का पालन न करने पर पर्यावरण मंजूरी को वापस लिया जा सकता है और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के तहत कार्रवाही कि जा सकती है।
22. पर्यावरण मंजूरी के खिलाफ किसी भी प्रकार की अपील, करना हो, तो राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 की धारा 16 के तहत, निर्धारित 30 दिनों की अवधि के अंदर राष्ट्रीय हरित अधिकरण में की जा सकती है।

(सुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (सेक), अनुसंधान एवं विकास विंग, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई–5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल – 462016।
3. सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई–5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल – 462016।
4. कलेक्टर, जिला बैतूल (म.प्र.)
5. वन मंडलाधिकारी, जिला बैतूल (म.प्र.)
6. आई.ए. डिवीसन, निगरानी प्रकोष्ठ, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड़, नई दिल्ली – 110003।
7. निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिमी क्षेत्र केन्द्रीय पर्यावरण भवन, लिंक रोड़ नं. 03, रवि शंकर नगर, भोपाल – 462016 ।
8. संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म मध्यप्रदेश, 29–ए, खनिज भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल – 462002।
9. खनिज अधिकारी, जिला बैतूल (म.प्र.)
10. संबंधित फाईल।

(आलोक नायक)
प्रभारी अधिकारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Shri,Mujeebur Rehman Khan
Member Secretary
Date: 6/17/2023 1:36:01 PM

Consent Order

ANNEXURE-14

M.P. Pollution Control Board - Chhindwara
RO Office M. P. Pollution control board
Opposite Mulla ji Petrol pump, Parasia Road
Chhindwara
Tele : 0761- 4042780,2647878

RED-SMALL	CCA-Fresh	Validity : 30/06/2023	PCB ID: 152932

Outward No:-16360 30/01/2023 Consent No:AW-109451

NO: /MPPCB/CHW

To,

The Occupier,
M/s. National Energy Trading And Services Limited (Chikhali Raiyat Sand Mine) Betul,
316, Village-Chikhali Raiyat,Tehsil-Shahpur,District-Betul,
City : Chikhli Ryt,
Dist : Betul, Tal : Shahpur, SIDC : Not In SIDC, Latitude : 22.1208 Longitude : 77.6610

Subject: Grant of Consent to Operate under section 25 of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act,1974 under section 21 of the Air (Prevention & Control of Pollution) Act,1981

Ref: Your Consent to Operate Application Receipt No. 1260186 Dt. 27/01/2023 and last communication received on Dt.24/01/2023

With reference to your above application for consent to operate has been considered under the aforesaid Acts and existing rules therein. The M. P. Pollution Control Board has agreed to grant consent up to ***30/06/2023***, subject to the fulfillment of the terms & conditions, enclosed with this letter and-

SUBJECT TO THE FOLLOWING CONDITIONS :-

a. Location: 316, Village-Chikhali Raiyat,Tehsil-Shahpur,District-Betul , Chikhli Ryt, Shahpur, Betul

b. The capital investment in lakhs: Rs. 70

c. Product & Production Capacity:

Product	Qty / year
Sand Mine	10800.000 Cubic Meter Per Year

Note:-

1. ***For any change in above industry shall obtain fresh consent from the board.***
2. ***Mine management shall be fallowed all the rules and regulations given by EC, Department of Mining Govy. Of M.P. and MOEF and CC Of GoI.***
3. ***Mine management operates mine such a way that Flora Fauna should not be disturbed.***

The Validity of the consent is up to ***30/06/2023*** and has to be renewed before expiry of consent validity. Online application through XGN with annual license fees in this regard shall be submitted to this office 6 months before expiry of the consent/Authorization. Board reserves the right to amend/cancel / revoke the above condition in part or whole as and when required.

Enclosures:-

* Conditions under Water Act
* Conditions under Air Act
* General conditions

Signature Not Verified
Digitally Signed by :
K.N.KATARE, E.E
Date: 30/01/2023 08:57:45 PM

KAILASH NARAYAN KATARE
Regional Officer

(Organic Authentication on AADHAR from UIDAI Server)
TPAV # KA94T854I7

M.P. Pollution Control Board - Chhindwara
RO Office M. P. Pollution control board
Opposite Mulla ji Petrol pump, Parasia Road
Chhindwara
Tele : 0761- 4042780,2647878

CONDITIONS PERTAINING TO WATER (PREVENTION & CONTROL OF POLLUTION) ACT 1974 :-

1. The daily quantity of trade effluent at out fall of the unit shall not exceed 0.100 KL/day, and the daily quantity of sewage at out fall of the unit shall not exceed 0.100 KL/day

2. Trade Effluent Treatment:-
The applicant shall provide comprehensive effluent treatment system as per the proposal submitted to the Board and maintain the same properly to achieve following standards-

pH	Between	5.5 – 9.0
Suspended Solids	Not exceed	100 mg/l.
BOD_3 Days 27 °C	Not exceed	30 mg/l.
COD	Not exceed	250 mg/l.
Oil and grease	Not exceed	10 mg/l.

TDS	Not exceed	2100 mg/l.
Chlorides	Not exceed	1000 mg/l.

For other parameters general standards of discharge as notified under EP Act 1986 shall be applicable.

3. Sewage Treatment :- The applicant shall provide comprehensive sewage treatment system as per the proposal submitted to the Board and maintain the same properly to achieve following standards-

pH	Between	5.5 – 9.0
Suspended Solids	Not exceed	100 mg/l.
BOD_3 Days 27 °C	Not exceed	30 mg/l.
COD	Not exceed	250 mg/l.
Oil and grease	Not exceed	10 mg/l.

Sr	Water Code (Qty in klpd - Kilo Ltr per Day)	WC : 1.000	WWG : 0.200	Water Source	Remark
1	Dust Suppression	2.000	0.000	Tankers	used water tanker

4. Compilation of Monitoring data-
i. Samples and measurements taken to meet the monitoring requirements specified above shall be representative of the volume and nature of monitored discharge.
ii. Following promulgation of guidelines establishing test procedures for the analysis of pollutants, all sampling and analytical methods used to meet the monitoring requirements specified above shall conform to such guidelines unless otherwise specified sampling and analytical methods shall conform to the latest edition of the Indian Standard specifications and where it is not specified the guidelines as per standard methods for the examination of Water and Waste latest edition of the American Public Health Association, New York U.S.A. shall be used.
iii. The applicant shall take samples and measurement to meet the monthly requirements specified above and report online through XGN the same to the Board.

5. Recording of Monitoring Activities & Results-
i. The applicant shall make and maintain online records of all information resulting from monitoring activities by this Consent.
ii. The applicant shall record for each measurement of samples taken pursuant to the requirements of this Consent as follows:
(i) The date, exact place and time of sampling
(ii) The dates on which analysis were performed
(iii)Who performed the analysis?
(iv)The analytical techniques or methods used and
(v)The result of all required analysis
iii. If the applicant monitors any Pollutant more frequently as is by this Consent he shell include the results of such monitoring in the calculation and reporting of values required in the discharge monitoring reports which may be prescribed by the Board. Such increased frequency shall be indicated on the Discharge Monitoring Report Form.
iv. The applicant shall retain for a minimum of 3 years all records of monitoring activities including all records of Calibration and maintenance of instrumentation and original strip chart regarding continuous monitoring instrumentation. The period of retention shall be extended during the course of any unresolved litigation regarding the discharge of pollutants by the applicant or when requested by Central or State Board or the court.

6. Reporting of Monitoring Results:-
Monitoring Information required by this Consent shall be summarized and reported by submitting a Discharge Monitoring report on line to the Board.

M.P. Pollution Control Board - Chhindwara
RO Office M. P. Pollution control board
Opposite Mulla ji Petrol pump, Parasia Road
Chhindwara
Tele : 0761- 4042780,2647878

7. Limitation of discharge of oil Hazardous Substance in harmful quantities:-

The applicant shall not discharge oil or other hazardous substances in quantities defined as harmful in relevant regulations into natural water course. Nothing in this Consent shall be deemed to preclude the institution of any legal action nor relive the applicant from any responsibilities, liabilities, or penalties to which the applicant is or may be subject to clauses.

8. Limitation of visible floating solids and foam:

During the period beginning date of issuance the applicant shall not discharge floating solids or visible foam.

9. Disposal of Collected Solid waste/sludge-

All hazardous waste/sludge shall be disposed of as per the Authorization issued under Hazardous & other waste (M&TM) Rules 2016. And/other Solids Sludges, dirt, silt or other pollutant separated from or resulting from treatment shall be disposed of in such a manner as to prevent any pollutant from such materials from entering any such water Any live fish, Shall fish or other animal collected or trapped as a result of intake water screening or treatment may be returned to eaters body habitat.

10. Provision for Electric Power Failure-

The applicant shall assure to the consent issuing authority that the applicant has installed or provided for an alternative electric power source sufficient to operate all facilities utilized by the applicant to maintain compliance with the terms and conditions of the Consent.

11. Prohibition of By pass system of treatment facilities-

The diversion or by-pass of any discharge from facilities utilized by the applicant to maintain compliance with the terms and conditions of this Consent in prohibited except :

i. where unavoidable to prevent loss of life or severe property damage, or

ii. Where excessive storm drainage or run off would damage any facilities necessary for compliance with the terms and conditions of this Consent. The applicant shall immediately notify the consent issuing authorities in writing of each such diversion or by-pass in accordance with the procedure specified above for reporting non-compliance.

12. Industry/Institute/mine management shall submit the information online through XGN in reference to compliance of consent conditions.

M.P. Pollution Control Board - Chhindwara
RO Office M. P. Pollution control board
Opposite Mulla ji Petrol pump, Parasia Road
Chhindwara
Tele : 0761- 4042780,2647878

CONDITIONS PERTAINING TO AIR (PREVENTION & CONTROL OF POLLUTION) ACT 1981 :-

1. The applicant shall provide comprehensive air pollution control system consisting of control equipments as per the proposal submitted to the Board with reference to generation of emission and same shall be operated & maintained continuously so as to achieve the level of pollutants to the following standards:-

2. Ambient air quality at the boundary of the industry/unit premises shall be monitored and reported to the Board regularly on quarterly basis: The Ambient air quality norms are prescribed in MoEF gazette notification no. GSR/826(E), dated: 16/11/09. Some of the parameters are as follows:

a. Particulate Matter (less than 10 micron) - 100 µg/m³ (PM10 µg/m³ 24 hrs. basis)

b. Particulate Matter (less than 2.5 micron) - 60 µg/m³ (PM2.5 µg/m³ 24 hrs. basis)

c. Sulphur Dioxide [SO2] (24 hrs. Basis) - 80 µg/m³

d. Nitrogen Oxides [NOx] (24 hrs. Basis) - 80 µg/m³

e. Carbon Monoxide [CO] (8 hrs. Basis) - 2000 µg/m³

3. The industry shall take adequate measures for control of noise level generated from industrial activities within the premises less than 75 dB(A) during day time and 70 dB(A) during night time.

4. All the internal roads shall be made pucca to control the fugitive emissions of particulate matter generated due to transportation and internal movements. Good housekeeping practices shall be adopted to avoid leakages, seepages, spillages etc.

(Minimum number of plants to be planted by the unit:-500)

M.P. Pollution Control Board - Chhindwara
RO Office M. P. Pollution control board
Opposite Mulla ji Petrol pump, Parasia Road
Chhindwara
Tele : 0761- 4042780,2647878

GENERAL CONDITIONS:

1. The non hazardous solid waste arresting in the industry/unit/unit premises sweeping, etc. be disposed off scientifically so as not to cause any nuisance/pollution. The applicant shall take necessary permission from civic authorities for disposal to dumping site. If required.

Non Hazardous Solid wastes:-

Type of waste	Quantity	Disposal
Scrap/ Plastic packing material wood, card board, gunny begs etc		Sale to authorized party/As Per CPCB. MoEF Guide lines / Others.

2. The applicant shall allow the staff of Madhya Pradesh Pollution Control Board and/or their authorized representative, upon the representation of credentials:
a. To inspect raw material stock, manufacturing processes, reactors, premises etc to perform the functions of the Board.
b. To enter upon the applicant's premises where an effluent source is located or in which any records are required to be kept under the terms and conditions of this Consent.
c. To have access at reasonable times to any records required to be kept under the terms and conditions of this Consent.
d. To inspect at reasonable times any monitoring equipment or monitoring method required in this Consent: or,
e. To sample at reasonable times any discharge or pollutants.

3. This consent / authorisation is transferable in nature, in case of any change in ownership / management, the new owner / partner / directors / proprietor shall immediately apply for the consent with new requisite information.

4. The issuance of this Consent does not convey any property rights in either real or personal property or any exclusive privileges, nor does it authorise any invasion of personal rights, nor any infringement of Central, State or local laws or regulations.

5. This consent is granted in respect of Water pollution control Act 1974 or Air Pollution Control act, 1981 or Authorization under the provisions of Hazardous and other Waste (Management & Transboundary movement) Rules 2016 only and does not relate to any other Department/Agencies. License required from other Department/Agencies have to be obtained by the unit separately and have to comply separately as per there Act / Rules.

6. Balance consent/authorisation fee, if any shall be recoverable by the Board even at a later date.

7. The applicant shall submit such information, forms and fees as required by the board not letter than 180 day prior to the date of expiration of this consent/authorisation

8. Knowingly making any false statement for obtaining consent or compliance of consent conditions shall result in the imposition of criminal penalties as provided under the section 42(g) of the Water Act or section 38 (g) of the Air Act.

9. After notice and opportunity for the hearing, this consent may be modified, suspended or revoked by the Board in whole or in part during its term for cause including, but not limited to, the following :
(a) Violation of any terms and conditions of this Consent.
(b) Obtaining this Consent by misrepresentation of failure to disclose fully all relevant facts.
(c) A change in any condition that requires temporary or permanent reduction or elimination of the authorized discharge.

10. On violation of any of the above-mentioned conditions the consent granted will automatically be taken as canceled and necessary action will be initiated against the industry.

Additional condition:-

Consent/authorization as required under the Water (Prevention & Control of Pollution) Act,1974 , The Air (Prevention & Control of Pollution) Act,1981is granted to your industry subject to fulfillment of all the conditions mentioned above. For renewal purpose you shall have to make an application to this Board through XGN at least Six months before the date of expiry of this consent/authorisation. The applicant without valid consent (for operation) of the Board shall not bring in to use any outlet for the discharge of effluent and gaseous emission.

(Organic Authentication on AADHAR from UIDAI Server)
TPAV # KA94T854I7

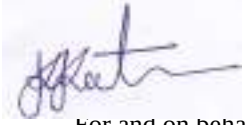

For and on behalf of
M.P. Pollution Control Board
KAILASH NARAYAN KATARE
Regional Officer

Consent No:AW-109451

Consent Order

1195

M.P. Pollution Control Board - Chhindwara
RO Office M. P. Pollution control board
Opposite Mulla ji Petrol pump, Parasia Road
Chhindwara
Tele : 0761- 4042780,2647878

RED-SMALL	CCA-Fresh	Validity A/W: 30/06/2023	PCB ID: 152927

Outward No:16354,27/01/2023 **Consent No:AW-109394**
NO: /MPPCB/CHW

To,

The Occupier,
M/s. National Energy Trading And Services Limited (Nandu Sand Mine) Betul.,
91, Village Nandu,Tehsil-Ghodadongari,District-Betul,
City : Nandu,
Dist : Betul, Tal : Ghoradongari, SIDC : Not In SIDC, Latitude : 22.0439 Longitude : 77.9886

Subject: Grant of Consent to Operate under section 25 of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act,1974 under section 21 of the Air (Prevention & Control of Pollution) Act,1981

Ref: Your Consent to Operate Application Receipt No. 1260063 Dt. 27/01/2023 and last communication received on Dt.24/01/2023

With reference to your above application for consent to operate has been considered under the aforesaid Acts and existing rules therein. The M. P. Pollution Control Board has agreed to grant consent up to 30/06/2023, subject to the fulfillment of the terms & conditions, enclosed with this letter and-

SUBJECT TO THE FOLLOWING CONDITIONS :-

a. Location: 91, Village Nandu,Tehsil-Ghodadongari,District-Betul , Nandu, Ghoradongari, Betul

b. The capital investment in lakhs: Rs. 80

c. Product & Production Capacity:

Product	Qty / year
Sand Mine	13500.000 Cubic Meter Per Year

Note:- 1. For any change in above industry shall obtain fresh consent from the board.
2. Mine management shall be fallowed all the rules and regulations given by EC, Department of Mining Govy. Of M.P. and MOEF and CC Of Goi.
3. Mine management operate mine such a way that Flora Fiona should not be Distourb.

The Validity of the consent is up to **30/06/2023** and has to be renewed before expiry of consent validity. Online application through XGN with annual license fees in this regard shall be submitted to this office 6 months before expiry of the consent/Authorization. Board reserves the right to amend/cancel / revoke the above condition in part or whole as and when required.

Enclosures:-
* Conditions under Water Act
* Conditions under Air Act
* General conditions

Signature Not Verified
Digitally Signed by :
K.N.KATARE, E.E
Date: 27/01/2023 08:00:59 PM

KAILASH NARAYAN KATARE
Regional Officer

(Organic Authentication on AADHAR from UIDAI Server)
TPAV # HUEWI77A17

M.P. Pollution Control Board - Chhindwara
RO Office M. P. Pollution control board
Opposite Mulla ji Petrol pump, Parasia Road
Chhindwara
Tele : 0761- 4042780,2647878

CONDITIONS PERTAINING TO WATER (PREVENTION & CONTROL OF POLLUTION) ACT 1974 :-

1. The daily quantity of trade effluent at out fall of the unit shall not exceed 0.000 KL/day, and the daily quantity of sewage at out fall of the unit shall not exceed 0.000 KL/day

2. Trade Effluent Treatment:-
The applicant shall provide comprehensive effluent treatment system as per the proposal submitted to the Board and maintain the same properly to achieve following standards-

pH	Between	5.5 – 9.0
Suspended Solids	Not exceed	100 mg/l.
BOD_3 Days 27 °C	Not exceed	30 mg/l.
COD	Not exceed	250 mg/l.
Oil and grease	Not exceed	10 mg/l.

TDS	Not exceed	2100 mg/l.
Chlorides	Not exceed	1000 mg/l.

For other parameters general standards of discharge as notified under EP Act 1986 shall be applicable.

3. Sewage Treatment :- The applicant shall provide comprehensive sewage treatment system as per the proposal submitted to the Board and maintain the same properly to achieve following standards-

pH	Between	5.5 – 9.0
Suspended Solids	Not exceed	100 mg/l.
BOD_3 Days 27 °C	Not exceed	30 mg/l.
COD	Not exceed	250 mg/l.
Oil and grease	Not exceed	10 mg/l.

Sr	Water Code (Qty in klpd - Kilo Ltr per Day)	WC : 2.000	WWG : 0.000	Water Source	Remark
1	Dust Suppression	2.000	0.000	Tankers	used water tanker

4. The effluent shall be treated up to prescribed Standards and reuse in the process, for cooling and for green belt devolvement/gardening within premises. Hence zero discharge condition shall be practiced. In no case treated effluent shall be discharged outside of industry/unit premises.

5. Water meter preferably electromagnetic/ultrasonic type with digital flow recording facilities shall be installed separately for category wise consumption of water for Industrial cooling/boiler feed, mine spray, process & domestic purposes and data shall be submitted online through XGN monthly patrak/statements. The industry/unit shall also monitor the treated wastewater flow and report the same online through monthly patrak/statements.

6. Any change in production capacity, process, raw material used etc. and for any enhancement of the above prior permission of the Board shall be obtained. All authorized discharges shall be consistent with terms and conditions of this consent. Facility expansions, production increases or process modifications which result new or increased discharges of pollutants must be reported by submission of a fresh consent application for prior permission of the Board

7. All treatment/control facilities/systems installed or used by the applicant shall be regularly maintained in good working order and operate effectively/efficiently to achieve compliance of the terms and conditions of this consent

8. The Consent does not authorize or approve the Construction of any physical structures or facilities or the undertaking of any work in any water course or within its high flood level (HFL) area

9. The specific effluent limitations and pollution control systems applicable to the discharge permitted herein are set forth as above conditions.

10. Compilation of Monitoring data-
i. Samples and measurements taken to meet the monitoring requirements specified above shall be representative of the volume and nature of monitored discharge.
ii. Following promulgation of guidelines establishing test procedures for the analysis of pollutants, all sampling and analytical methods used to meet the monitoring requirements specified above shall conform to such guidelines unless otherwise specified sampling and analytical methods shall conform to the latest edition of the Indian Standard specifications and where it is not specified the guidelines as per standard methods for the examination of Water and Waste latest edition of the American Public Health Association, New York U.S.A. shall be used.
iii. The applicant shall take samples and measurement to meet the monthly requirements specified above and report online

M.P. Pollution Control Board - Chhindwara
RO Office M. P. Pollution control board
Opposite Mulla ji Petrol pump, Parasia Road
Chhindwara
Tele : 0761- 4042780,2647878

through XGN the same to the Board.

11. Recording of Monitoring Activities & Results-
i. The applicant shall make and maintain online records of all information resulting from monitoring activities by this Consent.
ii. The applicant shall record for each measurement of samples taken pursuant to the requirements of this Consent as follows:

(i) The date, exact place and time of sampling
(ii) The dates on which analysis were performed
(iii)Who performed the analysis?
(iv)The analytical techniques or methods used and
(v)The result of all required analysis

iii. If the applicant monitors any Pollutant more frequently as is by this Consent he shell include the results of such monitoring in the calculation and reporting of values required in the discharge monitoring reports which may be prescribed by the Board. Such increased frequency shall be indicated on the Discharge Monitoring Report Form.
iv. The applicant shall retain for a minimum of 3 years all records of monitoring activities including all records of Calibration and maintenance of instrumentation and original strip chart regarding continuous monitoring instrumentation. The period of retention shall be extended during the course of any unresolved litigation regarding the discharge of pollutants by the applicant or when requested by Central or State Board or the court.

12. Reporting of Monitoring Results:-
Monitoring Information required by this Consent shall be summarized and reported by submitting a Discharge Monitoring report on line to the Board.

13. Limitation of discharge of oil Hazardous Substance in harmful quantities:-
The applicant shall not discharge oil or other hazardous substances in quantities defined as harmful in relevant regulations into natural water course. Nothing in this Consent shall be deemed to preclude the institution of any legal action nor relive the applicant from any responsibilities, liabilities, or penalties to which the applicant is or may be subject to clauses.

14. Limitation of visible floating solids and foam:
During the period beginning date of issuance the applicant shall not discharge floating solids or visible foam.

15. Disposal of Collected Solid waste/sludge-
All hazardous waste/sludge shall be disposed of as per the Authorization issued under Hazardous & other waste (M&TM) Rules 2016. And/other Solids Sludges, dirt, silt or other pollutant separated from or resulting from treatment shall be disposed of in such a manner as to prevent any pollutant from such materials from entering any such water Any live fish, Shall fish or other animal collected or trapped as a result of intake water screening or treatment may be returned to eaters body habitat.

16. Provision for Electric Power Failure-
The applicant shall assure to the consent issuing authority that the applicant has installed or provided for an alternative electric power source sufficient to operate all facilities utilized by the applicant to maintain compliance with the terms and conditions of the Consent.

17. Prohibition of By pass system of treatment facilities-
The diversion or by-pass of any discharge from facilities utilized by the applicant to maintain compliance with the terms and conditions of this Consent in prohibited except :
i. where unavoidable to prevent loss of life or severe property damage, or
ii. Where excessive storm drainage or run off would damage any facilities necessary for compliance with the terms and conditions of this Consent. The applicant shall immediately notify the consent issuing authorities in writing of each such diversion or by-pass in accordance with the procedure specified above for reporting non-compliance.

18. Industry/Institute/mine management shall submit the information online through XGN in reference to compliance of consent conditions.

Additional Water condition:-

This Certificate generated from xgn.mp.nic.in are valid and does not require physical signatures, the certificate can be validated online from xgn.mp.nic.in using "TPAV" Number.

M.P. Pollution Control Board - Chhindwara
RO Office M. P. Pollution control board
Opposite Mulla ji Petrol pump, Parasia Road
Chhindwara
Tele : 0761- 4042780,2647878

CONDITIONS PERTAINING TO AIR (PREVENTION & CONTROL OF POLLUTION) ACT 1981 :-

1. The applicant shall provide comprehensive air pollution control system consisting of control equipments as per the proposal submitted to the Board with reference to generation of emission and same shall be operated & maintained continuously so as to achieve the level of pollutants to the following standards:-

2. Ambient air quality at the boundary of the industry/unit premises shall be monitored and reported to the Board regularly on quarterly basis: The Ambient air quality norms are prescribed in MoEF gazette notification no. GSR/826(E), dated: 16/11/09. Some of the parameters are as follows:

a. Particulate Matter (less than 10 micron) - 100 µg/m³ (PM10 µg/m³ 24 hrs. basis)
b. Particulate Matter (less than 2.5 micron) - 60 µg/m³ (PM2.5 µg/m³ 24 hrs. basis)
c. Sulphur Dioxide [SO2] (24 hrs. Basis) - 80 µg/m³
d. Nitrogen Oxides [NOx] (24 hrs. Basis) - 80 µg/m³
e. Carbon Monoxide [CO] (8 hrs. Basis) - 2000 µg/m³

3. The industry shall take adequate measures for control of noise level generated from industrial activities within the premises less than 75 dB(A) during day time and 70 dB(A) during night time.

4. The industry/unit shall make the necessary arrangements for control of the fugitive emission from any source of emission/section/activities.

5. All other fugitive emission sources such as leakages, seepages, spillages etc shall be ensured to be plugged or sealed or made airtight to avoid the public nuisance.

6. The industry/ unit shall ensure all necessary arrangements for control of odour nuisance from the industrial activities or process within premises

7. All the internal roads shall be made pucca to control the fugitive emissions of particulate matter generated due to transportation and internal movements. Good housekeeping practices shall be adopted to avoid leakages, seepages, spillages etc.

(Minimum number of plants to be planted by the unit:-500)

GENERAL CONDITIONS:

1. The non hazardous solid waste arresting in the industry/unit/unit premises sweeping, etc. be disposed off scientifically so as not to cause any nuisance/pollution. The applicant shall take necessary permission from civic authorities for disposal to dumping site. If required.

Non Hazardous Solid wastes:-

Type of waste	Quantity	Disposal
Scrap/ Plastic packing material wood, card board, gunny begs etc		Sale to authorized party/As Per CPCB. MoEF Guide lines / Others.

2. The applicant shall allow the staff of Madhya Pradesh Pollution Control Board and/or their authorized representative, upon the representation of credentials:

a. To inspect raw material stock, manufacturing processes, reactors, premises etc to perform the functions of the Board.

b. To enter upon the applicant's premises where an effluent source is located or in which any records are required to be kept under the terms and conditions of this Consent.

c. To have access at reasonable times to any records required to be kept under the terms and conditions of this Consent.

d. To inspect at reasonable times any monitoring equipment or monitoring method required in this Consent: or,

e. To sample at reasonable times any discharge or pollutants.

3. This consent / authorisation is transferable in nature, in case of any change in ownership / management, the new owner / partner / directors / proprietor shall immediately apply for the consent with new requisite information.

M.P. Pollution Control Board - Chhindwara
RO Office M. P. Pollution control board
Opposite Mulla ji Petrol pump, Parasia Road
Chhindwara
Tele : 0761- 4042780,2647878

4. The issuance of this Consent does not convey any property rights in either real or personal property or any exclusive privileges, nor does it authorise any invasion of personal rights, nor any infringement of Central, State or local laws or regulations.

5. This consent is granted in respect of Water pollution control Act 1974 or Air Pollution Control act, 1981 or Authorization under the provisions of Hazardous and other Waste (Management & Transboundary movement) Rules 2016 only and does not relate to any other Department/Agencies. License required from other Department/Agencies have to be obtained by the unit separately and have to comply separately as per there Act / Rules.

6. Balance consent/authorisation fee, if any shall be recoverable by the Board even at a later date.

7. The applicant shall submit such information, forms and fees as required by the board not letter than 180 day prior to the date of expiration of this consent/authorisation

8. Knowingly making any false statement for obtaining consent or compliance of consent conditions shall result in the imposition of criminal penalties as provided under the section 42(g) of the Water Act or section 38 (g) of the Air Act.

9. After notice and opportunity for the hearing, this consent may be modified, suspended or revoked by the Board in whole or in part during its term for cause including, but not limited to, the following :

(a) Violation of any terms and conditions of this Consent.
(b) Obtaining this Consent by misrepresentation of failure to disclose fully all relevant facts.
(c) A change in any condition that requires temporary or permanent reduction or elimination of the authorized discharge.

10. On violation of any of the above-mentioned conditions the consent granted will automatically be taken as canceled and necessary action will be initiated against the industry.

Consent/authorization as required under the Water (Prevention & Control of Pollution) Act,1974 , The Air (Prevention & Control of Pollution) Act,1981is granted to your industry subject to fulfillment of all the conditions mentioned above. For renewal purpose you shall have to make an application to this Board through XGN at least Six months before the date of expiry of this consent/authorisation. The applicant without valid consent (for operation) of the Board shall not bring in to use any outlet for the discharge of effluent and gaseous emission.

For and on behalf of
M.P. Pollution Control Board

(Organic Authentication on AADHAR from UIDAI Server)
TPAV # HUEWI77A17

KAILASH NARAYAN KATARE
Regional Officer

Consent No:AW-109394

Consent Order

1201

M.P. Pollution Control Board - Chhindwara
RO Office M. P. Pollution control board
Opposite Mulla ji Petrol pump, Parasia Road
Chhindwara
Tele : 0761- 4042780,2647878

RED-SMALL	CCA-Fresh	VALIDITY A/W : 30/06/2023	PCB ID: 152930

Outward No:16355,27/01/2023 **Consent No:AW-109395**

NO: /MPPCB/CHW

To,

The Occupier,
M/s. National Energy Trading And Services Limited (Tanganamal Sand Mine) Betul,
209, Village Tanganamal,Tehsil-Shahpur,District-Betul,
City : Tangna Mal,
Dist : Betul, Tal : Shahpur, SIDC : Not In SIDC, Latitude : 22.1795 Longitude : 77.6381

Subject: Grant of Consent to Operate under section 25 of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act,1974 under section 21 of the Air (Prevention & Control of Pollution) Act,1981

Ref: Your Consent to Operate Application Receipt No. 1260064 Dt. 27/01/2023 and last communication received on Dt.24/01/2023

With reference to your above application for consent to operate has been considered under the aforesaid Acts and existing rules therein. The M. P. Pollution Control Board has agreed to grant consent up to **30/06/2023**, subject to the fulfillment of the terms & conditions, enclosed with this letter and-

SUBJECT TO THE FOLLOWING CONDITIONS :-

a. Location: 209, Village Tanganamal,Tehsil-Shahpur,District-Betul , Tangna Mal, Shahpur, Betul

b. The capital investment in lakhs: Rs. 150

c. Product & Production Capacity:

Product	Qty / year
Sand Mine	**25200.000 Cubic Meter Per Year**

Note:- 1. For any change in above industry shall obtain fresh consent from the board.
2. Mine management shall be fallowed all the rules and regulations given by EC, Department of Mining Govy. Of M.P. and MOEF and CC Of Goi.
3. Mine management operate mine such a way that Flora Fiona should not be Distourb.

The Validity of the consent is up to 30/06/2023 and has to be renewed before expiry of consent validity. Online application through XGN with annual license fees in this regard shall be submitted to this office 6 months before expiry of the consent/Authorization. Board reserves the right to amend/cancel / revoke the above condition in part or whole as and when required.

Enclosures:-

* Conditions under Water Act
* Conditions under Air Act

* General conditions

eSign Signing from UIDAI Server Digitally Sign with Aadhaar

Signature Not Verified
Digitally Signed by :
K.N.KATARE, E.E
Date: 27/01/2023 08:02:24 PM

KAILASH NARAYAN KATARE
Regional Officer

(Organic Authentication on AADHAR from UIDAI Server)
TPAV # AV13BV6MVF

M.P. Pollution Control Board - Chhindwara
RO Office M. P. Pollution control board
Opposite Mulla ji Petrol pump, Parasia Road
Chhindwara
Tele : 0761- 4042780,2647878

CONDITIONS PERTAINING TO WATER (PREVENTION & CONTROL OF POLLUTION) ACT 1974 :-

1. The daily quantity of trade effluent at out fall of the unit shall not exceed 0.000 KL/day, and the daily quantity of sewage at out fall of the unit shall not exceed 0.000 KL/day

2. Trade Effluent Treatment:-
The applicant shall provide comprehensive effluent treatment system as per the proposal submitted to the Board and maintain the same properly to achieve following standards-

pH	Between	5.5 – 9.0
Suspended Solids	Not exceed	100 mg/l.
BOD_3 Days 27 °C	Not exceed	30 mg/l.
COD	Not exceed	250 mg/l.
Oil and grease	Not exceed	10 mg/l.

TDS	Not exceed	2100 mg/l.
Chlorides	Not exceed	1000 mg/l.

For other parameters general standards of discharge as notified under EP Act 1986 shall be applicable.

3. Sewage Treatment :- The applicant shall provide comprehensive sewage treatment system as per the proposal submitted to the Board and maintain the same properly to achieve following standards-

pH	Between	5.5 – 9.0
Suspended Solids	Not exceed	100 mg/l.
BOD_3 Days 27 °C	Not exceed	30 mg/l.
COD	Not exceed	250 mg/l.
Oil and grease	Not exceed	10 mg/l.

Sr	Water Code (Qty in klpd - Kilo Ltr per Day)	WC : 2.000	WWG : 0.000	Water Source	Remark
1	Dust Suppression	2.000	0.000	Tankers	

4. The effluent shall be treated up to prescribed Standards and reuse in the process, for cooling and for green belt devolvement/gardening within premises. Hence zero discharge condition shall be practiced. In no case treated effluent shall be discharged outside of industry/unit premises.

5. Water meter preferably electromagnetic/ultrasonic type with digital flow recording facilities shall be installed separately for category wise consumption of water for Industrial cooling/boiler feed, mine spray, process & domestic purposes and data shall be submitted online through XGN monthly patrak/statements. The industry/unit shall also monitor the treated wastewater flow and report the same online through monthly patrak/statements.

6. Any change in production capacity, process, raw material used etc. and for any enhancement of the above prior permission of the Board shall be obtained. All authorized discharges shall be consistent with terms and conditions of this consent. Facility expansions, production increases or process modifications which result new or increased discharges of pollutants must be reported by submission of a fresh consent application for prior permission of the Board

7. All treatment/control facilities/systems installed or used by the applicant shall be regularly maintained in good working order and operate effectively/efficiently to achieve compliance of the terms and conditions of this consent

8. The Consent does not authorize or approve the Construction of any physical structures or facilities or the undertaking of any work in any water course or within its high flood level (HFL) area

9. The specific effluent limitations and pollution control systems applicable to the discharge permitted herein are set forth as above conditions.

10. Compilation of Monitoring data-
i. Samples and measurements taken to meet the monitoring requirements specified above shall be representative of the volume and nature of monitored discharge.
ii. Following promulgation of guidelines establishing test procedures for the analysis of pollutants, all sampling and analytical methods used to meet the monitoring requirements specified above shall conform to such guidelines unless otherwise specified sampling and analytical methods shall conform to the latest edition of the Indian Standard specifications and where it is not specified the guidelines as per standard methods for the examination of Water and Waste latest edition of the American Public Health Association, New York U.S.A. shall be used.
iii. The applicant shall take samples and measurement to meet the monthly requirements specified above and report online

M.P. Pollution Control Board - Chhindwara
RO Office M. P. Pollution control board
Opposite Mulla ji Petrol pump, Parasia Road
Chhindwara
Tele : 0761- 4042780,2647878

through XGN the same to the Board.

11. Recording of Monitoring Activities & Results-
i. The applicant shall make and maintain online records of all information resulting from monitoring activities by this Consent.
ii. The applicant shall record for each measurement of samples taken pursuant to the requirements of this Consent as follows:

(i) The date, exact place and time of sampling
(ii) The dates on which analysis were performed
(iii)Who performed the analysis?
(iv)The analytical techniques or methods used and
(v)The result of all required analysis

iii. If the applicant monitors any Pollutant more frequently as is by this Consent he shell include the results of such monitoring in the calculation and reporting of values required in the discharge monitoring reports which may be prescribed by the Board. Such increased frequency shall be indicated on the Discharge Monitoring Report Form.
iv. The applicant shall retain for a minimum of 3 years all records of monitoring activities including all records of Calibration and maintenance of instrumentation and original strip chart regarding continuous monitoring instrumentation. The period of retention shall be extended during the course of any unresolved litigation regarding the discharge of pollutants by the applicant or when requested by Central or State Board or the court.

12. Reporting of Monitoring Results:-
Monitoring Information required by this Consent shall be summarized and reported by submitting a Discharge Monitoring report on line to the Board.

13. Limitation of discharge of oil Hazardous Substance in harmful quantities:-
The applicant shall not discharge oil or other hazardous substances in quantities defined as harmful in relevant regulations into natural water course. Nothing in this Consent shall be deemed to preclude the institution of any legal action nor relive the applicant from any responsibilities, liabilities, or penalties to which the applicant is or may be subject to clauses.

14. Limitation of visible floating solids and foam:
During the period beginning date of issuance the applicant shall not discharge floating solids or visible foam.

15. Disposal of Collected Solid waste/sludge-
All hazardous waste/sludge shall be disposed of as per the Authorization issued under Hazardous & other waste (M&TM) Rules 2016. And/other Solids Sludges, dirt, silt or other pollutant separated from or resulting from treatment shall be disposed of in such a manner as to prevent any pollutant from such materials from entering any such water Any live fish, Shall fish or other animal collected or trapped as a result of intake water screening or treatment may be returned to eaters body habitat.

16. Provision for Electric Power Failure-
The applicant shall assure to the consent issuing authority that the applicant has installed or provided for an alternative electric power source sufficient to operate all facilities utilized by the applicant to maintain compliance with the terms and conditions of the Consent.

17. Prohibition of By pass system of treatment facilities-
The diversion or by-pass of any discharge from facilities utilized by the applicant to maintain compliance with the terms and conditions of this Consent in prohibited except :
i. where unavoidable to prevent loss of life or severe property damage, or
ii. Where excessive storm drainage or run off would damage any facilities necessary for compliance with the terms and conditions of this Consent. The applicant shall immediately notify the consent issuing authorities in writing of each such diversion or by-pass in accordance with the procedure specified above for reporting non-compliance.

18. Industry/Institute/mine management shall submit the information online through XGN in reference to compliance of consent conditions.

Additional Water condition:-

M.P. Pollution Control Board - Chhindwara
RO Office M. P. Pollution control board
Opposite Mulla ji Petrol pump, Parasia Road
Chhindwara
Tele : 0761- 4042780,2647878

CONDITIONS PERTAINING TO AIR (PREVENTION & CONTROL OF POLLUTION) ACT 1981 :-

1. The applicant shall provide comprehensive air pollution control system consisting of control equipments as per the proposal submitted to the Board with reference to generation of emission and same shall be operated & maintained continuously so as to achieve the level of pollutants to the following standards:-

2. Ambient air quality at the boundary of the industry/unit premises shall be monitored and reported to the Board regularly on quarterly basis: The Ambient air quality norms are prescribed in MoEF gazette notification no. GSR/826(E), dated: 16/11/09. Some of the parameters are as follows:

a. Particulate Matter (less than 10 micron) - 100 µg/m³ (PM10 µg/m³ 24 hrs. basis)
b. Particulate Matter (less than 2.5 micron) - 60 µg/m³ (PM2.5 µg/m³ 24 hrs. basis)
c. Sulphur Dioxide [SO2] (24 hrs. Basis) - 80 µg/m³
d. Nitrogen Oxides [NOx] (24 hrs. Basis) - 80 µg/m³
e. Carbon Monoxide [CO] (8 hrs. Basis) - 2000 µg/m³

3. The industry shall take adequate measures for control of noise level generated from industrial activities within the premises less than 75 dB(A) during day time and 70 dB(A) during night time.

4. The industry/unit shall make the necessary arrangements for control of the fugitive emission from any source of emission/section/activities.

5. All other fugitive emission sources such as leakages, seepages, spillages etc shall be ensured to be plugged or sealed or made airtight to avoid the public nuisance.

6. The industry/ unit shall ensure all necessary arrangements for control of odour nuisance from the industrial activities or process within premises

7. All the internal roads shall be made pucca to control the fugitive emissions of particulate matter generated due to transportation and internal movements. Good housekeeping practices shall be adopted to avoid leakages, seepages, spillages etc.

(Minimum number of plants to be planted by the unit:-500)

GENERAL CONDITIONS:

1. The non hazardous solid waste arresting in the industry/unit/unit premises sweeping, etc. be disposed off scientifically so as not to cause any nuisance/pollution. The applicant shall take necessary permission from civic authorities for disposal to dumping site. If required.

Non Hazardous Solid wastes:-

Type of waste	Quantity	Disposal
Scrap/ Plastic packing material wood, card board, gunny begs etc		Sale to authorized party/As Per CPCB. MoEF Guide lines / Others.

2. The applicant shall allow the staff of Madhya Pradesh Pollution Control Board and/or their authorized representative, upon the representation of credentials:

a. To inspect raw material stock, manufacturing processes, reactors, premises etc to perform the functions of the Board.

b. To enter upon the applicant's premises where an effluent source is located or in which any records are required to be kept under the terms and conditions of this Consent.

c. To have access at reasonable times to any records required to be kept under the terms and conditions of this Consent.

d. To inspect at reasonable times any monitoring equipment or monitoring method required in this Consent: or,

e. To sample at reasonable times any discharge or pollutants.

3. This consent / authorisation is transferable in nature, in case of any change in ownership / management, the new owner / partner / directors / proprietor shall immediately apply for the consent with new requisite information.

M.P. Pollution Control Board - Chhindwara
RO Office M. P. Pollution control board
Opposite Mulla ji Petrol pump, Parasia Road
Chhindwara
Tele : 0761- 4042780,2647878

4. The issuance of this Consent does not convey any property rights in either real or personal property or any exclusive privileges, nor does it authorise any invasion of personal rights, nor any infringement of Central, State or local laws or regulations.

5. This consent is granted in respect of Water pollution control Act 1974 or Air Pollution Control act, 1981 or Authorization under the provisions of Hazardous and other Waste (Management & Transboundary movement) Rules 2016 only and does not relate to any other Department/Agencies. License required from other Department/Agencies have to be obtained by the unit separately and have to comply separately as per there Act / Rules.

6. Balance consent/authorisation fee, if any shall be recoverable by the Board even at a later date.

7. The applicant shall submit such information, forms and fees as required by the board not letter than 180 day prior to the date of expiration of this consent/authorisation

8. Knowingly making any false statement for obtaining consent or compliance of consent conditions shall result in the imposition of criminal penalties as provided under the section 42(g) of the Water Act or section 38 (g) of the Air Act.

9. After notice and opportunity for the hearing, this consent may be modified, suspended or revoked by the Board in whole or in part during its term for cause including, but not limited to, the following :

(a) Violation of any terms and conditions of this Consent.
(b) Obtaining this Consent by misrepresentation of failure to disclose fully all relevant facts.
(c) A change in any condition that requires temporary or permanent reduction or elimination of the authorized discharge.

10. On violation of any of the above-mentioned conditions the consent granted will automatically be taken as canceled and necessary action will be initiated against the industry.

Consent/authorization as required under the Water (Prevention & Control of Pollution) Act,1974 , The Air (Prevention & Control of Pollution) Act,1981is granted to your industry subject to fulfillment of all the conditions mentioned above. For renewal purpose you shall have to make an application to this Board through XGN at least Six months before the date of expiry of this consent/authorisation. The applicant without valid consent (for operation) of the Board shall not bring in to use any outlet for the discharge of effluent and gaseous emission.

For and on behalf of
M.P. Pollution Control Board

KAILASH NARAYAN KATARE
Regional Officer

(Organic Authentication on AADHAR from UIDAI Server)
TPAV # AV13BV6MVF

Consent No:AW-109395

Consent Order

1207

M.P. Pollution Control Board - Chhindwara
RO Office M. P. Pollution control board
Opposite Mulla ji Petrol pump, Parasia Road
Chhindwara
Tele : 0761- 4042780,2647878

RED-SMALL	CCA-Fresh	Validity : 30/06/2023	PCB ID: 154321

Outward No:16490 20/04/2023 Consent No:AW-112115

NO: /MPPCB/CHW

To,

The Occupier,

M/s. National Energy Trading And Services Limited (Loniya Sand Mine) Betul,,

179, Village-Loniya,Tehsil-Ghodagogri Distt-Betul,

City : Loniya Ryt,

Dist : Betul, Tal : Ghoradongari, SIDC : Not In SIDC, Latitude : 22.1153 Longitude : 78.2093

Subject: Grant of Consent to Operate under section 25 of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act,1974 under section 21 of the Air (Prevention & Control of Pollution) Act,1981

Ref: Your Consent to Operate Application Receipt No. 1264150 Dt. 14/04/2023 and last communication received on Dt.11/04/2023

With reference to your above application for consent to operate has been considered under the aforesaid Acts and existing rules therein. The M. P. Pollution Control Board has agreed to grant consent up to ***30/06/2023***, subject to the fulfillment of the terms & conditions, enclosed with this letter and-

SUBJECT TO THE FOLLOWING CONDITIONS :-

a. Location: 179, Village-Loniya,Tehsil-Ghodagogri Distt-Betul , Loniya Ryt, Ghoradongari, Betul

b. The capital investment in lakhs: Rs. 88

c. Product & Production Capacity:

Product	Qty / year
Sand Mine	15000.000 MT^3 (Fifteen Thousand Cubic Meter per Year)

Note:- 1. For any change in above industry shall obtain fresh consent from the board.

2. Mine management shall be follow all the Rules and Regulation mentioned in EC, GOI MOEF and Department of state mining corporation , State mining Department of M.P. Govt. and as per any other Amendment shall be enforced in forth coming future.

The Validity of the consent is up to 30/06/2023 and has to be renewed before expiry of consent validity. Online application through XGN with annual license fees in this regard shall be submitted to this office 6 months before expiry of the consent/Authorization. Board reserves the right to amend/cancel / revoke the above condition in part or whole as and when required.

Enclosures:-

* Conditions under Water Act

* Conditions under Air Act

tions

Signature Not Verified
Digitally Signed by :
K.N.KATARE, E.E
Date: 20/04/2023 06:33:40 PM

KAILASH NARAYAN KATARE
Regional Officer

(Organic Authentication on AADHAR from UIDAI Server)
TPAV # 7TL27DC8YV

M.P. Pollution Control Board - Chhindwara
RO Office M. P. Pollution control board
Opposite Mulla ji Petrol pump, Parasia Road
Chhindwara
Tele : 0761- 4042780,2647878

CONDITIONS PERTAINING TO WATER (PREVENTION & CONTROL OF POLLUTION) ACT 1974 :-

1. The daily quantity of trade effluent at out fall of the unit shall not exceed 0.000 KL/day, and the daily quantity of sewage at out fall of the unit shall not exceed 0.000 KL/day

2. Trade Effluent Treatment:-
The applicant shall provide comprehensive effluent treatment system as per the proposal submitted to the Board and maintain the same properly to achieve following standards-

pH	Between	5.5 – 9.0
Suspended Solids	Not exceed	100 mg/l.
BOD_3 Days 27 °C	Not exceed	30 mg/l.
COD	Not exceed	250 mg/l.
Oil and grease	Not exceed	10 mg/l.

TDS	Not exceed	2100 mg/l.
Chlorides	Not exceed	1000 mg/l.

For other parameters general standards of discharge as notified under EP Act 1986 shall be applicable.

3. Sewage Treatment :- The applicant shall provide comprehensive sewage treatment system as per the proposal submitted to the Board and maintain the same properly to achieve following standards-

pH	Between	5.5 – 9.0
Suspended Solids	Not exceed	100 mg/l.
BOD_3 Days 27 °C	Not exceed	30 mg/l.
COD	Not exceed	250 mg/l.
Oil and grease	Not exceed	10 mg/l.

Sr	Water Code (Qty in klpd - Kilo Ltr per Day)	WC : 2.000	WWG : 0.000	Water Source	Remark
1	Dust Suppression	2.000	0.000	Tankers	used water tanker

4. Compilation of Monitoring data-
i. Samples and measurements taken to meet the monitoring requirements specified above shall be representative of the volume and nature of monitored discharge.
ii. Following promulgation of guidelines establishing test procedures for the analysis of pollutants, all sampling and analytical methods used to meet the monitoring requirements specified above shall conform to such guidelines unless otherwise specified sampling and analytical methods shall conform to the latest edition of the Indian Standard specifications and where it is not specified the guidelines as per standard methods for the examination of Water and Waste latest edition of the American Public Health Association, New York U.S.A. shall be used.
iii. The applicant shall take samples and measurement to meet the monthly requirements specified above and report online through XGN the same to the Board.

5. Recording of Monitoring Activities & Results-
i. The applicant shall make and maintain online records of all information resulting from monitoring activities by this Consent.
ii. The applicant shall record for each measurement of samples taken pursuant to the requirements of this Consent as follows:
(i) The date, exact place and time of sampling
(ii) The dates on which analysis were performed
(iii)Who performed the analysis?
(iv)The analytical techniques or methods used and
(v)The result of all required analysis
iii. If the applicant monitors any Pollutant more frequently as is by this Consent he shell include the results of such monitoring in the calculation and reporting of values required in the discharge monitoring reports which may be prescribed by the Board. Such increased frequency shall be indicated on the Discharge Monitoring Report Form.
iv. The applicant shall retain for a minimum of 3 years all records of monitoring activities including all records of Calibration and maintenance of instrumentation and original strip chart regarding continuous monitoring instrumentation. The period of retention shall be extended during the course of any unresolved litigation regarding the discharge of pollutants by the applicant or when requested by Central or State Board or the court.

M.P. Pollution Control Board - Chhindwara
RO Office M. P. Pollution control board
Opposite Mulla ji Petrol pump, Parasia Road
Chhindwara
Tele : 0761- 4042780,2647878

6. Reporting of Monitoring Results:-

Monitoring Information required by this Consent shall be summarized and reported by submitting a Discharge Monitoring report on line to the Board.

7. Limitation of discharge of oil Hazardous Substance in harmful quantities:-

The applicant shall not discharge oil or other hazardous substances in quantities defined as harmful in relevant regulations into natural water course. Nothing in this Consent shall be deemed to preclude the institution of any legal action nor relive the applicant from any responsibilities, liabilities, or penalties to which the applicant is or may be subject to clauses.

8. Limitation of visible floating solids and foam:

During the period beginning date of issuance the applicant shall not discharge floating solids or visible foam.

9. Disposal of Collected Solid waste/sludge-

All hazardous waste/sludge shall be disposed of as per the Authorization issued under Hazardous & other waste (M&TM) Rules 2016. And/other Solids Sludges, dirt, silt or other pollutant separated from or resulting from treatment shall be disposed of in such a manner as to prevent any pollutant from such materials from entering any such water Any live fish, Shall fish or other animal collected or trapped as a result of intake water screening or treatment may be returned to eaters body habitat.

10. Provision for Electric Power Failure-

The applicant shall assure to the consent issuing authority that the applicant has installed or provided for an alternative electric power source sufficient to operate all facilities utilized by the applicant to maintain compliance with the terms and conditions of the Consent.

11. Prohibition of By pass system of treatment facilities-

The diversion or by-pass of any discharge from facilities utilized by the applicant to maintain compliance with the terms and conditions of this Consent in prohibited except :

i. where unavoidable to prevent loss of life or severe property damage, or

ii. Where excessive storm drainage or run off would damage any facilities necessary for compliance with the terms and conditions of this Consent. The applicant shall immediately notify the consent issuing authorities in writing of each such diversion or by-pass in accordance with the procedure specified above for reporting non-compliance.

12. Industry/Institute/mine management shall submit the information online through XGN in reference to compliance of consent conditions.

This Certificate generated from xgn.mp.nic.in are valid and does not require physical signatures, the certificate can be validated online from xgn.mp.nic.in using "TPAV" Number.

M.P. Pollution Control Board - Chhindwara
RO Office M. P. Pollution control board
Opposite Mulla ji Petrol pump, Parasia Road
Chhindwara
Tele : 0761- 4042780,2647878

CONDITIONS PERTAINING TO AIR (PREVENTION & CONTROL OF POLLUTION) ACT 1981 :-

1. The applicant shall provide comprehensive air pollution control system consisting of control equipments as per the proposal submitted to the Board with reference to generation of emission and same shall be operated & maintained continuously so as to achieve the level of pollutants to the following standards:-

2. Ambient air quality at the boundary of the industry/unit premises shall be monitored and reported to the Board regularly on quarterly basis: The Ambient air quality norms are prescribed in MoEF gazette notification no. GSR/826(E), dated: 16/11/09. Some of the parameters are as follows:

a. Particulate Matter (less than 10 micron) - 100 µg/m³ (PM10 µg/m³ 24 hrs. basis)

b. Particulate Matter (less than 2.5 micron) - 60 µg/m³ (PM2.5 µg/m³ 24 hrs. basis)

c. Sulphur Dioxide [SO2] (24 hrs. Basis) - 80 µg/m³

d. Nitrogen Oxides [NOx] (24 hrs. Basis) - 80 µg/m³

e. Carbon Monoxide [CO] (8 hrs. Basis) - 2000 µg/m³

3. The industry shall take adequate measures for control of noise level generated from industrial activities within the premises less than 75 dB(A) during day time and 70 dB(A) during night time.

4. All the internal roads shall be made pucca to control the fugitive emissions of particulate matter generated due to transportation and internal movements. Good housekeeping practices shall be adopted to avoid leakages, seepages, spillages etc.

(Minimum number of plants to be planted by the unit:-250)

M.P. Pollution Control Board - Chhindwara
RO Office M. P. Pollution control board
Opposite Mulla ji Petrol pump, Parasia Road
Chhindwara
Tele : 0761- 4042780,2647878

GENERAL CONDITIONS:

1. The non hazardous solid waste arresting in the industry/unit/unit premises sweeping, etc. be disposed off scientifically so as not to cause any nuisance/pollution. The applicant shall take necessary permission from civic authorities for disposal to dumping site. If required.

Non Hazardous Solid wastes:-

Type of waste	Quantity	Disposal
Scrap/ Plastic packing material wood, card board, gunny begs etc		Sale to authorized party/As Per CPCB. MoEF Guide lines / Others.

2. The applicant shall allow the staff of Madhya Pradesh Pollution Control Board and/or their authorized representative, upon the representation of credentials:
a. To inspect raw material stock, manufacturing processes, reactors, premises etc to perform the functions of the Board.
b. To enter upon the applicant's premises where an effluent source is located or in which any records are required to be kept under the terms and conditions of this Consent.
c. To have access at reasonable times to any records required to be kept under the terms and conditions of this Consent.
d. To inspect at reasonable times any monitoring equipment or monitoring method required in this Consent: or,
e. To sample at reasonable times any discharge or pollutants.

3. This consent / authorisation is transferable in nature, in case of any change in ownership / management, the new owner / partner / directors / proprietor shall immediately apply for the consent with new requisite information.

4. The issuance of this Consent does not convey any property rights in either real or personal property or any exclusive privileges, nor does it authorise any invasion of personal rights, nor any infringement of Central, State or local laws or regulations.

5. This consent is granted in respect of Water pollution control Act 1974 or Air Pollution Control act, 1981 or Authorization under the provisions of Hazardous and other Waste (Management & Transboundary movement) Rules 2016 only and does not relate to any other Department/Agencies. License required from other Department/Agencies have to be obtained by the unit separately and have to comply separately as per there Act / Rules.

6. Balance consent/authorisation fee, if any shall be recoverable by the Board even at a later date.

7. The applicant shall submit such information, forms and fees as required by the board not letter than 180 day prior to the date of expiration of this consent/authorisation

8. Knowingly making any false statement for obtaining consent or compliance of consent conditions shall result in the imposition of criminal penalties as provided under the section 42(g) of the Water Act or section 38 (g) of the Air Act.

9. After notice and opportunity for the hearing, this consent may be modified, suspended or revoked by the Board in whole or in part during its term for cause including, but not limited to, the following :
(a) Violation of any terms and conditions of this Consent.
(b) Obtaining this Consent by misrepresentation of failure to disclose fully all relevant facts.
(c) A change in any condition that requires temporary or permanent reduction or elimination of the authorized discharge.

10. On violation of any of the above-mentioned conditions the consent granted will automatically be taken as canceled and necessary action will be initiated against the industry.

Additional condition:-

Consent/authorization as required under the Water (Prevention & Control of Pollution) Act,1974 , The Air (Prevention & Control of Pollution) Act,1981is granted to your industry subject to fulfillment of all the conditions mentioned above. For renewal purpose you shall have to make an application to this Board through XGN at least Six months before the date of expiry of this consent/authorisation. The applicant without valid consent (for operation) of the Board shall not bring in to use any outlet for the discharge of effluent and gaseous emission.

(Organic Authentication on AADHAR from UIDAI Server)
TPAV # 7TL27DC8YV

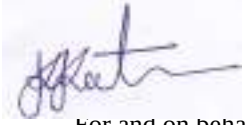

For and on behalf of
M.P. Pollution Control Board
KAILASH NARAYAN KATARE
Regional Officer

Consent No:AW-112115

Consent Order

1212

M.P. Pollution Control Board - Chhindwara
RO Office M. P. Pollution control board
Opposite Mulla ji Petrol pump, Parasia Road
Chhindwara
Tele : 0761- 4042780,2647878

RED-SMALL	CCA-Fresh	A/W Validity 30/06/2023	PCB ID: 153941

Outward No:16455 05/04/2023 Consent No:AW-111568

NO: /MPPCB/CHW

To,

The Occupier,
M/s. National Energy Trading And Services Limited (Khapariya Sand Mine)betul,,
18, Village-Khapariya,Tehsil-Chicholi ,Distt-Betul,,
City : Parsada Khapariya,
Dist : Betul, Tal : Chicholi, SIDC : Not In SIDC, Latitude : 22.2276 Longitude : 77.6565

Subject: Grant of Consent to Operate under section 25 of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act,1974 under section 21 of the Air (Prevention & Control of Pollution) Act,1981

Ref: Your Consent to Operate Application Receipt No. 1263522 Dt. 29/03/2023 and last communication received on Dt.27/03/2023

With reference to your above application for consent to operate has been considered under the aforesaid Acts and existing rules therein. The M. P. Pollution Control Board has agreed to grant consent up to ***30/06/2023***, subject to the fulfillment of the terms & conditions, enclosed with this letter and-

SUBJECT TO THE FOLLOWING CONDITIONS :-

a. Location: 18, Village-Khapariya,Tehsil-Chicholi ,Distt-Betul, , Parsada Khapariya, Chicholi, Betul

b. The capital investment in lakhs: Rs. 3.4

c. Product & Production Capacity:

Product	Qty / year
Sand Mine	19500.000 MT3 (Nineteen Thousand Five Hundred Cubic Meter Per Year)

Note:- 1. For any change in above industry shall obtain fresh consent from the board.
2. Mine management shall be follow all the Rules and Regulation mentioned in EC, GOI MOEF and Department of state mining corporation , State mining Department of M.P. Govt. and as per any other Amendment shall be enforced in forth coming future.

The Validity of the consent is up to ***30/06/2023*** and has to be renewed before expiry of consent validity. Online application through XGN with annual license fees in this regard shall be submitted to this office 6 months before expiry of the consent/Authorization. Board reserves the right to amend/cancel / revoke the above condition in part or whole as and when required.

Enclosures:-

* Conditions under Water Act
* Conditions under Air Act
* General conditions

Signature Not Verified
Digitally Signed by :
K.N.KATARE, E.E
Date: 05/04/2023 05:09:05 PM

KAILASH NARAYAN KATARE
Regional Officer

(Organic Authentication on AADHAR from UIDAI Server)
TPAV # IE7F3K48RI

M.P. Pollution Control Board - Chhindwara
RO Office M. P. Pollution control board
Opposite Mulla ji Petrol pump, Parasia Road
Chhindwara
Tele : 0761- 4042780,2647878

CONDITIONS PERTAINING TO WATER (PREVENTION & CONTROL OF POLLUTION) ACT 1974 :-

1. The daily quantity of trade effluent at out fall of the unit shall not exceed 0.000 KL/day, and the daily quantity of sewage at out fall of the unit shall not exceed 0.000 KL/day

2. Trade Effluent Treatment:-
The applicant shall provide comprehensive effluent treatment system as per the proposal submitted to the Board and maintain the same properly to achieve following standards-

pH	Between	5.5 – 9.0
Suspended Solids	Not exceed	100 mg/l.
BOD_3 Days 27 °C	Not exceed	30 mg/l.
COD	Not exceed	250 mg/l.
Oil and grease	Not exceed	10 mg/l.

TDS	Not exceed	2100 mg/l.
Chlorides	Not exceed	1000 mg/l.

For other parameters general standards of discharge as notified under EP Act 1986 shall be applicable.

3. Sewage Treatment :- The applicant shall provide comprehensive sewage treatment system as per the proposal submitted to the Board and maintain the same properly to achieve following standards-

pH	Between	5.5 – 9.0
Suspended Solids	Not exceed	100 mg/l.
BOD_3 Days 27 °C	Not exceed	30 mg/l.
COD	Not exceed	250 mg/l.
Oil and grease	Not exceed	10 mg/l.

Sr	Water Code (Qty in klpd - Kilo Ltr per Day)	WC : 2.000	WWG : 0.000	Water Source	Remark
1	Dust Suppression	2.000	0.000	Tankers	used water tanker

4. Compilation of Monitoring data-
i. Samples and measurements taken to meet the monitoring requirements specified above shall be representative of the volume and nature of monitored discharge.
ii. Following promulgation of guidelines establishing test procedures for the analysis of pollutants, all sampling and analytical methods used to meet the monitoring requirements specified above shall conform to such guidelines unless otherwise specified sampling and analytical methods shall conform to the latest edition of the Indian Standard specifications and where it is not specified the guidelines as per standard methods for the examination of Water and Waste latest edition of the American Public Health Association, New York U.S.A. shall be used.
iii. The applicant shall take samples and measurement to meet the monthly requirements specified above and report online through XGN the same to the Board.

5. Recording of Monitoring Activities & Results-
i. The applicant shall make and maintain online records of all information resulting from monitoring activities by this Consent.
ii. The applicant shall record for each measurement of samples taken pursuant to the requirements of this Consent as follows:
(i) The date, exact place and time of sampling
(ii) The dates on which analysis were performed
(iii)Who performed the analysis?
(iv)The analytical techniques or methods used and
(v)The result of all required analysis
iii. If the applicant monitors any Pollutant more frequently as is by this Consent he shell include the results of such monitoring in the calculation and reporting of values required in the discharge monitoring reports which may be prescribed by the Board. Such increased frequency shall be indicated on the Discharge Monitoring Report Form.
iv. The applicant shall retain for a minimum of 3 years all records of monitoring activities including all records of Calibration and maintenance of instrumentation and original strip chart regarding continuous monitoring instrumentation. The period of retention shall be extended during the course of any unresolved litigation regarding the discharge of pollutants by the applicant or when requested by Central or State Board or the court.

M.P. Pollution Control Board - Chhindwara
RO Office M. P. Pollution control board
Opposite Mulla ji Petrol pump, Parasia Road
Chhindwara
Tele : 0761- 4042780,2647878

6. Reporting of Monitoring Results:-

Monitoring Information required by this Consent shall be summarized and reported by submitting a Discharge Monitoring report on line to the Board.

7. Limitation of discharge of oil Hazardous Substance in harmful quantities:-

The applicant shall not discharge oil or other hazardous substances in quantities defined as harmful in relevant regulations into natural water course. Nothing in this Consent shall be deemed to preclude the institution of any legal action nor relive the applicant from any responsibilities, liabilities, or penalties to which the applicant is or may be subject to clauses.

8. Limitation of visible floating solids and foam:

During the period beginning date of issuance the applicant shall not discharge floating solids or visible foam.

9. Disposal of Collected Solid waste/sludge-

All hazardous waste/sludge shall be disposed of as per the Authorization issued under Hazardous & other waste (M&TM) Rules 2016. And/other Solids Sludges, dirt, silt or other pollutant separated from or resulting from treatment shall be disposed of in such a manner as to prevent any pollutant from such materials from entering any such water Any live fish, Shall fish or other animal collected or trapped as a result of intake water screening or treatment may be returned to eaters body habitat.

10. Provision for Electric Power Failure-

The applicant shall assure to the consent issuing authority that the applicant has installed or provided for an alternative electric power source sufficient to operate all facilities utilized by the applicant to maintain compliance with the terms and conditions of the Consent.

11. Prohibition of By pass system of treatment facilities-

The diversion or by-pass of any discharge from facilities utilized by the applicant to maintain compliance with the terms and conditions of this Consent in prohibited except :

i. where unavoidable to prevent loss of life or severe property damage, or

ii. Where excessive storm drainage or run off would damage any facilities necessary for compliance with the terms and conditions of this Consent. The applicant shall immediately notify the consent issuing authorities in writing of each such diversion or by-pass in accordance with the procedure specified above for reporting non-compliance.

12. Industry/Institute/mine management shall submit the information online through XGN in reference to compliance of consent conditions.

This Certificate generated from xgn.mp.nic.in are valid and does not require physical signatures, the certificate can be validated online from xgn.mp.nic.in using "TPAV" Number.

M.P. Pollution Control Board - Chhindwara
RO Office M. P. Pollution control board
Opposite Mulla ji Petrol pump, Parasia Road
Chhindwara
Tele : 0761- 4042780,2647878

CONDITIONS PERTAINING TO AIR (PREVENTION & CONTROL OF POLLUTION) ACT 1981 :-

1. The applicant shall provide comprehensive air pollution control system consisting of control equipments as per the proposal submitted to the Board with reference to generation of emission and same shall be operated & maintained continuously so as to achieve the level of pollutants to the following standards:-

2. Ambient air quality at the boundary of the industry/unit premises shall be monitored and reported to the Board regularly on quarterly basis: The Ambient air quality norms are prescribed in MoEF gazette notification no. GSR/826(E), dated: 16/11/09. Some of the parameters are as follows:

a. Particulate Matter (less than 10 micron) - 100 µg/m³ (PM10 µg/m³ 24 hrs. basis)

b. Particulate Matter (less than 2.5 micron) - 60 µg/m³ (PM2.5 µg/m³ 24 hrs. basis)

c. Sulphur Dioxide [SO2] (24 hrs. Basis) - 80 µg/m³

d. Nitrogen Oxides [NOx] (24 hrs. Basis) - 80 µg/m³

e. Carbon Monoxide [CO] (8 hrs. Basis) - 2000 µg/m³

3. The industry shall take adequate measures for control of noise level generated from industrial activities within the premises less than 75 dB(A) during day time and 70 dB(A) during night time.

4. All the internal roads shall be made pucca to control the fugitive emissions of particulate matter generated due to transportation and internal movements. Good housekeeping practices shall be adopted to avoid leakages, seepages, spillages etc.

(Minimum number of plants to be planted by the unit:-500)

M.P. Pollution Control Board - Chhindwara
RO Office M. P. Pollution control board
Opposite Mulla ji Petrol pump, Parasia Road
Chhindwara
Tele : 0761- 4042780,2647878

GENERAL CONDITIONS:

1. The non hazardous solid waste arresting in the industry/unit/unit premises sweeping, etc. be disposed off scientifically so as not to cause any nuisance/pollution. The applicant shall take necessary permission from civic authorities for disposal to dumping site. If required.

Non Hazardous Solid wastes:-

Type of waste	Quantity	Disposal
Scrap/ Plastic packing material wood, card board, gunny begs etc		Sale to authorized party/As Per CPCB. MoEF Guide lines / Others.

2. The applicant shall allow the staff of Madhya Pradesh Pollution Control Board and/or their authorized representative, upon the representation of credentials:
a. To inspect raw material stock, manufacturing processes, reactors, premises etc to perform the functions of the Board.
b. To enter upon the applicant's premises where an effluent source is located or in which any records are required to be kept under the terms and conditions of this Consent.
c. To have access at reasonable times to any records required to be kept under the terms and conditions of this Consent.
d. To inspect at reasonable times any monitoring equipment or monitoring method required in this Consent: or,
e. To sample at reasonable times any discharge or pollutants.

3. This consent / authorisation is transferable in nature, in case of any change in ownership / management, the new owner / partner / directors / proprietor shall immediately apply for the consent with new requisite information.

4. The issuance of this Consent does not convey any property rights in either real or personal property or any exclusive privileges, nor does it authorise any invasion of personal rights, nor any infringement of Central, State or local laws or regulations.

5. This consent is granted in respect of Water pollution control Act 1974 or Air Pollution Control act, 1981 or Authorization under the provisions of Hazardous and other Waste (Management & Transboundary movement) Rules 2016 only and does not relate to any other Department/Agencies. License required from other Department/Agencies have to be obtained by the unit separately and have to comply separately as per there Act / Rules.

6. Balance consent/authorisation fee, if any shall be recoverable by the Board even at a later date.

7. The applicant shall submit such information, forms and fees as required by the board not letter than 180 day prior to the date of expiration of this consent/authorisation

8. Knowingly making any false statement for obtaining consent or compliance of consent conditions shall result in the imposition of criminal penalties as provided under the section 42(g) of the Water Act or section 38 (g) of the Air Act.

9. After notice and opportunity for the hearing, this consent may be modified, suspended or revoked by the Board in whole or in part during its term for cause including, but not limited to, the following :
(a) Violation of any terms and conditions of this Consent.
(b) Obtaining this Consent by misrepresentation of failure to disclose fully all relevant facts.
(c) A change in any condition that requires temporary or permanent reduction or elimination of the authorized discharge.

10. On violation of any of the above-mentioned conditions the consent granted will automatically be taken as canceled and necessary action will be initiated against the industry.

Additional condition:-

Consent/authorization as required under the Water (Prevention & Control of Pollution) Act,1974 , The Air (Prevention & Control of Pollution) Act,1981is granted to your industry subject to fulfillment of all the conditions mentioned above. For renewal purpose you shall have to make an application to this Board through XGN at least Six months before the date of expiry of this consent/authorisation. The applicant without valid consent (for operation) of the Board shall not bring in to use any outlet for the discharge of effluent and gaseous emission.

(Organic Authentication on AADHAR from UIDAI Server)
TPAV # IE7F3K48RI

KAILASH NARAYAN KATARE
Regional Officer
For and on behalf of
M.P. Pollution Control Board

Consent No:AW-111568

Consent Order

1217

M.P. Pollution Control Board - Chhindwara
RO Office M. P. Pollution control board
Opposite Mulla ji Petrol pump, Parasia Road
Chhindwara
Tele : 0761- 4042780,2647878

RED-SMALL	CCA-Fresh	Validity : 30/06/2023	PCB ID: 154320

Outward No:16491 20/04/2023 Consent No:AW-112117

NO: /MPPCB/CHW

To,

The Occupier,
M/s. National Energy Trading And Services Limited (Guwadi Sand Mine) Betul,,
19, Village-Guwadi,Tehsil-Shahpur Distt-Betul,
City : Guwadi,
Dist : Betul, Tal : Shahpur, SIDC : Not In SIDC, Latitude : 22.3038 Longitude : 77.8978

Subject: Grant of Consent to Operate under section 25 of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act,1974 under section 21 of the Air (Prevention & Control of Pollution) Act,1981

Ref: Your Consent to Operate Application Receipt No. 1264147 Dt. 14/04/2023 and last communication received on Dt.11/04/2023

With reference to your above application for consent to operate has been considered under the aforesaid Acts and existing rules therein. The M. P. Pollution Control Board has agreed to grant consent up to ***30/06/2023***, subject to the fulfillment of the terms & conditions, enclosed with this letter and-

SUBJECT TO THE FOLLOWING CONDITIONS :-

a. Location: 19, Village-Guwadi,Tehsil-Shahpur Distt-Betul , Guwadi, Shahpur, Betul

b. The capital investment in lakhs: Rs. 240

c. Product & Production Capacity:

Product	Qty / year
Sand Mine	42120.000 MT^3 (Forty Two Thousand One Hundred Twenty Cubic Meter Per Year)

Note:- *1. For any change in above industry shall obtain fresh consent from the board.*

2. Mine management shall be follow all the Rules and Regulation mentioned in EC, GOI MOEF and Department of state mining corporation, State mining Department of M.P. Govt. and as per any other Amendment shall be enforced in forth coming future.

The Validity of the consent is up to ***30/06/2023*** and has to be renewed before expiry of consent validity. Online application through XGN with annual license fees in this regard shall be submitted to this office 6 months before expiry of the consent/Authorization. Board reserves the right to amend/cancel / revoke the above condition in part or whole as and when required.

Enclosures:-

* Conditions under Water Act
* Conditions under Air Act
* tions

Signature Not Verified
Digitally Signed by :
K.N.KATARE, E.E
Date: 20/04/2023 06:34:13 PM

KAILASH NARAYAN KATARE
Regional Officer

(Organic Authentication on AADHAR from UIDAI Server)
TPAV # UEYSIFYP8A

M.P. Pollution Control Board - Chhindwara
RO Office M. P. Pollution control board
Opposite Mulla ji Petrol pump, Parasia Road
Chhindwara
Tele : 0761- 4042780,2647878

CONDITIONS PERTAINING TO WATER (PREVENTION & CONTROL OF POLLUTION) ACT 1974 :-

1. The daily quantity of trade effluent at out fall of the unit shall not exceed 0.000 KL/day, and the daily quantity of sewage at out fall of the unit shall not exceed 0.000 KL/day

2. Trade Effluent Treatment:-
The applicant shall provide comprehensive effluent treatment system as per the proposal submitted to the Board and maintain the same properly to achieve following standards-

pH	Between	5.5 – 9.0
Suspended Solids	Not exceed	100 mg/l.
BOD_3 Days 27 °C	Not exceed	30 mg/l.
COD	Not exceed	250 mg/l.
Oil and grease	Not exceed	10 mg/l.

TDS	Not exceed	2100 mg/l.
Chlorides	Not exceed	1000 mg/l.

For other parameters general standards of discharge as notified under EP Act 1986 shall be applicable.

3. Sewage Treatment :- The applicant shall provide comprehensive sewage treatment system as per the proposal submitted to the Board and maintain the same properly to achieve following standards-

pH	Between	5.5 – 9.0
Suspended Solids	Not exceed	100 mg/l.
BOD_3 Days 27 °C	Not exceed	30 mg/l.
COD	Not exceed	250 mg/l.
Oil and grease	Not exceed	10 mg/l.

Sr	Water Code (Qty in klpd - Kilo Ltr per Day)	WC : 2.000	WWG : 0.000	Water Source	Remark
1	Dust Suppression	2.000	0.000	Tankers	used water tanker

4. Compilation of Monitoring data-
i. Samples and measurements taken to meet the monitoring requirements specified above shall be representative of the volume and nature of monitored discharge.
ii. Following promulgation of guidelines establishing test procedures for the analysis of pollutants, all sampling and analytical methods used to meet the monitoring requirements specified above shall conform to such guidelines unless otherwise specified sampling and analytical methods shall conform to the latest edition of the Indian Standard specifications and where it is not specified the guidelines as per standard methods for the examination of Water and Waste latest edition of the American Public Health Association, New York U.S.A. shall be used.
iii. The applicant shall take samples and measurement to meet the monthly requirements specified above and report online through XGN the same to the Board.

5. Recording of Monitoring Activities & Results-
i. The applicant shall make and maintain online records of all information resulting from monitoring activities by this Consent.
ii. The applicant shall record for each measurement of samples taken pursuant to the requirements of this Consent as follows:
(i) The date, exact place and time of sampling
(ii) The dates on which analysis were performed
(iii)Who performed the analysis?
(iv)The analytical techniques or methods used and
(v)The result of all required analysis
iii. If the applicant monitors any Pollutant more frequently as is by this Consent he shell include the results of such monitoring in the calculation and reporting of values required in the discharge monitoring reports which may be prescribed by the Board. Such increased frequency shall be indicated on the Discharge Monitoring Report Form.
iv. The applicant shall retain for a minimum of 3 years all records of monitoring activities including all records of Calibration and maintenance of instrumentation and original strip chart regarding continuous monitoring instrumentation. The period of retention shall be extended during the course of any unresolved litigation regarding the discharge of pollutants by the applicant or when requested by Central or State Board or the court.

M.P. Pollution Control Board - Chhindwara
RO Office M. P. Pollution control board
Opposite Mulla ji Petrol pump, Parasia Road
Chhindwara
Tele : 0761- 4042780,2647878

6. Reporting of Monitoring Results:-

Monitoring Information required by this Consent shall be summarized and reported by submitting a Discharge Monitoring report on line to the Board.

7. Limitation of discharge of oil Hazardous Substance in harmful quantities:-

The applicant shall not discharge oil or other hazardous substances in quantities defined as harmful in relevant regulations into natural water course. Nothing in this Consent shall be deemed to preclude the institution of any legal action nor relive the applicant from any responsibilities, liabilities, or penalties to which the applicant is or may be subject to clauses.

8. Limitation of visible floating solids and foam:

During the period beginning date of issuance the applicant shall not discharge floating solids or visible foam.

9. Disposal of Collected Solid waste/sludge-

All hazardous waste/sludge shall be disposed of as per the Authorization issued under Hazardous & other waste (M&TM) Rules 2016. And/other Solids Sludges, dirt, silt or other pollutant separated from or resulting from treatment shall be disposed of in such a manner as to prevent any pollutant from such materials from entering any such water Any live fish, Shall fish or other animal collected or trapped as a result of intake water screening or treatment may be returned to eaters body habitat.

10. Provision for Electric Power Failure-

The applicant shall assure to the consent issuing authority that the applicant has installed or provided for an alternative electric power source sufficient to operate all facilities utilized by the applicant to maintain compliance with the terms and conditions of the Consent.

11. Prohibition of By pass system of treatment facilities-

The diversion or by-pass of any discharge from facilities utilized by the applicant to maintain compliance with the terms and conditions of this Consent in prohibited except :

i. where unavoidable to prevent loss of life or severe property damage, or

ii. Where excessive storm drainage or run off would damage any facilities necessary for compliance with the terms and conditions of this Consent. The applicant shall immediately notify the consent issuing authorities in writing of each such diversion or by-pass in accordance with the procedure specified above for reporting non-compliance.

12. Industry/Institute/mine management shall submit the information online through XGN in reference to compliance of consent conditions.

This Certificate generated from xgn.mp.nic.in are valid and does not require physical signatures, the certificate can be validated online from xgn.mp.nic.in using "TPAV" Number.

M.P. Pollution Control Board - Chhindwara
RO Office M. P. Pollution control board
Opposite Mulla ji Petrol pump, Parasia Road
Chhindwara
Tele : 0761- 4042780,2647878

CONDITIONS PERTAINING TO AIR (PREVENTION & CONTROL OF POLLUTION) ACT 1981 :-

1. The applicant shall provide comprehensive air pollution control system consisting of control equipments as per the proposal submitted to the Board with reference to generation of emission and same shall be operated & maintained continuously so as to achieve the level of pollutants to the following standards:-

2. Ambient air quality at the boundary of the industry/unit premises shall be monitored and reported to the Board regularly on quarterly basis: The Ambient air quality norms are prescribed in MoEF gazette notification no. GSR/826(E), dated: 16/11/09. Some of the parameters are as follows:

a. Particulate Matter (less than 10 micron) - 100 µg/m³ (PM10 µg/m³ 24 hrs. basis)

b. Particulate Matter (less than 2.5 micron) - 60 µg/m³ (PM2.5 µg/m³ 24 hrs. basis)

c. Sulphur Dioxide [SO2] (24 hrs. Basis) - 80 µg/m³

d. Nitrogen Oxides [NOx] (24 hrs. Basis) - 80 µg/m³

e. Carbon Monoxide [CO] (8 hrs. Basis) - 2000 µg/m³

3. The industry shall take adequate measures for control of noise level generated from industrial activities within the premises less than 75 dB(A) during day time and 70 dB(A) during night time.

4. All the internal roads shall be made pucca to control the fugitive emissions of particulate matter generated due to transportation and internal movements. Good housekeeping practices shall be adopted to avoid leakages, seepages, spillages etc.

(Minimum number of plants to be planted by the unit:-250)

M.P. Pollution Control Board - Chhindwara
RO Office M. P. Pollution control board
Opposite Mulla ji Petrol pump, Parasia Road
Chhindwara
Tele : 0761- 4042780,2647878

GENERAL CONDITIONS:

1. The non hazardous solid waste arresting in the industry/unit/unit premises sweeping, etc. be disposed off scientifically so as not to cause any nuisance/pollution. The applicant shall take necessary permission from civic authorities for disposal to dumping site. If required.

Non Hazardous Solid wastes:-

Type of waste	Quantity	Disposal
Scrap/ Plastic packing material wood, card board, gunny begs etc		Sale to authorized party/As Per CPCB. MoEF Guide lines / Others.

2. The applicant shall allow the staff of Madhya Pradesh Pollution Control Board and/or their authorized representative, upon the representation of credentials:
a. To inspect raw material stock, manufacturing processes, reactors, premises etc to perform the functions of the Board.
b. To enter upon the applicant's premises where an effluent source is located or in which any records are required to be kept under the terms and conditions of this Consent.
c. To have access at reasonable times to any records required to be kept under the terms and conditions of this Consent.
d. To inspect at reasonable times any monitoring equipment or monitoring method required in this Consent: or,
e. To sample at reasonable times any discharge or pollutants.

3. This consent / authorisation is transferable in nature, in case of any change in ownership / management, the new owner / partner / directors / proprietor shall immediately apply for the consent with new requisite information.

4. The issuance of this Consent does not convey any property rights in either real or personal property or any exclusive privileges, nor does it authorise any invasion of personal rights, nor any infringement of Central, State or local laws or regulations.

5. This consent is granted in respect of Water pollution control Act 1974 or Air Pollution Control act, 1981 or Authorization under the provisions of Hazardous and other Waste (Management & Transboundary movement) Rules 2016 only and does not relate to any other Department/Agencies. License required from other Department/Agencies have to be obtained by the unit separately and have to comply separately as per there Act / Rules.

6. Balance consent/authorisation fee, if any shall be recoverable by the Board even at a later date.

7. The applicant shall submit such information, forms and fees as required by the board not letter than 180 day prior to the date of expiration of this consent/authorisation

8. Knowingly making any false statement for obtaining consent or compliance of consent conditions shall result in the imposition of criminal penalties as provided under the section 42(g) of the Water Act or section 38 (g) of the Air Act.

9. After notice and opportunity for the hearing, this consent may be modified, suspended or revoked by the Board in whole or in part during its term for cause including, but not limited to, the following :
(a) Violation of any terms and conditions of this Consent.
(b) Obtaining this Consent by misrepresentation of failure to disclose fully all relevant facts.
(c) A change in any condition that requires temporary or permanent reduction or elimination of the authorized discharge.

10. On violation of any of the above-mentioned conditions the consent granted will automatically be taken as canceled and necessary action will be initiated against the industry.

Additional condition:-

Consent/authorization as required under the Water (Prevention & Control of Pollution) Act,1974 , The Air (Prevention & Control of Pollution) Act,1981is granted to your industry subject to fulfillment of all the conditions mentioned above. For renewal purpose you shall have to make an application to this Board through XGN at least Six months before the date of expiry of this consent/authorisation. The applicant without valid consent (for operation) of the Board shall not bring in to use any outlet for the discharge of effluent and gaseous emission.

(Organic Authentication on AADHAR from UIDAI Server)
TPAV # UEYSIFYP8A

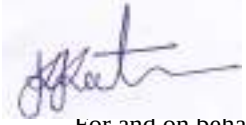

For and on behalf of
M.P. Pollution Control Board
KAILASH NARAYAN KATARE
Regional Officer

Consent No:AW-112117

Consent Order

M.P. Pollution Control Board
E-5, Arera Colony
Paryavaran Parisar, Bhopal - 16 MP
Tele : 0755-2466191, Fax-0755-2463742

RED-MEDIUM	CCA-Fresh	CONSENT NO: ***	PCB ID: 152931

Outward No:117449,21/02/2023 Consent No:AW-57628

To,

The Occupier,
M/s. National Energy Trading And Services Limited (Dhamanya Sand Mine)
Kh. No. 01,Area:5.0 ha, Village-Dhamanya,Tehsil- Shahpur,
District-Betul , (M.P.) Latitude : 22.1942 Longitude : 77.6433

Subject: **Grant of Consent to Operate under section 25 of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act,1974 under section 21 of the Air (Prevention & Control of Pollution) Act,1981**

Ref: **Consent to Operate Application R. No. 1260141 Dt. 29/01/2023 and last communication received on Dt.30/01/2023**

With reference to your above application for consent to operate has been considered under the aforesaid Acts and existing rules therein. The M. P. Pollution Control Board has agreed to grant consent up to **30/06/2023,** subject to the fulfillment of the terms & conditions, enclosed with this letter and-

SUBJECT TO THE FOLLOWING CONDITIONS :-

a. Location: **Kh. No. 01,Area:5.0 ha, Village-Dhamanya,Tehsil- Shahpur,District-Betul , (M.P.)**

b. Mining Lease area: **5.0 ha**

c. Product & Production Capacity:

Activity / Product	Qty / year
Mining of Sand	20,000 Cubic Meter Per Year,

Note:- 1) Mining plan is approved for 20,000 Cubic meter /year capacity , so pp shall do mining up to this limit only.

2) Mine management shall ensure the compliance of order passed by Hon'ble NGT in OA 10/2020 (CZ) on dated 01/06/2020, OA 09/2018 on dated 12/06/2020, NGT OA 17/2019 (CZ) on dated 26/11/2019 in OA 360/2015 on 26.02.2021 and in OA 38/2022 on dated 17.10.2022 pertaining to sustainable sand Mining.

3) Mine Management shall ensure that the mine is operated with valid mining lease & as per the provisions made by you in the mining plan approved by Collector Distt. Betul vide letter no. 1914 dt 30.12.2022 and in compliance of the conditions laid by SEIAA,MP in EC granted vide letter no. 2555 dt 19.01.2023.

4) Quarry contractor shall install permanent type demarcation pillars to represent quarry lease boundary & sign Board with quarry details and mining should be done as per mine plan, EC and in accordance with the sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 and Enforcement & Monitoring Guidelines for sand mining, 2020.

5) The depth of the mine pit shall not exceed 0.76 meter & mining shall be done above water level without disturbing the water flow. No in stream mining shall be done. PP shall ensure intermittent water sprinkling on transportation route which shall not pass through any residential / forest area to ensure control of Dust and Noise pollution. PP shall practice regular compaction of loose material of haulage road to reduce the fugitive emissions.

The Validity of the consent is up to **30/06/2023** and has to be renewed before expiry of consent validity. Online application through XGN with annual license fees in this regard shall be submitted to this office 6 months before expiry of the consent/Authorization. Board reserves the right to amend/cancel / revoke the above condition in part or whole as and when required.

Enclosures:-

* Conditions under Water Act
* Conditions under Air Act
* General conditions

CC to :-

1. District Mining Officer, (Mining Section), Collector office, Betul Dist. Betul (M.P.) for information.
2. M.P. State Mining Corporation, Arera Hills, Jail Road, Bhopal (M.P.) for necessary action please.
3. Regional officer, Regional office, MPPCB, Chhindwara (M.P.)

By the order of Chairman, MPPCB

eSign Signing from CDAC

Digitally Sign with Aadhaar

(Organic Authentication on AADHAR from UIDAI Server)
TPAV # C8PDGWU1SS

CHANDRA MOHAN THAKUR
Member Secretary

Consent Order

M.P. Pollution Control Board
E-5, Arera Colony
Paryavaran Parisar, Bhopal - 16 MP
Tele : 0755-2466191, Fax-0755-2463742

CONDITIONS PERTAINING TO WATER (PREVENTION & CONTROL OF POLLUTION) ACT 1974 :-

1. The daily quantity of trade effluent at out fall of the unit shall not exceed 0.000 KL/day, and the daily quantity of sewage at out fall of the unit shall not exceed 0.600 KL/day

2. Trade Effluent Treatment:-
The applicant shall provide comprehensive effluent treatment system as per the proposal submitted to the Board and maintain the same properly to achieve following standards-

pH	Between	5.5 – 9.0
Suspended Solids	Not exceed	100 mg/l.
BOD 3 Days 270C	Not exceed	30 mg/l.
COD	Not exceed	250 mg/l.
Oil and grease	Not exceed	10 mg/l.

TDS	Not exceed	2100 mg/l.
Chlorides	Not exceed	1000 mg/l.

For other parameters general standards of discharge as notified under EP Act 1986 shall be applicable.

3. Sewage Treatment :- The applicant shall provide comprehensive sewage treatment system as per the proposal submitted to the Board and maintain the same properly to achieve following standards-

pH	Between	5.5 – 9.0
Suspended Solids	Not exceed	100 mg/l.
BOD $_3$ Days 27^{0}C	Not exceed	30 mg/l.
COD	Not exceed	250 mg/l.
Oil and grease	Not exceed	10 mg/l.
Total Colliform	Not exceed	1000 (MPN/100ML)

Sr	Water Code (Qty in klpd - Kilo Ltr per Day)	WC : 6.000	WWG : 0.600	Water Source	Remark
1	Domestic Purpose	2.000	0.600	Borewell	Toilet with septic tank soak pit to be provided
2	Plantation / Dust suppression	4.000	0.000	other	

4. The effluent shall be treated up to prescribed Standards and reuse in the process, for cooling and for green belt devolvement/gardening within premises. Hence zero discharge condition shall be practiced. In no case treated effluent shall be discharged outside of industry/unit premises.

5. Any change in production capacity, process, raw material used etc. and for any enhancement of the above prior permission of the Board shall be obtained. All authorized discharges shall be consistent with terms and conditions of this consent. Facility expansions, production increases or process modifications which result new or increased discharges of pollutants must be reported by submission of a fresh consent application for prior permission of the Board

6. All treatment/control facilities/systems installed or used by the applicant shall be regularly maintained in good working order and operate effectively/efficiently to achieve compliance of the terms and conditions of this consent

7. The Consent does not authorize or approve the Construction of any physical structures or facilities or the undertaking of any work in any water course or within its high flood level (HFL) area

8. The specific effluent limitations and pollution control systems applicable to the discharge permitted herein are set forth as above conditions.

9. Compilation of Monitoring data-
i. Samples and measurements taken to meet the monitoring requirements specified above shall be representative of the volume and nature of monitored discharge.
ii. Following promulgation of guidelines establishing test procedures for the analysis of pollutants, all sampling and analytical methods used to meet the monitoring requirements specified above shall conform to such guidelines unless otherwise specified sampling and analytical methods shall conform to the latest edition of the Indian Standard specifications and where it is not specified the guidelines as per standard methods for the examination of Water and Waste latest edition of the American Public Health Association, New York U.S.A. shall be used.
iii. The applicant shall take samples and measurement to meet the monthly requirements specified above and report online through XGN the same to the Board.

M.P. Pollution Control Board
E-5, Arera Colony
Paryavaran Parisar, Bhopal - 16 MP
Tele : 0755-2466191, Fax-0755-2463742

10. Recording of Monitoring Activities & Results-

i. The applicant shall make and maintain online records of all information resulting from monitoring activities by this Consent.

ii. The applicant shall record for each measurement of samples taken pursuant to the requirements of this Consent as follows:

(i) The date, exact place and time of sampling
(ii) The dates on which analysis were performed
(iii)Who performed the analysis?
(iv)The analytical techniques or methods used and
(v)The result of all required analysis

iii. If the applicant monitors any Pollutant more frequently as is by this Consent he shell include the results of such monitoring in the calculation and reporting of values required in the discharge monitoring reports which may be prescribed by the Board. Such increased frequency shall be indicated on the Discharge Monitoring Report Form.

iv. The applicant shall retain for a minimum of 3 years all records of monitoring activities including all records of Calibration and maintenance of instrumentation and original strip chart regarding continuous monitoring instrumentation. The period of retention shall be extended during the course of any unresolved litigation regarding the discharge of pollutants by the applicant or when requested by Central or State Board or the court.

11. Reporting of Monitoring Results:-

Monitoring Information required by this Consent shall be summarized and reported by submitting a Discharge Monitoring report on line to the Board.

12. Limitation of discharge of oil Hazardous Substance in harmful quantities:-

The applicant shall not discharge oil or other hazardous substances in quantities defined as harmful in relevant regulations into natural water course. Nothing in this Consent shall be deemed to neither preclude the institution of any legal action nor relive the applicant from any responsibilities, liabilities, or penalties to which the applicant is or may be subject to clauses.

13. Limitation of visible floating solids and foam:

During the period beginning date of issuance the applicant shall not discharge floating solids or visible foam.

14. Disposal of Collected Solid waste/sludge-

All hazardous waste/sludge shall be disposed of as per the Authorization issued under Hazardous & other waste (M&TM) Rules 2016. And/other Solids Sludge, dirt, silt or other pollutant separated from or resulting from treatment shall be disposed of in such a manner as to prevent any pollutant from such materials from entering any such water Any live fish, Shall fish or other animal collected or trapped as a result of intake water screening or treatment may be returned to eaters body habitat.

15. Provision for Electric Power Failure-

The applicant shall assure to the consent issuing authority that the applicant has installed or provided for an alternative electric power source sufficient to operate all facilities utilized by the applicant to maintain compliance with the terms and conditions of the Consent.

16. Prohibition of Bypass system of treatment facilities-

The diversion or by-pass of any discharge from facilities utilized by the applicant to maintain compliance with the terms and conditions of this Consent is prohibited except:

i. where unavoidable to prevent loss of life or severe property damage, or

ii. Where excessive storm drainage or run off would damage any facilities necessary for compliance with the terms and conditions of this Consent. The applicant shall immediately notify the consent issuing authorities in writing of each such diversion or by-pass in accordance with the procedure specified above for reporting non-compliance.

17. Industry/Institute/mine management shall submit the information online through XGN in reference to compliance of consent conditions.

Additional Water condition:-

Mine management should provide toilets for labors.

This Certificate generated from xgn.mp.nic.in are valid and does not require physical signatures, the certificate can be validated online from xgn.mp.nic.in using "EPAV" Number.

Consent Order

M.P. Pollution Control Board
E-5, Arera Colony
Paryavaran Parisar, Bhopal - 16 MP
Tele : 0755-2466191, Fax-0755-2463742

CONDITIONS PERTAINING TO AIR (PREVENTION & CONTROL OF POLLUTION) ACT 1981 :-

1. The applicant shall provide comprehensive air pollution control system consisting of control equipments as per the proposal submitted to the Board with reference to generation of emission and same shall be operated & maintained continuously so as to achieve the level of pollutants to the following standards:-

2. Ambient air quality at the boundary of the industry/unit premises shall be monitored and reported to the Board regularly on quarterly basis: The Ambient air quality norms are prescribed in MoEF gazette notification no. GSR/826(E), dated: 16/11/09. Some of the parameters are as follows:

a. Particulate Matter (less than 10 micron) - 100 $\mu g/m^3$ (PM_{10} $\mu g/m^3$ 24 hrs. basis)
b. Particulate Matter (less than 2.5 micron) - 60 $\mu g/m^3$ ($PM_{2.5}$ $\mu g/m^3$ 24 hrs. basis)
c. Sulphur Dioxide [SO_2] (24 hrs. Basis) - 80 $\mu g/m^3$
d. Nitrogen Oxides [NO_x] (24 hrs. Basis) - 80 $\mu g/m^3$
e. Carbon Monoxide [CO] (8 hrs. Basis) - 2000 $\mu g/m^3$

3. The industry shall take adequate measures for control of noise level generated from industrial activities within the premises less than 75 dB(A) during day time and 70 dB(A) during night time.

4. The industry/unit shall make the necessary arrangements for control of the fugitive emission from any source of emission/section/activities.

5. All other fugitive emission sources such as leakages, seepages, spillages etc shall be ensured to be plugged or sealed or made airtight to avoid the public nuisance.

6. All the internal roads shall be made pucca to control the fugitive emissions of particulate matter generated due to transportation and internal movements. Good housekeeping practices shall be adopted to avoid leakages, seepages, spillages etc.

7. Industry shall take effective steps for extensive tree plantation preferably in 03 rows of the local tree species with minimum spacing of 2X2 meters within or around the industry/unit premises for general improvement of environmental conditions and as stated in below.

Additional Air condition:-

1) Mine management shall provide pucca road for material transportation

2) Mine management shall not use village road for transportation.

3) Mine management shall provide fugitive emission control arrangements.

4) The vehicle used for the transportation of sand shall be PU certified and shall be properly maintained to reduce the noise.

Consent Order

M.P. Pollution Control Board
E-5, Arera Colony
Paryavaran Parisar, Bhopal - 16 MP
Tele : 0755-2466191, Fax-0755-2463742

GENERAL CONDITIONS:

1. The non hazardous solid waste arresting in the industry/unit/unit premises sweeping, etc. be disposed off scientifically so as not to cause any nuisance/pollution. The applicant shall take necessary permission from civic authorities for disposal to dumping site. If required.

Non Hazardous Solid wastes:-

Type of waste	Quantity	Disposal
Scrap/ Plastic packing material wood, card board, gunny bags etc		Sale to authorized party/As Per CPCB, MoEF Guide lines / others.

2. The applicant shall allow the staff of Madhya Pradesh Pollution Control Board and/or their authorized representative, upon the representation of credentials:

a. To inspect raw material stock, manufacturing processes, reactors, premises etc to perform the functions of the Board.
b. To enter upon the applicant's premises where an effluent source is located or in which any records are required to be kept under the terms and conditions of this Consent.
c. To have access at reasonable times to any records required to be kept under the terms and conditions of this Consent.
d. To inspect at reasonable times any monitoring equipment or monitoring method required in this Consent; or,
e. To sample at reasonable times any discharge or pollutants.

3. This consent / authorisation is transferable in nature, in case of any change in ownership / management, the new owner / partner / directors / proprietor shall immediately apply for the consent with new requisite information.

4. The issuance of this Consent does not convey any property rights in either real or personal property or any exclusive privileges, nor does it authorise any invasion of personal rights, nor any infringement of Central, State or local laws or regulations.

5. This consent is granted in respect of Water pollution control Act 1974 or Air Pollution Control act, 1981 or Authorization under the provisions of Hazardous and other Waste (Management & Transboundary movement) Rules 2016 only and does not relate to any other Department/Agencies. License required from other Department/Agencies have to be obtained by the unit separately and have to comply separately as per there Act / Rules.

6. Balance consent/authorisation fee, if any shall be recoverable by the Board even at a later date.

7. The applicant shall submit such information, forms and fees as required by the board not letter than 180 day prior to the date of expiration of this consent/authorisation

8. Knowingly making any false statement for obtaining consent or compliance of consent conditions shall result in the imposition of criminal penalties as provided under the section 42(g) of the Water Act or section 38 (g) of the Air Act.

9. After notice and opportunity for the hearing, this consent may be modified, suspended or revoked by the Board in whole or in part during its term for cause including, but not limited to, the following:

(a) Violation of any terms and conditions of this Consent.
(b) Obtaining this Consent by misrepresentation of failure to disclose fully all relevant facts.
(c) A change in any condition that requires temporary or permanent reduction or elimination of the authorized discharge.

10. On violation of any of the above-mentioned conditions the consent granted will automatically be taken as canceled and necessary action will be initiated against the industry.

Additional condition:-

1. Tree plantation shall be carried out in open area available.

2. The maximum depth of the mine pit shall not exceed 0.76 meter & mining shall be done above the water level. No mining shall be done from submerged river bed.

3. The mining activity shall be done as per approved mining plan and environmental clearance.

4 Transportation of sand shall not be done through residential area. Village roads shall not be used for transportation.

5. The sand shall be transported by small trolleys up to the Mineral stacking yard. Proper air pollution control arrangements shall be provided at yard to prevent fugitive emission due to loading/unloading activity. Regular Water spraying on the transportation road should be practiced.

M.P. Pollution Control Board
E-5, Arera Colony
Paryavaran Parisar, Bhopal - 16 MP
Tele : 0755-2466191, Fax-0755-2463742

6. Transport vehicles will be covered with tarpaulin to minimize dust/sand particle emissions. Vehicular emissions should be kept under control and regularly monitored for compliance of emission norms. Vehicles used for transporting the mineral should be covered with tarpaulins and optimally loaded.

7. After mining is complete, the edge of the pit should be graded to a 2.5:1 slope in the direction of the flow.

8. Mine management shall submit the annual replenishment plan.

9. The mine Management shall submit environmental statement for the previous year ending 31st March on or before 30th September every year to the Board.

10. The mine Management shall comply with all the relevant Acts/Rules, directions, guide lines issued by MoEF/CPCB/MPPCB from time to time as required and, if applicable.

Consent/authorization as required under the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974, The Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981is granted to your industry subject to fulfillment of all the conditions mentioned above. For renewal purpose you shall have to make an application to this Board through XGN at least Six months before the date of expiry of this consent/authorisation. The applicant without valid consent (for operation) of the Board shall not bring in to use any outlet for the discharge of effluent and gaseous emission.

For and on behalf of
M.P. Pollution Control Board

By the order of Chairman, MPPCB

CHANDRA MOHAN THAKUR
Member Secretary

(Organic Authentication on AADHAR from UIDAI Server)
TPAV # C8PDGWU1SS

This Certificate generated from xgn.mp.nic.in are valid and does not require physical signatures, the certificate can be validated online from xgn.mp.nic.in using "TPAV" Number.

Consent Order

1228

M.P. Pollution Control Board - Chhindwara
RO Office M. P. Pollution control board
Opposite Mulla ji Petrol pump, Parasia Road
Chhindwara
Tele : 0761- 4042780,2647878

RED-SMALL	CCA-Fresh	CONSENT NO: ***	PCB ID: 152928

Outward No:16356 27/01/2023 Consent No:AW-109396

NO: /MPPCB/CHW

To,

The Occupier,
M/s. National Energy Trading And Services Limited (Ballor Sand Mine) Betul,
162, Village Ballor,Tehsil-Chicholi,District-Betul,
City : Ballor,
Dist : Betul, Tal : Chicholi, SIDC : Not In SIDC, Latitude : 22.2190 Longitude : 77.6313

Subject: Grant of Consent to Operate under section 25 of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act,1974 under section 21 of the Air (Prevention & Control of Pollution) Act,1981

Ref: Your Consent to Operate Application Receipt No. 1260138 Dt. 27/01/2023 and last communication received on Dt.24/01/2023

With reference to your above application for consent to operate has been considered under the aforesaid Acts and existing rules therein. The M. P. Pollution Control Board has agreed to grant consent up to ***30/06/2023***, subject to the fulfillment of the terms & conditions, enclosed with this letter and-

SUBJECT TO THE FOLLOWING CONDITIONS :-

a. Location: 162, Village Ballor,Tehsil-Chicholi,District-Betul , Ballor, Chicholi, Betul

b. The capital investment in lakhs: Rs. 120

c. Product & Production Capacity:

Product	Qty / year
Sand Mine (Mining of Sand)	21000.000 Cubic Meter Per Year (Twenty One Thousand Cubic Meter Per Year)

Note:- For any change in above industry shall obtain fresh consent from the board.

The Validity of the consent is up to ***30/06/2023*** and has to be renewed before expiry of consent validity. Online application through XGN with annual license fees in this regard shall be submitted to this office 6 months before expiry of the consent/Authorization. Board reserves the right to amend/cancel / revoke the above condition in part or whole as and when required.

Enclosures:-

* Conditions under Water Act
* Conditions under Air Act
* General conditions

Signature Not Verified
Digitally Signed by :
K.N.KATARE, E.E
Date: 27/01/2023 08:03:28 PM

KAILASH NARAYAN KATARE
Regional Officer

(Organic Authentication on AADHAR from UIDAI Server)
TPAV # MHLX9F9231

M.P. Pollution Control Board - Chhindwara
RO Office M. P. Pollution control board
Opposite Mulla ji Petrol pump, Parasia Road
Chhindwara
Tele : 0761- 4042780,2647878

CONDITIONS PERTAINING TO WATER (PREVENTION & CONTROL OF POLLUTION) ACT 1974 :-

1. The daily quantity of trade effluent at out fall of the unit shall not exceed 0.000 KL/day, and the daily quantity of sewage at out fall of the unit shall not exceed 0.000 KL/day

2. Trade Effluent Treatment:-
The applicant shall provide comprehensive effluent treatment system as per the proposal submitted to the Board and maintain the same properly to achieve following standards-

pH	Between	5.5 – 9.0
Suspended Solids	Not exceed	100 mg/l.
BOD_3 Days 27 °C	Not exceed	30 mg/l.
COD	Not exceed	250 mg/l.
Oil and grease	Not exceed	10 mg/l.

TDS	Not exceed	2100 mg/l.
Chlorides	Not exceed	1000 mg/l.

For other parameters general standards of discharge as notified under EP Act 1986 shall be applicable.

3. Sewage Treatment :- The applicant shall provide comprehensive sewage treatment system as per the proposal submitted to the Board and maintain the same properly to achieve following standards-

pH	Between	5.5 – 9.0
Suspended Solids	Not exceed	100 mg/l.
BOD_3 Days 27 °C	Not exceed	30 mg/l.
COD	Not exceed	250 mg/l.
Oil and grease	Not exceed	10 mg/l.

Sr	Water Code (Qty in klpd - Kilo Ltr per Day)	WC : 2.000	WWG : 0.000	Water Source	Remark
1	Dust Suppression	2.000	0.000	Tankers	used water tanker

4. Compilation of Monitoring data-
i. Samples and measurements taken to meet the monitoring requirements specified above shall be representative of the volume and nature of monitored discharge.
ii. Following promulgation of guidelines establishing test procedures for the analysis of pollutants, all sampling and analytical methods used to meet the monitoring requirements specified above shall conform to such guidelines unless otherwise specified sampling and analytical methods shall conform to the latest edition of the Indian Standard specifications and where it is not specified the guidelines as per standard methods for the examination of Water and Waste latest edition of the American Public Health Association, New York U.S.A. shall be used.
iii. The applicant shall take samples and measurement to meet the monthly requirements specified above and report online through XGN the same to the Board.

5. Recording of Monitoring Activities & Results-
i. The applicant shall make and maintain online records of all information resulting from monitoring activities by this Consent.
ii. The applicant shall record for each measurement of samples taken pursuant to the requirements of this Consent as follows:
(i) The date, exact place and time of sampling
(ii) The dates on which analysis were performed
(iii)Who performed the analysis?
(iv)The analytical techniques or methods used and
(v)The result of all required analysis
iii. If the applicant monitors any Pollutant more frequently as is by this Consent he shell include the results of such monitoring in the calculation and reporting of values required in the discharge monitoring reports which may be prescribed by the Board. Such increased frequency shall be indicated on the Discharge Monitoring Report Form.
iv. The applicant shall retain for a minimum of 3 years all records of monitoring activities including all records of Calibration and maintenance of instrumentation and original strip chart regarding continuous monitoring instrumentation. The period of retention shall be extended during the course of any unresolved litigation regarding the discharge of pollutants by the applicant or when requested by Central or State Board or the court.

M.P. Pollution Control Board - Chhindwara
RO Office M. P. Pollution control board
Opposite Mulla ji Petrol pump, Parasia Road
Chhindwara
Tele : 0761- 4042780,2647878

6. Reporting of Monitoring Results:-

Monitoring Information required by this Consent shall be summarized and reported by submitting a Discharge Monitoring report on line to the Board.

7. Limitation of discharge of oil Hazardous Substance in harmful quantities:-

The applicant shall not discharge oil or other hazardous substances in quantities defined as harmful in relevant regulations into natural water course. Nothing in this Consent shall be deemed to preclude the institution of any legal action nor relive the applicant from any responsibilities, liabilities, or penalties to which the applicant is or may be subject to clauses.

8. Limitation of visible floating solids and foam:

During the period beginning date of issuance the applicant shall not discharge floating solids or visible foam.

9. Disposal of Collected Solid waste/sludge-

All hazardous waste/sludge shall be disposed of as per the Authorization issued under Hazardous & other waste (M&TM) Rules 2016. And/other Solids Sludges, dirt, silt or other pollutant separated from or resulting from treatment shall be disposed of in such a manner as to prevent any pollutant from such materials from entering any such water Any live fish, Shall fish or other animal collected or trapped as a result of intake water screening or treatment may be returned to eaters body habitat.

10. Provision for Electric Power Failure-

The applicant shall assure to the consent issuing authority that the applicant has installed or provided for an alternative electric power source sufficient to operate all facilities utilized by the applicant to maintain compliance with the terms and conditions of the Consent.

11. Prohibition of By pass system of treatment facilities-

The diversion or by-pass of any discharge from facilities utilized by the applicant to maintain compliance with the terms and conditions of this Consent in prohibited except :

i. where unavoidable to prevent loss of life or severe property damage, or

ii. Where excessive storm drainage or run off would damage any facilities necessary for compliance with the terms and conditions of this Consent. The applicant shall immediately notify the consent issuing authorities in writing of each such diversion or by-pass in accordance with the procedure specified above for reporting non-compliance.

12. Industry/Institute/mine management shall submit the information online through XGN in reference to compliance of consent conditions.

This Certificate generated from xgn.mp.nic.in are valid and does not require physical signatures, the certificate can be validated online from xgn.mp.nic.in using "TPAV" Number.

M.P. Pollution Control Board - Chhindwara
RO Office M. P. Pollution control board
Opposite Mulla ji Petrol pump, Parasia Road
Chhindwara
Tele : 0761- 4042780,2647878

CONDITIONS PERTAINING TO AIR (PREVENTION & CONTROL OF POLLUTION) ACT 1981 :-

1. The applicant shall provide comprehensive air pollution control system consisting of control equipments as per the proposal submitted to the Board with reference to generation of emission and same shall be operated & maintained continuously so as to achieve the level of pollutants to the following standards:-

2. Ambient air quality at the boundary of the industry/unit premises shall be monitored and reported to the Board regularly on quarterly basis: The Ambient air quality norms are prescribed in MoEF gazette notification no. GSR/826(E), dated: 16/11/09. Some of the parameters are as follows:

a. Particulate Matter (less than 10 micron) - 100 µg/m³ (PM10 µg/m³ 24 hrs. basis)
b. Particulate Matter (less than 2.5 micron) - 60 µg/m³ (PM2.5 µg/m³ 24 hrs. basis)
c. Sulphur Dioxide [SO2] (24 hrs. Basis) - 80 µg/m³
d. Nitrogen Oxides [NOx] (24 hrs. Basis) - 80 µg/m³
e. Carbon Monoxide [CO] (8 hrs. Basis) - 2000 µg/m³

3. The industry shall take adequate measures for control of noise level generated from industrial activities within the premises less than 75 dB(A) during day time and 70 dB(A) during night time.

4. All the internal roads shall be made pucca to control the fugitive emissions of particulate matter generated due to transportation and internal movements. Good housekeeping practices shall be adopted to avoid leakages, seepages, spillages etc.

(Minimum number of plants to be planted by the unit:-500)

This Certificate generated from xgn.mp.nic.in are valid and does not require physical signatures, the certificate can be validated online from xgn.mp.nic.in using "TPAV" Number.

M.P. Pollution Control Board - Chhindwara
RO Office M. P. Pollution control board
Opposite Mulla ji Petrol pump, Parasia Road
Chhindwara
Tele : 0761- 4042780,2647878

GENERAL CONDITIONS:

1. The non hazardous solid waste arresting in the industry/unit/unit premises sweeping, etc. be disposed off scientifically so as not to cause any nuisance/pollution. The applicant shall take necessary permission from civic authorities for disposal to dumping site. If required.

Non Hazardous Solid wastes:-

Type of waste	Quantity	Disposal
Scrap/ Plastic packing material wood, card board, gunny begs etc		Sale to authorized party/As Per CPCB. MoEF Guide lines / Others.

2. The applicant shall allow the staff of Madhya Pradesh Pollution Control Board and/or their authorized representative, upon the representation of credentials:
a. To inspect raw material stock, manufacturing processes, reactors, premises etc to perform the functions of the Board.
b. To enter upon the applicant's premises where an effluent source is located or in which any records are required to be kept under the terms and conditions of this Consent.
c. To have access at reasonable times to any records required to be kept under the terms and conditions of this Consent.
d. To inspect at reasonable times any monitoring equipment or monitoring method required in this Consent: or,
e. To sample at reasonable times any discharge or pollutants.

3. This consent / authorisation is transferable in nature, in case of any change in ownership / management, the new owner / partner / directors / proprietor shall immediately apply for the consent with new requisite information.

4. The issuance of this Consent does not convey any property rights in either real or personal property or any exclusive privileges, nor does it authorise any invasion of personal rights, nor any infringement of Central, State or local laws or regulations.

5. This consent is granted in respect of Water pollution control Act 1974 or Air Pollution Control act, 1981 or Authorization under the provisions of Hazardous and other Waste (Management & Transboundary movement) Rules 2016 only and does not relate to any other Department/Agencies. License required from other Department/Agencies have to be obtained by the unit separately and have to comply separately as per there Act / Rules.

6. Balance consent/authorisation fee, if any shall be recoverable by the Board even at a later date.

7. The applicant shall submit such information, forms and fees as required by the board not letter than 180 day prior to the date of expiration of this consent/authorisation

8. Knowingly making any false statement for obtaining consent or compliance of consent conditions shall result in the imposition of criminal penalties as provided under the section 42(g) of the Water Act or section 38 (g) of the Air Act.

9. After notice and opportunity for the hearing, this consent may be modified, suspended or revoked by the Board in whole or in part during its term for cause including, but not limited to, the following :
(a) Violation of any terms and conditions of this Consent.
(b) Obtaining this Consent by misrepresentation of failure to disclose fully all relevant facts.
(c) A change in any condition that requires temporary or permanent reduction or elimination of the authorized discharge.

10. On violation of any of the above-mentioned conditions the consent granted will automatically be taken as canceled and necessary action will be initiated against the industry.

Additional condition:-

Consent/authorization as required under the Water (Prevention & Control of Pollution) Act,1974 , The Air (Prevention & Control of Pollution) Act,1981is granted to your industry subject to fulfillment of all the conditions mentioned above. For renewal purpose you shall have to make an application to this Board through XGN at least Six months before the date of expiry of this consent/authorisation. The applicant without valid consent (for operation) of the Board sh[illegible] any outlet for the discharge of effluent and gaseous emission.

(Organic Authentication on AADHAR from UIDAI Server)
TPAV # MHLX9F9231

KAILASH NARAYAN KATARE
Regional Officer
For and on behalf of
M.P. Pollution Control Board

Consent No:AW-109396

Consent Order

1233

M.P. Pollution Control Board - Chhindwara
RO Office M. P. Pollution control board
Opposite Mulla ji Petrol pump, Parasia Road
Chhindwara
Tele : 0761- 4042780,2647878

RED-SMALL	CCA-Fresh	A/W Validity 30/06/2023	PCB ID: 153940

Outward No:16456 05/04/2023 Consent No:AW-111569

NO: /MPPCB/CHW

To,

The Occupier,
M/s. National Energy Trading And Services Limited (Jholi-01 Sand Mine)betul,,
99, Village-Jholi,Tehsil-Ghoradongri, Distt-Betul,
City : Jholi (1),
Dist : Betul, Tal : Ghoradongari, SIDC : Not In SIDC, Latitude : 22.2460 Longitude : 78.0690

Subject: Grant of Consent to Operate under section 25 of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act,1974 under section 21 of the Air (Prevention & Control of Pollution) Act,1981

Ref: Your Consent to Operate Application Receipt No. 1263520 Dt. 29/03/2023 and last communication received on Dt.27/03/2023

With reference to your above application for consent to operate has been considered under the aforesaid Acts and existing rules therein. The M. P. Pollution Control Board has agreed to grant consent up to ***30/06/2023***, subject to the fulfillment of the terms & conditions, enclosed with this letter and-

SUBJECT TO THE FOLLOWING CONDITIONS :-

a. Location: 99, Village-Jholi,Tehsil-Ghoradongri, Distt-Betul , Jholi (1), Ghoradongari, Betul

b. The capital investment in lakhs: Rs. 90

c. Product & Production Capacity:

Product	Qty / year
Sand Mine	15600.000 MT3 (Fifteen Thousand Six Hundred Cubic Meter Per Year)

Note:- 1. For any change in above industry shall obtain fresh consent from the board.
2. Mine management shall be follow all the Rules and Regulation mentioned in EC, GOI MOEF and Department of state mining corporation , State mining Department of M.P. Govt. and as per any other Amendment shall be enforced in forth Coming future.

The Validity of the consent is up to ***30/06/2023*** and has to be renewed before expiry of consent validity. Online application through XGN with annual license fees in this regard shall be submitted to this office 6 months before expiry of the consent/Authorization.

Board reserves the right to amend/cancel / revoke the above condition in part or whole as and when required.

Enclosures:-

* Conditions under Water Act
* Conditions under Air Act
* General conditions

Signature Not Verified
Digitally Signed by :
K.N.KATARE, E.E
Date: 05/04/2023 05:10:02 PM

KAILASH NARAYAN KATARE
Regional Officer

(Organic Authentication on AADHAR from UIDAI Server)
TPAV # 81JH4M3J29

M.P. Pollution Control Board - Chhindwara
RO Office M. P. Pollution control board
Opposite Mulla ji Petrol pump, Parasia Road
Chhindwara
Tele : 0761- 4042780,2647878

CONDITIONS PERTAINING TO WATER (PREVENTION & CONTROL OF POLLUTION) ACT 1974 :-

1. The daily quantity of trade effluent at out fall of the unit shall not exceed 0.000 KL/day, and the daily quantity of sewage at out fall of the unit shall not exceed 0.000 KL/day

2. Trade Effluent Treatment:-
The applicant shall provide comprehensive effluent treatment system as per the proposal submitted to the Board and maintain the same properly to achieve following standards-

pH	Between	5.5 – 9.0
Suspended Solids	Not exceed	100 mg/l.
BOD_3 Days 27 °C	Not exceed	30 mg/l.
COD	Not exceed	250 mg/l.
Oil and grease	Not exceed	10 mg/l.

TDS	Not exceed	2100 mg/l.
Chlorides	Not exceed	1000 mg/l.

For other parameters general standards of discharge as notified under EP Act 1986 shall be applicable.

3. Sewage Treatment :- The applicant shall provide comprehensive sewage treatment system as per the proposal submitted to the Board and maintain the same properly to achieve following standards-

pH	Between	5.5 – 9.0
Suspended Solids	Not exceed	100 mg/l.
BOD_3 Days 27 °C	Not exceed	30 mg/l.
COD	Not exceed	250 mg/l.
Oil and grease	Not exceed	10 mg/l.

Sr	Water Code (Qty in klpd - Kilo Ltr per Day)	WC : 2.000	WWG : 0.000	Water Source	Remark
1	Dust Suppression	2.000	0.000	Tankers	used water tanker

4. Compilation of Monitoring data-
i. Samples and measurements taken to meet the monitoring requirements specified above shall be representative of the volume and nature of monitored discharge.
ii. Following promulgation of guidelines establishing test procedures for the analysis of pollutants, all sampling and analytical methods used to meet the monitoring requirements specified above shall conform to such guidelines unless otherwise specified sampling and analytical methods shall conform to the latest edition of the Indian Standard specifications and where it is not specified the guidelines as per standard methods for the examination of Water and Waste latest edition of the American Public Health Association, New York U.S.A. shall be used.
iii. The applicant shall take samples and measurement to meet the monthly requirements specified above and report online through XGN the same to the Board.

5. Recording of Monitoring Activities & Results-
i. The applicant shall make and maintain online records of all information resulting from monitoring activities by this Consent.
ii. The applicant shall record for each measurement of samples taken pursuant to the requirements of this Consent as follows:
(i) The date, exact place and time of sampling
(ii) The dates on which analysis were performed
(iii)Who performed the analysis?
(iv)The analytical techniques or methods used and
(v)The result of all required analysis
iii. If the applicant monitors any Pollutant more frequently as is by this Consent he shell include the results of such monitoring in the calculation and reporting of values required in the discharge monitoring reports which may be prescribed by the Board. Such increased frequency shall be indicated on the Discharge Monitoring Report Form.
iv. The applicant shall retain for a minimum of 3 years all records of monitoring activities including all records of Calibration and maintenance of instrumentation and original strip chart regarding continuous monitoring instrumentation. The period of retention shall be extended during the course of any unresolved litigation regarding the discharge of pollutants by the applicant or when requested by Central or State Board or the court.

M.P. Pollution Control Board - Chhindwara
RO Office M. P. Pollution control board
Opposite Mulla ji Petrol pump, Parasia Road
Chhindwara
Tele : 0761- 4042780,2647878

6. Reporting of Monitoring Results:-

Monitoring Information required by this Consent shall be summarized and reported by submitting a Discharge Monitoring report on line to the Board.

7. Limitation of discharge of oil Hazardous Substance in harmful quantities:-

The applicant shall not discharge oil or other hazardous substances in quantities defined as harmful in relevant regulations into natural water course. Nothing in this Consent shall be deemed to preclude the institution of any legal action nor relive the applicant from any responsibilities, liabilities, or penalties to which the applicant is or may be subject to clauses.

8. Limitation of visible floating solids and foam:

During the period beginning date of issuance the applicant shall not discharge floating solids or visible foam.

9. Disposal of Collected Solid waste/sludge-

All hazardous waste/sludge shall be disposed of as per the Authorization issued under Hazardous & other waste (M&TM) Rules 2016. And/other Solids Sludges, dirt, silt or other pollutant separated from or resulting from treatment shall be disposed of in such a manner as to prevent any pollutant from such materials from entering any such water Any live fish, Shall fish or other animal collected or trapped as a result of intake water screening or treatment may be returned to eaters body habitat.

10. Provision for Electric Power Failure-

The applicant shall assure to the consent issuing authority that the applicant has installed or provided for an alternative electric power source sufficient to operate all facilities utilized by the applicant to maintain compliance with the terms and conditions of the Consent.

11. Prohibition of By pass system of treatment facilities-

The diversion or by-pass of any discharge from facilities utilized by the applicant to maintain compliance with the terms and conditions of this Consent in prohibited except :

i. where unavoidable to prevent loss of life or severe property damage, or

ii. Where excessive storm drainage or run off would damage any facilities necessary for compliance with the terms and conditions of this Consent. The applicant shall immediately notify the consent issuing authorities in writing of each such diversion or by-pass in accordance with the procedure specified above for reporting non-compliance.

12. Industry/Institute/mine management shall submit the information online through XGN in reference to compliance of consent conditions.

This Certificate generated from xgn.mp.nic.in are valid and does not require physical signatures, the certificate can be validated online from xgn.mp.nic.in using "TPAV" Number.

M.P. Pollution Control Board - Chhindwara
RO Office M. P. Pollution control board
Opposite Mulla ji Petrol pump, Parasia Road
Chhindwara
Tele : 0761- 4042780,2647878

CONDITIONS PERTAINING TO AIR (PREVENTION & CONTROL OF POLLUTION) ACT 1981 :-

1. The applicant shall provide comprehensive air pollution control system consisting of control equipments as per the proposal submitted to the Board with reference to generation of emission and same shall be operated & maintained continuously so as to achieve the level of pollutants to the following standards:-

2. Ambient air quality at the boundary of the industry/unit premises shall be monitored and reported to the Board regularly on quarterly basis: The Ambient air quality norms are prescribed in MoEF gazette notification no. GSR/826(E), dated: 16/11/09. Some of the parameters are as follows:

a. Particulate Matter (less than 10 micron) - 100 µg/m³ (PM10 µg/m³ 24 hrs. basis)

b. Particulate Matter (less than 2.5 micron) - 60 µg/m³ (PM2.5 µg/m³ 24 hrs. basis)

c. Sulphur Dioxide [SO2] (24 hrs. Basis) - 80 µg/m³

d. Nitrogen Oxides [NOx] (24 hrs. Basis) - 80 µg/m³

e. Carbon Monoxide [CO] (8 hrs. Basis) - 2000 µg/m³

3. The industry shall take adequate measures for control of noise level generated from industrial activities within the premises less than 75 dB(A) during day time and 70 dB(A) during night time.

4. All the internal roads shall be made pucca to control the fugitive emissions of particulate matter generated due to transportation and internal movements. Good housekeeping practices shall be adopted to avoid leakages, seepages, spillages etc.

(Minimum number of plants to be planted by the unit:-625)

M.P. Pollution Control Board - Chhindwara
RO Office M. P. Pollution control board
Opposite Mulla ji Petrol pump, Parasia Road
Chhindwara
Tele : 0761- 4042780,2647878

GENERAL CONDITIONS:

1. The non hazardous solid waste arresting in the industry/unit/unit premises sweeping, etc. be disposed off scientifically so as not to cause any nuisance/pollution. The applicant shall take necessary permission from civic authorities for disposal to dumping site. If required.

Non Hazardous Solid wastes:-

Type of waste	Quantity	Disposal
Scrap/ Plastic packing material wood, card board, gunny begs etc		Sale to authorized party/As Per CPCB. MoEF Guide lines / Others.

2. The applicant shall allow the staff of Madhya Pradesh Pollution Control Board and/or their authorized representative, upon the representation of credentials:
a. To inspect raw material stock, manufacturing processes, reactors, premises etc to perform the functions of the Board.
b. To enter upon the applicant's premises where an effluent source is located or in which any records are required to be kept under the terms and conditions of this Consent.
c. To have access at reasonable times to any records required to be kept under the terms and conditions of this Consent.
d. To inspect at reasonable times any monitoring equipment or monitoring method required in this Consent: or,
e. To sample at reasonable times any discharge or pollutants.

3. This consent / authorisation is transferable in nature, in case of any change in ownership / management, the new owner / partner / directors / proprietor shall immediately apply for the consent with new requisite information.

4. The issuance of this Consent does not convey any property rights in either real or personal property or any exclusive privileges, nor does it authorise any invasion of personal rights, nor any infringement of Central, State or local laws or regulations.

5. This consent is granted in respect of Water pollution control Act 1974 or Air Pollution Control act, 1981 or Authorization under the provisions of Hazardous and other Waste (Management & Transboundary movement) Rules 2016 only and does not relate to any other Department/Agencies. License required from other Department/Agencies have to be obtained by the unit separately and have to comply separately as per there Act / Rules.

6. Balance consent/authorisation fee, if any shall be recoverable by the Board even at a later date.

7. The applicant shall submit such information, forms and fees as required by the board not letter than 180 day prior to the date of expiration of this consent/authorisation

8. Knowingly making any false statement for obtaining consent or compliance of consent conditions shall result in the imposition of criminal penalties as provided under the section 42(g) of the Water Act or section 38 (g) of the Air Act.

9. After notice and opportunity for the hearing, this consent may be modified, suspended or revoked by the Board in whole or in part during its term for cause including, but not limited to, the following :
(a) Violation of any terms and conditions of this Consent.
(b) Obtaining this Consent by misrepresentation of failure to disclose fully all relevant facts.
(c) A change in any condition that requires temporary or permanent reduction or elimination of the authorized discharge.

10. On violation of any of the above-mentioned conditions the consent granted will automatically be taken as canceled and necessary action will be initiated against the industry.

Additional condition:-

Consent/authorization as required under the Water (Prevention & Control of Pollution) Act,1974 , The Air (Prevention & Control of Pollution) Act,1981is granted to your industry subject to fulfillment of all the conditions mentioned above. For renewal purpose you shall have to make an application to this Board through XGN at least Six months before the date of expiry of this consent/authorisation. The applicant without valid consent (for operation) of the Board shall not bring in to use any outlet for the discharge of effluent and gaseous emission.

(Organic Authentication on AADHAR from UIDAI Server)
TPAV # 81JH4M3J29

KAILASH NARAYAN KATARE
Regional Officer
For and on behalf of
M.P. Pollution Control Board

Consent No:AW-111569

M.P. Pollution Control Board - Chhindwara
RO Office M. P. Pollution control board
Opposite Mulla ji Petrol pump, Parasia Road
Chhindwara
Tele : 0761- 4042780,2647878

Consent Order

1238

RED-SMALL	CCA-Fresh	Validity (A/W) 30/05/2024	PCB ID: 154694

Outward No:16578 01/06/2023 Consent No:AW-113265

NO: /MPPCB/CHW

To,

The Occupier,
M/s. National Energy Trading And Services Limited(Ratamati Sand Mine),Betul,,
1, Village-Ratamati,Tehsil-Bhainsdehi Distt-Betul,
City : Ratamati,
Dist : Betul, Tal : Bhainsdehi, SIDC : Not In SIDC, Latitude : 21.8089 Longitude : 77.4875

Subject: Grant of Consent to Operate under section 25 of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act,1974 under section 21 of the Air (Prevention & Control of Pollution) Act,1981

Ref: Your Consent to Operate Application Receipt No. 1276255 Dt. 31/05/2023 and last communication received on Dt.28/05/2023

With reference to your above application for consent to operate has been considered under the aforesaid Acts and existing rules therein. The M. P. Pollution Control Board has agreed to grant consent up to ***30/05/2024***, subject to the fulfillment of the terms & conditions, enclosed with this letter and-

SUBJECT TO THE FOLLOWING CONDITIONS :-

a. Location: 1, Village-Ratamati,Tehsil-Bhainsdehi Distt-Betul , Ratamati, Bhainsdehi, Betul

b. The capital investment in lakhs: Rs. 122

c. Product & Production Capacity:

Product	Qty / year
Sand Mine	**21600.000 MT^3** (***Twenty One Thousand Six Hundred Cubic Meter Per Year***)

Note:-

1. ***For any change in above industry shall obtain fresh consent from the board.***
2. ***Mine management shall be follow all the Rules and Regulation mentioned in EC, GOI MOEF&CC and Department of state mining corporation, State mining Corporation of M.P. Govt. and as per any other Amendment shall be enforced in forth coming future.***

The Validity of the consent is up to ***30/05/2024*** and has to be renewed before expiry of consent validity. Online application through XGN with annual license fees in this regard shall be submitted to this office 6 months before expiry of the consent/Authorization. Board reserves the right to amend/cancel / revoke the above condition in part or whole as and when required.

Enclosures:-

* Conditions under Water Act
der Air Act
tions

Signature Not Verified
Digitally Signed by :
K.N.KATARE, E.E
Date: 01/06/2023 08:57:35 PM

KAILASH NARAYAN KATARE
Regional Officer

(Organic Authentication on AADHAR from UIDAI Server)
TPAV # 56O52GFIQB

M.P. Pollution Control Board - Chhindwara
RO Office M. P. Pollution control board
Opposite Mulla ji Petrol pump, Parasia Road
Chhindwara
Tele : 0761- 4042780,2647878

CONDITIONS PERTAINING TO WATER (PREVENTION & CONTROL OF POLLUTION) ACT 1974 :-

1. The daily quantity of trade effluent of the unit shall not exceed 0.000 KL/day, and the daily quantity of sewage of the unit shall not exceed 0.000 KL/day

2. Trade Effluent Treatment:-
The applicant shall operate and maintain effluent treatment system as per the proposal submitted to the Board and maintain the same properly to achieve following standards-

pH	Between	5.5 – 9.0
Suspended Solids	Not exceed	100 mg/l.
BOD_3 Days 27 °C	Not exceed	30 mg/l.
COD	Not exceed	250 mg/l.
Oil and grease	Not exceed	10 mg/l.

TDS	Not exceed	2100 mg/l.
Chlorides	Not exceed	1000 mg/l.

For other parameters general standards of discharge as notified under EP Act 1986 shall be applicable.

3. Sewage Treatment :- The applicant shall operate and maintain sewage treatment facility to achieve following standards-

pH	Between	5.5 – 9.0
Suspended Solids	Not exceed	100 mg/l.
BOD 3 Days 27 °C	Not exceed	30 mg/l.
COD	Not exceed	250 mg/l.
Oil and grease	Not exceed	10 mg/l.
fecal coliform	Not exceed	1000 MPN/100 ml

Sr	Water Code (Qty in klpd - Kilo Ltr per Day)	WC : 2.000	WWG : 0.000	Water Source	Remark
1	Dust Suppression	2.000	0.000	Tankers	used water tanker

4. Compilation of Monitoring data-
i. Samples and measurements taken to meet the monitoring requirements specified above shall be representative of the volume and nature of monitored discharge.
ii. Following promulgation of guidelines establishing test procedures for the analysis of pollutants, all sampling and analytical methods used to meet the monitoring requirements specified above shall conform to such guidelines unless otherwise specified sampling and analytical methods shall conform to the latest edition of the Indian Standard specifications and where it is not specified the guidelines as per standard methods for the examination of Water and Waste latest edition of the American Public Health Association, New York U.S.A. shall be used.
iii. The applicant shall take samples and measurement to meet the monthly requirements specified above and report online through XGN the same to the Board.

5. Recording of Monitoring Activities & Results-
i. The applicant shall make and maintain online records of all information resulting from monitoring activities by this Consent.
ii. The applicant shall record for each measurement of samples taken pursuant to the requirements of this Consent as follows:
(i) The date, exact place and time of sampling
(ii) The dates on which analysis were performed
(iii)Who performed the analysis?
(iv)The analytical techniques or methods used and
(v)The result of all required analysis
iii. If the applicant monitors any Pollutant more frequently as is by this Consent he shell include the results of such monitoring in the calculation and reporting of values required in the discharge monitoring reports which may be prescribed by the Board. Such increased frequency shall be indicated on the Discharge Monitoring Report Form.
iv. The applicant shall retain for a minimum of 3 years all records of monitoring activities including all records of Calibration and maintenance of instrumentation and original strip chart regarding continuous monitoring instrumentation. The period of retention shall be extended during the course of any unresolved litigation regarding the discharge of pollutants by the applicant or when requested by Central or State Board or the court.

This Certificate generated from xgn.mp.nic.in are valid and does not require physical signatures, the certificate can be validated online from xgn.mp.nic.in using "TPAV" Number.

6. Reporting of Monitoring Results:-

Monitoring Information required by this Consent shall be summarized and reported by submitting a Discharge Monitoring report on line to the Board.

7. Limitation of discharge of oil Hazardous Substance in harmful quantities:-

The applicant shall not discharge oil or other hazardous substances in quantities defined as harmful in relevant regulations into natural water course. Nothing in this Consent shall be deemed to preclude the institution of any legal action nor relive the applicant from any responsibilities, liabilities, or penalties to which the applicant is or may be subject to clauses.

8. Limitation of visible floating solids and foam:

During the period beginning date of issuance the applicant shall not discharge floating solids or visible foam.

9. Disposal of Collected Solid waste/sludge-

All hazardous waste/sludge shall be disposed of as per the Authorization issued under Hazardous & other waste (M&TM) Rules 2016. And/other Solids Sludges, dirt, silt or other pollutant separated from or resulting from treatment shall be disposed of in such a manner as to prevent any pollutant from such materials from entering any such water Any live fish, Shall fish or other animal collected or trapped as a result of intake water screening or treatment may be returned to eaters body habitat.

10. Provision for Electric Power Failure-

The applicant shall assure to the consent issuing authority that the applicant has installed or provided for an alternative electric power source sufficient to operate all facilities utilized by the applicant to maintain compliance with the terms and conditions of the Consent.

11. Prohibition of By pass system of treatment facilities-

The diversion or by-pass of any discharge from facilities utilized by the applicant to maintain compliance with the terms and conditions of this Consent in prohibited except :

i. where unavoidable to prevent loss of life or severe property damage, or

ii. Where excessive storm drainage or run off would damage any facilities necessary for compliance with the terms and conditions of this Consent. The applicant shall immediately notify the consent issuing authorities in writing of each such diversion or by-pass in accordance with the procedure specified above for reporting non-compliance.

12. Industry/Institute/mine management shall submit the information online through XGN in reference to compliance of consent conditions.

This Certificate generated from xgn.mp.nic.in are valid and does not require physical signatures, the certificate can be validated online from xgn.mp.nic.in using "TPAV" Number.

M.P. Pollution Control Board - Chhindwara
RO Office M. P. Pollution control board
Opposite Mulla ji Petrol pump, Parasia Road
Chhindwara
Tele : 0761- 4042780,2647878

CONDITIONS PERTAINING TO AIR (PREVENTION & CONTROL OF POLLUTION) ACT 1981 :-

1. The applicant shall operate and maintain air pollution control system to achieve the level of pollutants to the following standards:-

2. Ambient air quality at the boundary of the industry/unit premises shall be monitored and reported to the Board regularly on quarterly basis: The Ambient air quality norms are prescribed in MoEF gazette notification no. GSR/826(E), dated: 16/11/09. Some of the parameters are as follows:

a. Particulate Matter (less than 10 micron) - 100 µg/m³ (PM10 µg/m³ 24 hrs. basis)

b. Particulate Matter (less than 2.5 micron) - 60 µg/m³ (PM2.5 µg/m³ 24 hrs. basis)

c. Sulphur Dioxide [SO2] (24 hrs. Basis) - 80 µg/m³

d. Nitrogen Oxides [NOx] (24 hrs. Basis) - 80 µg/m³

e. Carbon Monoxide [CO] (8 hrs. Basis) - 2000 µg/m³

3. The industry shall take adequate measures for control of noise level generated from industrial activities within the premises less than 75 dB(A) during day time and 70 dB(A) during night time.

4. All the internal roads shall be made pucca to control the fugitive emissions of particulate matter generated due to transportation and internal movements. Good housekeeping practices shall be adopted to avoid leakages, seepages, spillages etc.

(Minimum number of plants to be planted by the unit:-750 Nos.)

M.P. Pollution Control Board - Chhindwara
RO Office M. P. Pollution control board
Opposite Mulla ji Petrol pump, Parasia Road
Chhindwara
Tele : 0761- 4042780,2647878

GENERAL CONDITIONS:

1. The non hazardous solid waste arresting in the industry/unit/unit premises sweeping, etc. be disposed off scientifically so as not to cause any nuisance/pollution. The applicant shall take necessary permission from civic authorities for disposal to dumping site. If required.

Non Hazardous Solid wastes:-

Type of waste	Quantity	Disposal
Scrap/ Plastic packing material wood, card board, gunny begs etc		Sale to authorized party/As Per CPCB. MoEF Guide lines / Others.

2. The applicant shall allow the staff of Madhya Pradesh Pollution Control Board and/or their authorized representative, upon the representation of credentials:
a. To inspect raw material stock, manufacturing processes, reactors, premises etc to perform the functions of the Board.
b. To enter upon the applicant's premises where an effluent source is located or in which any records are required to be kept under the terms and conditions of this Consent.
c. To have access at reasonable times to any records required to be kept under the terms and conditions of this Consent.
d. To inspect at reasonable times any monitoring equipment or monitoring method required in this Consent: or,
e. To sample at reasonable times any discharge or pollutants.

3. This consent / authorisation is transferable in nature, in case of any change in ownership / management, the new owner / partner / directors / proprietor shall immediately apply for the consent with new requisite information.

4. The issuance of this Consent does not convey any property rights in either real or personal property or any exclusive privileges, nor does it authorise any invasion of personal rights, nor any infringement of Central, State or local laws or regulations.

5. This consent is granted in respect of Water pollution control Act 1974 or Air Pollution Control act, 1981 or Authorization under the provisions of Hazardous and other Waste (Management & Transboundary movement) Rules 2016 only and does not relate to any other Department/Agencies. License required from other Department/Agencies have to be obtained by the unit separately and have to comply separately as per there Act / Rules.

6. Balance consent/authorisation fee, if any shall be recoverable by the Board even at a later date.

7. The applicant shall submit such information, forms and fees as required by the board not letter than 180 day prior to the date of expiration of this consent/authorisation

8. Knowingly making any false statement for obtaining consent or compliance of consent conditions shall result in the imposition of criminal penalties as provided under the section 42(g) of the Water Act or section 38 (g) of the Air Act.

9. After notice and opportunity for the hearing, this consent may be modified, suspended or revoked by the Board in whole or in part during its term for cause including, but not limited to, the following :
(a) Violation of any terms and conditions of this Consent.
(b) Obtaining this Consent by misrepresentation of failure to disclose fully all relevant facts.
(c) A change in any condition that requires temporary or permanent reduction or elimination of the authorized discharge.

10. On violation of any of the above-mentioned conditions the consent granted will automatically be taken as canceled and necessary action will be initiated against the industry.

Additional condition:-

Consent/authorization as required under the Water (Prevention & Control of Pollution) Act,1974 , The Air (Prevention & Control of Pollution) Act,1981is granted to your industry subject to fulfillment of all the conditions mentioned above. For renewal purpose you shall have to make an application to this Board through XGN at least Six months before the date of expiry of this consent/authorisation. The applicant without valid consent (for operation) of the Board shall not bring in to use any outlet for the discharge of effluent and gaseous emission.

(Organic Authentication on AADHAR from UIDAI Server)
TPAV # 56O52GFIQB

For and on penalf of
M.P. Pollution Control Board
KAILASH NARAYAN KATARE
Regional Officer

Consent No:AW-113265

Consent Order

1243

M.P. Pollution Control Board
E-5, Arera Colony
Paryavaran Parisar, Bhopal - 16 MP
Tele : 0755-2466191, Fax-0755-2463742

RED-MEDIUM	CCA-Fresh	CONSENT NO: ***	PCB ID: 155057

Outward No:118280,12/06/2023 **Consent No:AW-58387**

To,

The Occupier,

M/s. National Energy Trading And Services Limited(Shahpur\patouwapura),

Kh No 1, 112, Area 11.000 Hectare, Village :Patawopura/Shahpur, Tehsil :Shahpur, Dist: Betul.(M.P.)Latitude : 22.1947 Longitude : 77.8963

Subject: **Grant of Consent to Operate under section 25 of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act,1974 under section 21 of the Air (Prevention & Control of Pollution) Act,1981**

Ref: **Consent to Operate Application R.No. 1276156 Dt. 31/05/2023 and last communication received on Dt.01.06.2023**

With reference to your above application for consent to operate has been considered under the aforesaid Acts and existing rules therein. The M. P. Pollution Control Board has agreed to grant consent up **to 30/06/2023**, subject to the fulfillment of the terms & conditions, enclosed with this letter and-

SUBJECT TO THE FOLLOWING CONDITIONS :-

a. Location: **Kh No 1, 112, Area 11.000 Hectare, Village :Patawopura/Shahpur, Tehsil :Shahpur, Dist: Betul (M.P.)**

b. Mining Lease area: **11.00 Ha.**
Mineable area : **6.60 Hact.**

c. Product & Production Capacity:

Activity / Product	Qty / year
Mining of Sand	1,18,800 Cubic Meter Per Year,

1) Mining plan is approved for 1,18,800 Cubic meter /year capacity , so pp shall do mining up to this limit only.

2) Mine management shall ensure the compliance of order passed by Hon'ble NGT in OA 10/2020 (CZ) on dated 01/06/2020, in OA 09/2018 on dated 12/06/2020, NGT OA 17/2019 (CZ) on dated 26/11/2019 in OA 360/2015 on 26.02.2021 and in OA 38/2022 on dated 17.10.2022 pertaining to sustainable sand Mining.

3) Mine Management shall ensure that the mine is operated with valid mining lease & as per the provisions made by you in the mining plan approved by Collector Distt: Betul vide letter No. 221 Dt 07.02.2023 and in compliance of the conditions laid by SEIAA MP in EC granted vide. EC Identification No. EC23B001MP138720 dt 17.05.2023.

4) Quarry contractor shall install permanent type demarcation pillars to represent quarry lease boundary & sign Board with quarry details and mining should be done as per mine plan, EC and in accordance with Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 and Enforcement & Monitoring Guidelines for sand mining, 2020.

5) As proposed in the approved mining plan, the maximum depth of mine pit shall not exceed 1.8 meter & mining done in 6.60 Hact. mineable area only with an average depth not exceeding 1.8 meters. Mining shall be done above water level without disturbing the water flow;. No in stream mining shall be done.

6) PP shall ensure intermittent water sprinkling on transportation route which shall not pass through any residential / forest area to ensure control of Dust and Noise pollution. PP shall practice regular compaction of loose material of haulage road to reduce the fugitive emissions.

7) Evacuation of sand should not be proposed towards village : Patawopura/Shahpur, PP should make its own evacuation route & obtain necessary permission from concerned Gram Sabha for the same.

The Validity of the consent is up to **30/06/2023** and has to be renewed before expiry of consent validity. Online application through XGN with annual license fees in this regard shall be submitted to this office 6 months before expiry of the consent/Authorization. Board reserves the right to amend/cancel / revoke the above condition in part or whole as and when required.

Enclosures:-

* Conditions under Water Act
* Conditions under Air Act
* General conditions

CC to :-

1. District Mining Officer, (Mining Section), Collector office, Betul Dist. Betul (M.P.) for information.
2. Director, Geology & Mining Khanij Bhawan 29-A, Arera Hills, , Bhopal (M.P.) for necessary action please.
3. Regional officer, Regional office, MPPCB Chhindwara (M.P.)

By the order of Chairman, MPPCB

Signature Not Verified
Digitally Signed by : Chandra Mohan Thakur IAS
Date: 12/06/2023 10:52:12 AM

CHANDRA MOHAN THAKUR
Member Secretary

(Organic Authentication on AADHAR from UIDAI Server)
TPAV # PD8A3FTG5N

M.P. Pollution Control Board
E-5, Arera Colony
Paryavaran Parisar, Bhopal - 16 MP
Tele : 0755-2466191, Fax-0755-2463742

CONDITIONS PERTAINING TO WATER (PREVENTION & CONTROL OF POLLUTION) ACT 1974 :-

1. **The daily quantity of trade effluent at out fall of the unit shall not exceed 0.000 KL/day, and the daily quantity of sewage at out fall of the unit shall not exceed 0.800KL/day.**

2. Trade Effluent Treatment:-
The applicant shall provide comprehensive effluent treatment system as per the proposal submitted to the Board and maintain the same properly to achieve following standards-

pH	Between	5.5 – 9.0
Suspended Solids	Not exceed	100 mg/l.
BOD 3 Days 270C	Not exceed	30 mg/l.
COD	Not exceed	250 mg/l.
Oil and grease	Not exceed	10 mg/l.

TDS	Not exceed	2100 mg/l.
Chlorides	Not exceed	1000 mg/l.

For other parameters general standards of discharge as notified under EP Act 1986 shall be applicable.

3. Sewage Treatment :- The applicant shall provide comprehensive sewage treatment system as per the proposal submitted to the Board and maintain the same properly to achieve following standards-

pH	Between	5.5 – 9.0
Suspended Solids	Not exceed	100 mg/l.
BOD_3 Days 27^0C	Not exceed	30 mg/l.
COD	Not exceed	250 mg/l.
Oil and grease	Not exceed	10 mg/l.
Total Colliform	Not exceed	1000 (MPN/100ML)

Sr	Water Code (Qty in klpd - Kilo Ltr per Day)	WC : 9.000	WWG : 0.800	Water Source	Remark
1	Domestic Purpose	3.000	0.800	other	Toilet with septic tank soak pit to be provided
2	Dust suppression/ Plantation green belt	6.000	0.000	other	

4. The effluent shall be treated up to prescribed Standards and reuse in the process, for cooling and for green belt devolvement/gardening within premises. Hence zero discharge condition shall be practiced. In no case treated effluent shall be discharged outside of industry/unit premises.

5. Any change in production capacity, process, raw material used etc. and for any enhancement of the above prior permission of the Board shall be obtained. All authorized discharges shall be consistent with terms and conditions of this consent. Facility expansions, production increases or process modifications which result new or increased discharges of pollutants must be reported by submission of a fresh consent application for prior permission of the Board

6. All treatment/control facilities/systems installed or used by the applicant shall be regularly maintained in good working order and operate effectively/efficiently to achieve compliance of the terms and conditions of this consent

7. The Consent does not authorize or approve the Construction of any physical structures or facilities or the undertaking of any work in any water course or within its high flood level (HFL) area

8. The specific effluent limitations and pollution control systems applicable to the discharge permitted herein are set forth as above conditions.

9. Compilation of Monitoring data-
i. Samples and measurements taken to meet the monitoring requirements specified above shall be representative of the volume and nature of monitored discharge.
ii. Following promulgation of guidelines establishing test procedures for the analysis of pollutants, all sampling and analytical methods used to meet the monitoring requirements specified above shall conform to such guidelines unless otherwise specified sampling and analytical methods shall conform to the latest edition of the Indian Standard specifications and where it is not specified the guidelines as per standard methods for the examination of Water and Waste latest edition of the American Public Health Association, New York U.S.A. shall be used.
iii. The applicant shall take samples and measurement to meet the monthly requirements specified above and report online through XGN the same to the Board.

M.P. Pollution Control Board
E-5, Arera Colony
Paryavaran Parisar, Bhopal - 16 MP
Tele : 0755-2466191, Fax-0755-2463742

10. Recording of Monitoring Activities & Results-

i. The applicant shall make and maintain online records of all information resulting from monitoring activities by this Consent.

ii. The applicant shall record for each measurement of samples taken pursuant to the requirements of this Consent as follows:

(i) The date, exact place and time of sampling
(ii) The dates on which analysis were performed
(iii)Who performed the analysis?
(iv)The analytical techniques or methods used and
(v)The result of all required analysis

iii. If the applicant monitors any Pollutant more frequently as is by this Consent he shell include the results of such monitoring in the calculation and reporting of values required in the discharge monitoring reports which may be prescribed by the Board. Such increased frequency shall be indicated on the Discharge Monitoring Report Form.

iv. The applicant shall retain for a minimum of 3 years all records of monitoring activities including all records of Calibration and maintenance of instrumentation and original strip chart regarding continuous monitoring instrumentation. The period of retention shall be extended during the course of any unresolved litigation regarding the discharge of pollutants by the applicant or when requested by Central or State Board or the court.

11. Reporting of Monitoring Results:-

Monitoring Information required by this Consent shall be summarized and reported by submitting a Discharge Monitoring report on line to the Board.

12. Limitation of discharge of oil Hazardous Substance in harmful quantities:-

The applicant shall not discharge oil or other hazardous substances in quantities defined as harmful in relevant regulations into natural water course. Nothing in this Consent shall be deemed to neither preclude the institution of any legal action nor relive the applicant from any responsibilities, liabilities, or penalties to which the applicant is or may be subject to clauses.

13. Limitation of visible floating solids and foam:

During the period beginning date of issuance the applicant shall not discharge floating solids or visible foam.

14. Disposal of Collected Solid waste/sludge-

All hazardous waste/sludge shall be disposed of as per the Authorization issued under Hazardous & other waste (M&TM) Rules 2016. And/other Solids Sludge, dirt, silt or other pollutant separated from or resulting from treatment shall be disposed of in such a manner as to prevent any pollutant from such materials from entering any such water Any live fish, Shall fish or other animal collected or trapped as a result of intake water screening or treatment may be returned to eaters body habitat.

15. Provision for Electric Power Failure-

The applicant shall assure to the consent issuing authority that the applicant has installed or provided for an alternative electric power source sufficient to operate all facilities utilized by the applicant to maintain compliance with the terms and conditions of the Consent.

16. Prohibition of Bypass system of treatment facilities-

The diversion or by-pass of any discharge from facilities utilized by the applicant to maintain compliance with the terms and conditions of this Consent is prohibited except:

i. where unavoidable to prevent loss of life or severe property damage, or

ii. Where excessive storm drainage or run off would damage any facilities necessary for compliance with the terms and conditions of this Consent. The applicant shall immediately notify the consent issuing authorities in writing of each such diversion or by-pass in accordance with the procedure specified above for reporting non-compliance.

17. Industry/Institute/mine management shall submit the information online through XGN in reference to compliance of consent conditions.

Additional Water condition:-

Mine management should provide toilets for labors.

This Certificate generated from xgn.mp.nic.in are valid and does not require physical signatures, the certificate can be validated online from xgn.mp.nic.in using "TPAV" Number.

M.P. Pollution Control Board
E-5, Arera Colony
Paryavaran Parisar, Bhopal - 16 MP
Tele : 0755-2466191, Fax-0755-2463742

CONDITIONS PERTAINING TO AIR (PREVENTION & CONTROL OF POLLUTION) ACT 1981 :-

1. The applicant shall provide comprehensive air pollution control system consisting of control equipments as per the proposal submitted to the Board with reference to generation of emission and same shall be operated & maintained continuously so as to achieve the level of pollutants to the following standards:-

2. Ambient air quality at the boundary of the industry/unit premises shall be monitored and reported to the Board regularly on quarterly basis: The Ambient air quality norms are prescribed in MoEF gazette notification no. GSR/826(E), dated: 16/11/09. Some of the parameters are as follows:

a. Particulate Matter (less than 10 micron) - 100 µg/m^3 (PM_{10} µg/m^3 24 hrs. basis)
b. Particulate Matter (less than 2.5 micron) - 60 µg/m^3 ($PM_{2.5}$ µg/m^3 24 hrs. basis)
c. Sulphur Dioxide [SO_2] (24 hrs. Basis) - 80 µg/m^3
d. Nitrogen Oxides [NO_x] (24 hrs. Basis) - 80 µg/m^3
e. Carbon Monoxide [CO] (8 hrs. Basis) - 2000 µg/m^3

3. The industry shall take adequate measures for control of noise level generated from industrial activities within the premises less than 75 dB(A) during day time and 70 dB(A) during night time.

4. The industry/unit shall make the necessary arrangements for control of the fugitive emission from any source of emission/section/activities.

5. All other fugitive emission sources such as leakages, seepages, spillages etc shall be ensured to be plugged or sealed or made airtight to avoid the public nuisance.

6. All the internal roads shall be made pucca to control the fugitive emissions of particulate matter generated due to transportation and internal movements. Good housekeeping practices shall be adopted to avoid leakages, seepages, spillages etc.

7. Industry shall take effective steps for extensive tree plantation preferably in 03 rows of the local tree species with minimum spacing of 2X2 meters within or around the industry/unit premises for general improvement of environmental conditions and as stated in below.

Additional Air condition:-

1) Mine management shall provide pucca road for material transportation

2) Mine management shall not use village road for transportation.

3) Mine management shall provide fugitive emission control arrangements.

4) The vehicle used for the transportation of sand shall be PU certified and shall be properly maintained to reduce the noise.

This Certificate generated from xgn.mp.nic.in are valid and does not require physical signatures, the certificate can be validated online from xgn.mp.nic.in using "TPAV" Number.

M.P. Pollution Control Board
E-5, Arera Colony
Paryavaran Parisar, Bhopal - 16 MP
Tele : 0755-2466191, Fax-0755-2463742

GENERAL CONDITIONS:

1. The non hazardous solid waste arresting in the industry/unit/unit premises sweeping, etc. be disposed off scientifically so as not to cause any nuisance/pollution. The applicant shall take necessary permission from civic authorities for disposal to dumping site. If required.

Non Hazardous Solid wastes:-

Type of waste	Quantity	Disposal
Scrap/ Plastic packing material wood, card board, gunny begs etc		Sale to authorized party/As Per CPCB. MoEF Guide lines / others.

2. The applicant shall allow the staff of Madhya Pradesh Pollution Control Board and/or their authorized representative, upon the representation of credentials:

a. To inspect raw material stock, manufacturing processes, reactors, premises etc to perform the functions of the Board.
b. To enter upon the applicant's premises where an effluent source is located or in which any records are required to be kept under the terms and conditions of this Consent.
c. To have access at reasonable times to any records required to be kept under the terms and conditions of this Consent.
d. To inspect at reasonable times any monitoring equipment or monitoring method required in this Consent: or,
e. To sample at reasonable times any discharge or pollutants.

3. This consent / authorisation is transferable in nature, in case of any change in ownership / management, the new owner / partner / directors / proprietor shall immediately apply for the consent with new requisite information.

4. The issuance of this Consent does not convey any property rights in either real or personal property or any exclusive privileges, nor does it authorise any invasion of personal rights, nor any infringement of Central, State or local laws or regulations.

5. This consent is granted in respect of Water pollution control Act 1974 or Air Pollution Control act, 1981 or Authorization under the provisions of Hazardous and other Waste (Management & Transboundary movement) Rules 2016 only and does not relate to any other Department/Agencies. License required from other Department/Agencies have to be obtained by the unit separately and have to comply separately as per there Act / Rules.

6. Balance consent/authorisation fee, if any shall be recoverable by the Board even at a later date.

7. The applicant shall submit such information, forms and fees as required by the board not letter than 180 day prior to the date of expiration of this consent/authorisation

8. Knowingly making any false statement for obtaining consent or compliance of consent conditions shall result in the imposition of criminal penalties as provided under the section 42(g) of the Water Act or section 38 (g) of the Air Act.

9. After notice and opportunity for the hearing, this consent may be modified, suspended or revoked by the Board in whole or in part during its term for cause including, but not limited to, the following:

(a) Violation of any terms and conditions of this Consent.
(b) Obtaining this Consent by misrepresentation of failure to disclose fully all relevant facts.
(c) A change in any condition that requires temporary or permanent reduction or elimination of the authorized discharge.

10. On violation of any of the above-mentioned conditions the consent granted will automatically be taken as canceled and necessary action will be initiated against the industry.

Additional condition:-

1. Tree plantation shall be carried out in open area available.

2. **As proposed in the approved mining plan, the maximum depth of mine pit shall not exceed 1.8 meter & mining done in 6.60 Hact. mineable area only with an average depth not exceeding 1.8 meters. Mining shall be done above water level without disturbing the water flow;. No in stream mining shall be done.**

3. The mining activity shall be done as per approved mining plan and environmental clearance.

4 Transportation of sand shall not be done through residential area. Village roads shall not be used for transportation.

5. Manual mining method using hand tools shall be adopted. Mining will be done with the help of spade, basket & shovel by lifting & loading the sand in small trolleys, No dumper/trucks shall be used and heavy vehicles shall not be allowed on the banks for loading/transporting of sand.

This Certificate generated from xgn.mp.nic.in are valid and does not require physical signatures, the certificate can be validated online from xgn.mp.nic.in using "TPAV" Number.

M.P. Pollution Control Board
E-5, Arera Colony
Paryavaran Parisar, Bhopal - 16 MP
Tele : 0755-2466191, Fax-0755-2463742

6. The sand shall be transported by small trolleys up to the Mineral stacking yard. Proper air pollution control arrangements shall be provided at yard to prevent fugitive emission due to loading/unloading activity. Regular Water spraying on the transportation road should be practiced.

7. Transport vehicles will be covered with tarpaulin to minimize dust/sand particle emissions. Vehicular emissions should be kept under control and regularly monitored for compliance of emission norms. Vehicles used for transporting the mineral should be covered with tarpaulins and optimally loaded.

8. After mining is complete, the edge of the pit should be graded to a 2.5:1 slope in the direction of the flow. Mine management shall submit the annual replenishment plan.

9. The mine Management shall submit environmental statement for the previous year ending 31st March on or before 30th September every year to the Board.

10. The mine Management shall comply with all the relevant Acts/Rules, directions, guide lines issued by MoEF/CPCB/MPPCB from time to time as required and, if applicable.

Consent/authorization as required under the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974, The Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981is granted to your industry subject to fulfillment of all the conditions mentioned above. For renewal purpose you shall have to make an application to this Board through XGN at least Six months before the date of expiry of this consent/authorisation. The applicant without valid consent (for operation) of the Board shall not bring in to use any outlet for the discharge of effluent and gaseous emission.

For and on behalf of
M.P. Pollution Control Board

By the order of Chairman, MPPCB

CHANDRA MOHAN THAKUR
Member Secretary

(Organic Authentication on AADHAR from UIDAI Server)
TPAV # PD8A3FTG5N

Consent No:AW-58387

M.P. Pollution Control Board
E-5, Arera Colony
Paryavaran Parisar, Bhopal - 16 MP
Tele : 0755-2466191, Fax-0755-2463742

Consent Order

1249

RED-SMALL	CCA-Fresh	CONSENT NO: ***	PCB ID: 155421

Outward No:118367,21/06/2023 **Consent No:AW-58472**

To,

The Occupier,
M/s. National Energy Trading And Services Limited (Sand Mine)betul,,
Kh.No. 1,1,288,266, Village-Baspur/Shivsagar/Gounapur,Tehsil-Ghoradogari/Shahpur,
City : Shivsagar, Tal : Ghoradongari, Dist : Betul (M.P.)Latitude : 22.1680 Longitude : 77.9830

Subject: **Grant of Consent to Operate under section 25 of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act,1974 under section 21 of the Air (Prevention & Control of Pollution) Act,1981**

Ref: **Consent to Operate Application R.No. 1276899 Dt. 13/06/2023 and last communication received on Dt.17/06/2023**

With reference to your above application for consent to operate has been considered under the aforesaid Acts and existing rules therein. The M. P. Pollution Control Board has agreed to grant consent up to **30.06.2023** subject to the fulfillment of the terms & conditions, enclosed with this letter and-

SUBJECT TO THE FOLLOWING CONDITIONS :-

a. Location: **Village-Banspur Kh. No. 1,288 ; Village-Shivsagar Kh. No. 1; Village-Gounapur Kh. No. 266 Tehsil-Ghoradogari / Shahpur , Distt. - Betul (M.P.)**

b. Mining Lease area: **24.970 Hact.**
Mineable area : **14.982 Hact.**

c. Product & Production Capacity:

Activity / Product	Qty / year
Mining of Sand	1,63,350 Cubic Meter Per Year,

Note:-1) Mining plan is approved for 1,63,350 Cubic meter /year capacity, so pp shall do mining up to this limit only.

2) Mine management shall ensure the compliance of order passed by Hon'ble NGT in OA 10/2020 (CZ) on dated 01/06/2020, in OA 09/2018 on dated 12/06/2020, NGT OA 17/2019 (CZ) on dated 26/11/2019 in OA 360/2015 on 26.02.2021 and in OA 38/2022 on dated 17.10.2022 pertaining to sustainable sand Mining.

3) Mine Management shall ensure that the mine is operated with valid mining lease & as per the provisions made by you in the mining plan approved by Collector (Mining) Betul vide letter No. 221 Dt 07.02.2023 and in compliance of the conditions laid by SEIAA, MP in EC granted vide letter no. EC Identification No. EC23B001MP124699 dt 17.06.2023.

4) Quarry contractor shall install permanent type demarcation pillars to represent quarry lease boundary & sign Board with quarry details and mining should be done as per mine plan, EC and in accordance with Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 and Enforcement & Monitoring Guidelines for sand mining, 2020.

5) As proposed in the approved mining plan, the maximum depth of mine pit shall not exceed 0.25 meter & mining done in 14.982 Ha. mineable area only. Mining shall be done above water level without disturbing water flow; No in stream mining shall be done.

6) PP shall ensure intermittent water sprinkling on transportation route which shall not pass through any residential / forest area to ensure control of Dust and Noise pollution. PP shall practice regular compaction of loose material of haulage road to reduce the fugitive emissions.

7) Evacuation of sand shall not be proposed towards villages: Baspur/Shivsagar/Gounapur, PP should make its own evacuation route leaving setback of min. 200 meters from the residential areas to minimise the effect of dust & sound pollution; & shall obtain necessary permission from the concerned Gram Sabhas for the same.

The Validity of the consent is up to **30.06.2023** and has to be renewed before expiry of consent validity. Online application through XGN with annual license fees in this regard shall be submitted to this office 6 months before expiry of the consent/Authorization. Board reserves the right to amend/cancel / revoke the above condition in part or whole as and when required.

Enclosures:-

* Conditions under Water Act
* Conditions under Air Act
* General conditions

CC to :-

1. District Mining Officer, (Mining Section), Collector office Betul Dist. Betul (M.P.) for information
2. Director, Geology & Mining Khanij Bhawan 29-A, Arera Hills, , Bhopal (M.P.) for necessary action p
3. Regional officer, Regional office, MPPCB, Chhindwara (M.P.)

By the order of Chairman, MPPCB

Signature Not Verified
Digitally Signed by : Chandra Mohan Thakur IAS
Date: 21/06/2023 06:41:33 PM

CHANDRA MOHAN THAKUR
Member Secretary

(Organic Authentication on AADHAR from UIDAI Server)
TPAV # 7D141P4S5F

M.P. Pollution Control Board
E-5, Arera Colony
Paryavaran Parisar, Bhopal - 16 MP
Tele : 0755-2466191, Fax-0755-2463742

CONDITIONS PERTAINING TO WATER (PREVENTION & CONTROL OF POLLUTION) ACT 1974 :-

1. **The daily quantity of trade effluent at out fall of the unit shall not exceed 0.000 KL/day, and the daily quantity of sewage at out fall of the unit shall not exceed 1.60 KL/day.**

2. Trade Effluent Treatment:-
The applicant shall provide comprehensive effluent treatment system as per the proposal submitted to the Board and maintain the same properly to achieve following standards-

pH	Between	5.5 – 9.0
Suspended Solids	Not exceed	100 mg/l.
BOD 3 Days 270C	Not exceed	30 mg/l.
COD	Not exceed	250 mg/l.
Oil and grease	Not exceed	10 mg/l.

TDS	Not exceed	2100 mg/l.
Chlorides	Not exceed	1000 mg/l.

For other parameters general standards of discharge as notified under EP Act 1986 shall be applicable.

3. Sewage Treatment :- The applicant shall provide comprehensive sewage treatment system as per the proposal submitted to the Board and maintain the same properly to achieve following standards-

pH	Between	5.5 – 9.0
Suspended Solids	Not exceed	100 mg/l.
BOD_3 Days 27^0C	Not exceed	30 mg/l.
COD	Not exceed	250 mg/l.
Oil and grease	Not exceed	10 mg/l.
Total Colliform	Not exceed	1000 (MPN/100ML)

Sr	Water Code (Qty in klpd - Kilo Ltr per Day)	WC : 20.000	WWG : 1.600	Water Source	Remark
1	Domestic Purpose	3.000	1.600	other	Toilet with septic tank soak pit to be provided
2	Dust suppression/ Plantation green belt	17.000	0.000	other	

4. The effluent shall be treated up to prescribed Standards and reuse in the process, for cooling and for green belt devolvement/gardening within premises. Hence zero discharge condition shall be practiced. In no case treated effluent shall be discharged outside of industry/unit premises.

5. Any change in production capacity, process, raw material used etc. and for any enhancement of the above prior permission of the Board shall be obtained. All authorized discharges shall be consistent with terms and conditions of this consent. Facility expansions, production increases or process modifications which result new or increased discharges of pollutants must be reported by submission of a fresh consent application for prior permission of the Board

6. All treatment/control facilities/systems installed or used by the applicant shall be regularly maintained in good working order and operate effectively/efficiently to achieve compliance of the terms and conditions of this consent

7. The Consent does not authorize or approve the Construction of any physical structures or facilities or the undertaking of any work in any water course or within its high flood level (HFL) area

8. The specific effluent limitations and pollution control systems applicable to the discharge permitted herein are set forth as above conditions.

9. Compilation of Monitoring data-
i. Samples and measurements taken to meet the monitoring requirements specified above shall be representative of the volume and nature of monitored discharge.
ii. Following promulgation of guidelines establishing test procedures for the analysis of pollutants, all sampling and analytical methods used to meet the monitoring requirements specified above shall conform to such guidelines unless otherwise specified sampling and analytical methods shall conform to the latest edition of the Indian Standard specifications and where it is not specified the guidelines as per standard methods for the examination of Water and Waste latest edition of the American Public Health Association, New York U.S.A. shall be used.
iii. The applicant shall take samples and measurement to meet the monthly requirements specified above and report online through XGN the same to the Board.

M.P. Pollution Control Board
E-5, Arera Colony
Paryavaran Parisar, Bhopal - 16 MP
Tele : 0755-2466191, Fax-0755-2463742

10. Recording of Monitoring Activities & Results-

i. The applicant shall make and maintain online records of all information resulting from monitoring activities by this Consent.

ii. The applicant shall record for each measurement of samples taken pursuant to the requirements of this Consent as follows:

(i) The date, exact place and time of sampling
(ii) The dates on which analysis were performed
(iii)Who performed the analysis?
(iv)The analytical techniques or methods used and
(v)The result of all required analysis

iii. If the applicant monitors any Pollutant more frequently as is by this Consent he shell include the results of such monitoring in the calculation and reporting of values required in the discharge monitoring reports which may be prescribed by the Board. Such increased frequency shall be indicated on the Discharge Monitoring Report Form.

iv. The applicant shall retain for a minimum of 3 years all records of monitoring activities including all records of Calibration and maintenance of instrumentation and original strip chart regarding continuous monitoring instrumentation. The period of retention shall be extended during the course of any unresolved litigation regarding the discharge of pollutants by the applicant or when requested by Central or State Board or the court.

11. Reporting of Monitoring Results:-

Monitoring Information required by this Consent shall be summarized and reported by submitting a Discharge Monitoring report on line to the Board.

12. Limitation of discharge of oil Hazardous Substance in harmful quantities:-

The applicant shall not discharge oil or other hazardous substances in quantities defined as harmful in relevant regulations into natural water course. Nothing in this Consent shall be deemed to neither preclude the institution of any legal action nor relive the applicant from any responsibilities, liabilities, or penalties to which the applicant is or may be subject to clauses.

13. Limitation of visible floating solids and foam:

During the period beginning date of issuance the applicant shall not discharge floating solids or visible foam.

14. Disposal of Collected Solid waste/sludge-

All hazardous waste/sludge shall be disposed of as per the Authorization issued under Hazardous & other waste (M&TM) Rules 2016. And/other Solids Sludge, dirt, silt or other pollutant separated from or resulting from treatment shall be disposed of in such a manner as to prevent any pollutant from such materials from entering any such water Any live fish, Shall fish or other animal collected or trapped as a result of intake water screening or treatment may be returned to eaters body habitat.

15. Provision for Electric Power Failure-

The applicant shall assure to the consent issuing authority that the applicant has installed or provided for an alternative electric power source sufficient to operate all facilities utilized by the applicant to maintain compliance with the terms and conditions of the Consent.

16. Prohibition of Bypass system of treatment facilities-

The diversion or by-pass of any discharge from facilities utilized by the applicant to maintain compliance with the terms and conditions of this Consent is prohibited except:

i. where unavoidable to prevent loss of life or severe property damage, or

ii. Where excessive storm drainage or run off would damage any facilities necessary for compliance with the terms and conditions of this Consent. The applicant shall immediately notify the consent issuing authorities in writing of each such diversion or by-pass in accordance with the procedure specified above for reporting non-compliance.

17. Industry/Institute/mine management shall submit the information online through XGN in reference to compliance of consent conditions.

Additional Water condition:-

Mine management should provide toilets for labors.

This Certificate generated from xgn.mp.nic.in are valid and does not require physical signatures, the certificate can be validated online from xgn.mp.nic.in using "TPAV" Number.

M.P. Pollution Control Board
E-5, Arera Colony
Paryavaran Parisar, Bhopal - 16 MP
Tele : 0755-2466191, Fax-0755-2463742

CONDITIONS PERTAINING TO AIR (PREVENTION & CONTROL OF POLLUTION) ACT 1981 :-

1. The applicant shall provide comprehensive air pollution control system consisting of control equipments as per the proposal submitted to the Board with reference to generation of emission and same shall be operated & maintained continuously so as to achieve the level of pollutants to the following standards:-

2. Ambient air quality at the boundary of the industry/unit premises shall be monitored and reported to the Board regularly on quarterly basis: The Ambient air quality norms are prescribed in MoEF gazette notification no. GSR/826(E), dated: 16/11/09. Some of the parameters are as follows:

a. Particulate Matter (less than 10 micron) - 100 µg/m^3 (PM_{10} µg/m^3 24 hrs. basis)
b. Particulate Matter (less than 2.5 micron) - 60 µg/m^3 ($PM_{2.5}$ µg/m^3 24 hrs. basis)
c. Sulphur Dioxide [SO_2] (24 hrs. Basis) - 80 µg/m^3
d. Nitrogen Oxides [NO_x] (24 hrs. Basis) - 80 µg/m^3
e. Carbon Monoxide [CO] (8 hrs. Basis) - 2000 µg/m^3

3. The industry shall take adequate measures for control of noise level generated from industrial activities within the premises less than 75 dB(A) during day time and 70 dB(A) during night time.

4. The industry/unit shall make the necessary arrangements for control of the fugitive emission from any source of emission/section/activities.

5. All other fugitive emission sources such as leakages, seepages, spillages etc shall be ensured to be plugged or sealed or made airtight to avoid the public nuisance.

6. All the internal roads shall be made pucca to control the fugitive emissions of particulate matter generated due to transportation and internal movements. Good housekeeping practices shall be adopted to avoid leakages, seepages, spillages etc.

7. Industry shall take effective steps for extensive tree plantation preferably in 03 rows of the local tree species with minimum spacing of 2X2 meters within or around the industry/unit premises for general improvement of environmental conditions and as stated in below.

Additional Air condition:-

1) Mine management shall provide pucca road for material transportation

2) Mine management shall not use village road for transportation.

3) Mine management shall provide fugitive emission control arrangements.

4) The vehicle used for the transportation of sand shall be PU certified and shall be properly maintained to reduce the noise.

This Certificate generated from xgn.mp.nic.in are valid and does not require physical signatures, the certificate can be validated online from xgn.mp.nic.in using "TPAV" Number.

M.P. Pollution Control Board
E-5, Arera Colony
Paryavaran Parisar, Bhopal - 16 MP
Tele : 0755-2466191, Fax-0755-2463742

GENERAL CONDITIONS:

1. The non hazardous solid waste arresting in the industry/unit/unit premises sweeping, etc. be disposed off scientifically so as not to cause any nuisance/pollution. The applicant shall take necessary permission from civic authorities for disposal to dumping site. If required.

Non Hazardous Solid wastes:-

Type of waste	Quantity	Disposal
Scrap/ Plastic packing material wood, card board, gunny begs etc		Sale to authorized party/As Per CPCB. MoEF Guide lines / others.

2. The applicant shall allow the staff of Madhya Pradesh Pollution Control Board and/or their authorized representative, upon the representation of credentials:

a. To inspect raw material stock, manufacturing processes, reactors, premises etc to perform the functions of the Board.
b. To enter upon the applicant's premises where an effluent source is located or in which any records are required to be kept under the terms and conditions of this Consent.
c. To have access at reasonable times to any records required to be kept under the terms and conditions of this Consent.
d. To inspect at reasonable times any monitoring equipment or monitoring method required in this Consent: or,
e. To sample at reasonable times any discharge or pollutants.

3. This consent / authorisation is transferable in nature, in case of any change in ownership / management, the new owner / partner / directors / proprietor shall immediately apply for the consent with new requisite information.

4. The issuance of this Consent does not convey any property rights in either real or personal property or any exclusive privileges, nor does it authorise any invasion of personal rights, nor any infringement of Central, State or local laws or regulations.

5. This consent is granted in respect of Water pollution control Act 1974 or Air Pollution Control act, 1981 or Authorization under the provisions of Hazardous and other Waste (Management & Transboundary movement) Rules 2016 only and does not relate to any other Department/Agencies. License required from other Department/Agencies have to be obtained by the unit separately and have to comply separately as per there Act / Rules.

6. Balance consent/authorisation fee, if any shall be recoverable by the Board even at a later date.

7. The applicant shall submit such information, forms and fees as required by the board not letter than 180 day prior to the date of expiration of this consent/authorisation

8. Knowingly making any false statement for obtaining consent or compliance of consent conditions shall result in the imposition of criminal penalties as provided under the section 42(g) of the Water Act or section 38 (g) of the Air Act.

9. After notice and opportunity for the hearing, this consent may be modified, suspended or revoked by the Board in whole or in part during its term for cause including, but not limited to, the following:

(a) Violation of any terms and conditions of this Consent.
(b) Obtaining this Consent by misrepresentation of failure to disclose fully all relevant facts.
(c) A change in any condition that requires temporary or permanent reduction or elimination of the authorized discharge.

10. On violation of any of the above-mentioned conditions the consent granted will automatically be taken as canceled and necessary action will be initiated against the industry.

Additional condition:-

1. Tree plantation shall be carried out in open area available.

2. **As proposed in the approved mining plan, the maximum depth of mine pit shall not exceed 1.10 meter & mining done in 14.982 Hact. mineable area only. Mining shall be done above water level without disturbing the water flow; No in stream mining shall be done.**

3. The mining activity shall be done as per approved mining plan and environmental clearance.

4 Transportation of sand shall not be done through residential area. Village roads shall not be used for transportation.

5. Manual mining method using hand tools shall be adopted. Mining will be done with the help of spade, basket & shovel by lifting & loading the sand in small trolleys, No dumper/trucks shall be used and heavy vehicles shall not be allowed on the banks for loading/transporting of sand.

M.P. Pollution Control Board
E-5, Arera Colony
Paryavaran Parisar, Bhopal - 16 MP
Tele : 0755-2466191, Fax-0755-2463742

6. The sand shall be transported by small trolleys up to the Mineral stacking yard. Proper air pollution control arrangements shall be provided at yard to prevent fugitive emission due to loading/unloading activity. Regular Water spraying on the transportation road should be practiced.

7. Transport vehicles will be covered with tarpaulin to minimize dust/sand particle emissions. Vehicular emissions should be kept under control and regularly monitored for compliance of emission norms. Vehicles used for transporting the mineral should be covered with tarpaulins and optimally loaded.

8. After mining is complete, the edge of the pit should be graded to a 2.5:1 slope in the direction of the flow. Mine management shall submit the annual replenishment plan.

9. The mine Management shall submit environmental statement for the previous year ending 31st March on or before 30th September every year to the Board.

10. The mine Management shall comply with all the relevant Acts/Rules, directions, guide lines issued by MoEF/CPCB/MPPCB from time to time as required and, if applicable.

Consent/authorization as required under the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974, The Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981is granted to your industry subject to fulfillment of all the conditions mentioned above. For renewal purpose you shall have to make an application to this Board through XGN at least Six months before the date of expiry of this consent/authorisation. The applicant without valid consent (for operation) of the Board shall not bring in to use any outlet for the discharge of effluent and gaseous emission.

For and on behalf of
M.P. Pollution Control Board

By the order of Chairman, MPPCB

(Organic Authentication on AADHAR from UIDAI Server)
TPAV # 7D141P4S5F

CHANDRA MOHAN THAKUR
Member Secretary

Consent No:AW-58472